

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	0 1
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	07/08
03. Referee Board	09
04. Spokesperson	1 1

(Science / विज्ञान)

05. Need Of Sustainable Development To Combat The Impact Of Erratic Rainfall On Agriculture (With Special Reference To District Ashoknagar, MP, India) (Dr. Renu Rajesh)	13
06. Ethnobotany: Some Wild Plant Used Of Fever By Tribals Of Dhar District, Madhya Pradesh (Dr. Kamal Singh Alawa)	18
07. Study of Natural Vegetation in Girls College campus Khandwa (M.P.) (Dr. Kumud Dubey)	20
08. Impact Of Method Of Planting (RCT) On Growth And Yield Of Onion (<i>Allium Cepa L.</i>) Cv. Bheema Kiran (Sanjay Kumar, Jitendra Singh, P.K. Rathi)	22
09. Nutrient Overloading And Its Consequences As Harmful Algal Blooms In A Tropical Lake Of Central India (Pramod Patil, Dr. Bharti Khare)	24
10. Common Fixed Point Theorem for Two self mapping in fuzzy metric spaces (Dr. Sangeeta Biley)	32
11. Fixed Point Theorem On Three Complete Fuzzy Metric Spaces (Dr. Meenakshi Rawal)	35
12. Impact of Detergents on Environment in reference to Khandwa City (Dr. Avinash Dube).....	38
13. Water Quality Index (WQI) - Determination Of Overall Quality Status Of Water Usable For Different Purposes (Dr. Pramod Pandit)	40
14. Managing scarcity of Natural Resources- Through Ancient Ways (Dr. Laxmi Barelia)	43
15. Ecological Study Of Gharial <i>Gavialis gangeticus</i> (Dr. Sunita Shakle)	45

(Home Science / गृह विज्ञान)

16. Contemporary Use Of Kashidakari Embroidery (Jammu And Kashmir) Motif On Khadi Kurtis With Hand Painting (Komal Sharma, Dr. Nidhi Vats)	47
17. Gender Difference In Interest With Special Reference To Music In Adolescent Students Of Government Senior Secondary Schools Of Jaipur (Dr. Shiva Vyas)	53
18. Development Of Bags From Boutique Waste (Arti Chawla, Dr. Nidhi Vats)	58
19. प्रेषित उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ता शिक्षा (डॉ. कलिका डोलस)	6 2
20. कुपोषण मुक्त भारत - सुझाव (जयंती जोशी)	6 5

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

21. An Economic Scenario Of Consumer Awareness Amongst Households - (A Statistically Study With Special References Of Etah District In Uttar Pradesh) (Krishna Kant Dwivedi, Rahul Sharma, Unnati Gupta)	67
22. Customer Satisfaction towards KFC Restaurant chain in Gwalior city - An Analytical Study	71

23.	A Case Study Of Financial Performnce Of ICICI Bank Post Merger Of Bank Of Rajasthan 75 (Dr. Narendra Marwada)	75
24.	Non-Performing Assets In Banks In India (Dr. Sushma Maheshwari) 79	79
25.	An Analytical Study of Customer Satisfaction towards McDonald's Food Chain in 82 Guna Region (Dr. Rajesh Jain)	82
26.	A Study On Level Of Satisfaction Towards Post Office Savings Schemes (With Special..... 86 Reference To Ujjain) (Deepika Verma, Dr. Shailendra Kumar Bharal)	86
27.	Startup In India A Study (Dr. Rajendra Singh Waghela, Pawan Pushpad) 88	88
28.	Study of the Sources and Uses of Fund in the Regional Transport Offices in India 91 (Dr. Pradeep Chaurasia)	91
29.	A comparative study of small saving schemes of post office and public sector bank in 94 Ujjain district (Deepika Verma)	94
30.	A Study Of Management Of Emergency Providing To The Patient Care In 96 Trauma Centers (Aju Joseph, Dr. Shalini Gautam)	96
31.	मध्यप्रदेश में जैविक कपास उपज की संभावनाएँ (पश्चिम निमाड़ के विशेष संदर्भ में) 100 (डॉ. मनोहर दास सोमानी, यशवंत चौधरी)	100
32.	इको फ्रेंडली सेनेटरी नैपकिन (डॉ. इमराना सिद्दीकी, डॉ. फरहाना अली) 105	105
33.	मध्यप्रदेश में जल विद्युत एक अध्ययन (डॉ. प्रतापराव कदम, पुष्पा चौहान) 108	108
34.	मानवाधिकार हो विकास का लक्ष्य (डॉ. संगीता कुँभारे) 111	111
35.	महिला एवं पंचायती राज्य (डॉ. प्रीति मुरडिया) 113	113
36.	महिला सशक्तिकरण हेतु लघु वित्त की आवश्यकता - एक अध्ययन (दीप्ति चौहान, डॉ. एस.सी. हर्णे) 115	115
37.	मन्दसौर जिले में औद्योगिक विकास की अधोसंरचना का विश्लेषण (शिखा नलवाया) 117	117
38.	राजस्थान में सरस ब्राण्ड की विपणन व्यूहरचना: एक अवलोकन (हेमा कुमारी वर्मा) 119	119
39.	ई-कामर्स के क्षेत्र में भावी संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ (डॉ. माया अग्रवाल) 121	121
40.	महिला सशक्तिकरण में लघुवित्त की भूमिका (दीप्ति चौहान, डॉ. एस.सी. हर्णे) 122	122

(Economics / अर्थशास्त्र)

41.	A Study For India Towards Cashless Economy (Harjeet Singh) 124	124
42.	सफाई कामगारों में व्यावसायिक अन्तरपीढ़ी गतिशीलता का एक अध्ययन(धार जिले के सन्दर्भ में) 129 (डॉ. प्रकाशचंद्र रांका, विजय यादव)	129
43.	गन्दी बस्तियों की समस्याएँ एवं सुझाव (डॉ. सुनीता वाथरे, आस्था रजक) 132	132
44.	भारत में 8 नवम्बर 2016 का विमुद्रीकरण (डॉ. राजीव कुमार झालानी, डॉ. अंजना गोरानी) 135	135
45.	उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध उत्पादों का प्रभाव 138 (इन्दौर शहर के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन) (प्रियंका लोदवाल, डॉ. रजनी भारती)	138
46.	कृषि विकास में संजय सरोवर परियोजना का योगदान (सिवनी जिले के संदर्भ में) (नीतू उइके) 141	141
47.	पर्यावरणीय चुनौतियाँ एवं सुरक्षात्मक हेतु बनाए गए कानून (डॉ. हरदयाल अहिवार) 144	144

48. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका (डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव) 146
49. फसल बीमा योजना - आवश्यकता, समस्याएँ एवं समाधान (डॉ. सुनीता वाथरे, आस्था रजक) 149
50. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार (सीमा नागर) 151
51. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं ग्रामीण विकास (प्रो. लक्ष्मी डूबोरिया) 153

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

52. नगर पालिका चुनाव 2018 - विश्लेषण एवं परिणाम (धार जिले के संदर्भ में) (डॉ. मीनाक्षी पँवार) 155
53. सर्वोत्तम विधा है भारत की योग शिक्षा (प्रो. सपना चक्रवर्ती) 160
54. भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व (प्रतिमा चौधरी, डॉ. धीरेन्द्र सिंह) 163
55. पर्यावरण एक अध्ययन - पेंच थर्मल पावर परियोजना छिंदवाड़ा के संदर्भ में (डॉ. भावना नायक) 166
56. नगर परिषद् - निर्वाचन एवं विश्लेषण 2018 (धार जिले के संदर्भ में) (डॉ. मीनाक्षी पँवार) 168
57. कैदियों के मानवाधिकार व शासन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. भावना नायक) 174

(History / इतिहास)

58. The Bhil Revolt Of 1881 In Mewar - An outcome of British Paramountcy In The Native 176
Indian States (Dr. Amita Sonker)
59. पश्चिमी मालवा की पारम्परिक मनोरंजक लोक कलाएँ (ईश्वरलाल औसारी) 179
60. संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन (बिन्दू त्रिपाठी) 182
61. परमार राजा वाक्पति द्वितीय (मुन्ज राज) की उपलब्धियाँ (डॉ. शिवा खंडेलवाल) 184
62. सन् 1857 के रण में महारानी बैजाबाई (धीरेन्द्र) 186

(Sociology / समाजशास्त्र)

63. भिलाला जनजाति में सौन्दर्याभिव्यक्ति एवं आधुनिकता का प्रभाव (निमाड़ अंचल के विशेष सन्दर्भ में) 188
(प्रो. अनामिका प्रजापति)
64. गोड़ आदिवासियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (शीला मांडेकर) 191
65. विकासशील देशों में खेलकूद प्रोत्साहन तथा रोजगार के अवसर (डॉ. नीलिमा खरे) 194
66. संस्कृति और संस्कार का मानव जीवन पर प्रभाव (डॉ. प्रमिला वाधवा) 197
67. गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाली अजजा महिलाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 200
का सकारात्मक प्रभाव एवं मूल्यांकन (खरगोन जिले के सेगांव तहसील में) (कविता आर्य)
68. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का मूल्यांकन मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के संदर्भ में (आरती जोगे) 203
69. खरगोन शहर में स्वच्छता अभियान, क्रियान्वयन, उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ - एक समग्र अध्ययन (डॉ. आर. के. यादव) 206
70. भारत में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्थिति (डॉ. ज्योति मेहता) 208
71. इंटरनेट एवं पारिवारिक विघटन (डॉ. निशा जैन) 210

72. महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक प्रावधानों का योगदान (आरती जोगे) 2 1 1
73. 'मी टू' अभियान एवं सोशल मीडिया (डॉ. निशा जैन) 2 1 3

(Geography / भूगोल)

74. Groundnut Productivity In Rajasthan - An Geographical Assessment (Vikas Singharia)..... 214
75. जोधपुर शहर में पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति (कंचन बानियाँ) 2 1 7

(Psychology / मनोविज्ञान)

76. A Study To Assess The Effect Of Anxiety In Relation To Emotional Intelligence 219
During Examination Among Students Of Senior Secondary School In Jabalpur (Dr. Ratna Johari)
77. A Comparative Study Of Depression Between Male And Female In Adulthood 221
(Dr. Ratna Johari)

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

78. समकालीन महिला कहानीकार और मूल्यबोध (देवेन्द्र सिंह ठाकुर) 2 2 3
79. उषा देवी मित्रा के उपन्यासों में नारी पात्रों की भूमिका (डी.पी. चन्द्रवंशी, डॉ. रेखा दुबे) 2 2 5
80. डॉ. कला जोशी की 'चोर' कहानी का सामाजिक सरोकार (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 2 2 8
81. प्रेमचन्द के उपन्यासों में यथार्थ चित्रण (सुरेन्द्र बिसेन, डॉ. गणेश लाल जैन) 2 3 1
82. संशय की एक रात-वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में (डॉ. रंजना मिश्रा) 2 3 3
83. स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में नारी (नियति अग्रवाल) 2 3 5
84. अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (प्रेम) के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 2 3 7
85. वैश्वीकरण और हिन्दी का विकास (डॉ. ज्योति सिंह) 2 4 0
86. यामिनी कथा में पुत्तुल के मन की अंतर्व्यथा (डॉ. बिन्दु परस्ते) 2 4 2

(Sanskrit / संस्कृत)

87. कालिदास साहित्य में शाप-योजना (डॉ. कल्पना पंचौली) 2 4 4
88. भवभूते: नाटकेषु अर्थवादतत्त्वलोचनम् (डॉ. बालकृष्ण प्रजापति) 2 4 7

(Drawing / चित्रकला)

89. Examining The Environmental Sculpture In The Context Of Some Sculptures 249
By Sushen Ghosh (Binoy Paul)
90. भारतीय चित्रकला में छः अंगों (षडंग) की भूमिका (डॉ. निशा गुप्ता) 2 5 2
91. राजा रवि वर्मा - और उनके आस्था भरे चित्र (डॉ. यतीन्द्र महोबे) 2 5 5
92. वर्तमान समय में छापाचित्रों के प्रति बढ़ता रुझान (अर्चना) 2 5 7

(Law/ विधि)

93. Independence And Impartiality Of Arbitrator In International Commercial Arbitration 259
(Prachi Tyagi)
94. अंतर्राष्ट्रीय विधि में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण (नम्रता ताम्रकार) 266
95. वृद्धजनों के अधिकार एवं सुविधाएँ (राम भरोस साहू) 269

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

99. Effect Of Yogasana On Body Composition Of Secondary School Obese Boys 271
(Mukul Pandey, Dr. Seema Gurjar, Dr. Nisith Kumar Dutta)
97. A Comparative Study Of Sportsperson And Non -Sportsperson (Sonal Singh) 276

(Education / शिक्षा)

98. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन 279
(डॉ. सरोज गर्ग, हर्षलता पण्ड्या)
99. माध्यमिक स्तर पर विज्ञान अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकता का अध्ययन (शारदा सालवी) 282
100. महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन की तुलनात्मक समीक्षा (वर्षा मेहन्दीरत्ता) 385
101. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आने वाली समस्याओं का अध्ययन (डॉ. सरोज गर्ग, हर्षलता पण्ड्या) 387
102. माध्यमिक स्तर के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य स्कूली छात्रों के आत्म अवधारणा , आकांक्षा 290
और अकादमिक उपलब्धि का एक अध्ययन (भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में) (ममता झरबडे, डॉ. अनामिका सरकार)
103. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन (अनिल कुमार) 293
104. माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) योजना की विभिन्न गतिविधियों व 295
समस्याओं के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों का अभिमत (डॉ. सतपाल स्वामी)
105. द्वारिका - जैन साहित्य के संदर्भ में (डॉ. रूपेन्द्र मुनि) 297
106. माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के सामाजिक अभिक्षमता का तुलनात्मक 299
अध्ययन (डॉ. देवेन्द्र कौर)
107. विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन, एवं अधिगम शैली का विश्लेषणात्मक 301
अध्ययन (नीहारिका भारती, डॉ. देवेन्द्रा आमेटा)

(Others / अन्य)

108. Social Security And Women Empowerment : Issues Challenges And Strategies In 304
Karnataka (Dr. Usharani B.)
109. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन 307
(डॉ. खेलशंकर व्यास, सत्यनारायण शर्मा)
110. पुस्तकालय एवम् सूचना विज्ञान की प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, पुस्तकालयाध्यक्षों की महत्ता एवम् उपादेयता तथा 310
उनकी समस्याओं आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. विपिन बिहारी मिश्र)

111. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन 315 (डॉ. खेलशंकर व्यास, सत्यनारायण शर्मा)	315
112. पुस्तकालय एवम् सूचना विज्ञान के क्षेत्र में रसायन शास्त्र के शोध प्रबन्धों की शोध प्रविधि (जीवाजी 318 विश्वविद्यालय ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. विपिन बिहारी मिश्र)	318
113. पर्यावरण प्रदूषण - एक सामाजिक चुनौती (डॉ. स्वालकीन खान) 322	322
114. भारतीय लोक संगीत पर एक दृष्टि (मोनिका शर्मा) 325	325
115. आधुनिकता के परिवेश पर दूषित होता पर्यावरण (डॉ. सुनील बाघला, डॉ. सुरजीत सिंह करवाँ) 327	327
116. प्राकृतिक संसाधन एक सीमित श्रृंखला (डॉ. राजेश कुमार) 328	328
117. निमाड़ के बीसवीं सदी के सन्त श्री पुरुषोत्तम नागर (डॉ. मधुसूदन चौबे) 329	329
118. निमाड़ के सन्तों की चमत्कारपूर्ण गाथाएँ (डॉ. मधुसूदन चौबे) 331	331
119. कृषि फसल पर पर्यावरण का प्रभाव (उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. मोहन निमोले) 334	334
120. English Language Teaching in India: New Challenges and Dimensions (Dr. Vandana Sharma) 336	336
121. The Buddhist Motif in the Waste Land (1922) (Arvind Kumar Srivastava) 339	339
122. प्राचीन नगरी मल्हार के पुरासंपदाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन (मंजू साहू, डॉ. रामरतन साहू) 343	343
123. विनोबा भावे का शिक्षा दर्शन (डॉ. सुनीता गुप्ता) 347	347
124. Study of Zooplanktons from Panvel creek, Panvel, Navi Mumbai, Dist. Raigad, 350 West Coast of India (Aamod N. Thakkar)	350
125. Radio and its Socio Economic Impact on Society (Dr. Nilesh Gangwal) 354	354
126. Women's Empowerment through the Entrepreneurship (Dr. Sanjay Bhavsar) 356	356
127. स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव (डॉ. योगेश चन्द्र जोशी) 359	359
128. Study of Avian Diversity and Percentage of Occurrence in Wetlands of JNPT and its Vicinity 362 (Rahul B. Patil)	362
129. Essential Trace Element and Human Health (Dr. Shobha Gupta) 366	366
130. कौशल विकास: सफलता की कुंजी (डॉ. आलोक कुमार यादव) 374	374
131. बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता 376 का अध्ययन (डॉ. सतीश पाल सिंह)	376
132. भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की वैचारिक समीक्षा (डॉ. हरिचरण मीना) 380	380
133. गठबंधन सरकारें : अस्तित्व और संभावनाएँ (महेश कुमार रचियता) 383	383
134. जयपुर रियासत के राजपरिवार की धार्मिक मान्यताओं एवं धार्मिक उत्सवों का ऐतिहासिक अध्ययन 385 (डॉ. बबिता सिंघल)	385
135. Democratic State and Protest Movement (Dr. Archana Singh) 390	390
136. Indo-U.S. Relations: The Beginning and U.S.'s South Asia Policy in the 1950's (Anurag Pandey) 392	392
137. A Comprehensive Study of the Urdu Fiction (With Special Reference to the Novels- Mirwah 395 Ki Ratain, Char Darvesh Aur Aik Kachhwa, Baagh, Aatishzaad, Galliyon Ke Log, Mussarraton Ka Sheher, Raja Gidh, Khas o Khashak Zamane, Sifar Se AikTak, Pandrah Jhoot Aur Tanhai Ki Dhoop) (Dr. Arshad Siraj)	395
138. Economic Resilience and Livelihood Patterns of Tribal Communities in India 398 (Dr. Gouri Shanker Meena)	398

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
19. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD, Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources - Business Administration** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
(5) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)
46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Neapanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Need Of Sustainable Development To Combat The Impact Of Erratic Rainfall On Agriculture (With Special Reference To District Ashoknagar, MP, India)

Dr. Renu Rajesh *

Abstract - At present every country is facing drastic effects of climate change. The long lasting consequences of Green House Gas emissions to our climate system are threatening as these are irreversible. UN Member States on 25th September 2015, at the Sustainable Development Summit, adopted the 2030 agenda for Sustainable Development. Out of 17 SDGs, Goal 12 and 13 are exclusively related to agriculture and climate change.

As far as India is concerned agriculture plays a major role in country's development. Climate is a prime factor of agricultural productivity. Increased frequency of drought, increase in average temperature and erratic rainfall events have become a trend now in the area under study. While a regular pattern of rain is vital for plants, too little, too much and irregular can be harmful.

Ashoknagar is one of the 51 districts of MP in west meteorological subdivision. Ashoknagar is considered as Progressive Farming Zone under livelihood Zone Analysis. Ashoknagar has 7 tehsils and approximately 900 villages. Soybean is major Kharif rainfed crop and wheat is major Rabi irrigated crop of the area. District is prone to drought, heat waves and frost.

Studies have shown that due to erratic rainfall thinking and attitude of farmers have changed. Some of them want to move away from this profession. The government subsidy in agriculture sector is remarkably increasing but the farmers are still not capable of coping with the changes occurring in rainfall pattern.

Key Words - Ashoknagar, agriculture, erratic rainfall, farmers, Sustainable Development.

Introduction - At present every country is facing drastic effects of climate change. Green house gas emissions are still increasing and are now more than 50% higher than their 1990 level. The long lasting consequences to our climate system are threatening as these are irreversible. UN Member States on 25th September 2015, at the Sustainable Development Summit, adopted the 2030 agenda for Sustainable Development. The agenda includes 17 SDGs, two of which (Goal 12 and 13) are exclusively related to agriculture and climate change.

Sustainable Consumption and Production (Goal 12) aims to manage the ways we produce and consume goods and resources; the ways we dispose of toxic waste and pollutants; the ways we share our natural resources.

Climate Action (Goal 13) aims to combat the drastic effects of climate change; rising greenhouse gas emission; global warming. It also aims strengthening the resilience and adaptive capacity of more vulnerable regions.

As far as India is concerned agriculture plays a major role in country's development. Climate is a prime factor of agricultural productivity. Increased frequency of drought, increase in average temperature and erratic rainfall events have become a trend now in the area under study. While a regular pattern of rain is vital for plants, too little, too much and irregular can be harmful. Therefore to study effects of

ongoing rainfall changes on agriculture pattern; effects of changing agriculture pattern on economic conditions of farmers and awareness in farmers, is quite important.

Madhya Pradesh is located in the central part of the country "India". Ashoknagar is one of the fifty one districts of MP in west meteorological subdivision. **Ashoknagar, formerly known as Pachar, represents Southern Area of the Chambal Region of MP which is considered as Progressive Farming Zone under Livelihood Zone Analysis.** It is situated at the average elevation of 1640 ft above sea level between Sindh and Betwa rivers between the latitude 24.34 N and longitude 77.43 E. It has an agricultural topography. Ashoknagar is divided into 4 subdivisions and 7 tehsils (Ashoknagar, Chanderi, Mungaoli, Issagarh, Shadora, Naisarai and Piprai). **Total villages in district are 900. Ashoknagar is Gird Zone as per Planning Commission (Agro Climatic Region) and NARP (Agro Climatic Zone).** Krishi Vigyan Kendra is located in the district.

In this region the **main classes of soil are black, brown and bhatori (stony soil).** Black soil requires less irrigation because of its high moisture retention capacity. The other two types of the soil are lighter and have a higher proportion of sand. **The year is popularly divided into three sessions: summer** (mid March to mid June,

temperature varying from 35° C to 46° C), **the rains** (mid June to September, average daily temperature around 30° C) and **winter** (October to mid March, average daily temperature ranging from 15° C to 20° C). **Rainfall is mostly due to south west monsoon spell.** Occasional winter showers i.e. **Mawta**, is important for early summer wheat and gram crops in the region. **Annual Rainfall (average) is 889 mm** and normal rainy days are 38. **Cultivable area is 307.1 (000ha)** and cultivable wasteland is 25.4 (000ha). **Rainfed area in district is 191.5 (000ha).** Soybean is major Kharif rainfed crop. Wheat and Gram are two major Rabi irrigated crops. **District is prone to drought, heat wave and frost.** Ashoknagar is well known for its Grain Mandi and Sharbati wheat.

A regular pattern of rain is vital to healthy plants, but too much or too little can be harmful. Drought can kill crops and flood acts as a catastrophic agent. As a result food security, trade policies and livelihood activities get affected. Unseasonal heavy rainfall and delayed little monsoon now destroys hopes of farmers.

Ashoknagar comes under rain-fed area (rain-dependent agricultural receiving more than 750mm rainfall in a year) receiving annual rain fall 889 mm on an average in a year. However, for the last few years pattern and amount of rainfall in Ashoknagar has shown drastic changes. As a result agriculture activities, thinking and conditions of farmers have also shown remarkable changes.

Objectives -

- To know about relationship between ongoing changes in climate (erratic rainfall) and agriculture in district Ashoknagar.
- To study economic conditions of farmers and to know about what farmers think with regard to agriculture in present scenario.
- To study effectiveness of government efforts in this direction.
- To frame what else could be planned for betterment of farmers of the area.

Methodology -

- Field visits, Questionnaire, Interviews of farmers to collect the opinions, attitudes regarding the problem being studied.
- Collection and Analysis of Data & Formulation of future strategies to help farmers.
- Secondary sources (books, journals, internet).

Observations - As per methodology, data was collected and analyzed. **In total one hundred farmers representing all the seven tehsils of district Ashoknagar were our samples chosen randomly. We visited some of the fields and also Krishi Upaj Mandi to interview farmers.** Rainfall data pattern of district Ashoknagar from 2012 to 2016 (**Source CRIS, Hydromet Division, India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, New Delhi**) is given in a Graphical form.

Graph-1a & 1b (**See in the last page**)

Graph 1a- Average Rainfall (in millimeter) Pattern Data

of District Ashoknagar for Years 2012 to 2016 (See in the last page)

Graph 1b- Departure Pattern (in %) of Rainfall from Long Period Average Data of District Ashoknagar for Years 2012 to 2016

Agriculture Produce (wheat and soybean) related data (**Source AGMARKNET, DMI, Ministry of agriculture and Farmers Welfare, New Delhi**) are also shown in a tabular and Graphical form.

Table -1 & Graph-2, Table -2 & Graph-3, Table -3 & Graph-4, Table -4 & Graph-5

Wholesale prices monthly analysis for Soyabean in Ashoknagar (Rs/Quintal)

Year	July	August	September
2016	3292.85	3249.98	2872.10
2015	3166.36	3000.17	3195.32

Table 1 and Graph 2 - Wholesale prices monthly analysis for Soybean in Ashoknagar (**See in the last page**)

Arrival monthly analysis of Soyabean in Ashoknagar (Tonnes)

Year	July	August	September
2016	77.0	48.4	NA
2015	272.8	143.7	110.9

Table 2 & Graph 3 - Arrival monthly analysis of Soybean (Tonnes) in Ashoknagar (**See in the last page**)

Wholesale prices monthly analysis for Wheat in Ashoknagar (Rs/Quintal)

Year	February	March	April
2016	2193.99	1582.36	1741.26
2015	1581.26	1322.74	1463.58

Table 3 & Graph 4 - Wholesale prices (Rs/Quintal) monthly analysis for Wheat in Ashoknagar (**See in the last page**)

Arrival monthly analysis of Wheat in Ashoknagar (Tonnes)

Year	March	April	May
2016	5384.9	25189.2	24131.0
2015	5531.5	33694.3	39012.0

Table 4 & Graph 5 - Arrival monthly analysis of Wheat in Ashoknagar (Tonnes) (**See in the last page**)

Results And Discussion

Rainfall has totally become unpredictable with respect to amount and time of the year. As a result quantity of produce (wheat and soyabean) has also become unpredictable.

In case of wheat winter pours in year 2015 favored production. In 2016 heavy pours occurred during rainy season and adversely affected the production of soybean.

Many of the farmers select the crop type and even the variety type because of tradition of family. However, during discussion with farmers I noticed that with change in time some professionalism got incorporated in farming practices. Farmers used to grow those crops which require less water.

Wheat 322, Lokman, Sujata, Lal, 306, Ghora; Soybean 335; Mithi tili are the varieties earlier used by farmers as they were profit giving at that time. Wheat Sujata, Mini, Malwa; Soybean Smrat, 9305, 9306, 60 days are the

varieties being used now as they are less water requiring, early ripening, high yielding and giving more profit to farmers. Furthermore, now farmers are using many types of machinery at different stages of farming.

Most of the farmers told about the degradation in the quality of produce, low productivity, increased pest attack, increased weed problems, sometimes total destruction of crop and ultimately low or no profit due to disturbed rainfall.

Most of the farmers were dependent on rain water 10 years ago. Some were having wells and tanks in their fields. Few owed pumps at that time. Most of the farmers told that rain were as per its regular schedule at that time so irrigation was not a major problem.

Most of the farmers now owing pumps or they share the pumps in the neighborhood. Some are having wells and tanks in their fields as before. Few are still depending on rainfall. Erratic rainfall is of much concern now. Irregular rainfall is affecting agriculture. Sometimes drought like situations and some other time heavy rain is causing problems.

Besides, other problems being faced now by farmers are less availability of good quality of seeds (disease, pest resistant and require low water), labor problem, shortage of fertilizers and pesticides at government outlets. Erratic rainfall necessitates availability of modified seeds. As far as irrigation is concerned electricity is also posing threat to the farmers. Untimely rainfall degrades the quality of produce sometimes.

Previously farmers in this area liked to cultivate traditional crops, most of them unprofessionally and traditionally. Profit was not the main aim of the farmers rather it was their family tradition. Now thinking of the farmers has changed. They are now professionals and aim more profit. However due to erratic rainfall only big farmers are able to bear the losses and cope up with the changed scenario. Many farmers want to leave the farming as their livelihood and even suggest others not to go in this line until and unless they can afford facilities.

Conclusion - Climate related disasters have caused huge economic losses to INDIA in terms of public health, food security, agriculture, water resources and biodiversity. More than 60% of India's population practice agriculture for livelihood. Change in patterns of rainfall is affecting agriculture adversely and therefore posing threat to our economy and food security. Priority actions are required for developing drought and pest resistant varieties; improving methods for water and soil conservation; training workshops and demonstration exercises for farmers; providing financial support to farmers for adaptation of technologies to cope with erratic rainfall related stresses.

The impact of climate change (erratic rainfall) is felt severely in Ashoknagar and is of significance to discuss. In district Ashoknagar, population which depends on agriculture ranges from resource rich farmers to resource constrained farmers. Some of the resource rich farmers have adapted widespread technologies and are doing well.


In the resource constrained conditions farming is a survival mechanism. **Due to erratic rainfall, thinking and attitude of farmers have changed.** They are now more professionals and aware about government policies. They are still using traditional crops but want new and improved varieties which can tolerate changes in rainfall pattern and give more profits. Due to involved risks some of them want to move away from this profession. The government subsidy in agriculture sector is remarkably increasing. But the farmers are still not capable of coping with the changes occurring in rainfall pattern.

Due to variability of rainfall water stress is caused. **The prolonged breaks in the monsoon can result in partial or complete failure of the Rain fed crops.** Rainfall is highly unreliable, both in time and space, with strong risks of dry spells at critical growth stage even during good rainfall years. **Adaptation strategies of farmer's viz. changes in planting dates, selection of cultivars or crops, irrigation practices can enhance yield.** The alterations in total production affect market prices. Decrease in supply results into reduced consumption levels through price rises. Ultimately consumer welfare is adversely affected. **Economic damage due to erratic rainfall has increased drastically, though yield of major crops has increased due to use of technology and management techniques.** Greater fluctuations in local market prices lead to increased number of people at risk of hunger and food security. The result is migration and civil unrest in society.


Future Aspects - Agriculture diversity is a manifestation of climatic adaptations. Farmers have always adapted to change when there is technology available. Adaptation is effective only when farmers and rural community are made aware of risks of climate change at all levels. With regard to climatic change some important adaptations must to be followed are:

- To enhance existing production systems by combining traditional knowledge (deep ploughing before seed sowing, ridges and furrow sowing, proper distance between plants) with new techniques.
- To use a different production system according to climate change
- To practice crop rotation, multicropping and mixed cropping system
- To develop new type of seeds for heat, drought and stress tolerance.
- To develop new and improved land use systems and technologies for resource conservation.
- To assist farmers in coping with current climatic risks through weather services, agro advisories, insurance, community banks for seeds and fodder.
- To promote agro biodiversity, i.e. the genetic resources for food and agriculture.
- To transfer information to the farmers through Agricultural Extension Services (by government agencies, radio, television, dealers of pesticides and fertilizers, NGO).


Graph 2 - Wholesale prices monthly analysis for Soybean in Ashoknagar




Graph 3 - Arrival monthly analysis of Soybean (Tonnes) in Ashoknagar



4 - Wholesale prices (Rs/Quintal) monthly analysis for Wheat in Ashoknagar



5 - Arrival monthly analysis of Wheat in Ashoknagar (Tonnes)



Ethnobotany: Some Wild Plant Used Of Fever By Tribals Of Dhar District, Madhya Pradesh

Dr. Kamal Singh Alawa *

Abstract - The present paper investigation has been carried out during 2016 to 2018. The present study were by organizing field trips in different season to record floristic diversity in different localities of the tribal pocket, recording observations for occurrence of plant species, their local names, plant parts used, formulations and dosages through interview and discussions held from elderly persons of The chief tribes in the district are Bhil, Bhilala, Barela and Pateliya. The study emphasized the need to document indigenous herbal remedies prevalent in tribal pockets pertaining to use of wild plants in cure of fever and malarial. The tribal communities in state of Madhya Pradesh possess excellent indigenous knowledge on plants and their parts and their use in folk medicines with different formulations.

Key words - Dhar district, ethnobotany, Fever, Madhya Pradesh, tribals, Wild plants.

Introduction - Dhar district is situated in the south-western part of Madhya Pradesh, India. The study area lies between 22° 00 to 23° 10 Northern latitude and 74° 28 to 75° 42 Eastern longitude. Its area is about 8153 Sq. Km. and geographical area of 1214.8 Sq.km. Its population is 2184672 (Census 2011).the tribal people constitute over 83.93 percent of the population. The chief tribes in the district are Bhil, Bhilala, Barela and Pateliya.

Medicinal plants are often, the only easily accessible health care alternative for the most of our population and traditional medicines remained a part of our integral health system. Indigenous people have shown evidences of historical continuity of resource use and possess a broad base knowledge of the complex ecological system existing in the vicinity of their habitat. Thus there exists an intensive relationship between the two entities i.e. forest and tribals. This relationship has been more static. The life, tradition, culture of tribals have remained almost static since last several hundreds of years. The knowledge accumulated by them through a long series of observations from one generation to another is transmitted oral communication for power possessed by medicinal plants in cure of various diseases and ailments. A large number of ethnic groups such as the chief tribes in the district are Bhil, Bhilala, Barela and Pateliya. These communities are using different formulations made out of plant parts in cure of ailments in primary health care . Keeping in view of vastness of forest area and richness of vegetation, systematic efforts to exploit the valuable potential is still lacking with exception to sporadic attempts being made as evident by review of literature being done (Srivastava 1984, 1985; Jain 1991, Jain 2004, Jadhav 2006, 2010; Maheshwari *et al.* 1986, Jain *et al.* 2010, Wagh *et al.* 2010). The present

communication given results of ethno medicinal plants done in south western part of Madhya Pradesh.

Materials And Methods - Ethno botanical field work was carried out during 2016 to 2018, covering almost all seasons. The tribal villages were surveyed through periodical tours in tribal localities. The information was documented involving field study by contacting and interviewing voids, ojhas for plants used to cure various types of fever. Knowledgeable persons of tribal communities were contacted and information was collected through interviews, observations and discussions held during field survey. The discussions revealed local name of species, plant part used formulation of herbal drugs used by traditional healers and tribal communities. Plant specimens were collected, identified with the help of Herbarium and Floras (Mudgal *et al.*, 1997; Verma *et al.*, 1993; Singh *et al.*, 2001). Herbarium following standard method (Jain and Rao, 1977). Information on ailments, parts used, and doses prescribed, time and days of administration of dose efficiency of the drug etc. gathered from tribal have been enumerated.

Enumeration - The botanical names are arranged formulation wise, vernacular names and families method of preparation and uses followed.

1. ***Achyranthes aspera*** Linn. (Van. Andhijhada) Fam. Amaranthaceae. Use: Root crushed is taken twice a day for 3 days to cure fever.
2. ***Ailanthus excelsa*** Roxb. (Van. Dakancow) Fam. Simaroubaceae. Use: Decoction of leaf is taken twice a day for 3 days to cure fever.
3. ***Alangium salvifolium*** (L.f.) Wang, (Van. Ankol) Fam. Alangiaceae. Use: Decoction of leaves and stem-bark mixed is given to cure fever.

4. **Andrographis paniculata** (Burm.f.) Wall ex. Nees. (Van. Kalmegh) Fam. Acanthaceae. Use: Leaf-juice is given twice a day for 3 days to cure fever.
5. **Aspragus racemosus** Willd (Van. Satawar) Fam. Liliaceae. Use: Roots are dried in sun and decoction is prepared and is given to cure high fever.
6. **Azadirachta indica** A. Juss. (Van. Neem) Fam. Meliaceae. Use: Small leaves are chewed during typhoid and fever.
7. **Bauhinia racemosa** Lam. (Van. Astara, Sengla.) Fam. Caesalpiniaceae. Use: Decoction of leaves is given twice a day for 3 days to control malarial fever.
8. **Carissa congesta** Wight. (Van. Karamda, Kraunda) Fam. Apocynaceae. Use: Decoction of root is used to cure fever.
9. **Cassia tora** Linn. (Van. Pumadiya) Fam. Caesalpiniaceae. Use: Root decoction is prepared and administered orally to cure fever.
10. **Ecilipta prostrata** Linn. (Van. Bhiringraj) Fam. Asteraceae. Use: Leaves are chewed for control of malarial fever.
11. **Helicteres isora** L. (Van. Marodfali) Fam. Sterculiaceae. Use: Plant decoction is given thrice a day for 3 days in fever.
12. **Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell (Van. Bhukamal) Fam. Violaceae. Use: Plant decoction is given twice a day for 3 days to cure fever.
13. **Marsdenia tenacissima** (Roxb.) Moon. (Van. Chirri, Seeri) Fam. Asclepiadaceae. Use: Paste of root is given thrice a day for 3 days to treat high fever.
14. **Mitragyna parvifolia** (Roxb.) Korth. (Van. Kalam) Fam. Rubiaceae. Use: Decoction of root is given twice a day for 3 days to cure fever.
15. **Ocimum sanctum** Linn Labiatae Tulsi (Van. Tulsi) Fam. Lamiaceae. Use: Leaf juice is extracted and is orally administered twice a day for a period of two to three days to patients suffering from high fever.
16. **Ocimum tenuifolium** Linn. (Van. Jangli tulsi) Fam. Lamiaceae Use: Leaf decoction is prepared and 20 ml. is orally administered twice a day to cure fever.
17. **Pterocarpus marsupium** Roxb. (Van. Bija Sal) Fam. Fabaceae Use: Gum is applied for cure of toothache in fever.
18. **Solanum virginianum** L. (Van. Bhui-ringni) Fam. Solanaceae. Use: Decoction of root is given twice a day for 2-3 days to cure fever.
19. **Terminalia arjun** (Roxb) Wgt. & Arn. (Van. Arjun) Fam. Combretaceae. Use: Bark decoction is used as tonic and in cure of malarial fever.
20. **Tinospora cordifolia** (Willd.) Miers. (Van. Giloy) Fam. Menispermaceae. Use: Extract of root is given orally twice a day for 3 days to cure fever.
21. **Wrightia tinctoria** R. Br. in Mem. (Van. Kudha) Fam. Apocynaceae. Use: Decoction of bark is given twice a day for 3 days to cure malarial fever.

Results And Discussion - The present study out of 21

plant species belonging to 19 genera and 18 families were discussed above are used as fever. Doses prepared from leaves, roots, barks and gum on the basis of the parts used as fever. Leaves of 9 species, roots of 8 species barks of 3 species and gum of 1 species each are used all as fever. Such is the case with all as fever. It is seen that the commonest parts doses are used as fever. Most of the living in interior hill ranges such as remote in study areas. The indigenous knowledge of local medicinal plants is also under serious threat in rural areas due to the availability of allopathic medicines and treatment of ailments and disease by local untrained doctors. Therefore, before this traditional phototherapeutic knowledge lost forever it must be documented properly.

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. B.L.Chouhan, principal and Dr. S. Soni, Head of Botany Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to Divisional forest Officer, Dhar for help during the tribal village's and forest areas. We are thankful to acknowledgeable for the important information giving regarding their valuable information.

References :-

1. **Jain, S.P. (2004)** Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products.*, 11(2) 152-157.
2. **Jain, S.K. and R.R. Rao (1977)** *A handbook of field and Herbarium methods.* Today and Tomorrow Publishers, New Delhi.
3. **Jain, S.K. (1991)** Dictionary of Indian folk medicine and Ethnobotany. *Deep Publication*, New Delhi, India.
4. **Jadhav, D. (2006)** Plant sources used for the treatment of types of fevers by *Bhil* tribe of Ratlam District, Madhya Pradesh. *J. Econ. Taxon. Bot.*, 30[4] 909-911
5. **Jadhav, D. (2010)** Ethnomedicinal plants used as antipyretic agents among the *Bhil* tribes of Ratlam District (Madhya Pradesh). *Indian forester.*, 136[6] 843-846.
6. **Maheshwari, J.K., B.S. Kalakoti and B. Lal (1986)** Ethno medicine of *Bhil* Tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh. *Ancient Science of life.*, 5, 255-261.
7. **Madgal, V., K.K. Khanna and P.K. Hajra (1997)** *Flora of Madhy Pradesh*, Vol. II. BSI, Calcutta.
8. **Srivastava, R.K. (1984)** Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980. *Man in India.*, 64[3] 320-321.
9. **Srivastava, R.K. (1985)** Herbal remedies used by the *Bhil* of Madhya Pradesh. *Oriental med Kyoto.* Japan, pp. 389-392.
10. **Singh, N.P., K.K. Khanna, V. Mudgal and R.D. Dixit (2001)** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. III, BSI, Calcutta.
11. **Verma, D.M., N.P. Balakrishnan and R.D. Dixit (1993)** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta.
12. **Wagh, V.V. and A.K. Jain (2010)** Ethnomedicinal observations among the *Bheeland Bhilala* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets.*, 14, 715-720.

Study of Natural Vegetation in Girls College campus Khandwa (M.P.)

Dr. Kumud Dubey*

Abstract - Biological diversity is a measure of relative diversity among organism present in different ecosystem. Biodiversity boosts ecosystem productivity where is each species have an important role to play. In the study richness of natural flora was noted in the college campus, but many factors like construction of new structure and limited water resources are affecting the growth of plants.

Key words - Biodiversity, natural vegetation.

Introduction - Life of human being depends on natural vegetation of the area because people use vegetation for food, fodder, building material, medicines etc. Natural vegetations are usually related to an ecosystem, which is an assembly of plant species that have not been grown by humans. Diversity in natural vegetation of any place recognized with a great wealth of the system and also provided distinct identity.

The surveyed institution is honoured to be named after a known poet and freedom fighter Padmashree Dada Makhan Lal Chaturvedi. It was established in 1963. The college has old beautiful building, newly constructed buildings with a large land area. Khandwa is district headquarter situated at 21.83°N 76.33°E. Climate of the area is whole dry with average rainfall is 932mm. In college campus mainly black brown soil with rocky surfaces at many places.

The present study is made to analyze biodiversity of natural vegetation of college campus which includes trees, shrubs, herbs, climbers and lower plant. This study will be helpful to students and the people of our society to develop awareness towards biodiversity of local wild plants, its importance, its uses and its conservation because it is an essential need for today.

Methodology - Natural vegetation of college campus were analyzed. The analysis were done season wise and it includes trees, shrubs, herbs, climbers and lower plants. Phenology of plants were studied and then plants were identified with the help of relevant literature.

Result and discussion :

Wild Plants Of Campus

Sr.	Plant's Name	Local Name	Family
1	<i>Abutilon indicum</i> L	Kanghi	Malvaceae
2	<i>Acacia nilotica</i> L	Babul	Mimosoidae
3	<i>Acalypha indica</i> L	Kuppi	Euphorbiaceae
4	<i>Achyranthe saspara</i> L	Atijhara	Amaranthaceae
5	<i>Adhatodav asica</i> Nees	Adusa	Acanthaceae

6	<i>Aerva anata</i> L		Amaranthaceae
7	<i>Ageratum conyzoides</i> L		Asteraceae
8	<i>Ailanthus excelsa</i> Desf	Mahaneem	Simaroubaceae
9	<i>Alternanthera sessilis</i> (L) Rbr		Amaranthaceae
10	<i>Alysicarpus</i> sp. L		Leguminosae
11	<i>Amaranthus spinosus</i> L		Amaranthaceae
12	<i>Ammania baccifera</i> L		Lythraceae
13	<i>Antigonon leptopus</i> HK and Arn	Coral wine	Polygonaceae
14	<i>Argemone maxicana</i> L	Peeli Kater	Papaveraceae
15	<i>Azadirachta indica</i> A Juss	Neem	Meliaceae
16	<i>Boerhaavia diffusa</i> L	Punarnava	Nyctaginaceae
17	<i>Blumea acera</i> L	Janglimuli	Astraceae
18	<i>Cassia tora</i> L	Chirota	Leguminosae
19	<i>Calotropis gigantea</i> L	Safed Akaav	Asclepiadaceae
20	<i>Calotropis procera</i> L	Akaav	Asclepiadaceae
21	<i>Chenopodium album</i> L	Bathua	Chenopodiaceae
22	<i>Cleome viscosa</i> L	Hurhur	Capparidaceae
23	<i>Commelina benghalensis</i> L	Kankaua	Commelinaceae
24	<i>Cyperus rotundus</i> L	Nagarmotha	Cyperaceae
25	<i>Cynodon dactylon</i> L (Pers.)	Doob	Poaceae
26	<i>Desmodium triflorum</i> L		Leguminosae
27	<i>Ecbolium viridae</i> Forssk		Acanthaceae
28	<i>Echinops echinatus</i> L		Asteraceae
29	<i>Eclipta alba</i> Hassk	Bhringraj	Asteraceae
30	<i>Euphorbia geniculata</i> Ortega		Euphorbiaceae
31	<i>Euphorbia hirta</i> L		Euphorbiaceae
32	<i>Euphorbia microphylla</i> Lam	Dudhi	Euphorbiaceae
33	<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Poiensettia pulcherrima) Willd		Euphorbiaceae

34	<i>Evolvulus alcinoides</i> L	Neel, shankh pushpi	Convolvulaceae
35	<i>Ficus bengalensis</i> L	Bad	Moraceae
36	<i>Ficus religiosa</i> L	Peepal	Moraceae
37	<i>Galactia tenuiflora</i> Klein		Leguminosae
38	<i>Hyptis suaveolens</i> Jacq.		Lamiaceae
39	<i>Ipomea triloba</i> L		Convolvulaceae
40	<i>Ipomea quamoclit</i>	Ganesh bel	Convolvulaceae
41	<i>Lantana camera</i> L	Van Tulsi	Verbenaceae
42	<i>Launaea asplenifolia</i> Hookf		Asteraceae
43	<i>Laugescea mollis</i> L		Asteraceae
44	<i>Martynia annua</i> L		Martyniaceae
45	<i>Merremia tridentata</i> L		Convolvulaceae
46	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L		Rubiaceae
47	<i>Oxalis corniculata</i> L	Tinpatiya	Oxalidaceae
48	<i>Pergularia daemia</i> Forsskal		Asclepiadaceae
49	<i>Parthenium hysterophorus</i> L	Gajarghas	Asteraceae
50	<i>Phyllanthus nirui</i> Hook F	Bhuiamla	Euphorbiaceae
51	<i>Peristrophe peniculata</i> L		Acanthaceae
52	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb) Benth	Jangalalebi	Leguminosae
53	<i>Portulaca oleracea</i> L	Kulpha	Portulacaceae
54	<i>Ruellia prostrata</i> Lamk		Acanthaceae
55	<i>Rungia repens</i> L		Acanthaceae
56	<i>Sida cordifolia</i> L		Malvaceae
57	<i>Solanum nigrum</i> L		Solanaceae
58	<i>Solanum anthocarpum</i> L	Bhatkataiya	Solanaceae
59	<i>Sonchus arvensis</i> L		Asteraceae
60	<i>Tephrosia villosa</i> Pess		Leguminosae
61	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd) Miers		Menispermaceae
62	<i>Tridax procumbans</i> L		Asteraceae
63	<i>Vernonia cinerea</i> L		Asteraceae
64	<i>Withania somnifera</i> Dunal	Ashva- gandha	Solanaceae
65	<i>Xanthium strumarium</i> L	Gokhroo	Asteraceae
66	<i>Zephyranthe scitring</i> Baker	Yellow Rain Lily	Amaryllidaceae
67	<i>Ziziphus jujube</i> Lam	Ber	Rhamnaceae

Natural vegetation of any place is the result of long-term interaction between vegetation and environmental factors which also includes human activities. A healthy

natural biodiversity provides a number of natural services for everyone, such as ecosystem services like water resource protection, soil protection, nutrient cycling, providing future resources with many social benefits. It is therefore makes economic and development sense to move towards sustainability.

The campus is dominated by *Azadirachata indica* and *Ficus religiosa*. Plants belonging to about 30 families show great variety of flora. Season wise *Acalypha indica*, *Achyranthus*, *Euphorbia* spp., *Oxalis*, *Parthenium*, *Phyllanthus*, *Portulaca* and *Tridax* dominated and cover almost all the campus. *Euphorbia pulcherrima* noted specially many sites. Climbers of *Antigonon* and *Tinospora* covers large area of campus. Other lower plants as bryophytes (*Riccia*, moss) mushrooms and cyanobacteria patches also noted on moist places and walls of building. With this flora many flies, insects, mollusks and birds were also recorded.

A large number of plant species means a greater variety of plants and greater species diversity ensure natural sustainability of all life forms. Continuous construction of new building structures and scarcity of resources mainly water affects natural habitats of many plants by which growth of plants is influenced. It is noted that some plant species either disappear or become less frequent in last few years in the habitat of campus. Climate change conditions also affects biodiversity like in distribution pattern, migration, invasion of other species and change in phenological behavior. The phytodiversity is important ecological as well as economically. Each plant is unique as it has its own value.

Study of biodiversity may become helpful to students to understand value and conservation of nature. It also helps to develop curiosity, knowledge and awareness towards flora of region, so one can give attention towards conservation of nature, which is an essential need for the earth.

References:-

1. Ingalthalikar S. and S. Barve (2010), Trees of Pune, Corolla Publications, Pune.
2. Pradeep K. (2013), A Field Guide For Trees, Spotters Jungle trees of Central India, Penguin Books India.
3. Subrahmanyam NS (2003), Laboratory Manual of Plant Taxonomy Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
4. Rathore A. et al (2013), Biodiversity-Importance and climate change impacts. Int. J of scientific and research pub. vol.3

Impact Of Method Of Planting (RCT) On Growth And Yield Of Onion (*Allium Cepa L.*) Cv. Bheema Kiran

Sanjay Kumar * Jitendra Singh ** P.K. Rathi ***

Abstract - Onion is an important commercial crop of India. It grown during winter and harvested before the real hot season begins. It used both in raw and mature stage as vegetable and spices. The Methods of planting are one of the important operations for qualitative and quantitative production for the onion crop. It affects on efficient use of water, weed management, growth & yield of the crop. Digging operation was also affected by methods of planting which directly related to post harvest losses of the onion. The experiment (OFT) was conducted by KVK, Dalipnagar during Rabi season of year, 2015-16 in three locations of Shivrajpur block, Kanpur nagar. The experiment comprising of three treatment viz. ridge planting, raised cum flat bed and long bed planting on bheema kiran cultivar of onion. The maximum plant height 59.00cm, number of leaves per plant 8.70, fresh weight of plant 164.75 g, diameter of bulb 6.81cm, weight of bulb 45.35g and yield of bulbs 315.00 qt/ha were recorded in raised cum flat bed planting method during the study. By conducting the trial, yield of onion can be increased upto great extent. This will be substantially increased the income as well as livelihood of the farmers.

Introduction - Onion is the most important vegetable crop of India due to indispensable item in every kitchen as condiments and vegetables. This crop is introduced in India from central Asia and it must have been grown in India from ancient times as their utility as medicinal herbs has been mentioned in the medicinal treaties like Charka Samhita around 600 B.C. (Swarup, 2006). India ranks second in area (0.87 million ha), production (12.16 million tonnes) and productivity 15.10 mt/ha (Anonymous, 2008). Onion crop has gained the importance of a cash crop, rather than a vegetable crop because of its high market value. It is a unique vegetable, which is consumed by almost all the section of the society though out the year, not only at maturity, but also at different stages of growth.

The Methods of planting are one of the important operations for qualitative and quantitative production for the onion crop. It affects on efficient use of water, weed management, growth & yield of the crop. Digging operation was also affected by methods of planting which directly related to post harvest losses of the onion. The experiment (OFT) was conducted by KVK, Dalipnagar during Rabi season of year, 2015-16 in three locations of Shivrajpur block, Kanpur nagar. Condition of the soil was rich in nutrition due to maize-potato-onion cropping system adopted by farmers. Farmers were used plenty of fertilisers and FYM during potato so that no additional requirement of any fertiliser and FYM. The experiment comprising of three treatment viz. ridge planting, raised cum flat bed and

long bed planting on bheema kiran cultivar of onion. These planting methods were confirmed by the findings of Bracy *etal.* (1993). Raised bed make by desi plough about six inch height and then single onion seedling row was planted. Raised cum flat bed made by potato planter and it made two row at a time with 30cm irrigation channel and upper portion of raised bed become flat 35 cm with height of 6 inches. Each Raised cum flat bed consisted three rows with 10cm spacing between row and 10cm between plants. All the recommended practices were adopted by selected farmers. The data were collected as per schedule from all selected farmers. To estimate the extension gap formula used by Samui *etal.*(2000). Long bed planting (10x5 metre) method of onion was mostly used by the farmer but it expensive and traditionally method.

Performance of trial - Observations on growth and yield contributing characters viz. height, number of leaves, diameter of bulbs, weight of bulbs and yield of bulbs/ha and economics were also assessed.

The maximum plant height (Table-1) as recorded on 40, 80 and 120 days after transplanting was 41.05, 48.32 & 59.00cm, respectively for raised cum flat bed (T_3) while least plant height observed on long bed (10x5m) T_1 treated as farmers practice. The number of leaves per plant counted at 40,80 and 120 days after transplanting at 40 days non-significant but 80 & 120 days were significant maximum (8.62 & 8.70) while minimum was recorded in T_3 . Similar trend was observed by Saini and Mandeep Kaur,

*Scientist (Hort) KVK, Farrukhabad (U.P.) INDIA
** Directorate of Extension, CSAU&T, Kanpur (U.P.) INDIA
*** Directorate of Extension, CSAU&T, Kanpur (U.P.) INDIA

2012.

The fresh weight of plant (164.75 g), diameter of bulb (6.81cm), weight of bulb (45.35g) and yield of bulbs 315.00 qt/ha were found under the T₃ where as minimum was under T₁ (Table-2). The finding were supported by Singh *et al.*, 2010. The yield increase in per cent (13.08) and extension gap (36.50qt/ha) were also observed during study period.

Economics of the trials - The economics of the onion crop under the method of planting was recorded and the results of economics have presented in Table-3. The economics analysis of onion crop under raised cum flat bed (T₃) method of planting were recorded higher gross return (Rs. 252000/ha) and net return (Rs. 179500/ha) with higher benefit ratio (1:3.47) as compared to other treatment T₁ and T₂. These results are in accordance with finding of Hiremath *et al.* (2007).

Thus from the foregoing account, it can be concluded that raised cum flat bed method of onion planting were very useful and cost effective for the farmers because it minimized irrigation, weed problem, labour requirement & losses during digging with higher returns.

References :-

1. **Anonymous (2008)**. Indian Horticulture Database, 2008, NHB, pp 86-88.
2. **Bracy,RP; RL, Parish; PE, Bergereon and Rj,**

3. **Castartin (1993)**. Comparison of flat and rounded bed for vegetable crops. *Appl. Eng. Agr.*, 9:271-275.
4. **Hiremath, SM; Nagarjun, MV; and Shashidhar, KK (2007)**. Impact of FLD on onion productivity in farmers field. Paper presented in: Nation sem Appropriate extn strat manag rural resources, Uni. Agri. Sci., Dharwad, December18-20, p.100.
5. **Pandey,VP; Bhagwan Singh and Tripathi, HP. (2013)**. Planting of crop with furrow raised bed system and advantage of raised bed planting in crop. N.D.U.A.& T., Faizabad.
6. **Saini and Mandeep Kaur (2012)**. Effect of land configuration and weed management in onion. *Indian Journal of Agronomy*, Volume-57, pp 275-278.
7. **Samui,SK; Mitra, S; Roy, DK; Mondal, AK. And Saha, D. (2000)**. Evaluation of FLD on groundnut. *Indian Journal of Coastal Agric. Res.*, 18:180-183.
8. **Singh,VK; Dwivedi, AS; Sukhla, SK. And Mishra, RP. (2010)**. Permanent raised bed planting of the pigeon pea- wheat system on a Typic vs Toochrept, *Field Crop Research*; 116:127-39.
9. **Swaroop, PV. (2006)**. Bulbs Crops In: Vegetable Science and Technology of India, Kalyani Publishers, Ludhiana.

Table-1 Effect of method of planting on height and number of leaves per plant at 40, 80 and 120 days after transplanting.

Treatments	Heights (cm)			Number of leaves		
	40days	80dyas	120days	40days	80days	120days
T ₁ Long bed planting (10x5 m)	38.30	42.45	52.60	4.78	6.85	6.90
T ₂ Ridge planting (single row)	39.00	45.50	54.85	5.22	7.50	7.65
T ₃ Raised cum flat bed (Three row)	41.05	48.32	59.00	5.65	8.62	8.70
CD at 5%	2.820	2.755	3.935	0.926	1.008	0.981
SEm±	0.065	0.078	0.109	0.100	0.092	0.081

Table-2 Effect of method of planting on fresh weight of plant, diameter of bulb, weight of bulb and yield of bulbs at 40, 80 and 120 days after transplanting.

Treatments	Fresh weight plant (g)	Diameter of bulb (cm)	Weight of bulb (g)	Yield of bulbs (qt/ha)	Yield Increase (%)	Extension gap
T ₁ Long bed planting (10x5 m)	126.50	5.63	31.15	278.50	-	
T ₂ Ridge planting (single row)	141.56	5.85	37.30	293.70	-	
T ₃ Raised cum flat bed (Three row)	164.75	6.87	45.34	315.00	13.18	36.50
CD at 5%	18.66	0.90	11.92	19.85		
SEm±	8.245	0.029	4.382	9.230		

Table-3 Economics of the trial.

Treatments	Cost of cultivation (Rs/ha)	Gross return (Rs/ha)	Net return (Rs/ha)	Benefit : cost ratio
T ₁ Long bed planting (10x5 m)	103000	222800	119800	1:2.16
T ₂ Ridge planting (single row)	110500	234960	124460	1:2.13
T ₃ Raised cum flat bed (Three row)	72500	252000	179500	1:3.47

Nutrient Overloading And Its Consequences As Harmful Algal Blooms In A Tropical Lake Of Central India

Pramod Patil * Dr. Bharti Khare **

Abstract - Traversed by the Tropic of Cancer at 77° 25' E Longitude lies Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, India. This city of hills and lakes harbours 18 water bodies including lakes, reservoirs, ponds, pools, ditches and hilly streams. A few serve as a source of potable water after pretreatment, rest are used for irrigation, fishing, recreation and aesthetics. The City is famous for its twin lakes- Upper Lake and Lower Lake which is centrally located with dense urbanized surroundings. Studies on Lower Lake between July 2011 and June 2013 on impact of nutrient overload revealed decreased taxonomic variety of algal association, impaired seasonal succession of aquatic flora and dominance of Cyano HABs in summer season. HABs showed differential selection of limited species with higher biomass, dominated by non-heterocystous Cyanophytes, with preponderance of Microcystis (*M.aeruginosa*, *M. elongata*, *M.flos-aquae*, *M.protocystis* *M. pseudofilamentosa* and *M. viridis*), diatoms with raphe, Euglena and Phacus species. High phosphate encouraged and prolonged HABs close to shores causing economic loss to fishing and recreation industry, escalating treatment cost of potable water. On decaying the HABs release foul smell affecting aesthetics and toxins released affect human health.

Introduction - Water- a vital factor of life- is a great gift of God. It is the most precious component of the earth. It is found in a large quantity in all living organisms. Therefore, it should be free from any contamination. A large number of plants and animals of different groups flourish under aquatic environment and play a significant role in the ecosystem affecting human life.

India in a tropical country, showing three distinct seasons of monsoon, winter and summer. Climatically Bhopal follows this pattern with atmospheric temperature between 4.5 to 42.5°C permitting extensive aquatic flora.

In Bhopal we have eighteen water bodies (Fig-1) including lakes, reservoirs, ponds, pools, ditches and hilly streams. We are exploiting the water bodies by our interference, negligence and deleterious anthropogenic activities due to ever increasing populations and intense desire to raise the living standards. The availability and quantity of water affects the biological diversity of aquatic ecosystems and future prospects of humanity. A critical observation of our aquatic environment reveals that most of the aquatic habitats are degraded due to nutrient overloading and growth of harmful blue green algae. They form dense unialgal growth often called as "blooms" secreting potentially lethal toxins. It is due to nutritional enrichment of the water bodies specially phosphorus.

The excessive growth of cyanophycean algae and production of harmful algal blooms have been reported by Desikachary (1959) Agarkar (1975) Patil (1982) Sharma

and Sharma (1993), Pandey and Dwivedi (2002), Chimire (2012), Dixit and Savita (2005) Tamot and Sharma (2006) Vikas *et al.* (2007), Mahajan and Nandan (2007) Ghosh *et al.* (2007) Rahman and jewe (2008) Murugan and Manikantavelu (2009) Khare and Patil (2013).

There are number of water bodies in Bhopal, but the most significant are the twin lakes commonly known as Upper Lake and Lower Lake. The Upper Lake is partly affected by human activities, while the Lower Lake on account of its central position in a thickly urbanized locality has greater man made disturbances. It is surrounded by schools, colleges and residential houses. The main source of fresh water for this lake is through the seepage from Upper Lake near Kamla Park. Another source of water is a stream called 'Banganga' a large drain carrying urban effluents from the adjoining area of M.L.A. Rest House. There is a heavy drainage of sewage from surrounding localities, cloth-washing and bathing centers and cattle pastures in the North-East region of the lake from where there is a continuous overflow of water. The water level of this lake remains almost the same throughout the year due to continuous inlet of water through seepage from Upper Lake. It is an artificial lake with morphometric details as under -

- I. Surface area – 1.43 Sq. kms.
- II. Shore line- 1.55 kms.
- III. Maximum length- 1.61 kms.
- IV. Maximum width- 1.91 kms.

- V. Maximum depth-12.0 meters
- VI. Mean depth- 7.00 meters.
- VII. Elevation 503 meter above the sea level.

Material And Methods - The four sampling sites in Lower Lake were selected to collect water sample and algal sample from nearly all the directions. The sampling sites also represented disturbed and least disturbed areas of the Lake. Water samples were collected from each site every month on the same day for analyzing different physicochemical parameters and Algal samples were also collected every month from each site but from depth not more than 2.5 feet.

Observations - The following Physico-chemical characteristics of water were analyzed during the course of the present study from July 2011 to 2013, represented in tables and graphs given below.

1. Temperature of water (°C)
2. Dissolved Oxygen in water (mg/l)
3. Hydrogen ion concentration of water (pH)
4. Total alkalinity of water (mg/l)
5. Calcium hardness (mg/l)
6. Chloride (mg/l)
7. Nitrate (mg/l)
8. Nitrite (mg/l)
9. Phosphate (mg/l)

Water Temperature (°C) (See in the last page)

Dissolved Oxygen in water (mg/l) (See in the last page)

Hydrogen ion concentration of water(pH) (See in the last page)

Total alkalinity of water (mg/l) (See in the last page)

Calcium hardness (mg/l) (See in the last page)

Chloride (mg/l) (See in the last page)

Nitrate (mg/l) (See in the last page)

Nitrate (mg/l) (See in the last page)

Phosphate (mg/l) (See in the last page)

During the course of the present study which was spread over a period of two years, the Lower Lake provided a diverse collection of blue-green algae. A total 55 taxa of 20 genera occurring in different seasons have been collected and identified of these 6 taxa belong to *Microcystis*.

Division - Cyanophyta

Class - Cyanophyceae

Order - Chroococcales

Chroococcus limneticus Lemm.

Ch. minutus(Kutz) Nag

Ch. minor (Kutz) Nag

Ch. turgidus(Kutz) Nag

Gleotheca rupestris (Lyngb.) Born

Gomphosphaeria aponica Kutz

Microcystis aeruginosa Kutz

M. elongata Desikachary

M.flos -aquae (wittr.) Kirchnen

M. glauca(wolle) Dr. and D.

M. protocystis Crow

M. pseudofilamentosa Crow

M. viridis (A.Br.) Lemm

Dactylococcopsis raphidioides Hansg

Merismopedia elegans A Br.

M. glauca (Ehrenb.) Neg.

M. punctata Meyen

M. tenuissima Lemm

Aphanocapsa biformis A Br.

Aphanothece pallida (Kutz.) Rabenh.

Order: Chamaesiphonales

Stichosiphon sansibaricus (Hieron) Droueet daily

Order: Oscillatoriales

Spirulina major kutz. Gomont

Arthrospira jenneri Stizenb ex Gomont

Arthrospira platensis (Nordst.) Gomont

Phormidium ambigum Gomont

Phormidium autumnale(Ag.) Gomont Autumnale

Phormidium bohneri Schmidle

Phormidium subincrustedatus Fritsch and Rich

Oscillatoria formosa Bory ex Gomont

O. limosa Ag. Ex gomont

O. nigra Vaucher

O. proboscidea Gomont

O. princeps Vauchaer Ex Gomont

O. salina Biswas Fa *major* Desikachary

O. sancta (kutz) Gomont

Lyngbya magnifica Gardner

Cylindrospermum indicum Rao, C.B. orth

Anabaena ambigua Rao, C.B.

Anabaena circinalis Rabenhorst

Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb

Anabaena oscillarioides Borg ex Born. et. Hab.

Anabaena oscillarioides Bory ex Born Var. *angustus*

Bharadwaja

Anabaena sphaerica Bornet et Flahault

Anabaena spiroides Klebahn

Anabaena variabilis Kutzing ex Bornet Flah

Anabaenopsis arnoldii A ptekarj

Nostoc commune Vaucher ex Born

Nostoc linckia Rao, C.B

Nostoc microscopicum Carm. ex Born.

Nostoc sphericum Vaucher Ex Born.

Rivularia aquatic de Wilde

Scytonema chiastum Geitler

Scytonema coactile montagne ex Born. et Flash.

Gloeotrichia raciborskii Woloszynska

Gloeotrichia raciborskii Woloszynska var. *Kashiense* Rao, C.B.

Results And Discussion - Seasonal Periodicity of Blue Green Algae in the Lake - The lake ecosystem is a very dynamic one, the algal population is never in a state of equilibrium, and it experiences many complex seasonal successions (Hutchinsm,1967).There were considerable seasonal variations in water quality of the lake promoting blue green algal population in general, and specific genera in particular. Occurrence of blue green algae in the lake have been elucidated by Gonzalves and Joshi (1946), Rao (1955), Singh (1979), Philipose (1960), Hosmani (2002).

The occurrence of Cyanophytes were recorded throughout the study period. During post monsoon, 05 taxa were observed in Sept. and Dec. 2011. During this period, the water temperature varied between 23°C to 28° C, as is characteristic of tropical water bodies. Dissolved oxygen fluctuated between 6-2 and 11.6 mg/l., water remained neutral to slightly alkaline, as also the total alkalinity. Calcium hardness oscillated between 56 to 80 mg/l during this season. The nitrate content was highest in monsoon, ranging between 0.04 to 0.19 mg/l. Phosphates, were found in traces.

As winter set in, the blue greens depicted low diversity coupled with low temperature (20 to 23.5 °C). Dissolved oxygen was between 7.8 and 12.4 mg/l calcium hardness and chlorides registered a rise, though nitrates and phosphates were moderate. Early winter saw a decline in number of taxa, but upto March each year 12 taxa seen were. The blue green was generally low in abundance during winter.

The spring season saw a spring in the *Myxophyceae* biodiversity which culminated in a peak in June during the two years of study when temperature reaches a peak of 31.8°C. Summer saw a plunge in Dissolved Oxygen to 5.0 mg/l. Low D.O. favours abundance of certain species of *Cyanophyceae* as also reported by Ganpati (1940) and Rao (1953). The gradual proliferation of blue green can be linked to the gradual increase in alkalinity and calcium hardness in water. Alkaline pH favour abundance of blue greens as reported by Rao (1953). Gonzalves and Joshi (1946) concluded that the group shows a peak in summer when sunshine and temperature are high, and reach a peak before onset of rains also opined by Singh (1979) and Zafar (1967).

Blooms - A perusal of Figure 3 reveals that there is a fluctuation in the number of taxa during the study period. It was observed that some taxa appear for a short duration, others just make their appearance and wither, while some multiply profusely in congenial environment. This could be attributed to the specific ecological preferences in the ambient environment facilitating the periodicity of the forms so precisely. The autotrophic blue greens are dependent on the entire range of physico-chemical parameters to sustain and proliferate.

As temperature and solar radiation show an upward trend, the blue green taxa increased in diversity, forms like *Merismopaedia*, *Chroococcus*, *Gloeotheca*, *Gloeocapsa*, *Microcystis* dominated the water of the lake in pre summer. A single peak in periodicity of blue green algae was observed in the present study as also reported by Hosmani (2002).

This peak culminated in June when *Microcystis* species showed prolific growth and 'blooms' were found near the shore of the lake. Some of the factors promoting the blue green algal blooms are shallow water near the shores, sunshine and higher water temperature. In tropical lentic water bodies, water blooms are common. The factors that

promote prolific growth of single forms such as *Mircocystis* are shallowness and water temperature as found in the present study, in concurrence with the reporting of Desikachary (1957).

During June alkaline water with a pH around neutrality and a low D.O. of 5.5mg/l was present during 'blooms'. It has been pointed out by Rao (1955) that in pond water, Cyanophyta occurred in plenty when there are low oxygen concentrations together with a pH around neutrality. Rao (1955) Jackson (1961) Sreenivasan (1965) have reported optimum alkalinity range for Cyanophyceae between 50-110 ppm. which agrees with alkalinity of Lower Lake. Prescott (1938) considers high temperature and low oxygen content favourable for the production of blue-green algae.

Lower Lake support a wide diversity of algae, and most are harmless, however, under certain conditions, blooms were formed by cyanophytes in warm months due to presence of nutrients.

Pearsall (1932) and Philipose (1960) stated that Cyanophytes increased in an algal population when nitrates and phosphates are low, as found in the present study. However, Munnawar (1970) opined that increased nitrates and phosphates favour an abundance of blue green forms.

They appear as a thin scum, but immediately numerous small globose, gas- vacuolated cells get embedded in mucilage, form colonies of varied shape and size. Due to gas vacuoles colonies are buoyant and migrate to different parts of the water column. *Microcystis aeruginosa* forms an aerated green scum in the water bloom stage and when dried look like pale blue paint sheet.

Harmful Algal Blooms are potentially dangerous. They release a foul smell into their surroundings. Exposure to HABs may cause skin irritation and upper respiratory problems. In extreme cases, people and animals get ill, drinking water containing these toxins many prove fatal. Toxins as a result of blooms implies that it is produced by organism into the surrounding water. *Microcystis* is known to produce a family of toxins called microcystins or hepatotoxins, a reflection of the great variety of biosynthetic capabilities that have evolved in these prokaryotic organisms.

To avert the harmful effects of 'blooms' an effort can be made to prevent the affect of toxins.

- Wading or swim in water containing visible blooms be avoided.
- Untreated water from susceptible water bodies may not be used for drinking.
- Use of activated carbon filtration to remove any toxins which escape from damaged cells of the colony.
- Use ozone to oxidize and inactivate any organic toxins.
- Prevent point and non-point source of nutrient runoff, particularly phosphorus.

Acknowledgements - The author gratefully acknowledges the help extended by Dr. Manjula Sharma, Principal Govt. M.L.B. Girls Post Graduate (Autonomous) College Bhopal, for permission to use departmental equipments, library and

other facilities during the research work.


References :-

1. Agarkar, M.S. (1975) Ecology of Algae of Bhopal. Ph. D. Thesis of A.P.S. University Rewa.
2. Bharti Khare and Pramod Patil (2013) Physico-chemical and Cyanophytic variation of Shahpura Lake, Bhopal India J. Applied & Pure Bio Vol. 28(2) :311-322.
3. Charmichael, W.W., J.S. An, S.M.F.O. Azevedo, S. Lau, K.L. Rinchart, E.M. Jochimsen, C.E.M. Holmes and W.R. Jarvis (1996) Analysis for *Microcystis* involved in an outbreak of liver failure and death of humans at a hemodialysis center in Caruara, Pernambuco, Brazil. IV Symposium of the Brazilian Society of Toxicology. October 6-12 Recife, Pernambuco, Brazil.
4. Desikachary, T.V. (1959) Cyanophyta, I.C.A.R. New Delhi.
5. Dixit, S. and Tiwari, S. (2005) Nutrient overloading of a freshwater lake in Bhopal India, Elect. Green Jou. Earth Day 21; Univ. of Idaho.
6. Ganpati S.V. (1940) The ecological of temple tank containing a permanent bloom of *Microcystis aeruginosa* (Kuetz) I. Henfr. J.Bom.Nat.Hist. Soc.42(I);66-67.
7. Ghosh, Shubhro Kamal, Das, Palas Kumar and Bagchi, Surendra Narth. (2007) PCR based detection of blooms from central India. In. J. Exp. Bio. Vol. 46 P. 66-70.
8. Gonzalves, E.A. and Joshi D.B.(1946) Fresh water algae near Bombay;The seasonal succession of the algae in a tank at Bandra J.Bom.Nat.Hist. Soc.46;154-176
9. Hammer, U.T. (1964) The Succession of Bloom species of Blue- green Algae and some causal factors. Ver. Int. Verein. Limnol. 15:829-836.
10. Hosmani, S.P. (2002) Fresh Water Algal Blooms in Ecological of polluted waters Ed Arvind Kumar. Vol.II, 1119 -1130
11. Hosmani S.P. and S.G. Bharathi (1975) Hydrological studies in ponds and lakes of Dharwar, III Occurrence of two Euglenoid blooms J.K. Uni.Sci. 20;151-156
12. Hutchinson, G.E. (1967) A treatise on Limnology Vol. II. Introduction to lake biology and limnoplankton, New York, John Wiley and Sons 1115 PP
13. Jackson, D.F.(1961)Comparative studies on phytoplankton photosynthesis in relation to total alkalinity. Verhandl. Intern. Ver. Limnol. 14:125-133.
14. Kaliyamurthy, M. (1975) Observations on the plankton Ecology of Pulicat Lake. Indian J. Fish. 22 (1/2): 86-95.
15. Lin, C.K. (1972) Phytoplankton succession in a eutrophic lake with special reference to blue-green algal blooms. Hydrobiol. 39:321-334.
16. Lind, J.W. (1965) The ecology of fresh water phytoplanktons. Biol. Rev., 40:231-293.
17. Mahajan, S.R. and S.N. Nandan. (2007) Effects of habitats in the occurrence and distribution of Blue-green algae in north Maharashtra, India Advances in aquatic Ecology pp. 12-16.
18. Munnawar, M. (1970) Limnological studies on fresh water ponds of Hyderabad, India. The Biotype. Hydrobiologia., 35:127-162.
19. Murugan T. and T. Manikantavela, (2009) Impact of magnetism on the growth and pigment production of two species of *Spirulina* (*Spirulina platensis* and *Spirulina platensis* var. *lonar*) A preliminary study. Indian Hydrobiology. v-12(1) 2.
20. Narayan Prasad Chimire, Shive Kumar Rai and Pramod Kumar Jha (2012) Cyanobacteria from Khumbu region (mt. Everest) including a new record for Nepal. India. Hydrobiology. 15(2) 223-226.
21. Pandey, G.C. and B.K. Dwivedi (2002) The toxins of Cyanobacteria: Emerging water quality problem. P. 395-405. Ecology of Polluted waters. V.I P. 407-415.
22. Patil, Pramod (1982) Ecological study of algal flora of the lakes of Bhopal Ph.D. Thesis Barkattulah University, Bhopal.
23. Philipose, M.T. (1960) Fresh water phytoplankton of Inland fisheries. Proc. sym. Algal ICAR, New Delhi
24. Rahman Sharmeen and Md. Jewe;. (2008) Cyanobacterial blooms and water quality in two urban fish ponds. Univ. J. zool. Rajshahi Univ. Vol. 27, 2008 PP. 79-84.
25. Rao, C.B. (1955) on the distribution of algae in a group of six small ponds. II Algal periodicity. J. Ecol., 43: 291-308.
26. Rao, C.B. (1953) On the distribution of algae in a group of six small ponds J. Ecol. 41;62-71
27. Sharma, K.C. and Sharma, R. (1993) Phytoplankton composition of sewage polluted Moras (Kalpi) River Gwalior, M.P. Environmental. 11: 625-629.
28. Singh, S.R. and Swarup, K. (1979) Limnological studies on Suraha Lake (Ballia) II the Periodicity of Phytoplankton. J. Ind. Bot. Soc., 58(4): 319-329.
29. Sreenivasan, A. (1965) Limnology of tropical impoundment III. Limnology and productivity of Amravati reservoir (Madras State) India. Hydrobiologia, 26:501-516.
30. Stroikine, V.C. (1963) Seasonal dynamics of phytoplankton in the knibysheer reservoir. Kuivysheer, 3: 111. 117.
31. Tamot, S. and Sharma, P. (2006) Physico-Chemical status of Upper Lake (Bhopal, India) Water Quality with Special Reference to Phosphate and Nitrate Concentration and their impact on Lake Ecosystem. Asian J. Exp. Sci Vol. 20 No.1 2006, 151-158.
32. Venkateswarlu, V. (1969) An ecological study of the algae of the river Moosi-Hyderabad (India) with special reference to water pollution 11. Factors influencing the distribution of algae Hydrobiol., 33(1-2): 352-368.
33. Vikas Salgotra, S.A. Mastan, Adarsh Kumar and T.A. Qureshi (2007) Studies on certain physico-chemical

parameters of Hataikheda Reservoir Near Bhopal ,India Advances in aquatic Ecology P.P. 75-78.
 34. Vyas, L.N. and Kumar, H.D. (1968) Studies on the Phytoplankton and other algae of Indrasagar tank

Udaipur, India. Hydrobiol. 31: 421-434.
 35. Zafar, A.R.(1967) On the ecology of algae in certain fish ponds of Hyderabad, India III. The periodicity Hydrobiologia 30(2);96-112.


Water Temperature (°C)



Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	25.3	23.2	28.5	23.6	24.3	20.2	20.2	23.5	29.9	30.5	31.3	31.5
2012-13	25.3	23.0	28.2	28.3	24.1	20.0	20.4	22.1	29.6	30.3	31.8	31.7


Dissolved Oxygen in water (mg/l)

Dissolved Oxygen in water (mg/l)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	13.2	10.5	11.6	8.4	6.2	10.00	7.8	12.4	12.2	11.6	7.2	5.0
2012-13	11.2	12.5	10.6	6.8	8.4	10.9	8.8	12.4	14.4	13.2	7.3	5.2

Hydrogen ion concentration of water(pH)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.4	7.8	8.2	8.2	8.4	8.4	8.6
2012-13	7.8	7.5	7.9	7.5	7.7	7.7	7.4	7.7	8.4	8.5	8.3	8.2

Total alkalinity of water (mg/l)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	119.5	115.7	126.7	132.7	112.0	122.7	105.2	125.2	124.0	134.2	149.2	123.2
2012-13	127.5	119.8	135.0	134.2	121.5	127.5	113.5	134.5	128.2	137.7	144.2	120.7

Calcium hardness (mg/l)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	72.2	77.2	87.	80.0	71.0	72.2	76.5	58.7	69.0	77.0	64.5	66.0
2012-13	57.2	56.5	60.0	66.5	69.5	66.7	80.2	83.0	66.2	67.0	73.0	84.5

Chloride (mg/l)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	32.7	23.8	20.3	28.5	28.8	36.7	34.2	37.5	37.5	42.3	48.7	50.1
2012-13	30.6	28.8	28.3	28.6	30.5	38.7	33.7	38.4	38.2	49.8	49.4	50.3

Nitrate (mg/l)




Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	0.62	0.43	0.32	0.65	0.44	0.34	0.29	0.32	0.36	0.75	0.51	0.48
2012-13	0.81	0.84	0.76	0.95	0.42	0.08	0.11	0.48	0.56	0.43	0.26	0.41

Nitrate (mg/l)



Monsoon				Post Mon		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	0.005	0.007	0.006	0.008	0.003	0.003	0.003	0.006	0.015	0.010	0.007	0.003
2012-13	0.004	0.008	0.003	0.001	0.008	0.005	0.005	0.004	0.014	0.014	0.009	0.008

Phosphate (mg/l)



Monsoon				Post Man		Winter			Summer			
Year	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.
2011-12	0.07	0.09	0.09	.016	0.78	0.14	0.12	0.18	0.21	0.19	0.16	0.12
2012-13	0.1	0.06	0.08	0.14	0.55	0.10	0.11	0.08	0.16	0.13	0.11	0.06

Common Fixed Point Theorem for Two self mapping in fuzzy metric spaces

Dr. Sangeeta Biley *

Abstract - Our aim of this paper is to obtain a common fixed point theorem for two self mappings of generalized S-fuzzy metric space, which generalize the result of singh and chauhan [5].

Key Words - S-Fuzzy metric space, common fixed point, t-norm.

Introduction - Many attempts have been made for proposing non additive models of uncertainty. Most radical attempt was initiated by L. Zadeh [6] in 1965.

Many authors have introduced the concept of fuzzy metric spaces in different ways [2], [3], kramosil and michalek [4] is one of them. Recently singh and chouhan [5] developed a new concept of generalized fuzzy metric space (or s-fuzzy metric space) and proved Banach contraction principle in this newly developed space.

In this paper we establish a general common fixed point theorem, which generalize the result of singh and chauhan [5].

Preliminaries :-

Definition 1: [5] The 3-tuple $(X, S, *)$ is said to be a S-fuzzy metric space if X is an arbitrary set, "*" a continuous t-norm and S is a fuzzy set on $X^3 \times (0, \infty)$ satisfying the following conditions :

- i) $S(x, y, z, t) > 0$
- ii) $S(x, y, z, t) = 1$ if and only if $x = y = z$ (coincidence)
- iii) $S(x, y, z, t) = S(y, z, x, t) = S(z, y, x, t)$ (symmetry)
- iv) $S(x, y, z, r+s+t) \geq S(x, y, w, r) * S(x, w, z, s) * S(w, y, z, t)$ (tetrahedral inequality)
- v) $S(x, y, z, \bullet): (0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ is continuous for all $x, y, z, w \in X$ and $r, s, t > 0$

Geometrically, $S(x, y, z, t)$ represents the fuzzy perimeter of the triangle whose vertices are the points x, y and z with respect to $t > 0$.

Definition - 2: [5] A sequence $\{X_n\}$ in a S-fuzzy metric spaces $(X, S, *)$ is called a Cauchy sequence if and only if for each $\epsilon > 0, t > 0$ there exists $n_0 \in \mathbb{N}$ such that.

$S(x_n, x_m, x_p, t) > 1 - \epsilon$ for all $n, m, p \geq n_0$.

Definition – 3: [5] A S- fuzzy metric space in which every Cauchy sequence is a convergent sequence, called a complete S-fuzzy metric space.

Before proving our main result we first prove the following lemma.

Lemma 1: $S(x, y, z, \bullet)$ is non-decreasing for all x, y, z in X.

Proof : Suppose $S(x, y, z, p) > S(x, y, z, t) > S(x, y, z, r)$ for all x, y, z in X and for some $0 < p < t < r$. Then

$$\begin{aligned} S(x, y, y, r) &> S(x, y, y, 2r) \\ &> S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t) * S(y, y, y, 2r-t-p) \\ &= S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t) \\ &= S(x, y, y, t) \end{aligned}$$

or

$$S(x, y, y, r) > S(x, y, y, t)$$

Which is a contraction.

This completes the proof.

Our result is.

Theorem – 1 Let $(X, S, *)$ be a complete fuzzy metric space with the t-norm "*" defined by $a * b = \min \{a, b\}$: $a, b \in [0, 1]$. If $\{M_n\}$ and $\{T_n\}$ are sequence of self mapping of X, satisfying the condition.

$$(1.1) \quad S(M_i x, T_j y, z, kt) \geq \min \{S(x, y, z, t), S(x, M_i x, z, t), S(y, T_j y, z, t), S(x, M_i x, z, 2t), S(y, T_j y, z, 2t)\}$$

For all x, y, z in X; $0 < k < 1, i, j \in \mathbb{N}$

$$(1.2) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} S(x, y, z, t) \rightarrow 1$$

Then $\{M_n\}$ and $\{T_n\}$ have a unique common fixed point in X.

Proof :

Consider an arbitrary point x_0 in X, and Define sequence $\{x_n\}$ such that.

$$x_{2n+1} = M_{2n+1} x_{2n} \text{ and } x_{2n+2} = T_{2n+2} x_{2n+1} \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

Now for any $p \in \mathbb{N}$, we have

$$\begin{aligned} S(x_1, x_2, x_p, kt) &= S(M_1 x_0, T_2 x_1, x_p, kt) \\ &\geq \min \{S(x_0, x_1, x_p, t), S(x_0, M_1 x_0, x_p, t), \\ &\quad S(x_1, T_2 x_1, x_p, t), S(x_0, M_1 x_0, x_p, 2t), \\ &\quad S(x_1, T_2 x_1, x_p, 2t)\} \\ &\geq \min \{S(x_0, x_1, x_p, t), S(x_0, x_1, x_p, t), \\ &\quad S(x_1, x_2, x_p, t), S(x_0, x_1, x_p, 2t), \\ &\quad S(x_1, x_2, x_p, 2t)\} \end{aligned}$$

$$S(x_1, x_2, x_p, kt) \geq \min \{S(x_0, x_1, x_p, t), S(x_1, x_2, x_p, t)\} \dots\dots\dots(1.3)$$

Now again

$$\begin{aligned} S(x_2, x_3, x_p, kt) &= S(T_2x_1, M_3x_2, x_p, kt) \\ &= S(M_3x_2, T_2x_1, x_p, kt) \\ &\geq \min \{S(x_2, x_1, x_p, t), S(x_2, M_3x_2, x_p, t), \\ &\quad S(x_1, T_2x_1, x_p, t), S(x_2, M_3x_2, x_p, 2t), \\ &\quad S(x_1, T_2x_1, x_p, 2t)\} \\ &\geq \min \{S(x_1, x_2, x_p, t), S(x_2, x_3, x_p, t), \\ &\quad S(x_1, x_2, x_p, t), S(x_2, x_3, x_p, 2t), \\ &\quad S(x_1, x_2, x_p, 2t)\} \\ &\geq \min \{S(x_1, x_2, x_p, t), S(x_2, x_3, x_p, t)\} \end{aligned}$$

which implies that

$$S(x_2, x_3, x_p, kt) \geq S(x_1, x_2, x_p, t) \dots\dots\dots(1.4)$$

Inductively, we have

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n+1}, x_p, kt) &\geq S(x_{n-1}, x_n, x_p, t) \\ &\geq S(x_{n-2}, x_{n-1}, x_p, t/k) \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ &\geq S(x_0, x_1, x_p, t/k^{n-1}) \\ &\text{or} \end{aligned}$$

$$S(x_n, x_{n+1}, x_p, kt) \geq S(x_0, x_1, x_p, t/k^n) \dots\dots\dots(1.5)$$

Now we claim that

$$S(x_n, x_{n+1}, x_p, t) \geq 1 - \lambda \dots\dots\dots(1.6)$$

For all $n \geq n_0$ and every $m \in \mathbb{N}$ and For all $n \geq n_0$ we have from (1.5)

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n+1}, x_p, t) &\geq S(x_n, x_{n-1}, x_p, t/k) \\ &\geq S(x_n, x_{n-1}, x_p, (1-k)t/k) \\ &\geq 1 - \lambda \end{aligned}$$

and so $S(x_n, x_{n+1}, x_p, t) \geq 1 - \lambda$

Thus result (1.6) is true for $1 \in \mathbb{N}$

Further suppose (1.6) is true for $m-1 \in \mathbb{N}$, then we shall show that it is also true for $m \in \mathbb{N}$

using (1.3), (1.4) and definition of t-norm we have

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n+m}, x_p, t) &\geq S(x_{n-1}, x_{n+m-1}, x_p, t/k) \\ &\geq \min \{S(x_{n-1}, x_n, x_p, (1-k)t/k), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &S(x_n, x_{n+m-1}, x_p, t)\} \\ &\geq \min \{ (1 - \lambda), (1 - \lambda) \} \\ &= 1 - \lambda \end{aligned}$$

Thus (1.6) is true for every $m \in \mathbb{N}$ and this implies that $\{x_n\}$ is a Cauchy sequence :

Since $(X, S, *)$ is complete. So $\{x_n\}$ converges to some point u in X .

Now

$$\begin{aligned} S(M_i u, x_{2n+2}, x_n, kt) &= S(M_i u, T_{2n+2}x_{2n+1}, x_n, kt) \\ &\geq \min \{S(u, x_{2n+1}, x_n, t), S(u, M_i u, x_n, t), \\ &\quad S(x_{2n+1}, T_{2n+2}x_{2n+1}, x_n, t), \\ &\quad S(u, M_i u, x_n, 2t) S(x_{2n+1}, \\ &\quad T_{2n+2}x_{2n+1}, x_n, 2t)\} \\ &\geq \min \{S(u, x_{2n+1}, x_n, t), S(u, M_i u, x_n, t), \\ &\quad S(x_{2n+1}, x_{2n+2}, x_n, t), S(u, M_i u, x_n, 2t), \\ &\quad S(x_{2n+1}, x_{2n+2}, x_n, 2t), \} \end{aligned}$$

Which implies on letting $\lim_{n \rightarrow \infty}$

$$S(M_i u, u, x_n, kt) \geq \min \{S(M_i u, u, u, t), S(M_i u, u, u, 2t)\}$$

Or

$$S(M_i u, u, x_n, kt) \geq S(M_i u, u, u, t)$$

Which yields $M_i u = u$

similarly we can show that $T_j u = u$

Thus 'u' is common fixed point of M_i and T_j .

To prove uniqueness, Let v be another common fixed point of M_i and T_j . Then

$$\begin{aligned} S(u, u, v, t) &= S(M_i u, T_j v, v, kt) \\ &\geq S(u, u, v, t) \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ &\geq S(u, u, v, t) \rightarrow 1 \text{ as } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Therefore $u = v$. Thus u is a unique common fixed point of M_i and T_j .

Now to prove that M_i and T_j are continuous.

Let $\{y_n\}$ be a sequence in X such that $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = u$

$$\begin{aligned} S(M_i y_n, x_{2n+2}, x_m, kt) &= S(M_i y_n, T_{2n+2}x_{2n+1}, x_m, kt) \\ &\geq \min \{S(y_n, x_{2n+1}, x_m, t), \\ &\quad S(y_n, M_i y_n, x_m, t), S(x_{2n+1}, T_{2n+2}x_{2n+1}, x_m, t), \\ &\quad S(y_n, M_i y_n, x_m, 2t), S(u, T_j u, x_m, 2t)\} \end{aligned}$$

On letting $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty}$ and we obtain

$$S(\lim_{n \rightarrow \infty} M_i y_n, u, u, kt) \geq \min \{1, S(u, \lim_{n \rightarrow \infty} M_i y_n, u, t)\}$$

This implies that

$$S(\lim_{n \rightarrow \infty} M_i y_n, u, u, kt) \geq S(u, \lim_{n \rightarrow \infty} M_i y_n, u, t)$$

Further this implies that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_i y_n = u = M_i u = M_i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

Thus M_i is continuous at u . Similarly we can prove that T_j is continuous at u . Therefore M_i and T_j are continuous at u .

References :-

1. Biley, S., Common Fixed Point Theorems in fuzzy Metric spaces for two mapping ,Naveen Shodh Sansar,(oct.

to Dec.2017) Vol. II, 18-19.
 2. Erceg, M.A., Metric spaces in fuzzy set theory, Jour. Math. Anal. Appl. 69 (1979), 205-230.
 3. Keleva, O and seikkala, S. , On fuzzy metric spaces : fuzzy sets ans system, 12 (1984), 215-229.
 4. Kramosil, O. and Michalek, J. , Fuzzy metric and statistical metric spaces, kybernetika 11 (1975), 336-344.
 5. Singh, B. and Chauhan, M.S. , Generalized fuzzy metric spaces and fixed points theorem, Bul. Cal. math. Soc. 89 (1997), 457-460.
 6. Zadeh, L.A. : Fuzzy sets Information and control, 8 (1965), 338-353.

Fixed Point Theorem On Three Complete Fuzzy Metric Spaces

Dr. Meenakshi Rawal *

Abstract - The purpose of this paper is to obtain a common fixed point theorem on three complete fuzzy metric spaces which extend the result of Sharma, Deshpande and Thakur [8].

AMS (2000) Subject Classification. 54H25, 47H10.

Keywords - Common fixed point, fuzzy metric space.

Introduction - The concept of fuzzy sets was introduced initially by Zadeh [1] in 1965. Deng [2], Erceg [3], Kaleva and Sikkala [4], Kramosil and Michalek [5] have introduced the concept of fuzzy metric spaces in different ways. Mishra et. al. [6] introduced the concept of compatibility in fuzzy metric space and proved common fixed point theorems, which generalized, extended and fuzzified several known fixed point theorems for contractive type maps on metric and other spaces. They assumed continuity of one map in each of two pairs of compatible maps and also the commutativity of continuous maps.

Turkoglu, Kutukcu and Yildiz [7] proved common fixed point theorem for compatible maps of type (α) on fuzzy metric space. We extend the result of Sharma, Deshpande and Thakur [8].

Definition 1. [10] The 3-tuple $(X, M, *)$ is called a fuzzy metric space (shortly FM-space) if X is an arbitrary set, $*$ is a continuous t-norm and M is a fuzzy set on $X^2 \times (0, \infty)$ satisfying the following conditions : for all $x, y, z \in X$ and $t, s > 0$

(FM-1) $M(x, y, t) > 0$,

(FM-2) $M(x, y, t) = 1$ if and only if $x = y$,

(FM-3) $M(x, y, t) = M(y, x, t)$,

(FM-4) $M(x, y, t) * M(y, z, s) \leq M(x, z, t + s)$,

(FM-5) $M(x, y, \cdot) : (0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ is continuous.

In what follows, $(X, M, *)$ will denote a fuzzy metric space. Note that $M(x, y, t)$ can be thought of as the degree

Lemma 1. [10] For all $x, y \in X$, $M(x, y, \cdot)$ is non-decreasing.

Lemma 2. [6] If for all $x, y \in X$, $t > 0$ and for a number $k \in (0, 1)$,

$M(x, y, kt) \geq M(x, y, t)$,

then $x = y$.

2. MAIN RESULT.

Theorem 2.1. Let $(X, M_1, *)$, $(Y, M_2, *)$ and $(Z, M_3, *)$ be three complete fuzzy metric spaces. Let A be the mapping from X into Y , B be the mapping from Y into Z and S be the mapping from Z into X satisfying the following inequalities,

if there exists a number $k \in (0, 1)$ such that

$$(1.1) \quad M_1(SBAX, SBAX', kt) \geq M_1(x, x', t) * M_1(x, SBAX, t) * M_1(x', SBAX', t),$$

$$(1.2) \quad M_2(ASBY, ASBY', kt) \geq M_2(y, y', t) * M_2(y, ASBY, t) * M_2(y', ASBY', t),$$

$$(1.3) \quad M_3(BASZ, BASZ', kt) \geq M_3(z, z', t) * M_3(z, BASZ, t) * M_3(z', BASZ', t),$$

for all x, x' in X , y, y' in Y and z, z' in Z for all $t > 0$. If two of the mappings A, B, S is continuous, then SBA has a unique fixed point u in X , ASB has a unique fixed point v in Y and BAS has a unique fixed point w in Z . Further $Au = v$, $Bv = w$ and $Sw = u$.

Proof. Let x_0 be an arbitrary point in X such that $y_1 = Ax_0$. Define the sequences $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ and $\{z_n\}$ in X, Y and Z respectively. We construct sequences in the following way :

$$y_{2n} = Ax_{2n-1}, z_{2n} = By_{2n}, x_{2n} = Sz_{2n} \text{ for } n = 1, 2, \dots$$

Applying (1.1), we have

$$M_1(x_{2n+1}, x_{2n}, kt) = M_1(SBAX_{2n}, SBAX_{2n-1}, kt) \geq M_1(x_{2n}, x_{2n-1}, t) * M_1(x_{2n}, x_{2n+1}, t). \quad (1.4)$$

Similarly, we have

$$M_1(x_{2n+2}, x_{2n+1}, kt) \geq M_1(x_{2n+1}, x_{2n}, t) * M_1(x_{2n+1}, x_{2n+2}, t). \quad (1.5)$$

Thus, from (1.4) and (1.5), it follows that

$$M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, kt) \geq M_1(x_n, x_{n+1}, t) * M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, t),$$

for all $n = 1, 2, \dots$

Consequently, for positive integers n and p , we have

$$M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, kt) \geq M_1(x_n, x_{n+1}, t) * M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, t/k^p).$$

Thus, since $M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, t/k^p) \rightarrow 1$ as $p \rightarrow \infty$, we have

$$M_1(x_{n+1}, x_{n+2}, kt) \geq M_1(x_n, x_{n+1}, t).$$

Similarly applying (1.2), we have

$$M_2(y_{2n}, y_{2n+1}, kt) = M_2(ASBY_{2n-1}, ASBY_{2n}, kt) \geq M_2(y_{2n-1}, y_{2n}, t) * M_2(y_{2n}, y_{2n+1}, t). \quad (1.6)$$

Similarly, we have also

$$M_2(y_{2n+1}, y_{2n+2}, kt) \geq M_2(y_{2n}, y_{2n+1}, t) * M_2(y_{2n+1}, y_{2n+2}, t). \quad (1.7)$$

Thus, from (1.6) and (1.7), it follows that

$$M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, kt) \geq M_2(y_n, y_{n+1}, t) * M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, t),$$

for all $n = 1, 2, 3, \dots$

Consequently, for positive integers n and p , we have

$M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, kt) \geq M_2(y_n, y_{n+1}, t) * M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, t/k^p)$.
 Thus, since $M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, t/k^p) \rightarrow 1$ as $p \rightarrow \infty$, we have
 $M_2(y_{n+1}, y_{n+2}, kt) \geq M_2(y_n, y_{n+1}, t)$.
 Similarly, applying inequality (1.3), we get
 $M_3(z_{2n+1}, z_{2n}, kt) = M_3(BASz_{2n}, BASz_{2n-1}, kt)$
 $\geq M_3(z_{2n}, z_{2n-1}, t) * M_3(z_{2n}, z_{2n+1}, t)$. (1.8)

Similarly, we have also
 $M_3(z_{2n+2}, z_{2n+1}, kt) \geq M_3(z_{2n+1}, z_{2n}, t) * M_3(z_{2n+2}, z_{2n+1}, t)$. (1.9)
 Thus, from (1.8) and (1.9), it follows that
 $M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, kt) \geq M_3(z_n, z_{n+1}, t) * M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, t)$,
 for all $n = 1, 2, 3, \dots$

Consequently, for positive integers n and p , we have
 $M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, kt) \geq M_3(z_n, z_{n+1}, t) * M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, t/k^p)$.
 Thus, since $M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, t/k^p) \rightarrow 1$ as $p \rightarrow \infty$, we have
 $M_3(z_{n+1}, z_{n+2}, kt) \geq M_3(z_n, z_{n+1}, t)$.
 By Lemma 1, the sequence $\{x_n\}$ is therefore a Cauchy sequence in complete fuzzy metric space X and therefore has a limit u in X .

Similarly, it follows that the sequence $\{y_n\}$ and $\{z_n\}$ are therefore Cauchy sequences in complete fuzzy metric spaces Y and Z respectively and therefore $\{y_n\}$ has a limit v in Y and $\{z_n\}$ has a limit w in Z .

Again using (1.1), we have
 $M_1(SBAx_{2n}, u, kt) \geq M_1(SBAx_{2n}, x_{2n}, kt/2) * M_1(x_{2n}, u, kt/2)$
 $\geq M_1(x_{2n}, x_{2n-1}, t/2) * M_1(x_{2n}, x_{2n+1}, t/2)$
 $* M_1(x_{2n-1}, x_{2n}, t/2) * M_1(x_{2n}, u, kt/2)$.

Taking the limit, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_1(SBAx_{2n}, u, kt) \rightarrow 1.$$

Thus, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} SBAx_{2n} = u = \lim_{n \rightarrow \infty} SBy_{2n+1}. \quad (1.10)$$

Again using (1.2), we have

$$M_2(ASBy_{2n}, v, kt) \geq M_2(ASBy_{2n}, y_{2n}, kt/2) * M_2(y_{2n}, v, kt/2)$$

$$\geq M_2(y_{2n}, y_{2n-1}, t/2) * M_2(y_{2n}, y_{2n+1}, t/2)$$

$$* M_2(y_{2n-1}, y_{2n}, t/2) * M_2(y_{2n}, v, kt/2).$$

Taking the limit, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_2(ASBy_{2n}, v, kt) \rightarrow 1.$$

Thus, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ASBy_{2n} = v = \lim_{n \rightarrow \infty} ASz_{2n}. \quad (1.11)$$

Again using (1.3), we have

$$M_3(BASz_{2n}, w, kt) \geq M_3(BASz_{2n}, z_{2n}, kt/2) * M_3(z_{2n}, w, kt/2)$$

$$\geq M_3(z_{2n}, z_{2n-1}, t/2) * M_3(z_{2n}, z_{2n+1}, t/2)$$

$$* M_3(z_{2n-1}, z_{2n}, t/2) * M_3(z_{2n}, w, kt/2).$$

Taking the limit, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_3(BASz_{2n}, w, kt) \rightarrow 1.$$

Thus, we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} BASz_{2n} = w = \lim_{n \rightarrow \infty} BAx_{2n+1}. \quad (1.12)$$

Now, suppose that A, B are continuous, then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} By_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \quad (1.13)$$

$$Bv = w.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Ax_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_{2n} \quad (1.14)$$

$$Au = v.$$

Using (1.10), we have

$$M_1(SBAu, SBAx_{2n-1}, kt) \geq M_1(u, x_{2n-1}, t) * M_1(u, SBAu, t) * M_1(x_{2n-1}, SBAx_{2n-1}, t).$$

Letting $n \rightarrow \infty$ and using (1.10), we get

$$M_1(SBAu, u, kt) \geq M_1(u, SBAu, t).$$

Therefore, by Lemma 2, we have

$$SBAu = u,$$

by (1.14), $SBv = u$

$$SBAu = SBv = Sw = u,$$

i.e., $SABu = u$.

Applying (1.2), we get

$$M_2(ASBv, ASBy_{2n}, kt) \geq M_2(v, y_{2n}, t) * M_2(v, ASBv, t) * M_2(y_{2n}, ASBy_{2n}, t).$$

Letting $n \rightarrow \infty$ and using (1.11), we get

$$M_2(ASBv, v, kt) \geq M_2(v, ASBv, t).$$

Therefore, by Lemma 2, we have

$$ASBv = v,$$

$$ASw = v$$

$$ASBv = ASw = Au = v,$$

i.e., $ASBv = v$.

Applying (1.3), we get

$$M_3(BASw, BASz_{2n}, kt) \geq M_3(w, z_{2n}, t) * M_3(w, BASw, t) * M_3(z_{2n}, BASz_{2n}, t).$$

Letting $n \rightarrow \infty$ and using (1.12), we get

$$M_3(BASw, w, kt) \geq M_3(w, BASw, t).$$

Therefore, by Lemma 2, we have

$$BASw = w,$$

$$BAu = w$$

$$Bv = w,$$

$$BASw = BAu = Bv = w$$

i.e., $BASw = w$.

The same result of course will hold if A and S or B and S are continuous instead of A and B .

Now we prove the uniqueness of the fixed point u .

Suppose that SBA has a second fixed point u' .

Then using the inequality (1.1), we have

$$M_1(SBAu, SBAu', kt) \geq M_1(u, u', t) * M_1(u, SBAu, t) * M_1(u', SBAu', t).$$

Therefore, we have

$$M_1(u, u', kt) \geq M_1(u, u', t).$$

By Lemma 2, we have

$$u = u'.$$

Similarly, it can be proved that v is the unique fixed point of ASB and w is the unique fixed point of BAS .

This completes the proof of the Theorem.

References :-

1. Zadeh, L.A., Fuzzy sets, Inform. and control, 8(1965), 338-353.
2. Deng, X.P., Iteration process for non-linear mappings in convex metric spaces, J. Math. Anal. Appl. 132 (1988), 114-122.
3. Erceg, M.A., Metric spaces in fuzzy set theory, J. Math. Anal. Appl. 69 (1979), 205-230.

4. Kalevo, O. and Sikkala, S., On fuzzy metric spaces, Fuzzy sets and systems 12 (1984), 215-229.
5. Kramosil, O. and Michalek, J., Fuzzy metric and statistical metric spaces, Kybernetika 11 (1975), 326-334.
6. Mishra, S.N., Sharma, N. and Singh, S.L., Common fixed point of maps in fuzzy metric spaces, Internat. J. Math. Sci. 17 (1994), 253-258.
7. Turkoglu, D., Kutucku, S. and Yildiz, C., Common fixed point of compatible maps of type (?) on fuzzy metric spaces, Internat. J. Appl. Math. 18 (2), (2005), 189-202.
8. Sharma, S., Deshpande, B. and Thakur, D., Related fixed point theorems for four mappings on two fuzzy metric spaces, Int. J. Pure & Appl. Math. 41 (2), (2007), 241-250.
9. Schweizer, B. and Sklar, A., Statistical metric spaces, Pacific J. Math. 10 (1960), 314 -334.
10. George, A. and Veeramani, P., On some results in fuzzy metric spaces, Fuzzy Sets and Systems 64 (1994), 395 -399.

Impact of Detergents on Environment in reference to Khandwa City

Dr. Avinash Dube *

Abstract - Leading towards a higher level of civilization it is essential to stay clean and healthy.

To keep our body, home and everything around us clean various detergents are used in various ways. Their compositions are varied according to object and aimed to remove dirt and grease. But once used, these detergents drain away into environment causing many negative effects. Such type of effects were also seen in water bodies at Khandwa City. Peoples are less aware in this concern. Proper management and awareness is essential to get real cleanliness in our life and for safe environment.

Keyword - detergents, cleanliness, environment.

Introduction - Cleanliness is called the first law of health. Cleanliness means keeping our body, mind and everything around us clean. It is nothing but being cleaned or being kept clean. It is a way to stay healthy and lead life peacefully. Being clean is a sign of spiritual purity.

A clean and healthy life helps in defining the culture of a society and reflects in every aspect of life which leads towards a higher level of civilization. Detergents are used for the purpose of cleanliness in our daily life and used in everything from hair shampoo, cloth washing powder to shaving foam, dishwashing materials and stain removers. Cleaning products play a significant role in our daily life. By safely and effectively removing dirt, soils, germs, oil, grease etc. they help us to stay healthy and care for our body and our home.

Detergents are present in different forms like solid, powder, viscous liquid etc. They are cleaning agents and their main aim is to remove dirt and grease from the articles. In the middle age soap was made at home and used for cleaning purpose. Detergents were developed during world war when oil scarcity problem was arose.

According to needs and changed lifestyle, many new manufacturing processes for detergent are available. Most of the household chemical products in the form of detergents are used with water and go down to drain into waste water treatment system generally in sewage or septic tank system. Many chemicals have harmful effects on human beings, animals, microorganisms and on the environment. The factors which affect the exposure of detergents are concentration of ingredients, duration and frequency of the exposure to ingredients, way to fall out the chemicals in the environment etc.

Present study is made to analyze the significance of different types of detergents, their impacts on environment especially some water bodies of Khandwa City because

environmental risk assessment is essential to keep our surrounding clean in real ways.

Composition of detergents - Fabric washing powder contains a number of chemical ingredients in various proportion. Mostly they are surface active agents. They are complex molecules with hydrophilic and hydrophobic ends. Builders combined with minerals in water means they soften the water. Builders include phosphates, carbonate, silicates, citrates and zeolites. Carboxymethyl cellulose is mostly used to minimize redeposition of dirt that has already been removed by washing. Corrosion inhibitor also usually used in laundry washing to protect against the corrosion of surface and mainly used sodium silicate. Sodium perborate is used as bleach and used as tetrahydrated form. Some bleach activator may be used which react with perborate and make it more active. In some laundry product phosphonate is used to delay the decomposition of bleach. Some whitening agents and brighteners are also used and known as fluorescenters. In laundry detergent some enzymes are used, mostly they are lipase and protease enzymes. They break down fats, oils and protein chains respectively. Fragrances are present, based on synthetic and naturally occurring materials. Thousands of compounds are used as fragrance for variously objects. Some preservatives are also used to protect colour, fragrance and slow down rancidity up on aging.

Mechanism of action - Detergents work because they are amphiphilic, partly hydrophilic and partly hydrophobic. Their polar and nonpolar dual nature facilitates the mixture of hydrophobic compounds with water. When soap or detergents molecules are present in the water, the molecules arrange themselves in the form of a cluster in which a minor in such a manner that their hydrophobic ends are away from the water molecules and their hydrophilic or ionic ends

are towards the water molecules. This is micelle formation. The molecules of soap arrange themselves in micelle formation and trap the dirt at center of the cluster. These micelle remain suspended in water like particles in colloidal solution. The various micelle present in the water do not come together to form a precipitate as each micelle repels the others because of ion-ion repulsion. Thus dust particles remain trapped in the micelle and easily rinsed away by water. The dirt present in clothes in the form of oil or grease which is organic in nature and insoluble in water, so only water cannot remove it. When a detergent is dissolved in water its hydrophobic end attached to the dirt and remove it from the cloth.

Impact on environment - Released into the flow of waste water coming from the domestic areas these detergents can have far reaching environmental impacts. Phosphate containing detergents can create algal bloom in freshwater. Phosphorus and nitrogen from detergents are nutrients that stimulate excessive growth of algae and other water plants. Such type of growth is known as eutrophication, which shows a decrease in transparency, increase alkalinity, reduction of dissolved oxygen concentration, increased chlorophyll content and plankton biomass in the water body.

Water pollution by detergents is a big global problem, as many detergents contain 35 to 75% phosphate salt which tends to inhibit the biodegradation of organic substances. Surfactants reduces the surface tension of oil and water. They are toxic to aquatic life and also when break down into additional toxic byproducts. Surfactants break down the protective mucus layer of fishes. Reduced surface tension of water makes it easier to absorb pesticides, phenols and other chemicals present in water. Higher level of detergents in the water bodies and longer contamination duration causing more depressed bacterial growth. Detergents containing harmful ingredients cause damage to the soil structure by raising the alkalinity of soil. Damaged soil deteriorates healthy plants. Some bleaching detergents kill the good bacteria in the soil. Some detergents can contain suspected carcinogens and ingredients that do not fully biodegrade. Packaging of detergents in plastic containers is also harmful for environment.

In reference to Khandwa City - Khandwa is district

headquarter with about 200738 population(2011). It is estimated that per capita detergent consumption in India around 2.7 kg per year, accordingly about more than 5 lakh kilograms detergent is flowed down into drainage system. Ideal and proper drainage system is not noted in the city, so household domestic water go down to drain and then to rivers in Aabna and Sukta. Most of the small and big drainage streams show strong eutrophication. Many ponds and kunds are present in the populated areas, which also indicate eutrophication. Banks of rivers and surrounding areas of water bodies show chemically affected soil with crypty appearance. It is also noted that very few people aware of the looming threat.

Concluding Remarks - To keep our body, home and surrounding clean, it is essential to use soaps and detergents in various forms. All they have surfactants with cleaning properties. For management of detergents after use is only to drain out in the environment. It is noted that people are less aware towards pollution and toxicity caused by detergents.

But it is also noted that low concentration of many detergents on several plant sows sign of better growth and development. Some marine bacteria can use detergent composition in their food stuff.

For better and safer use of detergents it should implement a time bound program to face out the use of phosphates. In some countries use of phosphate in detergents is banned. Chemicals like zeolite can act as alternative. People may use recycled laundry water for irrigation. To keep healthy relationship in between health and cleanliness we should develop awareness towards effects and proper management of detergents because clean and healthy life with a safe environment is essential for today as well as for tomorrow also.

References :-

1. Effendi et al (2017), Detergent disposal into our environment and its impact on marine microbes. IOCpub. Int. conf. on Env. And Technology.
2. Khopkar S.M.(2007), Environment pollution Monitoring and control. New Age Int. Pub. NewDelhi.
3. Kundu S. et al (2015), Phosphates from detergents and eutrophication of surface water secosystem in India. Current science, vol.108 no.7.



Water Quality Index (WQI) - Determination Of Overall Quality Status Of Water Usable For Different Purposes

Dr. Pramod Pandit *

Abstract - Water, a basic necessity of life is needed for drinking, domestic, irrigation and also for industrial purposes. Total water available, from all sources on the earth, only a few percent of it is safe for usable purposes. Water quality index (WQI) is way of rating that reflects the composite influence of different water quality parameters on the overall quality status of water.

Key Words - WQI- Water quality index, Hydrosphere, Standard values, Quality parameters.

Introduction - (i) Water - Water is the matrix of life. Of all the matter on the earth, none is more basic than water, or more sincerely the 'Cradle of Life' because life has originated and evolved to a great extent in the lap of water (Sharma, 1987). Indeed, there is no substitute for water. It is one of the five basic elements, viz—Earth, Water, Air, Fire and Space, from which creation emanates. Life without water is beyond our imagination. No forms of life can exist without water Although, water is the most common and abundant natural resource on the earth, which covers almost three-fourth (3/4) of the earth surface and form about 70% matter of earth's crust. According to the UN estimates, the total amount of water on the earth is about 1400 million cubic kilometres (m.km.3), which is enough to cover the earth with a layer of 3000 meters depth. However, out of this enormous quantity, a very small proportion of it is actually available and usable for multiple purposes of human beings. According to UNEP profile 1987, the water on the earth is stored in following two water banks, namely-

1. Oceans and Seas - Stores about 97.3 % of water i.e. salty water (Non -potable).
2. Other water bodies - Storing about 2.70 % of water i.e. fresh water (Potable). Its distribution is shown in the following table-1.

Table - 1 - Distribution of (2.7%) fresh- water
(After; Mishra, 1990)

Forms	Percentage (%)
- Glaciers, Polar ice caps etc.	77.20
- Groundwater (800 m.- 4 Km.)	12.35
- Groundwater (up to 800 m.)	09.86
- Lakes (fresh water)	00.35
- Soil Moisture	00.17
- Bio-mass	00.04
- Rivers, Ponds, Water ways	00.003
- Hydrated minerals	00.001
- Others	00.026
Total -	100

As mentioned in above illustration, about three fourth (3/4) i.e. 77.2% of fresh water is out of reach, which lies frozen in Polar Regions and another one-fourth (1/4) i.e. 22.21% is present as groundwater, which constitutes 98% of the fresh water on the earth, lies below the earth surface and called subsurface of groundwater.

(ii) Water Quality standards - Safe water is defined as the water that is free from pathogenic micro-organism poisonous substances, excessive amount of minerals and organic matter which would produce undesirable physiological effects. It should be free from colour, turbidity, taste and odour of moderate temperature and aerated.

To monitor and evaluate water quality status there some basic water quality standards have been laid down by WHO at international level and by various agencies at national level like ICMR (Ministry of Health), BIS shown in the table 2.

The quality of water defined by the standards values is such that it is suitable for human consumption and for all usual drinking and domestic purposes.

Table- 2 - (See in the last page)

Water quality index and its Calculations -Water quality assurance on sustain level comprises its management which includes quality assessment through set standard values and on the basis of these values, for different physico-chemical parameters, calculations of WQI for its suitability for different purposes is carried out .

Water quality index (WQI) may be defined as, it is the rating that reflects the composite influence of different water quality parameters on the overall quality of water, under investigation.

First, the Water quality index calculations were carried out by Harton 1965 and then by Ott 1978 than it was modified by Tiwari & Mishra in 1985 and re-examined by Kaur et al- in 2001. This index is the calculation for suitability of water sample for drinking, domestic, irrigation or other purposes, considering values of the different physico-chemical parameters based on their degree of importance

for the relevant use.

The 'standard' (permissible values) of various parameters, recommended by the ISI (1993) BIS (1991), ICMR (1995) and WHO (1998) are used for comparison. The parameters considered for computation of index may be like pH, EC, Turbidity, TDS, Hardness, Alkalinity, Calcium, Magnesium, Chloride, Nitrate, DO and BOD etc.

Final value of water quality index is obtained by, aggregating these parameters, Sub - indices (S_i) linearly by, following formulae:

(X = may be 2,3,4,5.....etc)

$$WQI = \frac{\sum_{i=1}^X (q_i \cdot w_i)}{\sum_{i=1}^X (w_i)} \quad \text{--- (i)}$$

Where,

q_i = quality rating of ith parameter
 w_i = unit weight of ith parameter

(i) Calculation of Sub-index (S_i) –

It is the product of the quality rating (q_i) and the unit weight (w_i) of the ith parameter, thus –

$$S_i = q_i \cdot w_i \quad \text{--- (ii)}$$

(ii) Calculation of quality rating (q_i) –

It was obtained from the equation –

$$q_i = 100 [(V_i - V_{io}) / (S_i - V_{io})] \quad \text{--- (iii)}$$

Where,

V_i = Measured value of ith parameter in the sample water.

V_{io} = The ideal value of this parameter in the pure water.

S_i = Standard permissible value for the ith parameter.

Equation (iii) ensures that –

q_i = 0, when a pollutant (i.e. the ith parameter) is absent in the water,

q_i = 100, if the observed value of this parameter is just equal

to its permissible (or standard) value for drinking water.

Quality rating for pH and DO required special handling.

For pH, the quality rating q_{pH} was calculated from the relation –

$$q_{pH} = 100[(V_{pH} - 7.0) / (8.5 - 7.0)] \quad \text{--- (iv)}$$

Where,

V_{pH} = Observed value of pH in the water sample, and the sign (-) means simply the numerical difference between V_{pH} and

7.0 ignoring its algebraic sign.

7.0 = Ideal value of pH for (pure) neutral water,

8.5 = Permissible value of pH, for drinking water.

For DO, the quality rating q_{DO} is calculated from the relation-

$$q_{DO} = 100[(V_{DO} - 14.6) / (14.6 - 5.0)] \quad \text{--- (v)}$$

Where,

V_{DO} = Observed value of DO in the water sample, and (-) sign means simply the numerical difference between V_{DO} and 14.6 ignoring its algebraic sign.

14.6 = Ideal value of DO for pure water in mg/l at 0°C.

5.0 = Permissible value of DO for drinking water in mg/l.

(iii) Calculation of unit weight (w_i) –

The unit weight (w_i) for various water quality parameters are calculated by following relation –

$$w_i = k / S_i \quad \text{--- (vi)}$$

Where,

k = Constant of proportionality which was determined from the condition.

S_i = Standard permissible value of the ith parameter.

(i = 1, 2, 3, 4etc.)

Finally, with the help of (q_i), quality rating and (w_i) unit weight of ith parameter, the water quality index (WQI) can be calculated by applying the equation number (i), the ideal value of WQI for drinking water is 100.

On the basis of value of water quality index the quality status and classification of water for different purposes can be decided with the help of following Table - 3.

Table - 3 - (See in the last page)

Conclusion - In the present Paper there WQI method adopted to provide and decide the assured quality of water and its uses for different purposes. The method adopted is scientifically based and all quality parameters may be included for detecting and measuring the specific physical, chemical, biological and bacteriological characteristics.

References :-

1. **APHA, AWWA, WEF** (1998). "Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th edition." Published by American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, Washington, D.C., **USA**.
2. **APHA, AWWA, WEF** (1998). "Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th edition." Published by American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, Washington, D.C., **USA**.
3. **BIS**, (1991). "Specification for drinking water. ISI - 10500." Bureau of Indian Standards, New Delhi, **India**.
4. **Chakroborty, P.K.** (1999). "Need of applied research on water quality management." Indian J. Env. Prot. **19(8): 595 - 597**.
5. **Gopal, R.** (1999). "Challenges in water for drinking and domestic use and remedies." Indian J. Env. Prot. **19(8): 567 - 572**.
6. **Gupta, P.K.** (2004). "Methods in Environmental Analysis Water, Soil and Air." Published by Agrobios, Jodhpur, India. : **5 - 92**.
7. **Horton, R.R.** (1965). "An index number system for rating water quality." J. of Water Poll. Conf. Fed. **37 : 300 - 306**.
8. **ICMR**, (1995). "Manual of standard of quality for drinking water supplies." Indian Council of Medical

- Research. New Delhi, India.
9. **ISI**, (1993). "Indian standards specification for drinking water." IS I- 10500, Indian Standard Institute, New Delhi, India.
 10. **Kaushik**, K.A., T. Kanchan and H.R. Sharma (2002). "Water quality index and suitability assessment of urban groundwater of Hisar and Panipat in Haryana." J. Environ. Biol., **23**: 325 - 333.
 11. **Krishna**, J.S.R., K. Rambabu and C. Rambabu (1995). "Monitoring, correlation and water quality index of well waters of Reddigudem Mandal." Indian J. Env. Prot. **15(12): 914 - 919.**
 12. **Mishra**, P.C. (1990). "Fundamentals of Air and Water Pollution." Published by Ashish Publishing House, New Delhi, India : **59 - 105.**
 13. **Venkata**, Mohan S., S. Rama Mohan and S.J. Reddy (1998). "Determination of water quality index (GWQI) of groundwater - An application." J. Environ. Poll. **5: 219 - 223.**
 14. **WHO**, (1998). "Guidelines For drinking water quality. Vol.-I. Recommendations." World Health Organization, Geneva, Switzerland: **1 - 130.**

Table- 2 -Standard values for drinking and domestic water quality
 (Laid-down by BIS, ISI, ICMR and WHO)

Parameters	BIS (1991)		ISI (1993)		ICMR (1995)		WHO (1998)	
	Permissive	Excessive	Permissive	Excessive	Permissive	Excessive	Permissive	Excessive
Colour	-	-	Unobjectionable	-	Unobjectionable	-	Unobjectionable	-
Odour & Taste	Disagreeable	Nothing	Disagreeable	Nothing	Unobjectionable	Nothing	Disagreeable	-
Temperature (°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbidity (NTU)	10.0	250	-	-	5.0	25.0	5.0	25
pH	6.5 - 8.5	9.0	7.0	8.5	7.0 - 8.5	8.0 - 9.2	6.5 - 8.5	6.5 - 9.2
EC (µS/cm)	400	-	750	2250	300	750	-	-
Salinity	-	-	-	-	-	-	-	-
TDS 500	2000	500	1500	500	1500	500	1000	-
Total Alkalinity	172	400	200	400	-	-	120	-
Total Hardness	300	600	300	600	300	600	300	500
Fluoride (F ⁻)	0.6	1.5	0.7	1.5	1.0	1.5	0.8	1.5
Chloride (Cl ⁻)	250	1000	250	1050	200	1000	250	600
Nitrate (NO ₃ ⁻)	45	100	50	80	20	50	10	45
Sulphate (SO ₄ ⁻²) 150	400	250	400	200	400	200	400	-
Phosphate (PO ₄ ⁻³)	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-
Sodium (Na ⁺)	25	75	-	-	25	80	20	75
Potassium (K ⁺)	08	12	-	-	-	-	5	10
Calcium (Ca ⁺²)	75	200	-	-	77	200	75	200
Magnesium (Mg ⁺²)	30	100	30	100	50	150	30	150
DO	5.0	-	-	-	4.0	6.0	6.0	-
BOD	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	-
Coliform (MPN/100 ml)	50.0	240	50.0	-	4.0	10.0	3.0	10.0

Note: [All values, Except Colour, Odour, Temperature, Turbidity, pH, EC and Coliform count, are in mg/l].

Table - 3 - WQI and quality status of water for different purposes

S.No	WQI	Quality status	Class	Possible use of water
1	0 - 25	Excellent	I	All purposes - potable, agricultural, industrial
2	26 - 50	Good	II	Domestic and agricultural
3	51 - 75	Poor	III	Agricultural and industrial
4	76 - 100	Very Poor	IV	Only for agriculture
5	101 and above	Worst	V	Can be used only after proper treatment

Managing scarcity of Natural Resources- Through Ancient Ways

Dr. Laxmi Barelia*

Introduction - Nature not only provides romance, food, medicine, social status but also ethnic culture. As industrialization caused destruction of natural resources not in India but all over the world. NGOs and other think tank have raised the concerned about degradation of resources and started social movement for protection of natural resources including plant and animal species as well as their habitat for future. So far outcome of various movement and technologies and public policies for sustainable use of natural resources are not met the requisite pace. In order to contain the earth temperature, we need to work in all ways viz application of best technology for preserving the natural resources for future generations.

Sacredgroves locally referred as PunitVan or pavitra van which embodiment of religious and cultural way of preserving and conserving of forest. This ancient way of conserving forest prevails almost all tribes with different norms but the ultimate aim is to conserve forest wherein exploitation of forest produce is strictly prohibited. The sacred groves provide them a safe and ecofriendly habitat which also bring a peaceful environment thereby a sustainable livelihood.

Sacred groves being a public good that is, non-excludable and non-rival, produce positive externalities. As time changes and modernization in the form of industrialized leads to heavy deforest or cutting down of forest even reserve forest converted into commercial land. Rapid industrialized leads to negative externalities which pose a heavy social cost to the society which includes forest dwellers also.

In Madhya Pradesh, institutions like, EPCO, SPA, IGRMS and other are promoting the traditional way of conserving forest. Recently IGRMS celebrated Lai Haroba rituals for Manipuri Sacred Groves. According to India state forest report 2017 all the North Eastern state decrease their forest cover except Manipur wherein 1.18% increase in forest cover from 2016 to 2017 (77.69% of forest coverage). Similarly, in Madhya Pradesh have not recorded any decline in its percentage forest cover which is same as the level of 2016 that is 25.11%.

In Manipur, sacred groves locally called as *Umang Lai Latkon*, unique form of dual religious practice and belief existing in the Manipuri society and psyche. The traditional

worship and the new religion co-exist in the plural Manipuri society. The Manipuri way of life, with specific emphasis on the religious temperament and tolerance and beliefs are the sources to the existence of sacred groves which in its turn are a source of sustenance for ancient tradition.

Since Manipur have comparatively less impact of rapid industrialized due to that therein few sacred groves are in relatively good conditions and its has witnessed that the society who reside surrounding to these sacred groves have high human development which include health, education and traditional technology. Therefore it is absolutely necessary to revive the sacred groves to good health as well as maintaining harmonious relationship between men and nature.

Sacred groves are the 'Gardens of Gods' consisting of natural vegetation of the locality, and the associated supernatural power. In india , sacred groves are known under different names in different parts, as Deorais or Devrahati in Maharashtra, Sarna or dev in Jharkhand and Chhattisgarh, Oran in Rajasthan, Sidharavana or Devra – Kadu or Pavitravana in Karnataka, Kovil-kadu in Tamilnadu and Kavuvu in Kerala

In the Madhya Pradesh, only in Bhopal a National institution under the Ministry of Culture who is every year celebration the festival of sacred groves of various state and preserved them in true spirit. The Institution called as ManavSanghralaya or IGRMS situated in Shamla Hills wherein the following states Sacred Groves preserved and give a strong message to all the visitor about our ancient way or culture of forest conservation through rituals and religious practice and demonstrate the sacred relationship between Men and Nature.

1. KOVIL KADU sacred groves of Tamilnadu, on full moon days communities offer prayers collectively and believed that it restrict natural catastrophes.
2. KAVU sacred groves from Kerala, a ritualistic recitation called SarpamPattu is performed once in every 10 to 12 years to propitiate the snake gods.
3. MAW-BUKHAR sacred groves from Meghalaya, traditionally people around these groves believe that removal of plants or plant parts would offend the ruling deity, leading to local calamities.
4. DEVRAHATI sacred groves of Maharashtra, these

provide a place for village gatherings during festivals as well as at the time of decision making with respect to communities concerns like agricultural and developmental activities.

5. ORAN sacred groves of Rajasthan, oran means small forest where cutting of tree is strictly prohibited.
6. SARNA sacred grove from Jharkhand / Chhattisgarh, its deity is Mahadani, who is trusted to be, protecting the village and its property from various natural calamities and diseases. Sacrificial offerings of buffaloes are also made at an interval of every three years.

Women and children are prohibited to enter into these groves.

If we see the above traditional ways of how to protect the nature and transfer such tradition or ritual techniques to future generation, there will be no scarcity of natural resources and this planet will be the happiest planet.

References :-

1. Inputs from Horticulture section of Indira Gandhi RashtriyaManavSanghralaya (IGRMS)-Bhopal
2. ISFR Report 2017, Government of India

Ecological Study Of Gharial Gavialis gangeticus

Dr. Sunita Shakle *

Introduction - Ecology is the most important branch of zoology which deals with the study of all complex interrelations referred by Darwin as a pre-condition for struggle for existence. The two components of for struggle for existence the two component of nature organism and environment are not only much complex and dynamic but also interdepartmental mutually reactive the interrelated ecology. The term ecology was coined by combining two Greek words oikos means house or dwelling place and logos the organism and their environment.

Appearance - The Gharial *Gavialis gangeticus*, sometimes called the Indian gharial or gharial is one of two surviving members of the family gavialidae a long established group of crocodile like reptiles with long narrow jaws, It is a critically endangered species. The Gharial is the second longest of all living crocodilians after the saltwater crocodile. The snout becomes progressively thinner the older the gharial is called 'ghara', Indian word meaning 'Pot'.

Distribution - North Indian subcontinent Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan. Usually found in the river system of Indus the Brahmaputra the Ganga, Manahadi.

Habitat - Into the water after they hatch (Probably because their jaws are not suited for carrying the young due to the middle like teeth). However the mother does protect. The young in the water for a few days till they learn to fend for themselves, probably the most aquatic of the crocodilians gharials are found in the clamer, deep areas of fast flowing rivers.

Taxonomy - The gharial and its extinct relatives are grouped together by taxonomists in several different ways -

1. If the three surviving groups of crocodilians are regarded as separate families, then the Gharial becomes one of the two members of the Gavialidae which is related to the families crocodylidae and alligatoridae.
2. Alternatively, the three groups are all classed together as the family crocodylidae, but belong to the subfamilies Gavialince crocodylinae and Alligatorinae.
3. Finally palantologists tend to speak of the broad lineage of gharial like creatures over time using the term Gavialoidea.

The Gharial has 27 to 29 upper and 25 to 26 lower teeth on each side. The gharial's lower anterior margin of

orbit (Jugal) is raised and its mandibular symphysis is extremely long, extending to the 23rd of 24th both.

Biology of Gharial - The distinctive narrow snout of the Gharial is a superb adaptation for catching prey under water. Adult female, which mature and become sexually receptive at around ten years old, are defended in harems by individual males these two species are that the Gharial at maturity possess a sharply defined raised structure at tip of the nostril called 'Ghara' dental formula of Gharials is 5 + 23-24 [26-26] / 5+23-24 [25-26]

The mandibular fissure in case of gharial goes up 23rd teeth and is well adapted for aquatic life. Muger capable of high wild snout of mugger is not so sharply mandibular fissure in mugger joins front only dental formula is 4-5+14 [15] / 4-5+14 [15]

Breeding - The Mating season is during November through December and well in to January. The nesting and laying of eggs takes place in dry season of March. April and May between 30-50 eggs are deposited about 90 days, the juveniles emerge although there is covered over carefully.

Nesting - Gharial requires high sloped banks slightly deep water with fine sandy banks where as mugger can lay egg and where. If the conditions are available mugger also lay egg in a hole like that to Gharial.

Egg, laying - Size of Gharial egg is 82-90 mm length 55-56 mm width of gharial egg is nearly 125gms, definite arrangement of eggs in a nest has not been observed so far colonial nesting is also not a record.

Post nesting behaviours - Nest guarding has been observed in mugger and gharial, that is the mother to protect the nest to her best, mother comes to nest more frequently at the end zero incubation period. She may be aggressive also while guarding nest at the end incubation period, mother hears croaking sound of the emerging hatchlings and uncovers the hard soil at the top of the nest. Mother does not help in incubation at all. She is cold blooded and has no heat to transfer to the eggs.

Incubation - Incubation period is two or three months temperature of incubation is 28^oc to 32^oc is the lethal temperature for eggs, Humidity required for incubation is 7% to 10 % by weight. In less moisture dissipation will occur in case of reptile separate sex chromosomes are not there. Hence temperature regulates sex. The embryo have

both the mullerion and the wolfian ducts.

Sex ratio and maturity - Gharial attains maturity is not less than 10 years .in case of mugger age of maturity is near about six years. Male mugger have been observed copulating at 3 years age. Sex ratio for normal multiplication is 10 to 2.50 court ship take place in water ½ to 2 month before nesting season at this time female may be aggressive for possession of male.

Gharial and man - Gharial is specified fish eater coming to details only three cases of gharial attackingman in India have come to notice from Orissa all were accidents in which fishermen were cought and released. These fishermen are still. Surviving in best of health the only case of Mugger attacking a human comes from Ahamadabad 200 photograph record. As the detail investigations have been not been done, nothing area could quote any frist hand

experience on report of a human attacked by ghorial in this sactuary area of ken river only cattles are attacked by gharial is reported here in the investigation.

References :-

1. Anon (1933 b) Crocodile conservation and management of India.
2. ballouard J.M. and A Codi (2005) Ghorial conservation in royal chitawan National Park.
3. Choudhary B.C. Indian Crocodile conservation situation report.
4. Jayson EA (1990) An ecological survey at sat pudg national park Pachmoshi and bori sanctuaries.
5. Maskey T.M. (1994) Captive Breeding success.
6. MaskeyT.Mand H. Mishra (1985) conservation of ghorial.
7. Mishra (1968) ecology work book.

Contemporary Use Of Kashidakari Embroidery (Jammu And Kashmir) Motif On Khadi Kurtis With Hand Painting

Komal Sharma * Dr. Nidhi Vats **

Abstract - Designing is the virtuous feature of a fabric or a garment, which creates interesting visual aspects on its surface and beautify its appearance. The present study entitled "Contemporary use of kashidakari embroidery (Jammu and Kashmir) motif on khadi kurtis with hand painting" has been carried out with the objectives of providing a range of khadi kurtis to the customers and creating a range for khadi kurtis with some new designing techniques. To attain these objectives firstly the survey was done to have a review over existing designs, colour, design, length and other consumer preference regarding kurtis. After survey designs were select. Then 30 design sheets were designed with the help of CAD. Design sheets were selected by the respondents on the basis of 5 point rating scale for given criteria for evaluation. It was concluded from the present study that the approach used for designing khadi kurti is very innovative and will be helpful for manufacturer to create new range of khadi kurtis.

Key Words - Designing, Khadi, kurtis, Kashida embroidery, CAD.

Introduction - Khadi was re-discovered by freedom fighter Mahatma Gandhi, as an initiation of empowerment. The first fabric of Khadi was woven with the commencement of the Boycott Movement in India, which dates back to 1920s. During the 'Swadesi Movement' that began by shunning foreign goods, it was widely publicized among the Indian population as an alternative to the British textiles. (Sivaiah, 2013)

Khadi is a hand spun and hand woven Indian cloth made of cotton, silk or wool. Polyester fiber is also being used in Khadi by blending with cotton and wool fiber. It is also known as Khaddar, in which yarn is made by spinning the threads on an instrument known as Charkha and then woven on handloom or knitted on hand knitting machine. During the pre-independence era the movement of Khadi manufacturing gained momentum under the guidance of the father of our nation Mahatma Gandhiji. It is a term used for handspun and hand-woven cloth, primarily woven from cotton and may also include silk, or wool, which are all spun into a yarn on a spinning wheel called a charkha. It's cool in summer and warm in winter. **(Reviving Khadi in India)**

Decentralized Khadi sector today coexists with most modern spinning, knitting and weaving mills and faces tough competition from mill sector. Khadi industry is struggling to maintain its existence, but is unable to keep pace with the latest trends. Value addition is constantly needed in Khadi which includes use of new type of fibre blends, developments in hand spinning and knitting in Khadi system, use of new colour, pattern, design and weave. Many

government bodies are also acting to promote this fabric. **(Reviving Khadi in India, 2003)**

The northern most state of India, Jammu and Kashmir its known for its beauty. The best known of Indian embroidery is Kashida or Kashmir. These are recognized for their beauty, color, motifs, artistic appearance and texture.

The embroidery is comprised of wide spectrum of colors of light and dark shades, such as crimson red, scarlet red, blue, yellow, green, purple, black and brown. Usually the kashida work is done on the undyed material of white or cream background. However, according to demand of the consumer the mill made fabrics are dyes in darker shades such as black, navy blue, brown, bottle green, maroon and so on. **(Chauhan, 2012)**

This is mainly done on all types of shawls produced in Kashmir. But now this ornamentation has been widely produced on dress material, saree, coat, jacket, kurta, muffler, dupatta, turban, table-linen, cushion cover, handkerchiefs, curtains, quilt, table-mats, floor coverings etc. The work is done at different parts like border, corner, all over scattered.

Kashida embroidery designs is the most popular commercial embroidery designs not only because it has retained its rich heritage but also has made necessary adoption according to the likes, choice and demand of the market. The directorate of handicrafts has started a new school of design with the view to produce and exhibit new designs. Along with old designs new articles with new design

*Student (Home Science) (Clothing, Textiles and Fashion Designing) Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana) INDIA

**Asst. Professor (Home Science) (Clothing, Textiles and Fashion Designing) Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana) INDIA

are constantly being introduced. **(Shaijlaja D.Naik)** **Kashida embroidery** splits into three types when referring to the motif design. One of them is the sozni or dorutka. As curiously as it may seem, the motifs on sozni embroidery appear in different colors on each side of the fabric.

The study was planned with following objectives.

1. To design the khadi kurtis with selected motifs.
2. To develop designer khadi kurtis with hand painting technique with selected motifs.
3. To study the consumer acceptance of the developed product.
4. To analyse the aesthetic appeal of the designed kurtis.

Methodology - The present study is experimental study. Development of khadi kurtis through kashida embroidery is the basis of the study. In this study, Old motifs are modified according to need to create a novel effect of designing on kurtis. The respondents were selected through simple random sampling technique. Motifs of Kashida embroidery were collected from secondary sources like books and internet. A total of thirty motifs were collected. A total of ten motifs were finalized for further research work.

Initially, the development of designs of khadi kurtis such as was done. The researcher developed thirty designs for khadi kurtis. On the basis of information collected from the respondents, the designs were selected. Then Seven designs of khadi kurtis were developed for womens, keeping in mind their preferences. Total thirty designs of kurtis were designed with the help of Coral Draw X5.

After that, the most preferred first seven designs of kurtis were prepared. To study the consumer acceptability of the prepared kurtis. The items were evaluated on the basis of the parameters include Motifs, Placement of motifs, Color combination, Embellishment technique and Overall aesthetic appeal on a five point scale ranging from Excellent to Average.

The data collected through interview and observations were analyzed and interpreted. The data was tabulated, percentages and scores were calculated.

Result and Discussion - The results of the present research work "Contemporary use of kashidakari embroidery (Jammu and Kashmir) motif of khadi kurtis with hand painting", derived through the use of prescribed methodology have been compiled, analyzed, discussed and presented in this paper.

The results of the study have been discussed under the following categories:-

Preference About Awareness of Khadi Garment Designs (See in the last page)

The data was revealed that 67 percent of the respondents aware about khadi garment designs and 33 percent of the respondents do not aware about khadi garment designs.

Willingness to Wear Khadi (See in the last page)

Regarding the preference of wear kurtis 98 percent of the respondents liked to wear kurtis while 2 percent of the respondents were not interested in wear kurtis.

Willingness to Wear Kurti's (See in the last page)

Regarding the preference of wear kurtis 99 percent of the respondents liked to wear kurtis while only 01 percent of the respondents were not interested in wear kurtis.

Preference to Adopt Kashida Embroidery Motif on Khadi Kurti (See in the last page)

Preferences about to adopt kashida embroidery motif on khadi kurtis was found that 71 percent of the respondents liked and 29 percent of the respondent dislike.

Preference For The Factor Consider While Selecting Khadi Kurti (See in the last page)

The preferences was found that availability for the factor consider while selecting khadi kurti through price 13 percent, occassion 29 percent and fashion 58 percent of the respondents prefer.

Assessment of consumer acceptability for design sheets (See in the last page)

Comparative data in percentage for overall aesthetic appeal used in kurtis (See in the last page)

The Table number 12 depicts that the majority of the respondents graded kurtis from very good to excellent in case of motif.

In case of 1 and 5 kurtis, the 70% and 67% respondents rated it from very good to excellent and 30% and 33% rated it good.

And 4, 6 and 7 kurtis, the 73% , 76% and 71% respondents rated it from very good to excellent and 27%, 24% and 29% rated it good.

Then for 2 and 3 kurtis, the 72% respondents rated it from very good to excellent and 28% rated it good.

Comparative data in percentage for overall aesthetic appeal used in kurtis (See in the last page)

Development of kurtis from design sheets

Design 1



Kurti 1




Design 2



Kurti 2



Design 3



Kurti 3




Design 7



Kurti 7



Design 4



Kurti 4



Design 5



Kurti 5



Design 6






Kurti 6





Summary - It can be concluded from the study that all the kurtis were liked by respondents. Majority of the respondents were ready to buy the kurtis at estimated cost and add kurtis in their wardrobe. The designed kurtis fulfil the fashion needs and satisfy consumer's need for variety was mentioned by most of the respondents. Thus it can be said that designing technique used in this study helped in improving the overall aesthetic appeal of khadi kurtis.

References :-

1. Shaijlaja D.Naik. 2010. Traditional embroideries of India, S.B Nangia, APH Publishing Corporation, 23-34.
2. Sangama, E.M. and Rani, 2012. A. Development of designs for textile designing. Text. Trends,54(3), 29-34.
3. Devi (2011) Devi, 2011. S. Adaptation of traditional embroidery designs for fabric painting on jacket. Master s Thesis, CCS Haryana Agricultural University, Hisar, India.
4. Kavita. 2016. Adaptation of canvas embroidery motifs for fabric painting. Master s Thesis. CCS Haryana Agricultural University, Hisar, India.
5. Jain R, Sharma N, Jain C. 2014. Design and Product Development: Digital Textile Printing Inspired by Gond Paintings of Madhya Pradesh. Asian Resonance. 3(4), 257-261
6. Chauhan, S. 2012. "Designing of khadi sari with silk colour" Unpublished master thesis, Banasthali University.
7. M.k.gandhi,khadi: Why and How,ed. Bharatan Kumarappa, Navajivan Publishing House, Ahemdabad,1955,Editor's note, p.v
8. <https://www.utsavpedia.com/textiles/khadi-embarking-loyalty-simplicity/>




































Comparative data in percentage for overall aesthetic appeal used in kurtis

S. No.	Kurti Number	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1	1	38	32	30	-	-
2	2	37	35	28	-	-
3	3	39	33	28	-	-
4	4	34	39	27	-	-
5	5	29	38	33	-	-
6	6	41	35	24	-	-
7	7	36	35	29	-	-

Comparative data in percentage for overall aesthetic appeal used in kurtis



Assessment of consumer acceptability for design sheets

Design Number	Design Sheet	Total Score	Ranking	Design Number	Design Sheet	Total Score	Ranking
1		441	I	16		379	IX
2		390	V	17		374	XII
3		322	XXIV	18		386	VI
4		383	VII	19		357	XVIII
5		362	XVI	20		420	II
6		357	XVIII	21		357	XVIII
7		376	X	22		370	XIV
8		407	III	23		401	IV
9		382	VIII	24		361	XVII
10		374	XII	25		357	XVIII
11		373	XIII	26		352	XIX
12		312	XXV	27		351	XX
13		375	XI	28		342	XXIII
14		368	XV	29		352	XIX
15		350	XXI	30		344	XXII

Gender Difference In Interest With Special Reference To Music In Adolescent Students Of Government Senior Secondary Schools Of Jaipur

Dr. Shiva Vyas *

Abstract - Music has changed the performance of girls and boys. Adolescent is the age of teens and laughter where the interest areas of girls and boys differ significantly gender wise difference in visible in interest of music in adolescent students of senior secondary. This difference is also seen in rural and urban adolescent students. Streamwise the interest in music is very much clear. Thus music is a powerful instrument which enhances personality of adolescents reduces anxiety and stress. Research and experience have proved beyond doubt that music is necessary for the development of individual men, women and girls, boys that music.

Introduction - Adolescence is the most important period of human life. Poets have described it as the spring of life of human being and an important era in the total life span. The world adolescence comes from a Greek word "adolescere" which means to grow to maturity. Some Psychologists define it as the transitional period of life. The child experiences a number of changes in this transitional period. The period runs between childhood and adulthood and is sometimes called the period of teenage.

Jean Piaget defined adolescence as, "the age of great ideals and the beginning of theories as well as the time of simple adaptation to reality." Chronologically adolescence comes roughly in between the years from 12 to the early 20s.

Interest of Adolescents - Interest means to make a difference. Interest and attention are closely related. Interests of adolescents play an important role in the development of their behavior and personality. Interest is any activity that drives or motivates the individual for action. Interests are very important to understand the individual and to guide his future activities. Interest in music holds a prominent place among all other interest areas of adolescent.

Population - The 1991 census counted 407.1 million females against the male population of 439.23 million constituting just less than half (48.09%) of the total population of India (846.30) million.

The female population grew at a slower pace of 23.31% during the decade 1981-91 against a decade growth rate of 23.85% of the total population (census of India 1991).

Statement of the Problem - Today in every spheres of life gender disparity is seen. This difference in gender is seen not only in India but all over the world. Less research work is done in the area of gender differences and interest in music. Is there any difference interest of boys and girls in music? To find out the answers of this question? Researcher

selected the research problem from this area?

Definitions -

Interest - Interest is the center force that drives the whole machinery of the teaching-learning process. All our attempts are aimed at making our students interested in the learning experiences given to them. Interest as a driving force not only helps the children in acquiring certain learning experiences, but also colour and fashion their attitudes, aptitudes and other personality traits.

Ross - A thing that interests us is just something that concerns us or matters to us.

Objectives -

1. To identify and compare Interest in music of adolescents students of Jaipur with reference to Gender wise.
2. To identify and compare Interest in music of adolescents students of Jaipur with reference to Area wise.
3. To identify and compare Interest in music of adolescents students of Jaipur with reference to Stream wise.

Hypothesis -

1. There exist significant difference in Interest of Music of adolescents' students, girls and boys belonging to different locale areas studying in government schools of Jaipur.
2. There exist significant differences in Interest of Music of adolescents' students belonging to urban and rural areas and studying in government schools of Jaipur.
3. There exist significant differences in Interest of Music of adolescents' students belonging to different types of streams studying in government schools of Jaipur.

Methodology -

Descriptive Survey Method is used by the Researcher in the present study.

Population - Population or Universe means, the entire

mass of observations, which is the parent group from which a sample is to be taken. From total population 48,154 adolescent student. Students are selected areas wise, gender wise, and stream wise respectively for sampling in Jaipur.

He/She have taken two regions of Jaipur.

- A. Jaipur – I
- B. Jaipur – II

Sample - The Researcher has used Stratified Random Sampling in selection of sample. The sample of study is taken from the above population. 695 students (Girls and Boys) studying in Government schools of Jaipur.

Sources of Data - Sources of Data are Primary.

Nature of Data - Quantitative Analysis is done in the present Research Work.

Tools - Researcher has used self constructed tools related to interest of music.

Delimitation - The present study has been delimited to adolescent students of class XIth and XIIth studying in government schools of Jaipur.

Table – 1 (See in the last page)

Fig. 1: Diagram shows the Interest of Music of Rural Science Girls and Boys (See in the last page)

Description - Table 1 shows the analysis and interpretation of the above data, finding indicates that from total 110 number of adolescents rural science students in eleven interest of music. Most rural girls students of science stream gives preference to teaching and learning and outdoor and games interest activities. Similarly, most rural boys students of science stream gives preference to outdoor and games and scientific interest activities. Percentage shows that highest 34.92% of rural girls students of science stream gave preference to teaching & learning interest activities. While, very low & negligible percent of rural girls students of science stream gave preference to literacy, clerical and home management interest of music. Highest 38.29% of rural boys students of science stream gave preference to outdoor & games interest activities. While, very least & negligible percent of rural boys students of science stream gave preference to literacy, art & music and clerical interest of music.

Conclusion - Conclusion extracted from the study explores that both rural girls and boys students of science stream have less interested in music & art interest activities. Here gender difference is not visible in literacy and clerical interest areas.

Table – 2 (See in the last page)

Fig. 2: (See in the last page)

Description - Table 2 shows the analysis and interpretation of the above data. Findings of the study indicate that from total 100 number of adolescents urban science students in eleven interest of music. Most urban girls students of science stream gives preference to social service and outdoor & games interest activities. Similarly, most urban boys students of science stream gives preference to outdoor and games and social service interest activities. Percentage

shows that highest 27.80% of urban girls students of science stream gave preference to social service interest activities. While, very low & negligible percent of urban girls students of science stream gave preference to administrative and home management interest areas. Highest 36.95% of urban boys students of science stream gave preference to outdoor & games interest activities. While, very least & negligible percent of urban boys students of science stream gave preference to literacy, persuasive, clerical and home management interest areas.

Conclusion - Conclusion extracted from the study explores that both urban girls and boys students of science stream have less interested in literary, persuasive and home management interest activities. Here gender group equally likes outdoor & games and social service interest areas.

Table – 3 (See in the last page)

Fig. 3 - (See in the last page)

Description - Table 3 shows the analysis and interpretation of the above data. Findings indicate that from total 239 number of adolescents rural arts students in eleven interest areas. Most rural girls students of arts stream gives preference to outdoor & games and teaching & learning interest activities. Similarly, most rural boys students of arts stream gives preference to outdoor & games and social service interest activities. Percentage shows that highest 27.81% of rural girls students of arts stream gave preference to outdoor & games interest activities. While, very low and negligible percent of rural girls students of arts stream gave preference to mechanical & clerical interest areas. Highest 36.80% of rural boys students of arts stream gave preference to outdoor & games interest activities. While, very least and negligible percent of rural boys students of arts stream gave preference to clerical interest areas.

Conclusion - Conclusion extracted from the study explores that both rural girls and boys students of arts stream have less interested in clerical interest activities. Here gender group equally likes outdoor & games interest areas not music and artistic activities.

Table – 4(See in the last page)

Fig. 4 - (See in the last page)

Description: Table 4 shows the analysis and interpretation of the above data. Findings indicate that from total 246 number of adolescents urban arts students in eleven interest areas. Most urban girls students of arts stream gives preference to art & music and literary & outdoor games interest activities. Similarly, most urban boys students of arts stream gives preference to outdoor & games and social service interest activities. Percentage shows that highest 27.77% of urban girls students of arts stream gave preference to art & music interest activities. While, very low and negligible percent of urban girls students of arts stream gave preference to persuasive interest areas. Highest 48.33% of urban boys students of arts stream gave preference to outdoor & games interest activities. While, very least 0.83% of urban boys students of arts stream gave preference to clerical and home management interest

areas.

Conclusion - Conclusion extracted from the study explores that both urban girls and boys students of arts stream have less interested in administrative and clerical interest activities. Here gender difference is visible in their interest areas.

Implications of the Study -

1. To make them youngsters to choose the professional subjects according to their interests, skill, thought and practice.
2. Need to establish the science academy and music academy in government and non-government institutions.

References :-

1. Arora, R.K. (1992). Interactional effect creativity and intelligence on emotional stability, personality adjustment and academic achievement. Indian Educational Review. Vol. 27(4): 86-93.

2. Kumar, Neelam (2001). Gender and stratification in science: An empirical study in the Indian setting. Indian Journal of General Studies. Vol. I, 51-67.
3. Jha, J.K. (2002). Status of Girl child in India 306, New Delhi: Sarup and Sons Publishers.
4. DPEP (1998). Gender Audit Strategy for DPEP, New Delhi: GOI.
5. Nayar, Usha (1995b). Gender issues in education. Indian Education Review Special No. 1995 on District Primary Education Programme.
6. Mariette, Correal (1995). Feminists and Academics, Indian Journal of Gender Studies. Vol 2(2).
7. Stiver Lie, Suzanne, et al. 1994. The Gender Gap in Higher Education. In the world year book of Education, London: Kogan Page.
8. Buch, M.B. (1991). Fourth Survey of Research in Education. New Delhi, National Council of Educational Research and Training.

Table – 1 Interest of Music of Rural Science Girls and Boys

S. No.	Total items	Name of the Interest Music	GT-110			
			Girls No.	Per (%)	Boys No.	Per (%)
1	15	Literary	-	-	-	-
2	15	Outdoor and Games	13	20.63%	18	38.29%
3	17	Mechanical	4	6.34%	5	10.63%
4	18	Scientific	12	19.04%	13	27.65%
5	5	Persuasive	1	1.60%	3	6.38%
6	10	Social Service	8	12.70%	2	4.25%
7	12	Art and Music	1	1.60%	-	-
8	7	Clerical Activities	-	-	-	-
9	14	Administrative	2	3.17%	4	8.51%
10	12	Teaching & Learning	22	34.92%	1	2.12%
11	11	Home Management	-	-	1	2.12%
Total	136		63	100%	47	100%

Fig. 1 - Diagram shows the Interest of Music of Rural Science Girls and Boys




Table – 2 Interest of Music of Urban Science Girls and Boys

S. No.	Total items	Name of the Interest Music	GT-110			
			Girls No.	Per (%)	Boys No.	Per (%)
1	15	Literary	1	1.85%	-	-
2	15	Outdoor and Games	13	24.07%	17	36.95%
3	17	Mechanical	2	3.70%	4	8.70%
4	18	Scientific	61	1.11%	7	15.21%
5	5	Persuasive	2	3.70%	-	-
6	10	Social Service	15	27.80%	10	21.73%
7	12	Art and Music	2	3.70%	1	2.17%
8	7	Clerical Activities	1	1.85%	-	-
9	14	Administrative	-	-	4	8.70%
10	12	Teaching & Learning	12	22.22%	3	6.52%
11	11	Home Management	-	-	-	-
Total	136		54	100%	46	100%

Fig. 2 - Diagram shows the Interest of Music of Urban Science Girls and Boys




Table – 3 Interest of Music of Rural Arts Girls and Boys

S. No.	Total items	Name of the Interest Music	GT-239			
			Girls No.	Per (%)	Boys No.	Per (%)
1	15	Literary	22	16.54%	10	9.43%
2	15	Outdoor and Games	37	27.81%	39	36.80%
3	17	Mechanical	-	-	15	14.15%
4	18	Scientific	2	1.50%	4	3.77%
5	5	Persuasive	1	0.75%	2	1.88%
6	10	Social Service	17	12.78%	18	16.98%
7	12	Art and Music	14	10.52%	6	5.66%
8	7	Clerical Activities	-	-	-	-
9	14	Administrative	2	1.50%	6	5.66%
10	12	Teaching & Learning	26	19.54%	4	3.77%
11	11	Home Management	12	9.02%	2	1.88%
Total	136		133	100%	106	100%

Fig. 3 - Diagram shows the Interest of Music of Rural Arts Girls and Boys





Table – 4 Interest of Music of Urban Arts Girls and Boys

S. No.	Total items	Name of the Interest Music	GT-110			
			Girls No.	Per (%)	Boys No.	Per (%)
1	15	Literary	21	16.66%	3	2.50%
2	15	Outdoor and Games	21	16.66%	58	48.33%
3	17	Mechanical	1	0.76%	9	7.50%
4	18	Scientific	4	3.17%	5	4.16%
5	5	Persuasive	-	-	3	2.50%
6	10	Social Service	7	5.55%	19	15.83%
7	12	Art and Music	35	27.77%	5	4.16%
8	7	Clerical Activities	2	1.58%	1	0.83%
9	14	Administrative	4	3.17%	5	4.16%
10	12	Teaching & Learning	14	11.11%	1	19.16%
11	11	Home Management	17	13.49%	1	0.83%
Total	136		126	100%	120	100%

Fig. 4 - Diagram shows the Interest of Music of Urban Arts Girls and Boys



Development Of Bags From Boutique Waste

Arti Chawla* Dr. Nidhi Vats**

Abstract -The present study was undertaken on title “Development of Bags from Boutique waste”. The study was conducted in two cities i.e. Ambala and Ludhiana. An interview schedule was used for collecting data from 100 respondents regarding the utilization of boutique waste. Twenty designs were developed and three most preferred designs were selected for construction. The constructed bags were evaluated by the respondents on the basis of different parameters on a five point scale. Most of the respondents considered the prepared bags as excellent and very good. Maximum number of respondents liked the idea of using boutique waste. The results of the collected data revealed that most of the bags made from boutique waste were liked by the respondents. Efforts were also made for the utilization of the fabric from boutique in such a way so that it will reuse the waste fabric and focuses on identifying waste fabrics that could produce Bags.

Key Words - Reuse, Boutique waste, utilization.

Introduction - The spurring up of utilization of resources in the modernized world has led to an increase in clothing and textiles dispose in the garbage rather than being reused.

The primary aims of the study is to consider how to bring fabric waste back to the useful items to make bags and to understand different designing techniques used in the manufacturing of bags from textile waste which is left in the boutique. The aim is also to create an overview of existing and emerging fabric waste. The practical work described in the study is based on applying different method to the design process because up cycled fashion design allows for the use of pre-existing material and preferably, locally collected waste.

Thus, the motive of the study is to increase understanding regarding clothing and textile consumption that can become more sustainable by reusing the textile waste.

Objectives

- To utilize waste fabrics from boutique.
- To understand the knowledge of textile waste.
- To evaluate the amount of fabric waste left in the Boutique.
- To bring fabric waste into production.
- To determine the various applications of waste fabric.

Limitations -

- The study limited only with boutique waste fabrics by reusing them.
- Waste fabrics that were accessible include natural as well as man-made fibers.

- The study was restricted in two cities.
- The study was conducted to the selected participant that is Boutique holders.

II. Methodology -

- **Locale of the study** - The study was conducted to the selected participants that are boutique holders of Ambala.

- **Selection of respondents** - Hundred respondents were selected randomly and Questionnaire was framed for data collection. After pretesting, data collection was done. Most preferred designs of bags were selected and prepared from boutique waste.

- **Tools and procedure for data collection** - The study was accomplished under four phases which are elaborated below:

Phase I -

- **Design development of Bags** - Initially, the designs for bags were developed. Twenty designs for each bags were developed. On the basis of information collected from the respondents, the designs were selected for development.

- **Selection of most preferred Designs** - After development of designs, the selection of designs of bags from boutique waste was done to know the preferences regarding the designs. Therefore, the developed designs were shown to boutique holders. On the basis of the boutique owner’s preferences, the most preferred designs were selected.

Phase II -

- **Collection of textile waste for making Bags** - Efforts

*Student (Home Science) (Clothing, Textiles and Fashion Designing) Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana) INDIA

**Asst. Professor (Home Science) (Clothing, Textiles and Fashion Designing) Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana) INDIA

would be made to utilize waste by making bag. The textile waste from boutique in form of scraps was collected at the time of conducting the interview. Discarded fabrics were collected from boutique holders as Apparel waste and used to design and create bags to make it usable.

- **Construction of most preferred Bags** - The most preferred first three designs of bags were selected for construction and preferred trimmings were also used.

Phase III -

- **Evaluation of prepared Bags** - To study the consumer acceptability of the prepared bags, a sample of 100 respondents were selected. The items were evaluated on the basis of the parameters include utility, functionality, serviceability, trimmings and their overall appearance on a five point scale ranging from Excellent to Average.

- **Comparative analysis** - The data collected through interview and observations were analyzed and interpreted. The data was tabulated, percentages and scores were calculated.

- **Consumer preferences for designs for Bags (See in the last page)**

The data was revealed from the above table that number of respondents (83.8%) gives the highest scores/rank to design number 6 that can be prepared from waste fabrics, number of respondents (83.4%) gives the second highest scores/rank to the design number 1 that can be prepared from waste fabrics and number of respondents (82%) gives the third highest scores/rank to design number 14 that can be prepared from waste fabrics.

Designed Bags made out of Boutique waste
Design No. 6



Design No. 1



Design No. 14




- **Consumer Acceptability for developed product**
Response in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to utility

S No.	Bags Design	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1.	Design-I	76	23	1	0	0
2.	Design-II	64	32	4	0	0
3.	Design-III	39	51	10	0	0

It was examined from the table that maximum number of respondents gives excellent (76%) to design-I, excellent (64%) to design-II and very good (51%) to design-III with regards to utility as a parameter.

Comparative data in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to utility-




- **Response in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Functionality**

S No.	Bags Design	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1.	Design-I	61	31	8	0	0
2.	Design-II	31	29	40	0	0
3.	Design-III	52	27	21	0	0

Maximum number of respondents gives excellent (61%) to design-I, good (40%) to design-II and excellent (52%) to design-III with regards to utility as a parameter.

Comparative data in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Functionality




Response in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Serviceability

S No.	Bags Design	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1.	Design-I	67	18	15	0	0
2.	Design-II	50	37	13	0	0
3.	Design-III	19	71	10	0	0

It was noticed that majority of respondents graded excellent to bags design-I (67%), excellent to design-II (50%) and very good to design-III (71%) with regards to serviceability as a parameter.

Comparative data in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Serviceability




Response in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Trimmings

S No.	Bags Design	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1.	Design-I	72	22	6	0	0
2.	Design-II	79	20	1	0	0
3.	Design-III	68	30	2	0	0

The above table shows that majority of respondents graded excellent to bags design-I (72%), excellent to design-II (79%) and excellent to design-III (68%) with regards to trimmings as a parameter.

Comparative data in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Trimmings




Response in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Overall Aesthetic Appeal

S No.	Bags Design	Excellent	Very Good	Good	Fair	Average
1.	Design-I	28	42	30	0	0
2.	Design-II	69	15	16	0	0
3.	Design-III	58	28	14	0	0

The result shows that the majority of the respondents graded very good to Shrug design-I (42%), excellent to Shrug design-II (69%) and excellent to shrug design-III (58%) with regards to overall aesthetic appeal as a parameter.

Comparative data in %age for Utility Items i.e. Bags with regards to Overall Aesthetic Appeal























III. Conclusion - It can be concluded from the study that majority of the respondents were highly inclined towards bags made from waste fabrics. Moreover, the respondents were also ready to buy the bags at estimated price. The designed bags fulfill the fashion and satisfy consumer's need for variety was mentioned by most of the respondents. Thus, it can be said that designing techniques used in this study helped in improving the aesthetic appeal of the bags.

References :-

- Bairagi N (2014) Recycling of Textiles in India, J Textile Sci Eng S, (doi:10.4172/2165-8064.S2-003) 2: 03.
- Chan T S (1996) Recycling in textile and clothing sector, J Int Cons Mktg, 9 (1): 10-15.
- Darshita Modi (2013) Upcycling of Fabric waste in Design Studio, Master in Design of the National Institute of Fashion Technology at Mumbai.
- Hawley, J. M. Textile Recycling: A System Perspective. IN WANG, Y. (Ed.) Recycling in Textiles. Cambridge, Woodhead Publishing Limited, (2006b).
- Katkar P. M. & Baigadar S. M (2010). Textile Waste Recycling, Originally published in Textile Review.
- L. Divita & B. G. Dillard (2015) Recycling Textile Waste: An Issue of Interest to Sewn Products Manufacturers, the Journal of the Textile Institute, (DOI: 10.1080/00405009908658699) 90(1): 14-26.
- Rahul Gadkari & M.C. Burji (2015) Textile waste recycling, D.K.T.E'S Textile Engineering Institute.
- Seadon, J. K. (2006) Integrated waste management—looking beyond the solid waste horizon. Waste management,
- Yogita Agrawal, Shyam Barhanpurkar and Ajay Joshi (2013) Recycle textiles waste, Ahmedabad, Saket Projects Limited.

Consumer preferences for designs for Bags

S No.	Design No.	Design Sheet	Score	Rank	S No.	Design No.	Design Sheet	Score	Rank
1.	1		417	II	6.	6		419	I
2.	2		392	XII	7.	7		392	XIII
3.	3		322	XX	8.	8		401	IX
4.	4		401	VIII	9.	9		404	VI
5.	5		405	V	10.	10		397	XI

S No.	Design No.	Design Sheet	Score	Rank	S No.	Design No.	Design Sheet	Score	Rank
11.	11		350	XIX	16.	16		406	IV
12.	12		398	X	17.	17		403	VII
13.	13		370	XV	18.	18		369	XVI
14.	14		410	III	19.	19		359	XVIII
15.	15		364	XVII	20.	20		387	XIV

प्रेषित उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ता शिक्षा

डॉ. कलिका डोलस *

प्रस्तावना - 1) उपभोक्ता 2) उपभोक्ता संरक्षण 3) उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता को बाजार/व्यापार का राजा कहा जाता है, वो जो चाहेगा बाजार उस तरफ निर्देशित होगा। इतिहास के हर दौर में उपभोक्ता को महत्व दिया गया है। मौर्यकाल में व्यापारियों के हितों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। सामान्य अर्थों में जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के लिए निर्धारित मूल्य चुकाता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है, इसी प्रकार उचित शुल्क चुकाकर किसी सेवा (होटल, पी.सी.ओ. आदि) का उपभोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाता है परन्तु तकनीकी दृष्टि से उपभोक्ता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

उपभोक्ता - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-2, उपधारा 2 (1) के खण्ड (6) में उपभोक्ता शब्द को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है- (क) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या वचन दिया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करता है, उस वस्तु का कोई प्रयोगकर्ता भी है और प्रयोग व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, परन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या वस्तु को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है और आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपभोग करता है, ऐसी सेवाओं का कोई हितकारी भी है, जब ऐसी सेवाओं का उपभोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, उपभोक्ता कहलाता है।

परन्तु फिर भी समय समय पर उपभोक्ता/ग्राहक कई विभिन्न तरीकों से ठगे जाते रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता आन्दोलन अस्तित्व में आया।

उपभोक्ता आंदोलन - उपभोक्ता आंदोलन का प्रारम्भ अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया। इसी कारण 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विधेयक में उपभोक्ता को निम्न 4 अधिकार प्रदान किए गए।

1) उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार (2) चुनाव का अधिकार (3) सूचना प्राप्त करने का अधिकार (4) सुनवाई का अधिकार।

परन्तु इसमें अशिक्षित उपभोक्ता फिर भी ठगा जाता रहा। साथ ही एक बार वस्तु क्रय कर लेने के पश्चात यदि वह अमानक होती है, तब उपभोक्ता को उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती थी, उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। इसी बात के मद्देनजर अमेरिकी कांग्रेस ने अधिकारों को और अधिक

व्यापकता प्रदान करने के लिए 4 और अधिकार बाद में जोड़े।

1) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (2) क्षतिपूर्ति का अधिकार (3) स्वच्छ वातावरण का अधिकार (4) मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं क्योंकि हम सभी प्रतिदिन अनेक प्रकार की वस्तुओं का और सेवाओं का प्रयोग अथवा उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि स्व निर्माता या उत्पादक भी एक उपभोक्ता है, क्योंकि जहाँ वह निर्दिष्ट वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है वही दूसरी और वह अन्य निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्तिगत रूप से एक उपभोक्ता भी है। इस प्रकार उपभोक्ता वर्ग, समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, जो किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग दल तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें समाज का हर व्यक्ति शामिल है। अतः इसमें समाज के हर व्यक्ति की रुचि होना स्वभाविक है, इसलिए इतिहास के हर दौर में उपभोक्ता को संरक्षित करने की चर्चा होती रही है। पूर्व में इस संरक्षण को उपभोक्तावाद कहा गया है।

उपभोक्तावाद - उपभोक्तावाद एक ऐसी शक्ति है, जो दी हुई परिस्थिति में उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने के लिए व्यापारी वर्ग पर वैधानिक, नैतिक और आर्थिक दबाव डालने के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। क्योंकि उपभोक्ता व्यापारियों के हाथ का मौहरा बन गया।

जब 'उपभोक्ता सावधान रहोय' सिद्धांत पनपने लगा, तब उपभोक्तावाद की अवधारणा को बल मिला। इस उपभोक्तावाद का सकारात्मक परिणाम यह निकला कि सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन भी आज उपभोक्ता के हितों के लिए तत्पर हैं।

उपभोक्ता संरक्षण - भारत में उपभोक्ता संरक्षण का श्रेय जे.आर.डी. टाटा को जाता है। 1966 में जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत मुंबई में फेयर प्रेक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई और इस तरह उपभोक्ता आंदोलन को एक नई दिशा मिली, जिसे बी.एम. जोशी द्वारा 1974 में पुणे में स्थापित ग्राहक पंचायत से नई दिशा मिली जो कि एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में सामने आई तथा इससे गैरसरकारी संगठन भी इस आंदोलन से जुड़ते गए। इसके पश्चात अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ और यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। फलस्वरूप सरकार को भी एक व्यवस्थित एवं वृहत् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने हेतु बाध्य होना पड़ा और इसी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - भारतीय समाज एवं कानून हमेशा से ही उपभोक्ता के हितों के प्रति काफी जागरूक रहा है, इसलिए समय समय पर इस संबंध में कानून बनाए जाते रहे हैं। वर्तमान में लागू 'उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम 1986, 24 दिसम्बर 1986 को अस्तित्व में आया। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू है। यह अधिनियम सामान्यतः सभी प्रकार के माल एवं सेवाओं पर लागू होता है परंतु उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नहीं होता जिनके बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप में कोई अन्य प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का विस्तार अत्यंत व्यापक है, इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से भारत के उपभोक्ताओं के हित काफी हद तक सुरक्षित हुए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संख्यांक 68 में अधिनियम की प्रस्तावना निम्न प्रकार दी है -

‘उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए और उप प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है’

संपूर्ण अधिनियम को निम्न धाराओं के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है-

- धारा - 1 : नाम, विस्तार, प्रारंभ एवं लागू होना।
 धारा - 2 : विभिन्न परिभाषाएं (जिनमें उपभोक्ता, समुचित प्रयोगशाला, शाखा कार्यालय, राज्य एवं केन्द्र सरकार, व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता आदि सभी को परिभाषित किया गया है।)
 धारा - 3 : किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।
 धारा - 4 : केन्द्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन
 धारा - 5 : केन्द्रीय परिषद की प्रक्रिया
 धारा - 6 : केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य
 धारा - 7 : राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद
 धारा - 8 : राज्य परिषद के उद्देश्य
 धारा - 9 : जिला फोरम का गठन
 धारा - 10 : जिला फोरम के उद्देश्य एवं स्वरूप
 धारा - 11 : जिला फोरम की अधिकारिता
 धारा - 12 : शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
 धारा - 13 : शिकायत दर्ज उपरान्त प्रक्रिया
 धारा - 14 : जिला फोरम के निर्णय की व्याख्या
 धारा - 15 : राज्य आयोग में सुनवाई
 धारा - 16 : राज्य आयोग पीठ का गठन
 धारा - 17 : राज्य आयोग के समक्ष 1 करोड़ तक की राशि की शिकायतें
 धारा - 18 : राज्य आयोग द्वारा वादों का निराकरण
 धारा - 19 : राज्य आयोग के विरुद्ध अपील
 धारा - 20 : राष्ट्रीय आयोग का गठन
 धारा - 21 : राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता
 धारा - 22 : राष्ट्रीय आयोग के वादों का निराकरण
 धारा - 23 : राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील
 धारा - 24 : अंतिम आदेश पारित
 धारा - 25 : उपभोक्ता अदालत द्वारा परित आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था
 धारा - 26 : भ्रामक तथ्यों पर अर्थदण्ड की व्यवस्था
 धारा - 27 : अदालतों के आदेशों का अनुपालन न होने पर कारावास एवं आर्थिक दण्ड की व्यवस्था
 धारा - 28 : किसी भी आयोग के सदस्य के विरुद्ध वाद दायर करना

वर्जित।

धारा - 29 : प्रतिक्रियाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दूर करना

धारा - 30 : केंद्रीय सरकार की अनुमति से विनियमों का गठन

धारा - 31 : संबंधित नियमों को संसद के समक्ष रखा जाना

इस प्रकार उपरोक्त प्रमुख धाराओं के माध्यम से इस अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत अधिनियम को समझा जा सकता है, जिसमें जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जब तक उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है अथवा वह संतुष्ट नहीं हो जाता, वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

दूसरा इस अधिनियम का सबसे धनात्मक पहलू है, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। संबंधित को समयावधि में क्षतिपूर्ति हो जाए इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

उपभोक्ता शिक्षा - विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी उपभोक्ता संगठनों द्वारा सम्पादित किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है। इतना प्रभावी अधिनियम/कानून के होने के बावजूद भी भारतीय उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति बेहद निष्क्रिय है। अतः आवश्यकता इस बात हो है कि उनको उपभोक्ता शिक्षा दी जाए। कई पाश्चात्य देशों में उपभोक्ता शिक्षा पर जोर-शोर से बल दिया जा रहा है परंतु भारत में उपभोक्ता शिक्षा की अवधारणा अभी अपने शैशव काल में ही है। अतः इस दिशा में गंभीर पहल करना अनिवार्य है।

विद्यालय एवं महाविद्यालयीय शिक्षा में इसे शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उदारीकरण एवं ग्लोबलाइजेशन के इस वर्तमान दौर में प्रत्येक विद्यार्थी एक उपभोक्ता है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का स्वयं चयन करना है। इसके अतिरिक्त ये विद्यार्थी ही आगे चलकर सम्पूर्ण उपभोक्ता की शक्ति अख्तियार करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बार वो है कि प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी स्तर से ही उपभोक्ता अधिकारों की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालयों में उपभोक्ता शिक्षा बहुआयामी और बहुविषयी होनी चाहिए। इस हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-

1. हम सर्वप्रथम उपभोक्ता शिक्षा के पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार करें। इस हेतु एक स्पष्ट नीति बनाएं, और आयुवर्ग के हिसाब से स्तरों का निर्धारण करें।
2. उपभोक्ता शिक्षा कहीं सैद्धांतिक बनकर ही न रह जाए, इसलिए इसके व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है एवं इस हेतु दूसरी आवश्यकता है शिक्षकों के सही प्रशिक्षण की।
3. साथ ही तीसरी जरूरत है, उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति समझ को बढ़ाने की।
4. एवं अंतिम, शिक्षा के इन प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने की एवं संसाधनों के सही उपयोग करने की।

इस प्रकार उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण में अधिक सहायता मिलेगी। इस दिशा में अखिल भारती ग्राहक पंचायत भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

उपभोक्ता जागरूकता - इतना बृहत् व प्रभावी अधिनियम होने के बावजूद भी केवल 10 प्रतिशत उपभोक्ता इसका लाभ उठा पाते हैं, कारण है जागरूकता का अभाव। जनसामान्य इस बात से परिचित ही नहीं है कि उपभोक्ता के हक में उसके कुछ अधिकार भी हैं एवं उससे वह ना केवल अपने हक के लिए लड़ सकता है, बल्कि अपने हुए नुकसान की भरपाई भी कर सकता है, जो की क्षतिपूर्ति के रूप में इस अधिनियम की विशेषता है। अभी हाल ही में नरसिंहपुर की करेली तहसील में हिरनापुर ग्राम निवासी विजय

कुमार श्रीवास्तव ने भारत संचार निगम लिमिटेड पर फोन लाइन नहीं सुधारने पर केस दर्ज किया और जीता उपभोक्ता अदालत ने BSNL को परिवादी को तीन हजार एवं मानसिक क्षति के लिए ₹. 2000 का भुगतान करने का आदेश दिया। उपभोक्ता जागरूकता से तात्पर्य एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानना, उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन एवं बेचे जाने के विषय में अपने अधिकार को जानना है।

अतः बाजार में दोषपूर्ण कार्य एवं उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं को निम्न विषयों से अवगत होना चाहिए-

1. बेइमान व्यापारियों एवं उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाली वे विधियां जिनके द्वारा वह उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए बाजार के व्यवहार को तोड़-मरोड़ करने का प्रयत्न करना है।
2. अनुचित व्यापार कार्यों को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए प्रायोगिक कानून।
3. उपभोक्ता किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।
4. शिकायत करते समय उपभोक्ता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

उपभोक्ता को जागरूक बनाने हेतु संचार के विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया जा सकता है, पेंप्लेट, पर्चे, पत्र-पत्रिकाएं एवं पोस्टर आदि के द्वारा देश के हर कोने में जागरूकता लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त टी.वी., रेडियो जैसे दृश्य-श्रव्य माध्यमों से भी जागरूकता संभव है। साथ ही जागरूकता हेतु आधार पाठ्यक्रम में उपभोक्ता शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता हेतु उपभोक्ता शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण और संवर्धन सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है। साथ ही यह एक सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकता भी है और देश के चहुँमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तेजी से बदलते हुए व्यवसायिक वातावरण और उभरते हुए वैश्विक बाजारों में अच्छी सेवाओं, गुणवत्ता पूर्ण सामान, विकल्पों की उपलब्धता के संबंध में लोगों की आकांक्षाएं एवं धन की कीमत निरंतर बढ़ रही है। तदनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही देश में उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल, योजनाएं और प्रोत्साहन आरंभ कर रहे हैं। वे यह भी सुनिश्चित करने के लिए सभी

संभव प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को सभी संगत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके एवं उन्हें बाजार में उत्पादों एवं सेवाओं के चयन में तार्किक विकल्प प्राप्त हो सके।

उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में सभी स्तरों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मानक संवर्धन के लिए तथा उपभोक्ता की शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग का गठन किया गया है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण एवं उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए 'नेशनल एक्शन प्लान फौर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रिड्रेसल एंड एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर कार्यवाही कर रहा है। साथ ही उपभोक्ता कल्याण निधि का प्रचलन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उसकी सुरक्षा करना तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सृष्टि बनाना है। उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में गहन कार्य शोध में सहायतार्थ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) में उपभोक्ता अध्ययन कोड (सी.सी.एस.) स्थापित किया गया है। निधि की पहल के रूप से सी.सी.एस., आई.आई.पी.ए. द्वारा इस क्षेत्र में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध संस्थाओं की सलंग्नता को बढ़ावा देने संबंधी योजना का वित्तीयन एवं प्रशासन कर रहा है। जबकि राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने और शिक्षा को बढ़ावा देकर उपभोक्ता कल्याण के संबंध में की गई पहलों पर उपभोक्ता विभाग कार्य कर रहा है।

साथ ही जिला स्तर पर भी जिला उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से एक निश्चित समयावधि में विवादों का निपटारा उचित क्षतिपूर्ति के साथ किया जा रहा है।

इस प्रकार सभी स्तरों पर होने वाली इन कार्यवाहियों से आशा जगती है कि भविष्य में इस दिशा में उपभोक्ता कल्याण के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे एवं उपभोक्ता संरक्षण में और अधिक सफलता मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर - 17 अप्रैल 2017
2. नवदुनिया - 28 जनवरी 2018
3. भारत में उपभोक्ता शिक्षा - प्रो. मधुमुदन त्रिपाठी।
4. <http://newlive.com>

कुपोषण मुक्त भारत - सुझाव

जयंती जोशी *

प्रस्तावना - भारत जैसे विकासशील देशों में मुख्य रूप से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तथा माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की कमी अधिक देखी जाती हैं। कुपोषण की इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हमें समाज में पोषण से संबंधित बढ़ाना एवं फोर्टीफाइड भोज्य पदार्थों के उपयोग के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें महिलाओं को केन्द्र बिन्दु बनाकर पूरे परिवार को इसमें शामिल करना होगा। महिला साक्षरता एवं महिला शिक्षा को बढ़ाना होगा क्योंकि पोषण स्तर को बढ़ाती हैं। इसके लिये हमें निम्नलिखित प्रयास करने होंगे-

1. **संचार सुविधाओं को बढ़ाना** - संचार सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं से अनभिज्ञ रहते हैं तथा उनका का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कुपोषण दूर करने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी सूदुर ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाना।

2. **स्वच्छ पेय जल तथा व्यक्तिगत स्वच्छता की सुविधा** - अधिकांश गांवों में पीने के पानी के स्रोत खुले कुँए, नदी, तालाब आदि होते हैं, जहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है जिससे अनेक संक्रामक बीमारियाँ जैसे डायरिया, टायफाइड, हैजा, पीलियाँ आदि फैलते हैं और कुपोषण का कारण बनते हैं। इसलिए ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जल को स्वच्छ करने की घरेलू विधियों की जानकारी देना आवश्यक है। गांवों को स्वच्छ बनाने के लिये ग्रामीणों को कम लागत में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, पक्की नालियाँ, पशुओं को बांधने के स्थान की स्वच्छता, कचरे का निस्तारण एवं पक्की सड़कों की सुविधा प्रदान करना जिससे उन्हें संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके।

3. **स्तनपान को बढ़ावा देना** - शिशु को जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान प्रारंभ कराने तथा उचित आयु में पूरक पोषक आहार प्रारंभ करने के लाभ के बारे में जागरुकता लाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना क्योंकि भारत में स्तनपान की दर केवल 42 फीसदी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7.7 करोड़ नवजातों को जन्म के एक घण्टे में माँ का दुध नहीं मिलता।

परामर्श के माध्यम से माताओं को स्तनपान के महत्व से अवगत करवाना। National guidelines on infant and young child feeding (IYCF) को नर्सिंग एवं मेडिकल के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला अस्पताल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों को भी (IYCF) के बारे में पूर्ण जानकारी रखना चाहिए।

4. **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन** - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें मुख्य रूप से कुपोषण की समस्या, कम वजन, संक्रामक रोग, स्तनपान, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक महत्व दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में पोषण

जागरुकता के लिए आशा कार्यकर्ताओं को समय-समय पर शिशु व बाल पोषण की जानकारी दी जाये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्तर पर कुपोषण नियंत्रण, सूक्ष्म तत्वों की कमी, आयरन फोलिक एसिड एवं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. **पोषण के प्रति जागरुकता फैलाना** - कुपोषण दूर करने हेतु पोषण से संबंधित जागरुकता अतिआवश्यक है। इस हेतु महिला बाल विकास मंत्रालय, National Nutrition Education Program (NNEP), Food and Nutrition Board (FNB) आदि के द्वारा पोषण जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पोषण शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एवं ए.एन.एम. की होनी चाहिए। अशासकीय संगठनों को भी महिला जागरुकता कार्यक्रम से जुड़कर महिलाओं को परिवार नियोजन, टीकाकरण, स्तनपान, गर्भावस्था देखभाल, शिशु एवं बालकों के पोषण के बारे में प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

पोषण को एक पृथक विषय के रूप में चिकित्सा एवं अन्य मानव शास्त्रीय समूहों में लड़के एवं लड़कियों के लिये स्नातक स्तर तक पोषण शिक्षा को स्थान दिया जाए।

जागरुकता बढ़ाने हेतु समाचार पत्र, रेडियो, टी.वी. पर प्रतिदिन पोषण चर्चा के द्वारा अधिक लोगों तक इससे संबंधित जानकारी प्रसारित की जा सकती है।

- नियमित टीकाकरण में सुधार हेतु प्रयास करना - नियमित टीकाकरण कुपोषण को दूर कर सकता है। बच्चों में संक्रमण से होने वाले रोगों के अधिक फैलाव और टीकाकरण की कम दर के कारण बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के माध्यम से संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों और टीकाकरण की दर बढ़ाने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। यूनिसेफ द्वारा किए गए कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण के आँकड़ों में टीकाकरण कवरेज 43 प्रतिशत हो गया है। इसके लिए निम्न गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए-
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण सेवाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण।
- सुरक्षित टीकाकरण पर जोर
- नियमित टीकाकरण सेवाओं का बाह्य स्रोतों द्वारा सतत मूल्यांकन।
- टीकाकरण वितरण/प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण।
- समस्त जिलों में टीकाकरण के पश्चात होने वाले विपरीत प्रभावों की

समीक्षा हेतु समितियों का गठन।

6. **प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना** - मध्य प्रदेश में 32.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती हैं। खरीदने की क्षमता और भोजन की उपलब्धता दोनों आपस में जुड़े हैं और कुपोषण के महत्वपूर्ण कारण भी हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। यहां हमें दो चीजों में अन्तर समझना होगा, खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है, भूख मिटाने के लिए भोजन की उपलब्धता। जबकि आज कल हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं वह कुपोषण यानि पोषण सुरक्षा का मुद्दा है। पोषण के लिए सिर्फ भोजन मिलना काफी नहीं है, बल्कि भोजन में आवश्यक पोषक तत्व भी होना चाहिए ताकि बच्चों का पूरा विकास हो सके।
7. हितग्राहियों तक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में लागू प्रणाली को सुदृढ़ीकृत करने की आवश्यकता है, जिससे समाज के सभी वंचित समूह जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रवासी, दैनिक मजदूर, वन क्षेत्र एवं अन्य श्रेणी के वंचित परिवारों के बच्चों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके।
8. अभिभावक व माता पिता को परामर्श देना एवं उन्हें पोषण आहार के विषय में जानकारी देना। अभिभावक को चना, मूँगफली, गुड़ व सोयाबीन जैसे विशेष लाभकारी पदार्थों के लाभ के विषय में जागरूक करना।
9. स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी जानकारी का प्रचार प्रसार, महिलाओं को जागृत कर स्वास्थ्य व रोगोपचार संबंधी शिविर लगाए जाएं जिसमें दवाईयां नि:शुल्क वितरित की जाएं।
10. समाज में फैले अंधविश्वास एवं कुरीतियों पर सख्ती से पाबंदी लगाना चाहिए।
11. विशेष अवस्थाओं में महिलाओं के भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसे- गर्भावस्था, धात्रीवस्था, किशोरावस्था।
12. पोषण संबंधित समस्त योजनाओं का सुव्यवस्थित क्रियान्वयन करवाना चाहिए।
13. प्रदेश में कुपोषण की तस्वीर बदलने के लिए गंभीरता से कोशिश करने की जरूरत है। मसलन आईसीडीएस पोषण पीडीएस (आहार) मनरेगा (रोजगार) आदि योजनाओं का उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
14. गोदामों में रखे अनाजों को सड़ने के बजाय जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। कुपोषण की पहचान वाले परिवारों को

जनवितरण प्रणाली एवं मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए।

15. पोषण पुनर्वास केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में उपर्युक्त उपकरण एवं पर्याप्त संख्या में बेड का प्रबंध करना आवश्यक है।
16. बाल विशेषज्ञों की उचित तैनाती पर बल देना क्योंकि प्रदेश में बाल विशेषज्ञों के 50 प्रतिशत पद खाली हैं।
17. शिक्षा की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा पहल किए जाने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही लोग लड़कियों को बालविवाह के दलदल में धकेल देते हैं। फलस्वरूप शारीरिक रूप से अक्षम लड़कियाँ गर्भधारण कर अस्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं जो शीघ्र कुपोषण का शिकार हो जाता है।

मध्यप्रदेश में कुपोषण को दूर करने के हेतु हमें यह मानना पड़ेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये लोगों को सस्ता अनाज मुहैया करने मात्र से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे खाद्य सुरक्षा तो मिलेगी लेकिन वृद्धि बाधित कुपोषण से प्रभावित बच्चों को पोषण की जरूरत है। जैसा की एफ. ए. ओ. ने भी माना है। आदिवासी समुदायों की पोषण सुरक्षा उनके पारंपरिक भोजन से ही सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए उन्हें पारंपरिक भोजन के स्रोत यानी जंगलों पर फिर से अधिकार देने होंगे। अब हमें यह पहल करनी होगी कि आदिवासियों को न सिर्फ जंगलों से खाने की चीजें लाने की छूट दी जाए। बल्कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी स्थानीय भोजन दिया जाए।

कुपोषण की ज्वलंत समस्या से निपटने के प्रति गांधी जी की दूरदृष्टि याद आती है। गांधीजी सोयाबीन को कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन का एक आवश्यक स्रोत मानते थे। यही नहीं उन्होंने मगनवाड़ी के आश्रम में भी इसके सेवन को सुनिश्चित किया था देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर. एस. परोडा ने भी माना कि सरकार को कुपोषण की समस्या के हल के लिए सोयाबीन के उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए।

कुपोषण से लड़ने के लिए हम प्रायोगिक स्तर पर एक ब्लाक या संभाग में सोयाबीन या गेहूँ का मिश्रण या उसका आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित कर इसके सकारात्मक परिणाम का अध्ययन कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नई दुनिया शुक्रवार 5 अगस्त 2016, प्र. क्र. 12
2. सुनीता नारायण, खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा भी जरूरी डाउन टू अर्थनवंबर 2016 पेज 3
3. रब्बी सरकार- डाउन टू अर्थ नवंबर 2016 पेज 39
4. अनुरोध ललित जैन नईदुनिया 01 दिसम्बर 2015 पृष्ठ क्रमांक 06

An Economic Scenario Of Consumer Awareness Amongst Households - (A Statistically Study With Special References Of Etah District In Uttar Pradesh)

Krishna Kant Dwivedi* Rahul Sharma Unnati Gupta*****

Abstract - Consumer¹ considered as an economic agent who consumes goods and services for the satisfaction of his/her wants or he purchased goods and services for satisfaction of his wants. Consumer occupies a pivotal place in the economic activity. The case study considered nexus between consumers' awareness and knowledge to effective consumers' behaviours. The statistically techniques to measured variables comprises of awareness of consumer their behaviours and knowledge also in Etah District. Our findings are in study area, Proper education should be imparted to the households (both literate and illiterate ones) so that all consumers are aware of the recent changes in the market economy.

Key Words - Awareness about the product and its purchasing power, billing, taxes, warranty/guarantee, advertising influences, consumer's right and courts.

Introduction - Consumer¹ awareness refers to the state and a condition which is defines welfare of a consumer. Government of India has passed the Indian Consumer Protection Act, 1986 to protect rights of the consumers.

Therefore, consumer have to be made aware the commercial as well as health aspects of sale and purchase of the consumer towards their rights and duties.

Objective of Study (Main and Sub-Objectives) - The present case study attempts to analyse how much consumers are aware about their rights in Etah district while buying a product in the market as aware about ISI mark, AGMARK, ISO 9002 mark etc. and also aware that the product they purchased like kerosene oil or sugar etc. may be available at the fair price shops regulated by the government? And aware of the fact that they should obtain cash memo against the purchase, also purchased inferior or defective goods, they have the right to lodge the complaint. Are the consumers aware of the consumer's courts for redresses of their grievances and protect their rights?


Study Hypotheses

Null Hypothesis (H0)= There is no significant differences in effectiveness of all consumers aware about their rights while purchasing and consuming in Etah district, hence there is not a complicated series with lack of adequate information, low level of education between rural and urban households.

Alternative Hypothesis (H1)= There is significant differences in effectiveness of all consumers aware about their rights while purchasing and consuming in Etah district, hence there is a complicated series with lack of adequate

information, low level of education between rural and urban households.

**Research Methodology
 Research Framework**



Primary Data collected through - Carrying out physical inspections and observation of the case study area (field surveys), Oral interviews with Questionnaire key informers were also carried out.

Sampling Procedure - The sampling frame (for rural and urban households) consists of a 5-kilometer G.T. Road distance from the Etah² interface. The depth from both sides of the main road is 5-kilometer thus the area under study is approximately 50 square kilometres.

Data Analysis - The data obtained from the study sorted

*Principal, Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, G.T. Road, Etah (U.P.) INDIA

** (Commerce) Saraswati Vidhya Mandir Sr. Sec. School, Etah (U.P.) INDIA

*** Student, 11th Standard, Commerce Stream, Saraswati Vidhya Mandir Sr. Sec. School, Etah (U.P.) INDIA

out, analyzed using descriptive statistics³ and presented using charts, tables and graphs.⁴

Secondary data is through - Electronic data library research conducted by reviewing works related to the area of study. These included information from textbooks, daily newspapers, journals, articles and published and unpublished works.



Special References to help consumers so that they do not get exploited, government had launched Consumer Protection Act, 1986.

Organization, Presentation Analysis and Interpretation of Data - After collecting the data, this data is classified according to the characteristics for further analysis.

Table 1- Information from Rural Households

Parameters of Awareness	Frequency (Refuted+Defend)	Refuted	Defend
Standardised Products	365	243	122
MRP, Mfg. & Expiry Date	312	257	55
Fair Price Shops	308	282	26
Cash Memo	334	312	22
Right to Lodge Complaint	238	217	21
Consumer Courts	143	139	04

(Sources: Data based upon field survey, 2018)





(Figure: Calculation Matrix Graph of Data with Regression and Correlation Analysis)

Table 2- Information from Urban Households

Parameters of Awareness	Frequency (Refuted+Defend)	Refuted	Defend
Standardised Products	365	26	339
MRP, Mfg. & Expiry Date	312	16	296
Fair Price Shops	308	12	296
Cash Memo	334	21	313
Right to Lodge Complaint	238	13	225
Consumer Courts	143	19	124

(Sources: Data based upon field survey, 2018)



(Figure: Calculation Matrix Graph of Data with Regression and Correlation Analysis)

Table 3: Summary table on Consumer Awareness about Rural Households

Parameters of Awareness	Frequency (Refuted+Defend)	Refuted (%)	Defend (%)
Standardised Products	365	66.58	33.42
MRP, Mfg. & Expiry Date	312	82.37	17.62
Fair Price Shops	308	91.55	8.45
Cash Memo	334	93.41	6.59
Right to Lodge Complaint	238	91.18	8.82
Consumer Courts	143	97.20	2.78

(Sources: Data based upon field survey, 2018)

Table 4: Summary table on Consumer Awareness about Urban Households

Parameters of Awareness	Frequency (Refuted+ Defend)	Refuted (%)	Defend (%)
Standardised Products	365	7.123	92.876
MRP, Mfg. & Expiry Date	312	5.128	94.871
Fair Price Shops	308	3.896	96.103
Cash Memo	334	6.287	93.712
Right to Lodge Complaint	238	5.462	94.537
Consumer Courts	143	13.286	86.713

(Sources: Data based upon field survey, 2018)

Testing of Hypotheses

Chi-Square tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2_sided)
Pearson Chi-Square	8.015	16	0.948
Likelihood Ratio	11.176	16	0.798
N of Valid Cases	365 ⁵		

According to the table of chi-square this clarifies that 0.948 percentages Asymp. Sig. level of (16 degree of freedom) on X^2 the table value (7.962) is but the X^2 presented value is (8.014). With the compression it table value and presented value analysis that both attributes is not in with freedom but it is correlated with each other. In the analysis of its, $X^2_c = 8.014$ and $X^2_t = 7.962$, the value of presented and table value $X^2_c > X^2_t$ so that null hypotheses is rejected i.e. **H0: and accepted H1.**

Critically Interpretation of Data⁶ amongst Rural and Urban households (with Specially References of Etah District)

1. There is lack of consumer awareness among rural households whereas urban households show a greater degree of consumer awareness. Lack of education is the obvious cause of the awareness among rural households.
2. Most of rural households don't insist on obtaining a bill of their purchases process and it may be due to the fact that they either are not aware of the importance of a bill or they do not buy from the organised markets.
3. The urban households are mostly aware of their rights whereas rural ones are not and also they are prone to exploitation by the shopkeepers.
4. The ratio of consumer awareness in urban households overall is greater than rural households.
5. They are certain areas like cross checking the quantity and warranty of the products, where the urban households show relatively greater awareness. Reason being, they want to make rational use of their limited income.
6. Media is playing an important role in updating consumer awareness among the urban households. Rural ones do not check these due to their ignorance.

Conclusion and Recommendations - The main objectives of this case study research to investigate determinants of

awareness of consumes in the rural and urban area of Etah District in Utter Pradesh, with view of recommending appropriate management framework to create awareness among all the consumers.

1. Proper education should be imparted to the households (both Urban and Rural ones) so that they are aware of the recent changes in the market economy.
2. Seminars, debates may be held at the school level, college level and university level to make the consumers aware.
3. Such programmes should be held at public places to make consumers aware of their rights.
4. Consumer awareness can be spread by keeping the rural and the urban households informed about their duties and rights. The procedure to approach the consumer courts in case of need should be made clear to them.
5. Consumers should be encouraged to check MRP, manufacturing date and expiry date before purchasing a product.
6. Consumers should ask for the bill or cash memo so they don't face any problems in the future.
7. Information about the various taxes which are levied on the product, should be made clear to the consumers so that they know how much to pay in total.

Footnote :-

1. 'Consumer' means a natural person who buys goods and services for his personal or family Consumption, where the price is being paid by him or another person and not for manufacture or resale (*Trade Competition and Consumer Protection Proclamation No..813/2014, article 2 (4)*).
2. Etah (located at 27.63°N 78.67°E) is a municipality town which is also the district headquarters of Etah district of Uttar Pradesh state, India. The driving distance from New Delhi to Etah is 207 km and it takes approximately 4 hours by public transport to reach there. It is 82-kilometer from Agra, which is one hour and 33 minutes by road. Etah District is part of the Aligarh Division. The primary occupation of the people of the district is agriculture. The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Etah district for 2011 is 717 people per km². In 2001, Etah district density was at 636 people per km. Etah urban agglomeration had a population of 131,023, out of which males were 69,446 and females were 61,577. The literacy rate was 85.62 per cent, Opening of railway line by the first president Rajendra Prasad. The water for irrigation is available the year round. Major agricultural products are rice, wheat, barley, jowar, bajra, maize; the soil is suitable for the cultivation of tobacco.
3. To achieve the object of study helped to calculate measures of central tendency (mean, median and mode), measures of dispersion (mean deviation,

- standard deviation) or correlation.
4. This is because the study is descriptive and qualitative in nature. Basically, the key objective of this would be showing the factors influencing the awareness of consumer.
 5. In the selection of samples of population chosen the area of research which is Etah District it divided in to 365 respondents it's a combined results with the same of Hypothesis , evidenced of results we can concluded that there are most of complicated series between the rural and urban households. There is a general lack of consumer awareness among rural households about the standardised product while urban households show a high degree of consumer awareness about it. Illiteracy among rural households perhaps may be the principal cause. Urban households are more conscious

- about checking MRP, Mfg. And Expiry date than the rural households. Rural households have more awareness about fair price shops than urban households. Urban households are slightly aware about the cash memo whereas rural households are totally ignorant about this. Urban households are aware about lodging complaint to the seller than rural households. Rural households are totally not aware about the consumer courts for filing a case. But, the urban households are aware about the consumer courts.
6. It refers to the preparing a project report of the data collected to conduct the statistical investigation. This steps given us the conclusion our study. Interpretation of statistical investigation means drawing conclusion from data collected. Interpretation of data helps to achieve the objectives of the case study.

Customer Satisfaction towards KFC Restaurant chain in Gwalior city - An Analytical Study

Dr. Rajesh Jain*

Abstract - KFC, also known as Kentucky Fried Chicken, is an American fast food restaurant chain that specializes in fried chicken. Headquartered in Louisville, Kentucky, it is the world's second-largest restaurant chain (as measured by sales) after McDonald's, with almost 20,000 locations globally in 123 countries and territories as of December 2015. The chain is a subsidiary of Yum! Brands, a restaurant company that also owns the Pizza Hut, Taco Bell, and Wing Street chains.. The main objectives of this research paper to identify the factors that influences the decisions of consumers Preference towards restaurant & to examine the consumption pattern in restaurant. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in Gwalior. Sample size of 250 respondents in the age group 18 to 25 year and more than 40 year above will be taken for the survey. Out of all the respondent 73% are male and 27% are female. Out of all the respondent 46.1% are comes under once a week, 22.5% are more than once a week, 16.9% once a month, and 14.6 % comes in very rare. There is association customer satisfaction across the gender & the income. This research aims to provide a better understanding of the consumer decision-making process for restaurants in India.

Key Words - KFC , influences, consumption, respondent, Sample size.

Introduction - KFC, also known as Kentucky Fried Chicken, is an American fast food restaurant chain that specializes in fried chicken. Headquartered in Louisville, Kentucky, it is the world's second-largest restaurant chain (as measured by sales) after McDonald's, with almost 20,000 locations globally in 123 countries and territories as of December 2015. The chain is a subsidiary of Yum! Brands, a restaurant company that also owns the Pizza Hut, Taco Bell, and Wing Street chains. KFC's original product is pressure fried chicken pieces, seasoned with Sanders' recipe of 11 herbs and spices. The constituents of the recipe represent a notable trade secret. Larger portions of fried chicken are served in a cardboard "bucket", which has become a well known feature of the chain since it was first introduced.

Research Objectives -

1. To identify the factors that influences the decisions of consumers Preference towards restaurant.
2. To determine the most important factors that affect consumers' choice and satisfaction towards restaurant.
3. To examine the consumption pattern in restaurant
4. To study the opinion about the service in restaurant.

Research Methodology - The research is based on primary and secondary data collection methods and the research type is descriptive. A structured questionnaire will be designed to gather information for primary data and, for secondary data-internet, books and websites previous dissertations/research papers/marketing journals/

magazines/text etc will be used. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in Gwalior. It will involve gathering of information from the customers who visit at KFC restaurant. Convenience sampling method will be used to get the responses from target population. Sample size of 250 (working and non working) respondents in the age group 18 to 25 year and more than 40 year above will be taken for the survey. To do the research following statistical tools will be used: percentage analysis, Rank analysis, Chi-square analysis, T-test.

Hypothesis -

1. H1- HA: There is association between Items preferred in Restaurant across Gender.
2. H2-HA: There is no association between Items preferred in Restaurant across Income.
3. H3- HA: There is no association between Customer satisfactions across the Gender
4. H4- HA: There is no association between Customer satisfactions across the Income.

Research Contribution - This research aims to provide a better understanding of the consumer decision-making process for restaurants in India. Understanding restaurant choice behavior can assist restaurant marketers and practitioners when they develop marketing strategies and enable them to select the most salient attributes to attract and retain customers. Furthermore, a theoretical model of restaurant selection behavior in India developed in this study

will help to provide a useful framework for future research regarding consumer behavior in the restaurant industry.

Review of Literature - Previous studies on consumer behavior in the restaurant context have identified a number of factors that consumers consider important in their restaurant selection. Auty (2010) identified the choice factors in the restaurant decision process based on four occasions: a celebration, social occasion, convenience/ quick meal, and business Meal. Food type, food quality and value for money were found as the most important Choice variables for consumers when choosing a restaurant. The Kevel's (2006) results Showed that the relative importance of the restaurant choice factors differed considerably by restaurant type, dining occasion, age, and occupation. The studies of consumer behavior in ethnic restaurants are relatively limited. Previous ethnic restaurant studies have focused on consumers' perceptions and attitudes or on a particular cuisine.

Analysis and Discussion - In the data analysis there is classification and Frequency of different demographic profile like as "Gender and Income statement. Chi-square test, T- test, as help to understand the relation between different demographic factors, customer preference and satisfaction. from the cross tabulation of different factors I make the relation then apply the chi-square test on the basis of the test result we come to know the Association or No association among different factors.

Table 1 (See in the last page)

Interpretation - From above Table, it is being Interpreted that the -

- Mean value for food is served hot and fresh is 1.34
- Mean value for the menu has a good variety of item is 1.84
- Mean value for the quality of food is excellent is 1.64
- Mean value for the order is taken correctly and there were no discrepancies while serving the item is 11.73

(A) Chi-Square Test Item Preferred In Restaurant Across The Demographical Factor

Hypothesis 1

Ho : There is no association between Gender and Item preferred in restaurant

HA : There is association between Gender and Item preferred in restaurant.

Table 2 (See in the page)

Hypothesis 2

Ho : There is association between Income and Item preferred in restaurant

HA : There is no association between Income and Item preferred in restaurant

Table 3 (See in the page)

(A) Ranking of factor for preferring a particular restaurant

Table 4 (See in the page)

(A) T-Test For Analyzing The Customer Satisfaction Across The Gender

Hypothesis 3 -

Ho : There is association between Customer satisfactions across the Gender

HA : There is no association between Customer satisfactions across the Gender

Table 5 (See in the page)

Hypothesis 4

Ho : There is association between Customer Satisfactions across the Income

HA : There is no association between Customer Satisfaction across the Income

Table 6 (See in the page)

Results and Findings -

- Out of all the respondent 73% are male and 27% are female
- Out of all the respondent 68.53% comes under less than 30000 Rs., 19.1% are 30000-40000 and 12.35 % comes under over 40000 Rs.
- Out of all the respondent 46.1% are comes under once a week, 22.5% are more than once a week, 16.9% once a month, and 14.6 % comes in very rare
- Out of all respondent 36% are vegetarian, 29.2% Non vegetarian and 34.8% are come under both. Out of all the respondent 4.5% are goes for Breakfast, 28.1% Lunch and 67.4% Dinner. Out of all the responded 6% Respondent willing to pay 100-200, 23% 300-500, 40% 600-800 and 31% comes in more than 800.
- There is no association item preferred in restaurant across the gender.
- There is association item preferred in restaurant across the income.
- There is association customer satisfaction across the gender & the income.

Conclusion - It is evident from the study that majority of the consumer have visited different restaurant at different times. So the restaurant owner has to take steps to retain the customer and make them a permanent customer. Majority of respondent came to know about the restaurant through their friends .and restaurant advertise in local media news paper, magazines to attract more customer. From the study majority of people are male who visit to restaurant ,and mostly are youngster , their qualification are post graduate income level of respondent is good they mostly visited in restaurant in a week and from the data majority of people like to non-vegetarian and around 67% are go for heavy meals its show the majority of people who visit have to take heavy meals Quality and taste are the two major factor consider by the respondent in selecting a restaurant, so the restaurant owner, should not compromise on these aspect at any cost.

References :-

1. India: Reed. Burton, S. (2013). The framing of purchase for services. The Journal of Services Marketing, 4(4), 55-66. Cadotte, E. R. & Turgeon, N. (2010). Key factors in guest satisfaction. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 28(4), 44-51.
2. Bailey,R., & Earle, M (2011). Home cooking to

- takeaways: Changes in food consumption in India during 1880-1990. Palmerston North, India : Massey University
3. American Academy of Business, 2(1), 58-65. BenAkiva, M., & Lerman, S. R. (2014). Discrete choice analysis: Theory and application to travel demand. Cambridge: MIT press.
 4. <https://www.b2binternational.com/publications/customer-satisfaction-survey>
 5. <https://www.retail-week.com>
 6. www.smartinsights.com/goal-setting.../customer...
 7. <https://www.getfeedback.com/examples/customer-satisfaction>
 8. www.indiacom.com/yellow-pages/restaurants/gwalior
 9. <https://www.zomato.com> › Gwalior
 10. <https://www.tripadvisor.com> › Asia › India.

Table 1 - Mean value among different measures

Statement	SA	A	N	D	SD	M	St. D
Food is served hot and fresh	61	25	3	—	—	1.34	0.55
The menu has a good variety of item	26	55	5	2	1	1.84	0.72
The quality of food is excellent	42	39	6	2	—	1.64	0.71
The order is taken correctly and there were no discrepancies while serving the item	38	40	8	3	2	1.73	0.77

Table 2

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	15.44	2	0.0004
Likelihood Ratio	16.47	2	0.0002
Linear-by-Linear Association	15.02	1	0.0001
N of Valid Cases	89	—	—

Inference: The above HO : is Rejected (chi-square with 4 degree of freedom=15.44, p=.0004). There is no association Item preferred in restaurant across the Gender.

Table 3

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	7.88	4	0.095
Likelihood Ratio	8.46	4	0.075
Linear-by-Linear Association	2.83	1	0.092
N of Valid Cases	89	—	—

Inference - The above HO : is accepted. (Chi Square with 4 degree of freedom=7.88, p= 0.095). There is association Item preferred in restaurant across the Income

Table 4

Serial No	1	2	3	4	5	6	7	8	WAS	Rank
Factor	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	—	—
Quality	46	10	8	6	11	2	1	5	6.44	1
Rates	6	26	16	21	9	3	5	3	5.49	2
Variety in the menu	2	6	16	4	9	24	12	16	3.61	6
Cleanliness	3	15	21	20	12	7	8	3	4.93	5
Location	13	13	10	19	18	8	6	2	5.16	4
Good taste	19	15	8	10	14	12	9	2	5.25	3

Inference - The Table 4 gives the distribution of the respondent according to the ranking of the factor for preference towards a particular restaurant....The food quality was ranked 1st ,2nd for rates, 3rd for good taste, 4th for location, 5th for cleanliness, 6th for variety in the menu.




Table 5

Levine's Test for Equality of Variance s t-test for Equality of Means

	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	5.02	0.02	1.48	87	0.14

Inference : The above HO : is Accepted, ($p=0.14 > .05$, $t= 1.48$). There is association Customer satisfaction across the Gender.

Table 6

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.94	18	0.33	0.608	0.88
Within Groups	37.97	70	0.54	—	—
Total	43.91	88	—	—	—

Inference : The above HO : is Accepted ($p=0.88 > .05$, $f=0.608$) There is association Customer Satisfaction across the Income

A Case Study Of Financial Performnce Of ICICI Bank Post Merger Of Bank Of Rajasthan

Dr. Narendra Marwada *

Abstract - ICICI bank and bank of Rajasthan merger is the 7th voluntary merger in Indian Banking Sector u/s 44A of banking regulation Act 1949. The research study intends to analysis the financial aspects and performance changes of ICICI Bank Ltd. Post merger with the Bank of Rajasthan. The present paper focuses on the study of various profitability aspects of the acquirer bank using research tools like profitability ratio and student t test. A total of 16 years data have been used for the purpose which comprises 8 years pre- merger data and 8 years post merger data. The study is based on secondary data and the conclusion of the present case study is that there is no significant improvement in the financial performance of the bank.

Introduction - In the present age of competition only those business entities can survive and progress which are financially sound and have competitive market strategies. Mergers are one of the commonly used strategies by entities to survive the market competition. When two or more firms of same or different product or service line carry business together in future is what we call a merger. Merger activities are full of research work which has a great scope of exploration. Mergers help to overcome the weakness of smaller firms and make them financially sound and strategically better to survive the market competition. Wisser combination can have great result. On the other hand, sometimes this combination may be having ill effects as well. Here, the main focus of the research study is to discuss the impact of merger in banking sector with the case study of ICICI Bank with the Bank of Rajasthan. Industrial credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) was founded by World Bank, government of India and representations of private industry on 5th Jan 1995. ICICI bank merged with Bank of Rajasthan on August 12, 2010. The main focus of the study is to emphasis the post merger financial performance and changes in ICICI bank. The aim of this study to provide a critical analysis of the pre- merger financial performance compared with post merger financial effect after acquiring huge assets of bank of Rajasthan.

Review of Literature - Review of literature always plays a very important role in every research study and that's why it may be treated as the backbone of the research. Through review of literature researcher can explore and generate new ideas on their concerned topic and can make a strong base for successful research study. Historically, merger and acquisition activity started from 1920 when Imperial Bank of India was born when three presidency banks (Bank of

Bengal, Bank of Bombay, and Bank of Madras) were consolidated to single Banking entity, it is now known as State Bank of India.

Yadav Anil Kumar (2017) in his study concludes that banks can expand their operations, serve large customer base, increase profitability and efficiency but the overall growth and financial illness of the bank cannot be solved through mergers. Malik Faizen (2017) found in his study that capital adequacy, resource management, management capabilities and liquidity have no significant effects on bank's performance but assets quality, earning capacity has significant effect on bank performance. Tamragundi A.N. & Devarajappa S. (2016) concludes that, Mergers can help commercial banks to achieve physical performance. While the analysis of financial performance of merged banks yields mixed results, the results indicates that, a significant improvement in Assets Quality, Management Efficiency, Earnings quality and liquidity of the selected banks and Capital Adequacy of Public sector banks did not indicate improvements. K.P. Veena & Patti S. N. (2016) stated in their research that post merger performance standards are better as compared to pre-merger performance standard in case of ICICI Ltd which acquired Bank of Rajasthan. Prashanta Athma (2016) printed in her research paper that pre merger and post merger productivity ratios have increased after merger of SBI and HDFC bank. Singh Gurbaksh and Gupta Sunil (2015) in their study of mergers and acquisitions on productivity and profitability of consolidation baking sectors in India concluded that the banks have positive effects when distinguished between post and pre merger. Singh Simranjeet (2015) on the basis of his analytical study concluded that some profitability standards of ICICI bank have significantly changed post merger while the other half ratio have no significant effect.

Kushwah Rahul (2015) restricts his study to sample of seven banks and found that the banks augmented their performance once the merger event takes place. Gupta Shaveta, Bagga Rajesh (2013) examines that the stock prices react significantly in shorter period but not in long period which means stock market is efficient in long run which are affected by merger. Devarajappa's (2012) found in his research that pre merger and post merger status of banks are positively affected by event of merger. Krishnamuthy Ravichandran, Rasidah Mohd-Said (2010) found that total advance to deposits and the profitability both parameters are affected by merger of banking institutions. M Jadev & Rudr Sensarma (2007) supported the view of the need for large banks by arguing that imminent challenges to banks such as those posed by full convertibility, Basel-II environment, financial inclusion, and need for large investment banks are the primary factors for driving further consolidation in the banking sector in India and other Asian economies.

Research Methodology -

- **Scope of Study** -The study is done widely. A convenience sampling techniques and methods were used for this purpose. It covers the areas of profitability, earning per share and liquidity between different sections of ICICI Bank and operational efficiency of the concerns.
- **Objective of Research Study** - The main objective of the study is to assess the impact of merger & acquisition on ICICI Bank profitability after merger of bank of Rajasthan.
- **Research Hypothesis** - There is no significant impact on profitability after merger of Bank of Rajasthan in ICICI Bank.
- **Data Collection** - The study is fully based on annual report of ICICI bank and banks websites data.
- **Tools and Techniques** - Tools like Ratio analysis and student "t" test have been applied to evaluate and analysis the financial performance post merger.

Data analysis and Interpretation

Table 1 (See in the last page)

Table 2 (See in the last page)

Table 3 (See in the last page)

Data Interpretation - As seen in the above tables that pre-merger data of eight years i.e. from 2002 to 2010 and post merger data of eight years i.e. from 2011 to 2018 have been taken for analysis. Various profitability ratios have been calculated for the purpose and further t test have been applied to derive results of the research. The result of the test shows that there is a greater in net profits ratio and interest spreads ration only and the same cannot be seen in other ratio.

Conclusion - The critical analysis of the data concludes that no significant growth or improvement is seen in financial

performance of the acquirer bank except Net profit ratio and interest spread ratio.

References :-

1. Yadav Anil Kumar, 2017, "Impact of mergers on Indian Banking Sector: A Comparative Study Of Public and Private Sector Merged Banks", KAAV International Journal Of Economics Commerce and Business Management, vol 4, pp. 480-496.
2. Malik Faizan, 2017, "Mergers and Acquisition: Analysis of Banking Sector of Pakistan", American Scientific Publishers, vol 23, pp. 8947-8950(4).
3. Tamragundi A.N. & Devarajappa, 2016, "Impact of Mergers on Indian Banking Sectors: A comparative study of Public and Private Sector merged banks", Acme Intellects International Journal of Research in Management, Social Sciences & Technology, vol 13.
4. Veena K.P. & Patti S.N. 2016, "Financial performance of pre and post merger in banking sector: A study with reference to ICICI Bank Ltd.", International Journal of Management, vol 7, pp. 240-249.
5. Athma Prashanta, 2016, "Mergers in banking sector in India: An analysis of pre and post merger performance of SBI and HDFC Bank, IOSR Journal of business and Management, pp.07-16.
6. Singh Gurbkash & Gupta Sunil, 2015, "An impact of mergers and acquisitions of Productivity and Profitability of consolidation banking sector in India", Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology, vol.4, issue 9.
7. Singh Simranjeet, 2015, "Mergers in service sectors: Post merger financial analysis of ICICI bank", International Journal of applied research, pp.485-488.
8. Kushwah Rahul, 2015, "An analytical study- mergers and acquisition of banks in India, International Journal of scientific research and Management, vol.3, pp.2143-2148.
9. Gupta Shaveta and Bagga Rajesh, 2013, "A Wave of Mergers and Acquisitions: Are Indian Banks Going Up a Blind Alley?", Global Business Review, ISSN:0972-1509
10. Sensarma Rudra, & Jyadev M, 2012, "Mergers in Indian banking: An Analysis", Indian Institute of Banking and Finance.
11. Ravichandran K. & rasidah mohd-said, 2010 "Market based mergers in Indian banking Institutions", International Research Journal of Finance and Economics, issue 37, ISSN 1450-2887.

Web References :-

1. www.icicibank.com
2. www.moneycontrol.com
3. www.nseindia.com

Table 1
(Financial Ratio of ICICI Bank from 2011-2018)

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
RATIO					YEAR			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INTEREST SPREAD	6.95	7.45	7.82	7.35	7.04	6.83	6.58	6.43
ADJUSTED CASH MARGIN	17.51	17.02	18.2	19.02	19.31	15.31	14.33	10.44
OPERATING PROFIT PER SHARE	25.78	29.59	46.36	58.45	14.15	15.89	13.29	13.91
NET OPERATING PROFIT PER SHARE	226.05	291.23	347.66	382.97	84.68	90.7	92.98	94.37
NET PROFIT	19.83	19.27	20.77	22.2	22.76	18.44	18.09	12.33
RETURN ON LONG TERM FUND	43.05	52.33	56.37	56.92	57.03	50.29	46.54	38.54
RETURN ON NET WORTH	9.35	10.7	12.48	13.4	13.89	11.19	10.11	6.63




Table 2
(Financial Ratio of ICICI Bank from 2002-2009)

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
RATIO					YEAR			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
INTEREST SPREAD	0.15	2.77	3.76	3.56	2.67	3.43	3.51	3.66
ADJUSTED CASH MARGIN	12.16	24.86	21.41	20.15	21.97	19.81	18.64	21.17
OPERATING PROFIT PER SHARE	27.31	14.4	34.06	36.37	36.75	42.19	51.29	48.58
NET OPERATING PROFIT PER SHARE	122.99	19.1	187.9	160.69	196.87	316.45	354.71	343.59
NET PROFIT	9.53	10.35	41.21	16.93	14.49	10.92	10.53	9.82
RETURN ON LONG TERM FUND	31.03	138.01	111.29	69.6	59.76	91.21	68.1	64.24
RETURN ON NET WORTH	4.41	17.39	20.43	15.97	11.43	12.79	8.94	7.58




Table 3
(t test analysis)

Column1	Before Average	After Average	T state	P-Value
INTEREST SPREAD	2.94	7.06	9.24	0.00
ADJUSTED CASH MARGIN	20.02	16.39	-2.16	0.07
OPERATING PROFIT PER SHARE	36.37	27.18	-0.37	0.32
NET OPERATING PROFIT PER SHARE	212.79	201.33	-0.69	0.89
NET PROFIT	15.47	19.21	1.05	0.33
RETURN ON LONG TERM FUND	79.16	50.13	-2.65	0.03
RETURN ON NET WORTH	12.37	10.97	-0.90	0.40

Non-Performing Assets In Banks In India

Dr. Sushma Maheshwari *

Abstract - In the changed milieu, every banking organisation tries to utilize its resources in the most efficient and effective way. In India NPA are one of the major concerns for banks. NPAs are an inevitable burden on the banking industry. Effective NPA management is a real challenge today and the entire staff members need to be sensitized to the urgency of task on hand. RBI has been insisting on banks to utilize various measures on recovery of bad loans and strengthen due diligence. An obvious research anxiety should be the assessment of control over major clients may be held responsible for concentration of account holder declared as NPAs. It is due to lack of proper and timely reporting and insufficient security of pledge or mortgage documents and assets, etc. by the responsible managers. The magnitude of NPA is comparatively higher in public sector banks than private sector banks. Generally reduction in NPAs shows that banks have strengthened their credit appraisal processes over the years and increased in NPAs shows the necessity of provisions, which bring down the overall profitability of banks.

Introduction - A loan or lease that is not meeting its stated principal and interest payments, is called non performing asset. Banks usually classify as nonperforming assets any commercial loans which are more than 90 days overdue and any consumer loans which are more than 180 days overdue. More generally, an asset which is not producing income is non performing asset.

Causes for Non Performing Assets in public sector banks - A strong banking sector is important for a flourishing economy. The failure of the banking sector may have an adverse impact on other sectors. The Indian banking system, which was operating in a closed economy, now faces the challenges of an open economy.

On one hand a protected environment ensured that banks never needed to develop sophisticated treasury operations and Asset Liability Management skills. On the other hand a combination of directed lending and social banking relegated profitability and competitiveness to the background. The net result was unsustainable NPAs and consequently a higher effective cost of banking services.

One of the main causes of NPAs into banking sector is the directed loans system under which commercial banks are required a prescribed percentage of their credit (40%) to priority sectors. As of today nearly 7 percent of Gross NPAs are locked up in 'hard-core' doubtful and loss assets, accumulated over the years.

(i) The problem India Faces is not lack of strict prudential norms but the legal impediments and time consuming nature of asset disposal proposal.

(ii) Postponement of problem in order to show higher

earnings.

(iii) Manipulation of debtors using political influence.

Macro Perspective behind NPAs - A lot of practical problems have been found in Indian banks, especially in public sector banks. For Example, the government of India had given a massive waiver of Rs. 15,000 Crs. under the Prime Minister ship of Mr. V.P. Singh, for rural debt during 1989-90. This was not a unique incident in India and left a negative impression on the payer of the loan.

Poverty elevation programs like IRDP, RREP, SUME, SEPUP, JRY, PMRY etc., failed on various grounds in meeting their objectives. The huge amount of loan granted under these schemes was totally unrecoverable by banks due to political manipulation, misuse of funds and non-reliability of target audience of these sections. Loans given by banks are their assets and as the repayment of several of the loans was poor, the qualities of these assets were steadily deteriorating. Credit allocation became 'Lon Melas', loan proposal evaluations were slack and as a result repayments were very poor.

There are several reasons for an account becoming NPA.

- Internal factors
- External factors.

Internal factors -

1. Funds borrowed for a particular purpose but not use for the said purpose.
2. Project not completed in time.
3. Poor recovery of receivables.
4. Excess capacities created on non-economic costs.
5. In-ability of the corporate to raise capital through the

issue of equity or other debt instrument from capital markets.

6. Business failures.
7. Diversion of funds for expansion/modernization/setting up new projects/ helping or promoting sister concerns.
8. Willful defaults, siphoning of funds, fraud, disputes, management disputes, mis-appropriation etc.,
9. Deficiencies on the part of the banks viz. in credit appraisal, monitoring and follow-ups, delay in settlement of payments/ subsidiaries by government bodies etc.,

External factors -

1. Sluggish legal system – Long legal tangles Changes that had taken place in labour laws Lack of sincere effort.
2. Scarcity of raw material, power and other resources.
3. Industrial recession.
4. Shortage of raw material, raw material/input price escalation, power shortage, industrial recession, excess capacity, natural calamities like floods, accidents.
5. Failures, non payment/ over dues in other countries, recession in other countries, externalization problems, adverse exchange rates etc.
6. Government policies like excise duty changes, Import duty changes etc.,

Final Analysis - The future picture of Commercial banks is so the public sector banks seem to be rosy. As the Trend Line suggests that the NPAs of public sector banks will decline marginally both in terms of Gross and Net figures over next three years. This may be due to higher provisions, which the public sector banks have been providing. The real issue to be identified is though the NPAs, as a percentage seems to be declining over the years but the absolute figures seem to be increasing. In this vein it would be interesting to see the NPAs both in terms of absolute figures and in terms of percentage of public sector banks in the coming three years. A strong banking sector is important for a flourishing economy. The failure of the banking sector may have an adverse impact on other sectors. Over the years, much has been talked about NPAs and the emphasis so far has been only on identification and quantification of NPAs rather than on ways to reduce and upgrade them.

There is also a general perception that the prescription of 40% of net bank credit to priority sectors have led to higher NPAs, due to credit to these sectors becoming sticky. Managers of rural and semi-urban branches generally sanction these loans. In the changed context of new prudential norms and emphasis on quality lending and profitability, managers should make it amply clear to potential borrowers that banks resources are scarce and these are meant to finance viable ventures so that these are repaid on time and relevant to other needy borrowers for improving the economic lot of maximum number of households. Hence, selection of right borrowers, viable economic activity, adequate finance and timely

disbursement, correct end use of funds and timely recovery of loans is absolutely necessary pre conditions for preventing or minimizing the incidence of new NPAs.

However, banks are yet another sector where the rot has already set in It is high time to take stringent measures to curb NPAs and see to it that the Non-Performing Assets may not turn banks into Non-Performing Banks: instead steps should be taken to covert Non-Performing Assets into Now-Performing Assets.

Findings and Suggestions -

- Banks made pre-sanction ad post sanction inspection on a regular basis in order to ensure the proper utilization of the assets required, so as to see that the expected income generation is there, for prompt repayment of installments.
- In each bank a special NPA recovery cell is created to formulate policies and strategies of loan recovery of each tier of the organizational hierarchy. The recovery cases are referred to the recovery tribunals, if non-legal methods fail to bear fruit.
- For repayment of loan timely, banks held regular recovery camps/meetings. Banks are also encouraging acquisition of sick unit by the healthy units, wherever they see it may reduce the NPA's.
- All the banks fixed their targets to the field functionaries not only for the implementation of the schemes but also recovery of the loans given in earlier years.
- To minimize the chances of a loan becoming NPA, the viability of the proposal investigated very deeply this demands up-gradation of skills of the appraisers.
- If payment schedule is not according to the convenience of the borrower, re-phasing the loan installment is consultation with the borrower.
- Bank must made plans and policies for increasing loans from which profitability increased and goodwill of a bank also increased.
- Bank should give after sale service to customers and arrange camps for increments in it. Customers who paid loan timely, bank should motivate them from giving any type of rebates. Otherwise it will very harmful for bank in future.
- If NPA are increasing at the time of giving loans, bank must confirm the customer ID, Address, PAN Card Number, aim of taking loan and its repaying capacity of loan. Loan will be given to any person to the extent of 20% of his salary amount or 50% of total income yearly according to the Income Tax Assessment. From these types of considerations, NPA may be decreased, if NPA's always under 5% of total loan amount which indicates loan portfolio of bank is not good and if NPA's are equal or above from 10% of total loan amount, this indicate poor portfolio of bank in banking industry and effect the goodwill negatively.
- Banks should determine the individual goals for branch managers for fast realization of distributed loan and

nonperforming assets.

- The increased level of NPA was due to higher level of non-performing assets in the retail assets portfolio.
- In making strategies for loan policies the bank should develop policies for rural, domestic corporate, SMEs, as these all are very low share in total loan book.
- For resolving the NPA's problems, the bank has setup specialized branches known as Asset Recovering Management branches (12) and specialized cells known as Special Asset Recovery Cells (50).

References:-

1. Bidani, S.N. -Managing NPA-in Banks 2002, Vision Books Pvt Ltd. New Delhi.
2. Jain, S.C.-Management of Non-Performing Assets in Bank 2005, RBSA Publishers, New Delhi.
3. Jain, V. -Non-Performing Assets in Commercial Banks, 2007, Regal Publication, New Delhi.
4. Kothari, V.-Securitisation, 2005, Nadhwa and Company, New Delhi.
5. Malik, P.K.-Securitisation of Financial Assets, 2008 Regal Publication, New Delhi.
6. Chandrashekhar C.P. and Ghosh J. (2004), Bank Recovery and Rural Sector, The Hindu Business Line.
7. Dr. Shete N.B. (2002), Non-Performing Advances of Commercial Banks an Overview, National Institute of Bank Management, Pune.
8. Prasad G. V. B. & Veena D. (2011). "NPAs in Indian Banking sector trends and issues," Volume 1, Issue 9.
9. Rajaraman I. & Vashista G. (2002). 'Non-Performing Loans of Indian Public Sector Banks – Some Panel Results', Economic & Political Weekly

An Analytical Study of Customer Satisfaction towards McDonald's Food Chain in Guna Region

Dr. Rajesh Jain *

Abstract - McDonald's is an American fast food company, founded in 1940 as a restaurant operated by Richard and Maurice McDonald, in San Bernardino, California, United States. They rechristened their business as a hamburger stand. McDonald's is the world's largest restaurant chain by revenue serving over 69 million customers daily in over 100 countries across approximately 36,900 outlets as of 2016. Although McDonald's is known for its hamburgers, they also sell cheeseburgers, chicken products, French fries, breakfast items, soft drinks, milkshakes, wraps, and desserts. The main objectives of this research paper to identify the factors that influences the decisions of consumers Preference towards restaurant & to examine the consumption pattern in restaurant. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in Guna. Sample size of 350 respondents in the age group 18 to 25 year and more than 40 year above will be taken for the survey. Out of all the respondent 80% are male and 20% are female. Out of all the respondent 43% are comes under once a week, 17% are more than once a week, 20.5% once a month, and 19.5% comes in very rare. There is association customer satisfaction across the gender & the income. This research aims to provide a better understanding of the consumer decision-making process for restaurants in India.

Key Words - McDonald , influences, consumption, respondent, Sample size.

Introduction - McDonald's is an American fast food company, founded in 1940 as a restaurant operated by Richard and Maurice McDonald, in San Bernardino, California, United States. They rechristened their business as a hamburger stand. The first time a McDonald's franchise used the Golden Arches logo was in 1953 at a location in Phoenix, Arizona. In 1955, Ray Kroc, a businessman, joined the company as a franchise agent and proceeded to purchase the chain from the McDonald brothers. McDonald's had its original headquarters in Oak Brook, Illinois, but moved its global headquarters to Chicago in early 2018. McDonald's is the world's largest restaurant chain by revenue, serving over 69 million customers daily in over 100 countries across approximately 36,900 outlets as of 2016. Although McDonald's is known for its hamburgers, they also sell cheeseburgers, chicken products, french fries, breakfast items, soft drinks, milkshakes, wraps, and desserts. In response to changing consumer tastes and a negative backlash because of the unhealthiness of their food,^[10] the company has added to its menu salads, fish, smoothies, and fruit. The McDonald's Corporation revenues come from the rent, royalties, and fees paid by the franchisees, as well as sales in company-operated restaurants. According to a BBC report published in 2012, McDonald's is the world's second-largest private employer (behind Walmart) with 1.9 million employees, 1.5 million of whom work for franchisees.

Research Objectives -

1. To identify the factors that influences the decisions of consumers Preference towards restaurant.
2. To determine the most important factors that affect consumers' choice and satisfaction towards restaurant.
3. To examine the consumption pattern in restaurant
4. To study the opinion about the service in restaurant.

Research Methodology - The research is based on primary and secondary data collection methods and the research type is descriptive. A structured questionnaire will be designed to gather information for primary data and, for secondary data-internet, books and websites previous dissertations/research papers/marketing journals/magazines/text etc will be used. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in Guna. It will involve gathering of information from the customers who visit at McDonald's restaurant. Convenience sampling method will be used to get the responses from target population. Sample size of 350 (working and non working) respondents in the age group 18 to 25 year and more than 40 year above will be taken for the survey. To do the research following statistical tools will be used: percentage analysis, Rank analysis, Chi-square analysis, T-test.

Hypothesis -

1. H1- HA: There is association between Items preferred in Restaurant across Gender.
2. H2- HA: There is no association between Items

preferred in Restaurant across Income.

3. H3- HA: There is no association between Customer satisfactions across the Gender
4. H4- HA: There is no association between Customer satisfactions across the Income.

Research Contribution - This research aims to provide a better understanding of the consumer decision-making process for restaurants in India. Understanding restaurant choice behavior can assist restaurant marketers and practitioners when they develop marketing strategies and enable them to select the most salient attributes to attract and retain customers. Furthermore, a theoretical model of restaurant selection behavior in India developed in this study will help to provide a useful framework for future research regarding consumer behavior in the restaurant industry.

Review of Literature - Previous studies on consumer behavior in the restaurant context have identified a number of factors that consumers consider important in their restaurant selection. Auty (2010) identified the choice factors in the restaurant decision process based on four occasions: a celebration, social occasion, convenience/ quick meal, and business Meal. Food type, food quality and value for money were found as the most important Choice variables for consumers when choosing a restaurant. The Kevel's (2006) results Showed that the relative importance of the restaurant choice factors differed considerably by restaurant type, dining occasion, age, and occupation. The studies of consumer behavior in ethnic restaurants are relatively limited. Previous ethnic restaurant studies have focused on consumers' perceptions and attitudes or on a particular cuisine.

Analysis and Discussion - In the data analysis there is classification and Frequency of different demographic profile like as "Gender and Income statement. Chi-square test, T- test, as help to understand the relation between different demographic factors, customer preference and satisfaction. from the cross tabulation of different factors I make the relation then apply the chi-square test on the basis of the test result we come to know the Association or No association among different factors.

Table 1 (See in the page)

Interpretation - From above Table, it is being Interpreted that the :

- Mean value for food is served hot and fresh is 1.27
- Mean value for the menu has a good variety of item is 1.80
- Mean value for the quality of food is excellent is 1.55
- Mean value for the order is taken correctly and there were no discrepancies while serving the item is 1.63

(A) Chi-Square Test Item Preferred In Restaurant Across The Demographical Factor

Hypothesis 1 -

- Ho : There is no association between Gender and Item preferred in restaurant
- HA : There is association between Gender and Item preferred in restaurant.

Table 2 (See in the last page)

Hypothesis 2 -

- Ho : There is association between Income and Item preferred in restaurant
- HA : There is no association between Income and Item preferred in restaurant

Table 3 (See in the last page)

(A) Ranking of factor for preferring a particular restaurant

Table 4 (See in the last page)

(A) T-Test For Analyzing The Customer Satisfaction Across The Gender

Hypothesis 3

- Ho : There is association between Customer satisfactions across the Gender
- HA : There is no association between Customer satisfactions across the Gender

Table 5 (See in the last page)

Hypothesis 4

- Ho : There is association between Customer Satisfactions across the Income
- HA : There is no association between Customer Satisfaction across the Income

Table 6 (See in the last page)

Results and Findings -

- Out of all the respondent 80% are male and 20% are female
- Out of all the respondent 68% comes under less than 30000 Rs., 20% are 30000-40000 and 12 % comes under over 40000 Rs.
- Out of all the respondent 43% are comes under once a week, 17% are more than once a week, 19.5% once a month, and 20.5 % comes in very rare
- Out of all respondent 36% are vegetarian, 14% Non vegetarian and 50% are come under both. Out of all the respondent 25% are goes for Breakfast, 65% Lunch and 10% Dinner. Out of all the responded 6% Respondent willing to pay 150-250, 23% 300-600, 40% 600-1000 and 31% comes in more than 1000.
- There is no association item preferred in restaurant across the gender.
- There is association item preferred in restaurant across the income.
- There is association customer satisfaction across the gender & the income.

Conclusion - It is evident from the study that majority of the consumer have visited different restaurant at different times. So the restaurant owner has to take steps to retain the customer and make them a permanent customer. Majority of respondent came to know about the restaurant through their friends .and restaurant advertise in local media news paper, magazines to attract more customer. From the study majority of people are male who visit to restaurant ,and mostly are youngster , their qualification are post graduate income level of respondent is good they mostly visited in restaurant in a week and from the data majority of

people like to non-vegetarian and around 43% are go for heavy meals its show the majority of people who visit have to take heavy meals Quality and taste are the two major factor consider by the respondent in selecting a restaurant, so the restaurant owner, should not compromise on these aspect at any cost.

References :-

1. <https://www.b2binternational.com/publications/customer-satisfaction-survey>
2. <https://www.retail-week.com>
3. www.smartinsights.com/goal-setting.../customer...
4. <https://www.getfeedback.com/examples/customer-satisfaction>
5. India: Reed. Burton, S. (2013). The framing of purchase for services. The Journal of Services Marketing, 4(4), 55-66. Cadotte, E. R. & Turgeon, N. (2010). Key factors in guest satisfaction. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 28(4), 44-51.
6. Bailey, R., & Earle, M (2011). Home cooking to takeaways: Changes in food consumption in India during 1880-1990. Palmerston North, India : Massey University
7. American Academy of Business, 2(1), 58-65. BenAkiva, M., & Lerman, S. R. (2014). Discrete choice analysis: Theory and application to travel demand. Cambridge: MIT press.
8. www.indiacom.com/yellow-pages/restaurants/guna
9. <https://www.zomato.com> › Guna
10. <https://www.tripadvisor.com> › Asia › India.

Table 1- Mean value among different measures

Statement	SA	A	N	D	SD	M	St. D
Food is served hot and fresh	61	25	3	—	—	1.27	0.51
The menu has a good variety of item	26	55	5	2	1	1.80	0.66
The quality of food is excellent	42	39	6	2	—	1.55	0.74
The order is taken correctly and there were no discrepancies while serving the item	38	40	8	3	2	1.63	0.71

SA(1)= Strongly agree, A (2) =Agree, N (3) = Neutral, D(4) Disagree, SD (5) Strongly disagree, St. D = Standard deviation

Table 2

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	13.27	2	0.0003
Likelihood Ratio	11.09	2	0.0004
Linear-by-Linear Association	12.29	1	0.0002

Inference : The above HO : is Rejected (chi-square with 4 degree of freedom=13.27, p=.0003). There is no association Item preferred in restaurant across the Gender.

Table 3

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	6.42	4	0.087
Likelihood Ratio	7.29	4	0.082
Linear-by-Linear Association	3.50	1	0.090
N of Valid Cases	89	—	—

Inference : The above HO : is accepted. (Chi Square with 4 degree of freedom=6.42, p= 0.087). There is association Item preferred in restaurant across the Income.

(A) **Ranking of factor for preferring a particular restaurant**

Table 4

Serial No	1	2	3	4	5	6	7	8	WAS	Rank
Factor	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	—	—
Quality	46	10	8	6	11	2	1	5	6.07	2
Rates	6	26	16	21	9	3	5	3	6.14	1
Variety in the menu	2	6	16	4	9	24	12	16	3.61	6
Cleanliness	3	15	21	20	12	7	8	3	4.89	5
Location	13	13	10	19	18	8	6	2	5.16	4
Good taste	19	15	8	10	14	12	9	2	5.25	3

Inference : The Table 5 gives the distribution of the respondent according to the ranking of the factor for preference towards a particular restaurant....The food rates was ranked 1st ,2nd for quality, 3rd for good taste, 4th for location, 5th for cleanliness, 6th for variety in the menu.




Table 5

	Levine's Test for Equality of Variance s		t-test for Equality of Means		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	5.02	0.02	1.54	87	0.17

Inference : The above HO : is Accepted, ($p=.17 > .05$, $t= 1.54$). There is association Customer satisfaction across the Gender.

Table 6

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.94	18	0.33	0.522	0.83
Within Groups	37.97	70	0.54	—	—
Total	43.91	88	—	—	—

Inference : The above HO : is Accepted ($p=0.83 > .05$, $f=.522$) There is association Customer Satisfaction across the Income.

A Study On Level Of Satisfaction Towards Post Office Savings Schemes (With Special Reference To Ujjain)

Deepika Verma* Dr. Shailendra Kumar Bharal**

Abstract - From the analysis presented here, it is clear that perception of investors has an impact on their risk-bearing capacity, it is also stated that perception is influenced by age, experience and tax payment and it has an association with saving motives and behavior of individuals, it is also to be remembered that if people get good service and good return during their investment tenure.

Key words - Investors satisfaction toward post office schemes.

Introduction Of The Study - Today saving is synonymous to reputation and respect. Saving has become holy duty of every Indian person. Saving is essential to save the country from foreign monetary dependency and to reconstruct the economy at a very fast rate. Even if the size of saving is small then also these small and very small saving collectively leads to the formation of huge capital. In Indian society the tradition of saving prevails since ancient time so the principle of saving is not a new one. A study on preferences and level of Satisfaction thus assumes a greater significance in the formulation of policies for the development and regulation of savings in general and protection and promotion of small and household investors in particular. This is because of lack of awareness among the small and household investors, poor investment climate, and loss of confidence of existing investors in Postal Savings.

Objectives Of The Study - To analyze the preferences and level of Satisfaction towards various Post office schemes in Ujjain.

1. Reasons those forces to invest in post office savings schemes.
2. Level of satisfaction of the customers.
3. To identified the SWOT of post office schemes.

Tools Of Analysis - For analyzing the behavior of the investors, 450 investors has been selected. The statistical tools used to carry out the analysis are mean scores, frequencies, percentage, for all the variables used in the study were calculated. The nature of distribution of the variables examined in the study could be assessed from the mean scores given by the sample respondents, and ranks were also awarded in order to know their level of significance.

Sources Of Data - Primary data was used to study and analyze the behavior of the investors in ujjain. For this purpose, a structured interview schedule was constructed and 450 respondents were interviewed.

Findings Of The Study :

1. The survey respondents of different age group, gender, educational qualification, occupational status and annual income. Out of the sample respondents taken for study, 39.6 percent of them belong to the age group of 31 - 40 years, 83 percent of the respondents were Female and the remaining 17 percent of the respondents were male, 32.3 percent of the respondents are illiterate, 83 percent of the respondents are married, 26.1 percent of the respondents were government employee, 44.2 percent of investors annual income ranging from Rs.50,000 to Rs.1,00,000.
2. The relationship between age and personal savings made by the costumers every month towards post office savings schemes was tested using two – way table with a hypothesis: here is significant association between Age and the personal savings made by the customers every month and the hypothesis has been rejected and it was concluded that there is significant association between age group of the respondents and the personal savings made by the customers.
3. There is a significant association between Family Income and personal savings made by the customers every month and the hypothesis has been rejected.
4. There is a significant association between personal savings made by the customers every month and Percentage of savings made and the hypothesis has been rejected.
5. There is no significant association between Educational Qualification and personal savings made by the customers every month and the hypothesis has been accepted.
6. When study the reason for investing in post office savings schemes 20.76 percent of the respondents invest in Post offices as the investment guarantees them liquidity & automatic transfer of money by sharing

*Research Scholar, School of Studies in Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor and Head (Commerce) Govt. Kalidas Girls P.G. (Lead) College, Ujjain (M.P.) INDIA

- 20.76 per cent respectively. 17.45 percent of the respondents were comfortable in Post offices, as Post offices do not risk them like other schemes, 15.70 percent of them have deposited in Post offices as it assures them safety. 14.13 percent of the respondents prefer Post offices as the investment will give additional benefits.
7. The relationship between gender and reason for investing in post office savings schemes tested using two – way table with a hypothesis: there is no significant association between Age and the personal savings made by the customers every month and the hypothesis has been accepted.
 8. The mean and standard deviation for these groups and for the entire samples are given for each variable that is considered in the analysis. The variables Experience, Income, Marital status, No of dependents, and Designation are significant at 1% level. The variables Age, Educational qualification, are not significant. All the variables are significant discriminator's based on their Wilk's Lambda and D2 Value.
 9. The canonical correlation is 0.471; when squared is 0.318, that is 32% of the variance in the discriminate group can be accounted for by this model Wilk's Lambda and chi square value suggests that D.F is significant at 1% level and Relative Discriminating index shows the mean value of 0.099. Discriminate function analysis was applied to the respondents based on the low level and high level. The following factors significantly discriminate the two groups. They are Experience (at 1% level), Income (at 1% level), Designation (at 1% level), Marital status (at 1% level), No of dependents (at 5% level). The following factors do not discriminate the two groups. They are Age, and Educational qualification.
 10. The schemes offered by the post offices have gained momentum by its rigidity in fetching return to the customers. Thus following variables identified for Strength, Weakness, Opportunity and threats .The values are measured on a five point Likert scale (1 = strongly agree: 5= strongly disagree)
 11. More products has been accepted as the most important strength of the post office schemes with the maximum value of 4.4533 and the low deviation has shown uniform opinion of the respondents. The lowest scored mean values have been received by the factors of Efficient man power, Security / Safety with respect to deposits with a mean value of 3.6467, 3.6700.
 12. The highest mean received by the factor was No Advertisements, followed by No loans, unchanged working culture with mean of 3.8233, 3.7067 and 3.6100 respectively. The lowest mean was secured by the factor of low rate of interest on deposits with mean value of 3.4200.
 13. There has been no significant relationship between the attributes inter se i.e, the Strength, Weakness, Opportunity and Threats of post office savings

schemes. The correlation coefficient between the SWOT attributes has been significantly greater than 0 and therefore the hypothesis for the attributes have been rejected at 1% level of significance. The strength attribute has correlated well with all other attributes and hence therefore the factors will ensure success of the operation. The strength factor had a higher correlation with opportunity as an attribute at 1% of level significance with an 'r' value of 0.690 followed by threats as a major attribute of control. Strength as a factor has exhibited the second correlation with Threats at 0.666 followed by weakness has revealed by a moderate correlation of 0.427. Hence, converting weakness into Threats, and Threats into opportunities has resulted in supporting the strength of the respondents.

14. By analyzing the various factors of Strength, Weakness, Opportunities and Threats of post office saving schemes it was understood that, the major strength factor was "**More schemes**", the major weakness was "**No advertisements**", the opportunity factors was "**Offering schemes to rural and urban areas**", and major threat factor was "**Mutual fund schemes**".

The overall study reveals that the reason for investing in the Post office was greatly influenced by three factors viz., to meet the emergency, to meet the family needs in the near future and to take care the well being of the children. Those respondents who have invested in post office wish to deposit the money even after the maturity in the Post office savings schemes. Therefore postal department should analyze the emerging markets, not from the point of view of individual products and services that the department is offering, but from the point of view of individual businesses that is required to serve.

References :-

1. Lease Ronald, C.Widbur, G.Lawellen and Gray G.Seharbaum "The Individual Investor Attributers and Attitudes", The Journal of Finance, 1974, pp.413-433.
2. Pandurangan.G, "A Study on Investors Attitude towards Investment in Securities", M.Com Project submitted to Bharathiar University, Coimbatore, 1993.
3. Madhumathi.R, "Risk Perception of Individual Investors and its Impact on their Investment Decisions", Ph.D Thesis submitted to Bharathiyar University, Coimbatore, 1998.
4. Ranjith, V.K, "Risk Preference of Investors in the City of Ahmadabad", Finance India, 16(2) June 2002, pp. 531-539.
5. Dr.V.L.Shobhaba and J.Jayalakshmi, "Investors Awareness and Preferences – a Study", Journal of Organizational Management, Vol.XXII No. 3, Oct – Dec-2006 pp. 16 18.
6. Gnana Design.C, Kalaiselvi.S, Anusya.L, "Women Investors Perception towards Investment –An Empirical Study", Indian Journal of Marketing, Vol. XXXVI, No.4, April 2006, pp.14-37.

Startup In India A Study

Dr. Rajendra Singh Waghela* Pawan Pushpad**

Abstract - Nations built on innovation, entrepreneurship, and production are able to dominate the world economy. However, risk taking has traditionally been discouraged in developing nations. The uncertainty and financial insecurity associated with entrepreneurial activities are the greatest barriers that budding entrepreneurs need to overcome in order to transition into successful entrepreneurs. This challenge needs substantial effort and steady support from society. Easy access to information, mentorship, and a network of venture capitalists and angel investors also play critical roles in promoting entrepreneurial activities. To this end, the Government of India launched a Startup Policy in the year 2016. Under the Startup India Action Plan, startups that meet the definition as prescribed under the G.S.R. notification 501 (E), are eligible to apply for recognition under the program. The Startups have to provide support documents, at the time of application. This Paper aims to study the challenges and Opportunities in the way of startups in India. This paper is intent to explore the major difficulties faced by startups in India, and discuss the various opportunities of startups in India by using a literature-based analysis.

Key Words- Startup, Entrepreneurship, Action Plan, Substantial effort.

Introduction - “Startup India is a flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and Startups in the country.”

Startup means an entity, incorporated or registered in India- (As defined by DIPP)

- Not prior to seven years, however for Biotechnology Startups not prior to ten years,
- With annual turnover not exceeding INR 25 crore in any preceding financial year, and
- Working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation

Provided that such entity is not formed by splitting up, or reconstruction, of a business already in existence. Provided also that an entity shall cease to be a Startup if its turnover for the previous financial years has exceeded INR 25 crore or it has completed 7 years and for biotechnology startups 10 years from the date of incorporation/ registration. Provided further that a Startup shall be eligible for tax benefits only after it has obtained certification from the Inter-Ministerial Board, setup for such purpose.

Key Points -

- 10,000 crore startup funding pool.
- Reduction in patent registration fees.
- Improved Bankruptcy Code, to ensure 90-day exit window.

- Freedom from mystifying inspections for first 3 years of operation.
- Freedom from Capital Gain Tax first 3 years of operation.
- Freedom from tax for first 3 years of operation.
- Self-certification compliance.
- Create an Innovation hub, under the Atal Innovation Mission.
- To target 500k schools, and involve 1m children in innovation related programmes.
- New schemes to provide IPR protection to startup firms.
- Encourage entrepreneurship within the country.
- Promote India across the world as a start-up hub.

Startup India: Action Plan - In order to meet the objectives of the initiative, Government of India is announcing this Action Plan that addresses all aspects of the Startup ecosystem. With this Action Plan the Government hopes to accelerate spreading of the Startup movement -

- From digital/ technology sector to a wide array of sectors including agriculture, manufacturing, social sector, healthcare, education, etc.
- From existing tier 1 city to tier 2 and tier 3 cities including semi-urban and rural areas.

The Action Plan is divided across the following areas:

- Simplification and Handholding
- Funding Support and Incentives
- Industry-Academia Partnership and Incubation

*Professor (Commerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts And Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
**Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalay, Indore (M.P.) INDIA

Startup Ecosystem in India - Startup ecosystem is developing rapidly in India.

As per Economic Survey 2016,

- India has more than 19,000 technology enabled startups, led by consumer Internet and financial services startups
- Indian startups raised \$3.5 billion in funding in the first half of 2015, and the number of active investors in India increased from 220 in 2014 to 490 in 2015. As of December 2015, eight Indian startups belonged to the 'Unicorn' club (ventures that are valued at \$1 billion and upwards).

Schemes like Startup India aimed to promote entrepreneurship have been launched.

Government Initiative to promote Startups -

- Government launched a new campaign "Start-up India, Stand up India" to promote bank financing for start-ups and offer incentives to boost entrepreneurship and job creation.
- This initiative would encourage entrepreneurship among the youth of India.
- PM says that each of the 1.25 lakh bank branches should encourage at least one Dalit or Adivasi entrepreneur and at least one woman entrepreneur.
- It will include hand-holding for all things related to them, which includes mentoring, linking companies with universities and institutions, giving marketing support, consultancy on intellectual property rights and providing easy regulatory mechanism for them so that they do not have to run from one door to another.
- It would also offer direction in terms of how they can access funds and scale up capacity.

Setting up incubators -

- Government intends to create a policy and framework for setting up incubators across the country in PPP mode.
- The plan envisages setting up 35 new incubators in existing institutions, where 40 percent of funding shall come from the Centre.
- Incubators are set up to provide startups with office space and basic services.
- Setting up of incubators will free up funds and allow them to focus on core business functions.

Challenges and Opportunities for Indian Startups -

Indian start-up industry is on the up-swing since last few years, with multiple global investors eyeing the India start-up space; it is slated to grow larger than before. The government of India is leaving no stone unturned to provide start-ups with the best of opportunities to grow and shine in the market. However, in spite of the numerous opportunities provided by the government, the road blocks are not few for the companies.

Challenges -

- **Government Policies** - The government policies are slowly and steadily increasing, although, it must be noted that India still maintains a dismal ease of doing

business raking as per the World Bank report. The government has taken proactive measures for funding and developing the eco-system, however, we witnessed a slowdown in the start-up space, as there was a dip of almost 50% in the registration of new start-ups in 2016 as compared to 2015; this trend has proved that the policy change has not really given a push to aspirants.

- **Talent:** Skilled talent is hesitant to join start-ups, as they have witnessed in the past mass firing and downsizing. Also, early stage or pre series-start-ups have lesser pay than their corporate peers. Most start-ups in a bid to outgrow, hire inadequate talent without processes, and finally end up on the losing side.
- **Funding:** Raising the capital has been a long drawn challenge for start-ups. Angel investment and seed investment is easier to find, as the amounts are smaller, it has gotten much tougher to go for later stage rounds, as companies burn too fast and do not look at unit economics. Very limited funding is available in forms of larger cheques in India. In our eco system (India) we patronize the founder, and not the company, and sometimes the founder can be caught up in glamour of funding. Entrepreneurs should set the goals for the next 5 years and should not be obsessed with raising the funds.
- **Lack of Basic Infrastructure:** lack of comprehensive infrastructure is perhaps the biggest drawback faced by businesses within the SMB/SME ecosystem. Since there is still a significant percentage of SMEs that operate within the unorganized space, the lack of basic facilities and absence of marketing platforms makes it extremely difficult for such businesses to thrive and/or compete with stronger players in the market.

Opportunities -

- **Innovation Society** - India has the largest youth population, which is the largest driver for innovation, workforce, talent and future leaders. India has its own challenges of education, health, infrastructure and the rising gap between India and Bharat. This presents big opportunity for start-ups to solve a variety of problems. India has the population of 1.3 billion people; the country's middle class is growing along with the consumers. The large diversity in the India's population makes a strong case for a rich services and products economy. Start-ups should look at banks; our banking system has reaped the maximum benefit of our population size.
- **Connectivity** - Indian telecom industry has nearly 100 crore subscribers, mobile connectivity has made inroads in the rural and urban population. Government of India's digital push is going to improve connectivity and data to the next level. The race to cheapest data has started and disruption is certain. The cheap data has helps everyone to get their hands on it, start-ups will have an easier time to tap into markets,

territories and even traditional businesses.

- **De-globalization** - Critics will argue that this will be a challenge, however, every coin has two sides; it is a challenge for some, and opportunity for the others. Brexit added fuel to the fire, while the new president of The USA has given early indications of lower corporate taxes, and destination taxes for US based corporations. Make in India, is also a part of this de globalised world, where we are promoting to make in India rather than anywhere else in the world. This is an opportunity for the Indian start-ups, more importantly, lesser brain drain, companies abroad will look to hire from India, and therefore greater talent pool will be available for start-ups. India is a more closed economy as compared to China, and we do have substantial exports to the US, but this will be unaffected, although de-globalization could have adverse affect on larger corporations who will scale down operations and become more frugal, this would also present opportunities for start-up companies to fill the void.

Conclusion - There has been surge of new start-ups and innovations in India in recent years. The Indian start-up ecosystem has evolved, being driven by factors such as growth in number of funds/angels, evolving technology, higher smart phone and social media penetration, growth in incubators and accelerators, younger demographics etc. Recent government initiatives like 'Start up India, Stand up India' India will only result in additional momentum in this space but as it is well know that "every coin has two side" so there is few obstacles in way of Startup India like it take time, effort, and energy. Funding is a major concern

for startups and small businesses. At the point when the economy failed, it made it harder to persuade financial specialists and banks alike to part with the money that is basic for development in the beginning of a business. Moreover level of learning that business consultants have about natural issues, Multi window clearances and tax assessment framework are greatest test in method for accomplishment of Startup India so government needs to do bunch of work in this heading.

In India, the opportunities for the start-ups are immense, but so are the challenges. It will take combined efforts from the government and the start-ups to overcome these challenges.

References :-

1. Challenges and opportunities for Indian startups-Key points to Note <http://www.financialexpress.com/industry/challenges-and-opportunities-for-indian-startups-key-points-to-note/524728/>
2. Opportunities for Startups in India <https://www.entrepreneur.com/article/270330>
3. Challenges And Opportunities In Indian SMBs <https://inc42.com/entrepreneurship/challenges-opportunities-indian-smbs/>
4. Supporting Research-Inspired Entrepreneurial Activities in India <http://www.timreview.ca/article/986>
5. Key Challenges and Opportunities for Indian Startups and Entrepreneurs <https://theceo.in/2017/09/key-challenges-and-opportunities-for-indian-startups-and-entrepreneurs/>
6. Mains 2016: Globalization and impact on Indian startups <http://forumias.com/portal/mains-2016-globalization-and-impact-on-indian-startups/>

Study of the Sources and Uses of Fund in the Regional Transport Offices in India

Dr. Pradeep Chaurasia *

Abstract - RTO department in India is executed by government of India with the help of many sources of funds. In fact the department of RTO is generally known as revenue generating department but for the development of country RTO works with so many other department (i.e. PWD) in the country and they required so many sources of funds for the development of road construction, highway, new roots, new buses, new vehicle, etc. and they uses sources like Loans from Domestic Financial Institutions (Banks, Insurance), Cess Funds, External Assistance and many more. We will discuss all the sources and uses of fund in this paper. The data collected with the help of primary and secondary data. Systematic random sampling technique used to collect the data.

Key Words - Sources of Fund, Uses of Fund.

Introduction - Government uses different sources of funding for completion of their planning. There are many of thing related to RTO department planed by government every year. These all are planning playing very important role in the society, these are the planning related to road construction, highway, new roots, new buses, new vehicle, new regional transport offices, new barrier, and many more things planned for RTO by the government. Government also take help of the other department to fulfill the need related to plans, in other department PWD plays measure role in road construction, highway construction with the help of RTO planning's. Overall government needs funds to complete all of their plans; they arrange the amount of funds from many of sources. Further these funds are utilized in right direction with the proper planning. Government also makes the report that where the funds have been used.

Objective Of The Study -

- To know about the different sources of funds available for different planning of the country.
- To know about how the funds are utilized by government for the development of the country.

Research Methodology - Research design - The research is basically descriptive based research.

Techniques and tools of data collection - the data are collected through primary and secondary data. Personal interview used to collect primary data and government reports and websites used to collect secondary data.

Sampling technique and sample size - the systematic random sampling technique used with 5 sample size.

Conclusion - Sources of Funds

- (A) Loans from Domestic Financial Institutions (Banks, Insurance)
- (B) Cess Funds
- (C) External Assistance
- (D) Loan assistance from international funding agencies

- (E) Market borrowing
- (F) Private sector participation
- (G) Negative Grant
- (H) Surcharge on passengers
- (I) The fare box revenue
- (J) Debt finance
- (K) Equity contribution
- (L) Support and co-operation from the Central and the State Government
- (M) Budget support & Additional Budget support
- (N) Net Surplus from Toll Revenue

(A) Loans from Domestic Financial Institutions (Banks, Insurance) - Government take help of the government undertaking banks and nationalized banks for the sources of funds. The long term loans are, in the nature of Debentures, Industrial Development Bank of India under bills discounting scheme, the plan allocation of loans by Life Insurance Corporation of India and the Commercial Bank Loans. The reserve bank of India gives help to the government for arranging funds with less percentages of interest. In fact RBI made some Kota for helping the all government all running department and give them help time to time. Government always makes plans with the support of RBI and success it within the tenure.

(B) Cess Funds - Cess is used as rider to a tax for collecting additional revenue for a specific purpose. The % of cess is calculated as per the rate prescribed in the Act dealing with levy of that specified cess. This fund is the part of central road fund which is utilized for the development of a modern road network. For example, 10 % road cess is to be mandatorily levied on Income tax. So, whenever an assesses is liable to pay income tax, he has to pay the cess of 10% on the amount of income tax.

*Asst. Professor (Management Studies) A. K. S. University, Satna (M.P.) INDIA

- (C) **External Assistance** - External Assistance has played a significant role in the development process in India. The Project Management Unit of the Department of Economic Affairs has prepared a Manual for External Assistance in the nature of guidelines/roadmap for accessing external assistance. It provides information on multilateral and bilateral funding agencies and their operations in India and outlines the procedures for posing projects to them. The Manual has been specifically prepared with a view to helping less developed States in accessing external assistance for their development projects.
- (D) **Loan assistance from international funding agencies** - Loan assistance is available from multilateral development agencies like Asian Development Bank and World Bank or Other overseas lending agencies like Japanese Bank of International Co – Operation.
- (E) **Market borrowing** - NHAI proposes to tap the market by securities cess receipts.
- (F) **Private sector participation**- Major policy initiatives have been taken by the Government to attract foreign as well as domestic private investments. To promote involvement of the private sector in construction and maintenance of National Highways, Some Projects are offered on Build Operate and Transfer (BOT) basis to private agencies. After the concession period, which can range up to 30 years, this road is to be transferred back to National Highway Authority of India (NHAI) by the Concessionaries.
- (G) **Negative Grant** - negative grant is when the private builder thinks that the cost of building and operating the highway are much lower than the revenues from tolling. Than due to competitive pressure from other builders, they decide to quote a “negative grant”, i.e., he will pay a percentage of the tolls or a fixed upfront cost to the government for building and operating the road over the concession period. Hence, it is a negative grant because the govt. is not being asked to give money but to take money.
- (H) **Surcharge on passengers** - The funds also can be generated by imposing surcharge on passengers whenever new services are opened and/ or service improvements are undertaken. In addition to surcharge to users, levies on non-users who are benefited due to improvement and expansion of transport services is also justified. Such levy can be in the form of pay roll tax, surcharge on road tax on private vehicles and surcharge on property tax either generally or more specifically location related.
- (I) **The fare box revenue** - For funding any new project for passenger transport and also for survival of the existing transport system, the important source is the fare box revenue. The passenger fare should be allowed to be regularly adjusted according to the increase in input costs from time to time.
- (J) **Debt finance** - The scope for raising debt finance though limited has to be considered. These limitations arise due to lack of good track record of profitability,

non-availability of marketable assets during the construction phase and high starting risk due to uncertainty of attracting senior lenders like the World Bank, The Asian Development Bank (ADB). For raising debt finance, the selection of debt instruments with appropriate tax exemptions in the Indian context is needed. The public can be approached to purchase debt instruments, such as Deep Discount Bonds with substantial tax benefits.

- (K) **Equity contribution** - Equity contribution from different sections for funding projects in railways and road passenger transports has to be tapped. This will come from the promoters, the governments, the contractors building the projects and supplying machinery etc., property developers and the private investors like the Banks and other Financial Institutions in India. Public issues for capital projects when backed by the Government can also attract good response from investors in India.
- (L) **Support and co-operation from the Central and the State Government** - For any type of funding measures full support and co-operation from the Central and the State Government is very much essential. This support will be mainly in the form of timely clearance of the various procedures and formalities in the preparation of BOOT projects. Such projects have to be declared by the Government as of national importance and all possible concessions and attractions to be provided for.
- (M) **Budget support & Additional Budget support- Budget support** is a particular way of giving international development aid, also known as an aid instrument or aid modality. With budget support, money is given directly to a recipient country.
- **General budget support (GBS)** - **General budget support** is unmarked contributions to the government budget including funding to support the implementation of macroeconomic reforms (structural adjustment programs, poverty reduction strategies). Funds transferred to the national treasury for financing programs or projects managed according to different budgetary procedures from those of the recipient country, with the intention of earmarking the resources for specific uses, are therefore excluded.
- (N) **Net Surplus from Toll Revenue** - Toll revenue make measure contribution in fund which used by RTO for their important belonging. Toll revenue generated by government with the help of transport department in India. The charges of toll are decided by transport commissioner and that is changed time to time as per requirement. Toll charges are charged different in different vehicles with using some parameter like the vehicle type, vehicle size, vehicle weight, etc.
- Uses of Funds-**
- A. Toll Construction
 - B. Establishment of the Branches of Regional Transport Offices
 - C. NHAI (National Highway Authority of India) Construction

- D. New Root Planning
 - E. Road Construction
 - F. Purchasing Fixed Assets
 - G. Purchasing Vehicles
 - H. Shifting of Regional Transport Office
 - I. Interest Payment
 - J. Bus operating cost
 - K. Funds for bus stands
 - L. Funds for public transport
- (A) Toll Construction** - There are Toll constructed by RTO in all over the India. The Toll is showing the border between two states or two cities. Government charged for the toll when someone crosses the border of sates or cities. There are toll available in every state border in India and government always keep some sort of fund for toll construction.
- (B) Establishment of the Branches of Regional Transport Offices** - Regional transport offices are giving us very important services and because of this government always trying to open new offices in different cities and small towns where RTO is not available. Government of India already made the law regarding licensing and registration of vehicles and for the same government need to make some funds to open a branch in every town.
- (C) NHAI Construction** - National Highway construction always given importance in five year plan make by government for the development of country. Like national highway NH 72 Allahabad to Rewa is coming under the five year plan, government made plan for the funding to complete this projects the amount of Cess fund, external assistance, budget support and bank loan funds are used for the construction of NHAI.
- (D) New Root Planning-** Government always declares new roots of road in his five year plan. This planning takes lot of fund and government decide from where they arrange that fund. Government also takes help of state government for arranging the funds. The World Bank take steps to give help to the government of India regarding new roots planning.
- (E) Road Construction** - The road construction inside and outside of city and town or the road construction in between two cities always takes a lot of funds. The fund was decided by transport office with the help of PWD. RTO work together with PWD for road construction.
- (F) Purchasing Fixed Assets** - There are many fixed assets purchased by government for the purpose of regional transport offices. These fixed assets may be land for opening new branches, furniture for RTO, Computers for transport offices, etc. these all required some fund in between 5 to 10 years.
- (G) RTO Own Vehicles** - One regional transport office covers many town and many villages near to the particular city. Therefore the transport offices covers all the location and for covering these locations they

required a government vehicles which always cast for the patrol expenses, tire expenses and maintenance expenses, this amount is funded by government with the allotment of some fund for vehicle use.

- (H) Shifting of Regional Transport Office** - Regional transport offices are shifted some time as per the requirement. This shifting takes lot of funds because with shifting government need to establish new office. Government made some sort of planning of fund before shifting.
- (I) Repayment of Loan** - The loan taken by government for the purpose of regional transport office is repay by government time to time that the planning can be succeed within the tenure decided by government.
- (J) Interest Payment** - With the principal amount of loan from different sources, government also takes responsibility to pay interest amount which is differ by bank to bank or the loan contract.
- (K) Bus operating cost** - The transport offices always manage the cost of operating Buses run by government for public transport. The maintenance like Bus over oiling, tire, engine work, etc. takes lot of funds every year and government manage it with the funding from different approaches.
- (L) Funds for bus stands** - Establishment of Bus stands take lot of fund and government always keep on making plan to establish new bus stands in a city for the transport convenience.
- The sources of funds and used of funds, is also very important to know because the government's all planning related to regional Transport Offices are fully depending upon the position of fund. This study clear the position of funs with showing the all sources use to gather the funds and all the location where the government using those funds. Government can also understand where they need to improve and where and why they are lacking.

References :-

1. Chaturvedi, B.K., Report on *National Highway Development Programme*, Committee of National Highway Development Program, India.
2. Government of India (2007-12), *the Report of the Working Group on Central Roads Sector*, 11th Five Year Plan, Ministry of Road Transport and Highway, India.
3. Government of India, Report of the *External Assistance manual*, Department of Economic Affair, Ministry of Finance, P.1,3,29
4. india.gov.in/write-back-transport-department-madhya-pradesh
5. Khetrupal, B.S., *M.P. Motor Vehicles Act, 1994*, Khetrupal Law Publications, Indore, 2012, Page 2-6.
6. Khetrupal, B.S., *Motor Vehicles rule, 1988*, Khetrupal Law Publications, Indore, 2012, Page 2-20.
7. www.aptransport.org/
8. www.indiamapped.com › Rto In India
9. www.info.gov.hk/tb/. Transport Department.

A comparative study of small saving schemes of post office and public sector bank in Ujjain district

Deepika Verma *

Abstract - small saving schemes is dominant player which have important role in growth of Indian economy. The Present research paper aimed to examine and compare the financial performance of selected small saving schemes of post office and public sector bank in Ujjain during 2009-10 to 2013-14. The study found that overall performances of post office are better than public sector banks.

Keywords - Net Profit, Return on assets, Profitability, Public Sector banks, post office.

Introduction - "Savings" is not only a word but an integral part of Indian society. Saving in India is considered the tradition of every family. In Indian society it is believed that saving is the best weapon to fight the uncertainty of the future. Savings A person learns from a childhood that becomes his tendency until he grows up. Saving plays a big role in economic development of family, society and nation. "Savings" is the part of the income that remains after spending. Every person is the public that his future is uncertain and because of the uncertainty of the future, some of his current consumption reduces to some extent that is associated with the mentality of saving. In order to make the future happier and avoid contingency to come to the family, the motivation of saving is to work as a protective shield. In today's era, saving is an important place.

Origin and Development of Small Savings Schemes - India's national savings started in 1833. Its credit goes to William. After the introduction of the Government Savings Bank in Calcutta, after this, in 1834, Savings Bank was started in Madras. Government savings banks were announced on May 16, 1870 but all the schemes had no effect on the public and the plan was unsuccessful.

The "Savings Bank Act" was refuted in 1873. In 1881, a total of 371 government savings banks were set up in the country. The first revolutionary step in the field of small savings was to establish "Post Office Savings Bank" in April 1882, at that time there were 4066 post offices throughout the country. After Independence, special attention was paid to the National Savings Scheme. This time, after the end of the World War II, the demand for restoring the economy of all the countries was being sought. Question was not income saving, because the savings are dependent on income. Nationalization of banking and insurance and post office services expanded. It took one century to reach the present position as the expedition came at a time when our country was a slave of the British and exploitation was

at the extreme limit.

Small savings schemes of post office and public sector banks: - Currently, plans for small savings in all plans post office

1. Employee Provident Fund (EPF):
2. Public Provident Fund (PPF):
3. National Savings Certificate (NSC):
4. Kisan Vikas Patra (KVP):
5. Post Office Time & Recurring Deposits (POTD):
6. Post Office Monthly Income Scheme (POMIS):

Successful operations of the schemes are going on. Similarly, in Public Sector Banks,

1. Accepting deposit-
2. Providing loans-
3. Providing loans-
4. Term Deposit
5. Recurring Deposit

These schemes are being run for small savings.

Purposes of research - The purpose of the research presented is to compare comparative study of small savings schemes of post office and public sector banks in Ujjain district, analyzing appropriations, knowing part of income savings, analyzing the benefits of deposit schemes etc.

Research Methodology - Researchers have selected 5-5 beneficiaries of Post Office and Banks from each tehsil from 7 tehsilos of Ujjain district. By analyzing the summaries on the basis of interview with 70 beneficiaries, the results are known.

Analysis of the samples received from the research work - The research of 70 beneficiaries has come to know that 62% of men and 38% of them are women. While 46% of the total beneficiaries are employed, 34% are self-employed, 12% are agriculturists and 8% are retired beneficiaries. In this, 31% want to invest in post office, 39% bank, 15% gold, silver and 15% of land.

48% of the beneficiary, annual% 23%, half yearly

income, 12% quarterly and 17% monthly income. While the purpose of saving is to know from the fact that investing in 37% investment, 29% loan payment, 17% future protection and 17% to avoid inflation. 34% people save from posting schemes in post office, 66% beneficiaries are satisfied with the post office appropriation and 34% no. Like to invest in bank savings.

50% of the beneficiaries prefer to invest in post offices, 17% in private banks, 24% in public banks and remaining 9% in other areas. 74% of beneficiaries want to improve the functioning of the bank, while not 26%. 86% of beneficiaries believe that saving schemes are helpful in improving the financial condition. 60% of the beneficiary is of the opinion that the methodology and transactions of the bank prove as compared to the post office, whereas 40% does not agree with this.

Key findings of research - Research has shown that the beneficiaries surveyed in the post office and public banks

prefer to invest 55% in the bank, 45% prefer to invest in the post office. Beneficiary seeks to earn annual income on appropriation; the purpose of saving is to increase on appropriation. The employer likes to invest in the post office to save beneficiary tax. 74% of beneficiaries want to improve the working of the post office. 86% of the beneficiaries believe that the economic situation improves from the savings. Fewer amounts are invested in the post office. In rural post office, the transaction has not started yet through the computer. After the number of post office, banks have more investment in banks, but in the end it can be said that post office and public sector banks in Ujjain district in the small savings schemes, more confidence is expressed at the post office and post office schemes are more successful and implemented.

References :-

1. Personal survey

A Study Of Management Of Emergency Providing To The Patient Care In Trauma Centers

Aju Joseph* Dr. Shalini Gautam**

Introduction - A trauma center is a hospital equipped and staffed to provide care for patients suffering from injuries such as falls, motor vehicle collisions, or gunshot wounds. A trauma center may also refer to an emergency department without the presence of specialized services to care for victims of major trauma. In the United States of America, a hospital can receive trauma center status by meeting specific criteria established by the American College of Surgeons (ACS) and passing a site review by the Verification Review Committee. Official designation as a trauma center is determined by individual state law provisions. Trauma centers vary in their specific capabilities and are identified by "Level" designation: Level-I being the highest, to Level-III being the lowest (some states have five designated levels, in which case Level-V is the lowest). The highest levels of trauma centers have access to specialist medical and nursing care including emergency medicine, trauma surgery, critical care, neurosurgery, orthopedic surgery, anesthesiology and radiology, as well as highly sophisticated surgical and diagnostic equipment. Lower levels of trauma centers may only be able to provide initial care and stabilization of a traumatic injury and arrange for transfer of the victim to a higher level of trauma care. The operation of a trauma center is extremely expensive. Some areas—especially rural regions—are under-served by trauma centers because of this expense. As there is no way to schedule the need for emergency services, patient traffic at trauma centers can vary widely. A variety of methods have been developed for dealing with this. A trauma center will often have a helipad for receiving patients that have been airlifted to the hospital. In many cases, persons injured in remote areas and transported to a distant trauma center by helicopter can receive faster and better medical care than if they had been transported by ground ambulance to a closer hospital that does not have a designated trauma center. The trauma level certification can directly affect the patient's outcome and determine if the patient needs to be transferred to a higher level trauma center.

Management of patients with poly trauma at the present hospital - The present hospital is an autonomous body which came into existence by an Act of Parliament of India in 1967 and it is an 'institute of national importance'. It provides high quality treatment and tertiary care to the patients from various

states of northern India. A comprehensive emergency department (ED) exists in this hospital, which provides life saving medical and surgical services to the patients under one roof. The ED consists of 110 beds. It caters to medical, surgical and traumatic emergencies round the clock. It has an attached laboratory, digital X-ray/ultrasound/ECG and 6 operation theatres functioning round the clock. The patients with poly trauma are treated in the ED by various specialists (general surgeon, anesthetist, orthopedic surgeon, neurosurgeon, cardiothoracic surgeon, ENT surgeon etc.), nurses and other paramedical personal.

The annual hospital statistics of the institute under study is provided in Table 1.

Annual hospital statistics of the tertiary care institution under study

Variables (service)	Number
Hospital	
Total number of hospital beds	550
Bed occupancy rate	150
Annual OPD	14282
OPD patient per day	550
Indore patients	1250
Indore patients per day	85
Total nurses	947
Emergency	
Total beds	45
Annual OPD	1282
OPD patient per day	250
Indore patients	175
Indore patients per day	83
Nurses in Emergency	245

Source - Statistical Report 2018 from Medical Record Department of the institute

The procedure being followed in the ED to treat patients with poly trauma

Step 1- Initial assessment and preparation of treatment plan. As the patient enters the emergency he is attended by a general surgeon. Step 2 - Patient's information sent to other referral specialties. After the initial assessment, the general surgeon informs the doctors on duty of the concerned specialties over the phone and enters the patient's particulars in the master register which is maintained by the general surgery department. Step 3: Assessment by various

*Research Scholar, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur (Raj.) INDIA
 **Associate Professor, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur (Raj.) INDIA

specialties. On receiving the call, the resident doctor on duty of the concerned specialty attends the patient. Step 4 - Referral to specialties other than initially planned. While the patient is undergoing treatment, some patients might require the consultation of other specialties. In such a case, the concerned doctor will be required to inform by specialty himself or co-ordinate with the general surgeon. Step 5: Clearance of the patient. The specialty referred by the general surgeon has to decide whether to admit or discharge the patient. Step 6: Final responsibility/ownership. In case of patients with poly trauma requiring various specialties for consultation, the specialty which clears the patient in the end is ultimately responsible for the treatment and discharge of the patient (Table 2).

Table 2 (See in the last page)

Statement of problem - In the ED, there are frequent complaints, in particular, regarding the management of the patients with poly trauma, which leads to delay in their discharge. Delayed discharge of these patients leads to an increase in average length of stay (ALS) of the patients, further resulting in unavailability of the beds to other patients requiring emergency treatment. Thus the present study was conducted to elicit the constraints at various steps of management of the patients with poly trauma and to design a standard operating procedure (SOP) for the management of these patients.

Methods - The cross-sectional study was carried out in the ED of the tertiary care institute of northern India. A total of 210 patients visiting the ED were studied in a period of 2 months (June 10 to August 10, 2011). The details of the patients visiting the ED (as per the criteria described above) were recorded on a day-to-day basis from the master register maintained by the general surgery department. The files and cards of these patients were also reviewed from the emergency surgical OPD. Information was retrieved from the cards to achieve the required objectives. There were six possible steps in the delay of management and the delay at each step was studied. The criteria for the delay at each step are shown in Table 2.

Results - Profiles of patients with poly trauma
 Of the 210 patients with poly trauma, 169 (80.47%) were male and 41 (19.52%) female. Their age ranged from 3 years to 85 years in males and 3 years to 70 years in female, with a mean of 32 years. Most of the patients with poly trauma were in the age group of 15 to 30 years, followed by 31 to 45 years. The patients reported in the emergency department were from the different states of the country, most of them from Punjab 37% (n=78) followed by Chandigarh 22% (n=46), Haryana 15% (n=32) and Himachal Pradesh 13% (n=28). Regarding the referral status, 53% (n=112) of the patients were referred from various hospitals of the region and 43% (n=98) directly came to the ED of the institute. Of the patients, 72% (n=150) were due to road side accidents, followed by fall from height 15% (n=31) and railway accident 5% (n=11). The profile of the patients with poly trauma is shown in Table 3.

Table 3 (See in the last page)

Open in a separate window
 Referrals for consultations

Altogether 671 consultations were done for 210 patients by various specialties (Table 4). On an average, each patient required about 3.2 consultations. Orthopedics required 27% (n=184) of the consultations, neurosurgery 22% (n=149), plastic surgery 17% (n=114), and anesthesia 10% (n=64).

Table 4 (See in the last page)

Proportion of calls attended by various specialties referred by the general surgeon in the ED of the institute
 Constraints at various steps in the management of patients with poly trauma
 During the management, problems appeared in 32 (15.2%) of the patients with poly trauma. Most of the problems (n=19, 60%) occurred at stage III as the doctor of the concerned specialty did not attend the call within 24 hours of information as per the predetermined criteria.

At stage IV 6% (n=2) patients had problems as there was a delay in sending information to other referred department not mentioned in the treatment plan. In 9 patients (28%), problems were also reported at stage VI, as no department was ready to take the responsibility of discharging the patient and hence the patient was kept lying in the emergency room for more days without any active treatment. However, no problem was observed at stage II and stage V (Figure 1).

Figure 1 (See in the last page)

Constraints at various steps in the management of patients with poly trauma in the ED of the institute under study.

Besides the above stated problems, some other problems were also observed in the management of the patients with poly trauma. Firstly, there was absence of a triage system and non-availability of a separate area for the admitted poly trauma patients in the emergency department. This resulted in mixing up of the patients with poly trauma with the patients from other specialties. Secondly, in emergency surgical OPD (ESOPD) there was no separate area for resuscitation of the patients with poly trauma nor anesthetist to perform resuscitation. Thirdly, the time regarding the call sent to and attended by various specialties was not mentioned on the OPD card or the master register (no column to mention the time). There was also lack of coordination amongst various specialties while managing patients with poly trauma.

Discussion - The initial management of a patient with poly trauma is of vital importance in minimizing both patient [5] morbidity and mortality. The main principle behind trauma management is an organized team approach, i.e. poly trauma victims are best managed by a team. The initial evaluation of a person who is injured critically from multipletraumas is a challenging task and every minute can make a difference between life and death. The delay from any member of the team may lead to death of the patient. The receiving facility ideally should be designated to receive seriously injured patients and the resources and [6] expertise to adequately manage their injuries. To avoid any delay and to have a best initial management of poly trauma, patient triage is important. The triage is sorting out of patients, based on the need of treatment and available [7] resources to provide for the treatment.

The results of our study were similar to those of a study

conducted in a hospital of Saudi Arabia where most of trauma patients were in the age group between 16 and 30 years. We found that males were affected more often than females (19:1) and that road traffic accident was a predominant etiological factor followed by falls from height. As a tertiary care institute, the cases of poly trauma have been reported from various regions and many cases have been referred from various hospitals. The results of our study showed that the problems faced at various steps while managing poly trauma patients were observed mostly in cases requiring consultations of 3–4 departments. The lack of co-ordination was probably the main cause leading to delay in management of poly trauma patients. This led to an increase in average length of stay of the patient in the ED. Most consultations were required by orthopedics department followed by neurosurgery. It has been documented that activation of a prepared trauma team results in better patient care and [8] improvement of patient survival. A well functioning poly trauma team with a team manager, a proper triage system, good coordination, documentation and a well defined standard operating procedure is the key to the proper management of poly trauma patients. The suggested standing operating procedure for managing patients with poly trauma is as follows:

Suggested standard operating procedures - Accordingly, standard operating procedure is suggested in managing poly trauma patients of a tertiary care institute.

- 1) There should be a poly trauma management team consisting of general surgeon, anesthetist, orthopedic surgeon, neurosurgeon, cardiothoracic surgeon, ENT surgeon, nurses and other paramedical staff. During the initial management of a critically injured patient (trauma resuscitation), the trauma team must stabilize the patient, determine the extent of injury, and develop [9] an initial treatment plan for hospitalization. There should also be a team manager, who will be responsible for co-ordination among various team members so as to facilitate proper patient care.
- 2) After triaging, the general surgeon as team manager should attend the patient and decide the treatment plan accordingly. The team manager should now be responsible for informing all the concerned specialties and also note down the time of information sent in the master register along with time at which the call was

- attended by the concerned specialty.
- 3) If any specialty does not attend the patient within one hour of information, then a reminder call should be given by the team manager.
- 4) If referral to any other specialty is required other than that planned during the treatment, the team manager should be informed so that he can coordinate with the concerned specialty and also enter the call in the master register.
- 5) All the communication regarding treatment should be done through the team manager to avoid confusion. Proper record maintenance by the team manager is a must.
- 6) The concerned specialty should clear the patient in time and also inform the team manager. Information should be recorded in the master register.

In conclusion, most of the patients with poly trauma admitted in the ED during the study period were in the younger age group in this study. Males (80.47%) were significantly more affected than females (19.52%) and road traffic accident (72%) was the predominating etiological factor followed by falls. Many consultations were done with departments of orthopedics (27%) and neurosurgery (22%). Most of the patients had no problem or delay in the treatment of patients with poly trauma at any stage probably because only two specialties were involved leading to better coordination. Problems were faced at various steps in 32 of total 210 patients. Maximum problems were faced in stage III when the referred department did not see the patient within 24 hours of information. An organized poly trauma team and a well defined standard operating procedure could be a better way to manage patients with poly trauma efficiently and effectively.

References :-

1. President’s Project: Support for VAMC Poly trauma Centers (from the American Legion Auxiliary website)
2. Kunreuther H. Risk analysis and risk management in an uncertain world. Risk Anal. 2002;22:655–64.[PubMed]
3. Hassan A, Tesfayohannes B. Initial assessment of the polytrauma patient. Surgery. 2009;27:275–279.
4. Sarcevic A, Burd RS. Whats the story? Information needs of trauma teams. AMIAAnnu Symp Proc. 2008;6:641–645. [PMC free article] [PubMed]

Table - 2 Procedure for management of patients with poly trauma in the institute

Steps	Procedure	Time limit
I	Assessment of the poly trauma patients by the general surgeon	Within 1 hour
II	Preparation of treatment plan, referral of the patient and information to different specialties	1 hour
III	Patient attended by different specialties as per the treatment plan	24 hours
IV	Patient attended by other specialties not initially planned by the General surgeon	24 hours
V	Clearance given by different specialties	24 hours
VI	Ultimate responsibility of the patient for the treatment and discharge	24 hours


Table 3
 Profile of the patients with poly trauma attending emergency OPD of the institute

Variables	Number (n=210)	Percentage (%)
Age (yr)		
>15	22	10.47
15-30	78	37.14
31-45	52	24.76
46-60	40	19.04
61-65		SRFT
12	5.71	SRFT
76-90	6	2.85
Gender		
Male	169	80.4
Female	41	19.5
Referral status		
Referred patients	112	53
Direct patients	98	47
Area of origin		
Punjab	78	37
Chandigarh	46	22
Haryana	32	15
Himachal pradesh	28	13
Uttar pradesh	10	5
Bihar	6	3
Address unknown	10	5
Causes of poly trauma		
Road side accident	150	72
Fall from height	31	15
Railway accident	11	5
Burn	7	3
Gun shot injury	3	1
Others	8	4

Table 4 - Proportion of calls attended by various specialties referred by the general surgeon in the ED of the institute

Referral department	Number (n=671)	Percentage (%)
Orthopedics	184	27
Neurosurgery	149	22
Plastic surgery	114	17
Anesthesia	64	10
CTVS	55	8
ENT	39	6
Ophthalmic	29	4
General surgery	21	3
Urology	10	2
Dental	3	1
Obstetrics & gynecology	2	0.29
Psychiatry	1	0.14

Figure 1



मध्यप्रदेश में जैविक कपास उपज की संभावनाएँ (पश्चिम निमाड़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनोहर दास सोमानी * यशवंत चौधरी **

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है और कृषि के उत्पादों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कपास उत्पाद के क्षेत्र में जैविक कपास का भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। म.प्र. के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र को 'कपास का कटोरा' भी कहा जाता है, प्रदेश का यह निमाड़ क्षेत्र कपास उत्पादन में अग्रणी है तथा लगातार प्रगति की ओर जा रहा है। नई सदी के आगमन के साथ वैश्विक व्यवसाय जगत में हो रहे बदलाव के कारण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण भारतीय कृषि में भी परिवर्तन हो रहा है। 'भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है।' जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि उत्पाद की भी मांग बढ़ रही है। किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है, वे अपने जैविक कृषि उत्पाद का पंजीयन कराकर इन उत्पादों को एजेन्सियों के माध्यम से विक्रय कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

जैविक कृषि पर एक अध्ययन में एसोचेम ने कहा है कि मध्यप्रदेश में जैविक कृषि तहत के कुल रकबा वर्ष 2009-10 में 4,32,000 हेक्टेयर था। वर्ष 2013-14 में जैविक कृषि का रकबा 3,78,572 हेक्टेयर हो गया एवं वर्ष 2014-15 में 26 लाख हेक्टेयर पर पहुँच गया, हालांकि इसका कृषकों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि कृषि के योग्य कृषि का रकबा महज 1,48,000 पर बना रहा। वर्ष 2017-18 में 2 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गयी है।

भारत के सभी राज्यों में, जैविक प्रमाणीकरण के अधीन सबसे अधिक जैविक कृषि का क्षेत्र मध्यप्रदेश में है इसके पश्चात् दूसरे क्रम पर हिमाचल प्रदेश और तृतीय स्थान पर राजस्थान आता है। परम्परागत कृषि के साथ-साथ म.प्र. में जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रदेश में कपास की कृषि में भी जैविक कपास के उत्पादन हेतु निरन्तर प्रयास कर जैविक कपास की कृषि को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में जैविक कपास की फसल से प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। प्रदेश का पूर्वी-पश्चिमी भाग के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र को 'कपास का कटोरा' भी कहा जाता है। प्रदेश पश्चिम निमाड़ क्षेत्र कपास उत्पादन में अग्रणी है।

शोध के उद्देश्य – शोध का उद्देश्य यह भी है कि जैविक कपास की उपज में कृषि प्रणाली में क्या सम्भावनाएँ एवं रूकावटें उत्पन्न हो रही हैं, जिससे इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।

जैविक कपास उत्पाद के निम्न प्रमुख उद्देश्य शामिल किए गए हैं –

1. जैविक कपास की खेती से ग्रामीण किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
2. जैविक कपास की खेती से कीट तथा लाभकारी कीट में वातावरण पर संतुलन बनाए रखना है।
3. जैविक कपास के माध्यम से जिले में कृषि एवं अन्य कृषि उत्पाद का अध्ययन करना है।
4. जैविक कपास की उपज का अधिक मूल्य प्राप्त करना है।

मध्यप्रदेश में और विशेषकर पश्चिम निमाड़ खरगोन जिले की कसरावद तहसील में स्थापित सूत मिल मैकाल फाइबर्स लिमि. भीलगाँव में सन् 1992 में जैविक कपास का उत्पादन कृषकों को पंजीकृत करके प्रारम्भ किया गया, तभी से आज तक विस्तृत पैमाने पर की जा रही है। बायो रे (इ)लि. कसरावद द्वारा कृषकों को जैविक कपास के उत्पादन का बी. टी., रसायनिक और बायोडायनामिक तरीके से तुलना करके कम्पनी के प्रदर्शन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें की स्विट्जरलैण्ड की यफीबल' नामक संस्था सहयोगी का कार्य कर रही है। यह संस्था विश्व में जैविक खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। बायो-रे इंडिया लिमिटेड, भिलगाँव के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में जैविक कपास के कृषकों की संख्या 1849 थी। 2015-16 में 3702 हो गई और गत वर्ष 2016-17 में बढ़कर 4598 हो गई थी। वर्ष 2017-18 में बढ़कर 4986 हो गई है। जैविक विधि से खाद बनाने की प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जैविक कपास का उत्पादन करने से लाभ – जैविक कपास से बनी वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ रही है। जिसका किसान भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं।

- जैविक कपास की कृषि पर्यावरण हितैशी होने के साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है।
- जैविक कपास के उत्पादन से कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है।
- जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं होता है।
- जैविक कपास के उत्पादन से बाजारों में सबसे अलग पहचान बनी है।
- जैविक कपास की कृषि से मृदा का उपजाऊपन लम्बी अवधि तक होता है। जैसे – मृदा की उपजाऊ क्षमता में सुधार (नरम मृदा, जल का अधिक सोखना) जलधारण क्षमता को बढ़ाना आदि।
- जैविक कपास उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम से सतत प्रयास किए जा रहे एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या, महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

जैविक कपास की कृषि के लिए निम्न प्रक्रिया आवश्यक है :-

चित्र क्रमांक 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)

चित्र क्रमांक 01 का संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है :-

- (1) मृदा की उपजाऊपन में सुधार (नरम मृदा, जल का अधिक सोखना) जल धारण क्षमता को बढ़ाना और रखरखाव का उचित प्रयोग करना।
- (2) फसल चक्र और फसल विविधता की स्थापना, प्राकृतिक सन्तुलन का पोषण।
- (3) जैविक कपास उत्पादन करने वाले कृषक यह सुनिश्चित कर लें कि जो बीज लिया वह जैविक विधि से उत्पन्न किया गया हो।
- (4) जैविक खाद की मात्रा उचित समय में जैविक कपास की कृषि में देना।
- (5) सुक्ष्म फसल प्रबन्धन जैसे-निंदाई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण एवं उचित समय पर सिंचाई।
- (6) सावधानीपूर्वक फसल अनुश्रवण और कीट से उचित संरक्षण, आर्थिक प्रारम्भ स्तर आधार पर।
- (7) सुक्ष्म और उचित तरीके से जैविक कपास को बीनना।
- (8) उचित निरीक्षण, प्रभावीकरण और अभिलेखन।

कपास उत्पादन की योजना - सामान्यतया कृषक की फसल से आमदनी उपज, उत्पादन लागत बाजार की कीमत और उत्पादन जोखिम पर निर्भर रहती है। चार तरीके हैं जिससे कृषक अच्छी और अधिक आमदनी जैविक कपास कृषि के उत्पादन से प्राप्त कर सकता है।

- मृदा के उपजाऊपन में सुधार कर जैविक कपास के कृषि उत्पाद बढ़ा सकते हैं।
- फसल उत्पादन की कीमत घटाकर।
- जैविक कपास उत्पाद की अच्छी कीमत।
- जैविक कपास उत्पाद का जोखिम कम कर।

जैविक कपास का कृषक अधिक उत्पादन लाभ तब प्राप्त करते हैं जब ये चारों उपायों को एक साथ अपनाते हैं।

अभी भी विश्व की औसत उपज 705 कि.ग्रा. से 805 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना में कम है, आने वाले वर्षों में कपास के उत्पादन में और अधिक उपज प्राप्त होने की उम्मीद है। भारत में कपास की कृषि में हो रहे परिवर्तन, भविष्य में वर्तमान कपास उत्पादकता, विश्व की औसत उत्पादकता के स्तर पर पहुँचने की सम्भावना है।

कपास की फसल वर्ष 2000-01 से वर्ष 2016-17 तक भारत में कपास का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में प्रगति निम्न तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है -

तालिका क्रमांक 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)

रेखाचित्र क्रमांक 03 (देखें आगे पृष्ठ पर)

भारत में कपास का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

आकृति क्रमांक 02 (देखें आगे पृष्ठ पर)

जैविक कपास उत्पादन से अधिक आय प्राप्त की दो प्रमुख योजनाएँ है -

- (1) गहन जैविक
 - उच्च उपज, परन्तु उच्च उत्पादन लागत
 - अगर फसल खराब होती है तो अधिक क्षति
 - (2) कम लागत कम जोखिम -
 - कम उपज परन्तु कम उत्पादन लागत भी अच्छी आय
 - अगर फसल खराब होती है तो कम हानि।
- भारत सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन की फरवरी, 2000 में

स्थापना के बाद से अधिक उपज पैदा करने वाली किस्मों के विकास, प्रौद्योगिकी के उचित स्थानान्तरण, बेहतर फार्म प्रबन्धन की प्रथाओं, बीटी कॉटन हायब्रिड आदि की खेती के अधीन वृद्धि क्षेत्र द्वारा उपज और उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन सभी गतिविधियों से ज्ञात होता है कि पिछले 5 से 6 वर्षों से कपास उत्पादन में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रति हेक्टेयर उपज को देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से भी अधिक समय से लगभग 300 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर पर स्थिर थी। वह कपास मौसम वर्ष 2004-2005 में 470 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर और अब 504 कि.ग्रा. से वर्ष 2016-17 में 566 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई है।

कपास की खपत (उपभोग/उपयोग) - भारतीय वस्त्र उद्योग भारत के बड़े उद्योगों में से एक है। वस्त्र उद्योग विनिर्माण उत्पादन में 10 प्रतिशत का, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत तथा भारत की निर्यात आय में 13 प्रतिशत का योगदान देता है। लगभग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। भारतीय कताई उद्योग प्रौद्योगिकी-वार अपनी गति अन्तरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के साथ उचित स्तर तक बनाये रखने में सफल रहा है और आधुनिकीकरण की इस गति को भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1999 में यूप्रौद्योगिकी उन्नयन निर्धी योजना (टीयूएफएस) की स्थापना के साथ एक और प्रेरणा मिली है। 9वीं योजना अवधि के अन्तर्गत कपास खपत में सतत विकास प्राप्त करने के बाद देशीय कपास खपत (उपयोग) में सन्तुलित वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 से 2016-17 के दौरान वस्त्र उद्योग द्वारा कपास खपत की प्रवृत्ति तालिका क्रमांक 02 में निम्न है -

तालिका क्रमांक 02 (देखें आगे पृष्ठ पर)

वैश्विक कृषि उत्पाद में भारतीय कपास उत्पाद का स्थान - भारत विश्व के कपास उत्पाद करने वालों राष्ट्रों में सर्वाधिक कपास उत्पादन वाले प्रथम तीन राष्ट्रों में आता है। विश्व के कपास उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत भारत में उत्पादित होता है। जो कि विश्व के तीसरे स्थान पर है। विश्व में कपास उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र का लगभग 38 प्रतिशत से 41 प्रतिशत है और प्रति हेक्टेयर उपज (504 कि.ग्रा. से 566 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) भी विश्व के औसत (701 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) के मुकाबले भारत पिछड़ा हुआ है। भारत में आने वाले वर्षों में कपास उत्पादन में और अधिक वृद्धि की सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं। तालिका क्रमांक 03 एवं तालिका क्रमांक 04 में निम्न है -

तालिका क्रमांक 03

कपास वर्ष	विश्व	भारत
2016-17	29.24	10.50

क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में

स्रोत- 1. कपास सलाहकार मंडल (सी.ए.बी.) व भारतीय कपास निगम लिमिटेड।

तालिका क्रमांक 04

कपास वर्ष	विश्व	भारत
2016-17	22.85	5.88

अनुमानित उत्पादन (मिलियन में)

स्रोत- 1. कपास सलाहकार मंडल (सी.ए.बी.) व भारतीय कपास निगम लिमिटेड।

निष्कर्ष - 'मध्यप्रदेश में जैविक कपास उपज की सम्भावनाएँ' (पश्चिम निमाड़ के विशेष सन्दर्भ में) विषय पर अध्ययन करने के उद्देश्य से शोधार्थी

द्वारा प्रस्तुत शोध-पत्र पूर्ण किया गया है। शोध क्षेत्र पश्चिम निमाइ के अंतर्गत प्राप्त समकों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैविक कपास की खेती से किसान आत्मनिर्भर बने हैं क्योंकि स्वयं के द्वारा तैयार खाद, दवाइयों एवं बीज को तैयार करता है। जैविक कपास की कृषि से कीट तथा लाभकारी कीट में वातावरण में सन्तुलन बनाये रखते हैं। आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत सामान्य कपास की तुलना में जैविक कपास का उचित मूल्य प्राप्त होता है। जैविक कपास की खेती से मृदा की उपजाऊपन क्षमता में सुधार, जलधारण क्षमता को बढ़ावा एवं फसल स्वस्थ रहती है।

उपरोक्त विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- जैविक कपास का उत्पाद कृषि करने पर प्रति क्विंटल प्रीमियम राशि कृषकों को मिलती है जो सामान्य कृषकों को नहीं मिलती है।
- जैविक कपास उत्पादन की लागत प्रति एकड़ कम होती है।
- जैविक कपास के उत्पाद से मृदा की संरचना में सुधार होता है एवं धीरे-धीरे कपास उत्पादन भी बढ़ने लगता है।

अतः कहा जा सकता है कि जैविक कपास उत्पाद करने पर एक सामान्य कपास उत्पाद की तुलना में कम व्यय लागत आता है साथ ही शासन से प्रीमियम राशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त होती है, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

जैविक कपास की खेती करने वाले कृषकों की समस्याएँ एवं उनका सुधार जैविक कपास की समस्याएं -

जैविक कपास के उत्पादन की वृद्धि में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो कि कपास की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है ये समस्याएँ निम्न प्रकार से स्पष्ट है-

1. जैविक कपास उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों का निर्माण करने में मेहनत अधिक होती है।
 2. जैविक कपास का उत्पादन ज्योतिषि पद्धति के आधार पर की जाती है और यदि इसकी सही देखभाल नहीं होती है तो कपास की खेती पर हानिकारक प्रभाव दिखलाई देते हैं।
 3. जैविक कपास के उत्पादन में बॉर्डर क्रॉप (खेत की सीमा फसल) लगाना जरूरी है क्योंकि रासायनिक खेती करने वाले कृषक के यहाँ से रासायनिक दवाइयों के छिड़काव का जैविक कपास पर प्रभाव होना।
 4. जैविक कपास के उत्पादन पर कई प्रकार के कीटों या इल्लियों के प्रकोप का कारण नियंत्रण तब ही सम्भव है जब कीट व्याधि की पहचान होना।
 5. जैविक कपास के उत्पादन करने वाले कृषकों में शिक्षा का अभाव।
 6. जैविक कपास के उत्पादन में भूमि एवं फसल प्रबन्धन की समस्या।
- जैविक कपास के उत्पादन करने के समस्याओं के सुझाव निम्न है -
- भारत की प्रगति एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारतीय कृषक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तम्भ है। जैविक कपास उत्पादन के सुझाव निम्न है -

1. जैविक कपास उत्पादन करने वाले कृषकों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। जैसे - नहरों का निर्माण नलकूपों, कुओं एवं टपकन (ड्रिप) सिंचाई आदि।

2. जैविक कपास के व्यापार में परिवहन की व्यवस्था भी इस प्रकार से की जानी चाहिए, जो कि कपास को हर प्रकार की हानि से बचाने वाली हो। जैसे - भण्डारण, निर्माण शृंखला, तापमान एवं वायुमण्डल नियंत्रण।
3. जैविक कपास के लिए कृषकों को दी जा रही योजनाओं का विकास करना चाहिए।
4. जैविक कपास उपज प्राप्त करने के लिए समय-समय पर मृदा परीक्षण का विकास किया जाना चाहिए एवं मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ खोली जानी चाहिए।
5. जैविक कपास के उत्पादन में वैज्ञानिक तकनीकों का विकास भी किया जाना चाहिए।
6. जैविक कपास उत्पादन के लिए कृषकों को रियायती दर पर उच्च स्तर के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र एवं खाद आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आगे आये, लाभ उठाये जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेशआयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपालदिसम्बर 2016
2. मध्यप्रदेश एक परिचयरा केश गौतम, जितेन्द्र सिंह भदौरिया टाटा मेग्रा हिल एजुकेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली 2011
3. मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञानकिशोर पटेलमहावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 237, विश्वकर्मा नगर, इन्दौर 2015
4. सदाबहार खेती (जैविक खेती पर संपूर्ण जानकारी) संतोष कुमार पाटीदार कृषक जगत, भोपाल, जयपुर, रायपुर तृतीय सं. 2012
5. शोध प्रणाली एवं सांख्यिकीय तकनीकेंडॉ. श्यामगोपाल शर्मा, डॉ. रवि के. जैन, डॉ. गोविन्द पारीकरमेश बुक डिपो, जयपुर-नईदिल्ली 2010
6. जैविक खेती समृद्ध कृषककृषक जगतकृषक जगत, भोपाल 2014
7. भारतीय अर्थशास्त्र नवल किशोर सिंह मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2016
8. कपास फसलडॉ. फुंदन सिंह, डॉ. महेन्द्र सिंहकृषक जगत, भोपाल, जयपुर, रायपुर 2010
9. जैविक खेती चारुदला मायी, मनोहर परचुरे, राजेन्द्रन टिपी नैसर्गिक खेती अनुसंधान केन्द्र, रामनगर, नागपुर 2005

दैनिक समाचार पत्र -

- दैनिक भास्कर, नईदुनिया, राज एक्सप्रेस, निमाइ न्यूज, बिजनेस स्टैण्डर्ड, लोकमत, इकोनामिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, चौथ संसार, फ्रीप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स।

साप्ताहिक समाचार पत्र -


- रोजगार निर्माण, रोजगार समाचार, कृषक जगत, विशाल निमाइ, आर्थिक जगत द कोऑपरेटर ग्रामीण विकास नई दिशाएँ प्रतियोगिता सम्राट।

प्रमुख इंटरनेट वेबसाइट -

1. www.mpkrisshi.org, www.iccoa.org
2. www.shop.fibl.org, www.mofpi.nic.in
3. www.indiaseeds.com/in/annual-report, www.cicr.org.in

चित्र क्रमांक 01

सफल जैविक कपास की खेती के लिए आवश्यक पद्धति/प्रक्रिया



तालिका क्रमांक 01


भारत में कपास का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख गठान 170 कि.ग्रा. की)	उत्पादन (लाख प्रति हेक्टेयर)	वर्ष (कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख गठान 170 कि.ग्रा. की)	उत्पादन (कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)
2000-01	85.76	140	278	2009-10	103.10	305	503
2001-02	87.30	158	308	2010-11	111.42	339	517
2002-03	76.67	136	302	2011-12	121.78	367	512
2003-04	76.30	179	399	2012-13	119.78	370	525
2004-05	87.86	243	470	2013-14	119.60	398	566
2005-06	86.77	241	472	2014-15	128.46	386	511
2006-07	91.44	280	521	2015-16	118.77	338	484
2007-08	94.14	307	554	2016-17	105.00	351	568
2008-09	94.06	290	524				


स्रोत - 1. भारतीय कपास सलाहकार मंडल (सी.ए.बी.) व भारतीय कपास निगम लिमिटेड।

2. कपास की खेती पुस्तक, कृषक दूत भोपाल।

आकृति क्रमांक 02
जैविक उत्पादन से कृषक की आमदनी में सुधार करना



आकृति क्रमांक 02
जैविक उत्पादन से कृषक की आमदनी में सुधार करना



तालिका क्रमांक 02
वस्त्र उद्योग द्वारा कपास खपत

मात्रा 170 कि.ग्रा. की गाँठे लाख में

वर्ष	कपास खपत	वर्ष	कपास खपत	वर्ष	कपास खपत
2000-01	160.33	2006-07	216.15	2012-13	275.33
2001-02	158.70	2007-08	217.75	2013-14	293.23
2002-03	154.05	2008-09	210.00	2014-15	304.44
2003-04	163.39	2009-10	242.00	2015-16	299.00
2004-05	180.55	2010-11	246.23	2016-17*	303.00
2005-06	199.00	2011-12	245.71		

स्रोत-

1. भारतीय कपास निगम का सलाहकार मंडल (सी.ए.बी.) प्रा.*- अनुमानित
2. कपास की खेती पुस्तक, कृषक दूत भोपाल।

इको फ्रेंडली सेनेटरी नैपकिन

डॉ. इमराना सिद्दीकी * डॉ. फरहाना अली **

शोध सारांश - आमतौर पर मासिक स्त्राव के समय महिलाओं के द्वारा जो सेनेटरी नैपकिन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके कई नुकसान हैं। नमी के कारण यह त्वचा पर चकते उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे खुजली भी उत्पन्न हो जाती है। उपयोग के पश्चात् इन्हें जमीन पर गड्ढों में यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है अजैविक घटक होने के कारण इन्हें समाप्त होने के कई वर्ष लग जाते हैं। बाजार में उपलब्ध सेनेटरी नैपकिन में ब्लीच करने के लिए क्लोरीन डाली जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

प्रस्तावना - इन सब परेशानियों को देखते हुए हमारे द्वारा कई प्रकार के इको फ्रेंडली सेनेटरी नैपकिन बनाए गए हैं।

1. **कपड़े के नैपकिन** - पुराने व्यर्थ कपड़ों से नैपकिन का निर्माण जो कि धोकर पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं और एवं इसकी सोखने की क्षमता भी अधिक होती है।
2. **केला के तने के नैपकिन** - आसानी से उपलब्ध अनुपयोगी केला के तने के रेशे से सेनेटरी नैपकिन का निर्माण।
3. **जैव अपघटित नैपकिन** - आसानी से अपघटित होने वाले सेनेटरी नैपकिन का निर्माण।

आवश्यकता क्यों -

1. नैपकिन बनाने के दौरान इन पर कृत्रिम फ्रेगरेंस और डियो छिड़का जाता है, इन से एलर्जी और त्वचा को नुकसान होने का खतरा रहता है।
2. लंबे समय तक नैपकिन के इस्तेमाल से वैजाइना में स्टेप स्टेफिलो कोकस बैक्टीरिया बन जाते हैं। इससे डायरिया, बुखार और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है।
3. सेनेटरी नैपकिन में डायोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, डायोक्सिन को सबसे नैपकिन को सफेद रखने के लिए काम में लिया जाता है। इसके चलते ओवेरियन कैंसर, हार्मोन डिस्फंक्शन, डायबिटीज, थायराइड आदि की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं ये भी कहा जा रहा है, पैड्स में डाइऑक्सिन भी होता है जिससे ओवेरियन कैंसर हो सकता है। भारत में पीरियड्स के दौरान 35.5 करोड़ में से 80 : लड़कियां/महिलाएं अपना सामान्य रूटीन फॉलो नहीं कर पाती। वे ज्यादातर घर में रहती हैं इसका कारण यह है कि वह महंगे नैपकिन्स नहीं खरीद सकती।
4. प्राचीन काल में महिलाएं अपने इस नियमित शारीरिक चक्र के दौरान पुरानी हाइजीन पद्धति से धो कर सुखाए हुए स्वच्छ सूती कपड़े अथवा नेचुरल प्रोडक्ट कपास/रूई के पेड़ का उपयोग करती थी तथा दो या तीन माह उपयोग के बाद उसे जला कर नष्ट कर देती थी।

हमारी योजना - पुरानी हाइजीन पद्धति से धो कर सुखाए स्वच्छ सूती

कपड़ों अथवा नेचुरल प्रोडक्ट कपास/रूई के पेड़ बनाकर कामकाजी महिलाओं को सस्ते में उपलब्ध कराना। केले के तने से निकले पल्प का उपयोग सेनेटरी नैपकिन बनाने में करना। इससे किसान की कमाई का नया रास्ता भी खुलेगा।

केला एक ऐसा पौधा है जो केवल एक बार फल उत्पन्न करता है। इसलिए केले की फसल लेने के बाद इसका तना किसान के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। बाजार में इसके कोई खरीदार नहीं मिलते। साथ ही यह खेत में पड़ा पड़ा प्रदूषण का कारण भी बनता है। किसानों की समस्या को दूर करने हेतु केले के तने से निकले पल्प का उपयोग सेनेटरी नैपकिन बनाने में कर सकते हैं।

माहवारी को लेकर व्याप्त भ्रांतियां व अंधविश्वास -

1. अछूत या अपवित्र हो गई।
2. अचार नहीं छूना है।
3. मंदिर मस्जिद नहीं जाना है।
4. पेड़ पौधों को नहीं छूना है।
5. परिवार से अलग रहना है।

एक आँकड़े के अनुसार देश भर में 35 करोड़ महिलाएं उस उम्र में हैं, जब माहवारी होती है, लेकिन उनमें से करोड़ों महिलाएं इस अवधि को सुविधाजनक व सम्मान जनक तरीके से नहीं गुजार पाती। एक शोध के अनुसार 71 प्रतिशत महिलाओं को प्रथम मासिक स्त्राव से पहले मासिक धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं होती। क्यों नहीं इस पर चर्चा होती, क्यों नहीं इस पर संवाद स्थापित किया जा सकता है। आज अगर समाज में इस विषय पर संवाद स्थापित किया जाता और इस प्रक्रिया को समझा जाता तो महिलाओं व लड़कियों को जो समस्याएं आती वह नहीं होती। कितनी ही लड़कियां इसे समस्या मानकर स्कूल जाना छोड़ देती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 20 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ देती हैं, और 60 प्रतिशत लड़कियाँ उन दिनों स्कूल नहीं जाती।

यह एक ऐसा विषय है, जिसने औरतों की बेहतरी, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भाशय के मुँह का कैंसर के कूल मामलों में 27 प्रतिशत भारत में होते हैं और डाक्टरों

* प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

** प्राचार्य, शासकीय विद्यालय, स्याही मुड़ी, (छ.ग.) भारत

के अनुसार माहवारी के दौरान साफ सफाई की कमी इसकी प्रमुख वजह है।

चिकित्सक डॉ. श्रीमति मंजूला साहू के सहयोग से हमारे समूह ने माँ सर्वमंगला कन्या छात्रावास में एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में बालिकाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता पर जानकारी देते हुए इस विषय पर खुलकर चर्चा की। डॉ. श्रीमति मंजूला साहू ने कहा कि यह विषय सेहत से जुड़ा है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं में माहवारी को लेकर व्याप्त भ्रांतियाँ को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने इस विषय पर वैज्ञानिक जानकारी देते हुए, स्वच्छता प्रबंधन का महत्व बताया।

प्राचीन काल में महिलाएं अपने इस नियमित शारीरिक चक्र के दौरान पुरानी हाइजिन पद्धति से धोकर सुखाए हुए स्वच्छ सूती कपड़े अथवा नेचुरल प्रोडक्ट कपास/रूई के पैड्स का उपयोग करती थी तथा एक या दो माह उपयोग के बाद उसे जलाकर नष्ट कर देती थी। लेकिन आज के इस आपाधापी के युग में उपयोग में लाए हुए सेनेटरी पेड्स को इस्टबीन या कूड़ादान का रास्ता दिखाकर अपने हाथ एंटीसेप्टिक से धो लिए जाते हैं। बाद में इनका कैसे निपटारा होगा और क्या परिणाम होगा इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाता है।

उपयोग में लाए हुए नेपकीन को कूड़ेदान तक जाना पूरे मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

उद्देश्य - हमारे समूह ने इसी विषय को परियोजना कार्य हेतु क्यों चुना, इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. स्वच्छता से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न करना।
2. स्वास्थ्य, स्वच्छता की जानकारी देते हुये माहवारी पर खुलकर चर्चा करना।
3. मासिक धर्म सम्बन्धित गलत अवधारणाओं को दूर करना।
4. माहवारी स्वच्छता सम्बन्धित सही जानकारी देना।
5. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी तोड़ना।

यह एक ऐसा विषय है, जिसमें औरतों की बेहतरी, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित किया है।

समाधान के उपाय -

1. विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा माहवारी को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियाँ व अंधविश्वास को दूर करना आवश्यक है।
2. उपयोग में लाए हुए नेपकिन को इस्टबीन में ना फेंक सही तरीके से निपटारा होना चाहिए।
3. सभी महिला शौचालय में उपयोग में लाए हुए नेपकिन के निपटारे हेतु इनसिनेटर या बर्निंग मशीन होना चाहिए।
4. स्व सहायता समूह के माध्यम से भी इको फ्रेंडली सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।
5. सेनेटरी नेपकिन के व्यवसायिक उत्पादन के दौरान खतरनाक रसायन एवं कृत्रिम डियो आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए।
6. समय-समय पर महिलाओं व बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता सम्बन्धित सही जानकारी देते हुए उनके मध्य संवाद स्थापित कर चुप्पी तोड़ना चाहिए।

भविष्य की कार्य योजना - पुरानी हाइजिन पद्धति से धोकर सुखाए हुए स्वच्छ सूती कपड़ों अथवा नेचुरल प्रोडक्ट कपास/रूई के पैड्स बनाकर कामकाजी महिलाओं को सस्ते में उपलब्ध कराया जा सकता है।

केले के तने से निकला पल्प का उपयोग सेनेटरी नेपकिन बनाने में किया जा सकता है। इससे किसान की कमाई का नया रास्ता भी खुलेगा।

केला एक ऐसा पौधा है जो केवल एक बार फल उत्पन्न करता है। इसलिए केले के फसल लेने के बाद इसका तना किसान के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। बाजार में इसके कोई खरीददार नहीं मिलते साथ ही यह खेत में पड़ा पड़ा प्रदूषण का कारण भी बनता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने हेतु केले के तने से निकले पल्प का उपयोग सेनेटरी नेपकिन बनाने में किया जा सकता है। भारत में लगभग सात लाख हेक्टेयर जमीन पर केले की खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 टन तक बेकार हो जाने वाला तना मिल सकता है। इससे 600 से 800 किलो तक से रेशा प्राप्त किया जा सकता है। तने से रेशा निकालने की मशीन 'रेस्पेडर' का विकास विज्ञान व तकनीकी द्वारा किया जा चुका है, इसी प्रकार के रेशा निकालने की मशीन व प्रेशर मशीन द्वारा केले के पल्प से सेनेटरी नेपकीन बनाया जा सकता है।

परियोजना को पूर्ण करने में प्राप्त जानकारी - इस परियोजना कार्य को पूरा करने में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वे इस प्रकार है।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भाशय को मुँह का कैंसर के कुल मामलों में 27 प्रतिशत भारत में होती है और डाक्टरों के अनुसार माहवारी के दौरान साफ-सफाई की कमी इसकी प्रमुख वजह है।
2. प्राचीन काल में महिलाएं अपने इस नियमित शारीरिक चक्र के दौरान पुरानी हाइजिन पद्धति से धोकर सुखाए हुए स्वच्छ सूती कपड़े अथवा नेचुरल प्रोडक्ट कपास/रूई के पैड्स का उपयोग करती थी तथा एक या दो माह उपयोग के बाद उसे जलाकर नष्ट कर देती थी।
3. इस प्रोजेक्ट कार्य के दौरान हमें पता चला कि 28 मई को 'विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधित गलत अवधारणाओं को दूर कर महिलाओं व किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन संबंधित सही जानकारी देना है।
4. इस दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आहार की अहम भूमिका होती है। सही पोषण लेने से पेट में ऐंठन व दर्द में भी आराम मिलता है। इस समय उपवास से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अधिक विटामिन्स व मिनेरल्स की आवश्यकता होती है।
5. इस समय भोजन में मैग्निशियम वाले भोज्य पदार्थ को अवश्य शामिल करना चाहिए क्योंकि इस समय मस्तिष्क में सेरेटॉनिन नामक हार्मोन बनता है, जो भावनाएं व दर्द की अनुभूति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्निशियम सेरेटॉनिन को नियंत्रण में रखकर मानसिक बदलाव के नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। अतः फल, हरे पत्तेदार सब्जियाँ दूध पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए।
6. व्यायामिक रूप से नेपकिन बनाने के दौरान इन पर कृत्रिम फ्रेगरेन्स और डियो छिड़का जाता है। इनसे एलर्जी और त्वचा को नुकसान होने का खतरा रहता है।
7. लंबे समय तक नेपकिन के इस्तेमाल से वेजाइना में स्टेफिलो कोकस अरियस वेक्टोरिया बन जाते हैं। इससे डायरिया बुखार और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है।
8. सेनेटरी नेपकिन में डायोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। डायोक्सिन को नेपकिन को सफेद रखने के लिए काम में लिया जाता है। इसके चलते ओवेरियन कैंसर, हार्मोन डिसफंक्शन, डायबिटीज और थायराइड की समस्या हो सकती है।
9. भारत में पीरियड्स के दौरान 35.5 करोड़ में से 80 प्रतिशत लड़कियाँ महिलायें अपना सामान्य रूटीन फॉलो नहीं कर पाती। वे ज्यादातर घर में

रहती है, इसका कारण यह है कि वे महँगे सेनटरी नैपकिन नहीं खरीद सकती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हमारे परियोजना का विषय माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन, जागो सखियाँ।
इस पर हमें आवश्यक जानकारी विभिन्न पत्रिकाएँ समाचार पत्र, किताब
व व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त हुई।

समाचार पत्र - जनसत्ता, नई दुनिया

किताब -

1. सरिता

2. मनोरमा

व्यक्तिगत साक्षात्कार -

1. डॉ. श्रीमति मंजुला साहू चिकित्सक (छ.ग.वि.मं. चिकित्सालय)
2. श्रीमति मालती जोशी, रसायनज्ञ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल।
3. श्रीमती अद्यन बाई वार्ड पार्षद स्याहीमुडी।
4. श्रीमति अनिता महंत सचिव माँ शारदा स्व सहायता समूह।

मध्यप्रदेश में जल विद्युत एक अध्ययन

डॉ. प्रतापराव कदम * पुष्पा चौहान **

शब्द कुंजी – म.प्र. परियोजना, नदियाँ, जल, विद्युत, केन्द्र, उत्पादन क्षमता, मेगावॉट, बांध।

म.प्र. के जल विद्युत गृहों का परिचय – मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, साथ ही म.प्र. में लगभग 207 छोटी-बड़ी नदिया बहती है। प्राचीन समय से ही म.प्र. की नदियों का उल्लेख किया गया है। हमारे देश में सर्वाधिक नदिया म.प्र. में प्रवाहित होती है, इसी कारण म.प्र. को नदियों का मायका कहा जाता है। म.प्र. में प्रवाहित होने वाली नदिया प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। म.प्र. की प्रमुख नदिया नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, केन, बेतवा आदि हैं। नर्मदा नदी म.प्र. की सबसे बड़ी नदी है तथा म.प्र. की जीवन रेखा कहलाती है।

मध्यप्रदेश की ये नदिया अलग-अलग राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों के जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इन नदियों पर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर जल एकत्र किया जाता है।

परिकल्पना :

1. जल विद्युत से प्रदूषण नहीं होता है।
2. शक्ति साधन का सबसे सस्ता साधन है।
3. उत्पादन के अलावा अन्य उत्पादन कार्य भी किए जा सकते हैं।
4. प्रदेश की आमदनी में वृद्धि होती है।
5. औद्योगिक विकास होता है।

म.प्र.के जल विद्युत गृहों का इतिहास – स्वतंत्रता के पूर्व म.प्र. में कोई जल विद्युत केन्द्र नहीं था। मध्यप्रदेश की कुछ नदिया बहुत ऊंचाई से गिरती है तथा कई मनोरम व दर्शनीय जल प्रपात बनाती है। म.प्र. में ऊंचाई से गिरते हुए जल से विद्युत प्राप्त करने के लिए जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना की है। म.प्र. में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना द्वारा जल विद्युत प्राप्त करने का कार्य किया गया था।

म.प्र. के प्रमुख जल विद्युत गृह

1. इंदिरा सागर जल विद्युत गृह
2. ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह
3. महेश्वर जल विद्युत गृह
4. गांधी सागर जल विद्युत गृह
5. राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृह
6. जवाहर सागर जल विद्युत गृह
7. बरगी जल विद्युत गृह
8. बाण सागर जल विद्युत गृह

9. राजघाट जल विद्युत गृह

10. पेंच जल विद्युत गृह

11. टोंस जल विद्युत गृह

इंदिरा सागर जल विद्युत गृह – इंदिरा सागर जल विद्युत गृह ;पुनासाद्ध जल विद्युत गृह म.प्र. के खंडवा जिले में ग्राम पुनासा में नर्मदा नदी पर 31 मार्च 2005 को शुरू किया गया। इस जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावॉट है। इस जल विद्युत गृह की प्रारंभ में विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावॉट थी, जिसे बढ़ाकर 1000 मेगावॉट कर दिया गया। इंदिरा सागर जल विद्युत गृह म.प्र. सरकार की सबसे बड़ी जल विद्युत गृह परियोजना है।

ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह – ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह म.प्र. के खण्डवा जिला ओंकारेश्वर में नर्मदा घाटी परियोजना का एक अंग है। यह बांध म.प्र. के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 33 मीटर तथा लंबाई 949 मीटर है। इस बांध पर ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह की स्थापना की गयी। इसकी प्रारंभ में उत्पादन क्षमता 250 मेगावॉट थी, जिसे बढ़ाकर 520 मेगावॉट कर दिया गया।

महेश्वर जल विद्युत गृह – महेश्वर जल विद्युत गृह म.प्र. के खरगोन जिला महेश्वर में नर्मदा सागर परियोजना का एक अंग है। इस बांध पर महेश्वर जल विद्युत गृह स्थापित किया गया। इस जल विद्युत गृह की प्रारंभ की विद्युत उत्पादन क्षमता 320 मेगावॉट थी, जिसे बढ़ाकर 450 मेगावॉट कर दी गयी।

गांधी सागर जल विद्युत गृह – गांधी सागर जल विद्युत गृह चंबल घाटी परियोजना का एक अंग है। यह बांध मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1970 में पूर्ण हुआ तथा इसके अतिरिक्त ढांचे को पूरा किया गया। इस बाँध की ऊंचाई 62.5 मीटर तथा लंबाई 514 मीटर है। यह परियोजना म.प्र. व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावॉट है। जिसकी पांच इकाई 23 मेगावॉट विद्युत इकाईया है। इस जल विद्युत गृह से प्राप्त विद्युत का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह – राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह चंबल घाटी परियोजना का द्वितीय चरण का एक अंग है। यह बांध राजस्थान के चित्तौडगढ जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 कि.मी. दूर धूलिया प्रपात के पास रावतभाटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। यह बांध म.प्र. व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।

इस बांध पर 1970 में राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित किया

* प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत
** व्याख्याता, एम.ओ.एम. महात्मा ज्योतिरा फूले शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

गया। इस जल विद्युत गृह की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावॉट है जिसकी चार इकाईयाँ 43 मेगावॉट की स्थापित की गयी है। इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

जवाहर सागर जल विद्युत गृह - जवाहर सागर जल विद्युत गृह चंबल घाटी परियोजना का तृतीय चरण का एक अंग है। यह बांध राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है जो कि राणा प्रताप सागर बांध से 32 कि.मी. आगे है। यह बांध म.प्र. व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस बांध पर जवाहर सागर जल विद्युत गृह स्थापित किया गया। इस जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावॉट है, जिसकी तीन इकाईयाँ 33 मेगावॉट की स्थापित की गयी है। इससे प्राप्त विद्युत म.प्र. व राजस्थान को 50-50 प्रतिशत प्रदाय की जाएगी। इससे प्राप्त विद्युत म.प्र. उद्योगों को प्रदान करेगा।

बरगी जल विद्युत गृह - बरगी जल विद्युत गृह बरगी बांध परियोजना पर निर्मित है। इस परियोजना को केंद्रीय जल व विद्युत आयोग ने 1974 में बांध निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस बांध की ऊंचाई 69 मीटर व लंबाई 5.4 कि.मी. है। यह गृह जबलपुर जिले के ग्राम बिजौरा के निकट नर्मदा नदी की सहायक बरगी नदी पर निर्मित है। इसे रानी अंबतीबाई जल विद्युत गृह के नाम से भी जाना जाता है। इससे 105 मेगावॉट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित किया गया, लेकिन वर्तमान में इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावॉट है, जिसमें 45 मेगावॉट की दो इकाईया संचालित की जा रही है।

बाण सागर जल विद्युत गृह - बाण सागर जल विद्युत गृह बाण सागर परियोजना पर है। इस परियोजना की आधारशिला 14 मई 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गयी। यह परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 सितंबर 2006 को देश को समर्पित किया। इस परियोजना से म.प्र. में 2490 कि.मी., उत्तरप्रदेश में 1500 कि.मी. व बिहार में 940 कि.मी. क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी।

यह परियोजना म.प्र., उ.प्र. व बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो कि सोन नदी पर निर्मित है जिसमें राज्यों को 2:1:1 के अनुपात में पानी का बंटवारा किया गया। इस परियोजना में 63 मी. ऊंचा व 1020 मीटर लंबा बांध बनाया गया है।

यह जल विद्युत गृह रीवा-शहडोल पर सोन नदी पर स्थापित किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 435 मेगावॉट है। इसकी तीन इकाईयाँ 115 मेगावॉट की शुरू की गयी।

राजघाट जल विद्युत गृह - राजघाट जल विद्युत गृह राजघाट बांध परियोजना पर है। यह परियोजना म.प्र. व उ.प्र. की संयुक्त परियोजना है। इस बांध का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर किया गया। इस परियोजना का प्रथम चरण 1992 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना से उ.प्र. में 380 वर्ग कि.मी. तथा म.प्र. में 1210 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी।

यह जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 45 मेगावॉट है जिसकी 15 मेगावॉट की तीन इकाईया संचालित की जा रही है। इस जल विद्युत गृह को रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत गृह के नाम से भी जाना जाता है।

पेंच जल विद्युत गृह - पेंच जल विद्युत गृह पेंच घाटी परियोजना का एक अंग है। पेंच जल विद्युत गृह म.प्र. के छिंदवाडा जिले में पेंच नदी पर स्थापित किया गया। यह जल विद्युत गृह म.प्र. व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 160 मेगावॉट है। जिसमें से म.प्र. को 97 प्रतिशत व महाराष्ट्र को 3 प्रतिशत विद्युत प्रदान की जाती है।

टोंस जल विद्युत गृह- टोंस जल विद्युत गृह 1990 में म.प्र. के रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थापित किया गया है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 315 मेगावॉट है।

इस प्रकार म.प्र. में जल विद्युत परियोजना आवश्यकता से कम नहीं है। आज विभिन्न नदियों को आपस में जोड़कर वर्ष भर पानी बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रदेश को ऊर्जा संकट से उभारा जा सके। इसी आधार पर म.प्र. में केन-बेतवा लिंक परियोजना तैयार की गयी है, जिससे म.प्र. को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिए उचित कार्मिक प्रबंधन होना आवश्यक है।

तालिका क्रमांक 1 - मध्यप्रदेश के जल विद्युत उत्पादन गृहों की स्थिति एक नजर में

जल विद्युत गृह	कुल उत्पादन क्षमता
इंदिरा सागर ;पुनासाद्ध	1000
ओंकारेश्वर	520
महेश्वर	450
गांधी सागर	115
राणा प्रताप सागर	172
जवाहर सागर	99
बरगी	90
बाण सागर	435
राजघाट	45
पेंच	160
टोंस	315

उपरोक्त तालिका मध्यप्रदेश के जल विद्युत उत्पादन गृहों की कुल उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। इन जल विद्युत उत्पादन गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 3401 मेगावाट हैं। मध्यप्रदेश के जल विद्युत उत्पादन गृहों में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता निमाड़ अंचल के जल विद्युत गृह इंदिरा सागर जल विद्युत उत्पादन गृह की कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। यदि देखा जाय तो इनमें सबसे कम उत्पादन क्षमता राजघाट जल विद्युत उत्पादन गृह की हैं। मध्यप्रदेश के जल विद्युत उत्पादन क्षमता को देखे तो ओंकारेश्वर जल विद्युत गृह की 520 मेगावाट, महेश्वर जल विद्युत गृह की 450 मेगावाट, गांधी सागर जल विद्युत गृह की 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की 172 मेगावाट, जवाहर सागर जल विद्युत गृह की 99 मेगावाट, बरगी जल विद्युत गृह की 90 मेगावाट, बाण सागर जल विद्युत गृह की 435 मेगावाट, राजघाट जल विद्युत गृह की 45 मेगावाट, पेंच जल विद्युत गृह की 160 मेगावाट, टोंस जल विद्युत गृह की 315 मेगावाट क्षमता है। इसे निम्न रेखाचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है-

चित्र 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

चित्र 1 मध्यप्रदेश के जल विद्युत उत्पादन गृहों की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। इन जल उत्पादन गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 3401 मेगावाट हैं। इनमें इंदिरा सागर (पुनासा) जल विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, जो अन्य उत्पादन गृहों से अधिक विद्युत क्षमता है तथा मध्यप्रदेश के कुल उत्पादन क्षमता का 29.40 प्रतिशत है। इन जल विद्युत उत्पादन गृहों में ओंकारेश्वर का 15.29 प्रतिशत, महेश्वर का 13.23 प्रतिशत, गांधी सागर का 3.38 प्रतिशत, राणा प्रताप सागर का 5.44

प्रतिशत, जवाहर सागर का 2.91 प्रतिशत, बरगी का 2.65 प्रतिशत, बाण सागर का 12.79 प्रतिशत, राजघाट का 1.32 प्रतिशत, पेंच का 4.70 तथा टोंस का 9.26 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता है।

पुष्टि :

1. विद्युत उत्पादन के जितने विकल्प हैं जैसे- जल, ताप, परमाणु। इनमें जल विद्युत से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ताप विद्युत के आसपास राख उड़ने की समस्या होती है, जो हवा को प्रदूषित करती है और खेती भी इससे प्रभावित होती है। खंडवा क्षेत्र में सिंगाजी ताप विद्युत गृह में प्रदूषण की इस समस्या को देखा जा सकता है, जबकि जल विद्युत गृहों से कोई प्रदूषण नहीं होता है।
2. यह जल विद्युत ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है। एक बार बांध पर बड़ा व्यय कर सदियों तक उससे जल विद्युत प्राप्त की जा सकती है। लागत की तुलना में जितना लाभ होता है वह खर्च को समायोजित कर देता है।
3. विद्युत उत्पादन के बनाए गए बांधों से विद्युत उत्पादन तो होता है साथ


ही साथ बड़ी मात्रा में खेती को पानी भी प्राप्त होता है यानि की सिंचाई की सुविधा बढ़ती है। बांध के पानी में मतस्य उत्पादन भी किया जाता है, जिससे सैंकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है तथा बांध पर्यटन को भी आमंत्रित करते हैं।

4. राज्य व केन्द्र सरकार को राजस्व के रूप में बड़ी आय होती है क्योंकि इस पर व्यय कम आता है।
 5. जल विद्युत सस्ती होती है। उद्योगों का आधार ही विद्युत होती है यदि यह आसानी से उपलब्ध है, तो उद्योगों का विकास होना निश्चित है।
- उपसंहार -** म.प्र. प्राकृतिक रूप से सम्पन्न है और नर्मदा नदी ईश्वर का वरदान है। जब इस प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब यह राज्य गंभीर जल विद्युत संकट से गुजर रहा था परंतु आज बेहतर स्थिति है। इसका श्रेय इंदिरा सागर परियोजना को जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

चित्र 1



मानवाधिकार हो विकास का लक्ष्य

डॉ. संगीता कुँभारे*

शोध सारांश - अन्तरराष्ट्रीय परिवेश में मानव अधिकारों की भूमिका बेहद आवश्यक हो गई है। अधिकार मानव की गरिमा को बढ़ाकर समाज में सम्पन्नता एवं सौहार्द बढ़ाते हैं। विकास की प्रचलित प्रक्रिया मानवाधिकारों की पुष्ट करने वाली है या उनका हनन करने वाली ? मानवाधिकारों को भी अधिकशतः राजनीतिक सन्दर्भ में ही समझा जाता है यानी चुनाव और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है लेकिन मानवाधिकारों के पहलू और भी हैं। जिनमें आर्थिक - सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। हम अपनी विकास नीतियों पर फिर से विचार करें और देखें की क्या विकल्प हो सकता है जो उत्पादन वृद्धि तो करे, साथ ही रोजगार, समानता, और मानवाधिकारों को भी पुष्ट करता हो।

मानव अधिकारों की प्राप्ति से भाई-चारे एवं साम्प्रदायिक बघुत्व को बल मिलता है। मानव अधिकार जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करके शान्ति एवं भाईचारे को बढ़ाता है। उन्नति एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। मानव अधिकार मरिष्ठक की अभिवृत्ति है, जो मानव और उसकी शक्तियों, मामलों लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्व प्रदान करता है। मानव की प्रसन्नता एवं खुशहाली के साथ ही मानव की पूर्णता सम्बन्धित है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है। मानवता की सेवा मानवता का धर्म है। शान्ति उसका संकल्प है और युद्ध का घोर शत्रु है। इस धरती पर शान्ति एवं खुशहाली की स्थापना की आवश्यकता तथा संभावना पर बल देता है।

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मानवाधिकारों का विकास कहाँ तक हो रहा है, यह जानना है। मानवाधिकार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है संसार के सारे कानून, नियम संविधान, संस्कार अथवा परम्पराएं मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास के लिए एवं उनके हनन को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। प्राचीन समय में राजा का प्रथम कर्तव्य होता था कि वह अपनी प्रजा को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करें एवं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। आदर्श नागरिकता प्रजातंत्र और मानववाद एवं राष्ट्रीय एकता, अन्तराष्ट्रीय भावना जैसे मूल्य समाज एवं राजनीति दोनों का स्पर्श करते हैं। व्यक्ति समाज की अन्यतम इकाई है। व्यक्तियों से ही समाज और समाज से ही व्यक्तियों का अस्तित्व है। अतः व्यक्तियों के मानव अधिकारों के विकास के उद्देश्यों से ही किसी भी देश, राज्य या नगर का प्रशासनतंत्र एवं उसकी समस्त शासकीय एवं अशासकीय व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भी यही था। मानवाधिकारों का विकास पूर्ण रूप से एवं उचित रूप से हो सके इसके प्रयत्न स्वरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ-साथ राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोगों एवं मानव अधिकार न्यायालयों का भी गठन किया गया है। इस तरह क्या-क्या किया गया है यह जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है।

विवेचन और विश्लेषण - विकास को सामान्य तौर पर केवल आर्थिक सन्दर्भ में ही समझा जाता है और उसका मूल्यांकन जी.डी.पी. के आधार पर किया जाता है। जो भाग्यक अवधारणा है। इसीलिए सरकार और आर्थिक मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय - अन्तराष्ट्रीय एजेसिया हर तिमाही-छमाही इसके आँकड़े प्रकाशित करती रहती हैं, जो उनका व्यवसाय है। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब अगर सामान्य जनता के जीवन की खुशहाली है तो महज जी डी पी के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तब हमें देखना होगा कि खुशहाली तो दूर क्या सामान्य जन की बुनियादी जरूरतें भी आवश्यक मात्रा में पूरी हो रही हैं।

चीन और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या इन दोनों देशों में आसानी से रोजगार उपलब्ध है या नहीं कुछ वर्ष पूर्व अपनी चीन यात्रा के दौरान वहाँ के अंग्रेजी समाचार पत्र चाइना डेली में प्रकाशित खबरों से पता चला कि चीनी समाज में भयंकर बेरोजगारी, गरीबी और उससे पैदा हिंसक झड़पें सामने आ रही हैं। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई। हमारे यहाँ अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल जनसंख्या का लगभग साढ़े सतहत्तर प्रतिशत हिस्सा अपनी सभी प्रकार की जरूरतें: तीस रुपये प्रतिदिन में किसी न किसी तरह पूरी करने को मजबूर है। इस साढ़े सतहत्तर फीसदी हिस्से को भी उस रिपोर्ट में तीन श्रेणियों में बांटा गया था। क्योंकि उसका निम्न स्तर का हिस्सा भी नौ रुपये प्रतिदिन तथा मध्य स्तर का हिस्सा पन्द्रह रुपये प्रतिदिन से काम चलाता है। क्या ऐसी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना वाजिब कहा जा सकता है कुछ चुनिन्दा देशों को छोड़कर सामान्य जनता की यह स्थिति लगभग सभी जगह देखी जा सकती है।

शायद इसीलिए डडले सियर्स जैसे अर्थशास्त्री के विकास को मापने के पैमाने में तीन मुख्य आधार थे। पहला, गरीबी का उन्मूलन दूसरा सबके लिए रोजगार और तीसरा आर्थिक असमानता में निरन्तर कमी। जिस देश में किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हो बढ़ती युवा जनसंख्या रोजगार के अभाव में हिंसक और आपराधिक कामों में फंसती जा रही हो बैंकों की स्थिति चरमराती लगती हो, वहाँ क्या तटस्थ दृष्टि से अपनी आर्थिक और विकास परक नीतियों का कुछ जायजा लेना उचित नहीं होगा?

इसी के साथ एक सवाल यह भी बनता है कि क्या विकास के मूल्यांकन की कोई मानवाधिकार परक दृष्टि भी हो सकती है। यदि जी डी पी में बढ़ोतरी का भी एक आधार माने तो भी यह सवाल तो बना ही रहता है। किसी बढ़ोतरी की अपनी कीमत क्या है और समाज का कौन-सा वर्ग वह कीमत चुका रहा है। विकास की प्रचलित प्रक्रिया मानवाधिकार को पुष्ट करने वाली है या

उनका हनन करने वाली है ? मानवाधिकारों को अधिकतर राजनीतिक सन्दर्भ में ही समझा जाता है। यानी चुनाव और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार लेकिन मानवाधिकारों के पहलुओं में आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल है। अगर हम केवल अपने देश के संदर्भ में विचार करे तो स्पष्ट है कि हमारे विकास कार्यक्रम बड़ी हद तक मानवाधिकार विरोधी है। प्राकृतिक विनाश के अलावा पाँच करोड़ से अधिक लोग अपने इलाको से विस्थापित होकर भटकने को मजबूर है। यह संख्या बढ़ती ही जानी है और भाषा शोध के अनुसार दो सौ बीस भाषाएँ लुप्त हो चुकी है, जो सांस्कृतिक मानवाधिकार का स्पष्ट हनन है। एक भाषा के लुप्त होने का मतलब एक भाषिक समूह तथा उस भाषा में सजाएँ ज्ञान का लुप्त हो जाना है। एक सामाजिक समूह की अस्मिता का नष्ट हो जाना है। इसीलिए नियमिगिरी पहाड़ियों में सरकार द्वारा खनन की अनुमति के मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पडा कि वहाँ के निवासियों की सहमति के बिना खनन नहीं किया जा सकता। अन्य जगहों के आदिवासियों के इलाकों में बांधो और खनन के कारण न जाने उनके कितने आस्था - स्थल डूब या खनन का ग्रास हो गए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है।

दिल्ली जैसे महानगदों में झारखंड या छत्तीसगढ़ से आए जो लडके लडकियाँ घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत है, वे अधिकांशतः विस्थापित ही है। यही हाल उड़ीसा, आंध्र महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के आदिवासी इलाकों से विस्थापितों का है। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो जबरन विस्थापन एक प्रकार का जाति हनन है, क्योंकि एक सामाजिक सांस्कृतिक समूह के रूप में विस्थापित समूह धीरे-धीरे अपने को खो देता है ये लोग न केवल अपनी भाषा संस्कृति और निवास खो देते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय भी। अगर कुछ मुआवजा उन्हें मिलता भी है तो उसका कोई निरन्तर लाभ देने वाला उपयोग वे नहीं जानते। बैंक में जमा कर दिये जाने पर भी उस रकम की वास्तविक कीमत बढ़ती महंगाई और घटती ब्याज दरों के कारण कम होती जाती हैं।

भारतीय गणतंत्र की सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा 1993 में किया गया जिसे वर्ष 1994 में एक अधिनियम द्वारा ज्यादा सृढ़ व व्यवस्थित बना दिया गया। सन 1994 के अधिनियम में राज्यों में मानवाधिकार आयोग और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन या उल्लंघन के मामलों की जाँच करता है। ऐसा वह स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किए जाने पर करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष के पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मानवाधिकारों के विषय में जानकारी रखने वाल सदस्य, एक उच्च न्यायालय का वर्तमान या पदमुक्त न्यायाधीश तथा तीन सदस्य और भी होते हैं। ये तीन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री लोक सभाध्यक्ष, लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता, गृहमंत्री राज्य सभा के उपसभापति तथा राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग - मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में

उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण या उससे सम्बंधित मामलों के लिए किया गया है। मानवाधिकार ने आज के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण गैरसरकारी संस्थाएँ हैं। सभ्यता की प्रगति के लंबे इतिहास में जिन्होंने मानवाधिकारों की देखभाल की। मानवाधिकार संगठनों के अलावा कुछ अन्य संगठन भी हैं, जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रयास में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं युद्ध की विभीषिकाओं और महामारियों इत्यादि के प्रकोप से बचाने के लिए भी गैरसरकारी संगठन अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस शृंखला में मानवाधिकारों से सम्बद्ध विश्वव्यापी संगठन एमनेस्टी इन्टरनेशनल का नाम सबसे पहले आता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन की शुरुआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मई 1961 में अखबारों में एक अपील देकर की थी। आज लगभग दुनिया के 150 देशों में उसके पाँच लाख से ज्यादा सदस्य हैं। जो जरूरत पड़ने पर अपनी सेवाएँ देते हैं। विश्व में होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों पर यह संगठन वार्षिक रिपोर्ट देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे सलाहकारी दर्जा प्राप्त है। इस संगठन को सन 1977 में नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह संगठन महिलाओं, बच्चों तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करता है। यह संगठन विभिन्न देशों के पीड़ित और जरूरतमद लोगों की सेवा के लिए कार्य करता है।

निष्कर्ष - भारत में मानवाधिकार संरक्षण संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार के संरक्षण के महत्तम प्रयास किये गये हैं। लेकिन यह सभी प्रयास कानूनी और नियमों के रूप में पाए जाते हैं। वास्तव में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का निरन्तर हनन होता जा रहा है। इसके लिए धार्मिक और शिक्षा का अभाव वजह है। अस्पृश्यता, धार्मिक और घरेलू क्षेत्र में प्रबंध रूप में विद्यमान है। दलित और महिलाओं में शिक्षा का प्रमाण आज भी कम है।

वास्तव में मानवाधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के उपाय तो पहले से कही ज्यादा मजबूत हैं और सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। यदि इसान इंसानियत से एक-दूसरे से व्यवहार करें जातिवाद की भावना का खात्मा करें और पूरे संसार में केवल इसानियत को धर्म माना जाये साथ ही संसार में केवल दो ही जाति मानी जाए एक स्त्री और पुरुष तो मानव अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो किसी के भी अधिकारों के हनन का सवाल पैदा नहीं होगा।

उचित अवसर कि हम अपनी विकास नीतियों पर फिर से विचार करें और देखे कि क्या विकल्प हो सकता है जो उत्पादन वृद्धि तो करें, साथ ही रोजगार, समानता और मानवाधिकारों को पुष्ट करता हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बी.एल. फडिया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्र भारत में मानवाधिकार, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
3. ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट - 2010।
4. रिसर्च जर्नल आर्ट्स, मेनेजमेन्ट और सोशल साइन्स - 2013।
5. प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका।
6. दैनिक समाचार-पत्र।

महिला एवं पंचायती राज्य

डॉ. प्रीति मुरडिया *

प्रस्तावना – ‘जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।

– स्वामी विवेकानन्द

महिला विकास में पंचायती राज की विशेष भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आ रहे हैं तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला विकास में पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है।

महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक मानसिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो उसमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उसके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो।

देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान तो दे दिया और बाद की सभी सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए जिससे उनकी अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता के लिए अवसर प्राप्त हुए। केन्द्र एवं विभिन्न राज्यसरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं की विमुक्ति की दिशा में बहुत कुछ किया है।

प्रधानमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व से युक्त विकास के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्र हमेशा ही महिलाओं से सशक्त होता आया है। उन्होंने महिला विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सोचने की अपील की।

महिला विकास के उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना पर आधारित है क्योंकि लैंगिक समानता को सु-शासन की कुंजी कहा जाता है।

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं में परिलक्षित होती है। किन्तु महिलाओं के पोषण एवं उनके अधिकारों को लेकर हमारे देश में बहुत काम नहीं हुआ है। लिंग भेद और माताओं के कुपोषण को समाप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है ये मूल रूप से असली समस्याएँ हैं, हमारे यहाँ माताओं के कुपोषण की घटनाएँ इस कदर व्यापक हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

महिला विकास एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसमें हमें अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं पारिवारिक ढाँचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिन्तन करना होगा। जिसमें असमानता गहरे रूप से विद्यमान है। जहाँ तक राजनीतिक संरचना का प्रश्न है महिलाएँ आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन अनमें से सिर्फ 18 फीसदी ही सांसद हैं।

नार्डिक देशों में 41% अमेरिका देशों में 21.8% अन्य यूरोपीय देशों में 19.1 अफ्रीका देशों में 17.2 अरब देशों में 9.6 और भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय विधायिकाओं में भागीदारी के मामले में यह आंकड़ा मात्र 11.8 है। देशभर में कुल 41118 विधानसभा सदस्यों में से केवल 9 ही महिलाएँ हैं। अतः इस स्थिति को दूर करने पर विचार-विमर्श जारी है। इस प्रकार लैंगिक असमानता के खिलाफ सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 69 वे महासभा अधिवेशन द्वारा चलाए गए विश्व अभियान ‘ही फॉर शी’ में भी भारत सम्मिलित हुआ महिला और बाल विकास मंत्रालय के विजन के अनुसार – हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएँ सम्मान से रहे और विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सकें।

महिला एवं पंचायती राज महिलाओं के लिए दूरगामी महत्व का साबित हुआ है। कई अध्येता जैसे – निर्मल मुखर्जी, जार्ज मैथ्यू और रजनी कोठारी इसे क्रांति का नाम देते हैं, क्योंकि पंचायती राज का दायरा बड़ा व्यापक है।

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसके में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी। उनका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तर कहा जाता है, ये संस्थाएँ नागरिक, समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों को पंचायतों की कम से कम एक तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएँ होंगी। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग तक ले जाने की कोशिश हुई। पंचायती राज व्यवस्था राज अवधारणों पर कार्य कर रही है।

पहला – पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा – स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा – पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण होने से सरकारी सामुदायिक विकास केन्द्रों योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा – आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले 25 वर्षों में देश के भीतर राजनैतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों में विस्तार हुआ है क्योंकि कहा गया है कि किसी राष्ट्र की

आय को प्राप्त करना है, तो प्रतिव्यक्ति से अनुमान लगाना होगा। रोजगार के अवसर से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उपभोक्ता स्तर बढ़ता है खान पान के स्तर में सुधार होता है, उसी प्रकार पंचायती राज से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

दूसरी तरफ देखे तो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है, जहाँ पहले से ही स्त्रियों को स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहाँ राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है लेकिन जहाँ स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है वहाँ महिलाएँ अपने वाजिब अधिकारों को पाने में भी वंचित हैं।

पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलाएँ अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सके इसके लिए कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं, एक उपाय है, उन्हें नामात्र का प्रतिनिधि बना देना।

महिलाएँ भारत की आबादी का लगभग 49 हिस्सा हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए सरकार वास्तविक रूप से कई नीतियों को लाकर महिलाओं के विकास में ईश्वर के रूप में साकार हुई है।

जैसे- बेटे बचाओं बेटे पढ़ाओं, 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना' में महिलाओं की निश्चित भागीदारी

और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियमावली इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान समाज को समृद्ध बनाने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी एवं अपनी रूढ़िवादिता का त्याग कर एक नयी समावेशी विकासवादी रणनीति अपनानी होगी।

सरकार की सफल नीतियाँ महिला के विकास में कारगर सिद्ध हुई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्थिक समीक्षा 2017-18 खण्ड वित्तमंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 102
2. रजनी कोठारी, राजनीति की किताब, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2002 पृष्ठ 107
3. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण महिला विकास अंक 10 अगस्त 2013 पृष्ठ 11
4. महिपाल, पंचायती राज अतीत वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली 1996, पृष्ठ 22-23
5. आर्थिक समीक्षा 2014-15 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 142-143
6. श्रम शक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली 1988
7. योजना, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली सितम्बर 2016 पृष्ठ 23

महिला सशक्तिकरण हेतु लघु वित्त की आवश्यकता - एक अध्ययन

दीप्ति चौहान * डॉ. एस.सी. हर्षे **

शोध सारांश - वित्त वर्तमान समय की आवश्यकता है, बिना वित्त के वर्तमान में सफल होना ना मुमकिन है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो वहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। कोई भी व्यवसाय एवं पेशा बिना वित्त के संभव नहीं हो पाता है। अतः महिला सशक्तिकरण में भी वित्त आवश्यक है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है।

महिलाओं को किसी वर्ग विशेषकर पुरुष वर्ग का सामना करने हेतु आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व भी ब्याज के बदले राशि उधार लेने - देने की प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में भी ब्याज के बदले राशि उधार देने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में साहूकारी का नियम था, परंतु ब्याज की दर एवं राशि वसूल करने के लिए नियम आज जैसे नहीं थे।

प्रस्तावना - जब हम किसी प्रकार का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करते हैं, अथवा कतिपय तकनीकी दक्षता प्राप्त करने किसी पेशे को अपनाते हैं तो हमें सर्वप्रथम वित्त/धन की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम पूंजी कहते हैं। जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने हेतु उर्जा के रूप में तेल, गैस या बिजली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी आर्थिक संगठन के संचालन हेतु वित्त महत्वपूर्ण घटक है। अतः वित्त जैसे अमूल्य तत्व का प्रबंधन हो महत्वपूर्ण प्रबंधन माना जाता है। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य लाभ एवं व्यवसाय की परिसम्पत्तियों को अधिकतम स्तर तक पहुँचाना। लघु वित्त का तात्पर्य होता है बहुत गरीब लोगों को उनके लघु उद्योगों या किसी अन्य उपयोगी कार्य के निष्पादन हेतु लघु ऋण उपलब्ध करवाना है। निर्धन तथा अति निर्धन लोग पारंपारिक औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक आसानी से अपनी पहुँच नहीं बना पाते और उन्हें वित्तीय उत्पादों में विविधता की आवश्यकता होती है।

महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने हेतु आत्म निर्भर तथा स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1988 को मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई। निगम द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण की दिशा में योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। ममत्व मेला, स्वावलम्बन प्रशिक्षण, हाट बाजार संचालन योजना, स्टेप योजना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि।

विपत्तिग्रस्त पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को समाज में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई है। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुनर्स्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है यदि किसी पीड़ित महिला को आत्मनिर्भरता से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ - साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है।

लघु वित्त प्राप्ति में उत्पन्न समस्याएँ - महिला सशक्तिकरण के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएँ सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जा रहे हैं। किन्तु फिर भी उद्यमशील महिलाओं के समक्ष समस्याएँ निम्न हैं -

1. **महिला होने के कारण समस्याएँ** - घर, परिवार एवं समाज की जिम्मेदारियों की पूर्ति करना भी महिलाओं की समस्याएँ हैं।
2. **वित्तीय समस्याएँ** - बिना वित्त के महिला सशक्तिकरण की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अतः सशक्तिकरण हेतु वित्त आवश्यक है।
3. **ऋण प्रक्रिया का अत्याधिक जटिल होना** - बैंकिंग संस्थाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण अधिकांश महिला हितग्राही ऋण योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पाती हैं।
4. **अदेय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता** - वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा प्राप्त करने के पूर्व महिला हितग्राहियों को क्षेत्र में कार्यरत समस्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से किसी भी प्रकार के ऋण को प्राप्त न करने के आशय का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर बैंक को प्रस्तुत करना होता है। जो कि महिला हितग्राहियों हेतु दुष्कर कार्य है।
5. **भ्रष्टाचार व लाल फीता शाही** - सर्वेक्षित महिला हितग्राहियों ने यह भी व्यक्त किया कि ऋण वितरण में भ्रष्टाचार व लाल फीता शाही हैं जो कि एक बड़ी समस्या है।

सुझाव - महिला सशक्तिकरण में लघु वित्त की भूमिका में व्याप्त कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर कर उद्यम संबंधी कार्यप्रणाली में सुधारात्मक कदम उठाकर उद्देश्य के अनुरूप लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

1. **सामाजिक जागरूकता हेतु प्रयास किए जाने चाहिए** - वास्तव में महिला सशक्तिकरण लघु वित्त के क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।
2. **पारिवारिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए** - महिला सशक्तिकरण

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

की दिशा में लघु वित्त हेतु पारिवारिक स्तर से भी प्रयास किए जाने चाहिए। पारिवारिक परिवेश को संतुलित बनाया जाए अर्थात परिवार में लड़कियों को भी बचपन से ही अपना कार्य समस्याओं को हल करने स्वयं निर्णय लने व स्वावलम्बी बनाने रोजगार की ओर उन्मुख होने आदि की विचारधारा पैदा की जानी चाहिए।

3. शैक्षणिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए – महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि महिला हितग्राही साक्षर हो बिना साक्षरता के सशक्तिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

4. लघु वित्त की समुचित व्यवस्था हेतु प्रयत्न किए जाने चाहिए – महिला उद्यमियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या वित्त के अभाव की है वित्त की समुचित व्यवस्था हेतु सार्थक एवं ठोस प्रयत्न किए जाने चाहिए।

शोध अध्ययन के उद्देश्य -

1. महिलाओं की आत्मनिर्भरता में वित्त की भूमिका का अध्ययन करना।
2. महिला हितग्राहियों को दिए जाने वाले लघु वित्त का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों एवं मापदण्डों की अनुरूपता का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु लघु वित्त के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहभागिता का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन का क्षेत्र – किसी भी शोधकार्य हेतु शोध अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित करना आवश्यक है क्योंकि शोधार्थी कार्यक्षेत्र का निर्धारण नहीं करेगा तो शोध कार्य की पूर्णता पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। प्रस्तुत शोध पत्र का क्षेत्र हरदा जिला है, हरदा जिले में महिला सशक्तिकरण में लघु वित्त

की भूमिका में महिला हितग्राहियों की शामिल किया गया हैं।

शोध अध्ययन का महत्व – वित्त किसी भी प्रकार के विकास हेतु आवश्यक तत्व है, बिना वित्त के विकास असंभव है, हरदा जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाएँ कार्यरत हैं किन्तु जब तक उन योजनाओं को कार्यक्रम में परिणित नहीं किया जाएगा तब तक महिला सशक्तिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती और योजनाओं को प्रत्येक हितग्राही तक पहुँचाना तथा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा महिला हितग्राहियों हेतु शासन की योजनाओं को कार्यान्वित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सफलता मिलेगी।

शोध अध्ययन का निष्कर्ष – देश एवं समाज के उत्थान हेतु आवश्यक है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएँ क्योंकि भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने हेतु आवश्यक है कि हम महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, रूप से सुदृढ़ करें तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित करें। इसके लिए लघु वित्त की योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करके ही हम वास्तव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल डॉ. बी. के. महिला सशक्तिकरण का अवलोकन।
2. आर्य डॉ. एन. पी. स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ।
3. बघेल डॉ. डी. एस. सामाजिक अनुसंधान के तत्व।
4. वार्डिया एच. एस. राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण।

मन्दसौर जिले में औद्योगिक विकास की अधोसंरचना का विश्लेषण

शिखा नलवाया *

प्रस्तावना - भारत के मध्य भाग में स्थित मध्यप्रदेश में 51 जिलों में मंदसौर को गौरवमयी स्थान प्राप्त है। मध्यभारत में तीन डिवीजन-ग्वालियर, उज्जैन और इन्दौर थे। उज्जैन डिवीजन में छः जिले थे। इसमें सबसे बड़ा जिला मंदसौर था। मध्यभारत का अस्तित्व 31 अक्टूबर 1956 तक रहा। इसके पश्चात् एक नवीन राज्य मध्यप्रदेश कहलाया। मध्यप्रदेश औद्योगिक दृष्टि से देश के विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय स्थान पर स्थित है और मंदसौर जिला इस राज्य के 51 जिलों में उत्तर-पश्चिम में एक अत्यन्त सम्पन्न जिला है। 06 जुलाई, 1999 को नवीन मन्दसौर जिले में मन्दसौर, मल्हारगढ, भानपुरा, गरोठ व सीतामऊ ये पाँच तहसीलें रखी गई थी। वर्ष 2008-09 में जिले में तीन नई तहसीलें सुवासरा, शामगढ एवं दलौदा का गठन किया गया।

उज्जैन संभाग में मन्दसौर जिले की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। जिले में नवीन तहसीलों के गठन के पश्चात् आठ तहसीलों में बटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भानपुरा सबसे बड़ी व दलौदा सबसे छोटी तहसील है। मन्दसौर- जिले का मुख्यालय है।

मन्दसौर जिले में औद्योगिक संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं।

वर्षा- जिले में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। हवाओं की दिशा पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर होती है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 2006-07 में 1,394 मि.मी. थी, वही सन् 2010.11 में 630 मि.मी. रही है। जो आवश्यकता से कम रही है। कम वर्षा वाला क्षेत्र- गरोठ, मल्हारगढ व सीतामऊ। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र- शामगढ, भानपुरा, सुवासरा तथा मन्दसौर। वर्तमान में जिले की औसत वर्षा 28 से 33 इंच होती रही है। औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त वर्षा होती है।

जलवायु- जलवायु की दृष्टि से मंदसौर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर में होने और भारत के ठीक मध्य में होने के कारण यहाँ तक समुद्री हवाओं का प्रवाह नहीं पहुंचता है। मंदसौर मालवा के पठार का एक भाग ही है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। औद्योगिक दृष्टि उत्तम जलवायु है।

तापमान- जिले में सामान्यतः शीतऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्मऋतु- मार्च से जून मध्य तक तथा वर्षाऋतु जून मध्य से सितम्बर तक रहती है। जिले का वार्षिक अधिकतम औसत तापमान 31.6 एवं न्यूनतम औसत तापमान 19.0 से. ग्रे. है। जनवरी सबसे ठण्डा महीना होता है। जो अफीम की पैदावार हेतु उत्तम तापमान माना जाता है। मई सर्वाधिक गर्म महीना होता है। भूमि एवं मिट्टी- भूमि विकास से जुड़ी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि की उत्पादकता बढ़ाती हैं। इससे औद्योगिक विकास की संभावना बलवन्त होती है। जिले में मिट्टी काली है, जो सामान्यतया अम्लीय है। मिट्टी

की उर्वरता मध्य में है। यहाँ काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, जलोर मिट्टी, लेटराईट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। भूमि एवं मिट्टी पर कृषि की पैदावार निर्भर करती है। कृषि की अधिक पैदावार से औद्योगिक विकास की संभावना बढ़ती है।

वन एवं खनिज- वनों से अनेक उद्योग जैसे कागज, दियासलाई, खेल का सामान यातायात आदि उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। यहाँ के वनों में घावडा, बबूल, तेंदूपत्ता तथा ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। जिले का वन क्षेत्रफल 7.36 प्रतिशत है। जो कम है। भानपुरा क्षेत्र में जिले का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। जिले में प्रमुख खनिज शैल पत्थर है। शैल पत्थर को खदानों से निकालकर उससे स्लेट पेंसिल का निर्माण किया जाता है। जिले में स्लेट पेंसिल के सर्वाधिक कारखाने मन्दसौर एवं मल्हारगढ तहसील में हैं। जहाँ से स्लेट पेंसिल देश के कोने-कोने में जाती है। चूने का पत्थर, भवन बनाने के पत्थर, खड़िया मुरिम, रेती, फायर क्ले तथा लेट राइट खनिज पाये जाते हैं।

कृषि सिंचाई, नदियाँ - औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि कृषि उत्पादन उद्योगों को कच्ची सामग्री प्रदान करते है। यदि कृषि उपयुक्त एवं उत्पादन अधिक है तो निश्चित ही उद्योगों का आकर्षण बढ़ता है। इस दृष्टि से मंदसौर जिला सम्पन्न है। जिले में सबसे अधिक अनाज उत्पादन मक्का, ज्वार व गेहूँ का होता है। खाद्यान्न तेलो के उत्पादन में सोयाबीन, राई, सरसों, मूंगफली, अलसी, तिल का उत्पादन होता है। इससे तेल मिलों का विकास होता है। मादक पदार्थों में अफीम के उत्पादन में मंदसौर जिले पहला स्थान व देश के 60 प्रतिशत अफीम उत्पादन मंदसौर में होता है। यहाँ औषधीय फसलों की खेती भी होने लगी है। जिले में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएँ ही है। इसके बाद नहरे, नलकूप, तालाब से ही सिंचाई की जाती है। जिले में प्रमुख नदी चम्बल, शिवना, रेतम तथा तुम्बड़ है।

जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या - औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानव एवं महत्वपूर्ण संसाधन होता है जिले में जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व को विगत दशको में उल्लेखीय वृद्धि हुई है मध्यप्रदेश के औद्योगिक मानचित्र या मन्दसौर जिला एक पिछड़े जिले के रूप में 'स' श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या द्वारा ही उद्योगों के लिए श्रम की पूर्ति की जाती है जो कि उत्पादन का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण घटक है जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से पुरुष 55.64 प्रतिशत महिला 40.38 प्रतिशत है।

शिक्षा एवं साक्षरता - जिले में चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त सभी शिक्षण संस्थाएं कार्यरत है। जिले में 1790 प्राथमिक शालाएँ, 934 माध्यमिक शालाएँ, 185 हाईस्कूल, 102 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 9 शासकीय महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं है। साक्षरता भी दृष्टि से पुरुष

साक्षरता का प्रतिशत 86.81 है, जो म.प्र. में पुरुष साक्षरता 80.50 है वहीं महिला साक्षरता का प्रतिशत जिले में 58.30 है जो म.प्र. में महिला साक्षरता के प्रतिशत कम है।

परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र - किसी क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। ये आधारभूत सुविधाएँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं परिवहन एवं बैंकिंग सुविधा औद्योगिक विकास के लिए रीड की हड्डी की तरह है जिले में सड़क एवं रेल परिवहन के साधन उपलब्ध है मन्दासौर जिले में सड़क परिवहन देश की चारों दिशाओं की ओर सड़कों का विकास है पर्याप्त मात्रा में पक्की व कच्ची सड़कें जिले में उपलब्ध है इसके साथ ही ट्रकें, टैक्सी, श्री वहीलर, बसें तथा ट्रेक्टर वाहनों की पर्याप्त संख्या जिले में है। जिले में रेलवे की बड़ी लाईन भी है जो शामगढ़ व मन्दासौर की बड़ी लाईन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों लाईने देश की विभिन्न महानगरों से जुड़ी हुई है जिसका लाभ औद्योगिक क्षेत्र को मिलने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। बैंकिंग वित्तीय उपलब्धता के लिए अनिवार्य होते हैं इस दृष्टि से मन्दासौर जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे यस बैंक इत्यादि भी 114 बैंक की संख्या में उपलब्ध है।

संचार, संदेश वाहन एवं विद्युत - इन संसाधनों की उपलब्धि भी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ऊर्जा की उपलब्धि का कृषि, व्यापार एवं सिंचाई में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत सभी आबाद ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। डाकघर जनसंख्या में मान से अधिक है। भारत की प्रथम विद्युत परियोजना

गांधीसागर बांध का निर्माण चम्बल नदी पर किया गया है। इससे जिले में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में रहती हैं।

पशुधन एवं स्वास्थ्य सुविधा- वर्तमान में भी पशुपालन का महत्व अक्षुण्ण बना हुआ है क्योंकि नव उद्यमियों में डेयरी उद्योग, गोदारी फार्म एवं पोल्ट्री फार्म से लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास होता है। पशुपालन की दृष्टि से मन्दासौर जिला सम्पन्न है। माननीय संसाधन का स्वरुप रहना औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। इस दृष्टि से मन्दासौर जिले में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है किन्तु मेडिकल शिक्षा की सुविधा से वंचित हैं।

निष्कर्ष-मन्दासौर जिले में खनिज व वन सम्पदा की दृष्टि से जिला अधिक सम्पन्न नहीं है परन्तु अन्य अधोसंरचना का पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका है शिक्षा व साक्षरता मध्यप्रदेश स्तर से बनी हुई है किन्तु चिकित्सा शिक्षा से जिला अभी भी वंचित है कृषि प्रधान जिला होने के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त बैंकिंग, परिवहन एवं बीमा जैसी अधोसंरचना उपलब्ध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका मन्दासौर।
2. द्विवेदी चंद्रभूषण, दशपुर पुस्तिका।
3. संभागायुक्त ऋण-योजना 2010-11।
4. म.प्र. संदेश भोपाल
5. दैनिक भास्कर, रतलाम संस्करण।
6. दैनिक नईदुनिया इन्दौर।
7. जिले में प्रमुख कार्यालय।

राजस्थान में सरस ब्राण्ड की विपणन व्यूहरचना: एक अवलोकन

हेमा कुमारी वर्मा *

शोध सारांश – आज किसी भी व्यवसाय की सफलता या असफलता पूर्णतः उसके उपयुक्त प्रशासन तथा विपणन की व्यूहरचना पर निर्भर करती है। विपणन व्यूहरचना के बिना कोई भी उत्पाद या ब्राण्ड इस प्रतिस्पर्धा के दौर में टिक नहीं पाता। एक उत्पाद को बाजार में टिके रहने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में एक उपयुक्त व्यूहरचना अपनानी पडती है। एक उत्पाद को बाजार में बनाए रखने के लिए तथा उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए एक उपयुक्त विपणन व्यूहरचना तथा ब्राण्ड नेम का सहारा लेना पडता है। सरस ब्राण्ड जो कि दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में एक अग्रणी ब्राण्ड है। सरस ब्राण्ड की अपने उपयुक्त विपणन व्यूहरचना के कारण ही सरस ब्राण्ड जनता के दिलोदिमाग में अपनी अमिट छाप बनाए हुए है।

शब्द कुंजी – ब्राण्ड, सरस ब्राण्ड व विपणन व्यूहरचना

प्रस्तावना – व्यूहरचना की अवधारणा काफी प्राचीन है। यह मूलतः ग्रीक भाषा के शब्द Strategia से आया है। जिसका सम्बन्ध सेना के जनरल द्वारा अपनायी गयी रणनीति रूपी कला से है।

व्यूहरचना की अवधारणा में नियोजन संघटक व कार्यवाही संघटक के समावेश के बाद व्यापक व्यूहरचना का आधार बना समय के बदलाव तथा व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि के साथ व्यावसायिक जगत में भी प्रतिद्वन्द्वी व्यावसायियों की कार्यनीतियों व क्रियाओं का अध्ययन करके उन्हें बाजार में हराकर अपने उत्पाद बेचने तथा बाजार में जमने के लिए व्यूहरचना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक व्यवसाय में व्यूहरचना एक लोकप्रिय शब्द बन चुका है जो नियोजन से पहले होता है। मूलतः इसका सम्बन्ध चयन तथा दिशा से है जिसका एक संघटन अनुसरण करना चाहता है। व्यूहरचना एक ओर एक संगठन के मानवीय एवं अन्य संसाधनों को जोडती है तो दूसरी ओर बाह्य विश्व द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों एवं जोखिमों के प्रति संगठन को सतर्क करती है।

व्यूहरचना केवल एक योजना नहीं है अपितु यह एक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन तथा यह एक ऐसी व्यापक एकीकृत एवं समन्वित योजना है जो एक उपक्रम के सभी हिस्सों को आपस में एक साथ जोडती है। व्यूहरचना कम्पनी को प्रतिस्पर्धा का कैसे, किसके विरुद्ध, कब, कहाँ तथा किसके लिए मुकाबला करना है। एक उद्यम या व्यवसाय के रूप में व्यूहरचना प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण पर विचार करती है तथा लाभ प्राप्त करने हेतु चुनौतियों एवं छल-कपट को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास करने पर बल देती है। व्यूहरचना एक व्यवसाय के बारे में कुछ आधारभूत मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है।

प्रभावी व्यूहरचना में शामिल किए जाने वाले तीन तत्व :-

1. प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य
2. नीतियाँ
3. प्रमुख कार्यवाही योजना

नीति बनाम व्यूहरचना – नीतियाँ वे मार्गदर्शक तत्व हैं जो प्रबन्धकों के चिन्तन व क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं, जबकि व्यूहरचना का सम्बन्ध एक उपयुक्त रणनीति से रहा है। जिसके द्वारा एक प्रतिद्वन्द्वी को आसानी से परास्त किया जा सके। व्यूहरचना एक कार्यवाही है जिसके द्वारा एक

संगठन या व्यवसाय अपने आप का वातावरण से सम्बन्ध स्थापित करता है ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

व्यूहरचना बनाम निपुणता – निपुणता व्यूहरचना द्वारा प्रतिबद्ध संगठनात्मक संसाधनों के कुशल या प्रभावी उपयोग से सम्बन्धित है निपुणता की अपेक्षा व्यूहरचना में ज्यादा चेतना सम्बन्धित मूल्य होता है। व्यूहरचना प्रायः ज्यादा अनिश्चित होती है, जबकि निपुणता में अनिश्चितता कम होती है।

सरस ब्राण्ड – राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का विपणन 'सरस' ब्राण्ड नाम के तहत करता है। वर्तमान में सरस ब्राण्ड के तहत अनेक दुग्ध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अमूल ब्राण्ड की तरह सरस ब्राण्ड के उत्पादों के विपणन में भी वृद्धि होती जा रही है।

इसके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में पारस, पराग माडर्न फूड के उत्पादों का विपणन हो रहा है। राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्डों नेस्ले, ब्रिटानिया के उत्पादों का भी विपणन हो रहा है तथा कुछ निजी डेयरियों के ब्राण्ड लोटस ब्राण्ड, रियायन्स ब्राण्ड, सूरज ब्राण्ड के दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का विपणन हो रहा है। इन सब ब्राण्डों को आपस में विपणन प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड रहा है तथा शक्तिशाली विपणन व्यूहरचना अपनानी पड रही है।

विपणन व्यूहरचना : सरस ब्राण्ड – सरस ब्राण्ड द्वारा अपनायी जाने वाली व्यूहरचनाओं में प्रमुख रूप से उत्पाद व्यूहरचना, कीमत व्यूहरचना, स्थान(Place) व्यूहरचना तथा सम्बर्द्धन व्यूहरचना है। सरस ब्राण्ड उत्पाद व्यूहरचना के जरिये अपने उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक किस्म के उत्पाद गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करवा रहा है। सरस ब्राण्ड अपनी उत्पाद पंक्ति में अधिक से अधिक उत्पादों को शामिल कर रहा है। सरस ब्राण्ड ने कीमत व्यूहरचना में SWOT व PEST विश्लेषण करके अपने उत्पादों की कीमत निर्धारित की है साथ ही उपभोक्ताओं के आय-व्यय का आंकलन करके अन्य ब्राण्ड ने जगह-जगह डेयरी बूथ व मॉर्निंग मिल्क सेन्टर चला रखे हैं जो सुबह-सुबह उपभोक्ताओं को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है। सम्बर्द्धन व्यूहरचना के जरिये सरस ब्राण्ड एक उपयुक्त विज्ञापन नीति का सहारा ले रहा है जो उपभोक्ता में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा कर रही है। उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार पैकिंग में सरस उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं साथ ही ग्रामीण उत्पादको को शहरी उपभोक्ताओं से जोडा जा रहा है।

डेयरी उत्पादों के विपणन में विपणन व्यूहरचना में भूमिका - किसी भी उत्पाद को बाजार में टिकने के लिए अपनी विपणन व्यूहरचना बनानी पडती है विपणन व्यूहरचना व्यवसाय के क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्द्धियों को परास्त करने की विस्तृत, दीर्घकालीन एवं योजना है। व्यूहरचना को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि समयानुसार प्रतिस्पर्द्धियों से अधिक सुव्यवस्थित लाभ प्राप्त करना तथा ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना।

विपणन व्यूहरचना व्यवसाय से संबंधित क्या व कहाँ जैसे प्रश्नों के उत्तर देती है अर्थात डेयरी उत्पादों के संबंध में विपणन की व्यूहरचना यह बतायेगी कि उत्पाद को भविष्य में जीवित रहने के लिए क्या करना होगा तथा वर्तमान में वह उत्पाद कहाँ है।

विपणन व्यूहरचना के बिना कोई भी संगठन/संघ अपने उत्पादों का पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं, विपणन के क्षेत्र में उत्पाद, कीमत, वितरण एवं प्रवर्तन की क्रियाएँ शामिल होती हैं।

डेयरी उत्पादन शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद हैं। ऐसी स्थिति में विपणन व्यूहरचना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छी विपणन व्यूहरचना के जरिये शीघ्र और नये बाजार की खोज, ग्राहकों की खोज तथा प्रतिस्पर्द्धी की रीति-नीति का मुकाबला किया जा सकता है। यही कारण है कि अमूल ब्राण्ड व सरस ब्राण्ड है अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही निजी व अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्डों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं।

उपभोक्ता किसी भी उत्पाद पर अपना विश्वास तभी जमाता है जब वह उत्पाद अपने विश्वास पर खरा उतरे। सरस ब्राण्ड ने इसके लिए सबसे पहले गुणवत्ता पर फिर कीमत से ग्राहक सन्तुष्टि पर तीसरे उत्पाद की सहज व नियमित उपलब्धता पर व अन्तिम सेवा पर जोर दिया।

विपणन के लिए आवश्यक विपणन व्यूहरचनाओं में उत्पाद व्यूहरचना, कीमत व्यूहरचना, वितरण व्यूहरचना, प्रवर्तन व्यूहरचना है।

उद्देश्य - इस शोधपत्र का उद्देश्य डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे सरस ब्राण्ड के उत्पादों के विपणन में व्यूहरचना के योगदान को बताना और व्यूहरचना के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धियों के ब्राण्डों की स्थिति के बारे में पता लगाना तथा विपणन के क्षेत्र में उपयुक्त व्यूहरचना अपनाने का सुझाव देना है।

परिकल्पना - सरस ब्राण्ड की विपणन व्यूहरचना सन्तोषजनक है।

अध्ययन का महत्व - सरस ब्राण्ड के लिए विपणन व्यूहरचना का अर्थ है कि अपने से प्रतिस्पर्द्धी ब्राण्ड की तुलना में अधिक उपयुक्त व सर्वोत्तम व्यूहरचना अपनाना। एक ब्राण्ड को ग्राहक से जोड़ने के लिए यह देखना

होगा कि किसी ब्राण्ड का ग्राहक से संवाद का क्या तरीका है कैसे उसकी पैकेजिंग वक्त और जरूरत के साथ बदलती रहती है ताकि ग्राहक उससे जुड़ा रहे यह एक ब्राण्ड के लिए महत्वपूर्ण होता है। ब्राण्ड को ब्राण्डिंग बनाये रखनी होती है और यह ब्राण्ड द्वारा पैदा किए गए भरोसे व विश्वास से होती है। इन सब कार्यों की सफलता के लिए व्यूहरचना की जरूरत होती है।

निष्कर्ष - प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से कुछ निष्कर्ष सुझावों के रूप में सामने आये हैं जो विपणन प्रबन्धकों, उत्पादकों, विक्रेताओं व उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे साथ ही उत्पाद के अधिक से ग्राहक बनाने में व प्रतिस्पर्द्धी की विपणन व्यूहरचना का सामना करने की जागरूकता बढेगी तथा राजस्थान में सरस ब्राण्ड द्वारा विपणन व्यूहरचना अपनाने पर सुदृढ़ ग्राहक सम्बन्ध, ग्राहक सन्तुष्टि व सन्तोषजनक विपणन तथा ब्राण्ड व ग्राहक के मध्य सम्बन्धों में मधुरता आयेगी।

प्रस्तुत अध्ययन विपणन व्यूहरचना के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य में एक नया आयाम देने में सफल होगा। साथ ही यह अध्ययन ब्राण्ड व व्यूहरचना सम्बन्धी एक आदर्श प्रतिरूप विकसित में सक्षम होगा जो भावी शोध के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

References :-

1. Doyle, Peter and stern, Phil, Marketing Management and strategy, fourth edition, New York, Financial Times prentice Hall,2006.
2. Jain P.C., Marketing Research Management. Jaipur: RameshBook Depo,2011.
3. Jain P.C. Strategic Management. Jaipur : Ramesh Book Depo,2015
4. Jones ,Johan, Philip, Behind Powerful Brand. New Delhi tata Mc Grew-Hill, 2009.
5. Kotler, Philip Marketing Management Fourteenth Edition, New Delhi, Pearson, 2012.
6. Journal of food Marketing
7. Journal of International Marketing
8. The Rajasthan Patrika, Jaipur
9. The Hindustan Times, New Delhi.
10. www.jaipurdairy.com/marketing.html
11. www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in/activities.aspx
12. www.hotfrog.in/products/dairy/rajasthan
13. www.tuggo.in/products/dairy/rajasthan

ई-कामर्स के क्षेत्र में भावी संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

डॉ. माया अग्रवाल *

प्रस्तावना - ई-कामर्स या ई-व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है, न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएँ और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। बुनियादी ढाँचे, उपभोक्ता और मूल्यवर्द्धित प्रकार के व्यापारों के लिए इंटरनेट के कई अवसर प्रस्तुत करता है, आज के दौर में गूगल और फेसबुक विज्ञापन के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गए हैं। लोगों की रूचि आज आनलाईन शॉपिंग में बढ़ रही है। भारत में नई-नई वेबसाइट ई-कामर्स के क्षेत्र में आगे आ रही है।

कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वर्ल्डवाइड वेब से लेकर ई.डी.आई. (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज) ई-मेल ईबीबी (इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड), ई.एफ.टी. (इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर) आदि उपयोगी तकनीकों को समाविष्ट कर व्यापारिक कार्यकलापों को सम्पादित करने में ई-कामर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

अंतर्राष्ट्रीय ई-कामर्स कम्पनियों ने हमारे लिए कई नई चुनौतियाँ पेश की हैं, जिनसे निपटने के लिए ठोस तैयारी जरूरी है। हाल ही में भारत के ई-कामर्स बाजार में अपना सीधा दखल बढ़ाने के मकसद से चीन की दिग्गज ई-कामर्स कम्पनी 'अलीबाबा डॉट कॉम' ने मुम्बई में करोबार सहायता केन्द्र (टी.एफ.सी.) शुरू किया है। अलीबाबा अब भारत में टीएफसी के माध्यम से छोटे और मझोले कारोबारियों को व्यापार सम्बंधी सुविधाएँ और प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी।

'अलीबाबा' रिसेलर प्लेटफार्म पर कारोबारियों से सूचीबद्ध होने और पंजीकरण के एवज में शुल्क वसूलकर कमाई करेगा। चूंकि अमेजन जैसी वैश्विक रिटेल कम्पनियां भारत में सीधे तौर पर ग्राहकों को अपने उत्पाद नहीं बेच पा रही हैं, इसलिए वह मार्केट प्लस मॉडल के तहत कारोबार कर रही हैं। कई मामलों में विदेशी कम्पनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए घरेलू कम्पनियों के साथ साझेदारी की है। मल्टी ब्रैंड रिटेल में विदेशी निवेश, काफी शर्तों के साथ आता है, लेकिन आनलाईन वेबसाइटों में इस पर कोई शर्त नहीं होने से भारतीय उद्योग जगत की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

अब देश के छोटे और बड़े सभी रिटेल कारोबारियों ने ई-कामर्स के महत्व को समझ लिया है और वे इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी कर रहे हैं। ई-कामर्स की चुनौती से निपटने के लिए खुदरा कारोबारियों के संगठन 'कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स' (सीएआईटी) ने लाखों छोटे और बड़े किराना दुकानदारों के लिए अक्टोबर 2017 में ई-लाला के नाम से राष्ट्रव्यापी पोर्टल लांच करने का फैसला किया है। खुदरा कारोबारियों की तरह अन्य कारोबारियों को भी ध्यान में रखना होगा कि वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध करना आसान है, लेकिन चेहरा विहिन उन अंतर्राष्ट्रीय ई-कारोबारियों से बचना मुश्किल है जो देश के युवा उद्यमियों को ई-कामर्स की ओर आकर्षित कर रहा है।

देश के कारोबारियों को यह भी समझना होगा कि ई-कामर्स का मतलब यह कतई नहीं है कि शोरूम में चलने वाली दुकाने बंद हो जायेगी। खुदरा विक्रेताओं को अपना माल ग्राहकों तक पहुँचाने एवं उनकी आंकाक्षाएँ पूरी करने के लिए अपने कारोबारी मॉडल के साथ ई-कामर्स संबंधी अभिनव प्रयोग जरूर करने होंगे। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत ई-कामर्स के मामले में आज भी काफी

पीछे है। अप्रैल 2015 में वैश्विक सलाहकार सेवा संगठन एटी कियर्नी ने ई-कामर्स का वैश्विक परिदृश्य बताने वाली जो सूची प्रकाशित की है, उसमें भारत 3.8 अरब डॉलर के ई-कामर्स के साथ बहुत नीचे है जबकि अमेरिका 238 अरब डॉलर के ई-कामर्स के साथ बहुत ऊपर है, फिर भी, हाल के दिनों में भारत में ई-कामर्स के प्रसार में तेजी आई है। इस बढ़ी हुई गति के मद्देनजर भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) का अनुमान है कि 2020 तक देश का संगठित रिटेल सेक्टर सात गुना और ई-रिटेल सेक्टर 26 गुना बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि भारत का ई-कामर्स बाजार 2020 तक 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुँच जाएगा। चूंकि देश के घरों और दुकानों में ई-कामर्स के मार्फत चीन सहित कई देशों की कम्पनियों के माल का ढेर बढ़ता जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि सरकार भारतीय कम्पनियों को ई-बाजार का विस्तार करने में मदद करे, अभी बी-टु-बी ई-कामर्स में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति नहीं है ऐसी एफडीआई को मंजूरी देने पर विचार करते समय सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि इस समय भारतीय ग्राहकों के साथ विदेशी कम्पनियों का सीधा कारोबार ग्राहकों के हित में नहीं है। चीन और जापान ने भी विदेशी ई-कामर्स के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। ई-कामर्स में विदेशी निवेश की मंजूरी के पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्माण लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेच रही विदेशी ई-कामर्स कम्पनियाँ देश में डंपिंग कर सकती हैं। इसलिए भारतीय ई-कामर्स कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के मुकाबले सक्षम बनाया जाए।

इसके लिए इंटरनेट व्यवस्था को कारगर बनाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 13 फीसदी भारतीय ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा अमेरिका के 78 फीसदी, रूस के 48 फीसदी और चीन के 44 फीसदी की तुलना में बेहद कम है। ई-कामर्स के लिए जरूरी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी देश में 1.8 फीसदी लोग ही करते हैं। चूंकि मात्र पाँच फीसदी लोगों की ही पहुँच कम्प्यूटर तक है, इसलिए अधिकांश लोग इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं, एक ओर जहाँ देश में मोबाइल कम्पनियों की ब्रांड-बैंड कीमतें कफियाती नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी पहुँच बहुत कमजोर है, ब्रांडबैंड की औसत गति के कारण भारत वैश्विक स्तर पर 115 वाँ स्थान रखता है।

रोजगार के अवसर - देश में इंटरनेट के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इसकी लागत घटाई जानी चाहिए। गाँवों को ब्रांडबैंड से जोड़ने के लिए बनाई गई फाइबर नेटवर्क योजना शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। एक अप्रैल 2015 को 5 साल के लिये पेश की गई नई विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार ने ई-कामर्स कम्पनियों के लिए जो प्रोत्साहन घोषित किए हैं, उनका लाभ, सरलतापूर्वक कम्पनियों को मिलना चाहिए। देश के वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढाँचे को उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। ऐसे ठोस प्रयासों से न केवल ई-कारोबारी लाभांशित होंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

महिला सशक्तिकरण में लघुवित्त की भूमिका

दीप्ति चौहान * डॉ. एस.सी. हर्षे **

शोध सारांश - महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाएँ वर्तमान में कार्यरत हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएँ। इस हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिनमें महिलाओं को जागरूक करके आवश्यक वित्त प्रदान किया जाता है। जिससे महिलाएँ स्वयं के व्यापार व्यवसाय या नौकरी में संलग्न होकर स्वयं एवं परिवार का उत्थान कर सकें।

महिलाओं को किसी वर्ग विशेषकर पुरुष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा हो भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

प्रस्तावना - ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व भी राशि उधार लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार देने की पर्याप्त संकेत मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों ताकि महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे वे भी समाज एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकें। नारी के संबंध में यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ही देवताओं का निवास होता है। क्योंकि नारी ही जननी है, नारी ही शक्ति है।

लघुवित्त के द्वारा उपभोक्ताओं एवं स्वयं नियोजित व्यक्तियों सहित निम्न आय वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है। स्थूल रूप से यह एक आन्दोलन की ओर इंगित करता है। जिसमें परिकल्पना की गई है एक ऐसी दुनिया की जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर स्वयं परिवार एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रेरित कर सकें। वित्तीय सुविधाओं के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित करने हेतु प्रेरित किया जाए।

हम जानते हैं वित्त व्यवसाय का सक्रिय साधन है यदि वित्त की कमी होगी तो हम व्यापार एवं व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर पाएँगे अतः सशक्तिकरण हेतु वित्त आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। वित्त में सामान्यतः धन या कोष ही शामिल किया जाता है किन्तु वास्तव में वित्त अनेक वाणिज्यिक कार्यविधियों का एक समूह है।

मार्गरेट राविन्सन ने लघु वित्तक्रांति नामक पुस्तक में वर्णन किया है कि 1980 के दशक में यह सिद्ध किया गया कि लघुवित्त के द्वारा फायदेमंद तरीके से बड़े पैमाने पर बाह्य पहुँच हो सकती है और 1990 के दशक में लघुवित्त एक उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। सन् 2000 के दशक में लघु वित्त उद्योग का लक्ष्य है, पूरी न की गई मांग को काफी बड़े पैमाने पर पूरा करना और गरीबी हटाने में भूमिका निभाना। हालांकि पिछले कुछ दशकों में एक व्यवहार, वाणिज्यिक लघु वित्त क्षेत्र विकसित करने में काफी

तरक्की की गई है। लेकिन इससे पहले कि इस उद्योग को दुनिया भर की मांग को पूरा करना संभव हो पाए इसके समक्ष बहुत सारी समस्याएँ निर्मित हो गई हैं। जिनका समाधान अभी नहीं हो पाया है।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य - प्रत्येक शोधकर्ता अपने शोध के कुछ उद्देश्य निश्चित करता है और उसी के आधार पर शोध कार्य करता है।

यदि शोध कार्य के कोई उद्देश्य निश्चित नहीं हो तो शोध कार्य करना कठिन हो जाता है। शोध कार्य करने से पूर्व शोध कार्य से संबंधित उद्देश्यों का निर्माण कर लेना चाहिए जिससे शोधार्थी अपने शोध की दिशा नहीं भूलता तथा शोध करने में भी आसानी होती है।

प्रस्तुत शोधकार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

- महिला सशक्तिकरण एवं बेरोजगारी उन्मूलन में हितग्राहियों को स्वरोजगार उपलब्धता तथा जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- महिलाओं की आर्थिक निर्भरता में लघुवित्त की भूमिका का अध्ययन करना।
- महिला हितग्राहियों को दिए जाने वाले लघुवित्त का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों एवं मापदण्डों की अनुरूपता का

4. शोध अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र का क्षेत्र हरदा जिला है, हरदा जिले में महिला सशक्तिकरण में लघुवित्त की भूमिका में शा. हितग्राहियों को शामिल किया गया है। शोध अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि शोधार्थी कार्यक्षेत्र का निर्धारण नहीं करेगा तो शोध कार्य पूर्ण होना असंभव है।

शोध अध्ययन का महत्व - शोध अध्ययन का शीर्षक है महिला सशक्तिकरण में लघुवित्त की भूमिका इसमें दोनों शर्तें आवश्यक हैं, समाज देश एवं क्षेत्र हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण भी आवश्यक है। वहीं महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त एवं सुदृढ़ करने हेतु लघुवित्त भी आवश्यक है, बिना वित्त के सुदृढ़ीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, और यदि महिलाएँ सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा तथा देश भी सशक्त होगा इसलिए लघुवित्त की आवश्यकता एवं महत्व बढ़ जाता है।

अध्ययन की समस्या – प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या है कि आज भी समाज में महिलाओं को बंदिशों में जीना पड़ता है। हम भले ही 21 वीं सदी में जीवन जी रहे हैं किन्तु भारतीयों की विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण इलाकों की मानसिकता महिलाओं को घर के अंदर के काम कराने को ही है। इससे समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

अध्ययन के सुझाव – शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव निम्न हैं –

1. वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है।
2. महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र शिक्षित किया जाना चाहिए।
3. बैंकिंग एवं लघु वित्त के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
4. महिला सशक्तिकरण हेतु प्रचुर मात्रा में महिलाओं को लघुवित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को कारगर रूप से लागू किया जाना चाहिए।

शोध अध्ययन का निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध अध्ययन को निष्कर्षतः परिभाषित किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना आवश्यक है तथा महिला सशक्तिकरण हेतु आर्थिक रूप से सुदृढ़ता का सशक्त नहीं किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं महिला, परिवार, समाज एवं सरकार को इस हेतु प्रयत्नशील होना होगा तभी सशक्तिकरण की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्य, डॉ. एन.पी. 'स्त्री चिंतन की चुनौतियां' राजकमल प्रकाशन, आगरा 2007
2. बघेल, डॉ. डी.एस. पाण्डे डॉ. के.सी. 'सामाजिक अनुसंधान के तत्व,'
3. गुप्ता, आर.पी. नागर, विष्णुदत्त, 'आर्थिक विकास के सिद्धांत'।
4. गोयल, डॉ. अनुपम 'व्यवसायिक अर्थशास्त्र'।
5. मिश्रा मनीष शोध प्रबंध।

A Study For India Towards Cashless Economy

Harjeet Singh *

Abstract - Digital India is the flagship programme of the Government of India. It was launched on 1st July 2015 by Prime Minister Narendra Modi, with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. "Faceless, Paperless, Cashless" is one of the professed roles of Digital India. Major progress towards this goal was made in late 2016, when the government took steps to demonetize the country. Now, even small retailers and shop owners are using cashless models like Paytm for transactions.

A cashless economy is one in which all transactions are made using credit/debit cards or digital devices (e.g., point-of-sales machines, digital wallets, etc.), and the circulation of liquid money or paper currency is minimal. In this economy, a third-party such as the government or a public/private sector bank possesses an individual's money and can circulate that money whenever it is not needed by the individual.

India is going towards the cash less economy but there are some merits and demerits of cashless economy . the government of india should take measures to remove the demerits of cashless economy. DEMONETIZATION , GST , MOBILE , LAPTOP E-MITRA POSTOFFICE are the important factors and initiatives to create cashless economy . The impact of cashless economy on the various sector of economy should be find out . the major objectives of this type study to find out impacts on every major sector of economy . to find out major problems related to cashless economy . to give appropriate suggestion for the future of cashless economy.

Key words - Cashless Economy, Merits And Demerits, Factors Of Cashless Economy, Impact On Major Sectors, Problems Of Cashless Economy, Suggestion.

Introduction Of Cashless Economy - Digital India is the flagship programme of the Government of India. It was launched on 1st July 2015 by Prime Minister Narendra Modi, with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. "Faceless, Paperless, Cashless" is one of the professed roles of Digital India. Major progress towards this goal was made in late 2016, when the government took steps to demonetize the country. Now, even small retailers and shop owners are using cashless models like Paytm for transactions.

A cashless economy is one in which all transactions are made using credit/debit cards or digital devices (e.g., point-of-sales machines, digital wallets, etc.), and the circulation of liquid money or paper currency is minimal. In this economy, a third-party such as the government or a public/private sector bank possesses an individual's money and can circulate that money whenever it is not needed by the individual.

Merit's Of Cashless Economy - Some of the merits of a cashless economy are listed below, going through these you will realise how significant this initiative is and how it will shape the Indian economy in a positive way.

Benefits :

1. Cost Reduction: cashless system brings down the cost associated with printing, storing and transporting of cash.

2. Risk Reduction: The risk of money getting stolen or lost is minimal. Even if the card is stolen or lost it is easy to block a credit/debit card or a mobile wallet remotely. It is also a safer and easier spending option while travelling.

3. Convenient: The ease of conducting financial transactions is probably the biggest motivator to go digital. With the advent of digital modes, one can avoid queue for ATMs, transact 24*7 and save time. Additionally for service providers, with the emergence of e-KYC, it is no longer necessary to know your customer physically as the payments model has overcome limitations related to physical presence.

4. Tracking spends: Spending done via mobile or computer applications can be easily tracked with a simple click. This allows users to keep a track of all their spending and manage their budget effectively.

5. Increase in tax base: Traders, small businesses, shopkeepers, and consumers regularly use cash as a means to avoid paying service tax, sales tax, etc. However, in a cashless economy where all transactions will be done through organized channel, through banks and financial institutions, they can be monitored by the government and proper actions could be taken against the evaders. This will result in more transparent transactions which in turn lead to fall in corruption in the economy of the country.

6. Containment of parallel economy: In a cashless

economy it is easier to track the black money and illicit transactions unlike cash based economy in which money does not come into the banking system. In case of digital transactions it is easy to track and monitor suspicious transactions as all the records are available with the banks.

7. Financial Inclusion: At present, India's low-income households access credit through informal systems, through relatives or private lenders. Forcing them to shift to cashless payment platforms instantly formalizes this world of informality and include them in formal economy.

Discounts - A lot of ecommerce websites offer huge incentives in terms of discounts, cash back, loyalty points to the customers for making digital transactions for shopping online

Demerit's Of Cashless Economy - Every initiative has a lop side also, some of the demerits of cashless economy with respective to India are given below. In the later part of this article we will talk in detail about the challenges related to cyber security, individual's financial data, and online banking fraud which a cashless economy can face.

1. No cash in hand. Always a dependency on your card or bank system connectivity.
2. Major part of Indian population is not educated about banking systems, specifically about the digital aspect of it. Hence they may resist to make online transactions.
3. Automation and online transactions will cut down large number of jobs.
4. India is dominated by small retailers and they don't have enough resources to invest in electronic payments.
5. Increase in cyber crimes and online banking frauds.

Factors Of Cashless Economy - In recent few years so many factors emerge to create atmosphere to cashless economy . Policies of government like DIGITAL INDIA, DEMONETIZATION, GST , BANK ACCOUNT FOR EVERY CITIZEN OF INDIA, VARIOUS BENEFITS DIRECT TO BANK ACCOUNT , etc make environment for cashless economy . Extensive use of SMARTPHONE, COMPUTER, LAPTOPS ,and other instrument will rapidly change cash economy to cashless economy. Now these days every hand has a smart phone and low rate to access the internet and competition to the internet provider companies leading towards cashless economy .

1. Smart Phone Or Mobile Phone - India has shown a rapid growth in the smartphone market worldwide, with around 27.5 million devices sold in the second quarter of 2016, up by 17 percent from the previous quarter (according to IDC). This growth in sales is paralleled by an equally enormous growth in the number of mobile internet users in India. According to a report by the Internet And Mobile Association of India, India was estimated to have 371 million mobile internet users as of June 2016. As per the recent study on the Growth of the Indian Mobile App Market, application downloads in India increased from 1.56 billion in 2012 to 9 billion in 2015. It also says that smartphone users in India have the highest smartphone usage rates

globally, with an average of 3 hours spent on their devices (for comparison, the average time spent on mobile phone by users in the US is 132 minutes). These numbers tell us that smartphones and mobile apps are already getting into the DNA of the Indian population.

It is impossible to imagine a life today without smartphones. Mobile apps assist us in every aspect of our daily routines, from communication and navigation to shopping and entertainment. Taking a cue from this market trend, big brands are moving from mobile-also to mobile-first strategies around their products and services. For example, brands like Quikr, Olx, Uber, and Flipkart now advertise their presence on mobile devices first. As such, we can assume that mobile will take a front seat when it comes to implementing initiatives like Cashless India.

Banks and payment gateway companies have already started leveraging mobile networks as a channel for extending their existing payment infrastructure because of the reach and easy of access that mobile offers. Paytm wallet, India's largest mobile payment service platform, has over 150 million wallets and 75 million Android-based app downloads as of late 2016. The app enables users to buy air and movie tickets, book taxis, recharge their mobile devices, pay various bills, purchase fuel at petrol pumps, and even shop at small retailers and neighbourhood shops. Furthermore, the Government of India's additional initiatives like Mobile Seva and reward schemes like Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana are supplementing the use of mobile in a cashless economy. Mobile Seva provides a fully operational mobile payment gateway, incorporating various channels for making electronic payments through mobile devices. Government departments and agencies can integrate the gateway with their applications, so that citizens and businesses can make payments for various government services through their mobile devices.

Launched in late 2016, Lucky Grahak Yojana distributes daily and weekly rewards to thousands of retail consumers. Similarly, Digi Dhan Vyapar Yojana distributes weekly rewards to thousands of small businesses. To qualify for these rewards, applicants must make digital payments through a Unified Payment Interface (UPI), RuPay, the Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), or an Unstructured Supplementary Service Data (USSD). These initiatives have boosted confidence in digital mediums for payment services and will likely lead to increased private sector mobile payment services, as well.

2. Demonetization :- The word demonetisation became a part of everyday vocabulary on November 8, 2016. Before that day if you had asked the common man what it was he would respond with a shrug. Ask him now what it means and he will not only tell you what it means but also what he thinks about it .

If we were to go by data with RBI, cash is still king. The number and value of cashless transactions, understandably, shot up right after the note ban and remained high till about

March 2017 and has since come down to pre-demonetisation levels. In November 2016, a total of 523.23 million cashless transactions took place worth Rs 93.63 lakh crore and by March it was 682.45 million transactions amounting to Rs 150.24 lakh crore. Now, coming to cash, as on October 2017, the total cash in circulation was a whopping total Rs 1, 31, 81, 190 crore and the total currency with the public was Rs 15, 32, 850 crore. All of us together have put in money worth Rs 1,03, 65, 840 crore in time deposits with banks. And cashless forms just 5 per cent of all the transactions in India.

3. Goods And Service Tax (GST) :- Taking into account the recent application of GST into the taxation structure, it is obvious that the government is pushing for radical financial modernity. GST can be directly tied to this drive for cashless India because an important aspect of the new tax structure is on online payments. The problem arises from the sheer scale of the Indian economy. There are over 51 million Small and Medium Enterprises (SME) in India. Latest data shows that over 68 percent of these 51 million SMEs are still not GST compliant. Mainly because these small-scale undertakings do not have the capital to scale up their businesses and enter the digital space. Tax accountability is a valiant aspiration but formalising whole industries which provide jobs for over 117 million people, simply required the Government to do more for a smoother transition.

The opposite is true for Fintech. All the pointers for a cashless India are placed very positively for Fintech companies to make a killing. A rapid shift for cashless transactions is still underway with the volume of people using these services still on the surge by at least 59 percent since November 2016. Cashless India has so far made a very clear-cut division between the industries it will obviously benefit and also inevitably harm.

Benefits of GST cashback on digital payment platforms - Some of the effects on consumers, once the decision is implemented, are:

1. Incentive on Digital Payments: Small taxpayers i.e. MSMEs are considered to be the employment generators, so they need to be given importance in form of incentives in order to create more employment and thus, help in the growth of the economy.

2. Minimization of Losses for Small Taxpayers: It has been found that to avoid losses, some 50 per cent of the small taxpayers avoid paying tax. The move will help tackle such situations. It will encourage people in rural and semi-urban areas to opt for cashless transactions.

3. Formalization of Economy: Businesses who pay more tax and businesses (MSMEs) who generate employment will be given equal importance so as to bring in more revenue to the government in the form of tax.

4. Reduction in Overall Tax Burden: With the implementation of the GST in the country, consumers have seen reduction in overall tax burden. Different schemes and policies issued by the government is helping consumers

to get maximum benefit from GST.

5. INCREASING BANK ACCOUNTS AND BANKING SECTOR - The increasing bank account also is the major factor towards cashless economy because increase of bank account change unorganized sector to organized sector every transaction on record. Government will able to transfer direct benefit to the account. So many banking services provided by various banks to the people like as banking apps to pay their various bills, online money transfer and so on.

6. IMPACT ON MAJOR SECTOR OF ECONOMY - When we talk about major sectors of Indian economy three major sector are agriculture, industries and service sector we should find out the impact of cashless on these sectors.

Impact Of Cashless On Indian Agriculture - The Cashless Economy is beneficial to the Banks, Internet Service Provider, Businessmen, and Government and finally to the Society, it includes all the sectors of economy. Everyone aware that, what kind of problem which are excising in the Agriculture and Agribusiness sector whether cash less transaction is suitable to implement in Primary Sector? Whether rural people will accept the move from cash to cashless movement? Is it Possible to provide necessary infrastructure to nook and corner of the villages, to meet the requirement of both farmers and Agribusiness men? Main important thing is how to create awareness to the low literate rural masses? Who will be the Best Choice to make use them to create awareness and Training Program? How to change the minds of farmers and agribusiness and the entire rural masses to switchover from cash to cashless system of economy? etc.

Suggestion for agricultural Cashless economy - First and foremost thing to set up more number of rural banking with digital mode of system along with Swiping machine and other Infrastructure to provide easy access by the farmers and agribusiness people. To Create the Door to Door Awareness and Training program for both rural masses and rural business people campaign through representatives of the government organization and other organizations like college students including NCC, NSS, Rovers & Rangers and other Volunteers Including Teaching staff. To maximum utilization of media for awareness and safety measures to use Cashless Rural economy. To make use of both Government and Non-Government Organization to create awareness and also remove their fear of cyber fraud and hacking mind set to safety of Cashless economy. Government should assure the safety and Security, when anything/any transaction went wrong and quick settlement of the problem through Grievance Redressal Mechanism. Internet connectivity with high speed at cheap rates, more bandwidth availability, High cyber security supported by strong and powerful laws against cybercrimes. Before Deductions of Loan Dues, Banks should inform and analyze their repaying capacity, without their knowledge banks are not suppose to deduct the loan dues. There is a need to spread widespread knowledge and allay the fears amongst

the public to use these facilities. Government of India has already initiated a major drive for sensitizing public to make maximum use of these avenues. Simultaneously, issues like connectivity, security and ease of transactions, data protection and user charges are also being addressed. In the long run, this would provide a significant boost to the economy as more and more informal methods of business transactions migrate to the formal sector paving way for greater transparency, financial inclusion (both on deposits and credit side) and better tax compliance. At present, all Hon'ble Ministers of State are making field visits where not only training and awareness programs are being conducted in addition to that, even the College Students and staff volunteers also actively involving and meeting the farmers, rural Business centers like Mandis, Village markets, Regulated Markets and households to activate mobile banking services in their devices to carry the cashless transaction and Cashless payments to promote Agricultural and Agribusiness activities.

Impact On Industries And Service Sector

1. Curbing Black Money : It's easier to keep a trail of transactions when money is exchanged online. If all activities are routed through banks, the problem of black money can be reduced to a great extent if not eliminated as Government will have access to all available banking information. Counterfeiting of notes, black economy/parallel economy and tax evasion are some of the illicit activities of the economy that a cashless economy can curb. Electronic payments can easily be tracked and no transactions will thus go unnoticed. Further, if the Government does notice fraudulent financial behavior, it can block or freeze accounts stopping the activity in its tracks.

2. Drop In Production Cost Of Bank Notes: As of 2014, the cost of cash operations in India was Rs.21,000 crore annually (2014 study by Tufts University, The Cost Of Cash In India). A cashless industry will drastically decrease the said cost of producing notes and coins. Wastage on account of torn or damaged notes will also be curbed. The government will save trillions of rupees once currency operations are reduced and this will add to the current GDP.

3. Growth In Financial Inclusion: The surge in bank accounts, credit/debit cards, and digital wallets has only been seen in metropolitan areas. In the long run, however, limited cash flow will push digital payment methods into rural area thereby creating a utopian situation of the cashless transaction for the entire nation. Financial inclusion at this scale will be nothing but beneficial for the economy.

4. Increased Spending: From a wider perspective, cashless payments will boost economic growth due to increased spending. Consumers forego minor purchases owing to a lack of cash whereas, in a cashless setup, these purchases will add to the money spent. The increase in spending power will also result in the creation of more jobs thus benefitting the economy in more ways than one.

5. Tracking Spending Behavior: By tracking the commercial activities of individuals or groups of people,

the government will be able to predict consumer behavior and improve policies. Planning for sectors such as housing, transportation, and energy management will be more inclined to the preferences of consumers when such behavior tracking becomes characteristic of the government.

6. Growth In E-Commerce: Although the Cash On Delivery model was the most sought after method for e-commerce payments (83% according to a survey by Business Insider), digital transactions were also popular even before demonetization set in. In a cashless economy, e-commerce will definitely grow manifold due to the ease of paying through wallets and conducting online transactions. The growth in e-commerce will catapult the economy into an advanced, technology-driven phase.

7. Simplified Payments: The ease that comes with using Digital payment methods is unparalleled. With transactions becoming quicker and simpler to carry out and track, there will be less friction in the economy. Accounting will also become less time consuming. Digital payment will indubitably make life simpler for individuals and but will also lead to the smooth functioning of the economy.

Problems Of Cashless Economy :

1. More than 60% of Indian population belongs to rural region. Almost a quarter of the rural populace doesn't have mobile phones and a large percentage of them are computer illiterate. They are not comfortable using computers or mobile phones for transactions and rely on other people for help. This sometimes leads to misuse of the accounts and siphoning of funds, so majority of rural mass prefer cash over digital modes.

2. About 90% of the Indian labor market is informal. Majority being employed in agriculture and manufacturing sector where daily wage is prevalent. Under such circumstances the informal labor market is heavily cash dependant.

3. India is a country where 90% of transactions are paid for in cash because cash facilitates making transactions anonymous, helping conceal activities from the government in a way that might help agents avoid laws, regulations and taxes. Transition from a 90% cash based economy to a

4. Security is another big concern regarding cashless transactions. The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) has reported a surge in the number of incidents till October 2016 with close to 39,730 security incidents. Indians are wary of digital modes due to cyber security incidents such as phishing, scanning, website intrusions, defacements and virus code.

5. Though several companies have come up with inexpensive smart phones still they are not affordable for most of the people in the country. Unless Indian government provides necessary subsidy or affordable solutions cashless economy would be a farfetched dream.

6. Digital India suffers from the threat of thefts and hacking of digital money instruments. The ATM cards, Debit/Credit cards, Net Banking solutions and even the transaction

websites of the financial institutions and banks are hacked by the mischievous people who withdraw money by making clones and changing the passwords. This has to be taken care of before proceeding on digital India mission.

Suggestion Or Conclusion - Government of India should take some steps to grow cashless economy .

1. provide proper knowledge for every section of society .
2. provide cheap internet facility to the citizens.
3. Make strong software to stop digital fraud and make cyber law strong.
4. Give wide publicity for cashless transaction and give more incentive and cash back to the citizen.

References :-

1. <http://cashlessindia.gov.in/>
2. <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP41685916>
3. <http://www.iamai.in/media/details/4620>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment
5. http://www.ajocict.net/uploads/V7N5P10-2014_AJOCICT.pdf
6. <http://www.sepaforcorporates.com/sepa-mobile-payments/mobile-money-m-pesa-kenya-7-things-didnt-know/>

सफाई कामगारों में व्यावसायिक अन्तरपीढ़ी गतिशीलता का एक अध्ययन (धार जिले के सन्दर्भ में)

डॉ. प्रकाशचंद्र रांका * विजय यादव **

शोध सारांश - हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, जिसमें समाज जातियों पर आधारित है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय के आधार पर जाति व वर्ग में पहचाना जाता है जिसका अध्ययन करने के लिए धार जिले के सफाई कामगारों में परम्परागत व्यवसाय से आई अन्तरपीढ़ी गतिशीलता को समझने के लिए इस अध्याय में सफाई कामगार हितग्राहियों के पितामह एवं पिता और स्वयं का व्यवसाय, शिक्षा का तुलनात्मक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है कि सफाई कामगार परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी गतिशीलता किस प्रकार की है ? यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि हितग्राहियों में कितनी अन्तरपीढ़ी गतिशीलता आयी ? यदि नहीं आई तो उसका कारण जानने का प्रयास किया है।

प्रस्तावना - भारतीय समाज परम्परागत व्यवसाय से सीधा जुड़ा हुआ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की पहचान में उसके व्यवसाय से उसकी जाति का सीधा सम्बन्ध होता है। परम्परागत रूप से अस्वच्छ कार्य दलित जातियों में भंगी जाति के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इतिहास से स्पष्ट हो जाता है अधिकतर जातियों का अपना परम्परागत व्यवसाय उनका वंशानुगत व्यवसाय एवं जन्मजात व्यवसाय निर्धारित हो गया। इन परम्परागत व्यवसायों को त्यागना, परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में अपमान समझा जाता था। सफाई कामगारों में व्यावसायिक गतिशीलता के अध्ययन हेतु सफाई कामगार एवं उनके पितामह तथा पिता की आर्थिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि की जानकारी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के साथ हितग्राही की प्रतिष्ठा, आय, अधिकार, भूमिका आदि कारण जुड़े हुए हैं। जिनमें हितग्राहियों की व्यवसायिका महत्वाकांक्षा का निर्धारण होता है। व्यक्ति के व्यवसाय से उसकी सामाजिक जीवन शैली आचरण-विचार, कार्य प्रणाली का भी निर्धारण होता है।

साहित्य समीक्षा -

संजीव खुदशाह (2005) के अनुसार - भारतवर्ष में मैला ढोने में जो लगे हुए हैं उनके साथ समाज ने घोर अन्याय किया, अपमानित किया और यहाँ तक कि अछूतों में अछूत की संज्ञा दे डाली जबकि ये सबसे अधिक कल्याणकारी कार्य कर रहे यह प्रथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी क्यों चलती रही, फलती फूलती रही।

मल पूरन (1999) के अनुसार - 'दलित अभिजनों की व्यावसायिक गतिशीलता में क्रमशः परिवर्तन देखा गया है और उनके बच्चों में पिता से अधिक गतिशीलता दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में दलित वर्ग में अन्तर पीढ़ी गतिशीलता में तीव्रता से परिवर्तन देखा जा सकता है।

कुमार राकेश (2002) के अनुसार - दलित जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में कुछ सुधार आया है जिससे अन्तर पीढ़ी गतिशीलता में धीमी गति में परिवर्तन मालूम होता है। इसका कारण वैकल्पित रोजगार में प्रशिक्षण

व कार्य का अनुभव न होना व सफाई कामगारी कार्यों का आसानी से मिलना बताया गया है।

अध्ययन विधि - अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन के पूर्व क्रमबद्ध रूप रेखा तैयार कर लेना चाहिए। प्रस्तुत शोध का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक संमको का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली के माध्यम से शोध क्षेत्र धार जिले के 50 पुरुष सफाई कामगारों का चयन किया गया है। पुरुष कामगारों का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार लेकर संकलन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. पुरुष सफाई कामगारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का आंकलन करना।
2. सफाई कामगारों की परम्परागत अन्तरपीढ़ी को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
3. पुरुष सफाई कामगारों के परम्परागत अन्तरपीढ़ी व्यवसाय में आई गतिशीलता की प्रमुख समस्याओं का पता लगाकर उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

(तालिका क्रमांक 01)

(हितग्राही के पितामह की शिक्षा)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	45	90
2.	साक्षर	02	04
3.	प्राथमिक	00	00
4.	मिडिल	00	00
5.	हॉई स्कूल और हॉयर सेकण्डरी	00	00
6.	अन्य	03	06
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में हितग्राही के पितामह की शिक्षा जानना काफी कठिन था लेकिन हितग्राहियों के अनुसार 90 प्रतिशत हितग्राही के पितामह

अनपढ़ तथा 4 प्रतिशत हितग्राहियों के पितामह साक्षर थे। 6 प्रतिशत हितग्राही यह बताने में असमर्थ थे। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों के पितामह में शिक्षा का अभाव था।

(तालिका क्रमांक 02)
(हितग्राही के पिता की शिक्षा)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	28	56
2.	साक्षर	8	16
3.	प्राइमरी	4	08
4.	मिडिल	3	06
5.	हॉई स्कूल और हॉयर सेकण्डरी	2	04
6.	अन्य	5	10
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में हितग्राही के पिता की शिक्षा दर्शायी गयी है। जिसमें 56 प्रतिशत अनपढ़ है 16 प्रतिशत साक्षर थे। इनमें 8 प्रतिशत प्राइमरी और 6 प्रतिशत मिडिल स्कूल और सिर्फ 4 प्रतिशत हॉई स्कूल और हॉयर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त कर सके। 10 प्रतिशत हितग्राही शैक्षणिक स्तर के बारे में ठीक से बता न सके।

(तालिका क्रमांक 03)
(हितग्राही की शिक्षा)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	23	46
2.	साक्षर	10	20
3.	प्राइमरी	6	12
4.	मिडिल	5	10
5.	हॉई स्कूल और हॉयर सेकण्डरी	4	08
6.	अन्य	2	04
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 46 प्रतिशत हितग्राही अनपढ़ है तथा 20 प्रतिशत साक्षर थे। इनमें 12 प्रतिशत प्राइमरी और 10 प्रतिशत मिडिल और 8 प्रतिशत हॉई स्कूल और हॉयर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त कर सके जिसमें से 4 प्रतिशत हितग्राही ठीक बता नहीं सके।

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि क्रमशः पितामह पिता व स्वयं हितग्राही की शिक्षा में थोड़ा सुधार आया।

तालिका क्रमांक 04 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका के अनुसार पीढ़ीगत गतिशीलता के आँकड़े देखन से प्रतीत होता है कि क्रमशः हितग्राही परिवार में निरक्षरों की संख्या कम हुई है पितामह 90 प्रतिशत अनपढ़ तथा पिता 56 प्रतिशत और स्वयं हितग्राहियों में 46 प्रतिशत अनपढ़ है इस प्रकार 4 प्रतिशत पितामह साक्षर थे जबकि पिता 16 प्रतिशत साक्षर इसी प्रकार 8 प्रतिशत प्राइमरी मिडिल 6 प्रतिशत तथा हॉई स्कूल और हॉयर सैकण्डरी 4 प्रतिशत व स्वयं हितग्राही ही 20 प्रतिशत साक्षर क्रमशः 12 प्रतिशत प्राइमरी, 10 प्रतिशत मिडिल, हॉई स्कूल और हॉयर सैकण्डरी 8 प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रमशः पीढ़ीगत शिक्षा में परिवर्तन आया है। तथा शिक्षा में पीढ़ीगत गतिशीलता बढ़ी है।

(तालिका क्रमांक 05)
(हितग्राही के पितामह का व्यवसाय)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	परम्परागत व्यवसाय	48	96
2.	नौकरी (सरकारी)	02	04
3.	गैर सरकारी	00	00
4.	व्यवसाय	00	00
5.	मजदूरी	00	00
6.	अन्य	00	00
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार पितामह का व्यवसाय दर्शाया गया है जिसमें 96 प्रतिशत हितग्राहियों के पितामह का परम्परागत व्यवसाय ही आजीविका का साधन था। जबकि 4 प्रतिशत पितामह शासकीय नौकरी पर थे।

(तालिका क्रमांक 06)
(हितग्राही के पिता का व्यवसाय)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	परम्परागत व्यवसाय	30	60
2.	नौकरी (सरकारी)	10	20
3.	गैर सरकारी	03	06
4.	व्यवसाय	02	04
5.	मजदूरी	02	04
6.	अन्य	03	06
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार 60 प्रतिशत हितग्राहियों के पिता भी परम्परागत व्यवसाय करते थे। जिसमें 20 प्रतिशत ही सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए और 6 प्रतिशत गैर सरकारी नौकरी और 4 प्रतिशत मजदूरी अन्य क्षेत्रों में जाकर व्यवसाय करते हैं। 6 प्रतिशत हितग्राही बता नहीं सके।

(तालिका क्रमांक 07)
(हितग्राही के स्वयं का व्यवसाय)

क्रं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	परम्परागत व्यवसाय	4	08
2.	नौकरी (सरकारी)	21	42
3.	गैर (सरकारी)	7	14
4.	व्यवसाय	12	24
5.	मजदूरी	5	10
6.	अन्य	1	02
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार 8 प्रतिशत हितग्राही परम्परागत व्यवसाय करते हैं और 42 प्रतिशत सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए। 14 प्रतिशत गैर सरकारी नौकरी दुसरी जगह पर जाकर करते थे तथा 24 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों में जाकर व्यवसाय करते थे। 10 प्रतिशत मजदूरी करते थे और 2 प्रतिशत हितग्राही स्पष्ट बता न सके।

तालिका क्रमांक 08 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका के अनुसार हितग्राही की पीढ़ीगत गतिशीलता दर्शायी गयी है। जिसमें 96 प्रतिशत पितामह परम्परागत व्यवसाय पर आश्रित थे जबकि 60 प्रतिशत हितग्राही के पिता परम्परागत व्यवसाय पर आश्रित थे। इसके साथ स्वयं 08 प्रतिशत हितग्राहियों ने परम्परागत व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय (पुर्नवास योजना के अर्न्तगत) अपनाया। इसके अलावा 4 प्रतिशत पितामह तथा 40 प्रतिशत पिता और 92 प्रतिशत स्वयं हितग्राहियों

ने अपना परम्परागत व्यवसाय को त्याग कर पुनर्वास योजना के वैकल्पिक व्यवसाय को अपनाया है।

निष्कर्ष - इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन में सफाई कामगारों की परम्परागत व्यवसाय से आई अन्तर पीढ़ी गतिशीलता को समझने के लिए सफाई कामगार हितग्राहियों के पितामह, पिता और स्वयं का व्यवसायिक शिक्षा का तुलनात्मक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है। परम्परागत व्यवसाय की बात करे तो सफाई हितग्राहियों के पितामह एवं पिता और स्वयं के व्यवसाय में आए परिवर्तन देखने को मिले। सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, मजदूरी और अन्य व्यवसाय आदि में हमने पाया की जैसे - जैसे शिक्षा का कुछ स्तर बढ़ा वैसे वैसे सफाई हितग्राही ने परम्परागत व्यवसाय को छोड़ कर अन्य व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी उनके जीवन स्तर में प्रयाप्त सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफाई कामगारों का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी जस का तस बना हुआ है।

सुझाव -

1. सफाई हितग्राहियों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

2. हितग्राही को आरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम का उचित लाभ दिलवाना चाहिए।
3. सफाईकर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाना चाहिए कम वेतन में परिवार का पालन - पोषण करना कठिन होता है।
4. सरकार को रोजगार की नई योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे की हितग्राहियों को उचित लाभ मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजीव खुदशाह (2005) 'सफाई कामगार समुदाय' राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जी - 17 जगतपुरी, दिल्ली - 110051 ISBN 81- 8361-022-6
2. गल, पूरन (1999) 'अस्पृश्यता एवं दलित चेतना' पोचन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
3. कुमार, राकेश (2002) 'पिछड़ी जातियों में सामाजिक गतिशीलता' संपादकीय कार्यालय 538, योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली - 11001, ISSN - 0971 - 8397

(तालिका क्रमांक 04)

(हितग्राही के पीढ़ीगत शिक्षा में गतिशीलता)

क्रं.	विकल्प	संख्या			प्रतिशत		
		पितामह	पिता	स्वयं	पितामह	पिता	स्वयं
1.	अनपढ़	45	28	23	90	56	46
2.	साक्षर	02	08	10	04	16	20
3.	प्राईमरी	00	04	06	00	08	12
4.	मिडिल	00	03	05	00	06	10
5.	हॉई स्कूल और हॉयर सेकण्डरी	00	02	04	00	04	08
6.	अन्य	03	05	02	06	10	04
	योग	50	50	50	100	100	100

(तालिका क्रमांक 08)

(हितग्राही के परिवार में पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता)

क्रं.	विकल्प	संख्या			प्रतिशत		
		पितामह	पिता	स्वयं	पितामह	पिता	स्वयं
1.	परम्परागत व्यवसाय	48	30	4	96	60	08
2.	नौकरी (सरकारी)	02	10	21	04	20	42
3.	गैर सरकारी नौकरी	00	03	07	00	06	14
4.	व्यवसाय	00	02	12	00	04	24
5.	मजदूरी	00	02	05	00	04	10
6.	अन्य	00	03	01	00	06	02
	योग	50	50	50	100	100	100

गन्दी बस्तियों की समस्याएँ एवं सुझाव

डॉ. सुनीता वाथरे * आस्था रजक**

शोध सारांश - स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। औद्योगिकीकरण का ग्रामीण उद्योग - धंधों और शिल्पों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इसी प्रकार जजमानी प्रथा का हास, जातिगत उद्योगों को अपनाने की बाधयता की समाप्ति, कृषि का अलाभप्रद होना आदि विभिन्न कारणों से गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का प्रवजन नगरों की ओर हो रहा है। नगर नियोजन के अभाव के कारण नगरों में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

प्रस्तावना - मलिन बस्तियाँ मानवीय जीवन के सम्मान और सार्थकता के लिए शर्मनाक हैं। निर्धनता या अभाव मनुष्य स्वयं नहीं चुनता है। यह तो अवसर की बात है कि कौन निर्धन है और संपन्न। गन्दी बस्ती में रहने वाले लोग हमारी अर्थव्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं और इन्हें बोझ मानने की बजाय बोझ उठाने वाला माना जाए, तो इन नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना भी मुमकिन हो पाएगा। गन्दी बस्ती नगर का निम्न निवास अवस्था वाला क्षेत्र है, जो अव्यवस्थित रूप से विकसित है और सामान्यतः जनाधिक्य एवं भीड़-भाड़ से युक्त है। यहाँ प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं में से अधिकांश की कमी होती है। शहरों में उद्योग-व्यापार की वृद्धि और रोजगार की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों में आने के कारण शहरों की आबादी बढ़ी है। मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर में अत्याधिक भीड़ के कारण गन्दी बस्तियां बनीं। धरावी मुंबई की 535 एकड़ कीमती जमीन पर गन्दी बस्ती फैली हुई है। इसमें एक तरफ अमीरों के बंगले हैं, तो दूसरी तरफ गरीब बस्तियों में लोग रहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी झोपड़-पट्टी के रूप में मशहूर है।

बर्जेल के अनुसार - 'नगर के अंदर निम्न-स्तरीय आवासीय दशा को गन्दी बस्ती कहते हैं।' 'गन्दी बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जो अस्त-व्यस्त बसी हो, अव्यवस्थित रूप से विकसित हो एवं सामान्यतः उपेक्षित क्षेत्र हो, अत्यधिक सघन हो, जिसके मकान टूटे - फूटे हो और उनकी मरम्मत के प्रति दिखलाई गई हो।'

गिस्ट एवं हलबर्ट - 'गन्दी बस्तियां विघटित क्षेत्रों के विशिष्ट स्वरूप हैं।'

स्वीन एवं थॉमस - 'गन्दी बस्तियां रोगग्रस्त क्षेत्र हैं।'

इन गन्दी बस्तियों में सकरी गली, स्वच्छता का अभाव, सड़ते हुए कूड़ों के ढेर, गंदे पानी के गड्ढे भरे रहते हैं। शौचालय के अभाव में हवा और धरती दोनों का वातावरण दूषित हो जाता है। अनेक मकान जिनमें चौखट, खिड़की और रोशनदानों का अभाव होता है, प्रायः एक कमरे वाले होते हैं जिसमें हवा के आने के लिए सिर्फ एक द्वार होता है और वह भी इतना नीचा कि बिना झुके प्रवेश कर पाना असंभव है। गोपनीयता ओर एकांत पाने के लिये इनमें पुराने कनस्टर एवं पुरानी बोरियों के पर्दे के रूप में काम में लाया जाता है जिससे प्रकाश और निर्मल वायु का आना भी बंद हो जाता है। इस प्रकार के

घरों में मनुष्य जन्म लेता है, सोता है, खाता है, रहता है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।

आवासों की समस्या, आज तक बनी है। मुंबई में चाल मद्रास में चेटी कानपुर में अहातेय दिल्ली में बस्ती गन्दी बस्तियों के अवांछित रूप है। मूलतः आवास की कमी और दरिद्रता के कारण ही गन्दी बस्तियों का विकास होता है व इनमें रहने वाले श्रमिकों का जीवन नारकीय हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट तथा कार्यकुशलता व कार्यक्षमता का हास होता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है व राष्ट्रीय क्षति होती है। इस प्रकार के संकट का सामना केवल सरकार, मालिकों, श्रमिकों तथा सहकारी संयुक्त समितियों के दृढ़ प्रयासों द्वारा ही संभव है।

डॉ. मेहता ने गन्दी बस्तियों के जीवन के लक्षणों की एक सूची दी है, जो - (a) वैश्यावृत्ति का उद्भव (b) अपराध (c) जुआखोरी (d) गिरोहबंदी (e) यौवन का पतन और कमजोरी (f) प्रमाद एवं परिश्रम में अकुशलतायें। ये सब समाज विरोधी दृष्टिकोण, समाज विरोधी व्यवहार एवं समाज विरोधी क्रियाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। किशोर अपराध तेजी से पनपते हैं।

गन्दी बस्ती पर जितने भी अध्ययन भारत में व विश्व के अन्य देशों में हुये हैं उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि - बस्तिवासियों की जीवन शैली वृहत्तर समाज की शैली से अलग होती है। तथा समाज के एक बाहरी अंश की तरह जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। लेविस 1961 के अनुसार बस्ती में गरीबों की जिंदगी जीने वाले ये लोग एक अलग संस्कृति को जन्म देते हैं, जिसे 'कल्चर ऑफ पोवर्टी' के रूप में जाना जाता है। लेविस ने अपनी मशहूर पुस्तक 'कल्चर ऑफ पोवर्टी' में उन चार कारकों की चर्चा की है जिसके आधार पर बस्ती के जीवन को हम भली भांति समझ सकते हैं।

- वृहत्तर समाज की संस्कृति के साथ-साथ बस्ती की एक अपनी संस्कृति है, जिस उप - संस्कृति को जानना या समझना।
 - बस्ती समुदाय की प्रकृति है
 - बस्ती में परिवार की संज्ञा की अवधारणा तथा -
 - बस्ती में रहने वाले व्यक्ति विशेष की समाज के प्रति अपनी भावना, मूल्य बोध आदि।
- गन्दी बस्ती में रहने वालों की जीवन शैली और उनके आय - व्यय

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं. शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

** ब्यूरो वेरिटास, एच. आर. ऑफिसर (आबूधाबी) दुबई

करने के तरीकों पर भारत में अध्ययन पहले भी हो चुके हैं। जिसके आधार पर बेब 1971 के अनुसार भारत में 60% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। विभिन्न प्रदेशों में स्थिति निम्न थी -

कुछ चुने हुये शहर

शहर	प्रति व्यक्ति आय (रु. में)
हैदराबाद	155.00
मुम्बई	200.00
पटना	296.00
बंगलूर	160.00

झुग्गी-झोपड़ी की जनसंख्या में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी निवासियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, 2011 से 2017 के विभिन्न वर्षों की स्थिति इस प्रकार है-

वर्ष	झुग्गी निवासियों की संख्या (करोड़ में)
2011	93055983
2012	94977993
2013	96907923
2014	98843216
2015	100786594
2016	102729415
2017	104668340

वर्ष 2011 से 2017 तक की अनुमानित राज्यवार स्लम जनसंख्या (देखे आगे पृष्ठ पर)

गंदी बस्तियों के लिए उत्तरदायी कारक -

- मलिन बस्तियों के निर्माण व विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निर्धनता है। गरीबी के कारण लोग अधिक किराया न दे सकने की मजबूरी से इन मलिन बस्तियों में निवास करते हैं।
- औद्योगिकीकरण भी मलिन बस्तियों के विस्तार का बहुत बड़ा कारण है।
- नगरीकरण व नगरों की चमक-दमक, सुख सुविधाओं के कारण लोग नगरों में आकर बस जात हैं।
- नगरीय जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि मलिन बस्तियों के निर्माण का कारण बनती हैं।
- मलिन बस्तियों के विकास में अशिक्षा व अज्ञानता का बहुत बड़ा योगदान है।
- नगरों में सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी मलिन बस्तियों के विकास का कारण बनती हैं। बैंक, पुलिस, न्यायालय की व्यवस्था से प्रताड़ित होकर गांवों में विवाद से बचने व अपनी सुरक्षा के कारण नगरों में आकर लोग मलिन बस्तियों को प्रोत्साहित करते हैं।
- नगर में नियोजन संबंधी दोष भी मलिन बस्तियों के कारण बनते हैं।
- समय-समय पर अकाल, बाढ़, भूकंप, जैसी प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां भी मलिन बस्तियों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

भारत के औद्योगिक नगर, गंदी बस्तियों के केन्द्र बन चुके हैं। इन नगरों में समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। गंदी बस्तियों में अपराध की दर भी सामान्य से अधिक होती है, जो अन्य समस्याओं का कारण है क्योंकि इनमें वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, आर्थिक शोषण, राजनैतिक शोषण के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो नगरीय समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। नगर नियोजन, नगरपालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण तथा सुलभ इन्टरनेशनल जैसी संस्थाएं कई स्थानों पर अच्छा कार्य कर रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण और सुधार बोर्ड भी बड़े शहरों में सक्रिय हैं।

सुझाव -

- गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच ऐसी समितियां बनाई जायें जिनसे कि वे स्वयं भी अपने निवास की अवस्था में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हो।
- गंदी बस्तियों में सफाई, रोशनी, निकास एवं जल की व्यवस्था उचित की जानी चाहिए।
- देशान्तर गमन की प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहिए।
- नगरों में गंदी बस्ती का उन्मूलन कर शासन के सहयोग से इनमें रहने वालों को सुविधाजनक मकान निर्मित कर आसान किश्तों पर किराये पर दिया जा सकता है।
- गंदी बस्तियों के उन्मूलन के लिये उद्योगों का विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है।
- मकान मालिकों को इन बस्तियों की दशाओं में सुधार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए तथा किराये पर भी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।
- भविष्य में शहरों एवं औद्योगिक केन्द्रों का विकास व्यवस्थित रूप से होना चाहिए।
- केन्द्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, ताकि गंदी बस्तियों का अनाधिकृत विकास प्रतिबंधित किया जा सके।-
'अगर होता रहा ऐसी गंदी मलिन बस्तियों का विस्तार तो कैसे हो पायेगा हमारा स्वच्छ सुंदर समाज'
'करना है सभ्य समाज का विस्तार तो रोकना होगा मलिन बस्तियों का आकार'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रम अर्थशास्त्र - डॉ. एस.सी.जैन व रवि अग्रवाल।
2. भारत में नगरीय समाजशास्त्र - प्रो. दीनानाथ शर्मा।
3. ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र - डॉ. अशोक डी. पाटिल।
4. दैनिक भास्कर - जून 2016
5. प्रतियोगिता दर्पण - 2016
6. इंटरनेट।

वर्ष 2011 से 2017 तक की अनुमानित राज्यवार स्लम जनसंख्या

क्रं. राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह	33722	35294	36867	38265	39663	41060	42633
2 आंध्रप्रदेश	8188022	8273434	8356451	8440074	8521999	8602530	8681318
3 अरुणाचल प्रदेश	98248	103459	1129636	1159857	1190780	1222406	1253798
4 असम	1070835	1100118	1129636	1159557	1190780	1222406	1253798
5 बिहार	1683954	1707378	1730148	1752590	1774376	1795671	1816639
6 चंडीगढ़	332473	348685	365152	381881	397321	411474	429744
7 छत्तीसगढ़	2111546	2169237	2228058	2287634	2347964	2409802	2470886
8 दादर एवं नगर हवेली	26083	28813	31542	34424	37305	40035	43219
9 दमन	9187	9316	9316	9445	9445	9375	9375
10 दिल्ली	3163430	3260984	3360874	3463999	3570716	3638745	3793313
11 गोवा	154759	161494	168229	174815	180801	185741	192476
12 गुजरात	4662619	4759581	4856740	4954094	5051840	5149782	5245569
13 हरियाणा	3288292	3390907	3495059	3600364	3707207	3815202	3923582
14 हिमाचल प्रदेश	87281	89143	91005	92983	94845	96707	98685
15 जम्मू कश्मीर	494180	504243	514306	524369	534275	544180	553771
16 झारखंड	931912	948949	966230	983530	1001202	1019382	1036673
17 कर्नाटक	3631147	3700490	3770161	3839998	3910162	3980636	4049341
18 केरल	533278	536057	538776	541314	543671	545906	548029
19 लक्ष्यद्वीप	1560	1560	1498	1435	1435	1435	1373
20 मध्यप्रदेश	6393040	6523229	6654059	6785528	6917636	7050705	7181214
21 महाराष्ट्र	18151071	18549620	18950624	19352665	19754009	20152914	20557046
22 मणिपुर	75197	75915	76514	76993	77592	78190	78789
23 मेघालय	205176	208590	212003	2154162	19209	222622	226415
24 मिजोरम	105720	107700	109679	111659	113639	115619	117599
25 नागालैंड	83220	84292	85365	86223	87295	883688	9226
26 उड़ीसा	1736064	1770623	1805436	1840503	1876078	1912161	1948242
27 पांडिचेरी	136899	143316	149876	156435	162282	167131	174118
28 पंजाब	2798256	2864014	2930296	2996316	3062598	3128094	3193590
29 राजस्थान	3826170	3894590	3962311	4029561	4095395	4160049	4224939
30 सिक्किम	13321	13803	14124	14605	14926	15408	15729
31 तमिलनाडु	8644892	8862969	9081045	9298651	9515080	9729624	9940165
32 त्रिपुरा	131080	134137	137003	1400611	43118	146175	149232
33 उत्तरप्रदेश	10878336	11127210	11378552	11631376	11885434	12139739	12394291
34 पं. बंगाल	8546755	8640642	8733188	8825399	8918616	9014179	9106055
35 उत्तराखंड	806257	846181	866105	886615	906832	927342	947559
36 भारत	93055983	94977993	96907923	98843216	100786594	102729415	104668340

भारत में 8 नवम्बर 2016 का विमुद्रीकरण

डॉ. राजीव कुमार झालानी * डॉ. अंजना गोरानी **

प्रस्तावना - 8 नवम्बर 2016 का विमुद्रीकरण भारत में विमुद्रीकरण की पहली घटना नहीं थी, इससे पहले जनवरी 1946 व जनवरी 1978 में भी भारत में विमुद्रीकरण किया गया था। लेकिन इस बार का विमुद्रीकरण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक इतिहास में इस अर्थ में एक महत्वपूर्ण घटना थी कि यह सामान्य आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों में गोपनीयता एवं शीघ्रता से उठाया गया कदम था। इसकी घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात 8:00 बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा दी गई। इस संबोधन में 8 नवम्बर को आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। आर.बी.आई. गवर्नर उर्जित पटेल ने भी सरकार की इस घोषणा का समर्थन किया। नोटबंदी के बाद आर.बी.आई. ने 500 और 2000 रुपये के नये नोट जारी किए हैं। जब आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास के द्वारा इनको पेश किया गया तो यह देखा गया कि इनकी डिजाइन में भारी बदलाव है। 2000 रुपये के नोट का आकार 66 एम.एम. / 166 एम.एम. और 500 रुपये के नोट का आकार 66 एम.एम./ 150 एम.एम. है। दोनों ही नोटों पर आर.बी.आई. के नये गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और नोट के पहले साईड के बीच में महात्मा गांधी की फोटो है। 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर जबकि 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला की तस्वीर भी दी गई हैं।

विमुद्रीकरण का अर्थ - जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती। हालांकि सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है, ताकि वे अमान्य हो चुके अपने पुराने नोटों को बदल सकें।

विमुद्रीकरण के उद्देश्य - भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 नवम्बर 2016 को जो विमुद्रीकरण किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-

1. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
2. जाली करेंसी पर अंकुश लगाना।
3. आतंकी गतिविधियों के लिए उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के प्रयोग पर अंकुश लगाना।
4. काले धन पर अंकुश लगाना।
5. डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना यानि नकद रहित अर्थव्यवस्था खड़ी करना।

6. निरन्तर बढ़ रही कीमतों पर नियंत्रण करना।

विमुद्रीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य - नोटबंदी की कार्यवाही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें जानना जरूरी है -

1. नोटबंदी की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 8 नवम्बर 2016 के संबोधन के साथ हुई। इस संबोधन में भारत में 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा हुई। कहा गया था कि ये नोट 8 नवम्बर 2016 की रात 12:00 बजे के बाद कागज का टुकड़ा रह जायेंगे। कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए ही इनका उपयोग 14 नवम्बर 2016 तक हो पाएगा। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 24 नवम्बर कर दिया गया। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि 500 का नया नोट आएगा और 2000 का नया नोट जारी होगा।
2. सरकार ने यह भी घोषणा की कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को 30 दिसम्बर 2016 तक बदलवाया या जमा करवाया जा सकता है, इसके बाद पुराने नोट बदलने का कार्य केवल आर.बी.आई. द्वारा किया जाएगा।
3. पुराने नोट जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी बैंक खाते में जितना चाहे पैसा जमा करा सकता था। लेकिन यह भी घोषणा की कि 2,50,000/- रुपये तक जमा किए गए 500 या 1000 रुपये के नोटों के बारे में कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा की राशि में हो सकता है कि आयकर विभाग इसकी जांच करे और अगर जाँच में कोई गड़बड़ साबित होती है, तो इस पर 200 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी। इस प्रक्रिया में थर्ड पार्टी डिपॉजिट की इजाजत नहीं दी गई लेकिन अगर मजबूरन करना पड़े तो जमा करने वाले की और जिसका खाता है उसकी असली आई डी दिखानी पड़ेगी।
4. सरकार की घोषणा से भयभीत काला धन के स्वामियों ने अपना काला धन ठिकाने लगाने के लिए 8 नवम्बर की रात और उसके बाद कई दिनों तक जमकर सोना खरीदा जो कि किंटलों में था। इस कारण सोने की कीमतें एकदम बढ़ गई थी।
5. 9 नवम्बर को सभी बैंक बंद रहे साथ ही 9 नवम्बर एवं 10 नवम्बर को देशभर के सभी ए.टी.एम. बंद रहे। 10 नवम्बर को बैंक खुले और बैंकों के बाहर लगी लम्बी-लम्बी लाईनें।
6. नोटबंदी को सफल बनाने हेतु जो नियम गठित किए गए उन्होंने बैंकों और ए.टी.एम. के बाहर लगी कतारों को और लंबा कर दिया था। ये नियम इस प्रकार थे -

एक ए.टी.एम. द्वारा एक दिन में केवल 2500/- रुपये ही निकाले जा सकते थे।

किसी एक हफ्ते में एक ग्राहक 24000/- रुपये तक की राशि बैंक से निकाल सकता था। लेकिन इसमें एटीएम से निकाली गई राशि शामिल नहीं होती थी।

एक दिन में एक व्यक्ति एक बार में 2000/- रुपये तक बैंक में बदल सकता था। इसके लिए किसी भी सरकारी फोटो आय.डी. की एक फोटोकॉपी चाहिए। बैंक में एक फार्म भरने के बाद पुराने नोट बदले जा सकते थे।

किसानों के लिए आहरण (पैसे निकालने) की सीमा 25000/- और शादी वालों के लिए यह द्वाइ लाख रुपये रखी गई। इसमें शर्त यह भी थी कि यह राशि परिजनों (माँ, बाप, भाई, बहन और स्वयं) के खाते से निकाली जा सकेगी।

एटीएम की कतारों में लाठीचार्ज और मारपीट भी हुई। घटनाओं में कुछ लोगों के मरने की खबरें भी आईं।

भीड़ नियंत्रण के लिए भी आवश्यक कदम उठाया गया। काले धन को सफेद करने के लिए एक ही व्यक्ति बार-बार कतार में लग कर बैंकों में भीड़ बढ़ा रहे थे। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब बैंकों में नोट बदलने के लिए अंगुली पर अमिट स्याही लगाई गई।

नोटबंदी पक्ष में तर्क -

1. माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने भारत सरकार के विमुद्रीकरण के निर्णय की प्रशंसा की और इसे सरकार द्वारा उठाया गया एक 'बोल्ड मूव' बताया।
2. यूरोपीय संघ ने कालेधन और महंगाई पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष जिकी कताइनेन ने नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के निर्णय की सराहना की।
3. अर्थशास्त्री इला पटनायक ने कहा कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले से वे लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे जिनके पास नकद में कालाधन है।
4. नरेन्द्र मोदी के घोर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी नोटबंदी का समर्थन किया। नीतिश कुमार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के केन्द्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इसका हिमायती हूँ, इससे दो नम्बर का जाली नोट अपने आप समाप्त होगा और दो नम्बरी कारोबार से कालाधन पैदा करने वालों का कालाधन बर्बाद होगा। उन्होंने बेनामी सम्पत्ति पर भी नजर रखने की बात कही।

नोटबंदी के विपक्ष में तर्क -

1. अर्थशास्त्री सौमित्र चौधरी ने कहा कि बैंक में खाता खुलवाते समय एक अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) किया जाता है कि ग्राहक जब चाहे अपना पैसा खाते से निकाल सकते हैं। नोटबंदी की घोषणा के बाद यह अनुबंध टूटा है, जिसके चलते आम लोगों का भरोसा बैंकिंग से टूटा है।
2. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस फैसले का जमकर विरोध किया। दोनों ने जनता की परेशानियों का हवाला देते हुए सरकार से मांग की थी कि 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण 3 दिन के अंदर वापिस लिया जाए। केजरीवाल ने

नोटबंदी के विरोध में एक ट्वीट संदेश में कहा कि, मैं बहुत दुखी हूँ कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी की समीक्षा करने और उसकी वापसी पर विचार करने से सीधे मना कर दिया। लोगों से मोदी सरकार का संपर्क टूट गया और विमुद्रीकरण के उसके फैसले से असंवेदनशीलता की बू आती है।

3. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने नोटबंदी को आर्थिक आपातकाल का नाम दिया और उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी को कतार में लगे लोगों के दुख को समझना चाहिए।
4. राहुल गाँधी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि बड़े लोग जो कालाधन के स्वामी हैं, वे तो कतार में लगे ही नहीं, उन्होंने तो चोरी छिपे अपना कालाधन सफेद कर लिया है। बैंक और एटीएम की कतारों में करने वाले लोग गरीब हैं।

नोटबंदी के परिणाम - नोटबंदी के परिणामों के बारे में बात की जाए तो नोटबंदी के कुछ परिणाम तो तुरंत कुछ दिन बाद ही दिखाई पड़ गए थे और कुछ परिणाम अब तक दिखाई पड़ रहे हैं। नोटबंदी का कुछ क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ा तो कुछ क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। यदि देखा जाए तो नोटबंदी के मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना आदि रहे हैं। सरकार का दावा है कि नोटबंदी की कार्यवाही ने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। नोटबंदी के कारण टेरर फंडिंग कम हुई है, जिससे आतंकी हमले कम हुए हैं। नकली नोटों का चलन भी रुक गया है क्योंकि नोटबंदी के बाद चलन में जो नये नोट आए हैं उनके अंदर कुछ विशेष सुरक्षा विशेषताएँ हैं। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन 42 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इस प्रकार इन परिणामों को देखा जाए तो नोटबंदी देश के लिए वरदान साबित हुई है लेकिन दूसरी तरफ नजर डाले तो नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव ने देश की विकास दर को कम किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी-मार्च के आंकड़ों के अनुसार भारत की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में विकास दर अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत दर्ज की गई जो इससे पहले की तिमाही से भी कम है। अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही के दौरान भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत थी। नोटबंदी से लेकर वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही तक देश की ग्रोथ रेट अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 2.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून में ग्रोथ रेट कम होकर 5.7 प्रतिशत पर आ गई है जो नोटबंदी से पहले 7.9 प्रतिशत थी।

निष्कर्ष - विमुद्रीकरण के समय दी गई पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहनसिंह की चेतावनी सही साबित हो रही है। अब तक जीडीपी में 2.2 प्रतिशत तक की भविष्यवाणी की थी। औद्योगिक वृद्धि दर पिछले पांच साल में सबसे नीचे है। व्यापार घाटे के कारण चालू खाते का घाटा बढ़ा है और जीडीपी के 2.4 प्रतिशत यानी 14.3 अरब डालर तक पहुँच गया है। सरकार ने घरेलू कालेधन को बाहर निकालने और विदेशों में जमा धन को वापस लाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हो सका। घरेलू कालेधन के लिए नोटबंदी हुई लेकिन उससे सारा धन बैंकों में आ गया जबकि विदेशों से धन लाने की बात तो सिरे ही नहीं चढ़ सकी है। आईटी, कृषि और रीयल इस्टेट किसी भी क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है और सरकार इस प्रयास में है कि उसके पास जो कार्यकाल कुछ महीने बचे हैं उसमें इनमें कुछ तेजी लाई जाए।

कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष के अगले तिमाही में

हालात सुधर सकते हैं क्योंकि नोटबंदी का असर अब खत्म हो चुका है। जब सभी बैंकों में और एटीएम में नकदी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा साथ ही 200 रुपये के नोट के प्रचलन में आ जाने से छोटे नोटों की समस्या भी दूर होगी।

2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रदर्शन का प्रभाव – नोटबंदी की सावधनीपूर्वक समीक्षा के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जिसे ढाई साल पहले घोषित किया गया था, ने पाया है कि नकदीकरण से जीडीपी अनुपात स्थिर हो गया है। यह संतुलन की स्थिति बताता है। आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि 2018-19 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7 से 7.5 प्रतिशत तक बढ़ने वाला है। इस वित्त में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी से यह वृद्धि हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने यह दावा करने के लिए निर्यात और आयात देश का हवाला दिया है कि नोटबंदी का प्रभाव अब खत्म हो गया वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में निर्यात वृद्धि के पुनर्मूल्यांकन में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि और आयात वृद्धि की कमी 13.1 प्रतिशत तक वैश्विक रूझानों के अनुरूप है। इससे पता चलता है कि नोटबंदी का प्रभाव घट रहा है।

किसी भी देश ने सामान्य हालात में नोटबंदी नहीं की, आपात स्थिति में ही ऐसे कदम उठाए गए –

नोटबंदी एक बड़ा, कठोर और मौद्रिक झटका था। एक ही झटके में 86 प्रतिशत नोट बंद कर दिए गए। इससे जीडीपी ग्रोथ प्रभावित हुई। हालांकि, ग्रोथ में पहले से कमी आनी शुरू हो गई थी लेकिन नोटबंदी ने इसमें तेजी ला दी। इससे पहले छह तिमाही में औसत विकास दर 8.1 प्रतिशत थी। नोटबंदी के बाद की तिमाही में यह गिरकर 6.8 प्रतिशत पर पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से असहमत होगा कि नोटबंदी के कारण ग्रोथ रेट धीमी हुई। इस बात पर बहस जरूर हो सकती है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा था – 2 प्रतिशत या उससे कम। वैसे, इस अवधि में ऊंची ब्याज दर, जीएसटी और तेल की कीमतों ने भी ग्रोथ को प्रभावित किया।

नोटबंदी जैसे कदम से सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसलिए सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर जीडीपी ग्रोथ बताना बेमानी है। हालिया समय में किसी भी देश ने सामान्य समय में नोटबंदी का फैसला नहीं लिया। धीरे-धीरे मुद्रा बदली गई। युद्ध, अत्यधिक महंगाई, मुद्रा संकट या राजनीतिक उठापटक (वेनेजुएला 2016) जैसी आपात स्थिति में ही नोटबंदी जैसा कदम उठाया गया। सरल शब्दों में कहें तो भारत में लिया गया यह फैसला अनोखा था। इस फैसले के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत हुई। इसे जनता के नोटबंदी पर दिए फैसले के रूप में देखा गया था। नोटबंदी की पहली का एक जवाब यह भी हो सकता है कि अमीरों और भ्रष्टाचार से कमाई करने वालों को समस्या में देखकर गरीबों ने अपनी समस्याएँ भुला दीं। मेरी बकरी खो गई है, लेकिन उसकी तो गाय ही चली गई। लेकिन एक बड़ा उद्देश्य पाने के लिए गरीबों को हुई अपूरणीय क्षति टाली जा सकती थी। नोटबंदी मेरी समझ से परे और आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे विचित्र आर्थिक प्रयोगों में से एक है।

अरविंद सुब्रमण्यन, 12 अगस्त 2017 को कहा था – नोटबंदी से इकानॉमी में नगदी 20 प्रतिशत कम हुई, 5.4 लाख नए करदाता जुड़े – वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण की एक ब्रीफिंग में सुब्रमण्यन ने कहा था कि नोटबंदी के बाद नकदी में 20 प्रतिशत की कमी आई। नोटबंदी के बाद से 31 मार्च 2017 तक लगभग 5.4 लाख नए करदाता जुड़े हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <http://m.patrika.com/news/miscellcnous-india/rbi-displays-new-notes-of-rs-500-and-rs-2000-1437648/>
2. [hindi-webdunia.com/national-hindi-news/demonetization – 116120300035-1.html](http://hindi-webdunia.com/national-hindi-news/demonetization-116120300035-1.html)
3. hindi-webdunia.com/currency-ban/important-facts-of-demonetization-currency-ban-116111800061-1.html
4. www.bbc.com/hindi/india-40121675.

उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध उत्पादों का प्रभाव (इन्दौर शहर के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन)

प्रियंका लोदवाल * डॉ. रजनी भारती **

प्रस्तावना - भारत में निर्माताओं व विक्रय सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा वस्तु व सेवा की अधिक से अधिक विक्रय के लिए दो प्रमुख माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। जिनमें प्रथम सामान्य संगठित (मॉल) व असंगठित असंगठित खुदरा बाजार जिसे प्रत्यक्ष क्रय अथवा ऑफलाइन क्रय कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग सदियों से उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।¹ विक्रेताओं जैसे कि वर्गीकरण, व्यवस्थितिकरण, संग्रहण, विपणन प्रशिक्षण, क्रेडिट सुविधा, पैकेजिंग इत्यादि जैसे अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र में मॉम एवं पॉप स्टोर्स, स्थानीय किराना स्टोर्स से बड़े मॉल और हाइपरमार्केट में बड़े बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक बदलाव के साथ ग्राहक की मांग के अनुसार रणनीतियाँ, उत्पाद गुणवत्ता, एवं इनसे सम्बन्धित ज्ञान का पूर्व निर्धारण किया गया है।² दूसरा तकनीकी संचार साधनों के प्रयोग से इंटरनेट अथवा मोबाईल द्वारा घर बैठे अथवा अपने चुने स्थान पर वस्तु/सेवा की प्राप्ति एवं भुगतान का लाभ लिया जा रहा है। पारम्परिक बाजार में क्रेता स्वयं बाजार में जाकर उत्पाद को जाँच परख कर, मोल-भाव कर वस्तु क्रय करता है वहीं ऑफनलाईन क्रय के अन्तर्गत लाखों ग्राहकों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होना है। वर्ष 2015 तक देश की जनसंख्या का 32.70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवासी है।³ ई-कॉमर्स के अन्तर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ई-कॉमर्स कार्यकलापों से अभिप्राय एक कम्पनी द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से क्रय-विक्रय करना है। ऐसी कम्पनियाँ केवल बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स ही कर सकती हैं, खुदरा व्यापार नहीं जिससे यह अभिप्राय है कि अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे। यद्यपि ऑन लाइन शॉपिंग अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है और ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री पूरी खुदरा बिक्री के एक प्रतिशत से भी कम के बराबर है किन्तु इसमें वृद्धि की पूरी संभावना है क्योंकि अब अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं। मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिले-सिलाए वस्त्र, फिल्में, संगीत, बौर किताबों के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि नई-नई कम्पनियों, नई-नई व्यापारिक प्रतिमार्गों और व्यापार के नए-नए अवसरों से बाजार भरे पड़े है।⁴

उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन उत्पादों की विस्तृत व व्यापक श्रंखला विद्यमान है। वहीं पारम्परिक बाजार में खाद्य, पेय और कपड़ों के क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है तेजी से बढ़ रहा है।⁵ वैश्विक तकनीकी व्यवस्थाओं के विकास ने प्रबंधकीय और वैश्विक बाजारों के विकास ने आधुनिक मानव की जीवनशैली, शिक्षा, यात्रा और

आय में परिवर्तन ने भारतीय उपभोक्ता के उपभोग तरीकों को बदल दिया है। भारतीय उपभोक्ता का व्यवहार विकसित देशों के उपभोक्ताओं के समान भौतिक स्वरूप की तुलना में सॉफ्टवेयर आधारित होता जा रहा है। केश लेश भुगतान के बढ़ते उपयोग अर्थात् क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के मध्य व्यय में वृद्धि एवं खुदरा क्षेत्र में मांग में वृद्धि हुई है। संगठित खुदरा क्षेत्र में लगभग सभी खुदरा विक्रेताओं द्वारा केश लेश भुगतान की स्वीकृति के साथ देश में उत्कृष्ट प्लास्टिक रूपों से जुड़ी चुनिंदा बिक्री पर केश बैंक ऑफर या छूट जैसे प्रोत्साहनों ने भारतीय उपभोक्ताओं को नकद रहित खरीदारी के आनन्द के साथ सुरक्षित एवं सुगम क्रय व्यवहार की सुविधा प्रदान की है। खाद्य, किराने, औषधिय पदार्थ हिस्से में सबसे बड़ा व्यय है किन्तु स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे विवेकाधीन प्रमुख उत्पादों के तहत बढ़ते उपभोक्ता व्यय ने स्थानांतरित व्यय परिवर्तन प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।⁶

उक्त अध्ययन मूल रूप से उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट आधारित अथवा पारम्परिक दुकानों, मॉल, स्टोर्स में पसन्द एवं सुविधाजनक होने पर आधारित है। ग्राहकों की पसंद, व्यवहार, गुणवत्ता, कीमतों और उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने वाली व्यवस्था के विकास पर केन्द्री है।

क्र.	ऑनलाइन शॉपिंग को प्रभावित करने वाले कारक	ऑफलाइन शॉपिंग को प्रभावित करने वाले कारक
1.	जोखिम	सीमित उत्पाद विकल्प
2.	सुविधा	अधिक समय लागत
3.	उत्सुकता	सूचना
4.	पूर्व ऑनलाइन क्रय अनुभव	वास्तविकता
5.	मूल्य नीति	रूचि एवं प्राथमिकता
6.	गुणवत्ता	मूल्य निर्धारण (माल-भाव)
7.	ऑनलाइन विश्वास	
8.	उत्पाद की वास्तविकता	
9.	सुपुर्दगी का समय	
10.	आय	
11.	रूचि एवं अधिमान	
12.	उत्पाद जानकारी	
13.	सावधानी	
14.	प्रस्ताव एवं प्रलोभन	
15.	तत्कालिक सन्तुष्टि	
16.	विक्रय पश्चात् सेवाएँ	

अध्ययन के उद्देश्य -

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

- उपभोक्ता को ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की जाँच करना।
- उपभोक्ताओं की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन क्रय के प्रति सन्तुष्टि के अध्ययन करना।

परिकल्पना -

H_{01} - ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन वस्तु क्रय निर्णय को उपभोक्ता की शैक्षणिक योग्यता के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

शोध प्रविधि - तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन की जाँच करने के लिए इन्दौर शहर से 250 उत्तरदाताओं को अध्ययन का आधार बनाया गया है। जिनमें विभिन्न आयु वर्ग, लिंग, के अन्तर्गत छात्र, पेशेवर तथा गृहणियों के क्रय व्यवहार का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों के आधार पर गया है। साक्षात्कार अनुसूची में उपभोक्ताओं द्वारा क्रय निर्णय को मूल्य, गुणवत्ता, तकनीक तथा विपणन रीति के अन्तर्गत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन विधि के आधार पर क्रय निर्णय लिया गया है।

तथ्य विश्लेषण - विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं का चयन (छात्र, पेशेवर तथा महिलाओं) क्रय व्यवहार पर वैश्विक स्तर की वस्तुओं के क्रय व्यवहार को जानने के लिए दैव निदर्शन विधि से चयनित 250 उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक 1 में किया गया है-

तालिका क्रमांक - 1

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी

विवरण	विशेषता	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	213	85.2%
	महिला	371	4.8%
आयु	18 से कम	311	2.4%
	18-35	187	74.8%
	35 से अधिक	32	12.8%
शैक्षणिक स्तर	12 वीं अथवा कम	12	4.8%
	स्नातक	97	38.8%
	स्नातकोत्तर अथवा अधिक	141	56.4%
व्यवसाय	छात्र	83	33.2%
	नौकरी/पेशेवर	156	62.4%
	गृहणी	11	4.4%

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समकों का विश्लेषण।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 के अनुसार दैव निदर्शन विधि द्वारा सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 85.2 प्रतिशत पुरुष एवं 14.8 प्रतिशत महिलाएँ हैं। सर्वाधिक 74.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है। शिक्षा का स्तर स्नातक 38.8 प्रतिशत एवं 56.4 प्रतिशत स्नातकोत्तर से अधिक है। ऑन लाइन अथवा ऑफलाइन क्रय करने वाले 33.23 प्रतिशत छात्र, 62.4 प्रतिशत नौकरी/पेशेवर हैं जबकि 4.4 प्रतिशत गृहणी महिलाएँ सम्मिलित हैं।

तालिका क्रमांक -2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

किसी वस्तु विशेष के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के अन्तर्गत सर्वाधिक 24.4 प्रतिशत ऑनलाइन वस्तु क्रय करना पसन्द करेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्रय के साथ केश-बेक की सुविधा प्राप्त होगी। जबकि ऑफलाइन क्रय के लिए बाजार अथवा मॉल जाने का व्यय, समय की बर्बादी, साथी का चुनाव, समय मिलने अथवा निकालने की दुविधा आदि बातों पर

निर्भर करता है।

तालिका क्रमांक - 3 (देखें आगे पृष्ठ पर)

ऑनलाइन मिलने वाले उत्पाद का अधिक मूल्य होने के बावजूद सर्वाधिक उत्तरदाता ऑनलाइन क्रय करना पसन्द करेंगे क्योंकि भुगतान की सुविधा, घर बैठे उत्पाद की प्राप्ति, वापसी की सुविधा आदि लाभ प्राप्त हैं।

प्राक्कल्पना परीक्षण -

H_a - ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन वस्तु क्रय निर्णय एवं उपभोक्ता की शैक्षणिक योग्यता के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

H_0 - ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन वस्तु क्रय निर्णय एवं उपभोक्ता की शैक्षणिक योग्यता के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

उक्त शुन्य परिकल्पना का परीक्षण उत्तरदाता की शैक्षणिक योग्यता एवं क्रय के लिए चयन किए गए माध्यम (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) के मध्य सम्बन्ध की जाँच काई वर्ग परीक्षण के द्वारा किया गया है। काई-वर्ग परीक्षण के परिणाम निम्न प्रकार प्राप्त हुए हैं-

Chi Square Tests

	Value	df	Asymp.sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square	186.130 ^a	4	.000
	250		

Pearson's R = 0.81 (Sig.0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 4 स्वातन्त्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 9.448$ है तथा χ^2 का परिगणित मूल्य $\chi^2_c = 186.130$ प्राप्त हुआ है।

अर्थात् $9.448 < 186.130$ या $\chi^2_t < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.81 प्रतिशत (0.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर) अर्थात् उच्च स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शुन्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना ' H_a ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन वस्तु क्रय निर्णय एवं उपभोक्ता की शैक्षणिक योग्यता के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।' स्वीकृत होती है।

अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता के क्रय व्यवहार पर उसकी शैक्षणिक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त आयु, शैक्षणिक स्तर एवं रोजगार के प्रकार का आधुनिक तकनीकी के प्रयोग एवं जोखिम वहन करने की क्षमता अधिक आयु वर्ग, निम्न शैक्षणिक योग्यता एवं निम्न आयु वर्ग के उपभोक्ता ऑनलाइन क्रय के लिए जोखिम वहन करने के लिए उन्नत तकनीकी क्षमता, ज्ञान व अनुभव का अभाव होता है। ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों ही प्रणालियों में उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर मूल्य, तकनीक, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीक का प्रभाव पड़ता है अन्य कारकों का प्रभाव उपभोक्ता व्यवहार पर पड़ता है। अतः उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य कारक अधिक प्रभावशील हैं।

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय पर उत्पाद के साथ मिलने वाले वाले ऑफर्स के रूप में छूट, इनाम व मुफ्त वस्तु के अतिरिक्त वस्तु के मूल्य, भुगतान प्रणाली, तकनीकी, गुणवत्ता, वास्तविकता तथा विपणन पद्धती का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में ग्राहक वस्तु के स्वरूप, मूल्य उपलब्धता का स्थान आदि पूर्व जानकारी ऑनलाइन इंटरनेट अथवा मोबाईल के द्वारा प्राप्त करते हैं भुगतान के लिए

ऑनलाइन बैंकिंग व गलत अथवा वस्तु वास्तविकता, टूट-फूट, नापसन्द होने पर वापसी के लिए सुविधाओं ने ऑनलाइन क्रय को प्रोत्साहित किया है। भविष्य में कामकाजी लोगों की समय की कमी, विशेष वस्तु की ऑनलाइन उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता, भुगतान व छूट जैसे कारक उपभोक्ता की सन्तुष्टि स्तर में वृद्धि ऑनलाइन क्रय व्यवहार की प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. S. Karmugil. R. Kannapa (2015) "Study on customer satisfaction towards retail stores in tiruchirappalli town" International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences ISSN: 2278-6236, Vol. 4 | No. 6 | June 2015 page - 70
2. censusofindia 2011.
3. Gupta Himanshu, Dubey Neetu and Patani Pawan (2012): "Effect of Organised retail on Unorganised retail in Indian retail market" Research Journal of Management Sciences, Vol. 1(1), 7-13, August (2012) page - 7
4. Gupta, Stewart (1996). "Customer Satisfaction and Customer Behavior: The Differential Role of Brand and Category Expectations". Marketing Letters, Vol. 7 (No. 3), pp. 258-261.
5. Ravi Sen, Ruth C. King, & Michale J. Shaw. (2014). Buyers Choice of Online Search Strategy and its Managerial Implications: Journal of Management Information Systems. VOL.23, No.1.
6. Ibrahimand M.F. and Wee C.N. (2003), "Determinants of entertaining shopping experiences and their link to consumer behavior : Case studies of shopping centers in Singapore" J. Retail. Leisure Property, 2(4), pp 338-357.

तालिका क्रमांक - 2

ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन पर उपलब्ध उत्पाद में किसे प्राथमिकता देते हैं?

शैक्षणिक स्तर	ऑनलाइन		ऑफलाइन		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	61	24.4	44	17.6	105	42
नहीं	49	19.6	25	10	74	29.6
कहा नहीं जा सकता	23	9.2	48	19.2	71	28.4
कुल	133	53.2	117	46.8	250	100

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंकों का विश्लेषण।

तालिका क्रमांक - 3

ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन उत्पाद का मूल्य अधिक होने पर क्रय

शैक्षणिक स्तर	ऑनलाइन		ऑफलाइन		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	54	21.6	27	10.8	81	32.4
नहीं	21	8.4	58	23.2	79	31.6
कहा नहीं जा सकता	36	14.4	54	21.6	90	36
कुल	111	44.4	139	55.6	250	100

स्रोत - प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंकों का विश्लेषण।

कृषि विकास में संजय सरोवर परियोजना का योगदान (सिवनी जिले के संदर्भ में)

नीवू उडके *

प्रस्तावना - कृषि भारतीय आर्थिक विकास का मेरूदण्ड है। कृषि ग्रामीण जीवन की जीविकोपार्जन में अहम भूमिका निभाता है। कृषि द्वारा खाद्यन्नों की पूर्ति होती है साथ-साथ आर्थिक विकास होता है। कृषि स्तर मांग एवं क्षेत्र में निरंतर विस्तार किया जा रहा है, तथा कृषि के स्वरूप में निरंतर विस्तार किया जा रहा है, तथा कृषि के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन को दृष्टिगोचर किया जा रहा है। कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। कृषि विकास में फसलों की उपज या उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था व रासायनिक उर्वरक व नवीन तकनीक की उपलब्धता के प्रयोगों पर निर्भर है।

संजय सरोवर बांध जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग N.H.7 छपारा तहसील से 16 कि.मी. पूर्व में भीमगढ गांव के समीप स्थित है, यह बांध कृषि सिंचाई व कृषि उत्पादन में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है।

अध्ययन क्षेत्र-सिवनी जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पार्श्व पर सतपुडा के पठार पर स्थित है उत्तर में चौडा एवं दक्षिण में संक्रीणता लिये हुए है। समुद्र तल से इसकी उंचाई 617 मी. है। यह जिला 21°36' से 22°57' उत्तरी अक्षांश एवं 79°19' से 80°17' पूर्वी देशांश के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर हैं।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. कृषि विकास में संजय सरोवर परियोजना की बहुमूल्यता का अध्ययन करना।
2. फसलवार उत्पादकता व उत्पादन का अध्ययन करना।
3. नहरवार सिंचाई क्षमता का अध्ययन करना करना।
4. संजय सरोवर परियोजना द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों का अध्ययन करना एवं उसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत प्रपत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है जिसमें संजय

सरोवर डिवीजन के वलारी से लिया गया है। जिसमें लाभान्वित विकासखंडवार आंकडो के आधार पर है।

सारणी क्र. 1 व आरेख कं. 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख में संजय सरोवर परियोजना का वार्षिक रूपांकित सिंचाई क्षमता मे रबी व खरीफ की सिंचाई विकासखंडवार दर्शायी गयी है जिसमे सर्वाधिक रबी की फसल में अधिक सिंचाई होती है।

सारणी क्र. 2 व आरेख कं. 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रं 3 व आरेख कं. 3 (देखे आगे पृष्ठ पर)


प्रस्तुत आरेख से स्पष्ट होता है कि रबी व खरीफ फसलों के उत्पादन का वर्णन किया गया है। जिसमें सिवनी, केवलारी, छपारा तथा धनौरा आदि क्षेत्रों में रबी तथा खरीफ के उत्पादन को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष - संजय सरोवर परियोजना से सिंचाई क्षमता 2002-2012 वर्षों के दर्शाया गया जिसमें सर्वाधिक सिंचाई रबी की फसल में प्रदर्शित है।वही फसलो की उत्पादकता मे 2002-2003सर्वाधिक उत्पादकता रबी फसल में केवलारी विकासखंड में देखी गयी व 2011-2012 में केवलारी मे 637.5कि.ग्रा. उत्पादकता में वृद्धि देखी गयी तथा कृषि उत्पादन में 10 वर्षों के आंकलन में 2002-2012 तक रबी की फसल में लगातार वृद्धि देखी गयी। सभी विकासखंड में उत्पादकता व उत्पादन मे वृद्धि पायी गयी।यह संजय सरोवर परियोजना कृषि उत्पादन व कृषि विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह परियोजना जिले की जीवन रेखा मानी जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका सिवनी।
2. संजय सरोवर परियोजना डिवीजन केवलारी, जिला सिवनी।
3. डॉ.ब्रहमदेव, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

आरेख कं. 1



सारणी क्र. 1

संजय सरोवर परियोजना वार्षिक रूपांकित सिंचाई क्षमता
तिलवारा बांयीतट + भीमगढ दायाीतट 18977 + 44696 = 63673 हेक्टेयर में

क्र.	वर्ष	सिवनी		केवलारी		छपारा		धनौरा	
		रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1	2002-2003	7070	670	2010	740	2810	694	5900	730
2	2003-2004	6350	170	7442	170	6332	150	7000	160
3	2004-2005	7823	913	9247	350	6724	845	4023	740
4	2005-2006	7575	563	8956	336	7402	412	4852	689
5	2006-2007	6320	542	8058	458	7000	343	6530	389
6	2007-2008	6700	456	10590	217	4777	197	8825	414
7	2008-2009	5740	215	11550	105	4810	87	7900	125
8	2009-2010	7250	736	12200	452	4986	520	8020	430
9	2010-2011	7900	212	13320	53	4849	42	8500	102
10	2011-2012	8000	190	21250	174	7833	158	8900	174


स्त्रोत - संजय सरोवर परियोजना जलसंसाधन विभाग केवलारी जिला सिवनी।

सारणी क्र. 2

रबी व खरीफ की उत्पादकता (कि.ग्रा.हेक्टेयर मे)

क्र.	वर्ष	सिवनी		केवलारी		छपारा		धनौरा	
		रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1	2002-2003	212.1	20.1	213	22.2	84.3	20.82	177	21.9
2	2003-2004	190.5	5.1	223.26	5.1	189.96	4.5	210	4.8
3	2004-2005	234.69	27.39	277.41	10.5	202.26	25.35	120.69	22.2
4	2005-2006	227.25	16.89	268.68	10.08	222.06	12.36	145.69	20.67
5	2006-2007	189.6	16.26	265.74	13.74	240	10.29	195.9	12.67
6	2007-2008	201	13.68	317.7	6.51	143.31	5.91	264.75	12.42
7	2008-2009	172.2	6.45	346.5	3.15	144.3	2.61	237	3.75
8	2009-2010	217.5	22.08	366	13.56	149.48	15.6	240	12.9
9	2010-2011	237	6.36	399.6	1.59	145.47	1.26	255	3.06
10	2011-2012	240	5.7	637.5	5.37	234.49	4.74	267	5.22

स्त्रोत - संजय सरोवर परियोजना जलसंसाधन विभाग केवलारी जिला सिवनी।




सारणी क्रं 3

संजय सरोवर परियोजना सिंचाई क्षमता द्वारा फसल उत्पादन (टन में)

क्र.	वर्ष	सिवनी		केवलारी		छपारा		धनौरा	
		रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1	2002-2003	2121	201	24.03	222	843	208.2	1770	219
2	2003-2004	1905	51	2232.6	51	1899.6	45	2100	48
3	2004-2005	2346.9	273.9	2774.1	105	2022.6	253.5	1206.9	222
4	2005-2006	2272.5	168.9	2686.8	100.8	2220.6	123.6	1455.6	206.7
5	2006-2007	18.96	162.6	2657.4	137.4	2400	102.9	1959	116.7
6	2007-2008	2010	136.8	3177	65.1	1433.1	59.1	2647.5	124.7
7	2008-2009	1722	64.5	3465	31.5	1443	26.1	2370	375
8	2009-2010	2175	220.8	3660	135.6	1495.8	156	2406	127
9	2010-2011	2370	63.6	3996	15.9	1454.7	12.6	2550	30.6
10	2011-2012	2400	57	6375	53.9	2349.9	74.4	2670	52.6

स्रोत-संजय सरोवर परियोजना जलसंसाधन विभाग केवलारी सिवनी

आरेख क्रं 3



पर्यावरणीय चुनौतियाँ एवं सुरक्षात्मक हेतु बनाए गए कानून

डॉ. हरदयाल अहिवार *

प्रस्तावना – विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध पुस्तक ऋग्वेद को प्रारंभिक ऋचाओं में पवन (वायु) सूर्य, पृथ्वी, वनस्पतियों को वंदनीय बताया गया है। वैदिक आचार्य पृथ्वी, नदी और वनस्पतियों को माँ और पुत्री की तरह सम्मान देते हैं। अथर्ववेद का ऋषि वनस्पतियों को सुसज्जित मानता है। उपनिषद्, पुराण और मान में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश से जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। जैन धर्म में वृक्षों से फल-फूल तोड़ना निषेध है। इस्लाम में जल को गंदा करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि शुद्ध पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है।

औद्योगिक क्रांति के बाद विगत कुछ समय में पर्यावरण अवनयन, संसाधन हास पारिस्थितिकी असंतुलन से पर्यावरणीय समस्याएं एवं संकट उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यों के क्रियाकलापों एवं प्रकृति में किए गए हस्तक्षेप ने जीवन के अस्तित्व को संकट में लाकर खड़ा कर रखा है। विभिन्न चुनौति एवं मानव जीवन पर भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है। वनों का विनाश संसाधनों का दोहन, औद्योगिकीकरण साथ ही वाहनों का अत्यधिक प्रयोग ने वायु एवं जल को प्रदूषित कर दिया है। आर्थिक क्रियाएँ कई प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। विश्व शब्दकोष के अनुसार 'पर्यावरण उन सभी दशाओं प्राणियों एवं प्रभावों का योग है, जो जीवों और प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है।' आज विश्व की तीन प्रमुख समस्याएं/ चुनौतियाँ हैं – (1) जनसंख्या, (2) गरीबी, (3) प्रदूषण इनमें सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। पारिस्थितिक असंतुलन एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं/ चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। जनसंख्या में इतनी वृद्धि 10 लाख वर्षों में नहीं हुई जितनी 100 वर्षों में हो गई है।

प्रकृति में जो परिवर्तन परिलक्षित होता है – वायु, जल, मिट्टी, पेड़-पौधे एवं जीव-जन्तु वे सब समन्वित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जैवीय परिस्थितियों का योग है।

पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसलिए इसमें पृथ्वी के दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का अविर्भाव हुआ जिसमें जीवधारी अपने जीवन-निर्वाह अस्तित्व व संवर्धन हेतु भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं।

जनाधिक्य एवं विकास की बढ़ती रफतार ने पर्यावरणीय क्षति को तीव्रतर कर दिया। वृक्षों से बहने वाली हवा, हरे-भरे जंगल, रेतीला तट, फैलता रेगिस्तान, लोभ-लाभ की संस्कृति विकास का पर्याय बन गई है। आज हम इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, परन्तु क्या चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। यह भूलकर कि कम्प्यूटर युग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, न तो कम्प्यूटर पेड़ उगा पायेगा और न ही फसल। यदि हमारे

शैक्षणिक सामाजिक और प्रशासनिक चिन्तन में बदलाव नहीं आया, तो हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। बढ़ती आबादी, पालतू पशुओं के लिये अन्न चारे के लिए काफी मसकत करनी होगी। हिम युग से लेकर औद्योगिक युग तक पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होता रहा है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक पृथ्वी की जलवायु का गहन अध्ययन कर पाया है कि भौगोलिक कालखण्ड में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कई हिमगिरों के साथ विगत 8 लाख वर्षों में घटता-बढ़ता रहा है। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण मुख्यतः नाइट्रोजन (78 प्रतिशत), ऑक्सीजन (21 प्रतिशत), शेष (1 प्रतिशत) सूक्ष्म मात्रिक गैसों से मिलकर बना है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रत्यक्ष असर यह हुआ कि ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर निरन्तर बढ़ रहा है, यदि इसी प्रकार परिवर्तन होता रहा तो आने वाले समय में समुद्र के किनारे के तटवर्ती टापू डूब जाएंगे। इस परिवर्तन के लिए मानवीय कारक ही जिम्मेदार हैं जिनसे ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2050 तक विश्व के तापमान में 1.5°C से 4.5°C तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। गैसों के उत्सर्जन में जो वृद्धि हुई है, उसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है।

औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पेड़-पौधों से भरी अधिक से अधिक भूमि को भवन-निर्माण एवं कल-कारखानों की स्थापना के लिए साफ किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, निर्माण उद्योगों एवं परिवहन उद्योगों के उपभोग के लिए किया जा रहा है। भौतिक वस्तुओं के प्रति बढ़ती लालसा, जिससे कूड़ा-कचरा का अम्बार लग गया है। साथ ही हमारी जनसंख्या एक अरब को पार कर गई है। भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्र है। जिस पर विश्व की 16.87% जनसंख्या निवास करती है।

भारत का जो क्षेत्रफल है, उसमें 306.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। इस प्रकार भारत में 306.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से केवल 141.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है, अतः भारत में 46% भूमि पर ही खेती होती है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी कम होती जा रही है। 1951 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5,177 क्यूबिक मीटर थी, वह 2001 में घटकर 1869 क्यूबिक मीटर रह गई है और वर्ष 2025 में कम होकर 1250 क्यूबिक मीटर रह जाएगी। वन क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र का 20.64% बैठता है। इस प्रकार भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 671 वर्ग मीटर है, जबकि विद्वानों के अनुसार कम से कम 1605 वर्ग मीटर होना चाहिए। भारत में सामान्यतः 2000 कैलोरीज भोजन मिलता है जो अपौष्टिक एवं अपर्याप्त है। उचित स्वास्थ्य के लिए 3000 कैलोरीज भोजन मिलता है। यदि इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती रही तो 1500 कैलोरीज ही भोजन मिल

पाएगा। कृषि योग्य भूमि की कम उपलब्धता के कारण भूमि को ही अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कृत्रिम खादों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ता है जिस के कारण प्रदूषण फैलता है और आगे चलकर भूमि की उर्वक शक्ति कम हो जाती है।

औद्योगिकीकरण जल प्रदूषण का सर्वप्रथम कारण है। भारत में फैलने वाली बीमारियाँ संक्रमित और प्रदूषित जल के कारण होती है। आंत्रशोध और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ जल प्रदूषण के आधिक्य से उत्पन्न होती है। छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण भी जी प्रदूषण ही है।

वायु के अभाव में हमारी मृत्यु कुछ ही क्षण में हो जाती है। जीवन एवं प्रकृति के विभिन्न कार्यों के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, प्रदूषित वायु के कारण स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और प्रकृतिक प्रक्रियाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के कारण लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बच्चे और स्त्रियाँ सर्वाधिक शिकार होते हैं। जनसंख्या वृद्धि ने ऊर्जा की मांग बढ़ा दी है, जिस हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता है। उस हिसाब से मांग पूरी नहीं हो पा रही है। नदियों का जलस्तर गिरता जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ नदियाँ तो अपना अस्तित्व ही खो बैठी है।

भारत में हर दो-चार साल में कुछ राज्य सूखे की चपेट में आ ही जाते हैं। अतः आज जरूरत है पर्यावरणीय चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षात्मक रूप प्रदान करने की। 1992 में राष्ट्रीय वन रोपण और परिस्थिति विकास बोर्ड की स्थापना की गई ताकि वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रोकने हेतु अनेक कानून पिछले वर्षों से बने भारतीय संविधान में भी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 21 में दिए हैं। 'संविधान यह आश्वस्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 51 A(g)' यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। जिसमें वन, झीलें, नदी और वन्य जीव संबंधित हैं। प्रत्येक जीवधारी के प्रति सहानुभूति रखे। भारत सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किये जिनमें से 6 अति महत्त्वपूर्ण हैं।

1. **जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974** - 'इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों की वृद्धि एवं शहरीकरण के फलस्वरूप नदी तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्या महत्त्वपूर्ण बन गई है। अतः यह आश्वस्त किया जाना आवश्यक है घरेलु तथा औद्योगिक बहिर्जाव उस जल में न मिलने दिया जाए जो पीने के पानी के स्रोत, कृषि उपयोग, मत्स्य जीवन के पोषण योग्य न हो। नदी और दरियाओं का प्रदूषण भी देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर हानि पहुँचाने का कारण बनती है।' इस अधिनियम में 64 धाराएँ हैं जिनके अंतर्गत सजा का प्रावधान तक है।

2. **वायु प्रदूषण निराकरण अधिनियम 1981** - बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया जो सांसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति की सहमति से 16 मई 1981 से लागू किया गया।

3. **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986** - जिसके आधार पर प्राणि मात्र को पर्यावरण विकृतियों से बचाना और अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से दूर करने का प्रभावी उपकरण भी उपलब्ध कराना था। इस अधिनियम की धारा 2 में पर्यावरण शब्दावली से संबंधित शब्दों को परिभाषित किया गया है।

4. **लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991** - परिसंकटमय रसायन उद्योगों की वृद्धि उनके कार्यकलाप और परिचालन ने देश में दुर्घटनाओं की वृद्धि की है जो वहाँ के श्रमिक और कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों के आसपास के लोगों को हानि पहुँचाते हैं। ऐसे हादसे वाले उद्योगों के कर्मचारी और श्रमिक तो लाभ ले लेते हैं परन्तु आम जनता के लिए कोई कानूनी मदद नहीं है। इस प्रकार से यह बिना त्रुटि दायित्व अधिनियम है।

5. **राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992** - परिसंकटमय रसायन उद्योगों में कार्य करने पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जिससे समय परमिल ग्रस्त और त्रस्त लोगों को तत्काल राहत मुआवजा दिलाया जाता है, इस हेतु इस अधिनियम को बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल की सबसे पहले चार शाखाएँ दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में होगी। इसके अलावा अन्य बड़े राज्यों में खोली जाएगी।

6. **राष्ट्रीय पर्यावरण और अपीलैट आर्थोरिटी अधिनियम 1997** - इसे महामहिम राष्ट्रपति ने मार्च 1997 में जारी किया तथा 09 अप्रैल 1997 से चालू माना गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उन क्षेत्रों की अपीलों पर सुनवाई करें जहाँ उद्योग संबंधी कार्यकलाप न होते हो। यह ट्रिब्यूनल विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं को ठीक से चलाए जाने में पारदर्शिता लाना है।

जलवायु में परिवर्तन के कारण दुनिया पर बढ़ता खतरा - पोलैंड के काटोवाइस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस रविवार को शुरू हो गई। इस मौके पर जारी बयान में कहा गया है, 'जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अनदेखी करना मुश्किल हो रहा है। इससे दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है।' इसमें 200 देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन को रोकने की तय योजना के साथ शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पेरिस में हुए समझौते के लिए नियम-कायदे तय किए जाएंगे। पेरिस में तीन साल पहले हुए जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन एक डिग्री सेल्सियस तक ही इसे सीमित किया जा सका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्थशास्त्र सेम पंचम-पी.डी. महेश्वरी एवं डॉ.थीलचंद गुप्ता, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल ।
2. भारत 2004 प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
3. अर्थशास्त्र लेखक रामरतन शर्मा रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा।
4. अर्थशास्त्र जे.सी.पंत एवं जैन।
5. रोजगार निर्माण - 08.03.10 एवं 14.03.10
6. दैनिक भास्कर - दिनांक 04 दिसम्बर 2018

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - 'यदि भारत को जीवित रहना है तो सबसे पहले निचले (ग्रामीण) स्तर से कार्य शुरू करना होगा यदि इसकी स्थिति खराब होगी तो बाकी के सभी स्तरों पर किया गया कार्य निष्फल होगा।'

गाँधी जी की उक्त धारणा कि ग्रामीण विकास पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है इस दृष्टि से कृषि विकास की भूमिका और बलवती हो जाती है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मानव संख्या कृषि और कृषि कार्यों पर अवलम्बित ही नहीं आश्रित भी है।¹ आज भी देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि है। आजादी के समय जी.डी.पी. में कृषि का 50 प्रतिशत अंश था और वर्तमान में 22 प्रतिशत अंश कृषि का है।² इसका मुख्य कारण कि आज देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का सातवाँ स्थान क्रय शक्ति समता की दृष्टि से तीसरा स्थान रखने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा असंगठित व्यवसाय है। यही नहीं कृषि राष्ट्रीय आय का स्रोत, रोजगार एवं जीवनयापन का प्रमुख साधन औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं व्यापार का आधार भी है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता से पूर्व भी कृषि विकास के प्रयास होते रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को सर्वोपरी माना गया इसी कारण प्रथम पंचवर्षीय (1951) से लेकर आज तक 12 पंचवर्षीय (2012 से 2017) योजना तक में किसी न किसी रूप में कृषि विकास के लिए प्रयास जारी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है अर्थात् कृषि विकास से ही देश का विकास संभव है।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का अध्ययन करना है।

परिकल्पना - कृषि ग्रामीणों की आय का एक बड़ा साधन रोजगार प्राप्त करने का स्रोत, ग्रामीण उद्योग धंधों का आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ एवं विकास की कुंजी में कृषि कैसे सशक्त बनकर ग्रामीणों को अपने विकास के लिए सार्वभूमिक बनाकर विकास की ओर ले जा सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बनावट दो क्षेत्रों से मिलकर बनी है (1) कृषि क्षेत्र इसमें खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक फसलें आती हैं (2) गैर कृषि क्षेत्र इसमें ग्रामीण क्रियाकलाप आते हैं। अर्थात् पशुपालन डेरी व्यवसाय मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा वानिकी आदि। जब कृषक बेकार बैठे रहते हैं तो इन कार्यों से जुड़कर अल्प बेरोजगारी को दूर करते हैं।³ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग गांवों

में निवास करता है और 10 में से 7 व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं। भारत में 6 लाख 40 हजार 930 गांव हैं। गांव में साक्षरता का प्रतिशत 67.8 प्रतिशत है जिसमें 57.9 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर और 77.2 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं और भारत में कुल श्रमिकों का 54.6 प्रतिशत भाग कृषि व उससे संबंधित व्यवसाय में लगा है।⁴ इसलिए आज भी भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महती भूमिका है इसकी भूमिका के निम्न कारण हैं-

1. आय एवं आजीविका का प्रमुख साधन - कृषि उत्पादन का ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है कृषि का स्तर अच्छा है तो रहन-सहन का स्तर अच्छा होगा इसके विपरीत कृषि स्तर अच्छा नहीं तो रहन-सहन का स्तर भी अच्छा नहीं होगा कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत गांवों में रहता है, जहां के लोगों की जीविका का साधन कृषि है और देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 54.6 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा है जिसमें 24.6 प्रतिशत कृषक तथा शेष कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं।⁵ अर्थात् 30 प्रतिशत कृषकों के पास अपनी जमीन ही नहीं है इसके कई कारण हैं जैसे - कुटीर एवं हस्तकला उद्योगों का पतन, ऋण गृहस्तता, अनार्थिक जोते, जनसंख्या वृद्धि, सरकारी फार्मों पर खेती, बेरोजगारी, कृषि की अनिश्चितता इत्यादि ये सब कारणों से भूमिहीन कृषक दूसरों की खेतों में काम करके जीविका चलाते हैं। इस तरह जीविका चलाने वाले कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए भी सरकारी प्रयास एवं सुझाव जारी हैं। सरकार भी कृषि श्रमिकों के लिए उपाय कर रही है उसमें प्रमुख है - न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, मुफ्त प्लाट, भूमि की व्यवस्था, बंधुआ मजदूर प्रथा का अंत कृषि सेवा समितियों की स्थापना, ऋण मुक्ति कानून क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, श्रमिक सहकारिताओं का गठन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि। सभी प्रयासों के बावजूद भी आज तक की स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास को समउन्नत नहीं कर पाए हैं।⁶ यही नहीं कृषक आज भी परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई की असुविधा, उत्तम प्रकार के बीज का अभाव, विपणन, भण्डारण की असुविधा, वित्त की कमी और बहुत सारे कारण हैं, जो ग्रामीण कृषि समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं ये सारी बातें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विद्यमान है और एक मात्र आय और जीविका का साधन होते भी कृषि की दयनीय स्थिति उनके विकास के मार्ग को पीछे की ओर ले जाती है।⁷

2. रोजगार का स्रोत - कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत है, देश की कार्यशील जनसंख्या (54.6 प्रतिशत) प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी है और भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार 100 में 48.17 व्यक्ति कृषि से रोजगार प्राप्त करते थे और जिनके पास

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

वर्तमान समय में भूमि सिंचाई के साधन पूंजी आदि साधन उपलब्ध हैं तो वे खाद्यान्न, अंगूर, फल, दाल, सब्जियों, फूल, नगदी फसलें कपास, गन्ना, जूट, तम्बाखू आदि में कृषि फार्म, डेयरी फार्म, फल उद्यान, चाय काफी, रबर के बाग, नर्सरी बगीचों का प्रबंध, मुर्गी व सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़े पालना, मछली पालन, भेड़ पालन आदि करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं।⁸ और कृषि एवं गैर कृषि तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। नई कृषि तकनीक से ग्रामीण जनसंख्या अपने रोजगार को बढ़ाने में सक्षम हो सकती है।

3. खाद्यान्न एवं चारे की पूर्ति - ग्रामीण भारत में कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है खाद्यान्न उत्पादन भारत में आशातीत रूप से बढ़ रहा है। 1950-57 में उत्पादन 50.8 मिलियन टन था जो 2013-14 में बढ़कर 264.4 मिलियन टन हो गया यही नहीं वाणिज्यिक फसलें (जिसमें तिलहन कपास, जूट, गन्ना एवं आलू) का उत्पादन भी 2013-14 में बढ़कर क्रमशः 32.4, 529.0, 10.8, 3.484.6 एवं 464.0 लाख टन हो गया। खाद्यान्न फसलें (चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल) के उत्पादन में 1950.51 से 2013-14 में क्रमशः एक अनुपात के अनुसार चावल में 3 गुने से ज्यादा वृद्धि, गेहूँ 5 गुने से ज्यादा वृद्धि, ज्वार में 3 गुना वृद्धि, बाजरा में 5 गुने वृद्धि, मक्का में 4 गुना वृद्धि एवं दालों में 2 गुने से कम वृद्धि हुई।⁹ इस प्रकार देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर होता जा रहा है। इसलिए कृषि की भूमिका सर्वोपरी है। इसी तरह 52 करोड़ पशुओं का चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है इस प्रकार कृषि जन एवं जानवरों के जीवन का आधार है।

4. आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख निर्धारक - ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं सम्पूर्ण भारत के आम रोजगार अन्य आर्थिक तत्व कृषि क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होते हैं। कृषि में हुई प्रगति ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति को परिलक्षित करती है क्योंकि कृषि ही अर्थव्यवस्था में संतुलन का कार्य करती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, संकुचन, गतिशीलता, निष्प्रभावता प्रगति, प्रतिगति सब कृषि की देन है कृषि के द्वारा ही 54.6 व्यक्तियों को रोजगार एवं 19 प्रतिशत आय में सहायक है इसीलिए जब उत्पादन में कमी होती है तो ग्रामीण ही नहीं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वोच्च स्थान है।

5. उद्योगों का आधार - कृषि देश के अनेक छोटे-बड़े तथा घरेलू उद्योगों का आधार है सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन 1950-51 में 4.215 मिलियन वर्गमीटर था जो 2011-12 में बढ़कर 30.570 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। चीनी का उत्पादन 2000-2001 में 185.19 लाख टन था जो 2012-13 में बढ़कर 248.00 लाख टन हो गया और 2017 में यह उत्पादन 5.21 मिलियन मेट्रिक टन रहने की संभावना है।¹⁰ जूट का उत्पादन भारत में विश्व का 40 प्रतिशत होता है 9 लाख 70 हजार हेक्टेयर में उत्पादन होता है 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार एवं 40 लाख परिवारों का भरण-पोषण का साधन है।¹¹ भारत की काफी दुनिया भर की अच्छी गुणवत्ता की काफी मानी जाती है। यह दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी (8200 टन) क्षेत्रों में होती है इसका 80 प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया जाता है।¹² रबर के लिए भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इसी प्रकार चाय का उत्पादन जैविक खेती के कारण और बढ़ गया है चाय का निर्यात भारत विश्व के 80 से अधिक देशों को करता है।¹³ इन सब उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से ही होती है ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में चावल, आटा, दाल, तेल आदि के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से ही होती है।

6. परिवहन के साधनों की आय का स्रोत - देश में परिवहन की आय का साधन भी कृषि ही है क्योंकि कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए रेल, मोटर, और वर्तमान में परिवहन के सभी साधन को आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त गांवों देहातों से मंडियों तक कृषि पदार्थों को पहुंचाने में परिवहन के परम्परागत एवं आधुनिक साधनों की आय का आधार भी कृषि है।¹⁴ कृषि के उत्पादन बढ़ने से ही परिवहन के क्षेत्र की आय बढ़ी है।

7. विदेशी व्यापार में महत्व - देश के कुल निर्यात का लगभग 12.4 प्रतिशत भाग कृषि पदार्थों एवं कृषि से संबंधित पदार्थों का होता है। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएं निर्यात करता है एवं 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुओं का आयात करता है।¹⁵ इसमें प्रमुख कृषि उत्पाद है - चाय, काफी, चावल, काजू, गरम मसाले, कपास इत्यादि। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, मूंगफली चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है चावल, कपास, गन्ना तथा जूट में द्वितीय स्थान एवं तम्बाकू में तृतीय स्थान एवं प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पाँचवा स्थान है इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता सबसे अधिक है।

8. सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव - औद्योगिक प्रगति का आधार, सामाजिक व राजनैतिक महत्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से केवल आय, रोजगार, खाद्यान्न की पूर्ति, उद्योगों को कच्चा माल, ही प्राप्त नहीं होता वरन् सामान्य मूल्य स्तर पर भी कृषि का प्रभाव पड़ता है औद्योगिक स्तर भी कृषि पर निर्भर करता है और कृषि की व्यावसायिक स्थिरता सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करती है।

उपरोक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विश्लेषण करने के पश्चात् यह टिप्पणी निष्पादित की जा सकती है कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण समृद्धि एवं विपन्नता का चित्रण प्रस्तुत करती है। कृषि की भूमिका से संबंधित मेरे सुझाव निम्न हैं -

1. सर्वप्रथम तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन आईएवाइ पीएमजीएसवाई एनआर एलएम महिला सशक्तिकरण एसजीएसवाई, आरएच 16 जैसी न जाने कितनी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं उनकी जानकारी ग्रामीणों के पास उपलब्ध नहीं होती। इसलिए जानकारी के लिए कृषक मेला, शिविर एक अलग ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का खुलासा कार्य होना चाहिए।
2. महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, इसलिए गाँव में जो महिलाएं स्वसहायता समूह चला रही होती हैं उनके द्वारा जानकारी दी जाए।
3. वित्त की समुचित व्यवस्था के लिए जो वित्तीय संस्थाएं विभिन्न प्रकार के सभी स्तरों पर ऋण देती हैं उनकी जानकारी भी गांव में जो कालेज एवं स्कूलों के द्वारा शिविर लगाए जाते हैं। छात्राओं के माध्यम से दी जा सकती है।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दारोमदार जब कृषि पर ही आधारित है तो कृषि विकास के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद, विपणन, परिवहन के साधनों की समुचित व्यवस्था, भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उन्मूलन, कृषि भण्डारण की व्यवस्था इत्यादि ग्राम स्तर पर ही होना चाहिए। जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत 'कृषि विकास' योजना शुरू की गई है। विशिष्ट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए साइल हेल्थ कार्ड की पेशकश की गई नई यूरिया नीति की घोषणा, 33 प्रतिशत फसल

नष्ट होने पर किसान मुआवजा, ग्राम ज्योति योजना, इसके लिए 1 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।¹⁷ सरकार कृषि विकास के लिए योजनाएं व तरीके अपना रही हैं पर इससे कितना लाभ कृषि कृषकों को हो रहा है। इसके लिए सरकार को एक योजना पश्चात लाभ का विश्लेषण करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा।

उपरोक्त वर्णित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वोपरी है क्योंकि कृषि ही ग्रामीणों के जीवन की संजीवनी बूटी है इसलिए ग्राम विकास एवं कृषि विकास के लिए सरकारी स्तर, निजी स्तर जो प्रयास किए जा रहे हैं। उनका लाभ शत-प्रतिशत कृषकों को मिल जाए तो कृषि की भूमिका में चार चाँद लग जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था विश्व में कृषि उत्पाद में अग्रणी हो जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. पंत डी.सी. - भारत में ग्रामीण विकास विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 19
2. www.brainstark.com>agriculture
3. डॉ. मिश्र जयप्रकाश - कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 531, 532
4. डॉ. पंत जैसी, डॉ. मिश्रा जे.पी. - भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2015, पृष्ठ 54, 55
5. www.brainstark.com
6. डॉ. मामोरिया चतुर्भुज, डॉ. जैन एस.सी. - भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010, पृष्ठ 247, 249
7. कृषि का महत्व एवं भूमिका।
www.vivacepanarama.com
8. https://mpatrika.com
9. भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ 74, 75
10. www.krishakjagat.org
11. प्रतियोगिता दर्पण - 641 प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली, 2014, पृष्ठ 278
12. hindi.indiawaterportal.org
13. https://hi.m.wikipedia.org
14. https://tejarsaval.waredpross.com
15. कृषि अर्थशास्त्र, पृष्ठ 55
16. https://books.google.co.in/books
17. hi.vikaspedia.in>social-welfare
18. www.pmindia.gov.in>government.free
19. डॉ. माहेश्वरी पी.डी., डॉ. गुप्ता शीलचन्द्र - भारत में आर्थिक पर्यावरण, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2007, पृष्ठ 126

फसल बीमा योजना - आवश्यकता, समस्याएँ एवं समाधान

डॉ. सुनीता वाथरे * आस्था रजक**

प्रस्तावना - प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप खराब होने की स्थिति में कृषकों को होने वाली हानि से रक्षा करने, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा अगले मौसम में उनकी ऋण पात्रता बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है। फसलों का बीमा कराने के उपरान्त प्राकृतिक प्रकोपों से यदि फसलों को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कृषक को बीमा कंपनी करती है। 'फसल बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा किसानों को सामूहिक रूप से कुछ किसानों की क्षति को पूरा करना पड़ता है। 'फसलों का बीमा दो तरह से किया जा सकता है' -

अ. ऐच्छिक बीमा, यह किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है।

ब. अनिवार्य बीमा, सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य होता है।

फसल बीमा के चार प्रकार होते हैं -

- बाढ़ से नुकसान का बीमा।
- बढ़ती हुई फसल को ओलों से नुकसान होने का बीमा।
- आग और बिजली गिरने से हुई हानि का बीमा।
- अन्य किसी प्रकार की हानि।

सर्वप्रथम 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा स्थापित की गई भूमि नीति, कृषि-श्रम तथा बीमा उपसमिति ने भारत में फसल एवं पशु बीमा योजना के क्रियान्वयन का सुझाव दिया था।

सर्वप्रथम देवास (म.प्र.) में अनिवार्य फसल-बीमा योजना शुरू की गई थी। सन् 1946 में नारायण स्वामी नायडू की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण ऋण जाँच समिति ने फसल बीमा योजना को अमेरिकी संघीय फसल बीमा पद्धति के अनुरूप लागू किए जाने का सुझाव दिया, जिससे कृषकों की आय स्थिर बनी रहे। सन् 1947 में सहकारी नियोजन समिति द्वारा फसल बीमा हेतु सुझाव दिया गया। 1947 में नई दिल्ली में संपन्न एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में फसल बीमा के क्रियान्वयन की बात की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति के बावजूद भी फसल बीमा हेतु सरकार द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए गए।

सन् 1973 में गुजरात राज्य में एक फसल बीमा योजना, जीवन बीमा निगम द्वारा कपास की संकर किस्म के लिए संचालित की गई। सन् 1974-75 में भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा दस प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएँ गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में गेहूँ, कपास एवं मूंगफली की फसलों के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन इन योजनाओं से प्राप्त परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। सामान्य बीमा निगम द्वारा 1982-83 के खरीफ मौसम में नौ राज्यों में पायलट फसल बीमा

योजना प्रारंभ की गयी थी। सन् 1983-84 में इस योजना को बारह राज्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना खरीफ मौसम में लागू की गयी। स्कीम के अन्तर्गत लघु और सीमांत किसान देय प्रीमियम की राशि पर 59 प्रतिशत अनुदान पाने के अधिकारी हैं। रबी 1999-2000 से व्यापक फसल बीमा के स्थान पर कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट व बीमारियों के फलस्वरूप फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है। 1999-2000 से खरीफ के मौसम 2006 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत 66.5 लाख कृषकों को शामिल किया गया। लघु तथा सीमांत किसानों को प्रीमियम में 50 प्रतिशत की सब्सिडी केन्द्र व राज्य सरकार/संघ क्षेत्र द्वारा बराबर-बराबर दी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। खरीफ 2016 में 21 राज्यों ने इस योजना का कार्यान्वयन कर दिया था जबकि 23 राज्यों तथा 2 संघ क्षेत्र राज्यों ने रबी 2016-17 में इसका कार्यान्वयन किया था। दिनांक 31.03.2017 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2016 में 128568.94 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 16212 करोड़ रुपये के प्रीमियम दर 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए लगभग 3.7 करोड़ किसानों को बीमाकृत किया गया है। पीएमएफबीवाई बीमित फसल के खराब होने पर व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलती है। यह योजना सभी खाद्य और तिलहन फसल एवं वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल, जिनके पहले की पैदावार डाटा उपलब्धि हो और जिसके लिए आवश्यक फसल कटिंग परीक्षण (सीसीई) का संचालन, सामान्य फसल अनुमान सर्वे (जीसीईएस) का भाग हो उन्हें कवरेज प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसी (आई ए) का चयन संबंधित राज्य सरकार के द्वारा ब्रोली (बिडिंग) के माध्यम से किया जाता है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कम लेकिन ज्यादा नुकसान की भरपाई होगी।
- इस योजना में लगने वाले बजट का वहन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।
- 2017-18 में बजट 17,600 करोड़ तय किया गया।
- 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में प्रश्न क्रं. 415 के जबाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपला ने राज्यवार जानकारी दी-

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं.शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

** ब्यूरो वेरिटास, एच. आर. ऑफिसर (आबूधाबी) दुबई

- बिहार –में किसानों ने 326.26 करोड़ रु. के दावा लगाए थे, किन्तु वहाँ बीमा कंपनियों ने एक भी दावा स्वीकृत नहीं किया राज्य में कुल 1122.3 करोड़ रु. का प्रीमियम भरा गया था, इसमें से किसानों का हिस्सा 130.54 करोड़ रु. का था।
- **मध्यप्रदेश** – में खरीफ मौसम के लिए 2836.3 करोड़ रु. का प्रीमियम भरा गया इसमें से 402.9 करोड़ रु. का प्रीमियम तो किसानों ने ही भरा था, इस फसल के लिए किसानों ने 637 करोड़ के दावे लगाये थे, किन्तु जिसके एवज में 114953 किसानों को केवल 51.52 करोड़ रुपये (1.82%) के दावों का भुगतान हुआ एक किसान को औसतन 4482 रु. का बीमित धन मिला।
- **महाराष्ट्र** – में 26.91 लाख किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1803.3 करोड़ रु. के दावे स्वीकार हुए, जबकि किसानों, राज्य और केन्द्र सरकार ने मिलकर 3933.43 करोड़ रु. का प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया था, यानी इस मौसम में कंपनियों को प्रीमियम में से भी केवल 45.85% राशि का ही इस्तेमाल करना पड़ा।
- **तमिलनाडु** – में इस योजना में केवल 8.64 करोड़ रु. का प्रीमियम भरा गया था, परन्तु सूखे से गंभीर 16 हजार रु. का बीमा दावा हासिल हुआ, वहाँ यही एक मात्र दावा भी था।
- **राजस्थान** – में 1959.5 करोड़ रु. का प्रीमियम भरा गया था, इसके एवज में किसानों के 292 करोड़ रु. के दावों को स्वीकृति मिली।
- **ओडिसा** – में किसानों ने 423 करोड़ रु. के दावे किए थे, इसके एवज में उन्हें 236 करोड़ रु. के दावों का भुगतान हुआ।
- **उत्तरप्रदेश** – में कुल 596 करोड़ रु. का प्रीमियम दिया गया, जबकि किसानों के कुल दावों की राशि 422.5 करोड़ रु. रही इसमें से भी 410 करोड़ रु. के दावों का भुगतान किया गया।

फसल बीमा से लाभ –

- फसल बीमा कृषकों को नवीन तकनीक अपनाने की प्रेरणा देती व जोखिम वहन करने की शक्ति को बढ़ाती है।
- कृषकों में बचत करने की प्रवृत्ति में सहायक होता है।
- फसल बीमा योजना लागू होने पर आपदाओं एवं अनिश्चितताओं में भी कृषक साख संस्थाओं से प्राप्त ऋण की किफ्त का समय पर भुगतान करने में सक्षम होते हैं।
- ऋण-ग्रस्तता में कमी।
- खराब परिस्थितियों में कृषक का मनोबल उंचा रहता है।
- कृषि में जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में राहत पहुंचाती।
- किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बच जाती है।

- फसल बीमा से कृषक हानि की संभावना वाली भूमि पर भी कृषि करने का जोखिम उठा लेते हैं।

कठिनाईयाँ :

- कृषि जोतों का आकार छोटा व अनार्थिक होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।
- कृषक की आय कम होने के कारण कृषक बीमा की किस्त का समय पर भुगतान नहीं कर पाते।
- एक कठिनाई यह भी उत्पन्न होती कि बीमा पट्टेदार के नाम किया जाए अथवा भूमि के स्वामी के नाम।
- बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा को लागू करने से उत्पन्न परेशानियों के कारण कृषकों अथवा उनके संगठनों द्वारा विरोध किया जाता है।
- कृषि जोतों के दूर-दूर होने तथा विखराव के कारण भी कठिनाई आती है।
- अशिक्षा व अज्ञानतावश कृषक फसल बीमा के महत्व को समझ नहीं पाते।
- फसल बीमा का महत्वपूर्ण आधार सहकारिता है, परंतु गांवों में सहकारिता का विकास न होने के कारण भी बाधा उपस्थित होती है।

सुझाव:

- गाँव में राष्ट्रीयकृत, सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों की समन्वित शाखाओं की स्थापना करके कृषकों को प्रीमियम चुकाने में मदद करनी चाहिए।
 - देश के उन क्षेत्रों में जहाँ अनिश्चितता की अधिकता के कारण कृषक बीमा-किस्त का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं, वहाँ निर्धारण न्यूनतम स्तर पर किया जाना चाहिए।
 - योजना को सफल बनाने हेतु लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक श्रमिक विकास संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
 - पायलट योजनाएं प्रारंभ की जानी चाहिए।
 - फसल बीमा को कृषि का आवश्यक अंग बनाया जाना चाहिए।
 - कृषकों को प्रेरित करने के लिए नयी कृषि तकनीक को अपनाया जाए।
- ‘जब से हुई फसल बीमा की शुरूआत
कृषकों को मिल गयी एक नयी राह
उत्पादन में हुई अच्छी शुरूआत
आपदा भी आ जाए तो अब नहीं कोई परवाह।’

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि अर्थशास्त्र- प्रो. रमेश चन्द्र शर्मा ।
2. इंटरनेट ।
3. पत्र-पत्रिकाएँ ।
4. नवभारत, जून 2015

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

सीमा नागर *

प्रस्तावना - आधुनिक युग में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंकिंग व्यवस्था समाज का अभिन्न अंग बन गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका जीवंत उदाहरण है। बैंकिंग क्षेत्र एक स्थिर वित्तीय प्रणाली का सशक्त आधार होता है। विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग परिपालन के बढ़ते वैश्वीकरण के कारण बैंकिंग का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की बैंकिंग समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भारत में बैंकिंग व्यवस्था छोटे निजी वाणिज्यिक बैंकों से प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उनमें से कुछ बैंकें नाकाम होने लगीं अथवा उनमें जमा राशि बैंकों द्वारा चुपचाप निकाली जाने लगी तथा ग्राहकों की जमा राशि डूबने लगी तब सरकार ने 1969 में राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई। इसके पश्चात् 1980 में सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के करीब 90 प्रतिशत बैंकिंग नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1969 से 1991 तक बैंकिंग विकास वृहद् स्तर पर हुआ। 1991 तक बैंकों की कुशलता तथा उत्पादकता में गिरावट होने लगी। अतः सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति के तहत बैंकिंग क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार किये।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य - भारत में बैंकिंग सुधारों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय तथा संस्थागत बुनियादी संरचना का विकास करना।
2. मौद्रिक नीति की परिचालन संबंधी कुशलता में वृद्धि करना।
3. ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करना।
4. भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनः परिभाषित करना।
5. अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधारों को सफल बनाने के लिए वित्तीय व्यवस्था को कार्यकुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाना।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार - बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने अगस्त 1991 में नरसिम्हन समिति नियुक्त की जिसने अपना प्रतिवेदन 3 महीनों में प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् 1998 में भी नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई और सुझाव दिए जो बैंकिंग सुधार के लिए मार्ग निर्देशक बने। इन सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए गए जो इस प्रकार हैं-

1. वैधानिक तरल कोषानुपात और नगद रिजर्व दोनों धीरे-धीरे घटा दिए गए हैं। इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास विकास हेतु ऋण देने योग्य कोषों की मात्रा बढ़ गई है।
2. विवेकशील नियमन तथा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इससे धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलती है। बैंकों का पर्यवेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

3. बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए गए। यदि कोई बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जैसे नई शाखाएं खोलना, व्यर्थ शाखाओं को बंद करने तथा ऋण देने के मामले में उदारीकरण मानदंडों को लागू करने की सुविधा आदि।
4. बैंकों को विविधीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। आज बैंक कई नई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ बैंकों ने अपनी मर्चेट बैंकिंग, म्यूच्युअल फंड, बीमा, वेंचर पूंजी आदि की उपशाखा खोल रखी है, जिससे वह अधिक आय कमा पाते हैं।
5. शाखा विस्तार नीति को उदारीकृत बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का तथा 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों के खाते खोलने तथा आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
6. निजी बैंकों के प्रवेश तथा निर्गम के लिए पारदर्शिता पूर्ण मानदंड तय किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस एवं येस बैंक को अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये बैंक ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सफल हुए हैं।
7. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश की छूट दी गई। बैंकों की कुल संपत्तियों में इनका हिस्सा 70 प्रतिशत है। अब सार्वजनिक बैंक भी निजी बैंकों की भांति ग्राहकों के अधिक अनुकूल बनने लगे हैं तथा उन्होंने अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार लागू कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण तथा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2015 को 'इंद्रधनुष योजना' की घोषणा की। इसके मुख्य बिंदुओं में जवाबदेही के लिए ढांचा तैयार करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सीईओ तथा चेयरमैन की भूमिका को अलग करना, भर्तियों तथा गवर्नेंस में सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना आदि शामिल है।
8. प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को छूट दी गई है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपस में और निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करते हैं।
9. बैंकों के प्रबंध एवं उनके निष्पादन को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं सार्वजनिक बैंकों के बीच समझौते किए गए हैं। इस संबंध में प्रबंध सूचना प्रणाली तथा आंतरिक लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण तंत्रों का विशेष महत्व है।

10. भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए अप्रैल 2000 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। इस प्रकार देश में बैंक बीमा की धारणा को मान्यता दी गयी। भारतीय स्टेट बैंक को 74 प्रतिशत की इक्विटीधारिता के साथ जोखिम सहभागिता के आधार पर जीवन बीमा अनुबंध स्थापित करने की अनुमति दी गयी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बैंकों को भी जोखिम प्रतियोगिता के बिना एजेंसी आधार पर बीमा उत्पादों का वितरण करने हेतु कंपनी एजेन्ट के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
11. बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। फरवरी 2002 में निजी क्षेत्र के बैंकों में 49 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।
12. बैंकिंग सुधार के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक उधार की पात्रता है। छोटे व्यापारियों एवं कमजोर वर्गों को आय का प्रभाव बढ़ाने के लिए उधार सीमा बढ़ाई गई।
13. बैंकिंग प्रणाली को अधिकांश सुदृढ़ तथा विश्वसनीय बनाने के लिए बैंकों के समामेलन तथा विलयन की नीति अपनाई गई है।
14. वर्तमान में बैंकों में बारूक लेखा पद्धति प्रारंभ की गई है जिसमें केवल उन्हीं प्राप्ति को आय का अंग माना गया है जो बैंकों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी आस्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत करें- प्रामाणिक आस्तियां, उप प्रामाणिक आस्तियां, संदेहात्मक आस्तियां, हानिपरक आस्तियां।
15. राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यवसायिक वातावरण में सुधार हेतु सरकार ने बैंकों को देशी व विदेशी दोनों पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी है।
16. वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र में भुगतान तथा निपटान प्रणाली में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तत्काल सकल निपटान प्रणाली, केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली तथा सांचागत वित्तीय संदेश प्रेषण प्रणाली जैसे उपाय किये गये हैं।
17. बैंकिंग सुधार के अंतर्गत 1949 के नियमन अधिनियम में संशोधन करने से भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों में वृद्धि हो गई है।
18. बैंकों द्वारा निःशुल्क एटीएम सेवाएं उपलब्ध हैं।
19. भारतीय नागरिकों को विदेशी खाता संचालित करने की अनुमति दी है।
20. देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 8 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की कुल ऋण वित्त मांग 650 अरब अमेरिकी डॉलर है।

- वल्स्टर आधारित वित्तपोषण क्रेडिट गारंटी योजनाएं, मुद्रा बैंक, इनक्यूबेशन केंद्र तथा स्टार्टअप सुविधा जैसी व्यवस्थाएं आने वाले वर्षों में बैंकिंग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।
21. ऋण चुकाने की कंपनियों की अक्षमता तथा सीमित जवाबदेही वाले निकार्यों, असीमित जवाबदेही वाली साझेदारियों तथा व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न कानूनों को एक ही कानून में लाने के उद्देश्य से 28 मई 2016 को ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 लागू की गई थी। हाल ही में संहिता में कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण चुकाने से जानबूझकर मुकरने वालों को अपनी उन फंसी हुई संपत्तियों के लिए दोबारा बोली लगाने का मौका नहीं मिले, जिनसे बैंकों पर अनिष्पादित संपत्तियों का बोझ डाल दिया गया है।
 22. ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे हेतु बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं।
 23. सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक के विकास के लिए कॉरस्पोंडेंट नियुक्त किये गये हैं जो बैंकों तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र घरेलू स्तर से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है। इन सुधारों एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही वर्ष 2008 में आयी वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर उतना नहीं पड़ा जितना कि अन्य देशों में नकारात्मक प्रभाव पड़े। आज बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के कारण अत्यधिक प्रतियोगी तथा परिवर्तनशील वातावरण उत्पन्न हुआ है, किन्तु वर्तमान में ऋणशोधन न करके बैंकों को दिवालिया बनाने की घटनाओं को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में और भी सुधार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समष्टि अर्थशास्त्र और मुद्रा एवं बैंकिंग - डॉ. आर.एस. तिवारी ।
2. समष्टि अर्थशास्त्र और मुद्रा एवं बैंकिंग - डॉ. पी.डी. माहेश्वरी एवं डॉ. शीलचंद्र गुप्ता ।
3. समष्टि अर्थशास्त्र और मुद्रा एवं बैंकिंग - डॉ. रामरतन शर्मा ।
4. योजना - भारत सरकार प्रकाशन ।
5. समष्टि अर्थशास्त्र तथा मुद्रा एवं बैंकिंग - डॉ. अनुपम गोयल ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं ग्रामीण विकास

प्रो. लक्ष्मी इबोरिया *

प्रस्तावना - कृषि देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। जनसंख्या कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है, जो की राष्ट्रीय 'जी.वी.ए.' (Gross Value Added) में 17.40 प्रतिशत योगदान देती है। भारत सरकार ने कृषि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कृषि के विकास हेतु अनेक कदम उठाए हैं। जैसे -

1. समगतिशील सतत् वृद्धि हेतु योजना प्लान उत्तरदायित्व लेना (अंडरटेक समायोजन करना) और अनुसंधान एवं तकनीकी विकास।
2. मानव संसाधन विकास (HRD) अधिकार देने हेतु मदद करने, भाग देने और समन्वित करने कृषि शिक्षा के संदर्भ में।
3. तकनीकी अपनाने हेतु प्रचार-प्रसार को आगे लाने, अपनाने, प्रबंधन का ज्ञान एवं क्षमता विकास कृषि आधारित ग्रामीण विकास हेतु।
4. कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार में नीति सहयोग एवं परामर्श देना ये सभी शासनादेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने निर्धारित कर रखे हैं। तभी 21वीं सदी में कृषि, अनुसंधान परिषद द्वारा मेरा गाँव, मेरा गौरव कार्यक्रम अक्टूबर 2015 से किसानों का ध्यान रखते हुए 10700 गाँवों का चयन किया गया है। जिससे लगभग 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के विकास हेतु केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAE) इम्फाल मणिपुर स्थापना वर्ष 1993 के अधीनस्थ कुल 13 कृषि कॉलेज खोले गए हैं।

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी (उत्तरप्रदेश) स्थापना वर्ष 2014 के अधीनस्थ 04 नये कॉलेज खोले गए हैं। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2016 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर (बिहार) को दिया गया है। क्षेत्र में कुल 662 कृषि विज्ञानकेन्द्र कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्यरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास हेतु प्रारम्भ की गई नवीनतम योजनाएँ -

1. **मेरा गाँव मेरा गौरव** - इस कार्यक्रम का प्रारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 जुलाई 2015 से पटना रैली में किया गया। देश के 20 हजार से अधिक कृषि वैज्ञानिक शोध एवं प्रसार शिक्षा पर ध्यान देने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक अपनी सुविधा के अनुसार गाँवों का चयन करके कृषकों को तकनीकी एवं अन्य जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 10700 गाँवों का चयन किया गया है। जिससे लगभग 3.5 लाख विकास लाभान्वित हुए हैं।

2. **प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** - भारत के प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2015 से इस योजना का प्रारम्भ किया गया। इसमें देशभर के कुल 14.1 करोड़ हेक्टेयर पर कृषि योग्य भूमि है और सरकार द्वारा 03 वर्ष में सभी राज्यों से 2.48 लाख नमूने लिए गए हैं। जिनकी मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर उर्वरक तत्व दिए जा रहे हैं। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र इस दिशा में कार्यरत है।

3. **प्रधानमंत्री नई फसल बीमा योजना** - 13 जनवरी 2016 से केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया गया जो खरीफ 2016 फसल वर्ष से चालु है। इसमें खरीफ फसलों का मूल्य का 02 प्रतिशत रबी की फसलों के मूल्य का 1.5 प्रतिशत तथा नकदी एवं बागवानी फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम की दर किसानों द्वारा वहन की जा रही है। इस दिशा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय आदि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस योजना में कृषि में जोखिम, ओलावृष्टि, पाला, अत्यधिक वर्षा, सूखा बाढ़ आदि से कृषकों को राहत मिलेगी।

4. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** - 02 जुलाई 2015 से इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इसमें सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया है। सिंचाई की नई तकनीक टपक बूंद सिंचाई तथा प्लारिस्टिक पाईप सिंचाई सिस्टम को अपनाने पर जोर दिया गया है।

5. **राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना** - 14 अप्रैल 2016 से कृषि उत्पादन की क्रय, बिक्री हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरूआत 28 जुलाई 2014 से स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने हेतु किसान विकास पत्र योजना का प्रारम्भ 18 नवम्बर 2014 से किया गया। ऐसी अनेक कृषि संबंधी योजनाएँ किसानों के हित के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं।

6. **कृषि, वानिकी एवं मत्स्यकी क्षेत्र** - देश की 'जी.वी.ए.' (Gross Value Added) के योगदान वर्ष 2013-14 में 5.6 प्रतिशत, 2014-15 में -0.2 प्रतिशत, 2015-16 में 0.7 प्रतिशत एवं 2016-17 में 4.9 प्रतिशत रहा है।

7. **जनजातिय एवं पहाड़ी क्षेत्रों हेतु अनुसंधान** - देश के अनुसंधान संस्थानों- उत्तर पश्चिम हिमालय में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, उत्तरपूर्वी हिमालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) रिसर्च कार्प्लेक्स फार नार्थ ईस्ट हिमालय रीजन, उमयाम, सेन्दूल आईसलैण्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्टब्लेयर, अण्डमान निकोबार आईलैण्ड एवं गोवा हेतु रिसर्च कॉम्प्लेक्स फोर गोवा आदि विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्र हैं। इनके द्वारा धान की VL, धान 156, सोयाबीन की VLS - 77, गेहूँ की VL गेहूँ 953, बाजरा की VLB-94.94, मक्का की

V433, महुंवा रागी की VL महुंवा 348 आदि अनेक अच्छी प्रजातियाँ विकसित की गई है।

निष्कर्ष - वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण विभाग के अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत अनेक उपलब्धियाँ हासिल की गई है, जैसे-

1. वर्ष 2016-17 के दौरान देश में अब तक का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन टन हुआ जो वर्ष 2015-16 में 251.57 मिलियन टन रहा था।

2. भारतीय सरसों की प्रजाति प्रथम केनोला टाईप पूसा डबल जीरो, सरसों 31 विकसित की गई है जिससे 2 प्रतिशत से कम इरुसिक अम्ल तेल में एवं 30 पी.पी.एस. से कम ग्लूकोसाईनोलेट, कीस चुर्ण आशा में है जो तेल मनुष्य हेतु खाने में तथा पशुओं को खली खाने हेतु नुकसान नहीं करेगा।

अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास हेतु सतत प्रयास जारी है, जिनके माध्यम से ही ग्रामीण विकास सम्भव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

नगर पालिका चुनाव 2018 – विश्लेषण एवं परिणाम (धार जिले के संदर्भ में)

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना – भारत में नगर पालिका शासन की जड़े प्राचीन भारतीय इतिहास में समायी हुई हैं। प्राचीन भारत जो ग्राम पंचायतों के लिए सुप्रसिद्ध था, नगरों और शहरों के लिए भी सुप्रबन्धित देश था। वैदिक एवं वेदोत्तर साहित्य में नगरों की शासन व्यवस्था से सम्बन्धित कम जानकारी मिलती है। हड़प्पा और मोहन जोदड़ों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। सिन्धुघाटी की सभ्यता में सड़कों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था थी। इससे प्रतीत होता है कि नगरों में नगर पालिकाएँ थी, जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थी।

नगरीय स्थानीय शासन की श्रेष्ठ संगठित प्रणाली का वर्णन रामायण और महाभारत के महाकाव्यों, उपनिषदों एवं कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में पाया जाता है। इस प्रकार भारत में लोकतन्त्र विदेशी उपज नहीं था। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति का तेजी से विकास हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की खोज में तेजी के साथ शहरों की ओर पलायन करती जा रही है, इससे नगरीय प्रशासन को विविध जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगरीय स्थानीय स्वशासन के इतिहास में इस समय एक महत्वपूर्ण पृष्ठ जुड़ गया, जबकि भारतीय संसद ने 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी या नगरीय क्षेत्र की स्व-शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों में सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए जाने, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षक तथा निर्देशन में प्रति 5 वर्ष बाद इन संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, और जनजातियों के लिए इन संस्थाओं में स्थानों को आरक्षित किए जाने तथा जनसंख्या के अनुपात तथा जनसंख्या के अनुपात में नगर पालिकाओं के गठन करने जैसे पहलु गिनाए जा सकते हैं।

नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में म.प्र. में धार जिले की तीन नगर पालिकाओं धार, पीथमपुर व मनावर में सम्पन्न हुए नगर पालिका चुनाव 2018 से जिले की राजनीति का अध्ययन किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र – शोध पत्र तैयार करने के लिए धार जिले की तीन नगर पालिकाओं (धार, पीथमपुर व मनावर) का चयन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से धार जिला मध्यप्रदेश दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जो इंदौर संभाग के अन्तर्गत आता है। जिले में 7 तहसीले व 13 विकासखण्ड हैं, जिनमें 12 विकासखण्ड अनुसूचित जनजाति बहुल हैं। इस दृष्टि से पूरा जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है।

अध्ययन का उद्देश्य – शोध पत्र का उद्देश्य धार जिले की 3 नगर पालिकाओं

के चुनाव 2018 के परिणामों का विश्लेषण कर जिले की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना है।

अध्ययन प्रविधि – शोध पत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु द्वितीय समकों का उपयोग कर सारणीयन के माध्यम से निष्कर्षण किया गया। नगर पालिका चुनाव 2018 की स्थिति-आंकड़ों की दृष्टि में –

01. नगर पालिका धार –

- कुल वार्ड – 30
- मतदान केन्द्रों की संख्या – 75
- कुल मतदाता – 73075

02. नगर पालिका पीथमपुर –

- कुल वार्ड – 31
- मतदान केन्द्रों की संख्या – 86
- कुल मतदाता – 86190

03. नगर पालिका मनावर –

- कुल वार्ड – 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या – 29
- कुल मतदाता – 22189

चुनाव प्रक्रिया – विश्लेषण – धार जिले में तीन नगर पालिका और छः नगर परिषदों के चुनाव में 69 प्रतिशत मतदान हुआ। 9 अध्यक्ष और 166 पार्षदों को चुनने के लिए लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया।

धार नगर पालिका के कुल 30 वार्डों में 73 हजार 75 मतदाताओं में से 67.37 प्रतिशत पुरुष तथा 64.76 प्रतिशत महिला औसत 66.10 प्रतिशत मतदान हुआ। पिछले चुनाव से मतदान का प्रतिशत 10 प्रतिशत कम रहा। मतदान करने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले चुनाव में 39206 लोगों ने मतदान किया था, जबकि इस बार 48555 लोगों ने मतदान किया।

पीथमपुर नगर पालिका धार जिले में सबसे अधिक मतदाताओं वाली नगर पालिका है। कुल मतदाता 86,190 में पुरुष 50,029 तथा महिला 36161 मतदाता थे। मतदान प्रतिशत के अंतर को देखे तो महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा जागरूक रही। पुरुषों का मतदान जहाँ 62.12 प्रतिशत रहा तो महिलाओं ने 63.80 प्रतिशत मत डाले।

मनावर नगर पालिका अध्यक्ष पद के छः प्रत्याशी सहित 15 वार्ड के 35 पार्षद उम्मीदवार थे। कुल 22 हजार 189 मतदाताओं में से 15 हजार 497 यानी 69.84 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें पुरुष मतदाता 8 हजार 236 यानी 72.26 प्रतिशत तथा महिला मतदाता 7 हजार 261 यानी 67.29 प्रतिशत रहा। तालिका क्र. 1 देखें।

मतदान प्रतिशत विवरण
तालिका क्र. 01

क्र.	नगर पालिका	पुरुष मतदान प्रतिशत	महिला मतदान प्रतिशत	औसत मतदान प्रतिशत
01	धार	67.37	64.76	66.10
02	पीथमपुर	62.13	68.82	62.84
03	मनावर	72.26	67.29	69.84



चुनाव परिणाम - धार नगर पालिका में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति थी। मुख्य रूप से कांग्रेस के पर्वतसिंह चौहान, भाजपा के अनिल जैन बाबा तथा निर्दलीय अशोक जैन के बीच में चुनाव हुआ। पर्वतसिंह चौहान 19464 मत प्राप्त कर विजयी रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनिल जैन बाबा को 19320 मत मिले। इस तरह से चौहान 144 मतों से विजयी घोषित हुए। जबकि इस पुरे चुनाव में जीत-हार के समीकरण बदलने वाले निर्दलीय और भाजपा के बागी अशोक जैन साबित हुए। उन्होंने 8788 मत प्राप्त करके भाजपा की जीत को रोका। बसपा के सलाम नेता को 348, निर्दलीय अनिल तिवारी को 602 व एक अन्य निर्दलीय सुरेशचंद भण्डारी को 152 मत मिले।

धार के पिछले चुनाव में भाजपा के कुल 21 पार्षद थे। इस बार 30 में से 16 भाजपा के पार्षद जीते हैं। यहाँ भाजपा को 5 पार्षदों का नुकसान हुआ। भाजपा जहाँ जीती है, उनमें 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 व वार्ड 30 शामिल है। कांग्रेस के 12 पार्षद धार में विजयी हुए इसमें 1, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 25, 27 व वार्ड 29 शामिल है। भाजपा और कांग्रेस के एक-एक बागी वार्ड 15 एवं वार्ड 23 से निर्दलीय के रूप में जीते। वार्डवार पार्षदों की स्थिति तालिका क्र. 02 देखें।

पीथमपुर नगर पालिका के चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई। भाजपा के अध्यक्ष सहित 23 पार्षदों को जीत मिली। भाजपा उम्मीदवार कविना संजय वैष्णव को कांग्रेस उम्मीदवार मुन्नीबाई, ब्राम्हानन्द रघुवंशी से 6003 वोट अधिक मिले हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में कविता संजय वैष्णव को 28496 वोट मिले, वहीं मुन्नी बाई ब्राम्हानन्द रघुवंशी को 22493 वोट मिले। इसके अलावा चार अन्य उम्मीदवार ने भी 2942 वोट काटे, जिन्हें क्रमशः 1409, 483, 320, 730 वोट मिले। वहीं नोटा में 320 वोट पड़े। इसके अलावा 4 वोट डाक से भी आए। इनमें जहाँ एक निरस्त हुआ तो

वहीं 2 भाजपा और 1 कांग्रेस को मिला। वार्डवार पार्षदों की स्थिति तालिका क्र. 03 देखें।

मनावर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की अध्यक्ष पद प्रत्याशी संगीता शिवराम पाटीदार ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की मनुबाई पन्नालाल पाटीदार को 287 मतों से पराजित किया। संगीता को 5787, जबकि मनुबाई को 5500 मत मिले। भाजपा के बागी निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याक्षी स्वाती दिनेश शर्मा को 3514 मत मिले। निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याक्षी लक्ष्मी जाट को 295, भागवती हुकुमचंद पाटीदार को 239 तथा संगीता विजय मालवीय को 63 मत मिले। वार्डवार पार्षदों की स्थिति तालिका क्र. 04 देखें।



निष्कर्ष - नगर पालिका चुनाव 2018 के परिणाम में निर्वाचन स्थिति का विश्लेषण करने पर नगर पालिका धार जिले की तीन नगर पालिकाओं में से दो नगर पालिका धार एवं मनावर में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा रहा, वहीं तीसरी नगर पालिका पीथमपुर में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जीत हासिल की। अर्थात् धार जिले में नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस को 2 स्थान तथा भाजपा को 1 स्थान मिला। (तालिका क्र. 05 देखें) धार नगर पालिका का पार्षद में भाजपा 16 तथा कांग्रेस 12, पीथमपुर नगर पालिका पार्षद में भाजपा 22 तथा कांग्रेस 09 तथा मनावर नगर पालिका पार्षद में भाजपा 07 तथा कांग्रेस 08 पार्षद विजयी रहे।

वार्डवार दलीय स्थिति चुनाव परिणाम
तालिका क्र. 06

क्र	नगर पालिका	कुल वार्ड	भाजपा	कांग्रेस	निर्दलीय
1	धार	30	16	12	02
2	पीथमपुर	31	22	09	00
3	मनावर	15	07	08	00

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. V.K. Thakur : Urbanisation in ancient, Abhinay Publication, New Delhi, 1981
2. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, डॉ. एम.पी. राय, भारतीय सरकार और राजनीति पृष्ठ 204
3. डॉ. हरीशचन्द्र शर्मा - भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2002
4. हरीश कुमार खत्री - भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्व शासन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2011
5. समाचार पत्र - नई दुनिया, दैनिक भास्कर।
6. इंटरनेट।



नगर पालिका धार - चुनाव परिणाम विवरण
(वार्डवार दलीय स्थिति)(तालिका क्र. 2)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	बिहारी भाई डोड़िया	कांग्रेस	1254	राजेश हारोड़	भाजपा	1111
2	पुष्पा चावड़ा	भाजपा	1139	धापूबाई	कांग्रेस	917
3	भूरी बाई	कांग्रेस	900	मंजू परमार	भाजपा	843
4	मनीष प्रधान	भाजपा	1059	जितेन्द्र पटेल	कांग्रेस	432
5	कमल दुबे	भाजपा	534	राजेश यादव	कांग्रेस	424
6	लक्ष्मीबाई नरोले	भाजपा	1060	पवित्रा मालवीया	कांग्रेस	733
7	नीलू गणवा	कांग्रेस	574	मंजुला बघेल	भाजपा	557
8	सिद्धार्थ भूरिया	कांग्रेस	394	कुंदन भूरिया	भाजपा	229
9	हुकुम लश्करी	भाजपा	1057	दीपेन्द्र ठाकुर	कांग्रेस	858
10	शिखा वर्मा	कांग्रेस	834	रचना पाल	भाजपा	701
11	जया बबलु कुशवाह	कांग्रेस	1139	सुनीता ठाकुर	भाजपा	884
12	विपिन राठौर	भाजपा	660	दिनेश बौरासी	निर्दलीय	407
13	रवि मेहता	भाजपा	896	शौकत अली शाह	कांग्रेस	635
14	मसीत अली	कांग्रेस	1580	बाला बागवान	भाजपा	1479
15	कौसर शकील खान	निर्दलीय	657	शबनम बी	कांग्रेस	548
16	वाकिफ मोहम्मद	कांग्रेस	764	मोईनुद्दीन	भाजपा	502
17	कालीचरण	भाजपा	901	अशोक राठौर	कांग्रेस	519
18	सपना यादव	कांग्रेस	871	रतना यादव	भाजपा	554
19	राजेश सिसोदिया	भाजपा	554	धर्मेन्द्र अर्जुन	कांग्रेस	348
20	हेमलता देवड़ा	भाजपा	1034	योगिता नागर	कांग्रेस	657
21	अनिता अग्रवाल	भाजपा	566	कीर्ति रावल	निर्दलीय	474
22	आकाश सोनी	भाजपा	579	अमित सोनी	कांग्रेस	423
23	नेहा प्रजापति	निर्दलीय	591	रचना सुनेर	भाजपा	558
24	कुसुम राठौर	भाजपा	445	बिंदेश्वरी देवड़ा	कांग्रेस	384
25	रंजीता चौहान	कांग्रेस	612	सुनीता देवासकर	भाजपा	608
26	अजय फकीरा	भाजपा	971	विशाल मेवाड़े	कांग्रेस	441
27	मोहन डामोर	कांग्रेस	446	रवीन्द्र कटारे	भाजपा	420
28	पूजा हीरा मोर्य	भाजपा	880	जयमाला जांगड़े	कांग्रेस	491
29	बंटी डोड	कांग्रेस	978	शिव पटेल	भाजपा	438
30	जमुना भूरिया	भाजपा	1059	सुनीता लक्ष्मण	कांग्रेस	962

नगर पालिका पीथमपुर - चुनाव परिणाम विवरण
(वार्डवार दलीय स्थिति) (तालिका क्र. 3)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	सुभाष मावी	भाजपा	912	जादूसिंह	कांग्रेस	724
2	रंजीता बिड़ला	भाजपा	1207	शहजाद पटेल	कांग्रेस	1027
3	लीलाबाई कालू	भाजपा	818	कला बाई	कांग्रेस	594
4	उमा सोनिक	भाजपा	1194	प्रतिभा	कांग्रेस	877
5	रंजना राठौर	भाजपा	1223	जयंती	कांग्रेस	640
6	बालचंद प्रजापति	भाजपा	1113	धनंजय	कांग्रेस	976
7	विपुल पटेल	कांग्रेस	768	विजेन्द्र	भाजपा	637
8	हेमंत अशोक पटेल	भाजपा	666	श्रवण चौधरी	कांग्रेस	374
9	क्षमा जायसवाल	भाजपा	945	सुनीता मिश्रा	कांग्रेस	462
10	मीराबाई	भाजपा	677	सरलाबाई	कांग्रेस	207
11	मेना बाई	भाजपा	1064	सुशीला मीणा	कांग्रेस	530
12	अतुल पटेल	भाजपा	632	गजानन्द	कांग्रेस	426
13	लीलाबाई पाथरिया	कांग्रेस	837	सुनीता पटेल	भाजपा	832
14	मुकेश पांचाल	भाजपा	794	भावना	कांग्रेस	393
15	पप्पु असोलिया	कांग्रेस	1142	कमल कुशवाह	भाजपा	752
16	मनीषा देवी	कांग्रेस	1064	जयश्री पंवार	भाजपा	833
17	मनीष लाल शर्मा	कांग्रेस	983	सुनीता	भाजपा	695
18	मोनिका डावर	भाजपा	993	अंजू अर्जुन	कांग्रेस	672
19	ममता धनसिंह	कांग्रेस	566	निर्मला गड़ा	भाजपा	531
20	मोरसिंह	भाजपा	940	सुरेश	कांग्रेस	910
21	रंजीत भण्डारी	भाजपा	619	फारुख	कांग्रेस	349
22	गोविन्द परमार	कांग्रेस	1145	भुवनसिंह	भाजपा	290
23	माखनबाई	भाजपा	513	भवता बाई	कांग्रेस	402
24	हंसराज पटेल	भाजपा	1068	जितेन्द्र पाटीदार	कांग्रेस	651
25	कमल चौधरी	कांग्रेस	1220	सज्जन पटेल	भाजपा	853
26	मनोज धाकड़	भाजपा	589	शकूर खान	कांग्रेस	472
27	मनोज जायसवाल	भाजपा	976	लोकेन्द्र	कांग्रेस	904
28	पप्पू मनीष पटेल	कांग्रेस	1205	हरिहर सिंह	भाजपा	733
29	सीमा लखन पटेल	भाजपा	761	जमीला बी	निर्दलीय	752
30	रामकला बाई चौधरी	भाजपा	590	जया अरविंद	कांग्रेस	487
31	सजनबाई बापूसिंह	भाजपा	816	मालती बाई	कांग्रेस	748

नगर पालिका मनावर - चुनाव परिणाम विवरण
(वार्डवार दलीय स्थिति)(तालिका क्र. 04)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंद्वी	निकटतम प्रतिद्वंद्वी का राज. दल	प्राप्त मत
1	नूराबाई मंगलसिंह	कांग्रेस	654	अनिता मेडा	भाजपा	338
2	विकास मधुकर शर्मा	कांग्रेस	746	दिनेश सारण	भाजपा	440
3	मीना चन्द्रकुमार वर्मा	कांग्रेस	605	सुमन जौहरी	भाजपा	480
4	सुमन महेन्द्र गेहलोत	कांग्रेस	430	मंजुबाई बर्फा	भाजपा	304
5	कोमल बर्मन	कांग्रेस	506	सीमा अलावा	भाजपा	458
6	सलीम खान	कांग्रेस	557	फिरोज मंसूरी	भाजपा	411
7	सोनली श्रीवास्तव	भाजपा	517	अकीला मुंडा	कांग्रेस	475
8	उपपल आशीष चौबे	भाजपा	404	जया वानखेडे	निर्दलीय	381
9	कांतिलाल सोलंकी	भाजपा	671	मनोज संवनेर	कांग्रेस	439
10	सोनल रवि मित्तल	भाजपा	631	सूरजबाई सोलंकी	कांग्रेस	542
11	अरशद शकील कुरैशी	कांग्रेस	477	रूपेश जौहरी	निर्दलीय	334
12	महेन्द्र मोतीलाल पाटीदार	कांग्रेस	731	प्रमोद पाटीदार	भाजपा	451
13	सुनील गुप्ता	भाजपा	471	चंद्रिया कुशवाह	निर्दलीय	288
14	अनिता सुरेश पाटीदार	भाजपा	663	गीता नटवर	कांग्रेस	211
15	राजू मूलचंद पांचाल	भाजपा	508	दिलीप सिंघार	निर्दलीय	273

नगर पालिका अध्यक्ष पद - चुनाव परिणाम विवरण
(तालिका क्र. 05)

क्र	नगर परिषद	पद	आरक्षण की स्थिति	विजित अभ्यर्थी का नाम	विजित अभ्यर्थी का राज. दल	निकटतम अभ्यर्थी का नाम	निकटतम अभ्यर्थी का राज. दल	मतों का विवरण				
								डाले गये मतों की संख्या	विजित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	नोटा	निर्वाचन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	धार	अध्यक्ष	अनारक्षित मुक्त	पर्वतसिंह	कांग्रेस	अनिल जैन	भाजपा	49006	19464	19286	332	सविरोध
2	पिथमपुर	अध्यक्ष	अनारक्षित महिला	कविता वैष्णव	भाजपा	मुन्नीबाई	कांग्रेस	54179	28496	22492	320	सविरोध
3	मनावर	अध्यक्ष	अनारक्षित महिला	संगीता पाटीदार	कांग्रेस	मनुबाई	भाजपा	15498	5787	5500	100	सविरोध

स्रोत - इन्टरनेट 2018

सर्वोत्तम विधा है भारत की योग शिक्षा

प्रो. सपना चक्रवर्ती *

प्रस्तावना – योग प्रक्रिया को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह आयुर्वेद का एक मूलाधार स्तम्भ माना जाता है। आयुर्वेद का नाम, आयुर्वेद जीवन विज्ञान नाम से पूर्ण बना, जो योग प्रक्रिया के शिक्षण और प्रशिक्षण से स्तम्भ हो सका। आयुर्वेद का जीवन विज्ञान योग प्रक्रिया के ही आधार पर प्राचीन काल से लोक समाज में स्वास्थ्य का संवर्द्धन और रोगों का निवर्तन सफलतापूर्वक करता हुआ जीवित चला आ रहा है।

जीवात्मा और मन दोनों अध्यात्म द्रव्य है, इनको आँखों से देख नहीं सकते हैं। हम इनको दर्शनशास्त्र में वर्णित प्रक्रिया के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि ब्राह्म कर सकते हैं। योगाध्यास से पुरुष को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तदनुकूल आचरण से जीवन को स्वस्थ सुखी और प्रसन्नचित रखा जा सकता है। इस यौगिक प्रक्रिया से मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, यही नौष्टिकी चिकित्सा भी कहलाती है।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक सर्वसाधारण मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन आया है, वह दीर्घकाल तक औषधियों का सेवन नहीं करना चाहते। दुःसाध्य और साध्य रोगों की चिकित्सा में ऐसा ही देखने में आता है और फिर औषधियों के कुप्रभावों से भी घबराहट हो जाती है। इन दोनों कारणों से वैज्ञानिकों में भी औषधियों के प्रयोगों का विषाद चल रहा है। अन्वेषणों के द्वारा आसन, प्राणायाम उपायों के प्रयोगों से कई प्रकार के रोगों का शमन करने में सफलता भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक उपायों जैसे अभ्यास, व्यायाम, उपवास, घूप स्नान, शुद्ध वायु सेवन, उष्ण सेक, शीत सेक और फलाहारादि तथा दोषों के गुण विपरीत वाले आहार विहार में सेवन से भी रोग शमन में लाभ मिलता है और सभी उपायों के प्रयोगों में किसी भी औषधि का प्रयोग नहीं किया गया है।

भारतीय संस्कृति में योग एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्राचीन काल से योगियों द्वारा प्रचलित किया हुआ चला आ रहा है। इसी के महत्व से भारतवासी अनेक प्रकार की विषय परिस्थितियों को लांघ कर तथा विदेशी शासकों के अत्याचार मारधाड़ का सत्याग्रह पूर्वक विरोध करते हुए अपनी संस्कृति को बचाते हुए जीवित चले आ रहे हैं। बचाव का इतना विशाल काम संतोष और त्याग की भावनाओं से संभव हो सका है, यही योगा संस्कृति की देन है। यह योगा संस्कृति भारतवासियों की जीवनदाता है, यह व्यक्तिगत और समाजगत जीवन की सुधारक है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निर्माता है, यह त्रिविधि तापनाशक है, यह मोक्षदाता है। इसका नये वैज्ञानिक ढंग से प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि मनुष्य जाति में स्वास्थ्य और सदाचार का निर्माण तथा लोक में आतंकवाद का नारा लेकर शांति की स्थापना सम्भव हो सके।

योग प्रक्रिया के अभ्यास से साधक का व्यक्तिगत और समाजगत

जीवन धीरे-धीरे सुधरता जाता है। जीवन संतुलित और संयमित बनता जाता है, साधक में दैवीगुण भरते रहे हैं। इतना हो जाने पर जब मन अन्तर्मुखी बन जाता है तो धीरे-धीरे आत्मा के साथ संयोग होकर विश्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सम्पूर्ण सृष्टि में परमात्मा का वास एक समान भाव से मास हो जाता है। इस समदृष्टि से विश्व योग जागृत होकर मनुष्य निःसंगभाव से निष्काम लोक सेवा में रत रहता हुआ अंत में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सात्विक प्रधान मन के शुद्ध एवं दोषहीन अर्थात् सात्विक प्रधान होने के कारण मन के भाव काम, क्रोध, लोभादि को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप मन की स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। इस प्रकार योगाभ्यास के सहारे पुरुष शरीर स्वस्थ रहकर उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। कालान्तर पर साधना के सिद्ध होने पर साधक को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके तीनों तापों का नाश होकर अत्यधिक दुःख निवृत्ति हो जाती है।

सुख और दुःख मानव को सुख या दुःख तभी प्राप्त होता है जब मन का संयोग आत्मा इन्द्रियों और उनके विषयों के साथ होता है और इस विधि से संसार का सुख-दुःख मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचाया जाता है परन्तु जब मन का संयोग इन्द्रियों से हटकर आभ्यन्तर की ओर जाकर आत्मा में अवस्थित हो जाता है तब शरीर के अंग प्रत्यन्त होते हुए भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता दोनों की निवृत्ति हो जाती है। इस स्थिति को योगी महापुरुष योग कहते हैं। दूसरों शब्दों में मन की चंचल वृत्ति दूर होकर मन में स्थिरता आ जाता है, तब यह स्थिति योग कहलाती है। इस स्थिति में सिद्ध होने पर ही मनुष्य योग का अधिकारी बन जाता है।

आधुनिक काल में मनुष्य प्राकृतिक जीवन से दूर चला गया है। इसके जीने और जीवन का स्तर बिगड़ गया। एक समय था जब यह प्रातः काल उठकर शौच से निवृत्त होकर व्यायाम (आसन) स्नान और प्रणायाम का अभ्यास किया करता था, विधि-विधान के अनुसार हिताकार विहार का सेवन करता था। वह कितनी सुन्दर प्राकृतिक जीवन प्रणाली थी।

अब उन सभी बातों में परिवर्तन आ गया है। उनको त्यागकर अब मनुष्य अप्राकृतिक जीवन अपनाने में रत हुआ है। स्तर को ऊँचा बनाने में लिए ऐश्वर्य सम्पन्न साधनों की आवश्यकता है। इसके लिये धन चाहिये। धन कमाने के लिए प्रतिबल लगाना पड़ता है। थकावट दूर करने के लिये पर्याप्त समय प्राप्त नहीं है, फलस्वरूप विश्राम के अभाव के कारण मन व्यथित होकर तनावग्रस्त हो जाता है और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

तनाव का कारण तनाव, मानस रोगों का एक प्रधान कारण है। आज के मनुष्य की जीवन यात्रा आधुनिक काल में एक समस्या बन प्रकार बार की समस्याएँ मनुष्य के सामने आकर खड़ी हो गई हैं, परिणामस्वरूप

दुष्परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। धन कमाने के लिए शक्ति से अधिक काम करना पड़ता है। प्रतिबलों के कारण विश्राम लेने का समय भी प्राप्त नहीं होता मन कई प्रकार की चिन्ताओं में डूबा रहता है क्योंकि उसको सुखपूर्वक जीवन यात्रा न चला सकने का भय लगा रहता है। चिन्ता करने से मन में धुन लग जाता है, जो मनुष्य को अन्दर से ही खाता रहता है। दूसरी ओर से प्रतिबलों के कारण मन को विश्राम लेने का समय नहीं मिलता, विश्राम के अभाव से मन थककर तनाव ग्रस्त भी हो जाता है। तनाव अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न करता है।

'तेज विकाराः परस्परमनुवर्तमानाः कदाचिदनुबधनिन्ति।'

अर्थात् इसका कारण यह शारीरिक और मानसिक रोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह दोनों प्रकार के रोग, कारण भेद से और अनुष्ठान भेद से भिन्न प्रकार है, फिर भी संयोगवाही जीवन होने के कारण, यह एक साथ में ही रखे गए हैं। सम्भवतः पूर्वकाल में मानस रोगियों की संख्या इतनी अधिक नहीं रहती होगी, जितनी आधुनिक काल में पायी जाती है। अभी के समय में 70 प्रतिशत से भी अधिक मानसिक रोगी पाए जाते हैं।

योगासन की आवश्यक बातें :

1. योग शरीर मन और आत्मा तीनों में ही चमकाने का काम करते हैं। इनके नियमित अभ्यास करने से शरीर के बाह्य और आंतरिक विकार नष्ट होते हैं।
2. रोग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। मन से और शरीर से जो कार्य किया जाता है, इसे ही योग कहा जाता है। योग आनन्दमय जीवन जीने की एक कला है।

आसन - शरीर को किसी एक मुद्रा या स्थिति में रखते हुए सुख प्राप्त करना आसन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आसन बहुत जरूरी है। आसनों से खून साफ होकर शरीर को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है।

प्राणायाम - श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक गति का नियमन करना और रोककर सम कर देना प्राणायाम है। प्राणायाम चित्त की एकाग्रता और शान्ति के लिये अति उपयोगी है।

यौगिक आसन अन्य शारीरिक व्यायामों की अपेक्षा पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इनको भारतीय महर्षियों ने मानव जाति की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिये हजारों वर्षों तक अन्वेषण और प्रयोग करके निकाला है। यौगिक आसनों का उपयोग रोगों को दूर करने के लिये ही किया जाता है, जो अचूक होता है।

आसनों से असाध्य और पुराने से पुराने रोग को भी दूर होने में देर नहीं लगती है। व्यक्ति आसनों का अभ्यास कर अमरत्व तक भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आसनों के प्रभाव से शरीर का मल या जहर, जो मौत के कारण होता है, दूर हो जाता है तथा शरीर निर्मल एवं अलौकिक बन जाता है।

पतंजलि की परम्परा से चला योग एक सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति एवं सभ्यता में रचे-बसे योग में जहाँ अध्यात्म का चरम उत्कर्ष है, जीवन जीने की कला है, वहीं योग एक पूर्ण चिकित्सा का शास्त्र भी है। आधुनिक चिकित्सा जगत में असाध्य कहे जाने वाले रोगों का योग में सम्पूर्ण समाधान है। एलोपैथी में रोगों का मात्र नियंत्रण है, जबकि योग में उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, कोलेस्ट्रॉल, दमा, गठिया, माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्सर, थाइराइड, किडनी आदि के रोगों का पूर्ण निराकरण है।

शरीर, मन और चेतना का संबंध जाने - विज्ञान के अनुसार मनुष्य

अपने मस्तिष्क के 10 प्रतिशत भाग का ही उपयोग कर रहा है, शेष 90 प्रतिशत सुप्त पड़ा है। इस सुप्त भाग्य को जाग्रत करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रवाह की आवश्यकता होती है। यह शक्ति यानि ऊर्जा शरीर में विद्यमान है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे ब्रह्मांड से भी प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में स्थित इस सुप्त ऊर्जा को जाग्रत कर उसे विशेष कार्यों में प्रयुक्त करना ही योग है। ज्ञानी-विज्ञानी लोग मस्तिष्क की सम्पूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ पर विजय पाने के लिए मस्तिष्क की सम्पूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करना जरूरी है।

प्रकृति की व्यवस्थानुसार यदि नासिका का दक्षिण स्वर चलता है तो यह उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है किन्तु यदि इसके विपरीत स्वर चलता है तो इसका अर्थ है, कोई-न-कोई रोग अवश्य होने वाला है। इसका मूल कारण है कि इनसे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ जाता है जो रोगों को जन्म देता है।

खान-पान एवं प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना भी इसका कारण है, जिससे स्वरो में परिवर्तन आता है। श्वास की गति निरन्तर तीव्र होना अल्पायु की निशानी है। प्राणायाम एवं योग से श्वासन क्रिया पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति समुचित हो जाना प्राणायाम है। मनुष्य का शरीर पांच सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है। जिन्हें जानने के बाद ही इसकी समस्त कार्य विधि को जाना जा सकता है। शरीर के इन तत्वों की स्थिति भिन्न-भिन्न स्थानों पर मानी गई है। इन पांचों तत्वों के ज्ञान से योगी को इन पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, जिससे वह अपनी इच्छानुसार इनका उपयोग कर सकता है।

योग के अन्तर्गत प्राणायाम की विधि - प्राणायाम, शरीर मन और आत्मा तीनों को ही शुद्ध करता है और शरीर को निरोग रखता है। प्राणायाम करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिये। सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन आदि किसी भी आसन में बैठकर प्राणायाम किया जा सकता है। आप किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर सीधा बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने से प्राण शक्ति का अत्थान होता है और मेरुदंड से जुड़े हुए चक्रों का जागरण होता है। सभी तरह के प्राणायाम के अभ्यास से पूरा लाभ उठाने के लिए गीता का यह श्लोक कंठस्थ करके अपने जीवन में उतारिये -

'युक्ता हार विहारस्य युक्त चेस्तस्य कर्मस।

युक्तास्वाप्रवाबोधस्य योगो भवति दुःखहा।'

भावार्थ - जिस आदमी का भोजन और रहन-सहन ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति के कार्यों के करने की निश्चित दिनचर्या नहीं है, और जिस व्यक्ति की सोने जागने की दिनचर्या भी निश्चित नहीं वह व्यक्ति अगर योग करने का दावा करता है तो उसे योग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। वह योग करके भी दुखी ही रहेगा।

आशावान बने, तनाव से मुक्ति पाएं- आशावादिता प्रफुल्लता और सकारात्मकता स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। मनोबल के ये साथी रोग को भले ही खत्म न कर पाए मगर उससे मुक्ति पाने में सहयोगी होते हैं। दूसरी ओर निराशावादी के मन में सदा बीमारी का भय छाया रहता है। उसकी वजह से वह अपना ख्याल ठीक तरीके से नहीं रख पाता उसके मस्तिष्क और रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बीच परस्पर सम्प्रेषण होता रहता है।

कोई आपसे पूछे, रोगों को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो सही जवाब होगा - दवा और परहेज। दवा और परहेज मरीज की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है और रोगी और प्रत्यक्ष प्रभाव इनसे

ही पड़ता है। पर क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि बीमारी में मनोबल या इच्छा शक्ति जैसे अप्रत्यक्ष कारण कभी-कभी दवाओं पर भारी पड़ जाते हैं। रोगी बीमारी के दौरान अपना मानसिक संतुलन बनाए रखकर रोग का भय स्वयं पर हावी नहीं होने देते। वे उन रोगियों से जल्दी ठीक होते देखे गये हैं जो जरा भी बीमार हुए नहीं कि उसका हौवा बना कर चिंतित हो जाते हैं। आशावादिता, प्रफुल्लता और सकारात्मकता स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। मनोबल के ये साथी रोग को भले ही खत्म न कर पाये मगर उससे मुक्ति पाने में सहयोगी होते हैं। दूसरी ओर निराशावादी के मन में सदा बीमारी का भय छाया रहता है। उसकी वजह से वह अपना ख्याल ठीक तरीके से नहीं रख पाता, उसके मस्तिष्क और रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बीच परस्पर सम्प्रेषण होता रहता है।

स्वस्थ एवं चिरंजीव रहने के उपाय – चिकित्सकों का मानना है कि अगर व्यक्ति की पाचन क्रिया ठीक नहीं है और वह बीमारी एवं कमजोरी को दूर करने के लिये औषधि सेवन कर रहा है, तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। बढ़िया से बढ़िया औषधि भी उसे पूर्ण लाभ नहीं पहुंचा सकती। स्वस्थ रहने के लिये पेट का स्वस्थ होना जरूरी है।

ऐसा क्यों – यह सब पाचन शक्ति का खेल है। अधिकांश लोग पुरी उम्र यही देखते जांचते रहते हैं कि कौनसी भोज्य सामग्री या फल अधिक शक्तिशाली है या विटामिन युक्त है। वे कभी भूल से यह भी सोचते हैं उनकी पाचन शक्ति कितनी अच्छी है या उन्होंने जो खाया है वह ठीक से पचा है या नहीं। मुंह, आमाशय, जिगर, आंत आदि अंगों से ऐसे रस निकलते हैं कि वे आहार से मिलकर आवश्यकता पूरी करने वाला रस बना लेते हैं। पाचन शक्ति को ठीक रखना जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी है कोई भी आहार, कोई भी औषधि, कोई भी टॉनिक पाचन शक्ति ठीक करने पर ही आपको पूर्ण

लाभ पहुंचा सकते हैं।

अतः यह सर्वविदित है कि भारतवर्ष की सर्वोच्च विद्या योग साधना का मुख्य उद्देश्य परमात्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्मानुभव है। योग साधना में सर्वप्रथम शरीर पर नियंत्रण किया जाता है।

शरीर के बाद मन की विभिन्न प्रकार की चंचल वृत्तियों पर नियंत्रण किया जाता है। जब मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो मन पर संयम पाकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अतिन्द्रिय ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान के बाद ही मानव का पूर्ण विकास होता है तथा उसकी सभी सुप्त शक्तियों का जागरण होता है, जिससे उसमें पूर्ण मानवीय क्षमताएं आ जाती हैं। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य के सभी कर्मफलों का क्षय हो जाता है। जिससे उसके पुनर्जन्म की संभावना ही समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से कर्मफलों का क्षय नहीं हो सकता। जिनको भोगने के लिए बार-बार जन्म धारण करना पड़ता है। इस आत्मज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा जीवात्मा को यह अनुभव हो जाता है कि वह और ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता है जो भिन्न नहीं है। ऐसी अनुभूति का होना ही मोक्ष का जरिया है। मानव की उपलब्धि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पण्डित रामेश्वर मिश्र, योग द्वारा सुखी जीवन ।
2. अखिलेश जी, योगी और योग साधना ।
3. सुरेन्द्र मुनि जी. म., योग स्वस्थ शरीर प्रसन्न आत्मा ।
4. राम स्वरूप, योग की अध्यात्म-विद्या ।
5. प्रेम शर्मा, योग द्वारा रोग मुक्ति ।
6. योगाचार्य जीवन जैन त्रिलोक, पावर योगा ।
7. डॉ. संतशरण शर्मा, आयुर्वेदिक औषधीय योग ।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व

प्रतिमा चौधरी * डॉ. धीरेन्द्र सिंह **

प्रस्तावना – आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान है। यह प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरुषों दोनों की उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।¹

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको आमानव के अध्यात्म जीवन से जोड़ते हैं, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती।²

महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाल ही में जारी की गई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, इसमें 58.64 करोड़ महिलाएँ हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वावलंबी बनाए बिना सशक्त भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता।³

भारतीय समाज में नारी की स्थिति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। समय के साथ उसकी स्थितियों में परिवर्तन आया है। वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी मजबूत और प्रतिष्ठापूर्ण थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्थिति में बदलाव होने लगा। वक्त की आँधी ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर व बेबसीपूर्ण स्थिति में पहुँचा दी। वैदिक काल में पुरुषों की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली महिला के कालखण्ड में घर की चारदीवारी के बीच कैद रहने वाली और पुरुषों के पैर की जूती तक बना दी गई। मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जब कि आधुनिक काल में महिलाएँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। अपने हिस्से का आसमा लेने के लिए प्रयासरत हैं।⁴

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात् भारतीय समाज में जो बदलाव आया है इसके पश्चात् महिला शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने चिंतन,

अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाई-चारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कानून बनाए हैं। संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरुद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किए हैं। कानून के ढाँचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।⁵

भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी इतिहास बहुत पुराना रहा है। 20वीं सदी से भारतीय संस्था, राष्ट्रीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला संघ जैसी अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ।⁶

महिलाओं के लिए आरक्षण— जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह का प्रावधान करने को आगे आए और उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।⁷

तालिका क्रमांक 1.1 (देखें आगे पृष्ठ पर)

निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की रुचि, जागरूकता और सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि के अतिरिक्त, हमने पिछले लोकसभा निर्वाचन 2014 में 66.44 प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्राप्त किया। वर्ष 2014 में निर्वाचकों की संख्या 83.4 करोड़ रही जो वर्ष 2009 की तुलना में लगभग 117 करोड़ अधिक रही, जबकि मतदान में लिंग अन्तराल 2009 की तुलना में 4.42 से घट कर 1.55 हो गया। इसके अतिरिक्त 16 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी अधिक महिला मतदान रिकॉर्ड किया गया और इनमें से नौ राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में लोक सभा निर्वाचन में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही।⁸

तालिका क्रमांक 1.2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

देश की कुल कामकाजी जनसंख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात 0.36 का है। देश में महिलाओं की औसत आमदनी भी पुरुषों की औसत कमाई के मुकाबले चार गुना कम ही है। यद्यपि राजनीति के क्षेत्र

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** प्रधानाचार्य (राजनीति विज्ञान) शासकीय जाल्द त्रिमूर्ति महाविद्यालय, नागौद, जिला - सतना (म.प्र.) भारत

में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मात्र यही एक क्षेत्र है, जहां देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इस मामले में भारत 20 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल रहते हुए 15वें पायदान पर आ गया है। बीते 50 सालों में भारतीय महिलाओं ने राजनीति में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने में स्वयं दिलचस्पी दिखाई है। इस संदर्भ में बेहद कारगर रहे संवैधानिक प्रावधानों तथा उन नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनसे राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ सकी है। अच्छा तो यह होगा कि ऐसी ही उपलब्धि अन्य क्षेत्रों में भी सामने आए। महिलाओं को हर क्षेत्र में शिखर पर ले जाना है तो राजनीति व सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व कर सकें।¹⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल, सीमा 'महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता', अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर-2014 - पृ. 15
2. राजस्थान, पत्रिका 8 मार्च 201
3. धनजी चौरसिया (सितंबर-2011)- 'रोजगार व स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएँ' कुरुक्षेत्र वर्ष 57, अंक 11, पृ. 16
4. इंटरनेट से 5 जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा-'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता' हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000 पृ.80
6. लोकतंत्र समीक्षा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, संयुक्त अंक, जनवरी-सितंबर 2004
7. कुरुक्षेत्र पत्रिका (जनवरी-2018)- 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' वर्ष 64, अंक 3, पृ.36
8. 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता', भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन रद्दन, अशोका रोड, नई दिल्ली
9. सिंह, पंकज के. - 'समर्थ भारत' - प्रकाशक, डायमंड पॉकेट बुक्स लि. नई दिल्ली, पृ. 57
10. कुरुक्षेत्र पत्रिका, 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण'-जनवरी 2018 - पृ. 4

तालिका क्रमांक 1.1
लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	लोकसभा चुनाव	कुल सीटें	चयनित सदस्य		महिला सदस्यों का प्रतिशत
			पुरुष	महिला	
1952	पहली लोकसभा	499	477	22	4.41
1957	दूसरी लोकसभा	500	473	27	5.40
1962	तीसरी लोकसभा	503	469	34	6.76
1967	4थी लोकसभा	523	492	31	5.93
1971	5वीं लोकसभा	521	499	22	4.22
1977	6वीं लोकसभा	544	525	19	3.49
1980	7वीं लोकसभा	544	516	28	5.15
1984	8वीं लोकसभा	544	500	44	8.09
1989	9वीं लोकसभा	517	490	27	5.22
1991	10वीं लोकसभा	544	505	39	7.17
1996	11वीं लोकसभा	543	504	39	7.18
1998	12वीं लोकसभा	545	500	43	7.92
1999	13वीं लोकसभा	543	494	49	9.02
2004	14वीं लोकसभा	543	499	44	8.10
2009	15वीं लोकसभा	545	486	59	10.8
2014	16वीं लोकसभा	543	475	68	12.00

स्रोत - लोकसभा सदस्य लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।

तालिका क्रमांक 1.2
राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	राज्यसभा चुनाव	कुल सीटें	चयनित सदस्य		महिला सदस्यों का प्रतिशत
			पुरुष	महिला	
1952	पहली राज्यसभा	219	203	16	7.31
1957	दूसरी राज्यसभा	237	219	18	7.59
1962	तीसरी राज्यसभा	238	220	18	7.56
1967	4थी राज्यसभा	240	220	20	8.33
1971	5वीं राज्यसभा	243	226	17	7.00
1977	6वीं राज्यसभा	244	219	25	10.25
1980	7वीं राज्यसभा	244	220	24	9.84
1984	8वीं राज्यसभा	244	216	28	11.48
1989	9वीं राज्यसभा	245	221	24	9.80
1991	10वीं राज्यसभा	245	207	38	15.51
1996	11वीं राज्यसभा	223	204	19	8.52
1998	12वीं राज्यसभा	245	230	15	6.12
1999	13वीं राज्यसभा	245	226	19	7.76
2005	14वीं राज्यसभा	243	218	25	16.29
2010	15वीं राज्यसभा	233	212	21	9.01
2015	16वीं राज्यसभा	244	216	28	11.48

स्रोत - राज्य सभा सदस्य राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली

पर्यावरण एक अध्ययन - पेंच थर्मल पावर परियोजना छिंदवाड़ा के संदर्भ में

डॉ. भावना नायक *

शोध सारांश - प्राचीन काल में मनुष्य वातावरण में जो दूषित घटक छोड़ता था वह मानव की आवश्यक प्रतिक्रिया थी। परंतु जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी हैं और मनुष्य अपने भौतिक आश्रय और बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करने वाले पर्यावरण का निर्माता और ढालने वाला स्वयं दोनों बन गया है। इस पर मानव जाति के बड़े और धरेलू विकास के कारण स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, जहाँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के त्वरित फैलाव के माध्यम से मनुष्य अपने वातावरण को अगणित तरीकों और अपूर्व स्तर पर परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। इस आधार पर मनुष्य पर्यावरण से छेड़छाड़ कर भौतिक विलासिता को जन्म दिया है तथा स्वच्छ वातावरण एवं विकास हेतु किसी परियोजना का स्थापित होना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

मध्यप्रदेश राज्य का जिला छिंदवाड़ा जो कि बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट एवं नागपुर महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। जिला छिंदवाड़ा की चौरई तहसील के अंतर्गत चौसरा नामक ग्राम में आडानी पेंच थर्मल पावर परियोजना जो कि 1320 एम. डब्ल्यू. (2x660) प्रस्तावित की गई है। जिसमें 1986 किसानों की 300 हेक्टेयर जमीन पर यह निर्माण अधिक 583.40 करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट प्रावधानिक दिनांक 2004 से प्रारंभिक तौर पर कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं विकास की कल्पना की जा रही है।

शब्द कुंजी - प्रौद्योगिकी, अगणित, भौतिक, पर्यावरण, वातावरण, आध्यात्मिक।

उद्देश्य - ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी तरह के औद्योगिक इकाई को स्थापित करने में जल प्रयोग आवश्यक है। अतः मरुस्थल में इसकी स्थापना की अनुमति देते समय इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र के निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1. इस क्षेत्र के किसान प्रभावित या लाभांशित हो रहे हैं।
2. मजदूर - कृषक के समक्ष लुभावन सपने दिखाए जा रहे हैं।
3. दलित, आदिवासियों का शोषण तो नहीं।
4. इस क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक संरचना में परिवर्तन।
5. विकास के आयाम - राजनीतिक हस्तक्षेप का परियोजना पर प्रभाव।
6. भौगोलिक संरचना - भूमि उपयोग से पर्यावरण किस हद तक होगा।

थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना - म.प्र. राज्य का जिला छिंदवाड़ा जो कि बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट एवं नागपुर महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। जिला छिंदवाड़ा की चौरई तहसील के अंतर्गत चौसरा नामक ग्राम में आडानी पेंच थर्मल पावर परियोजना जो कि 1320 एम. डब्ल्यू. (2 x 660) प्रस्तावित की गई है। जिसमें 1986 किसानों की 300 हेक्टेयर जमीन पर यह निर्माण 583.40 करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट प्रावधानिक दिनांक 2004 से प्रारंभिक तौर पर कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं विकास की कल्पना की जा रही है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है, कि अध्ययन क्षेत्र अडानी थर्मल पावर योजना चौसरा तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा म.प्र. में निर्माणाधीन परियोजना में लगभग 1986 कृषक परिवार की कृषि भूमि जो कि 300 हेक्टेयर इस कार्य हेतु स्वीकृत करवाई गई है। जिससे थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की जानी तय है। परंतु स्वच्छ वातावरण और विकास के आयाम उपलब्धता की संभावना हमें दिखाई दे रही है। विकास के लिए आवश्यक

मानव मूल्य चाहे सामाजिक या आर्थिक, धार्मिक, व्यक्तित्व, राजनीतिक हो, उनकी प्रक्रिया जीवन सापेक्ष होती है।

विकास में मानव मूल्यों की अपनी अहमियत होती है। इस शोध कार्य के माध्यम से मानव अथवा जीवन मूल्यों का अनुशीलन करना ही हमारा ध्येय नहीं है साथ ही साथ संपत्ति के अस्तित्व पर पर्यावरण प्रदूषण मानवीय सम्पत्ति से मानव जीवन को संभावित खतरे को निवारित करने वाले उपायों को तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

अडानी पावर की सहायक कंपनी पेंच पावर लिमिटेड छिंदवाड़ा म.प्र. के चौंसरा गांव में अपना (2x660) मेगावाट की थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रारंभ करना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठेकेदारों से मार्च 2010 में बोलियां आमंत्रित की थी। प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान ने आधारभूत संरचना और आवश्यक भूमि देने की बात करनी थी। इसके लिए म.प्र. विद्युत मंडल के द्वारा 300 हेक्टेयर भूमि उसे स्थानांतरित करना तय हुआ था। उक्त प्रोजेक्ट के लिए पेंच नदी में जल स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया था। अडानी पावर कुल उत्पादित बिजली का 10 प्रतिशत राज्य शासन को परिवर्तनशील दर पर बिजली बेचेगा। राज्य शासन के ही यह प्रथम अधिकृत होगा कि 40 प्रतिशत तक कुल उत्पादित बिजली 20 वर्षों तक खरीद सके।

भूमि आवश्यकता - 740 एकड़ राजस्व भूमि की आवश्यकता होगी हाल में वन भूमि का परिवर्तन नहीं होगा। कोयले की आवश्यकता 90 प्रतिशत प्लांट लोड वटर पर 3.27 मिटिक टन प्रतिवर्ष होगी। राज्य के सग्रहण के लिए 48 हेक्टेयर जमीन राज्य के तालाब और बांध के लिए होगी। बिजली उत्पादन के साथ लगभग 1.22 मिटिक टन प्रतिवर्ष उड़नशील राख एवं 6.31 जमीनी राख की उत्पन्न होगी। राख से स्पार्क सीमेंट फेक्ट्री की आपूर्ति की जाएगी।

अडानी की वेबसाइट के अनुसार प्रोजेक्ट लगातार विकसित हो रहा है और इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजनाओं के निर्माण कार्य 2019 तक पर्यावरण की स्वीकृति तक कर लिया जाएगा।

अडानी पावर के अनुसार 31 दिसम्बर 2011 तक 6500 मेगावाट तक क्षमता बढ़ाने की बात रही जिसमें केट्रेडेश्वर और दहेन के पावर प्रोजेक्ट शामिल है। सन् 2012 में पावर स्टेशन को पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है।

विरोध की देरी - ग्रामीणों ने 2013 प्रोजेक्ट को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी है। अप्रैल 2014 में मत प्रतिवेदन किया गया

कि पांच गावों के रास्ते को बाधक निर्माण से बंद कर दिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरण विधि अरविंद कुमार दुबे
2. पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण विधि की रूपरेखा - अनिरुद्ध प्रसादी
3. पर्यावरण विधि - डॉ एन डी शर्मा
4. विकास का प्रशासन - लुसियन पाई
5. नेट से प्राप्त आंकड़े

म.प्र. के निम्न थर्मल पावर

No.	Project	Capacity	MW	Status
1.	Satpura Thermal Power Station	1330	1x200 mw 3x210 mw 2x250 mw	All Unit Functions
2.	Amarkantak thermal power Station	210	1x210 mw	All Unit Functions
3.	Sanjay Gandhi Thermal Power Station	1340	4x210 mw 1x500 mw	All Unit Functions
4.	Shree Singaji Thermal Power Station	2520	2x600 mw 2x660 mw	2x600 mw Unit Functions 2x600 Unit Under Constriction
5.	Oada Dhuniwal Thermal Power Station	1600	2x800 mw	The Project is yet to station due To non availability load

Hydel Power Station

No.	Power Station	Intalled Capacity	M.P. Share
1.	Gandhi Sagar (5x23 mw)	115	57.5
2.	Pench Totladoh (2x80 mw)	160	107
3.	Rani Awanti Bai Bargi (2x45 mw)	90	90
4.	Rajghat (3x15 mw)	45	22.5
5.	Birsinghpur (1x20 mw)	20	20
6.	Bansagar ton Ist (3x105 mw)	315	315
7.	Bansagar ton IIInd (2x15 mw)	30	30
8.	Bansagar ton IIIrd Deolond	60	60
9.	Bansagar ton IV Dealond (3x20 mw)	20	20

नगर परिषद् - निर्वाचन एवं विश्लेषण 2018 (धार जिले के संदर्भ में)

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना - नगर पालिका जनता की सभा है, जो नगर पालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर शासन के लिए नियमों-उपनियमों का निर्माण करती है। प्रत्येक नगर पालिका में एक परिषद् होती है। जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य (पार्षद) सम्मिलित होते हैं। परिषद् वह सर्वोच्च सत्ता है, जो उन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जो नगर पालिका को सौंपे गए हैं।

नगर परिषद् नगर पालिका मण्डल के सदस्यों की संख्या का निश्चय सरकार द्वारा किया जाता है। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रति पाँचवें वर्ष किए जाते हैं। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होते हैं। चुनाव के लिए कबजे या नगर को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। नगर परिषद्, नगर पालिका-मण्डल में स्त्रियों और पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों का बहुमत होता है, उन क्षेत्र को प्रायः इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है अर्थात् ऐसे क्षेत्रों से केवल इन जातियों के प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य -

- इस शोध पत्र का उद्देश्य धार जिले की 6 नगर परिषदों धामनोद, धरमपुरी, डही, कुक्षी, राजगढ़ तथा सरदारपुर के निर्वाचन 2018 की स्थिति का अध्ययन करना।
- जनता का निर्वाचन के प्रति कितना उत्साह तथा राजनीति में सक्रिय योगदान कितने प्रतिशत रहा का अध्ययन करना।

अध्ययन का प्रविधि - शोध पत्र को द्वितीय समंको का आधार लेकर तैयार किया गया तथा चुनाव परिणाम से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

विश्लेषण एवं परिणाम - जिले की 6 नगर परिषदों को लेकर कुल वार्ड 90 तथा 114 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए। कुक्षी नगर परिषद् में 74.00 प्रतिशत, डही नगर परिषद् में 80.32 प्रतिशत, धरमपुरी नगर परिषद् में 74.48 प्रतिशत, धामनोद नगर परिषद् में 73.09 प्रतिशत, राजगढ़ नगर परिषद् में 78.27 प्रतिशत, सरदारपुर नगर परिषद् में 77.47 प्रतिशत, औसत मतदान का प्रतिशत 67.98 प्रतिशत रहा। तालिका क्रमांक 01 देखें। नगर परिषदों का मतदान प्रतिशत विवरण तालिका क्र. 1(देखें आगे पृष्ठ पर)

नगर परिषद् अध्यक्ष पद की कुल 6 सीटों में से 3 सीटों पर डही, धामनोद, कुक्षी में भाजपा ने विजय हासिल की और 3 सीटों पर धरमपुरी, राजगढ़, सरदारपुर में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। तालिका क्रमांक 02 देखें।

डही नगर परिषद् में कुल 5910 मतों में से 4747 मत डाले गए थे। इनमें से भाजपा के अध्यक्ष पद उम्मीदवार कैलाश कन्नौजे को 2931 मत मिले, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद उम्मीदवार रणसिंह जमरा को 1695 मत मिले। नोटा को कुल 121 मत मिले। इस तरह भाजपा के कन्नौजे ने निकटतम उम्मीदवार कांग्रेस के रणसिंह जमरा को 1236 मतों से पराजित किया। 15 वार्डों में से 11 वार्डों में भाजपा के पार्षद विजय हुए जबकि 3 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय ने चुनाव जीता। तालिका क्रमांक 03 देखें।

धामनोद नगर परिषद् चुनाव 2018 में एक बार फिर भाजपा का कब्जा रहा। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी दिनेश शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से बागी विष्णु पाटीदार निर्दलीय उम्मीदवार को 1328 मतों से पराजित किया। 15 वार्डों में 12 पर भाजपा तथा कांग्रेस ने 3 पर जीत हासिल की। तालिका क्रमांक 04 देखें।

कुक्षी नगर परिषद् चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद सहित 15 वार्डों में से 13 पार्षद पदों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस को महज 2 पार्षदों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याक्षी अर्जुनसिंह बघेल को 3102 मतों से शिकस्त देकर कुक्षी नगर परिषद् में एक बार फिर भाजपा की जीत हुई। मुकामसिंह को 8637, अर्जुनसिंह बघेल को 5572 तथा निर्दलीय मदनसिंह को 246 मत मिले। नोटा को 183 मत गए। तालिका क्रमांक 05 देखें।

धरमपुरी नगर परिषद् चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शब्बीर पहलवान ने भाजपा उम्मीदवार प्रशांत विनोद शर्मा को 3059 मतों से करारी शिकस्त दी। पार्षद पद पर कांग्रेस के 10 व भाजपा के 5 ने जीत हासिल की। तालिका क्रमांक 06 देखें। कांग्रेस के शब्बीर पहलवान को 5748, भाजपा के प्रशांत शर्मा को 2687 मत मिले। निर्दलीय सुनील मण्डलोई को 1280 वोट मिले। कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याक्षी डा. जियाउलहक को 60 वोट व नोटा को 56 वोट मिले।

राजगढ़ नगर परिषद् चुनाव में 15 वार्डों में से 9 वार्डों पर कांग्रेस के पार्षदों ने विजय प्राप्त की, जबकि 6 वार्डों पर ही भाजपा कब्जा कर सकी, जबकि पहले 15 वार्डों में से 14 वार्डों में भाजपा का राज था। तालिका क्रमांक 07 देखें।

सरदारपुर नगर परिषद् में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस से अध्यक्ष प्रत्याक्षी महेश भाबर ने भाजपा की रोमा धर्मेन्द्र मण्डलोई को 1148 मतों से हराया। 15 वार्डों में से 13 वार्डों में कांग्रेस तथा मात्र 2 वार्डों पर भाजपा के पार्षद जीते। तालिका क्रमांक 08 देखें।

निष्कर्ष - धार जिले की 6 नगर परिषदों के 2018 के चुनाव परिणाम में

90 वार्डों में पार्षद की स्थिति में 49 पार्षद पदों पर भाजपा ने कब्जा किया, वहीं कांग्रेस ने 40 पार्षद पर विजय हासिल की व 01 पार्षद पद निर्दलीय की झोली में चला गया। तालिका क्रमांक 09 देखें।

जिले में कुल 6 नगर परिषद अध्यक्ष पद में से 3 पदों पर भाजपा का कब्जा रहा तो 3 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस तरह नगर परिषद अध्यक्ष पर हेतु निर्वाचन की स्थिति में दोनों पार्टियाँ बराबर रही।

6 नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस पार्षदों की स्थिति तालिका क्र. 09 (देखें)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. हरीश कुमार खत्री - भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्व शासन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2011
2. डॉ. हरीशचन्द्र शर्मा - भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2002
3. समाचार पत्र - नई दुनिया, दैनिक भास्कर।
4. इंटरनेट।

तालिका क्र. 1


क्र.	नगर परिषद	महिला मतदान	पुरुष मतदान	औसत मतदान
1	डही	78.65%	82.04%	80.32%
2	धामनोद	72.17%	73.96%	73.09%
3	कुक्षी	72.00%	75.00%	74.00%
4	धरमपुरी	70.96%	77.91%	74.48%
5	राजगढ़	74.81%	81.76%	78.27%
6	सरदारपुर	76.97%	77.98%	77.47%

तालिका क्र. 09

क्र	नगर परिषद	कुल वार्ड	भाजपा पार्षद	कांग्रेस पार्षद	निर्दलीय पार्षद
1	डही	15	11	03	01
2	धामनोद	15	12	03	00
3	कुक्षी	15	13	02	00
4	धरमपुरी	15	05	10	00
5	राजगढ़	15	06	09	00
6	सरदारपुर	15	02	13	00
योग	06	90	49	40	01



साभार - समाचार पत्र - नई दुनिया।



नगर परिषद अध्यक्ष पद - चुनाव परिणाम विवरण

(तालिका क्र. 02)

क्र	नगर परिषद	पद	आरक्षण की स्थिति	विजित अभ्यर्थी का नाम	विजित अभ्यर्थी का राज. दल	निकटतम अभ्यर्थी का नाम	निकटतम अभ्यर्थी का राज. दल	मतों का विवरण				
								डाले गये मतों की संख्या	विजित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	नोटा	निर्वाचन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डही	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति मुक्त	कैलाश कन्नौजे	भाजपा	रणसिंह जमरा	कांग्रेस	4747	2931	1695	121	सविरोध
2	धामनोद	अध्यक्ष	अनारक्षित मुक्त	दिनेश शर्मा	भाजपा	विष्णु पाटीदार	निर्दलीय	16646	6671	5338	279	सविरोध
3	कुक्षी	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति मुक्त	मुकाम सिंह किराड़े	भाजपा	अर्जुन सिंह बघेल	कांग्रेस	14651	8637	5572	183	सविरोध
4	धरमपुरी	अध्यक्ष	अनारक्षित मुक्त	शब्बीर खॉ	कांग्रेस	प्रशांत शर्मा	भाजपा	9833	5748	2687	56	सविरोध
5	राजगढ़	अध्यक्ष	अनारक्षित मुक्त	भंवरसिंह बारौड	कांग्रेस	ज्ञानेन्द्र मूणत	भाजपा	11117	6412	4506	198	सविरोध
6	सरदारपुर	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति मुक्त	महेश भाबर	कांग्रेस	रोमा मण्डलोई	भाजपा	3914	2215	1065	77	सविरोध

स्रोत - इन्टरनेट 2018

नगर परिषद डही - वार्डवार पार्षद चुनाव परिणाम (तालिका क्र. 3)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	रीना सज्जनसिंह	भाजपा	216	उषा कवचे	कांग्रेस	74
2	फरीदा रफीक	भाजपा	155	गुणमाला कोकजे	कांग्रेस	101
3	संतोष उमरावसिंह	भाजपा	121	रावलसिंह बघेल	कांग्रेस	97
4	गायत्री अनोखी	भाजपा	136	दीपमाला वर्मा	कांग्रेस	60
5	हिसामुद्दीन कुरैशी	कांग्रेस	219	मंसूर सिद्दिकी	भाजपा	183
6	कंचन बाई	कांग्रेस	108	सुनीता वासुनिया	भाजपा	89
7	रेखा गोपाल माहेश्वरी	भाजपा	240	प्रीति सचिन	कांग्रेस	74
8	विनोद राठौड	निर्दलीय	234	मनीष भार्गव	भाजपा	183
9	राकेश जमरा	भाजपा	216	प्रतापसिंह डोडवा	कांग्रेस	114
10	पुनम सिंह डोडवा	भाजपा	120	गंगाराम सोलंकी	कांग्रेस	111
11	रोहित कनास्या	भाजपा	159	हीरालाल	कांग्रेस	146
12	गिरीश डामोर	भाजपा	134	राकेश ठाकुर	कांग्रेस	67
13	अलका शैलेन्द्र सोनी	भाजपा	189	बसंती बाई	कांग्रेस	91
14	रेणुका सरस्या	भाजपा	137	मंजु मोरी	कांग्रेस	95
15	किरण रेवसिंह	कांग्रेस	222	सीमा राकेश	भाजपा	123

नगर परिषद धामनोद - वार्डवार पार्षद चुनाव परिणाम(तालिका क्र. 4)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	रविराज वर्मा	भाजपा	636	राधेश्याम पटेल	कांग्रेस	423
2	विष्णु कर्मा	भाजपा	654	शिव दाबड़	कांग्रेस	306
3	राधा विष्णु पाटीदार	भाजपा	491	संजुला कर्मा	कांग्रेस	466
4	सुमन गिरवाल	कांग्रेस	671	संतोष बाई	भाजपा	554
5	कविता सोलंकी	भाजपा	421	सोना बाई कटारे	कांग्रेस	295
6	कल्लो बी	कांग्रेस	520	निर्मला जायसवाल	निर्दलीय	497
7	नीतू राठौड़	कांग्रेस	285	सुनिता अभिषेक	निर्दलीय	243
8	शारदा विश्वकर्मा	भाजपा	438	सुनिता पटेल	कांग्रेस	271
9	महेश पटेल	भाजपा	681	विकास पटेल	कांग्रेस	267
10	वंदना जोशी	भाजपा	403	संगीता राठौड़	कांग्रेस	307
11	अनिता पाटीदार	भाजपा	607	अर्चना शर्मा	निर्दलीय	336
12	सतीश चौधरी	भाजपा	1055	हरीश पटेल	निर्दलीय	444
13	ममता वर्मा	भाजपा	599	राजेश वर्मा	कांग्रेस	201
14	दिनेश भार्गव	भाजपा	373	लोकेश शिन्दे	कांग्रेस	370
15	देवकन्या मुकाती	भाजपा	658	गणेश दहाना	कांग्रेस	224

नगर परिषद कुक्षी - वार्डवार पार्षद चुनाव परिणाम(तालिका क्र. 5)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	सबीना मंसूरी	कांग्रेस	439	सुनिता हुकुमसिंह	भाजपा	354
2	सरीपन अगवान	भाजपा	667	सोफिया	कांग्रेस	538
3	लोकेश सरदार	भाजपा	798	चन्द्रशेखर मुकाती	कांग्रेस	364
4	विजय गुप्ता	भाजपा	651	महेश पाटीदार	कांग्रेस	308
5	सीमा बाई	भाजपा	330	श्यामा बाई	कांग्रेस	265
6	फातेमा हुसैनी	भाजपा	657	तसनीम अब्बास	कांग्रेस	414
7	संजय भीमा	भाजपा	562	पन्नालाल कानाजी	कांग्रेस	340
8	रेखा जैन	भाजपा	601	साधना सोनी	कांग्रेस	464
9	लक्ष्मण गोविन्द	भाजपा	567	भूरी बाई	कांग्रेस	293
10	विजय सितौले	भाजपा	598	अमृत रेवाल	कांग्रेस	374
11	तेजू बाई	भाजपा	564	निर्मला बाई	कांग्रेस	356
12	शशिकला माली	भाजपा	634	कनीश बी	कांग्रेस	553
13	हरीश सेन	कांग्रेस	473	मनीष माली	भाजपा	388
14	रुक्मणी	भाजपा	585	गोमती बाई	कांग्रेस	343
15	चेनाजोर सिंह	भाजपा	398	रवि कोदर	कांग्रेस	341

नगर परिषद धरमपुरी - वार्डवार पार्षद चुनाव परिणाम (तालिका क्र. 6)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	गबरू धनगर	भाजपा	467	जयराम केवट	कांग्रेस	227
2	तिलोक पिपले	कांग्रेस	647	चुन्नीलाल महापले	भाजपा	312
3	मुस्तकीम हाजी	कांग्रेस	533	इस्लामुद्दीन मंसूरी	भाजपा	82
4	बाबू खान	कांग्रेस	625	शेरू हाजी	भाजपा	230
5	अनीसा बी	कांग्रेस	550	सकीना बी	भाजपा	222
6	करन वारकेल	भाजपा	295	सचिन भय्युराजा	कांग्रेस	214
7	कहकशांबी	कांग्रेस	559	रजिया बी	भाजपा	150
8	गुलनाज बी	कांग्रेस	335	निक्की जियाउल	निर्दलीय	284
9	अखिलेश जगताप	भाजपा	257	शरद पंडित	कांग्रेस	149
10	नौशाद खान	निर्दलीय	480	सोहराब खान	भाजपा	227
11	बरसंती बाई	कांग्रेस	262	ग्यारसी बाई	भाजपा	225
12	मनीषा संजय सोनी	कांग्रेस	386	हसबुलबी	भाजपा	233
13	विष्णुबाई सेन	कांग्रेस	281	सीमा भावसार	भाजपा	242
14	संगीता पटेल	भाजपा	318	सुमनबाई धन्नलाल	कांग्रेस	202
15	हेमलता बाई	भाजपा	290	सागरबाई कालूराम	कांग्रेस	193

नगर परिषद राजगढ़ - वार्डवार पार्षद - चुनाव परिणाम (तालिका क्र. 7)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	गोविन्द पाटीदार	कांग्रेस	430	मनोज माली	भाजपा	246
2	रुखसाना खान	कांग्रेस	606	तेजाबाई	भाजपा	391
3	प्रेमलता निनामा	भाजपा	419	राधा बाई	कांग्रेस	356
4	भारत सिंगार	कांग्रेस	519	पप्पू भूरिया	भाजपा	266
5	सवेरा जायसवाल	कांग्रेस	317	संगीता जाट	भाजपा	266
6	रचना कावडिया	भाजपा	536	शिखा परदेशी	कांग्रेस	450
7	सोना सिसौदिया	कांग्रेस	420	भावना यादव	भाजपा	322
8	प्रीतिबाला चौहान	भाजपा	318	संगीता वैष्णव	कांग्रेस	161
9	नरेन्द्र भण्डारी	भाजपा	310	सुभाष झरबदा	निर्दलीय	236
10	प्रदीप रायली	भाजपा	390	विजय व्यास	निर्दलीय	176
11	धीरज बोराना	कांग्रेस	324	धर्मेन्द्र बागडिया	भाजपा	118
12	दीपाली पाण्डे	भाजपा	214	उषा शर्मा	निर्दलीय	182
13	सुगनाबाई अमरसिंह	कांग्रेस	397	रेखा डामोर	भाजपा	328
14	अजय जायसवाल	कांग्रेस	335	मोतीसिंह	भाजपा	187
15	देवीलाल भिड़ौदिया	कांग्रेस	518	कमलेश चौहान	भाजपा	206

नगर परिषद सरदारपुर - वार्डवार पार्षद चुनाव परिणाम(तालिका क्र. 8)

वार्ड क्रमांक	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	देवकरण यादव	कांग्रेस	133	पप्पू यादव	भाजपा	93
2	राखीनारायण यादव	कांग्रेस	158	बबीता	भाजपा	79
3	मुकेश यादव	कांग्रेस	168	दुलीचंद	भाजपा	110
4	अनिल गोखले	कांग्रेस	187	गायत्री कंडारे	भाजपा	55
5	सविता रितेश वैष्णव	कांग्रेस	183	मंजुला यादव	भाजपा	71
6	रेशमा परवेज लोदी	कांग्रेस	160	कविता वैष्णव	भाजपा	70
7	प्रज्ञा अखिलेश शर्मा	कांग्रेस	73	प्रीति गर्ग	भाजपा	67
8	अमरसिंह सोनेरे	कांग्रेस	96	संजय डांगी	भाजपा	63
9	कविता निनामा	कांग्रेस	119	सोना भूरिया	भाजपा	102
10	नरेन्द्र पारगी	कांग्रेस	127	आकाश कटारा	भाजपा	66
11	शांताबाई सुरेश	भाजपा	130	कुंता भारत	कांग्रेस	112
12	प्रीति मनीष श्रीवास्तव	कांग्रेस	168	सोनाली सेठिया	भाजपा	135
13	गोविन्द मारु	कांग्रेस	187	रामेश्वर खेमचंद	भाजपा	142
14	दुर्गा मदन पारगी	कांग्रेस	148	मीना गौड़	भाजपा	134
15	मनोज बैरागी	भाजपा	130	राकेश हरण	निर्दलीय	72

कैदियों के मानवाधिकार व शासन (छिंदवाडा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. भावना नायक *

शोध सारांश - 10 दिसम्बर 1948 को प्रस्तावना सहित सर्वसम्मति से स्वीकारित मानवाधिकार घोषणों का में 30 धाराओं वाली यह घोषणा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अन्तर्गत और मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जन साधारण की सशक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप तथा इसकी प्रस्तावना पर मानवजाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है।

1. मानव सुख की धारण ही मानवाधिकार हैं। मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा एवं गरिमा है। अतः मानव गरिमा को स्थापित रखने के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है।

2. भारतीय संविधान के भाग 3 (अनु. 12 से 35) में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है।

3. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, स्थान उसके व्यवहार और कार्यों के द्वारा ही स्थापित होती है। यदि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी कार्यवाही बाधक बनती है तो वह दुख का अनुभव करता है फलस्वरूप वह कार्यवाही उसके अधिकार का उल्लंघन करती है। मनुष्य समाज में रहकर वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार विशेष परिस्थितियों में फंसकर अवैधानिक कृत्य करता है। अनैतिक कृत्यों से मानवाधिकार के संरक्षण के बाद भी मनुष्य कृत्य कर बैठता है और न्यायालय में दोषी ठहराया जाकर सजायापता कैदी के रूप में जेल में सजा भूगतता है।

शब्द कुंजी - संरक्षण, न्यायालय, सजायापता, मानवाधिकार, लोकतंत्र।

प्रस्तावना - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिसमें गुण-दोषों के आधार पर दुष्प्रेरण तथा दुष्प्रेरक के बुलबुले पर मनुष्य कैदी बन जाता है। मानव को मानवीय अधिकार प्रदत्त हैं। लेकिन विधि विरुद्ध कृत्य से सजा-भूगतता पड़ता है। आयोग संरक्षण न्याय विधि को प्रदत्त करता है परन्तु विधि विरुद्ध मानव को सजा भूगतने के लिए बाध्य रहती है। अभियुक्त को हिरासत में रखा जाकर सत्य का निवेदन किया जाकर दोषी पाए जाने पर सजायापता के रूप में माना जाना आवश्यक है। मानव के लिए समस्त अधिकार प्रकृति ने भी प्रदत्त किए हैं परन्तु गलत कृत्य करने पर सजा के भागीदार होते हैं। जिला कारागार में जेल अधिकारियों से अपेक्षा सुधारालय से ही की जाती है। अपराध और पुलिस बल एक दूसरे के पूरक है। मध्यप्रदेश राज्य का संशोधन जिला छिंदवाडा जो कि बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट एवं नागपुर (महाराष्ट्र) के बीचों - बीच शहर में जिला जेल स्थित है।

मानव का विकास वंशानुगत व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। जिसमें कुछ पुरुष महिला पीढ़ी - दर - पीढ़ी अपराधी तत्व के होते हैं। समाज की विकास की श्रंखला में आमूल - चूल परिवर्तन होने से आज मानवाधिकार इन्हें समुचित रास्ता प्रसस्त कर रहा है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्ययन के लिए निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1. सजायापता के मानवाधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना।
2. कैदियों की कानूनी सुविधाओं पर अध्ययन करना।
3. जेल जीवन के विषय में अध्ययन करना।

अध्ययन की इकाई प्रस्तुत अध्ययन की इकाई सजायापता कैदी हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्यों पर केन्द्रित उत्तरदाताओं से प्राप्त समंकी का विश्लेषण निम्नानुसार है -

1. जेल एक सुधारालय के रूप सम्बन्धित विश्लेषण से ज्ञात है कि 35 प्रतिशत सजायापता कैदी जेल की सुधारालय मानते हैं जबकी 65 प्रतिशत उत्तरदाता जेल को यातना का केन्द्र मानते हैं। चूंकि मानवाधिकार को भारत के संविधान से मौलिक अधिकार के रूप में समाविष्ट किया गया है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक शिक्षा एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्रदत्त किया गया है। सजायापता कैदियों को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है। वरन् उन्हें समुचित मार्ग प्रसस्त के लिए जेल में रखा गया है, ताकि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न हो पावे।
2. 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार यह तथ्य अवगत होने हैं कि जेल जीवन बहुत दुखी प्रतीत होता है जबकी 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे परेशानी युक्त माना वही 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घृणा माना है। मानवाधिकारों की सर्वाभौमिक घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, सम्पत्ति सामाजिक परिस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कैदियों को मानवाधिकारों से अवगत कराते हुए वर्तमान अधिनियमों के माध्यम से जेल में सुधारों के उपदेश दिए जाते हैं, जो कठोर परिश्रम भी लिया जाता है, जो दुःख सुख का परिचायक है। किसी व्यक्ति को

पुलिस गिरफ्तार करती है, बंदीगृह में रखकर जाँच पूरी की जाती है और न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई जाती है, वही कैदी सजा भुगतता है। 'जैसी करनी वैसी भरनी' कहावत चरितार्थ होती है।

3. स्वतंत्रता के संदर्भ में विश्लेषण के आधार यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि 15 प्रतिशत उत्तरदाता ही स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, जबकि 85 प्रतिशत उत्तरदाता कोठरो की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3 राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की सुरक्षा बाबद् कोई अपरोध उत्पन्न होता है तो वह दोषी ठहराया जाता है। तदनुसार सजायापता कैदी माना जाएगा अपराधिक परिवेश की जंजीर में जकड़ा अपराधी को अपनी स्वतंत्रता के बाद पर तंत्रता की बेदियों में जकड़ा जाता है। वह विधि का विधान न होकर स्वयं के कृत्य का दुष्परिणाम जेल (सजा) भुगतना है परन्तु अपने मानवाधिकार निहित होंगे। ऋग्वेद काल से आज तक भारत वर्ष में हिन्दुओं को सजायापता (कैदियों) के रूप में कठोर दण्ड के भागीदार होते आ रहे हैं, मानवाधिकार के तहत उन्हें अच्छे कार्य करने की स्वतंत्रता है।

दुष्कृत्य का परिणाम सजायापता हैं परन्तु विधि के विधान में मानवाधिकार न्यायालय द्वारा विधि की सुविधाएँ हैं और समय-समय पर आयोग भी परामर्शदात्री के रूप में कार्य करता है।

4. प्रकरण की जाँच की प्रक्रिया के संदर्भ में यह विश्लेषण अभिलेखित है कि क्रूरता और अमानवीय के 70 प्रतिशत पक्ष में तर्क देते हैं। जिसकी 30 प्रतिशत उत्तरदाता कृत्य के आधार पर घृणा या अमानवीय व्यवहार मान रहे हैं। वही स्त्री कैदी के साथ क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार पुलिस अभिरक्षा में किया जाना हिंसा होगी। सीला बनाम महाराष्ट्र एक्ट 1983 सुप्रीम कोर्ट 378 में वर्णित हैं अर्थात् मूलाधिकार प्रदन्त है जिन्हें सवैधानिक उपचारों के तहत भारत के समस्त नागरिकों का मानना आवश्यक है। याचना का अर्थ दण्ड है परन्तु मानवाधिकार उन्हें प्रदत्त है मगर दण्ड भी इतना कठोर न हो कि -

1. रामबाला बनाम पुरा राज्य के बाद में वादि के पुत्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। बाद में वह पुलिस की हिरासत में मृत पाया गया, न्यायालय ने यह माना कि मृत्यु पुलिस की अपेक्षा के कारण हुई थी।
2. शुद्ध एवं पर्याप्त भोजन से संबंधित विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समर्थन किया जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता पेट भरने तथा 20 प्रतिशत कुत्ते का भोजन के समान मानते हैं।
3. स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उचित व्यवस्था स्वीकार किया तथा 55 प्रतिशत

उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वास्थ्य खराब या बीमार होने पर नाम मात्र का उपचार होता है, जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि कभी बीमार नहीं होते हैं।

4. कार्य के बदले दाम से संबंधित विश्लेषण का अभिप्रेत है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाता कार्य के बदले दमा का समर्थन करते हैं तो 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इसमें कोई वास्ता नहीं है। सजायापता कैदियों के आपराधिक प्रवृत्ति के पूर्व वह स्वतंत्र रूप से समाज में कार्य कर आय अर्जन करते हैं। जिससे उपभोग की वस्तु प्रदाय करते हैं। अर्थात् जेल परिसर में कार्य के बदले दाम अर्जित कर जेल जीवन को उपभोग की वस्तु से और रमनीय बनाता है।
5. मनोरंजन के विश्लेषण से यह परिणाम अभिप्रेत है कि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि मनोरंजन के साधन उपलब्ध है जिससे समय समय पर धार्मिक कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं जिससे सजायापताओं के मानसिक तनाव कम हो जाता है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि हमें वे सुविधा उपलब्ध नहीं है जो जेल जीवन के बाहर भी उपलब्ध होता है।
6. जेल जीवन में बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने में 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साधन रेडियो है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साधन कैदियों से मिलने आने वालो ने (परिवार, मित्र, अधिवक्ता और अन्य सहयोगी) माना है जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई साधन उपलब्ध नहीं कहा है।
7. व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अस्वीकार किया है कि उन्हें किसी तरह प्रशिक्षण आदि प्रदान नहीं किया जाता है और 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण से कोई वास्ता नहीं है।
8. अन्य सुविधाओं से संबंधित विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि 65 प्रतिशत कैदियों का मानना है कि उच्च वर्ग या पहुँच वाले लोगों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं वही 35 उत्तरदाताओं का मानना है कि पुराने और शक्तिशाली कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिसके पीछे उच्च अधिकारी और नेताओं या मंत्री का हाथ होना पाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मानव अधिकार - हरिशकुमार खत्री
2. भारतीय शासन एवं राजनीति - डॉ. बी.एल. फडिया
3. भारतीय शासन एवं राजनीति - हरिशकुमार खत्री
4. छिदवाड़ा थाने से प्राप्त ऑकड़े

The Bhil Revolt Of 1881 In Mewar - An outcome of British Paramountcy In The Native Indian States

Dr. Amita Sonker *

Abstract - British imperial power expanded its sway in India by becoming the central power. Owing to the vast territory of India, it was difficult to control and smoothly run the administration. Besides opposition by the native rulers could have been a challenge. Thus, British colonial power held India under two parts. One was under their direct rule and other the Princely states, which were ruled by their native rulers. The colonial rule had the aim to gain as much as possible from the areas under their control. In India, British made policies beneficial for them and exploited British India but in native Princely states, they were not the authority, per se directly. The British power thus pressurised these rulers who made their policies to suit to the British power. Due to this arrangement, the state of Mewar amended some of their policies which adversely affected the Bhil tribe residing in the state of Mewar. The Bhils became exploited by the state and got deprived of their rights. As a result, the Bhils revolted in 1881. The approach of British imperial power for its benefits, how they influenced the policies of the native states, the stand of the ruler of the state of Mewar during the revolt and towards resolving the matter, the reaction of the British power and steps taken to resolve the problem have been discussed in this research paper.

Key Words – Imperialist Tribes Bhil Autonomy Disturbance

Introduction - After the decline of the strength of the mighty Mughal dynasty that was the central power in India, the position of the central power was vacant. Although Marathas gained political strength but they failed to get hold the central status. In this political scenario, many provincial powers had strengthened themselves and had established their hold on their territorial areas. By this time, many foreign powers had already set their foot on Indian soil. These European powers namely French and British had entered for the purpose of trade. The weak political condition of India provided them the opportunity to establish their political supremacy.

Initially, their aim was to acquire political hold for the sake of extracting economic gains.¹ Later, the imperialist idea expanded its hold. Among the European powers, the French and the British came out as the fierce contenders against each other. Eventually the British got successful in ousting the French from the Indian political scene.

The British imperialist power emerged as the political power in India after the victory of battle of Plassey in later eighteenth century. Still the challenge was there in the form of various native Indian states. The British imperialist power wanted to have the supreme status of central power in India. The major obstacles were these native princely states as apparently, the British power could not afford to subdue all the states by force. Hence, they had to make a policy for their security and stability. The British imperialist power worked on a policy of dividing India in two political entities

for the better control and administration. The parts of India, which were directly controlled and administered by the British imperial power was British India whereas the other part, governed by the native rulers were Princely States.² Among the Princely States of India, Rajputana held a large territory. There were eighteen states in Rajputana³. One of the major state of this group was the state of Mewar. The erstwhile Princely state of Mewar came under the vortex of the British policy of alliance in 1818.⁴ Mewar lies in the Southern part of the Rajputana Agency. The various tribes predominantly inhabited the state. The main tribes residing there were the Bhils, the Minas and the Girassias.⁵

Generally tribals are very simple and peace loving people. They respected nature and traditionally had attachment to the land where they inhabited or cultivated. They had very simple life.⁶ Some of the main characteristics of the tribes had been considered as the territorial integrity, absence of exploiting classes and organised state structure and frequent cooperation for common goals.⁷

In 1881, an uprising of the Bhils occurred in the state of Mewar. 'Bhils are the oldest inhabitants. Epics like Ramayana and Mahabharata have the references of Bhils, Shabri and Eklavya. Regarding the Origin of Bhils, ehnologists hold different views.⁸ Some believe that Bhils belong to the ancient tribe of Nishads. "Manu describes Nishad, a synonym of Bhils as the son of a Brahmin father and a sudra mother. In the Vedic literature, the Nishads are referred to as forest people living in Central India."⁹

With the consolidation of British power in India, the political scenario drastically changed. The Princely States signed treaties and engagements with the British imperial power. In this process, though the native rulers were the administrators of their states but the ultimate power lied under the control of the British colonial government.

Though the native princes independently ruled their states but they had to abide by the instructions from the British power on some occasions. In the matter of economic gains for the British colonial government, the British penetrated in internal policies of the native states, though indirectly.

The reasons behind the Bhil uprising of 1881 presents a picture of a system that was superficially simple but beneath the surface was tangled. Superficially, the ruler of a native state was independent and ruled the state on his own will. The ruler was the authority to make policies for his state. In the case of Bhils residing in the state of Mewar, they were suffering due to the imposition of new socio and economic system and the administrative measures. The grievances of Bhils rallied around the agrarian problems. This establishes the fact that the tribals had settled down to the occupation of agriculture.¹⁰ Earlier the Bhils were known for plundering and casual banditry¹¹ but with the passage of time, they had settled down as agrarians.

The British imperial power had made changes in the administration of India according to its benefits. However, their direct administration was in British India only. The British had amended the policies, which were earlier in practice relating to forests, land and trade. The changes regarding forests and land mainly affected the tribals inhabiting them. Although the British power feigned that these changes were being made for the development of these areas but it was for smooth administration and collection of more revenue by the sources, which were otherwise not exploited by the previous rulers.¹² In British India, the colonial regime infiltrated in the forest areas and tactfully ruptured the strong hold of the tribals. The tribes were exploited not only by the British colonial rule but also by their own countrymen who were emboldened due to the support of British power behind them.

On the other hand, in native states, the policies of the state were under the control of the administrator of the state, the ruler. Ironically, these princes would not oppose the 'instructions' and 'advices' provided by the Resident residing in their states. Regarding the policy relating to the forests and land, the rulers of native states had also made changes on the behest of the British colonial power. The Maharaja of Mewar had levied taxes on grass, wood, mahua leaves and mangoes¹³. Earlier these were free for the use of the tribes. The measurement of the land taken by the state and fixation of land revenue according to the produce created resentment in the tribes. Thus on economic front, the state of Mewar deprived the Bhil tribe from their privileges, which they had as in the capacity of inhabitant of the forests.

Not only in the economic sphere, the Bhils felt threatened and were annoyed as they perceived danger on their social and tribal autonomy. Generally, the rulers of Mewar held the Bhils in special position. There was a practice of performing 'Tika' at the time of coronation of the ruler of Mewar, done by a Bhil chief. It had two reasons. Firstly, respecting their help provided to Maharana Pratap and secondly as Rajputs considered the significance of the Bhils in the process of consolidating their kingdom in the region of Mewar.¹⁴ Thus the Bhils had the respectable position and enjoyed their tribal autonomy. They had their village chiefs and abided by their social customs. This all was disturbed by bringing the Bhils under the rule of the state. The reason behind these changes in the old policies of the state, was the pressure of the British imperial power.

Thus there were many reasons for the discontentment of the Bhils towards the state of Mewar and the British power. The immediate cause of the uprising of 1881 in Mewar was the apprehension of the Bhils regarding some policies being implemented by the state of Mewar. The Census Operations were being conducted in 1881 in the state of Mewar. It was on the direction of the British colonial power. Already there was much discontentment among the Bhils. This became the immediate reason for the uprising. The Bhils apprehended that there would be new taxes levied on them. They also had a notion that the government of British India wants to recruit their young men for the Afghan war. Apparently their beliefs were reinforced by their earlier experiences of repression by the state.¹⁵

The revolt broke out on 25 March, 1881 in Padona, a village twenty-five miles away from Udaipur. The revolt swiftly spread in no time to the other areas also like Barapal, Tidi. The ruler of Mewar sent forces under command of his able officers to crush the revolt. As a result, more villages like Bheelak, Pipli, Saron joined the revolt.¹⁶

The Maharana of Mewar realised the losses and decided to start negotiations with Bhils to end the conflict. Shyamal Das was appointed by the Maharana for negotiations on the basis of moderation and leniency towards them. The place of Rikhabdeo was finalised for the conference to be held on 18 April, 1881.

The British imperialist power, who had vested interest in the native states, became cautious. They followed the events of the revolt and responded. Colonel Blair reached Udaipur on April 1881 from Mount Abu. The British intervened in the negotiations and made endeavours to persuade Bhils for the peace.¹⁷ The British power was concerned of the uprising as it could affect their commercial interests that they had in the state of Mewar. More or less the reasons behind the uprising were the changes made by the state in the administration for which the British intervention was responsible. The British colonial power got cautious because it was facing the resentment and the disturbances against their policies in British India also.

Initial attempt was failed but the representative of the Darbar of Mewar, Shyamal Das succeeded in reopening

the negotiations. Eventually, a twenty-one point Agreement was signed between the revolting Bhils and the Darbar of Mewar.¹⁸ The Bhils achieved their aim of settlement of their grievances regarding all the aspects with which they were discontented- administrative mismanagement by the state of Mewar, disturbing the society and social customs and beliefs of Bhils and economic demands by the state, according to Bhils, which was very high, through this agreement.

Conclusion - During the British colonial rule in India, the nation was governed by two different set ups- one was British Indian government and the other was native Indian states. But the British power exercised its sway on the native states according to the benefits it wanted to procure from them. Thus, it made the states to follow certain policies, which were directed to them by British power and the states followed them as declaring their policies. Generally, the native rulers had concern for their subjects. This indirect control by the British power created problem, as it was not concerned with the losses to the people from those policies. The Bhil uprising was a result of this political system prevailing in India at that time. A simple tribe, the Bhils, became annoyed by the highhanded attitude of their ruler of Mewar who was following the directions of the British colonial power and this discontentment resulted in the form of the revolt of 1881.

References:-

1. Phadnis, U.; Towards the Integration of the Indian

States, Asia Publishing House, 1968, Bombay, pg. 2
 2. Low, Sir Sidney; The Indian States and Ruling Princes, Ernest Benn Ltd., Bouverie London, p. 33
 3. File no 19-2- 46; Punjab States Agency, National Archives of India, New Delhi.
 4. Vashistha, V.K.; Role of Gandhi's Ideas in Mobilization of Adivasis of Southern Rajputana Princely States, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, Preface
 5. Ibid. Preface
 6. Verma, R.C.; Indian Tribes through the Ages, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, pg. 26
 7. Chacko, P.M.:(edt.), Pathy, Jagannath,; Tribal Communities and Social Change, pg. 35
 8. Prabhakar, M. Cultural Heritage of Rajasthan, Panchsheel Prakashan, Jaipur, 1972, pg. 20
 9. Mathur, L.P.; Resistance Movement of Tribals of India, Himanshu Publication, Udaipur, 1988, pg. 8
 10. Singh, C.S.K.; Tribal Movement in Rajasthan, Manak Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 1995, pg. 44
 11. Mathur, op.cit., pg. 67
 12. Verma, op.cit., pg. 26
 13. Mathur, op.cit., pg. 73
 14. ibid, pg. 9
 15. Singh, op.cit., Singh, pg. 44
 16. ibid, pg.79
 17. ibid., pg. 79
 18. Mathur; op.cit., pg. 81-82

पश्चिमी मालवा की पारम्परिक मनोरंजक लोक कलाएँ

ईश्वरलाल औसारी *

शोध सारांश - पश्चिमी मालवा की मनोरंजन कला परम्परा को दो रूपों में देखा जा सकता है-प्रदर्शनकारी पारम्परिक विधाएँ, और रूपंकर कलाएँ। स्वरूप के आधार पर प्रदर्शनकारी कला परम्परा को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है -गायन, और नृत्य/नाट्य। परम्परा में नृत्य और गायन कोई प्रदर्शनकारी वस्तु नहीं होती रीतियों के निर्वाह में अक्सर विशेष पर नृत्य और गायन किए जाते हैं। जन्म, सगाई, विवाह, पर्व-त्यौहार अथवा खुशी के क्षण होते हैं। अवसर विशेष पर किए जाते नृत्य और गायन के पीछे ठेठ प्रदर्शनकारी भाव नहीं होते। ऐसे नृत्य -गायन में कोई भी किसी भी स्थिति में उन्मुक्तता से शामिल हो सकता है। परम्परा में दक्षता की दरकार नहीं होती। आनन्द के क्षणों को द्विगुणित करने तथा परिपाटी के अनुगमन में व्यक्ति की भागीदारी का महत्व परम्परा में सबसे अधिक है। फिर वह भले ही नाचना जानता हो और न गाना जानता हो। ऐसी रस्मों में माँ अथवा बुआ को विवाह मंडप में एक बार नाचना होता ही है। यहाँ व्यक्ति और नृत्य परम्परा की महत्ता दोनों महत्वपूर्ण हो उठती है।

शब्द कुंजी - पश्चिमी मालवा, लोक कलाएँ, गायन, कलगी।

प्रस्तावना - लोक नाट्य और कथा गायन को छोड़कर कोई भी पारम्परिक विधा ऐसी नहीं थी, जिसका रूप मंचीय दृष्टि से प्रदर्शनकारी हो। ये विधाएँ भी किसी न किसी पर्व-त्यौहार अथवा अनुष्ठान से जुड़ी रही हैं। कई लोक विधाओं में प्रदर्शनकारी तत्वों का समावेश स्वाभाविक रूप से रहा है। कलगी-तुरा एक ऐसी ही विधा है। पिछले पचास वर्षों में पारम्परिक लोक और जनजाति कलाओं की शक्ति और ऊर्जा की तरफ बुद्धिजीवियों का ध्यान गया है। लोकगीत बिना वाद्य संगीत के हजारों वर्षों से गाए जा रहे हैं। लोकगीतों की लोकधुने इतनी सहज और सरल होती हैं कि कोई भी कण्ठ उसे गा सकता है।¹

गायन-(अ) स्त्रीपरक लोक-गायन-पश्चिमी मालवा में स्त्रीपरक और पुरुषपरक अलग-अलग गीत गाए जाते हैं। स्त्रीपरक गीत प्रायः पारम्परिक होते हैं और विभिन्न संस्कारों तथा अन्य अवसरों पर गाये जाते हैं। स्त्रीपरक गीत समूहगीत होते हैं। हमारे यहाँ पारम्परिक गीतों के गायन को प्रदर्शनकारी बनाया गया है। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ब) पुरुष परक लोकगायन-पश्चिमी मालवा में यह एक आश्चर्य का विषय है कि महिला संबंधी सारे लोकगीत बिना संगीत के गाए जाते हैं और पुरुष परक लोकगायन प्रायः वाद्य संगीत के साथ होता है।²

पुरुषपरक गायन प्रायः वाद्य संगीत के साथ होता है। संतसिंगाजी भजन कलगी-तुरा निरगुणिया लोकपद गायन, मसाव्या गीत, ग्वलन गरबी आदि पुरुषों की समूह गायन की विधाएँ हैं।

लोक संगीत-पश्चिम मालवा का लोकराग बहुत समृद्ध है। निमाड के लोकसंगीत का मूल स्वर मध्यम है, जिसे षड्र में गाया जाता है, और मूलराग भोपाली है। पश्चिमी मालवा का लोक संगीत सामुहिक स्वर में खिलता है। चाहे स्त्रीपरक गायन हो या पुरुष -परक हो, पश्चिम मालवा का लोक संगीत विन्ध्य सतपुडा की ओर नर्मदा की लहरियों उपजा संगीत है। वाद्यों में केन्द्रीय वाद्य मृदंग या मिरधिंग है, सहायक वाद्य झाँज है। ढोल थाली पश्चिमी निमाड

का मांगलिक वाद्य है।

कलगी-तुरा- कलगी-तुरा एक प्रतिस्पर्धात्मक गायन शैली है। यह कर्नाटक से लगाकर उत्तर प्रदेश तक कलगी-तुरा गायन की परम्परा है। पश्चिमी मालवा में कलगी-तुरा गायन की बहुत पुरानी परंपरा है। इसकी बोली भी निमाडी है। चंग की थाप पर रात-रात भर कलगी तुरा गायन की स्पर्धा होती है।³ इसके गायन के दो-दो दल होते हैं। एक कलगी दल दूसरा तुरा दल। सवाल जवाब की शैली में कलगी तुरा गायन सुनने के लिए हजारों लोग जुड़ते हैं। कलगी तुरा आशु कविता का मंचन होता है। जिसे अखाडा कहा जाता है।⁴ महाभारत की कथाओं, पौराणिक आख्यानों से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं, वर्तमान प्रसंगों को तात्कालिक कविता में सवाल-जवाब में पिरोया जाता है। कलगी-तुरा की गायकी की अनेक हस्तलिखित पोथियाँ हैं। प्रत्येक दल के गुरु अथवा उस्ताद होते हैं, जो रचना करते हैं और मुख्य गायक को गाने के लिये देते हैं। पश्चिमी मालवा में कलगी-तुरा के अनेक गायक, गुरु हुए हैं। वर्तमान में श्री सुमेरसिंह सुमन के परिवार के सात-पीढियों से तुरा गाया जाता है और रामलाल सौलंकी तथा आनंदराम कुशवाहा के यहाँ पीढियों से कलगी गायन किया जाता है।⁵

कलगी तुरा-सवाल कलगी -

श्रीराम गया मर्यादा गई, नहीं रही रसाण ई नी वाणी मऽ

कलियुग मऽ कहां सत्य बता, यो धरम् मिल्यो धूल धाणी मऽ।

जवाब कलगी-

श्री राम छोड़ मर्यादा गया, क्यो बोल उल्टी वाणी मऽ।

सत् पऽ अटल हो सती जती, नही धरम मिलऽधूल धाणी मऽ।

संत सिंगाजी गायन- संत सिंगाजी निर्गुण धारा के सबसे तेजस्ती लोक कवि हुए। इनके गुरु संत मनरंगगिर थे। सिंगाजी पश्चिमी मालवा जनजीवन और काव्य चेतना के पित्र पुरुष हैं। सिंगाजी की सहज समाधि साधना के मूलमंत्र ने निमाडी लोकजीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। सिंगाजी कबीर के उत्तरवर्ती समकालीन थे। संत सिंगाजी ने 1100(ग्यारह सौ)

आध्यात्मिक पद रचे थे। आज से 500 वर्ष पहले संत सिंगाजी ने निमाड़ी बोली को प्रमाणित रूप से प्रतिष्ठित किया। संत सिंगाजी ने झाँझ और मिरदिंग को महत्व दिया। निमाड़ी लोकधुनों का सात्विकता के साथ प्रयोग किया इसका परिणाम यह हुआ कि झाँझ मृदंग पर उच्च स्वर में गाने वाली शैली की निमाड़ में सैकड़ों मंडलिया विकसित हुई। आज भी कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ एक न एक सिंगाजी भजन गाने वाली मंडली न हो।

पाप का पालवा कटावजों,

काटो बायर राला

कर्म की काशी ऐचाडजों, खेती चौखी थाया। खेती खैडो रे हरिनाम की।⁷

नाथ पंथी गायन – पश्चिमी मालवा में नाथपंथी गायन की परंपरा है। रेकडी पर प्रायः नाथ जोगी गौरख वाणी और भरथरी गोपीचंद की गाथा गाते हुए प्रभात में देखे जाते हैं। पश्चिमी मालवा में नाथ जोगी भगवा वस्त्र पहनते हैं। इनमें कुछ सन्यासी होते हैं और कुछ गृहस्था गृहस्थ नाथ जोगी भैरु झोली भी उठाते हैं। इसमें गुरु गौरखनाथ का रूप धारण किया जाता है। गौरखनाथ चिन्ह धारण किए जाते हैं। ये शंख, सिंगी, सेली, भभूति और धूधरा रूद्राक्ष की माला, चिमटा, पैर में पेजन आदि से श्रंगार करते हैं। शरीर पर रंगीन झंडिया बांधते हैं। कंधे पर झोली टांगते हैं। सुबह-सुबह नाथ महिलाओं के प्रभाति सामूहिक स्वर अत्यंत मधुर और मोहक होते हैं। आशीष भी ये महिलाएँ गाकर देती हैं। दिए गए धान में से कुछ दाने पात्र में शुभ कामना के साथ नाथ महिलाएँ वापस डालना नहीं भूलती। इस रस्म का मतलब घर में धन-धान्य भरे रहने से है। दूसरे घर जाकर ये महिलाएँ यही काम दोहराती हैं। परभाती राह चलते हुए गाती हैं और गौरखवाणी बैठकर गाती हैं।⁸

नृत्य – पश्चिमी मालवा के प्रदर्शनकारी मनोरंजन कला विधाओं की परंपरा बहुत समृद्ध नहीं है। फिर भी गणगौर काठी, डण्डा नृत्य, कलगी-तुर्रा गायन और गम्मत ऐसी लोक विधाएँ हैं जिनका रूपा पारम्परिक प्रदर्शनकारी है।⁹

गणगौर नृत्य – गणगौर पश्चिमी मालवा का एक पारम्परिक आनुष्ठानिक नृत्य है। यह नृत्य गुजरात, राजस्थान, मालवा में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। चेत्र शुक्ल तृतीया को इसका मुख्य उत्सव आयोजित होता है। मनोहर वस्त्राभूषण से अलंकृत कर गणगौर की यात्रा निकाली जाती है। गणगौर एक लोकदेवी है, जो पार्वती का प्रतीक है, गणगौर के पति ईश्वर राजा को शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य माना गया है। गणगौर गीतों के साथ नृत्य परंपरा भी जुड़ी है।¹⁰ गणगौर दो तरह के होते हैं। एक झालरिया दूसरा झैला। झालरिया नृत्य में स्त्रियाँ अलग समूह में और पुरुष अलग समूह में हिस्सा लेते हैं। झालरिया नृत्य करते समय रणुबाई के रथ बीच में स्थापित होते हैं। रणुजी का उत्सव जहाँ-जहाँ होता है, वे सब स्थान रूणिजा नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं, जैसे रूणिजा उज्जैन की बडनगर तहसील में, मंदसौर के सुवासरा के पास और राजस्थान के रामदेवजी के तीर्थ के रूप में तो विख्यात भी है।¹¹

गणगौर नृत्य के मुख्य वाद्य ढोल और थाली हैं, झैला नृत्य में गणगौर याणी रणुबाई धणियर के रथ सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। गणगौर के निमित्त मालवी निमाड़ी में अनेक गीत हैं। एक गीत में कहा गया है – थारों काय-काय रूप बखाणूँ रणुबाई सौरठ देशे से आई है।¹²

गणगौर पर्व के अवसर पर सुहागवती महिलाएँ अपने-अपने मोहल्लों से टोलियाँ बनाकर उल्लासपूर्ण वातावरण में निकलती हैं। किसी-किसी महिला के सिर पर माता पार्वती की प्रतिमा रखी होती है। महिलाएँ गीत के साथ उमंग में नृत्य करती हुई गाजे-बाजे के साथ किसी तालाब, पनघट, नदी या

जलाशय के तट पर पूजा के लिए जाती हैं वहाँ खुलकर नृत्य किया जाता है।¹³

गरबा नृत्य – पश्चिमी मालवा के लोग नृत्य मनोरंजन की परंपरा में गरबा नृत्य भी पश्चिमी मालवा के सांस्कृतिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। इसे देवी दुर्गा के आराधना स्वरूप किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है किन्तु किशोरियाँ ही विशेष रूप से इस नृत्य में सम्मिलित होती हैं। कुँआर मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (पडवा) से प्रारंभ होकर यह नृत्य शरद पूर्णिमा तक चलता है। देवी के प्रति समर्पण भाव की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति इस नृत्य की विशेषता होती है। किशोरियाँ विश्वास का प्रतीक एक घट की स्थापना करती हैं, जिसे गरबा घट कहते हैं। यह घट गरबा नृत्य का केन्द्र बिन्दु होता है। प्रतिदिन शाम को श्रुद्धालु महिलाएँ इस पवित्र घट की पूजा करने के लिए एकत्रित होती हैं। पूजा अर्चना के उपरान्त गरबा गीतों के साथ विभिन्न पैतरों में प्रारंभ होता है। महिलाएँ हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे से लडाती हुई नृत्य में मग्न हो जाती हैं।¹⁴

काठी नृत्य – काठी पश्चिमी मालवा का पारम्परिक लोक नृत्य है। पार्वती की तपस्या से संबंधित काठी मातृ पूजा का त्यौहार नृत्य है। ढाँक काठी का मुख्य वाद्य है। काठी नर्तक लाल बाना पहनकर गाँव-गाँव जाकर नाचते-गाते हैं। काठी नर्तकों की वेशभूषा अधिक कल्पनाशील होती है। जिसे बाना कहा जाता है। हरिश्चंद्र सुरियालो महाजन, गोडेन नार, भिलणों बाल आदि लम्बी-कथाएँ काठी नृत्य के साथ गाई जाती हैं। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्री को होता है। महाशिवरात्री को यह काठी नृत्य दल पचमडी, सिरवेल महादेव, बीजगढ, चारुबा, बडकेश्वर महादेव मंदिर में पहुँचकर जल चढाते हैं, वहाँ काठी के कई दल दिनभर नाचते गाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं।¹⁵

जनजाति नृत्य – मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भील पश्चिमी मालवा के झाबुआ, धार, खरगौन एवं रतलाम जिले में निवास करती है। पश्चिमी मालवा के भीलों के नृत्य विभिन्न त्यौहारों और सांस्कृतिक, सामाजिक अवसरों पर वर्ष भर होते रहते हैं। भीलों का मादक पेय पदार्थ 'ताडी' है। भील लोग ताडी पीकर नृत्य में मग्न हो जाते हैं। भीलों का प्रमुख लोक नृत्य भगोरिया नृत्य है।

भगोरिया नृत्य – भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा होती पर्व के अवसर पर तीन चरणों में संपन्न होता है। यह भीलों की प्रसन्नता मस्ती एवं प्रणय का पर्व है। भगोरिया हाटों में अनेक युवक और युवतियाँ प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं।¹⁶

भगोरिया नृत्य का स्वरूप – भील जनजाति भगेरा देव की पूजा के लिए भगोरिया नृत्य का आयोजन करते हैं, भंगोरिया हाट में रंग-बिरंगे परिधान (वस्त्र) से सुसज्जित होकर भील आदिवासी सपरिवार एकत्रित होते हैं। भील महिलाएँ पकवान और पूजा की सामग्री बोडनी (झापी, टोकनी) में रखकर भगोरिया स्थल पर इष्टदेव का एक स्तम्भ गाडा जाता है और चारों ओर बोडनिया रखी जाती है। भीलों की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार गांव का पटेल या मुखिया ढोल पर अपने हाथों से पहली थाप मारता है। उसके तत्काल बाद अन्य वादकगण अपने-अपने ढोल, मांदल, कुण्डी, पावली, पावला, शहनाई, आदि बजाना प्रारम्भ करते हैं। वाद्यों के सामूहिक निनाद के साथ ही भगोरिया नर्तक उछलकर नृत्यरत हो जाते हैं। साथ ही एक दूसरे से भेट का आदान प्रदान चलता है, और भगेरा देव का पवित्र प्रसाद वितरित होता रहता है। नृत्य का आकर्षण आनंद और मादकता इतनी आकर्षक होती है, की इससे बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, आदि कोई भी इससे अछूता नहीं रहता।

उत्सव का समापन भगोरिया हाट का सामूहिक चक्कर लगाकर किया जाता है। इससे बाजार बांधना कहते हैं। समापन के पश्चात प्रत्येक भील परिवार भगेरा देव का प्रसाद लेकर अपने घर इस कामना के साथ जाता है, कि देवता की कृपा से आने वाले समय खुशहाली और सम्पन्नता के साथ व्यतीत होगा, देवता उसकी रक्षा करेंगे। यह नृत्य गोल घेरे में शरीर को हिलाकर और पैरों कूद के साथ उछालकर किया जाता है। प्रत्येक पुरुष नर्तक के हाथों में तीरों का मूठा और कमान होती है। अतः महिलाओं के सिर पर बोढनी रखी रहती है। जिससे वह एक हाथ में पकड़कर नृत्य करती है। नृत्य गीत के साथ भी होता है और बीना गीत के भी किया जाता है। इस प्रकार भगोरिया नृत्य पश्चिमी मालवा की जनजातियाँ लोक परम्परा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है।

लोक नाट्य- पश्चिमी मालवा में लोक नाट्य की लम्बी परम्परा है। इन पारंपरिक लोक नाट्यों में ठोठ्यों, पाती, गम्मत, रामलीला, रासलीला को गीना जा सकता है। इनमें रामलीला उत्तर प्रदेश से तथा रासलीला गुजरात से आई है। शेष प्रवृत्तियाँ निमाड (पश्चिमी मालवा) की संस्कृति से पनपी और विकसित हुई है।

गम्मत - गम्मत पश्चिमी मालवा का पारंपरिक लोक नाट्य है। निमाड में गम्मत को ही पूर्व लोक नाट्य विधी माना जा सकता है। गम्मत कहने मात्र से नाट्य की प्रतिति होती है। निमाड में उसे उसी अर्थ में गृहण करते हैं। गम्मत नवरात्री, गणगौर तथा होली पर किए जाते हैं।

गम्मत पश्चिमी मालवा का लोकरंग है। विशेषकर नवरात्री में गाँव-गाँव में गम्मत का मंच चारों और से खुला होता है बीच में खंबा गाड कर चारों और कपडे चंदौवा, तान देते हैं। इसी के नीचे गम्मत की जाती है। गम्मत में विदुशक होता है जिसे कुडगारियाँ कहा जाता है। कुडगारिया गम्मत का प्रमुख पात्र होता है गणेश व सरस्वती वंदना के बाद नर्तकी का नाच व बाद में प्रमुख गम्मत शुरू होती है। गम्मत शुद्ध मनोरंजन के साथ-साथ समसामयिक घटनाओं की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। हास्य और व्यंग गम्मत की खसियत है गम्मत में मृदंग और झांझ प्रमुख वाद्य होते हैं।¹⁸

रामलीला एवं रासलीला - भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आस-पास पश्चिमी मालवा के गाँव में रासलीला का आयोजन किया जाता है। कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं की प्रस्तुति के लिए रासलीला में की जाती है। मुख्यरूप से कृष्ण जन्म, माखन चोरी, कंस वध, आदि प्रसंग रासलीला में किये जाते हैं। प्रसंगों की प्रस्तुती परम्परागत होती है। गीत, नृत्य और संगीत का समन्वय रासलीला में प्रमुख रूप से होता है। गाँव में रासलीला करने की जगह निश्चित होती है। जिसे रासमंडल कहते हैं। रासलीला में विदूषक और अन्य पात्र अपने अभिनय से गावों के दर्शकों को बांधे रखते हैं।

ढकलावाद तहसील बद्धा जिला खरगौन द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन पश्चिम मालवा में अप्रैल मई से (बालकराम रामलीला मंडल) ग्राम में किया जाता है। इसमें रामजी के जीवन प्रसंगों की प्रस्तुती नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती है। 19 जिसमें मुख्य रूप से रामवनवास, सीता हरण, रावणवध, को बढे ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के बीच में डांस (फिल्मी) भी किया जाता है जो दर्शकों को बांध कर रखता

है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी मालवा में अनेक समृद्ध और पारम्परिक मनोरंजन कलाएँ विद्यमान हैं। जो पश्चिमी मालवा के एक अलग संस्कृति के रूप में रेखांकित करती है।²⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निरगुणे बसंत, (नवम्बर -फरवरी 2000) चौमासा , निमाड की संस्कृति और साहित्य भोपाल पृ0 482.
2. राजपुरोहित डॉ भगवतीलाल, (1999) मालवी संस्कृति और साहित्य, भोपाल पृ.482
3. जोशी डॉ (1999 अंक 48) चौमासा प्र.च.मालवी में तुरा किलंगी का स्वरूप, भोपाल पृ.39
4. शर्मा डॉ धर्मनारायण (2000) मालवा का लोक नाट्य माच और अन्य विधाएँ पृ. 102
5. राजपुरोहित डॉ भगवतीलाल (1999) मालवी संस्कृति और साहित्य पृ. 513
6. निरगुणे बसंत, (नवम्बर -फरवरी 2000 अंक 50-51) चौमासा , निमाड की संस्कृति और साहित्य भोपाल पृ0 151
7. -वही-पृ.152
8. मो.शरी (1999) मध्यप्रदेश का लोक संगीत म.प्र.हिन्दी ग्रंथ एकादमी भोपाल पृ. 3171
9. निरगुणे बसंत, (नवम्बर -फरवरी 2000) चौमासा ,निमाड की संस्कृति और साहित्य भोपाल पृ. 154
10. -वही-पृ. 154
11. राजपुरोहित डॉ भगवतीलाल (1999) मालवी संस्कृति और साहित्य पृ. 407,408
12. चौबे अरुणा, (मार्च-जून 2002, अंक 58) चौमासा वृत्तों की कहानियाँ, पृ. 157
13. मो.शरी (1999) मध्यप्रदेश का लोक संगीत म.प्र.हिन्दी ग्रंथ एकादमी भोपाल पृ. 90
14. -वही - पृ.91
15. निरगुणे बसंत, (नवम्बर -फरवरी 2000) चौमासा ,निमाड की संस्कृति और साहित्य भोपाल पृ0.154
16. मो.शरी (1999) मध्यप्रदेश का लोक संगीत म.प्र.हिन्दी ग्रंथ एकादमी भोपाल पृ. 57
17. -वही- पृ 58
18. निरगुणे बसंत, (नवम्बर -फरवरी 2000 अंक 50-51) चौमासा , निमाड की संस्कृति और साहित्य भोपाल पृ0 156
19. -वही- पृ.156
20. व्यक्तिगत साक्षात्कार, चाचरिया, अरविंद, ग्राम ढकलगांव त. बढवा जिला खरगोन म.प्र. ।

संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

बिन्दू त्रिपाठी *

प्रस्तावना - संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध प्रारम्भ से ही भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तनों में अग्रणी रहा है। वर्ष 1858 ई० को भारत की सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ जाने पर दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया तथा प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गयी। वर्ष 1877 ई० ब्रिटिश प्रशासन ने उत्तर पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेंट का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर के पद को एक कर दिया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को 'उत्तर पश्चिम प्रदेश आगरा और अवध' कहा जाने लगा।¹ 1902 ई० में इस प्रान्त का नाम 'आगरा और अवध संयुक्त प्रान्त पड़ा। 1921 ई० को ब्रिटिश सरकार ने एक गर्वनर की नियुक्ति करके इस प्रदेश का नाम 'संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध' में परिवर्तित कर दिया।²

संयुक्त प्रान्त की भौगोलिक सीमाएँ अत्यन्त विस्तृत हैं। यह प्रान्त भारत के उत्तरी भाग में अक्षांश ' 23°52 से ' 31°28 उत्तरी अक्षांश तक है। तथा ' 77°3' पूर्वी देशान्तर में ' 84°30 पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। यदि हम इस प्रान्त की सीमाओं का अध्ययन करें तो पूर्व से पश्चिम तक इस प्रान्त की लम्बाई 650 किमी एवं उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम चौड़ाई 240 कि०मी० थी। प्रान्त का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,13,495 वर्ग मील था। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/11 भाग है।³ यह ब्रिटिश प्रशासन ही था जिसने प्रथम बार जमींदारी के रूप में निजी सम्पत्ति की सृष्टि की। अपनी निष्ठा की प्रामाणिकता के लिए इस वर्ग द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन में अंग्रेजों का साथ देकर राष्ट्र विरोधी कार्य किए। यही कारण है कि इस वर्ग को राष्ट्रद्रोही वर्ग भी कहा जाने लगा।⁴ अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर यह जनता का अनेक प्रकार से शोषण करते थे। हिन्दी साहित्य के विद्रोही कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से जमींदारों के अत्याचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है -

वे व्यापार वे जमींदार।
वे हैं लक्ष्मी के परम भक्त।।
वे निपट निरामिष सूदखोर।
पीते मनुष्य का उष्ण रक्त।।⁵

जमींदारों द्वारा करों के बोझ से दबी प्रान्त की जनता की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया गया। अंग्रेजों के कृपापात्र बने रहने के कारण यह सदैव ही अंग्रेजी शासन के पक्ष में कार्य करते थे और प्रान्त के निम्न वर्ग विशेषकर कृषकों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। लगान के निर्धारण का तरीका बहुत असंतोषजनक था। कृषकों द्वारा लगान न दे पाने की स्थिति में कृषकों पर अत्याचार किए जाते थे। कृषकों को एक बीघा भूमि

पर एक रूपया लगान देना पड़ता था। जिसमें 4 आना ब्रिटिश सरकार अपने पास रखती थी और शेष धन जमींदारों की जेबों में जाता था।⁶ 20 से 25 की संख्या में हरिजन पूरे दिन निर्माण कार्य करते रहे। पूरे दिन मेहनत करने के पश्चात जब मजदूर अपना पारिश्रमिक लेने के लिए एकत्र हुए तो जमींदार ने अपने सेवक को आदेश दिया कि सभी मजदूरों को पूरे दिन के पारिश्रमिक के रूप में 10-10 जूते मार दिए जाएँ। प्रताड़ित करने के पश्चात उन मजदूरों को भगा दिया गया।⁷ काम करवाने के पश्चात जमींदार मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में शोषण करते थे।⁸ यदि किसी जमींदार के घर में विवाह या अन्य कोई सामाजिक समारोह होता था तो एक सप्ताह पूर्व ही वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गावों के ग्रामवासियों को अपने घर का दूध व अन्य खाद्य पदार्थ उसके के घर पहुँचाने का आदेश देता था।⁹ ये धनाढ्य वर्ग श्रमिकों का शोषण करते तथा लाभ प्राप्ति के लिए श्रमिकों से अनेक सामर्थ्य से कहीं अधिक कार्य लेते थे परन्तु इस वर्ग द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग व समर्थन दिया गया।¹⁰

अंग्रेजों की औद्योगिकरण की नीति के फलस्वरूप प्रान्तीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे। जगह जगह कारखाने लगाए जा रहे थे। प्रारम्भ में इन कारखानों की संख्या 255 थी जो कुछ समय पश्चात 582 की संख्या तक पहुँच गए थे। कारखानों की अधिकता से मजदूरों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई। मजदूरों की संख्या 72545 से बढ़कर 1,53,147 हो गयी थी।¹¹ हमें ब्रिटिश प्रशासन को सचेत कर गरीबी को समाप्त करना होगा वर्तमान सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आर्थिक असमानता शीघ्र समाप्त नहीं की गयी तो परिणाम बहुत घातक सिद्ध होंगे।¹²

1935 से पूर्व की गयी हड़ताले कभी भी संगठित रूप से नहीं की गयी थी। यही कारण था कि अंग्रेज अधिकारी अपनी शक्ति के बल पर इन हड़तालों को दबा दिया करते थे। श्रमिक वर्ग सरकारी अधिकारियों व धनाढ्य वर्ग के शोषण से बहुत त्रस्त था। उस समय के विद्रोही कवि कहे जाने वाले महाकवि निराला ने सरकारी अधिकारियों व्यंग्य करते हुए अपने काव्य संग्रह में लिखा है -

लेडी जमींदारों को आँखों तले रखे हुए।
मिलों के मुनाफे खाने वालों के अभिन्न मित्र।।
देश के किसानों, मजदूरों के भी अपने लगे।
विलायती राष्ट्र से समझौते के लिये।
गले का चढ़ा बोझ आजी का नहीं गया।।¹³

एक अन्य स्थान पर भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए जनता को आंदोलित किया गया-

जमींदार की बनीं।
महाजन धनी हुए है।
जग में भूत पिशाच
धूर्तगन गनी हुए है।¹⁴

इन कवियों के माध्यम से लेखकों, कवियों ने जनता को जागृत किया। जमींदारों द्वारा अनैतिक अत्याचार, निर्धन ग्रामीण कृषकों की विवशता, सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की असहायता और कृषकों व श्रमिकों के मस्तिष्क में बने भारतीय संस्कारों की असफलता का चित्रण कर जनता को वास्तविकता से अवगत कराया था। भगवती चरण वर्मा ने इसी समय में 'राजा साहब का वायुयान नामक कविता में राजा और जमींदारों द्वारा जनता के शोषण पर तीखे व्यंग्य पूर्ण रचना प्रस्तुत की -

क्या नहीं सुना तुमने अब तक।
है मोल ले रहे जमींदार।
पौने दामों पर सकल धान।
इस तरह हो रहा है वसूल।
इस साल बंधा डयोदा लगान।
इसलिये क्योंकि है मोल लिया।
राजा साहब ने वायुयान।¹⁵

भारत के आर्थिक शोषण को हिन्दी साहित्य के महाकवि ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक 'भारतेन्दु रचनावली' में लिखा है -

भीतर-2 सब रस चूसै, हेंसि के तन मन धन मूसै।

जहिर बातन में अति तेज, क्यो सखि सज्जन नही अंग्रेजा।¹⁶

20वीं शताब्दी में आर्थिक जीवन बहुत धीमा था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण गरीबी बढ़ रही थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गेहूँ-2 आने का 1 मन, घी 1 आने का सबा सेर तथा धेला ढाई आने गज कपड़ा था।¹⁷ आधुनिक मशीनें वे औद्योगिकरण के कारण पुराने उद्योग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गए। अनाज का निर्यात होने के कारण भारतीयों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। मजदूर दास बनकर रह गये। करों का बोझ जनता के ऊपर इतना बढ़ चुका था कि राष्ट्रीय निर्माण विभाग ही इसका समाधान कर सकता था।¹⁸ आर्थिक मुद्दे राजनीतिक प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण थे। उद्योग धन्धों के पतन के सम्बन्ध में प्रो. गाडगिल का विचार था कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवर्तन हुए उन सब में सबसे अधिक नाटकीय घटना यहां के उद्योगों का पतन है। यह पतन अनायास एवं पूर्व रूप से हुआ था। अतः उनसे भी जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, देवबन्द, बरेली और लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग ने प्रान्त की जनता को देश भक्ति का पाठ पढ़ाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आन्दोलन के साथ साथ यू.पी. के नेताओं ने ही खिलाफत आन्दोलन का

नेतृत्व किया। इससे हिन्दू एवं मुस्लिम जनता प्रभावित हुई तथा उनमें पारस्परिक मेलभाव व सदभावना पैदा हुई। गांधीजी के जनउत्थान कार्यक्रमों से गरीब जनता को राहत मिली। वे रचनात्मक कार्यों में संलग्न हुए तथा कांग्रेस को एक वृहद जनाधार प्राप्त हुआ जिसे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को और भी तीव्र कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रेडडी, के. कृष्णा, भारत का इतिहास वर्ष 2000, पृ0सं0 12।
2. पूर्वोक्त।
3. वाजपेयी, कृष्णदत्त, उ.प्र. का सांस्कृतिक इतिहास, आगरा, 1962, पृ0सं02।
4. डॉ0 पाण्डेय, एस.के. युगीन भारतीय संस्कृति, मेरठ, प.स. 259।
5. डॉ0 शर्मा, उर्विजा, हिन्दी की हास्य व्यंग्यमयी कविता की सांस्कृतिक विवेचना, पृ.सं. 105।
6. बुलन्दशहर जनपद के स्वतन्त्रता सेनानी श्री महावीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, गांव व डॉ. रहमापुर स्यावली, जिला बुलन्दशहर उम्र 85 वर्ष से 10 अप्रैल 2004 को लिया गया व्यक्तिगत साक्षात्कार।
7. बुलन्दशहर जनपद के स्वतन्त्रता सेनानी श्री झम्मन लाल गौतम पुत्र पं. रघुदत्त सर्राफा बाजार, खुरजा, उम्र 89 वर्ष से 8 मई 2004 को लिया गया व्यक्तिगत साक्षात्कार।
8. पूर्वोक्त।
9. डॉ. पाण्डेय एस.के. युगीन भारतीय संस्कृति, मेरठ, पृ.सं0 260।
10. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, फाइल नं. जी.- 14, भाग 4 1939-40, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, पृष्ठ संख्या 138।
11. अखिल भारतीय कांग्रेस, कमेटी, आर्थिक नीति एवं कार्यक्रम, 1934-54, प.सं. 3, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।
12. डॉ. शर्मा ज्ञान प्रकाश हिन्दी की हास्य व्यंग्यमयी कविताओं का सांस्कृतिक विवेचन मेरठ, वर्ष 1982, पृ0सं0 151।
13. डॉ. शर्मा उर्विजा, निराला की हास्य व्यंग्यमयी कविताओं का सांस्कृतिक विवेचन, पृ.सं. 177।
14. वर्मा, भगवती चरण, मेरी कवितायें, दिल्ली वर्ष 1974 पृ.सं. 185।
15. हरिशचन्द्र भारतेन्दु, भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग 2, पृ.स. 81।
16. बुलन्दशहर जनपद के स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामफल पुत्र श्री गोर्वधन, गांव उलेड़ा, डॉ. खास जिला बुलन्दशहर उम्र 88 वर्ष से 8 मई 2004 को लिया गया व्यक्तिगत साक्षात्कार।
17. अमृत बाजार पत्रिका, 31 मार्च 1903 नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।
18. डॉ. पाण्डेय, एस.के., युगीन भारतीय सांस्कृतिक, पृ.सं. 263।

परमार राजा वाक्पति द्वितीय (मुंज राज) की उपलब्धियाँ

डॉ. शिवा खंडेलवाल*

प्रस्तावना - वाक्पति राज के मुंज, अमोघ वर्ष, उत्पलराज, पृथ्वी वल्लभ आदि अन्य नाम भी थे। सीयक द्वितीय के पुत्र वाक्पति द्वितीय लगभग 973 ई. में धार नगरी में परमार राज्य के उत्तराधिकारी हुए। नवसाह सांक चरित में वाक्पति को सिंधुराज का ज्येष्ठ भ्राता लिखा है, जो उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा।¹

मेरुतुंग ने वाक्पतिराज के जन्म और प्रारंभिक जीवन के संबंध में जो एक रोचक कथा दी है² वह ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होती कि कि मुंज राज सीयक का औरस पुत्र न होकर पाल्य पुत्र था। लगता है कि मुंज राज नाम की व्याख्या करने के उद्देश्य से यह अनुश्रुति प्रचलित हो गई कि मुंज के झुरमुट में फेंके हुए उस नवजात शिशु को सीयक ने देखा और स्वयं अपुत्रक होने के नाते उसे उठा लिया और उसे प्रेम से पाला पोसा और अन्त में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

मुंज के सिंहासनासीन होने पर मालवा में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ। वाक्पति राज प्रशासकीय और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में मालवा की बहुमुखी उन्नति का क्रियाशील प्रारंभकर्ता था। वास्तव में सांस्कृतिक क्षेत्रों में उसकी कीर्ति उसके भातृज राजा भोज के यश और गौरव से इतनी आच्छादित हो गई कि उसका ठीक मूल्यांकन दब सा जाता है। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भोज की बहुमुखी सफलताओं और उपलब्धियों की आधारशिला मुंज ने ही रखी थी। अतः उसका महत्व भोज से कम नहीं है। मालवा के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद वाक्पति ने सर्वप्रथम राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। राज्य के चारों ओर जो शक्तिशाली शासक थे, उनके विरुद्ध उसने अभियान किया।

कल्चुरियों के विरुद्ध अभियान-वाक्पति राज ने दक्षिण पूर्व में त्रिपुरी के कल्चुरी राजा युवराज को युद्ध में करारी मात देकर उसकी राजधानी पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया।³ उस समय के कल्चुरी शासक युवराज के पिता लक्ष्मण द्वारा अपनी कन्या बोंथा देवी का विवाह तैलप द्वितीय के साथ कर उससे मित्रता स्थापित करने के कारण तथा युवराज द्वितीय में सामरिक दक्षता न होने के कारण वाक्पति राज ने उसके विरुद्ध अभियान किया, जिसमें युवराज द्वितीय की पराजय हुई और राज्य के केन्द्र त्रिपुरी पर थोड़े समय के लिये अधिकार कर लिया। उदयपुर प्रशस्ति व चालुक्य विक्रमादित्य के कौथेम दान पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। किन्तु कल्चुरि राजधानी पर वाक्पति का अधिकार थोड़े ही दिनों तक रहा और वाक्पति ने कल्चुरियों से संधि कर उनका राज्य लौटा दिया।

मेवाड़ के गुहिल राज्य के विरुद्ध अभियान - उत्तर भारत में मिली सफलताओं से प्रेरित हो, वाक्पति राज ने अब मेवाड़ के गुहिल राज्य के

विरुद्ध सैनिक, अभियान किया। उस समय उसका शासक नरवाहन का पुत्र शक्तिकुमार था। हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट शासक धवल के बीजापुर अभिलेख (997 ई.) में लिखा हुआ है कि वाक्पति ने मेदपाट के गर्वस्वरूप अघाट (नगर) को नष्ट कर भागते हुए गुहिल राजा को धवल के यहाँ शरण लेने हेतु विवश किया। स्पष्ट है कि शक्ति कुमार की पराजय उसके मेवाड़ राज्य की अपनी ही राजधानी अघाट में हुई। वर्तमान अहर जो उदयपुर रेलवे स्टेशन के समीप है। अघाट को छोड़कर शक्तिकुमार का भागना और धवल के यहाँ शरण लेना मुंजराज की पूर्ण सैनिक सफलता का द्योतक है।

मारवाड़ के चाहमानों के विरुद्ध अभियान - गुहिलों के ऊपर विजय प्राप्ति से प्रलोभित हो अब वाक्पति राज ने पश्चिम में चाहमानों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। शोभित का उत्तराधिकारी बलिराज इस समय मारवाड़ के सिंहासन पर आसीन था। कल्याणी के चालुक्य राजा पंचम विक्रमादित्य के कौथेम अभिलेख में लिखा है कि 'उत्पल राज के आगमन से मारवाड़ के लोग कांपने लगे।' इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुंजराज ने मारवाड़ पर आक्रमण कर आतंक पैदा कर दिया था। मुंज के नेतृत्व में परमारों ने चाहमानों के विरुद्ध दबाव की जो नीति प्रारंभ की, वह कई दशकों तक चलती रही।⁴ परन्तु सुन्धा पर्वत अभिलेख में लिखा है कि उसने (बलिराज ने) मुंज की सेना को भंग कर दिया। परमारों की यह पराजय अवश्य ही 982 ई के बाद किसी समय हुई होगी क्योंकि यह तिथि लक्ष्मण के शासन काल की है। इस प्रकार दोनों के बीच संघर्ष के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनमें मुंजराज की चाहमानों पर विजय पुनः चाहमानों की मुंजराज के विरुद्ध सफलता के उल्लेख है।

हूणों के विरुद्ध अभियान - वाक्पति की हूणों पर विजय और उनके कुछ क्षेत्रों पर उसके अधिकार का प्रमाण उसके गाओनरी अभिलेख से मिलता है, जिसमें उल्लेख है कि उसने हूणमण्डलान्तर्गत स्थित वणिका ग्राम ब्राम्हणों के लिए दान दिया। संभवतः यह पराजित क्षेत्र इन्दीर महु और होशंगाबाद जिलों में स्थित था। चालुक्य राजा पंचम विक्रमादित्य के कौथेम अभिलेख में भी लिखा है कि 'उत्पल ने हूणों के प्राणों का विनाश किया।'

गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान - दक्षिणी मारवाड़ को जीतने के बाद वाक्पति ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज के विरुद्ध अभियान किया, यद्यपि उसने सामना किया पर वह परास्त हुआ। शासक के न होने से उसकी सेनाओं ने हरित कुण्ड के राष्ट्रकूट धवल से शरण मांगी क्योंकि बीजापुर उत्कीर्ण लेख में लिखा है, जब राजा मुंज के अचानक युद्ध से गुर्जर वति की शक्ति विनष्ट हुई तो उसकी सेनाओं ने धवल से रक्षा की याचना की और उसने उनको तुरंत रक्षा प्रदान की।

लाट प्रदेश के विरुद्ध अभियान - लाट प्रदेश (माही और ताप्ती नदियों के

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

बीच का समुद्र पर्यन्त क्षेत्र) वाक्पति के राज्य से इतना नजदीक था कि उस पर उसकी गिद्ध दृष्टि होना स्वाभाविक थी। उस पर तैलप द्वितीय की ओर से वारप और गोविगराज नामक चालुक्य सामंत शासन कर रहे थे। वाक्पति ने उनके विरुद्ध अभियान किया, उसकी उन सामन्तों से मुठभेड़ हुई और उसने निर्णायक विजय प्राप्त की। उदयपुर प्रशस्ति में भी लाट वासियों पर उसकी विजय का वर्णन है।

कर्णाट के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान - वाक्पति राज ने अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर मालवा के दक्षिण दिशा में स्थित कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान किया। राष्ट्रकूटों की शक्ति को समाप्त कर चालुक्य राज्य दक्षिणापथ की सर्वप्रमुख सत्ता तो बन गया था, पर वास्तव में परमारों की शक्ति को नष्ट किए बिना दक्षिण का स्थायी स्वामी बनना चालुक्य राजा तैलप द्वितीय के लिए असंभव था। अपने प्रारंभिक अभियान में असफलता के बावजूद वाक्पति को दक्षिण के विरुद्ध हुई अभियानों में तैलप के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई थी। मेरुतुंग के अनुसार युद्ध की अंतिम समाप्ति के पूर्व मुंज ने तैलप को 6 बार परास्त किया। अपनी विजयों से दर्पोन्मन्त हो उसने चालुक्यों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगाया। मंत्री रुद्रादित्य के मुंज के इस अंतिम अभियान को रोकने के सभी प्रयत्न विफल रहे। मुंज ने अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह को अनसुना कर गोदावरी नदी को पार किया और युद्ध में तैलप की छलकपटपूर्ण युक्तियों और बल प्रयोग के बाद उसके सैनिकों द्वारा कैद कर लिया गया। जहाँ तैलप की बहित मृणालवती से मुंज के मधुर संबंध हो गये। मालवा में मुंज के मंत्रियों द्वारा उसे वहाँ से भगा ले जाने के लिए जो सुरंग तैयार की गई थी, उस योजना को मुंज ने मृणालवती पर विश्वास कर बता दिया, जिसे मृणालवती ने अपने भाई तैलप को बता दिया तो तैलप ने उसे जेल से निकालकर बांधकर, अनन्त कष्ट देकर उसका वध करवा दिया। तैलप का यह व्यवहार और मुंज का यह दुःखद अंत चिरस्थायी चालुक्य परमार शत्रुता का कारण बना।

अपने पिता सीयक द्वितीय से उत्तराधिकार में प्राप्त छोटे से राज्य को मुंज ने बढ़ाकर मेवाड़ और मारवाड़ के बहुत बड़े भाग और संभवतः लाट प्रदेश तक इसे विस्तृत कर दिया। वह एक महान निर्माता भी था। उसने मालवा में अनेक सरोवर भी खुदवाए, जिनमें धार में मुंज सागर आज भी उसकी कला प्रियता का उदाहरण है। उसने उज्जैन धर्मपुरी ओंकार मान्धाता और महेश्वर में अनेक मंदिरों और बांधों का निर्माण कराया।

उसके शासनकाल में उज्जैन ही परमारों की राजधानी थी। किन्तु परमार कुल के लिए धार को कुल राजधानी बनाने का निर्णय उसी के शासनकाल में लिया गया। मुंज ने धारा पट्टक गांव को धारा नगरी बनाया। किन्तु अपने जीवन काल में वह नगर प्रवेश महोत्सव नहीं मना सका, क्योंकि अभिलेखों तथा साहित्यिक रचनाओं ने उसे धाराधीश के स्थान पर 'उज्जयिनी भुजंग' एवं अवन्ति भर्ता ही लिखा गया है।¹⁶

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पद्म गुप्त - नव साहसिक चरित सर्ग। श्लोक 6,7 सम्पादित बी.एस. इस्लाम पुरकर बम्बई
2. मेरुतुंग - प्रबन्ध चिन्तामणि पृ. 30 अंग्रेजी अनुवादक त्वानी कलकत्ता, 1899
3. उदयपुर प्रशस्ति, ए.इ. जिल्द पृ. 235
4. डॉ. गांगुली डी.सी. - परमार राजवंश का इतिहास पृ. 37 प्रकाशन केन्द्र सीतापुर रोड़, लखनऊ
5. डॉ. शर्मा दशरथ - अर्ली चौहान डायनेस्टी पृ. 122-123 लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर देहली 1970 भाटिया प्रीतिपाल - दि परमारास पृ. 50 नई दिल्ली 1970
6. डॉ. गर्ग रामसेवक - धार राज्य का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 2, इन्दौर 1966

सन् 1857 के रण में महारानी बैजाबाई

धीरेन्द्र *

प्रस्तावना - मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं है। रामायण, महाभारत काल से लेकर वर्तमान युग तक महिलाओं में परिवार, देश, समाज के विकास सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा, संस्कृति, साहित्य समाज सेवा राजनीति प्रशासन यह तक की युद्ध में भी हमारी विरांगनाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। राजपूत महिलाओं का जौहर जग प्रसिद्ध। जब भी किसी राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया है तो महिलाएं भी राज्य हेतु पीछे नहीं रही हैं। सन् 1857 ई. की क्रान्ति भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रान्ति में भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पकार, आदि और साथ ही महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्रान्ति की प्रमुख विरांगनाओं में रानी लक्ष्मी बाई, बैगम हजरत महल, रानी अवंति बाई, द्रोपदी बाई आदि प्रमुख हैं। मालवा क्षेत्र में भी अनेक क्रान्तिकारी महिलाओं ने इस संग्राम में बढ़चढ़कर भाग लिया जिसमें रानी महारानी बैजाबाई का नाम भी अग्रणीय रहेगा।

मालवा प्रांत का उज्जैन नगर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जहाँ हजारों श्रद्धालु हर माह आते हैं। यहाँ से समाचारों खबरों का सम्प्रेषण तीर्थ यात्रियों के माध्यम से सुचारु रूप से किया जाता रहा है। क्रान्ति के दौरान ऐसा ही हुआ। क्रान्ति-काल में महारानी बैजाबाई सिन्धिया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रमुख षडयंत्रकारी थी। ग्वालियर राज्य के शासक उस समय जनकोजीराव थे। जनकोजी राव अल्पवयस्क थे। अतः महारानी बैजाबाई शासन का कार्य करती थी। जब महाराजा जनकोजी राव वयस्क हुए तो शासन प्रबंध वे संभालने लगे। उनके निधन 1 फरवरी सन् 1843 ई. के बाद फिर से महारानी शासिका बनी क्योंकि जीवाजी राव अल्पवयस्क थे। महाराज जीवाजी राव के वयस्क होने पर महारानी बैजाबाई से शासन प्रबंध हट गया। अतः वह नाराज हो गई। ब्रिटिश सरकार भी महारानी बैजाबाई से खुश नहीं थी। अतः महारानी बैजाबाई को अपनी जागीर उज्जैन जाना पड़ा। वहाँ अंग्रेजी शासन के खिलाफ षडयंत्र रचने में लिप्त हो गई। यह बात और भी उजागर हो गई जब सीताराम बाबा ने बंगलोर में पकड़े जाने पर बताया कि महारानी बैजाबाई तो गत बीस, वर्षों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षडयंत्र कर रही थी। सीताराम बाबा ने यह भी बताया कि महारानी बैजाबाई का सम्पर्क नाना पेशवा से भी था।¹ महारानी के माध्यम से मालवा के सरसूबा बाबा आपटे के पुत्र का वैवाहिक संबंध नाना पेशवा की पुत्री के साथ हुआ था। इस बात से और भी पुष्टि हो गई कि महारानी बैजाबाई सिन्धिया अवश्य अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षडयंत्र में लिप्त थी।² अब महारानी बैजाबाई और भी मुखर हो उठी। उज्जैन की जनता से इनका सानिध्य और भी बढ़ता गया। उज्जैन की जनता उनकी बातों और भाषणों को अधिक गौर से सुनती, और

प्रभावित भी होती थी।³ महारानी बैजाबाई तीर्थ यात्रा पर नासिक गई हुई थी वहाँ कृष्णशास्त्री के माध्यम से गोपाल पंत देवधर से सम्पर्क बना। अब दोनों अंग्रेज सरकार के खिलाफ षडयंत्र में लग गए।⁴ सतारा राज्य जब्त हो गया था। शासक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था। महारानी बैजाबाई पंडरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, किन्तु सरकार ने अनुमति नहीं दी यह समझकर कि वहा जाकर महारानी बैजाबाई वहाँ का माहौल और अधिक खराब न कर दे।⁴ ग्वालियर के पालिटिकल एजेन्ट तथा बाम्बे सरकार ने भारत सरकार को सचेत किया कि सभी सूत्रों से पता चा है कि महारानी बैजाबाई सिन्धिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही है।⁵ महारानी के इस काम के बाबत पालिटिकल एजेन्ट हर जगह संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। मालवा में जहाँ देखे वहाँ महारानी बैजाबाई के बारे में बातें होती थी कि वह तो सक्रिय रूप से ब्रिटिश सरकार के विरोधी है और वह पूरे मालवा में जनता को उकसा रही है।⁶ तेजपुर (उज्जैन) की जनता भड़क उठी तथा क्रान्ति आरम्भ कर दी। सितम्बर 1858 ई. की घटना है। कर्नल लाकहर्ट के नेतृत्व में एक पल्टन तेजपुर भेजी गई। इस मुठभेड़ में क्रान्तिकारी पकड़े गये, उन पर मुकदमा चला और सजा भी हुई। इनके दो नेताओं को फाँसी दी गई।⁷ क्रान्ति के बाद, ज्योंहि उज्जैन का माहौल कुछ शान्त हुआ तो महारानी बैजाबाई उज्जैन लौट आई तथा बद्धस्तुर उसी षडयंत्र में लिप्त हो गई। उज्जैन निवासी गोविन्द शास्त्री के सहयोग से महारानी की सक्रियता और भी बढ़ गई। उज्जैन में क्रान्ति का प्रमुख गोविन्दशास्त्री था। उज्जैन में क्रान्तिकारियों की पकड़ धकड़ में अनेक क्रान्तिकारी देवास में पकड़े गए लेकिन गोविन्दशास्त्री उस समय पकड़ में नहीं आ सका, वह बड़ी मुश्किलों के बाद वह दिसम्बर 1861 ई. में पकड़ा जा सका।⁸ उज्जैन निवासी सरबार खॉ एवं नवयुवक रसल खॉ पर महारानी बैजाबाई की क्रान्ति सक्रियता का गहरा असर पड़ा और वे दोनों झाँसी की रानी के पास गए और उनकी सेना में भर्ती हो गए। ये दोनों, तात्या टोपे के साथ अंग्रेजी फोर्स के विरुद्ध पहली अप्रैल 1858 ई. को बेतवा की लड़ाई में सक्रिय थे। ब्रिटिश फोर्स से पराजित होने पर तात्या टोपे की फोर्स बिखर गई। सरबार खॉ और मऊ रानीपुर आए और वहाँ से वे झाँसी की सहायतार्थ कालपी पहुँचे तथा रानी के साथ ब्रिटिश फोर्स से लड़े। बाद में दोनों पकड़े गए और 31 दिसम्बर 1859 ई. को इन्हें फाँसी दे दी गई।⁹ महारानी बैजाबाई जब महाराजा सिन्धिया की शादी के अवसर पर ग्वालियर गई थी, तो यहाँ उज्जैन में महारानी के सुरक्षा गार्ड के सिपाहियों ने क्रान्ति मचा दी। उन्हीं दिनों राव साहेब का महारानी के नाम एक पत्र आया। अब तो ब्रिटिश सरकार को पुख्ता विश्वास हो गया कि उज्जैन की क्रान्ति में महारानी बैजाबाई का प्रमुख हाथ है। इन्दौर के दीवान भाऊराव के नाम एवं अज्ञात व्यक्ति का पत्र आया, जिसमें जिक्र किया गया

कि राव साहेब पचास साठ हजार सैनिकों के साथ इन्दौर तथा उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इसी पत्र में महाराजा होल्कर के लिए आदेश था कि वह महु छावनी पर आक्रमण करें और उसे अपने आधिपत्य में ले लें। 10 फरवरी 1860 ई. को सेन्ट्रल इंडिया के एजेन्ट को पता चला कि अंग्रेजों के खिलाफ उज्जैन में षड्यन्त्र रचा जा रहा है। उसने भारत सरकार को तदनुसार सूचित किया कि राव साहेब बहुत दिनों तक उज्जैन में ठहरे और षड्यन्त्र रचने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एजेन्ट आगे और भी लिखता है कि यह बात तो मालवा के सरसूबा बाबा आपटे तथा महारानी बैजाबाई के एजेन्टों को भलीभाँति मालूम थी। षड्यन्त्र महत्वपूर्ण पहलु यह था कि होल्कर की सेना को क्रान्तिकारी सेना में शामिल करने का प्रयास किया जाए। 11 राजगढ़ तथा नरसिंगढ़ के राजाओं ने अगस्त सन् 1857 ई. तक अपने राज्यों में विशेषकर ओमत वारा क्षेत्र में अशांति नहीं होने दी। इस परिस्थिति के दौरान वे उन क्रान्तिकारियों को नहीं रोक सके जिनके गाँव आगरा बाम्बे रोड पर थे, क्रान्तिकारी इन गाँवों को लूट लेते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भगवानदास श्रीवास्तव - 1857 ई. की क्रान्तिकारी महारानी बैजाबाई सिन्धिया, पृ. 11, 12,
2. तदेव - पृ. 18
3. क्रं. 1 के अनुसार - कन्सलटेशन 21-23, अगस्त 1863, पालीटिकल गवर्नर जनरल के एजेन्ट का भारत सरकार के लिए पत्र संख्या 127 दिनांक 08/07/1863
4. क. तदेव - तदेव,
5. तदेव - कन्सलटेशन 6-9 दिनांक 9/3/1855 पालि. पालीटिकल सुपरिन्डेन्ट कोल्हापुर का बाम्बे सरकार के लिए पत्र संख्या 71 दिनांक 31/01/1855
6. तदेव - कन्सलटेशन 634-36 दि. 25/09/1859, सीक्रेट, मजिस्ट्रेट सतारा का बाम्बे सरकार के लिए पत्र दि. 09/07/1857
7. क्र. 62 के अनुसार - क्र. 62 के अनुसार, पृ. 25
8. क्रं. 1 के अनुसार - कन्सलटेशन 17-18 दि. 12/11/1858 पालीटिकल, गर्वनर जनरल के एजेन्ट सेन्ट्रल इंडिया का भारत सरकार के लिए पत्र संख्या 2030 दि. 20/09/1858, पैरा 3 क्रं. 62 के अनुसार - क्रं. 62 के अनुसार, पृ. 27-2
9. क्र. 62 के अनुसार - क्रं. 62 के अनुसार, पृ. 27-2
10. तदेव - तदेव, पृ. 28-29
11. तदेव - तदेव, पृ. 32-33

भिलाला जनजाति में सौन्दर्याभिव्यक्ति एवं आधुनिकता का प्रभाव (निमाड़ अंचल के विशेष सन्दर्भ में)

प्रो. अनामिका प्रजापति *

प्रस्तावना - भारतीय समाज में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजाति वह क्षेत्रीय समूह है, जिसे इनके सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के कारण कालान्तर में वनवासी, आदिमजाति, वन्यजाति, आदिवासी जनजाति या अनुसूचित जाति का नाम दिया गया। राल्फ पिडिग्टनके मतानुसार - 'हम एक जनजाति को व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भू-भाग में निवास करता हो, तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती है।'¹

मध्यप्रदेश राज्य भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं जिसमें प्रमुख रूप से भील, भिलाला, गोंड, मारिया, मुरिया, बैगा, कमार, भूमिज, कोरकू, सहरिया, हलवा आदि है।

मध्यप्रदेश में रहने वाली अनेक जनजातियों में निमाड़ अंचल की भिलाला जनजाति का अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए एक विशेष स्थान है। यह जनजाति मुख्यतः मध्यप्रदेश के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती जनजाति क्षेत्र में निवास करती है। सामान्यतः यह वही क्षेत्र है जहाँ भील जनजाति पाई जाती है। भिलाला मुख्यतः झाबुआ, अलीराजपुर, जोवट, धार, ओंकारेश्वर, शिवपुरी, नीमच, रतलाम, माण्डव, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, आदि क्षेत्रों में पायी जाते हैं।

भिलाला वस्तुतः अपने को भील वंशज ही मानते हैं। भिन्न-भिन्न दन्त कथाओं के अनुसार ये अपना सम्बन्ध क्रमशः महाभारत काल के एकलव्य² रामायण काल की शबरी³ के साथ जोड़ते हैं, जबकि कुछ भिलाले अपना सम्बन्ध बाल्मीकि से जोड़ते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की थी।⁴ भिलाला शब्द की व्याख्या के अनुसार यह भील आला से बना है। संस्कृत में 'आला' का तात्पर्य 'आना' होता है इनकी मान्यता है कि भील शब्द का अपभ्रंश ही भिलाला के रूप में बना है, इसलिए इनकी उत्पत्ति का सीधा संबंध भीलों से है। जिस प्रकार भील निशाद् माधव मूल के माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भिलाले राजपूत मूल के हैं। भीलाला भील राजपूत से उत्पन्न हुआ है इसलिये भिलालाओं की कद-काठी और रंग राजपूतों जैसा होता है।⁵

संजने संवरने के अंतर्गत जनजातियों से संबंधित सभी ललित कलाये आ जाती है। यहां पर सौन्दर्याभिव्यक्ति वैयक्तिक संजने संवरने के अर्थ तक ही सीमित नहीं हैं। महिलाओं के क्षंगार में सर्वप्रमुख गोदना है जो जीवन भर का स्थाई शृंगार है। पुरुष वर्ग केवल नृत्य के समय सींगों का मुकुट धारण करते हैं। स्त्रियों में केश विन्यास की बहुत ही सुन्दर परम्परा है। आभूषणों में सिर से लेकर पैर तक नाना प्रकार के आभूषणों का प्रयोग भिलाला करते हैं।

वेष-भूषा - भिलाला अतीत में राजपूतों, हिंदुओं, शिकारियों, प्रशासन के कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के संपर्क में आते रहे हैं। इस संपर्क ने ही इन्हें वस्त्र की ओर आकर्षित किया है। आंतरिक अंचलों में रहने वाले भिलालाओं

ने पूर्णतः नग्नता त्याग दी है।

भिलाला स्त्रियों की संपूर्ण वेश-भूषा में सम्मिलित पहनावा निम्नानुसार है- घाघरा, चोली (ब्लाउज), लुगड़ा (ओढ़नी), साड़ी। भिलाला महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक व्यवस्थित तरीके कपड़े पहनती हैं। महिलाएं अपने नीले, काले और लाल रंग के घाघरे से दूर से ही पहचान ली जाती हैं। घाघरे के ऊपर रंग बिरंगा लुगड़ा (साड़ी) और एक चोली रहती है।

भिलाला पुरुष की संपूर्ण वेश-भूषा में निम्नलिखित पहनावे को सम्मिलित किया जाता है - लंगोटी, धोती, झूलड़ी (बंडी), कमीज और साफा (पगड़ी) प्रायः निर्धनता के कारण भिलाला सस्ता और खुरदुरा कपड़ा पहनते हैं। एक भिलाला उसके सिर के पहनावे से पहचाना जाता है, सिर पर पगड़ी या साफा बांधा जाता है, सिर के बाल लंबे चेहरा दाढ़ी रहित, परंतु लहराती हुई मूँछे उनकी पहचान होती है। वे दाढ़ी नहीं रखते हैं। युवा लोग अक्सर एक कंधा और एक छोटा दर्पण अपनी पगड़ी में रखते हैं। कभी-कभी एक गोफन या एक रंगीन धागा पगड़ी के चारों तरफ सर्पाकार आकार में बंधा रहता है। अपनी पगड़ी भिलाला हमेशा सोने के वक्त ही निकालकर अपने पास रखते हैं। सुबह उठते ही वह पहला काम पगड़ी बांधने का करते हैं।

वर्तमान समय में भिलाला जनजाति के गैर जनजातीय लोगों के संपर्क में आने के कारण वस्त्र-परिधान की प्रणाली, शैली, प्रकार तथा प्रयोग विधियों में परिवर्तन आने लगा है। नवीन पीढ़ी के युवक-युवतियों में नये फैशन के कपड़ों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। कुछ भिलालाओं ने लंगोटी को त्याग कर अंडरवियर, हाफ पेंट पहनना प्रारंभ कर दिया है और अब पांच गज की धोती एवं कुर्ता कमीज पहनने लगे हैं। पारम्परिक वस्त्रों को त्याग कर आधुनिकीकरण के प्रभाव में भिलाला स्त्री पुरुष अपनी पहचान से पृथक सामान्य फैशन परस्तर परिधान प्रयुक्त कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला पुरुष कुछ विशिष्ट अवसरों पर पारम्परिक परिधान धारण करते हैं।

आधुनिक भिलाला परिवारों में मौसम के हिसाब से भी कपड़े पहने जाने लगे हैं। ठण्ड के समय ऊनी कपड़े, बरसात में रैनकोट का प्रयोग, गर्मी के समय सूती कपड़ों का प्रयोग किया जाने लगा है। आज महिलाएं साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चौली, सलवार कुर्ता आदि पहनने लगी हैं। पुरुष वर्ग कोट, पेंट, अण्डरवियर, बनियान, हॉफ पेंट, कुर्ता-पजामा, शर्ट, जीन्स, टी-शर्ट आदि पहनते हैं। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां टॉप, स्कर्ट, मौजे, बैल्ट, टाई, जीन्स, पेंट आदि पहनने लगी हैं।

आभूषण - भिलालाओं में आभूषण पहनने का रिवाज अतिप्राचीन काल से ही चला आ रहा है। राजस्थान, गुजरात, झाबुआ, पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के भिलालों में एक जैसे आभूषण देखने को मिलते हैं, इसका एक मात्र कारण यह है कि यह एक ही लोक संस्कृति में पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। भिलाला

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) भारत

लोकगीतों में भिलाला महिलाओं के नवशिख का वर्णन मिलता है, जिसमें आभूषण का एक अलग ही प्रकार है। विभिन्न हिस्सों तथा धार्मिक पदों के समय भिलांगानाएं अपने को आभूषणों से सजाती संवारती हैं। उनके अधिकांश गहने कथीर, चांदी और कांसे के बनते हैं।

रंग-बिरंगी वेशभूषा और परंपरागत आभूषणों में भिलाला युवतियां एवं महिलाएं



विभिन्न अवसरों पर उपयोग में लाए जाने वाले आभूषण निम्नानुसार हैं -

भिलाला पुरुषों के आभूषण -

1. मुँदड़ा - यह चांदी या सोने का बाला होता है, जिसे कान में पहना जाता है।
2. होटको - यह चांदी का होता है, इसे पुरुष भुजाओं के ऊपर पहनता है।
3. कंदोरा - यह चांदी की चैन होती है, इसे कमर में पहना जाता है।
4. कोड़ा - यह कड़े के रूप में होते हैं, जिसे एक-एक दोनों हाथों में पहनते हैं।
5. बोटन - यह चांदी की चैन होती है, जिसके बीच में चांदी के बटन लगे होते हैं।
6. साकला - इसे कमीज के बटनों के स्थान पर पहना जाता है।
7. मुंदी - यह चांदी की होती है, इसे अंगूठी के रूप में अंगुली में पहनते हैं।

भिलाला महिलाओं के आभूषण

1. बुरो - यह चांदी का होता है और इसे सिर के बालों के ऊपर पहना जाता है।
2. राखड़ो - यह चांदी का होता है और इसे धागे की सहायता से मांग में लटकाया जाता है।
3. टुकरी - झैल्लायह झूमकी की भांति चांदी की होती है और इसे धागे के सहारे कान में पहना जाता है।
4. कारो - यह चांदी का टुकड़ा होता है, जिस पर नकली मोती पत्थर लगा होता है, इसे नाक में पहना जाता है।
5. गलछीबरा - इसमें मोती धागे में पिरोये होते हैं और बीच में चांदी का टुकड़ा लटकता रहता है, हिंदु महिलाएं जिस तरह मंगलसूत्र धारण करती हैं उन्हीं की तरह भिलाला महिलाएं भी इन्हें पहनती हैं।
6. बास्टीया - यह चांदी का होता है और महिलाएं इसे दोनों हाथों की बाहों में पहनती हैं।
7. छोटको - यह चांदी का बना होता है और इस बास्टीया के पहले पहना जाता है।
8. छीबरा - ये चांदी की चपटी चूड़ियां होती हैं, जिन्हें कलाईयों में पहना जाता है।
9. गोबरा - ये चांदी की 50 से लेकर 250 ग्राम तक की वजन की होती हैं, इन्हें हाथों में पहना जाता है।

10. करन फूल - यह चांदी का फूलनुमा होता है, इसे दोनों हाथों में पहना जाता है।
11. तागली - यह चांदी की होती है, इसे गले में पहना जाता है।
12. हार - यह चांदी की माला होती है और इसकी लंबाई गले से पेट तक होती है।
13. हाथ सांकलें - यह चांदी की अंगूठीनुमा होती है जिसे एक हाथ की दो अंगुलियों में पहना जाता है और चैन की तरह कलाई से बंधी होती हैं।
14. मुंदी - ये चांदी की अंगूठियां होती हैं जिन्हें अंगुलियों में पहनते हैं।
15. कौंदरो - यह चांदी का होता है, जिसे घाघरा के ऊपर पहना जाता है।
16. कोड़ी - यह चांदी की दो मोटी कड़ियां होती हैं, जिन्हें एक एक पैर में पहना जाता है।
17. आंकड़ो - यह चांदी का बना होता है और इसे कन्दैरे के साथ कमर में खोसा जाता है।
18. झालरियाँ - यह चांदी की पायजेब की भांति होती हैं और इसमें चांदी के छोटे-छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। इसे पैरों में पहना जाता है।
19. बिछुड़ी - यह चांदी की बनी हुई होती है, प्रायः इसे विवाहित महिलाएं पहनती हैं।

आधुनिक समय में भिलाला जनजातीय परिवारों में पुरुष वर्ग जूते, चप्पल, घड़ी, गले में चैन व हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं। महिलाएं नये हार, मंगलसूत्र, चूड़ियां, कानों में बाली, झूमकी, नाक में नथनी, पैरों में पायल तथा इनके अतिरिक्त बिंदी, फीता (रिबिन), क्लिप, रबर आदि का उपयोग करती हैं।

गुदना - भारतीय संस्कृति में तिल-गुदना, ये दोनों ही सौंदर्य के प्रमुख साधन माने गए हैं। इनसे सुंदरता में पर्याप्त अभिवृद्धि होती है। आर्थिक विपन्नतावश वे आकर्षक व पर्याप्त वस्त्रों, आभूषणों को खरीदने में असमर्थ होते हैं, परंतु सजने संवरने की आकांक्षा की पूर्ति वे प्राकृतिक साधनों के रूप में गुदना से करते हैं। गुदना का केवल श्रृंगारिक महत्व ही नहीं है बल्कि धार्मिक महत्व भी है। पुरुष एवं महिलाओं का विश्वास है कि मृत्यु के समय अन्य आभूषण तो हटा दिए जाते हैं, परंतु गुदना एक ऐसा आभूषण है, जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। गुदने के पीछे भिलालों की यह मान्यता है कि मृत्यु उपरांत उन्हें कांटों भरे जंगल से गुजरना पड़ेगा। अतः शरीर पर गुदना गुदवाने से उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होगा और वे आसानी से रास्ता पार कर देंगे।

मध्यप्रदेश के वनवासियों को विश्वास है कि गुदना से कई शारीरिक रोग दूर होते हैं तथा गठिया की पीड़ गुदवाने से शीघ्र नष्ट हो जाती है। डॉक्टर टी.बी. नायक का कथन है कि 'गुदना गुदवाने की प्रथा स्त्री वर्ग में अधिक प्रचलित है', परंतु अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि यह भावना दोनों वर्गों में समान रूप से पाई जाती है। प्रारंभ में ग्रामीण वृद्धयें बाल अवस्था में ही लड़कियों के शरीर पर बालोर अथवा बिया का रस सुई या बबूल के कांटे से गुदने गोद दिया करती थी। आजकल शरदकाल में गोधारिन गांव में आकर यह कृत्य करती है, या फिर वह हाटबाजार मेले में जाकर पुरुष व स्त्री गुदना गुदवाते हैं।

भिलाला स्त्रियां आंख के निचले भाग में दोनों गालों व दोनों कानों पर तथा होंठ के नीचे टुड्डी (चिबुक) पर विशेष आर्कषण के गुदने गुदवाती हैं। आंख के पास तीन तिल दोनों तरफ गालों पर तीन तिल (त्रिभुज आकार में) तथा होंठ के नीचे चिबुक पर सात-सात तिल गुदवाने को प्राथमिकता देती हैं। ये सात या नौ तिल समानांतर तीन रेखाओं में ऊपर से नीचे की ओर रहते

हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों को संवारने के लिए महिलाएं गुदावर्णों का प्रयोग करती हैं। जिनमें अंगुल से बांह के बीच पर्याप्त गुदने गुदाए जाते हैं। गुदना गुदवाने समय स्त्रियां मधुर गीत गाती हैं। गुदावर्णों में मयूर अंबा छोबड़ी का दाना, फूल, पान, तीर का आकर, कट्टाबरी, बिछिया, छितारा की आकृतियां विभिन्न अंगों पर गुदवाने की प्रथा है। पांच की पिंडलियों पर पान का निशान गुदवाना इन्हें बहुत पसंद है। विवाह के उपरांत महिलाएं अपने पति का नाम हाथ पर लिखवाना पसंद करती हैं। आजकल बैटरी से चलने वाले यंत्र का प्रयोग गुदने गुदवाने में प्रयुक्त होता है।

वर्तमान में भिलाला महिलाओं में गुदना गुदवाने की रूचि में कमी आई है। किंतु परंपराओं का निर्वाह करने हेतु चार-पांच टिपकीयां शरीर पर गुदवा लेती हैं। परंपरागत ज्यामितीय आकृतियों के स्थान पर हिंदुओं की तरह नाम गुदवाने की परंपराओं का प्रचलन बढ़ा है। सुंदरता बढ़ाने के लिए लिपिस्टिक, नेल पॉलिश, पावडर, क्रीम, सिंदूर, कुमकुम आदि का प्रयोग करती हैं।

केश-सज्जा - केशों को संवारने की कला में तो ये अत्याधिक प्रवीण होती हैं, सिर में तेल के स्थान पर ये प्रायः घी का प्रयोग करती हैं। घी लगाने में इनका विचार है कि बाल अधिक सुंदर लगते हैं। कभी-कभी गोंद का उपयोग भी करती हैं महीने भर में एक या दो बार ही केश सज्जा करती हैं। संभवतः इसमें चार से छह घंटे लग जाते हैं, बालों को बारीक बुनाई के साथ इस प्रकार संवारती हैं कि आंधी हवा में भी वे नहीं उड़ते और जमे रहते हैं।

वर्तमान समय में भिलाला युवक एवं युवतियां बालों और शरीर में प्रतिदिन सरसों तेल, नारियल तेल एवं अन्य खुशबू वाले तेल का प्रयोग

करती हैं। पुरुष वर्ग बाल और दाढ़ी सेलून में कटवाते हैं। स्नान हेतु भिलाला परिवारों में सुगंधित साबुन और शैम्पू का उपयोग किया जाने लगा है।

निष्कर्षतः वर्तमान समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्रभाव चहुँ ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। इस परिवर्तन से भिलाला जनजातीय समाज भी अछूता नहीं रहा है। जिसके प्रभावस्वरूप भिलाला जनजाति के वस्त्र-परिधान, आभूषण, केश सज्जा, गुदना आदि की शैली, प्रकार तथा प्रयोग विधियों में परिवर्तन आया है। इनकी शारीरिक सजावट एवं आभूषण की पुरानी सामाजिक-धार्मिक परंपरागत मान्यताएं नव युगीन सामाजिक मूल्यों के सांचे में ढलने लगी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Piddington, R., AnIntroduction to Social Anthropology,1956, p.164.
2. Adi Puran, Sambhav Parva, Chapter-131, Shlok-33.
3. Valmiki Ramayan, Aranya Kand, Chapter-74, Sholka-17-18.
4. This is the veiw of T.B;Naik, expressed in his work, 'The Bhill's', p. 13.
5. जोशी, डॉ. हरिप्रसाद, भिलाला जनजाति एक आकाशवाणी वार्ता, 1948

Website -

1. Barwani-Wikipedia, the freeencyclopedia (<http://barwani.nic.in/hindi/default/html.>)

गोंड आदिवासियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

शीला मांडेकर *

प्रस्तावना - गोंड आदिवासी समाज का परिचय - भारतीय जनसंख्या विविधता युक्त है धर्म, जाति, प्रजाति से संबन्धित अनेक प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं जनजाति के लोग भी इसी विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.01 प्रतिशत हिस्सा जनजातियों का है।

भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के निम्नलिखित 3 क्षेत्र समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का माना है जो कि निम्न प्रकार है -

1. मण्डला जिले के बैगाचक क्षेत्र में बैगा।
2. छिंदवाड़ा जिले के पाताल कोट क्षेत्र के भारियां।
3. ग्वालियर संभाग के सहारियां।

इस प्रकार मध्यप्रदेश को आदिम जनजातियों का अजायबघर कहा जाता है। जिसमें गोंड जनजाति मध्यप्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है।

गोंड जनजाति मध्यप्रदेश के सभी जिलों में निवास करती है लेकिन इसका मुख्य क्षेत्र नर्मदा के दोनों ओर विन्ध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत है, जो कि मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एवं होशंगाबाद में अधिक संख्या में निवास करती है। अतः बैतूल जिले की विकासखण्ड भीमपुर के गोंड आदिवासियों के विशेष संदर्भ में मेरे द्वारा शोध कार्य किया गया है जो कि निम्नानुसार है -

गोंड आदिवासी क्या है - ये प्रायः सभ्य समाज से दूर जंगलों में या पहाड़ी तथा उबड़, खाबड़ दुर्गम स्थान पर निवास करती हैं। गोंड जनजाति की पहचान एक ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो समान बोली बोलते हैं, समान भू - भाग में निवास करते हैं तथा जिनके आचार - विचार रहन सहन रीति-रिवाज, पूजा-पाठ, और परम्पराएँ एक जैसे होती हैं।

गोंड जनजाति के लोग प्रकृति की अधिकांश चीजों को अपने देव के वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये लोग अत्यन्त मेहनती और भोले होते हैं। ये अपनी वीरता और मुक्त जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। किन्तु गोंड जनजाति प्रेतवाद नामक प्राचीन धर्म को मानते हैं तथा भूत-प्रेतों की पूजा पर विशेष बल देते हैं।

ये लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा मंदिरा पान करते हैं और नृत्य के विशेष शौकीन होते हैं। इनके कपड़ों के अतिरिक्त प्रायः उनकी वेशभूषा और रंग-सज्जा बहुत आकर्षक लगती है। गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सामुदायिक भावना इसके साथ ही उनका आन्तरिक अनुशासन और व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।

उत्पत्ति - गोंडों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है प्रसिद्ध

नेतृत्व शास्त्री श्री हिस्तोप के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलगू भाषा के कोड शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कि - पर्वत अर्थात् यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती थी। इसलिए गोंड कहलाई गोंड भाषा की कुछ लोक कथाओं में गोंडों की उत्पत्ति बड़ादेव अर्थात् महादेव से हुई बताई गई है ऐसी जनश्रुति है कि यह आदिवासी शुद्ध थे। अतः महादेव अर्थात् बड़ा महादेव ने इन्हें एक गुफा में बन्द कर दिया तत्पश्चात् लिंगदेव ने इन्हें स्वतंत्र कराकर जंगल पहुँचाया और कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया एक अन्य विद्वान जानकर कनिधम का मानना है कि गोंड भाषा में कोतार कहे जाते हैं - जिसका हिन्दी में अर्थ पुरुष से लगाया जाता है।

उपजाति - गोंड जनजाति की उपजातियों में परधान अगरिया, ओझा, नंगारची, सोलहास आदि प्रमुख हैं।

शारीरिक बनावट - गोंड जनजाति के लोगों के शरीर की त्वचा काली होती है और बाल काले और रूखे होते हैं दाढ़ी और मूँछों के बाल कम होते हैं, इनकी नाक बड़ी और फैली हुई होती है। शारीरिक गठन सन्तुलित होता है, लेकिन देखने में सुन्दर नहीं होते हैं।

इस जनजाति में स्त्रियों का कद पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला, केश काले तथा खड़ी नाक होती है तथा बड़ा गोलाकार का सिर छोटे-छोटे सुगंठित शरीर तथा मुँह चौड़ा होता है।

वेशभूषा एवं आभूषण - गोंड जनजाति के पुरुष जो कि प्रौढ़ छोटा सा कपड़ा टांगों को ढकने के लिए पहनते हैं कभी कभी सिर पर भी एक टुकड़ा बाँध लेते हैं। कुछ लोग पेट और रीढ़ को ढकने के लिये बन्डी भी पहनते हैं ये लोग त्यौहार पर मोर के पंख या जानवरो के सींग भी अपने शरीर पर लगाते हैं। घुटने तक धोती और कंधे पर अंगोछा हाथ और सिर पर फेठा बाँधते हैं। स्त्रियाँ शरीर पर जेवर पहनती हैं। ये आभूषण प्रिय होती हैं। हाथों में चाँदी के कड़े एवं गोंडी भाषा में बाकड़िया, व गले में हसली (चाँदी से बना) जेवर पहनती हैं। किन्तु वर्तमान समय में यूवा पेंट शर्ट पहनते हैं और 40 वाले धोती कुर्ता पहनते हैं सिर पर पगड़ी भी बाँधते हैं।

स्त्रियाँ - युवा अवस्था में कुछ लड़किया साड़ी पहनती हैं और कुछ सूट पहनती हैं। जेवर में चाँदीए, कॉसा एवं मोती के व कौड़ी के आकर्षक गहने धारण करती हैं तथा कपड़े में चोली व लुगड़ा पहनती हैं। आमतौर पर ये गोंदने भी अपने शरीर के हाथ पैर पर गुदवाती हैं। नृत्य और संगीत इनके जीवन में पूरी तरह समाया हुआ है। पुरुष भी कलाई में चाँदी का चूड़ा गले में मोहर व कान में बूँदा पहनते हैं, ये लोग भी आभूषण प्रिय होते हैं।

मुख्य भोजन - गोंड जनजाति शिकार से प्राप्त माँस तथा जंगलों से प्राप्त फल फूल और कंद खाते हैं, ये लोग ज्वार, मक्का, कोदो कुटकी चावल तथा आम, आवला, जामुन, महुँआ, मछलियाँ खाते हैं।

गोंड जनजाति के आवास – गोंड जनजाति के लोग झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी झोपड़ियाँ घास-फूस और बाँस की खपच्चियों से बनी होती हैं। इनकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी होती हैं। और दीवारों पर गेरू फुल पत्तियों की आकृति दी होती है। इस प्रकार वे अपने घरों को सजाते हैं। किंतु वर्तमान समय में काफी परिवर्तन हो रहा है कुछ लोगों के घर ईट व सीमेन्ट वाले भी बन रहे हैं।

गोंड परिवार – गोंड जनजाति में परिवार पितृवंशीय होते हैं, गोंड परिवार संयुक्त परिवार होता है। एक से तीन पीढ़ियाँ तक एक ही मकान में निवास करते हैं। इनमें विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति के घर में रहती है। वंशनामा पिता के वंश के आधार पर चलता है अर्थात् उनके बच्चे पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं।

विवाह – गोंड जनजाति में विवाह की कई प्रथाएँ प्रचलित हैं किन्तु यह लोग सहमति विवाह करते हैं। जिसको ये लोग अपनी भाषा में लमझाना कहते हैं। इस जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन अधिक है, जो वधू मूल्य मान देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तब वर उस कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक काम करते हैं। इस तरह वर के द्वारा किए गए श्रम अथवा सेवा को ही वधू मूल्य मान लिया जाता है। और फिर कन्या का विवाह उसी लड़के के साथ कर दिया जाता है। गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन के लड़के का विवाह का प्रचलन है, जिसे ये लोग दूध लौटावा कहते हैं। कभी-कभी अपहरण किया द्वारा भी विवाह सम्पन्न होते हैं। गोंडों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है।

गोंड जनजाति में दो प्रकार के देव होते हैं पहला सातदेव वाले दूसरा छः देव वाले जो कि निम्नानुसार हैं।

सात देव	छः देव
मर्सकोले	उइके
धुर्वे	कुभरे
पढ़ाम	परते
काकोडिया	बरकड़े
इवने	करोचे
न्है	मरकाम
सरयाम	कड़ोवे
वाडिवा	भरापे
मसराम	सिरयाम
भलावी	तूमडाम
इरपाचे	सलामे

उपर्युक्त बिन्दुओं में दर्शाए गए सभी गोत्र होते हैं किन्तु विवाह सम्बन्ध सात देव वाले छः देव वाले से करते हैं लेकिन सात देव सात देव से विवाह नहीं कर सकते हैं।

गोंड जाति के लोग विवाह हिन्दू संस्कृति के अनुसार ही करते हैं। परन्तु इनके रीतिरिवाज भिन्न हैं। 15 साल पहले की बात करे तो ये लोग लड़की की मंगनी करने के लिए दो या तीन बुजुर्ग जाते थे। साथ में सभी के कंधे पर कम्बल रहता था और हाथ में बाँस का डण्डा इन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लोग लड़की की मंगनी करने जा रहे हैं। परन्तु वर्तमान समय में यह रीति समाप्त हो चुकी है। इस जाति में शादी पंडित से बहुत कम करते हैं गाँव में पंडित का काम लगनीया कराता है जो कि पूरे समय (शादी सम्पन्न होने तक) दुल्हा दुल्हन के साथ रहता है। एक महिला भी साथ रहती

है उसे भी लगनीये कहते हैं।

इस जाति में बरातियों की संख्या अधिक होती है ये लोग लगभग 500 से अधिक लोग बराती बन कर जाते हैं।

देव की पूजा – गोंड जनजाति के लोग महादेव की पूजा पाठ करते हैं। ये लोग महोदव को अपने समाज का देवता मानते हैं इसके अलावा बड़ा देव मुख्य देव है ऐसा मानते हैं। साथ ही पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। अधिकांश मात्रा में ये लोग बली पूजा करते हैं।

धर्म – गोंड जनजाति आत्मवाद के धर्म को मानती है जो जादुई क्रियाओं के चारों ओर केन्द्रित हैं।

त्यौहार – इनका मुख्य त्यौहार दीवाली और रक्षा बंधन है परन्तु ये लोग गाँवों में जिरौति, पोला, पंचमी सामूहिक रूप से मनाते हैं पूर्ण आनंद के साथ हर्षो उल्लास से ढोल मंजीर लेकर नाचते गाते हैं और डण्डार भी करते हैं (स्त्री एवं पुरुष समूह बना कर नाचते गाते हैं) ये लोग त्यौहारों में नये कपड़े खरीदते हैं। नये कपड़े पहनकर डण्डार करते हैं और अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं ये लोग त्यौहार किसी तिथि में नहीं मनाते हैं। ये लोग नृत्य- गान एवं मंदपान के विशेष शौकीन भी होते हैं और मनोरंजन को अपनी पूर्वजों की देन मानते हैं इसका मुख्य कारण यह भी है कि सभी के घर में अपने अपने मेहमानों का आना जाना भी हो जाता है।

इस प्रकार ये लोग आस पास के गाँवों में अलग अलग दिनों में त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार 20 दिनों से एक माह तक चलता है।

संस्कृति – गोंड जनजाति के लोग सभी काम इनकी संस्कृति के अनुसार ही करते हैं जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो ये लोग जलाते नहीं हैं। गहरा गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। किसी की मृत्यु किसी त्यौहार में हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं अमावस्या या पूर्णिमा को कोई त्यौहार हमारे द्वारा मनाया गया है इसलिए ऐसा हुआ होगा ये अन्धविश्वासी होते हैं इसलिए संस्कृति के विपरीत कोई काम नहीं करते हैं।

व्यवसाय – इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी करना है। जिनके पास खेती नहीं होती है वे लोग ठेका बटाई का काम दूसरों के खेत पर जाकर करते हैं। कुछ लोग तो बन्धुआ मजदूरी करते हैं। वे सालो से पटेलों के नौकर होते हैं। ऐसा वे लोग करते हैं, जो पटेलो से शादी के समय उधारी में कुछ पैसा लेते हैं और वापस नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में पैसे के बदले में धीरे धीरे नौकरी करते हैं। गाँवों में समय-समय पर पटेलो के पास मजदूरी करने एक घर के एक से अधिक व्यक्ति भी मजदूरी करने चले जाते हैं जिनके पास खेती है वे भी घर का काम खत्म करके मजदूरी करने जाते हैं।

ये लोग सोयाबीन की निंदाई एवं कटाई के समय मजदूरी करके पैसे लाते हैं तथा गेहूँ की फसल की कटाई के समय मजदूरी के बदले पैसे न लेकर गेहूँ ही ला लेते हैं। जिससे इनका साल भर का खर्चा चल जाता है। कुछ लोग गेहूँ सिचाई के समय ठेका कर लेते हैं जिसके बदले में 10-20 बोरे गेहूँ लेते हैं और साल भर आराम से घर चलाते हैं।

जनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं और साथ में उसे भी गाँव में पटेलों के यहाँ काम पर भेज देते हैं या गाय बैल भैंसों को जंगल में चराने के लिए नौकर रख देते हैं। और महिलाएँ गाय भैंस का गोबर फेंकने का काम पटेलों के यहाँ करती हैं।

गोंड आदिवासी जीविका चलाने के लिए सरसों साग-सब्जी व तम्बाकू के साथ-साथ कोदों और कुटकी धान की खेती भी मुख्य रूप से करते हैं। साथ ही मछली पकड़ने का भी व्यवसाय करते हैं और जंगल से लकड़ी काटकर बेचते हैं तथा सागौन के पत्तों की पत्तल एवं ढोने बनाकर बेचते हैं

बांस काटकर उससे कुछ सामान तैयार कर बेचते हैं। झाड़ू व रस्सी बनाकर बेचते हैं तथा वनो से फल फूल एकत्र करके बेचते हैं। इस तरह ये अपनी जीविका चलाते हैं।

गोंड आदिवासी समाज के दर्शनीय स्थान - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका मानव संग्रहालय स्थापित है, जहाँ इनके जनजीवन को दर्शाया गया है। इसके अलावा पंचमढी में अनेक गुफाएँ हैं। छिन्दवाड़ा के तामिया में पातालकोट दर्शनीय स्थल है। रायसेन में भीमबेटका तथा धार के पास बाघ की गुफाएँ स्थित हैं।

छत्तीसगढ़ में दन्तेशवरी स्थान प्रसिद्ध है और मध्य-प्रदेश में बैतूल

जिले की सभी विकास खण्ड विशेषकर भैसदेही भीमपुर तथा घोड़ाडोगरी गोंड आदिवासी कला एवं संस्कृति से ओत प्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनजाति समाज का समाज शास्त्र, महाजन व महाजन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
2. समाज शास्त्र का परिचय, महाजन व महाजन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
3. ग्रामीण समाज शास्त्र, वी. एन. सिंह, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
4. भारत में ग्रामीण समाज, अमित अग्रवाल, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
5. म प्र शासन की योजनाएँ, मनोज अग्रवाल, आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल

विकासशील देशों में खेलकूद प्रोत्साहन तथा रोजगार के अवसर

डॉ. नीलिमा खरे *

शोध सारांश - भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की। प्रारम्भ में इसका उद्देश्य 1982 में एशियाड के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलकूद की बुनियादी सुविधाओं के कारगर रख रखाव तथा अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना था। अब यह देश के खेलों के विस्तार तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बन गई है।

खेलों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली युवाओं का प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई। जिसका उद्देश्य खेलों का आधार व्यापक करना तथा उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना, संरचनात्मक, ढांचे का विकास करना, खेल को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी मजबूती प्रदान करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, तथा महिलाओं, पिछड़ी जनजातियों एवं ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा व जनता में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना।

भारतीय खेल प्राधिकरण के 06 क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर, गांधीनगर, कोलकता, चंडीगढ़, भोपाल और इंफाल में है तथा एक केन्द्र गुवाहाटी में है।

प्रस्तावना - आज आवश्यकता है कि हर वर्ग को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया जाए खेलकूद के माध्यम से युवा शक्ति को नियंत्रित एवं तनावमुक्त करते हुए उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा एवं खेल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। जैसा की महान् दार्शनिक प्लेटों का कहना है कि 'बालक को दण्ड की अपेक्षा खेलों द्वारा नियंत्रित करना ज्यादा अच्छा रहेगा।'

उद्देश्य - पहली युवा नीति 1988 में तैयार की गयी और संसद में रखी गयी, किन्तु तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य के लिए जरूरी था, राष्ट्रीय युवा नीति की समीक्षा की जाए इस प्रकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2003 में नई राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की जिसका उद्देश्य था युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों के प्रति सजग बनाना तथा राष्ट्र के विकास में युवाओं को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में युवाओं की आयु 13 से 35 वर्ष निर्धारित की गयी। इस नीति में चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया है जैसे- युवाओं को अधिकार संपन्न बनाना, सभी स्त्री एवं पुरुषों में भेदभाव किये बिना न्याय, अंतर्देशीय दृष्टिकोण और सूचना तथा अनुसंधान तंत्र।

युवा नीति में युवाओं के विकास के लिए आठ प्रमुख क्षेत्र शामिल किये गये हैं, जिसके माध्यम से युवा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें, केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभाग सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।

1. स्काउट एवं गाइड:- स्काउट एवं गाइड एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक आन्दोलन है, जिसका बालक बालिकाओं का चरित्र निर्माण और विकास करना है, इसमें उनमें देशभक्ति और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समाज सेवा की भावना का विकास किया जाता है, भारत स्काउट और गाइड तथा हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड देश में इन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख संगठन हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय इन्हें वित्तीय सहायता देता है, इनको गतिविधियों में प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, सामुदायिक सेवा, कुष्ठ लोग के बारे में जागरूकता और स्वास्थ्य की प्रोत्साहन आदि शामिल है।

2. साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन:- इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जोखिम उठाने सामूहिक रूप में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी तत्पर रहने तथा तुरन्त प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता व संगठन शक्ति विकसित करना है साथ ही युवाओं में जोखिम उठाने की भावना को बढ़ावा देने के लिए तेज सिंह नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जल, थल एवं वायु में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जीवन भर की उपलब्धियों के आधार पर लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किए जाने का इस योजना में प्रावधान किया गया है।

3. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन:- इस योजना का उद्देश्य एकता और सांप्रदायिकता सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न युवा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, शिविरों/युवा नेतृत्व शिविरों व अन्तरराष्ट्रीय युवा अदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

4. युवा महोत्सव:- पांच दिवसीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी से एक चयनित स्थल पर आयोजित किया जाता है।

5. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार:- 215 विशिष्ट युवाओं एवं एक स्वैच्छिक संस्था को सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाते हैं।

6. राष्ट्रीय सेवा योजना:- यह एन.एस.एस. के नाम से भी लोकप्रिय है, 1969 में शुरू हुई थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना था। इस समय 198 विश्वविद्यालय और 43 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 22 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक एन.एस.एस. में शामिल है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में दो प्रकार कार्य शामिल है नियमित कार्यकलाप तथा स्वमसेवकों द्वारा चलाए जा रहे विशेष शिविर कार्यक्रम- नियमित क्रियाकलाप के अन्तर्गत अपनाये गये गांवों तथा मलिन बस्तियों में रक्तदान, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा स्वास्थ्य पोषाहार परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता अभियान वृक्षारोपण आदि। विशेष शिविर कार्यक्रम के

अन्तर्गत चुने क्षेत्रों में 10-10 दिन की अवधि के शिविर आयोजित किये जाते हैं।

7. राष्ट्रीय सद्भावना योजना:- यह योजना 2005 में शुरू की गयी युवा वर्ग को प्रभावित करने वाले विषयों जैसे शैक्षिक रोजगार संबंधी अथवा सांस्कृतिक मुद्दों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे अन्य लोगों के प्रशिक्षक बन सकें। वे युवाओं और समाज को स्त्री- पुरुष में भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों और धूम्रपान शराब पीने, नशे की लत जैसी बुराईयों से अवगत कराएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा अन्य वे क्षेत्र हैं, जहां युवा वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं। इस योजना के द्वारा नेहरू युवा सार्थियों का चयन क्लबों, महिला मंडलों क्रीडा क्लबों तथा युवा विकास केन्द्रों के आयोजित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाता है।

8. ग्रामीण युवा एवं खेल क्लबों की वित्तीय सहायता:- इस योजना को चार विभिन्न चरणों में बांटा गया है।

क. उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार:- यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के तत्वाधान में लागू की जा रही है। यह योजना जिला स्तर पर विजेता को 10,000/-रूपये का पुरस्कार मिलता है, तथा प्रदेश स्तर पर 25,000/-रूपये का।

ख. राष्ट्रीय स्तर पर:- तीन पुरस्कार क्रमशः- एक लाख रूपये 50,000 रूपये तथा 25,000 रूपये के हैं। पुरस्कार की राशि सामुदायिक कार्यों पर आधारित योजनाओं को लागू करने में इस्तेमाल की जाती है।

ग. ग्रामवासी युवाओं में शारीरिक सक्षमता बढ़ाने और खेलों को प्रोत्साहन हेतु खेल क्लबों की वित्तीय सहायता:- प्रत्येक ब्लाक में नोडल स्वयंसेवा खेल क्लबों तथा संस्थानों के उत्थान के लिये युवा खेल मंत्रालय नष्ट होने वाली खेल सामग्रियों के लिए 30,000/-रूपये की एक मुश्त अनुदान प्रत्येक क्लब को देता है, आदिवासी क्षेत्र में यह वित्तीय सहायता 45,000/- रूपये तक हो सकती है इसके बाद अगले दो वर्षों तक 5000/-रूपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा।

घ. युवा क्लबों की वित्तीय सहायता:- यह योजना युवा क्लबों को देश के बाहर हिस्सा देने तथा आने समाज में अपनी पहचान बनाने में सहायता करती है सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक युवा क्लबों को 10,000/-रूपये की वित्तीय सहायता मिलती है, यह सहायता अधिनियम 1860 के सोसायटी पंजीकरण के तहत पंजीकृत होने पर प्राप्त होती है।

9. युवा विकास केन्द्रों की योजना:- यहा योजना केन्द्र द्वारा युवाओं के लिये सूचना पहुंचाने तथा साधन मुहैया कराने के साधन हैं प्रत्येक केन्द्र को 30,000/-रूपये की वित्तीय सहायता जो संख्या के लिये साज समान, खेल सामग्री रेडियों तथा टीवी/वीसीआर आदि खरीदने के लिए होती है, प्रत्येक संस्था एक युवा समिति द्वारा संचालित होती है नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने अब तक 2551 युवा विकास केन्द्र स्थापित किए हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 500 युवा विकास केन्द्रों को ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में उच्चिकृत करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अनुदान राशि टीवी 20,000 कंप्यूटर 60,000 टेलीफोन 10,000 मिट्टी के तेल वाला जनरेटर 30,000/-रूपये हैं।

10. युवा विकास अध्ययन, मूल्यांकन एवं प्रकाशन:- सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं छात्रों के लिये एन.एस.एस.जैसे प्रयोजित कार्यक्रम ग्रामीण युवकों के लिये नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) स्काउट एवं गाईड, युवा होस्टल तथा साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एकता, युवा प्रार्थनी,

युवा आदान-प्रदान एम.एस.वी.एस. जैसी अनेक स्कीमें काफी दिनों से चल रही हैं इस उद्देश्य से युवा विकास अध्ययन, मूल्यांकन एवं प्रकाशन के लिये सहायता की स्कीम बनाई गयी है।

11. किशोरों की कल्याण और विकास की योजना:- मंत्रालय ने अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत किशोरों के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए 260 गैर सरकारी संगठन की को सहायता दी है।

12. युवा गतिविधियों तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना:- इस योजना के तीन उपभाग हैं-

- व्यवसायिक प्रशिक्षण
- उद्यमिता विकास
- प्रदर्शनी

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए नेतृत्व के गुणों का विकास करना है ताकि युवा अपने कार्य क्षेत्र में ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य कर सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें।

उद्यमिता के प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं मांग पर आधारित स्थानीय कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करते हुए लघु कुटीर उद्योग इकाई को सफलतापूर्वक चला सके।

प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के युवाओं सांप्रदायिकता सौहार्द और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य युवकों को अपनी रचनात्मकता तथा प्रतिभा का विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना है।

पात्रता:- जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अथवा उसके किसी अन्य राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं उन्हें वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करने की तिथि पर तीन वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी हैं।

13. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:- तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में स्थापित राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पूरे देश में युवा संबंधी गतिविधियों को निगरानी के लिए स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह संस्थान इस प्रकार के भी कार्य करेगा।

- जैसे:- युवा कार्यक्रम नीतियों तथा कार्यन्वयन के लिये अनुसंधान प्राधिकरण तथा प्रेरक तौर पर कार्य।
- बहुआयामी कार्यक्रमों का विकास करना।
- युवाओं को उच्च अध्ययन के लिए एक संस्थान के रूप में कार्य।
- संदर्भ स्रोत केन्द्र के रूप में कार्य आदि।

यह संस्थान न्यूनतम कर्मचारियों एवं एक डिवीजन सहित काम कर रहा है चार डिवीजन और कर्मचारियों की व्यवस्था करके इसका विस्तार किया जा रहा है।

14. नई सरकार राष्ट्रीय खेल नीति:- राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई, किन्तु खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई जो निम्नलिखित है:-

- खेलों का आधार व्यापक करना तथा उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना।
- संरचनात्मक ढांचे का विकास तथा उच्चिकरण।
- राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और दूसरी उपयुक्त संस्थाओं का सहायता प्रदान करना।
- खेल को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना।
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।
- महिलाओं पिछड़ी जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को

बढ़ावा देना।

7. खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा।

8. जनता में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना।

15. भारतीय खेल प्राधिकरण:- भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की। बुनियादी सुविधाओं के कारगर रख रखाव तथा उनके उपयोग को सुनिश्चित करना था अब यह देश में खेलों के विस्तार तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धि के लिये खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बनाया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 01 मई 1987 को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसायटी (एस.एन.आई.पी.ई.एस.) का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कर दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला और बंगलौर, कोलकाता तथा गांधीनगर में इसके केन्द्र तथा तिरुअनंतपुरम के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक व्यायाम शिक्षा विद्यालय भी भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्तर्गत आ गये। अब इसके 06 क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर, गांधीनगर, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल और इंफाल में है। इस समय देश में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता संरक्षण में लिये गये 22 विद्यालय 33 अखाड़े 49 नवोदय विद्यालय तथा 27 शैक्षिक संस्थान देशज खेलों तथा मार्शल आर्ट्स के हैं। नवोदय विद्यालय

गांवों में खेलों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं ताकि ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच खेलों के संदर्भ में संतुलित कार्य हो सके।

16. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.सी.पी.ई.): - स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था तथा शोध कार्य करवाने वाली संस्था है। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है इस संस्थान में पूर्वकालिक पाठ्यक्रम है जो इस प्रकार हैं:-

शारीरिक शिक्षा स्नातक 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (बी.पी.ई.)

शारीरिक शिक्षा स्नातक 2 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (एम.पी.ई.)

शारीरिक शिक्षा स्नातक (ब्रीष्मकालीन तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

शारीरिक शिक्षा में एम.फिल एक वर्षीय पाठ्यक्रम यह संस्थान पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा स्कूलों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत 2008 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ
2. मनोरमा ईयर बुक 2002.
3. अन्य पत्र-पत्रिकाएँ आदि संकलन के आधार।

संस्कृति और संस्कार का मानव जीवन पर प्रभाव

डॉ. प्रमिला वाधवा *

प्रस्तावना - मानव जीवन में संस्कार व संस्कृति से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। विवेक जागृत होता है और सही गलत की पहचान होती है। मात्र ज्ञान व्यक्ति के भीतर वासनाएँ उत्पन्न करता है। यहीं वासनाएँ मानव को विनाश की ओर ले जाती है और जो ज्ञान विनाश की ओर ले जाए वह ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि वास्तविक, विवेकी और सम्पूर्ण ज्ञान तो व्यक्ति, समाज, परिवार और देश का विकास ही करता है। व्यक्ति जिस देश, समाज व परिवार में जन्म लेता है। उसी के अनुरूप व्यक्ति के जीवन में संस्कार का बीजारोपण होना चाहिए पर आज ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि लौकिक ज्ञान के साथ हम युवा पीढ़ी को संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। हम हमारी पुरातन संस्कृति, सभ्यता के आदर्शों और परम्पराओं की जड़ों से निरन्तर कटते जा रहे हैं और इनसे हमारी दूरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने हमारे संस्कारों को नाश कर दिया है, इसलिए आज ऐसी घटनाओं का ब्रॉफ बढ़ता जा रहा है जिसमें मनुष्यता का हास साफ दिखाई देता है, इसलिये आज ऐसी घटनाएँ दुर्भाग्यवश हमारे आसपास से लेकर देश दुनिया में घट रही हैं, जिनकी कल्पना हम अपने सपने में भी नहीं कर सकते हैं।

देवी की शोभा मंदिर में ही है और मंदिर के बाहर वह धर्म की रक्षा के लिए ही आती है इसलिये पुत्रियों को अपने देवी स्वरूप को बनाए रखने के लिए मर्यादा में रहकर ही सारे कार्य करना चाहिए जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे। शिक्षा के नाम पर संस्कृति, संस्कारों और मर्यादाओं को त्यागने के स्थान पर उनका पूरा-पूरा पालन किया जाए और परम्परागत जीवन मूल्यों को बिना भूले उन्हें जीवन में आत्मसात् किया जाए तो ऐसी घटनाओं का बीज पनपेगा ही नहीं। इन घटनाओं का वास्तविक दोषी कौन है? हमारी आत्म अनुशासन, सीमा रेखाएँ, सामाजिक व्यवस्थाओं और अंकुश की परिधियाँ हमने तोड़ दी और स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मानकर संस्कारों और संस्कृति के गुणों को खोते जा रहे हैं, जिन मूल्यों में मानव समाज को बाँधें रखने की असीम सामर्थ्य है। उन्हें हम धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आज समय पुकार रहा है

इन घटनाओं को रोकने के लिए, वक्त की माँग है समाज में संस्कृति और संस्कारों भरे नैतिक-मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये एक अभियान चलाने की संस्कृति बचाओ अभियान। जिसे कोई संस्था, समाज या संगठन न चलाकर अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर अभियान चलाएगा तो यह एक महा अभियान बन जाएगा और तभी इन घटनाओं पर अंकुश लग सकता है अन्यथा हम कब तक इस प्रकार सड़कों पर उतरकर इंसानों मांगते रहेगे इंसान तभी मिलेगा जब कानून चाहेगा। कानून तो कानून है, जिस काम के लिए जो सजा है, वहीं मिलेगी, पर पीड़ित मानव को क्या

मिलेगा? जिसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका कौन खयाल खेगा? उन पीड़ितों को अपनाने के लिए फिर एक संस्थान की स्थापना भी साथ ही जरूरी है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य - यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति उसे उत्साहपूर्वक प्राप्त करने में लग जाता है और तब तक लगा रहता है जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर ले, प्रस्तुत अध्ययन के लिये शोधकर्ता ने अग्रलिखित उद्देश्यों को निश्चित किया है।

1. शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था एवं शैक्षिक विचार में समन्वय करने का प्रयास।
3. शोध कार्य में भारतीय संस्कृति में संस्कारों का योगदान का विश्लेषण करना है।
4. संस्कार एवं संस्कृति (शोध कार्य) के माध्यम से व्यक्ति अपनी तथा अपने आत्मपरिजनों को अनेक संभावित विपत्तियों से रक्षा करने का प्रयत्न करना।
5. संस्कार व्यक्ति का समाजीकरण करके उसे निश्चित स्थिति प्रदान करने में मदद करना।

संस्कारों के प्रकार - सनातन धर्म की संस्कृति-संस्कारों पर आधारित है। भारतीय तत्ववेत्ताओं और ऋषियों-मुनियों ने मनुष्य जीवन को पवित्र और मर्यादित स्वरूप प्रदान करने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। ये सोलह संस्कार निम्नानुसार हैं-

1. **गर्भाधान संस्कार** - शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में से गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् प्रथम परम कर्तव्य स्वरूप इस संस्कार को अधिमान्यता प्रदान की गई है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिये माता-पिता को गर्भाधान से पहले अपने तन और मन की पवित्रता के लिये इस संस्कार का पालन करना पड़ता है।
2. **पुसंवन संस्कार** - गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का यह संस्कार किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से भी यह संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पुसंवन संस्कार का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं उत्तम संतान को जन्म देना है। विशेष तिथि की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना धर्मोचित माना गया है।
3. **सीमन्तोन्नयन** - सीमन्तोन्नयन को सीमन्तकरण अथवा सीमन्त संस्कार भी कहते हैं। सीमन्तोन्नयन का अभिप्राय सौभाग्य सम्पन्न होना है। गर्भपात रोकने के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिये सौभाग्यशाली स्त्रियाँ गर्भवती की मांग भरती है। यह संस्कार गर्भधारण के

छठे अथवा आठवें महीने में होता है, जिसे वर्तमान समाज में गोद भराई का नाम दिया गया है।

4. जातिकर्म – यह संस्कार संतान के जन्म के समय किया जाता है। नवजात शिशु के नालच्छेदन के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खण्ड में मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कराया जाता है। यह संस्कार विशेष सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर कराने के बाद पिता यज्ञ करता है, लंबी आयु एवं बुद्धिमान होने की कामना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है।

5. नामकरण – नामकरण शिशु के जन्म के पश्चात् प्रथम संस्कार कहा जाता है। सामान्यतः यह संस्कार जन्म के ग्यारहवें दिन किया जाता है। ऋषियों और धर्मोचार्थों ने शिशु के जन्म लेने के 10वें दिन तक की अवधि को सूतक के रूप में माना है। यही कारण है कि नामकरण संस्कार ग्यारहवें दिन किए जाने का विधान है। किसी भी व्यक्ति के नाम का व्यक्तित्व के विकास से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

6. निष्क्रमण – दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से यह अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण का अभिप्राय है—बाहर निकलना। इस संसार से शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखने का विधान है।

7. अन्नप्राशन – इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। तन और मन को सुदृढ़ बनाने के लिये अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।

8. चूडाकर्म (मुण्डन संस्कार) – चूडाकर्म संस्कार को मुण्डन संस्कार के रूप में जाना जाता है। बालक के व्यक्तित्व के मस्तिष्कीय विकास व सुरक्षा की दृष्टि से इस संस्कार को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जन्म के समय के अपवित्र बालों को निकाल कर बालक के व्यक्तित्व को प्रखर, शुचितापूर्ण तथा प्रबुद्ध बनाने का जतन किया जाता है।

9. विद्याप्रारम्भ संस्कार – विद्याप्रारम्भ का अभिप्राय बालक को प्रारम्भिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीनकाल में जो गुरुकुल की परम्परा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले उसे घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माता-पिता तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएँ आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो।

10. कण्विध संस्कार – बालक के व्यक्तित्व की व्याधि से रक्षा करने के उद्देश्य से कण्विध संस्कार का विधान कराया जाता है। कण्विधन या कान छेदन से व्यक्तित्व की व्याधियाँ तो दूर होती ही हैं। साथ ही प्रभावशाली श्रवण शक्ति भी विकसित होती है। कानों में आभूषण धारण करने से व्यक्तित्व के सौन्दर्य बोध का पक्ष भी मजबूत होता है।

11. यज्ञोपवीत संस्कार – यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्णरूपेण समावेश है। गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। 'यज्ञोपति परम पवित्र' अर्थात् यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है अत्यंत पवित्र है।

12. वेदारम्भ संस्कार – यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। वेद का अर्थ होता है, ज्ञान। वेदारम्भ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर

समाविष्ट करना शुरू करे, यही इस संस्कार का अभिप्राय है। इस संस्कार का शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था।

13. केशांत संस्कार – गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार सम्पन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से बिदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद-पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व स्नातक की उपाधि दी जाती थी।

14. विवाह संस्कार – विवाह संस्कार से समग्र व्यक्तित्व का निर्माण परिपूर्ण होता है। इस संस्कार के अंतर्गत दो प्राणी पृथक-पृथक अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। इस संस्कार के द्वारा दो आत्माओं के मिलने से सृजित होने वाली उस महान शक्ति का निर्माण करना है, जो दोनों के लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन के विकास को सफलभूत करते हैं। इसलिए विवाह संस्कार को दो आत्माओं के पवित्र बन्धन के रूप में स्वीकार किया गया है।

15. समावर्तन संस्कार – गुरुजनों से विदा लेने के पहले बालक का समावर्तन संस्कार सम्पन्न कराये जाने का विधान है। समावर्तन संस्कार विधान के पूर्व ब्रह्मचारी बालक का केशान्त संस्कार सम्पन्न कराया जाता है, इस संस्कार के अन्तर्गत वेदी को उत्तर भाग में रखकर आठ घड़ों में समुचित पदार्थ और औषधियाँ मिलाई जाती हैं और फिर इन घड़ों के जल से मंत्रोच्चारण के साथ बालक को स्नान कराया जाता है।

16. अन्तेष्टि संस्कार – अन्तेष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है, वह विभिन्न कर्मों में बँधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़कर परलोक चला जाता है।

शोध की समस्या का समाधान –

1. किसी भी समाज को चिरस्थायी, प्रगतिशील और उन्नत बनाने के लिए कोई भी समाज तभी महान बनता है जब उसके अवयव श्रेष्ठ हों। उन घटकों को श्रेष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें दया, कसृणा, सरलता, शील, प्रतिभा, न्याय, ज्ञान, परोपकार आदि तत्वों के प्रति अगाध श्रद्धा हो।
2. संस्कार मानव जीवन को परिष्कृत करने वाली एक आध्यात्मिक विधा है। जो संस्कारों से सम्पन्न होने वाला मानव सुसंस्कृत, चरित्रवान, सदाचारी और प्रभु-परायण हो सकता है। अन्यथा कुसंस्कार जन्य चारित्रिक पतन की ओर ले जाते हैं।

उपसंहार (निष्कर्ष) – आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता के उतरोत्तर प्रभाव के साथ-ही-साथ औद्योगिकीकरण व नगरीकरण के फलस्वरूप धर्म का महत्व व्यक्ति के जीवन में कम होता जा रहा है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि संस्कारों का महत्व व्यक्ति के जीवन में कम होता जा रहा है। इसका स्वाभाविक परिणाम संस्कारों का घटना है। आज का हिन्दू संस्कारों को न तो अधिक महत्व देता है और न ही उसे विधिवत् एवं मूलरूप से अनुष्ठित करता है। आधुनिक समय में अनेक संस्कारों को या तो त्याग दिया गया है अथवा आवश्यकतानुसार संशोधित करके स्वीकार किया जाता है। जैसे गर्भाधान संस्कार को अब कोई शायद ही मानता है। आज इसे फैशन के रूप में गोदभराई का नाम देकर एक पार्टी के रूप में मनाया जाता

है। उसी प्रकार सीमन्तोन्नयन संस्कार का प्रचलन भी आज ना के समान है।
निष्क्रमण संस्कार को भी आज व्यर्थ माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज और संस्कृति -रवीन्द्रनाथ मुखर्जी ।
2. भारतीय समाज और संस्कृति - डॉ. डी.एस. बघेल ।
3. सांस्कृतिक विखंडन चुनौती और चेतना - कैलाश चन्द्र पंथ ।
4. सामाजिक परिवर्तन एवं विकास - डॉ. डी.एस. बघेल, डॉ. श्रीमती किरण बघेल ।
5. व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम - डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी, डॉ. प्रदीप कुमार खरे ।

गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाली अजजा महिलाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सकारात्मक प्रभाव एवं मूल्यांकन (खरगोन जिले के सेगांव तहसील में)

कविता आर्य *

प्रस्तावना - आदिम जनजातीय समूहों की उपजातिगत स्तर पर विवेचना करने से पूर्व जनजाति को समझना आवश्यक है। मानव समाज का एक विशिष्ट वर्ग जनजाति कहा गया है। आदिवासी आदिम जनजाति आदि पर्यायवाची शब्द है। इनमें उपजातीय स्तर पर रीति रिवाजों तथा व्यवहारों के आधार पर एक दूसरे से थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। खरगोन जिले के संदर्भ में विभिन्न तहसीलों में भील, बारेला, भिलाला जनजाति की महिलाएं निवासरत हैं। विभिन्न साहित्यों के पुनरोवलाकन में यह तथ्य सामने आया है कि लोग, भोजन, निवास, सुरक्षा, अनुकूलन सामुहिकता जैसे कारणों से एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बसने के उद्देश्य विभिन्नता लिए होते हैं।

डॉ.डी.एन. मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवार एवं परिवारों का संकलन है। इनका एक सामान्य नाम होता है। सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं, उनकी सामान्य संस्कृति एवं सामान्य नियम होते हैं। विवाह आदि में एक ही प्रकार के निषिद्ध होते हैं।

रिजले ने इन्हें आदिवासी कहा है। हट्टन ओर हयूडन ने इन्हें आदिम जनजातियाँ कहा है। सन् 1935 में पिछड़े हिन्दुओं की एक अनुसूची बनाई गई जिसमें उन्हें अनुसूचित जनजाति का एक संवैधानिक नाम प्रदान किया गया। अनुसूचित जनजाति की महिलाएं परिश्रमी, ईमानदार एवं उनके रीति व्यवहारों की परंपराओं को जीवन्त करने वाली महिलाएँ हैं। इनकी सामाजिक स्थिति दुर्गम निवास स्थान पर रहने वाली जातियों में यातायात के साधनों के माध्यम से सभ्य समाज के सम्पर्क कर रही है। उनमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण पिछड़े समूहों का बौद्धिक विकास हो रहा है तथा उनकी परंपरागत जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

भारत में कुल जनजातियों की संख्या 212 है। जनजातियों के भौगोलिक वितरण भारत के बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में है। उत्तरप्रदेश में सबसे कम एवं सबसे अधिक जनसंख्या मध्यप्रदेश में है। देश की जनसंख्या का इतना बड़ा भाग अविकसित, अशिक्षित एवं पिछड़ा हुआ है। यह एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि यह देश की प्रगति में बाधक है।

भारतीय संविधान में विभिन्न जनजातियों के संरक्षण के लिए कानून बनाये गये हैं। ये प्रावधान, भील, भिलाला, बारेला महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में बिना किसी विभेदीकरण की प्रक्रिया के लिए गए हैं। हालांकि आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक आवागमन के साधन एवं संचार के साधनों से इनमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ग्रामीण प्रवासीय भील परिवारों की महिलाओं में परिवर्तन हुए हैं, किन्तु आज भी दूर दराज में रहने वाले भील परिवार में परम्परागत सामाजिक

सांस्कृतिक प्रतिमानों का अनुसरण कर रहे हैं यद्यपि उनमें गतिशीलता का तत्व आसानी से देखा जा सकता है। उनकी परंपरागत जीवन शैली, वेशभूषा एवं भौतिक साधन का प्रयोग अपने जीवन में योग्यतानुसार करने लगे हैं किन्तु आज उनका शैक्षणिक स्तर एवं साक्षरता का प्रतिशत इतना न्यून है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा के भी समकक्ष हैं, कहा नहीं जा सकता।

ग्रामीण आजीविका मिशन का आगमन - 1980 के पूर्व में महिला की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति गरीब परिवारों के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन एवं स्वरोजगार हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों की वर्ष 1980 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई.आर.डी.पी से शुरुआत की गई थी। इस संबंध में 1999 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब आई.आर.डी.पी की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में परिवर्तित किया गया है। गरीब महिलाओं को स्वसहायता समूहों एस.एच.जी के रूप में संगठित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना, नई रणनीति का मुख्य अंग था। गरीबी के उन्मूलन हेतु 2.5 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को संगठित करके एस.एच.जी. नेटवर्क में समाहित करना एक बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम था।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सभी निर्धन परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करना उन्हें स्थायी जीविका अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी से ऊपर आने तक उनका पोषण करना निहित है। ताकि वे अच्छा जीवन बसर कर सकें। इसके लिए एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदनशील सहायता संरचनाओं की व्यवस्था की गई है। इनसे निर्धनों की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। और वे बाहरी माहौल से तारतम्य बैठाने वित्त एवं अन्य संसाधन प्राप्त करने और विभिन्न स्तरों पर संस्थापन के लिए सक्षम बनते हैं। उक्त संस्थापन से उन्हें शुरू में संगठित करने आजीविका सेवाएँ उपलब्ध कराने और बाद में आजीविका को स्थायी बनाने में सहायता मिलती है।

निर्धनों के एस.एच.जी. के रूप में परिसंघों तथा आजीविका के विविध रूपों से निर्धनों को स्व सहायता तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित कार्यवाही के लिए एक मंच उपलब्ध होता है। एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी क्षमता में वृद्धि वित्तीय एवं स्वप्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों, रोजगार, एवं उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर व आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सिद्धांत मूल्य - गरीब महिलाओं/परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी रोजगार अवसर उपलब्ध करवाकर निर्धनता कम करना ताकि गरीबों के मजबूत

बुनियादी संस्थापक के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी और बेहतर बनाया जा सके।

दिशा निर्देशक सिद्धांत :-

1. गरीबों में गरीबी से निजात पाने की तीव्र इच्छा होती है। और इस संबंध में उनमें क्षमता भी होती है।
2. गरीबों की क्षमता के उपयोग के लिये एक जुटता तथा मजदुर संस्थागत महत्वपूर्ण है।
3. सामाजिक एक जुटता संस्थापन तथा अधिकारिता के लिए एक बाहरी समर्पित एवं संवेदनशील सहायता संरचना आवश्यक है।
4. इसकी बेहतरी के लिए जानकारी का प्रचार प्रसार कौशल विकास की ऋण एवं बाजार तथा अन्य आजीविका सेवाओं की अत्यावश्यकता होती है।

सामाजिक समावेशन, एकजुटता एवं संस्थान - गरीब अ.ज.जा. महिलाओं को अपनी संस्थाएँ बनाने के लिए एक जुट करना वृद्ध पैमाने पर गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ी ओर पहली शर्त है। एन.आर.एल.एम. सभी निर्धन अजा महिलाओं की सर्वेसूची तैयार का समूह गठन का कार्यक्रम उन महिलाओं के साक्षा विचार सुनेगा। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। अजजा भील बारेला भिलाला महिलाओं को निर्धनों के और निर्धनों के लिए ये मंच स्थानीय स्वशासन सार्वजनिक सुविधा प्रदत्ताओ बैंको निजी क्षेत्रों और संस्थान की अन्य मुख्य संस्थाओ के साथ मिलकर काम कर रही है। ताकि निर्धनों को सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ आसानी से मिल सके।

भील बारेला भिलाला महिलाओ से समक्ष में शोधार्थी द्वारा चर्चा की गई इन ग्रामों में भ्रमण कर वास्तविकता का पता लगाने का उद्देश्य पूर्ण हुआ आदिम समुदायों के सामुहिकता विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भी खरगोन जिले के सेगावां अंचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओ ने समुह गठन करने में सक्रियता दिखाई एवं एन.आर.एल.एम. की सहयोगी टीम के द्वारा वस्तु परक मूल्यांकन, योजना से प्रभाव को लेकर किया गया। विकास खण्ड सेगांवां में कुल ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों की संख्या 37 है। जिनमें ग्राम 53 आबाद ग्राम है। यहाँ की आबादी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण डाटा के अनुसार 2011 की जनगणना में 13012 परिवार अवस्थित है। कुल अनुसूचित जनजाति की परिवार संख्या 12629 है। जिनमें से महिला मुखिया वाले परिवार 520 है। विकास खण्ड का जेंडर अनुपात 966 है। प्रति हजार पर साक्षरता दर का प्रतिशत 56.06 प्रतिशत है।

विभिन्न ग्रामों में सर्वे कर मिशन ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं के समूह गठन की स्थिति का जायजा लिया जिनमें एन.आर.एल.एम. से आजीविका को प्राप्त करने की परिणाम मूलक चर्चा की गई। समूचे विकास खण्ड को 03 कलस्टर में बांटा गया है। जिनमें सेगावां में 20 केली में 18 एवं भडवाली में 15 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इन कलस्टरों को महिलाओं के 10-10 महिलाओं के समूहों में विभाजित किया गया है। सफल स्व सहायता समूहों के प्रमुख अवयवों के प्रकार है-

1. स्वनिर्धारित/स्वैच्छिक समूह सदस्यता और समूह मानदण्ड
2. समूह सदस्यों में महिलाओं में एकजुटता।
3. महिला स्वसहायता समूहों द्वारा नियमित बचत और आपसी लेन देन का मापदंड
4. निर्वाध उपयोग के लिए अपनी बचत में से महिला स्वसहायता समूह द्वारा आपसी लेनदेन /शुरूआती लेनदेन।
5. सहायक सेवाएँ (प्रशिक्षण, बुककीपिंग आदि) मुहैया कराने के लिए

सामाजिक पूंजी

6. महिला सदस्यों की ऋण संबन्धी जरूरतों को पूरा करने या पूंजीवृद्धि हेतु बैंक से लिंक

भील बारेला भिलाला महिला स्वसहायता समूहों की निर्देशात्मक विकास की उपलब्धियाँ - विभिन्न 53 ग्रामों में अ.ज.जा. महिलाओं की संख्या के अनुपात में 30 प्रतिशत महिलाएँ विभिन्न प्रकार के कौशलों से परिपूर्ण हैं। पनाली ग्राम पंचायत को लालबाई फुलबाई स्वसहायता समूह एवं महाकाल स्वसहायता समूह की अंशदान पूंजी क्रमशः 13 लाख एवं 23 लाख हैं 10 महिलाएँ सक्रिय रूप से अपनी बचत कर बैंकिंग में अपना योगदान दे रही हैं। महिला स्वसहायता समूहों की मुखिया महिला श्रीमती जानकी मंडलोई ने नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक से ऋण के रूप में 5 लाख का मद अनुदान ऋण प्राप्त किया। कृषि कार्यों में रातदिन लगे रहने के अतिरिक्त 05 शालाओं में मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य प्रारंभ किया। शुरूआती दौर में समूह संचालन में काफी समस्याएँ आई किन्तु धीरे - धीरे उन्होंने अपनी समस्त महिला सदस्यों के सहयोग से दुधारू पशुओं की खरीदी, बकरी पालन मसाला, बेकरी, एवं श्रृंगार सामग्री कटलरी स्टोर्स आदि में भी अपना ध्यान बटाया। बैंक के द्वारा सक्रिय समूहों के खाता खोलने परिचय करवाने बैंक मित्र की भूमिका भी रखी गई है। ये बैंक मित्र महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं जो व्यवसाय या पूंजी का लेन देन बचत के तरीके ऋण चुकता करना आदि में सहयोग करते हैं। एन.आर.एल.एम. का ग्राम स्तरीय दल ग्राम संगठन कहलाता है। पंचायत या ग्राम लेवल पर गठित समूह को दीदी संचालित करती है। ग्रामीण महिलाओं के इस समूह में अधिकतम 20 महिलाएँ सदस्य हो सकती हैं। जो परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त कौशल विकास के क्षेत्र में रूची रखती हो या अपने परिवार की आय में सहायक महिला हो सकती है। वर्तमान में विकास खण्ड सेगांवां में सक्रिय महिला स्वसहायता समूह की आजीविका में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जो महिला सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कटलरी सामान, चुडी दुकान, मसाला व्यवसाय, टेलरींग, कटींग, ब्यूटीपीएल आदि महिलाओं के क्षेत्र में माने जाने वाले कार्यों में 100 प्रतिशत महिलाएँ घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषों की कार्य क्षेत्र मानी जाने वाली सेंटींग तराफे, टेंट व्यवसाय, केंटरिंग, भोजनघाला, मंदिर निर्माण, कुशल कारीगर, कम्प्यूटर दक्ष केन्द्र, टाईपिंग सेंटर आदि में भी स्वसहायता समूह की महिलाएँ संगठित होकर कार्य कर रही हैं। इस छोटे से अध्ययन क्षेत्र में 90 महिलाओं द्वारा सफल व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। जिसमें की एन.आर.एल.एम. की सार्थकता सिद्ध होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शिक्षित एवं अल्पशिक्षित दोनों के लिए बहुआकांक्षी एवं अमृत योजना है। जिसका लाभ निश्चित ही वंचित तबके की एवं भील बारेला भिलाला महिलाएँ अधिकतम संख्या में लेने के लिए अग्रसर है।

समस्याएँ एवं सुझाव - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए गये आर्थिक उत्थान के इस महत्वपूर्ण कदम में बचत का अभूतपूर्व योगदान है। स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने शत प्रतिशत समूह गठन कर अल्प बचत की स्वस्थ आदत विकसित ही की है। महिलाओं को अब दैनिक दर पर साहुकारों के चंगुल से मुक्ति मिल गई है क्योंकि उन्हें ऋण अपने ही ग्राम संगठन समूह से मिल जाता है। इस प्रकार सशक्तिकरण की अवधारणा को बल मिलता है इससे महिलाओं में स्वयं के प्रति जागरूकता व आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। आर्थिक स्वावलंबन में वृद्धि हुई जिससे उन्हें असुरक्षा के भय

से मुक्ति मिली है। यह भी सत्य है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मात्र एक कदम है। मंजिल अभी दूर है क्योंकि इसकी पहुंच अभी भी सभी महिलाओं तक नहीं हुई है। शिक्षा का अभाव जागरूकता की कमी उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण का अभाव है, बाजार की मंदी उतार-चढ़ाव का ज्ञान परिपक्व न होना।

समय समय पर स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं का मेला लगाकर विक्रय किया जाए। हस्तकला, मसाला, बेकरी, पापड उद्योग का स्थानीय व बड़ा बाजार उपलब्ध करवाया जावे तथा समूहों की गतिविधियों को सुचारु रूप से क्रियांवित करवाने वाले मार्गदर्शक उन्हें प्रबंधकीय गुण

से भी निखार सकें तो स्व-सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन योजना संचालन एवं क्रियांवयन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल शत प्रतिशत रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) दिशा निर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
2. जनपद पंचायत से गाव से संकलित की गई योजना से संबंधित जानकारी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का मूल्यांकन मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के संदर्भ में

आरती जोगे *

प्रस्तावना - महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों में निवास करता है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः जनसंख्या कृषक तथा श्रमिक है, जिससे यह एक श्रम आधिव्य देश है। इस जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी कार्य व दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करता है और अकुशल तथा अनियमित श्रम के रूप में रोजगार पाता है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सामाजिक न्याय के साथ तीव्र आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षी अभिलाषा के साथ ग्रामीण विकास और कल्याण की अनेक योजनाएँ और कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहा जाता है, विश्व में अग्रणी अधिकार आधारित विधानों में से एक है। यह विश्व का सबसे वृहद् मजदूरी कार्यक्रम है। भारतीय संसद ने सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से इस ऐतिहासिक अधिनियम के संबंध में कानून बनाया।

भारतीय श्रम आंदोलन की लंबे समय से रोजगार गारंटी की मांग के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005; (NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTY ACT) (NREGA)' को भारतीय संसद ने पारित किया और इसे 02 फरवरी 2006 से लागू किया गया। प्रारंभ में इसे देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और बाद में इसे दो चरणों में पूरे देश में लागू किया गया। 02 अक्टूबर 2009 में संशोधन पश्चात् इसका नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MAHATAM GANDHINATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTY ACT)' कर दिया गया, जिसे संक्षिप्त में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNEGA) कहा जाता है।

शोध प्रविधि -

शोध का उद्देश्य - मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से होने वाले रोजगार सृजन, ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव व विकास से योजना का मूल्यांकन करना शोध कार्य का उद्देश्य है।

समंक संकलन - प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक समकों पर आधारित है। अध्ययन प्रक्रिया में द्वितीयक समकों के संकलन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद भोपाल तथा जिले व जनपद से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम.पी.आर.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की वेबसाइट, पुस्तकों, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, जनगणना रिपोर्ट, शोधग्रंथों, केन्द्र एवं राज्यों की रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ एवं जिले

के विभिन्न विकास विभागों तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ, उद्योग, सामाजिक सेवाएँ आदि विभागों एवं जिला योजना विभाग के अभिलेखों के माध्यम से किया गया।

मनरेगा के विधान - एक परिचय - 02 फरवरी 2006 से लागू यह अधिनियम देश के समस्त जिलों में निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू किया गया है -

1. मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना जिसके फलस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊपन वाली लाभकारी परिसम्पत्तियों का सृजन होगा।
2. निर्धन के आजीविका संसाधन आधार का सुदृढ़ करना।
3. सामाजिक अंतर्वेशन को अति सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना।
4. पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

मनरेगा का क्रियान्वयन - ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हर परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करना चाहता है, उसका पंजीयन योजनांतर्गत किया जाता है। एवं ग्राम पंचायत द्वारा जाँबकाई जारी किया जाता है। जाबकाईधारी परिवार के सदस्यों द्वारा अकुशल कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत को आवेदन दिया जाता है, जिसके आधार पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित आवेदनकर्ता को 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की दशा में संबंधित को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, साथ ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्राप्त है व मजदूरी भुगतान का आधार 'जितना काम उतना दाम' है, व पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

मनरेगा का संचालन प्रायः ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए गए सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में लिए गए कार्यों को जनपद एवं जिले द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मनरेगा अंतर्गत लिए जाने वाले अनुमेय कार्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें जल संरक्षण एवं संवर्धन, सूखारोधी कार्य, भूमि सुधार एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित अ.जा./अजजा जाति के परिवारों को निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास की सुविधा, परंपरागत जल संरचनाओं का पुनरुद्धार, भूमि विकास के कार्य, बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा, बारहमासी सड़क के रूप में ग्रामीण सड़क संपर्क, केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य कार्य आदि सम्मिलित है।

योजनांतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर 60:40 के अनुपात में राशि का व्यय किया जाता है। यह अनुपात जिला स्तर पर आधारित है। योजना पर कुल वहन का स्वरूप केन्द्र शासन 90 प्रतिशत व राज्य शासन 10 प्रतिशत

है। साथ ही मनरेगा में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्य व्यवस्था स्थापित की गई है।

खरगोन जिले में मनरेगा योजना - खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्र की बहुलता है। यहां ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु पंचायत के तीनों स्तर पर विकासात्मक कार्य कराए गए हैं। खरगोन जिले में 09 जनपद पंचायतों में कुल 594 ग्राम पंचायतें जिसमें 1407 ग्राम (आबाद ग्राम) सम्मिलित है। जिले में कुल जाबकाई 188255 है, जिसमें से 132831 सक्रिय जाबकाईधारी परिवार है, जो कि मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत है। जिले में अजा परिवार के जाबकाईधारी 27364, अजजा के 85201 तथा अन्य 75690 है, जिसमें से कुल सक्रिय महिला मजदूर 102195 है। (समस्त आकड़े वर्ष 2017.18 के हैं)। जिले में कुल 13500 परिवारों को वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं।

खरगोन जिले की मनरेगा संबंधित रोजगार एवं वित्तीय जानकारी इस प्रकार है :-

तालिका क्रं. 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 1 में विगत 5 वर्षों के रोजगार संबंधित आकड़े सम्मिलित है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष औसतन 88000 परिवार के 218000 वयस्क सदस्यों को रोजगार प्रदाय किया गया, जिससे 168.24 लाख मानव दिवस सृजित हुए। योजनांतर्गत कुल जाबकाई धारी के विरुद्ध आधे से भी कम परिवारों को राजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों में जागरूकता का अत्यधिक अभाव पाया जाता है। एवं 100 दिवस का रोजगार प्रदान करने में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जो कि योजना में सुधार का विषय है। कुल प्रदाय किये गये रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 42.32 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया है, जिससे खरगोन जिले में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आए है। साथ ही मनरेगा का रोजगार सृजन ग्रामीण विकास में योगदान समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की आय सृजन, बाजार में श्रम की पूर्ति इत्यादि योजना के मूल लक्ष्य के प्राप्ति का शुभ संकेत देती है।

तालिका क्रं. 2-(देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 1 में विगत 5 वर्षों के वित्तीय आकड़े प्रदर्शित है। जिससे प्रदर्शित होता है कि मनरेगा के तहत किए गए व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक अकुशल श्रम पर व्यय किया गया है जो कि योजना के प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन करना प्रदर्शित होता है। योजना के तहत अब तक पूरे देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते खुले हैं। खरगोन जिले में वर्ष 2017.18 तक 249134 बैंक व पोस्टआफिस के खाते खुले हैं। भुगतान जिला प्रशासन द्वारा सीधे मजदूरों के बैंक अथवा पोस्टआफिस के खातों में किया जाता है। जिससे की मजदूरी बिना किसी भ्रष्टाचार एवं कटौती के प्राप्त हो। खाते खुलने से रकम बैंक में सुरक्षित रहती है, जिससे की ग्रामीण बचत करने को प्रोत्साहित हो रहे है।

खरगोन जिले में वर्ष 2017 तक लगभग 146000 कार्य स्वीकृत किए गए है, जिनमें हितग्राहीमूलक एवं सार्वजनिक उपयोग के कार्य शामिल है। उक्त कार्यो से ग्रामीणों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ-साथ सार्वजनिक कार्य होने से ग्राम में विकास हो रहा है।

निष्कर्ष - मनरेगा वर्तमान तक लागू की गई समस्त विकास योजनाओं में सबसे बड़े बजट वाली व्यापक एवं विस्तृत योजना है, जिसमें प्रत्येक राज्य में हजारों करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किए जा रहे है। परन्तु कोई भी योजना

कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका सफल क्रियान्वयन तभी होता है जब उसमें मानवीय संसाधन की गुणवत्ता, ईमानदारी, पारदर्शिता, दक्षता, इच्छाशक्ति सहभागिता आदि का समावेश होता है। मनरेगा में भी जहाँ एक ओर ग्राम विकास कार्य किए जा रहे है, वही कई स्तरों पर भ्रष्टाचार भी पाया गया है, जैसे मजदूरी के कार्यों के मुल्यांकन में हेरफेर, फर्जी मजदूरी भुगतान, मानव श्रम के स्थान पर मशीनों से कार्य, निम्न गुणवत्ता के कार्य, हितग्राही मूलक योजना में भेदभाव, भुगतान एवं व्यय में गडबडी इत्यादि मद्दों में व्यापक भ्रष्टाचार एवं हेरफेर पंचायत सचिव, सरपंच, जनप्रतिनिधी, प्रशासनीक अधिकारी व कर्मचारी, ठेकेदार एवं प्रभावशील व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएँ तो निश्चित ही ओर भी बेहतर ढंग से योजना का क्रियान्वयन कर ग्राम में विकास कार्यों को किया जा सकेगा।

महात्मा गांधी नरेगा के खरगोन जिले में लागू होने के पश्चात् महिला श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक व सामाजिक प्रगति में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र शासन, राज्य शासन, क्रियान्वयन एजेंसी और ग्रामीणजन जिस लगन एवं उत्साह के साथ सहयोग कर रहे हैं, वह अतुलनीय है। मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार सबके सहयोग से बहुत जल्द ही हम एक समतयुक्त एवं विकसित समाज की कल्पना को साकार कर सकेंगे।

सुझाव -

1. औपचारिकताओं को कम करके सहज व साधारण तरीके से हितग्राही को लाभ पहुँचाना चाहिए।
2. ग्रामवासियों को योजना के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे वे हितग्राही एवं रोजगार योजनाओं के सभी तकनीकी से भर्त्सी-भांति परिचित हो जाए।
3. योजना में ईएफएमएस के द्वारा राशि समस्त मजदूरों के बैंक/पोस्ट आफिस के खातों में हस्तान्तरित की जाती है, इस हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारी का इसका तकनीकी रूप से पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे तकनीकी समस्याओं से निपटने में सक्षम बन सकें।
4. 100 दिवस का रोजगार एक परिवार को नहीं अपितु वयस्कों के हिसाब से रोजगार दिवसों का सृजन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में परिवारिक आय के साथ व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का राजपत्र MINISTRY OF LAW AN JUSTICE (Legislative department) THE NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 2005 NO. 42 OF 2005
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एनआरईजीए) दिशा निर्देश 2006 ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 - एक दशक की उपलब्धि'।
4. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जारी किये गये विभिन्न परिपत्र, निर्देश।
5. nrega.nic.in

6. nrega-mp-org
7. <http://www.gov.in>
8. <http://www.nrega.net>
9. <http://www.nrega.nic.in/guidelines.htm>
10. <http://www.nrega.nic.in/misreport.htm>

तालिका क्रं. 1 - रोजगार की स्थिति

क्र.	विवरण	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
1	कुल जाबकार्दधारी परिवार	206629	187529	189017	183677	193616
2	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या	89440	89542	77371	84170	103511
3	रोजगार उपलब्ध हुए वयस्क सदस्यों की संख्या	233927	246014	198728	202333	209504
4	सृजित मानव दिवस (लाख में)	38.96	38.25	28.08	22.56	40.39
5	रोजगार सृजन में महिलाओं का प्रतिशत	45.20	46.38	44.30	41.55	34.17
6	100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारों की संख्या	6526	6928	3433	1684	1489

स्रोत - मनरेगा पोर्टल एवं जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी।

तालिका क्रं. 2-वित्तीय स्थिति वर्षवार -

क्र.	विवरण	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
1	वर्ष में कुल उपलब्ध आवंटन (लाख में)	8111.89	9508.63	6358.26	7453.36	11138.75
2	वर्ष में व्यय राशि (लाख में)	8111.89	9508.63	6358.26	7453.36	11138.75
3	अकुशल श्रम व्यय प्रतिशत	66%	65%	64%	58%	63%

स्रोत- मनरेगा पोर्टल एवं जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी।

खरगोन शहर में स्वच्छता अभियान, क्रियान्वयन, उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ - एक समग्र अध्ययन

डॉ. आर. के. यादव *

प्रस्तावना - राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने - आजादी के पूर्व कहा था भारत में स्वच्छता अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि 'स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है'।

यद्यपि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही इस ओर ध्यान दिया जाने लगा। इस हेतु समय-समय पर निरंतर प्रयास किये जाते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता की आवश्यकता थी। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1999 में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई। यह एक ऐसा अभियान था, जिसमें ग्रामीण भारत में स्वच्छता को अमल में लाना था। प्रथम निर्मल भारत अभियान जिसका पूनर्गठन कर 'स्वच्छ भारत अभियान' (ग्रामीण) के रूप में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच से रोकना। इसके तहत 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा।

'स्वच्छ विद्यालय अभियान' इस कार्यक्रम के तहत 25 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2014 में भारत के राष्ट्रपति जी ने जून 2014 को संसद को संबोधित करते हुए कहा कि एक 'स्वच्छ भारत मिशन' शुरू किया जाएगा, जो कि देश में स्वच्छता, वेस्ट मैनेजर और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए होगा। यह महात्मा गांधी जी 150 वीं जयंती 2019 में हमारी तरफ से श्रद्धांजली होगी। भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा महात्मा गांधी जी के जन्म दिन 2 अक्टूबर 2014 पर स्वच्छ भारत अभियान नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया। पूरे देश में यह अभियान एक साथ प्रारंभ किया गया, जिसके तारतम्य में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिवर्ष 100 घंटे स्वच्छ बनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभियान के लिए 9 सदस्य नामित किए गए, जो जाने-पहचाने नाम व चेहरे थे। इस अभियान से बाद में अनेक नामचिन् व्यक्त स्वतः ही जुड़ने लगे। यह अभियान एक आंदोलन के रूप में फैल गया। खरगोन जिले में भी इस आन्दोलन में शासकीय मशानिरी के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ जागरिक नागरिकों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आज शहरों एवं क्षेत्र परिदृश्य बदला सा नजर आता है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. स्वच्छता अभियान के लोगों के स्वास्थ्य पर क्या अनुकूल असर हो रहा है, अध्ययन करना।
2. प्लास्टिक कचरे से क्या शहरी क्षेत्र मुक्त हो रहे हैं, अध्ययन करना।
3. स्वच्छता मिशन का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो रहा है, अध्ययन करना।

4. क्रियान्वयन के लिए एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन है, अध्ययन करना।
5. शहर के विभिन्न क्षेत्रों तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, अध्ययन करना।
6. हटाए गए कचरे को उचित स्थान पर विलोपीत किया जा रहा है, इसके तरीकों को जानना तथा उस कचरे से निकाले गए, उपयोगी वस्तुओं को समझने का प्रयास करना।
7. शासन एवं अन्य संगठनों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना।
8. इस अभियान से जुड़े समग्र पहलुओं का अध्ययन करना।
9. समाज के विभिन्न समुदायों, संस्थाओं तथा परिवारों की इस अभियान के प्रति बनी धारणा को समझना।

अध्ययन विधि :- इस अध्ययन में निम्न अध्ययन विधि का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र :- अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत खरगोन।

अध्ययन ईकाई :- प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन की ईकाई के रूप में वह आम जन है, जो स्वच्छता अभियान के संबंध में जागरूक है, जिनको स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ नजर आता है। समाज के विभिन्न वर्गों जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, गंदी वस्तुओं के रहवासी, गृहणीयां, कृषक तथा मजदूर थे। विभिन्न वर्गों की 100 मानव इकाईयों का चयन किया गया है।

निर्देशन :- विभिन्न वर्गों में से 5 वर्ग बनाये गये जिसमें (1) व्यापारी (2) गृहणीयां (3) कर्मचारी (4) मजदूर (5) विद्यार्थी में से 10-10 इकाईयां सौदेश्यपूर्ण निर्देशन के आधार व चयन किया गया। शहर के विभिन्न वार्डों जिसमें गन्दी बस्तियां तथा पास कॉलोनियां भी शामिल थीं साथ में व्यापारीक प्रतिष्ठियों के आस-पास भी के क्षेत्र शामिल किए गए।

आंकड़े संग्रहण की विधियां :- शोध अध्ययन में तथ्यों के संग्रहण हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया गया :-

1. प्राथमिक आंकड़े :-

1. साक्षात्कार मदसूची
2. समुह चर्चा

2. द्वितीय आंकड़े :- समाचार पत्र, नगर पालिका के रेकार्ड के आधार पर खरगोन जिले को सांख्यिकी पुस्तक तथा विभिन्न लेख।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :- 'स्वच्छता अभियान से संतुष्टी का भाव' आंकड़ों का विश्लेषण :

1. विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से संतुष्टी का भाव तालिका द्वारा दर्शाए गए, तथ्यों के आधार पर निम्न है 57 प्रतिशत पूर्ण सफल 12 प्रतिशत, आंशिक सफल, 10 प्रतिशत असफल है। फिर भी 90 प्रतिशत लोग इस अभियान से संतुष्ट है, मात्र 10 प्रतिशत असंतुष्ट है, जिसमें अधिकांश मजदूर वर्ग के है।
2. सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई की व्यवस्था को 51 प्रतिशत में उच्चतम 22 प्रतिशत में मध्यम 9 प्रतिशत निम्न तथा 18 प्रतिशत में गंदगी होना बताया गया है यह गंदगी बस स्टैंड के पास, नगर पालिका के कचरे के डिब्बों के पास तथा मलिन बस्तियों में होना बताया गया है साथ ही खाली प्लाटों एवं अन्य खाली जगह पर भी गंदगी को स्वीकार किया है।
3. कचरे के लिए उचित प्रबंधन के संबंध में नगर पालिका के द्वारा सेवा देना स्वीकार किया है, उसमें 89 प्रतिशत ने हाँ तथा 11 प्रतिशत ने ना में जवाब दिया।
4. किस तरह का प्रबंध किया जाता है के जवाब में 76 प्रतिशत ने कचरे की गाड़ी द्वारा 8 प्रतिशत ने इस्टबीन कॉलोनी में रखने 7 प्रतिशत सफाईकर्मियों द्वारा 9 प्रतिशत ने कहाँ नहीं हो पाता है, हम स्वयं ही कचरे को इधर-उधर डालते है।
5. कचरे वाली गाड़ी एक दिन छोड़कर सप्ताह में एक या दो बार अवश्य आती है जो कचरा घरों से ले जाती है मात्र 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे, जो हमें अस्वीकार करते है।
6. अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था, शहर को प्लास्टिक कचरे से

मुक्ति मिली है, इस संबंध में 70 प्रतिशत का कहना है कि पुर्णतः मुक्ति मिली है। 20 प्रतिशत का मानना है कि आंशिक मिली है। 5 प्रतिशत को पता नहीं जबकि 5 प्रतिशत का मानना है कि कचरा जैसा था, वैसा ही है।

7. स्वच्छता अभियान के तहत चलाए जा रहे, कार्यक्रमों पर किस तरह का असर हो रहा, इस संबंध में चर्चा के दौरा ज्ञात हुआ कि मच्छरों से क्षेत्र को मुक्ति मिली है। कचरो के ढेरों से भी मुक्ति मिली है, दुर्गन्ध से भी छुटकारा प्राप्त हुआ है। स्वच्छ वातावरण के कारण स्वस्थ महसूस कर रहे है।

सुझाव :

1. कचरे साफ करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाए।
2. कचरा उठाने वाली गाड़ियों की वृद्धि के साथ प्रतिदिन क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करें।
3. मच्छर नाशक दवाईयों का अधिक प्रयोग किया जाए।
4. स्वच्छता जागरूकता अभियान मोहल्ले-मोहल्ले चलाये जाए।
5. गंदगी करने वालों पर आर्थिक दण्ड लगाया जाए।
6. पर्किंग की व्यवस्थाएं विभिन्न स्थानों पर सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नगर पालिका खरगोन के दस्तावेज।
2. स्वच्छता अभियान के विभिन्न लेख।
3. सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन।

तालिका 1

क्र.	पूर्ण सफल		सफल		आंशिक		असफल		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
1.	व्यापारी	9	45 %	06	30 %	03	15 %	02	10 %	20
2.	गृहणीयां	15	75 %	03	15 %	01	10 %	01	1 %	20
3.	कर्मचारी	15	75 %	03	15 %	01	10 %	01	01 %	20
4.	मजदूर	06	30 %	04	20 %	04	20 %	06	30 %	20
5.	विद्यार्थी	12	60 %	05	25 %	03	15 %	00	0 %	20
	योग	57	57 %	21	21 %	12	12 %	10	10 %	100

भारत में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्थिति

डॉ. ज्योति मेहता *

प्रस्तावना - बाल्यावस्था मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बच्चों की उपेक्षा से समाज की हानि होना सुनिश्चित है। बच्चों के साथ समाज का बर्ताव समाज की गतिविधियों को प्रभावित करता है।

आज के बच्चों को कल का अच्छा नागरिक बनाने के लिए यह जरूरी है कि उनका जीवन के आरंभिक वर्षों में अच्छे ढंग से लालन-पालन किया जाए। आज के बच्चे कल के जिम्मेदार और उपयोगी व्यक्ति तभी बन सकते हैं यदि आज उन्हें बड़ा होने के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण दिया जाए और उनके स्वास्थ्य व शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। बच्चों पर ही स्वस्थ भारत का निर्माण निर्भर करता है, इसलिए बच्चों के सही विकास के लिए यह जरूरी है कि उन्हें सामाजिक असमानताओं की विभीषिका से संरक्षण प्रदान किया जाए।

बच्चों के अधिकार संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय प्रयास: प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1924 में जेनेवा बाल अधिकार घोषणा में बच्चों के अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। बाद में वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा में बाल अधिकारों को पुनः मान्यता दी गई। वर्ष 1959 की सार्वभौमिक बाल अधिकार घोषणा के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं - हर बच्चे को कम से कम यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए -

1. **शिक्षा**-शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी और हर बच्चे का अधिकार है।
2. **स्वास्थ्य** - स्वास्थ्य रहना हर बच्चे का अधिकार है। यदि किसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे तुरन्त उचित उपचार पाने का भी अधिकार है।
3. **प्रोत्साहन** - बच्चे के विकास में सीखना बहुत अहम है उसे प्रोत्साहित करें।
4. **सुरक्षा** - मारना या हिंसा करना भी बच्चों के अधिकार के खिलाफ है हर बच्चे को सुरक्षा पाने का अधिकार है। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया जाये।

यद्यपि बच्चों की देखरेख और विकास के सिद्धांत घोषित किए गए थे किंतु राष्ट्रों द्वारा उनका अनुपालन बाध्यकारी नहीं था। अतः वर्ष 1989 में संयुक्त महासभा में एक व्यापक बहस के बाद बाल अधिकार अभिसमय अपनाया गया। 191 राष्ट्र इस अभिसमय के सदस्य हैं। इस अभिसमय में बच्चे का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है।

बाल अधिकार - इस अधिसमय में अनेक बाल अधिकार हैं, इनमें से कुछ उल्लेखनीय अधिकार हैं -

- 1) जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 6)
- 2) राष्ट्रीयता ग्रहण करने का अधिकार (अनुच्छेद 7)

- 3) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 13)
- 4) विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- 5) संघ और शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 15)
- 6) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 28)
- 7) सामाजिक सुरक्षा लाभ का अधिकार (अनुच्छेद 26)
- 8) बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन का स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 27)
- 9) स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 24)
- 10) बाल निजता, परिवार, आवास में अवैध हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 16)

बाल अधिकारों का हनन - राष्ट्रीय स्थिति

1) बाल बंधुआ मजदूरी या बालश्रम - यह सर्वविदित तथ्य है कि न केवल उद्योगों अथवा कारखानों में बल्कि घरों में भी बाल शोषण जारी है। गरीब परिवारों के बच्चों की नियति उन्हें बाल श्रमिक बनाती है तो उन परिवारों में जहाँ गरीबी नहीं है प्रायः बच्चों का लिंग भेद के कारण शोषण किया जाता है।

कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि निराशा अथवा अपराध की प्रवृत्ति बच्चों के शोषण का कारण बन जाती है। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि किसी अध्यापक ने स्कूल की किसी छात्रा पर एसिड फेंक दिया अथवा किसी अध्यापक ने किसी छात्र या छात्रा की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी कि उसकी हड्डियाँ टूट गईं या उनकी दृष्टि ही जाती रही। बच्चों का यौन शोषण अपराध के साथ-साथ मानव अधिकारों का हनन भी है।

2) बच्चों के विरुद्ध हिंसा - हर वर्ष हजारों बच्चों की माता-पिता द्वारा पिटाई की जाती है, कई बार तो इस क्रूरता के कारण बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में माँ-बाप के क्रूर व्यवहार के कारण प्रतिवर्ष हजारों बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं अथवा शारीरिक अपंग या मानसिक रूप से अशक्य हो जाते हैं।

3) बाल यौन शोषण - बच्चों का यौन शोषण कई तरीकों से किया जाता है। कई बार अजनबी व्यक्ति अथवा नाते रिश्तेदार उनके साथ व्यभिचार कर उनका शोषण करते हैं। जब उनका परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शोषण किया जाता है तो यह प्रायः लम्बे समय तक चलता है क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ घरों से बाहर नहीं आ पाती।

जहाँ तक यौन शोषण का शिकार बच्चों का संबंध है, वे स्वयं को असहाय

पाते हैं और कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित हो जाते हैं और कई बार अवसाद के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं।

सरकारी आकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में हुई भारतीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में 1.26 करोड़ बच्चे ऐसे थे, जो बाल मजदूरी से जुड़े थे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत दुनिया के उन 71 देशों में से सबसे ऊँचे पायदान पर है जहाँ बाल मजदूरों की संख्या बहुतायत में है।

हमारे देश में दूरदराज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से महानगरों में आकर काम करने वाले बच्चे जो गरीबी और निरक्षरता से ग्रस्त हैं चमकदमक से भरे शहरों में कामगार कई तरह का शोषण झेलने को अभिशप्त हैं। वयस्क मजदूरों की तुलना में बाल मजदूरों को एक तिहाई कम वेतन दिया जाता है। काम के दौरान ये नाबालिग अपने मालिकों द्वारा दी गई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का दंश झेलने को विवश हो जाते हैं।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की स्थिति देखी जाए तो बाल मजदूरी पर लगाए प्रतिबंध तथा इसमें निहित कानूनों द्वारा ऐसे उद्योगों में जहाँ कम उम्र के बच्चे खतरनाक कार्य कर रहे हैं। दबाव पड़ने पर निकाल अवश्य दिए जाते हैं लेकिन आर्थिक मजबूरी इन लोगों को पहले से भी ज्यादा खतरनाक उद्योगों में कार्य करने को विवश कर देती है। (प्लेसमेंट एजेंसियों के बिछाए जाल में फसे ऐसे बच्चे न तो घर लौट पाते हैं और वही काम करने के बावजूद उन्हें सुकून से जीने दिया जाता है। इतना ही नहीं उनको और उनके परिवारजनों को न तो उनके काम से जुड़े किसी कानून की जानकारी होती है और नहीं उनको मिलने वाली जिम्मेदारियों और अधिकारों का कोई लिखित प्रारूप होता है। नाम मात्र का वेतन देकर हफ्ते के सातों दिन बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। बालिग होने पर भी इन्हें इस शोषण से मुक्ति नहीं मिलती। इन परिस्थितियों में तनाव, अवसाद और कुसंगत के कारण कुछ बच्चे अपराधी तक बन जाते हैं।

विश्व में बाल-श्रम की स्थिति - समूची दुनिया में चाहे अमेरिका हो या अन्य यूरोपिय देश अथवा एशिया महाद्वीप आज पूरे विश्व में 14 वर्ष से कम उम्र के 25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने पर विवश जिनमें 47 प्रतिशत अफ्रीका में, 16 प्रतिशत मध्यपूर्व में व उत्तरी अफ्रीका में 34 प्रतिशत दक्षिण एशिया में तो 12 प्रतिशत लेटिन अमेरिका में 6 प्रतिशत एशिया (पूर्व) व प्रशांत क्षेत्रों में तथा 13 प्रतिशत अन्य राष्ट्र कुल देशों में हैं।

172 देशों पर किए गए अध्ययन में भारत का नम्बर 116 वां है। बच्चों की बेहतर स्थिति पर इस सूची में श्रीलंका 61वां, भूटान 93 वां और म्यांमार का 112 वां स्थान है, जो भारत से काफी बेहतर स्थिति में है। नेपाल - 134वां बांगलादेश - 134 और पाकिस्तान 148 वे स्थान पर भारत से काफी खराब स्थिति में है।

बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में 44 हजार बच्चे गायब हो जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 53.22 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के बाल सुरक्षा विभाग की वर्तमान में जारी रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूर जिनकी उम्र 5-9 वर्ष है का आंकड़ा 2011 में पंद्रह

फीसदी था जो दस वर्ष बाद बढ़कर 25 फीसदी हो गया। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के अनुसार बाल मजदूरों के विरुद्ध शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

बाल श्रम निवारण के हेतु पेंसिल पोर्टल की स्थापना 2017 से की गई है -

इसके मुख्य बिंदु -

- 1) 26 सितम्बर 2017 को केन्द्रिय श्रम मंत्रालय ने पेंसिल नाम का पोर्टल आरम्भ किया है। इस पोर्टल पर देश भर में कहीं भी हो रहे बाल श्रम की शिकायत दर्ज की जा सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा इस पोर्टल को राज्य सरकारों जिलों और सभी जिला सोसायटी से जोड़ा गया है। शिकायत कर्ता इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य शर्त है।
- 2) शिकायत के वक्त बच्चे का फोटो, नाम, स्थान जैसे वितरण उपलब्ध कराना है। दर्ज की गई शिकायत पर संबंधित एजेंसिया 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी। इन शिकायतों का ट्रेकिंग आईडी होगा जिसके आधार पर कार्यवाही होगी।
- 3) बाल श्रम के लिए केन्द्र सरकार ने बाल श्रम (निषेध और संशोधन) अधिनियम 2016 पारित किया जिसे सितम्बर 2016 में लागू किया गया। इस विधेयक के अनुसार किसी भी व्यवसाय प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार प्रदान करना पूरी तरह से निषिद्ध है। अधिनियम के प्रावधानों को सर्वप्रथम 1986 में लागू किया गया था आशा थी कि भविष्य में इन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय बालश्रम पिरियोजना वर्ष 1988 से प्रारम्भ की गई इसके जरिए बाल श्रम के सभी रूपों से बच्चों को कर उनका सामाजिक पुर्नवास और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना था।

निष्कर्ष एवं सुझाव - बाल कल्याण पर समूचे देश में शासन प्रशासन को ज्यादा सजग बनने की आवश्यकता है। अमेरिका में तो सरकार यहाँ तक की बच्चों को उनके माता-पिता की करतूतों से भी बचाती है यदि यह पाया जाता है कि पालक अपने बच्चों से अनावश्यक सख्ती करते हैं या अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो बच्चे को उनसे दूर भी कर दिया जाता है। भारत में जहाँ-तहाँ बच्चों का शोषण होते देखते हैं। सरकारें तर्क दे सकती हैं कि उनके पास ऐसे तमाम बच्चों की देख-भाल के लायक पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। लेकिन समस्या संसाधनों के अभाव के बजाय इच्छाशक्ति की कमी की है।

हमें बच्चों के बाल अधिकारों यथा-सभी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना होगा, उनको शोषण से बचाना होगा उनके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करना होगा। इस संदर्भ में हर चुनौती का सामना करने के लिए कृत संकल्प होना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महिला विधि भारती - अक्टूबर - दिसंबर 2011
2. राजएक्सप्रेस - नवम्बर - 2018
3. क्रानिकल - नवम्बर - 2017

इंटरनेट एवं पारिवारिक विघटन

डॉ. निशा जैन *

प्रस्तावना – प्राचीन संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज व्यवस्था की नींव थी। परिवार में आपसी सहयोग से सुख-दुख का बंटवारा हो जाता था। हास्य विनोद से जीवन सहज व्यतीत हो जाता था। बड़ों का सम्मान, युवाओं का अनुशासन एवं बालकों को संस्कारित करने में संयुक्त परिवार की अहम भूमिका होती थी। धीरे-धीरे संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार अस्तित्व में आए। पारिवारिक बदलाव में उत्तरदायित्वों में भी परिवर्तन हुआ एवं परिवार व्यवस्था में कुछ स्वच्छंदता एवं जिम्मेदारियों की वृद्धि परिवार के सदस्यों में देखी गयी। कुछ नई समस्याएं पारिवारिक बदलाव के कारण पति-पत्नी के मध्य देखी गईं किंतु आपसी सामंजस्य से पारिवारिक व्यवस्था ठीक-ठाक बनी हुई थी। धीरे-धीरे संचार क्रांति का प्रभाव परिवार पर भी देखा जाने लगा। परिवार में प्रत्येक सदस्य के हाथ में स्मार्ट फोन आ गये। संचार कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा के चलते इंटरनेट सुविधा का लाभ प्रत्येक स्मार्ट फोन पर आ गया। इंटरनेट के उपयोग से जीवन बहुत आसान हो गया आज प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गया है। हमारी हर जिज्ञासा का समाधान इंटरनेट बनता जा रहा है। परिवार के सोहार्दपूर्ण माहौल में कमी दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संवाद न्यूनतम हो चुका है। हम एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं। व्यस्तता एवं भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो थोड़ा बहुत समय माता-पिता एवं बच्चों के पास बचता है, उसे इंटरनेट की दुनिया ने चुरा लिया है। परिवार में संवादहीनता की स्थिति निर्मित हो रही है, जो हमारे समाज में आपसी रिश्तों एवं परिवार के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। आजकल लगभग प्रत्येक परिवार में ऐसे दृश्य आम हो गए हैं जहाँ सभी सदस्य साथ में बैठते तो हैं परंतु सभी अपने मोबाइल में व्यस्त दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि किसी सार्वजनिक समारोह में भी हम मेहमान बन कर जाते हैं किन्तु पूरे समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वहाँ भी आपसी मेल मिलाप, वार्तालाप शून्य ही रहता है। हम वास्तविक दुनिया में न रहते हुए आभासी दुनिया में जीना ज्यादा चाहते हैं। इसके दुष्परिणाम हमें निकट भविष्य में भुगतना पड़ेंगे। इंटरनेट पर दुनियाभर की जानकारियां उपलब्ध हैं किंतु हमें अपनी आवश्यकतानुसार एवं विवेकपूर्ण तरीके से ही उसका उपयोग करना होगा। इंटरनेट की लत ना सिर्फ छोटी उम्र के बच्चों को है वरन् सभी उम्र के समझदार माता-पिता, पति-पत्नी सभी इसके आदी हो चुके हैं। परिवार में माता-पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को नियंत्रित रखें वहीं वे स्वयं भी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर मोबाइल में ही उलझे रहते हैं इससे परिवार में एकाकीपन, स्वार्थ, असुरक्षा एवं निराशा का जन्म हो रहा है। परिवार व्यक्ति के लिए सुकून का स्थान होता है, जहाँ हम दिनभर की उलझनों एवं तनाव को भूलकर आपसी विचार-विमर्श से बहुत सी समस्याओं के हल ढूँढते हैं। आनंद एवं तनावरहित जीवन जीने में परिवार की अहम भूमिका होती है किन्तु इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग ने परिवार के माहौल में तनाव

उत्पन्न किया है। पति घर पर लौटता है, चाहता है कि पत्नी एवं बच्चों के साथ बैठकर हास्य विनोद करे किन्तु पत्नी मोबाइल पर व्हाटसप में व्यस्त है तो बच्चे गेम खेलने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार कई बार महिलाएँ दिनभर थकान के पश्चात् पति के इंतजार में बैठी हैं, सुख-दुख की बात करने के लिए किंतु पति महाशय मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं। परिणामतः परिवार में आपसी कलह बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार में तलाक की स्थिति भी बन रही है। परिवार में जहाँ आपसी प्रेम और विश्वास की डोर से पति-पत्नी के संबंधों की मजबूती थी वहीं इंटरनेट ने इस रिश्ते की डोर को कमजोर कर दिया है। पुलिस परामर्श केंद्रों में आये दिन पति एवं पत्नी के इंटरनेट की लत की शिकायतें सामने आ रही हैं। अधिकांश मामलों में शादीशुदा महिलाओं के इंटरनेट व सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण घर में झगड़े शुरू हो गये। ये महिलाएँ शादी के पश्चात् इंटरनेट का ज्यादा उपयोग करने लगी हैं, पीड़ित पति अब झगड़े की शिकायत लेकर पुलिस परामर्श केंद्र पहुँच रहे हैं। जहाँ से उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। कई रिश्ते तो पूरी तरह टूट गये हैं। भोपाल महिला पुलिस थाना स्थित 'वी केयर फार यू' विंग की महिला अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर शिकायत उन पुरुषों की है जिनकी शादी को दो या चार साल हो गये हैं एवं जिनके बच्चे भी हैं।

मनोचिकित्सक का भी कहना है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग एक किस्म की बीमारी है। यह लत में तब्दील हो जाती है, इसकी वजह से परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव में कमी आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, बदलते वक्त के साथ आवश्यकता इस बात की है कि सभी सदस्य परिवार में एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय व्यतीत करे तेजी से बढ़ते हुए अकेलेपन को अपने पन से दूर किया जाए जिससे मानसिक अवसाद में कमी आए, पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए आपसी खुलापन, विश्वास, पारिवारिक सामंजस्य एवं सभी सदस्यों में आपसी पारदर्शिता की आवश्यकता है जिससे हम नगरीय जीवन की तनावपूर्ण जिंदगी से निजात पा सके। यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं को इंटरनेट के मायावी जाल से बाहर निकलकर परिवार के सदस्यों के साथ मानसिक साहचर्य स्थापित करते हुए एक स्वस्थ एवं हल्के फुलके माहौल में परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे। परिवार में यदि किसी को इंटरनेट की अत्यधिक लत है तो उसे मनोचिकित्सक को दिखाएँ, ध्यान, योग, प्रातः भ्रमण की आदत डालें, आपसी विचार-विमर्श करके समस्या हल करने का प्रयास करें, सकारात्मक सोच विकसित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक नई दुनिया, 25 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर।
2. www.thegurlia.com.
3. www.smh.com.au

महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक प्रावधानों का योगदान

आरती जोगे *

प्रस्तावना - 'यत्र नारी पुज्यन्ते, तत्र देवता रमन्ते:।'

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में नारी को आदिशक्ति, ब्रह्मविद्या, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा आदि रूपों से पूजा की जाती है। भारत वर्ष में प्राचीन काल से ही नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है, नारी का अस्तित्व ही सुन्दर जीवन का आधार है। स्त्री की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। एक आदर्श समाज स्त्री और पुरुष के सामंजस्यपूर्ण योगदान का नाम है और इस आदर्श की प्राप्ति हेतु लिंग समानता आवश्यक है। किन्तु महिलाएँ सदैव से ही शोषित वर्गों की श्रेणी में रही हैं। आदिकाल से ही शिक्षा, राजनीति आदि पुरुषों के ही अधीन रहे हैं और महिलाएँ मात्र परिवार, कर्तव्य, धर्म, ममता आदि के नाम पर निचले स्तर पर रही हैं। किन्तु वर्तमान में महिलाओं के योगदान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, और उनके सशक्तिकरण की बात की जाने लगी है। जिससे महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका के साथ-साथ समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें व अपनी पृथक पहचान बना सकें और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान बनाए जाकर प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु आवश्यकता है कि महिलाएँ स्वयं के विकास में सक्रिय भागीदारी कर सशक्तिकरण हेतु प्रयास करें।

भूमिका - भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता, आईएस तथा आईपीएस अधिकारी आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। श्रम मुलक कार्यों में देखे तो ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों में अधिक से अधिक 89.5% तक को रोजगार दिया जाता है कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55% से 66% तक है। 1991 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94% है, वन-आधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51% है।

ग्रामीण समुदाय की महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने एवं आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही संवैधानिक प्रावधान, विधिक अधिकार एवं विभिन्न नियम-अधिनियम बनाए गए हैं। जिनसे महिलाओं को साधन एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराकर उनके आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान को स्थापित

करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक संदर्भों में सकारात्मक उत्थान से है, इसके अंतर्गत महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, आर्थिक सुरक्षा, उनकी क्षमताओं का विकास, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता और उनके सम्माननीय जीवनयापन को स्वीकार किया जाता है।

महिलाओं के उत्थान एवं विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष व विधिमंत्री की अपनी भूमिका को सार्थक किया। बाबा साहेब ने महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से संविधान में आवश्यक उपबंधों की व्यवस्था की है। हिन्दू कोड बिल को डॉ. अम्बेडकर ने अस्थायी संसद में पास कराने की पुरजोर कोशिश की। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना था। निःसंदेह भारतीय संविधान ने महिलाओं को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से स्वावलम्बी व सर्वाधिकार सम्पन्न बना दिया है। समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर व संशोधित करके महिलाओं के हितों को न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि उन्हें सुरक्षित भी किया है। भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु जिन संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की है, उन्हें विभिन्न परिपेक्ष में इस प्रकार समझा जा सकता है -

1. **सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु उन्नयात्मक प्रावधान** - महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु समय-समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं जिनसे उन्हें समाज में उचित व सम्माननीय स्थान मिल सके, जो इस प्रकार हैं -
 1. **विवाह सम्बन्धी अधिनियम** -
 1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (2005 में संशोधन के साथ)
 2. विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1954
 3. पारसी विवाह अधिनियम 1955
 4. विदेशी विवाह अधिनियम 1984
 5. मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939
 2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1984, 1986 एवं 1988 में संशोधित)
 3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1901, 1929, 1976, 1986, 2006
 4. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम -
 1. विवाह विच्छेद अधिनियम 1949, 1955, 1956, 1964, 1973
 2. भरण-पोषण व्यवस्था अधिनियम 1973
 3. बच्चों की अभिरक्षा गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट धारा 18
 5. गर्भ का चिकित्सीय समापन 1971
 6. महिला शिशु हत्या अधिनियम 1869

7. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, 1971, 1995 में संशोधित
8. हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956
9. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
10. परिवार न्यायालय अधिनियम 1954
11. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
12. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 2006, 2009
13. कन्या भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम
14. महिला आरक्षण विधेयक
15. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अधिनियम
16. द प्रिनेटल डायग्नोसिस्ट टेक्नोलॉजी अधिनियम
17. महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1985

2. सुरक्षात्मक व निषेधात्मक प्रावधान - महिलाओं की सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 में पत्नि, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) में महिला के ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना के दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हेतु भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दंडनीय बनाया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है -

1. धारा 125 - भरण पोषण देने संबंधी प्रावधान।
2. धारा 190 - दुष्प्रेषण का दण्ड।
3. धारा 204 (ख) - दहेज के लिए हत्या।
4. धारा 294 - अश्लील हरकत एवं अश्लील गीत गाना या शब्द बोलना।
5. धारा 304 (ठ) - दहेज मानव हत्या, 302 - हत्या (दहेज हत्या के अतिरिक्त)
6. धारा 354 - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या बल का प्रयोग।
7. धारा 354(क) - लैंगिक उत्पीड़ना।
8. धारा 366 - विवाह आदि करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहरण।
9. धारा 366(क) - नाबालिक लड़की उपापन।
10. धारा 366(ख) - विदेश से लड़की का आयात करना।
11. धारा 372 - वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अवयस्क लड़की को बेचना।
12. धारा 373 - वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अवयस्क लड़की को खरीदना।
13. धारा 374 - विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम।
14. धारा 375 - बलात् श्रम।
15. धारा 376(क) - पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नि के साथ संभोग।
16. धारा 376(ख) - लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग।
17. धारा 376(ग) - जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि जगहों पर जेल अधीक्षक द्वारा बलात्संग।
18. धारा 377 - प्रकृति के विरुद्ध अपराध।
19. धारा 405-406 - विश्वास हनन।
20. धारा 493 से 498 - शादी संबंधी धोखाधड़ी, सहवास, कुरता, परिवार

- द्वारा मारपीट, अपमान आदि से संबंधी कानून व सजा।
21. 498 (क) - दहेज के लिए परिवार एवं पति द्वारा मारपीट एवं प्रताड़ना।
 22. 509 - शब्द, भंग भंगिमा या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

3. विकासात्मक प्रावधान एवं विशेष पहल -

1. अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार।
2. अनुच्छेद 15(3) - राज्य सरकार को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अधिकृत।
3. अनुच्छेद 16(1) - समान अवसर की रूपरेखा।
4. अनुच्छेद 39(घ) - समान कार्य का समान वेतन।
5. अनुच्छेद 42 - कार्य की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध कराना राज्य का कर्तव्य।
6. स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण संसद द्वारा 1992 के 73वें व 74वें संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व नगर पालिका में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
7. बालिकाओं के राष्ट्रीय कार्ययोजना (1999-2000) के अंतर्गत बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उनके बेहतर भविष्य निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहना।
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2001 में महिलाओं के विकास, उन्नति, सशक्ति के लिए नीति तैयार की गई है।
9. महिला श्रमिकों के संवैधानिक व विधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं
 1. सुरक्षा/स्वास्थ्य उपाय एवं रात्रि में कार्य निषेध
 2. भूमिगत कार्य का निषेध
 3. मातृत्व एवं प्रसूति अवकाश (प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961)
 4. समान कार्य के लिए समान वेतन (समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976)
 5. कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण

निष्कर्ष व सुझाव - भारतीय संविधान में महिलाओं को जो अधिकार व अवसर दिये हैं, उसका परिणाम है कि आज की महिला अनेक अर्थों में प्राचीन महिलाओं से बहुत आगे है। महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है, वह राष्ट्राध्यक्ष से लेकर अंतरिक्ष यात्रा, घुड़सवारी से लेकर ट्रेन चलाने तक, प्रशासकीय सेवा से लेकर श्रम मुलक कार्य करने तक हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है। फिर भी वर्तमान में सर्वाधिकार सम्पन्न होने के बाद भी वह कहीं-कहीं अत्याचार और अनाचार की शिकार है। महिलाओं में जागरूकता के अभाव के कारण आज भी महिलाओं के भीतर असुरक्षा की भावना आज भी विद्यमान है। वर्तमान में महिलाओं का अनेक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है किन्तु ये प्रावधान तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक की महिलाएं उनका उचित प्रयोग कर सकें। अतः आवश्यक है कि महिलाएं भारतीय कानून द्वारा दिये गये समस्त कानूनी विशेष अधिकारों के प्रति जागरूक, सक्रिय रहें एवं उन्हें उचित जानकारी के साथ सही मार्गदर्शन दिये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान - एम. लक्ष्मीकांत।
2. व्यक्ति और विचार 2012 - भीमराव अम्बेडकर।
3. 'Women's Equality in India' देवी के. उमा (2000)।
4. 'भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र' लवानिया, डॉ. एम. एम. एवं जैन शशि (1996)
5. 'Women and Human Rights'-खान, डॉ. एम. ए. (2006)

‘मीटू’ अभियान एवं सोशल मीडिया

डॉ. निशा जैन *

प्रस्तावना - आज भारतीय समाज में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। वैचारिक दृष्टि एवं सामाजिक अस्थिरता का माहौल दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के प्रचार-प्रसार से कोई भी आंदोलन तेजी से विस्तारित होकर देश के कोने-कोने में सामाजिक परिवर्तन एवं चेतना का कारण बना हुआ है। आज न्यूज पेपर में, टी.वी. चैनलों पर ‘मीटू’ की खबरें प्रमुखता से छप रही हैं। इन सभी का केन्द्र समाज के उच्च वर्ग एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। ‘मीटू’ यानि यौन उत्पीड़न की घटनाओं को उजागर करने का अभियान जो मुख्यतः अमेरिका से प्रारंभ हुआ और आज भारतीय समाज में तेजी से फैल रहा है। उच्च पदों पर बैठे लोग ‘मीटू’ के तहत बेनकाब हो रहे हैं उनकी वर्षों से जमी साख किसी महिला के एक कथन से धूमिल होती दिखाई दे रही है। क्या नारी स्वतंत्रता का एक पक्ष ‘मीटू’ के रूप में है? कदाचित हाँ भी और नहीं भी इस अभियान से यह तय नहीं हो पा रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बरसों पुरानी घटनाओं का वर्तमान में जिक्र करना जिसमें ना कोई गवाह है और ना कोई सबूत है, औचित्यहीन ही लगता है। यदि हम यौन उत्पीड़न को वास्तव में रोकना चाहते हैं या संबंधित व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहते हैं तो हमें ऐसी घटनाओं पर तत्काल आवाज उठाना चाहिए जिससे संबंधित को सजा मिल सके एवं पीड़िता को न्याय प्राप्त हो।

इस अभियान में दूसरा प्रश्न यह भी है कि ‘मीटू’ सिर्फ पत्रकारिता या फिल्मी जगत तक ही सीमित क्यों है अन्य क्षेत्र में इस तरह की घटनाएँ पढ़ने को नहीं मिल रही हैं। संभवतः इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? निहित स्वार्थ की पूर्ति न होने पर कोई भी किसी को बदनाम कर सकता है। न्याय की आड़ में एक धिनीना खेल खेला जा रहा है जिसकी निष्पक्ष जाँच करना न्यायपालिका के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक कानून बन गए हैं किन्तु दिन प्रतिदिन यौन उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इन कानूनों की जानकारी निरंतर प्रसारित होती रहती है फिर भी पुरुषों के मन में भय नहीं है। सामाजिक वातावरण में उन्नत दिखाई दे रही हैं मूल्यों एवं संस्कारों की कमी मर्यादाहीन आचरण सामाजिक अस्थिरता की मुख्य वजह बन हुआ है। महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लांछन लगाए जाने से बहुत से पुरुष जो कि निर्दोष भी थे अवसाद में चले गए या आत्महत्या तक कर बैठे जिससे परिवार भी प्रभावित होते हैं एवं समाज भी विकसित नहीं हो पाता है। अधिकांशतः घटनाओं में आरोप लगाए गए व्यक्ति प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न हैं। महिलाओं को उन या जिन महिलाओं ने आज यह आवाज उठाई है उन 30 वर्षों पूर्व यह डर भी रहा होगा कि उनकी आवाज को दबा दिया जावेगा उन्हें या उनके परिवार को जान का खतरा भी रहा होगा क्योंकि उस समय सोशल

मीडिया या ‘मीटू’ अभियान नहीं हुआ करता था। इन पीड़िताओं को सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं हुआ करती थी एवं जन समर्थन भी नहीं मिलता था। जिन पुरुषों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया उनका कैरियर ऊँचाईयों पर था। पीड़ित महिलाओं ने डर के कारण चुप्पी साधी होगी एवं वे आज मुखर हुई हैं।

‘मीटू’ अभियान हालीवुड में हार्ले वाइन्स्टीन के खिलाफ उठाई गई आवाज से प्रेरित है। ‘मीटू’ का व्यवहारिक प्रश्न यह है कि बालीवुड में ऐसे संगठन बन गए हैं, जो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे हैं। इन संस्थाओं में वकील कार्यकर्ताओं को जोड़कर सफलता हासिल की है जिससे न्याय प्राप्त हो सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि विदेशों में जहाँ स्त्री एवं पुरुष समानता है वहाँ भी पुरुषों द्वारा महिलाओं को अवसर देने के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। जबकि भारत में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था होने के कारण महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है।

‘मीटू अभियान’ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत प्रयास माना जा सकता है। पुरुषों की स्वच्छंद प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, पुरुषों को मन में भय रहेगा कि उनका व्यवहार सार्वजनिक हो सकता है उनकी प्रतिष्ठा, उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। ‘मीटू’ के तहत अभी खास महिलाएँ ही अपनी आवाज उठा रही हैं और अपनी आपबीती सुना रही हैं। इस अभियान को खास से आम तक पहुँचाने के लिए सामाजिक माहौल बनाने की आवश्यकता है, उन्हें यह विश्वास दिलवाना होगा कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिल जाएगा। ‘मीटू’ में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं की थी। प्रशासन सामाजिक माहौल बनाने में सहयोग करे, पुरुष वर्ग भी इस कार्य में सहयोगी बने तथा ऐसे पुरुषों की भद्दी हरकतों, अवसर का लाभ उठाने की मानसिकता का तीव्र विरोध करे जिससे ऐसे पुरुषों के मन में डर व्याप्त होगा।

अंत में इतना ही कि उन बहादुर महिलाओं की तारिफ करनी चाहिए जिन्होंने हिम्मत से प्रतिष्ठित पुरुषों को बेनकाब किया। ‘मीटू’ महा आंदोलन का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को समानता, सम्मान एवं सुरक्षा मिले, वे स्वाभिमान से आर्थिक कार्य करते हुए जीवन जी सके, उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा दी जाये, कानूनों का सख्ती से पालन हो एवं ऐसी परिस्थित निर्मित होने पर उसकी बात गौरपूर्वक सुनी जाए एवं उचित न्याय दिया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक नई दुनिया, समाचार चैनल,
2. The Times of India.

Groundnut Productivity In Rajasthan - An Geographical Assessment

Vikas Singharia *

Abstract - This study assesses the spatio-temporal variation in groundnut yields in Rajasthan. District level statistics on groundnut production collected from various sources were used for the present study. Compound annual growth rate and coefficient of variation were used for analysis of collected data. There are three district having high productivity and high area under the crop namely Bikaner, Jodhpur and Churu. There are 9 districts under the high productivity and low area in which needed expansion of area sown under the groundnut.

Key Words - Groundnut productivity, Spatio-temporal variations, compound annual growth rate.

Introduction - Peanut or groundnut (*Arachis hypogaea*), is a species in the legume or “bean” family. The peanut was probably first domesticated and cultivated in the valleys of Paraguay. Groundnut is an important oilseed crop suitable for cultivation in tropical areas of the world. Groundnut is believed to be a native of South America and scientifically known as *Arachis hypogaea* L. Unique feature of this plant is its quick adaptability to a wide variety of climatic conditions. Groundnut is the third largest oilseed produced in the world and second largest in India. India occupies the second position in terms of production and first in terms of area. China is the single the largest producer as well as consumer of groundnut in the world. (FAO)

Groundnut, or peanut, is commonly called the poor man’s nut. Today it is an important oilseed and food crop. This plant is native to South America and has never been found uncultivated. The botanical name for groundnut, *Arachis hypogaea* Linn. is derived from two Greek words, *Arachis* meaning a legume and *hypogaea* meaning below ground, referring to the formation of pods in the soil. Groundnut is an upright or prostrate annual plant. It is generally distributed in the tropical, sub-tropical and warm temperate zones. Ethnological studies of the major Indian tribes of South America document the widespread culture of groundnut and provide indirect evidence for its domestication long before the Spanish Conquest. When the Spaniards returned to Europe they took groundnuts with them. Later traders were responsible for spreading the groundnut to Asia and Africa where it is now is grown between the latitudes 40°N and 40°S (Pattee and Young, 1982).

Objectives - In this study an effort was made to analyze the productivity variation in groundnut over time and space in the state. The specific objectives designed for this investigation are as 1. temporal changes in groundnut productivity in Rajasthan. 2 To spatial analysis of groundnut

crop distribution in Rajasthan.

Data and methodology - District level groundnut statistics (area, production and yields) were collected from the Directorate of Economics and Statistics, Govt. of Rajasthan for the period 1996-97 to 2015-16 (twenty years). The period of analysis was divided into four period viz., 1996-97 to 2000-01, 2001-02 to 2005-06, 2006-07 to 2010-11 and 2011-12 to 2015-16. Compound Annual Growth Rates (CAGR) worked out for different periods at state level to see the temporal variation in productivity growth. Line Graph used for find out the trend of productivity of the crop. Following methods were used.

Compound Annual Growth Rate (CAGR): In order to, analyze the growth in groundnut productivity compound Annual growth rate of were worked out by fitting exponential function as given below -

$$CGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of Years}} \right)} - 1$$

Instability Analysis - In order to study the variation in productivity of groundnut crop, the co-efficient of variation (CV) was computed. For the find out the temporal variation in groundnut productivity in Rajasthan the instability test has been applied. It is calculated by twenty years (1996-97 to 2015-16) value of groundnut Yield Rajasthan.

$$\text{Coefficient of Variation (CV)} = \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$$

Result and Discussion -

Trends in groundnut productivity - Groundnut productivity in Rajasthan increased from 1113 kg per ha in 1996-97 to 2029 kg per ha in 2015-16 registered a compound growth rate of 0.032 percent per annum (Table

1& Fig.1). This growth was not uniform during the entire period. During the first period (1996-97 to 2000-01) groundnut productivity decreased at the rate of .045 percent per annum. During the second period (2001-02 to 2005-06) groundnut productivity growth rate was .060 percent per annum and it was recorded maximum (0 .106 percent per annum) in third period (2006-07 to 2010-11) in entire the period.

Table - 1 (See in the last page)

Figure 3.7 representing the trend of groundnut productivity during the 1996-97 to 2015-16. The yield of groundnut recorded 687 kg per hectare in Rajasthan during 2002-03.. It was lowest in the state entire the period. The productivity recorded 2029 kg per hectare in the state during 2014 -15 and 2015-16. It was highest in the State entire the period. (See in the last page)

Spatial Distribution of Groundnut Crop in the State -

All the 33 districts were classified into four groups based on the area and productivity during the 2015-16. All districts whose productivity is equal or higher than state average productivity 2029 kg per hectare are considered as high productive district and vice versa. Similarly all the districts which have groundnut area more than 40000hc are classified high area district and vice versa.

Table2. (See in the last page)

High productivity and high area district - there are only three districts in this category namely Bikaner, Churu and Jodhpur. These districts cover 326152 hectare of groundnut. The average groundnut productivity in these districts is 2311 kg per hectare. Productivity ranges from 2146 to 2431kg per hectare. Stability in groundnut production will depend upon the sustaining the productivity level in these districts. Bikaner district stand the first position in sown area under the crop.

High productivity and low area district - there are 9 districts in this category. These districts cover 9070 hectare of groundnut cultivated area. Groundnut productivity in these districts ranges between 2029 to 2055 kg per hectare with an average of 2032 kg per hectare. Though groundnut productivity is high in these districts the area is lower due to various reasons. These districts should be expansion of area under the crop.

Low productivity and high area district - there is no one district classified into this category. Higher the holding area under the groundnut crop has higher the productivity at district level in the state.

Low productivity and low area district - maximum 21 districts in this category. These districts cover only 181628

hectare of groundnut cultivated area. Groundnut productivity in these districts ranges between 476 to 2028 kg per hectare with an average only 1436 kg per hectare. There may be factor which are limiting both productivity as well as expansion of groundnut cultivated area in these districts.

Conclusions - The results of the study showed that spatial as well as temporal variations in Groundnut productivity exist among groundnut growing districts of Rajasthan. A wide diversity found in area and productivity of groundnut crop in the state. It is also noted that maximum number of districts under the low area and low productivity. It may be a great potential for the groundnut cultivation in those district which has low area and low productivity through the expansion of area under the crop and other facilities inputs.

References :-

1. Reddy, A.R. (2013) Cotton Productivity Variations in India: An Assessment .Cotton research Journal, Vol . 5 (2)
2. Aggarwal, P.K.Hebbar, K.B.Venugopal,M.V.Rani, S. Bala, A. Biswal, A. and Wani. S. P. (2008) Quantification of yield gaps in rain fed rice, wheat, cotton and mustard in India. Report 43, global theme on Agro ecosystem ICRISAT, Hyderabad.
3. You, L. (2008) A tale of two Countries: Spatial and temporal patterns of rice Productivity in China and Brazil, Discussion paper 00758, International Food Policy Research Institute Washington , D.C.
4. Brooks, G.E. (1975) Peanuts and colonialism: Consequences of the commercialization of peanuts in West Africa, 1830–70. Journal of African History, 16, 29–54.
5. Shorrocks, Anthony.(1980) The Class of Additively Decomposable Inequality Measures. Econometrica , 48: 613-25
6. Dick, K.M. (1987). Pest Management in stored Groundnuts. Information bulletin no. 22, International Crop research Institute for Semi-Arid Tropics, Patancheru, Andhra Pradesh-502 324, India.
7. Pattee, H.E., J.C. Wynne, J.H. Young, and F.R. Cox (1977)The seed hull weight ratio as an index of peanut maturity. Peanut Science 4:47-50.
 - a. <http://www.commoditiescontrol.com/eagritrader/staticpages/index.php?id=47>
 - b. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/104653/7/07_introduction.pdf
 - c. <http://www.kisanplanet.com/blog/groundnut/>
 - d. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-0733-4_2
 - e. <http://www.fao.org>

Table1. Groundnut Productivity in Rajasthan over last two decade

	1996-97 to 2000-01	2001-02 to 2005-06	2006-07 to 2010-11	2011-12 to 2015-16	Over All period
Average	1043	1316	1552	1895	1451.35
Max.	1122	1566	1963	2029	2029
Min	924	687	1087	1549	687
CAGR (%)	-0.045	0.060	0.106	0.013	0.0321
CV (%)	8.80	28.84	22.52	10.46	28.33

Source of Data: Ministry of Agriculture





Table2. Classification of Groundnut growing districts based on area and a productivity 2015-15

Particulars	High Productivity and high Area	High Productivity and low Area	Low Productivity and high Area	Low Productivity and low Area
No. of District	3	9	0	21
Area Covered	326152	9070	—	181628
Average Productivity	2311	2032	—	1436
Productivity range	2146-2431	2029-2055	—	476-2028
Name of Districts	Bikaner, Churu	Alwar, Banswara, Baran, Barmer Bundi, Ganganagar, Jhalawar, Pali, Pratapgarh		Ajmer, Bharatpur, Bhilwara, Chittorgarh, Dausa, Dholpur, Dungarpur Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunu, Karauli, Kota, Nagaur, Rajsamand, Sawai Madhopur, Sikar, Sirahi, Tonk and Jodhpur Udaipur

जोधपुर शहर में पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति

कंचन बानियाँ *

प्रस्तावना - वर्तमान समय की शरणार्थी समस्या मूलभूत रूप से विकासशील राष्ट्रों के स्व नियंत्रण से पूर्व के भौगोलिक विभाजन, कूटनीतिक निर्णय इत्यादि के फलस्वरूप जनसंख्या का विशालकाय समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवास हेतु बाध्य हुए। भारतवर्ष के जोधपुर शहर की शरणार्थी समस्या मूल रूप से राष्ट्र के विभाजन 1947 की परिस्थितियों का मूल प्रक्रम है। क्योंकि यूरोप के निवासियों द्वारा अपने जन्म स्थल पर आवास, स्वतंत्र भारत को दो राष्ट्रों में विभाजन इसी प्रकरण का विभिन्न रूप है। क्योंकि किसी ऐतिहासिक समयावधि में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश आदि एक ही राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक इकाई का अंग माना जाता था। परंतु वर्तमान पाकिस्तान में राजनीतिक सांस्कृतिक एवं बाजार तीनों की रूढ़िवादी अवस्था के कारण आधिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तथा समय और परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें अपने पूर्वजों के जन्मस्थल भारत-राजस्थान-जोधपुर के आवास हेतु लालायित रहते हैं जो किसी एक तत्व पर आधारित न होकर भिन्न-भिन्न कारणों से संचालित होता है।

शरणार्थियों का भारत में आगमन 1947 से होता आ रहा है। भारत एक विकासशील देश है, जो शरणार्थियों की उत्पत्ति व आगमन का भी मुख्य स्रोत है। ऐसे कई कारण हैं जो किसी देश के लोगों को विस्थापित होने और शरणार्थी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें मुख्य कारण है गृह युद्ध, मानवीय अधिकारों का हनन, गरीबी, कम आमदनी, प्राकृतिक आपदायें आदि। विकासशील देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है वो शरणार्थियों की महत्वपूर्ण पसंद बन रहे हैं। जिस कारण उन देशों पर सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और राजनैतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे विकासशील देश और औद्योगिक देशों में प्रवासी लोग आर्थिक प्रगति के लिए सहायक होते हैं। प्रवासी देशों में वस्तुतः शरणार्थी लोग हमेशा कमजोर जनसमूह होते हैं।

विस्तृत तौर पर देखा जाए तो देश परिवर्तन के दो कारण हो सकते हैं सकारात्मक व नकारात्मक। ऐच्छिक तौर पर किसी देश के लोग आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं और शरणार्थी बन जाते हैं। अनैच्छिक तौर पर किसी देश के लोग राजनैतिक समस्याओं के कारण शरणार्थी बन जाते हैं। शरणार्थी उन लोगों का समूह होता है, जिनको अपनी जमीन/देश किसी दबाव में आकर छोड़ना पड़ता है और अनजान देश में जाना पड़ता है। इस तरह से लोगों का अपना देश छोड़कर गैर मुल्क में अनैच्छिक विस्थापन की सबसे बड़ी समस्या उस देश में समायोजन और समावेश की होती है।

इस तरह दबाव में आकर अपना देश छोड़ शरणार्थी बनने पर इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह का पलायन शरणार्थियों के सामाजिक जीवन को अव्यवस्थित कर देता है। उनको अपनी जमीन/घर छोड़ कर नए अपरिचित देश में अपने लिए नयी जगह तलाश करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में न केवल इन शरणार्थियों को अपनी अचल सम्पत्ति का त्याग करना पड़ता है अपितु अपनी मान्यताओं को भी छोड़ना पड़ता है जो इनकी संस्कृति विशेष से जुड़ी होती है। बलात् शरणार्थियों के परिवार अधिकतर बिखर भी जाते हैं। सामान्यतः जब इन शरणार्थियों को लम्बी यात्राओं और अव्यवस्थित रास्तों से गुजरना होता है किसी नयी जगह पर बसने के लिए। बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन में शरणार्थियों को एक ही स्थान पर शरण लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आए शरणार्थियों के लिए एक साथ रहने के लिए समुचित जगह मिलना मुश्किल होता है। अतः उन्हें अलग-अलग होने पर विवश होना पड़ता है। जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उनका साम्प्रदायिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है।

इस तरह अनैच्छिक प्रकार के पलायन में इन शरणार्थियों के परिवार और समाज के विघटन की सम्भावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। इन शरणार्थियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का बहुत लम्बे समय तक सामना करना पड़ता है। जब तब की ये किसी जगह पर आवासित नहीं हो जाते। आवासित होने के बाद भी लम्बे समय तक इनको नए वातावरण में सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ता है। शरणार्थी लम्बे समय तक नए देश में शरणार्थी ही बने रहते हैं। यह लगभग असम्भव ही होता है कि ये शरणार्थी शरण लिए गए देश में पूरी तरह घुल-मिल जाए तथा वहां के सामाजिक-आर्थिक जीवन को अपना लें।

समय के साथ ये शरणार्थी नए देश में समन्वित होकर वहां की संस्कृति में सम्मिलित हो जाते हैं और धीरे-धीरे इनका 'शरणार्थी' का दर्जा समाप्त हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस समय के अन्तराल में शरणार्थी और शरण देने वाले देश के समाज को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए तथा शरणार्थियों को देश का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां ये पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो।

जोधपुर का सामाजिक वातावरण व स्थिति - जोधपुर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में 26° से 27°, 37' उतरी अक्षांश तथा 72°, 55' से 73°, 52' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह 197 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा 208 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पश्चिम

में इसकी सीमा जैसलमेर जिले से होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक जाती है।

जोधपुर को मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इससे पूर्व बीकानेर, जालौर, पाली, नागौर व जोधपुर आदि को सम्मिलित रूप से मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर को रंगीला शहर भी कहा जाता है जो यहां के रंगीन पहनावे को दर्शाता है। हिन्दी, मारवाड़ी व राजस्थानी यहां मुख्य रूप से बोली जाती है। किन्तु विशिष्ट रूप से यहाँ मारवाड़ी ही बोली जाती है। यहां के लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं व अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं। यहां के लोग सत्कार करने वाले व जोशपूर्ण हैं। यहां के परिवार मुख्यतः पितृसत्तात्मक है व महिलाएं गृहिणी जीवन व्यतीत करती हैं व घुंघट प्रथा यहां प्रचलित है। यहां के आस - पास के गांव से लोग बेहतर सुविधाओं के कारण शहर की तरफ बस रहे हैं।

साधारण जीवनशैली के कारण पाक विस्थापित महिलाएं यहां के परिवेश में रंग - बस गयी है। सकारात्मक प्यावरण उन्हें यहां बसने हेतु प्रेरित व आकर्षित करता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों तक पाकिस्तान में रहने के बावजूद उनकी भाषा व पहनावा यहां से मिलता - जुलता ही है। इस कारण यह पहचानना काफी कठिन कार्य है कि वे जोधपुर वासी है या पाकिस्तानी शरणार्थी। यहां कि जनसंख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जिसके पीछे एक मुख्य कारण अधिक संख्या में लोगों का यहां आकर बसना भी है।

अध्ययन का उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को समझना।
2. पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की वर्तमान स्थिति को समझना।
3. पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की सुधार सीमा का आकलन करना।

अनुसन्धान पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन में जोधपुर शहर (राजस्थान) में रह रहे पाक शरणार्थियों के 100 परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का आंकलन किया गया है। अध्ययन में प्रेक्षण विधि तथा साक्षात्कार तकनीक का प्रयोग किया गया है।

जिसमें इन परिवारों का चयन जोधपुर शहर के अलग-अलग भागों में विस्थापित शरणार्थियों को मिश्रित रूप से किया गया है। इसमें मुख्यतः जोधपुर शहर के चार भागों (शरणार्थियों की बस्तियों) को लिया गया है जिसमें शरणार्थियों की संख्या की सघनता सर्वाधिक है।

यह चार भाग निम्न है

1. चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड
2. अम्बेडकर कॉलोनी
3. बनाइ
4. मसूरिया

परिणाम तालिका - जोधपुर में रह रहे पाक शरणार्थियों की सामाजिक स्थिति को हमने पाँच श्रेणियों में बाँटा है जो इस प्रकार हैं:- दयनीय, सामान्य से निम्न, सामान्य, अच्छा व उत्तम। क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जोधपुर नगर की उपरोक्त शरणार्थियों की बस्तियों को निम्नांकित तालिका के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

चयनित स्थलों की वर्गीकृत तालिका

क्र.	स्थल	श्रेणी
1.	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड	सामान्य से निम्न
2.	अम्बेडकर कॉलोनी	दयनीय
3.	बनाइ	सामान्य से निम्न
4.	मसूरिया	सामान्य से निम्न

स्रोत- क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित की गयी बस्तियों में सामाजिक सुविधाओं के न होने व शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण सभी बस्तियां सामान्य से निम्न स्तर की पाई गयी हैं। जोधपुर शहर में चयनित पाक विस्थापित शरणार्थी बस्तियों की सामाजिक दशा एवं पहचान की अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ

1. समाज से अलग एक शरणार्थी समाज जो स्वयं के वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। इनमें कई परिवारों को 07 से 10 वर्ष पूर्ण होने को है।
2. कई परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान में ही छोड़कर आना पड़ता है। अपने परिवार से बिछड़ने के कारण इन्हें कई मानसिक संवेदनाओं से गुजरना पड़ता है।
3. अपने परिवार की बहु-बेटियों की रक्षा व सम्मान के खातिर ये यहाँ आकर रहते जरूर है किन्तु यहां भी इन्हें कई असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है।
4. पाकिस्तान शब्द समाज में एक डर को जन्म देता है इस कारण जोधपुर के लोगों का इन पर शक करना तथा इन्हे तिरस्कृत नजरों से देखना इनकी सामाजिक स्थिति को और कमजोर कर देता है।
5. अशिक्षा के कारण सामाजिक पिछड़ापन।
6. समाज में अपनी पहचान बनाना मुश्किल व चुनौतिपूर्ण है।
7. कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा इनके हालातों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है किन्तु इनके जीवन स्तर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।
8. अशिक्षा के कारण रोजगार की कमी।
9. शिक्षित होने पर कम मासिक वेतन पर काम करना।
10. पाक शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। जोधपुर नगर में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए परंतु इसके बावजूद उन्हें यहां किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है इसका प्रमुख कारण नागरिकता के अभाव में आवश्यक दस्तावेजों का अभाव है।
11. निम्न जीवन स्तर।
12. शिक्षा, आवास व रोजगार की कमी।
13. सामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या।
14. इतनी जनसंख्या का भरण-पोषण सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Mallica Mishra (2015) Tibetan Refugees In India: Education, Culture And Growing Up In Exile.
2. Sabira Devjee (2010): Education of Refugee Youth, Students' Perspectives
3. Indian Institute Of Human Rights, New Delhi: Refugee Protection And Plan Of Action. (Institute Of Human Rights, New Delhi,2001)
4. South Asia Human Rights Documentation Centre, New Delhi: Bhutanese Political Crisis And Refugees Problem (South Asia Human Rights Documentation Centre, New Delhi,1998) (NHRC)

A Study To Assess The Effect Of Anxiety In Relation To Emotional Intelligence During Examination Among Students Of Senior Secondary School In Jabalpur

Dr. Ratna Johari *

Introduction - Emotional Intelligence is perceived as type of aptitude that involves the ability to monitor one's feelings and that of others, to discriminate among them and to use this information to guide one's feeling and thinking (Salovey and Mayer, 1990). According to Weisenger (1998) emotional intelligence is also defined as "the intelligent use of emotions: one intentionally makes one's own emotion work for one by using them to help guide one's behavior and thinking in ways that enhance one's result". Emotional intelligence skills enable people to reduce negative stress in their life, build healthy relationships, communicate effectively, and develop emotional health. Emotional safety is important at each stage of development. These same skills and competencies are critical to achieving academic and career excellence in life.

Review Of Related Literature - Review of literature is a vital part of an research. It helps the researcher to know the areas

Dr. Sureshehandra R. Joshi(2013), attempted to study relationship of emotional intelligence and anxieties of adolescent students of the higher and lower economic strata. 200 students studying in XI and XII classes constituted the sample of the study. Tool prepared by S.C. Joshi was used to measure anxiety and for measuring emotional intelligence emotional intelligence scale prepared by Girijesh Kumar was used. The study reveals that adolescent students of higher economic strata are emotionally matured and they are least anxious in all the areas of anxiety. Students of lower economic strata have positive and significant correlation between emotional intelligence and two areas of anxiety peer group relations and family support. Adolescent boys and girls of higher economic group have significant negative correlation in all the areas of anxiety and girls of lower economic strata are more anxious in all of anxiety.

Gakhar, S.C.E' Manhas K.D. (2006), "Emotional intelligence as correlates to Intelligence, creativity and academic achievement". Department of Education Panjab University, Chandigarh. The study would reveal significant

trends as to the degree an extend of predictability and relationship of Emotional Intelligence, Creativity and academic achievement and will motivate the educationists and curriculum framers to design to design academic as well as other activities in a way that those will Foster the ability of adolescents to face challenges of life right from the school stage. The present study was conducted on a sample of 400 XI class male and female adolescents from government and private schools situated in urban and rural areas of jammu and Kashmir. It was found that there is positive general intelligence and emotional intelligence ($r = .208$). Also from the result adolescent's creativity was positively and significantly positive significant correlation is also obtained, between academic achievement and emotional intelligence ($r=0.128$).

Ali Asgar Bayani (2014) examined the relationship between emotional intelligence and test anxiety in 335 secondary education students (154 boys, 181 girls). Their ages ranged from 14 to 17 ($M=15.85, SD=1.47$). All respondents completed a questionnaire booklet containing two self-report measures: The Test Anxiety Inventory and the Emotional Intelligence Appraisal. Analysis confirmed a significant positive association between emotional intelligence and test anxiety. A significant negative correlation has been found between the scores on the Emotional Intelligence and the Test Anxiety.

Research Methodology- The statement of the problem is to study the "A STUDY ON ACADEMIC ANXIETY IN RELATION TO EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG STUDENTS OF SENIOR SECONDARY SCHOOL IN JABALPUR"

Research Method - Evaluative research technique of Descriptive Research design will be employed.

Objectives Of The Study :

1. To study academic anxiety and emotional among students of senior secondary school.
2. To study the relationship between academic anxiety and Emotional intelligence among students of senior secondary school.

3. To study the gender difference in academic anxiety and emotional intelligence among students of secondary school.

Hypotheses Of The Study - H01: There will be no significant relationship between Anxiety and Emotional Intelligence among the students of Senior Secondary school.

H02: There will be no significant gender difference in academic anxiety and emotional intelligence of among students of senior secondary school.

Population - All school children of XIIth class from two Govt. schools of city Jabalpur will constitute the population of the study for the present investigation.

Sampling Procedure - To conduct this study, the investigator will select a representative sample of total 120 school students of XIIth class from two Govt. schools of city Jabalpur by random sampling method. While selecting the sample care will be taken that equal number of male and female students will be selected.

Tools used for data collection - To achieve the objectives of the study following too

Is will be used:

1. Mangal' S Emotional Intelligence Inventory(Mei)
 2. Academic Anxiety' Scale For Children (Aasc)
- Developed By Dr .A .K. Singh And Dr. A. Sen Gupta (2009).

Statistical Analysis - To compare the relationship between emotional intelligence and academic anxiety of adolescent boys and girls Means, standard Deviation, Z- test and correlation product Moment by karl Pearson will be used.

Delimitation Of The Study

1. The study will be delimited to students of XIIth class from two Govt. schools o city Jabalpur.
2. The study futher, will be delimited to only 120 students of XIIth class from two Govt. schools of city Jabalpur.

Hypothesis - 1

There is no significant relationship between Anxiety and Emotional Intelligence among the students of Senior Secondary school.

Table 1: Coefficient correlation (r-value) between Ecotional Intelligemce and Anxiety of the students of senior secondary level

Variable	N	Mean	SD	r-value	Remarks
Emotional Intelligence	120	58.81	3.22	-0.024	Not Significant
Anxiety	120	12.02	13.77		

* Not Significant at .05 level

Interpretation: From the table 4.1, the critical value of 'r' with 118 degree of freedom at 0.05 levels of significant is 0.138. Our computed value of 'r' i.e. -0.024 is smaller than the critical value 0.138 and hence is not significant . So null hypothesis was retained, that there is no significant relationship between Anxiety and Emptional Intelligence among the students of senior secondary school.

Hypothesis 2

There is no significant gender difference in academic anxiety and emotional intelligence of among students

of senior secondary school

There is no significant gender difference in academic anxiety among student of senior secondary school

Table 2:Mean ,S.D., N and T-value to locate dirfference between male and female students of senior secondary school in their anxiety

Gender	N	Mean	SD	t	Remarks
Male	60	51.23	3.27	0.790	Not Significant
Female	60	50.69	3.17		

Interpretation: From table 4.2 it is evident that the t-value of Acxiety scores of malt and female students of semior secondary level is 0.790 which is not sigificant at 0.05 level of significance with df 198.It indicates that the mean scores of male and female students of senior secondary level not differ signifilcantly. Thus the null hypothesis that "There is no significant gender difference is academic anxiety among students of senior secondary school" is retained.

There is no significant gender difference emotional intelligence of among students of senior secondary school

Table 3:Mean,S.D., N and T -value to locate difference between male and female students of Senior Secondary school in their Emotional Intelligence level

Gender	N	Mean	SD	t	Remarks
Male	60	59.57	13.38	0.815	Not Significant
Female	60	58.05	12.97		

Interperation : From table 4.3 it is evident that the t-value of Emotional Intelligence scores of male and female students of senior secondary level is 0.815 which is not significant at 0.05 level If significance with df 118.It indicates that the mean scores of male and female students of senior secondary level not differ significantly, Thus the null hypothesis that "there is no significant gender difference emotional intelligence among students of senior secondary school" is retained.

References :-

1. Arnold,M.B. (1960). Emotion and personality (2 vols.); New York: Columbia University Press.
2. Ashakanasy,N.M., & Daus, C.S.(2002). Emotion in the workplace: The new challenge for managers. Academy of Management Executive, 16(1),76 -86 .
3. Austin, E.J., Saklofske,D.H.,& Egan, V (2005). Personality, well being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences , 38(3),547-558.
4. Darwin, C. (1965). The Expression of the Emotional in Man Animals (reprint);Chicago:Chicago University Press.
5. Garrette, Henry E.(2007) .Statistics in Psychology and Education (Reprint);New Delhi: Kalyani Publishers.
6. Jaeger Audrey J(2002).Exploring the Value of Emotional Intelligence: A Means to Improve Academic Performance, North Carolina State University.
7. Jain,A.K. & Sinha,A.K. (2005). General health in organization: Relative relevance of emotional intelligence, trust, & orgainzational support.Journal of Stress Manage ment, 12(3), 257-273.

A Comparative Study Of Depression Between Male And Female In Adulthood

Dr. Ratna Johari *

Introduction - Depression is more than just a low mood-it's a serious condition that affects your physical and mental health. Depression: An illness that involves the body, mood, and thoughts and that affects the way a person eats, sleeps, feels about himself or herself, and thinks about things. Depression is not the same as a passing blue mood. It is not a sign of personal weakness or a condition that can be wished away. People with depression cannot merely 'pull themselves together and get better. Without treatment, symptoms can last for weeks, months, or years. Appropriate treatment, however, can help most people with depression.

Adulthood :- Adulthood ranges from 20 yrs, early adulthood and middle adulthood. They are described below:-

i. **Early adulthood:-**

ii. **Middle Adulthood** -Midlife age ranges from 40 to 60 yrs. however , also brings changes that might negatively impact on mood.

Review Of Literature

i. Paul R. Albert, PhD :- Between 1990 and 2010 in Canada , major depressive disorder showed a 75% increase in disability-adjusted life years, the second greatest increase in prevalence after Alzheimer disease; in comparison, the increase in the United States was 43 % . At the same time, the female: male ratio of global disability from major depression remained unchanged at 1.7:1 Although differences in socioeconomic factors, including abuse, education and income, may impact the higher rate of depression in women, this editorial focuses on biological contributors that are experimentally tractable and may help to understand how and why depression is more prevalent in women and lead to better treatments.

ii. **By Josepha Chong, MD** - Women are two to three times more likely than men to suffer from depression. This, in no way, suggests that women are weaker than men. Rather, we believe it is for a number of reasons that have to do with a woman's genetic and biological makeup. Recent research shows that have to do with a women's biology differs from men's in many more ways than previously thought and these physical differences (such as different levels of estrogen, serotonin, cortisol and melatonin) are beginning to provide clues to why women are so much more susceptible to depression as well as to a special type of

depression called Seasonal Affective Disorder.

iii. **Joel L. Young M.D.** — Women are about 40 % more likely than men to develop depression. They're twice as likely to develop PTSD, with about 10 % of women developing the condition after a traumatic event, compared to just 4 % of men. It's easy to write off this epidemic of mental illness among women as the result of hormonal issues and genetic gender differences, or even to argue that women are simply more "emotional" than men.

Significance of the study - The significance of the study is to detect depressive symptoms in primary care setting . As Depression is more than just a low mood. People lose interest in work and ultimately effects productivity. So if the depressed people are identified in the early stage then they can be given treatment and cured early and easily. And they can be motivated to

- i. To increase their job efficiency
- ii. To reduce absenteeism
- iii. To increase productivity in work
- iv. To reduce accidents
- v. To reduce lack of co – operation
- vi. To make them stress free
- vii. To help them to be decisive in their work

Methodology:

Research Problem: To find out which gender is more affected by depression male or female, in adulthood age?

Objective: To do a comparative study of depression between male and female in adulthood age.

Hypothesis:

Null Hypothesis (H₀) :- There is no significant difference in the rate of effect of depression between male and female in the adulthood..

Research Design : It will be done through questionnaire.

Test / Tools Of Data Collection : By Beck Depression Inventory.(BDI).

The Beck Depression Inventory (BDI), created by Aaron T, Beck, is a 21 question multiple-choice self-report inventory, one of the most widely used psychometric tests for measuring the severity of depression It can be applied on male and female both above 20 yrs age.

Techniques Of Analysis : Bar diagrams and pie – charts will be used to analyse and show the data.

sample size : My total sample size will be 100 respondents of age -20 yrs to 60 yrs (50 male and 50 female) by stratified Random sampling method in Coca Cola Franchise name Udaipur Beverages Ltd, Jabalpur M.P.

Statistical Analysis Technique:-

- i. Mean
- ii. Standard Deviation
- iii. C.R / T. Test

Results And Discussion - After the data has been collected the researcher turns to the task of analyzing them, the collection of data is known as raw data. The analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment of categories the application of categories the application of these categories of raw data into some purposeful and unusable categories. the raw data is meaningless unless certain statistical treatment is given to them analysis of data means to make data meaningful or draw some result from the data after the proper treatment , it means studying the tabulated material in order to determine inherent facts and meaning. It includes the comparison of the outcomes of the various treatments upon the several streams and the making of decisions as to the achievement of the goals of research. The raw data should necessarily be considered in a few manageable streams and divided into 2 sections.

- 1. Analysis of results
- 2. Discussion of results

1 Analysis of Results:-

	N	M (Mean)	S.D (Standard Deviation)	't'Value	Significant Differences
MALE	12	19.75	3.65	0.89	At 5% t=1.7
FEMALE	15	19.14	4.14		At 1% t = 2.48

Degree of freedom = 25

2 Discussion of Results - From the table is clear that the mean score of male is 19.75 and that of Female is 19.14 and standard deviation of Male and Female and Female are 3.65 and 4.14 respectively. Here the value of 't' is 0.89 which is less than the significance value for significant at 0.05 level of confidence. Therefore the value has no significance and hence there is no difference in the effect of depression in male and female of adulthood age.

Conclusion - The present study is an attempt at exploring the comparative study on the effect of depression on Male and Female in adulthood age. Data collected by the Beck Depression Inventory which consists of 21 questions and

per the discussion of the result in the chapter v certain generalization can be made that there is no difference in the effect of depression between both .i.e adulthood aged male and female are effected by depression in the same way.

Delimitations And /Or Limitations And Sugesstions

Delimitations And /Or Limitations :

- 1. This experiment is limited upto Jabalpur and more-over to a company only.
- 2. Due to time and money constraints the project is limited to 100 respondents.
- 3. The major limitation of the study is the shortage of time the study was conducted in a short period. As such the findings may not reflect 100% true position.
- 4. The respondents responses to the questions may be biased
- 5. This study was conducted in Jabalpur which is a medium city, scores in metros may differ.

Suggestions For Further Work :

- 1. The study suggests that further researches can be conducted on a large sample to generalize the relationship between the rate of effect of depression between Male and Female in the adulthood.
- 2. Appointing a counselor is a must, so that individual can discuss the problems and maintains mental health.

Ways Of Treatment For Depression

Counselling - Conselling gives people the change to talk through everyday issues that may be causing depression and to develop strategies for resolving them.

References :-

Journal Article :-

- 1. J. Psychiatry Neurosci. 2015 Jul; 40(A): 219-221 From the Department of Neuroscience , Ottawa Hospital Research Institute, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada.
- 2. Correspondence to: P Albert, Department of Neuroscience, Ottawa Hospital Research Institute, University of Ottawa, 451 /smyth Rd, Ottawa ON K1H8 M5; ac awattou@treblap

Websites:-

- 1. <https://www.theguardian.com/society /2013 /may/22/ women-men-mental-illness- stud>
- 2. www.sterss.org.
- 3. <http://www.personalityresearch .org>.
- 4. www.thelancet.com/pdfs/journals
- 5. <https://www.psychologytoday.com/blog/when-year-adult-child-breaks-your-heart/201504/women-and-mental-illness>

समकालीन महिला कहानीकार और मूल्यबोध

देवेन्द्र सिंह ठाकुर *

शोध सारांश - मूल्य अर्थात् वे नियम, कायदे नीतियाँ जो मानव को सही दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन मूल्यों को अपनाकर ही मानव सही मायने में मानव की श्रेणी में आता है, क्योंकि मूल्यों से मानवता की प्राप्ति होती है। मानव के सर्वांगीण विकास में मूल्यों का अहम योगदान रहता है। हिंदी कहानीकारों ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से जीवन मूल्यों की आवश्यकता को बताते हुए, उनके महत्व को प्रतिबिंबित किया है। साठ के दशक की कहानियाँ एक नया तेवर लेकर उतरी थी, इसलिए इस समय की कहानियों को समकालीन कहानी कहा गया। समकालीन कहानी के क्षेत्र में महिला कहानीकारों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अनेक मूल्य आधारित सामाजिक कहानियों की रचना की। आपने कहानियों के विविध पात्रों के माध्यम से जीवन मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा समाज को मूल्यों की उपादेयता से अवगत कराने का प्रयास किया। इस शोध पत्र में समकालीन महिला साहित्यकारों के साहित्य में वर्णित पारम्परिक और नवीन जीवन मूल्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

शब्दकुंजी - समकालीन कहानी, मूल्य, समाज, महिला कहानीकार ।

प्रस्तावना - वे नियम, कायदे, नीतियाँ जो मानव को सही दिशा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं, मूल्य कहलाते हैं। जीवन मूल्यों को आत्मसात कर ही मानव सही मायने में मानव की श्रेणी में आता है, क्योंकि जीवन मूल्यों के द्वारा ही मानवता की स्थापना होती है। मानव के सर्वांगीण विकास में मूल्यों की अहम भूमिका होती है। सन् 1960 के बाद की कहानियों को साठोत्तरी कहानी या समकालीन कहानी के नाम से जाना जाता है। इन कहानियों में समाज के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है। बदलते हुए मानवीय मूल्य, जीवन की विषम परिस्थितियों का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव का यथार्थ चित्रण समकालीन कहानीकारों ने खूबी किया है। समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में आधुनिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ भारतीय समाज को निरन्तर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले जीवन मूल्य भी दिखाई देते हैं। आपकी कहानियों में नारी जीवन की विविध परिस्थितियों का प्रभावी चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों के विषय, पात्र, वातावरण, भाषा शैली आदि पाठक को अपने आस-पास के नजर आते हैं और इसलिए पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। हिंदी कहानीकारों ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से जीवन मूल्यों के महत्व को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। समकालीन महिला कहानीकारों ने भी अपनी कथा को माध्यम बनाकर जीवन मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए तथ्यों और सामग्री का होना अति आवश्यक है। शोध की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार शोध प्रविधि का चयन करने से अपेक्षित परिणामों को आसानी से एवं बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सकता है। मैंने समकालीन महिला कहानीकारों के कथा साहित्य, सामाजिक और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि से सामग्री का संकलन किया है।

शोध के उद्देश्य - प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों का अध्ययन करना है। इस शोध के माध्यम से समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में प्रस्तुत जीवन मूल्यों के विविध पक्षों का अध्ययन, चिंतन, मनन करके उसमें निहित समाजोपयोगी

तत्वों को खोजना है।

उपकल्पना - शोधार्थी और पाठक समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में प्रस्तुत जीवन मूल्यों को, उनकी आवश्यकता को और उनके महत्व को जान सकेंगे। एक आदर्श समाज के विकास में मूल्यों की भूमिका के साथ-साथ उनके विविध आयामों को जान सकेंगे।

समकालीन महिला कहानीकार - समकालीन कथा साहित्य को अपनी कहानियों से समृद्ध करने वाली महिला कहानीकारों में कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मालती जोशी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मेहखुल्लिसा परवेज, मृणाल पाण्डे आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में जीवन मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित किया है। इनके साहित्य की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है-

1. **कृष्णा सोबती** - समकालीन महिला कहानीकारों में कृष्णा सोबती एक ऐसी लेखिका है, जिन्होंने नारी विषयक साहित्य में अपनी बात खुलकर रखी है। आपने स्त्री के जीवन की विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। आपकी प्रमुख कहानियों में नफीसा, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे, बचपन, मेरी माँ कहाँ आदि का नाम लिया जा सकता है। आपने नारी पात्रों के माध्यम से जीवन मूल्यों की उपयोगिता को पाठक के समक्ष रखा है। आपने नारी के सबला रूप का अंकन बड़ी ही बेबाकी से किया है। आपने आधुनिक नारी की छवि को यथार्थ रूप में पाठक के समक्ष रखा है।

2. **उषा प्रियंवदा** - समकालीन महिला कहानीकारों में आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उषाजी के प्रमुख कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, संपूर्ण कहानियाँ आदि हैं। आपने मध्यम उच्चवर्गीय समाज में गिरते जीवन मूल्यों, भारतीय नारी तथा विदेशी धरातल से जुड़ी नारीकी समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। आपने कहानियों में बताया कि समाज में गिरते जीवन मूल्यों का प्रभाव सबसे पहले नारी पर ही पड़ता है। जिसके कारण नारी को अनगिनत समस्याओं जैसे अकेलापन, लाचारी, बेबसी, पीड़ा, निराशा, अवसाद, घुटन आदि का सामना करना पड़ता है। उच्च मध्यम वर्ग में स्त्री

पुरुष के टूटते संबंधों का कारण आपने बदलती हुई पारिवारिक परिस्थितियों, आधुनिकता का प्रभाव, बढ़ती महत्वाकांक्षा को बताया है। आपने आज के परिप्रेक्ष्य में जीवन मूल्यों की दशा और दिशा का अंकन किया है।

3. मन्नू भंडारी - आपके साहित्य में सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण मध्यम वर्गीय समाज की नारियों के माध्यम से दिखाया गया है। आप स्वयं भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत रही हैं। आपने इस पुरुष प्रधान समाज में जीवन मूल्यों को सहेजकर अपना विशेष स्थान बनाया है। आपकी प्रमुख कहानियों में एक इंच मुस्कान, एक प्लेट सैलाब, कथा पटकथा, मैं हार गई, एक कहानी ये भी, बिना दीवारों के घर आदि को शामिल किया जा सकता है। मन्नू भंडारी ने अपने आसपास के वातावरण को, अपने जीवन के अनुभवों को, संपर्क में आए विविध वर्ग के लोगों को आधार बनाकर कहानियों की रचना की है। आपने सामाजिक जीवन में हो रहे परिवर्तनों से पाठक को अवगत कराने का प्रयास किया है।

4. मालती जोशी - अपने लेखन की शुरुआत गीतों से करने वाली मालती जोशी की साहित्यिक यात्रा कहानियों पर आकर रूकी। समकालीन महिला कहानीकारों में मालती जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी मालती जोशी ने अपनी कहानियों में नारी पात्रों के माध्यम से जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता को बताने का प्रयास किया है। आपके कहानी संग्रहों में पराजय, एक घर, सपनों की आखरी शर्त, बहुरि अकेला, मालती जोशी की कहानियाँ आदि का नाम लिया जा सकता है। आपकी कहानियों के पात्र विविध चरित्रों के माध्यम से समाज के विकास में मूल्यों की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं।

5. मृदुला गर्ग - बहुमुखी प्रतिभा की धनी मृदुला गर्ग का नाम समकालीन महिला लेखिकाओं में प्रमुखता से लिया जाता है। आपके कहानी संग्रहों में कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, समागम, उर्फ सैम, शहर के नाम आदि शामिल हैं, जिनके माध्यम से जीवन मूल्यों और नारी विमर्श का बखूबी अंकन किया है। आपने अपनी कथाओं के केन्द्र में नारी संवेदना और जीवन मूल्यों रखा है। जीवन मूल्यों के अभाव में सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उपज रहे असंतोष, तनाव, ऊब, एकरसता का आपने यथार्थ चित्रण किया है।

6. ममता कालिया - समकालीन महिला कहानीकारों में ममता कालिया का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अपनी कहानियों के माध्यम से जीवन मूल्यों और नारी विमर्श को कथा के केनवास पर उकेरा है। आपके प्रमुख कहानी संग्रहों में छूटकारा, एक अदब औरत, उसका यौवन, प्रतिदिन, जांच अभी जारी है, मुखैटा, निर्मोही आदि का नाम लिया जा सकता है। आपकी कहानियों में विभिन्न पात्रों माँ, बहन, बेटी, पति, बहू, ससुर, भाई, मित्र, पति, रिश्तेदार आदि के माध्यम से जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त किया है। आपने बताया कि समाज में नारी की अपनी कोई स्वतंत्र ईच्छा या सोच नहीं होती है, उसे समाज के अनुसार चलना पड़ता है। इस प्रकार ममताजी ने अपने कहानियों के माध्यम से समाज को जीवन मूल्यों को सहेजते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपने नारी जीवन के यथार्थ मर्मस्पर्शी अंकन किया है।

7. मेहरूनिसा परवेज - समकालीन महिला कहानीकारों में आपका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। आपके कहानी संग्रहों में अंतिम पढ़ाई, गलत पुरुष, फाल्गुनी, समर, जीवन मंथन, रिश्ते, अम्मा, कोई नहीं, मेरी बस्तर की कहानियाँ आदि शामिल हैं। आपने एकाकी परिवार, नैतिकता के नये मापदण्ड, परम्परा और रीति रिवाजों का अवमूल्यन, बिखरते जीवन मूल्य, आधुनिकीकरण, नगरीकरण आदि को लेकर कहानियों की रचना की।

कहानियों के विभिन्न पात्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि बिना मूल्यों के समाज का विकास असंभव है। आपने नारी पात्रों के माध्यम से मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया।

8. मृगाल पांडे - आपकी कहानियों में एक नयापन देखने को मिलता है। आप कथा साहित्य के क्षेत्र में एक नया तेवर लेकर उतरी हैं। आपने जीवन में मूल्यों की महत्ता को नारी पात्रों के माध्यम से प्रभावी तरीके पाठक के समक्ष रखा है। आपके कहानी संग्रहों दरम्यान, एक नीच ट्रेजडी, शब्दभेदी, स्त्री का विदागीत, बचुली चौकीदारिन की कढ़ी, चार दिन की जवानी तेरी आदि में आप ने समाज के समक्ष नारी के व्यक्तित्व से संबंधित अनेक प्रश्नों को रखा है। आपकी कहानियाँ बताती हैं कि मूल्य बोध के कारण ही समाज में मैं के स्थान पर हम की भावना का विकास होता है। आपने अधिकांश साहित्य में अल्मोड़ा क्षेत्र के जन जीवन, मूल्यों, आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया है।

निष्कर्ष - देश की जानी मानी महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में सामाजिक मूल्यों को किसी न किसी रूप में अवश्य अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में विविध पात्र जीवन मूल्यों की उपादेयता को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। इन महिला कथाकारों ने नारी वर्ग के जीवन से जुड़ी विविध परिस्थितियों का यथार्थ अंकन किया है। आज की आधुनिक नारी आजाद होते हुए भी सामाजिक बंधनों, पारम्परिक रूढ़ियों, कुरीतियों की बेड़ियों में इस कदर जकड़ी हुई है कि वे स्वयं को इन बेड़ियों से मुक्त कर स्वच्छंद रूप जीवन रूपी आकाश में उड़ना चाहती हैं। वह अब रुकने वाली नहीं है बस उसे एक बार सही मार्गदर्शन मिलने की आवश्यकता है और वह सही मार्गदर्शन समकालीन महिला कहानीकारों की कथाओं में देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि इन्होंने विशेष रूप से नारी पात्रों को लेकर कहानियों की रचना की है, जो समाज में अपनी विविध भूमिकाओं के द्वारा जीवन मूल्यों को सहेज कर रखने का प्रयास कर रही है। आपने बताने का प्रयास किया है कि एक आदर्श समाज के निर्माण में ममता, दया, प्रेम, करुणा, मानवता, उदारता, त्याग, बलिदान, भाईचारा, सहानुभूति, ईमानदारी आदि मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समकालीन महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में ऐसे पारम्परिक मूल्यों का तार्किक आधार पर खंडन करने का विनम्र प्रयास किया है, जो वर्तमान में बेड़ियों से प्रतीत होने लगे हैं। समय परिवर्तनशील होता है अतः समाज को भी पारम्परिक मूल्यों में जकड़े रहने के बजाय नये सकारात्मक मूल्यों को अपनाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पवार, डॉ. सुभाष - कथाकार उषा प्रियंवदा - अमन प्रकाशन कानपुर।
2. वर्मा, धनंजय - हिन्दी कहानी का सफरनामा - राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।
3. बागलकोट, डॉ. राजु - मृदुला गर्ग के कथा साहित्य का मूल्यांकन - अमन प्रकाशन कानपुर।
4. सराफ, डॉ. रामकली - समकालीन हिन्दी - कथा लेखिकाएं - राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।
5. नायर, डॉ. ओमप्रकाश - मन्नू भंडारी की कहानियों में मूल्य चेतना - अमन प्रकाशन कानपुर।
6. जगताप, डॉ. आर. एस. - मेहरूनिसा परवेज के कथा साहित्य में नारी - अमन प्रकाशन कानपुर।

उषा देवी मित्रा के उपन्यासों में नारी पात्रों की भूमिका

डी.पी. चन्द्रवंशी * डॉ. रेखा दुबे **

शोध सारांश – किसी भी युग में हो या किसी भी स्थान में अनेक विषमताओं के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान माता एवं देवी शक्ति के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहा है। वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य या मध्यकालीन साहित्य हो ये भारतीय संस्कृति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उषा जी ने अपने कथा साहित्य में तात्कालीन सामाजिक विडम्बनाओं और कुरीतियों को मूर्त रूप दिया है। उनके सभी नारीपात्र आत्मसम्मान की परिचायक हैं। जो पितृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में घुल मिल सी गई हैं। उनकी नारीपात्र उत्तराधिकारी उत्पत्ति की स्रोत व घर की देख भाल करने वाली एक स्वामिनी मात्र रह गई हैं।

उषा देवी मित्रा ने सामाज में प्रचलित बेकारी अशिक्षा, रूढ़ि, परम्परावाद बाल विवाह एवं वेश्यावृत्ति के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। उषा जी इन सामाज व नारी विकास अवरोधक दमनकारी ताकतों को बदलना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपने नारी पात्रों को विशेष महत्व देते हुए सामाजिक बदलाव का साधन बनाया।

प्रस्तावना – उषा देवी जी के कथा साहित्य में नारी पात्र –

वचन का मोल – उषा जी का औपन्यासिक कृति जो सन् 1936 में प्रकाशित हुई वह 'वचन का मोल' है। इस उपन्यास में प्रमुख नारी पात्र कजरी, प्रतिमा, मनिका, नीरोजा हैं। ये पात्र समाज की बदलती मानसिकता के मूर्त रूप हैं।

कजरी – 'वचन का मोल' की नायिका। वचन पालन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली। सरल व आकर्षक व्यक्तित्व इनकी पूँजी है। आकर्षक व्यक्तित्व का नमूना है, इसके संकोचहीन सरल व शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार से आनंद के साथ विनय विस्मय का अनुभव कर रहा था। कैसी अद्भुत इसकी प्रकृति है। अभी उस दिन के इसी गर्वित शिष्टाचार-विरुद्ध बर्ताव के साथ आज के बर्ताव का किसी तरह भी सामंजस्य नहीं हो सकता।¹ कजरी सादा-जीवन, उच्च-विचार की पोषक है। कजरी उस नारी समाज का प्रतीक है, जो अपनी जिन्दगी का फैसला स्वयं लेती है।

मनिका – नीरेन और नीरोज की छह कन्याओं में सबसे छोटी सुशिक्षित, विदेशी मूल्यों की पथगामी नारी पात्र है, मनिका। कजरी से बिल्कुल विपरीत विचारों वाली परम्परा, संस्कार एवं मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली। बाह्याडम्बर की परिचायक इस प्रकार है, 'उस मैले रसोईघर में धुएँ में लहसुन प्याज की दुर्गन्ध, बार रे बापा में तो सोच नहीं सकती, कि शिक्षित स्त्रियाँ कैसे रोटी बनाती हैं।'²

उषा जी ने 'वचन का मोल' में पाश्चात्य संस्कृति की आड़ में रंगी हुई आधुनिक नारी के बदलते स्वरूप का दर्शन मनिका के रूप में कराया है।

प्रतिमा – भारतीय संस्कृति की उपासिका कजरी की माँ प्रतिमा है। साधारणतया वह सरल व सादगी की प्रतिमूर्ति है किन्तु प्रतिकूल स्थिति में अद्भुत स्थैर्य की स्फूर्ति प्रदर्शित करती है। वह ऐसे नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रतिफूल दशा में भी अपने मन की ताकत को दृढ़ बनाए रखती है। नारी अस्मिता संबंधी प्रतिमा का कथन समीचीन प्रतीत होता है, 'पुरातन काल हिन्दुस्तान नारी के त्याग की महिमा में महिमान्वित होता चला आ रहा

है। मेरे विचार से कैसी भी भयानक स्थिति क्यों न हो, अपने स्थान से हट नहीं सकती।'³

नीरोजा – पाश्चात्य संस्कार की प्रेमी, विलासी जीवन के राहगीर नीरोजा मनिका की माँ है। साधारण जीवन, रहन-सहन को वह तुच्छ समझती है। वह स्वार्थ मनोवृत्ति से ग्रसित नारी पात्र है। ये पंक्तियाँ उनकी स्वार्थ मनोदशा का सबूत पेश करती हैं, मैं अब समझी, कि मेरी लड़की की ओर वह लौटकर भी क्यों नहीं देखता है। इसी कजरी चुडैल ने उसे पागल बना रखा है, वह जादू जानती है – जादू-जादू।⁴

पिया – उषा देवी मित्रा की लोकप्रिय उपन्यास 'पिया' जो विधवा जीवन की विचङ्खलताओं को उजागर करने में सक्षम है। पपीहरा (पिया) और नीलिमा के माध्यम से बाल-विधवाओं की समस्याओं पर दृष्टि डाली है। इस उपन्यास में नारी पात्र है – नीलिमा, कविता, हरमोहिनी, मृणाल, पपीहरा (पिया)।

नीलिमा – बीस वर्षीय बाल-विधवा ब्राम्हण कुलीन हरमोहिनी की पुत्री एवं कविता की बड़ी बहन, नीलिमा है। अष्टवर्षीय अल्पायु नीलिमा की शादी का निर्णय लिया गया तब नीलिमा की विवाह संबंधी यादें इन पंक्तियों से द्रष्टव्य हैं, 'एक दीर्घ अभिशाप, आकुल क्रन्दन की तरह उस एक दिन की बात जिस दिन उसे हृदय से लगाकर माता ने विवश हो आँसू की झड़ी लगा दी थी और उसकी माँग का सिंदूर नदी में बहाकर काँच की चुडियाँ उतार ली थीं।'⁵

नीलिमा अनपढ़ थी। विधवा होने का कारण हिन्दू संस्कार का वज्र-सा कठोर नियमों ने उसकी समस्त आकांक्षाओं पर रोक लगा दिया था। उसे वैधव्य के तहत कटु तप, संयम व नियंत्रण का पालन करना पड़ता था। वह अपने प्रियजनों की सहानुभूति से भी वंचित रही। परंपरावादी हरमोहिनी नीलिमा के वैधव्य पर पाबंदी लगाती है। इस दमघोटू वातावरण से ऊबे

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय जे.एम.पी.महाविद्यालय, तखतपुर - बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोध निदेशक (हिन्दी) डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा - बिलासपुर (छ.ग.) भारत

नीलिमा बिखर सी जाती हैं। जर्मीदार सुकांत से सहानुभूति पाकर नीलिमा उसके प्रति आकृष्ट होती है। जो प्रेम परिणत हो जाता है। विधुर सुकांत सामाजिक प्रतिष्ठा की शंका से नीलिमा से विवाह नहीं करता। वह उसकी बहन कविता से विवाह करता है। सुकांत से नीलिमा को गर्भ ठहरता है। कविता अपने पति सुकांत से नीलिमा को स्वीकार करने की विनती करती है। परन्तु सामाजिक लांछन से त्रस्त नीलिमा खुदकुशी कर लेती है।

पपीहरा (पिया) – पिया उपन्यास की सशक्त नारी पात्र है, पपीहरा (पिया)। बाल-विधवा होते हुए भी पपीहरा रूढ़ि रिवाजों एवं कुसंस्कारों की पकड़ से मुक्त है। शहरी सभ्यता में पली-बढ़ी सुशिक्षित नारी है। घुड़सवार प्रिय पिया स्वच्छंदतावादी विचारधारा की है। उपन्यास के प्रारंभ में वह एक जिद्दी लड़की के रूप में अवतरित हुई। पिया का परिचय विवाहित निशीथ से होता है। पिया निशीथ के प्रति वासना के कुत्सिता से दूर प्रेम-पाश में बंध जाती है। निशीथ की पत्नी मृणाल पिया से स्पर्धा रखने लगती है। पिया बड़ी चंचल सरल लड़की भी थी। पिया के प्रति निशीथ के उच्च विचार इस प्रकार देख सकते हैं। 'हाँ नारी तो यह है ही किन्तु उस नारीपन के साथ यह स्त्री और भी कुछ है, पहेली? रहस्य? चाहे जो कुछ भी हो, परन्तु है अवश्या'⁶

एक बार सभा में पुलिस की पकड़ से बचकर रात में वह निशीथ के घर पहुँच गई। लेकिन निष्ठा मृणाल ने उसे घर से निकाल दिया। मृणाल द्वारा अपमानित पिया पानी में भीगकर मृत्यु का ग्रास बन जाती है। पिया परंपरागत रूढ़ियों की आड़ में विधवा नारी को अपनी खोई हुए अस्मिता को बचाने की प्रेरणा देती है। उषा जी ने पिया के माध्यम से यह प्रस्तुत किया है कि हृदय से निष्पाप अनासक्त विधवाओं को पुनः विवाह की जरूरत नहीं है। पिता में आदर्श भारतीय नारी की मूर्ति परिलक्षित होती है। पिया उपन्यास के संबंध में डॉ. हरबंश कौर का कथन समीचीन प्रतीत होता है, 'पिया के भीतर पश्चिम की नारी नहीं, सीता सावित्री सी पुजारिन नारी है। पिया, कविता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।'⁷

जीवन की मुस्कान – दहेज-प्रथा एवं विधवा जीवन की विसंगतियों पर आधारित समाजिक पृष्ठभूमि को इंगति करने वाला यह उपन्यास 'जीवन की मुस्कान' सन 1939 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के नारी पात्र सत्यभामा, सविता, रूपरेखा, पूरबी है।

सविता – सविता 'जीवन की मुस्कान' की नायिका है। पिता एवं माँ की मृत्यु के बाद सविता निराश्रित एवं असहाय हो जाती है। डॉ. कमलेश के घर पर आश्रय पाती है। कमलेश की माँ सत्यभामा का सविता से नाखुश होना फिर धीरे-धीरे घृणा प्यार में बदल जाना यह क्रम चलता है। सत्यभामा कमलेश की शादी पढ़ी-लिखी रूपरेखा से कर देती है। संयोगवश सविता को पता चलता है कि वह कमलेश की प्रथम वाग्दत्ता पत्नी है। लेकिन वह मौन रहती है। यहाँ सविता की अवधारणा परम्परागत भारतीय नारी के रूप में हुई है। सविता सदा अपने वाग्दत्ता पति के प्रति झुकी हुई है। सविता में उषा जी ने प्रेम की सुदृढ़ता संजोने का प्रयास किया है। डॉ. प्रभा सक्सेना का कथन उचित प्रतीत होता है, 'सविता भारतीय नारी के उस रूप को चित्रित करती है जिसमें नारी केवल एक बार अपने पति को चुनती है। सब कुछ सहते हुए चले जाना और भीतर ही भीतर टूटते रहना इसकी विशेषता है।'⁸

रूपरेखा – 'जीवन की मुस्कान' उपन्यास में आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व एम.ए. पास रूपरेखा करती है। वह अपने पति से समझौता नहीं कर पाती। वह अपने स्वत्व पर किसी की भी दखलंदाजी को अभिस्वीकार्य नहीं कर पाती। पति व सास के निषेधात्मक व्यवहार के सामने वह नतमस्तक नहीं होती है। अपनी अस्मिता बनाए रखने के प्रयास में रूपरेखा सदा व्यस्त रहती

है। भीषण परिस्थितियों में भी वह अपनी अस्मिता को बनाए रखने में सफल होती है।

पूरबी – उषा जी ने 'जीवन की मुस्कान' में वेश्या जीवन की विच्छृंखलताओं को पूरबी में किया है। पूरबी अर्थाभाव व दयनीयता के कारण वेश्यावृत्ति के दलदल में पड़ती है। उषा जी ने वेश्या समस्या में निहित आर्थिक एवं सामाजिक पाखंडताओं को शब्दबद्ध की है। पूरबी के ये कथन वेश्याओं की दर्दभरी जिन्दगी का दस्तावेज है, 'मैं जानबूझकर नहीं आई डॉक्टर। मैंने अपने आपको यहीं पाया और जब अपनी ओर ताका मैंने तो देखा अपने को पृथ्वी की धूल-कीचड़ से सना हुआ। वहाँ से उठने का कोई उपाय तो था नहीं। एक ओर थी मैं लुटी हुई नारी, दूसरी ओर असहाय गृहस्थी, मेरी कुंआरी व विधवा बहने उनके बच्चे, अन्धा बापा'⁹

सोहिनी – नायिका की चरित्रिक श्रेष्ठता से युक्त उपन्यास का मानकरण 'सोहिनी' रखा गया है। जिसका प्रकाशन सन् 1949 में आवाज नाम से हुआ था। सोहिनी उपन्यास में प्रमुख नारी पात्र-सोहिनी है।

सोहिनीर – प्रेम की उच्चता एवं इच्छा शक्ति की प्रबलता की परिचायक नायिका सोहिनी है। क्रांतिकारी पृष्ठभूमि पर आधारित सोहिनी उपन्यास सोहिनी के स्वतंत्र चिंतन का परिचायक है। बचपन के साथी असित के प्रति यौवनावस्था में प्यार में परिणत होना एवं असित के प्रवासी जीवन के दरम्यान अपने प्रेम की दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखती है। तपेदिक से पीड़ित होने के बावजूद बिना दवा का सेवन किए क्रांतिकारी दल के लिए दिन-रात कार्य करना उनके सर्वस्व समर्पण का परिचायक है।

सम्मोहिता :- सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्रण का अंकन करने वाला यह उपन्यास सन् 1963 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के प्रमुख नारी पात्र है - कुन्तला, गीता, इला, सुलेखा।

कुन्तला – अभावों व अत्याचारों से दमित कुन्तला सती-साध्वी भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। वह अपने अद्वितीय व्यक्तित्व से अपने अन्यायी को भी प्रभावित करती है। 'स्व' से दूर 'सर्वस्व' के लिए अपने समग्र जीवन को अर्पित करती है।

इला – सिराज गाँव के जर्मीदार रमेन चौधरी की बहन इला सुशिक्षित है, वह रूढ़ि परम्पराओं की विरोधी है। अपनी भाभी कुन्तला से उसे अगाध श्रद्धा है। उनका नरेन्द्र से वैवाहिक जीवन तनाव ग्रस्त रहता है।

सुलेखा – शिक्षित नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सुलेखा की शादी जर्मीदार रमेन चौधरी से होती है। उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में पति का लांछन और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। पति की दमित वासनाओं से ऊब उठती है फिर भी पति परायण स्वरूप को महत्व देती है।

डॉ. प्रभा सक्सेना का सुलेखा एवं इला के संबंध में ये कथन सार्थक प्रतीत होता है, 'सुलेखा एवं इला का जीवन संबंध टूटे हुए परिवारों में भारतीय नारी के करुण रूदन का प्रतिफलन है, जो कि अपनी पतिव्रत आदर्श निष्ठा के कारण उपेक्षित होने पर निरन्तर कष्टमय जीवन यापन करते हुए न तो संबंध विच्छेद कर पाती है, न इस स्थिति से निकलने के लिए प्रयास करती है। घुटना उसकी नियति है और वेदना सहचरी।'¹⁰

पथचारी – उषा जी का नायक प्रधान उपन्यास 'पथचारी' में प्रमुख नारी पात्र माधुरी, गुलाबी व बांसुरी देवी है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन् 1940 में हुआ।

माधुरी – वासुदेव की प्रेमिका किन्तु निर्धनता से भया। इसी कारण व वैभव संपन्न व्यक्ति शुकदेव का वरण करती है। उषा देवी ने माधुरी के माध्यम से अवसरवादी नारी का व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है।

गुलाबी – शराबी पति के कारण आर्थिक तंग से जीवन यापन करने वाली गुलाबी बच्चों के पालन हेतु वेश्यावृत्ति के कुमार्ग पर चल पड़ती है।

बांसुरी देवी – नारी स्ववलंबन का उदाहरण उषा जी ने बांसुरी देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। जो व्यायाम शाला का संचालन करती है। यहाँ नारी को जागृत करने हेतु विभिन्न कला एवं उद्योग के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी है।

नष्टनीड – प्रेम के आदर्श रूप का उद्घाटन करने वाला यह उपन्यास सन् 1955 में प्रकाशित हुआ। देश-विभाजन के दुष्परिणाम से उपजी सामाजिक समस्या 'नष्टनीड' की आधार भूमि है। 'नष्टनीड' में नारीपात्र – सुनन्दा, कल्पना, एला, नलिनी, श्रीमती भटनागर है।

सुनन्दा – भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान में लुटी हुई नारियों की प्रतिमूर्ति सुनन्दा 'नष्टनीड' उपन्यास की नायिका है। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान सुनन्दा के पति रवीन्द्र की अनुपस्थिति में आततायियों ने सुनन्दा पर आक्रमण कर उसे मृत समझ बाहर फेंक दिया। सहपाठी सुप्रकाश की मदद से भारत पहुँचती है। नानी के घर दोनों मित्रवत् रहते हैं। बाहर दुनिया उन्हें पति-पत्नी समझते थे। किन्तु सुप्रकाश की शादी तय होने पर इस रहस्य से पर्दा उठता है। एला का रवीन्द्र जीवन साथी है। तालमेल के अभाव में रवीन्द्र एला को छोड़कर सुनन्दा के पास पहुँचता है। जहाँ सुनन्दा मृत्यु वरण की ओर निकल पड़ी है।

सुनन्दा एक आदर्शवादी नारी है, डॉ. पन्ना सुनन्दा के आदर्शवादिता पर लिखते हैं, 'भारतीय संस्कृति की उच्चता का यशोगान उषा जी ने अपने उपन्यासों में किया है। कृत्रिम पाश्चात्य संस्कृति जो उच्छृंखलता और फैशन परस्ती को बढ़ावा देती है लेखिका को कभी नहीं रूची। उन्होंने भारतीय संस्कृति में ही प्रगतिशील तत्वों का समावेश कर उसे बढ़ावा दिया। सुनन्दा

सर्वत्र लेखिका के इसी भावना का पोषण करती है।'¹¹

नलिनी – आधुनिक विचाराधारा से पल्लवित विधवा है, जो फैन्सी क्लब में डांस करती है। गर्भवती होने पर सामाजिक भद्रता प्रदर्शित करने गर्भपात का सहारा लेती है।

उपसंहार – उषा जी नारी मन की पवित्रता की हिमायती है। लेखिका ने नारी-समाज की दकियानूसी विचारा-धाराओं व धारणाओं को साहस व पांडित्य पूर्ण ढंग से अपने उपन्यासों में समाहित किया है। उन्होंने नारी पात्रों के माध्यम से एक समर्थ परिपक्व व उत्कृष्ट श्रेणी के कथा शिल्प को संजोया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उषा देवी मित्रा, वचन का मोल, पृ. सं. 37
2. वही पृ. सं. 16
3. वही पृ. सं. 78
4. वही पृ. सं. 98
5. उषा देवी मित्रा, पिया, पृ. सं. 8
6. वही पृ. सं. 125
7. डॉ. हरबंश कौर, महिला लेखिकाओं के उपन्यासों में नारी पृ. सं. 30
8. डॉ. प्रभा सक्सेना, उषा देवी मित्रा व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृ. सं. 102
9. उषा देवी मित्रा जीवन की मुस्कान, पृ. सं. 210
10. डॉ. प्रभा सक्सेना, उषा देवी मित्रा – व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृ.सं. 29-30
11. डॉ. पन्ना, उषा देवी मित्रा – युग और साहित्य, पृ. सं. 12

डॉ. कला जोशी की 'चोर' कहानी का सामाजिक सरोकार

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम *

प्रस्तावना - हम अगर अपनी कल्पना को विस्तार देते हुए नभ-थल को एकाकार कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। यों भी कल्पना हमेशा क्षितिज की तरह होती है, जहाँ असम्भावनाओं का मेल होता है। इसी तरह 'चोर' कहानी का आरंभ भी ज्येष्ठ मास के प्राकृतिक चित्रण से होता है। प्रारंभ की चार लाइन पढ़कर ही ऐसा लगता है कि पूरी कहानी में ज्येष्ठ मास का प्राकृतिक चित्रण होगा उससे संबंधित कुछ रोमांचक बातें होंगी किन्तु इन सबसे भिन्न इस पूरी कहानी में लेखिका द्वारा मानवाधिकार के लक्षण दिखाए गए हैं, पूरी कहानी मनोवैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ती है, चोर कहानी प्रतीकात्मक है, जो प्रतीक है, वर्तमान समय में फैले अविश्वास ही अविश्वास का, धोखाधड़ी का कि कैसे वर्तमान समय में हम किसी भी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, हमारी संस्कृति में रची बसी हमारी परम्पराएँ, हम आधुनिकता के चलते किस तरह समाप्त कर रहे हैं। हम अब किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देते किसी अनजाने परिक्रमा वासी को भोजन नहीं देते, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते, किसी जरूरतमंद अंजाने व्यक्ति को बगैर जाने पैसा नहीं देते। घर के बाहर कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलते, अनजाना व्यक्ति दरवाजे पर आकर मद्दत माँगे या पानी भी पीने को माँगे तो हम उसे दहशत के मारे पानी भी दे नहीं पाते। यह सभी घटनाएँ बतलाती हैं कि व्यक्ति का व्यक्ति पर से विश्वास उठ गया है और अब वह एक दूसरे का सिर्फ दुश्मन है क्योंकि वर्तमान समाज अब ईमानदारी का कोई एक उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है इसलिए हम सभी के मन में एक दूसरे के प्रति असुरक्षा के भाव जागृत होना स्वाभाविक है इसका मूल कारण है कि घर में किसी भी व्यक्ति के पास समय का ना होना। पति-पत्नि और बच्चे में ही परिवार बना रहा है और समाप्त भी हो रहा है। घर कामवालिओं के भरोसे चल रहा है, व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएँ हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं से अधिक हो गई है, भावनाओं को आर्थिक जीवन में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, आर्थिक रूप से सम्पन्न होना ही वर्तमान समाज का परम उद्देश्य हो गया है, इसलिए व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचता जाता है, उसमें डूबता जा रहा है, सह जीवन का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं रह गया है। पति घर आए या ना आए कामवालिओं का आना जरूरी हो गया है, क्योंकि आर्थिक सम्पन्नता के इस दौर में पति-पत्नि दोनों व्यस्ततम और अपने ही उधेड़बुन में लगे हुए हैं, कोई भी अप्रिय घटना घटित होने से पहले उस पर धैर्यपूर्वक विचार करने की दरकार किसी में भी नहीं है। अपनी व्यस्तता में हमें लगता है कि हमने अपने घर की व्यवस्था अच्छी बना ली है पर हमें पता ही नहीं चलता कि ये व्यवस्था कब भंग हो गई है और कब व्यवस्था की दरारों में दीमक ने अपना घर बना लिया है। मनोवैज्ञानिक चिंतन यह हो गया है कि हर अवस्था में असुरक्षा का भाव समाहित हो गया है- 'शाम को धीरज आए तो सुवि ने

अपनी चिंता जाहिर की' पर धीरज 'अरे होगा कोई दोपहर में छांव देखकर सुस्ताने बैठ गया होगा' तुम तो हर किसी पर शंका करती हो। उसे चोरी करना था तो कल ही कर लेता या आज कर लेता उसने देख तो लिया था तुम तीन बजे से पहले नहीं आती हो।' बस धीरज ने तो बात यूँ हवा की, वह चक्करघिन्नी सी दरवाजों से बाहर होकर, रफूचक्कर हो गई।'

हम अनुमान कितनी दृढ़ता से लगाते हैं क्योंकि समाज में यही सब घटित हो रहा है, आखिर ये चोरी या अन्य अप्रिय घटनाएँ हो क्यों रही हैं? इसकी जड़ तक जाने का क्या कोई प्रयास करता है? जबकि हम सभी यह जानते हैं कि धरती का कोई हिस्सा या क्षेत्र अपराधियों को जन्म नहीं देता वरन् अपराध तो अन्याय, असमानता, वैमनस्यता की कोख से जन्म लेता है। हमारी असमान व्यवस्था के कमजोर एवं छिद्रमय होने के कारण ही हुड़दंग और अपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। सामाजिक असमानता के भय के कारण व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त हो रहा है।

'सत्ताईस-अठ्ठाईस बरस का वह आदमी, आदमी क्या बिजूका था। मटमैला सा बुशर्ट और पेंट पहने। कृषकाय बदन पर वस्त्र झूल रहे थे। कद कुछ निकलता हुआ। छितराएँ हुए घुंघराले बाल, भौंहों के आसपास तक विराजमान थे। सूर्य की यातना से बचने की नैसर्गिक यह टोपी, विधाता ने उसे प्रदान की थी। उसके नीचे आँखों के कोटर से झांकती लाली, क्या अपेक्षायुक्त थी? सुवि भ्रम में पड़ गई लालसा और यातना दो अलग-अलग अनुभूति हैं? जाते वक्त उसने पलटकर देखा तो विस्फुरित उसकी आँखें कुछ और ही कह रही थी। उसका भी कुछ अधिकार है, अन्यथा वह छीन लेगा। लेखिका का यह प्रश्न शायद उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही हो। लेखिका यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना विरोध-प्रतिरोध अभिव्यक्त करती हुई नजर आती है। 'चोर' कहानी का यह उक्त अंश इस पूरी कहानी की महक है जो आह बनकर लेखिका के शब्दों से निकल रही है। उन्होंने इस कहानी में बड़ी सहजता और बिना कल्पनाशीलता के गंभीर मुद्दों को आत्मा से लिखा है। वे सोचती हैं कि क्या मुट्ठीभर नोबल पुरस्कार विजेता ही गरीब, अशिक्षित बच्चों के लिए काम करेंगे? तो देश के विकास में कितना समय लग जायेगा।

हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति मिल जाएँगे जो यथार्थ में कल्पना करने लगते हैं और कल्पना को यथार्थ मान लेते हैं। इस समय हरिवंशाराय बच्चन की वे पंक्तियाँ याद आती हैं कि - 'मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है।' 'चोर' कहानी मानव मन की परतों को गहराई से समझने लायक है, इसमें भाव प्रवाह विविधता, व्यापकता, मिठास, कशिश और लोच है भाव एकदम सुलगती ज्वाला के समान भर-भर निकलते हैं और उन्माद से भर जाते हैं फिर उन भावों में

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

आश्चर्य की अनुभूति आ जाती है, इसलिए लेखिका ने इन भावों की आवाजों को कुछ सीमाओं में तय कर दिया। यह उनकी असाधारण क्षमता का ही कमाल है।

लेखिका की इस कहानी में मानवाधिकार के लक्षण खूब दिखाई देते हैं लेखिका ने एक ऐसे वर्ग को विषयवस्तु बनाया है, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, और पत्नी बीनने वालों को घर के सामने बैठा देखते ही घर के सदस्यों को सूचित कर देते हैं कि ध्यान रखना, कभी गलती से वह पानी माँग बैठे तो झट उसके मुँह पर दरवाजा बंद करके उसे कुछ भी जवाब नहीं देते। इतना डर इतनी दुर्दशा हमारे समाज की क्यों है? अब हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो गलत प्रथाओं की रखवाली ना करे, उपेक्षितों की उपेक्षा ना करे उनसे आत्मिक और कारुणिक संबंध रखकर उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करें। लेखिका ने इस 'चोर' कहानी में रवीन्द्र नाथ की यह उक्ति सच की है कि - सबसे ऊपर मानुज सत्य- अर्थात् सबसे ऊपर मनुष्य सत्य है- बाकी सब गौण है। यह सत्य है कि यदि आप देश के प्रति जिम्मेदार हैं तो गरीबी मिटानी होगी, देश की हालत सुधारना होगी, आधी से अधिक आबादी की स्थिति सुधारें बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता है।

'सुवि का दिलो-दिमाग दो दिन से उसी व्यक्ति को लेकर पशोपेश में था। दो दिन ताड़ने के लिए काफी थे। सुवि अब और भी अधिक सावधान हो गई थी। धीरज के जाने के बाद उसने गेट बंद करते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई वह नजर नहीं आया वह तो उसके जाने के बाद ही आता है। जब कामवालियाँ घरों में बर्तन पोछा कर लौट जाती हैं तब ही वह आता होगा। कॉलोनी की गृहणियाँ तब आराम करने के मूड में लेटे-लेटे अपने प्रिय धारावाहिकों में खोई रहती है या सोती है। सावधानी से गेट बंद करके सुवि लौटी'।

सुवि आशंका से इतनी लवरेज हो गई थी कि वह सावधानी पूर्वक अपने घर के बाहर रखी हर छोटी बड़ी वस्तु को घर में लाकर या उसी स्थान पर सुरक्षित करने का असफल प्रयास कर रही थी जबकि सुवि स्वयं विद्वान प्राध्यापक थी परन्तु जब शंका नामक चाबी आपके पास आ जाती है तो फिर आप कुछ भी कर ले शंका ब्रांड के ताले ही उस चाबी से खुलते हैं। इसलिए यदि आधार हीन चिंता हो तो उसे मन से दूर करने में जुट जाना चाहिए एवम अन्तर्द्वन्द से बचना चाहिए। गंगा दो दिन से देख रही हूँ जब कॉलेज से लौटती हूँ तो भिखारी सा दिखने वाला आदमी सामने वाले पेड़ के नीचे बैठा रहता है। मुझे देखते ही चला जाता है आज तू ध्यान रखना। भिखारी होता तो कुछ माँगता। फिर किसलिए आता है? मुझे तो लगता है टोह लेने के लिए ऐसे वेश में होगा। मौका मिलते ही चोरी कर लेगा।

सुवि कामवाली बाई को सब कुछ बताकर अपनी बौद्धिकता से एक तीर से दो निशाने साध कर पूरी तरह व्यवस्थित होकर कॉलेज चली गई क्योंकि कॉलेज जाकर उसे उस 'युगन्धर' को खोजना था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसे यह जानना था कि वह कितना प्रेममय है कैसे वह आवाम को जिन्दादिल बनाए रखता है और जीवन की नश्वरता से भय मुक्त होने की याद दिलाता है। वह बताता है कि भविष्य की चिंता में हमने जिसे छोड़ दिया है - मुस्कुराना, आनंद से हँसना इन सबसे परहेज कर लिया है ज्यादातर के माथे पर चिन्ता तनाव की लकीरें युगन्धर देख रहा है। अब सुवि के पास 'युगन्धर' थे और सुवि। सुवि युगन्धर में अन्तर्लिन हो जाना चाहती थी वह सब तरफ से चिन्ता मुक्त होकर जूनून के साथ 'युगन्धर' की बहुतेरी धारणाओं और मान्यताओं उसके कर्म और प्रेम को जानना चाहती थी। युगन्धर पढ़ने

से पहले उसने अपनी सक्रिय जिंदगी में अपने घर पर सब व्यवस्थित कर दिया था। धार्मिक परंपरा के अनुसार सुवि का रोज का नियम था वह गाय के लिए पहली और कुत्ते के लिए आखिरी रोटी बचाती थी। यदि खाने के बाद भी कुछ रोटियाँ बच जाती थी तो वह उस रोटी को भी उन रोटियों के साथ रख देती थी। काम समाप्त होने के बाद कामवाली बाई उन रोटियों को पेड़ के नीचे रख आती थी। कभी-कभी बाई इस कार्य को करना भूल जाती थी तो वह रोटियाँ सूख जाती थी। इसलिए गाय भी उन रोटियों को खा नहीं पाती थी फिर वे रोटियाँ अपने गतव्य स्थान स्वीपर की कचरा पेटी में पॉलिथीन में भरकर चली जाती थी। आज चूँकि 'युगन्धर' को पढ़ना ही था तो सुवि सब कार्य से निवृत्त होकर बिना किसी के हस्तक्षेप से उसे पढ़ना चाहती थी इसलिए सुवि ने आँगन के कोने में से सूखी रोटियों को उठाया और पेड़ के नीचे रख दिया। अन्दर से चोर की चोरी का पता लगाने के लिए मेगनेट लगा दिया। अब वह जानना चाहती थी कि उस साधन हीन समय में 'युगन्धर' में कितना धैर्य, बुद्धिमता और सामंजस्य के गुण थे। वह इस माध्यम से जान रही थी क्या जीवन में सब कुछ पाना ही मायने रखता है या भावनात्मक संतुष्टि का भी महत्व है। लेखिका यहाँ लिखती हैं कि हम अपनी सुगम राह पर चलकर संस्कृति और ना ही संस्कार बचा पा रहे हैं हम किस धरा पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ समानता नहीं है, शोषण का तौर-तरीका भिन्न है, यदि यह तरीका भिन्न नहीं होता तो हम गरीबी के मुद्दे पर लम्बी-लम्बी चर्चाएँ नहीं करते एवं लेखिका यह लिखने को बाध्य नहीं होती कि पेड़ के नीचे वही व्यक्ति था। उसके हाथ में रोटी के टुकड़े थे जो वह उठाकर कपड़े में रखता जा रहा था। बीच-बीच में एक-एक टुकड़ा मुँह में डालता जा रहा था।

लेखिका कहानी के माध्यम से सबको यह बतलाना चाहती है कि हमें समाज के शोषितों को हमें साक्षर करना होगा, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत करना होगा, स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा यदि कानूनी सहयोग की आवश्यकता हो तो उनके उत्थान के लिए वह भी हमें करना होगा। समाज की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें सीधे-सीधे लाभ दिलाना होगा।

अब सुवि भयमुक्त हो गई थी, स्वयं की मानसिकता से वह इस आक्रांत वातावरण की घातक स्थिति को समझ गई थी। शायद सुवि और पाठक भी इस कहानी को पढ़कर स्वयं में बहुत हीनता का भाव महसूस करें कि गरीब इंसानों की नीयति में जुल्मों के इतने भेदी? कदाचित् वह तो हमारे संस्कार नहीं हैं। अगर हम और हमारा समाज वैचारिक सुसावस्था से बाहर नहीं आएगा तो चाहे हम कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें हमारे समाज में ऐसे कई 'रोटी चोर' जन्म लेते रहेंगे। हमसे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। जरूरत है देश की आधी आबादी को पूरी आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक समानता, सुरक्षा और सम्मान देने की। हम उनके जीवन में सक्रिय सहभागिता कर उनके जीवन में प्रवाह ला सकते हैं। इसी से हमारा देश 'वसुदैव कुटुम्बकम्' कहलाएगा। हमें संतुष्ट भाव से तट पर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि धूप में फेटा बांधकर दो-दो हाथ करने वाले उतावले भल्ल की आवश्यकता है जो हारने और हार कर जीतने का जज्बा रखता हो और इस प्रकार के जज्बे का नाम ही जीवन है। अज्ञेय ने ठीक ही लिखा है - 'सात्विक प्यास तो उर्ध्वमुख ही होगी ना। उसमें अपनी सीमाओं के अतिक्रमण करने की उतावली भी होगी। यह प्यास जब लग गई तो लग गई।' यह कोई साधारण प्यास नहीं है यह समाजोत्थान की प्यास है और यह प्यास अब मेरे जीवन को जीवंत कर रही है व्यक्ति के उत्थान की बयार को स्पर्श कर रही है।

मुझमें अब इसी की गंध है और इसी का मंथन है। शायद इस चुनौती को स्वीकार कर मैं मानवता की जीत का परचम लहरा सकूँ। समाज में हो रही इस तरह रोटी चारने की वारदातों पर रोक लगा सके। उन्हें शिक्षित करना किसी एक कंपनी का उद्देश्य ना होकर सकल समाज की यह उत्प्रेरणा हो कि देश का एक भी बच्चा एक भी बड़ा अशिक्षित ना रहे। चाहे कुछ भी हो जाए हम शिक्षित गण उन्हें शिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें सम्मान

का जीवन दिलवा सके और समाज की गरीबी, भूखमरी मिटाने में हम अपना आंशिक योगदान ही सही पर उस योगदान को देने में पीछे बिल्कुल ना रहें क्योंकि हमें विदित है कि बूँद-बूँद से ही सागर भरता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कला जोशी की कहानी पुस्तक - अबूझ रिश्ते ।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में यथार्थ चित्रण

सुरेन्द्र बिसेन * डॉ. गणेश लाल जैन **

प्रस्तावना - हिन्दी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचन्द का साहित्य जीवन आज भी यथार्थ को प्रस्तुत करता है और 1918 से लेकर 1936 तक लगातार आपका लेखन कार्य सक्रीय रहा है। आपके उपन्यास और कहानियों में मनुष्य जीवन शैली का सचित्र यथार्थ को बड़े ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी वर्तमान में प्रांसगिक है, आपके अनेक उपन्यास और कहानियाँ देखने को मिलती है जो अन्य साहित्यकारों को अलग बनाकर साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के रचनाकार के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रमुख उपन्यास -सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और मंगलसूत्र (अपूर्ण) आदि उपन्यासों में प्रेमचन्द समूचे वर्ग की बात अपनी लेखनी के माध्यम से रखी है। गोदान प्रेमचन्द की कालजयी और विस्तृत कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण आज भी प्रांसगिक है जो स्थिति प्रेमचन्द ने देश स्वतंत्र होने के पूर्व 1936 के दशक में वर्णन किया था, जो किसान होरी, आज भी समूचे भारत के कृषकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लिखी गई है।

‘होरी ने फटी हुई मिरजई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते कहा - ‘तो क्या तु समझती है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ? अभी तो चालीस भी नहीं हुए। मर्द साठे पर पाठे होते हैं।

‘जाकर सीसे में मुँह देखो। तुम -जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध - घी अंजन लगाने को तक मिलता नहीं पाठे होंगे।

‘होरी का वह क्षणिक मृदता यथार्थ की इस आँच में झुलस गयी। और वह अपनी लाठी सम्भालता हुआ बोला कि साठ तक पहुँचने की नौबत न आने पाये धनिया ! इसके पहले हि चल देग’।

प्रेमचन्द जी ने यहाँ पर किसान की यथार्थ वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है- होरी कृषक होते हुए भी अपने भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके जीवन में अनेको समस्याओं से ग्रसित होकर उसका जीवन आगे तक स्वस्थ नहीं रह सकता।

होरी को एक नयी युक्ति सूझ गयी। बोला - ‘सोना बड़े आदमियों के लिए हैं। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूँ को चमार ; इसलिए न कि गेहूँ बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं।

यहाँ पर प्रेमचन्द ने समाज के वर्ग भेद और विसंगति के साथ-साथ जातिवाद-भेदभाव और रूढिवाद पर करारा व्यंग्य किया गया है। जो आज भी वर्तमान में यथार्थ का चित्रण कर रहा है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में यथार्थ का सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। और उसमें प्रस्तुत व्यंग्य व लेखों के माध्यम से हम देख सकते हैं।

दातादीन बोले - ‘मेरी आदत किसी की निन्दा करने की नहीं है। संसार में क्या-क्या कुकर्म नहीं होता; अपने से क्या मतलब ? नीज,जात, जहाँ पेट भर रोटी खायी और टेढ़ चले, इसी से तो सास्त्रों में कहा है- नीज जात लतियाए अच्छा।

‘पुस की रात का हलकू अपने आलस्य के चलते अपनी फसल का विनाश देखता है और इसी से मिलती - जुलती स्थिति ‘मुक्ति मार्ग’ के उन पात्रों की भी है, जो अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष के चलते अपना विनाश देखते हैं।

समाज की तस्वीर बहुत तेजी बदल रही है। आज भी भारत के कुछ गाँव ऐसे हैं, जहाँ स्त्री घर की चार दीवारी से मुक्त नहीं हो पाई है। धर्म, आडम्बर ने पुरुष की मानसिकता को गुलाम बना रखा है और अपनी वहीं मानसिकता स्त्री पर लादना चाहता है और धर्म का मुल्लमा चढाकर ढाँकना चाहता है।

प्रेमचन्द ने यहाँ पर समाज में व्यापत जातिभेद, वर्गभेद, गरीब-अमीर और ऊँच-नीच के बीच की खाई को बताने की कोशिश की है जो आज भी यथार्थ को प्रस्तुत कर रही है और समाज के उन लोगों पर करारा प्रहार करता हुआ प्रति हाक रहा है। प्रेमचन्द ने गोदान में बड़े स्पष्ट रूप से समाज के नाइमजादों व शिक्षित, पूँजीपति वर्ग की एक मनोवृत्ति व विचार दशा को दिखाने का प्रयास किया जो आज भी यथार्थ का एक समधा चित्र प्रस्तुत करता है।

‘आपको पता है, अदालतों में कितनी रिश्तों चल रही है। कितने गरीबों का खून हो रहा है। कितनी देविया भ्रष्ट हो रही है !

‘मुंशी प्रेमचन्द की यथार्थवादी कला की सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं- सजीव चरित्र- चित्रण उनके पात्र एकदम जिंदा हैं। वे अपनी सच्चाई से पाठक को प्रभावित करते हैं, और उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। प्रेमचन्द ने जो पात्र चूने हैं, वे भले- बुरे दोनों तरह के हैं। जमींदारों, महाजनों, नौकरशाहों ‘जमादारों - देशभक्तों’ आदि के प्रतिनिधि आमतौर से बुरक हैं। प्रेमचन्द ने उनकी धूर्तता, निर्दयता, लालच और खुशामदीपन का भण्डाफोड़ किया है।

यहाँ पर प्रेमचन्द के उपन्यास की पंक्ति आज भी वर्तमान में कितनी प्रांसगिक व यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली है। जो समाज को सीधा संदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो अन्य रचनाकारों के समान मानवीय धरातल के यथार्थ को प्रस्तुत करने में एक सफल उपन्यासकार रहे हैं।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व धार्मिक के साथ कृषकों, मजदूरों व महिलाओं और अन्य वर्ग के लोगों का ध्यान रखकर अपने उपन्यास में वर्णन किया गया है। समुचा भारत आज भी मध्यम

*शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय चन्द्रशेखर आजाद अग्रणी महाविद्यालय, सिहोर, भोपाल (म.प्र.) भारत

**शोध निर्देशक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिहोर, भोपाल (म.प्र.) भारत

वर्ग से जड़े जमाए हुए है, आज भी इस उपन्यास के मुखर आक्रोश जो हमेशा ही हमें यथार्थ को अपने विचार और संवेदना का ही स्वर है जो इन पंक्ति के माध्यम से प्रेमचन्द ने प्रस्तुत किया है।

प्रेमचन्द ने अपने समस्त उपन्यासों में यथार्थ की समूची रूपरेखा और विचार संवेदना को प्रस्तुत करने के लिए सफल प्रयास किया गया है। जो आज भी व्यापत समाज में कृषकों, मजदूरों, व गरीबों, महिलाओं व निम्न वर्ग के पिछड़ों में आज भी देखने को मिलता है। जो वर्तमान के परिपेक्ष्य में अपनी आवाज को मुखर करने का कार्य किया है।

प्रेमचन्द की साहित्य में सामाजिक जीवन के यथार्थ और साधारण जनता के जीवन - सन्दर्भों में समान मानव अधिकार की पहल को लेकर, किसान, स्त्री एवं हरिजन के संबंध में उनकी चिंता प्रमुख है। यह बात उल्लेखीय है, कि प्रेमचन्द के समय में दिये गये उपरोक्त सन्दर्भों में निहित उनकी दृष्टि समग्र रूप से उस समय हो रहे घटनाओं के परिपेक्ष्य में है।

प्रेमचन्द के साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह कि जहाँ वह तरफ शोषण के विरुद्ध अपनी कलम चलाते हैं, वही दुसरी तरफ शोषित वर्गों की तमाम कमजोरियों को भी नजर अंदाज नहीं करते।

किसान की भी आर्थिक स्थिति व शोषण का जिक्र भी किया है।

‘पुस की रात’ का हल्कू अपने आलस्य के चलते अपनी फसल का विनाश देखता है और इसी से मिलती - जुलती स्थिति मुक्ति मार्ग के उन पात्रों की भी है, जो वर्तमान कृषकों, मजदूरों, व गरीबों, महिलाओं व निम्न वर्ग के पिछड़ों में आज भी देखने को मिलता है। जो वर्तमान के परिपेक्ष्य में अपनी आवाज को मुखर किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमचन्द - गोदान - प्रकाशन नई दिल्ली पृ. स. 6, 7 वही पर।
2. प्रेमचन्द - रंगभूमि - मेघा बुक्स नवीन शाहदरा नई दिल्ली पृ. स. 16, वही पर।
3. प्रेमचन्द - कर्मभूमि - मेघा बुक्स नवीन शाहदरा नई दिल्ली।
4. प्रेमचन्द - सेवासदन - मेघा बुक्स नवीन शाहदरा नई दिल्ली।
5. डॉ. अप्रमेय मिश्रा - वार्षिक रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग भारत प्रकाशन।
6. प्रेमचन्द - पुस की रात - मेघा बुक्स नवीन शाहदरा नई दिल्ली।

संशय की एक रात-वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में

डॉ. रंजना मिश्रा *

प्रस्तावना - समाजोन्मुखी समष्टिबोध और विश्वकल्याण के हितार्थ लिखने वाले साहित्यकारों में नरेश मेहता उल्लेखनीय हैं।

जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने के साथ अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों से जनचेतना जगाकर समस्याओं का निराकरण इस प्रयोगवादी कवि का प्रमुख ध्येय रहा है। वर्तमान संदर्भों में युद्ध और शांति की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्वपटल से युद्ध को हटाने और मानवता को जाग्रत करने की नितांत आवश्यकता है। 'संशय की एक रात' में सभी पात्र आवश्यक राजनीतिक विमर्श द्वारा वर्तमान संदर्भों में व्याप्त युद्ध की समस्या और युद्ध की आवश्यकता जैसे विषयों का समाधान खोजते हैं। इस प्रबंध काव्य में प्राचीन पौराणिक कथाओं की तर्कपूर्ण यथार्थ व्याख्या समसामयिक संदर्भों में की गई है। मजबूत सांस्कृतिक धरातल लिए नरेश मेहता के उदात्त मानवीय विचार और स्वस्थ सामाजिकता का समन्वय वर्तमान संदर्भों में समस्याओं की परख और निराकरण के उद्देश्य को सफल बनाता है। व्यक्तिवादी अहं के साथ सामाजिक चेतना, विश्वजनीन मानवता और गहन संवेदनशीलता नरेश मेहता के काव्य की प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र की सार्थकता में सामान्य जनता के लिए कवि स्वतंत्रता और समानता के पक्षपाती हैं। विश्वशांति के लिए नरेश जी उच्च मानव मूल्यों की स्थापना और युद्ध की आवश्यकता को भी प्रमाणित करते हैं।

'संशय की एक रात में' सेतुबन्ध के समय का श्रीराम का अंतर्द्वन्द्व चित्रित है कि युद्ध करें अथवा न करें। इस नाट्य-काव्य में समस्त कथानक केवल इसी केन्द्र पर आधारित है कि व्यक्ति का नितांत वैयक्तिक व्यक्तित्व भी क्या सार्वजनिक हो सकता है। राम के हृदय में बारम्बार यही संशय उठता है कि क्या सीता की मुक्ति सार्वजनिक हो सकती है। व्यक्ति मर्यादा और सार्वजनिक आचरण की समस्या राम को संशय में डालती है। हनुमान के कथन में इस समस्या का समाधान कवि ने निम्नप्रकार किया है-

'सीता माता/भले ही राम की पत्नी हो/किसी की वधू/किसी की दुहिता हों/पर/हम कोटि-कोटि जनों की तो केवल/ प्रतीक हैं/रावण के अशोक वन की सीता/हम साधारण जन की अपहृत स्वतंत्रता।'

राम राष्ट्रवादी हैं, व्यक्तिवादी नहीं, इसीलिए वे जनमत का आदर करते हैं। सत्य एवं न्याय की रक्षा के लिए सीता परित्याग का निर्णय करते हैं। अत्याचारों से जन साधारण की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य है। राम के मन में शंका है कि क्या एक युद्ध के पश्चात् शांति हो जाएगी और वह युद्ध भविष्य के युद्धों एवं अशांति का कारण नहीं बनेगा। वे कहते हैं- 'किन्तु/इस युद्ध के उपरान्त/होगी शांति/इसका तो नहीं विश्वास/बन्धु। यह युद्ध/सम्भव है अनागत युद्ध का कारण बने/तब अनेकों लंका/अनेकों रावणों का जन्म हो'।

यह संभव है कि युद्ध के पश्चात् अस्थायी शान्ति व्याप्त हो जाए किन्तु प्रश्न तो सुरक्षा और चिरशांति का है।

ऐतिहासिक नियति वाला व्यक्ति युद्ध और शांति के संशय में कभी नहीं पड़ता। वह युद्ध और संहार की समस्या में अमानवीय पक्ष को देख नहीं पाता। राम न तो ऐतिहासिक नियति वाले हैं और न इतिहास के निर्माता हैं। वे तो इतिहास मुक्त भावना से अनुप्राणित हैं। वे कहते हैं- 'इतिहास के हाथों/ दास बनने से अधिक अच्छा है/स्वयं हम/अंधेरो में यात्रा करते हुए खो जाए।' आज मनुष्य युद्धों से मुक्ति पाना चाहता है। सत्य और न्याय के वहाने आज एक राष्ट्र दूसरे निर्बल राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है। इस संदर्भ में राम के मन में प्रश्न उठता है कि मानव एकता और सत्य की स्थापना क्या युद्ध के बिना नहीं हो सकती। वास्तव में मनुष्य सत्य के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करता है। ऐसे युद्धों से जो प्राप्ति होती है, वह मिथ्या है और फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि युद्ध के बाद शान्ति हो ही जाएगी। राम आज के शांतिप्रिय चिन्तक के रूप में कहते हैं कि वे सत्य की विजय चाहते हैं, परन्तु इसके लिए युद्ध और तलवार का प्रयोग उनको स्वीकार नहीं है।

नरेश मेहता इस नाट्य-काव्य में राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के पक्षपाती हैं। वे मनुष्य की वाणी को सृष्टि की जिम्हा मानते हैं, इसीलिए एक धोबी की अनर्गल बात जो मात्र प्रवाद थी, झूठ थी, उसे भी जनसाधारण की आवाज मानते हैं उसकी अवहेलना नहीं करते। राम का विराटत्व कल्पना का ऊँचा आदर्श है, जो व्यक्ति एवं सार्वजनिक की द्विविधा से घिरा हुआ है। वे अपने विवेक, निष्ठा, कर्म और वर्चस्व सभी को शंका की दृष्टि से देखते हैं, जबकि लक्ष्मण यथार्थ के आलोक में परम्परागत अर्थवत्ता में अर्थ के नये स्वर जोड़ते हैं। राम का मन इतिहास की प्रतिवद्धता और इतिहास से मुक्ति के संघर्ष में फँसा है। हनुमान और जामवन्त लक्ष्मण के यथार्थ और सत्य का समर्थन करते हैं। जटायु कहते हैं- 'राघव/ यदि तुम देख सके होते/प्रत्येक दो क्षणों के बीच/अनन्त समय का अन्तराल बिखरा है/एक सम्पूर्ण सृष्टि/सुख-दुखमयी एक सम्पूर्ण सृष्टि/अपने उदयास्तकाल में/ घटित हो जाती है/उस क्षण में/यदि तुम क्षणों की इस पृथकता को/देख सके होते तो/ राघव/परितापित कभी नहीं होते।' युद्ध और शांति से संबंधित प्रश्नों से एक विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है।

भारतीय लोकतंत्र का सिद्धांत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। राजा और प्रजा बराबर हैं। जो नियम जनता पर लागू किए जाते हैं, उनका पालन राजा और उनके प्रतिनिधियों को भी करना होगा। यही नरेश मेहता का वर्तमान यथार्थवादी समाधान है।

'संशय की एक रात' कृति मनुष्य की एकान्तिक आत्ममंथन और समाज के प्रति दायित्व-बोध की समस्या को बड़े ही कलात्मक ढंग से चित्रित करती

है। नायक राम इसी समस्या में धिरे हैं। कवि ने न तो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की उपेक्षा की है और न ही उसे समर्थन दिया है। उसने केवल मर्यादा का प्रश्न उठाया है। राम तभी संशय में पड़ते हैं, जब वे व्यष्टि और समष्टि दोनों को ही स्वीकार नहीं कर पाते। इस कृति में कवि वर्तमान युग की समस्याओं का साक्षात्कार बड़े ही रचनात्मक तरीके से कराता है। प्राचीन युग की अनेक रूढ़ियाँ आज भी मानव मन में जड़ जमाए हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी वे मूल्यों का स्थान भी लेती हैं। आज दो विरोधी मूल्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कवि पौराणिक राम को आज के इसी संदर्भ में देखता है- 'दो सत्य/दो संकल्प/दो-दो समस्याएँ/व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो गया है।' मानवता की सार्थकता के लिए कवि मानव मूल्यों का अन्वेषण करता है। इस संबंध में अनेक प्रश्न पात्रों के माध्यम से उठाये गये हैं। राम के सामने समस्या है कि सत्य-असत्य का निर्णय कौन करेगा विभीषण युद्ध के समर्थक हैं, लेकिन उनके लिए युद्ध भी दर्शन बन जाता है, क्योंकि वह अंतिम मार्ग बनकर उनके सामने आता है। अंततः युद्ध को सबके निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति और समूह में से सामूहिकता ही विजय पाती है।

नरेश जी पहले राजनीति और साहित्य को पर्यायवाची समझते थे लेकिन कालान्तर में उनकी धारणा यह हो गई कि राजनीति ने हमें क्रीत दासत्व दिया है। वे विगत का मोह और अनुकरण व्यर्थ समझते हैं।

इस नाट्य-काव्य में लंका युद्ध से पूर्व राम की एक शंकाकुल रात्रि की कथा चित्रित है। इसके चारों सर्ग 'साँझ का विस्तार और बालू तट', 'वर्षा भीगे अन्धकार का आगमन', 'मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय' एवं 'संदिग्ध

मन का संकल्प और सबेरा' तत्कालीन युग में युद्ध और शांति से संबंधित अनेक समस्याओं, अनेक प्रश्नों को उठाते हैं। वर्तमान युग के मूल्य-क्षरण, आस्था-अनास्था, अलगाववाद, साम्राज्यवाद, प्राचीन मान्यताओं और मूल्यों से नवीन का संघर्ष, युद्ध की आवश्यकता आदि समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास और अंत में शांति तथा निर्माण के उपाय नरेश मेहता का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि इस कृति में प्रमुख स्थान पाती है। नरेश मेहता ने व्यक्ति पीड़ा के माध्यम से समष्टि की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है।

वर्तमान संदर्भों में अवसरवादिता, राजनीतिक स्वार्थपरता, जातिवाद एवं धर्मन्धता, झूठे आश्वासन, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक जड़ता का कटु यथार्थ 'संशय की एक रात' में चित्रित है।

ऐसे संवेदनशील कवि के लिए रांगेय राघव का मत है कि 'नरेश नये काव्य का वनपांखी है, बड़ा सुरीला, वैसा ही मस्त और सलोना। ऊँची है इसकी उड़ान। एकदम नयी उपमाएँ, नया रचना-विधान। नरेश से बहुत आशा करना असंगत नहीं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. नयी कविता- आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ।
2. संशय की एक रात- नरेश मेहता ।
3. नयी कविता के नाट्य-काव्य- डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा ।
4. साठोत्तरी हिन्दी कविता- डॉ. विश्ववन्धु शर्मा ।

स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में नारी

नियति अग्रवाल *

प्रस्तावना - 'नर से भारी नारी, एक नहीं दो- दो मात्राएँ।' कहकर राष्ट्र कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने नारी के महत्व को रेखांकित किया है। नारी नर से महत्वपूर्ण है या नहीं? यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है अपितु 'नारी भी महत्वपूर्ण है' इस तथ्य को स्वीकार न करना बहस को जरूर जन्म दे सकता है। कारण यह है कि इस मही यानि धरा पर नारी; जीवन की सरलता युक्त ज्ञान गम्यता, कोमलता युक्त दृढ़ता और त्यागमयी गुणों से युक्त वह अन्नपूर्णा है जो देना ही जानती है; लेने की आकांक्षा जिसमें कभी नहीं रही। जो सेवा को अपना अधिकार समझती है इसलिए यह देवी है। जो त्याग करना जानती है इसलिए साम्राज्ञी है। जो जननी है, इसलिए ब्रह्म स्वरूपा है। जो पर्वों और उत्सवों के बहाने उस पर्यावरण को संरक्षित करना जानती है- जिसके वात्सल्यमयी आँचल में विश्व स्थान पाता है; इसलिए वह जगत माता है। जो सत्य है, सुंदर है, सरल है, पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करने वाली सतरूपा है, विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यशाला है। हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुन्दर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है; उसकी कल्पना नारी रूप में की गई है। राम से पहले सीता को याद करना, कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना, पिता के पहले माता को संबोधित किया जाना इस बात का सूचक है कि हमारे यहाँ नारी के महत्व को प्राचीनकाल से ही पहचान लिया गया था। तभी तो जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है-

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नभ पग तल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।'

कहा भी जाता है कि किसी भी देश की स्थिति और प्रगति का अनुमान लगाना हो तो उस देश में नारी की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि नारी अस्मिता और देश की अस्मिता का जुड़ाव बिंदु एक ही है। नारी- पुरुष परस्पर पूरक होते हुए भी दो स्वतंत्र इकाईयाँ हैं। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों की स्वतंत्र अस्मिता ही स्वस्थ, सुदृढ़ और संतुलित समाज का आधार है। यह संतुलन जब भी विकृत हुआ है; सामाजिक ढांचा बिखरा है, चरमराया है, विघटित हुआ है। देश की स्वाधीनता से पूर्व जनजागरण काल के महापुरुषों ने इस तथ्य को भली- भांति समझ लिया था; विशेषकर स्वामी विवेकानंद ने। तब नारी का कर्तव्य केवल घर, परिवार या समाज तक ही सीमित था। स्वयं का उत्थान, सामाजिक रीतियों में सुधार कर अपनी उपस्थिति रचनात्मक भूमिका में दर्ज कराना, साक्षर होना, पुरुषों की तरह राजनैतिक, आर्थिक, नागरिक अधिकार को प्राप्त करना आदि- अधिकारों से नारी वंचित थी। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का ध्यान सबसे पहले इस ओर गया। वे नारी की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। वे

अपने भाषणों, पत्रों और व्याख्यानों में चिंता प्रकट करने लगे क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका एक अंग शक्तिहीन होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह पाँव के सहारे कोई उड़ नहीं सकता। उन्होंने महसूस किया कि नारी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनकी यह प्रबल धारणा थी कि नारी का शैक्षणिक विकास बहुत आवश्यक है। वे यह भी मानते थे कि निरक्षर, अधिकार विहीन, घर की चारदीवारी में कैद माताओं की गोद में पलकर पुरुष भी निरंतर बलहीन और कमजोर हो रहा है। इसलिए उन्होंने तत्काल स्त्री जागरण का शंखनाद किया। वे चाहते थे कि नारी अपने सभी रूपों में समाएत हो। नारी जननी, भगिनी, मित्र, सेविका, सहचर सभी रूपों में वंदनीय है। नारी का विकास उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। वे मानते हैं कि नारियों का विकास ही राष्ट्र का विकास है। वे कहते हैं कि नारी के दो रूप हैं- एक कामिनी का दूसरा माता का। जहाँ नारी के कामिनी रूप की पूजा होगी वहाँ नाश होगा किंतु जहाँ नारी के मातृ रूप की पूजा होगी वहाँ देव स्वयं आकर वास करेंगे- 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, तत्र देवता रमन्ते।' उनकी दृष्टि में नारी भारत माँ थी। उनके कहे वाक्य आज भी कानों में गूँजते हैं कि 'राष्ट्र को ही हम देव समझें। अभी सभी देवताओं को सोने दो। केवल भारत माँ की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। कुछ वर्षों तक मातृभूमि रूपी माँ की ही अराधना करनी होगी।' दरअसल स्वामी जी की अराधना तो मातृभूमि ही थी। सब देवों की देवा। इस राष्ट्र की अराधना में वे अपनी ही नहीं संपूर्ण देशवासियों की सारी शक्ति लगाना चाहते थे और इसके लिए सबके साथ स्त्री शक्ति को जगाना बहुत आवश्यक था। उस समय उन्होंने नारी जागरण की जो लौ जलाई थी, उसके कारण स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं को जागृत करने में काफी सुविधा मिली और तबसे अब तक यानि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्त्री जागरण और उसकी शिक्षा का प्रयास सतत जारी है। माँ के प्रति परम पूज्य भाव हमें उनकी आत्मकथा के प्रारंभ में ही देखने को मिलता है। जब वे लिखते हैं- 'मैं जानता हूँ कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और भी हजारों ऐसे कठिन कार्य करती थी जो मैं पाँच मिनट भी नहीं कर सकता। दो वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझमें जितनी भी धार्मिक- सांस्कृतिक शक्ति मौजूद है, उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ, उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझमें जितना भी आवेग मौजूद है वह मेरी माँ का ही दान है और यह सारा कुछ सचेतन भाव से है, इसमें बूढ़ भर भी अचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार, ममता दी है, उसी के बल पर वर्तमान के 'मैं' की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी दिन भी नहीं चुका पाऊंगा।' नारी के प्रति ऐसी अद्भूत और महान सौंघ

रखने वाला व्यक्ति ही महापुरुष बन सकता है। इसलिए ही तो विवेकानंद महापुरुष कहलाएँ। किसी ने सच ही कहा है कि 'हमें अपनी नींव नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें।' विवेकानंद इसके मूल उदाहरण हैं।

रामकृष्ण आश्रम में भी वे माँ के परम भक्त थे। तभी तो माँ के आश्रम में उन्होंने अद्भूत शक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने आयरिस प्रवासी अपनी शिष्या और अपनी अनन्य भक्त मारग्रेट नोबेल, जिसका नाम उन्होंने 'निवेदिता' दिया था; उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में जो पंक्तियाँ लिखी थी उसका हिंदी अनुवाद इस तरह है-

'माँ का हृदय, वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता,
ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता,
ये वैभव सब अन्य और जो जन के स्वप्न बने हो,
तुम्हें सहज ही आज प्राप्य हो निश्चल भाव में,
मित्र, सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी।'

भारतीय संस्कृति का ताना-बाना इन्हीं गुणों के आधार पर बुना जा रहा है। जहाँ तक मारग्रेट का लंदन में मिलना, उनके अंदर प्रस्थापित आध्यात्मिक अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब संभाषणों, प्रश्नोत्तर और बातचीत में मिलने का वर्णन है वे सब प्रमाणित करते हैं कि निवेदिता अपने मन में उठे जीवन और जगत् संबंधी प्रश्नों का उत्तर पाकर ही भारत आने के लिए व्याकुल हुई थी। विवेकानंद जी ने भगिनी निवेदिता के अंदर उन गुणों के प्रस्थापित होने की कल्पना की है जो एक भारतीय स्त्री के सनातन गुण माने जाते रहे हैं। वे मानते हैं कि इन गुणों को धारण करके ही पुरुषों से श्रेष्ठ मानी जाती रही हैं। दरअसल उसकी एक स्थायी विशेषता 'निर्मात्री' का रहा है। वह पुत्र ही नहीं, पति की भी निर्मात्री रही है। परिवार, समाज, संस्कार सबकी निर्मात्री। इसलिए ही स्वामी जी द्वारा भगिनी निवेदिता में प्रस्थापित गुणों का आकलन समझने, विचारने और आज भी युवतियों द्वारा अनुकरण करने योग्य है। उन्होंने कहा- 'तुम्हारा हृदय माँ का हृदय है। माँ की ममता की तुलना किसी भाव से नहीं हो सकती। अतुलनीय है ममत्वा।' इसलिए तो कहा जाता है कि साधु, संत, राजनेता और बड़े साहित्यकार भी तभी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए समुचित प्रयास करते हैं जब उनके अंदर माँ की ममता की अनुकृति होती है। कहा भी गया है- 'ममता जब विस्तार लेती है तो सागर को भी अपने आँचल में समा लेती है।' समाज के समतायुक्त विकास के लिए ममता चाहिए। ममता माँ के हृदय का आभूषण है जो संतान के विकास में कभी मोम तो कभी पत्थर सी हो जाती है। विवेकानंद जी ने भगिनी निवेदिता के हृदय को माँ का हृदय और वीर की दृढ़ता दोनों कहा है। उस दृढ़ता में भी मलय पवन की मधुरता का संचार रहता है।

एक दृष्टांत प्रस्तुत है- 'एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले- 'क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ।' औरत बोली- 'मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ। और वह तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे।' विवेकानंद बोले- 'हमारी शादी तो संभव नहीं है। परंतु हाँ..... एक उपाय है।' औरत बोली- 'क्या?' विवेकानंद बोले- 'आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा।' औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली - 'आप साक्षात् ईश्वर के रूप हैं।' इसे कहते हैं नारी के प्रति पुरुष का सम्मान और ये होता है पुरुषार्थ! एक

सच्चा पुरुष वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके।

स्वामी जी ने नारी में पुरुष की मित्र और सेविका होने की भी परिकल्पना की है। मात्र पुरुष के लिए ही क्यों, उसे तो 'मंगलमय कल्याणी' बनना है। स्वामी जी मानते हैं कि अनादिकाल से वेद, पुराणों और शाश्वत साहित्य में भी नारी के अंदर के इन्हीं गुणों का निरूपण होता आया है। इन्हीं गुणों के आधार पर महिलाएँ व्यक्ति, परिवार और समाज का ही नहीं राष्ट्र का भी संरक्षण, पोषण और पल्लवन कर सकती हैं।

नारी को लेकर स्वामी जी के निर्मल चिन्ता में अतीत, वर्तमान और भावी समाज का जो चित्र प्रतिफलित हुआ था वह एक ऐसा सनातन रूप है जो काल के विपर्यय में म्लान नहीं होता। नारी समाज के संबंध में उनकी उक्तियाँ आज भी इसलिए उज्वल तथा समाज जीवन के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे थे 'आमूल संस्कारका' सदा परिवर्तनशील समाज की क्षणिक तृप्ति के लिए उन्होंने संस्कार के कृत्रिम प्रखण्डन की रचना कर प्रशंसा अर्जन नहीं की। वे मन से चाहते थे कि समाज की जीवन शक्ति प्रबुद्ध हो; जिससे उनके हृदय में आनंद की शतधारा स्वतः ही उच्छवासित हो सके।

निसंदेह इसका श्रेष्ठ उदाहरण जनक नंदिनी सीता हैं क्योंकि यदि हम विश्व के भूतकालीक साहित्य को खोजें और भविष्य में होने वाले साहित्य का भी मंथन करने के लिए तैयार रहें तो भी हमें सीताजी के समान भव्य आदर्श कहीं प्राप्त नहीं होगा। सीताजी का चरित्र अद्भूत रम्य है। सीताजी के चरित्र का उद्भव विश्व इतिहास की वह घटना है जिसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यह संभव है कि अनेक राम का जन्म हो किंतु दूसरी सीता कल्पनातीत है।

तभी तो आज सहस्रों वर्षोपरान्त भी भगवती सीता काश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक; क्या पुरुष, क्या स्त्री और क्या बालक- बालिका..... सभी की अराध्य देवी बनी हुई हैं। पवित्रता से भी अधिक पवित्र, धर्म और सहनशीलता की साक्षात् प्रतिमा जनकसुता सीता सदासर्वदा इस महान पद पर आसीन रहेंगी।

सचमुच नारी की आंतरिक शक्ति बड़ी सुदृढ़ है, वो हर विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकती है। न केवल स्वयं अपितु समाज के भटकाव और बिखराव को भी वो रोक सकती है क्योंकि वो आलोकमयी, निर्मल और निश्चल है। वो निर्भीकता से सत्य का उद्घाटन कर सकती है। वह सृजन है, संहार नहीं। समर्पण है, उन्माद नहीं। नारी जब संकल्पित होती है तो स्वयं को प्रमाणित कर दिखाती है। दिनकर का लिखा यह वाक्य सत्य है- 'मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है।' यह उक्ति नारी के संदर्भ में सत्य है।

सृजन और निर्माण करने वाली इस नारीशक्ति के सम्मान के लिए विवेकानंद निरन्तर प्रयत्नशील रहे। भारत को संबोधित करते हुए विवेकानंद जी के ओज से भरपूर ये शब्द निसंदेह अनमोल हैं कि 'भारत! तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती है, मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमाशंकर हैं, मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इन्द्रिय- सुख के लिए अथवा अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है; मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के बलिस्वरूप रखे गए हो; मत भूलना कि तुम्हारा सम्राट उस विराट् महायात्रा की छाया मात्र है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (प्रेम) के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना - मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय मानवीय सम्बंध अर्थात् प्रेम को अपने साहित्य में महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। प्रेम जैसे मूल्य के अनेक सूक्ष्म और संवेदनशील चित्र उनके साहित्य में मिलते हैं। 'हरीघास पर क्षणभर में' अज्ञेय अनेकानेक मूलस्वर प्रणयानुभूति के देते हैं। इस कविता में कवि प्रेम के मुक्त व्यापार की प्रतीकात्मकता के रूप में वर्णन कर रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन मूल्यों में अनेक व्यष्टि-समष्टि की स्थापना निर्बंध रूप में कर रहा है। ग्राम से विपरीत नागरिक की आधुनिक सभ्यता को नागरी सभ्यता के रूप में प्रतीक स्वरूप भाव प्रकट कर रहा है। आधुनिक युग में प्रेम नाम का धातु खोटा हो गया है। प्रेम पर नागरी सभ्यता ने अतिक्रमण कर लिया है। नागरी सभ्यता के प्रेम में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक रूप में सन्देह और आशंकाएँ जन्म लेते हुईं सी दिख रही हैं।

आओ बैठे

इसी ढील सी हरी घास पर।

माली चौकीदारो का यह समय नहीं है,

और घास तो अधुनातन मानव-मन की भावना की तरह

सदा बिछी है-हरी, न्यौतती, कोई आ कर रौंदे।

+ + + + + + + +

आओ बैठो: क्षण भर तुम्हें निहासू।

अपनी जानी एक-एक रेखा पहचानूँ

+ + + + + + + +

और रहे बैठे तो लोग कहेंगे

धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं।

-वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने:

(जिस के खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा

उसे रौंदा है और वह नहीं बोली)

नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से

जिन की भाषा में अतिशय चिकनाई है-

-साबुन की

किन्तु नहीं है कसूणा।

उठो, चलें, प्रिया।¹

प्रस्तुत कविता में कवि मानव विकृति से ग्रस्त आधुनिक सभ्यता में प्रेम एक गुनाह, अपराध बन गया है इसे ही विस्तृत फलक पर समझा रहे हैं। कवि का प्रेम अपना विस्तृत दर्शन देख रहा है, कवि हृदय प्रेम में प्रकृति को प्यार से पुकार रहा है। -

फूल कांचनार के,

प्रतीक मेरे प्यार के।

प्रार्थना-सी अर्धस्फुट कांपती रहे कली,
पत्तियों का सम्पुट, निवेदिता ज्यों अंजली।

आये दिन फिर मनुहार के, दुलार के

- फूल कांचनार के।

+ + + + + + + +

वासना-सी मुखरा, वेदना-सी प्रखरा

दिगन्त में, प्रानीर में, प्रांत में

खिल उठ, झूल जा, मस्त हो,

फैल जा वनान्त में-

मार्ग मेरे प्रणय का प्रशस्त हो।²

कवि प्रेम में कुंठा से भी ग्रसित है, उसने कई बार प्रेम में कुंठित हृदय को अभिव्यंजित किया है। कवि का प्रेम सकारात्मक आधार को सीमित कर नकारात्मकता को अधिक स्थान दे रहा है। इसी नकारात्मकता में कुंठित मन अनेकानेक बार यौन बिम्बो को अपनाकर उसे व्यक्त कर रहा है-

1. जब पपीहे ने पुकारा- मुझे दीखा-

दो पंखुरियां झरी लाल गुलाबकी, तकती पियासी

पिया-से उपर झुले उस फुल को

ओठ ज्यों ओठों तले।

मुकुर में देखा गया हो दृष्य पानीदार आंखों के।

हंस दिया मन दर्द से-

ओ मूढा तुने अब तलक कुछ नहीं सीखा।

जब पपीहे ने पुकारा- मुझे दीखा।³

2. से रहा है झोंप अंधियारा नदी सी जांघ पर:

डाह से सिहरी हुई यह चांदनी

चोर पैरों से उकल कर झ्राक जाती है।

प्रस्फुटन के दो क्षणों का मोल शेफाली

विजन की धूल पर चुपचाप

अपने मुग्ध प्राणों से अजाने आँक जाती है।⁴

'देहरी पर' नामक कविता में-

मंदिर तुम्हारा है

देवता है किस के?

प्रणति तुम्हारी है

फूल भरे किस के?

नहीं, नहीं, मैं झरा मैं झुका,

मैं ही तो मंदिर हूँ

ओ देवता। तुम्हारा

वहां, भीतर, पीठिका पर टिके
प्रसाद से भरे तुम्हारे हाथ
और मैं यहां देहरी के बाहर ही
सारा रीत गया।⁵

प्रस्तुत प्रेम की कविताओं में कवि पक्ष इस माध्यम से स्पष्ट कर रहा है कि सच्चा प्रेम आधुनिक नगरीय सभ्यता में नहीं रहा। स्त्री-पुरुष के संबंध दिखावा मात्र रह गये। कवि प्रेम के घिसे घिसाये परंपरागत बंधन जो नकारता है। प्रेम के लिये उत्कंट मन सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता है। छायावादी कवियों की दृष्टि से प्रस्तुत स्त्री-पुरुष संबंधों की प्रेम भरी कविताओं से इतर अज्ञेय प्रेम को केवल क्षण भरी अनुभूति मानते हैं जो बाद में एक स्मृति से अधिक कुछ नहीं। वहीं प्रगतिवादी कवियों के द्वारा प्रस्तुत प्रेम से इतर भौतिक प्रणय (मांसलता) को क्षणिक आकर्षण मानकर प्रेम के सृजनात्मक आयाम प्रस्तुत करते हैं। यह प्रेम भारतीय परंपरा का न होकर अज्ञेय सृजित प्रेम है। जिसे अज्ञेय प्रेम की संकीर्णता को छोड़कर इसे व्यक्ति, मुक्ति का माध्यम मानकर नितांत स्वायत्त मूल्य स्वीकार करते हैं। 'मुक्त है आकाश' नामक कविता में कवि अपनी वाणी को दर्शन के माध्यम से व्यक्त कर रहा है।

निमिष-भर को सो गया था प्यार का प्रहरी-
उस निमिष में कट गई है कठिन तप की शिंजिनी दुहरी
सत्य का वह सनसनाता तीर जा पहुंचा हृदय के पार
खोल दो सब वंचना के दुर्ग के ये रूढ़ सिंह द्वारा।
एक अंतिम निमिष-भर के ही लिए कट जाय मायापाषाण
एक क्षण-भर वक्ष के सुने कहर को झनझनाकर
चला जाये झुलसकर भी तप्त अंतिम मुक्ति का प्रष्वास-
कब तलक यह आत्म-संचय की कृपणता! यह घुमड़ता त्रास।
दान कर दो खुले कर से, खुले उर से होम कर दो
स्वयं को समीधा बनाकर
शून्य होगा, तिमिरमय भी,

तुम यही जानो कि अनुक्षण मुक्त है आकाश⁶
अज्ञेय के मतानुसार- 'ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई: भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं परस्पर प्रेम कर सकी।'⁷
'प्यार के तरीके' नामक कविता में कवि अपनी अनुभूति को स्पष्ट कर रहा है-

प्यार के तरीके तो और भी होते हैं
पर मेरे सपने में मेरा हाथ
चुपचाप तुम्हारे हाथ को सहलाता रहा
सपने भी रात भर⁸

प्यार
एक यज्ञका चरण
जिस में मैं वेध्य हूँ।

प्यार
एक अचूक वरण
कि किसके द्वारा
मैं मर्म में वेध्य हूँ।⁹

प्यार-कन्हाई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बारा
पर उड़लते रहे अपना सारा दुलार

उस एकरूप पर जिसे कभी पाया नहीं-
जो कभी हाथ आया नहीं।
कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता-
तो दुबारा किसी को प्यार क्यों किया होता?
कवि ने गीत लिखे नये-नये बार-बार,
पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार
जिसे कभी किसी गीत में समाया नहीं।
किसी एक गीत में वह अँटगया दिखता
तो कवि दूसरा गीत ही क्यों लिखता?¹⁰

कन्हाई ने प्यार किया - इस पूरी कविता में अज्ञेय-चिंतन का सार सुलझता है, इसमें कवि का बौद्धिक मन नदी के द्वीप, कविता में स्पष्ट रूप से पुष्टतर तर्कों के माध्यम से अपनी विचारधारा प्रकट कर रहा है। जिसमें नदी मां है। द्वीप पुत्र है। तट क भूखण्ड पिता है। नदी संस्कृति है। द्वीप व्यक्ति है। भूखण्ड समाज है। अज्ञेय के मतानुसार-हमारा प्रेम-एक प्रज्वलित द्वीप है। तुम उस दीप की शिखा हो, मैं उसी की छाया। अज्ञेय का बौद्धिक मन अपनी प्रेम-भावना को अहं से पुष्ट करना चाहता है। उनकी अधिकांश कविताएं अहं से पोषित होकर नये-नये आयाम स्थापित करती हैं। कवि हृदय स्वयं को समाज से विच्छिन्न एक द्वीप के रूप में कल्पित करता है। कवि का योगदान समाज से इतर एक वैशिष्ट्यपूर्ण सत्ता के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार कवि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार के मानस में फिट है कि वह निजता का गुण अपने व्यक्तित्व को विघटित नहीं होने देता और न यह चाहता कि कोई उसे करे। अपनी प्रसिद्ध कविता 'नदी के द्वीप' इसी चिंतन को परिपक्व किया है। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय व्यक्ति, समाज और संस्कृति के अन्तः संबंध को जी भर के सुलझाते हैं। अज्ञेय का जी भर के सुलझाना ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है -

हम नदी के द्वीप है।
हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाये।
वह हमें आकार देती है।
हमारे कोण, गलियां, अन्तरीय, उभार, सैकतफूल,
सब गोलाइयां उसकी गद्दी है।
मां है वह। है, इसी से हम बने हैं।
किन्तु हम है द्वीप।
हम धारा नहीं है।

स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के
किन्तु हम बहते नहीं हैं। क्योंकि बहना रेत होता है।
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं।
पैर उखड़ेंगे। प्लवन होगा। दहेंगे। सहेंगे। बह जायेंगे।
और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं?
रेत बनकर हम सलिल को तनिक गँदला ही करेंगे।
अनुपयोगी ही बनायेंगे।
द्वीप है हम।

यह नहीं है शाप। यह अपनी नियति है।
हम नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी के क्रोड़ में।
वह वृहद् भूखण्ड से हमको मिलाती है।
और वह भूखण्ड अपना पितर है।
नदी, तुम बहती चलो।
भूखण्ड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहता है,

माँजती, संस्कार देती चलो:
यदि ऐसा कभी हो
तुम्हारे आह्लाद से, या दूसरो के किसी स्वैराचार से-
अतिचार से-
तुम बढो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे,
यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल-
प्रवाहिनी बन जाये।
तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर
फिर छर्नेगे हम। जमेंगे हम। कहीं फिर पैर टेकेंगे।
कहीं फिर भी खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का आकार।
मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना।¹¹

इस प्रकार अज्ञेय ने प्रेम के सहज और सरल अर्थात् स्वभाविक स्वरूप के उद्घाटन के साथ-साथ वासनात्मक एवं प्रतीकात्मक स्वरूप को भी चित्रित किया है। उपर्युक्त कविताओं के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अज्ञेय के सृजनात्मक मूल्यों में प्रेम का विस्तृत फलक पर योगदान है। उनके काव्य में प्रेम, प्रणय, वात्सल्य, वासना, विरह, संयोग, वियोग आसक्ति, अनासक्ति, विरक्ति के विविध आयाम दिखाई देते हैं। आलोचकों ने अज्ञेय के अहं एवं

व्यष्टि को कुंठाग्रस्त इकाई के रूप में प्रचारित, प्रसारित किया परंतु यह अंशतः सही है, सम्पूर्ण रूप से प्रेम अपने वैविध्य रूपों में कविता के माध्यम से निखरकर आया है। प्रेम से संबंधित कविताओं में अहं का विसर्जन तथा में 'का हम' के साथ एकात्म होने का भाव प्रबलकतर होता चला जाता है।¹²

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सदानीरा अज्ञेय- पृ. 247-248
2. सदानीरा अज्ञेय पृ. 200
3. सदानीरा-अज्ञेय पृ. 238
4. सदानीरा-अज्ञेय पृ. 240
5. सदानीरा-अज्ञेय पृ. 199-200
6. सदानीरा-अज्ञेय पृ. 196
7. आत्मनेपद (एकांत साक्षात्कार)-अज्ञेय।
8. सदानीरा अज्ञेय-पृ. 406
9. सदानीरा अज्ञेय पृ 226
10. सदानीरा- अज्ञेय पृ. 248
11. सदानीरा, अज्ञे पृ. 252-253
12. सृजन की समग्रता -प्रो. रामकमल रॉय पृ. 24

वैश्वीकरण और हिन्दी का विकास

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – वैश्वीकरण की प्रतिध्वनि पूरी दुनिया में बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक में सुनायी पड़ने लगी थी। यह शब्द नवीन हो सकता है परन्तु इसकी अवधारणा सदियों पुरानी है। सिन्धु घाटी की सभ्यता, मिस्त्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में व्याप्त व्यापारिक सम्बन्ध इस संकल्पना का प्रमाण है। भारत के सम्बन्ध में तो यह संकल्पना इससे भी प्राचीन है। हमारे वैदिक साहित्य में उल्लेख है- ‘सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा’ अर्थात् भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पहली वरेण्य संस्कृति है।¹ भारत सदियों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की महती एवं विशाल अवधारणा के साथ ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की भावना को लेकर सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार, एक इकाई के रूप में देखने, समझने व जीने की सदैव प्रेरणा देता है, इसलिए आज भी भारत के लिए वैश्वीकरण का मुद्दा कोई नया नहीं है।

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत भौगोलिक दूरियों, सीमाओं, सरहदों, दीवारों के बावजूद दुनिया के देश तकनीक के माध्यम से विचारों, उत्पादों और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नोम चोमस्की के शब्दों में- ‘वैश्वीकरण का अर्थ राष्ट्रीय एकीकरण है। वस्तुतः यह सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव में बदलने की अवधारणा है। इस एकीकरण में भाषा की अहम् भूमिका होती है। जो भाषा व्यापक रूप से प्रयोग में रहेगी, उसी का स्थान विश्व में सुनिश्चित होगा। जब विश्व एक बड़ा बाजार बन जाएगा उस बाजार में प्रयोग करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होगा वही भाषा जीवित रह जाएगी।’

जिस प्रकार दो विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों के लोग आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए परस्पर एक दूसरे की भाषा को सीख लेते हैं, त्यौहार एवं धर्म के बारे में जानने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार देशों के बीच मेल जोल बढ़ने के कारण उनकी संस्कृतियों से परिचित होते हैं, जिनमें भाषा का प्रमुख स्थान है। भाषा के संबंध में प्रभाकर श्रोत्रीय लिखते हैं - ‘भाषा संजीवनी है, प्राणशक्ति का आधार है, साथ ही हमारे अस्तित्व व अस्मिता की पहचान और अभिदान थी। भाषा प्रवहमान निर्झर है, अतः उसका सतत प्रवहमान होना आवश्यक है। हमारे समग्र विकास को, संस्कृति एवं चिन्तन परम्परा की विरासत को यदि, किसी माध्यम से प्रतिबिम्बित किया जा सकता है तो वह भाषा है।’²

भाषा किसी भी राष्ट्र और समाज की आत्मा होती है, जिसमें वह देश, वह समाज संवाद करता है। भाषा और संस्कृति उस राष्ट्र और समाज की पहचान होती है, उसकी अस्मिता की वाहिका होती है। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और उसकी निर्मिति से सम्बन्ध होता है। इस रूप में कोई भी भाषा संपूर्ण

विश्व की योजना को भी अपनी संवादात्मकता अपनी सर्जनात्मकता और संप्रेषणीयता की शक्तियों से प्रभावित कर वैश्विक स्तर पर मनुष्य के चिन्तन, उसकी संवेदना और सर्जना की प्रक्रिया को एक नयी दृष्टि तथा नया आयाम प्रदान कर सकती है।

भूमण्डलीकरण के दौर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए एक जीवित भाषा आवश्यक है और वह है हिन्दी। आज हिन्दी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा कही जाती है। लगभग एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं जिनमें आधे से अधिक हिन्दी से परिचित ही नहीं उसे व्यवहार में भी लाते हैं। गत पचास वर्षों में हिन्दी की शब्द संपदा का जितना विस्तार हुआ है उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो। डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय ने लिखा है- ‘भारत एक उभरती हुई अर्धव्यवस्था है। एक तरफ हिन्दी भाषी दुनियाभर में फैल रहे हैं तो दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखानी पड़ रही है। तेजी से हिन्दी सीखने वाले देशों में चीन सबसे आगे है, जहाँ 200 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ायी जा रही है।’³ जो भाषा जितनी उदार होगी और समय के साथ परिवर्तित होती जाएगी वह उतनी ही लोकप्रिय होगी। उसकी जीवन क्षमता उतनी ही अधिक होगी।

वैश्वीकृत परिवेश में हिन्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि उसने अपना विकास परिस्थितियों के अनुरूप ढाल कर स्वयं के ढम पर किया है। आज किसी भी देशी-विदेशी कंपनी को अपना उत्पाद बाजार में उतारना है, तो उसकी पहली दृष्टि हिन्दी क्षेत्र पर पड़ती है क्योंकि हिन्दी आम जन के साथ-साथ उपभोक्ता की भी भाषा है। टी.वी. चैनल हो या विज्ञापन उद्योग बाजारवादी अर्धव्यवस्था पर हिन्दी का जुनून इस तरह चढ़ गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादों के विज्ञापन आज हिन्दी में तैयार करवा रही हैं। कोका-कोला, डोमिनोज, नेस्ले जैसी कई कम्पनियाँ अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए हिन्दी विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं।

आज भारतीय विद्वानों ने हिन्दी के उपयोगी सॉफ्टवेयर विकसित कर लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सभी कम्प्यूटरों पर अब यूनिकोड में हिन्दी टाइपिंग का विकल्प मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी इंडिक की-बोर्ड विकसित किया है, जिसके माध्यम से मोबाइल पर आसानी से हिन्दी टाइपिंग की जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर हिन्दी संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है। कम्प्यूटर पर हिन्दी की मौजूदगी ने हिन्दी को इन्टरनेट पर लोकप्रिय बना दिया है। आज इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक लेखों में हिन्दी धीरे-धीरे अपनी दस्तक दे रही है। आज हिन्दी में ब्लाग लेखन एक नयी और सशक्त विधा के रूप में उभरा है। फेसबुक, ट्विटर और

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

वहाँदसएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने जहाँ आज हिन्दी में संदेश लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक लेखन के लिए सर्वथा नया प्लेटफार्म, उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है; वहीं गूगल, याहू, विंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार-माध्यमों और कम्प्यूटर आदि के उपयोग ने हिन्दी के प्रयोग को नया आयाम प्रदान किया है। आज समालोचन, सृजनगाथा जैसी हिन्दी की ई-पत्रिकाओं और अनुभूति डॉट कॉम, कविता कोश, साहित्यकोश जैसे साहित्य संग्रह की वेबसाइटों ने हिन्दी साहित्य सर्जना को एक नया आयाम, नूतन दृष्टि और नवीन ताजगी प्रदान की है। साथ ही हिन्दी को आज के वैश्विक सन्दर्भों में एक नया व्यापक क्षितिज प्रदान किया है।

हिन्दी भाषा के वैश्विक चेतना की भाषा होने और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से गुजरने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसने विश्व की कई भाषाओं को अपने में समाहित कर लिया है। आज दुनिया के चालीस से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी पढ़ायी जा रही है। साथ ही साथ विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठतम कृतियों को भी हिन्दी में रूपांतरित किया गया है। विलियम शेक्सपियर के नाटक ट्वेल्थनाइट, मैकेबेथ, ओथेलो का ग्यारह बार से अधिक हिन्दी अनुवाद किया गया है। इतना ही नहीं आज पच्चीस से अधिक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं भी विदेशी धरती से प्रकाशित हो रही हैं। मारीशस से आर्यवीर, जागृति, वसंत, रिमझिम, पंकज, आक्रोश, इन्द्रधनुष, जनवाणी, आर्येदिय हिन्दी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रिटेन से प्रवासिनी, पुरवाई, अमरदीप, भारत भवन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। दुबई से हिन्दी की दो प्रतिष्ठित नेट पत्रिकाएं - 'अभिव्यक्ति' व अनुभूति प्रकाशित होती हैं अमेरिका से हिन्दी जगत और क्षितिज, कनाडा से साहित्यकुंज, न्यूजीलैंड से भारत दर्शन तथा त्रिनिदाद एवं टोबेगो से हिन्दी निधिस्वर का प्रकाशन होता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में भाषा के विकास में पत्रकारिता ने अपनी महती भूमिका निभायी है। आज हमारे देश के पत्रकार विदेशों में जाकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विदेशी खबरों को हिन्दी भाषा में सीधे प्रसारित किया जा रहा है। इसमें बी.बी.सी. का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बी.बी.सी. के संवाददाता अधिकतर विदेशी खबरों को हिन्दीभाषा में प्रेषित करते हैं। आज खेलों का सीधा प्रसारण भी हिन्दी में किया जाने लगा है।

विश्वस्तर पर हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया। इसके पश्चात् क्रमशः मॉरीशस (1976), भारत (1983), मॉरीशस (1993), त्रिनिदाद और टोबेगो (1996), लंदन (1999), सूरीनाम (2003), न्यूयार्क (2007), दक्षिण अफ्रीका (2012) तथा भारत (2015) में आयोजित हुए हैं जिसमें विश्वभर के हिन्दी विद्वान एवं हिन्दीप्रेमी भाग लेते हैं तथा विश्वस्तर पर हिन्दी के विकास में अपना योगदान देते हैं।

हिन्दी भाषा के विकास में प्रवासी लेखकों का विशिष्ट योगदान है। अनेक भारतीय ऐसे हैं जो भारत से इतर देशों में हिन्दी रचना व विकास कार्य में संलग्न हैं। इनमें विदेशी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और दूतावास के अधिकारी तो हैं ही साथ ही सामान्य जन भी हैं जो नियमित लेखन व अध्यापन

से विदेश में हिन्दी को लोकप्रिय बना रहे हैं। 'विदेशों में लिखा जा रहा साहित्य एक नए अस्तित्व बोध व आत्मबोध का साहित्य है। इस प्रवासी साहित्य ने हिन्दी को वैश्विक रूप प्रदान किया है और अब हिन्दी का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। हिन्दी का प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का एक सेतु बनता है। जिसके मूल में भारत वंशियों का स्वदेश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम के साथ उनकी संलग्नता, सहभागिता एवं सहयोग अदृष्ट रूप में सम्बद्ध है। यह सेतु विश्वव्यापी हिन्दी साहित्यक समाज का निर्माण करता है। विभिन्न देशों के हिन्दी लेखक एवं हिन्दी समाज भारत के हिन्दी समाज से जुड़ते हैं और परस्पर एक दूसरे के निकट आकर हिन्दी विश्व को संबल एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं।'⁴

वैश्वीकरण के इस दौर में हिन्दी ने विश्वपटल पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है परन्तु वह आज अपनी मूल संपदा से दूर होती जा रही है। संचार माध्यमों के प्रभाव से भाषा के विकृत होने की संभावना बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय संस्थान और विदेशी कम्पनियाँ अपने उत्पाद स्थापित करने के लिए हिन्दी में विज्ञापन का सहारा ले रही हैं।⁵ 'कर लो दुनिया मुठी में', 'दिल मांगे मोर पियो प्योर य जैसे विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी और अंग्रेजी की खिचड़ी द्वारा भाषा का विकास संभव नहीं है। 'टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फिल्मों व खासतौर पर हिन्दी के अखबारों द्वारा इधर जिस तरह की हिन्दी इस्तेमाल में आ रही है, उसे देखते हुए इस फिक्र से भर उठना अस्वाभाविक नहीं है कि 'कहीं यह हिन्दी वालों के द्वारा हिन्दी को विदा करने की कोशिश तो नहीं?'⁵

इंटरनेट, टी.वी. चैनलों, वेबसाइट, ब्लॉग, ई-मेल, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से मौखिक भाषा के विस्तार की अनंत संभावनाएँ हैं परन्तु संकट इस बात का है कि आज एम एम एस के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। ई-मेल भी प्रायः रोमन लिपि में भेजे जाते हैं। आज संचार माध्यमों एवं अनेक देशी-विदेशी कम्पनियों ने देवनागरी लिपि को अपदस्थ करने का अभियान शुरू कर दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए प्रयत्नशील रहें और अपनी लिपि के अस्तित्व को बनाए रखें।

धरा यदि आन है, तो भाषा हमारा मान, हमें हिन्दी के विश्वमंच की ओर बढ़ने की गति पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह किस स्वरूप में अग्रसर हो रही है। वह अपने मूल और मुखर स्वरूप के साथ अग्रसर होगी तभी भाषा का सही विकास संभव होगा। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभु जोशी लिखते हैं- 'भाषा काबू में आ गई तो बाकी का सांस्कृतिक तंत्र खुद ब खुद ढह जाएगा। भाषा सामाजिक सम्पत्ति है, इसलिए इसे मीडिया की टकसाल में क्षुद्र स्वार्थ के लिए विकृत करना कदापि उचित नहीं। भाषा के साथ खिलवाड़ अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अखण्ड ज्योति, जून 1992
2. प्रभाकर श्रोत्रीय- हिन्दी दशा और दिशा।
3. डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय- हिन्दी का विश्व सन्दर्भ।
4. डॉ० कमल किशोर गोयनका- प्रवासी साहित्य; जोहान्सबर्ग के आगे
5. प्रभु जोशी- पहल 90

यामिनी कथा में पुतुल के मन की अंतर्व्यथा

डॉ. बिन्दु परस्ते *

प्रस्तावना – यामिनी कथा नारी के अंतर्गत की ऐसी व्यथा कथा है, जिससे एक नारी ही समझ सकती है। नारी के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक ऐसा खालीपन उसे महसूस होता है जिसकी भरपाई करना मुश्किल प्रतीत होता है। मैं बात करना चाहती हूँ यामिनी के पहले पति विश्वास के पुत्र पुतुल की मन स्थिति के बारे में। पुतुल एक 10-11 साल का छोटा बच्चा है उसे अपने सही गलत अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। बचपन से ही उसके समक्ष अनेक समस्याएँ का खड़ी होती हैं। पिता का प्यार उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता क्योंकि पिता सिर्फ छुट्टियों में ही उससे मिलने आते हैं। बाकी समय वह माँ के साथ ही रहकर बड़ा होता है। माँ से उसे माता पिता दोनों का प्यार मिलता है। पुतुल को उसके पापा बहुत प्यार करते हैं। पिता होने की जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। पुतुल की माँ अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी का ध्यान रखती है। परंतु जैसे ही वह 10-12 साल का होता है। एक आंधी उसके जीवन में आ जाती है उसका हँसता खेलता परिवार बिखरता दिखाई देता है। यामिनी को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। माँ की हैरानी परेशानी देखकर पुतुल भी उदास रहने लगता है। पुतुल मैं लड़कपन रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके पिता उसके लिए कुछ ही दिन उसके पास रहने वाले है। उसके पिता जी विश्वास का अस्पताल मैं इलाज चल रहा था। माता के साथ-साथ वह भी भागदौड़ करता रहता है। कुछ महीने इलाज चलता रहता है। परंतु कुछ समय पश्चात उनका पुतुल के पिता का निधन हो जाता है। माँ बेटे दोनों अकेले हो जाते हैं। माँ की बेबसी को पुतुल अच्छी तरह समझता है। एक ऐसा खालीपन पुतुल की जिंदगी में आ जाता है जिसे कभी भर पाना मुश्किल हो जाता है। यामिनी अपने पति विश्वास के प्रो. फंड और अन्य फंड के पैसे लेने के लिए ऑफिस के चक्कर काटती है। वह कार्यालय में रोज-रोज जाकर देखती है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आए जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई और अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वह बहुत परेशान हो जाती है। परंतु उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तभी उसकी मुलाकात ऑफिस के हेड निखिल से बात होती है। निखिल यामिनी को देखकर सबकुछ भूल जाता है। उससे प्रेम की अनुभूति होने लगती है यामिनी इस बात को समझ नहीं पाती निखिल यामिनी की हर संभव मदद करता है। उसे उसके पैसे दिलवाने में पूरी सहायता करता है। इस दौरान यामिनी को कई बार निखिल से अपने काम के सिलसिले में मिलना पड़ता है। इसी दरमियान निखिल अपने दिल की बात यामिनी से कह देता है। कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है। यामिनी अचानक सोच में पड़ जाती है। और कहती है कि मैं कुछ सोच विचार कर ही जवाब दूँगी।

यामिनी सोचती है। निखिल जैसा व्यक्ति इस तरह के क्रूर और भौंडे

मजाक नहीं किया करता। लेकिन तब भी कहाँ मैं छतीस साल की प्रौढ विधवा, साथ ही बारह साल के बच्चों की माँ और कहां निखिल-बत्तीस साल के अविवाहित शालीन युवा।

बात बेहद नपी-तुली बल्कि कुछ सख्त ढंग से चली थी

‘उम्र जानते हैं मेरी ?

‘काफी कुछ अनुमान लगा सकता हूँ।’

‘और मेरा बारह का बेटा ?

‘साथ रह सकता है हमारे ?

‘रह सकता है’ जैसे शब्द अवश्य थोड़े लापरवाही से उछाले से लगे, थोड़ा अहसान, थोड़ी स्वीकृति की मुहर-सी। पुतुल माँ को पास रखने के लिए मुझे निखिल की अनुमति चाहिए थी क्या? फिर बिना अधिकार पाए ही उसका प्रयोग कैसा ?

लेकिन फिर भी आप आपको मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है हर दृष्टि से।

मैंने कभी नहीं कहा कि आप दुनिया की सबसे अच्छी या सबसे खूबसूरत लड़की है। या मौके का फायदा उठाकर मन से छीटा कर दिया लड़की सुना तुमने ?

पुतुल की मन: स्थिति जानने-समझने के लिए भी समय चाहिए ही, और इसमें थोड़ा नहीं काफी समय भी लग सकता है। पुतुल की मन: स्थिति ऐसी है कि वह तो बाल मन है उसे जो कहा जाएगा उसे वह क्या प्रतिक्रिया कर पाएगा क्या सही है क्या गलत है उस बात की समझ उसे नहीं है वह तो अपनी माँ का लाइला दुलारा बेटा है वे जो कहेंगी उसे मंजूर होगा। एक माँ ही अपने बच्चे को उसकी मनोभावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती है और कोई नहीं। यामिनी पुतुल के उज्ज्वल भविष्य को लेकर चिंतित रहती है कि बच्चे की आगों की पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी उसकी फीस कैसे भराई जाएगी इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए यामिनी निखिल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अपनी जिंदगी में एक स्थापित्व लाना भी उसका उद्देश्य प्रतीत होता है। यामिनी को न चाहते हुए भी मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ता है। यामिनी अपने पुत्र पुतुल से पूछती है कि मैं निखिल से शादी करूँ या न करूँ। तो बेटा कहता है शादी कर लो माँ। बच्चे की स्वीकृति को माँ सर्वोपरी मानती है। क्योंकि बच्चा ही उसके जीवन का सहारा है एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। अतः बच्चे की और अपनी आर्थिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यामिनी शादी का प्रस्ताव स्वीकर कर लेती है। विवाह के पश्चात यामिनी की जीवन दो भागों में बिखर जाता है। यामिनी को अपने पति निखिल को भी खुश रखना है अपने बच्चे पुतुल का ध्यान भी रखना है। दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उसकी जिंदगी गुजरती

रहती है। इस दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब यामिनी को अपने पति के पक्ष में निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि पुतुल को अलग कमरे में सुलाकर उसे अपने पति के साथ पत्नि के कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। निखिल पुतुल के लिए हर प्रकार के खर्च उठाता है उसके कपड़े, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस सभी के लिए पैसे देता है। परंतु सौतेला पिता तो सौतेला ही कहलाता है। वह कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ नहीं फेरता। पिता का प्यार दे पाने में असंभव रहता है। एक प्रकार से जिम्मेदारी तो निभाता है पर एक बच्चे का पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसे दे पाने में निखिल सफल नहीं हो पाता। ऐसा हमारे समाज में क्यों है कि हम बच्चे की माँ को तो अपना रहे हैं परंतु बच्चे को नहीं अपना पाते हैं। बच्चे कि पिता की मृत्यु होने से उसका सारा जीवन ही पिता के प्यार को तरसता है। यामिनी अपने पुत्र में उज्ज्वल भविष्य की कामना के कारण निखिल से शादी करती है पर उसे ये मालूम नहीं रहता कि विवाह होते ही उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी। विवाह के पश्चात् यामिनी उसके पति निखिल को ज्यादा ध्यान देने लगती है उसका प्यार दो भागो में बंट जाता है। वह चाहकर भी अपने बच्चे पुतुल पर ध्यान नहीं दे पाती। सुबह से पुत्र की दिनचर्या शुरू हो जाता है। उसकी तैयारी करना स्कूल भेजना फिर उससे शाम को ही मुलाकात हो पाती है। पति निखिल भी गंभीरता से बच्चे के साथ व्यवहार करता है। पुतुल अपने पिता की जगह उसको देखकर उसे स्वीकार नहीं कर पाता। निखिल भी अपने मन में यह नहीं सोच पाता कि पुतुल को पिता की सख्त जरूरत है। शायद इसीलिए पुतुल भी उसे पिता स्वीकार करने में हिचकिचाता है। इसका एक उदाहरण ये है। निखिल यामिनी के पुत्र पुतुल को तो बहुत प्रेम से रखता है। परंतु चुनमुन को वह पूरा पिता का प्यार देता है उसकी हर बात का ध्यान रखता है। जैसे सुबह डायनिंग टेबल पर निखिल मगन मन चुनमुन को एकटक निहारते हैं। बेचैन सी मैं थोड़ा रुककर फिर दोहराती हूँ इसी साथ पुतुल भी नाश्ता कर लेता तो मुझे छुट्टी मिलती।

हाँ और क्या। 'फिर चुबुजी। बूढ़ (दुध) नई मिला क्या भाई जो ऐसे साँस चाट रहे हैं आप ? ऐं ? यानी निखिल घुम फिरकर चुनमुन पर ही। अब धैर्य जवाब दे जाता है - 'जरा पुतुल को बुलाते न एक बार। निखिल ने जैसे अब बाकायदे सुना और चौककर बोले 'ओह, हाँ-हाँ, बुलाता हूँ। पुतुल ! आओ भाई, नाश्ता तैयार है। पुतुल के कमरे से कोई जवाब नहीं आता। निखिल का ध्यान जवाब की तरफ है भी नहीं। वे मगन-मस्त टोस्ट पर मक्खन की परत पिघलाते हुए कहते हैं तोश-तोश भाई चुनमुन जी। चुनमुन के हाथ मारने से पहले- 'ऐसे नहीं यार, पहले जैम तो लगा लेने दे।

अब टोस्ट पर जैम लगा चुनमुन को चटाया जाने लगता है जिसे वह अपनी नन्हीं देतुलियों से पकड़ चुरचुराने लगता है। निखिल ठठाकर हँसते हैं। लेकिन तभी मेरी तटस्थता या कहे कि उदासीनसता लक्ष्य कर जानबूझकर थोड़ी देर मेरे चेहरे पर टिकते हैं फिर बेहद ठंडेपन से संभाले हुए लहजे में कहते हैं जाकर देखो पुतुल की शायद सुना न हो उसने।'

'हाँ जाती हूँ। लाओ

इस प्रकार उक्त दृश्य में यह प्रतीत हो रहा है कि निखिल का ध्यान

पुतुल के बजाये अपने पुत्र चुनमुन पर अधिक हिता है। वह पुतुल को हमेशा निगलेक्ट करता रहता है। निखिल ने पुतुल को गंभीरता से नहीं लिया है। उसके मन में पुतुल के पिता बनने का कोई उत्साह नहीं है। चुनमुन के पैदा होने पर वह बहुत खुश रहता है। इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है मानो निखिल पुतुल के प्रति सिर्फ आर्थिक मदद की आशा रखता है अन्य किसी भावना को महत्व नहीं देना चाहता वह सिर्फ यह सोचता है। कि उसे सिर्फ यामिनी से मतलब है। पुतुल तो सिर्फ एक अतिरिक्त सदस्य है। उसकी आर्थिक मदद करना ही उसका उद्देश्य है। उसे वह प्रमुखता नहीं देना चाहता। वह सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का रोल दिखाता है। पुतुल अपने कमरे में अकेले बैठे पढ़ाई करता रहता है। अपने पिता की तस्वीर को सामने रख रोता रहता है। यामिनी का यह फैसला करने का फैसला पुतुल का आर्थिक सपोर्ट तो दिया परन्तु भावनात्मक जुड़ाव पुतुल से नहीं हो पाया। पुतुल पर एकांकीपन जैसे- जैसे बढ़ा होता है जाता है बढ़ता ही जाता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त रहता है। स्कूल और कोचिंग में ही उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। माँ की दूसरी शादी के बाद पुतुल को एक अजीब अकेलापन मिलता है जिसे केवल वही समझ पाता है। स्कूल से पढ़ाई करने के पश्चात् पुतुल उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की पढ़ाई करता है। उस दौरान उसे उसके दोस्त उसे भावनात्मक सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। धीरे-धीरे पुतुल उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। कुछ समय बाद भारतीय सेना में फौज की भर्ती का विज्ञापन निकलता है। पुतुल विज्ञापन देखकर पद के लिए आवेदन करता है। फौज की कठिन परीक्षा की तैयारी करता है परीक्षा पास करने के लिए जी जान से जुट जाता है। इसके लिए वह इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि उसने मन मस्तिष्क पर पिता विश्वास की अमित छाप है उनकी छवि उसके हृदय में बस गई है। पुतुल के पिता भी फौज में थे फौज में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए पुतुल भी फौज में रहकर अपने पिता की भांति देश की सेवा करना चाहता है। यद्यपि इसके लिए उसे कठोर शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता थी परंतु पुतुल के मन में फौज की नौकरी कर के ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़े।

अंत में कठिन संघर्ष के पश्चात पुतुल को सफलता की प्राप्ति ही जाती है। पुतुल की फौज में नियुक्ति हो जाता है। नियुक्ति के पश्चात पुतुल फौज का प्रशिक्षण लेने हेतु रवाना होता है। रेलवे स्टेशन यामिनी निखिल और चुनमुन उसे छोड़ने आते हैं। यामिनी का मन बहुत उदास हो जाती है। वह पुरानी यादों में खो जाती है कि जब पुतुल के पिता विश्वास भी ऐसे ही फौज के लिए चुने गए थे। यामिनी सोचती है पहले पति ने सथ छोड़ा अब बेटा भी साथ छोड़कर जा रहा है। क्योंकि विश्वास भी छुट्टियों में ही यामिनी से मिलने आ पाते थे। साल भर में एकाध बार ही। कई जगह उनकी फौज की नौकरी चलती रहती थी। अब पुत्र की भी वही नौकरी थी। एक जगह न रहकर जगह-जगह रहना। यामिनी के लिए उसका बड़ा बेटा पुतुल बिछड़ गया था। पुतुल भी फौज में जाकर काफी खुश था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यामिनी कथा - सूर्यबाला ।

कालिदास साहित्य में शाप-योजना

डॉ. कल्पना पंचौली *

प्रस्तावना - अस्पृष्टदोषा नलिनीव हृष्टा

हारावलीव ग्रथिता गुणीवैः।

प्रियाङ्गुपालीव प्रकामहृथा

न कालिदासादपरस्य वाणी।।¹

कालिदास की चिन्तन-शैली अन्य कवियों से पृथक् है। अतः वे जो कुछ भी लिखते हैं वह भी अन्य कवियों से भिन्न ही होता है। उनके काव्य दैवीय पात्रों पर आधारित हैं इसलिए कुछ अतिमानवीय कल्पनाएँ भी की गई हैं। प्राचीनकाल में लोक में देवता, राक्षस, शाप, वरदान, स्वर्ग आदि अतिमानवीय तत्त्वों पर विश्वास किया जाता था। कालिदास ने यथावसर इनके प्रसङ्ग उपस्थित कर अपने काव्यों को अलंङ्कृत किया है। इन अतिमानवीय तत्त्वों में शाप की योजना महाकवि ने बहुत सुन्दर रूप में की है। इनके काव्यों में शाप देने वाले ऋषि, मुनि तथा देवता हैं। रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत तथा अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास की शाप-योजना बहुत महत्त्वपूर्ण है। अभिज्ञानशाकुन्तल की कथा की तो उत्कृष्टता ही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण है तथा मेघदूत का प्रारम्भ ही कुबेर के शाप से होता है।² इसी प्रकार विक्रमोर्वशीय में भरतमुनि का शाप भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता रघुवंश में भी स्थान-स्थान पर शाप के वृत्तान्त हैं। महाकवि के द्वारा काव्यों में शाप की घटनाओं का समावेश करने का उद्देश्य पात्रों के चरित्र को निखारना प्रतीत होता है।

भारतीय संस्कृति में धेनु को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है फिर रघुवंश में राजा दिलीप ने तो कामधेनु की अवहेलना की थी। उन्हें इसका दण्ड शाप के रूप में मिला। एक समय राजा दिलीप इन्द्र की सभा करके पुनः पृथ्वी की ओर आ रहे थे और वहीं मार्ग में कल्पवृक्ष की छाया का सेवन करती हुई कामधेनु बैठी थी, किन्तु ऋतुकाल निमित्तक स्नान की हुई रानी सुदक्षिणा को धर्म के लोप के भय से स्मरण करते हुए राजा दिलीप का उस ओर ध्यान नहीं गया और उन्होंने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की।³ इससे रुष्ट हो कामधेनु ने शाप दिया कि 'तुमने सन्तान के कारण मेरा अनादर किया है इसलिए तुझे सन्तान प्राप्त नहीं होगी' परन्तु साथ ही उसका उपाय भी बता दिया कि 'मेरी सन्तति की आराधना करोगे तभी तुम्हें सन्तान प्राप्त होगी।'

अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति।

मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा।।⁴

तत्समय आकाशगङ्गा में स्नान करने आए हुए दिग्गजों की अव्यक्त ध्वनि हो रही थी इस कारण राजा दिलीप उस शाप को नहीं सुन पाए। कामधेनु का अनादर करने के कारण ही उनका सन्तानरूप मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा था क्योंकि पूज्य की पूजा का उल्लङ्घन करना कल्याण को रोकता है।

प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।⁵

यहाँ कामधेनु ने शाप तो दिया किन्तु बिना याचना के ही उपाय भी साथ ही बता दिया 'स्वयं की सन्तान की सेवा करना रूप में'। राजा दिलीप ने अपने गुरु के आश्रम में निवास करने वाली कामधेनु की पुत्री नन्दिनी की सेवा की और सन्तान भी प्राप्त की। रघुवंश में ही आज की कथा के प्रसङ्ग में 'प्रियंवद' नामक गन्धर्व का वृत्तान्त है जो कि मतङ्ग ऋषि के शाप वश हाथी बन जाता है और बहुत अनुनय-विनय करने पर उसका उपाय पाता है कि इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न अज नामक राजकुमार जब तुम्हारे कुम्भस्थल को अपने बाण से बेधेंगे तब तुम पुनः अपने गन्धर्व रूप को प्राप्त कर लोगे।

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो यदा ते भेत्यत्यजः कुम्भमयोमुखेन।

संयोक्यसे स्वेन वपुर्महिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्मा।।⁶

इन्दुमती के स्वयंवर में जाते समय अज का मार्ग में जङ्गली हाथी से सामना होता है। उस हाथी को भगाने की इच्छा से वे उसके कुम्भस्थल में बाण मारते हैं तथा वह गन्धर्व शरीर धारण कर लेता है। अज के कारण शापमुक्त होने से प्रत्युपकार की भावना से गन्धर्व उसे 'सम्मोहन' नामक अस्त्र प्रदान करता है जो बाद में स्वयंवर में हारे हुए राजाओं पर अज के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में गन्धर्व को शाप मिलने का कारण उसका गर्व बताया गया है⁷ किन्तु वह किसलिए है इसका सङ्केत नहीं किया गया है।

रघुवंश के उक्त दोनों शाप के प्रसङ्ग कालिदास की मौलिक उद्भावना है। नवम सर्ग में राजा दशरथ को अन्धे दम्पती के शाप का वृत्तान्त महाकवि ने वाल्मीकिय रामायण से लिया है किन्तु इसमें राजा दशरथ दम्पती के द्वारा मिले शाप को भी वरदान मानते हैं कि 'आप वृद्धावस्था में मेरे समान पुत्र के शोक से मरेंगे'।⁸ दशरथ को यह शाप भी अनुग्रह के समान प्रतीत होता है क्योंकि अब तक उनकी कोई भी सन्तान नहीं थी।

शापोऽप्यष्टनयाननपञ्चशोभेसानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्।⁹

अन्य प्रसङ्ग में लक्ष्मण की तो मृत्यु का कारण ही दुर्वासा के शाप का भय था। एक दिन मृत्यु ने मुनि का वेष धारण करके राम से एकान्त में वार्तालाप की इच्छा की जिसे राम ने स्वीकार किया किन्तु इसमें एक शर्त रखी कि 'हम दोनों को वार्तालाप करते हुए जो कोई देखे उसका तुम त्याग कर देना'।¹⁰ लक्ष्मण को यह शर्त ज्ञात थी परन्तु उसी समय दुर्वासा ऋषि के वहाँ आने और राम के दर्शन की इच्छा करने पर वह उनके शाप के भय से उन्हें दर्शन से मना नहीं कर सके तथा राम और मृत्यु के संवाद को भङ्ग कर दिया।¹¹ अतः शर्त भङ्ग करने के कारण लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जाकर शरीर त्याग करके राम की प्रतिज्ञा को सत्य किया। इस प्रकार कालिदास ने रघुवंश में चार स्थानों पर शाप की योजना कर अपने काव्य को वैशिष्ट्य प्रदान किया है। इनके अतिरिक्त रघुवंश में राम-लक्ष्मण के

विश्वामित्र के साथ वनगमन के प्रसङ्ग में अहल्या के शापोद्धार का भी सङ्केत किया गया है।¹²

‘विक्रमोर्वशीय’ में महाकवि ने भरतमुनि के शाप की उद्भावना कर उर्वशी के चरित्र को सुदृढ़ता प्रदान की है। पुरुरवा-उर्वशी की कथा ऋग्वेद में संवाद सूक्त के रूप में प्राप्त होती है जिसमें उर्वशी का पात्र अत्यन्त निर्मम प्रेयसी का है। उसका पुरुरवा के प्रति कथन दृष्टव्य है -

**पुरुरवो मा मृथा मा प्रप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उ क्षन्।
न वै स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता।**¹³

अर्थात् हे पुरुरवा! मेरे लिए तुम प्राण त्याग मत करो। कुत्तों और सियारों से अपने को मत नोचवाओ। स्त्रियों की प्रीति स्थायी नहीं होती क्योंकि उनका हृदय सियार और भालू के समान होता है। ऋग्वेद की उर्वशी अत्यन्त कठोर हृदय स्त्री है जो अपने प्रेमी को उन्मत्तावस्था में देखकर भी द्रवित नहीं होती, दूसरी ओर विक्रमोर्वशीय की उर्वशी प्रेमी पुरुरवा में इतनी अनुरक्त है कि भरतमुनि के अष्टरसाश्रयी लक्ष्मीस्वयंवर नामक नाटक में लक्ष्मी की भूमिका करते समय अभिनय में प्रमादवश ‘पुरुषोत्तम’ के स्थान पर ‘पुरुरवा’ कह बैठती है किन्तु इससे कुपित होकर भरतमुनि ने उसे शाप दे दिया कि -

‘येन मम त्वयोपदेशो लङ्घितस्तेन न ते दिव्यं स्थानं भविष्यति।’¹⁴

राजा पुरुरवा पर प्रसन्न इन्द्रदेव उर्वशी के इस शाप को भी वरदान के समान बना देते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति में तुम्हारा प्रेम है वह युद्ध में मेरी सहायता करने वाले हैं अतः उन राजर्षि को प्रसन्न करो। तुम पुरुरवा की सेवा तब तक करती रहो जब तक कि वह सन्तान का मुँह न देख ले।¹⁵ कालिदास की उर्वशी का प्रेमाधिक्य देखिए कि उसकी शाप की अवधि समाप्त हो चुकी है, पुत्रोत्पत्ति भी हो चुकी है फिर भी वह राजर्षि पुरुरवा से वियोग के भय से अपने पुत्र को महर्षि च्यवन के आश्रम में अपनी परिचिता तापसी के पास छोड़ देती है।

‘मेघदूत’ में यक्ष की मर्मस्पर्शी वियोग-व्यथा का तो प्रारम्भ ही शाप से होता है-

कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः

शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः।¹⁶

यहाँ महाकवि ने शाप का कारण यक्ष द्वारा अपने कार्य से असावधानी करना बताया है परन्तु किस कार्य में, किस प्रकार की असावधानी इसका उल्लेख नहीं किया है। शाप की अवधि एक वर्ष की है तथा उसका अन्त देवोत्थान एकादशी को जब विष्णु भगवान् शेष शर्या से उठेंगे उसी दिन होगा। यक्ष अपने सन्देश में कहता है कि इन शेष चार माह को तुम जैसे-तैसे काट लो। इसके पश्चात् विरह काल में विचारी गई अपनी उन-उन इच्छाओं को हम शरद् ऋतु की चाँदनी वाली रात्रियों में पूर्ण करेंगे।

शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शार्ङ्गपाणौ

शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा।

पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं

निर्वेक्ष्यावः परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु।¹⁷

‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ की सम्पूर्ण कथा की उच्चाशयता ही शाप आधारित है। यदि इसमें से दुर्वासा ऋषि के शाप को हटा दे तो यह भी महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान की भाँति नीरस हो जाएगा। दुष्यन्त के विचारों में खोई हुई शकुन्तला ने अतिथि सत्कार नहीं किया। वह भी सुलभकोप दुर्वासा ऋषि के अतिथि सत्कार में असावधानी की। ऋषि द्वारा चेताने पर भी **अयमहं भोः!**¹⁸ जब उसने सुध न ली तो ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और उसे शाप दे दिया -

आः कथमतिथिं मां परिभवसि?

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा

तपोनिधिं वेत्सि न मामुपस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्

कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतमिवा।¹⁹

शकुन्तला का तब भी ध्यान नहीं गया परन्तु उसकी अनन्य सखियों अनसूया और प्रियंवदा के अत्यन्त अनुनय-विनय करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता किन्तु आभूषण रूप पहचान (अभिज्ञान) के चिह्न को दिखाने से इसका शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहकर वे अन्तर्धान हो जाते हैं।²⁰ दोनों सखियाँ यह सोचकर आश्वस्त हो जाती हैं कि शकुन्तला के पास दुष्यन्त की स्वनामाङ्कित अङ्गुलीयक है जिसको दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, परन्तु दैवयोग से वह अङ्गुलीयक शक्रावतार में शचीतीर्थ की वन्दना करते समय शकुन्तला के हाथ से उसमें गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता।

शाप के प्रभाव से दुष्यन्त शकुन्तला को भूल चुका है जब तक उसे कोई आभूषण रूप पहचान का चिह्न नहीं दिखेगा उसे वह स्मरण नहीं होगी। अतः राजदरबार में कण्व शिष्यों और गौतमी के साथ आई हुई शकुन्तला के अत्यन्त विश्वास दिलाने पर भी वह उसे स्मरण नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है मानो महाकवि ने उसे आश्रम में किए गए शीलरखलन का दण्ड दिया हो।

निष्कर्ष - कालिदास ने अपने ग्रन्थों में शाप की योजना करके उन्हें नाटकीय तथा अभिराम रूप प्रदान किया है। इसकी संयोजना से पात्रों के चरित्र में भी नैतिक उच्चाशयता तथा कर्तव्यबोध की भावना उत्पन्न की गई है। ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में दुष्यन्त तथा शकुन्तला के द्वारा आश्रम की पुनीत मर्यादा भङ्ग की गई है, दोनों ही अपराधी हैं इसलिए उन्हें पश्चाताप तथा तप की अग्नि में जलना पड़ता है तभी उन्हें शान्ति मिलती है और सुखमय दाम्पत्य प्राप्त होता है। शकुन्तला का मात्र इतना ही अपराध नहीं था कि उसने अतिथि सत्कार में प्रमाद किया अपितु वह अपराधिनी है अपने पिता के तपोवन की पवित्रता भङ्ग करने के कारण। इस कार्य में दुष्यन्त भी सहभागी था, अतः उसे भी कुछ समय निःसन्तानता तथा पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। यही दुर्वासा ऋषि के शाप की प्रासङ्गिकता है। ‘विक्रमोर्वशीय’ में उर्वशी ने अपने गुरु के उपदेश का ठीक से पालन नहीं किया इसलिए उसे भी दण्ड की भागिनी बनना पड़ा। ‘मेघदूत’ के यक्ष ने भी अपने स्वामी के किसी कार्य में अपनी कामुकता के कारण असावधानी की, अतः यक्षाधिपति कुबेर ने असावधानी का कारण उसकी प्रिया को मानकर उसी से एक वर्ष के वियोग का शाप दे दिया। ‘रघुवंश’ में राजा दिलीप ने मनोवाञ्छित फल देने वाली कामधेनु का अज्ञानतावश निरादर किया जिसके कारण उन्हें भी पुत्र का मुख देखने के लिए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस प्रकार इन शापों की विवेचना से ज्ञात होता है कि महाकवि ने किसी विशेष औचित्य को ध्यान में रखकर ही शाप की अभिकल्पना की है। इसका उद्देश्य नायक-नायिका के चरित्र की रक्षा करना तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. श्रीकृष्णकवि - भरतचरितम् - 1/3
2. मेघदूतम् - 1/1
3. धर्मलोपभयाद्वाङ्गीमृतुरनातामिमां स्मरन्।
प्रदक्षिणक्रियाऽर्हायां तस्यां त्वं साधु नाचरः॥
4. रघुवंशम् - 1/76

5. वही - 1/77
6. वही - 1/79
7. वही - 5/55
8. वही - 5/53
9. दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका दन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्।
10. वही - 9/79
11. रघुवंशम् - 980
12. उपेत्य मुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्।रहः संवादिनौ पश्येदावां यस्तं त्यजेरिति।
13. वही - 15/92
14. विद्वानपि तयोर्द्धाःरथ समयं लक्ष्मणोऽभिनत्।भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसन्दर्शनार्थिनः॥
15. वही - 15/94
16. वही - 11/33-34
17. ऋग्वेदः - 10/95/15
18. विक्रमोर्वशीयम् - तृतीय अङ्क, पृ.102
19. वही - पृ.102
20. मेघदूतम् - 1/1
21. वही - 2/50
22. अभिज्ञानशाकुन्तलम् - चतुर्थ अङ्क, पृ.239
23. वही - 4/1
24. ततस्तेन भणितं न मे वचनमन्यथा भवितुमर्हति। किन्तु आभरणाभिज्ञानदर्शनेन अस्याः शापो निवर्तिष्यतीति मन्त्रयन्नेवान्तरितः।
25. वही - चतुर्थ अङ्क, पृ.244

भवभूते: नाटकेषु अर्थवादतत्त्वलोचनम्

डॉ. बालकृष्ण प्रजापति *

प्रस्तावना - भवभूतेर्विषये 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिनाम पदवाक्यप्रमाणज्ञः' इत्यस्योल्लेखः सर्वत्र क्रियमाणो वर्तते। 'वाक्येन' जैमिनी द्वारा प्रवर्तितस्य मीमांसां दर्शनस्य बोधो जायते। बादरायणनाम्नाचोत्तारमीमांसा ब्रह्ममीमांसेति। पूर्वमीमांसायान्तु मुख्यतः वैदिकमन्त्राणां कर्मकाण्डपरकव्याख्या कृता वर्तते। उत्तरमीमांसायां मुख्यतो ब्रह्मणः स्थितिः तस्यस्वरूपं स्वभावः कार्याणि च विवेचनानि भवन्ति। अतएव पूर्वमीमांसा केवलं 'मीमांसा' नाम्ना तथाचोत्तारमीमांसा 'वेदान्त'नाम्नैव प्रसिद्धेति।

अत्र सन्देहले शोऽपि नास्ति यद्भवभूतिर्वाक्यज्ञोऽस्ति। तस्य मीमांसायामपि पाण्डित्यमबाधमिति। अस्मिन्न भवभूतेः वाक्यस्यार्थवाद विमर्शः विषये अध्ययनं प्रवृत्ताम्। भवभूतेः रूपकेषु स्थाने स्थाने वाक्यस्यऽर्थवादे विशिष्टार्थबोधकाः शब्दोऽपि, पारिभाषिक शब्दानां, उदाहरणानां, वाक्यानां, अर्थवादानां प्रयोगबाहुल्यं, दृश्यते।

एवमेतत् एते हि हृदयमर्मच्छिदः संसारभावः। येभ्यो बीभत्समानाः सन्त्यज्य सर्वान्कामनारण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः।' संसारस्य स्वभावः अत्र भूतिना प्रदर्शितः। संसारिकानि बन्धानि हृदयस्य मर्मस्थलम् विदीर्णयन्ति। अतएव विज्ञाः कामान्परित्यज्य वनेषु विश्राम्यन्ते। इच्छाएव दुःखानां मूलं कारणम्। एनां परित्यज्य तत्तववेत्ता मनुष्यः सर्वमपि सांसारिक बन्धनम् विमुच्य षान्तं जीवनं जीवति। एते संसारस्य भावाः पदार्थाः एवं विधाः कष्टप्रदा भवन्ति। अतएव एभ्यो बीभत्सां घृणामिव स्वीकुर्वन्तो मनीषिणः विज्ञानाः सर्वा अपि कामनाः परित्यज्य अरण्येषु गत्वा विश्रामं लभन्ते। संसारो विश्रामो मनागपि नास्ति। यद्यस्ति तर्हि कथं कथमपि बनेष्वेव यदि कामना परित्यागं कृत्वा निवासः क्रियते। वस्तुतस्तु कामनैव दुःखस्य मूलम्। कामना बिना संसारेऽपि न दुःखं तथा चारण्येऽपि न सुखमितिभावः।

ऋषीणांपुनराद्यानाम् 1/10 - अत्र श्लोके 'साधूनाम्' ऋषीणांपुनराद्यानाम् इति कथने कवेः अर्थवादस्य, पदत्वस्य, पाण्डित्यस्य च प्रकर्षो दृश्यते। विमर्शः लौकिकाः साधवस्तु वस्तुगतमिवावलोक्य एवावसरवादितय तदेवाधीर्चनमुच्चारयन्ति यस्य साफल्यं तेऽनुभवन्ति। परमाद्या ऋषयस्तु नैव कुर्वन्ति, तेषामर्थस्तु वाचमनुधावति। वाक्यं निष्फलं नैव भवति।

अत्र लौकिकाः साधवः एव केवलं स्वल्पमेव वर्तमानम् पश्यन्ति नायं नियमो यत्र सर्वथा सत्यमेवोद्गिरियुः। परं ऋषीणां तु यथार्थतैव। ऋषयो दर्शनात् ते हि सार्वत्रिकं सार्वकालिकं वस्तुवृत्तां करतलालकत्ववत् प्रत्यक्षी कुर्वन्ति। वक्ष्यति चारुन्धत्याः षडैः कविः-

आविभूर्तज्यातिषां ब्राह्मणानां,
ये व्यवहारास्तेषु मा संषयोऽभूत्।

भद्रा ह्येषा वाचि लक्ष्मी-

निर्षक्तानैतेवाचं विलुप्तार्था वदन्ति।²

भगवतीश्रुतिरिपि प्रतिपादयति - 'सक्तिमिवतितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। ऋषिर्मन्त्रदृष्टा भवति। पुराणऋषीणां वाणी द्विधाहीना भवति। सः अर्थः नानुसरति अर्थः स्वयमेव वाचमनुधावति। ऋषयः सिद्धवाचः' भवन्ति। मैत्रावरुणिः 1/12

एकदा उर्वशीं दृष्ट्वा मित्रवरुणयोर्वीर्यपातः घटस्यान्तर्बहिश्च जातः। ततः कुम्भजादगरुत्योऽभवदिति कथाऽत्र निबद्धा -

तद्धितेजस्तु मित्रस्य उर्वश्या पूर्वमाहितम्।
तस्मिन्समभवत्कुम्भे तत्तोजो यत्र वारुणम्।।
कस्यचित्तवथ कालस्य मित्रावरुण सम्भवः।
वशिष्टस्तेजसा युक्तोज्जेइक्ष्वाकुदैवत्यम्।।³

देवयजनसम्भवे 1/14 - अत्र महाराजन्जनकेन यज्ञभूमेः पवित्रकरणार्थं हलचालनं विहितम्। ततः सीता प्राप्नोति। यज्ञभूमेरुत्पन्नकारणात् देवयजनसम्भवा इति उक्तम्।

जृम्भकास्त्राणि (1- लक्ष्मणस्य कथने) - जृम्भकं नाम 'दिव्यास्त्रम्' अस्त्राणामेतेषामादीद् विशिष्टा परम्परा इदानीम् क्षीणतांगतेति। कृशाश्वात् कौशिकः कौशिकाद्रामः शस्त्रमिदं लब्धवामिति। रामयणे लिखितम्। देवा विश्वामित्रं प्रति -

प्रजापते! कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान्।
तपोबल भृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय।।
विश्वामित्र उवाच-
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्रः।महायशाः।
प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः।।
कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं यथा।
जृम्भकं सर्पनाथञ्च पन्थानवरूपो यथा।।
एतानि तानि गिरिनिर्झरिणीतटेषु।
वैखानसाश्रित तरुणि तपोवनानि।।
येष्वतिथेय परमा यमिनो भजन्ते।
नीवारमुष्टि पचना गृहिणो गृहाणि।। 4

श्लोके प्रयुक्ताः शब्दार्थाः शास्त्रविशेषस्थापि प्रातिमिधित्वम् कुर्वन्ति।
विराधः - एकराक्षसः रम्भायामासक्तौ कुबेरशापाद् तुम्बुरुनाम गन्धर्वः राक्षसो भूत्वायं दण्डकारण्डे निवसति स्म। रामलक्ष्मणाभ्यामस्य संहारोऽभवत्।

वैखानसः - वानप्रस्थः । धर्मशास्त्रीयः सन्दर्भः। वैखनसो वानप्रस्थः विखनसा प्रोक्तेन मार्गेण वर्तत इति। वैखनसाश्रितरूपाणितरूपाणि, वैखनसैः अन्धितास्तखो येषु तानि।

यमिनः - यमाः सन्ति तेषां ते । 'अहिंसा-सत्यमस्त्येय ब्रह्मचर्यं परिग्रहाः यमाः। योगदर्शनस्य सन्दर्भोऽयमिति।

जनस्थानम् - (1/26) जनस्थानं दण्डकारण्यस्य विशिष्टो भाग एकः। एषः वर्तमाने 'नासिक' नगरस्य समीपे विद्यते। प्रत्येकं युगेऽस्य भिन्न-भिन्न नाम भवति। त्रेतायाम् अस्य नाम 'त्रिकट' आसीत्। द्वापरयुगे तु जनस्थानम् कलियुगे च 'नासिक' नगरमिति।

श्रमणा - (1-30 लक्ष्मणौवतौ) अयमपि शब्दो विशिष्टार्थं बोधः। मतंगो महामुनिः परमकारुपाणि सर्वज्ञः सर्वप्रियः आसीत्। तस्याश्रमे शिष्याणामपि सेवालब्धैका शबरपतस्विनी आसीत्। कलान्तरे सोऽपि मतंगस्य शिष्यत्वमंगीकृतवती। तस्य रामे आगाधनिष्ठा आसीत्। सीतान्वेषणकाले रामस्य दर्शनं कृत्वा श्रमणा मुक्तेति।

रामः अर्थवाद एवैषः 5 दुर्मख्य सूचना प्रदाने सति एतद्रामस्य कथनं स्वतस्तु ममार्थवादश्चैवास्ति । केवलं प्रशंसात्मकं तद्वाक्यम् नेति। सामान्याः साहित्ये तु स्तुति निन्दापरकं वाक्यं अर्थवादः इति कथ्यते। अर्थवादः प्रशंसा परायणः शब्दः। अर्थवादः प्रशंसा च स्तोत्रमीडास्तूर्नतिः। इति हलायुधः । परंच अर्थवादः इति शब्दस्तु मीमांसयायाः पारिभाषिक शब्दः। प्राशस्त्य निन्दान्यतरपरं वाक्यार्थवादः। अर्थसंग्रहे अर्थवादस्य त्रयोभेदा अपि वर्णिता सन्ति।

'गुणवादो विरोधे स्यादनुवादोऽवधारिते।

भूतार्थवादस्तद्दानावार्थवादस्त्रिधामतः॥'

बाल्मीकिरामयणेऽपि लोकापवादजनिते प्रसंगे अर्थवादस्येदं स्वरूपं उद्घाटितं।

संसारस्य परिवर्तनशीलता - कविना संसारस्य परिवर्तनशीलतया अनेकान्युदाहरणानि प्रयुक्तानि। एकमन्यतमुदाहरणमात्रं प्रस्तूयते-

आसीदयं दशरथस्य गृहे यथाश्रीः श्रीरिव वा किमुपमानपदेन सेषा।

कष्टं वतान्यदिव दैव वशेन जातादुःखात्मकं किमपि भूतमहो विकारः॥⁶

निष्कर्ष - भवभूतिना पुराणेषु धर्मशास्त्रीयं चिन्तन शास्त्रीयतया स्फुटं भवति। भवभूतेः वाक्यस्यार्थवादे विमर्शे च तस्य पाडित्यं उपनिषदीय नाटकीयपरम्परायाः अनुसरणं करोति। अत्र सन्देहो नास्ति, तस्य अध्ययनं भवभूतेः नाटकेषु अर्थवादतत्त्वलोचनम् व्यापकं, ज्ञानत्रय असीमितं, अनुभवोऽपि परिपक्वोऽस्ति।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उत्तररामचरितम् 4/18
2. उत्तररामचरितम्
3. बाल्मीकिरामायणम् बालकाण्ड 14/5-7
4. उत्तररामचरितम् 1/25
5. उत्तररामचरितम् रामस्यकथनं अंक 1
6. उत्तररामचरितम् 4/6

Examining The Environmental Sculpture In The Context Of Some Sculptures By Sushen Ghosh

Binoy Paul *

Abstract - In the evolution of modern Indian sculpture the contribution of Sushen Ghosh, one of the direct and historically noteworthy disciples of Ramkinkar Baij and Kala Bhavana, Santiniketan, his oeuvre is vital as well as significant. His art works had the refinement of his personal identity as well.

Through, his series of experiments and modification Sushen Ghosh has achieved a new space-form discourse in his sculptures. Sushen Ghosh's exercises with geometrical forms as elements of sculptures were based on numerical systems and his rendering of formal harmony often combined with visual order. Mathematically proportioned geometrical motifs derived from square, sphere, and cylinder selected as basic elements of sculpture and organized with the aid of complex visual principles were placed either vertically, horizontally, sidewise or diagonally at the centre of any measured space base or ground. The study also explore into the specific nature of his work. Constructive clay modeling and making iron armature as anatomy of human body and animal, applying clay following the movements of muscles and finally the skin treatment alias surface treatment and all those he learns from Ramkinkar.

Key Words - Geometrical forms, sculpture.

Introduction - During the first half of the 20th century many sculptors established a new concept of non- objective sculptures following the sculptor's desire to go beyond the physical and referential object pure forms or mathematical models emerged not from nature, or manmade environment, but from the purely mental constructs of man. He shows sculptures can be created in geometrical forms and placed in mathematical order. He also shows that musical rhythm can play an important role in sculptures. Nek Chand, Pilloo Pochkhanawala, Vinayak Pandurang, Amarnath Sehgal, G. K. Mhatre, Mahendra Pandya, Balbir Singh Katt, Dhanraj Bhagat, Aditya Pandey, Naum Gabo, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Max Bill, Keith Martin, Jean Arp, Brancusi, Constantin Tatlin, Ben Nicholson, Barbara Hepworth, Antoine Pevsner, Minimalism, Constructivism, Henry Moore. Through, Sushen Ghosh's series of experiments and modification he has achieved a new space-form discourse in his sculptures. Sushen Ghosh's exercises with geometrical forms as elements of sculptures were based on numerical systems and his rendering of formal harmony often combined with visual order. Mathematically proportioned geometrical motifs derived from square, sphere, and cylinder selected as basic elements of sculptures and organized with the aid of complex visual principles were placed either vertically, horizontally, sidewise or diagonally at the centre of any measured space base or ground.

Sushen Ghosh had developed great admiration for experimentalist and bold nature of Ramkinkar Baij's process

of using materials while in the process of his out-door sculptures and moreover as a student he used to assist Ramkinkar as constructive modeler for rendering realistic figures in structural or geometrical style. Besides he took lessons of cubism from Ramkinkar Baij which grew a penchant for direct forms hence in combination of the Ramkinkar's influence on him and his personal quest Sushen Ghosh could evolve into a perfectionist in abstract trend of mathematical construction. In the middle of 1960's he explored expressionistic idioms of distortion and abstraction representing human figure, animals, and others from his surroundings. Despite the subjective content, these mark Sushen's concern for rational organization of visual and formal aspects of sculpture in the late 1960's after his one year of higher studies in the Goldsmith's College of Art, London, he involved in the mathematical harmony of construction inspired by the works of Theo Van Doesburg, Kenneth Martin and others. Sushen Ghosh like the new generation of American minimal artists succeeds in establishing the new classical order anticipated by Van Doesburg in his treaties 'classic-Baroque-Modern'. In fact static-dynamism was the basic of Ramkinkar's sculpture, be it realistic like the 'Mill call', or abstract like the 'Speed' confirms the dialectical conflict between order and chaos in his constructive experiments.

Sushen, as a sculptor appears to be a classicist in his adherence to absolute formal values based on mathematical contents and thus concur with Joost Baljeu's conclusion that constructive approach, the oldest in modern

plastic expression is still the youngest to-day.

Example of some Sculptures of Sushen Ghosh - In India Sushen Ghosh completed some of major outdoor sculptures in Santiniketan. As first example is his famous monumental work with an architectural quality in front of Nandan Museum, Kala Bhavana starts yet in 1973 and ends in 1978. On this context he states 'arrangement of shapes in space is like setting musical notations in space time. A large size sculpture as a project for architectural environment in front of the Nandan building, Kala Bhavana. The sculpture is conceived in relation to architecture, and in its independent units of contrasting forms and sizes are constructed at measured distances from each other, but unified with a system of mathematical order. The form is a kind of harmony in contrast, imbued with the principle of static dynamism, to be experienced from different mental and visual level. In it the square unit is a kind of architectural wall (14'-3" H. 14'-3"L.) placed sidewise to the west and parallel to the entrance path to Nandan. Its east face is divided in vertical sections of triangular projections. Sushen used sections of three different proportions and organized them vertically in rotational order for sidewise extension. The unit consists of 9 sections, divided into the three groups and each group consists three sections of three different widths 9", 19" and 28", or a ratio of 1:2:3. The column like a cylindrical unit is also a kind of architectural pillar, 14'-3" in height, placed vertically to the east of the entrance path. The column is divided again into 9 sections with angular cuts into the volume, following the same ratio and organized vertically in a rotational order giving the feeling of vertical construction and extension. Half of its section from ratio 2 is placed as a separate unit near the column and its full section is also placed to the east end while the section from ratio 3 is placed to the west end in a referential relation to the column. Between the column and its unit to the east end are two triangular section of a ratio 1:3 adapted from the square unit, and they are placed horizontally parallel to the latter on the ground. The height of the column or square unit determines the space between the units, and the total length of the ground is 18times of the column in length. The units are distributed keeping the entrance path in the center and the visitors are to experience the sculpture walking in and out, through and around, and also sidewise from the main road to the north of the sculpture. The structural system of this sculpture is based on mathematical order in principle, but attempt has been made to combine the visual dimension, spatial depth and distance as elements of the totality or gestalt. Sushen's sculpture in simple geometrical forms large or small in size involves the systems of clear mathematical order, and relationships that are conceptually graspable.

In terracotta a monumental work is there adherent to Sangeet Bhavana seems almost as an ancient totem. Some shapes arranged in a space are in different orders as 1: 2: 3 :4, 2: 3:4 :1, 3: 4: 1 :2, 4: 1:2 :3; at a near far ordered as 1:1,2:2,3:3,4:4 and in intervals organized in 1:2 :3:4. These

numbers in this work like *Aalaap* in Hindusthani classical music indicate to each unit well-arranged are as *Bandis* considered is as a pure constructive work. Sushen Ghosh has penchant for Rabindra Sangeet, Hindustani Classical music and moreover he himself played flute and as a contrast to this Sushen Ghosh had been a student of science all through his childhood and mathematics was his favorite subject that inculcated in him. This combination inculcated in him a natural sense of synthesizing numerals with notation finally to be reflected in his environmental and indoor sculptures

Conclusion - Not unlike historical time keeping monuments, these free standing sculptures create a theatre of shadow, where light becomes a dramatic component of the work. Moreover, by removing the base/pedestal from his sculptures Sushen marks them as self-referential. 'The Sculpture reaches downward to absorb the pedestal into itself and away from actual place and through the representation of its own materials or the process of its construction the sculpture depicts its own autonomy.' His sculptures, infused with a self-contained aesthetics, have a sense of unity with their surroundings. Sushen has experimented predominantly with stone, plaster, cast metal, terracotta, iron and the texture/finish of his pieces is usually weathered and organic. A certain sense of playfulness in his smaller works such as *Aroha Avaroha* (2006) has given him the latitude to experiment with form, colour, rhythm as well as serialism and aleatory ideas. Simple steel rods in lines in space (1975) turn into linear drawings. Most sculptures, whether large scale 'arrangement' or smaller sized works, for instance *Silent Notation in space Terracotta* (2006), have a finely tuned presence. 'A very acute sense of proportion makes many of his smaller sculptures attain unexpected monumentality in his sculptures is not about largeness but suggests extension into space or into distance, conveying a sense of infinity. More often than not, seemingly simple geometric forms and calculated arrangement of shape in space serve this idea.' 10 A similar geometric preoccupation is the core of his austere linear drawing which often make use of mathematical models such as the Golden Section and Fibonacci Series to create balance and sequential movement.

Unfettered by visual antecedents in Indian sculptural context, Sushen has always marched to his own drum. His oeuvre focuses on capturing the fundamental nature of things and charts an organic growth that persuades with its internal logic. His geometric style, simplicity, directness and modularity have a universal appeal while being rooted in its locus, thus lending itself to complex reifications. Sushen Ghosh's work exhibits the ideas of his era; however he was able to blend the diversity of Modernism into a praxis which is individual and evocative and firmly asserts his place and contribution as a Modernist Indian sculptor of significance.

References:-

1. Narzary, J. J., *Some New Trends in Modern Indian Sculpture*, Marg Publication, Bombay, 1978.

2. Some, S., *Tin Shilpi*, Bani Shilpo, Calcutta-9, December 1985.
3. Nandi, Dr. G., *Robindra Alokeye Borak Upyatakaer charukolo*, Rabindra Utsab Shmarak Patrika, 11-12 april, 2012
4. Narzary, J. J., *SUSHEN GHOSH, A New Perspective in Modern Indian Sculpture*, Retrospective Exhibition of Sculpture Sushen Ghosh, Birla Academy of Art & Culture Present, November 10 to 24, 2006.
5. Dutta, T. *Modern Art*, Pathikrit, 2008
6. Chaterjee, S., 'Bhaskar Sushen Ghosh' Department of History of Art, Kala Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan, 2015, Page no 103
7. Soumik, N. M., FROZEN MUSIC, SHAPING THE INCOMPLETE RHYTHM, CIMA Gallery Pvt. Ltd, 2016, page no 11-14
8. Ushmita, S., FROZEN MUSIC, HARMONY IN DISSONANCE, *The Abstract Sculpture of Sushen Ghosh*, CIMA Gallery Pvt. Ltd, 2016, page no 5-6
9. Rita, D., FROZEN MUSIC, THE ENIGMA OF SPACE, CIMA Gallery Pvt. Ltd, 2016, page no 7-10.

भारतीय चित्रकला में छः अंगों (षडंग) की भूमिका

डॉ. निशा गुमा *

शोध सारांश - भारतीय चित्रकला के षडंग भारतीय चित्रकला के प्राण है। जिस प्रकार हड्डियों के बिना मानव शरीर की कल्पना करना व्यर्थ है उसी प्रकार षडंग के प्रयोग के बिना एक श्रेष्ठ चित्र की रचना करना कठिन है। इन षडंगों ने भारतीय चित्रकला को एक राह प्रदान की है, जिस पर चलकर एक चित्रकार अपने चित्र को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचा सकता है। आज चित्रों में जो इतनी विभिन्नता हम देखते हैं उसके पीछे इन षडंगों का विशेष हाथ है। रूपभेद हो या प्रमाण भाव हो या सौन्दर्य, सादृश्य हो या रंगों की भंगिमा कोई भी अंग किसी तरह से अपने आप में कम नहीं है।

शब्द कुंजी- भाव, आत्माभिव्यक्ति, सौन्दर्य, रंगों की छटा, तुलिका स्पर्श।

प्रस्तावना - भारतीय चित्रकला में षडंग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन अंगों से चित्रकला को विशेष बल मिलता है। चित्रकार की तकनीक ने निरन्तर विकास किया है। तुलिका संचालन के नये-नये तरीके बताए हैं, आलेख्य-स्थान (भूमि) की तैयारी में भी नये-नये प्रयोग किए हैं। चित्रोपम-तत्वों के भिन्न-भिन्न संयोजनों से अनेक चित्र-शैलियों का विकास हुआ है। संसाधनों की तकनीक एवं चित्र-संयोजन के विकास क्रम में युग-युगान्तर में कितने अनुभव व ज्ञान संचित किए हैं, फिर भी नये-नये आविष्कार एवं नूतन प्रयोग की लालसा और सम्भावना (Possibility) के लिए हमारी छटपटाहट कभी कम नहीं होती। यही कारण है कि किसी देश की चित्रकला किसी एक युग के मापदंड से बंधकर नहीं चली, न भविष्य में चल सकेगी।

समरांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिल्परत्नम् आदि शिल्प ग्रन्थों में तथा संस्कृत-साहित्य में कला-तत्वों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। पूर्वी व पश्चिमी देशों के साहित्य में भी अनेक महत्वपूर्ण कला-सन्दर्भ मिलते हैं।

समरांगण सूत्रधार में आठ अंगों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, यथा-वर्तयाः, लेख्यं वर्णक्रम, लेखनं, कृतबन्ध, रेखाक्रम, वर्तनाक्रम, आकृतिमाना। श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने कला-पुनर्जागरण हेतु चित्र सर्जन के अतिरिक्त प्राचीन कला-साहित्य की ओर भी कला-मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया है।

षडंग की प्राचीनता :

भारत वर्ष में चित्रकला की स्वरथ परम्परा अति प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। अजन्ता के चित्र भली-भांति इस तथ्य की पुष्टि करते हैं एवं उन चित्रों से इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि भारतीय धर्म एवं समाज में चित्रकला को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। यदि चित्रकला का शास्त्रीय रूप विद्यमान था, तब प्रमाणित रूप से उसके कुछ विधि-विधान भी अवश्य रहे होंगे।

समय एवं रचनाकाल - वात्सयायन ने काम सूत्र की रचना ईसा पूर्व कब की थी, इसके विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। किसी ने इसका काल ई० पू० 671, किसी ने ई० पू० 321 अन्य ने ई० 200 माना है। यशोधर ने कामसूत्र की टीका 11-12 शताब्दी में की थी।

कम से कम वात्सयायन ने जिस समय चित्रसूत्र की रचना की थी। उस

समय चित्र का यह षडंग जनता में सुविदित था, इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि कामसूत्र के उपसंहार में वात्सयायन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि-

‘पूर्व शस्त्राणि संहृत्य प्रयोगानुपसृत्य च।

कामसूत्रभिदं यत्नात् संपेक्षणं न निवेशित्॥’²

अर्थात् पहले के शास्त्रों का संग्रह और शास्त्रोक्त विद्याओं के प्रयोग का अनुसरण करके अर्थात् उन विद्याओं को कार्यरत लोग किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें देख सुनकर यत्नपूर्वक संक्षेप में मैंने इस कामसूत्र की रचना की है।

यशोधर द्वारा चित्र के छः अंगों का उल्लेख - कामसूत्र की टीका अनेक विद्वानों ने लिखी। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ई० में जयपुर के एक प्रसिद्ध पंडित यशोधर ने भी कामसूत्र की टीका लिखी जिसे ‘जय मंगला’ कहते हैं। इस टीका में चौंसठ कलाओं का वर्णन करते हुए चौथे स्थान पर आलेख्य की भी व्याख्या की गयी है। यशोधर पंडित जयपुर के अधिपति प्रथम जयसिंह के सभा पंडित थे। उन्होंने ‘आलेख्य’ की टीका में जिन छः अंगों का उल्लेख किया है, वह निश्चय ही भारत वर्ष की चित्रकला में सुदीर्घ परम्परा के रूप में विद्यमान रहा होगा जिसके आधार पर उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया।

चित्र के छः अंग कहकर यशोधर ने चित्र के अव्यवों को स्पष्ट किया है। ‘यशोधर के अनुसार-कामसूत्र की टीका में जिन छः अंगों का वर्णन हुआ है उनके तीन पक्ष हैं - पहला रूप (Form) चाक्षुष प्रभाव, दूसरा भाव जिसका सम्बन्ध मन से हैं और तीसरा शुद्ध तकनीकी ज्ञान वर्णिका भंगा।’

अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कला के छः अंग - भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल (Renaissance) के संस्थापक शिल्पाचार्य अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय चित्रकला को महिमा मंडित करने के उद्देश्य से उक्त श्लोक की व्याख्या के रूप में एक विस्तृत निबन्ध ‘भारत शिल्प के षडंग’ शीर्षक में प्रस्तुत किया जो ‘भारती पत्रिका’ में प्रकाशित हुआ और जिसका अनुवाद विश्व की विभिन्न भाषाओं में हुआ। इसका हिन्दी अनुवाद डॉ. महादेव साहा ने प्रस्तुत किया जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शोध-पत्रिका ‘सम्मेलन पत्रिका’ के कला अंक में प्रकाशित हुआ।

अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने षडंग की व्याख्या से पहले उसके प्रत्येक अंग के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी किया है।³

1. रूपभेद - Knowledge of appearance
2. प्रमाणानि - Correct perception, measure and structure of form
3. भाव - The action of feeling of forms.
4. लावण्य योजनम् - Infusion of grace, artistic representation.
5. सादृश्य - Similitudes
6. वर्णिका भंग - Artistic manner in using the brush and colours

भारतीय चित्रकला के सिद्धान्तों के अनुसार यह बताया गया है कि जिस चित्र में षडंगों का सम्यक् निरूपण न किया गया हो वह चित्र कहलाने योग्य नहीं है। वह तो चित्राभास मात्र है। इन छः अंगों का निरूपण संक्षेप में इस प्रकार है -

1. **रूपभेद** - जिस विशेष गुण के समावेश से किसी आकृति में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति हो उसी गुण विशेष का नाम 'रूप' है।⁴ रूपभेद से तात्पर्य रूप-रूप में भिन्नता, रूप का मर्मभेद या रहस्योद्घाटन, जीवित रूप, निजीवित रूप, चाक्षुष मानस रूप, सुरूप और कुरूप आदि से है।⁵

रूप से पहला परिचय आँखों का होता है और धीरे-धीरे उससे आत्मा का परिचय होता है। किसी भी कला कृति के बाह्य गुणदोषों की विवेचना हम उसको देखकर कर सकते हैं किन्तु उसके अभ्यन्तर गुण-दोषों की समीक्षा हम आत्मा के माध्यम से कर सकते हैं।

रूपभेद के सिद्धान्त की सहायता से ही चित्रकला ने स्वरूपों की भिन्नता प्रदर्शित करने में कुशलता प्राप्त की है। रूपभेद की भिन्नता के कारण ही दर्शक को प्रत्येक आकृति को पहचानने में देर नहीं लगती है।

'ज्योति पश्यति रूपाणि रूपं च बहुधा स्मृतम्।

हृस्यो दीर्घस्तथा स्थूलश्चतुर श्रोहनुवृत्तावाना॥' (33)

महाभारत के शान्ति पर्व, मोक्ष धर्म, अध्याय- 184 में सोलह प्रकार के रूप कहे गये हैं।

किसी भी कला कृति में रूपरेखा जितनी स्पष्ट, स्वाभाविक और सुन्दर होगी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। किसी भी कृति की रूप-रेखा में वह विशेष गुण सन्निविष्ट होना आवश्यक है। जो भिन्न-भिन्न रूचि वाले मनुष्यों का समान रूप से मनोविनोद कर सके। आचार्य लोग जहाँ रेखा को प्रधानता देते हैं, विचक्षण लोग वहाँ वर्तना की सराहना करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ आभूषणों (साज-सज्जा) को ही पसन्द करती हैं और साधारण लोग रंगों की तड़क-भड़क की ओर आकर्षित होते हैं।

रेखां प्रशंसान्त्याचार्या वर्तानां च विचक्षणाः।

स्त्रियों भूषणमिच्छन्ति वर्णाढ्यमितरे जनाः॥

रूप भेदों से अनभिज्ञ होने के कारण चित्रों की वास्तविकता को नहीं आँका जा सकता।

2. **प्रमाण** - प्रमाण से तात्पर्य वस्तुओं के आकारों के निश्चित आनुपातिक ज्ञान या उन आकारों के नापने के नियम से हैं, जिसे मुगल शैली के भारतीय चित्रकार अंगवादाद या कदकोड़ा कहते थे।⁶

कद का तात्पर्य है नारी का सम्पूर्ण शरीर उसके चेहरे की नाप से सात गुने से अधिक न हो और इसी प्रकार पुरुष का आठ गुने से अधिक न हो। कोड़ा का तात्पर्य है - अंगों की स्वाभाविकता, इन नियमों के द्वारा वस्तुओं बनावट, उनकी दूरी का ज्ञान, आकारों में समता-विषमता का ज्ञान, लम्बाई-चौड़ाई, उसकी बनावट, वस्तुओं में दृष्टि ज्ञान, लम्बाई का ज्ञान आदि। इन

सभी का ज्ञान 'प्रभातृ चैतन्य' या 'प्रमा' के द्वारा होता है। इसके द्वारा शान्त और अनन्त दोनों को मापने, समझने और देखने के लिए हमारा अन्तःकरण ही एक आश्चर्यजनक मापदण्ड है।⁷

प्रमाण शब्द को अनुपात का सौन्दर्य मानना अधिक उचित है, क्योंकि जो अनुपात सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकता वह कला कृति के गुणों का नाश करता है। जैसे -

'अशस्त्रेण मुखं कृत्वा यजमानो विनश्यति'।

सशास्त्रेण मुखं कृत्वा वर्द्धते सह बान्धवैः।

(प्रतिमा मान् लक्षणम् से)

मानवाकृति के लिए जो विभेद माने गए हैं, उनके अनुसार हंस का प्रमाण 108 अंगुल, भद्र का 106 अंगुल, मालव्य का 104 अंगुल, रूचक का 100 अंगुल एवं शशंक का प्रमाण 109 अंगुल माना गया है।

3. **भाव** - भारतीय कला में भाव की प्रधानता है।⁸ भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को उसके स्वभाव, मनोभाव एवं उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। भारतीय दर्शन शास्त्र और काव्यशास्त्र में भावों की महत्ता पर बहुत ही बारीकी एवं विस्तार से विचार किया गया है। शरीर और इन्द्रिय सभी का विचार विशिष्ट भाव है।

चित्रकला में भावाभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है। भिन्न-भिन्न भावों की अभिव्यंजना से शरीर में भिन्न-भिन्न विकारों का जन्म होता है। भाव एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके लक्षण कायिक धर्मों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। मन में जिस रस का जो भाव पैदा होता है, उसी के अनुसार शरीर में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट होते हैं।

रूप, भावभंगिमा एवं प्रमाण आदि सब होते हुए भी यदि व्यंजना नहीं है, सौरभ नहीं है, तो ऐसा चित्र एक सुगंधहीन फूलों की माला के समान है। ऐसे व्यंजना विहीन चित्र उत्तम श्रेणी के चित्र नहीं कहे जा सकते।⁹ भाव का अर्थ है रूप को भंगिमा देना, और रूप की ओट में मनोभाव के इशारे को अवगुठित रूप से प्रकट करना ही व्यंग्य का कार्य है।¹¹

शारीरिक अव्यवों के परिवर्तन द्वारा तीन प्रकार के भाव प्रकट होते हैं।

- | | | |
|---------|---|---|
| प्रथम | - | ये भाव वे हैं, जो देखने, सुनने, सूँघने या स्वाद लेने से पैदा होते हैं। |
| द्वितीय | - | ये भाव बोलने तथा काम करने से व्यक्त होते हैं। |
| तृतीय | - | ये भाव हृदय या मस्तिष्क पर किसी प्रकार की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न होते हैं। |

'चित्रसूत्र' में पाँच प्रकार के नेत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम है:

- (1) चापाकार
- (2) मत्स्योदर
- (3) उत्पलपत्र
- (4) पद्मपत्र और
- (5) शशा।

ये पाँच प्रकार की आँखें पाँच प्रकार के भाव प्रकट करती हैं।

4. **लावण्य योजना** - लावण्य कहते हैं, रूप-परिमिति को। रूप, प्रमाण और भाव के साथ-साथ चित्र में लावण्य का होना भी आवश्यक है। प्रमाण जैसे रूप को परिमिति देता है वैसे ही लावण्य भी परिमिति देता है।

आचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'भारत शिल्प के षडंग' में लावण्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'भाव की ताड़ना से भंगिमा दौड़ी जा रही है, मतवाले घोड़े की तरह असंयत, उद्दाम असहिष्णुय यहाँ तक कि अशोभन तौर से अपने को प्रमाण की सीमा से विच्छिन्न करके। लावण्य आकर उसे

शान्त कर रहा है, अपने मधुर कोमल स्पर्श को धीरे-धीरे सारे बदन पर फेरकर। भाव की ताड़ना से रूप जब शकुन्तला प्रत्याख्यान के समय दुर्वासा ऋषि की तरह अपरिमित तौर से हाथ-पैर हिला दुलाकर, दाँत किटकिटाकर, उदण्ड भंगिमा में खड़ा देख रहा है, तभी हमारा लावण्य उसके पास आकर कह रहा है: 'स्थिरो भव:।' पागल बन रहे हो।'

कलात्मक गुणों में सौन्दर्य को भर देना ही लावण्य योजना कहलाती है। भाव के साथ चित्र में लावण्य का होना भी अनिवार्य है। भाव का सम्बन्ध आकृति के आन्तरिक विचारों से है और लावण्य उसके बाह्य सौन्दर्य का व्यञ्जक है।

भारतीय चित्रण भावयुक्त एवं लावण्युक्त अंकन है। भारतीय चित्रण में जहाँ आन्तरिक भाव 'आलम्बन' में स्थायी भाव का संचालन करता है, वहीं दूसरी ओर आकृति का बाह्य आकारगत सौन्दर्य (लावण्य) अनुभाव के माण्डयान से 'रस' की स्थिति निश्चित करता है।

सौन्दर्य शास्त्रियों ने लावण्य की तुलना एक प्रकार की आभा या चमक से की है, जो विशेष प्रकार के असली मोती में हुआ करती है। यह आभा एक प्रकार की प्रतिभा ही है। प्रतिभाशाली कलाकार अपनी कृति में एक विशिष्ट प्रकार की आभा पैदा करके उसे सजीव बना देता है। रूचि रूप को दीप्ति प्रदान करती है और लावण्य भाव को दीप्ति देता है। मोती के रूप की भंगिमा निष्प्रभ होती है, यदि उसमें लावण्य की दीप्ति न हो। इसी प्रकार एक चित्र के रूप, प्रमाण और भाव आदि सभी निष्प्रभ है यदि इन तीनों में लावण्य उपस्थित होकर दीप्ति प्रदान न करें।

मोती के रूप की भंगिमा निष्प्रभ होती है, यदि उसमें लावण्य की दीप्ति न हो तो। उसी भांति तब तक चित्र के रूप, प्रमाण और भाव, सभी निष्प्रभ है, जब तक कि इन तीनों में लावण्य आकर दीप्ति प्रदान नहीं करता है।

लावण्य तो मानो कसौटी पर सोने की रेखा है अथवा पहनने की साड़ी पर सुनहरी किनारी। नमक की कमी के कारण जैसे दाल का सारा ज़ायका ही नष्ट हो जाता है, वहीं स्थिति चित्र में लावण्य योजना की है।

5. सादृश्य - चित्र काल्पनिक हो चाहे सत्य, उसे ऐसा होना चाहिए कि दर्शक चित्र को तुरन्त ही पहचान लें। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है किन्तु सादृश्य दिखाते समय वस्तु की आकृति की अपेक्षा उसकी प्रकृति या उसके स्वधर्म के पक्ष का सादृश्य दिखाना अधिक उपयुक्त है। उदाहरणार्थ - वेणी से सर्प का सादृश्य इसलिए दिखाया जाता है कि उनमें धर्म-समानता है प्रकृति समानता है किन्तु आकृति समानता नहीं है। सिर से लटकना साँप का धर्म नहीं है और इसी भांति रास्ते में पड़ी रहकर साँप का भय दिखाना वेणी का धर्म नहीं है।

चित्रकार को सादृश्य दिखाते समय वस्तु की आकृति की अपेक्षा उसके स्वधर्म का सादृश्य दिखाना चाहिए। जिस वस्तु का हम चित्र अंकित करते हैं। उसमें यदि मूल वस्तु के गुण-दोष अविकल रूप से समाविष्ट न हुए हों तो वह वास्तविक कृति नहीं कही जा सकती।

उदाहरण के लिए यदि चित्रकार कृष्ण का चित्र अंकित करना चाहें तो उसे देखना है कि उसमें ऐसी क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, जो केवल कृष्ण में ही पायी जाती हैं। यदि इन विशेषताओं पर चित्रकार का ध्यान नहीं होगा, तो वह कृष्ण का वास्तविक चित्र नहीं बना सकता, बहुत संभव है कि उसको राम का चित्र भी समझ लिया जाये क्योंकि राम के सिर पर भी मुकुट होता है, राम का रंग भी साँवला है, वस्त्र भी लगभग वहीं होते हैं। फिर राम

और कृष्ण के चित्र में अन्तर किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है ? इस अन्तर के लिए हमें देखना होगा कि कृष्ण का मुकुट मोरपंख का होता है, राम का नहीं। कृष्ण के हाथ में बंशी होती है, राम के हाथ में धनुष आदि-आदि।

6. वर्णिका भंग - नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। रंगों के भेदभाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

चित्रसूत्र में विभिन्न रंगों का सम्बन्ध विभिन्न भावों से बतलाकर, उनके विशेष प्रयोग की बात कही गयी है। इसके साथ ही विभिन्न द्रव्यों से विभिन्न रंगों का बनाना भी बतलाया है। चित्र के षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसीलिए रखा गया है कि षडंग साधना का वह चरम बिन्दु है। शेष पाँचों अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे, केवल मन और दृष्टि की गंभीर चिन्तना के द्वारा भी कर सकते हैं। किन्तु वर्णिका भंग के ज्ञान के लिए हमें हाथ में तूलिका लेकर दीर्घ अभ्यास करना ही पड़ेगा।

वर्ण ज्ञान के बिना, शेष पंच-अंगों की साधना का हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ है।

'मूलरंगाः स्मृताः पंचश्वेतः पीतो वितामृतः॥

कृष्णो नीलश्च राजेन्द्रशतशोउन्तरतः स्मृताः॥

यद्यपि प्रमुख वर्ण पाँच प्रकार के माने गए हैं किन्तु उनके सम्मिश्रण से सैकड़ों उपवर्णों की सृष्टि होती है। प्रकृति व्यक्ति, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि अनन्त प्रकार के चित्रों में रंगों का किस भाँति उचित प्रयोग होना चाहिए। चित्रकार के लिए यह जानना परम आवश्यक है और इसका ज्ञान वर्णिका भंग की साधना से ही हो सकता है।

अर्थात् अपनी बुद्धि से भावों की कल्पना करके रंगों के अनेक विभाजन करके हजारों रंगों में रंग बनाए जाए। इसी प्रकार नाट्य शास्त्र में भी वर्ण के विस्तृत प्रस्तुत किए गए हैं। 'वर्णाढ्यमितरेजनाः' का तात्पर्य ही यह है कि वर्ण के प्रति सभी की रूचि रहती है अर्थात् वर्ण सभी को प्रभावित करता है। चित्रकार को उपरोक्त सभी बातों में सिद्धहस्त होना चाहिए नहीं तो उसकी सारी साधना बेकार है।

अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि षडंग के उचित प्रयोग का पालन किए बिना एक उत्कृष्ट कला की रचना करना कठिन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर.ए. अग्रवाल - कलाविलास, भारतीय चित्रकला का विवेचन।
2. विधु कौशिक - कला चिंतन, सौन्दर्यात्मक विवेचन।
3. वाचस्वति गैरोला - भारतीय चित्रकला।
4. डॉ. महादेव साहा-अनुवादक, भारतीय शिल्प के षडंग सम्मेलन पत्रिका।
5. डॉ. राय कृष्ण दास - भारत की चित्रकला।
6. डॉ. रामकुमार विश्वकर्मा-भारतीय चित्रांकन।
7. डॉ. चिरन्जीलाल झा-चित्रकला के छः अंग।
8. डॉ. एस.बी.एल. सक्सेना - भारतीय चित्रकला परम्परा एवं आधुनिकता का अंतर्द्वन्द्व।

राजा रवि वर्मा - और उनके आस्था भरे चित्र

डॉ. यतीन्द्र महोत्त *

प्रस्तावना - सन् 1875 ई. के बाद 'मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी शैली के कलाकारों का रुझान स्वाभाविकता एवं फोटोग्राफी नमूना चित्रों की ओर हो गया। राजा राम सिंह के समय जयपुर में भी फोटोग्राफी प्रयोगशाला खुल गई थी, फलस्वरूप जयपुरी चित्रकारों का रुझान भी छाया-प्रकाश से युक्त चित्रण की ओर हुआ। इसी के साथ-साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा लाये गये रंग पद्धति पर यथार्थवादी चित्रकारों का ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे यह क्रम अकबर के समय में ही प्रारम्भ हो गया था। जब ईसाई पादरी भारत में प्रवेश के समय अपने साथ यूरोपियन धर्म के कुछ चित्रकारों को भी लाये। यह प्रभाव शाहजहाँ काल के चित्रों पर भी देखने मिलता है।'

अंग्रेजों के पाँव इस देश में जम चुके थे। मुगल शैली एवं राजस्थानी शैली की मानवाकृतियों में जो निजी सौंदर्य तत्व शामिल था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, अर्थात् भारतीय कला परम्परा समाप्ति की ओर मुड़ रही थी। ऐसे समय सन् 1848 में जन्मे राजा रवि वर्मा ने भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जन-जन में आस्था और विश्वास की प्राण-प्रतिष्ठा की। उन्होंने अपने चित्रों की मानवाकृतियों में त्रि-आयामी प्रभाव की सुंदरता से मिथकीय चरित्रों को समकालीन जीवन का सहचर बना दिया। पराधीनता के भीतर मानवाकृतियों की ऐसी आस्थाजनित निर्मिति कोई दूसरा कलाकार नहीं कर सका। 'राजा रवि वर्मा ने अपनी मानवाकृतियों में यूरोपीय यथार्थवादी शैली को इस तरीके से ढाला कि सम्पूर्ण कला जगत हतप्रभ रह गया। इसमें खासबात यह थी कि रवि वर्मा ने कला के किसी भी संस्थान में अकादमिक शिक्षा ग्रहण नहीं की।' अपनी मानवाकृतियों को भारत में पहली बार तैल रंगों से उभारने वाला कलाकार बन कला इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित कराया।

● 'पराधीनता' के अंदर राजा रवि वर्मा का जन्म एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। बचपन से ही राजा रवि वर्मा को मानवाकृतियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह स्वयं मानव आकृतियों का अभ्यास करते थे। 'जो इस घटना से लक्षित होता है - बाल्यावस्था में एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंगभर रहे थे, बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गये, तब बालक रवि वर्मा ने औत्सुक्यवश उसे पूरा कर दिया यह देख उनके मामा अभिभूत हो गये। इनके मामा तजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा।'

राजा रवि वर्मा ने अपनी कला के प्रति अटूट आस्था और कला अध्ययन में निरंतरता के फलस्वरूप सुहानी रंग-योजना में दक्षता हासिल की। वह अपनी कलाकृति में ऐसे रंगों का प्रयोग करते थे की दर्शक उस कलाकृति से सहृदय स्थापित कर लेते थे। 'वे अपने चित्रों की मानवाकृतियों के रूप-स्वरूप को तो सजाते ही थे, साथ ही उनके वस्त्रों की सलवटों तक का पूरा-

पूरा ख्याल रखते थे। हल्का-पीला, भूरा, लाल, बैंगनी, हरा तथा काला उनके प्रिय रंग थे। वे रंगों की छाया व प्रकाश से चेहरे तथा भाव-मुद्राओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख थे रेखायें नहीं।'

राजा रवि वर्मा के चित्रों में शकुंतला, वामन अवतार, महिला और दर्पण, माँ और शिशु, दुर्योधन-द्रोपदी, सरस्वती, सीता-हरण, दरिद्रता, श्रीकृष्ण-बलराम, सागर का गर्वदमन, वीणा के साथ युवती, हरिशचंद्र और तारामती आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनमें मानवाकृतियों की रंग-योजना बेजोड़ है। छाया-प्रकाश का यथा स्थान उचित प्रयोग किया है। जिससे मानवाकृतियाँ भावाभिव्यक्ति से भरी एवं सौंदर्य की मूरत दिखाई देती हैं। ये आकर्षक मानवाकृतियाँ दर्शक का मनमोह लेती हैं, और स्वतः अपनी ओर खींचती हैं (देखिए चित्र फलक - 28 एवं 29)।

राजा रवि वर्मा पूर्ण रूप से यथार्थवादी चित्रकार थे उनके चित्रों की मानवाकृतियाँ त्रि-आयामी प्रभाव देने वाली थी। उन मानव आकृतियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह जीवित अवस्था में बैठी, खड़ी या लेटी हुई हैं। इन मानवाकृतियों में त्रि-आयामी प्रभाव एवं जीवंतता की झलक दिखाने के लिए चित्रकार को मनुष्य के यथार्थ रूप से भली-भांति परिचित होना जरूरी होता है। यूरोपीय चित्रकला पद्धति में जब किसी वस्तु का चित्र बनाना होता है तो उस वस्तु को सामने रख लिया जाता है और यथार्थता के साथ उसका अनुकरण किया जाता है। इसी तरह मानव का चित्र बनाने में भी चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष उसके अंग-प्रत्यंग से परिचित होना नितांत आवश्यक होता है। यूरोप में ऐसे अनेक कलाकार हुए जिन्होंने मनुष्य को मॉडल के रूप में बढ़ाकर अपनी मानवाकृतियों में त्रि-आयामी प्रभाव एवं हू-ब-हू चित्रण की झलक दिखाई। यूरोप में नव्य युवतियों के अनेक चित्र बनाए गए, जो मॉडल बैठाकर ही बनाये गये। 'राजा रवि वर्मा भारतीय थे, उनमें भारतीय भावना तथा मर्यादा फिर भी बांकी थी। उन्होंने देवी-देवताओं के चित्र बनाना नहीं छोड़ा। चित्रकला पद्धति में वे अवश्य यूरोप से प्रभावित थे, पर चित्र भारतीय बनाते थे। राजा रवि वर्मा को छोड़ भारत में एक भी ऐसा कलाकार नहीं हुआ जो यथार्थवादी मानवाकृति अंकित करने में यूरोप के कलाकार के टक्कर का हुआ हो। राजा रवि वर्मा को यथार्थवादी मानव आकृतियाँ अंकित करने के लिए वैश्याओं को मॉडल के रूप में बैठना पड़ा। प्रत्येक मानवाकृति बनाने के लिए मॉडल आवश्यक होता था। इनके विषय अधिकतर धार्मिक हुआ करते थे। जैसे-सीता, सावित्री, पार्वती इत्यादि। यथार्थ चित्रण करना उनकी शैली बन चुकी थी। अतः वैश्याओं को सीता जैसे वस्त्र तथा आभूषण पहनाकर उसी मुद्रा में बिठाकर विषय अनुरूप मानवाकृति तैयार करते थे। इसी प्रकार सावित्री, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवियों के चित्र इन्होंने बनाए और भारतीय घरों को सुशोभित किया।'

देवी-देवताओं की जो मानवाकृति राजा रवि वर्मा ने अंकित थी उसमें यह आसान नहीं था कि उनके वस्त्र विन्यास और आभूषण के साथ-साथ उस परिवेश और काल को भी समाहित करे, जिसका कोई साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। 'राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रीयन नौ गज की साड़ी को देवियों का परिधान बनाया। तत्कालीन कला आलोचकों ने राजा रवि वर्मा की बड़ी आक्रामकता के साथ आलोचना की उनका तर्क था कि क्या तब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे ? फिर साड़ी के साथ चित्रण में ऐसी स्थानीयता भी आ रही थी, जिससे मिथकीय पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता ही संदिग्धा और संकटग्रस्त होने लगी थी। इन्होंने बसंत-सेना नामक चित्र में नौ गज वाली साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दिया था कि धीरे-धीरे वह भारतीय स्त्री की सर्वदेशीय पोशाक बन गई। कला आलोचक द्वारा निरंतर उनकी मानवाकृतियों पर आलोचना के बावजूद ये मानवाकृतियाँ लोकप्रिय होने लगी, उन्होंने शान्तनु, मत्स्यगंधा, नलदम्यंती, श्रीकृष्ण-देवकी,

अर्जुन-सुभद्रा और विश्वामित्र-मेनका जैसे चित्रों में स्त्री देह को भारतीय कलादृष्टि के परम्परागत ढांचे में पिरोकर एक नया ही सौंदर्यशास्त्र रचा।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुलाब चंद जैन - भारतीय चित्रकला एवं शिक्षण सामग्री ,इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ - 250002
2. प्रभु जोशी - समकालीन कला (अंक 32) ललित कला अकादमी, रवीन्द्र भवन नई दिल्ली, 2007
3. डॉ. रीता प्रताप - भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास- राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2004
4. डॉ. प्रेमचंद्र गोस्वामी - आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ - राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1995
5. प्रो. रामचंद्र शुक्ल - आधुनिक चित्रकला ,साहित्य संगम,नया - 100, लूकरगंज, इलाहाबाद, वर्ष 2006



वर्तमान समय में छापाचित्रों के प्रति बढ़ता रुझान

अर्चना *

प्रस्तावना - 'यथा सुमेरुः प्रवरो नगानां, यथाण्डजानां गरुणः प्रधानः
यथा नाराणां प्रवरः क्षितीशः स्तथाकलानमिह चित्रकल्पः'

-विष्णुधर्मोत्तर पुराण

जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुण प्रधान है और मनुष्यों में राजा उत्तम है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है।

मानव जीवन में कला का अपना एक अलग ही महत्व है जो मानव की भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। समय-समय पर कला का स्वरूप बदलकर सामने आया है। व्यक्ति अपने रीति-रिवाज, परम्पराएँ, तौर-तरीके आने वाली पीढ़ी के लिये सुरक्षित करता आया है। ये कलाये व परम्परायें मानव जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन समयानुसार इन कलाओं में भी परिवर्तन होते रहे हैं। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है पर कहीं न कहीं आज के समाज में व्यक्ति के हस्त निर्मित चित्रों का स्थान छापाचित्रों ने ले लिया है। इन छापाचित्रों के प्रति व्यक्ति इतना अधिक आकर्षित है कि व्यक्ति हस्त चित्रों के स्थान पर अब केवल छापाचित्रों को ही प्रयोग में ला रहा है। जब प्रत्येक घर में महिलायें तीज त्यौहारों, विवाह, उत्सवों पर हस्त चित्रों का निर्माण करती थी तो प्रत्येक परिवार के सदस्य मिलकर इन कलाओं में कहीं न कहीं भागीदारी तो अवश्य करते थे परन्तु आज के समय में व्यक्ति बाजार में निर्मित चित्रों को अपने जीवन काल में इतना अधिक प्रयोग करता है कि हस्त चित्रों के प्रति रुझान कम और छापाचित्रों के प्रति रुझान बहुत अधिक बढ़ने लगा है। वास्तव में छापाचित्र अपनी तरफ व्यक्ति को आकर्षित करते भी हैं।

यदि भारतीय छापा चित्रों की बात की जाए तो भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र से भीम बेटका के शैलाश्रयों में चित्रों के अलावा कुछ हाथ की आकृतियाँ भी मिली हैं। यह आकृतियाँ शिलाखण्ड पर छपी हुई प्रतीत होती हैं। समय के साथ-साथ छापाचित्रों के प्रति व्यक्ति नये-नये तरीकों को अपनाने लगा। वृद्ध व्यक्ति के हाथों की छाप को वह कन्द फूँक कर शिला पर लेने लगा। समय के साथ-साथ मिट्टी, शिला आदि के सिक्के छपे फिर लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग किया गया, साथ ही छापा प्लेट बनाने के लिए जिंक, कॉपर एवं स्टील आदि का प्रयोग कर मशीनों की सहायता से छापा चित्रों का निर्माण किया जाने लगा।

चित्र मानव के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। यह हमारे तौर-तरीको, रहन-सहन, हमारी संस्कृति व हमारी परम्पराओं आदि को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चित्र को बनाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य, भाव, कहानी या रहस्य अवश्य विद्यमान होता है। प्रागैतिहासिक मानव ने भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का ही सहारा लिया है। समय के साथ-साथ चित्र निर्माण में अनेकों परिवर्तन होते आए हैं। यदि हम भारत की बात करें तो

हमारे देश में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही अलग-अलग रीति-रिवाज व परम्पराएँ देखने को मिल जाती हैं। किसी भी मांगलिक अवसर पर तीज त्यौहारों पर हमारे देश में हस्तचित्रों का निर्माण प्रारम्भ से ही किया जाता रहा है। यहाँ तक की विवाह उत्सवों में भी किसी न किसी रूप में हस्तचित्र अवश्य ही बनाए जाते हैं। यदि त्यौहारों की बात की जाए तो प्रत्येक त्यौहारों पर हस्तचित्र निर्माण की परम्परा रही है। परन्तु वर्तमान समय में इन हस्तचित्रों का स्थान छापाचित्रों ने ले लिया है। इन छापाचित्रों के प्रति व्यक्ति इतना अधिक आकर्षित है कि व्यक्ति हस्त चित्रों के स्थान पर अब केवल छापाचित्रों को ही प्रयोग में ला रहा है। जब प्रत्येक घर में महिलायें तीज त्यौहारों, विवाह उत्सवों पर हस्त चित्रों का निर्माण करती थी तो प्रत्येक परिवार के सदस्य मिलकर इन कलाओं में कहीं न कहीं भागीदारी तो अवश्य करते ही थे। वर्तमान में व्यक्ति त्यौहारों को मनाता अवश्य है। पर इन सभी में मानव ने इतने अधिक परिवर्तन कर दिये हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप बदलता जा रहा है। यदि दीपावली की बात की जाए तो पहले व्यक्ति रंगोली को ही आटा, हल्दी के माध्यम से ही निर्मित करता था। परन्तु व्यक्ति आज के समय में बाजार से रंगोली के छापाचित्र लाकर चिपका देता है। इसी प्रकार अहोई अष्टमी पर चित्रों को हाथ से ना बनाकर छापाचित्रों को ही चिपका लेता है। इन सब के चलते कहीं न कहीं हस्तचित्रों का स्थान छापाचित्रों ने ले लिया है। आज के समय में व्यक्ति बाजार में निर्मित चित्रों को अपने जीवन काल में इतना अधिक प्रयोग करता है कि हस्त चित्रों के प्रति रुझान कम और छापाचित्रों के प्रति रुझान बहुत अधिक बढ़ने लगा है। वास्तव में छापाचित्र अपनी तरफ व्यक्ति को आकर्षित करते भी हैं। हस्त चित्र निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। आज के समाज की अधिकांश महिलाएँ किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं जिस कारण इन महिलाओं की हिस्सेदारी हस्तचित्र निर्माण में कम होती जा रही है। जिस कारण ये छापाचित्र सभी को अधिक सुविधाजनक लगते हैं। इससे समय की भी बचत होती है। इन चित्रों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ये चित्र कलात्मक तत्व, सिद्धान्त व सौन्दर्य से परिपूर्ण हैं जिसके कारण व्यक्ति इन चित्रों के प्रति अधिक आकर्षित है व इन चित्रों को अपने जीवनकाल में विशेष स्थान प्रदान करने लगा है। घर ही नहीं अपितु छापाचित्रों का प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक विशेष महत्व है। चाहे वह विज्ञापन जगत, फिल्म जगत, राजनीति जगत या खेल जगत हो। इन सभी में छापाचित्रों की अपनी अलग ही छाप है। वर्तमान समय में विज्ञापन जगत में छापाचित्रों का इतना अधिक महत्व है कि हमारे आस पास सर्वाधिक विज्ञापन छापाचित्रों के उदाहरण उपस्थित हैं। यदि फिल्म जगत, राजनीति जगत या खेल जगत की बात की जाए तो ये सभी विज्ञापन छापाचित्र कला से अछूते नहीं हैं। इन सभी क्षेत्रों को विज्ञापन की सर्वाधिक आवश्यकता

होती है ओर विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों की। इनके द्वारा विचारों का प्रस्तुतीकरण और अधिक प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार ये सभी एक दूसरे से पूर्णतया सम्बन्धित है। आज का समाज पूर्ण रूप से विज्ञापन पर निर्भर है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सूचना जनता तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन विज्ञापन को अधिक आकर्षक बनाने हेतु सम्बन्धित चित्रों का सहारा लिया जाता है। कोई भी गली ,मोहल्ला ,चौराहा ,गाँव ,शहर हो सभी में इन छापाचित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। छापाचित्र आज के व्यक्ति के लिए सरल आकर्षक व अधिक सुविधाजनक साबित हो रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार डॉ. सुनील, भारतीय छापाचित्र कला आदि से आधुनिककाल तक, भारतीय कला प्रकाशन दिल्ली, 2000
2. सक्सेना डॉ. सुनील कुमार, कांगडा की चित्रकला में शृंगार, कला प्रकाशन वाराणसी, 2009
3. यादव नरेन्द्र सिंह, ग्राफिक डिजाइन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 2010
4. यादव नरेन्द्र सिंह, विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धान्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 2010

Independence And Impartiality Of Arbitrator In International Commercial Arbitration

Prachi Tyagi*

Abstract - The research paper starts with introduction reciting the various of ADR and importance of international commercial dispute.

Later paper describes the concept of impartiality and independence and how they overlap each other. Independence and impartiality are qualities that must be maintained throughout the arbitral process. The secrecy of the tribunal's deliberations is the fundamental to the arbitral process, explaining in detail that how impartiality is needed to ensure that justice is done and independence is needed to ensure that justice is seen to be done.

Then paper talks about the need and importance of an independent and impartial. Arbitration is grounded on trust; therefore the arbitrators' respect of professional ethics acquires great importance for the respectfulness of the arbitral institution itself as an alternative dispute resolution mechanism. In the same way, judicial independence is acknowledged to be a key element for preserving the integrity, credibility and legitimacy of international courts and tribunals. Thus, it has been argued that an arbitrator, besides his intellectual and professional credentials, must comply with the moral integrity of a judge. The independence and impartiality of the judges is an intrinsic feature of the judicial process. The extended part of the sub-topic talks about why and when does arbitrators turns partial and dependent.

Then paper discusses about how arbitration is a tool to promote and aid international trade and investment 'by providing a neutral, independent and impartial method of resolving international commercial disputes through effective and reasonably predictable procedures describing the ethics and objectives of ICA.

Next part of the paper defines the prerequisite condition of impartiality and independence that are widely highlighted and emphasized in the rules and codes of most arbitral institutions and formulating agencies like UNCITRAL, ICC, ICSID and LCIA, AAA and IBA. The non-exhaustive list which is provided by IBA guidelines which consists of red list (waivable and non-waivable), orange list and green list. The four-point test provided by ICSID comprising of following factors: Proximity, Intensity, Dependence and Materiality. Paper also talks about the disclosure requirement wherein all rules impose duty on a prospective arbitrator to disclose all facts and circumstances which might give rise to suspicions and doubts as to his impartiality and independence, even if not in his own eyes.

Lastly some tentative conclusions and suggestions in relation to the differing concepts of party autonomy and concept of impartiality and independence.

Key Words - International Commercial Arbitration, Impartiality, Independence, Ethics, Arbitrator, Disclosure, UNCITRAL

Introduction - ICA is an alternative dispute resolution method (ADR), in general, willingly chosen by the parties. It is a private and effective method to resolve disputes. Nowadays, it tends to be the favored means for resolving disputes within the international business community.¹ Arbitration is a quasi-judicial process and hence one of the fundamental principles of international commercial arbitration is the impartiality and independence of arbitrators during the arbitral process.²

It is often said that the quality of an arbitral process is as much as the quality of the arbitrators involved in it.³ Thus, it seems vital to establish what is the nature of the arbitration, the role of the arbitrator and more precisely to determine whether and to what extent the arbitrator's role could be conceived as limited to watching a game played by others (the parties) as an impartial spectator having the

function to announce who won it once the game is finished.

Concept Of Independence And Impartiality - Judicial viewpoint of judges should be fidelity towards law. Independence and impartiality are two distinctive but interrelated qualifications required of every arbitrator.⁴ As the tribunal explained in *Suez et al. v. Argentina*, "independence relates to the lack of relations with a party that might influence an arbitrator's decision. Impartiality, on the other hand, concerns the absence of bias or predisposition toward one of the parties."⁵

At first vision, the concepts "independent" and "impartial" seem virtually similar but they do have some differences that are indispensable to explain.

I-Independence - The whole idea of independence is related to the personal connection or relationship between the arbitrator and the parties which may be personal, social

*Asst. Professor, Bennett University, Greater Noida (U.P.) INDIA

or financial. The stronger the connection between the arbitrator and one of the parties, the less independent the arbitrator is. The concept is related to an **objective** measure in the sense that it is possible to determine what is the relationship between the arbitrator and the party in question. Hence, the quid is to determine what is the necessary propinquity between both to contemplate an arbitrator "dependent". A clearer example of the concept of independence can be found in the ICC rules of arbitration requiring each arbitrator to declare whether there pre-exists any kind of relationship, past or present, direct or indirect, with any of the parties or counselors assisting them. The test of independence was best described by professor Pierre Lalive at VIth Symposium on International Arbitration held in Paris in October 1988: "Independence denotes the courage to displease, the absence of any desire, especially for the arbitrator appointed by the party, to be appointed once again as an arbitrator."

Independence generally relates to relationships, for example, whether an arbitrator is professionally or personally related to one of the parties, or has a familial or business connection to or with the party. A professional relationship could include a relationship in which the arbitrator, or partner, has acted or is acting as counsel, an employee, an advisor or as a consultant on behalf of one party. A business relationship could include a business venture in which the arbitrator or a partner holds an executive or non-executive position or is a party to a business transaction. A familial relationship could arise when an arbitrator, partner or business associate is related to one of the parties, as parent, aunt, spouse, etc. A personal relationship could include, a long-standing friendship between the arbitrator and a party, or a solitary incident when it is discovered that the arbitrator shared a room with the counsel for one party.

Independence is also subject to the degree of such relationships, such as the degree of separation between the arbitrator and a party to an arbitrator. The degree of a relationship may also vary with time, space and place. For example, an arbitrator may have an investment with a party to the arbitration in which the arbitrator is in direct control. The arbitrator or partner may have an historical or an ongoing relationship with a party to arbitration and so on. The measure of an arbitrator's independence is sometimes conceived objectively: that any reasonable person can conclude in the light of relationship in question. One can debate the nature of that objective test, including the level to which a reasonable person is informed about the arbitration, and sometimes such person who is called to determine the extent of independence may superimpose his or her level of reasonableness. This is an age old debate that offers no new insights except to observe that the reasonable person is nebulous and not a fixed and constant being.

II- Impartiality - The very word for arbitrator in some languages (e.g., *koinos* in Greek) connotes impartiality. The

concept of "partiality" is more abstract being a state of mind that can only be proved through facts. Impartiality is the absence of any favoritism and bias in the mind of the arbitrator towards a party or the matter in dispute. An arbitrator who is impartial but not absolutely independent may be qualified, while an independent arbitrator who is not impartial must be disqualified. In selecting party appointed arbitrators in international arbitration, the absolutely inviolable and paramount standard should be impartiality

Impartiality relates to notion of mind, sometimes evidenced through conduct demonstrating that state of mind. An arbitrator is partial towards one party if he shows preference for, or partiality towards one party or against another. Such partiality goes to whether it is reasonable to believe that the arbitrator will favour one party over the other for reasons that are unrelated to a reasoned decision on the merits of the case. These unrelated factors could include a relationship again personal, financial or social or in the absence of such a relationship, arbitrator's conduct, such as a statement during the course of an arbitration proceeding that persons of a particular nationality are liars, or that a member of an ethnic minority is in some way inferior.⁶⁶ For example, the statement that "Portuguese people were liars" served as grounds to remove an

The test applicable to impartiality is **subjective** in the sense that it goes to the actual state of mind. However, it is objective in the need to determine that whether a reasonable person would consider that state of mind as constituting partiality, or would have a reasonable apprehension of it being so.

There is evidently an overlap between arbitral independence and impartiality. However, the relationship associated with arbitral independence may be immaterial, while a lack of partiality may be material. For example, a party appointed arbitrator may be unrelated to the appointee, such as when the appointee chooses him because he works in the same industry but for a different company to the appointee; but the arbitrator may still display conduct that demonstrates bias or reasonable apprehension of bias in favour of the appointing party. The prevailing issue in determining partiality is to establish the extent to which the arbitrator acts as an advocate for the party appointing him, whether s/he purports to negotiate on behalf of that party,⁷ or whether there is a reasonable apprehension that he may do so. The extent of independence of an arbitrator, particularly in party appointed cases, may vary according to the type of arbitration in issue. For example, there is a high level of tolerance for arbitrators advising their appointees in some trades that would be considered as being in conflict in others.⁶⁸ In the commodity trade, for example, the practice appears to be more tolerant of consultation between an arbitrator and its appointee. See Murray, L. Smith, Impartiality of the Party – Appointed

Arbitrator, 6 Arbitration International, 320 at p. 322 (1990). See generally Craig, Park, Paulsson, International

Chamber of Commerce Arbitration para 2.04, pp 209-212 (2nd ed.) (Paris: Oceana & ICC

Need And Importance Of Arbitrator Being Impartial And Independent - The independence and impartiality of Arbitrators is a general principle in arbitration that an arbitrator must act and must be seen to act fairly between the parties. The independence and impartiality of an arbitrator is an intrinsic feature of the judicial process. Arbitrators are often closely involved in the market that appoints them, which arise the issue of them being partial, biased, pre-disposed and being interested in the outcome of the arbitration. The long standing norms that no one should be a judge in his own case and that justice should be seen to be done apply equally to International arbitration.

Reliance on arbitration as an institution by the international business community is characterized by three principal advantages, e.g., expedition, inexpensiveness and finality. An international arbitration award is more international than a decision of many national courts. It is viewed as a medium displacing national laws to be displaced by alternative legal regimes. This international characterization of arbitration as a separate legal regime presupposes that international arbitration institutions try to meet the expectations of the international business community for independent and neutral tribunals. Otherwise, the confidence of the parties in the arbitration system would be seriously dented.⁹

Arbitration is grounded on trust; therefore the arbitrators' respect of professional ethics acquires great importance for the respectfulness of the arbitral institution itself as an alternative dispute resolution mechanism.¹⁰ In the same way, judicial independence is acknowledged to be a key element for preserving the integrity, credibility and legitimacy of international courts and tribunals.¹¹ Thus, it has been argued that an arbitrator, besides his intellectual and professional credentials, must comply with the moral integrity of a judge¹². We may say that integrity of international commercial arbitration has been built on the perception that the arbitral process is fair and that it produces arbitral awards worthy of consideration and reverence.

One of the main problems of international commercial arbitration is that there is not a supranational authority to regulate arbitrators' conduct. A domestic lawyer is constrained by the norms and ethical rules of his own domestic bar where he practises. However, when operating outside of their environment, like in international arbitration, some of the unwritten pressures disappear operating in what Block terms "an ethical no man's land".¹³ Block, Sheila, Ethics in International Proceedings, International Bar Association, International Litigation News, October 2004.

It has been contended that every single action at law has a moral dimension and therefore questions of fairness, impartiality and independence are very important. An unfair

judgement inflicts a moral injury on one of its member. Arbitration has been described as the most virtuous institution in the culture of labour relations~ with the arbitrators exercising their ethical powers as to what is good or bad, right or wrong. party autonomy.

When And Why Does Arbitrator Become Partial And Dependent?

The root of the debate is that in many instances, party-appointed arbitrators are known to the parties their fees is derived from the party, they may have been briefed by the parties as to the issues and evidence in arbitration and also other issues arise out of ex parte communication and then it boils down to the question of whether they are qualified to sit as an arbitrator, or they may be viewed as an advocate for a client.

This debate also involves the query as to the need for a three-member panel where parties have right to nominate an arbitrator. It is true that the role of a party appointed arbitrator is seen as a balance of power of the parties in the tribunal, but in some types of arbitration, their engagement with their "party" suggests that they are working for the party appointing them. This brings their role as an independent and impartial judge of the dispute into scrutiny. Sometimes, in deliberations, they may press hard for the cause of their appointer to influence the award.

Ethics And Objectives Of Ica - International arbitration is a distinctive, unique and hybrid institution where public policy, private interests and credibility mechanisms can be established together. To have a clear definition of the nature of ICA it is important to be able to define a *posteriori* the requirements that an arbitrator should fulfill, although there seems to be a lack of understanding regarding the nature of the arbitral process. There are at least five distinct theories regarding the very nature of ICA: **the jurisdictional theory, the contractual theory, the hybrid theory, the autonomous theory and the concession theory.**¹⁴ The jurisdictional theory is grounded on the jurisdictional powers of the nation-state to regulate any international commercial arbitration within its boundaries. The contractual theory argues that the ICA has its origin in the agreement between the parties to conduct any possible dispute by arbitration and therefore it should be based upon and conducted according to the parties desires. The hybrid theory is a mix of the jurisdictional and contractual theory maintaining that both characters can be found in international commercial arbitration. The autonomous theory is a more recent approach and is more motivated on the purpose of international commercial arbitration. Instead of trying to fit ICA in the framework of the existing legal framework, it dismisses the traditional theory maintaining that international arbitration is an autonomous institution which should not be restrained by the rules of the place of arbitration.¹⁵ Finally, the concession theory is a state centric approach, maintaining that the state has the monopoly in the administration of justice and hence it has the prerogative to decide which kind of disputes can be submitted to

arbitration. From the point of view of the ICC and the ICA, arbitration is a tool to promote and aid international trade and investment 'by providing a neutral, independent and impartial method of resolving international commercial disputes through effective and reasonably predictable procedures'.¹⁶ Thus, it seems that ICC has a 'contractual theory' approach and hence the impartiality and independence requirements have a utilitarian nature rather than a jurisdictional nature as for the business person time is money and money is also money. Moreover, the parties will consent to the alternative of arbitration only insofar as they are confident that the objectives sought are truly obtainable and the means required to reach these objectives are accessible and available. Hence the requirement of impartiality and independence of arbitrators are imperative tools for the parties submitting a case to arbitration, as these are elements essential to feel 'confident that the objectives sought are obtainable.

Legal Framework - International institutions all over the world endorse the idea of perfect fairness of the arbitrator. The prerequisite condition of impartiality and independence are widely highlighted and emphasized in the rules and codes of most arbitral institutions and formulating agencies like UNCITRAL, ICC, ICSID and LCIA, AAA and IBA.

In this regard the arbitration rules of the ICC provide in its article 7.1 that- "Every arbitrator must be and remain independent of the parties involved in an arbitration". Article 7.2 contains a precautionary measure stating that- "Before its appointment or confirmation a person proposed as an arbitrator must sign a declaration of his independence and turn over to the Secretariat a written report on any fact or circumstance that from the perspective of the parties may jeopardise his independence. The Secretariat must turn over such written report to the parties and set a deadline for the parties to express their opinion on the matter." The rules also allow in article 2.8 for the challenge of the arbitrator for the lack of independence or otherwise.

Surprisingly, the rules do not mention the concept of impartiality, only stressing on the independence of arbitrators. This absence does not permit the arbitrator to be "partial". It was decided to use solely the term independence due to its ability to be measured objectively, unlike the term "impartiality", a state of mind difficult to prove.¹⁷ The first specific reference to the arbitrators' independence in the ICC Rules was made in 1975- until then, ICC Rules were only related to coarbitrators. Later, in 1980, the independence requirement was extended to sole arbitrators and the Chairman, in the Internal Rules of the Court. A proposal to include the concept of impartiality was made in 1988 ICC Rules. Nevertheless, the proposal was finally disallowed due to the difficulty to define the concept satisfactorily. These general standards are abstract, and overall they establish that an arbitrator must remain impartial and independent throughout the arbitral proceedings and are required to resign voluntarily when he or she has doubts regarding his or her impartiality or

independence¹⁸.

Article 1 of IBA Guidelines establishes that- 'Arbitrators shall proceed diligently and efficiently to provide the parties with a fair and effective resolution of their disputes, and shall be and shall remain free from bias'. Further on, the guidelines also address the conflicts of interests that may arise when an arbitrator is a member of a law firm at the same time, establishing that the activities of an arbitrator's firm shall not *per se* be considered as creating a conflict. On the subject of local chambers of commerce, the Chamber of National and International Arbitration of Milan for instance, in its code of ethics of arbitrators, requires in its article 5- 'When accepting his mandate, the arbitrator shall, to the best of his knowledge, be able to perform his task with the necessary impartiality characterizing the adjudicating function he undertakes in the interest of all parties'. In that case, the independence of arbitrators is also mentioned by article 6, with the requirement of the independence as long as the arbitration lasts- 'When accepting his mandate, the arbitrator shall, to the best of his knowledge, be objectively independent. He shall remain independent during the entire arbitral proceedings as well as after the award is filed, during the period in which annulment of the award can be sought'.

An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if he does not possess qualifications agreed to by the parties. A party may challenge an arbitrator appointed by him, or in whose appointment he has participated, only for reasons of which he becomes aware after the appointment has been made (article 12.2 UNCITRAL Arbitration rules).

I-The Lists - The most useful, and also one of the most disturbing aspects of the IBA Guidelines is its classification of "situations" into which arbitral impartiality and independence are divided which is based on a variety of cases in multiple jurisdictions, different factual situations giving rise to concerns about conflict of interest into three lists: **Red, Orange and Green**. The Red List consisted of situations which give rise to *per se* doubt as to an arbitrator's impartiality and independence. This list is again divided into situations that cannot be waived by the parties^{19,19} The waivable list includes only four items. These represent the most serious types of conflict, and those that can be so waived.²⁰ The Orange List consists of particular situations in which the parties might judiciously have doubts about the arbitrator's impartiality or independence.^{21,21} There are 23 such situations listed in which the arbitrator has a duty of disclosure. They include, among others: serving as counsel "within the past three years" by an arbitrator or his or her law firm to a party or one of its affiliates, current service by an arbitrator's law firm to a party or affiliate when the arbitrator is not involved; several direct or indirect relationships between arbitrators or between an arbitrator and counsel in an arbitration; situations in which an arbitrator has a "material shareholding" in a party or its affiliate; and

situations in which an arbitrator takes a public position on a matter that is . The Green List consists of situations in which there is no appearance of partiality or a lack of independence and no conflict of interest.

The advantage of the lists is that they provide a cross-section of illustrations based on past practice in which arbitrators and parties can identify situations of conflict of interest, as well as the apparent importance of that conflict, and in the case of the red list, how parties can cure conflicts through consent. The problem is that the lists also provide litigious parties with a list of circumstances in which they might ground such a challenge, spuriously or not.

Determining whether the situation in question is substantially similar to or different from a listed situation undoubtedly can invite endless debate over differences of kind and degree. Added to this is the reality that common lawyers who are trained in the inductive reasoning sometimes may well draw analogies and distinctions *ad nauseam* to demonstrate that the list actually supports their argument. The fact that at least some of the lists evaluate disclosure "in the eyes of the parties" may well lend further fuel to the argument that what ought to be determinative is a party's nuanced perspective of a conflict which the arbitrator ought to have disclosed.

II- Four-point test - To evaluate the alleged connection qualitatively between arbitrator and the parties ICSID came out with a FOUR-POINT TEST:

Proximity - How closely connected is the challenged arbitrator to one of the parties by reason of the alleged connection? the closer the connection, the more likely that the relationship may influence an arbitrator's independence of judgment and impartiality

Intensity - How intense and frequent are the interactions between the challenged arbitrator, the more frequent and intense it is the more probability of getting independence and impartiality of arbitrator affected

Dependence - To what extent is the challenged arbitrator dependent on one of the parties for benefits as a result of the connection

Materiality - To what extent are any benefits accruing to the challenged arbitrator as a result of the alleged connection significant and therefore likely to influence in some way the arbitrator's judgement.

III- The Disclosure Requirement - Effectively all rules impose duty on a prospective arbitrator to disclose all facts and circumstances which might give rise to suspicions and doubts as to his impartiality and independence, even if not in his own eyes. However supportive and effective the rules and codes of ethics are, it is still left to the arbitrator to govern what facts and circumstances are significant enough to require disclosure. It has become an international custom and usage that an arbitrator must disclose those facts and circumstances that might possibly give rise to a challenge of his fitness and ability to serve.

International arbitration rules normally require the disclosure from the arbitrator of any circumstances or facts

that may influence a reasonable person against one of the parties.²² Disclosure is generally an ongoing requirement for the arbitrator throughout all the arbitral process, if any new circumstances arise that may effect his impartiality or independence, he should disclose them.²³ In this respect, the UNCITRAL model law in its arbitration rules establishes the following~

The potential arbitrator shall disclose to those who approach him in connection with his possible appointment any circumstances prospective to give rise to "justifiable doubts" as to his impartiality or independence. An arbitrator, once appointed or chosen, shall disclose such circumstances to the parties until and unless they have already been informed by him of these circumstances.²⁴

The American Arbitration Association's (AAA) Arbitration Rules establishes in similar terms that~

Arbitrators acting under these rules shall be impartial and independent. Prior to accepting appointment, a prospective arbitrator shall disclose to the administrator any circumstance likely to give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence. If, at any stage during the arbitration, new circumstances arise that may give rise to such doubts, an arbitrator shall promptly disclose such circumstances to the parties and to the administrator. Upon receipt of such information from an arbitrator or a party, the administrator shall communicate it to the other parties and to the tribunal.²⁵

In ICC, article 2 (7), paragraph 2 of the Arbitration Rules provides that~

Before appointment or validation by the Court, the potential arbitrator shall disclose in writing to the Secretary General of the Court any facts or circumstances which might be of such a nature as to call into question the arbitrator's independence in the eyes of the parties.

In party appointed arbitrations, the person approached to act as an arbitrator normally discloses informally any relevant circumstances to his prospective client.²⁶ If the prospective appointing party considers that the facts disclosed by the arbitrator are not relevant to influence his independence and impartiality, the arbitrator should, after his appointment, write formally the facts disclosed delivering them to both parties. If a party nominates an arbitrator who is deemed not to be impartial and independent, the other party may has the right to challenge the nomination. (Art. 5.3 LCIA and ICC rules Art.7.2). Once an arbitrator has made his disclosures, it is upto the parties to assess them, failure to timely objection waives the right to object at a later stage of the proceedings.²⁷

Hence, these disclosure requirements in international commercial arbitration are intended to avoid any justifiable doubt regarding the impartiality of an arbitrator. The disclosure element has important implications *a posteriori*.

Once the arbitrator has satisfied the requirement of disclosure all the situations potentially ground for a disqualification and there are no objections in this regard, any subsequent challenge to the arbitrator based on these

circumstances is null.

Suggestions And Conclusion - Apart from being independent and impartial towards the party for the success of any arbitral proceeding; it is equally important to regulate the manner of selection of the arbitrators. In international arbitrations it is important for at least one of the arbitrators to be familiar with the law of the place of arbitration. If all the arbitrators are unfamiliar with the law of the situs there is the risk of them making an award which may not be recognized by the courts of the country where the arbitration took place and therefore may become unenforceable even in other jurisdictions. Therefore it is recommended that at least one of the arbitrators should be knowledgeable in the law of the situs also the chairman of the panel of three should preferably have experience in the practice of arbitration, and writing awards, etc to facilitate the enforcement of the award.

The International business community is opting for ICA more to resolve their disputes due to its suitability, in comparison with litigation before national courts, as it resolves disputes in a neutral, confidential, speedy, flexible and economical manner. The faith of the parties in international arbitration is also based only and only on the expectations that the arbitrators composing the tribunal are entirely independent and impartial.²⁸ We must take into account that international commercial arbitration pursues practical objectives, and in some cases like in party appointed arbitrations these objectives are achieved in practice without a purely neutral tribunal and without ordre public considerations. International commercial arbitration is imprisoned between two strains, the ideal of the perfect and absolutely neutral arbitrator and the reality where the very process of selecting arbitrators can destabilize such ideal.

ICA tries to bridge the national, cultural, legal and language differences in order to deliver the parties to a commercial dispute a fair and just result. The apparent paradox of the notion of the party appointed arbitrator and the duties of "impartiality" and "independence" is, in practice, more apparent than real. The concept of party autonomy gives the parties the flexibility required to construct the procedure in a way best matched to their needs. It is this flexibility that has led to the victory and success of commercial arbitration and made it the preferred means of resolving international commercial dispute.

References :-

1. Redfern, Alan, Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 2003
2. Alam, Naser, Independence and Impartiality in International Arbitration An Assessment, National Commissioner, International Chamber of Commerce Bangladesh, available at www.transnationaldisputemanagement.com
3. Figueroa Valdes, Juan Eduardo, La Etica en el Arbitraje Internacional, XXXIX Conference,

- InterAmerican Bar Association, New Orleans, June 2003.
4. Cf. A. Redfern & M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration 201 (2004), noting that there are "parallel tools for assessing the potential for actual or apparent bias. They are rarely used on their own, individually, but are usually joined together as a term of art." See also M. Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice 330 (2001), stating that "the two notions are different even if on some occasions some overlapping may occur between them."
5. AWG Group Limited v. Argentina, UNCITRAL Arbitration, Decision on a Second Proposal for the Disqualification of a Member of the Arbitral Tribunal of 12 May 2008, at para. 28.
6. For example, the statement that "Portuguese people were liars" served as grounds to remove an arbitrator in *Re The Owners of the Steamship "Catalina" and Others and The Owners of the Motor Vessel "Norma"* (1938) 61 L.L.Rep. 360.
7. The key issue is to determine whether the arbitrator is a "negotiating advocate" attempting to get the best deal for a client. See Lord Justice Scrutton (as he was then) in *W. Naumann v. Edward Nathan & Co. LTD.* 37 Lloyd's L.L.R. 249 (1930). See further Alan S. R., On integrity in Private Judging, 14 *Arbitration International*, 115, at p. 123 (1998).
8. In the commodity trade, for example, the practice appears to be more tolerant of consultation between an arbitrator and its appointee. See Murray, L. Smith, Impartiality of the Party – Appointed Arbitrator, 6 *Arbitration International*, 320 at p. 322 (1990). See generally Craig, Park, Paulsson, *International Chamber of Commerce Arbitration* para 2.04, pp 209-212 (2nd ed.) (Paris: Oceana & ICC Publications, 1990).
9. See Shetreet, "judicial independence and accountability: core values in liberal democracies" in *Lee (ed.) comparative judiciaries* (Cambridge university press, 2011)
10. Figueroa Valdes, Juan Eduardo, La Etica en el Arbitraje Internacional, XXXIX Conference, InterAmerican Bar Association, New Orleans, June 2003
11. *Ibid*
12. Gonzalez de Cossio, Francisco, Independencia e Imparcialidad y Apariencia de Imparcialidad de los Arbitros. *Juridica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, n° 32, 2002.
13. Block, Sheila, Ethics in International Proceedings, International Bar Association, International Litigation News, October 2004.
14. Lin Yu, Hong, Explore the Void, An Evaluation of Arbitration Theories, *Int. A.L.R* 2004, 7(6), 180190.
15. *Ibid*

16. Bond, Stephen R., Current Issues in International Commercial Arbitration: The International Arbitrator: From the Perspective of the ICC International Court of Arbitration, 12 Nw. J. Int'l L. & Bus. 1,1991
17. Figueroa Valdes, Juan Eduardo, La Eticaen el Arbitraje Internacional, XXXIX Conference, InterAmerican Bar Association, New Orleans, June 2003.
18. WiwenNilson, T. IBA Draft Guidelines on Impartiality and Independence , Stockholm Arbitration Newsletter, 2/2003.
19. The waivable list includes only four items. These represent the most serious types of conflict, such as when there is a relational identity between the arbitrator and a party, when the arbitrator is a manager for one party, or when the arbitrator has a "significant" interest in that party.
20. The non-waivable list relates to situations in which an arbitrator was previously involved in a dispute, or close family friend of the arbitrator has a financial interest in the dispute, or the arbitrator has a relationship with a party or a party's counsel.
21. There are 23 such situations listed in which the arbitrator has a duty of disclosure. They include, among others: serving as counsel "within the past three years" by an arbitrator or his or her law firm to a party or one of its affiliates, current service by an arbitrator's law firm to a party or affiliate when the arbitrator is not involved; several direct or indirect relationships between arbitrators or between an arbitrator and counsel in an arbitration; situations in which an arbitrator has a "material shareholding" in a party or its affiliate; and situations in which an arbitrator takes a public position on a matter that is in dispute.
22. Scott Donahey,M, The UDRP and the Appearance of Partiality: Panelist Impaled on the Horn of a Dilemma Paper, Tomlinson ZiskoMorosoli& Maser LLP, 2001.
23. Redfern and Hunter (2003)
24. UNCITRAL Arbitration Rules article 9.
25. AAA International Arbitration Rules (1997), Article 7.
26. Redfern, Alan, Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet& Maxwell, 2003 pp.217.
27. Rule 27 ICSID system of arbitration
28. Bond, Stephen R., Current Issues in International Commercial Arbitration: The International Arbitrator:From the Perspective of the ICC International Court of Arbitration, 12 Nw. J. Int'l L. & Bus. 1,1991

अंतर्राष्ट्रीय विधि में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण

नम्रता ताम्रकार *

शोध सारांश - अंतर्राष्ट्रीय मंच से बच्चों के समुचित जीवनस्तर तथा समुचित विकास हेतु विभिन्न देशों द्वारा संगठित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी देशों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किये जाते हैं, और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। जैसे कि बालकों को उनके जीवन के लिए जो कार्य जोखिमपूर्ण हो उस कार्य में नहीं लगाया जाना, दासप्रथा का अंत, प्राथमिक शिक्षा देने हेतु योजनाएँ, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, कुपोषण से बचाव, स्कूलों में मध्याह्न भोजन इत्यादि।

भारत ने जब से संयुक्त राष्ट्र बालकों के अधिकार पर अभिसमय को अपना समर्थन दिया है, तब से भारत में बालकों के विषय में निर्मित कानूनों का कार्यान्वयन में अधिक गतिशीलता आई है। बालकों के अधिकार के संक्षरण के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। बालकों एवं अनार्यों के कल्याण, भिक्षावृत्ति उन्मूलन, बालदुर्व्यवहार व बालदुराचरिता उन्मूलन के कार्यक्रम अत्यंत क्रियाशील हुए हैं। भारतीय संविधान द्वारा बालकों को प्राप्त मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन हेतु सरकार की ओर से बहुत सी योजना चलाई जा रही हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इन्द्रधनुष टीकाकरण, बालिका शिक्षा सुरक्षा राशि, सरकारी अनाथालय आदि। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 पारित होने से बालक न्यायालय का गठन किया गया है जिसके द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु त्वरित विचारण हो सकेगा।

प्रस्तावना - जब हम बालकों के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के विषय में चर्चा करते हैं जो उन्हें व्यक्त भी नहीं कर सकता और न ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता। यदि अवयस्क कुछ कहता है, तो लोग उसके कथन को मान्यता नहीं देते। यह समझा जाता है कि वह अपने हित के बारे में नहीं जानता है। इसलिए उसके अधिकारों को समझना तथा उसकी रक्षा करने का दायित्व वयस्कों पर होता है।

बच्चे कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चों से अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इसी परिभाषा को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है, जिसे अधिकांश देशों द्वारा मान्यता दी गई है। भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को अलग कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत देश में राज्यों द्वारा बालकों को संरक्षण तथा देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है। बालकों को सदैव ही वयस्कों की सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संस्था 'इक्वैलिटी नाउ' (Equality Now) के ऐसोसिएट डायरेक्टर पामेला शिफ मैने ने अमेरिकन सेन्टर मुंबई में आयोजित एक सेमिनार 'इनिशियेटिव्स अगेन्स्ट ट्राफिकिंग इन वूमन एंड चिल्ड्रेन' (Initiatives Against Trafficking in Women and Children) में कहा कि 'पूरे विश्व में बालकों को उनके मानव अधिकारों, गरिमा एवं बालपन से वंचित किया जाता है तथा अनेक प्रकार से उनका शोषण किया जाता है।'

इसके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बालक के अधिकारों पर अभिसमय, (United Nations Convention on the Rights of the child) अंगीकार किया

गया जो कि 2 सितम्बर 1990 को लागू हुआ। वर्ष 1992 में भारत ने इसे स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं नरसंहार (Genocide), युद्ध-अपराध (War Crimes) एवं मानवता (Humanity) के विरुद्ध अपराध के मामलों में महिलाओं एवं बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए 17 जुलाई 1998 को रोम में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) स्थापित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विशेष सत्र में 11 मई, 2002 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा हेतु एक ऐजेण्डा "A World Fit for Children" अनुसमर्थित किया गया। यह पहला विशेष सत्र था जिसमें कि बालकों की समस्याओं को उन्हीं से सुना गया।

दसवें जस्टिस सुनन्दा भण्डारे मेमोरियल लेक्चर में दिनांक 8 नवम्बर, 2004 को न्यायमूर्ति शिवाजी वी. पाटिल, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि 'व्यक्ति जन्म से भाग्यवान हो सकता है, परंतु महान अपने कर्मों से ही बनता है।' बच्चे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं, इसलिए उन्हें महान बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना सभी देशवासियों का कर्तव्य है।

संयुक्त राष्ट्र बालक के अधिकारों पर अभिसमय - वर्ष, 1924 में बालक के अधिकारों पर जेनेवा उद्घोषणा अंगीकार किए जाने के साथ ही लीग ऑफ नेशन्स के द्वारा इस संबंध में शुरुआत की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों पर दूसरी उद्घोषणा अंगीकार करते हुए वर्ष, 1959 में प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की। तदुपरान्त वर्ष, 1979 अंतर्राष्ट्रीय बालक वर्ष के रूप में मनाया गया। 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र बालक के अधिकारों पर अभिसमय को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया जो कि 2 सितम्बर,

1920 को प्रवृत्त हुआ। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं और यह तीन खंडों में विभाजित है।

बालक कौन है ? - अभिसमय के अनुच्छेद 1 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के साथ बालक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये जब तक कि सदस्य देशों की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत वयस्कता शीघ्र न प्राप्त होती हो। यहाँ बालक शब्द के अंतर्गत बालक व बालिका दोनों को शामिल किया गया है।

बालक के अधिकार - संयुक्त राष्ट्र बालक के अधिकार पर अभिसमय में बालकों के बहुत से अधिकार दिए गए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

1. प्राण का अधिकार - अभिसमय के अनुच्छेद 6, परिच्छेद 1 के अनुसार एक बालक को प्राण या जीवन का अंतर्निहित अधिकार है। इस प्रकार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिये मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा के अनुच्छेद 6 (5) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्युदंड से दंडित नहीं किया जाएगा तथा किसी महिला को गर्भावस्था की अवधि में मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा।

2. नाम का अधिकार - अभिसमय के अनुच्छेद 7 (1) के अनुसार बालक को नाम का अधिकार है। यह नाम सम्मानजनक होना चाहिए।

3. माता-पिता द्वारा देखभाल का अधिकार - अभिसमय के अनुच्छेद 9 (1) के अनुसार माता-पिता द्वारा बालक की देखभाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार माता-पिता दोनों के द्वारा या दोनों में किसी एक के द्वारा प्रतिदिन यथोचित समय बालक को देना आवश्यक है।

4. स्वास्थ्य का अधिकार - अभिसमय के अनुच्छेद 24 (1) के अनुसार शिशु को स्वास्थ्य का अधिकार है। उसके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. बाल श्रम से संरक्षण - अभिसमय के अनुच्छेद 32 (1) के उपबंधों के अनुसार बालक को आर्थिक शोषण से संरक्षण का अधिकार है। बालक को ऐसे कार्यों से संरक्षण का अधिकार है जो कि जोखिम से परिपूर्ण या जो शिक्षा ग्रहण करने में विघ्न उत्पन्न करते हों या जो कि स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो।

6. शिक्षा का अधिकार - अभिसमय के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत बालक को सर्वव्यापी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अभिसमय के द्वारा शिशु को कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं जैसे-

1. राष्ट्रीयता अर्जित करने का अधिकार। (अनुच्छेद 7)
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। (अनुच्छेद 13, परिच्छेद 1)
3. विचार अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। (अनुच्छेद 14, परिच्छेद 1)
4. संगम की स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। (अनुच्छेद 15, परिच्छेद 1)
5. सामाजिक सुरक्षा से लाभ का अधिकार। (अनुच्छेद 26, परिच्छेद 1)
6. बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास हेतु पर्याप्त जीवन का स्तर का अधिकार। (अनुच्छेद 27, परिच्छेद 1)
7. बालक की एकान्तता, परिवार, गृह या पत्राचार में मनमानी एवं विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध विधि का संरक्षण का अधिकार। (अनुच्छेद 16, परिच्छेद 1)

भारत के संविधान में बच्चों से संबंधित उपबंध - भारत के संविधान के निर्माता ये तथ्य अच्छी तरह से जानते थे कि राष्ट्र का विकास कर पाना केवल राष्ट्र के बच्चों के विकास के द्वारा ही संभव है और यह आवश्यक है कि बच्चों पर होने वाले शोषण से उन्हें मुक्त कर सुरक्षित किया जाए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद बच्चों के अधिकार से संबंधित हैं जिनके उल्लंघन पर न्यायालय में अनुच्छेद 32, एवं 226 के तहत रिट याचिकाओं द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी-

1. अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
2. अनुच्छेद 15(3) के अनुसार, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को रीज्यों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
3. अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
4. अनुच्छेद 21क. यह उपबंधित करता है कि राज्य, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उलंघन अपराध होगा।
5. अनुच्छेद 24 में बालकों के संबंध में यह विशेषकर उपबंधित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।
6. अनुच्छेद 29(1) के अनुसार, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 29(2) में यह उपबंध है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
7. अनुच्छेद 39(ड) के अनुसार, राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से - 'पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
8. अनुच्छेद 39(च) यह उपबंधित करता है कि राज्य की नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से - 'बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये'।
9. अनुच्छेद 45 के अनुसार, राज्य, सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए

उपबंध करने का प्रयास करेगा।

10. अनुच्छेद 47 के उपबंध के अनुसार, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
11. अनुच्छेद 51क(ट) जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में उपबंधित है, यह उपबंध करता है कि 'माता-पिता या संरक्षक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।'

भारत में बालकों की स्थिति सुधारने के लिये बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं -

1. बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929
2. बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
3. बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1936
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000
5. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
6. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
8. किशोर न्याय (बालकों को देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

ये सभी अधिनियमों के द्वारा भारत में बालकों का तथा उनके अधिकारों का संरक्षण कर उन्हें अच्छे नागरिक बनकर देश के निर्माण व विकास में सहायक होने लायक बनाने का प्रयास किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इंटरनेशनल लॉ एवं ह्यूमन राइट्स, डॉ.एच.ओ.अग्रवाल, 7वाँ संस्करण 2001, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेसन्स।
2. महिला एवं बाल कानून, डॉ.अंजनीकांत, द्वितीय संस्करण 2013,सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेसन्स।
3. मानवाधिकार और महिलाएं, डॉ ममता चन्द्रशेखर, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।

बेवसाइट्स-

1. बालकों के अधिकार, न्यायामूर्ति एस. के. जैन चेयरपर्सन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, एस. एस. ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय जयपुर। (दिनांक :20.2.2018, समय : 3:22 pm)
2. सूचना पैक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा योजनाएँ, information_pack_hindi_final_web (date 5.2.2018, time 6:33 pm)
3. क्या है बच्चों के अधिकार, All Rights torch bearer of your rights (date 2.2.2018, time 8:35 pm)
4. बच्चों के भी अधिकार हैं: विश्व बाल अधिकार दिवस पर विशेष, By Rajesh Utshahi, Teachers of India (date 2.2.2018, time 8:30 pm)

वृद्धजनों के अधिकार एवं सुविधाएँ

राम भरोस साहू*

प्रस्तावना - प्राचीन समय में संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी एवं महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। जिसने समाज के असहाय, अनाथ, विधवा, विधुर, परित्यक्त, वृद्ध लोगों के लिए पर्याप्त आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके व्यक्ति के जीवन की एक बहुमुखी कल्याणकारी योजना के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन भारत में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण धर्म के महत्व खास, तीव्र सामाजिक गतिशीलता एवं भौतिकवादी मूल्यों के प्रसार के कारण संयुक्त परिवार विघटन की दशा में तीव्रगति से अग्रसर हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों के टूटने के साथ-साथ समाज के उपर्युक्त वर्गों में सामाजिक संगठन एवं विकास की दृष्टि से एक वृद्ध वर्ग का जीवन अत्यधिक समस्याग्रस्त होता जा रहा है। यह समाज का वह वर्ग है, जो एक समाज की पुरातन अवस्थाओं एवं परम्पराओं का पोषण करता है तो दूसरी ओर अपने जीवन में अर्जित व्यापक ज्ञान से नवीन पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए उन्हे प्रगति की दिशा में अग्रसरित करता है।

भारत में कुछ समय पहले तक लोगों की जीवन-अवधि कम होने के कारण लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति ही 60 से अधिक आयु तक पहुंच पाते थे। वर्तमान में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण जीवन-अवधि में सुधार हो जाने से वृद्ध लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ऐसे पाए गए जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच है।

वृद्ध लोगों की सबसे अधिक संख्या भारत के उन ग्रामीण क्षेत्रों में है जहाँ अधिकांश लोगों का जीवन गरीबी सीमा रेखा के नीचे है। पुरुषों की अपेक्षा उन वृद्ध स्त्रियों का जीवन और भी उपेक्षित है जो अपने जीवन निर्वाह और चिकित्सा की सुविधाएँ पाने के लिए परिवार के पुरुष सदस्य पर ही निर्भर है।

विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ इतनी अधिक व्यापक हैं कि वहाँ वृद्धावस्था की समस्या गंभीर नहीं है किन्तु विकासशील देश भारत में जहाँ एक ओर वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ नगण्य हैं दूसरे देश में निर्धनता के कारण वृद्धावस्था के लिए धन संचय की सम्भावना समाप्त हो जाती है, तीसरे सामाजिक सुरक्षा के नाम पर संयुक्त परिवार के रूप में जो परम्परागत व्यवस्था थी वह भी विघटन के तीव्र प्रवाह में बह रही है, चौथे एकांकी परिवारों में वृद्धों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वृद्ध लोगों के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव परिवर्तित हो रहा है। इन सभी दशाओं के बीच यह आवश्यक है कि वृद्धजनों की समस्याओं तथा उनके कारणों को समझकर उन उपायों पर ध्यान दिया जाए जिनकी सहायता से वृद्ध लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा दी जा सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शताब्दी का अंतिम वर्ष 1999 ई में वृद्ध लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अक्टूबर, 2012, 'अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस' के रूप में मनाया गया।

नया कानून सन् 2007 में केन्द्र सरकार ने माता-पिता को उचित संरक्षण देना उसके पुत्र-पुत्रों का कानूनी कर्तव्य है।

'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007' पारित किया। इस कानून के द्वारा पुत्रों को अपने माता-पिता व बुजुर्गों की देखभाल एक कानूनी बाध्यता बन गई। इस कानून की मदद से बुजुर्ग अपनी संतानों से वह अधिकार ले सकते हैं जो उनको वर्तमान में नहीं मिल रहा है। यथा भरण पोषण उचित आवास, चिकित्सा, कपड़े आदि उपलब्ध कराना भी कानूनी बाध्यता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार भारत में समाजकल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1992 में वृद्ध लोगों को सहायता देने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया।

सन् 1998-99 में इसमें संशोधन करके संशोधित योजनाओं 'वृद्ध व्यक्तियों के लिए समन्वित कार्यक्रम' नाम दिया गया।

इसके द्वारा वृद्धावस्था गृहों तथा वृद्धों के लिए सचल चिकित्सालय चलाने वाले एच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता देना आरम्भ की गई।

1. **वृद्धावस्था गृह** - यह एक ऐसी आवासीय इकाई है, जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक 25 निर्धन और निरक्षित वृद्धों को रखा जा सकता है। यहाँ पर इनको शारीरिक व मानसिक सुरक्षा देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा परीक्षण की जाती है।

2. **डे केयर सेन्टर** - एच्छिक संगठनों के द्वारा ये नगरीय, ग्रामीण जनजातीय अथवा गंदी बस्तियों के ऐसे क्षेत्रों में चलाये जाते हैं जहाँ 50 वृद्धों का पंजीकरण होना अनिवार्य और सम्पन्न दोनों ही वर्ग के वृद्धजनों को मिलता है। इनमें वृद्धजन सुबह से शाम तक अपना समय व्यतीत करके रात्रि में अपने घर जा सकते हैं।

3. **वृद्धों के लिए चल रही चिकित्सा सेवाएँ** - इसके अन्तर्गत एच्छिक संगठनों को वृद्धजनों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ देने का अनुभव व योग्यता होती है, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4. **गैर-संस्थात्मक सेवाएँ** - इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है जो वृद्ध लोगों को कानूनी परामर्श पेंशन प्राप्त करने में सहायता नेत्र परीक्षण चश्मों का वितरण, कान में लगाने के यंत्रों की सुविधा तथा आवश्यकता होने पर बैंक से पैसा लाने व जमा करने का कार्य कर सके।

5. **अन्य सुविधाएँ** - सरकार तथा एच्छिक संगठनों के प्रयत्न -

1. सभी राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2011 की नई राष्ट्रनीति में पेंशन राशि 1000 रुपये कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता तथा समर्थित जीवन यापन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' लागू की गई है।
2. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है।
3. 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की आयकर में विशेष छूट दी जाती है।
4. भारतीय रेलवे ने 60 वर्ष या उससे अधिक के वृद्धों को किराये में 50 तथा 40 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है।
5. देश के सभी डाकघरों में अगस्त 2004 से सीनियर सिटीजन स्कीम के द्वारा वृद्ध लोगों द्वारा जमा की गयी राशि पर 9.2 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।
6. **अन्नपूर्णा योजना** - नगर व गाँव के निराश्रित वृद्धों को प्रतिमाह 10 किलो अनाज दिया जाता है। जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ न मिल

सका हो।

निष्कर्ष - वास्तव में वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान तभी सम्भव है जब ऐसे वृद्धजन जो परिवार से पूर्णतया उपेक्षित है ऐसे वृद्धजनों जो परिवार से पूर्णतया उपेक्षित है ऐसे वृद्धजनों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा यद्यपि वृद्धाश्रम गृहों की स्थापना की गई है जिनकी संख्या पर्याप्त नहीं। भारत जैसे कल्याणकारी देश में वृद्धजनों की देखभाल का पूर्ण दायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें एवं गैर सरकारी संगठन मिलकर वृद्धजनों की सहायता कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख है कि राज्य वृद्धजनों के कल्याण की समुचित व्यवस्था करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज - रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, भरत अग्रवाल ।
2. भारतीय समाज - डॉ.जी.के. अग्रवाल ।

Effect Of Yogasana On Body Composition Of Secondary School Obese Boys

Mukul Pandey* Dr. Seema Gurjar** Dr. Nisith Kumar Dutta***

Abstract - An important part of a balanced health and wellness program is managing your body composition and understanding what is a healthy body weight for your body type. A consistent Yoga practice, a clean Yoga diet, and observance of Yoga principles and lifestyle habits can help you find this balance in managing your body weight. Obesity is correlated to numerous health problems and diseases like heart disease, diabetes, musculo-skeletal disorders, digestive disorders, and high blood pressure. Obesity often shortens one's life span. Excess body weight physically drains the body of vitality and energy.

1.0 Introduction - Hatha Yoga and other physical practices of Yoga utilize large muscles to perform Yoga poses. Performing Yoga poses, like any physical activity, burns calories. Important note, though, is that calories are first consumed directly from the muscle, then the blood stream, then the liver, and finally the fat stores in fat cells. In order to tap into the calories in fat cells, Yoga and other physical activities need to be performed for longer durations. The advantage of doing Yoga is it should always be done on an empty stomach meaning the sugar levels in the blood are typically lower allowing you to quickly move from the calories in the muscles to the calories in the fat cells more readily. Many Yoga poses also increase muscle tissue. Increasing muscle tissue increases the overall mass of calorie-burning tissues in the body.

Procedure -

Selection of Subject - The purpose of the study was to find out the effect of the Yogasanas on Body composition and selected Anthropometric measurements of secondary school obese boys. To achieve this purpose of the study, eighty students studying in secondary schools of GEMS United Indian School, Abu Dhabi, United Arab Emirates, by using the BMI children percentile formula by considering purposive sampling technique as subjects. The age of the subjects were ranged between 14 to 16 years. The selected subjects were divided into two equal groups of forty subjects each. Group I underwent yogasana practices and for six days per week for twelve weeks. Group II acted as control that did not participate in any special training programme apart from their regular activities as per their curriculum. The subjects were free to withdraw their consent incase they felt any discomfort during the period of the training

programme. But, there were no such drop outs in the study.

Criterion Measures -

Body Composition:)

1. Triceps
2. Abdomen
3. Suprailiac
4. Thigh
5. Body Fat %)

Analysis Of Data And Results - The data obtained during two stages (i.e., pre test and post test) of yogasana training programme in experimental group and control group. The data was analyzed statistically with paired sample statistics and 't' test. The data pertaining to the analysis of dependent and independent variables in experimental group and control group were presented in table 4.1 to 4.9 and the results of data was shown in graphs from 4.1 to 4.9

Body Composition (Four Site Skinfold Measurements)

Triceps Skin Fold - The data on triceps before and after the yogasana training of experimental group and control group were analyzed and presented in Table-1.1

Table 1.1 (See in the last page)

As seen in Table-1.1, it is observed that in experimental group the triceps pre test mean score is 30.782, which has decreased to the mean score of 29.622 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 30.927, which has increased to the mean score of 32.367 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the triceps skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

3.2. Abdomen Skin Fold - The data on abdomen skin fold

*Head of Physical Education GEMS United Indian School (Abu Dhabi) UAE

** Associate Professor, (Physical Education) Pacific University Udaipur (Raj.) INDIA

*** Associate Professor & Head (Physical Education) Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat (Gujarat) INDIA

measurement before and after the yogasana training of experimental group and control group were analyzed and presented in Table-1.2

Table 1.2 (See in the last page)

As seen in Table-1.2, it is observed that in experimental group the abdomen pre test mean score is 33.170, which has decreased to the mean score of 31.662 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 33.170, which has increased to the mean score of 34.015 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the abdomen skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.)

3.3. Suprailiac Skin Fold - The data on suprailiac skin fold before and after the yogasana training of experimental group and control group were analyzed and presented in Table-1.3

Table.1.3 (See in the last page)

As seen in Table-1.3, it is observed that in experimental group the suprailiac pre test mean score is 32.277, which has decreased to the mean score of 30.925 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 32.310, which has increased to the mean score of 33.105 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the suprailiac skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

3.4. Thigh Skin Fold - The data on thigh skin fold before and after the yogasana training of experimental group and control group was analyzed and presented in Table-4.4

Table.1.4 (See in the last page)

As seen in Table-1.4, it is observed that in experimental group the thigh pre test mean score is 33.790, which has decreased to the mean score of 32.212 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 33.575, which has increased to the mean score of 34.242 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the thigh girth skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

3.5. Body Fat Percentage - The data on body fat percentage before and after the yogasana training of experimental group and control group were analyzed and presented in Table-1.5

Table.1.5 (See in the last page)

As seen in Table-1.5, it is observed that in experimental group the body fat percentage pre test mean score is 26.193, which has decreased to the mean score of 25.374 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 26.213, which has increased to the mean score of 26.787 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In

control group the body fat percentage was increased due to the subjects are in physical growth stage.

3.1.1. Triceps Skin Fold - The data on triceps before and after the yogasana training of experimental group and control group were analyzed and presented in Table-4.10

Table. 1.1.1 (See in the last page)

As seen in Table.1.1.1, it is observed that in experimental group the triceps pre test mean score is 30.782, which has decreased to the mean score of 29.622 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 30.927, which has increased to the mean score of 32.367 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the triceps skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

It is also evident from the above table that the obtained 't' values 5.989 and 8550 are greater than Table value 2.05 at 0.05 level of significance.

3.1.2. Abdomen Skin Fold - The data on abdomen skin fold measurement before and after the yogasana training of experimental group and control group was analyzed and presented in Table 1.1.2.

Table-1.1.2 (See in the last page)

As seen in Table 1.1.2, it is observed that in experimental group the abdomen pre test mean score is 33.170, which has decreased to the mean score of 31.662 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 33.170, which has increased to the mean score of 34.015 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the abdomen skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

It is also evident from the above table that the obtained 't' values 9.093 and 7.270 are greater than Table value 2.05 at 0.05 level of significance.

3.1.3 Suprailiac Skin Fold - The data on suprailiac skin fold before and after the yogasana training of experimental group and control group was analyzed and presented in Table-1.1.3

Table 1.1.3 (See in the last page)

As seen in Table 1.1.3, it is observed that in experimental group the suprailiac pre test mean score is 32.277, which has decreased to the mean score of 30.925 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 32.310, which has increased to the mean score of 33.105 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the suprailiac skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

It is also evident from the above table that the obtained 't' values 7.612 and 6.899 are greater than Table value 2.05 at 0.05 level of significance.

3.1.4. Thigh Skin Fold - The data on thigh skin fold before

and after the yogasana training of experimental group and control group was analyzed and presented in Table-1.1.4.

Table 1.1.4. (See in the last page)

As seen in Table 1.1.4., it is observed that in experimental group the thigh pre test mean score is 33.790, which has decreased to the mean score of 32.212 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 33.575, which has increased to the mean score of 34.242 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the thigh girth skin fold was increased due to the subjects are in physical growth stage.

It is also evident from the above table that the obtained 't' values 8.824 and 4.974 are greater than Table value 2.05 at 0.05 level of significance.

3.1.5. Body Fat Percentage - The data on body fat percentage before and after the yogasana training of experimental group and control group was analyzed and presented in Table 1.1.5.

Table 1.1.5. (See in the last page)

As seen in Table 1.1.5., it is observed that in experimental group the body fat percentage pre test mean score is 26.193, which has decreased to the mean score of 25.374 in post test, whereas among subjects of control group the pre test mean score is 26.213, which has increased to the mean score of 26.787 in post test. Therefore, it has shown that the yogasana training is showing positive impact in experimental group, but not significant in control group. In control group the body fat percentage was increased due to the subjects are in physical growth stage.

It is also evident from the above table that the obtained 't' values 5.985 and 6.072 are greater than Table value 2.05 at 0.05 level of significance.

Conclusion - It was found that Yogasana group showed a significant improvement in body composition components

after training of secondary school obese boys.

- A. It was found that there was a significant difference in the triceps skinfold of pre and post test scores of experimental group ($t=5.989$).
- B. It was found that there was a significant difference in the abdomen skinfold of pre and post test scores of experimental group ($t=9.093$).
- C. It was found that there was a significant difference in the suprailliac skinfold of pre and post test scores of experimental group ($t=7.612$).
- D. It was found that there was a significant difference in the thigh skinfold of pre and post test scores of experimental group ($t=8.824$).
- E. It was found that there was a significant difference in the body fat percentage of pre and post test scores of experimental group ($t=5.985$).

It was found that Yogasana group showed a significant improvement in body composition components and selected anthropometric measurements after training of secondary school obese boys and also found that there was no improvement in body composition and selected anthropometric measurements of control group.

References :-

1. Allen Philips and James E. Harnok, "Measurement and Evaluation in Physical Education", New York: John Willey & Sons, 1979
2. John W. Best. "Research in Education", (7th Edition), Prentice Hall of India (P.) Ltd., New Delhi, 1966.
3. Philips D. Allen and Harnak James E. "Measurement of Evaluation in Physical Education." John Willey and Sons, 1979.
4. Taimini I.K. "The Science of Yoga", Madras, India: The Theosophical Publishing House, 1961.
5. Malina R.M. 'Physical Fitness of Children and Adolescents in the United States: Status and Secular Change. Med Sport Sci (2007); Vol.50: 67-90.

Table 1.1
Showing Paired sample Statistics for Triceps skin fold measurement.

Group	Variable Triceps skin fold	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error
Experimental	Pre-Test	40	30.782	0.845	0.133
	Post-Test	40	29.622	0.886	0.140
Control	Pre-Test	40	30.927	0.741	0.117
	Post-Test	40	32.367	0.764	0.120

Table 1.2
 Showing Paired sample Statistics for Abdomen skin fold measurement.

Group	Variable Triceps skin fold	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error
Experimental	Pre-Test	40	33.170	0.750	0.118
	Post-Test	40	31.662	0.731	0.115
Control	Pre-Test	40	33.170	0.579	0.091
	Post-Test	40	34.015	0.452	0.071

Table.1.3
 Showing Paired sample Statistics for Suprailliac skin fold measurement.

Group	Variable Triceps skin fold	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error
Experimental	Pre-Test	40	32.277	0.826	0.130
	Post-Test	40	30.925	0.761	0.120
Control	Pre-Test	40	32.310	0.522	0.082
	Post-Test	40	33.105	0.508	0.080

Table.1.4
 Showing Paired sample Statistics for Thigh skin fold measurement.

Group	Variable Triceps skin fold	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error
Experimental	Pre-Test	40	33.790	0.764	0.120
	Post-Test	40	32.212	0.832	0.131
Control	Pre-Test	40	33.575	0.577	0.091
	Post-Test	40	34.242	0.621	0.098

Table.1.5
 Showing Paired sample Statistics for Thigh skin fold measurement.

Group	Variable Triceps skin fold	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error
Experimental	Pre-Test	40	26.193	0.553	0.087
	Post-Test	40	25.374	0.665	0.105
Control	Pre-Test	40	26.213	0.422	0.066
	Post-Test	40	26.787	0.424	0.067

Table. 1.1.1
 Significance of diüerences between pre test and post test scores of Triceps skinfold among experimental and control groups.

Group	Test	Mean	Standard Deviation	t' value	Level of Significance
Experimental (Yoga Group)	Pre-Test	30.782	0.845	5.989	Significant at 0.05 level
	Post-Test	29.622	0.886		
Control (Non-Yoga Group)	Pre-Test	30.927	0.741	8.550	Significant at 0.05 level
	Post-Test	32.367	0.764		

Table-1.1.2
Significance of differences between pre test and post test scores of Triceps skinfold among experimental and control groups.

Group	Test	Mean	Standard Deviation	t' value	Level of Significance
Experimental (Yoga Group)	Pre-Test	33.170	0.750	9.093	Significant at 0.05 level
	Post-Test	31.662	0.731		
Control (Non-Yoga Group)	Pre-Test	33.170	0.579	7.270	Significant at 0.05 level
	Post-Test	34.015	0.452		

Table 1.1.3
Significance of differences between pre test and post test scores of Suprailiac skinfold among experimental and control groups.

Group	Test	Mean	Standard Deviation	t' value	Level of Significance
Experimental (Yoga Group)	Pre-Test	32.277	0.826	7.612	Significant at 0.05 level
	Post-Test	30.925	0.761		
Control (Non-Yoga Group)	Pre-Test	32.310	0.522	6.899	Significant at 0.05 level
	Post-Test	33.105	0.508		

Table 1.1.4.
Significance of differences between pre test and post test scores of thigh skin fold measurement among experimental and control groups.

Group	Test	Mean	Standard Deviation	t' value	Level of Significance
Experimental (Yoga Group)	Pre-Test	33.790	0.764	8.824	Significant at 0.05 level
	Post-Test	32.212	0.832		
Control (Non-Yoga Group)	Pre-Test	33.575	0.577	4.974	Significant at 0.05 level
	Post-Test	34.242	0.621		

Table 1.1.5.
Significance of differences between pre test and post test scores of body fat percentage among experimental and control groups.

Group	Test	Mean	Standard Deviation	t' value	Level of Significance
Experimental (Yoga Group)	Pre-Test	26.193	0.553	5.985	Significant at 0.05 level
	Post-Test	25.374	0.665		
Control (Non-Yoga Group)	Pre-Test	26.213	0.422	6.072	Significant at 0.05 level
	Post-Test	26.787	0.424		

A Comparative Study Of Sportsperson And Non -Sportsperson

Sonal Singh *

Abstract - The main Purpose of the present study was to find out the significant differences on seven traits of personality between sportsperson and non- sportsperson. A sample of 800 subjects was selected; out of which 600 sportsperson, 200 were school players, 200 were college level players and 200 were university, out of the 200 non-sportsperson, 100 were from the college. They were administered sports specific personality test devised by Singh and Chiema (2005) which consists of 100 items and measures seven traits of personality like sociability, dominance, extra version, conventionality, self-concept, mental toughness and emotional stability. The result of the study indicate that the differences between sportsperson and non-sportsperson were not found out on different personality traits, except the trait of emotional stability where the differences between male and female students were found on sociability, dominance and mental toughness at school level; where males were better on these traits than females did not exist.

At college level, non-sportsperson, extra version, conventionally and self concept, they did not different significantly. The combined group of both school and college non-sportsperson different only on sociability, mental toughness and emotional maturity where again male students were found to be better on these traits. In all other traits of personality of dominance, extra versions, conventionality and self-concept no significant differences

Introduction - The participation in modern sports is influenced by various physical, physiological, psychological and sociological factors. During training, besides good physique and physical fitness of the players, main emphasis is laid on the development of various types of motor skills involved in the game as well as on the techniques and tactics of the game. Usually very little attention has been paid to the psychological factors which have been proved to contribute to performance at the higher levels of competitive sports. The present study has been undertaken to investigate a very important psychological component of the sportsperson, i.e. specific personality traits of the sportsperson and non-sportsperson. Sports is one of the most enduring of all human activities. Virtually from the beginning of any written human record, in civilizations across the world, accounts of sports and sports related activities are found. For less than the last century sports has been studied scientifically, and sports psychology is an important part of that scientific study it is an International field, holding the promise of becoming important and only to the understanding of competitive athletic abilities, but to areas of behaviour that relate to many domains of human health and activity. Not with standing its benefits to the individual and the society at large competitive sports is a war of nerves as well a war of nerves. Since the revival of the olympic games in 1896, sports have increasingly become aware like phenomenal requiring years and years of specialised training and practice with scientific and

technological inputs. The rise of professionalism in sport and the human craze and quest for “winning” have transformed highly enjoyable sport into complex behavioural conundrum. Physical fitness is a term used to represent the state of fitness of the body to be able to carry out everyday activities, handle emergency situation, and to be free from illness/disease. The concept of physical fitness is included fitness in such files is most unfortunate error and one that logically could account at least in part for the current apathy of some people toward total personal fitness.

Method And Procedure - The sample of the study consisted of 800 subjects; out of which 600 were sportspersons and 200 were non-sportspersons; out of 600 sportspersons, 200 (100 male and 100 female) sportspersons were from different schools. 200 (100 male and 100 female) sportspersons were from different colleges and 200 (100 male 100 female) sportspersons who have been playing at inter-university levels; out of the 200 non-sportspersons; 100 (50 male and 50 female) were from the schools and 100 (50 male and 50 female) were from the colleges.

For the measurement of personality traits of sportspersons; specific sports personality test devised by Chiema and Singh (2005) was administrated in Punjabi version to all the subjects of the study; both male and female. This test consists of 100 items and measures seven traits of personality measures the reliability co-efficient of the test for all the traits were calculated by using test retest

method and were found to be 0.90, 0.84, 0.69, 0.93, 0.82, 0.87, 0.58 for sociability, dominance, extra version, conventionality, self-concept, mental toughness, emotional stability and 0.86 for the total test. Reliability co-efficient using split half method was found to be 0.86, 0.77, 0.61, 0.82, 0.80, 0.92 & 0.62 for the seven components respectively and 0.91 for the total test, current validity of the test as calculated by calculating the scores of the test with the rating scores obtained from the coaches on a four point scale from very true to not true which were found to be 0.66, 0.66, 0.63, 0.62, 0.56, 0.61, 0.53, 0.62 respectively as well as 0.64 for the total test.

Results And Discussion -

Sex Differences On Personality Traits Of Sportsperson

Table 1 shows the main difference on all the seven traits of personality of male and female sportsperson combined of school, college and university level players.

Table-1 (See in the last page)

As the above table shows that no significant differences were observed between the male and female sportsperson of the combined group consisting of school, college and university level players on almost all the personality trait; as t-values were not found to be significant except in the case of 6th traits i.e. mental toughness where t-value of 3.643 was significant at 0.01 level and males were better (M=44.29) as compared to female (M=42.68). Here the results have failed to reject the null hypothesis. Hence the hypothesis of no sex difference has been accepted.

Differences Of Personality Traits Between Sportspersons And Non-Sportspersons

An attempt was made in the present study to know if significant differences existed on seven traits of personality between the sportspersons and non-sportspersons. Table 2 shows the main difference between sportsperson and non-sportsperson on the seven traits of personality.

Table-2 (See in the last page)

As the above table shows that no significant differences were found between sportsperson and non-sportsperson on most of the personality traits as t-values were not statistically significant except in the case of the seventh trait i.e. Emotional Stability where the t-value was 2.425 (PL.05) and hence difference between sportsperson and non-sportsperson was found.

In the case of the emotional stability the sportsperson seemed to be better on this trait as compared to Non-sportsperson. In fact, sports and physical activities enable the individual to become more emotional stable : as they have to face failures and defeats in sporting spirits. The hypothesis of the study was that there would be significant

difference on seven traits of personality between the sportsperson and non-sportsperson on the sports specific personality test was not accepted by the findings of this study.

Many studies in general tend to agree that differences do exist between athletes and non-athletes. Both (1958) using MMPI investigated the differences in the personality of football athletes and non-athletes. His results revealed that the athletes from the various sports groups and non-athletes differed significantly on several of the MMPI scales. He compared the personality traits of 141 athletes to those of 145 non-athletes and found that the non-athletes scored higher than the athletes only on anxiety and depression. Slusher (1964) investigated differences in personality characteristic of high school athletes and non-athletes. He found that athletes and non-athletes differed on all the MMPI scales except the M(hypomania) and K (validity).

Conclusions - The following conclusions were drawn from the findings of the study -

1. No significant differences are found between male and female sports persons on many personality traits; except Mental Toughness.
2. Significant differences are not found between sportspersons and non-sportspersons on many personality traits except Emotion Stability.
3. Sex differences between male and female non-sportspersons are found in Sociability, Mental Toughness and Emotional Maturity.

References :-

1. Aamodt, M. alexander, C., & Kimbrough, W. (1982) : Personality Characteristics of Skills, 55, 327-330
2. -Bhatti, AS. (1987) Psychological and anthropocentric differentials of athletes and non-athletes, unpublished PHD thesis, Kurukshetra.
3. -Kumar, A., & Thakur, G.P. (1986). "Extraversion, Neuroticism and Psychotism in athletes and non-athletes." In N.N. mall and J. Mohan (Ed.) Psychological Analysis of sports performance, Gwalior, LNCPE, 34-56.
4. -Cooper, L. (1969) "Athletics, Activity and personality; A review of literature", Research Quarterly, 40 : 17-82.
5. -Journal of Behavioural Social and movement sciences-2013 Dalbara Singh, Dr. Aggajit Singh, Dr. Sukhraj Singh.
6. -Journal of Advanced Research in management and Social Sciences-Dr. Vinod Chahal.
7. -Robbon (etal,1979) A Comparative study of physical fitness of elementary school children of defense and non-defense personal.

Table-1

Means, SDs and t-ratios of scores of seven personality traits of male and female sportsperson.

S.No.	Personality Traits	Male (N=300)			Female (N=300)			DM	SEDM	t-ratio	Significance Level
		M	SD	SE	M	SD	SE				
1.	Sociability	47.54	5.229	0.302	47.96	5.333	0.308	0.42	0.431	0.974	NS
2.	Dominance	41.88	4.248	0.245	42.14	4.407	0.254	0.26	0.353	0.737	NS
3.	Extra-Version	40.77	4.937	0.285	40.04	5.224	0.302	0.73	0.415	1.758	NS
4.	Conventionality	38.76	4.205	0.243	38.53	4.519	0.261	0.23	0.357	0.645	NS
5.	Self-Concept	42.09	4.199	0.242	42.33	4.994	0.285	0.24	0.354	0.642	NS
6.	Mental Toughness	44.29	5.428	0.313	42.68	5.398	0.312	1.61	0.442	3.643	PL.01
7.	Emotional Stability	43.28	6.073	0.351	42.46	5.933	0.343	0.82	0.491	1.671	NS
	Total	298.62	23.155	1.337	296.15	23.363	1.349	2.47	1.899	1.30	NS

**Significant at 0.01 level

Table-2

Means, SDs and t-ratios of scores of seven personality traits for sportsperson and non-sportsperson.

S.No.	Personality Traits	Sportsperson (N=600)			Non-Sportsperson (N=200)			DM	SEDM	t-ratio	Significance
		M	SD	SE	M	SD	SE				
1.	Sociability	47.75	5.281	0.216	47.31	5.658	0.400	0.44	0.455	0.968	NS
2.	Dominance	42.01	4.327	0.177	41.48	4.334	0.306	0.53	0.354	1.499	NS
3.	Extra-Version	40.40	5.092	0.208	40.08	5.178	0.366	0.32	0.421	0.760	NS
4.	Conventionality	38.64	4.363	0.178	38.98	4.668	0.330	0.34	0.375	0.907	NS
5.	Self-Concept	42.21	4.584	0.187	41.98	4.375	0.309	0.23	0.361	0.637	NS
6.	Mental Toughness	43.48	5.468	0.223	43.04	5.578	0.394	0.44	0.453	0.972	NS
7.	Emotional Stability	42.87	6.013	0.245	41.72	5.742	0.406	1.15	0.474	2.425	PL.05
	Total	297.38	23.273	0.950	292.30	23.123	1.635	5.08	1.891	2.686	PL.01

** Significant at 0.01 level, *Significant at 0.05 level

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

डॉ. सरोज गर्ग * हर्षलता पण्ड्या**

शोध सारांश - भारतीय समाज में जो आज भी सभ्यता से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, इन्हें जनजाति, आदिवासी, गिरिजन, पहाड़ी वन्यजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आदि जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज बहुतायत रूप से निवास करता है, इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की महिलाएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, एक सराहनीय कार्य है क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा ही होता है। इन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, शिक्षण संस्थानों का दूर होना आदि समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। प्रस्तुत शोध में दक्षिणी राजस्थान के 300 प्रयोज्यों का चयन किया गया जिसे सर्वेक्षण विधि एवं साक्षात्कार विधि प्रमुख आधारशिला रही। शोध सम्बन्धित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। वर्तमान स्थिति के सभी क्षेत्रों को अलग अलग तालिकाओं में दर्शाया गया। जिसमें परिणाम प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जाति स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाओं की वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जनजाति स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध एक अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन है। यह शोध भावी शोध हेतु कुछ उपयोगी बन जाए, ऐसी अभिलाषा है।

प्रस्तावना -

**'असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माप्तं गमय।'**

अर्थात् असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, देश की शिक्षा का यही लक्ष्य है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा किसी राष्ट्र की आधारशिला है। शिक्षा हमें अंधकार, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा अज्ञान से मुक्ति दिलाती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली अनवरत् प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। महात्मा गांधी के अनुसार 'शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।'

भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक विविधताएँ एवं मान्यताएँ हैं। यहाँ अनेक संस्कृति, धर्म, मत, जाति, प्रजाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक ऐसी जनजातियाँ बसती हैं, जो आज भी सभ्यता से अत्यधिक दूर हैं क्योंकि ये लोग अधिक पिछड़े हुए हैं। इन्हें जनजाति, आदिवासी, गिरीजन, वन्यजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान में इनका नाम अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। पहले जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर

होने के कारण और दूसरे को उनके भौगोलिक अलगाव सांस्कृतिक अन्तरों तथा मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने हासिये पर कर दिया। डॉ. डी. आर मजूमदार (1958) के अनुसार- 'जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह व्यवसाय के विषय में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।'

एनसाईक्लोपीडिया और सोशियोलोजी के अनुसार - 'प्रकाश में अस्पृश्य जातियों को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है यथा अछूत, अंत्यज, दलितवर्ग, बाह्यजातियाँ, हरिजन आदि।

सामाजिक, तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों के उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधायें देने के लिए सन् 1935 के विधान में ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गयी। जिन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा।

भारतीय संविधान की धाराओं 15 (4), 45 और 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गयी है।

धारा 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। धारा 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षिक हितों का विशेष प्रावधानों के जरिए ध्यान रखने के विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाती है। इन सबके बावजूद भी देश में महिला शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है। परिवार एवं समाज का संपूर्ण विकास, बच्चों के

* पर्यवेक्षक, लो. ति. शि. प्र. म., डबोक, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, ज. रा. ना. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राज.) भारत

चरित्र निर्माण बढ़ती जनसंख्या की रोक आदि के लिए महिलाओं की समुचित शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। महिलाएं परिवार एवं समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ महिला शिक्षा स्वरूप अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, महिला शिक्षा के पिछड़ने का प्रमुख कारण माताओं में निम्न साक्षरता अथवा सीमित शिक्षा तक पहुँच का होना पाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक विषमता, दरिद्रता, घरेलू काम धन्धे, काम की अयोग्यता, बालविवाह, पुरुष प्रताड़ना अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, पढ़ाई में मार्गदर्शन न मिलना, अन्य लोगों के साथ समायोजन की समस्या एवं सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षण संस्थाओं का वातावरण अनुकूल न होना आदि।

वर्तमान में महिलाओं में शैक्षिक उन्नति करके उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व विकास एवं स्वयं निर्णय क्षमता विकसित करने का प्रयास शुरू किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं का समाज के उच्च स्तर के लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन करने में सक्षम बनाना, उसके लिए उचित योजना सरकार द्वारा होनी चाहिए।

महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाये। उनके लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। उनके परिवेश में आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा तंत्र, व्यवसाय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवायी जाए। उनके शैक्षिक कठिनाई दूर करने की दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था करवायी जाये तथा सृजनशील एवं संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने वाले अभ्यासक्रम तैयार करवाए जाए।

इस प्रकार शिक्षा से वास्तविक अर्थों में महिला को इस योग्य बनाया जा सकता है कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सुविधाओं योग्यताओं एवं क्षमताओं को प्रत्यारोपित कर सके। तथा अपने अन्दर आत्मविश्वास, आत्मबल, सामाजिक, आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास कर सके। साथ ही साथ अन्याय, प्रताड़ना और अपने ऊपर हो रही हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने की योग्यता को विकसित कर सके।

शोध के उद्देश्य :

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन - सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान ही शोधकर्ता को ज्ञान के शिखर तक ले जाता है, जहाँ वह अपने क्षेत्र के नवीन एवं परस्पर विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। वह अन्य विद्वानों का परीक्षण संबंधी कार्य तत्वों, विचारों, सिद्धान्तों सहायक ग्रन्थों एवं उनके मार्ग में आने वाली कठिनाईयों से परिचित होता है। सम्बन्धित साहित्य में पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र-पत्रिकाओं, अभिलेखों तथा पूर्व में सम्पन्न हुए शोध परिणामों को लिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंधित किये गये शोध कार्य निम्नलिखित है - 1. **व्यास, डॉ आशुतोष (2010)** राजस्थान में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन और ठहराव को अधिक महत्व दिया गया तथा उच्च शिक्षा तक आते ही उनमें कमी दिखाई दी। जो समाज निर्माण में आवश्यक है। ग्रामीण व जनजातिय महिलाओं के लिए इसकी

आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

यादव शरद कुमार (2013) - 'भारत में जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की नीतियां' इन्होंने पाया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शिक्षा के प्रति रुझान तभी बढ़ सकता है जब शिक्षा का स्तर जनजाति समाज की पृष्ठभूमि पर केन्द्रित रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण हो। साथ ही इन क्षेत्रों में वंचित बच्चों के लिखने, पढ़ने, सिखने के आनन्दप्रद साधन सुविधाओं को बनाया जाए।

राजस्थान पत्रिका, परिवार (25 जून 2012) गुप्ता मिथिलेश के अनुसार सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए पिछले दिनों राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं का कौशल उन्नयन, उद्यमिता कौशल का विकास, सम्पत्ति सृजन और उच्च शिक्षा में एकजूट करना है ताकि महिलाएँ रोजगार से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू कर सकें।

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता है।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सामान्य है।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होती है।

शोध हेतु न्यादर्श - न्यादर्श का उपयुक्त चयन प्रत्येक शोधकार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, किसी भी शोधकार्य की विश्वसनीयता व वैधता न्यादर्श पर ही आधारित होती है। न्यादर्श के द्वारा किसी बड़े समूह से व्यक्तियों अथवा प्रेक्षणों का उपसमूह प्राप्त किया जाता है और बड़ी समष्टि की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाने के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में कुल 300 प्रयोज्यों का चयन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं का चयन किया गया है।

अनुसंधान की विधियाँ - किसी भी शोधकार्य में अध्ययन विधि का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्ययन विधि अनुसंधान की आधारशिला होती है, इस अध्ययन हेतु निम्नलिखित विधि को लिया गया - सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि।

तथ्य संकलन के उपकरण - किसी भी शोध के लिए आवश्यक है कि विशेष प्रकार के न्यादर्श हेतु विशेष प्रकार का उपकरण निर्मित किया जाए। प्रस्तुत शोध का विषय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, इस संदर्भ में कोई उपयुक्त मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं है, अतः शोध सम्बन्धित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया। शोधकर्त्री द्वारा समस्या से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बाद सम्बन्धित क्षेत्रों का चयन किया गया। इनमें कथनों को पांच विकल्प दिए गए।

प्रश्नावली निर्माण के पश्चात् विषय विशेषज्ञों पर पूर्व प्रशंसित कर कथनों की जाँच की गई। सभी कथनों के उत्तरों की प्राप्ति संतोषजनक थी। इसमें शोधकर्त्री ने अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया।

सर्वप्रथम वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति हेतु अनुपात को

दर्शाया गया-

सारणी

स्रोत	वर्गों का योग	DF	माध्य वर्ग	F	P मूल्य
जाति	332.853	1	332.853	47.636	0.000
शैक्षिक स्तर	205.013	1	205.013	29.340	0.000
जाति x शै. स्तर	46.413	1	46.413	6.642	0.010
त्रुटि योग	2068.267	296	6.987		
	2652.547	299			

उपरोक्त सारणी को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु F अनुपात का मान 47.636 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति में सार्थक अन्तर है। इसी प्रकार वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति के लिए शैक्षिक स्तर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) हेतु F अनुपात का मान 29.340 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। तात्पर्य है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर के वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति में सार्थक अन्तर है।

वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति के लिए जाति एवं शैक्षिक स्तर की अन्तर्क्रिया हेतु F- अनुपात का मान 6.642 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है।

शैक्षिक निहितार्थ - शोध से प्राप्त परिणामों से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए, जिनका यथोचित उपयोग राजस्थान के महाविद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की नामांकन स्थिति को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष :

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति को अनुसूचित जनजाति महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देने हुए पायी गयी।
2. अनुसूचित जाति स्नातक महिलाओं की वर्तमान स्थिति के नामांकन स्थिति को अनुसूचित जाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।
3. अनुसूचित जनजाति स्नातक महिलाओं की वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति को अनुसूचित जनजाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।
4. अनुसूचित जाति स्नातक महिलाओं की वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति को अनुसूचित जनजाति स्नातक महिलाओं की तुलना

में सार्थक अन्तर पाया गया।

5. अनुसूचित जाति स्नातकोत्तर महिलाओं की वर्तमान स्थिति के क्षेत्र नामांकन स्थिति को अनुसूचित जनजाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।

उपसंहार - दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज बहुतायत रूप से निवास करता है। इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, एक सराहनीय कार्य है। क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा ही होता है। इन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था।

प्रस्तुत शोध एक अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन है। प्रस्तुत शोध कार्य शोधकर्त्री का प्रथम प्रयास है, अतः कुछ कमियों का रहना स्वाभाविक है। शोधकर्त्री शोधकार्य के आधार पर कुछ परिणाम निकालने में समर्थ रही, परन्तु यह कार्य विशाल समुद्र में से एक लोटा पानी अलग करने के समान तुच्छ है, फिर भी यह शोध भावी शोध हेतु कुछ उपयोगी बन जाए, ऐसी अभिलाषा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेगकु, शबनम (अप्रैल 1999) : 'भारत में अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ', नवज्योति (त्रैमासिक पत्रिका) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली, अंक-2, खण्ड-XLVIII
2. ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद : 'डूंगरपुर का इतिहास'
3. शर्मा, सी, एल. : 'भील समाज और संस्कृति'।
4. कौर, हरप्रीत (1995) : 'ट्राईबल डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन', शिव पब्लिकेशन, उदयपुर।
5. मीणा, जगदीश चन्द्र (2003) : 'भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन', हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।
6. मिश्र, उमा शंकर एवं तिवारी, प्रभात कुमार (1975) : 'भारतीय आदिवासी', उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, उत्तर प्रदेश।
7. पारीक, सुमन्त (जुलाई-दिसम्बर 2003) : 'जनजाति विकास-नवीन चुनौतियाँ एवं दिशाएँ' (संगोष्ठि रिपोर्ट) 'ट्राईब', माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, अंक 3-4।
8. सिंह, जे.पी. एण्ड व्यास, एन.एन. (1989) : 'ट्राईबल डवलपमेन्ट', हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।
9. उत्प्रेती, हरीश चन्द्र (1993) : 'भारतीय जनजातियाँ', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

माध्यमिक स्तर पर विज्ञान अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकता का अध्ययन

शारदा सालवी *

शोध सारांश – प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य का माध्यमिक स्तर पर विज्ञान अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकता का अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु शोध में न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक विधि द्वारा उदयपुर जिले के माध्यमिक स्तर से कुल 40 विज्ञान अध्यापकों का चयन किया गया है। शोधार्थी ने दत्त संकलन के लिए स्वनिर्मित प्रशिक्षण आवश्यकता प्रमापनी का प्रयोग किया गया है। दत्त संकलन के पश्चात् उनको सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशतता के आधार पर किया गया। निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण विधियाँ, विज्ञान अनुदेशनात्मक/सहायक तंत्र, विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता एवं विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता पाई गई।

शब्द कुंजी – माध्यमिक स्तर, प्रशिक्षण आवश्यकता।

प्रस्तावना – अध्यापक को अपने सम्पूर्ण शैक्षिक जीवन में अपने विषय से सम्बन्धित नूतन विचारों, नई तकनीकियों से अवगत कराने के उद्देश्य से सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम अस्तित्व में आया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि – 'एक अध्यापक तब तक अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता जब तक वह स्वयं अध्ययनशील न हो।' सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल व सुचारु बनाने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित संस्थाओं की स्थापना की गई है।

1. DIET, 2. CTE, 3. IASE, - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बड़े स्तर पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया है एवं उनकी व्यावसायिक क्षमता का विकास किया है। सन् 2010 तक लगभग 500 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रभर में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

सेवारत कार्यक्रम की विषयवस्तु प्रत्येक कार्यक्रम के उद्देश्यों पर निर्भर करती है, जिसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. विद्यालयी विषय
2. शिक्षण विधि एवं अनुसंधान विधि
3. वर्तमान मुद्दे
4. शिक्षक की नई भूमिका

चूंकि विज्ञान शिक्षा प्रक्रिया का एक प्रमुख भाग है, जिसका शिक्षा जगत में अतिमहत्वपूर्ण है, जिस तरह अन्य भाषाओं का। यह संरक्षण, परिवर्तन विज्ञान शिक्षक के द्वारा अच्छी तरह किया जा सकता है। यद्यपि सभी शिक्षा सम्बन्धी आयोगों, शिक्षा-नीतियों ने सेवारत प्रशिक्षण का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया है, परन्तु वह उल्लेख सभी विषयों के अध्यापकों के लिए आदर्श रूप में है। अतः उन्हीं उल्लेखों को आधार बनाकर सेवारत विज्ञान अध्यापकों को भी प्रशिक्षण कर दक्ष बनाने की आवश्यकता है, किन्तु यह प्रशिक्षण क्या उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है? यह एक शोध आलेख का विषय है।

उद्देश्य –

- विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक

अध्ययन

- विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- विज्ञान अनुदेशनात्मक सहायक तंत्र/सहायक सामग्री में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- विज्ञान कक्षाकक्ष, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन।

प्राकल्पनाएँ –

- विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- विज्ञान अनुदेशनात्मक सहायक तंत्र/सहायक सामग्री में प्रशिक्षण आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- विज्ञान कक्षाकक्ष, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण आवश्यकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान का विधिशास्त्र –

- प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।
- स्वनिर्मित प्रशिक्षण आवश्यकता प्रमापनी का प्रयोग किया गया।
- अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श स्वरूप कुल 40 विज्ञान अध्यापकों का चयन सोउद्देश्य विधि से किया गया है जिसमें 20 राजकीय व 20 निजी अध्यापक लिए गए हैं।
- संकलित दत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी प्रतिशतता का प्रयोग किया गया है।

सारणीयन एवं विश्लेषण -

सारणी संख्या 1

विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	राजकीय विद्यालय	70	75.5
2.	निजी विद्यालय	75.5	62.5

विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राजकीय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 70 व 75.5 अथवा निजी विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 75.5 व 62.5 है। निष्कर्षतः विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् पुरुष को निजी विद्यालय में कार्यरत् पुरुष की आवश्यकता अधिक है। विज्ञान शिक्षण विधियाँ में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् महिला को निजी विद्यालय में कार्यरत् महिला की आवश्यकता कम है।

सारणी संख्या 2

विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	राजकीय विद्यालय	70.83	54.58
2.	निजी विद्यालय	57.08	57.50

विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राजकीय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 70.83 व 54.58 अथवा निजी विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 57.08 व 57.50 है। निष्कर्षतः विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् पुरुष को निजी विद्यालय में कार्यरत् पुरुष की आवश्यकता अधिक है। विज्ञान शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् महिला को निजी विद्यालय में कार्यरत् महिला की आवश्यकता कम है।

सारणी संख्या 3

विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	राजकीय विद्यालय	80.00	76.50
2.	निजी विद्यालय	82.50	38.00

विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राजकीय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 80.00 व 76.50 अथवा निजी विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 82.50 व 38.00 है। निष्कर्षतः विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् पुरुष को निजी विद्यालय में कार्यरत् पुरुष की आवश्यकता अधिक है। विज्ञान सम्प्रत्यात्मक दक्षता में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् महिला को निजी विद्यालय में कार्यरत् महिला की आवश्यकता कम है।

सारणी संख्या 4

विज्ञान अनुदेशनात्मक/सहायक तंत्र में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	राजकीय विद्यालय	75.00	70.50
2.	निजी विद्यालय	70.00	69.00

विज्ञान अनुदेशनात्मक/सहायक तंत्र में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राजकीय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 75.00 व 70.50 अथवा निजी विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 70.00 व 69.00 है। निष्कर्षतः विज्ञान अनुदेशनात्मक/सहायक तंत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् पुरुष को निजी विद्यालय में कार्यरत् पुरुष की आवश्यकता अधिक है। विज्ञान अनुदेशनात्मक/सहायक तंत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् महिला को निजी विद्यालय में कार्यरत् महिला की आवश्यकता कम है।

सारणी संख्या 5

विज्ञान कक्षाकक्ष पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	राजकीय विद्यालय	71.43	79.28
2.	निजी विद्यालय	78.57	66.42

विज्ञान कक्षाकक्ष पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण आवश्यकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर राजकीय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 71.00 व 79.28 अथवा निजी विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षक का प्रतिशत 78.57 व 66.42 है। निष्कर्षतः विज्ञान कक्षाकक्ष पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् पुरुष को निजी विद्यालय में कार्यरत् पुरुष की आवश्यकता अधिक है। विज्ञान कक्षाकक्ष पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला के आयोजन/प्रबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता राजकीय विद्यालय में कार्यरत् महिला को निजी विद्यालय में कार्यरत् महिला की आवश्यकता कम है।

वर्तमान में प्रासंगिकता - प्रस्तुत आलेख के माध्यम से माध्यमिक स्तर के विज्ञान विषय के अध्यापकों के प्रशिक्षण आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकेगी तथा उनके शैक्षिक परिणामों में वृद्धि की जा सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Anastasi, Anne (1976) - Psychological Testing, New York, Mac Millan Publishing Co. Inc.
2. A. E. Wool Folk - "Educational Psychology ; Ally and Baco", Vith E.d Boston London.
3. Best, J.W. - "Research in Education", New Delhi, Prentice Hall of India (Pvt.) Ltd.
4. Borg W.R. - "Education Researches on Introduction", New York, Longman Green & Co. Ltd.
5. Chopra, Deepak (2004) - Seven spiritual laws of success, thurmson Press, Delhi
6. Crow and Crow (1968) - Child development and adjustment, New York, The McMillion Co.
7. Cocher, W.G. - "Sampling Technique", Bobay, Publishing House.
8. C. V. Good - "The Methodology of Education

- Research AAppleton centaury crofts”, Inc. New york.
9. Carter V. Good, Bar and Douglas E. Scats “Method of Research- Educational psychological Sociological” New York: Appleton Century. Inc.
 10. Garett, Hanery E. & Woodworth, R.S-“Statistics in Psychology & Education” Bombay, Vikas Feffer & Simons Ltd.
 11. Good, Carter V., Bar and Scates Douglas E.-“Method of Research-Educational Psychological Sociological” New York : Appleton Century, Inc.

महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन की तुलनात्मक समीक्षा

वर्षा मेहन्दीरता *

शोध सारांश – स्वामी दयानन्द सरस्वती और विवेकानन्द वैदिक विद्या के महान् विद्वान थे और 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान हिन्दुत्व के पुनरुत्थान में संस्कृत भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। दोनों ही भारत के अग्रदूत हैं, दोनों ही यह विश्वास रखने वाले थे कि शिक्षा मानव निर्माता, जीवन प्रदान करने वाली तथा चरित्र निर्माता होनी चाहिए। ये दोनों नेतृत्व करने वालों ने भारत में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा का उद्देश्य गरीब भारतीय जनता को सुधारने से है। उन्हें गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए शैक्षणिक अवसरों के लिए बुलाया गया था। स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता को ढूँढना है। उन्होंने भी स्वामी दयानन्द सरस्वती की तरह तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है।

शब्द कुंजी – शिक्षा दर्शन, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तावना – स्वामी विवेकानन्द इस युग के पहले भारतीय हैं, जिन्होंने हमें हमारे देश की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देशों की भौतिक श्रेष्ठता से परिचित कराया है और हमें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए सचेत किया। इन्होंने उद्घोष किया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और शिक्षा द्वारा हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सक्षम करो, उसे स्वावलम्बी बनाओ, निर्भर बनाओ, स्वाभिमान बनाओ और इन सबसे ऊपर एक सच्चा मनुष्य बनाओ जो मानव सेवा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में सफल हो। इन्होंने अपने दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों को मूर्तरूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, देश-विदेश में उसकी शाखाएँ खोली और उनके द्वारा जनसेवा एवं जनशिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने देश के निर्बल एवं उपेक्षित व्यक्तियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। परन्तु रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित संस्थाएँ न के बराबर हैं और जो हैं उनमें अब कोई नयापन नहीं रह गया है। जिन उद्देश्यों को सामने रखकर उनकी स्थापना की गई थी उनके लिए संयमी एवं त्यागी शिक्षकों की आवश्यकता है।

स्वामी जी के बारे में पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी के विचार उद्धरणिय हैं। एक स्थापना में उन्होंने लिखा है, 'भारत के अतीत में सरल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जी के जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था और ये भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे।'

जबकि महर्षि दयानन्द सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक और राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचारक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। परन्तु इन सब कार्य के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये थे, इसलिए ये शिक्षाशास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। दयानन्द जी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के सबसे बड़े समर्थक थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द जी सरस्वती वेदों के प्रकाण्ड पण्डित, असाधारण धर्मोपदेशक तथा महान समाज सुधारक थे। स्वामी दयानन्द वैदिक शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रसार तथा जीवनोन्नति के महान प्रवर्तक एवं मार्गदर्शक थे।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की समाज में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण मानते थे। वे पुरुष के साथ नारी की समानता का पूर्ण समर्थन करते हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज की हीनावस्था का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस समाज में नारी का सम्मान पूर्ण स्थान नहीं रह गया है। वे नारी और पुरुष के अधिकारों की पूर्ण समानता, स्वीकार करते हैं पर दोनों के कार्यक्षेत्रों का विभाजन भी मानते हैं।

शोध विधि – दार्शनिक शोध विधि।

शोध के उद्देश्य :

1. स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द के विचारानुसार शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करना।
2. स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द के शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना।
3. स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द के शिक्षा सिद्धान्तों का अध्ययन करना।
4. स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि में उनके शिक्षा दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

शिक्षा दर्शन – महर्षि दयानन्द और विवेकानन्द दोनों का झुकाव भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिकता की ओर रहा है। महर्षि दयानन्द ने बड़े प्रयत्न पूर्वक वेदों के लुप्त ज्ञान को प्रतिस्थापित किया था। उनका जीवन दर्शन वेदमूलक है, जबकि स्वामी विवेकानन्द ने शंकराचार्य द्वारा प्रचारित वेदान्त को ही जीवन दर्शन स्वीकार किया। वे उपनिषदों को ही वेदों का ज्ञान मानकर संतुष्ट थे, जबकि महर्षि दयानन्द ने वेद जैसे ज्ञानरूपी महान समुद्र का मंथन करके उसमें से शिक्षा, धर्म, सामाजिक मूल्य तथा ज्ञान-विज्ञान के रत्न निकाले थे। स्वामी विवेकानन्द आध्यात्म ज्ञान का आधार मन में मानते थे। जबकि महर्षि दयानन्द का आध्यात्म आत्मा से आरम्भ होता है। केवल ज्ञान डिग्रियों से कुछ नहीं होता जबकि अर्जित किया हुआ सकारात्मक ज्ञान उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व का अंग नहीं बनता। शिक्षा का उद्देश्य जीवन संघर्षों में हँसते हुए आध्यात्मिक और सामाजिक मोक्ष को प्राप्त करना है। दोनों ही विद्वानों ने प्रचलित, कलुपित शिक्षा की घोर निन्दा की है। स्वामी

दयानन्द पश्चिमी शिक्षा तथा पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताओं से सहमत नहीं थे जबकि स्वामी विवेकानन्द का दृष्टिकोण यह था कि पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन किया जाए। औद्योगिक वैज्ञानिक व्यावसायिक तथा स्वरोजगार में सहायक शिक्षा प्रदान की जाए जो उनका वस्तुतः व्यापक दृष्टिकोण था।

शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त – स्वामी विवेकानन्द तथा दयानन्द के शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों में पूर्णतः समानता देखने को मिलती है। स्वामी दयानन्द पुस्तकों के अध्ययन को ही शिक्षा नहीं मानते। वे मानते हैं कि धर्मात्मा होने के लिए संस्कारों को जितनी आवश्यकता है उतनी शिक्षा की नहीं। उन्होंने कहा है, 'जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं रखते और वह धर्माचरण करना चाहे तो विद्वानों के संग और अपनी आत्मा की पवित्रता और अविखण्डता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है क्योंकि सब मनुष्यों का विद्वान होना तो संभव ही नहीं परन्तु धार्मिक होना सबके लिए सम्भव है।'

विद्वान होना तो संभव नहीं, परन्तु जो धर्मात्मा होना चाहे, तो सभी हो सकते हैं। अविद्वान लोग दूसरे धर्म में निश्चय नहीं करा सकते और विद्वान लोग धार्मिक होकर अनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं और कोई धूर्त मनुष्य अविद्वान होकर दूसरों को बहकाकर के अधर्म में प्रवृत्त कर सकता है, परन्तु विद्वान को अधर्म में कभी नहीं चला सकता।

इसके अतिरिक्त दोनों ही विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सार्थक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित्तता, इन्द्रियों का निग्रह तथा ब्रह्मचर्य की नितान्त आवश्यकता है। इसी से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। आत्म नियंत्रण के लिए मन, वचन, कर्म एक होना चाहिए। त्याग, आचरण, संस्कार की महत्ता पर दोनों ही विद्वानों की मान्यताएँ समान हैं। स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए महर्षि ने पूर्ण सामाजीकरण के लिए आवश्यक बताया है। विवेकानन्द का शैक्षिक दृष्टिकोण जटिल समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त व्यापक है। यद्यपि महर्षि दयानन्द ने भी संस्कृत अंग्रेजी तथा ज्ञान-विज्ञान पढ़ने का निर्देश दिया है। महर्षि ने पठनीय और अपठनीय साहित्य का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया।

शिक्षा के उद्देश्य – स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द दोनों ही संयासियों ने शिक्षाशास्त्री के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास समान रूप से निर्धारित किया है इसलिए महर्षि दयानन्द ने नैतिक (धार्मिक) शिक्षा, प्राणायाम, व्यायाम आदि यौगिक क्रियाओं का विशेष निर्देश दिया है। चरित्र का संगठन इन्हीं गुणों से संभव हो सकता है। चरित्र के विकास में महर्षि दयानन्द ने जिस ब्रह्म की अनिवार्यता पर बल दिया उसी को विवेकानन्द जी ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए मन, वचन, कर्म, एकता दोनों ही महापुरुषों ने प्रतिपादित की है। स्वामी विवेकानन्द अपने व्याख्यानों में उपनिषद् का यह वाक्य बार-बार दोहराया करते थे :

'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्यबोधत।'

जिसका अर्थ है उठो, जागो और आगे बढ़ो, जब तक जन्म उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाये।

स्वामी दयानन्द इसी मन्तव्य के आधार पर यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के इस मंत्र का विशेष रूप से उद्धोधन ब्रह्मचारियों को प्रदान करते हैं।

'कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।'

अर्थात् सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा करो।

स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द संसार की विभिन्नता में एकता (एक परमात्मा, जगत सृष्टा) की खोज करने का संदेश भी अपने ग्रन्थों में प्रदान करते हैं।

धर्म के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितने सुन्दर ढंग से महर्षि दयानन्द ने किया है, वह अपने में निर्विवाद और शाश्वत रूप से सत्य है। धर्म के दस लक्षण तथा तीन स्कन्धों का मनुस्मृति के आधार पर निर्देश करते हुए स्वामी दयानन्द ने कहा है कि विद्यार्थी को अपना जीवन इन्हीं मूल्यों के आधार पर ढालना चाहिए। धर्म के लक्षणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है –

'श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्यचप्रियमात्मनः

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात्धर्मस्य लक्षणम्।'

अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार अपने आत्मा में प्रियता ही साक्षात् धर्म के लक्षण होते हैं।

निष्कर्ष – स्वामी विवेकानन्द की नस-नस में भारतीयता तथा आध्यात्मिकता कूट-कूट कर भरी हुई थी। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार ही भारतीय वेदांत तथा उपनिषद् ही रहे हैं। महर्षि दयानन्द और विवेकानन्द दोनों का झुकाव भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिकता की ओर रहा है। दयानन्द का जीवन दर्शन वेदमूलक है जबकि स्वामी शंकराचार्य द्वारा प्रचारित ब्रह्म वेदान्त को जीवन दर्शन स्वीकार किया। स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द के शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों में पूर्णतः समानता देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द दोनों ही संयासियों ने शिक्षाशास्त्री के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास समान रूप से निर्धारित किया है। मन, वचन, कर्म की एकता दोनों ही महापुरुषों ने प्रतिपादित की है। स्वामी विवेकानन्द और दयानन्द संसार की विभिन्नता में एकता की खोज करने का संदेश भी अपने ग्रन्थों में प्रदान कर रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मजूमदार, श्री सत्येन्द्रनाथ – विवेकानन्द चरित्र, रामकृष्ण मठ, नागरपुर, 2001.
2. मिश्र, आत्मानन्द – भारतीय शिक्षा के प्रवर्तक।
3. विवेकानन्द, स्वामी – कर्मयोग, रामकृष्ण मठ, धन्तोली, नागपुर, 2000.
4. विवेकानन्द, स्वामी – भक्तियोग, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2005.
5. दयानन्द, स्वामी; सत्यार्थ प्रकाश।
6. मल्होत्रा, शान्ता; स्वामी दयानन्द सरस्वती के राजनीतिक विचार, के.के. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001.
7. चौधरी, एस.के.; ग्रेट पॉलिटिकल विचारक स्वामी दयानन्द सरस्वती, सोनाली पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008.
8. उपाध्याय, गंगा प्रसाद; फिलासफी ऑफ दयानन्द, इलाहाबाद, गंगा ज्ञान मंदिर, 1955.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आने वाली समस्याओं का अध्ययन

डॉ. सरोज गर्ग * हर्षलता पण्ड्या**

शोध सारांश - 'शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए इस कार्य को किए बिना शिक्षा निर्धन एवं अपूर्ण है।'

राजस्थान में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या से अनुपात 2011 में सर्वाधिक बांसवाड़ा 76.40 प्रतिशत, डूंगरपुर 70.80 प्रतिशत तथा प्रतापगढ़ में 55.46 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान का समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। इन जिलों में अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, जो कि सराहनीय कार्य है। क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा ही होता है। इन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, शिक्षण संस्थानों का दूर होना आदि समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। प्रस्तुत शोध में दक्षिणी राजस्थान के 300 प्रयोज्यों का चयन किया गया जिसे सर्वेक्षण विधि एवं साक्षात्कार विधि प्रमुख आधारशिला रही। शोध सम्बन्धित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। वर्तमान स्थिति के सभी क्षेत्रों को अलग अलग तालिकाओं में दर्शाया गया। जिसमें परिणाम प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जाति स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाओं की वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जनजाति स्नातक एवं स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध एक अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन है। यह शोध भावी शोध हेतु कुछ उपयोगी बन जाए, ऐसी अभिलाषा है।

प्रस्तावना - स्वामी विवेकानन्द के अनुसार 'व्यक्ति की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।' अर्थात् शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हमें अन्धकार, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा अज्ञान से मुक्ति दिलाती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियों को जागृत करना और सशक्त बनाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। श्री अरविन्द ने कहा है- 'अन्तर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है।'

राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ सुरम्य पहाडियाँ एवं वनवासी मैदान स्थित हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में गुजरात राज्य की सीमा में लगी हुयी है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। पहले जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण और दूसरे को उनके भौगोलिक अलगाव सांस्कृतिक अन्तरों तथा मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने हासिए पर कर दिया। डॉ. डी. आर मजूमदार (1958) के अनुसार- 'जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह व्यवसाय के विषय में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।'

एनसाईक्लोपीडिया और सोशियोलोजी के अनुसार - 'प्रकाश में अस्पृश्य जातियों को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है यथा अछूत, अंत्यज, दलितवर्ग, बाह्यजातियाँ, हरिजन आदि।'

सामाजिक, तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों के उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए सन् 1935 के विधान में ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गयी। जिन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा।

भारतीय संविधान की धाराओं 15 (4), 45 और 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गयी है।

धारा 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दे। धारा 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षिक हितों का विशेष प्रावधानों के जरिये ध्यान रखने के विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाती है। इन सबके बावजूद भी देश में महिला शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है। परिवार एवं समाज का संपूर्ण विकास, बच्चों के चरित्र निर्माण बढ़ती जनसंख्या की रोक आदि के लिए महिलाओं की समुचित शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। महिलाएं परिवार एवं समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ महिला शिक्षा स्वरूप अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, महिला शिक्षा के पिछडने का प्रमुख कारण माताओं में निम्न साक्षरता अथवा सीमित शिक्षा तक पहुँच का होना पाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक विषमता, दरिद्रता, घरेलू काम धन्धे, काम की अयोग्यता, बालविवाह, पुरुष प्रताडन अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, पढ़ाई में मार्गदर्शन न मिलना,

अन्य लोगों के साथ समायोजन की समस्या एवं सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षण संस्थाओं का वातावरण अनुकूल न होना आदि।

वर्तमान में महिलाओं में शैक्षिक उन्नति करके उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व विकास एवं स्वयं निर्णय क्षमता विकसित करने का प्रयास शुरू किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं का समाज के उच्च स्तर के लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन करने में सक्षम बनाना, उसके लिए उचित योजना सरकार द्वारा होनी चाहिए।

महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। उनके लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। उनके परिवेश में आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा तंत्र, व्यवसाय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवायी जाये। उनके शैक्षिक कठिनाई दूर करने की दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था करवायी जाये तथा सृजनशील एवं संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास क्रम तैयार करवाए जाए।

शोध के उद्देश्य :

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन - सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान ही शोधकर्ता को ज्ञान के शिखर तक ले जाता है। जहाँ वह अपने क्षेत्र के नवीन एवं परस्पर विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। वह अन्य विद्वानों का परीक्षण सम्बन्धी कार्य, तत्वों, विचारों, सिद्धान्तों, सहायक ग्रन्थों एवं उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से परिचित होता है। सम्बन्धित साहित्य में पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र-पत्रिकाओं, अभिलेखों तथा पूर्व में सम्पन्न हुए शोध परिणामों को लिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की शिक्षा समस्याओं सम्बन्धित किये गये शोध कार्य निम्नलिखित हैं -

दशोरा, राकेश (1999) ने जनजातिय उपयोगना क्षेत्र में शिक्षा में एवं स्नातक शिक्षा में अध्ययनरत जनजातिय विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन किया। तथा उनके अनुसार क्षमताओं, रूचियों तथा अभिमत के आधार पर विद्यालयों में अपेक्षित साधन सुविधाएँ सीमित हैं, शिक्षा विकास में मूलभूत शैक्षिक सुविधाएँ जनजातिय छात्रों के लिए होनी चाहिए जो कि सरकार से अपेक्षित है।

पत्र-पत्रिकाएँ-निशीथ, राकेश शर्मा (मार्च 2007) भारत में महिला शिक्षा एक परिदृश्य, प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी मासिक) उपकार प्रकाशन, आगरा-लेख के अनुसार प्राचीनकाल में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी थी। मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद नारी की स्थिति सोचनीय हो गयी। वर्तमान में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ है तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा स्तर पर आने वाली समस्याओं में कोई अन्तर नहीं होता है।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सामान्य है।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होती है।

शोध हेतु न्यादर्श - न्यादर्श का उपयुक्त चयन प्रत्येक शोधकार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, किसी भी शोधकार्य की विश्वसनीयता व वैधता न्यादर्श पर ही आधारित होती है। न्यादर्श के द्वारा किसी बड़े समूह से व्यक्तियों अथवा प्रेक्षणों का उपसमूह प्राप्त किया जाता है और बड़ी समष्टि की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाने के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में कुल 300 प्रयोज्यों का चयन दक्षिणी राजस्थान के इंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं का चयन किया गया है।

अनुसंधान की विधियाँ - किसी भी शोधकार्य में अध्ययन विधि का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्ययन विधि अनुसंधान की आधारशिला होती है, इस अध्ययन हेतु निम्नलिखित विधि को लिया गया - सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि।

तथ्य संकलन के उपकरण - किसी भी शोध के लिए आवश्यक है कि विशेष प्रकार के न्यादर्श हेतु विशेष प्रकार का उपकरण निर्मित किया जाये। प्रस्तुत शोध का विषय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, इस संदर्भ में कोई उपयुक्त मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं है। अतः शोध सम्बन्धित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया। शोधकर्त्री द्वारा समस्या से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बाद सम्बन्धित क्षेत्रों का चयन किया गया। इनमें कथनों को पांच विकल्प दिए गए।

प्रश्नावली निर्माण के पश्चात् विषय विशेषज्ञों पर पूर्व प्रशंसित कर कथनों की जाँच की गई। सभी कथनों के उत्तरों की प्राप्ति संतोषजनक थी। इसमें शोधकर्त्री ने अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया।

सर्वप्रथम समस्याओं के प्रथम क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं हेतु **F- अनुपात को दर्शाया गया है -**

सारणी

स्रोत	वर्गों का योग	DF	माध्य वर्ग	F	P मूल्य
जाति	7066.453	1	7066.453	40.239	0.000
शैक्षिक स्तर	7480.013	1	7480.013	42.594	0.000
जाति x शै. स्तर	800.333	1	800.333	4.557	0.034
योग	67328.347	299			

उपरोक्त सारणी को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि समस्याओं के प्रथम क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु F- अनुपात का मान 40.239 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है।

तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समस्याओं के प्रथम क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं में सार्थक अन्तर है। इसी प्रकार समस्याओं के प्रथम क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं के लिए शैक्षिक स्तर स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु F अनुपात का मान 42.594 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। तात्पर्य है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्याओं के प्रथम क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं में सार्थक अन्तर है। समस्याओं के प्रथम

क्षेत्र व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जाति एवं शैक्षिक स्तर की अर्न्तक्रिया हेतु F- अनुपात का मान 4.557 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है।

निष्कर्ष :

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को अनुसूचित जनजाति महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देते हुए पायी गयी।
2. अनुसूचित जाति स्नातक महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को अनुसूचित जाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।
3. अनुसूचित जनजाति स्नातक महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को अनुसूचित जनजाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।
4. अनुसूचित जाति स्नातक महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को अनुसूचित जनजाति स्नातक महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।
5. अनुसूचित जाति स्नातकोत्तर महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को अनुसूचित जनजाति स्नातकोत्तर महिलाओं की तुलना में सार्थक अन्तर पाया गया।

उपसंहार – दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज बहुतायत रूप से निवास करता है। इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, एक सराहनीय कार्य है। क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा ही होता है। इन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था।

प्रस्तुत शोध एक अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन है। प्रस्तुत शोध कार्य शोधकर्त्री का प्रथम प्रयास है, अतः कुछ कमियों का रहना स्वाभाविक है। शोधकर्त्री शोधकार्य के आधार पर कुछ परिणाम निकालने में समर्थ रही, परन्तु यह कार्य विशाल समुद्र में से एक लोटा पानी अलग करने के समान तुच्छ है, फिर भी यह शोध भावी शोध हेतु कुछ उपयोगी बन जाए, ऐसी अभिलाषा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेगकु, शबनम (अप्रैल 1999) : 'भारत में अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ', नवज्योति (त्रैमासिक पत्रिका) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली, अंक-2, खण्ड-XLVII
2. ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद : 'डूंगरपुर का इतिहास'
3. शर्मा, सी.एल. : 'भील समाज और संस्कृति'।
4. कौर, हरप्रीत (1995) : 'ट्राईबल डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन', शिव पब्लिकेशन, उदयपुर।
5. मीणा, जगदीश चन्द्र (2003) : 'भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन', हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।
6. मिश्र, उमा शंकर एवं तिवारी, प्रभात कुमार (1975) : 'भारतीय आदिवासी', उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, उत्तर प्रदेश।
7. पारीक, सुमन्त (जुलाई-दिसम्बर 2003) : 'जनजाति विकास-नवीन चुनौतियाँ एवं दिशाएँ' (संगोष्ठि रिपोर्ट) 'ट्राईब', माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, अंक 3-4।
8. सिंह, जेपी.एण्ड व्यास, एनएन. (1989) : 'ट्राईबल डवलपमेन्ट', हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।
9. उत्प्रेती, हरीश चन्द्र (1993) : 'भारतीय जनजातियाँ', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

माध्यमिक स्तर के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य स्कूली छात्रों के आत्म अवधारणा , आकांक्षा और अकादमिक उपलब्धि का एक अध्ययन (भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में)

ममता झरबडे * डॉ. अनामिका सरकार **

प्रस्तावना - वर्तमान युग प्रतिद्वंद्विता और उपलब्धियों का समय है, इन पंक्तियों के साथ निर्देशों को उच्चतम कार्य करने के लिए कमजोरियों को प्रेरित करने और विशेष रूप से प्रशिक्षण के वैकल्पिक चरण में उनके अधिकांश कार्यों में उचित इच्छा रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। कमियों को उनकी क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है, विभिन्न मुद्दों में आत्म विचारशीलता रखने के लिए और क्या है। यह इस प्रकार बुनियादी है कि पूर्व वयस्क अनुदेश के सहायक स्तर ने एक आत्म विचार बनाया है, जिससे वह अपने अभ्यास की पूरी तरह से खेलता है स्वयं की इस जानकारी के लिए समझौता यह बहुत स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अपने आत्म को जानकर एक तरह का निर्माण करता है। आत्म-विचार से, जिससे वह उच्चतम कार्य करने के लिए समझने के लिए समझदार तरीके पैदा करता है और अपनी कोशिशों में अन्य उम्मीदों को पार करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की व्यवस्था पूरी तरह से पहचान की प्रगति पर अधिक उच्चारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह शिक्षा के वैकल्पिक चरण में प्रशिक्षण के इस बिंदु पर विचार करना स्कूल की समझ के बीच आत्म विचार को समर्थन और निर्माण पर रखा जाना है। ऑलपोर्ट (1961) ने आत्म-विचार को चित्रित किया है, 'स्वयं कुछ ऐसा है, जिसमें हम तुरंत ध्यान रखते हैं, हम इसे अपने जीवन के गर्म, फोकल निजी लोकल मानते हैं, उस क्षमता में इसका हमारे संज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (एक विचार हमारी पहचान के एक हिस्से के रूप में और हमारे जीवन रूप में एक पहचान (पहचान से अधिक व्यापक विचार) इसलिए यह हमारे अस्तित्व में कुछ प्रकार का केंद्र है। 'कॉम्ब्स और सिन्ग (1964) स्वयं के विचार को दर्शाते हैं, 'व्यक्ति का खुद की पहचान या परिप्रेक्ष्य। 'यह माना जा सकता है कि व्यक्ति पूरी तरह से 'मैं' या 'मुझे' कह सकता है। यह उन मान्यताओं, दृढ़ताओं, भावनाओं, मानसिकताओं और गुणों को दर्शाता है जो व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य स्वयं के हिस्से या गुण के रूप में है, यह व्यक्ति की पहचान या दृष्टिकोण को खुद के बारे में दर्शाता है। यह अपनी शारीरिक क्षमताओं, उपस्थिति के बारे में व्यक्तिगत विचार-विमर्श और आकलन शामिल करता है, विद्वान सीमा, सामाजिक क्षमताओं, मानसिक आत्म चित्र, निडरता, गर्व की भावना और आत्मनिर्भरता। हमें एहसास है कि आत्म-विचार न केवल उन उद्देश्यों के प्रकार का निर्णय लेता है, जो एक कमजोर पड़ने के लिए उपयुक्त हैं, फिर भी उनके लक्ष्य का स्तर है, वार्षिक अवधि का शब्द पहली बार हाँपे में जर्मन चिकित्सक द्वारा उपयोग

किया जाता था। ग्रह पर विशिष्ट असाइनमेंट हैं, कि विविध कमियों को करते हैं, या विशिष्ट विशिष्टताएं हैं को वे करना चाहता है। मानक जो उन्हें किसी भी त्रुटि में पूरा करने की आवश्यकता है, वहां चिकित्सकों द्वारा स्तर के रूप में चित्रित किया गया है। लक्ष्य का सादा (1935) की इच्छा के स्तर की विशेषता है, 'एक सामान्य असाइनमेंट में भावी निष्पादन का स्तर जो एक व्यक्ति, उस त्रुटि में पिछले निष्पादन के अपने स्तर को जानना, स्पष्ट रूप से पहुंचने का प्रयास करता है।'गार्डनर (1940) 'उत्सुकता का स्तर वास्तव में मात्रात्मक विचार के रूप में विशेष है, जिसमें दो अनिवार्यताएं हैं कि विषय अपने अंक के कुछ खुले संकेत देते हैं और वह मात्रात्मक शर्तों से इसे बनाता है।' हर्लॉक (1967) ने इसे 'एक के लिए दर्दनाक स्तर के रूप में वर्णित किया है, जैसा कि यह लक्ष्य था, कि एक व्यक्ति अपने लिए एक असाइनमेंट का मतलब सेट करता है, जिसमें उसके लिए अत्यधिक व्यक्तिगत गड़बड़ी होती है या जिसमें वह स्वयं की भावना शामिल है।' विद्वानों की उपलब्धि स्कूल के विषयों में प्राप्त सीखने और योग्यता सीखने के लिए दर्शाती है। इन पंक्तियों के साथ, विद्वानों की उपलब्धि के संबंध में शैक्षिक विषयों में अल्पसंख्यक विषयों की कमी का तात्पर्य जहां तक भी क्षमता प्राप्त करने या कौशल के स्कूल का स्तर आम तौर पर राज्य प्रशासित परीक्षणों द्वारा अनुमानित है और विद्यार्थियों के निष्पादन पर निर्भर मूल्यांकन या इकाइयों में संचारित है।

सिन्हा (1970) ने इसे 'कमजोरियों के रूप में स्पष्ट किया है, जिनका शैक्षिक निष्पादन चरित्र में प्रचलित है क्योंकि उच्च स्तर की छात्रों को प्रभावी आवेदकों के रूप में लिया जाता है। फिर, जो समझते हैं कि पिछली परीक्षा में कम और डिवीजन प्राप्त करने वाले लोगों को माना जाता है, जो लोग हैं अपनी गलत उपलब्धियों' जैसा कि हम महसूस करते हैं कि हमारे देश ने लंबे समय से बुनियादी निर्देशों के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है कि शारीरिक रूप से परीक्षण की गहन कमी (जिसमें कुल 10 प्रतिशत शामिल जनसंख्या है) को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। यह लक्ष्य भी बनाने के लिए सत्य ही एक महत्वपूर्ण और मौलिक हिस्सा हैं। उनके विद्वानों की उपलब्धि में सबसे जरूरी नौकरी एक शिक्षक द्वारा निभाई जाती है। जानने के बाद एक शिक्षक आत्म-विचार, इच्छा का स्तर और शारीरिक रूप से परीक्षण की समझ की विद्वानों की उपलब्धि, कर सकते हैं इस सभा के प्रति अपनी दिखावट प्रणाली और मानसिकता को बदलें, लक्ष्य

* ए.एस.ई. कॉलेज भोपाल, सतत् शिक्षा और विस्तार विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** ए.एस.ई. कॉलेज भोपाल, सतत् शिक्षा और विस्तार विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

के साथ कि हम महान शैक्षिक हो जाएंगे परिणाम है। यह हमारे देश में सार्वभौमिक निर्देश के साथ हमें सहायता करेगा। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रेरित साधारण युवा कर सकते हैं। इस समूह की ओर अपनी शिक्षण पद्धतियों और दृष्टिकोण को बदलें, ताकि हम अच्छे अकादमिक परिणाम दे सकें इससे हमें अपने देश में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में मदद मिलेगी।

1. आत्म-विचार, इच्छा का स्तर और शारीरिक रूप से परीक्षण की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में सोचने के लिए अडियल रवैया।
2. स्वयं के वास्तविक आत्म माप पर शारीरिक रूप से परीक्षण और विशिष्ट वैकल्पिक स्कूल की समझ को देखने के लिए विचार।
3. स्वयं के पूर्ण आत्म माप पर शारीरिक रूप से परीक्षण और सामान्य सहायक स्कूल की समझ के बारे में सोचने के लिए विचार।
4. लक्ष्य के स्तर पर शारीरिक रूप से परीक्षण और सामान्य वैकल्पिक स्कूल की कमी को देखने के लिए।
5. शैक्षिक परीक्षण पर शारीरिक रूप से परीक्षण और विशिष्ट वैकल्पिक स्कूल की समझ के बारे में सोचने के लिए।

रणनीति और विधि – इस जांच का उद्देश्य शारीरिक रूप से परीक्षण और सामान्य वैकल्पिक स्कूल की समझ का विश्लेषण करना था।

आत्म-विचार, उत्सुकता और विद्वानों की उपलब्धि का स्तर। इस प्रकार, अनुसंधान के लिए चित्रकारी रणनीति का उपयोग किया।

नमूना – इस परीक्षा का उदाहरण भोपाल क्षेत्र के 90 वैकल्पिक स्कूलों से एकत्र किया गया था। परीक्षण जिसमें 300 कमजोरियां शामिल हैं।

छात्रों को जिला भोपाल से चुना गया था। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की पहचान की गई जानबूझ कर नमूनाकरण का उपयोग कर विभिन्न माध्यमिक विद्यालय संस्थानों के कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विवेचना की गई है।

उपकरण का इस्तेमाल किया गया :

1. शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की आत्म-अवधारणा के माप के लिए, सागर और शर्मा की आत्म अवधारणा सूची प्रशासित की गई थी।
2. शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय की आकांक्षा के स्तर के माप के लिए छात्रों, महेश भार्गव और एमए शाह के आकांक्षा उपकरण का स्तर प्रशासित किया गया था।
3. अकादमिक उपलब्धि को मापने के लिए, 8वीं से 12वीं कक्षाओं में विषयों द्वारा प्राप्त कुल अंक उनकी अकादमिक उपलब्धि के रूप में लिया गया था।

सांख्यिकीय उपचार :

एकत्रित डेटा निम्नलिखित सांख्यिकीय उपचार के अधीन था

मीन (Mean)

एस डी (S.D.)

टी परीक्षण (T-test)

डेटा का विश्लेषण और व्याख्या – प्राप्त करने के लिए उपरोक्त तालिका के निरंतर दिखाता है कि दोनों समूह वास्तविक आयाम पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं आत्म अवधारणा की सूची। गणना की गई टी-वाल्ड (21.75) टैबलेट किए गए टी-वैल्यू (2.5 9) से 0.01 महत्व, जो दर्शाता है कि शारीरिक रूप से चुनौती पूर्ण और सामान्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है आत्म-अवधारणा सूची के वास्तविक प्रवेश पर माध्यमिक विद्यालय के

छात्र। इस प्रकार की पुष्टि से उपर्युक्त तालिका के परिणाम, परिकल्पना जो 'शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय के रूप में पढ़ती है स्कूल के छात्र स्वयं अवधारणा सूची के वास्तविक आत्म आयाम पर काफी भिन्न हैं', स्वीकार किया जाता है। स्व-अवधारणा सूची के आदर्श आत्म आयाम पर सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्र। इस प्रकार से तालिका के परिणामों की पुष्टि, परिकल्पना जो 'शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और के रूप में पढ़ती है सामान्य स्कूली छात्रों की अवधारणा के रूप में होती है। सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्र आत्म-अवधारणा सूची के आदर्श आत्म आयाम पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं' यह स्वीकार किया जाता है। तालिका 2.0 शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय की औसत तुलना दिखाता है आकांक्षाओं के स्तर पर छात्रों की गणना की गई। टी-वैल्यू (4.22) टैबलेट टी-वैल्यू (2.5 9) से 0.01 पर अधिक है महत्व का स्तर, जो दर्शाता है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और मीन के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। आकांक्षा के स्तर पर सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्र। इस प्रकार से परिणामों की पुष्टि से उपरोक्त तालिका, परिकल्पना जो 'शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के रूप में पढ़ती है आकांक्षा के स्तर पर काफी भिन्नता है', स्वीकार किया जाता है। तालिका के बारे में पता चलता है कि दोनों समूह अकादमिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। गणना की गई टी-वैल्यू (8.86) टैबलेट किए गए टी-वैल्यू (2.5 9) से 0.01 स्तर पर महत्व से अधिक है, जो दर्शाता है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। अकादमिक उपलब्धि पर छात्र। इस प्रकार उपर्युक्त तालिका के परिणामों की पुष्टि से, परिकल्पना जो पढ़ती है, 'शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामान्य माध्यमिक विद्यालय के छात्र अलग-अलग होते हैं। अकादमिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण, स्वीकार किया जाता है।'

अंत – इस जांच में, यह पता चला कि वैकल्पिक स्कूल की समझ के सामान्य एकत्रण में उच्च वास्तविक आत्म विचार है, जो भौतिक रूप से परीक्षण की गई समझ के विपरीत होने पर अधिक सटीक आत्म विचार है। यह दर्शाता है कि दो सभाएं उनके उपलब्धि के दिमाग, सूचना और मूल्यांकन के समान नहीं हैं। शारीरिक रूप से परीक्षण किया सामान्य कमियों के विपरीत होने पर सहायक स्कूल की समझ में कम स्तर की इच्छा और विद्वानों की उपलब्धता है। अनूठे स्कूल, असामान्य निर्देशक तकनीक, निर्देशक सामग्री और स्थिर प्रशासन को लक्ष्य के साथ शारीरिक रूप से परीक्षण की गई समझ के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए कि हमें महान विद्वानों की उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। व्यावसायिक शिक्षा उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल भाग से, लक्ष्य के साथ होना चाहिए कि वे अपना व्यवसाय जीत सकें।

प्रस्ताव :

1. आगे के परीक्षण को बड़े उदाहरण पर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है।
2. एक नजदीक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट कल्याण, आत्म विचार और पहचान विशेषताओं पर निर्देशित की जा सकती है शारीरिक रूप से परीक्षित और सामान्य सहायक स्कूल की कमी।
3. इस परीक्षा को आत्म-विचार, अनुवांशिक आत्म और विभिन्न मापों को दर्शाने के लिए गले लगाया जा सकता है
4. शारीरिक रूप से परीक्षण और सामान्य सहायक स्कूल की समझ के बुद्धिमान, विद्वानों को सम्मिलित करना।
5. भाषण की इच्छा और पेशेवर हितों के संबंध में परीक्षाओं को प्रोत्साहित

किया जा सकता है

6. शारीरिक रूप से परीक्षण की कमी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृष्ण कमर, अकादमिक उपलब्धि का निरीक्षण करने के लिए एक अध्ययन, आत्म संकल्पना और स्तर के साथ इसका संबंध भारत में हरियाणा में +2 विकलांग और सामान्य छात्रों की आकांक्षा। अप्रकाशित पीएच.डी. निबंध, हरियाणा विश्वविद्यालय। (2005)
2. माथुर, ए, समायोजन समस्याओं का एक तुलनात्मक अध्ययन, आकांक्षा का स्तर, आत्म-संकल्पना और अपंग बच्चों और राष्ट्रीय बच्चों की अकादमिक उपलब्धि। अनुसंधान के चौथे सर्वेक्षण में उद्धृत शिक्षा। नई दिल्ली एनसीईआरटी। (1985)
3. मेथा, अकादमिक उपलब्धि। नील डेविसन (एड) में। जनरल साइकोलॉजी (6 वां संस्करण), नई दिल्ली: टाटा
4. मैकग्राहिल पीपी 538-39। (2007)
5. चटर्जी, आरा, अंधोरे बच्चों की आत्म-अवधारणा। भारतीय शिक्षा पत्रिका, वॉल्यूम में उद्धृत II, संख्या 5, जनवरी, 1986।
6. शाह, एचआर और श्रावत, एसएस, आत्म-अवधारणा का अध्ययन और शारीरिक रूप से आकांक्षा के स्तर चुनौतीपूर्ण छात्रों, शिक्षा में लागू अनुसंधान के अंतर्दृष्टि पत्रिका, वॉल्यूम 9, पीपी.33-45।
7. गारेट, एचई, मनोविज्ञान और शिक्षा में स्टैटिक्स, विकास संस प्रा.। लिमिटेड Ballard एस्टेट, बॉम्बे शर्मा, आरए, विशेष शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत, सूर्य प्रकाशन, मेरठ, पीपी 193-211।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन

अनिल कुमार *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। न्यादर्श के रूप में प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा 200 विद्यार्थियों को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया है। दत्ता संकलन हेतु बाल अधिकार जागरूकता मापनी स्वनिर्मित, बाल अधिकार अभिवृत्ति मापनी स्वनिर्मित प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में पाया कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। मध्यमानों के आधार पर यहाँ ग्रामीण छात्रों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता छात्राओं की तुलना में उच्च स्तर की पायी गई है।

प्रस्तावना - देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों के उचित सामाजिक विकास पर बल देना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बच्चों के समाजीकरण पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है।

'हम यह जरूर समझ लें कि बालक का सुख उसको अपने हाथों खाने देने में है। बालक का सुख उसको खुद ही चलने देने में है। बालक का सुख उसको खुद ही खेलने देने में है। बालक का सच्चा सुख सब कुछ स्वयं बालक को करने देने में है। इसमें नहीं कि कोई उसके सहज अधिकारों को उससे छीन ले।' - गिजू भाई

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति माने जाते हैं। उनका पालन-पोषण और उनकी देखभाल हमारा उत्तरदायित्व है। मानव सम्पदा के विकास की हमारी योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों का प्रमुख स्थान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर हष्टपुष्ट नागरिक बन सकें। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेधावी और सद्चरित्र वाले हों और उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ एवं कौशल विकसित हो जिनकी समाज को आवश्यकता है।

समस्या-कथन - 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन'

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व - कई देशों ने बाल अधिकार कानून पास कर दिए हैं, संचार तंत्र तथा बुनियादी ढाँचा, आपसी दृढत्व एवं युद्ध सहित भू-राजनैतिक माहौल तथा नौकरशाही की अडंगेबाजी इस पर अमल में बाधक रही है, जिससे दुनियाभर में बाल अधिकारों के उल्लंघन का शमन करने की व्यवस्था में सुधार करने की अभी काफी गुंजाइश बनी हुई है। परन्तु शैक्षणिक सुअवसर तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक गारंटी के बावजूद व्यापक स्तर पर लाखों बच्चे अपने इन अधिकारों से वंचित हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसका अधिक हिस्सा वयस्कों के दृष्टिकोण से देखने के कारण पैदा होता है, जो उनके जीवन के सारे पक्षों के बारे में फैसला

करते हैं और वे उनके अधिकारों की अपेक्षा उनकी खैरियत पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

शोध के उद्देश्य-

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ -

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

अनुसंधान विधि - प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

उपकरण -

1. बाल अधिकार जागरूकता मापनी स्वनिर्मित
2. बाल अधिकार अभिवृत्ति मापनी स्वनिर्मित

दत्ता विश्लेषण -

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के मध्यमानों के अंतरों की सार्थकता की तुलना

तालिका (देखे आगे)

व्याख्या - तालिका में माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के मूल प्राप्तांकों की गणना के आधार पर दोनों समूहों के मध्यमान क्रमशः 58.720 एवं 51.900 प्राप्त हुए हैं तथा इन दोनों समूहों के प्राप्तांकों के आधार पर मानक विचलनों की गणना करने पर क्रमशः 14.155 एवं 6.643 प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मध्यमानों एवं मानक विचलनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 3.08 प्राप्त हुआ है। गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात मान तालिका में दिए गए

सार्थकता स्तर के दोनों मानों से अधिक है। अतः यहाँ निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गई। परिणामतः यहाँ पर माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

2. माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के मध्यमानों के अंतरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका (देखें)

व्याख्या – तालिका में माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के मूल प्राप्तांकों की गणना के आधार पर दोनों समूहों के मध्यमान क्रमशः 56.340 एवं 58.920 प्राप्त हुए हैं तथा इन दोनों समूहों के प्राप्तांकों के आधार पर मानक विचलनों की गणना करने पर क्रमशः 11.729 एवं 10.464 प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मध्यमानों एवं मानक विचलनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 1.16 प्राप्त हुआ है। गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात मान तालिका में दिए गए सार्थकता स्तर के दोनों मानों से कम है। अतः यहाँ निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई। इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शहरी छात्र एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष –

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। मध्यमानों के आधार पर यहाँ ग्रामीण छात्रों की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता छात्राओं की तुलना में उच्च स्तर की पायी गई है।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों एवं छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। मध्यमानों

के आधार पर यहाँ शहरी छात्राओं की बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता छात्रों की तुलना में उच्च स्तर की पायी गई है।

अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ – शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरन्तर अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज में एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शिक्षा जगत में निरन्तर अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निश्चित रूप से परिभाषित करके उनके निराकरण का मार्ग दिखाया जा सकता है। प्रस्तुत शोधकार्य में विद्यार्थियों के स्वयं अपने अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को जानकर उन्हें इसके प्रति जागरूक करने हेतु अभिप्रेरित करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है।

सुझाव –

1. माध्यमिक स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तरों के विद्यार्थियों की जागरूकता एवं अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
2. शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श 200 लिया गया है लेकिन उक्त समस्या का अध्ययन बड़े न्यादर्श को लेकर भी किया जा सकता है।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की नैतिक सोच, विश्वास एवं आधुनिकता का बाल अधिकारों के संदर्भ में अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सेठी, उर्मिला – बाला देवो भवः गिजू भाई, शिविरा पत्रिका, पृष्ठ संख्या 11
2. 'सामाजिक अनुसंधान' साहित्य भवन पब्लिशर्स आगरा, पृष्ठ संख्या 67
3. कपिल एच.के. 'अनुसंधान विधियाँ' 1986-87, पृष्ठ संख्या 38
4. शर्मा, आर.ए. 'शिक्षा तकनीकी' पृष्ठ संख्या 48

तालिका

विद्यार्थियों के प्रकार	पदों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता के स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	50	58.720	14.155	3.08	सार्थक अंतर है।	
ग्रामीण छात्राएँ	50	51.900	6.643			

तालिका

विद्यार्थियों के प्रकार	पदों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता के स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी छात्र	50	56.340	11.729	1.16	सार्थक अंतर नहीं है।	
शहरी छात्राएँ	50	58.920	10.464			

माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) योजना की विभिन्न गतिविधियों व समस्याओं के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों का अभिमत

डॉ. सतपाल स्वामी *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) योजना की विभिन्न गतिविधियों व समस्याओं के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों का अभिमत ज्ञात करना है। प्रस्तुत शोधकार्य में न्यादर्श के रूप में 120 विद्यार्थी व 30 अध्यापकों का चयन किया गया है। दत्ता संकलन हेतु (i) "CCE Questionnaire for Teachers of Hindi" (ii) "CCE Questionnaire for Students of Hindi" का प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के तहत रचनात्मक आंकलन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को विद्यालयों में सही समय एवं सही तरीके से करवाने में शिक्षक अपनी रुचि दिखाते हैं।

प्रस्तावना - शिक्षा शब्द का पर्याय 'Education' शब्द लेटिन भाषा के 'Educatum' शब्द से निकला है। इसमें दो शब्द शामिल हैं (E) और डूकोय (Duco) ई का अर्थ अन्दर से बाहर की ओर, (Duco) का अर्थ है आगे बढ़ना। 'Education' का अर्थ अन्दर से बाहर की ओर बढ़ना या विकसित होना है। शिक्षा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है। व्यवहार में शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। संकुचित एवं व्यापक। संकुचित अर्थ में शिक्षा संस्थाओं में थोड़े वर्षों की होने वाली पढ़ाई अथवा प्रशिक्षण है। इसमें किसी निश्चित स्थान पर कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा कुछ निश्चित माध्यमों से निश्चित पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है।

शोध की आवश्यकता व महत्व - सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली नवीन है, जिसके फलस्वरूप इससे सम्बन्धित कई समस्याएँ प्रकट हो रही हैं। अतः शोधकर्ता शोध के माध्यम से हिन्दी विषय में माध्यमिक स्तर पर इन समस्याओं को जानना चाहता है। जिसका समाधान आगे चलकर किया जा सके। इसके अतिरिक्त आन्तरिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक उपलब्धि पर कई अनुसंधानकार्य पूर्व में संपादित हुए हैं, परन्तु हिन्दी विषय में CCE प्रणाली नवीन है एवं इससे सम्बन्धित कोई शोधकार्य न होने के कारण शोधकर्ता द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करना उचित पाया गया। शोध के माध्यम से ही मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति का पता लगाकर उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इसी संदर्भ में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की राय से अवगत होकर समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

समस्या कथन - 'माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन योजना की विभिन्न गतिविधियों व समस्याओं के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों का अभिमत'

शोध के उद्देश्य -

- (1) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में शिक्षकों का अभिमत ज्ञात करना।
- (2) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत

रचनात्मक आंकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में विद्यार्थियों का अभिमत ज्ञात करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ -

- (1) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में शिक्षकों का अभिमत।
- (2) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में विद्यार्थियों का अभिमत।

शोध विधि - शोध की प्रकृति को देखते हुए 'आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि' का चयन किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श -

क्र.सं.	न्यादर्श की इकाई	आकार
1.	CBSE निजी विद्यालय	10
2.	अध्यापक F(10 x 3)	30
3.	विद्यार्थी (10 x 12)	120

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण -

- (1) माध्यमिक स्तर
माध्यमिक स्तर से तात्पर्य कक्षा 9वीं तथा 10वीं कक्षा से है।
- (2) सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली
सतत् एवं समग्र से तात्पर्य यह है कि बोर्ड द्वारा लागू की गई मूल्यांकन प्रणाली से है, जो बालकों का सर्वांगीण विकास करने हेतु अपनाई गई है। यह एक प्रक्रिया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण -

- "CCE Questionnaire for Teachers of Hindi"
- "CCE Questionnaire for Students of Hindi"

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी - प्रस्तुत शोध कार्य में मूल आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु प्रतिशत निकाला गया है।

परिकल्पनाओं की विवेचना - प्रस्तुत शोध में उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पनाओं का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया जा रहा है -

परिकल्पना सं. 1 :-

माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में शिक्षकों का अभिमत।

सारणी संख्या 1.1

क्षेत्र	शिक्षकों की कुल संख्या	सहमत	असहमत	तटस्थ	परिणाम
माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में रचनात्मक आकलन से सम्बन्धित गतिविधियाँ	30	24	4	2	24
	प्रतिशत	80%	13.3%	.67%	80%

सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में रचनात्मक आकलन सम्बन्धी गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है।

परिकल्पना सं. 2 - माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आकलन (FA) से सम्बन्धित समस्याओं के संदर्भ में विद्यार्थियों का अभिमत।

सारणी संख्या 1.2

क्षेत्र	शिक्षकों की कुल संख्या	सहमत	असहमत	तटस्थ	परिणाम
माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में रचनात्मक आकलन से सम्बन्धित गतिविधियाँ	120	108	10	2	108
	प्रतिशत	90%	8.3%	1.7%	90%

सारणी से स्पष्ट है कि cbse में माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में 90 प्रतिशत विद्यार्थियों अनुसार सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आकलन (FA) से सम्बन्धित गतिविधियों को करवाया जाता है और इसके आधार पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है।

परिकल्पना 1 - माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आकलन सम्बन्धी गतिविधियों सम्बन्धी निष्कर्ष

निष्कर्ष - माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के तहत

रचनात्मक आकलन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को विद्यालयों में सही समय एवं सही तरीके से करवाने में शिक्षक अपनी रुचि दिखाते हैं साथ ही इस क्रियाविधि से सहमत हैं।

परिकल्पना 2 -

माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सीसीई प्रणाली के अंतर्गत रचनात्मक आकलन सम्बन्धी गतिविधियों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों की भूमिका सम्बन्धी निष्कर्ष

निष्कर्ष - माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत करवाई जाने वाली रचनात्मक आकलन सम्बन्धी गतिविधियाँ सही हैं और रुचिकर भी हैं।

शैक्षिक निहितार्थ - प्रस्तुत शोध के द्वारा माध्यमिक स्तर के हिन्दी विषय अध्यापक प्रणाली में मूल्यांकन में सुधार कर सकेंगे। शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। शिक्षक रचनात्मक आकलन के तहत करवाई जाने वाली गतिविधियों को अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन CBSE द्वारा तय प्रारूप के अनुसार करने का प्रयास करेंगे।

भावी शोध हेतु सुझाव - प्रस्तुत शोध के अध्ययन के बाद भावी शोध हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है-

1. इस शोधकार्य छोटे न्यादर्श पर किया गया है, समय सीमा अधिक होने पर विस्तृत न्यादर्श पर भी किया जा सकता है।
2. यह शोधकार्य श्रीगंगानगर, पिलीबंगा, सुरतगढ एवं हनुमानगढ शहर तक ही सीमित है। इसे अधिक शहरों को सम्मिलित करके तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली एवं परम्परागत मूल्यांकन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. यह शोधकार्य उच्च माध्यमिक स्तर पर भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, जे.सी. - भारत में प्राथमिक शिक्षा (1995), नई दिल्ली, विद्या विहार।
2. अब्दुलहोत्री, आर. - भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, (1989) मेरठ : सूर्या पब्लिकेशन।
3. भटनागर, सुरेश - आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, (1997) मेरठ - लॉयल बुक डिपो।
4. ढोंडियाल, एस.एन. - शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, फाटक, ए.बी. (2003), जयपुर - राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

द्वारिका - जैन साहित्य के संदर्भ में

डॉ. रूपेन्द्र मुनि *

प्रस्तावना - द्वारिका के निर्माण की पृष्ठभूमि में जरासंध से विवाह बताया जाता है। एक निमित्तज्ञ ने बताया कि जरासंध के वध के पश्चात श्रीकृष्ण तीन खण्ड के अधिपति होंगे, किन्तु अभी उनका यहाँ रहना हितकर नहीं है। यहाँ से पश्चिम में समुद्र की ओर वे प्रस्थान कर दें और जहाँ सत्यभामा पुत्र युगल को जन्म दें, वहीं नगर बसाकर रहें।¹ इस कथन को सुनकर समुद्रविजय ने उग्रसेन सहित सौर्यपुर से प्रस्थान कर दिया। मार्ग में उन्हें जरासंध के पुत्र कालकुमार के अग्नि में भस्म होने की जानकारी मिली, जिससे वे प्रसन्न हुए। एक स्थान पर पड़ाव डाला गया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि वहाँ अतिमुक्त नामक चारणमुनि का आगमन हुआ। समुद्रविजय ने पूर्ण श्रद्धा के साथ वंदन करने के पश्चात अपनी विपत्ति का परिणाम पूछा।²

मुनिश्री ने बताया कि उनका पुत्र अरिष्टनेमि बाईसवां तीर्थकर है। बलराम और श्रीकृष्ण बलदेव व वासुदेव हैं। ये द्वारिका नगरी बसाएंगे तथा जरासंध का वध करने के पश्चात तीन खण्ड के स्वामी होंगे। यहाँ से चलकर ये सब सौराष्ट्र में आए और रैवत पर्वत के निकट अपना पड़ाव डाला। इस स्थान पर सत्यभामा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दो दिन का उपवास कर श्रीकृष्ण ने लवण समुद्र के अधिष्ठाता सुस्थितदेव का ध्यान किया। देव ने प्रकट होकर श्रीकृष्ण को पांचजन्य शंख, बलराम को सुघोष संघ के साथ दिव्यरत्न व वस्त्रादि भेंट किए। देव ने श्रीकृष्ण से स्मरण करने का कारण पूछा। श्रीकृष्ण ने बताया कि पहले के अर्द्धचक्रियों की द्वारिका नगरी को आपने अपने अंक में छिपा लिया है। अब वह नगरी मुझे दीजिए। श्रीकृष्ण के कहने पर देव ने समग्र जलराशि हटा ली और शुक्र की आज्ञा से वैश्रवण ने बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी द्वारिका नगरी का एक अहोरात्र में निर्माण कर दिया। यादवों ने शुभ मुहूर्त में नगरी में प्रवेश किया। नगरी सभी प्रकार से समृद्ध थी। वे उसमें सुखपूर्वक रहने लगे।⁵

द्वारिका की जो स्थिति बताई जाती है, उसके अनुसार द्वारिका के पूर्व में रैवत पर्वत, दक्षिण में माल्यवान पर्वत, पश्चिम में सौमनस पर्वत और उत्तर में गन्धमादन पर्वत था। इससे द्वारिका के चारों ओर से सुरक्षित होने, अजेय होने, दुर्भेद्य होने की बात ज्ञात होती है।

ज्ञाता धर्मकथांग में द्वारिका का विवरण कुछ इस प्रकार मिलता है - द्वारिका - पूर्व - पश्चिम में लम्बी और उत्तर - दक्षिण में चौड़ी थी। नौ योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी थी। द्वारिका कुबेर की मति से निर्मित हुई थी। सुवर्ण के श्रेष्ठ प्रकार से और पंचरंगी नाना मणियों के कंगूरों से शोभायमान थी।⁷ आगे बताया गया है कि द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा अर्थात् ईशान कोण में रैवतक नामक पर्वत था।⁸ अंतकृददशा में द्वारिका का विवरण ज्ञाता धर्मकथांग के समान ही है।⁹ वृहतकल्प के अनुसार द्वारिका के चारों ओर पत्थर का प्रकार था।¹⁰ द्वारिका के आसपास अठारह हाथ उँचा

तो नौ हाथ भूमिगत और बारह हाथ चौड़ा सब ओर से खाई से घिरा हुआ किला था। चारों दिशाओं में अनेक प्रासाद और किले थे। रामकृष्ण कि प्रासाद के निकट प्रभासा नामक सभा थी। उसके पूर्व में रैवतक गिरि, दक्षिण में माल्यवान पर्वत, पश्चिम में सौमनस पर्वत और उत्तर में गन्धमादन पर्वत थी।¹¹

हेमचन्द्राचार्य¹², आचार्य शीलांक¹³ देवप्रभसूरि¹⁴, आचार्य जिनसेन¹⁵, आचार्य गुणभद्र¹⁶ तथा वैदिकपुराण हरिवंशपुराण¹⁷ विष्णुपुराण¹⁸ और श्रीमद्भागवत¹⁹ के अनुसार द्वारिका समुद्र के किनारे बसी हुई थी। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक ही लगता है कि अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों ने द्वारिका के संबंध में काफी लिखा है। उस सबका विवरण देना हमारा अभिप्रेत नहीं है। इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि द्वारिका के संबंध में निष्पक्ष दृष्टि से विचार कर उसकी अवस्थिति ज्ञात करना होगा। कुछ वर्ष पूर्व द्वारिका की खोज प्रारम्भ हुई थी। समुद्र में शायद कुछ अवशेष भी मिले थे। हमारा सुझाव है कि जैन स्रोतों के परिश्रेक्ष्य में द्वारिका की खोज की जानी चाहिए। द्वारिका बसी, वैभव सम्पन्न थी। चारों ओर से सुरक्षित थी। फिर ऐसी कौनसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि द्वारिका नष्ट हो गई। इस संबंध में जैन साहित्य में ही रोचक विवरण मिलता है, जो इस प्रकार है -

जरासंध के वध के पश्चात श्रीकृष्ण ने चारों ओर अपनी विजय पताका फहरा दी और फिर द्वारिका में सुखपूर्वक रहकर तीन खण्ड का राज करने लगे।²⁰

भगवान अरिष्टनेमि का विचरण करते हुए द्वारिका आगमन हुआ। श्रीकृष्ण उनकी सेवा में पहुंचे और वंदन करने के पश्चात उन्होंने द्वारिका के विनाश का कारण पूछा।²¹ श्रीकृष्ण के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फरमाया कि द्वारिका के विनाश का कारण पूछा।²¹ श्रीकृष्ण के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फरमाया कि द्वारिका नगरी का विनाश मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण होगा।²² द्वारिका के इस भविष्य कथन से श्रीकृष्ण चिंतित हो गए। श्रीकृष्ण सोचने लगे कि वे स्वयं तो दीक्षाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते। भगवान अरिष्टनेमि उनके मनोगत भावों को जान गए और बोले कि तुम्हारा विचार सत्य है। वासुदेव दीक्षा लेने में समर्थ नहीं होते। इस पर श्रीकृष्ण ने पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा कि वह शरीर त्याग कर कहाँ जायेगे ? भगवान अरिष्टनेमि ने समाधान करते हुए बताया कि जिस समय द्वारिका का विनाश होगा, तुम दक्षिण दिशा में बसी पाण्डु मथुरा जाने के लिए प्रस्थान करोगे, किन्तु मार्ग में राजकुमार के बाण से तुम्हारा निधन होगा और तुम काल करने के बाद तृतीय पृथ्वी में उत्पन्न होओगे तथा उत्सर्पिणी काल में अमय नाम तीर्थकर बनोगे।²³

भगवान अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी द्वैपायन ऋषि ने भी सुनी। यादवों और द्वारिका की रक्षा के लिए वे वन में चले गए²⁴ श्रीकृष्ण ने द्वारिका में मदिरापान का निषेध करवा दिया और जो मदिरा थी, उसे कदम्बवन के मध्य कादम्बरी गुफा के समीपवर्ती शिलखण्डों में फिकवा दी।²⁵ श्रीकृष्ण ने अपनी ओर से सुरक्षात्मक उपाय भले ही कर लिए हो, किन्तु जो घटना घटने वाली होती है, वह घट कर ही रहती है। द्वारिका के विनाश का विवरण त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित²⁶ में कुछ इस प्रकार मिलता है -

जिस स्थान पर मदिरा फिकवाई गई थी, उस स्थान पर नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों के पौधे थे। पुष्पों की सौरभ से मदिरा पूर्व की अपेक्षा और भी अधिक स्वादिष्ट हो गई। संयोग की बात है कि वैशाख मास में शाम्बकुमार का एक सेवक घूमता हुआ उस स्थान तक पहुँचा। उसे प्यास लगी। कुण्डों में भरी हुई मदिरा को पानी समझकर वह पी गया। उसे मदिरा स्वादिष्ट लगी तो एक पात्र में उसने मदिरा भरी और उसे लेकर शाम्बकुमार के पास पहुँचकर उसे दे दी। शाम्बकुमार ने स्वादिष्ट मदिरा पी और प्रसन्न हो गया। उसे मदिरा प्राप्ति स्थान की जानकारी ली। सेवक ने उसे स्थान बता दिया। शाम्बकुमार यादव कुमारों को लेकर कादम्बरी गुफा तक आया। मदिरापान किया और इधर - उधर घूमने लगे। भ्रमण करते समय यादव कुमारों ने द्वैपायन ऋषि को ध्यानमुद्रा में देखा। उन्हें देखते ही यादव कुमारों को स्मरण हो आया कि यही द्वारिका का विनाश करने वाला है। यदि इसे मार दिया जाए तो द्वारिका का विनाश नहीं होगा। ऐसा विचार कर यादव कुमारों ने लकड़ियों और पत्थरों से द्वैपायन ऋषि पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। एकाएक एक प्रहार से ऋषि गिर पड़े। यादवकुमार समझे की ऋषि मर गए हैं, वे द्वारिका आ गए। इस घटना की जानकारी जब श्रीकृष्ण को मिली तो उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वे द्वैपायन ऋषि के पास क्षमायाचना करने के लिए गए। उन्होंने द्वारिकावासियों से धर्मराधना करने का भी आग्रह किया। श्रीकृष्ण भगवान अरिष्टनेमि की सेवा में भी गए। उनसे द्वारिका के विनाश की अवधि पूछी। भगवान ने बताया कि द्वारिका का दहन द्वैपायन ऋषि बारहवें वर्ष में करेंगे।

द्वैपायन ऋषि मृत्यु के पश्चात अग्निकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। वैर के कारण वह द्वारिका आया। इस समय द्वारिकावासी आयम्बिल, उपवास, बेले, तेले आदि तपों की आराधनाएं कर रहे थे। तपराधना के प्रभाव के कारण द्वैपायन (अग्नि कुमार) कुछ कर नहीं पाया। बारहवाँ वर्ष आया, द्वारिका के निवासियों ने सोचा कि उनकी तपराधना के कारण द्वैपायन चला गया है। सब जीवित रह गए। द्वारिकावासी स्वेच्छापूर्वक आनन्दमय जीवन बिताने लगे। यहीं नहीं, वे मद्यपान और मांसाहार भी करने लगे।

द्वारिकावासियों की ऐसी स्थिति देखकर द्वैपायन के देव ने उचित अवसर जानकर अंगारों की वर्षा कर दी। इससे श्रीकृष्ण के सभी अस्त्र - शस्त्र जलकर नष्ट हो गए। उसके संवर्त वायु के प्रयोग से वन का घास और लकड़ियाँ द्वारिका में एकत्र हो गईं, जिससे प्रलयकारी अग्नि प्रज्वलित हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिये भागने लगे तो द्वैपायन उन्हें पकड़कर अग्नि में डाल देता। ऐसी स्थिति देखकर श्रीकृष्ण और बलदेव ने वासुदेव, देवकी और रोहिणी को द्वारिका से निकलने के लिए रथ में बैठाया। द्वैपायन ने रथ के घोड़ों को स्तम्भित कर दिया। इस पर श्रीकृष्ण स्वयं रथ खींचने लगे तो रथ टूट गया। माता - पिता की करुण पुकार सुनकर श्रीकृष्ण - बलराम उनके रथ को द्वारिका के दरवाजे तक ले आए, किन्तु उसी क्षण द्वार बंद हो गए। वे अपने प्रयास में सफल नहीं रहे।

उनका श्रम निरर्थक हो रहा था। द्वैपायन उनके निकट आया और बोला कि आप क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप दोनों के अतिरिक्त कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने श्रीकृष्ण और बलराम से अन्यत्र चले जाने का आग्रह किया और उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। बाध्य होकर श्रीकृष्ण और बलराम द्वारिका से चल पड़े। द्वारिका जलकर नष्ट हो गई।²⁷ इस प्रकार भगवान अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी के अनुसार द्वारिका का विनाश हो गया।

द्वारिका के संबंध में जैन साहित्य में जो विवरण मिलता है, वह हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। द्वारिका के संबंध में जैनेतर साहित्य में भी विवरण उपलब्ध है। उस सब विवरण को एक साथ रखकर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जावे और विद्वानों ने द्वारिका के संबंध में अद्यावधि जो लिखा है, उस सबकी निष्पक्ष समीक्षा की जावे, तत्पश्चात द्वारिका की अवस्थिति निश्चित कर उसकी खोज की जाना चाहिए। द्वारिका की खोज का जो अभियान चलाया गया था, उसे पुनः परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे देश के इतिहास के एक युग की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। विश्वास है संबंधित इस दिशा में सार्थक प्रयास प्रारम्भ करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित, 8/5/360-362
2. वही, 8/5/386-387
3. वही, 8/5/386-389
4. जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग-1, पृष्ठ 406, 345 आचार्य हस्तीमल
5. वही, पृष्ठ 345
6. त्रिषष्टि, 8-5-418
7. ज्ञाताधर्मकथांग 5/2, पृष्ठ 156
8. वही, 5/3, पृष्ठ 156
9. अन्तकृदशा, 1/5, पृष्ठ 9
10. वृहतकल्प भाग-2, पृष्ठ 251
11. भगवान अरिष्टनेमि और श्री कृष्ण, पृष्ठ 361, आचार्य देवेन्द्र मुनि
12. त्रिषष्टि, 8/5/92
13. चउपन्न महापुरिस चरियं
14. पाण्डुव चरित्र
15. हरिवंशपुराण, 41/18-19
16. उत्तरपुराण, 71/20-23
17. हरिवंशपुराण 2/54
18. विष्णुपुराण, 5/23/13
19. श्रीमद् भागवत, 10/50/50
20. अत्रिषष्टि, 8/8/28 ब हरिवंशपुराण, 53/41-42, पृष्ठ 606
21. अन्तकृदशा 5/1, पृष्ठ 95
22. वही पृष्ठ 95
23. वही, पृष्ठ 98-99
24. भगवान अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण, पृष्ठ 328
25. त्रिषष्टि, 8/11/12-13
26. वही, 19/23, 23-30, 42-61
27. भगवान अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण, पृष्ठ 331-332

माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के सामाजिक अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. देवेन्द्र कौर *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के सामाजिक अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। न्यादर्श के रूप में प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री द्वारा 800 विद्यार्थियों को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया है। दत्ता संकलन हेतु मानकीकृत सामाजिक अभिक्षमता मापनी (डॉ. वी. पी. शर्मा, डॉ. प्रभा शुक्ला, डॉ. किरण शुक्ला) प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में पाया कि माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया तथा 800 विद्यार्थियों (400 हिन्दी माध्यम तथा 400 अंग्रेजी माध्यम) के न्यादर्श पर सामाजिक अभिक्षमता विश्लेषण किया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर अंतर होता है।

प्रस्तावना – शिक्षा वह प्रकाश है, जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओत-प्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढाँचे में ढाला जाता है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। यह कक्षा-कक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति में समायोजन, सामाजिक अभिक्षमता आदि गुणों का विकास करती है तथा उसे अपने आप को सुलझाने में सहायता करती है। इस प्रकार शिक्षा जीवन के मूल्यों, आदर्शों व मान्यताओं का परिचय देती है।

शिक्षा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिस समाज का शिक्षा स्तर जितना अधिक उच्च होता है, वह उतना ही समृद्धशाली व खुशहाल होता है। यह सफलता की पहली सीढ़ी है, जिसके उपरान्त व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव करता है। राष्ट्रीय विचारधारा व चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान माध्यमिक शिक्षा का है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है।

समस्या-कथन – ‘माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के सामाजिक अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन’।

सामाजिक अभिक्षमता – सामाजिक अभिक्षमता समाज में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है। यह व्यक्ति की सामाजिक, संवेगात्मक और ज्ञानात्मक कौशल और व्यवहार को बताती है, जो कि बच्चों में समाज में अनुकूलन के लिए आवश्यक होती है। सामाजिक अभिक्षमता एक संक्षिप्त न होकर विस्तृत धारणा है। यह विस्तृत है क्योंकि कौशल और व्यवहार जो स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं अलग-अलग आयु के बच्चों में परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग पाये जाते हैं। शिक्षा की सामाजिक अभिक्षमता एक युवा की सामाजिक अभिक्षमताओं बहुत भिन्न होती है उदाहरण के लिए उत्तेजना, शर्म आदि

बच्चों की आयु व परिस्थिति पर निर्भर करते हैं।

समस्या का औचित्य – शैक्षिक क्षेत्र में जब कोई अनुसंधान किया जाता है तब वह अनुसंधान स्वयं अनुसंधान स्वयं अनुसंधानकर्ता के लिए नहीं अपितु शैक्षिक क्षेत्र में सम्बंधित सभी व्यक्तियों के लिए होता है। अतः प्रत्येक समस्या पर कार्य करने से पूर्व यह देखना उचित है कि अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक जगत व उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करेंगे।

शोध के उद्देश्य –

1. माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ –

1. माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अनुसंधान विधि – प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा हिन्दी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम के 800 विद्यार्थियों को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया है।

उपकरण – मानकीकृत सामाजिक अभिक्षमता मापनी (डॉ. वी. पी. शर्मा, डॉ. प्रभा शुक्ला, डॉ. किरण शुक्ला)

दत्त विश्लेषण –

1. माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की सामाजिक अभिक्षमता को दर्शाती सारणी

तालिका 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या – सारणी के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम

तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के सामाजिक अभिक्षमता से सम्बन्धित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अभिक्षमता से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान क्रमशः 227.0 व 224.25 तथा मानक विचलन क्रमशः 8.155 व 8.577 प्राप्त हुआ है, तथा मानक त्रुटि 0.837 के आधार पर क्रान्तिक अनुपात 3.285 प्राप्त हुआ है, जो कि स्वतन्त्रता कोटि 398 के आधार पर टी-तालिका के स्तर 0.01 व 0.05 के मान क्रमशः 1.96 व 2.59 से अधिक है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की सामाजिक अभिक्षमता में सार्थक अन्तर है तथा हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों में अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की अपेक्षा सामाजिक अभिक्षमता अधिक पाई गई है। इस आधार पर धून्य परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' अस्वीकृत होती है।

2. ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की सामाजिक अभिक्षमता को दर्शाती सारणी

तालिका 2 (देखें)

व्याख्या - सारणी के माध्यम से ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की सामाजिक अभिक्षमता से सम्बन्धित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अभिक्षमता से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान क्रमशः 227.10 व 229.85 तथा मानक विचलन क्रमशः 6.363 व 8.609 प्राप्त हुआ है, तथा मानक त्रुटि 1.07 के आधार पर क्रान्तिक अनुपात 2.57 प्राप्त हुआ है, जो कि स्वतन्त्रता कोटि 198 के आधार पर टी-तालिका के स्तर 0.01 व 0.05 के मान क्रमशः 1.98 व 2.63 से कम है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में अन्तर पाया जाता है तथा हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों में अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की अपेक्षा सामाजिक अभिक्षमता अधिक पाई जाती है। इस आधार पर धून्य परिकल्पना 'ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं

है' स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष -

1. माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया तथा 800 विद्यार्थियों (400 हिन्दी माध्यम तथा 400 अंग्रेजी माध्यम) के न्यादर्श पर सामाजिक अभिक्षमता विश्लेषण किया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर अंतर होता है।
2. ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों का सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया तथा 400 विद्यार्थियों (200 हिन्दी माध्यम व 200 अंग्रेजी माध्यम) के न्यादर्श पर 'सामाजिक अभिक्षमता प्रमापनी' प्रशासित कर प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रामीण क्षेत्र के हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों में सामाजिक अभिक्षमता के आधार पर अंतर होता है।

सुझाव -

1. हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के वातावरण में विभिन्नता पायी जाती है। अतः हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के वातावरण का अध्ययन किया जा सकता है।
2. इस शोधकार्य को सम्पूर्ण राजस्थान पर किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, महेन्द्र कुमार (2008) 'यविकासात्मक मनोविज्ञान' यूनियर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि., जयपुर
2. मूरजानी, डॉ. जानकी (2009) 'बाल विकास का मनोविज्ञान' श्री कविता प्रकाशन
3. अरोड़ा, रीता मारवाहा, 'शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक सुदेश (2008) आधार' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
4. माथुर, एस. एस. (2005) 'समाज मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

तालिका क्रमांक 1-1

क्र.स.	विद्यार्थी	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रान्तिक अनुपात	स्वतन्त्रता की कोटि	परिणाम
1	हिन्दी माध्यम विद्यार्थी	400	277.00	8.155	0.837	3.285	398	अस्वीकृत
2	अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी	400	224.25	8.577				

तालिका क्रमांक 1-2

क्र.स.	विद्यार्थी	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रान्तिक अनुपात	स्वतन्त्रता की कोटि	परिणाम
1	ग्रामीण हिन्दी माध्यम विद्यार्थी	200	277.10	6.363	1.07	2.57	198	स्वीकृत
2	ग्रामीण अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी	200	229.85	8.609				

विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन, एवं अधिगम शैली का विश्लेषणात्मक अध्ययन

नीहारिका भारती * डॉ. देवेन्द्रा आमेटा**

शोध सारांश - प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन, एवं अधिगम शैली का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु कोटा व उदयपुर संभाग से 600 विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों का चयन किया गया है। स्वप्रत्यय संबंधित दत्तों के संकलन हेतु डॉ. राजकुमार सारस्वत, सांवेगिक समायोजन के लिए डॉ. ए. के सिन्हा तथा अधिगम शैली प्रो. करुणा शंकर मिश्र द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है। दत्त संकलन के पश्चात् उनको सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण मध्यमान के आधार पर किया गया। निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि कोटा व उदयपुर संभाग के विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन, एवं अधिगम शैली में सार्थक अन्तर पाया गया है।

शब्द कुंजी - विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों, स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन, एवं अधिगम शैली।

प्रस्तावना - शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करे, चाहे, यह शारीरिक व मानसिक रूप के दिव्यांग साधारण हो, असाधारण हो या सामान्य रूप से मध्य अवस्था के प्रजातंत्र में इनके लिए शिक्षा के साधन उपलब्ध किए जाना एक राष्ट्रीय अनिवार्यता ही नहीं मानवीय दायित्व भी है। स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात् देश में तेजी से शिक्षा का विकास हुआ। हमारे संविधान में केन्द्र सरकार के शिक्षा संबंधी दायित्वों तथा राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त में शिक्षा संबंधी प्रावधान को धारा 45 में स्पष्ट किया गया है। यह संकल्पना की गई कि पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के शत प्रतिशत बालक प्राथमिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकेंगे। फिर भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है। विशेष आवश्यकता वाले बालक - बालिकाएँ भविष्य में देश के स्वस्थ नागरिक बनकर देश की उन्नति में बराबर की भागीदारी निभा सकते हैं। इस हेतु इनके सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु इन्हें विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है अतः इन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विभिन्न देशों में आयुवर्ग (6-14) वर्ष हेतु अधिनियम बनाकर इसे अनिवार्य किया गया है ताकि इन बालकों का सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हो सके एवं समाज की मुख्य धारा में इन्हें जोड़ा जा सके। शिक्षा मानव चेतना के लिए न केवल स्वयं में एक प्रकाश है बल्कि यह अन्य वस्तुओं के देखने और सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्ततम साधन भी है। विशेष आवश्यकता वाले बालक का उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समय समय पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे शैक्षिक प्रक्रिया से न पिछड़े एवं अपना सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर सकें। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया। शिक्षा के अधिकार में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को

समाज की मुख्य धारा में शामिल कर उचित सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा, चिंतन, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, समायोजन आदि की कमी के कारण एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। ये बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक के नाम से जाने जाते हैं तथा ऐसे बालकों पर विशेष रूप से अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है। इस तरह के बालक जन्मजात एवं वंशानुगत के कारण होते हैं।

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा की मूल धाराओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए उन्हें शिक्षा-प्रशिक्षण की नई कलाओं को ज्ञात कर उनमें आवश्यक परिवर्तन करना होगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की स्वयं के प्रति क्या धारणा है इसको जानकर ही उनके सांवेगिक समायोजन का अध्ययन किया जा सकता है साथ ही वह किस तरीके से अधिगम अधिक करता है उस शैली का अध्ययन आवश्यक है तभी उसकी शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात किया जा सकता है।

उद्देश्य -

1. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय का अध्ययन करना।
2. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के सांवेगिक समायोजन का अध्ययन करना।
3. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन करना।
4. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय एवं सांवेगिक समायोजन में सह संबंध का अध्ययन करना।
5. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय एवं अधिगम शैली में सह संबंध का अध्ययन करना।
6. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के सांवेगिक

* शोधार्थी, जर्नादन राय नागर विश्वविद्यालय, राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

** पर्यवेक्षक, जर्नादन राय नागर विश्वविद्यालय, राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

समायोजन एवं अधिगम शैली में सह संबंध का अध्ययन करना।

प्राकल्पनाएँ -

1. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के सांवेगिक समायोजन एवं अधिगम शैली में कोई सार्थक सह संबंध नहीं है।
2. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय एवं अधिगम शैली में कोई सार्थक सह संबंध नहीं है।
3. विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय एवं सांवेगिक समायोजन में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

अनुसंधान का विधिशास्त्र

- प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।
- स्वप्रत्यय संबंधित दत्तों के संकलन हेतु डॉ. राजकुमार सारस्वत, सांवेगिक समायोजन के लिए डॉ. ए. के. सिन्हा तथा अधिगम शैली प्रो. करुणा शंकर मिश्र द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है।
- अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्थ स्वरूप शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु कोटा व उदयपुर संभाग से 600 विशेष आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- दत्तों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत मध्यमान का प्रयोग किया गया है। सारणीयन एवं विश्लेषण -

सारणी संख्या 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

परिणामों की व्याख्या - सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय की मानकीकृत प्रमापनी के सभी क्षेत्रों पर व्यक्त राय के प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर प्रमापनी के बौद्धिक एवं विद्यालय की स्थिति के लिए सबसे अधिक एवं प्रसिद्धि के लिए सबसे कम प्रतिशत मध्यमान प्राप्त हुआ।

सारणी संख्या 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के सांवेगिक समायोजनकी मानकीकृत प्रमापनी के सभी क्षेत्रों पर व्यक्त राय के प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर प्रमापनी के दूसरों के संवेग का प्रबन्धन के लिए सबसे अधिक एवं दूसरों के संवेग के प्रति जागरूक के लिए सबसे कम प्रतिशत मध्यमान प्राप्त हुआ।

सारणी संख्या 3 (देखे आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्थ विद्यार्थियों के अधिगम शैली की मानकीकृत प्रमापनी के सभी क्षेत्रों पर व्यक्त राय के प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत मध्यमान

के आधार पर प्रमापनी के मौखिक रचनात्मकता शैली के लिए सबसे अधिक एवं क्रियाविधि रचनात्मकता शैलीके लिए सबसे कम प्रतिशत मध्यमान प्राप्त हुआ।

वर्तमान में प्रासंगिकता - इस शोध आलेख के माध्यम से विशेष आवश्यकता युक्त वाले विद्यार्थियों के स्वप्रत्यय, सांवेगिक समायोजन एवं अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना जा सकेगा तथा विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Allen, J. (1999) : "Actively Seeking Inclusion : Pupil with Special Needs in Mainstream School", London : Falmer Press.
2. Ballard, K. (1999) : "Inclusive Education : International Voices on Disability and Justice", London : Falmer Press.
3. Barkley, A. Ruaaell (1998) : "Hyperactive Children", Guilford Press, New York, London.
4. Bhargva, M. (2005) : "Rehabilitation and Education for Special Children", H.P. Publishing, Agra : Utter Pradesh, India.
5. Cameron, D. (2001) : "Disability and Federalism Comparing Different Approaches to Full Participation", London : McGill-Queens University Press.
6. Garrett, Henry E. & Woodworth, R.S (1985) : "Statistics in Psychology & Education", Vikas Feffers & Simons Pvt. Ltd., Bombay.
7. Gearheart, B.R. (1972) : "Education of Exceptional Children", Intext Education Publication, New York, London.
8. James, E., Bob Algozzine (1998) : "Special Education", Kanishka Publication, New Delhi.
9. Karlinger F. (1983) : "Fundamental of Behavioral Research", New Delhi, Surjeet Publication.
10. Kauffman, M., Hallahan P. (1991) : "Exceptional Children
11. Tripathi, J. (2011) : "Abnormal Psychology", Bhargava Book House, Agra, India.
12. OECD (2000) : "Special Needs Education Statistics and Indicators", Parries : OCED.
13. Reynolds, A.J. (1999) : "Special Education and School Achievement : An Exploratory Analysis with a Central-City Sample", Education Evaluation and Policy", Same Publication, London.

सारणी संख्या 1

विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के स्वप्रत्ययका प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

क्र.सं.	स्वप्रत्यय प्रमापनी के क्षेत्र	प्रतिशत मध्यमान	वरीयता क्रम
1.	व्यवहार	17.96	II
2.	बौद्धिक एवं विद्यालय की स्थिति	23.59	I
3.	शारीरिक प्रदर्शन एवं योगदान	16.55	III
4.	दुश्चिन्ता	15.16	IV
5.	प्रसिद्धि	14.82	V
6.	प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि	11.91	VI

सारणी संख्या 2

विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के सांवेगिक समायोजन का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

क्र.सं.	स्वप्रत्यय प्रमापनी के क्षेत्र	प्रतिशत मध्यमान	वरीयता क्रम
1.	स्वयं के संवेग के प्रति जागरूक	23.95	III
2.	दूसरों के संवेग के प्रति जागरूक	23.30	IV
3.	स्वयं के संवेग का प्रबन्धन	26.07	II
4.	दूसरों के संवेग का प्रबन्धन	26.68	I

सारणी संख्या 3

विशेष आवश्यकता युक्त वाले समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के अधिगम शैली का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

क्र.सं.	अधिगम शैली प्रमापनी के क्षेत्र	प्रतिशत मध्यमान	वरीयता क्रम
1.	क्रियाविधि पुनर् उत्पादकता शैली	16.71	III
2.	क्रियाविधि रचनात्मकता शैली	16.45	VI
3.	चित्रात्मक पुनर् उत्पादकता शैली	16.83	II
4.	चित्रात्मक रचनात्मकता शैली	16.46	V
5.	मौखिक पुनर् उत्पादकता शैली	16.58	IV
6.	मौखिक रचनात्मकता शैली	16.96	I

Social Security And Women Empowerment : Issues Challenges And Strategies In Karnataka

Dr. Usharani B. *

Abstract - Women status is described in terms of their level of income employment, education, health roles within the family, the community and society. The distribution of social and economic services is crucial not only for promoting economic growth, but also for assuring the social justice and for improving the quality of life. The first major social security program in Southeast Asia came into operation in India on February 24, 1952. In India, on one hand, we believe girls to be an incarnation of goddesses Lakshmi (goddesses of wealth), while on the other hand, they are looked upon as a burden. Very recently, our prime minister, Narendra Modi has initiated a plan called "Sukanya Samridhi Yojana", whose motto is to provide girls their right position in the society and to make them financially literate and stable. Sukanya Samridhi Yojana is a small-scale savings scheme for your girl's marriage and education. This study focusing and critically analyze on the concept of social security and empowerment programmes for women specially reference to Karnataka.

Keywords - Social Security, Women Empowerment, Sukanya Samridhi Yojana.

Introduction - The empowerment and autonomy of women and the improvement of *women's* social, economic and political status is essential for the achievement of both transparent and accountable government and administration and sustainable development in all areas of life. In this context, education, training, awareness rising, building self-confidence, expansion of choices, increased access to and control over resources, and actions to transform the structures and institutions that reinforce and perpetuate gender discrimination and inequality are important tools for empowering women and girls to claim their rights. Women empowerment is empowering the women to take their own decisions for their personal dependent. Empowering women is to make them independent in all aspects from mind, thought, rights, decisions, etc by leaving all the social and family limitations. It is to bring equality in the society for both male and female in all areas. Women empowerment is very necessary to make the bright future of the family, society and country. In order to make the country fully developed country, women empowerment is an essential tool to get the goal of development. According to the provisions of the Constitution of India, it is a legal point to grant equality to women in the society in all spheres just like male. The Department of Women and Child Development works in this field for the development of women and children. Women are given a top place in India from the ancient time however; they were not given empowerment to participate in all areas. They need to be strong, aware and alert every moment for their

growth and development. Empowering women is the main motto of the development department because an empowered mother with child makes the bright future of any nation. There are many formulating strategies and initiating processes started by the government of India in order to bring women into the mainstream of development.

Objectives :

1. To study the Government Scheme for Women Empowerment.
2. To know the need of Women Empowerment.

Research Methodology - In this paper, an endeavour has been taken to investigate the Empowerment of in Karnataka. The information utilized as a part of it is simply from optional sources as per the need of this study.

Initiatives to Empower the Girl Child - The girl child faces many challenges. If there are challenges she faces after her birth, there are obstacles even to her birth, in the form of evil practice of female foeticide. Scientific and technological advances have made it possible for the gender of a foetus to be determined. And this works against the female in the very womb. When it is discovered that the foetus of a girl is in the womb of the carrying mother to-be, the family, if it desires not to have the girl baby come into the family, decides to abort the pregnancy. The result of such sex determination tests of the foetus, of the yet to be born child, as also the availability of pre-conception sex selection facilities and incidence of female infanticide has impacted the child sex ratio (CSR) over the years in India. The child sex ratio is the number of girls per 1000 boys

*Guest Faculty, Department of P G Studies & Research in Social Work, Kuvempu University, Shankaraghatta, Shivamogga (Karnataka) INDIA

between 0-6 years of age. Statistics sourced from the Women and Child Development Ministry website shows that the CSR of India in the year 1991 was 945, and while in 2001 it had declined to 927, a decade later the figure stood at 919. The constantly declining CSR observed in the statistics since the year 1961 has been a matter of great concern.

Government Schemes for Women Empowerment - The Government programs for women advancement started as ahead of schedule as 1954 in India yet the genuine investment started just in 1974. At present, the Government of India has several plans for women worked by various division and services. Some of the important are as follows;

1. Rastria Mahila Kosh (RMK)
2. Mahila Samridhi Yojana (MSY)
3. Indira Mahila Yojana (IMY)
4. Women Entrepreneur Development Programme
5. Swa Shakti Group.
6. Support to Training and Employment Programme for Women (STEP).
7. Swalamban.
8. Crèches/ Day care centre for the children of working and ailing mother.
9. Hostels for working women.
10. Swadhar.
11. National Mission for Empowerment of Women.
12. Integrated Child Development Services (ICDS)
13. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescence Girls (RGSEAG)
14. The Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for Children of Working Mothers.
15. Integrated Child Protection scheme (ICPS)
16. Dhanalakahmi
17. Short Stay Homes.
18. Scheme for Gender Budgeting (XI Plan).
19. Integrated Rural Development Programme (IRDP).
20. Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM).
21. Prime Minister's Rojgar Yojana (PMRY).
22. Women's Development Corporation Scheme (WDCS).
23. Working Women's Forum.
24. Indira Mahila Kendra.
25. Mahila Samiti Yojana.
26. Khadi and Village Industries Commission.
27. Indira Priyadarahini Yojana

Sukanya Samridhi Scheme - Sukanya Samridhi Yojana is a small-scale savings scheme for your girl's marriage and education. The Sukanya Samridhi Account scheme, open only for girl children, has been introduced with a view to ensure the welfare of the girl child by promoting regular saving of money by her parent/legal guardian in an account in her name. Given the spread of post offices in the country, including in remote areas and troubled areas, the availability of the Sukanya Samridhi Account Yojana at the post office is of great benefit to the people as it allows increased accessibility. The account can

also be opened at any bank/post office authorized for the purpose.

Interest rates revisions

S.	Financial Year	Date Range	Interest Rate	Mini. Invest-ment	Max. Invest-ment
1	2014-15	1 Apr. 2014 to 31 Mar. 2015	9.1%	1,000	150,000
2	2015-16	1 Apr.2015 to 31 Mar.2016	9.2%	1,000	150,000
3	2016-17	1 Apr.2016 to 31 Dec. 2016	8.6%	1,000	150,000
4	2016-17	1 Jan. 2017 to 31 Mar. 2017	8.5%	1,000	150,000
5	2017-18	1 Apr. 2017 to 30 June 2017	8.4%	1,000	150,000
6	2017-18	1 July 2017 to 31 Dec. 2017	8.3%	1,000	150,000
7	2018-19	1 Jan. 2018 to 30 Sept. 2018	8.1%	250	150,000
8	2018-19	1 Oct. 2018 onwards	8.5%	250	150,000

Source: Wikipedia

Benefits of the Sukanya Samridhi Scheme - The Sukanya Samridhi Yojana promotes the economic empowerment of the girl child. With a regular saving of money by the guardian of a girl child in an account in her name, a certain financial security is assured for the girl on her attaining adulthood. With effect from 01.04.2017, the interest rate for the Sukanya Samridhi Account is 8.4 %, calculated on a yearly basis and compounded annually. Investment in Sukanya Samridhi Account scheme is exempt from income tax under EEE under section 80C for the parent/guardian contributing to the account. By EEE is meant that the principal, interest and maturity amount are all exempt from tax. After attaining ten years of age, the girl child, in whose name the account is, may also operate the account. Until the girl is ten years of age, the parent/guardian is to operate the account. As for the maturity of the Sukanya Samridhi Account, it is 21 years from the date of opening of the account. Normal premature closure of the Sukanya Samridhi Account will be allowed after completion of 18 years provided the girl is married. Partial withdrawal, maximum up to 50% of balance, can be taken after the account holder attains the age of 18 years for expenses of higher education or of marriage. Interest Rate: Floating interest rate will be paid as per the rate declared by Government of India from time to time. After maturity, if account is not closed, interest will be paid continuously as specified for the scheme from time to time.

Drawbacks of the Sukanya Samridhi Scheme - With at least a hundred million persons living below the poverty line, how at all will families in the BPL category be able to open and run an account? Also, the very poor and illiterate will not be able to understand and engage in such saving schemes for their girl children. The rate of interest for the

account varies; there is no fixed rate of interest for the investment in the account.

Reasons for the empowerment of women - In Karnataka, women are segregated and minimized at each level of the general public whether it is social investment, political support, financial interest, access to instruction, furthermore regenerative medicinal services. As indicated by 2001 statistics, rate of education among men in India is observed to be 76% though it is just 54% among women. In this manner, expanding training among women is of vital in enabling them. It has additionally seen that some of ladies are excessively frail, making it impossible to work. They expend less sustenance yet work more. In this manner, from the wellbeing perspective, women people who are to be weaker are to be made more grounded. To total up, women empowerment cannot be conceivable unless women accompany and help to self-enable them. There is a need to figure diminishing feminized neediness, advancing instruction of women, and aversion and disposal of brutality against women.

Challenges - A few difficulties are targeting exciting profit the empowerment of women in Karnataka. Education: The sex inclination is in advanced education, particular expert trainings which hit women hard in business and accomplishing top authority in any field. The wellbeing and security worries of women are foremost for the prosperity of the nation and is an imperative variable in gaging the women of empowerment in a nation. Family Inequality: Household relations show sexual orientation inclination in imperceptibly little however huge conduct the whole way across the globe, all the more along these lines, in India e.g. sharing weight of housework, childcare and humble works by alleged division of work.

Strategies - Change the attitude of society and in the traditional values of girl child. District wise plans should be made keeping in view for requirement of desired children. Emphasis should be given to empower women through awareness building on social issues, brining attitudinal

change, promotion of skill; training for employment, providing information on health care, nutrition, hygiene and legal rights.

Findings of the Study :

1. There are a few Government projects in Karnataka, there is still a wide crevice that exists between those under security and those not
2. Empowerment of Women must be accomplished if their financial and societal position is progressed.
3. There are still a significant number ranges where ladies strengthening in Karnataka is generally deficient.

Conclusion - The ideal method for empowerment is maybe through enlisting ladies in the standard of advancement. Women of empowerment will be genuine and viable just when they are supplied pay and property with the goal that they may remain on their feet and develop their personality in the public. The Empowerment of Women has gotten to be a standout amongst the most essential worries of 21st century at national level as well as at the universal level. Government activities alone would not be adequate to accomplish this objective. Society must step up about make an atmosphere in which there is no sexual orientation segregation and women have full chances of self-basic leadership and taking part in social, political and financial existence of the nation with a feel of equity

References :-

1. Baruah, B. Role of Electronic Media in Empowering Rural Women Education of N.E. India. ABHIBYAKTI: Annual Journal, 1, 23- 26. (2013) [6]. Kadam,
2. Deshpande, S., and Sethi, S., Role and Position of Women Empowerment in Indian Society. International Referred Research Journal, 1(17), 10-12. (2010)
3. Pankaj Kumar Baro1 & Rahul Sarania "Employment and EducationalA Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science.
4. R. N. Empowerment of Women in India- An Attempt to Fill the Gender Gap. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(6), 11-13. (2012)

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. खेलशंकर त्यास * सत्यनारायण शर्मा **

शोध सारांश – उदयपुर जिले से चयनित 40 विद्यालयों के विद्यार्थियों से उनके लिए चलाई जा रही सरकारी मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता संबंधी सूचनाएं एकत्रित की गईं। इस हेतु व्यवस्थित रूप से विकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इस योजना के संचालन का उद्देश्य विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है इनका सर्वाधिक प्रभाव विद्यार्थियों पर ही पड़ता है तो इनकी प्रभावशीलता का व्यापक आंकलन विद्यार्थियों के ही दृष्टिकोण से करने का प्रयास इस शोध के माध्यम से किया गया। इस हेतु प्रत्येक चयनित 40 विद्यालयों के 20 छात्रों व 20 छात्राओं का मत स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा लिया गया। जिन 40 विद्यालयों का चयन किया गया उनमें 20 शहरी एवं 20 ग्रामीण विद्यालय थे। शोध में ग्रामीण छात्रों, ग्रामीण छात्राओं, शहरी छात्रों व शहरी छात्राओं का पृथक-पृथक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द – मिड डे मिल योजना, प्रभावशीलता, ग्रामीण छात्र, ग्रामीण छात्रा, शहरी छात्र, शहरी छात्रा।

प्रस्तावना – मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। वर्तमान में यह योजना राजस्थान राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्राप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना मुख्य है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुदेशीय कार्यक्रम है तथा राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ी हुई है। इस योजना में विद्यार्थियों को प्रतिदिन मेन्यू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था है।

मिशेल बाम्बावाले, जेमिमा ह्यूजेस और एमी लाइटफुट (2018) भारत में शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रियाओं और प्रथाओं की खोज करते हुए भारत में एक प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन पर जोर दिया।

निट्टिमोल एंटनी और सिबी डेविड (2014) भारत में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाओं से पर्याप्त स्थानिक और संख्यात्मक विस्तार हुआ है किन्तु गुणात्मक उन्नयन की आवश्यकता है।

कैथी सिल्वा (1994) बाल विकास और बुनियादी कौशल के विकास में प्राथमिक स्कूलों का गहरा प्रभाव पड़ता है।

अन्नह जेपेक्टर, किसिलू कॉम्बो, डॉ डोरोथी एनडुंज क्यलो (2015) सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन में वृद्धि के लिए शिक्षकों की कक्षा रणनीति की जांच करना है।

शोध परिकल्पना :

1. ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. शहरी छात्र-छात्राओं के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार मिड डे मिल योजना की

प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता

– ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु व्यवस्थित रूप से विकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। ग्रामीण विद्यार्थियों से मिड डे मिल योजना के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। तालिका 1 से ज्ञात होता है कि अध्ययन किये गए चार पहलुओं के आधार पर ग्रामीण छात्रों का समेकित मान 3194 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः ग्रामीण छात्रों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 66.54 प्रतिशत है।

अध्ययन किये गए चारों पहलुओं के आधार पर ग्रामीण छात्राओं का समेकित मान 3483 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः ग्रामीण छात्राओं के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 72.56 प्रतिशत है।

तालिका 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा ग्रामीण छात्राएं मिड डे मिल योजना को अधिक प्रभावशाली मानती है। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P_1 - P_2}{\sqrt{P_0 Q_0 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.7256 - 0.6654}{\sqrt{0.6955 \times 0.3045 \left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400} \right)}}$$

$$|Z| = 1.85$$

जेड का औसत आंकलित मान 1.85 है जो कि तालिका मान 1.96 से कम है जो यह बताता है कि ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः प्रथम

परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता

- शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु व्युत्थित रूप से विकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शहरी विद्यार्थियों से मिड डे मिल योजना के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। तालिका 2 से ज्ञात होता है कि अध्ययन किये गए चार पहलुओं के आधार पर शहरी छात्रों का समेकित मान 2769 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः शहरी छात्रों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 57.69 प्रतिशत है।

अध्ययन किए गए चारों पहलुओं के आधार पर शहरी छात्राओं का समेकित मान 3352 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः शहरी छात्राओं के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 69.83 प्रतिशत है।

तालिका 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

शहरी छात्रों की अपेक्षा शहरी छात्राएं मिड डे मिल योजना को अधिक प्रभावशाली मानती हैं। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P1 - P2}{\sqrt{P0Q0\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.6983 - 0.5769}{\sqrt{0.6376 \times 0.3624\left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400}\right)}}$$

$$|Z| = 3.57$$

जेड का औसत आंकलित मान 3.57 है जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है जो यह बताता है कि शहरी छात्राएं मिड डे मिल योजना को सार्थक रूप से अधिगम में छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानती हैं। अतः द्वितीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की तुलनात्मक प्रभावशीलता -सकल ग्रामीण विद्यार्थियों (ग्रामीण छात्रों व ग्रामीण छात्राओं) के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 69.55 प्रतिशत है।

सकल शहरी विद्यार्थियों (शहरी छात्रों व शहरी छात्राओं) के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता 63.76 प्रतिशत है।

शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा ग्रामीण विद्यार्थी मिड डे मिल योजना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P1 - P2}{\sqrt{P0Q0\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.6955 - 0.6376}{\sqrt{0.6666 \times 0.3334\left(\frac{1}{800} + \frac{1}{800}\right)}}$$

$$|Z| = 2.46$$

जेड का औसत आंकलित मान 2.46 है जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है जो यह बताता है कि ग्रामीण विद्यार्थी मिड डे मिल योजना को सार्थक रूप से अधिगम में शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानते हैं। अतः तृतीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष - ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार मिड डे मिल योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है। शहरी छात्राएं मिड डे मिल योजना को सार्थक रूप से अधिगम में छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानती हैं। ग्रामीण विद्यार्थी मिड डे मिल योजना को सार्थक रूप से अधिगम में शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानते हैं।

यह तथ्य भी समझना जरूरी है कि मिड डे मिल योजना की प्रभावशाली को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी स्वीकारते हैं किन्तु इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Michelle Bambawale, Jemima Hughes and Amy Lightfoot (2018) Exploring teacher evaluation processes and practices in India: A case study Enablers for the implementation of an effective teacher evaluation system in India, British Council 2018 pp- 1-39.
2. Nittymol Antony & Sibi David (2014) A study on the impact of various schemes adopted by the government for strengthening elementary education in India IRACST – International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), ISSN: 2319–2828 Vol. 3, No. 3, June 2014
3. Kathy Sylva (1994) School influences on children's development, J- Child Psychol. Psychiat. Vol. 35, No. 1, pp. 135-170, 1994
4. Annah Jepketer , Prof. Kisilu Kombo , Dr. Dorothy Ndunge Kyalo (2015) Teachers' Classroom Strategy for Enhancing Students' Performance in Public Secondary Schools in Nandi County, Kenya IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 7, Ver. II (July 2015), PP 61-73

तालिका 1 - ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता

श्रेणी	भार	ग्रामीण छात्र	अंक	ग्रामीण छात्रा	अंक	कुल अंक
मिड डे मिल योजना पूर्णतया लाभकारी	3	113	339	153	459	798
मिड डे मिल योजना काफी लाभकारी	2	221	442	205	410	852
मिड डे मिल योजना कम लाभकारी	1	61	61	39	39	100
मिड डे मिल योजना बिल्कुल लाभकारी नहीं	0	5	0	3	0	0
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में पूर्णतया सहायक	3	98	294	132	396	690
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में काफी सहायक	2	188	376	185	370	746
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में कम सहायक	1	102	102	74	74	176
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में बिल्कुल सहायक नहीं	0	12	0	9	0	0
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पूर्णतया सहायक	3	105	315	141	423	738
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में काफी सहायक	2	190	380	192	384	764
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में कम सहायक	1	95	95	61	61	156
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सहायक नहीं	0	10	0	6	0	0
मिड डे मिल योजना से पूर्णतया संतुष्ट	3	108	324	141	423	747
मिड डे मिल योजना से काफी संतुष्ट	2	184	368	190	380	748
मिड डे मिल योजना से कम संतुष्ट	1	98	98	64	64	162
मिड डे मिल योजना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं	0	10	0	5	0	0
योग			3194		3483	6677

तालिका 2 - शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की समेकित प्रभावशीलता

श्रेणी	भार	ग्रामीण छात्र	अंक	ग्रामीण छात्रा	अंक	कुल अंक
मिड डे मिल योजना पूर्णतया लाभकारी	3	72	216	132	396	612
मिड डे मिल योजना काफी लाभकारी	2	189	378	212	424	802
मिड डे मिल योजना कम लाभकारी	1	126	126	51	51	177
मिड डे मिल योजना बिल्कुल लाभकारी नहीं	0	13	0	5	0	0
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में पूर्णतया सहायक	3	61	183	114	342	525
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में काफी सहायक	2	165	330	193	386	716
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में कम सहायक	1	157	157	86	86	243
मिड डे मिल योजना पढ़ाई में बिल्कुल सहायक नहीं	0	17	0	7	0	0
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पूर्णतया सहायक	3	68	204	121	363	567
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में काफी सहायक	2	173	346	198	396	742
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में कम सहायक	1	144	144	74	74	218
मिड डे मिल योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सहायक नहीं	0	15	0	7	0	0
मिड डे मिल योजना से पूर्णतया संतुष्ट	3	65	195	118	354	549
मिड डे मिल योजना से काफी संतुष्ट	2	170	340	205	410	750
मिड डे मिल योजना से कम संतुष्ट	1	150	150	70	70	220
मिड डे मिल योजना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं	0	15	0	7	0	0
योग			2769		3352	6121

पुस्तकालय एवम् सूचना विज्ञान की प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, पुस्तकालयाध्यक्षों की महत्ता एवम् उपादेयता तथा उनकी समस्याओं आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विपिन बिहारी मिश्र *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से पुस्तकालय एवम् सूचना विज्ञान का क्षेत्र, आज के परिवेश, उसका महत्व, उपादेयता, पृष्ठभूमि, पुस्तकालयाध्यक्षों की भूमिका आदि का वर्णन दिया गया है। आजके वैज्ञानिक युग में पुस्तकालयों की अहम भूमिका सिद्ध हो रही है। बिना पुस्तकालयों के आज के युग में उन्नति करना कठिन हो गया है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पुस्तकालयों का विशेष महत्व सिद्ध हो रहा है। यह शोध-पत्र आज के वैज्ञानिक युग में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

प्रस्तावना - पुस्तकालय वर्गीकरण एक तकनीकी विषय है। इस विषय के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या के दौरान स्वभावतया अनेक तकनीकी पदों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। इन तकनीकी पदों के मूल अर्थ तथा निहितार्थ को जाने समझे बिना पुस्तकालय वर्गीकरण के विभिन्न पदों का अध्ययन करना सम्भव नहीं है। वास्तव में पुस्तकालय वर्गीकरण का यह दुरुह विषय मानने की जो भ्रांति फैली है, उसका प्रधान कारण यही है कि प्रारम्भिक तकनीकी पदों से छात्रों का परिचय पहले नहीं हो पाता। अतः पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धान्त के अध्ययन को सरल बनाने के उद्देश्य से कुछ तकनीकी पदों की परिभाषा तथा संक्षिप्त व्याख्या इस शोध-पत्र में की गई है।

सत्ता- सत्ता का अर्थ है, कोई मूर्त या अमूर्त वस्तु, विचार भाव। उदाहरण के लिए कोई, पुस्तक व्यक्ति, जानवर, पक्षी, पहाड़, नदी, हाथ, पैर, बाल, दुःख, सुख आनन्द हँसी, गर्मी, सर्दी, मीठापन, तीखापन, विषय, धार्मिक पंथ, दार्शनिक मत, संस्कार, रिश्तेदार, लाल आदि।

लक्षण- किसी सत्ता का कोई गुण, मात्रा, माप आदि। किसी भी सत्ता में अगणित लक्षण हो सकते हैं, जैसे -

सत्ता	लक्षण पुस्तक भाषा, लेखन, मुद्रण, प्रयुक्त कागज, जिल्द का रंग तथा प्रकार, संस्करण, हस्तलिखित, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, रूप (नाटक, उपन्यास, कविता आदि), विषय वस्तु आदि
व्यक्ति लेखक	मातृभाषा, हाथ-पैर, चेहरा, नाक, जनम-वर्ष, मृत्यु-वर्ष, वंश, आयु, नैतिक चरित्र, व्यवसाय, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, बाल काढ़ने की तरीका, वस्त्र पहनने का तरीका, सोने तथा आराम करने का तरीका, आवाज, शारीरिक शक्ति, वजन आदि
दार्शनिक मत	प्रणेता व्यक्ति, प्रणेता देश, सिद्धान्त, सत्य तथा वास्तविकता से सम्बन्धित प्राक्कल्पनाएँ आदि।

अभिलक्षण - वे लक्षण या लक्षण-समूह जो सत्ताओं के किसी जगत् को कम से कम दो भागों में बाँटने में समर्थ हों।

यहाँ लक्षण और विलक्षण में अन्तर समझ लेना चाहिए। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के सन्दर्भ में चेहरा होना एक लक्षण है, परन्तु अभिलक्षण नहीं, क्योंकि इस लक्षण के आधार पर व्यक्तियों के जगत् को

कम से कम दो भागों में नहीं बाँट सकते, परन्तु योनि, उम्र, मातृभाषा आदि अभिलक्षण हैं, क्योंकि इन लक्षणों के आधार पर दिए गए व्यक्तियों के दिए गए समूह को कम से कम दो भागों में बाँट सकते हैं।

समुच्चय - किसी सत्ता का व्यवस्थविहीन संग्रह या ढेर, जैसे- व्यक्तियों का ढल/ समूह, किसी कक्षा के समस्त विद्यार्थी, देशों का समूह, पुस्तकों का संकलन, अध्ययन में शामिल विषय आदि।

जगत - किसी दिए गए सन्दर्भ में विचाराधीन सत्ताओं का समुच्चय अर्थात् जगत के तीन प्रकार हो सकते हैं। -

ससीम जगत - ऐसा जगत, जिसमें सत्ताओं की संख्या निश्चित हो सके, जैसे- एक कमरे में रखे फर्नीचर, किसी कक्षा में मौजूद/ दाखिल छात्र, देश के विशेष आबादी से अधिक/ कम आबादी वाले शहर, फ्रिज में रखे अण्डे, दुकान में रखे सेब।

असीम जगत - ऐसा जगत जिसमें सत्ताओं की संख्या निश्चित न की जा सके जैसे- संख्या जगत्, मानव जगत, वनस्पति जगत्।

वर्धनशील जगत् - ऐसा जगत्, जिसमें समय-समय पर नई सत्ताएँ जन्म लेती या जुड़ती जाती हों, जैसे- मानव-मात्र द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों का जगत्, पुस्तकों का जगत्, लेखकों का जगत् आदि।

विचार - तर्कशक्ति तथा बुद्धि के प्रयोग से परिमार्जित चिंतन, मनन, कल्पना आदि का प्रतिफल, अथवा सीधा, अन्तःप्राज्ञा द्वारा प्राप्त और स्मृति में संचयित कोई बोधा।

ज्ञान-मानव जाति द्वारा हासिल किए गए विचारों का भण्डार है। इस अर्थ में ज्ञान-विचारों का जगत् यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ज्ञान की उक्त परिभाषा केवल वर्गीकरण के प्रसंग में दी गई है। ज्ञान की दार्शनिक, धार्मिक, मनोविज्ञानसम्मत आदि परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि आत्मसात् कर ली गई सूचना ही ज्ञान है, परन्तु वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की उपरिलिखित परिभाषा ही युक्तियुक्त है।

ज्ञान जगत- भूत, वर्तमान और पूर्वानुमति भविष्य के विचारों का सांकलय भण्डार है, जिसमें

1. ज्ञात सत्ताओं की संख्या असीम है,
2. अज्ञात सत्ताओं की संख्या असीम है, तथा

3. ऐसी सत्ताएँ भी हो सकती हैं, जो इस क्षण मौजूद या ज्ञात नहीं हैं, परन्तु भविष्य में समय-समय पर प्रकाश में आती रहेंगी।

वर्द्धनशील ज्ञान-जगत् का दवाब - विषय एवम् ज्ञान-जगत् एक निरन्तर वर्द्धनशील जगत् है, किसी समय या काल विशेष में इसके अन्तर्गत कितने नए विषयों का निर्माण हो जाएगा तथा उन विषयों का अन्य विषयों के परिप्रेक्ष्य में क्या क्रम होगा, इसका पूर्वानुमान असम्भव है। ज्ञान तथा विषय-जगत् एक निरन्तर वर्द्धनशील एवम् अनवरत गत्यात्मक सातत्यक है। भावात्मक धरातल पर ज्ञान एवम् विषय-जगत् की यही परिकल्पना बनती है। वर्गीकरण प्रणाली में विषयों के नाम का अंकों में अनुवाद किया जाता है।

एक परिगणनात्मक प्रणाली इस दवाब को नहीं झेल पाती, क्योंकि परिगणनात्मक प्रणाली में केवल उन्हीं विषयों की वर्ग संख्या लगाई जा सकती है, जो उसमें परिगणित है। अतः प्रणाली के निर्माण या प्रकाशन के बाद जो विषय उत्पन्न होंगे, उनके लिए वर्ग संख्या बनाना कठिन कार्य है। अन्य वर्गीकरण प्रणालियाँ भी इस दवाब को महसूस करती हैं तथा इसे झेलने के लिए विभिन्न युक्तियों का सहारा लेती हैं। निर्बाध फेसेटयुक्त वर्गीकरण प्रणाली काफी हद तक इस दवाब को संतोषप्रद ढंग से झेल लेती है।

विषय- विचारों का एक सुव्यवस्थित अथवा सुसंबद्ध पिण्ड, जिसका विस्तार और गहराई किसी सामान्य व्यक्ति के रुचि-क्षेत्र के संगत हो और उसकी बौद्धिक क्षमता तथा अपरिहार्य विशेषज्ञता के अन्तर्गत सुविधानुकूल रूप से समाहित हो सके।

एकल विचार - कोई विचार या विचार-समूह, जो किसी विषय का एक घटक बना सकता हो, परन्तु स्वयं में विषय नहीं बन सकता। एकल या एकल विचार की परिभाषा को हम विषय की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में और अच्छी तरह समझ सकते हैं। विषय विचारों का एक सुसंबद्ध पिण्ड है, जिसका विस्तार किसी सामान्य व्यक्ति की रुचि, क्षमता तथा विशेषता के अन्तर्गत समाहित हो सके, जैसे- साहित्य, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, भूगोल आदि। इसके विपरीत विचार एकल कोई भी विचार या विचार समूह हैं, बशर्ते उसमें उपरिलिखित परिभाषा की माँग के अनुसार स्वयमेव कोई विषय बनने की क्षमता नहीं हो, पर जो किसी विषय का एक घटक बन सकता हो, जैसे- शिशु, नारी, भारत, 21वीं शताब्दी, लोहा, सोना, संरचना आदि। ये स्वयं में कोई विषय नहीं बन सकते, परन्तु किसी विषय का घटक बन सकते हैं, जैसे- भारत।

भारत स्वयं में स्वतंत्र विषय नहीं है, परन्तु अनेक विषयों में एक घटक बन सकता है, जैसे- भारत का इतिहास, भारत में शिक्षा, भारत में कृषि, भारत में चिकित्सा विज्ञान, भारत के खनिज पदार्थ आदि। इसी प्रकार शिशु स्वयं में एक स्वतंत्र विषय नहीं बन सकता, परन्तु अनेक विषयों में घटक का रूप धारण कर सकता है, जैसे- शिशु रोग, शिशु शिक्षा, बाल-मजदूर, बाल मनोविज्ञान आदि। इसी प्रकार एक ही विषय के साथ एक से अधिक घटक हो सकते हैं। जैसे- भारत में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा, सन् 1995 में कृषि के क्षेत्र में धान की पैदावार आदि।

बुनियादी विषय - ऐसा विषय, जिसमें घटक के रूप में कोई एकल विचार नहीं जुड़ हो। इस परिभाषा को और भी स्पष्ट करने के लिए लिख सकते हैं कि-

- इतिहास एक बुनियादी विषय है - भारत का इतिहास बुनियादी विषय नहीं है।
- साहित्य एक बुनियादी विषय है - हिन्दी साहित्य बुनियादी विषय नहीं है।

- मनोविज्ञान एक बुनियादी विषय है - बाल मनोविज्ञान बुनियादी विषय नहीं है।
- शिक्षा एक बुनियादी विषय है - वयस्क शिक्षा बुनियादी विषय नहीं है।
- खनन विज्ञान एक बुनियादी विषय है - लोहे की खान बुनियादी विषय नहीं है।
- कृषि एक बुनियादी विषय है - सन् 1995 में भारतीय कृषि बुनियादी विषय नहीं है।

यहाँ यह स्पष्ट है कि दिए गए विषय बुनियादी विषय हैं, क्योंकि विषय की परिभाषा इन पर लागू होती है तथा साथ ही इनके साथ ही इनके साथ कोई घटक नहीं है। दूसरी ओर कॉलेम 2 में दिए गए विषय बुनियादी विषय नहीं हैं, क्योंकि यद्यपि विषय की परिभाषा इन पर भी लागू होती है, परन्तु इनमें घटक के रूप में एक या अधिक विचार एकल प्रयुक्त हुए हैं।

यौगिक विषय - ऐसा विषय, जिसमें एक बुनियादी विषय के साथ एक या एकाधिक विचार एकल हों। जैसे बुनियादी विषय की चर्चा करते समय जिन विषयों के उदाहरण दिए हैं, वे सारे यौगिक विषय हैं, यौगिक विषय के अन्य उदाहरण हैं -

1. शिशु रोग चिकित्सा
2. धान के रोग और उपचार
3. भारत का इतिहास
4. स्वर्ण से चिकित्सा
5. सोने की खान
6. लोहे की खान
7. लोहे की फर्नीचर
8. बाल मजदूरी के खिलाफ कानून, आदि।

मिश्रित विषय - दो या दो से अधिक विषयों के मिलने से या उनके बीच किसी सम्बन्ध के अध्ययन के फलस्वरूप निर्मित विषय। यौगिक विषय और मिश्रित विषय के बीच यह अन्तर है कि यौगिक विषय का निर्माण किसी बुनियादी विषय के साथ किसी एकल विचार के जुड़ने से होता है, जबकि मिश्रित विषय का निर्माण एक विषय के ऊपर दूसरे के प्रभाव के अध्ययन या किसी सबन्ध के अध्ययन से होता है, जैसे-

भारत का इतिहास और भूगोल	यहाँ दो विषयों (इतिहास और भूगोल का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, अतः इनके बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित होता है।)
चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान	यहाँ दो विषयों (चिकित्सा और मनोविज्ञान में से एक (मनोविज्ञान) का दूसरे (चिकित्सा) के प्रति झुकाव का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, अतः इनके बीच झुकाव सम्बन्ध स्थापित होता है)
कोलन वर्गीकरण पद्धति तथा डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन	यहाँ एक ही विषय (पुस्तकालय विज्ञान) के दो विभागों के बीच तुलनात्मक अध्ययन

सवाल है कि अगर किसी दो पुस्तकों से प्रेम नहीं हो तो आखिर इस दुनिया में वह पुस्तकालयाध्यक्ष ही क्यों बनना चाहता है ? इस (व्यवहार) में वेतन कम है, (काम के) घण्टे अधिक, है, अवकाश विरल है और कार्य

कठित है, पुस्तकों से प्रेम तथा उनकी जानकारी ही पुस्तकालयाध्यक्ष के पार-पत्र हैं और लोगों में वास्तविकता अभिरुचि सोने में सुहागा।

- इमेस्टीन रोज

भूमिका - पुस्तकालयों को स्वर्गतुल्य स्थान, ज्ञान का मन्दिर विश्वविद्यालय का हृदय, गाँव रूपी अंगूठी में जड़ा नगीना आदि कई विषयों से विभूषित किया जाता रहा है। अतः पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय एक महान व्यवसाय है। कोई व्यवसाय कितना उत्तम है, इसका पता इस बात से चलता है कि उसके व्यवसाय के मुक्किल कौन है। इस दृष्टि से पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय निश्चित रूप में एक उत्तम व्यवसाय है, क्योंकि पुस्तकालय में अधिक आने वाले व्यक्ति सभ्य तथा ज्ञान के पिपासु होते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष न केवल समाज के उत्तम नागरिकों के सम्पर्क में आता है, बल्कि नागरिकों को सही समय पर सही सूचना देकर एक असीम आनन्द और उत्साह का अनुभव भी करता है।

पुस्तकालयाध्यक्षता किसलिए - पुस्तकालय-व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें कुछ देकर या सेवा कर आनन्द का अनुभव किया जाता है, कुछ लेकर नहीं। कविता या साहित्य की रचना में भी कवि या साहित्यकार एक अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। कविता (या साहित्य) रचना के निम्नलिखित उद्देश्य संस्कृत काव्यशास्त्री सम्मत ने गिनाएँ हैं-

‘काव्यं यशसेऽर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये।

सद्यः परिनिर्वृतये कांतसम्मिततयोपदेशयुजे॥’

अर्थात्- साहित्य की रचना छः उद्देश्यों के लिए की जाती है- (1) यश के लिए, (2) धन के लिए, (3) लोक व्यवहार के लिए, (4) समाज-कल्याण के लिए, (5) विरेचनानन्द के लिए तथा (6) मृदु-सम्प्रेषण के लिए।

डॉ. रंगनाथन ने पुस्तकालयाध्यक्षता के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं-

- (1) व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ
- (2) समाज कल्याण
- (3) सर्जनात्मक तथा विरेचात्मक आनन्द
- (4) देशीय धर्म

ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि मय्यर ने साहित्य रचना के तथा डॉ. रंगनाथन ने पुस्तकालयाध्यक्षता के जो उद्देश्य बताए हैं, वे एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है।

व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ - सामान्यतः प्रत्येक व्यवसाय के चुनने का उद्देश्य आजीविका या जीवन-यापन के लिए साधन जुटाना होता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय-चयन के पीछे व्यक्तिगत लाभ होता है। मम्मट ने व्यक्तिगत लाभ को दो बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा है - यश-प्राप्ति और धन-प्राप्ति। उन्होंने यश या नाम और सम्मान को प्रथम स्थान पर रखा है। इस दृष्टि से पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय एक उत्तम व्यवसाय है। इसमें वेतन के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है तथा सेवाभाव के कारण सम्मान।

सन् 1948 में डॉ. रंगनाथन ने कहा था कि यद्यपि आज (उस समय) पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन कम है, परन्तु कुछ समय बाद भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों का महत्व स्वीकार किया जाएगा तथा पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय उच्च वेतनवाला व्यवसाय हो जाएगा। डॉ. रंगनाथन की भविष्यवाणी उनके जीवनकाल में ही सत्यसिद्ध हुई है। आज सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थानों आदि में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को संतोषप्रद वेतन मिल रहा है।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को संतोषप्रद वेतन मिल रहा है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोफेसर (रीडर) के बराबर वेतन देने की अनुशंसा है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कविता-रचना के समान ही पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं। धन जीवन यापन का साधन मात्र है। इस व्यवसाय में कर्मचारी को जो सम्मान और सुख मिलता है, वहीं मुख्य उद्देश्य है। सादा जीवन उच्च विचार को ही पुस्तकालय कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ करना चाहिए।

समाज-कल्याण - समाज के कल्याण के लिए पुस्तकालयों का चलाया जाना आवश्यक है। अतः पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय का एक उद्देश्य समाज कल्याण भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पुस्तकालय के कर्मचारी समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति (जैसे- प्रशासन, वैज्ञानिक, कृषक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर, कार्यालय कर्मचारी, स्वतंत्र व्यवसायी, छात्र आदि)। को उनकी सूचना उपलब्ध कराकर करता है। डॉ. रंगनाथन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय-विज्ञान विभाग में दिए गए अपने उद्घाटन-भाषण में सन् 1947 में कहा था-

‘मैं कहता हूँ, स्वतंत्र भारत ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना में अधिक देर नहीं कर सकता, जिनकी देश में तुरन्त आवश्यकता है और जो आप जैसे योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जा सके..... भारत सार्वजनिक पुस्तकालय विज्ञान की सेवा के बिना सम्भव नहीं तो उसके नेता दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरदर्शितापूर्ण कदम की सराहना करेंगे। ‘सरकार को यह अवश्य सोचना चाहिए कि पुस्तकालय-विज्ञान यदि अधिक नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक है.....’

डॉ. रंगनाथन की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई आज 60 से अधिक विश्वविद्यालयों में सरकार की अनुमति से तथा कई सरकारी विभागों द्वारा पुस्तकालय-विज्ञान के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के नेताओं ने पुस्तकालयों को समाज के लिए कल्याणकारी माना है।

सृजनात्मक तथा विरेचनात्मक आनन्द - पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यवसाय में कर्मचारी को सृजनात्मक आनन्द की प्राप्ति होती है। यहाँ हमें प्रसन्नता तथा आनन्द में अन्तर समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ (अर्थात् धन और सम्मान की प्राप्ति) से मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है। यह प्रत्येक व्यवसाय में सम्भव है, परन्तु प्रसन्नता क्षणभंगुर होती है। यह ऊपर से मनुष्य को प्रसन्न या खुश कर देती है, परन्तु उसकी आत्मा को हिलोरती नहीं। इसके विपरीत आनन्द चिरस्थायी होता है तथा मनुष्य की आत्मा की पोर-पोर में सुख भर देता है।

बहेलिया चिड़ियों को पकड़कर तथा उन्हें बेचकर धन की प्राप्ति कर प्रसन्नता का अनुभव करता है, परन्तु पिंजड़े में बन्द पक्षी को मुक्त करने वाला को आनन्द का अनुभव होता है। हर्ष प्रसन्नता का अनुभव व्यक्तिगत लाभ से होता है तथा यह प्रत्येक व्यवसाय से सम्भव है, परन्तु आनन्द का अनुभव गिने-चुने व्यवसायों में ही होता है। पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय में भी आनन्द की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति को उसकी पुस्तक तथा सूचना उपलब्ध कराकर, समाज के कल्याण का कार्य कर पुस्तकालयाध्यक्ष आनन्द का अनुभव करता है। वस्तुतः इस आनन्द का सृजन करना भी उसके हाथ में है। पहले पुस्तकालयाध्यक्ष किसी जरूरतमन्द पाठक द्वारा पूछे जाने पर उसके काम की सूचना उसे उपलब्ध कराता है और इस प्रकार अपने अन्दर आनन्द का सृजनात्मक आनन्द का अनुभव करता है।

यह आनन्द ऐसा ही है जैसे तपते रेगिस्तान में प्यास से तड़पती चिड़िया के मुँह में पानी की बूँद डालकर उसमें स्फूर्ति भर देने से प्राप्त आनन्द। इस सृजनात्मक आनन्द के अतिरिक्त पुस्तकालय व्यवसाय में विरेचनात्मक आनन्द की भी प्राप्ति होती है। विरेचन का अर्थ त्यागना, छोड़ना, दे देना, निकाल देना आदि। मय्यर ने इसे 'सद्यः परिनिर्वृतयें', अरस्तु ने 'कैथेरसिस' तथा सुमित्रानन्दन पंत ने 'प्रसव-पीड़ा' के समान कहा है। कवि अपनी भावना को जब तक कविता के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर देता तब तक उसे प्रसव के समान पीड़ा होती रहती है। जब वह कविता लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त कर देता है, तब उसे विरेचनात्मक आनन्द की प्राप्ति होती है।

इनमें कुछ देकर या त्यागकर या बाहर निकालकर मनुष्य असीमित आनन्द का अनुभव करता है। आगे चलकर उसे इस आनन्द के सृजन की आदत पड़ जाती है। जब तक वह अपने अन्दर ऐसे आनन्द का सृजन नहीं कर लेता, उसे प्रसव के समान पीड़ा होती रहती है। वह पुस्तकालय में प्रकार पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें सृजनात्मक एवम् विरेचनात्मक आनन्द की प्राप्ति होती है।

देशीय धर्म- पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय देश के प्रत्येक व्यक्ति, समाज और ढल को इस योग्य बनाने में मदद करता है, जिससे वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति कर सकें। ऐसा वह उन्हें स्वस्थ तथा सूचनाप्रद साहित्य उपलब्ध कराकर करता है।

पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय सेवा के माध्यम से अपना देशीय धर्म पूरा करता है। देशीय धर्म को स्पष्ट करते हुए रंगनाथ लिखते हैं- 'अर्थात् किसी भी राष्ट्र का वह धर्म जिसके कारण वह विश्व के ज्ञान एवम् कल्याण में असाधारण योगदान देता है, समय आ गया है कि मानवता के नाते हम इस क्षेत्र (पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालय सेवा) में एक लम्बा कदम उठाए।'

पुस्तकालय-विज्ञान तथा सेवा के क्षेत्र में नए मानदण्ड का काम कर पुस्तकालयाध्यक्ष अपने देशीय धर्म का पालन करता है। उदाहरण स्वरूप डॉ. रंगनाथ ने पुस्तकालय-विज्ञान तथा सेवा के क्षेत्र में विश्व को अनेक क्रान्तिकारी सिद्धान्त, सूचीकरण संहिता तथा वर्गीकृत पद्धति दी। इस प्रकार पुस्तकालय विज्ञान के माध्यम से भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष अपने देशीय धर्म का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे।

पुस्तकालयाध्यक्षता किसके लिए - पुस्तकालयों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रकार की जनशक्ति की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय अन्य व्यवसायों से अधिक कठिन और भिन्न व्यवसाय है। अन्य अनेक व्यवसायों की कार्यक्षमता तथा निपुणता की जाँच केवल उन्हीं व्यवसायों से सम्बन्धित लोग करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई किसी विषय में व्याख्याता बनता है तो उस विषय से सम्बन्धित छात्र या शिक्षक ही उसकी निपुणता जाँचते हैं। इतिहास के व्याख्याता की निपुणता इतिहास के क्षेत्र में ही जाँची जा सकती है, पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में नहीं। परन्तु जब कोई पुस्तकालयाध्यक्ष बनता है तो उसकी निपुणता तथा कार्यक्षमता की जाँच प्रत्येक विषय से सम्बन्धित पाठक करता है तथा प्रत्येक पाठक की कसौटी पर पुस्तकालयाध्यक्ष को खरा उतरना पड़ता है।

एक कठिन व्यवसाय होने के अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्षता एक भिन्न व्यवसाय भी है। अन्य व्यवसायों में मुक्किल जितना ही असन्तुष्ट होगा, व्यवसायी के पास उतना ही अधिक आएगा तथा जब सन्तुष्ट हो जाएगा तो आना बन्द कर देगा। उदाहरणार्थ, असन्तुष्ट रोगी डॉक्टर के पास, असन्तुष्ट मुक्किल वकील के पास, असन्तुष्ट छात्र शिक्षक के पास, असन्तुष्ट लेनदार,

देनदार के पास बार-बार आएँगे, परन्तु सन्तुष्ट होने के बाद (जैसे रोग ठीक हो जाने के बाद रोगी, मुकदमा जीत जाने के बाद मुक्किल) आना बन्द कर देते हैं, परन्तु पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय भिन्न व्यवसाय है। इसमें मुक्किल (पाठक) जब तक सन्तुष्ट रहेगा, आता रहेगा; परन्तु असन्तुष्ट (माँग पूरी न होने पर) होने पर पुस्तकालय में आना बन्द कर देगा। पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय अपनाने वाला को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता - भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉ. रंगनाथन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों पर एक समिति गठित की। इसे 'रंगनाथन समिति' के नाम से भी जान पड़ता है। इस समिति ने सन् 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें शैक्षिक पुस्तकालयों के प्रत्येक पक्ष, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्षों की योग्यता, वेतनमान तथा पद्धतिमा भी सम्मिलित है, पर अपनी अनुशंसा दी। इस प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1965 में प्रकाशित किया। भारत सरकार द्वारा अभी हाल में निर्धारित योग्यताएँ (सरकारी पुस्तकालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई योग्यताएँ (विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए) परिशिष्ट में दी गई हैं।

पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण - डॉ. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक रेफरेन्स सर्विस में सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा है कि सन्दर्भ-पुस्तकालयाध्यक्ष में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के सम्मिलित गुण होने चाहिए। जिसे शत्रुघ्न के समान अहंकारहीन होना चाहिए। भरत ने चौदह वर्षों तक राम की खड़ाऊँ को सिंहासन पर बैठाकर अपने राजकार्य सम्बन्धी कर्तव्य का पालन एक सेवक की भाँति किया। इसी तरह पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अपना अहंकार छोड़कर पाठकों की सेवा में लीन रहना चाहिए। उसे भरत के समान कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। चौदह वर्ष तक राम के राज्य को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाया और बिना राज-सत्ता का उपभोग किए प्रजा का पालन करते रहे।

उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सत्तालोलुप न होकर अपने कर्तव्य के प्रति या आशा के बिना लक्ष्मण वन के सुख-दुःख की चिन्ता न करते हुए निष्काम भाव से राम की सेवा करते रहे; उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी बिना किसी पुरस्कार, प्रशंसा या लाभ की आशा किए, पाठकों की निष्काम सेवा करनी चाहिए। उसे राम के समान सुख-दुःख से अनासक्त रहना चाहिए।

डॉ. रंगनाथन पूर्णतः भारतीय थे तथा भारतीय दर्शन और संस्कृति में उनका गहन विश्वास था। उन्होंने सन्दर्भ-पुस्तकालयाध्यक्ष में जिन सामान्य गुणों की चर्चा की है वे गुण प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक कर्मचारी में होना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष में जिन सामान्य गुणों की चर्चा की है, वे गुण प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक कर्मचारी में होने चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्षों के गुणों की चर्चा करते हुए वेल्लेस ने लिखा है-

"It goes without saying that three is not a single desirable personality trait which would not be desirable in a librarian"

अतः यह कहा जा सकता है कि जितने भी मानवीय गुण हैं, किसी पुस्तकालयाध्यक्ष में उन सभी का होना अपेक्षित है, परन्तु निम्नलिखित गुण तो पुस्तकालयाध्यक्षों में कूट-कूटकर भरे होने चाहिए-

1. संगठनात्मक क्षमता,
2. पुस्तकों और पाठकों के प्रति प्रेम

3. सेवा-भावना तथा
4. मृदुभाषी और व्यावहारिक

संगठनात्मक क्षमता - पुस्तकालयाध्यक्ष में संगठन की ऐसी क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि पुस्तकालय कर्मचारियों और पुस्तकालय सामग्री को उचित रीति से संगठित और व्यवस्थित कर सकें। इससे पुस्तकालय का अधिक से अधिक लाभ पाठकों को मिलता है। इसके लिए उसे कर्मचारी संगठन और पुस्तकालय की तकनीकों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसे संगठित और व्यवस्था के सिद्धान्तों की भी जानकारी होनी चाहिए।

पुस्तकों और पाठकों के प्रति प्रेम - प्रत्येक पुस्तकालय-कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है- पाठक को उसकी पुस्तक और पुस्तक को उसके पाठक से मिलाना। किसी ने सच ही कल्पना की है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुरोहित के समान होता है और पुरुष रूपी वधुओं को पाठक रूपी वर से मिलाने का काम करता है। इस काम को पूरा करने के लिए उसे पुस्तकों और पाठकों, दोनों के बारे में पूरा होना चाहिए। पुस्तकालय में जब भी कोई पुस्तक आए, उसे उसके अन्तर-विषय का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए।

इस प्रकार उससे स्वयं भी एक अच्छा पाठक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने पाठकों की पठन-रुचि और आवश्यकताओं का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों और पाठकों, दोनों के बराबर सम्पर्क मते रहें। तभी वह पुस्तकों और पाठकों का उचित मिलन

करा सकता है, रोज ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप में लिखा है-

“After all, if a person does not love books, why on earth should she or he wish to become a librarian. There is little enough in the way of financial reward, the hours are long, vacation short, and work hard A real knowledge of books does constitute a passport of librarianship to that is added a genuine interest in people”.

सेवा भावना - पुस्तकालय एक सेवा संस्थान है और पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय सेवा का व्यवसाय है। अधिकार, सत्ता और पदलोलुप व्यक्ति इस व्यवसाय के उपयुक्त नहीं। इसीलिए प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि सेवा-भावना उसके व्यवसाय का महत्वपूर्ण गुण है। सेवा-भावना से सृजनात्मक एवम् विवेचनात्मक आनन्द की प्राप्ति होती है।

मृदुभाषी और व्यवहारिकता - पुस्तकालयाध्यक्ष को मृदुभाषी एवम् व्यवहारिक होना चाहिए। मृदुभाषी का शाब्दिक अर्थ मीठा, मधुर बोलने से है। उसके इस प्रकार के स्वभाव से अनेकों व्यक्ति पुस्तकालय में आएँगे तथा उसका लाम उठाएँगे। पुस्तकालयाध्यक्ष को व्यवहारिक भी होना चाहिए। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसी अच्छे व्यवहार से व्यक्तियों का रुझान पुस्तकालयों की ओर बढ़ेगा तथा वह पुस्तकों का उपयोग अधिक से अधिक कर सकेंगे तथा इससे पुस्तकालयों की महत्व एवम् उपादेयता भी बढ़ेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. खेलशंकर त्यास * सत्यनारायण शर्मा **

शोध सारांश - राजस्थान के उदयपुर जिले से चयनित 40 विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता संबंधी सूचनाएं एकत्रित की गईं। इस कार्य के लिए व्यवस्थित रूप से स्वविकसित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। अन्नपूर्णा दूध योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाना है। इसकी प्रभावशीलता का व्यापक आंकलन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से करने का प्रयास इस शोध अध्ययन में किया। प्रत्येक के 20 छात्रों व 20 छात्राओं का मत स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा मत एकत्र किया गया। 20 शहरी एवं 20 ग्रामीण विद्यालयों से छात्र छात्राओं को चुना गया। शोध में ग्रामीण छात्र-छात्राओं, शहरी छात्र-छात्राओं का पृथक-पृथक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिससे योजना के बारे में यथोचित जानकारी प्राप्त हो सकी।

मुख्य शब्द - अन्नपूर्णा दूध योजना, योजना की प्रभावशीलता, ग्रामीण विद्यार्थी, शहरी विद्यार्थी।

प्रस्तावना - अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत राजस्थान राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को पोषाहार के साथ दूध भी दिया जाता है। इस योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को 150 एम.एल. व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 एम.एल. दूध विद्यालयों में दिया जाता है। दूध वितरण का प्रबंध विद्यालय प्रबंध समितियों के मार्गदर्शन में होता है। इस योजना के तहत दूध सप्ताह में तीन दिन दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना व बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि करना है।

राज्य सरकार ने यह योजना छात्रों को दूध प्रदान करने के लिए शुरू की। दूध एक आवश्यक भोजन तत्व है और इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभ हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, त्वचा को पोषण मिलता है और रोग प्रतिरोधाक क्षमता में सुधार होता है। दूध से दन्त क्षय नहीं होता व श्वसन समस्याएं भी नहीं होती।

शोध परिकल्पना :

1. ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. शहरी छात्र-छात्राओं के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता - ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु व्यवस्थित रूप से विकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। ग्रामीण विद्यार्थियों से अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। तालिका 1 से ज्ञात होता है कि अध्ययन किए गए चार पहलुओं के आधार पर ग्रामीण छात्रों का समेकित मान

3020 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः ग्रामीण छात्रों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 62.92 प्रतिशत है।

अध्ययन किए गए चारों पहलुओं के आधार पर ग्रामीण छात्राओं का समेकित मान 3304 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः ग्रामीण छात्राओं के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 68.83 प्रतिशत है।

तालिका 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा ग्रामीण छात्राएं अन्नपूर्णा दूध योजना को अधिक प्रभावशाली मानती हैं। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P1 - P2}{\sqrt{P0Q0\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.6883 - 0.6292}{\sqrt{0.6588 \times 0.3412\left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400}\right)}}$$

$$|Z| = 1.76$$

जेड का औसत आंकलित मान 1.76 है जो कि तालिका मान 1.96 से कम है जो यह बताता है कि ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः प्रथम परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता

- शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु व्यवस्थित रूप से विकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शहरी विद्यार्थियों से अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। तालिका 2 से ज्ञात होता है कि अध्ययन किए गए चार पहलुओं के आधार पर शहरी छात्रों का समेकित मान 2253 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः शहरी छात्रों के मतानुसार अन्नपूर्णा

दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 46.94 प्रतिशत है।

अध्ययन किए गए चारों पहलुओं के आधार पर शहरी छात्राओं का समेकित मान 3168 रहा (अधिकतम 4800 में से)। अतः शहरी छात्राओं के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 66 प्रतिशत है।

तालिका 2 (देखे अगले पृष्ठ पर)

शहरी छात्रों की अपेक्षा शहरी छात्राएं अन्नपूर्णा दूध योजना को अधिक प्रभावशाली मानती है। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P1 - P2}{\sqrt{P0Q0\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.66 - 0.4694}{\sqrt{0.5647 \times 0.4353\left(\frac{1}{400} + \frac{1}{400}\right)}}$$

$$|Z| = 5.44$$

जेड का औसत आंकलित मान 5.44 है जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है जो यह बताता है कि शहरी छात्राएं अन्नपूर्णा दूध योजना को सार्थक रूप से अधिगम में छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानती है। अतः द्वितीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार मिड डे मिल योजना की तुलनात्मक प्रभावशीलता - सकल ग्रामीण विद्यार्थियों (ग्रामीण छात्रों व ग्रामीण छात्राओं) के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 65.88 प्रतिशत है।

सकल शहरी विद्यार्थियों (शहरी छात्रों व शहरी छात्राओं) के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता 56.47 प्रतिशत है।

शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा ग्रामीण विद्यार्थी अन्नपूर्णा दूध योजना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया।

$$|Z| = \frac{P1 - P2}{\sqrt{P0Q0\left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}\right)}}$$

$$|Z| = \frac{0.6588 - 0.5647}{\sqrt{0.6118 \times 0.3882\left(\frac{1}{800} + \frac{1}{800}\right)}}$$

$$|Z| = 3.86$$

जेड का औसत आंकलित मान 3.86 है जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है जो यह बताता है कि ग्रामीण विद्यार्थी अन्नपूर्णा दूध योजना को सार्थक रूप से अधिगम में शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानते हैं। अतः तृतीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष - शहरी छात्राएं अन्नपूर्णा दूध योजना को सार्थक रूप से अधिगम में छात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानती है। ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के अनुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है। ग्रामीण विद्यार्थी अन्नपूर्णा दूध योजना को सार्थक रूप से अधिगम में शहरी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानते हैं।

अन्नपूर्णा दूध योजना की प्रभावशीलता को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी स्वीकारते हैं अतः इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस हेतु पृथक कर्मचारी की नियुक्ति प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

तालिका 1 - ग्रामीण विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता

श्रेणी	भार	ग्रामीण छात्र	अंक	ग्रामीण छात्रा	अंक	कुल अंक
अन्नपूर्णा दूध योजना पूर्णतया लाभकारी	3	101	303	141	423	726
अन्नपूर्णा दूध योजना काफी लाभकारी	2	205	410	192	384	794
अन्नपूर्णा दूध योजना कम लाभकारी	1	75	75	46	46	121
अन्नपूर्णा दूध योजना बिल्कुल लाभकारी नहीं	0	19	0	21	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में पूर्णतया सहायक	3	90	270	125	375	645
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में काफी सहायक	2	175	350	174	348	698
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में कम सहायक	1	110	110	85	85	195
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में बिल्कुल सहायक नहीं	0	25	0	16	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पूर्णतया सहायक	3	96	288	133	399	687
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में काफी सहायक	2	185	370	185	370	740
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में कम सहायक	1	98	98	59	59	157
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सहायक नहीं	0	16	0	23	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना से पूर्णतया संतुष्ट	3	93	279	128	384	663
अन्नपूर्णा दूध योजना से काफी संतुष्ट	2	180	360	178	356	716
अन्नपूर्णा दूध योजना से कम संतुष्ट	1	107	107	75	75	182
अन्नपूर्णा दूध योजना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं	0	20	0	19	0	0
योग			3020		3304	6324

तालिका 2 - शहरी विद्यार्थियों के मतानुसार अन्नपूर्णा दूध योजना की समेकित प्रभावशीलता

श्रेणी	भार	ग्रामीण छात्र	अंक	ग्रामीण छात्रा	अंक	कुल अंक
अन्नपूर्णा दूध योजना पूर्णतया लाभकारी	3	58	174	118	354	528
अन्नपूर्णा दूध योजना काफी लाभकारी	2	172	344	196	392	736
अन्नपूर्णा दूध योजना कम लाभकारी	1	152	152	68	68	220
अन्नपूर्णा दूध योजना बिल्कुल लाभकारी नहीं	0	18	0	18	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में पूर्णतया सहायक	3	43	129	106	318	447
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में काफी सहायक	2	158	316	184	368	684
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में कम सहायक	1	173	173	86	86	259
अन्नपूर्णा दूध योजना पढ़ाई में बिल्कुल सहायक नहीं	0	26	0	24	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पूर्णतया सहायक	3	48	144	113	339	483
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में काफी सहायक	2	168	336	190	380	716
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में कम सहायक	1	160	160	79	79	239
अन्नपूर्णा दूध योजना अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सहायक नहीं	0	24	0	18	0	0
अन्नपूर्णा दूध योजना से पूर्णतया संतुष्ट	3	45	135	109	327	462
अन्नपूर्णा दूध योजना से काफी संतुष्ट	2	161	322	188	376	698
अन्नपूर्णा दूध योजना से कम संतुष्ट	1	168	168	81	81	249
अन्नपूर्णा दूध योजना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं	0	26	0	22	0	0
योग			2253		3168	5421

पुस्तकालय एवम् सूचना विज्ञान के क्षेत्र में रसायन शास्त्र के शोध प्रबन्धों की शोध प्रविधि (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. विपिन बिहारी मिश्र *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से रसायन शास्त्र के शोध प्रबन्धों का उत्कृष्ट विवेचन करना है। इस शोध-पत्र के माध्यम से जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) का प्रमुख रूप से चयन किया गया है। उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में उक्त विषय के अन्तर्गत किस प्रकार का शोधकार्य चल रहा है। उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है तथा भविष्य में शोध-छात्रों को परिणाम कैसे मिलेंगे ? इसका विवेचन इस शोध-पत्र में निरूपित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह शोध-पत्र भावी शोध के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगा।

प्रस्तावना – शोध का अर्थ एवम् उद्देश्य-मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर खोज है, परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते हैं, जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व विद्यमान हों, प्रथम निरीक्षण इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा दूसरा कारण दर्शाना जिसके द्वारा इन तथ्यों का अर्थ उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवम् विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका सम्बन्ध निश्चित किया जाता है। यही दोनों तत्व यदि पुस्तकालय विज्ञान तत्वों के सम्बन्ध में किए गए अनुसन्धान में विद्यमान है तो तब पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं।

पुस्तकालय विज्ञान शोध घटनाओं या विद्यमान सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि को पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं। शोध का एक सैद्धान्तिक उद्देश्य उन स्वाभाविक नियमों की खोज करना है, जिनके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान घटनाएँ या जीवन निर्देशित व नियमित होता है।

आज यह स्वीकार किया जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान घटनाएँ, आकस्मिक या स्वतः उत्पन्न नहीं होती है, जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, वर्षा, ज्वार-भाटा आदि प्राकृतिक घटनाएँ आकस्मिक नहीं हैं। बल्कि कुछ सुनिश्चित नियमों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती है, उसी प्रकार मानवीय या पुस्तकालय विज्ञान घटनाएँ भी कुछ स्वाभाविक, पुस्तकालय विघ्न नियमों के अन्तर्गत आती हैं और उन नियमों को व्यवस्थित पद्धति की सहायता से ढूँढा जा सकता है। अतः पुस्तकालय विज्ञान शोध का एक सैद्धान्तिक उद्देश्य उन नियमों को खोजना है तो कि पुस्तकालय विज्ञान घटना को नियमित व नियंत्रित करते हैं। अतः किसी समस्या को हल करने, प्राक्कल्पना की परीक्षा करने अथवा नवीन घटनाक्रम या उसमें नवीन सम्बन्धों को खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों या पुस्तकालय विज्ञान परिस्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है, उसे पुस्तकालय विज्ञान शोध या अनुसन्धान कहते हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर में रसायनशास्त्र के साहित्य का पुनरावलोकन एवम् शोध उत्पादकता का मूल्यांकन करता है। 'शोध प्रबन्ध

के वांगमयात्मक विश्लेषण के माध्यम से विषय सम्बन्धी ट्रेण्ड को प्रस्तुत करना है। शोध प्रबन्धों में प्रयुक्त उद्घरणों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा विषय, लेखन स्वरूप, समय एवम् भौगोलिक प्रकीर्णन को सरलीकृत कर निष्कर्ष को प्रस्तुत करना है, जिससे साहित्य संकलन का विकास एवम् प्रबन्धन किया जा सके।⁽¹⁾

प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है-

1. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई, इन्दौर में उपलब्ध शोध सुविधाओं का अवलोकन करना।
 2. शोध साहित्य के विकास का विश्लेषण करना।
 3. शोध प्रबन्धों की वृद्धिगत पैटर्न की पहचान करना।
 4. रसायनशास्त्र के प्रमुख अनुसन्धान क्षेत्र एवम् मार्गदर्शक उत्पादकता की पहचान करना।
 5. लेखक, विषय, स्वरूप, समय एवम् भौगोलिक प्रकीर्णन का सर्वे करना।
 6. ग्रन्थालय हेतु विषय सम्बन्धित विकास का प्रदर्श प्रस्तुत करना।
- श्रीमती पी.वी. यंग पुस्तकालय विज्ञान शोध एक वैज्ञानिक योजना है, जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शोध से तात्पर्य केवल नए सिद्धान्त ही नहीं बल्कि जब कभी भी पुराने सिद्धान्तों की प्रामाणिकता को जानने अथवा विभिन्न घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को जानने का प्रयत्न किया जाता है, तब ऐसे सभी प्रयत्नों की व्यवस्थित प्रणाली को ही हम शोध कहते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र– शोध योजना के अन्तर्गत विषय का चयन तथा शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात् अध्ययन या शोध कार्य के क्षेत्र का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। अध्ययन का असीमित क्षेत्र तथा विषय की अस्पष्ट एवम् त्रुटिपूर्ण अवधारणाएँ शोध कार्य को अनिश्चित एवम् प्रभावहीन बनाती है, असीमित क्षेत्र एक ओर तो विषय के अध्ययन को असम्भव व कष्टकारी बनाता है, तो दूसरी ओर प्राप्त होने वाले परिणामों एवम् निष्कर्षों को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए यह आवश्यक

है कि शोधार्थी शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शोध कार्य के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। इस सम्बन्ध में कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि शोध का क्षेत्र वास्तव में असीमित है तथा इससे सम्बन्धित विषय सामग्री भी अनन्त है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक घटना, जीवन का प्रत्येक पक्ष अतीत व वर्तमान का प्रत्येक स्तर शोधकार्य के लिए जीवन्त विषय सामग्री प्रस्तुत करता है।

‘मेरे द्वारा वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे लाभ का निर्धारण, लाभदायकता, लाभांश नीति, संचय एवम् कोष नीति, अवक्षयण नीति, लाभ की अवधारणा, पुनर्वियोग नीति आदि को गहन अध्ययन के लिए सम्मिलित किया गया है।’⁽²⁾

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र जैसा कि शोध शीर्षक से व्यक्त होता है, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर के द्वारा मान्य रसायन शास्त्र शोध प्रबन्धों के परिप्रेक्ष्य में है, जो ग्रन्थालय में उपलब्ध एवम् प्राप्य है। यह अध्ययन वर्णनात्मक के साथ-साथ विश्लेषणात्मक रूप से आधारित होगा। ग्रन्थमितीय पक्षों-लेखक, विषय, स्वरूप एवम् समय प्रकीर्णन के गहन अध्ययन के साथ ही शोध प्रबन्धों का मार्गदर्शक, शोधार्थी, समय, संस्थागत सम्बद्धता आदि अनुसार अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रक्रिया - किसी भी कार्य की सफलता पूर्वक निश्चित समयावधि में सम्पन्न करने हेतु एक वैज्ञानिक कार्य पद्धति का अनुसरण करना आवश्यक है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उचित कार्य प्रणाली का चयन कार्य की असफलता की सभी सम्भावनाओं को समाप्त कर देता है। शोध प्रक्रिया का अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं एवम् उपकरणों से है, जिनका प्रयोग शोध कार्य के लिए किया जाता है। शोध प्रक्रिया की विषय वस्तु अध्ययन के विषय एवम् उद्देश्यों पर निर्भर करती है। शोध प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं।

एक शोध कार्य पद्धति शोध का तार्किक एवम् व्यवस्थित आयोजन तथा निदर्शन है। उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित प्रारूप का निर्माण करना आवश्यक होता है। यह प्रारूप शोध कार्य से सम्बन्धित समस्या की प्रवृत्ति तथा उद्देश्यों के अनुरूप ऐसा वैज्ञानिक एवम् विशिष्ट ढाँचा तैयार करता है, जिसमें उपयोगी निष्कर्ष प्राप्ति हेतु सबका संकलन, नियंत्रण तथा विश्लेषण किया जा सके। एक स्तरीय शोध अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति का समय-समय पर पुनरावलोकन आवश्यक है, जिससे परिस्थितियों, सरकारी नीतियों एवम् नियमों में परिवर्तन तथा अन्य कारणों से शोध कार्य पद्धति में अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकें। शोध कार्य पद्धति की पूर्णता एवम् विश्वसनीयता सफल शोध अध्ययन की आधारशिला है।

अतः शोध कार्य करने के पूर्व ढोषरहित शोध पद्धति की रचना करना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई, इन्दौर मूल्यांकन के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वयं एवम् विशेषज्ञों के परामर्श से एक शोध अभिकल्प तैयार किया गया है। समंकों एवम् सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण, निर्वचन एवम् प्रस्तुतीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। शोधार्थी द्वारा अपने शोध प्रबन्ध को तैयार की गई योजना के अनुसार पूर्ण करने का प्रयास किया गया है, साथ ही आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तनों को समायोजित किया गया है।

शोध परिकल्पना - शोध अध्ययन करते समय शोध विषय के सम्बन्ध में शोधार्थी ने अपने विचार तथा अनुमान रहते हैं, जिनके आधार पर शोध

परिकल्पनाओं का निर्धारण किया है -

1. अधिकांशतः उद्धतकर्ता लेखक बहुलेखकत्व साहित्य को चुनते हैं।
2. शोधार्थियों द्वारा प्रलेखों में ग्रन्थ सर्वाधिक चयनित होते हैं।
3. अधिकतम उद्धृत किए जाने वाले लेखकों एवम् सामयिकियों की संख्या कम होती है।
4. रसायन शास्त्र के अनुसन्धान में नवीन साहित्य ज्यादा उद्धृत किया जाता है।
5. विदेशी की तुलना में देशी साहित्य ज्यादा उद्धृत किया जाता है।
6. रसायनशास्त्र में विषय प्रकीर्णन अधिकतम होता है।

समंकों का संकलन, सम्पादन, सारणीयन - शोध अध्ययन के विशाल भवन का निर्माण संकलित समंकों की नींव पर होता है। शोध कार्य से सम्बन्धित प्रारम्भिक अध्ययन के उपरान्त समंक, संकलन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। समंक संकलन का अर्थ शोध कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों से अधिकतम सूचनाएँ एकत्रित करना है। समंक संकलन की सफलता शोध सफलता का आधार है। शोध अध्ययन में दो प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है -

1. प्राथमिक समंक,
2. द्वितीयक समंक

प्राथमिक समंक वे हैं, जिन्हें शोधार्थी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार, व्यक्तिगत निरीक्षण अनुसूची एवम् प्रश्नावली आदि विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इन समंकों का शोध अध्ययन में प्रथमतः उपयोग किया जाता है।

होरेस सेक्राइट के अनुसार - ‘प्राथमिक समंकों से यह आशय है कि वे मौलिक हैं, अर्थात् जिसका समूहीकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ है, घटनाओं का अंकन या मणन उसी प्रकार किया गया है, जैसे पाया गया है। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ होते हैं।’⁽³⁾

द्वितीयक समंकों से आशय उन समंकों से होता है, जो पूर्व में अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं और शोधार्थी द्वारा उनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। शोध का विषय निर्धारित हो जाने के पश्चात् शोधार्थी द्वारा चयनित इकाईयों के विभिन्न अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पन्न स्थापित किया गया तथा उनके समक्ष शोध प्रबन्ध का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शोधार्थी को यथासम्भव सहायता प्रदान करते हुए शोधावधि के वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय नीति प्रतिवेदन तथा अन्य सूचनाएँ उपलब्ध कराई गईं। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित सभी समंक एवम् सूचनाएँ शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र की गईं हैं। शोध अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है, जो वार्षिक प्रतिवेदनों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध-ग्रन्थों, इन्टरनेट एवम् सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य से एकत्र किए गए हैं। अध्ययन की पूर्णता के लिए प्राथमिक समंकों की सहायता भी ली गई है, जो साक्षात्कार, पत्र-व्यवहार तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा एकत्र किए गए हैं।

समंक उत्पादन - शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यों, सूचनाओं तथा समंकों का संकलन करने के पश्चात् सम्पादन का कार्य किया जाता है। सम्पादन से आशय से संकलित समंकों की शुद्धता की जांच कर लिए जाते हैं। उनमें कुछ समंकों तथा तथ्य ऐसे हो सकते हैं, जो अनुपयोगी तथा शुद्ध एवम् सम्पादन का कार्य किया जाता है। बिना सम्पादन क्रिया के संकलित समंक एक अव्यवस्थित अर्थहीन का ढेर होता है और उनके द्वारा किसी भी उचित

परिणाम को प्राप्त करना मवालियों की बस्ती में शरीफ व्यक्ति को तराशने जैसा होगा।

सम्पादन कार्य के महत्व के सम्बन्ध में क्रम पैटर्न एवम् टेबल ने लिखा है कि 'सम्पादन की क्रिया किसी भी प्रकार महत्वहीन व नैतिक क्रिया नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए विशिष्ट योग्यता सतर्कता सावधानी तथा वैज्ञानिक निष्पक्षता का दृढ़ता से पालन करना अनिवार्य है। सम्पादन कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पादित करने के लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा पर्याप्त सतर्कता तथा सावधानी अन्य सूचनाएँ उपलब्ध कराई गईं। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित सभी समंक एवम् सूचनाएँ शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र की गई हैं। शोध अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है, जो वार्षिक प्रतिवेदनों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध-ग्रन्थों, इन्टरनेट एवम् सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य से एकत्र किए गए हैं। अध्ययन की पूर्णता के लिए प्राथमिक समंकों की सहायता भी ली गई है, जो साक्षात्कार, पत्र-व्यवहार तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा एकत्र किए गए हैं।

समंकों सम्पादन - शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यों, सूचनाओं तथा समंकों का संकलन करने के पश्चात् सम्पादन का कार्य किया जाता है। सम्पादन से आशय से संकलित समंकों की शुद्धता की जांच कर किए जाते हैं, उनमें कुछ समंक तथा तथ्य ऐसे हो सकते हैं, जो अनुपयोगी तथा शुद्ध एवम् सम्पादन का कार्य किया जाता है। बिना सम्पादन क्रिया के संकलित समंक एक अव्यवस्थित अर्थहीन का ढेर होता है और इनके द्वारा किसी भी उचित परिणाम को प्राप्त करना मवालियों की बस्ती में शरीफ व्यक्ति को तलाशने जैसा होगा।

सम्पादन कार्य के महत्व के सम्बन्ध में क्रम पैटर्न एवम् टेबल ने लिखा है कि 'सम्पादन की क्रिया किसी भी प्रकार महत्वहीन व नैतिक नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए विशिष्ट योग्यता सतर्कता सावधानी तथा वैज्ञानिक निष्पक्षता का दृढ़ता से पालन करना अनिवार्य है। सम्पादन कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पादित करने के लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा पर्याप्त सतर्कता तथा सावधानी बरती जाए, तभी सम्पादन कार्य से समंकों को शुद्ध व प्रयोग योग्य बनाया जा सकेगा।'

समंकों का सारणीयन- सारणीयन शोध कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के विश्लेषण का मुख्य चरण है। सारणीयन गणनात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध व्यवस्थित एवम् वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की एक विधि है, इसका मुख्य उद्देश्य विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त एवम् वैज्ञानिक समझने योग्य स्थिति में प्रस्तुत करना है। चूँकि तथ्यों को तर्क एवम् पद्धतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, जो सारणीयन के द्वारा अत्यन्त आसान एवम् सुविधाजनक हो जाता है।

इस सम्बन्ध में जहोदा ड्यूश व कुक ने लिखा है कि 'सारणीयन सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण की प्रक्रिया का एक भाग है, जिससे विभिन्न श्रेणियों में आने वाली सामग्री को गिना एवम् दिखाया जाता है।' सारणीयन के सम्बन्ध में सांख्यिकीविद् डी.एन. एलहॉस का कहना है कि- 'विस्तृत अर्थों में सारणीयन सामग्री की कॉलमों एवम् कतारों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि विषय के विश्लेषण तथा निर्वाचन का कार्य पूर्ण करने से पूर्व सामग्री को कॉलमों एवम् कतारबद्ध कर सारणीयन किया जाना आवश्यक होता है, ताकि समंकों को समझने तथा विश्लेषण करने योग्य बनाया जा सके। प्रस्तुत शोध-पत्र में शोधार्थी द्वारा संग्रहित विभिन्न समंकों का गहन परीक्षण पुस्तकालयों से सम्बन्धित लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त

कर विश्लेषण को शुद्ध, निष्पक्ष तथा प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

शोध कार्य के उद्देश्य की सार्थकता को बनाए रखने के लिए शोधार्थी ने आवश्यक समंकों का पूर्ण सम्पादन किया है। अध्ययन को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से बड़ी-बड़ी संख्याओं का उपसादान किया गया है, ताकि उन्हें सरल एवम् बोधगम्य बनाया जा सके। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अध्ययन की रूपरेखा में सम्बन्धित विभिन्न अध्यायों में प्रयुक्त समंकों को सारणीबद्ध किया गया है, सारणीयन का उपयोग अध्ययन को संक्षिप्त एवम् पूर्ण बनाने के लिए किया गया है।⁽⁴⁾

समंकों का विश्लेषण एवम् निर्वचन - शोध प्रक्रिया का अन्तिम चरण अध्ययन कार्य में प्रयुक्त समंकों, तथ्यों तथा सूचनाओं का विश्लेषण एवम् निर्वचन है। शोध कार्य के चयन तथा समंकों के संकलन से प्रारम्भ होता है, लेकिन मात्र समंक संकलन से ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। शोध उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत एवम् सारणीबद्ध समंकों का विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। सामान्यतः विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं तथा समंकों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उसमें पाए जाने वाले आपसी सम्बन्ध के आधार पर विश्लेषण का कार्य किया जाता है, इसी विश्लेषण प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष ही शोध का परिणाम होता है, जो शोध कार्य के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समंकों का विश्लेषण शोध कार्य की सम्पूर्णता तथा व्यवहारिकता के लिए अत्यन्त आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण कार्य है, इस सम्बन्ध में जे.जे. हेनरी स्पेन फेयर ने लिखा है कि- 'जिस प्रकार एक भवन का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी भाँति विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है पर केवल तथ्यों का एक संकलन उसी प्रकार विज्ञान है, जैसे कि पत्थरों का एक ढेर भवन नहीं है।'

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, विभिन्न सारणियों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण कार्य में आवश्यकतानुसार प्रतिशत, अनुपात, सूचकांक तथा सहसम्बन्ध का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्राप्त निष्कर्षों का सांख्यिकी आधार पर उचित निर्वचन किया गया है, ताकि शोध के परिणाम सही एवम् सार्थक हो।

प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण - अध्ययन में प्रयुक्त समंकों सारणियों तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। प्रस्तुतिकरण जितना अधिक प्रभावी और आकर्षित होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकेगा।⁽⁵⁾

शोध कार्य की उपयोगिता एवम् महत्व - प्रस्तावित शोध कार्य जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर रसायन शास्त्र के साहित्य का पुनरावलोकन एवम् शोध उत्पादकता का मूल्यांकन एक बेहद उपयोगी अध्ययन होगा। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर में आज दोनों वर्ग मानक स्तर से काफी दूर दिखाई देता है, सरकार इनके विकास के लिए दिनों-दिन प्रयासरत हैं। यह स्वयं सेवी संस्थाएँ इनके विकास के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं, परन्तु इनके विकास की गति पुस्तकालय में सुविधा जुटाने के लिए अभी धीमी है।

इस शोध कार्य में जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर के विकास के लिए कार्य करने वाली राज्य सरकारी संगठनों को शोध का बिन्दु माना है। इस शोध-पत्र के द्वारा

जानने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर.एन. एवम् शर्मा आर.के. 'सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसन्धान की विधियाँ और प्रविधियाँ' एटलान्टिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, वर्ष 2008, पृ. 42
2. शर्मा विनय मोहन 'शोध प्रविधि', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2009, पृ. 35
3. जरारे, विजय, शोध प्रणाली, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, वर्ष 2007, पृ. 64
4. नाडगोड गुरुनाथ, 'सामाजिक संशोधन पद्धति' फड़के प्रकाशन, कोल्हापुर, वर्ष 2004, पृ. 87
5. अवधप्रसाद 'गाँवों में सामाजिक आर्थिक एवम् राजनीतिक परिवर्तन' हिन्द बुक डिपो, नई दिल्ली, वर्ष 2008, पृ. 41

पर्यावरण प्रदूषण - एक सामाजिक चुनौती

डॉ. स्वालकीन खान *

प्रस्तावना - इतिहास इस बात की साक्षी है कि, पर्यावरण जब-जब स्वच्छ रहा, विकास उतना ही तीव्र हुआ एवं पर्यावरण प्रदूषित होने पर विकास हरास में परिवर्तित हुआ। पर्यावरण प्रदूषण आज हमारे देश में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और हर क्षेत्र में पर्यावरण एक गंभीर एवं चुनौती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। आज विश्व का ध्यान पर्यावरण की आरे झुक रहा है।

प्राचीन भारत में ऋषियों मुनियों द्वारा वेद शब्द का प्रयोग होता था और ईस्वी पूर्व 2500 से 1000 वर्ष तक इस क्षेत्र में काफी कुछ सहित्य लिखे गए। जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सामवेद प्रमुख हैं, इनके अलावा भी जो साहित्य लिखे जाते थे, उनमें वेद शब्द का उपयोग होता था। वेद का अर्थ अन्तात्मा की आवाज से है। समय ने पलटी खायी और वेद शब्द का स्थान शास्त्र शब्द ने ले लिया और हमारे सामने विभिन्न साहित्यों में शास्त्र शब्द को जोड़कर पढ़ा जाने लगा, जैसे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र व भौतिक शास्त्र, नृत्य एवं संगीत शास्त्र आदि। समय पलटते देर न लगी और इस शास्त्र शब्द का भी लोप होने लगा और एक नया शब्द विषय के रूप में हमारे सामने युग को परिवर्तित करते हुए उपस्थित हुआ, जिसे विज्ञान के नाम से जाना जाता है और आज का युग वैज्ञानिक युग के रूप में जाना जाने लगा और पढ़े जाने वाला वेदों अथवा शास्त्रों में विज्ञान शब्द का प्रयोग होने लगा अर्थात् क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान और हमारे सामने संचालित साहित्य पुस्तक के रूप में समाज विज्ञान, अर्थविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और कम्प्यूटर विज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब वह दिन दूर नहीं है, कि इस शब्द का भी लोप हो और नया शब्द हम सबके बीच जो जाने वाला है, वह है, पर्यावरण। आज विश्व की निगाह पर्यावरण एवं पर्यावरण उनकी चुनौतियों के ऊपर टिकी हुई है। आखिर यह पर्यावरण है क्या इस पर गौर एवं चिंतन करें।

वस्तुतः हम कह सकते हैं, जल एवं वायु मानव द्वारा बाँधी नहीं जा सकती है प्रातःकाल प्रकृति का सौन्दर्य कुछ होता है और सायंकाल कुछ। दिन निकलते ही लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं दिन ढलते ही दिनचर्या बदलती रहती है। अर्थात् वायु मण्डल का संयोजन बदलता रहता है। पर्यावरण का अर्थ - पर्यावरण, परि (चारों ओर) + आवरण वह समष्टि है जो हमारे चारों ओर आवृत अर्थात् दिखाई पड़ती है अथवा महसूस की जाती है।

पर्यावरण मुख्य रूप से वायु जल, वनस्पति, जीव जन्तु एवं अन्य तत्वों की शुद्धता के ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारे चारों ओर की आवृति या उसकी इकाई शुद्ध है तो पर्यावरण अवश्य ही शुद्ध होगा और यही आवृति

अशुद्ध है तो यह एक बड़ी चुनौती है।

प्रायः समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार के समाचार छपते हैं जो विज्ञानिकों एवं विद्वानों को इस दिशा में गंभीरता से मनन करने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे दिल्ली तथा कलकत्ता विश्व के शीर्ष प्रदूषित शहरों में, विश्व की एक तिहाई जनसंख्या प्यासी, ताजमहल को आगरा के उद्योगों से संकट, विश्व में एक एकड प्रति सेकेण्ड की रफतार से पृथ्वी से वर्णों का नष्ट होना आदि। 3 दिसंबर 1984 की भोपाल की रात्रि भूली नहीं जा सकती जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव त्रासदी है, पेस्टीसाइड एथिल आइसोसायनाइड के टैंकों के रिसने से हजारों की मृत्यु होना, अत्यधिक लोगों का अन्धा होना एवं अनुवांशिकी व्याधाओं से व्यधित होना, भोपाल की भूमि में फसलो का नष्ट होना।

इसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति के परंपरा के पालन में विभिन्न त्यौहारों के समय विभिन्न प्रकार के कैमिकल्स से युक्त अपने इस्ट पूज्यों को नदियों और तालाबों में ठंडा करने से जल प्रदूषण भी एक प्रश्न के रूप में विद्यमान है।

6 सितम्बर 1945 हेरोशिमा पर एवं 9 सितम्बर 1945 को नागाशाकी पर अमेरिका द्वारा बम्बारी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रदूषण को कभी भूला नहीं जा सकता। 5 जून 1962 को दुनिया का ध्यान उन संकटो पर गया जो कि पृथ्वी पर जीवन को गंभीर चुनौती दे रहे हैं तथा 140 राष्ट्रों ने इस दिवस को विशेष दिवस के रूप में माना। पृथ्वी पर लगभग 5 लाख प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपयोग होते हैं। पिछले सात दशकों में 6 लाख टन एन्टीमनी, 10 लाख टन कोबाल्ट तथा अत्याधिक मात्रा में आर्सेनिक वायु मण्डल में समा चुके। जम्बो जेट एक उड़ान में 100 टन आक्सीजन खपाता है और कई कार्बन डाई आक्साइड वायु मण्डल में छोड़ देता है। प्रदूषण का प्रभाव यह है कि 240 किस्म की स्तनपायी जीव 350 प्रकार के पक्षी तथा बीस हजार प्रकार की वनस्पतियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अतः हम प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पर्यावरण में आवांछनीय जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में व्यापत बुराईयाँ, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, धर्मान्धाता एवं उग्र राष्ट्रीयता में भी पर्यावरण का प्रदूषित रूप देखने को मिलता है।

उत्थान एवं पतन उत्कर्ष एवं अपकर्ष प्रारंभ एवं अंत एक दूसरे के पूरक भी है और कारक भी। सृष्टि का विकास एवं प्रलय एक लम्बे अंतराल से आने का उल्लेख कई धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है गीता में भी हजारों युगों के बाद विश्व निराकर में विलीन हो सकता है तथा हजारों युगों के बाद इसका पुनः निर्माण होता है। बाईबिल एवं कुरान पाक में भी प्रलय के आने का संकेत है और जब पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा तो प्रलय

अवश्यामी है। इस बात का पूर्ण संकेत हम और आपके मिल चुका है। अतः हर क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना संसार के लिए एक गम्भीर चुनौती है हम और आपको सभी को इस दिशा में गहन चिन्तन और मनन की आवश्यकता है।

जहाँ एक ओर वाहनों उनकी भीड़ भाड़ से महानगर प्रदूषित हो रहे हैं वही बढ़ती हुई जनसंख्या के अनियंत्रण से अधिक खाद्यानों के लिए अधिक उर्वरक तथा पेस्टीसाइडों का प्रयोग होने से नदियों तालाबों एवं कुओं का जल प्रदूषित होने लगा है। इनके अत्यधिक प्रयोग से अस्थमा एवं अन्य रोग अधिक बढ़ रहे हैं।

अपने घर आँगन एवं नगरों के कचरों का वैज्ञानिक रीति से डिस्पोजल न होने के कारण शहरों में आसपास गड्डों को भर दिये जाने वाली पीढ़ी को हमने कचरे के ढेर पर बैठा दिया है। कॉस्मेटिक्स डिटरजेन्ट्स तथा कीटनाशकों को अनियंत्रित उपयोग से चर्म रोगों में वृद्धि हुई है। महिलाओं में सैनेटरी टावेल तथा नैपकिन के प्रति अधिक लगाव से इनका निर्माण अधिक मात्रा में होने लगा है जिस कारण वृक्षों के कटने की गति तेज होने लगी है। सैनेटरी निर्माण में वृक्षों का उपयोग होता है। हमारे देश में गरीब मजदूर एवं बेरोजगार एवं ग्रामीण जंगलों को काटकर लकड़ी बँचकर अपना जीविकोपार्जन करता है। इस दिशा में भी चिन्तन की आवश्यकता है।

आज की दौड़ धूप की जिन्दगी में लोगों में वृक्षारोपण एवं बागवानी के प्रति लगाव समाप्त सा होता जा रहा है। हमारे रहन-सहन के ढंग में बदलाव आने से नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ने लगा है और वायु मण्डल में हम अधिक से अधिक हानिकारक पदार्थ पहुँचाने लगे हैं। जैसे वायुमण्डल में समाने बाले पदार्थ सी.ओ.सी.ओ.टू. धुएँ के रूप में केंसर होने के कारण मोतिया बिन्दु एवं अन्धपन की सम्भावना बढ़ा देता है।

महानगरों में विद्युत शव दाह ग्रहों की कमी से लकड़ी का उपयोग अधिकतर मात्रा में होता है जिससे वन साफ हो रहे हैं। उनकी कटाई निरंतर जारी है। वनों की कमी से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सामाजिक रिवाजों में भी परिवर्तन करने का प्रयास चल रहा है। उदाहरण के लिए पेन्ट की हुई मूर्तियाँ के नगर के आस पास के नदी तालाबों में विसर्जित करने से जल में लेड का प्रदूषण हो रहा है किन्तु उक्त बातें चूँकि जनता का परंपरागत विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी से मिली हैं और भावनाओं से जुड़ी हुई है इसलिए इसके सुधार में समय लग सकता है। फिर भी इस विषय में चिन्तन और मनन की आवश्यकता है।

कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी में गंगा का जल भी प्रदूषित हो रहा है और फिल्मी दुनिया में इस पर फिल्में भी बनाई गई कि (राम तेरी गंगा मैली हो गई है) बड़े-बड़े महानगरों में बढ़ते हुये औद्योगिकीकरण के कारण उससे निकलने वाले डिस्चार्ज जिसे नदियों में मिला दिया जाता है, उससे भी नदियों का जल प्रदूषित होता है यही हाल दिल्ली में यमुना नदी का भी है। धीरे-धीरे गंगा की तरह यमुना भी प्रदूषित हो रही है।

ओजोन छिद्र तथा ग्रीन हाउस का प्रभाव के प्रदूषण से वायु मण्डल की ओजोन परत भी पतली हो रही है। ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने को रोकती है। इसकी कमी से त्वचा में केंसर की सम्भावना बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण समुद्र की सतह उठ जाएगी तथा समुद्र के किनारे वसने वाली जन संख्या संकट में फँस जाएगी। ऐसी स्थिति में पर्यावरण शरणार्थी अधिकाधिक संख्या में हो जाएंगे, शीतलता के लिए प्रयुक्त होने वाला क्लोरो कार्बन का उपयोग अधिक होने से ओजोन छिद्र वायु मण्डल में हो गया। मई 1989 में 80 राष्ट्रों ने मिलकर सन् 2000 तक

इसका प्रयोग समाप्त करने एवं अन्य पदार्थ को इसकी जगह उपयोग हेतु दूढ़ निकालने का निर्णय लिया था किन्तु अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

समुद्र में भी दूसरी दुनिया के राष्ट्र अस्पतालों के सड़े गले अवशेष एड्स की सुईयाँ एवं लावारिस मुर्दों की लाश प्रवाहित करते हैं। जिससे समुद्रीय जीव जन्तु एवं समुद्र में भ्रमण करने पर्यटकों में पीलिया का रोग बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है जिसका समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सुझाव – आज हमारा पर्यावरण विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जन समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाए इसके लिए शिक्षण संस्थाएँ, समाचार पत्र, विधान सभाएँ, संसद, समस्त विद्यार्थी, अभिभावक, समाज सेवी संस्थाएँ एवं मीडिया महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती हैं। प्राकृतिक एवं वायरल कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाये। हानिकारक रसायनों का उपयोग रोका जाये। सस्ते वायु प्रदूषण नियंत्रक बनाए जाए एवं उन्हें प्रत्येक फैक्ट्री में लगाए जाए।

ऊर्जा के लिए अन्यत्र साधनों का प्रयोग किया जाए जैसे कि प्राकृतिक हवा तथा समुद्रीय लहरों का प्रयोग करके ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायें तथा सूर्य ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लकड़ी के ईंधन के स्थान पर किया जाए।

प्रत्येक राष्ट्र उपग्रह रक्षा फण्ड में योगदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शांति समझौते किए जाए एवं उग्र राष्ट्रीयता से बाज आकर अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द को बढ़ाया जाए एवं पृथ्वी को प्रदूषण से सुरक्षित करने का प्रयास किया जाये।

पर्यावरण की सुरक्षा ज्यादातर वनस्पतियों पर निर्भर करती है। वेदों में वनस्पति के महत्व को बताया गया है एवं ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि रंगो का राजा हरा रंग है। सारी वनस्पतियाँ हरे रंग में समाहित होती हैं। हरे रंग को देखने से आँख की रोशनी बढ़ती है एवं हरी साग सब्जी व फल आदि का सेवन भी बेहद लाभदायक होता है। वेद में यहाँ तक कहा गया है कि गर्भ में बच्चा हो और ऐसी स्थिति में यदि नौ माह गर्भवती महिला को अंधेरी कोठरी में रखा जाए और उसे हरा रंग अर्थात् वनस्पति देखने को न मिले या हरे रंग से वह वंचित रह जाये तो जन्म लेने वाला शिशु अन्धा होगा इससे वनस्पति का जीवन में क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका आकलन किया जा सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए हम सब देशवासियों को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए एवं उसकी सेवा करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित बच सके। वन विभाग को इस दिशा में प्लान्टेशन वर्क ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और इसके रख रखाव के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं विद्यालय एवं महाविद्यालयों में धूमपान वर्जित होना चाहिए एवं हर जगह एन्टीड्रिग्स सोसायटी का गठन होना चाहिए और सत्य निष्ठा भाव से देश के हर नागरिक को धूमपान न करने की शपथ लेनी चाहिए।

साथ ही साथ देश में व्याप्त सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, भाषावाद, क्षेत्रवाद एवं वर्णवाद से उत्पन्न प्रदूषित पर्यावरण से मुक्ति पाने हेतु हम सभी देशवासियों का आपसी स्नेह, प्रेम, अपनत्व, ममत्व व सद्भावपूर्वक वातावरण का निर्माण करना चाहिए एवं देश दुनिया से द्वेष, क्लेश, क्रोध, बैर और व्यक्तिगत स्वार्थ व भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का विकास एवं वैज्ञानिक अविष्कारों

का सकारात्मक प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं अच्छी बातों का सकारात्मक प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं अच्छी बातों को ग्रहण करने एवं अच्छी बातों का ग्रहण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है। अतः अच्छा है कि उसे रोका जाए, हम सब इस दिशा में एक जुट होकर प्रयासरत हो और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु जितना कुछ कर सके करने की कोशिश करें। हमें इकबाल की इन पंक्तियों पर ध्यान देते हुए अमल करना चाहिए कि -

वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मशविरें हैं, आसमानों में।
न सोचोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्ता वालो,
तुम्हारी दास्तां होगी न कोई दास्तानों में।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पृथ्वी पर्यावरण और प्रदूषण - राधेश्याम शर्मा ।
2. पर्यावरण प्रदूषण - निरंजन घाटे ।
3. पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण से अपनी सुरक्षा - लव कुमार सिंह ।

भारतीय लोक संगीत पर एक दृष्टि

मोनिका शर्मा *

प्रस्तावना - लोक संगीत किसी भी देश प्रदेश अथवा स्थान की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का दर्पण होता है। यह जन साधारण की आन्तरिक भावनाओं का प्रतीक है। यह देश की उन्नति का जीता जागता उदाहरण है किसी भी देश की सांस्कृतिक उन्नति का पता उसके लोक संगीत को देखकर चलता है। लोक संगीत को सहज संगीत भी कहा जाता है, इसे सीखने के लिए किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती है।

प्राचीनकाल से ही मानव अपने मन के भावों को गाकर, बजाकर, नाचकर अभिव्यक्त करता आ रहा है। अपने सुख-दुःख तथा जीवन की अनेक घटनाओं को मानव ने संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अतः हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए जब संगीत का सहारा लिया जाता है, तो वह लोक संगीत कहलाता है। लोक संगीत का प्रचार आदिकाल से ही संसार के हर क्षेत्र में रहा है। भारत में इस संगीत का प्रचार प्राचीन समय से ही पाया जाता है। वैदिक काल में विवाह, जन्म आदि के समय में गाए जाने वाला संगीत लोक संगीत ही था। यह लोक संगीत हर काल में रहा तथा उन्नत होता गया है। लोक संगीत सामान्य जन की सृष्टि है जो अनजाने में ही हुई। लोक संगीत में ऐसा कोई नियम नहीं होता जो उसकी भावभिव्यक्ति में बाधा डाले। लोक संगीत काव्य सरल धुन तथा भाषा भी सरल होती है इसमें कोई शास्त्र या छंद आदि के नियमों का बंधन नहीं होता है।

लोक संगीत 'लोक' तथा 'संगीत' दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है- लोक के गीत अथवा लोगों में प्रचलित गीत। इसी प्रकार गीत शब्द का अर्थ उस रचना से लिया गया, जो गेयात्मक होती है। स्वर व लय इसके, प्राण तत्व है। ऋग्वेद में 'देहि लोकम्' इस रूप में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में भी लोक शब्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द के कोषगत में अनेक अर्थ हैं- संसार दुनिया, तीन लोक, जनता, सांसारिक व्यवहार, प्रजा, प्रान्त भू-भाग दृष्टि एवं यश आदि।

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार, 'जो संगीत देश काल और जाति आदि के आधार पर स्वयं बनता है, फलता-फूलता है, वह लोक संगीत है। लोक संगीत किसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं करता। यह पूर्ण रूप से सवान्तः सुखाय होता है, जो लोक के द्वारा है, लोक के लिए हैं और लोक का रंजन करता है। वह लोक संगीत है।

डा. राधाकृष्णन के अनुसार, लोक संगीत द्वारा सामाजिक जीवन का कोश संचित हुआ है। जन साधारण के लिए स्वप्न आदर्श उद्देश्य और कल्पना सब कुछ लोक संगीत में ही मुखरित होता है।

लोक संगीत भिन्न-भिन्न प्रान्तों का होते हुए भी सुनने वालों के मन मोहकर अपनी ओर आकर्षित करता है। लोक संगीत में किसी विशेष स्वर को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि स्वरों का विशेष रूप से प्रयोग किया

जाता है इसमें बिना किसी प्रयास के खटका व मुर्की आदि नाद के सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग स्वयं ही हो जाता है। लोक संगीत भाव प्रधान और मिठास से युक्त होता है। यह मानव के आहत मन को शान्ति और संतोष प्रदान करके सुखमय जीवन का संदेश देता है।

भारत के लोक गीतों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विभिन्न प्रान्तों के लोक गीतों से हमें वहां की सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की झांकी देखने को मिलती है यहाँ त्योहारों तथा विभिन्न अवसरों के लिए अलग-अलग गीत प्रचलित हैं जैसे- विवाह के अवसर पर स्त्रियां ढोलक बजाकर विवाह के गीत गाती हैं। लड़की के ससुराल विदा होने के समय गाए जाने वाले गीत बड़े हृदय स्पर्शी होते हैं, सन्तान के जन्म अवसर पर स्त्रियां सोहर गाती है तथा चक्की पीसते हुए भी गीत गाती है। अलग-अलग प्रान्तों में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अन्य प्रान्तों में सुनने को नहीं मिलते जैसे- छत्तीसगढ़ का सुआ-गीत, महाराष्ट्र का पताड़ा गीत।

श्री भगवत शरण शर्मा के अनुसार पवाड़ा लोक गीत का एक अधिक प्रचलित प्रकार था जिसमें कथानक की प्रधानता रहती थी। इसके अतिरिक्त अन्य भाव गीत, अभंग गीत, लावनी आदि जनता में अधिक प्रचलित रहे हैं। प्रायः होली दीपावली व सावन आदि अनेक त्यौहारों के अलग-अलग गीत प्रचलित हैं। चैती का गायन अधिकतर चैत्र-बैशाख के महीने में होता है। झूले के अवसर पर कजरी का गायन खूब होता है। हाथरस, मथुरा व आगरा आदि शहरों के आस-पास फाल्गुन में रसिया खूब गाया जाता है।

आधुनिक समय में जब कला और साहित्य का विकास हो रहा है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रान्तों के लोक गीतों का संग्रह करके इन लुप्त होती हुई सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रतीक गीतों को संरक्षित किया जाए।

विभिन्न प्रान्तों के लोक गीत - महाराष्ट्र में एक खास प्रकार के गीत को लावनी कहा जाता है, जो अधिकतर मराठी भाषा में होता है। लावनी एक अति प्रचलित गीत का प्रकार रहा है, इसकी रचना पहले से रची न होकर मंच पर गाते समय ही निर्मित होती थी। इसमें आगे की दो-चार पंक्तियां टेक के रूप में तथा बाकी गाते समय होती थी।

उत्तर प्रदेश विदेशिया, बज्रा, सोहर रासलीला, सांग, नौटंकी रसिया, बारहमासा की कजरी लोक-गीतों में सबसे अधिक लोकप्रिय है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका अत्यधिक प्रचार है। इस शैली में शब्दों तथा शब्दों में निहित भावनाओं के प्रस्तुतीकरण को महत्व दिया जाता है। ये सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है इनकी धुनों में प्रायः अनेक रागों की छाया दिखाई पड़ती है। कजरी अधिकतर मध्यलय में गाई जाती है।

गुजरात में गरबा व रास नृत्य बहुत लोक प्रिय है। ये नवरात्रि के दिनों में होता है, इसकी भाषा हिन्दी अथवा ब्रज होती है तथा कभी-कभी गुजराती

भी किसी-किसी गरबे में बारह मासो का भी वर्णन होता है और प्रत्येक मास के लिए अलग-अलग पद होते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य गरबा नरसी मेहता के पदों पर निर्मित है यह इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि अनेक प्रान्तों में यह किसी न किसी रूप में प्रचलित हो गया ऐसा माना जाता है कि गरबा श्री कृष्ण की पौत्र वधु ऊषा ने चलाया था।

पश्चिम बंगाल शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ ग्राम या लोक संगीत में समृद्ध है। संगीत बंगाल के ग्रामीणों का प्राण है। यहां पर घर, बाहर, और काम-काज सबके लिए अलग-अलग प्रकार के गीत हैं। बंगाल में जात्रा व कीर्तन बाउल, भटियाली और कीर्तन एवं भवइयाँ, सारी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। बाउल समस्त बंगाल की एक लोकप्रिय लोक संगीत विद्या है। बंगाल के गांव-गांव में इसका प्रचार है बाउल वहां के लोगों का एक विशेष सम्प्रदाय है दूसरी भटियाली का अर्थ है- भाटा जो प्रायः समुद्र में देखा जाता है यह नाविकों की धुन है, जिसे वे लोग नदियों को पार करते हुये गाते हैं। भटियाली किसानों और मल्लाहों आदि के जीवन से जुड़ा हुआ गीत है इसके अतिरिक्त चटका व गंभीरा भी बंगाल के ही लोक संगीत में आते हैं।

हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत विभिन्न मेलों पर्वों, तीज त्यौहारों के माध्यम से अपनी सरसता, स्वर लालित्य तथा नाद सौन्दर्य में अद्दितीय हैं। यहां के लोक गीत तथा लोक गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां के गीतों में झूरी, लांगण तथा नाटियां आती हैं वीर रस में होकू मियां की हार, पंडवायण, भारतो ढोलरु आदि प्रमुख गीत हैं। प्रेम यहां के गीतों का मुख्य विषय रहा है। अतः श्रंगार रस की प्रधान होनी स्वाभाविक ही है।

हरियाणा का लोक संगीत बहुआयामी है यहां के लोगों की निष्ठाएं दैनिक जीवन के विविध संस्कारों तथा लोक पर्वों ऋतुओं व देवी-देवताओं से जुडी हुई हैं यहां के लोक संगीत में नरसी-भगत, हरफूल जाट, सत्यवान सावित्री आदि प्रसिद्ध किस्से हैं। यहां के लोक संगीत वाद्य भी अपना अलग स्थान रखते हैं ढोलक, डफ बीन खड़ताल, चिमटा आदि आते हैं।

पंजाब के लोक संगीत की भाषा मृदु एवं आसान है। यहां के गीतों में संस्कृति एवं साहित्य की साफ झलक मिलती है। यहां दैनिक काम-काज, ऋतु त्यौहार संस्कार जिनमें लोरी, घोडी, सिठनीयां, जुगनी आदि हैं। रस्सी-पुन्नु, युसुफ, हीररांझा, मिर्जा साहिबा, जुलेखा, सोहणी-माहिवाल यहां के लोकनृत्य की भी देश में अलग पहचान है।

राजस्थान- भारत का विशाल एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रदेश है यहां के लोक गीतों में मांड, घूमर, गनगौर, सावनी आदि प्रसिद्ध है अन्य में देवर-भाभी का परिहास, सास बहू की तकरार, झूले पर झूलने के गीत आदि हैं। यहां के लोक वाद्यों में रावण हत्था, ढोलक, नंगाडा, मांदल, चंग,

अलगोजा भपंग बीन, घुंघरू, थाली, डांडिया, आदि हैं।

उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी लोक संगीत का अलग स्थान है यहां पर बंजारा नामक नृत्य में फसल काटने, रोपने बोने आदि नृत्य के कार्यों का अभिनय किया जाता है। यक्षगान, बची पट्टू यहां पर प्रचलित विभिन्न प्रकार की गीत-संगीत की शैलियां यहां की संस्कृति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती हैं। यह भारतीय संगीत की सुगंध ही है जो हमें अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करती है।

मनुष्य की वास्तविक संस्कृति उसकी प्रथाओं, लोक नृत्यों, परम्पराओं, परम्परागत विश्वासों और लोक गीतों में अन्तर्निहित होती है। विश्व का कोई भी देश इसका अपवाद नहीं है। किसी भी वर्ग विशेष के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान उसकी प्रथाओं, लोक विधाओं और गीतों को संकलित कर सहज ही लगाया जा सकता है। अपरिवर्तनीय रूप से जन समुदायों के पास यह अमूर्त संस्कृति महान संपदा है जिसकी झलक उनके त्यौहारों और उत्सवों पर पाई जा सकती है।

भारत विशाल देश होने के नाते विभिन्न बहुमूल्य लोक गीतों से भरा पड़ा है। ये गीत इस विशाल क्षेत्र पर बसे विभिन्न सम्प्रदायों की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय लोकगीत पौराणिक और परम्परागत कथाओं से गुंथे हुए हैं। जिस कारण इनकी मान्यता सर्वव्यापक है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी में लोकगीत विरासत में मिलते हैं। ये लोक गीत खुशी-दुखों, ऐतिहासिक घटनाओं व पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक गीत किसी काल विशेष या कवि विशेष की रचनाएँ नहीं है। अधिकांश लोक गीतों के रचयिताओं के नाम अज्ञात हैं। दरअसल एक ही गीत तमाम कंठों से गुजर कर पूर्ण हुआ है महिलाओं ने लोक गीतों को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश का कोई ऐसा सामाजिक उत्सव नहीं है जो इन लोक गीतों के बिना पूर्ण होता हो। फिर वह त्योहार (होली, तीज, बैशाखी आदि) हो या अन्य कोई सामाजिक उत्सव जैसे विवाह में गाये जाने वाले लोक गीत या बच्चे के जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले मंगल गीत।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार अशोक, संगीत रत्नावली, अभिषेक पब्लिकेशन, चण्डीगढ़, 2008
2. गर्ग प्रभुलाल, बसंत संगीत विशारद, संगीत कार्यालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश, 2002
3. शर्मा मृत्युन्जय संगीत मैनुअल, एच0जी0 पब्लिकेशन, दिल्ली, 2001
4. भारतीय संगीत का इतिहास, 1982

आधुनिकता के परिवेश पर दूषित होता पर्यावरण

डॉ. सुनील बाघला * डॉ. सुरजीत सिंह करवाँ **

प्रस्तावना - प्रकृति में मानव का उद्भव पूर्ववर्ती जीवधारियों की प्रभावी शक्तियों की परस्पर अन्तःक्रिया के फलस्वरूप हुआ। यद्यपि मानव का विकास विकासीय सीढ़ी पर अपेक्षाकृत देर से हुआ, फिर भी मानव ही एक ऐसा जीव है जिसने प्रकृति में प्रबल बाधाएँ पैदा कीं। वह अपनी मूल सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का सदैव ही प्रयोग करता रहा है। प्राचीन काल में रीति-रिवाजों परंपराओं, प्रथाओं, विश्वासों और नियमों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बना रहता था। लेकिन समय के साथ-साथ यह सहजीवी संबंध समाप्त हो गया और इसका स्थान अनिष्टकारी निर्भरता ने ले लिया। उसके कार्यकलाप अपने परिवेश पर इतने अधिक आश्रित हो गए कि तथाकथित विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों से प्राकृतिक पारितंत्रों का संतुलन ही बिगड़ गया। विकास कार्यों के दौरान वह बिल्कुल ही भूल गया कि पारितंत्र की एक वहन क्षमता होती है, जिससे इसके उपयोग करने की सीमा का पता चलता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित पाठ्यक्रम में पर्यावरण और संसाधनों पर पढ़ा था कि वन संसाधनों के अति अधिक दोहन से वन-उन्मूलन और उससे संबंधित कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। वनों की कटाई से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अंधाधुंध औद्योगीकरण से वन उन्मूलन और मरुस्थलीकरण की समस्या पैदा होती है तथा वन्य जीवन की हानि होती है। स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिक पर्यावरण पर वन उन्मूलन के प्रभाव के कारण मरुस्थलीकरण होता है। यह भी समझ जाएगा कि वन्य जीवन की हानि वन उन्मूलन का जैविक प्रभाव है, जो प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के फलस्वरूप होता है।

विकास परियोजनाएँ - विकास परियोजनाएँ वन उन्मूलन का मुख्य कारण बनती हैं। कबीलों के निवासी मानवीय और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखते थे लेकिन आज वन संसाधनों के संतुलित उपयोग से निकलकर हम उनके अति दोहन की तरफ आ रहे हैं। इसके कारण परिस्थितियों में बदलाव आ गया है। विकास परियोजनाओं के लिए वनों से कच्चा माल तो लिया जाता ही है, इसके अतिरिक्त विकास परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने से पहले ही वनों को नष्ट करना भी शुरू कर दिया जाता है। सड़कों, रेलवे-लाइनों, इमारतों, बाँधों, बस्ती, विद्युत-प्रदाय इत्यादि के रूप में बुनियादी ढाँचा बनाने से वन का कटाव शुरू होता है। जल-विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई के लिए बाँध और नहरों जैसी परियोजनाओं में भी लकड़ी तथा कच्ची सामग्री के लिए भी वन-कटाव किया जाता है। औद्योगीकरण ऐसी परिघटना नहीं है, जिसमें केवल एक बार ही उसके लिए आवश्यक कुछ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। अपितु उद्योगों के लगने से पहले और काफी बाद तक उसके लिए वन निम्नोत्करण जारी रहता है। कई हेक्टेयर भूमि से जुड़े वृक्षों के साफ हो जाने के कारण उसके आस-पास

रहने वाले लोगों के ईंधन, चारे, पत्तियों और छोटी लकड़ी के स्रोत छिन जाते हैं जो उनकी औजार, चारागाहों के लिए घेरा और पशुओं के लिए बाड़ा बनाने जैसी दैनिक आवश्यकताओं में प्रयुक्त होती हैं। उनके जीवनयापन के स्रोत का विनाश हो जाने से घटनाओं का एक चक्र क्रम शुरू हो जाता है, निवासियों की आय में कमी आ जाती है, पोषण स्तर में गिरावट आ जाती है, भूमि का संक्रमण शुरू हो जाता है, कृषि क्षेत्र की कमी हो जाती है, और जिसके परिणामस्वरूप और अधिक बड़े क्षेत्र से वनों का कटाव किया जाता है क्योंकि ईंधन की लकड़ी की बिक्री पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह देखा गया है कि सिंचाई परियोजनाओं के अधीन गाँवों के आदिवासी और बाँध-क्षेत्रों से विस्थापित लोग केवल ईंधन-लकड़ी की बिक्री पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। बेची गई ईंधन-लकड़ी की मात्रा के साथ-साथ जीवित रहने के लिए इनको बेचने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है और यह बिक्री इस शताब्दी के अन्त तक दुगुनी होने जा रही है।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि औद्योगीकरण और विकास परियोजनाओं के प्रभाव के प्रति लोगों की जागरूकता के फलस्वरूप 'चिपको आंदोलन' जैसे आंदोलन शुरू हो गए हैं। इस आंदोलन में वृक्षों को गिराने से रोकने के लिए लोग पेड़ से लिपट जाते हैं। आंदोलनकारियों द्वारा अपना जीवन दाँव पर लगाने पर भी वृक्षों को बचाना इस आंदोलन की भावना थी। वास्तव में इस आंदोलन की अग्रणी एक महिला थीं। श्रीमती अमृत देवी, उसके पति रामोजी और उनकी तीन पुत्रियों ने राजस्थान के एक गाँव में खेजीली में अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसी कई घटनाएँ हैं जिनमें साहसिक ग्रामीणों को अपने प्राण-प्रिय वृक्षों को बचाते समय कुल्हाड़ों से मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रबुद्ध लोगों के सामूहिक प्रयासों द्वारा गंभीर पारिस्थितिकीय परिणामों वाले निर्णय पर्यावरण संतुलन के पक्ष में कर लिए जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाँध, नदी एवं अधिकार बाँधों से प्रभावित समुदायों के लिए एक मार्गदर्शिका नई दिल्ली - बाँधें, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क सैण्ड्रूप 2007
2. मिश्र कुमार कृष्ण, जल जीवन का आधार नयी दिल्ली - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2012
3. माथुर मोहन शंकर, भारत का प्राकृतिक भू-विज्ञान नयी दिल्ली - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2013
4. मिश्र अनुपम ति.न.आन्नेय, देश का पर्यावरण ;दिल्ली: गाँधी शांति प्रतिष्ठान, 1983
5. मिश्र अनुपम, मिट्टी बचाओ अभियान ;नई दिल्ली: गाँधी शांति प्रतिष्ठान, 1981

* अधिष्ठाता (कला) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

** अधिष्ठाता (शारीरिक शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

प्राकृतिक संसाधन एक सीमित श्रृंखला

डॉ. राजेश कुमार *

प्रस्तावना – मानव समाज की वृद्धि और विकास, यहाँ तक कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी अनेक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है जिसमें भौतिक और जैव, दोनों संसाधन शामिल हैं। किसी भी पारितंत्र में यह देखा जा सकता है कि जीवों के समुदाय पृथ्वी की सतह पर, इसके जरा नीचे और जरा ऊपर भी रहते हैं। पारितंत्र में जीवों का भूमि, जल, वायु और ऊर्जा जैसे भौतिक पर्यावरण और उनकी आपस में पारस्परिक क्रिया होती रहती है। भूमि हर तरह से सीमित है। हालांकि पानी की कुछ समय के अन्दर पुनः पूर्ति की जा सकती है, लेकिन इसकी भी कमी पैदा हो सकती है। हवा का भंडार जो कभी खाली होने वाला नहीं है, इसके संघटन में भारी परिवर्तनों से इसके गुण में अत्यधिक गिरावट के कारण यह काम में लाने लायक नहीं रहता। ऐसा लगता है मानों ऊर्जा अपने प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है जैसे कि सूर्य किरणें, प्रचुर मात्रा में हैं लेकिन उपभोक्ता स्तर पर इसकी सप्लाई चिंताजनक रूप से कम है। जीवाष्प ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोएक्टिव तत्व विस्संदेह सीमित हैं। इनके बढ़ते हुए उपयोग से इनका भंडार तेजी से कम होता आ रहा है। भारतवर्ष में इन संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। जब तक वैज्ञानिक और तकनीकी आमूल-चूल बदलाव नहीं आता और एकदम से प्रगति नहीं की जाती, परिस्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और मूल संसाधनों की कमी भी है। मानव हस्तक्षेप के कारण भी इन संसाधनों में हानि हो रही है।

मानव जनसंख्या में वृद्धि के अलावा, विकास गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये सब ऐसी रफतार से हुई हैं जिससे प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से शोषण किए जाने की माँग कर डाली। इस रफतार ने प्रकृति की पाचन क्षमता को यह मौका भी नहीं दिया कि वह इस शोषण के उत्तर प्रभावों को सह सके। दूसरे शब्दों में दोहन इतना ज्यादा हुआ है कि प्रकृति स्वयं अपनी गतिशीलता द्वारा स्थिति को संतुलित करने में असमर्थ रही है। भारत में 2 प्रतिशत ही है वहीं वह विश्व जनसंख्या का 15 प्रतिशत रखता है।

पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच आंतरिक संयोजन सदा रहता है। संसाधनों के अतिदोहन और अनुचित उपयोग के कारण, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच आंतरिक संयोजन छिन्न-भिन्न हो गया है।

अब तक मानव जाति को जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में जो अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर संसाधनों की उपलब्धता का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है। सबक सीखने के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप के परिणामों की जाँच की जानी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को जिंदा बचाए रखने के उद्देश्य से भविष्य के लिए एक समुचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के मुख्य दार्शनिक सिद्धांत भी संसाधनों के

चिरस्थाई इस्तेमाल को ऐसा उपाय बताते हैं जो विवाद से परे हैं। इनमें साफ-साफ बताया गया है कि संसाधन सीमित हैं।

परिवर्तित पर्यावरण के कारण दबाव – शहरी इलाकों में आबादी का अधिक भाग उन लोगों का होता है, जो शहरी मूल के निवासी नहीं हैं, परंतु वे किसी न किसी कारण गैर-शहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। जैसे रोजगार, व्यापार, शिक्षा आदि के लिए। ऐसे व्यक्तियों के ग्रामीण से शहरी पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन से उन्हें नए पर्यावरण के अनुकूल होने में कठिनाई होती है। उन्हें कई तनावों और दबावों को झेलना पड़ता है।

यह बताया गया है कि शहरी आबादी में मूल शहरी निवासियों की अपेक्षा अप्रवासी निवासियों में मानसिक रोग अधिक होता है, यह प्रवृत्ति विश्व के अधिकतर शहरों में देखी गई है। फिर भी, यह कहना संभव नहीं है कि केवल अप्रवासियों में ही इसके लक्षण एक-दूसरे से बहुत निकटता से जुड़े होते हैं अगर कोई बीमार होता है तो अन्य लोग यह सोचते हैं कि उसकी देखभाल करना उनका उत्तरदायित्व है। इस प्रकार, संपूर्ण समुदाय उसकी देखभाल करता है, जबकि शहरी पर्यावरण में ऐसी परंपरा नहीं है शहरी पर्यावरण में इसलिए अप्रवासी एकाकीपन महसूस करते हैं और उनके लिए यह बड़ा आघात है, जिसे सहन करने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। पहले की अपेक्षा आज अधिक लोग अकेले रहते हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी इलाके अधिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अकेला होता है। फिर भी जैसा कि हमने पहले बताया है कि ग्रामीण संरचना के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए जो लोग ग्रामीण जीवन की कीमत पर शहरी जीवन अपनाते हैं, उन्हें तनाव झेलने पड़ते हैं तथा आम तौर पर वे शहरी के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाते। केवल उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी सही रूप से शहरी बन पाती है।

आपने शहरों में देखा होगा कि नए अप्रवासी अपना ग्रामीण रंग-ढंग बनाए रखते हैं वे उसी प्रकार ग्रामीण तरीकों से रहते हैं, तथा ग्रामीण किस्म का भोजन करते हैं, आदि। जब उन्हें ऐसे जीवनयापन के अवसर नहीं मिलते हैं तो वे निराश हो जाते हैं और उन्हें आघात पहुँचाता है। वे जल्दी से जल्दी अपने आपको शहरी जीवन के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल अनिल एवं समूह, प्रकृति का क्रोध – पर्यावरण विनाश का दुष्प्रभाव बाढ़ व सूखा, नई दिल्ली – विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, 1987
2. प्रताप विजय, लोकतंत्रा: अस्मिता के आईने में दिल्ली: नयी किताब, 2004
3. देवी महाश्वेता ; संद्ध सिंगुर और नंदीग्राम से निकले सवाल, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2007

निमाड़ के बीसवीं सदी के सन्त श्री पुरुषोत्तम नागर

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – निमाड़ महान सन्तों की साधना भूमि रहा है। यहाँ सन्त परम्परा सदियों से अक्षुण्ण है। बीसवीं सदी में हुए सन्त पुरुषोत्तम नागर इसकी एक गौरवपूर्ण कड़ी है। उनका जन्म 'विक्रम सम्वत् 1964 (ईसवी सन् 2 फरवरी, 1907)' को राजपुर नामक ग्राम में श्री नारायण महाराज के यहाँ हुआ था। इनके पूर्वज मूलतः जूनागढ़, गुजरात के रहने वाले थे। जूनागढ़ के पश्चात् श्री नारायण महाराज ने भोपाल में रहना प्रारम्भ किया। वे अत्यंत विद्वान थे, अतः भोपाल के नवाब उनका बहुत सम्मान करते थे। बड़वानी रियासत के राणा के आमंत्रण पर वे भोपाल छोड़कर राजपुर में बस गये। राणा ने उन्हें राजपुरोहित बनाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्पष्ट है कि उनकी पारिवारिक स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण एवं समृद्ध थी।

प्रकाण्ड पण्डित श्री नारायण महाराज ने उन्हें ईश्वर की आराधना और धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन की प्रेरणा दी। सद्गुरु पिता की प्रेरणा से वे स्वाध्याय और स्वसाधना के द्वारा अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हुये। चौदह वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या एवं साधना की। 'साधना काल में आप प्रातः एवं सायं आधा सेर दूध और थोड़ा सा पीता लेते थे। कभी-कभी दाल और चावल के पानी में थोड़ा सा घी डालकर पी लेते थे। साधना काल में वे लोगों से बहुत कम मिलते थे। किसी रोगी का उपचार करने या जिज्ञासुओं से धर्म चर्चा करने के लिये ही साधना कक्ष से बाहर निकलते थे। शेष समय में अंतरंग साधना और सत्साहित्य के सृजन में लगे रहते थे। साधना काल में ही आपको ईश्वर की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था।¹² वे सगुण साकार के उपासक थे। बहुदेववाद में उनकी आस्था थी।

सन्त प्रवर पुरुषोत्तम नागर अपने जीवन का अधिकांश समय राजपुर में व्यतीत किया। निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पूर्व वे खरगोन चले गये। खरगोन में उन्होंने 'प्रभुकृपा' आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम 1995 में इन्दौर स्थानांतरित कर दिया गया है।

उन्होंने बहुमूल्य सत्साहित्य का सृजन किया। इनमें शत साहित्य प्रमुख हैं। इनके शीर्षक इस प्रकार हैं- 'प्रभु कृपा शतक भाग 1 से 6, स्वरत शतक भाग 1 से 6, नववर्ष प्रतिपदा शतक, गणगौर शतक, श्रीरामनवमी शतक, श्री हनुमान जन्म शतक, अक्षय तृतीया शतक, श्री सावित्री पौर्णिमा शतक, श्री आषाढी पौर्णिमा शतक, श्री सत आचार्य शतक, श्री जिरोती श्रावण कृष्ण अमावस शतक, श्रीनागपंचमी शतक, श्री यज्ञोपवीत शतक, श्री सतवीर शतक, श्री रक्षाबन्धन शतक, श्री कृष्णजन्माष्टमी शतक, श्री हरितालिका शतक, श्री गणेश चतुर्थी शतक, श्री ऋषि पंचमी शतक, श्री अनन्त चतुर्दशी शतक, श्री श्राद्ध श्रद्धा शतक, श्री शारदा शतक, श्री नवदुर्गा शतक, श्री विजयादशमी शतक, श्री कोजागरी शतक, श्री महालक्ष्मी दीपावली शतक, श्री सौभाग्य पड़वां शतक, श्री बन्धु द्वितीय शतक, श्री एकादशी शतक, श्री

ओंकारेश्वर शतक, श्री चंपाषष्ठी शतक, श्री गीता जयंती शतक, श्री दत्तात्रय शतक, श्री मकर सक्रांति शतक, श्री नवग्रह अनुग्रह शतक, श्री बसंत पंचमी शतक भाग 1 एवं 2, श्री महाशिवरात्रि शतक, श्री होली शतक, श्री सतरंग पंचमी शतक, श्री प्रभुकृपा स्वरतिशक्ति शतक भाग 1 से 6, श्री ब्राह्मण शतक, श्री क्षत्रिय शतक, श्री वैश्य शतक, श्री शूद्र शतक, श्री ब्रह्मचर्य शतक, श्री गृहस्थ शतक, श्री वानप्रस्थ शतक, श्री संन्यास शतक, श्री वर्षगांठ शतक, श्री सत् आचार्य शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् उत्सव शतक, श्री सत् मस्तक शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् साहित्य शतक, श्री सत् विद्या शतक, श्री प्रारब्ध शतक, श्री सत् संयम शतक, श्री सत् विवेक शतक, श्री सत् वैराग्य शतक, श्री सत् अनुराग शतक, श्री सत् साधन शतक, श्री सत् निष्ठ शतक, श्री सत् अनुष्ठान शतक, श्री संग सत्संग शतक, श्री सत् संस्कार शतक, श्री सत् इच्छा शतक, श्री सत् वृत्ति शतक, श्री सत् पुण्य शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् विकास शतक, श्री सत् विवाह शतक, श्री सत् सुचरित्र शतक, श्री सत् कर्तव्य शतक, श्री सत् समाज शतक, श्री सत् सेवा शतक, श्री सत् चैतन्य शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् राजपुत्र शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् युवराज शतक, श्री आनन्दधारा शतक भाग 1 एवं 2, श्री सत् श्रीमंत शतक एवं श्री सत् पौर्णिमा शतक।¹³

प्रत्येक शतक में सौ छन्द होते हैं। उन्होंने अधिकांश काव्य मालिनी छन्द में लिखा है। शतकों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत की वैदिक एवं पौराणिक सभ्यता के विभिन्न आयामों को अपनी लेखनी की विषय वस्तु बनाया है। वर्ण व्यवस्था, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, अनुष्ठान, समाज, देवी-देवता, तीज-त्यौहार और जीवन आचरण जैसे पहलुओं पर आपने लेखनी चलाई है।

नागरजी ने सतगुरु, सत्संगति एवं सतनाम पर बहुत जोर दिया। उनके अनुसार नाम स्मरण से पाप का नाश होता है, कष्टों का अन्त होता है तथा ईश्वर के दर्शन होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा कर्तव्य निरूपित करते थे।

उनका कहना था कि संचार संचालक समस्त शक्तियों में अनुराग सर्वोपरि कल्याण, विकास, शांति एवं सुख प्रदायिक भगवत्प्रदत्त प्रसाद है। अनुराग हृदय का विषय है।

'प्रेम भाव शब्द, बुद्धि, या वाणी द्वारा अवर्णनीय है। प्रेम की भाषा हृदय से समझी जाती है, बुद्धि से नहीं। वह गुंने का गुड़ है।¹⁴ अनुराग की प्राप्ति के लिये अनुरागियों के वचनों का स्वाध्याय, सत्संग व सेवा आवश्यक है।

प्रभु कृपा की प्राप्ति मानव जीवन का परम ध्येय है। प्रभु कृपा होने से कामनाओं एवं दुःखों का शमन होता है। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिये संयम,

साधना, गुरु आशीष, सत्संगति महत्वपूर्ण होती है।

वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन की पूर्ति के लिये बनाई गई थी। इसका ऊँच-नीच से कोई सम्बंध नहीं था। चारों वर्ण के सदस्य समाज के लिये उपयोगी थे। यह जन्मगत नहीं अपितु कर्मगत व्यवस्था थी।

उन्होंने कहा कि बहुदेववाद भारतीयता की अद्भुत विशिष्टता है। यह निराधार है कि बहुदेववाद से भ्रम उत्पन्न होता है और सामाजिक समरसता को आघात पहुँचता है। देवताओं पर आधारित शतकों में उन्होंने प्रत्येक देवी-देवता की शक्तियों तथा उन्हें प्रमुदित करने के लिये स्तुतियों का सुन्दर उल्लेख किया है।

वे कहते थे कि त्यौहार जहाँ हमें आनन्द प्रदान करते हैं, वहीं उनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक त्यौहार को उसमें डूबकर अन्तर्मन से मनाना चाहिये। इससे परिवार में समरसता बढ़ती है और मानवीय शक्ति का सृजनात्मक उपयोग संभव होता है। उन्होंने महाशिवरात्रि, बसन्त पंचमी, होली, नागपंचमी, रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी जैसे अनेक भारतीय त्यौहारों की पृष्ठभूमि, मनाये जाने की पद्धति और महिमा पर शतकें लिखी हैं।

कर्म और प्रारब्ध के संदर्भ में उनकी मीमांसा थी कि संचित कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। यही प्रारब्ध भावी कर्मों का निर्धारण करता है। कर्म एवं प्रारब्ध का एक चक्र चलता है। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। मूलतः मनुष्य में सद्कर्म एवं दुष्कर्म की प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। ये उसके आसपास के वातावरण और संग से निर्मित होती हैं। उन्होंने लिखा है कि-

संग प्रताप बन जीव जाते, संग प्रताप बढ़ जीव जाते।

संग प्रताप गिर जीव जाते, संग प्रताप चढ़ जीव जाते।

संग प्रताप जन डूब जाते, संग प्रताप तर जीव जाते।

संग प्रताप कुम्हला च जाते, संग प्रताप खिलते-खिलाते।⁵

विक्रम सम्वत् 2040 (ईसवी सन् 5 जनवरी, 1983) में उन्हें खरगोन में निर्वाण की प्राप्ति हुई।⁶ हिन्दू रीति के अनुसार उनका अन्तिम संस्कार दाहकर्म के द्वारा किया गया है।

इस प्रकार सन्त पुरुषोत्तम नागर ज्ञान, कर्म और भक्ति की प्रतिमूर्ति थे। बचपन से ही उनका रुझान ईश-भक्ति की ओर था। पिता के संरक्षण

और शास्त्रों के सान्निध्य में उन्होंने ज्ञानार्जन किया। सहज-सात्विक साधना द्वारा उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति की। वृहत् साहित्य का सृजन उनकी महती देन है। वे निमाड़ के सबसे बड़े सृजक सन्त थे।



सन्त पुरुषोत्तम नागर जी

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री सद्गुरु प्रसाद, लेखक- बालकृष्ण महाजन, प्रकाशक- स्वयं लेखक, खरगोन, संस्करण- 1992, पृष्ठ- 49.
2. श्री सद्गुरु प्रसाद, लेखक- बालकृष्ण महाजन, प्रकाशक- स्वयं लेखक, खरगोन, संस्करण- 1992, पृष्ठ- 51.
3. शतक समग्र, लेखक- पुरुषोत्तम नागर, प्रकाशक- श्री पुरुषोत्तम साहित्य सुधालय, इन्दौर, संस्करण- प्रथम, पृष्ठ- 02.
4. श्री अनुराग शतक, लेखक- पुरुषोत्तम नागर, प्रकाशक- श्री पुरुषोत्तमदास टीकमदास, खरगोन, संस्करण- विक्रम सम्वत्- 2011, पृष्ठ- 03.
5. श्री संग (सत्संग) शतक, लेखक- पुरुषोत्तम नागर, प्रकाशक- श्री पुरुषोत्तमदास टीकमदास, खरगोन, संस्करण- विक्रम सम्वत्- 2011, पृष्ठ- 02.
6. श्री सद्गुरु वचनामृत, लेखक- बालकृष्ण महाजन, प्रकाशक- स्वयं लेखक, खरगोन, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 06.

निमाइ के सन्तों की चमत्कारपूर्ण गाथाएँ

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना - एक कहावत है कि 'चमत्कार को ही नमस्कार' किया जाता है। भारत में सन्त महात्माओं को दिव्य सिद्धियों से युक्त माना जाता है। जनधारणा रहती है कि वे असंभव को संभव कर सकते हैं। विज्ञान इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता लेकिन जनश्रुतियों में ऐसे अनेक गाथाएँ मिल जाती हैं, जो ये सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि सन्तों को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मध्यप्रदेश के निमाइ में भी सिंगाजी सहित अनेक बड़े सन्त हुए हैं। क्षेत्र में उनके चमत्कार की अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इस शोध पत्र में ऐसी ही गाथाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया है।

अ- सन्त सिंगाजी के चमत्कार की गाथाएँ

भैंसों की चोरी - एक बार सिंगाजी के घर में चोर घुस आये और उनकी समस्त भैंसे चुरा कर ले गये। पूरे गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीण जन भैंसों की तलाश में इधर-उधर दौड़ने लगे। भैंसों सिंगाजी के परिवार के लिये जीवन और प्रतिष्ठा का आधार थी। यह चोरी उनके परिवार पर वज्राघात की तरह थी।

ऐसे संकट के समय में सिंगाजी बिना विचलित हुए घर में बैठे रहे और चैन से मुस्कुराते रहे। सिंगाजी की ऐसी असामयिक प्रतिक्रिया देखकर उनकी माता गवरा बाई को गुस्सा आ गया और वे सिंगाजी को डांटने लगीं। सिंगाजी ने माता को सांत्वना देते हुए शान्त चित्त से कहा- 'तू क्यों फिकर करती है? हमारी भैंसों का तो भगवान रखवाला है। तू बर्तन लगा और पाड़े-पाड़ी छोड़। हमारी भैंसों आती ही होंगी।' माता को सिंगाजी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सिंगाजी स्वयं पाड़ा-पाड़ी छोड़कर बाहर गये और भैंसे लेकर आ गये। इस घटना से सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया।

ओंकारेश्वर की यात्रा - एक धार्मिक अवसर पर ग्रामजनों ने ओंकारेश्वर यात्रा की योजना बनाई। वे नर्मदा में स्नान करके मन्दिरों के दर्शन करना चाहते थे। सिंगाजी से भी ओंकारेश्वर चलने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया- 'तुम चलो मैं भी आता हूँ।'

गांव के लोग तीन दिनों की श्रमसाध्य पैदल यात्रा करके जब ओंकारेश्वर पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गये कि सिंगाजी उनसे पहले ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं तथा बीच नर्मदा में नाव पर बैठे हैं।

सभी लोग पांच दिनों तक ओंकारेश्वर में रहे और धर्म लाभ प्राप्त किया। जब वापस चलने का वक्त आया, तो पुनः सिंगाजी ने पहले की तरह कहा- 'तुम चलो मैं पीछे आता हूँ।' जब सभी तीर्थयात्री अपने गांव लौटे, तो सिंगाजी उन्हें गांव में मौजूद मिले। गांव के अन्य लोगों का कहना था कि सिंगाजी यहां से एक दिन के लिये भी कहीं बाहर नहीं गये।

समाधि के बाद प्राकट्य - सिंगाजी ने विक्रम सम्वत् 1664 में जीवित समाधि ग्रहण कर ली थी। यह घटना उनके समाधिस्थ होने के तीन माह

पश्चात् की है। श्याम विप्र नामक एक ब्राह्मण कार्यवश पैदल यात्रा कर रहा था। छिरवां गांव के निकट अचानक सिंगाजी उसके समक्ष प्रकट हो गये। सिंगाजी के इस प्रकार दर्शन होने से श्याम विप्र सुध-बूध भूल गया। वह सिंगाजी को न तो प्रणाम कर सका और न ही उनसे कोई संवाद स्थापित कर सका।

श्याम विप्र ने गांव लौटकर उक्त चमत्कारिक घटना की जानकारी लोगों को दी। ग्रामीणजन श्याम को लेकर उस कथित स्थल पर पहुंचे। वहां उन्हें सिंगाजी के चरण चिन्ह दिखाई दिये। उन्होंने चरण चिन्हों की पूजा की, प्रसाद बांटा और अपने को कृतार्थ मानते हुए वापस लौट गये।

बालक की देखभाल - बोरखेड़ा नामक एक गांव का पांच वर्षीय बालक घर से कहीं चला गया। उसके मां-बाप बहुत चिन्तित हुए। उन्होंने चार दिनों तक बालक को ढूँढने के लिये बहुत भाग-दौड़ की, किन्तु बच्चे का कहीं पता नहीं चला। घर-परिवार में कोहराम मच गया। पांचवें दिन बालक स्वयं अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जब उसकी मां ने उससे पूछा कि वह कहां गया था और घर वापस कैसे पहुंच गया। बालक ने इन प्रश्नों के जो उत्तर दिये, उन्हें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गये। बालक ने कहा- 'मैं सिंगाजी की समाधि पर चला गया था और पांच दिन वहीं रहा। स्वयं सिंगाजी ने मेरी देखभाल की। उन्होंने मुझे घी-खिचड़ी, दूध, दही, खोपरा, खारिक आदि खिलाये और वे स्वयं मुझे घर तक छोड़ने आये हैं। देखो वे सामने ही तो खड़े हैं। उनके पांव में खड़ाऊ, हाथ में लकड़ी, कमर में धोती और सिर पर चादर है।' सिंगाजी के दर्शन केवल बच्चे को हो रहे थे, अन्य लोगों को नहीं।

मरा हुआ मुंह दिखाया !! - यह घटना उन दिनों की है, जब सिंगाजी ने मनरंगीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली थी और उन्हीं के साथ रहकर आध्यात्मिक साधना कर रहे थे। बात जन्माष्टमी की है। मनरंगीर स्वामी की इच्छा सोने की हो रही थी। उन्होंने सिंगाजी को कहा- 'मुझे नींद आ रही है। आरती के समय जगा देना।' ऐसा कहकर गुरुजी गहन निद्रा में सो गये। आरती का समय होने पर सिंगाजी ने सोचा कि गुरुजी गहरी नींद में हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। ऐसा विचार करके सिंगाजी ने स्वयं आरती कर ली। जब स्वामी जी की नींद खुली और उन्हें ज्ञात हुआ कि सिंगाजी ने उनके निर्देश का पालन नहीं किया, तो वे बहुत नाराज हो गये। उन्होंने सिंगाजी से कहा- 'जा दुष्ट मुझे मरा हुआ मुंह दिखाना.....!'

सिंगाजी ने अपने गुरुजी के द्वारा क्रोध में व्यक्त किये गये आदेश को वरदान की तरह लिया और 11 माह पश्चात् श्रावण सुदी नवमी को स्वेच्छा से समाधि ग्रहण कर ली।

सिंगाजी की मृत्यु के पश्चात् मनरंगीर स्वामी सिंगाजी के घर जा रहे

थे, तो रास्ते में सिंगाजी उनसे मिले और उन्होंने गुरु के 'मरा हुआ मुंह दिखाए' के वचन को चरितार्थ कर दिया।

समाधि का पुनर्निर्माण - सिंगाजी के समाधिस्थ होने के पश्चात् उनका समाधि स्थल मन्दिर की तरह पूज्य हो गया। वहां सैकड़ों लोग अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करके के लिये आने लगे। समाधि ग्रहण के छह माह पश्चात् एक चर्मकार दर्शन के लिये आया, तो सिंगाजी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये और कहा कि- 'हमारी इच्छा जल दाग की थी, किन्तु शिष्यों ने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें समाधि में आड़ा लिटा दिया है। तुम घर जाओ और उनसे कहो कि हमें खोदकर निकालें और बैठी हुई मुद्रा में समाधि दें।'

चर्मकार सिंगाजी के आदेश का पालन करते हुए सीधे उनके घर गया और सिंगाजी की इच्छा से उन्हें अवगत कराया। घरवालों को चर्मकार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तथा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब सिंगाजी अपनी पत्नी और शिष्य नारायणदास के स्वप्न में आये और उनसे कहा कि- 'तुमने चर्मकार की बातों पर अविश्वास क्यों किया? शायद तुम्हें गर्व हो गया है!'

प्रातः उठकर सिंगाजी की पत्नी और शिष्य ने सिंगाजी की इच्छापूर्ति के लिये कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। राज को बुलवाकर समाधि खुदवाई गई। सिंगाजी का शरीर ज्यों का त्यों निकला। वह जरा भी खण्डित नहीं था। प्रातःकाल से तीसरा प्रहर तक उन्हें बाहर रखा गया। हजारों लोग दर्शनार्थ आये। फिर उन्हें स्नान कराकर उनकी पूजा की गई और उन्हें उत्तराभिमुख बैठी हुई मुद्रा में समाधिस्थ कर दिया। तब से आज तक उनकी समाधि ज्यों की त्यों मौजूद है।

ब- सन्त भावसिंह के चमत्कार की गाथाएँ

देवताओं की भक्ति का प्रसाद - सन्त भावसिंह बाबा की भक्ति की ऊँचाइयों की चर्चा सर्वत्र हो रही थी। स्वर्ग के देवताओं के मन में भी भावसिंह बाबा के सान्निध्य में भक्ति रस में सराबोर होने का भाव जाग्रत हुआ। देवता प्रतिदिन रात्रि में विमान भेजकर बाबा को स्वर्ग बुलवा लेते तथा उनसे प्रवचन सुनते और सुबह होने के पहले विमान के द्वारा उन्हें पुनः पृथ्वीलोक भेज देते।

इस अलौकिक घटना की जानकारी भावसिंह बाबा की काकी को हो गई। उनकी काकी उनके लिये प्रतिदिन बिस्तर बिछाती और उठाती थी। चूंकि बाबा ने आहार और निद्रा दोनों का त्याग कर दिया था, अतः वे बिस्तर पर सोते ही नहीं थे। काकी ने महसूस किया कि बिस्तर ज्यों का त्यों बिछा रहता है। काकी के मन में इसका कारण जानने का भाव उदय हुआ। काकी ने छिपकर देखा कि अर्द्धरात्रि में स्वर्ग से एक विमान आया और बाबा को बिठाकर ले गया। काकी ने यह बात अपने पति रूपसिंह को बताया। रूपसिंह ने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और कहा कि भावसिंह कोई देवपुरुष है। धीरे-धीरे इस घटना की जानकारी पूरे गांव को हो गई। फलस्वरूप दर्शनार्थियों और अनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी।

समाधि में संगीत - सन्त भावसिंह बाबा ने समाधि ग्रहण करते समय वहां स्थित भक्त समुदाय से कहा था कि नौ माह बाद मेरी समाधि खोलना मैं पुनः आऊंगा। बाबा के इस आश्वासन पर सभी ने हर्षित होकर जयकारा लगाया।

इस घटना के छह माह बाद की बात है। कुछ ग्वाले समाधि के आसपास अपने पशु चरा रहे थे। उन्होंने सुना कि समाधि में से झांझ, मृदंग आदि सार्जों से मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। ग्वालों ने इस चमत्कार की चर्चा गांव में आकर की। कुछ ग्रामीणों ने यह सुनकर समाधि खोलने का निश्चय किया। नौ माह बाद समाधि खोलने का बाबा का निर्देश वे भूल गये।

समाधि खोली गई, तो उसमें से एक नवजात शिशु निकला। शिशु ने कहा कि- 'तुमने समय से पहले समाधि खोलकर अच्छा नहीं किया, अब मैं अपने पूर्व रूप में नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरे चरण चिन्ह यहां स्थापित रहेंगे। मन में कोई भी कामना रखकर मेरे चरणों का ध्यान किया जाने पर कामना की पूर्ति होगी। मेरे नाम से यहां प्रति वर्ष कार्तिक सुदी सप्तमी को मेला लगाना।' यह कहकर शिशु अन्तर्ध्यान हो गया।

स- सन्त कालूजी का चमत्कार की गाथाएँ

कम्बल पर बैठकर नर्मदा मार्ग से यात्रा - कालूजी का विवाह पीपल्या खुर्द की गुलाबबाई से हुआ था। गुलाबबाई के पिता की और कोई सन्तान नहीं थी, अतः वे कालूजी को घर जंवाई बनाकर रखना चाहते थे। कालूजी के पिता सिंगाजी इस विचार से असहमत थे, फलतः गुलाबबाई मायके में ही रहने लगी।

अपनी पत्नी से सम्बन्ध कायम रखने के लिये कालूजी ने एक रास्ता चुना। रात्रि में सबके सो जाने के पश्चात् कालूजी नर्मदा के किनारे जाते और अपनी आराध्या मां नर्मदा की पूजा-अर्चना करते और नर्मदा पर अपना कम्बल बिछाते तथा उस पर बैठकर दो घण्टे में अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते थे। कालूजी थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते और सुबह चार बजे से पहले वापस अपने घर पहुंच जाते।

कुछ दिनों पश्चात् गुलाबबाई गर्भवती हो गई। चूंकि पति-पत्नी में तत्कालीन विग्रह चल रहा था, अतः गुलाबबाई की गर्भावस्था को लेकर गांव में तरह-तरह की बातें होने लगीं और गुलाबबाई के चरित्र पर सन्देह किये जाने लगे। माता-पिता ने जब गुलाबबाई से पूछताछ की तो उसने सही बात बता दी कि उसका पति से प्रतिदिन मिलन होता है। गुलाबबाई के दावे की जांच करने के लिये परिवार के लोगों ने छिपकर देखा तो अर्द्धरात्रि के पश्चात् वास्तव में कालूजी वहां पर आये। सत्य की जानकारी मिलने पर गुलाबबाई पर आक्षेप लगाने वाले ग्रामीणजन बेहद लज्जित हुए। पत्नी के प्रति प्रेम और कालूजी की घर जंवाई बनकर रहने की इच्छा को देखते हुए अंततः सिंगाजी ने पेमाजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कालूजी हरसूद छोड़कर घर जंवाई के रूप में पीपल्या खुर्द में रहने लगे।

द- सन्त दीनदास के चमत्कार की गाथा

एक रूपया प्रतिदिन देते हैं श्रीराम - रामभक्त सन्त दीनदास कृष्णभक्त सन्त रंकनाथ के शिष्य थे। एक दिन दीनदास भगवान राम की भक्ति में लीन थे तब रंकनाथ ने उनसे कहा-

'सुनो दीनदास, मेरे श्रीकृष्ण बहुत उदार और दयालु हैं। मैं उनसे जो भी मांगता हूँ, वही मुझे प्रदान कर देते हैं। क्या तेरे राम भी तुझे कुछ दे सकते हैं?'

दीनदास ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया- 'गुरुदेव, मेरे राम मुझे क्या नहीं दे सकते, परन्तु मुझे उनसे अधिक माँगने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मुझे दैनिक खर्च के लिये एक रूपये की जरूरत पड़ती है, जो मुझे भगवान दे दिया करते हैं। जबसे आप मेरी कुटिया में पधारे हैं, तबसे मैंने प्रभु से अपनी एक रूपये रोज की मजदूरी भी नहीं ली है। देखिये, वह उनके चरणों में ही रखी है।'

रंकनाथ को वहाँ रहते हुये 22 दिन व्यतीत हो गये थे। उन्होंने देखा श्रीराम की प्रतिमा के चरणों के समीप 22 रूपये रखे हुये थे। वे अपने शिष्य की भक्तिपूर्ण उपलब्धि से बहुत प्रभावित हुये।

इ- सन्त लालदास के चमत्कार की गाथाएँ

डाकू दल से ग्राम की रक्षा - एक बार एक डाकू दल ग्राम सूरपाल में लूट-

पाट करने के इरादे से पहुँचा। सन्त लालदास डाकू ढल के मुखिया के पास गये। मुखिया से उन्होंने कहा कि यदि वह उनके द्वारा बताई गई जगह पर निशाना लगाकर दिखा दे, तो निर्बाध रूप से पूरे गाँव को लूट सकते हैं और निशाना चूक जाने पर लूटे बिना गाँव छोड़ना पड़ेगा। मुखिया ने सन्त की शर्त स्वीकार कर ली। सन्त लालदास द्वारा बताये गये स्थान पर मुखिया ने निशाना लगाया, किन्तु निशाना चूक गया। तब डकैत प्रमुख ने सन्त को निशाना लगाने को कहा। सन्त ने सही स्थान पर निशाना लगाकर बता दिया। डाकू गण आश्चर्यचकित हो गये। शर्त के अनुसार उन्होंने बिना लूटे गाँव छोड़ दिया। इस तरह सन्त ने अपनी सृष्टिबुद्धि से गाँव की रक्षा की।

चरणों में गिर पड़ा अंग्रेज अधिकारी – उस युग में बेगार की प्रथा प्रचलित थी। सामान्यतः दलित वर्ग के लोगों के द्वारा बेगार की जाती थी। सन्त लालदास भी हरिजन समाज के थे। जब भी बेगार का अवसर आता सन्त लालदास के परिवारजन बेगार करने पहुँच जाते थे। सन्त को कभी बेगार पर नहीं जाना पड़ता था।

एक बार एक अभिमानी अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया कि आज बेगार पर सन्त को भी चलना पड़ेगा। ग्रामीणों ने अधिकारी से विनती की कि सन्त को भजन-भक्ति करने दीजिये, हम आपका कार्य कर देंगे, परन्तु अधिकारी नहीं माना और लालदास को अपने बिस्तर लेकर चलने का आदेश दिया।

लालदास ने अधिकारी का आदेश मान लिया और उसका बिस्तर अपने सिर पर रखकर उसके द्वारा बताये गये स्थल की दिशा में चलने लगे। अंग्रेज अधिकारी घोंडे पर बैठकर सन्त की पीछे चल रहा था।

गाँव के बाहर होते ही अधिकारी ने देखा कि बिस्तर सन्त के सिर से हाथ भर ऊँचा है और सन्त आराम से भगवान के नाम का स्मरण करते हुये चल रहे हैं। इस चमत्कार को देखते ही अधिकारी का गर्व चकनाचूर हो गया और वह सन्त के चरणों में गिर पड़ा। उसने सन्त से क्षमा माँगी तथा उन्हें सम्मान वापस लौटा दिया। सन्त ने उदारतापूर्वक अंग्रेज अधिकारी को क्षमा कर दिया।

ई- सन्त बौद्ध के चमत्कार की गाथाएँ

आशा से अधिक उत्पादित हुआ अनाज – एक बार नागझिरी के भोलू भाई काछी ओंकारेश्वर की धार्मिक यात्रा पर गये। वे अपने खेत की रखवाली का भार सन्त बौद्ध को सौंप गये। सन्त ने देखा कि कई पंछी खेत की फसल से दाने खाते हैं, परन्तु उन्हें पानी पीने के लिये दूर स्थित सरोवर पर जाना पड़ता है। सन्त ने पंछियों को वहीं पानी उपलब्ध कराने के लिये कुछ खपरियों में पानी भरकर खेत में रख दिया।

खेत मालिक यात्रा पूर्ण करके गाँव लौटे तो खेत की हालत देखकर दुःखी हो गये। उन्होंने इस संबंध में सन्त से पूछा तो सन्त ने उत्तर दिया-

सकल पसारा राम का, राम करें सौँ होंया।

कौन किसी का बिगाड़ता, होनी होय सौँ होंया।।

भोलू भाई ने कहा कि मेरे खेत में दो मन अनाज होता, परन्तु आपने नुकसान कर दिया। सन्त ने कहा कि तुम अनाज निकलवाकर देख लो दो मन से जितना कम निकले, उतना मैं तुम्हें दूँगा। अनाज निकलवाया गया तो यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गये कि भोलू भाई के अनुमान से अधिक अर्थात् दो मन से ज्यादा अनाज निकला। भोलू भाई ने दो मन से जो अनाज ज्यादा निकला था, वह सन्त को देना चाहा, तो सन्त ने उसे स्वयं न लेकर गरीबों में वितरित करवा दिया।

भगवान ने ग्रहण किया भोजन – एक दिन एक साधु ने सन्त बौद्ध के

घर आकर भोजन की इच्छा व्यक्त की। सन्त की माँ भोजन बनाकर पानी लेने कुएँ पर गई थी। सन्त ने सहर्ष साधु को भोजन करवाया। साधु को बहुत भूख लगी थी, अतः उसने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। सन्त की माँ ने पानी लाकर बेटे से भोजन करने के लिये कहा। सन्त ने साधु के आगमन की बात बताई और कहा कि सारा भोजन समाप्त हो गया है, अतः माँ को पुनः भोजन बनाना होगा। माँ जब भोजन बनाने के लिये पहुँची, तो उसने देखा कि चूल्हे के पास बना-बनाया भोजन रखा हुआ है। माँ-बेटे समझ गये कि साधु के रूप में स्वयं भगवान आये थे, तभी तो यह चमत्कार हुआ है।

जीवित हो गई गाय – सन्त बौद्ध बड़वानी के भक्त रामसिंह के निवेदन पर उसके घर आये हुये थे। प्रातः जब रामसिंह पशुओं के बाड़े में गाय का दूध दुहने गया, तो उसने देखा कि गाय मृत पड़ी हुई है। गाय की मृत्यु से रामसिंह और उसके परिवारजन अत्यंत दुःखी हो गये।

सन्त बौद्ध ने रामसिंह से कहा कि जब तक वे नर्मदा स्नान करके नहीं लौट आये, तब तक गाय को किसी को स्पर्श मत करने देना। सन्त भगवान का स्मरण करते हुये नर्मदा पहुँचे, स्नान किया और थोड़ासा पवित्र जल अपने साथ ले आये। घर आकर उन्होंने भगवान का नाम लेते हुये जल गाय पर छिड़का तो गाय जीवित हो गई।

भगवान ने भिजवाई घास – सन्त बौद्ध को उनके गुरु ने गौसेवा का उपदेश दिया था, जिसका वे अनवरत् पालन करते थे। एक दिन जब वे गायों के लिये घास काट रहे थे, तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिये एक माया रची। जैसे ही वे घास काटने के लिये दर्राँता चलाने वाले थे, घास के बीच एक खरगोश प्रकट हो गया। उन्होंने तुरन्त अपना हाथ रोक लिया। यदि एक क्षण की भी देर हो जाती तो खरगोश की ही गर्दन कट जाती। सन्त ने दूसरे स्थान पर घास काटने का निश्चय किया, किन्तु वहाँ भी वैसा ही घटित हुआ। दो-तीन बार ऐसा ही होने पर सन्त हताश हो गये। उन्हें दुःख था कि आज उनका गौसेवा का व्रत पूर्ण नहीं हो सकेगा। गुरु का स्मरण करते हुये चिन्तित सन्त घर लौटे।

सन्त जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गायें घास खा रही हैं। उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा कि यह घास कहाँ से आई, तो उन्होंने आश्चर्य से सन्त को देखा और कहा कि आप ही तो अभी एक गड्ढर घास यहाँ डालकर गये थे। सन्त ने इसे भगवान की कृपा माना कि भगवान ने उनके गौसेवा के व्रत की लाज रख ली। इस प्रकार असंभव कार्यों को संभव दर्शाती ये गाथाएँ अपना कोई तार्किक आधार नहीं रखती, लेकिन इन पर बहुसंख्यक जनता विश्वास करती है। सन्तों की सूक्ष्म उपस्थिति की अनुभूति से ऊर्जा प्राप्त करती है। कुछ गाथाएँ प्रतीकात्मक हैं, जो जीवनोपयोगी शिक्षाएँ भी देती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **निमाइ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण- 1967,
2. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई.,
3. **सिंगाजी दर्शन**, लेखक- सखाराम देवकरण पटेल, प्रकाशक- भगवान भाई गंगराड़े एवं सिंगाजी भक्तजन, पंधाना, संस्करण- द्वितीय, 2003,
4. **सन्त सिंगाजी**, लेखक- सुकुमार पगारे, प्रकाशक- सिंगाजी साहित्य शोधक मण्डल, खण्डवा, संस्करण- 1936,
5. **सन्त सिंगाजी-एक अध्ययन**, लेखक- पं. रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- निमाइ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा, संस्करण- 1965,

कृषि फसल पर पर्यावरण का प्रभाव (उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मोहन निमोले *

प्रस्तावना - किसी भी कृषि प्रधान जिले का उद्भव व विकास तथा परिसीमन के आधारभूत तत्व भौतिक पर्यावरण ही है। कृषि फसलको प्रभावित करने में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि फसलका निर्माण करने में प्राकृतिक कारक जिन्हें भौतिक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। ये कृषि कार्य व फसल प्रतिरूप को अधिक प्रभावित करते हैं। ये कृषि को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के साथ ही साथ भूमि उपयोग की सीमा, कृषि प्रकार एवं अन्य कृषि जटिलताओं को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र - अध्ययन क्षेत्र उज्जैन जिला मालवा के पठार के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। यह मालवा की गौरवशाली राजधानी भी रहा है। अपनी धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशेषताओं के कारण मध्यप्रदेश में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे नाभिस्थल होने का गौरव भी प्राप्त है। भौगोलिक अवस्थिति की दृष्टि से उज्जैन जिला दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश में 22°43' से 24°36' उत्तरी अक्षांशों तथा 75°00' से 76°30' पूर्वी-देशान्तरों के मध्य स्थित है। उज्जैन जिला मालवा के पठार का एक समतल भाग है। यह मालवा पठार के केन्द्रीय भाग में स्थित है। जिले की समुद्रतल से ऊँचाई 527 मीटर है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6,091 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्यप्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.976 प्रतिशत है।

आंकड़े - उज्जैन जिले में कृषि फसल पर पर्यावरण का प्रभाव लिए द्वितीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों के लिए जिला जनगणना कार्यालय उज्जैन, भू-अभिलेख कार्यालय उज्जैन, कृषि विकास एवं संचालनालय उज्जैन से प्राप्त किए गए हैं।

कृषि फसल पर पर्यावरण का प्रभाव - उज्जैन जिले में कृषि फसल पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना। कृषि फसलें प्रारंभिक रूप में प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत ही उत्पन्न होती और विकसित होती है। यही कारण है कि कृषि का विकास उन्ही स्थानों पर अधिक हुआ है जहाँ उपयुक्त प्राकृतिक दशाएँ फसलोत्पादन एवं पशुपालन के अनुकूल हैं। अतः जिले में कृषि फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में उच्चावच, जलवायु, मृदा एवं जल है, जो क्षेत्र की कृषि विशिष्टताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं

उच्चावच - कृषि फसल को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चावच कृषि क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिले में उच्चावच को तीन भागों में बाँटा गया है। पर्वतीय, पठारी, नदी घाटी एवं निचले क्षेत्र। कृषि फसल के लिए पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के सर्वाधिक 74.8 प्रतिशत भू-भाग पर पठारी क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र 18.2 प्रतिशत तथा 7.00 प्रतिशत भाग पर नदी घाटी व निचले क्षेत्र है। अतः अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान जिला है। जिले में उच्चावच की दृष्टि से समतल पठारी भाग का महत्वपूर्ण स्थान है। समतल धरातल व सिंचाई सुविधा होने से जिले में अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है।

धरातलीय - धरातलीय दशाएँ कृषि फसल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है क्योंकि धरातल के आधार पर विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं कृषि कार्य किया जाता है। धरातल का मन्द ढाल जल निकास तथा जुताई के लिए उपयुक्त होता है परन्तु तीव्र ढाल कृषि के लिए बाधक होता है। यही कारण है कि समतल पठारी क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं और अनेक प्रकार के फसल प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। अतः उज्जैन जिले में धरातलीय दशाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जिला समतल भू-भाग पर स्थित होने के कारण सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने से यहाँ अनेक प्रकार के फसल प्रतिरूप दिखाई देते हैं।

मृदा - मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य को भोजन तथा वस्त्र जैसी कई अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है। पौधे मिट्टी में ही उगते हैं और विकसित होकर अनेक प्रकार के कृषि फसल का निर्माण करते हैं। पौधों के आधार पर ही पशु जीवित रहते हैं। अतः मिट्टी का मानव जीवन व कृषि में बहुत व्यापक महत्व है। अतः उज्जैन जिले में कृषि फसल को मिट्टी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

जलवायु - कृषि फसल को प्रभावित करने वाले जलवायु तत्वों में तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, सूर्यप्रकाश और वायु मुख्य हैं। फसल के विकास की क्षमता को निश्चित करने में जलवायु के इन तत्वों की दैनिक, ऋतुगत या वार्षिक विभिन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पष्ट है कि कृषि फसल पर किसी क्षेत्र की सूक्ष्म जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। उज्जैन जिले में भारतवर्ष की तरह मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा भी मानसून पर निर्भर करती है।

तापक्रम - जिले में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक ठण्ड रहती है, जिससे यहाँ अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जनवरी सबसे अधिक ठण्डा महीना होता है तथा औसत दैनिक अधिकतम तापमान 260 सेंटीग्रेट तथा औसत न्यूनतम दैनिक तापमान लगभग 90 सेंटीग्रेट हो जाता है। मई सबसे अधिक गर्म महीना रहता है, जिसमें औसत अधिकतम दैनिक तापमान लगभग 400 सेंटीग्रेट तथा न्यूनतम दैनिक तापमान 240 सेंटीग्रेट रहता है जो कृषि फसल के लिए आदर्श होता है।

अपवाह - कृषि फसल प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपवाह तंत्र का सामान्य तात्पर्य नदियों के जल-निकास से है। इसके अन्तर्गत उन सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जो नदी के जल निकास से सम्बंधित होती है। उज्जैन जिला गंगा अपवाह तंत्र के अन्तर्गत आता है। जिले की मुख्य नदी चम्बल है तथा सभी उसकी अन्य सहायक नदियों की जलधाराएँ जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और अनेक फसल प्रतिरूपों का निर्माण करती हैं।

वर्षा - जिले में कृषि के लिए यहाँ सूर्यताप तथा तापमान पर्याप्त रहता है किन्तु वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, जिससे कृषि व कृषि फसल प्रभावित होते हैं। कृषि क्षेत्रों में भिन्नता भी जल की उपलब्धता द्वारा प्रभावित होती है। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के अनुरूप ही कृषि फसल व पशुपालन के वितरण में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में फसलोत्पादन के लिए जल की प्राप्ति नहीं होती है वहाँ पर कृत्रिम विधि द्वारा सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है।

सूर्य प्रकाश - कृषि फसल को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान है। पौधों के वर्द्धन के लिए प्रकाश अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल के निर्माण में धूप की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। समतल धरातल की स्थिति होने के कारण यहाँ पर सूर्य प्रकाश की प्राप्ति फसलों के लिए पर्याप्त होती है, जिससे जिले में अनेक प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। अतः जीवित तत्वों के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है।

आर्द्रता - कृषि फसल को प्रभावित करने में आर्द्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तापमान के ही सट्टा फसलों के विकास के लिए आर्द्रता सम्बंधी अपनी आदर्श दशाएँ होती हैं। पौधों व फसल प्रतिरूपों के विकास के लिए आर्द्रता आवश्यक है। बहुत से पौधे नमी ग्रहण करते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे पौधों का विकास होता है। निम्न आर्द्रता सूखे की स्थिति से उत्पन्न होती है जो पौधों के प्राकृतिक विकास में बाधक बन जाती है। अल्प आर्द्रता में पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी प्रकोप हो जाता है। अतः पौधों व कृषि फसल के विकास के लिए आर्द्रता एक जीवनदायी तत्व है। अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में शीत ऋतु में आपेक्षिक आर्द्रता 30-40 प्रतिशत के बीच होती है। आर्द्रता का सीधा सम्बंध वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस वर्ष वर्षा की मात्रा अधिक होती है उस वर्ष आर्द्रता व फसल प्रतिरूपों में भी

वृद्धि हो जाती है और जिस वर्ष वर्षा कम होती है उस वर्ष आर्द्रता व फसल प्रतिरूप दोनों प्रभावित होते हैं।

पाला - उज्जैन जिला भी विगत पाँच वर्षों से शीत ऋतु के समय पाले के प्रकोप से लगातार प्रभावित हो रहा है। यहाँ पाला बसंत ऋतु के समय गिरता है। इस समय फसलों में पुष्पण काल होता है एवं वे कोमल अवस्था में होते हैं, जिससे वे पाला सहन नहीं कर पाते हैं और फसल जलकर नष्ट हो जाती है।

सूखे - सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो पर्यावरण के सभी तत्वों को प्रभावित करता है। सूखा कृषि फसल व फसल उत्पादन को सीमित करता है। बहुत सी फसलें अपने विकास अवधि में या पकने के साथ सूखा पड़ने के कारण नष्ट हो जाती है। अंकुरण की अवधि में सूखा पड़ने पर फसलें जम नहीं पाती हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। अतः उज्जैन एक कृषि प्रधान जिला है।

उज्जैन जिले में वर्ष 1991 में औसत वार्षिक वर्षा 1133.4 मिलीमीटर व द्विफसली क्षेत्र 211052 (हेक्टेयर) था जो वर्ष 2001-02 में सूखा पड़ जाने से यह घटकर औसत वार्षिक वर्षा 406.8 मिलीमीटर व द्विफसली क्षेत्र 68417 (हेक्टेयर) रह गया।

निष्कर्ष - किसी भी जिले में अनेक कारक अन्तर्सम्बंधित एवं संचयी रूप में उस जिले को कृषि विशिष्टता प्रदान करते हैं तथा इन्हीं आधारों पर कृषि दशाओं में समरूपता तथा अनेकरूपता मिलती है। वृहद स्तर पर कृषिगत विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक पर्यावरण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होता है जबकि मानवीय कारक से संबंधित कारक जैसे- श्रम, पूंजी, मांग, पूर्ति, आर्थिक स्तर बाजार तथा तकनीकी स्तर का विशेष प्रभाव पड़ता है। भौतिक एवं मानवीय वातावरण के विभिन्न तत्व स्वच्छन्द तथा सम्बंधित दोनों रूपों में फसल प्रतिरूप व कृषिगत विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। किसी भी कृषि प्रधान जिले का उद्भव व विकास तथा परिसीमन के आधारभूत तत्व भौतिक पर्यावरण ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ब्रजभूषण सिंह (1996), 'कृषि भूगोल', ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर
2. प्रमीला कुमार एवं श्रीकमल शर्मा (2000), 'कृषि भूगोल', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. माजिद हुसैन (2004), 'कृषि भूगोल', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
4. स्रोत- जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
5. स्रोत- अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

English Language Teaching in India: New Challenges and Dimensions

Dr. Vandana Sharma*

Abstract - According to one theory of the nature and importance of language, it is an instrument by which we describe the world outside it. We have ideas in our heads, and language consisting of signs-marks or sounds-is needed only to communicate these ideas to others. Even after independence from the British, English remained as an official language of the new dominion of India and later the republic of India. Though our country represents a multilingual and multicultural body with pluralistic milieu. Social aspirations can best be fulfilled when they are allowed to function through the mother tongue. Therefore it is natural to think of a mother tongue for the purpose of education. But the necessity to have a common language for interaction has led to the learning of English. English, though a foreign language, occupies a unique position in our education system due to its appearance as a powerful force behind economies, business and trade. Its international appeal as a medium to communicate through diverse nations in this era of globalization has made the scenario such that one needs to polish his skills of English language in order to get a good job. English is our means that serve protect us from isolation. As a foreign language teaching English can be somewhat difficult in our non practical classrooms, but learning English is a practical necessity that one cannot deny. In this paper I have tried to highlight the problems faced by the teachers and students during English language teaching process. My primary aim was to find a possible solution to these hindrances.

Keywords - ELT, Global, vocabulary, language, fluency, language learning, communication.

Introduction - Language is as fundamental to the organization of a society as it is to the expression of its culture, for language is primarily social. All language, confined to one person is either an instance of the survival of the last living speaker of a previous community or a pathological case. A language is a code common to many people by which they interact. A language is, in fact, the very possession of a common code, which is an important basis for solidarity among members of a group. English has become an indispensable part of human development and prosperity in the modern world of twenty first century. In the present era when the world is becoming a global village, English occupies the first place as far as official language status is concerned. English is enjoying either first or second language status in about 70 countries of the world and it shows the fact that English has attained the status of a global language in the world. In fact English has the amazing power of effective communication and tremendous capacity of adaptability.

“On May 7, 1976, Indian prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi said to the chief secretaries that it was important that not only those who work in the secretariat but all government functionaries should also speak in the language of the people. Should then added:”By language I do not mean words are the grammar but I mean an attitude that understands the

people’s point of view.” A curious meaning of the term language may inferred from this remark.”

In India, English is a legacy from the British who colonized the country and their language has permitted to some of the most important part of the Indian society: the government, the media, comedy, educational system, the legal system and gradually the social sphere as well. After the nation achieved independence in 1947, the need for a common language which was to be used as a link language for the entire country was felt by the political leaders, philosophers and thinkers. English language was considered a necessity for the progress and peace in the country. It was decided under article 343 of the Indian constitution that Hindi in the Devanagari script was to be the official language of the union but English would continue as an associate official language of the union for 15 years from the date of adoption of the constitution, i.e., 26 November, 1949. The first prime Minister of the nation **Pandit Jawaharlal Nehru** has stressed on the need for English:

“we are driven to English principally because we know it is a good deal, we have people who can teach it and because it is the most important language in the world today.”

As India became a nation state after independence, it was intended that English would be gradually faced out as

*Department of English, Maharaj Singh College, Saharanpur (U.P.) INDIA

the language of administration. But the absence of a perfect language which could replace English as the administration language posed a great problem. English still remains at the heart of the society of India in spite of the continued pressure from the nationalist who wish to replace it with the native language. It is very obvious why English has assumed a very significant place in our country. This is because of its three fold purposes that it serves; as national link language, as an international link language and as a library language. While teaching English certain aims and objectives are kept in mind. One of them is to enable the students to understand, speak, read and write English correctly. This can also be termed as a development of LSRW in short which are considered to be the basic language skills in any ELTL program. The main aim on the focus of LSRW is that the students are able to communicate in English as and when they need to do so. Some of the main objectives of teaching English include teaching the students the skill of understanding English with is well spoken at a normal conversational speed. It also focuses on teaching the students how to speak English correctly and fluently and also reading it with comprehension and at a reasonable speed so as to use it as a library language for gathering information and for enjoying reading. It also helps to enable students to write neatly and correctly at a reasonable speed. Poems short stories and at the literary genres in English cannot be enjoyed without having the proper knowledge of the language. Hence it also focuses on these aspects. It also AIMS at making the people able to acquire knowledge of the elements of English for practical command of the language and also helps in translating the common English words, phrases and sentences into the functional equivalent in mother tongue and vice versa. It also develops interest in English language in its totality. usually teachers, parents, educators, experts as well as students who are learning the language feel that it is not happening in the schools and colleges. They are of the opinion that the teaching of English is fraught with apathy, disinterest, loss of motivation and individual resistance.

It is generally observed that the Indians who know English are often likely to mix it with the Indian languages in the conversations they have. it is also usual among Indians to abruptly move to speak fluent in the middle of the conversations. As India is a diverse nation with diverse languages English serves as the communicator among the Indians who speak different languages. Indians are familiar with both types of English that is American and British English. But in India English has acquired its own character as the nation is a melting pot of various cultures, people, traditions and hence diverse languages and dialects. The logic behind the quirks of Indian English is quite transparent and readily explicable to the ones who are aware of the grammar of Indian towns like Bengali, Hindi, Malayalam etc. has also been observed that the Indians and the Indian English language plus uses many words derived from English languages especially from Hindi. The Indian accent

is also difficult for non Indians to understand at times. Some Indian pronunciations do not exist in non Indian languages which makes it difficult for the non Indians to understand the Indian accent of English. A number of Indian writers have left a mark on the world literature with their English writings. For instance, RK Narayan, a very popular Indian writer in English, uses popular Tamil and Sanskrit words in his novels frequently. For example Indian words like bonda, sadhu, rasam, samadhi and a lot more are an inseparable part of some of his most famous novels. The use of Hinglish by a number of authors like columnist Karan Kumawat, Shobha De, Salman Rushdie and Upamanyu Chatterjee is quite extensive in nature.

Major problem of teaching English in India is because of large classes, insufficient infrastructural facilities and inefficient and/or inadequate teachers. What amplifies this problem is the absence of detailed spelling out of the nature of higher order language skills and sub skills and the lack of reliable feedback and dependable research related to the local needs. Failure to go ahead with curricular reforms and the dominance of the status quo make it even harder. The country also faces the problem of unrealistic courses which do not take into account the learners entry behaviour and the desired terminal behaviour and the almost total negligence of the learners needs and aspirations and the national needs. Other problems include in educate opportunities for task specific in servicetraining and undue interference with policies and matters pertaining to education. added to this is the unthoughtful a difference to teaching learning models developed in other countries where the English language teaching situation is different from India.

It is the teacher who plays the role of the most influential factor in the entire education system. The role of a teacher is of the facilitator in teaching learning progress. language teacher assumes a great significance because language is regarded the greatest achievement of human intelligence and the **tour de force** of all subjects. As English is considered a global language in India the English teacher in this country enjoys a special place of distinction in the society. Language teacher has to wear different things in mind. one of the most important of them is that the language teaching has to be different from the teaching of non-language sab States because the teachers concern and language teaching is to help learners acquire language skills rather to pass on the information. Order to become a good teacher of English a person has to first improve his or her pronunciations and acquire fluency through practice and while listening to good models of spoken English. some suggestions for English teachers include that the teachers should make the students speak read and write good English. Teachers are also expected to practice writing English so that the students emulate and imitate them. Teachers should also do some translation from English to Indian languages and vice versa to make it easier for the students to understand.

to prevent the excessive overuse of regional filler words in Indian English some measures can be put to practice. one of them is to minimize the dependence on local equivalent of words that are being used in English sentences. This can be done if one listen to what he or she speaks and carefully noticed the words that they have big from other languages and hence replace them with English words. This method helps to Converse in pure English rather than English mixed with the regional languages. Another step would be to improve the vocabulary. If the vocabulary is improved the person might not need to use the regional words while speaking English. If a person who is not very fluent in English encounters a situation where does not know the word which conveys the same meaning as he aims, he flips to the regional tongue and borrows words from the regional language. Vocabulary can be increased by reading books and keeping up with the times by reading English newspapers and listening and watching English shows movies and songs preferably without any subtitles to slowly understand the language better and develop a grasp of the subject.

Another way of encountering this problem would be to develop a proper and professional attitude. People should follow certain workplace ethics and avoid informal conversations which involve the use of regional languages and words mixed with English in the workplace. this helps them to get a better command of the language and learn better ways of presenting it before taking any decisions.

A critical and careful analysis of English language teaching learning in the country reveals the fact that the existing state of ELTL program in terms of learners achievement is not satisfactory and the factors responsible for this sorry state include non-availability of standard textbooks, lack of clear cut goals on shortage of well-trained and dedicated teachers, lack of suitable teaching learning technical resources coma and realistic evaluation system and death of innovative techniques and methods to hundred English language effectively in actual classroom situation.

English teaching is a sympathetic handling along with the application of appropriate approaches and audio video is right from the school is. In you should be taught as a language not is a subject and the teacher has to be competent in the basic language skills by going through latest materials and attending various training programs on English language organized from time to time by ELT institutions in the country and abroad.

Proficiency is not enough, a considerable amount of dedication on part of the English teacher is essential because lack of commitment destroys everything. In which has acquired the status of a living and breathing language used for National and international communication. The evaluation of the English language should be skill based on continuous life related, using multiple techniques and should be used for improvement in learning communicate availability of the students. It may be reformed that the teacher's role in promoting ELTL programs is a paramount importance and a conducive atmosphere of cultivating communicative skills in English can be easily created in educational institutions with nach knowledge and commitment. Let every teacher we officially dating on English language learning oil for experience.

References:-

1. Shanmugasundaram, N. " Fundamental issues in English language teaching", The Hindu, January 18, 2000, p.22
2. Marathe, Sudhakar "The makers of Indian English: English teaching enterprise in 50 year old India" Makers of Indian English literature, ed. C.D. Narasimhaiah, pencraft international, delhi,2000.
3. Susie Dent, The Language Report: English on the Move, 2000-2007. Oxford University press. 2007.
4. Ahmad, Iqbal, "The new English teacher", Journal of Indian Education, NCERT, New Delhi, January 1990
5. Raman, Meenakshi and Prakash Singh. Business Communication. New Delhi: Oxford University press. Ed. 2006.

The Buddhist Motif in the Waste Land (1922)

Arvind Kumar Srivastava*

Introduction - The Waste Land, first published in The Criterion for October 1922, was written according to Eliot, "to release the tension in his mind".¹ the tension of Eliot's mind was most probably caused by the moral and spiritual sterility of the western world. The sensitive poet would have looked around and found the prevailing atmosphere unhealthy and lustful. His strict moral and religious upbringing in a Unitarian family won't have approved of it. For its remedy, he would have gone to the far-off East, to a highly spiritual land like India. it is in such a mood of mind that, The Waste Land was composed.

Scholars have variously interpreted the Waste Land- that it is a pompous parade of erudition (Louis Unfermeyer), that it is 'a cry from the wilderness' (H.R. Williamson), that it is 'the disillusionment of a generation' (I.A. Richards), etc. But one valid interpretation of this poem is also that it is a strong plea for the moral and spiritual regeneration of modern man, to which Indian religious and philosophy contribute immensely. Eliot's use of the Buddhistic and Upanishadic wisdom of India in the texture of the poem carries home the point. Lord budha's teaching for the basis of "The fire Sermon" while the Upanishadic philosophy supplies the content of "What The Thunder said" in The Waste Land. These two sections- the third and the fifth- are unquestionably the heart of the poem.

Eliot's use of the ancient Indian wisdom in The Waste Land has at time upset the critics who find themselves ill-equipped or semi equipped about this wisdom. F.O. Matthiessen simply does not bother to understand it, and state that there is no need to read the Buddha and St. Augustine or even Miss J.L. Weston's book from Ritual to Romance. He, however admires Eliot for finding "an excellent objective correlative."² Eliot's mentor, Ezra Pound, maintains that the Sanskrit words proper in fifth section of the poem – which will not be our focal point here for the plain reason that it has nothing to do with the gospel of the Buddha – can be overlooked without any loss of "the general tone" or "the main emotion of the passage."³ F.R. Leavis also makes a similar approach to this matter and calls the Indian elements as merely 'ironic' but he allows the following concession: "The Sanskrit lends an appropriate Portentiousness, intimation that this is the sum of wisdom according to a great tradition".⁴ Critics like Yvor

winters, Karl Shapiro, Land Conard Aiken have disapproved the introduction of the Indian element in The Waste Land. **Title Of The Waste Land** - Though some critics like F.R. Leavis assume that the title of The Waste Land from Miss. J.L Weston's book, From to Romance⁵ especially from its second chapter called "The Freeing of Waters". There is every reason to believe that the Indian religious texts are no less relevant in this matter. Right from his boyhood, Eliot was interested in Buddhism and Hinduism. He had evidently read the Light of Asia by Sir Edwin Arnold. He had also studied H.C Warren's Buddhism in Translations. These texts had enlightened Eliot on the salient features of Buddhism and on the life-events and achievements of Buddha.

When Eliot was writing "The Waste Land", he was in deep love with Buddhism. The noted writer, Stephen Spender, has confirmed this fact in brilliant essay: Incidentally, if Eliot's own views are to be considered, I once heard him say to the Chilean poet Gabriela Mistral that at the time when he was writing, The Waste Land he seriously considered becoming a Buddhist....⁶

This statement of Spender is quite meaningful for us is determining the structure of this poem. As we know that out of five sections one is directly derived from the Buddhist source.

It is likely that Eliot should have gone to the Dhammapada, an important holy book of the Buddhists, for the title of the poem under the review. This holy book, when translated by bhikkhu khantapalo (a Thai Buddhist Monk), was given the title of " Growing the Bodhi Tree in the Garden of the Heart" This Monk re-organises the Dhammapada in ten section with a prologue called " The Waste Land". It is just possible that the translator took the hint for the title of his prologue from Eliot's poem. 'the Bodhi Tree' is the tree under whose shade the Buddha sat for meditation and eventually got enlightenment. But it is not an easy task to grow the seeds of this tree in the garden of one's heart. It becomes all the more difficult when the 'heart' (metaphor for the Land) is 'wasted' and without the revitalizing power of water(i.e. spiritualism). the Dhammapada has verses in it which emphasize the need of the 'heart' being irrigated well with waters of compassion and thoroughly manured meditation.⁷

Event the Rig Veda, the oldest of all the four Vedas,

* Asst. Professor (English) Sri Baijnath Shivkala P.G. College, Mangalpur, Barabanki (U.P.) INDIA

makes a reference to The Waste Land. Miss Weston also traces the symbolism of the Grail Legend to this Veda in her book From Ritual to Romance.⁸ The Rig Veda narrates a situation in which the seven rivers ('sapta sindhu') in the Punjab are lying locked up by Vritrasur or Ahi (a powerful demon). The demon has conquered even the gods who are in great dread for him. Lord Vishnu and Lord Indra are all helpless in releasing the fettered waters. In sheer panic, the gods approach a realized soul called Dadhichi for his back-bone to prepare a bow from which the fatal arrows could be shot to slay the demon. The great sage readily accepts their prayers and lays down his life for the. So powerful is the sage's asceticism that the bow made of his bone commands "the strength of club of diamonds- a Vajrayudha"⁹ and when the gods use it against the demon, the latter is instantly slain and the cloud burst out with rains. Thus, the very little of the poem can be suitably traced to the Dhammapada and the Rig Veda. Both the holy texts point to a state of existence without water (or, spiritual practice). Man's search for water symbolizes his "metaphysical quest", and "The Waste Land" stands for "a state of existence devoid of this quest"¹⁰ As the Poem opens, it lays great stress on the 'waterlessness' or 'bareness' of "The Waste Land" and the spiritual vacuum of modern man. It also stresses 'The loss of fertility in human beings' owing their ugly indulgence in sexuality. The reader can mark the excessive indulgence of modern men in lustfulness in the first three parts of the poem- "Burial of the dead (part-I)," "A game of chess" (part-II), and "The Fire Sermon" (Part-III). Part- I of the "The Waste Land" brings before us the picture of the hyacinth girl in the garden; part-II that of the historical lady in her boudoir as well as that of the cockney women talking of another cockney women who had fallen ill because of an overdose of contraceptive pills; and part-III those of Mr. Sweeney and Mrs. Porter, of the typist girl having been seduced by 'the young man carbuncular', and of Queen Elizabeth, flirting with Lord Leicester in a decorated barge over the river Thames. This is, then, the situation when Eliot introduces Lord Buddha along with St. Augustine as an antidote to the prevailing passions of the human world.

"The Fire Sermon" is an essay on the universality of lustfulness affecting the entire human race. As Lord Buddha saw it, the modern world is 'burning' in the cauldron of love and lust. Lord Buddha delivered his famous sermon to the large assembly of one thousand priests in the following manner:

All things, O priests, are on fire, and what, O priests, are all these things which are on fire ?

The eye, O priests, is on fire; forms are on fire, eye-consciousness is on fire; impression received by the eye are on fire; and whatever sensation, pleasant, unpleasant, or indifferent, originates in dependence on impressions received by the eye, that is also on fire. And with what are these on fire? With the fire of passion, say I, with the fire of hatred, with the fire of infatuation; with birth, old age, death,

sorrow, lamentation, misery, grief and despair are they on fire. The ear is on fire; sounds are on fire:the nose is on fire; odours are on fire;.....The tongue is on fire; tastes are on fire; the body is on fire; things tangible are on fire..... The mind is on fire; ideas are on fire;..... Mind consciousness is on fire; impressions received by mind are on fire, and whatever sensation, pleasant, unpleasant, or indifferent originates in dependence on impressions received by the mind, that is also on fire.

And with what are these on fire ? With the fire of passion say I, with the fire of hatred, with the fire of infatuation; with birth, old age, death, sorrow, lamentation, misery, grief and despair are they on the fire.¹¹

Thus, Lord Buddha found none happy and nothing pleasant in the sordid world of urban pleasures. In the third part of The Waste Land Eliot echoes the thought of Lord Buddha by attaching universality to the theme of passion. The poet confesses to have developed ingrown "urban habits"¹² while living in a metropolitan city like London. And Eliot calls the city of London and Unreal City. He calls it so because it has become a hot-bed of passions and sinuous activities. Eliot believed like the Buddha, that 'passion' is the root-cause of all sufferings. One can be free from passion or sinuous pursuits in life by taking to meditation and asceticism, as the great Buddha did. It is only then that one can connect 'Nothing with Nothing' (line302, The Waste Land)

The concluding lines, quoted below, of "The Fire Sermon" are Quite significant in the light of our discussion:

To Carthage then I came
 Burning Burning Burning Burning
 O Lord Thou Pluckest me out
 O Lord Thou Pluckest
 Burning.

(Lines 307-311 The W.L.)

Here Eliot brings together the two representatives of eastern and western asceticism¹³ in order to emphasise the importance of spiritual practice in man's life. The spiritual practice alone can liberate him from the votes of lust and unholy love. Then he can hope to attain 'moksha' or 'nirvana' (i.e. blowing out the fire of desire). Both Lord Buddha and St. Augustine arrived at same conclusion on this point, and both suggested the practice of asceticism as the only remedy to the 'burning' of the world in the fire of lust and love.

St. Augustine has recorded his experience in his book, The Confession. In the third Book of this work, he says, "To Carthage I came, where there sang all around me in my ears a cauldron of unholy loves".¹⁴ Further, in Book X of the same work. St. Augustine states: "And I..... Entangle my steps with these outward beauties: but thou pluckest me out, O Lord, thou pluckest me out; because Thy loving-kindness is before my eyes".¹⁵ Thus, both the saints-one of the west and other of the East suggested the same sort of solution to end up the flames of lust. Clearly enough, the wisdom of the East and the West becomes identical in this

matter. William Empson is inclined to give an edge to Buddhism in matters of spiritual practice and attainments. He is led to remark- I think Buddhism much better than Christianity, as it does not "gloat over human sacrifice".¹⁶ It is worth nothing here that fire Sermon is as central to Buddhism as the Sermon on the Mount to Christianity. But as Eliot picks up the title of "The Fire Sermon" from the teachings of the Buddha, it would be proper to assume that he attaches no less importance to Buddhism than to Christianity.

It is erroneous to think that Eliot went to Buddhism or awareness".¹⁷ No doubt, Eliot was Christian poet but a poet of his stature transcends the limitations or creed, clime and religion of nationality in his artistic creations. Eliot is primarily a poet of International status. So, it would be wrong to consider him as a mere Christian poet. No particular religion is higher than the sacred domain of art or poetry. Moreover, Eliot's declaration that he was, among other things, and "Anglo-catholic in religion".¹⁸ Came atleast five years after his production of a poetry of the lasting nature, the kind of poetry that we have in "The Waste Land (1922)". And it is a great poem beyond doubt, a poem in which the elements of Christianity Buddhism and Hinduism are clearly pronounced. Speaking of this poem the well known Eliot critic, Cristian Smidt rightly remarks thus:

It is a criticism of life from a Christian and Hindu and Buddhist point of view but without the faith of any of these religions, or rather with the faith of them all but with a still more powerful skepticism.¹⁹

Smidt points out the universality of the poem as well as its modernity (in power scepticism). He evidently admits the induction of Buddhistic and Hindu thoughts in its structure.

Another critic, E.L. Mayo, is of the considered view that the famous passage introducing the Buddha and the Saint of the West contains three religious traditions of the world-the Christian, the Hebrew, and the Buddhist.²⁰ The first line of passage is a unmistakable derivation from The Confessions by St. Augustine who laments the loss of his youth in pursuit of lustful activities before he comes to Carthage. The next line contains the Buddha's thought that the whole human world is 'on fire' or it is 'burning'. And in the next two lines, we have an echo of the Hebrew prophets like Arnos and Zachariah who used the expression contained in them with reference to Jehovah's interventions on behalf of sinful Israel. The fifth and the last line of the passage under consideration takes us to the illuminating gospel of Lord Buddha- precisely to the second line of this extract, and the question of 'burning' raises its ugly head again. The poet's technique of reversion and repetition, as displayed here, reinforces the prevalence of lust and concupiscence in the modern world. His intention here seems to remind the humans of the real ills gripping the so called advanced society. According to mayo, the passage under review carries the imprint of 'the three great world religions' mentioned above. The critics hastens to add

further;

What I am trying to point out..... is that the mood projected in the poems equally Buddhist and Augustinian. For the second time in American literature (Whitman was the first who conjoined the themes of spiritual autonomy and liberation found in the Upanishads with the study and social individualism of the Deist tradition) Eastern and Western insights were fused together without inner tension or strain in a single poetic apercu.²¹

Mayo rightly suggests an apt comparison between Eliot and Whitman, the two great American poets of their day.

Now, what is the sense in collocating the 'two representatives of Eastern and Western asceticism when St. Augustine would have been sufficient? Obviously, Eliot does so with a specific purpose in mind to "emphasise the great asceticism of the Buddha, who was a born prince with all luxuries at this command, but who in the prime of his youth renounced the throne, his young, beautiful wife and his newly born son, and walked out."²² So, Eliot introduce the Buddha in the context in order to highlight his exemplary sacrifice for Enlightenment. As a young prince, he had seen a sick man, a weeping women and old man crouching along his staff. At once he realized that the world is full of suffering and that he should find out a way out of them. He, therefore, sat under the Bodhi tree for long years in meditation, and eventually got enlightened. Since then, prince Siddhartha came to be known as 'the Buddha' (i.e one ego has attained knowledge or Enlightenment).

After Enlightenment, Lord Buddha came to Sarnath (in Varanasi) And taught his disciples to 'burn' all desires – the desires of property, possession, of lust and love, of meum and attachment. In the Hindu Society, fire (or agni) plays a dominant role in performing the rituals And ceremonies; all the marriages and religious rites are performed in witness of 'fire'. So, if the 'fire' image becomes insistent in the last few lines of "The Fire Sermon", its function of purifying the sins of lust and love, greed and avarice is emphasized by the poet, and without purification, there is no sense in introducing the two great ascetics of the world. Hence the use of the term 'burning' in the closing passage of part III assumes an added meaning and significance.

References :-

1. T.s. Eliot, On poetry (concord, Mass, 1947), P.10: cited from Grover Smith, T.S. Eliot's Poetry and Plays: A Study in Sources and Meaning 6th impr. (Chicago and London: the university of Chicago Press, 1965) p. 304, note 12.
2. F.O. Mathiessen, The Achievement of T.S. Eliot (1935, New York: Oxford University Press, 1959), p.51.
3. Ezra Pound, T.S. Eliot: The Waste land – A case book ed. C.B. Cox & A.P. Hinchliffe (London Mcmillan and Co.;1968), p.173.
4. F.R. Leavis, New Bearings in English Poetry, New ed. (London,Chatto and windus, 1961), p.102.

5. Ibid., p. 90.
6. Stephen Spender, "Remembering Eliot", The Sewanee Review, LXXIV, No.1 (winter 1966), p.60.
7. A.N. Dwivedi, T.S. Eliot's Major poems: An Indian Interpretation (Salzburg, Austria: University of Salzburg Publications, 1982) p.24.
8. Jessie L. Weston, From Ritual to Romance (Garden city, New York: Doubleday and Co. Inc. 1957), p.25
9. Dwivedi, op.cit, p.25.
10. Idem
11. T.S. Eliot, "A commentary" The criterion, XVII (April, 1938), p.482.
12. See the Poet's notes on The Waste Land.
13. Edeard B. Pusey, ed. The Confession of St. Augustine (New York: The Modern library, 1949, p.36)
14. Ibid, p.231.
15. William Empson, "Mr. Empson and the Fire Sermon", Essays in Criticism, VI, No.4 (Oct, 1956), p.481
16. A.N. Dwivedi, T.S. Eliot's Major Poems, p.33
17. M.M. Bhalla, Editor, Papers and Proceedings of a Seminar (Bombay; Manaktalas, 1965), p.61
18. T.S. Eliot "Preface" for Loncelot Andrews (1928: London; Faber & Faber, 1970), p.7.
19. Kristian Smidt, Poetry Belief in the work of T.S. Eliot (London; Rutledge and Kegan Paul, 1961), p.149
20. E.L.Mayo, "The Influence of Ancient Hindu Thought on Walt Whitman and T.S. Eliot" The Aryan path, XXIX (January-December 1958), p.174.
21. Idem
22. Dwivedi, T.S. Eliot's Major Poems, p.35.

प्राचीन नगरी मल्हार के पुरासंपदाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन

मंजू साहू* डॉ. रामरतन साहू**

शोध सारांश – मल्हार नगर प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक स्थल मल्हार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर जिला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नगर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं कला की अमूल्य निधि अपने अंतराल में संजोये हुए है। मल्हार इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, कलानुरागियों तथा पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के पुर्ननिर्माण में मल्हार के स्थापत्य कला का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास निर्माण तथा स्थापत्य कला में मल्हार क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। यहां से प्राप्त ताम्रपत्र, शिलालेख, मृणमुद्राएं, सिक्के, स्मारक एवं कलावशेषों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह नगर प्राचीन काल से ही समुन्नत रहा है। भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्वीय उपलब्धियों की उपादेयता सर्वमान्य तथ्य है, फलतः उस स्थान से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती हैं एवं वहां इतिहास व संस्कृति के अध्येयताओं के लिए सहज आकर्षण के केन्द्र होते हैं। मल्हार एक ऐसा स्थल है जहां से प्राप्त पुरातन सामग्री का विभिन्न कालों से संबंध रहा है।

शब्द कुंजी – पुरातन, अनेकानेक, अध्येयता, विपुल, जीविकोपार्जन, पुरासंपदा।

प्रस्तावना – भारतीय इतिहास के विभिन्न ऐसे प्राचीन स्थल हैं जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारतीय इतिहास का अतीत उन आद्य ऐतिहासिक सम्पदाओं का विपुल भंडार रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राचीन संस्कृति ऐतिहासिक महत्व की समाग्रियां, जन जीवन से संबंधित अनेकोनेक वस्तुओं का भंडार उसकी गहराई तक भरा पडा है, इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ अंचल का अधिकांश भाग आता है।¹ पुरातात्विक सम्पदाओं एवं प्राचीन संस्कृति इतिहास में बेजोड़ रहा है, यदि हम इसे भारतीय इतिहास की श्रृंखला में सर्वप्रथम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस क्षेत्र की धरती पर अनेकानेक प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास को उजागर करने वाला स्थान देखने को मिलता है, जिसमें मल्हार नगर का नाम पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। बिलासपुर जिले का यह प्राचीन ऐतिहासिक नगर, सदियों पुरानी मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला, पुराने सिक्के, मनके, ठिकरे, ताम्रपत्रों के माध्यम से प्राचीन काल की गाथाओं को अपनी चिर स्थली भूमि के गर्भ में संयोजे समाधिस्य योगी के समान बैठा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विषयों पर निरंतर प्रभाव डाल रहे हैं।

शिवनाथ, अरपा, लीलागर आदि नदियों के मध्य स्थित मल्हार नगर प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का एक धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक स्थल मल्हार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर जिला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नगर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं कला की अमूल्य निधि अपने अंतराल में संजोये हुए है।² मल्हार इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, कलानुरागियों तथा पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा है। यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के पुर्ननिर्माण में मल्हार के स्थापत्य कला का विशेष योगदान रहा है।

छत्तीसगढ़ के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास निर्माण तथा स्थापत्य कला में मल्हार क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। यहां से प्राप्त ताम्रपत्र, शिलालेख, मृणमुद्राएं, सिक्के, स्मारक एवं कलावशेषों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह नगर प्राचीन काल से ही समुन्नत रहा है। भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्वीय उपलब्धियों की उपादेयता सर्वमान्य तथ्य है, फलतः उस स्थान से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती हैं एवं वहां इतिहास व संस्कृति के अध्येयताओं के लिए सहज आकर्षण के केन्द्र होते हैं। मल्हार भी एक ऐसा ही स्थल है जहां से प्राप्त पुरातन सामग्री का विभिन्न कालों से संबंध रहा है। यहां से प्राप्त महाराज महेन्द्र की पकी मिट्टी की मुद्रा व उत्खनन से पहली बार प्रकाश में आयी है।

प्राचीनकाल में मल्हार प्रमुख व्यापारिक केन्द्र स्थल था, इसी कारण से विभिन्न धर्मावलंबियों ने अपने-अपने धर्मों के उत्थान के लिए यहां मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण कराया। वैष्णव धर्म के अतिरिक्त इस क्षेत्र से शैव मंदिरों तथा प्रतिमाओं का निर्माण विशेष रूप से किया है। मल्हार में वैष्णव, शैव धर्म के साथ ही साथ जैन व बौद्ध धर्म का भी पुरावशेष देखने को मिलता है।³ पांचवी ई. से सातवीं सदी के मध्य निर्मित शिव कार्तिकेय की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, स्कंदमाता की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में साज सज्जा के अतिरिक्त मनोरंजक लोक कथाओं का भी अंकन हुआ है। सातवीं से दसवीं सदी के मध्य में विकसित यहां की मूर्ति कला में गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मल्हार में बौद्ध स्मारकों तथा प्रतिमाओं का निर्माण इस काल की विशेषता है। बुद्ध, बोधितत्व तारा, हेव्रज, मंजु श्री आदि बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जैन तीर्थ, यक्ष यक्षियों विशेषतः अंबिका की प्रतिमाएं यहां से मिली है।

मल्हार के स्थापत्य कला के जीवंत उदाहरण हैं – यहां स्थित प्रमुख मंदिर जैसे – पातालेश्वर केदार मंदिर, डिड़िनेश्वरी मंदिर, देउर मंदिर, नंद

* शोधार्थी, डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

महल, परगनिहा देव मंदिर, स्कंद माता की मूर्ति, अभिलिखित चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, शैव प्रतिमाएं इत्यादि। इस स्थल से संग्रहालय तथा ग्राम के अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में पाषाण फलकों पर अन्य रोचक तथा कलात्मक चित्रण देखने को मिलते हैं, जो तत्कालीन शिल्पकारों के द्वारा सुरुचिपूर्ण कलात्मक प्रदर्शन है, शवों एवं उनकी कला वैशिष्ट्य को प्रदर्शित करते हैं।

ईसा पूर्व दूसरी सदी की चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा दक्षिण कौशल क्षेत्र में नहीं अपितु शरत के उन पाषाण प्रतिमाओं में से एक है जो कि इस अंचल की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को मुखरित कर रहा है, मूर्ति स्थानिक मुद्रा में दिखलाया गया है, सिर में मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार, सौम्य शव तथा हाथों में चक्र, दण्ड तथा कृपाण लिए हुए है, कमर में प्राचीन ताड़ वृक्ष के पत्ते के समान वस्त्र धारण किए हुए है, विद्वानों के मतानुसार यह पाषाण प्रतिमा भारत में निर्मित भगवान विष्णु की सर्वप्रथम प्रतिमा है, जो कि भारतीय पुरातत्व के मल्हार स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है, समीप ही स्कंद माता की प्रतिमा भी रखी हुई है, प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, मूर्ति में स्कंद माता को कार्तिकेय जी को गोद में लिए प्रदर्शित किया गया है, यह मूर्ति साल वृक्ष के नीचे खड़ी है तथा प्रत्येक अंगों पर अलंकरण धारण की हुई है, मल्हार की प्राचीन मूर्ति कला की बहुल्यता को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह नगर पाषाण मूर्तियों का स्थल रहा होगा। प्राचीन नगर का विस्तार लगभग दस किलोमीटर का रहा है, जिसके प्रत्येक जगहों में प्राचीन प्रस्तर मूर्तियां दबी हुई भरी पड़ी है, खुदाई के दौरान यह बात सामने आयी कि यहां सभी सम्प्रदायों की मूर्तियां प्रायः देखने को मिलती है जिसमें यह प्रतीत होता है कि यह प्राचीन नगर कला क्षेत्र के साथ ही सभी सम्प्रदायों के धर्मों का भी केन्द्र रहा है, यहां से प्राप्त मूर्तियों में जैन मूर्ति, बौद्धिक मूर्ति, शैव मूर्तियां, बहुत मात्रा में मिलती है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर दसवीं, ग्यारहवीं बारहवीं एवं तेरहवीं शताब्दी तक की मूर्तियां जिसमें श्गवान विष्णुजी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, नृत्यरत उमा महेश्वर की प्रतिमा, पातालेश्वर शिवजी की प्रतिमा, मां डिडिनेश्वरी जी की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा आदि की अनेको मूर्तियां विभिन्न मुद्रा व भाव भंगिमा लिए हुए उपलब्ध है।⁴ कला की दृष्टि से यह नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, यहां से प्राप्त मूर्तियों के विषय में ऐसा अनुमान है कि इन मूर्तियों की शिल्पकला गुप्तकालीन तथा कलचुरी कालीन कला से संबंधित है, यहां की मूर्तियों में मां डिडिनेश्वरी की प्रतिमा सर्वाधिक कीमती व महत्वपूर्ण है, पातालेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश को प्रणय लीला करते तथा भगवान शिव को उमा जी के साथ प्रदर्शित किया गया है, देउर मंदिर के अंदर एवं बाह्य भाग पर जड़ित साल भंजिका का अनुपम प्रतिमा दर्शनीय है, जिसका छायांकन शासन के कलेण्डर में युवकों के सहयोग से किया गया है।

इस स्थल से न जाने कितनी दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, यहां बहुमुल्य सिक्कों के साथ ही शिलालेख, ताम्रपत्रों के सेट, पक्की मिट्टी की महत्वपूर्ण सीले, बौद्ध मंत्र से उल्लेखित मुहरें भी प्राप्त हुए हैं, पहले और तीसरे ताम्रपत्र पर दोनों तरफ 5 वीं व 6 वीं शताब्दी में प्रचलित ब्राम्ही लिपि में बाक्स शीर्ष से युक्त संस्कृत में आलेख दिए गए हैं, लेख से प्राप्त विवरणों से विदित होता है कि सोमवंशी राजा हर्षदेव के परम महेश्वर पुत्र महाशिवुस बालार्जुन ने ढवदी शैग में स्थित ग्राम सिरलिका का दान पातालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए किया था। इसी क्रम में यहां से करीब 12 सेट ताम्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, यहां से प्राप्त राजा महेन्द्र की सील विशेष महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा यह प्रमाणिक हो चुका है कि राजा महेन्द्र समुद्र गुप्त के समकालीन हैं,

मल्हार ईसा पूर्व से लेकर ईसा के बाद 1300 शताब्दी तक एक प्रसिद्ध नगर रहा है, मल्हार इस अवधि में सोमवंशी शरभपुरिया कलचुरी तथा सातवाहन राजाओं की प्रमुख स्थल के रूप में प्रख्यात रहा है।⁵ मल्हार में गंगा, यमुना, द्वारपालक शिव श्गवान, विष्णु - लक्ष्मी की आकर्षण मूर्ति भी दर्शनीय है, मल्हार पातालेश्वर मंदिर प्रांगण पर ईसवी पूर्व की पाचवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं, बारहवीं शताब्दी तक की सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं संग्रहालय के बाह्य भाग पर संग्रहित हैं, जो कि पुरातत्ववेत्ताओं के प्रयास तथा मल्हार के पुरातत्व प्रेमियों के सहयोग से संभव हुआ है।

मल्हार का प्राचीन किला जो कि सातवाहन काल के हैं, यहां से सात वाहन नरेश के सिक्के प्राप्त हुए हैं इसके पूर्व भी यहां से विपुल मात्रा में सोने, तांबे तथा कापर के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग को भेजा जा चुका है सिक्कों के संबंध में मल्हार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहां से ही सातवाहन नरेश अपीलक का दूसरी शताब्दी का लिखित महत्वपूर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, इसके पूर्व इसी राजा का एक और सिक्का महानदी के रेत में प्रख्यात विद्वान पंडित लोचन प्रसाद पांडेय को प्राप्त हुआ था, इन सिक्कों के अलावा मल्हार से ही दो और महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो सातवाहन राजाओं से ही संबंधित हैं, जिसमें पृष्ठ भाग में हाथी का अंकन स्पष्ट है, और कौशल लिखा है तथा दूसरा सिक्का सातवाहन वंशीय सतकर्णिय का गंजाकित सिक्का है।⁶

कलचुरी राजाओं में राजा मोरध्वज का उल्लेख ही आता है, विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि रामायण के आदर्श पात्र श्री राम ने अपने चौदह बरस के वनवास के दौरान कुछ समय बिलासपुर जिले के इस पुरातात्विक नगर में व्यतीत किए थे। इस समय श्री राम के साथ लक्ष्मण तथा माता सीता भी साथ में थी, वनवास के समय इन्होंने मल्हार के पंचसरा अर्थात् परमेश्वरा तालाब के निकट व्यतीत किए, यह संदर्भ वाल्मिकी रामायण में भी है, इस प्रकार से मल्हार की प्राचीन इतिहास के साथ ही वेद पुराणों में भी वर्णित है जो कि वंदनीय तथा अभिनंदनीय है।

मल्हार नगरी को सिर्फ पुरातत्व सम्पदा के कारण याद किया जाता है, परंतु हम यहां कि मंदिर मूर्तियों से होते हुए अंदर की तरफ जायें तो प्रसिद्ध प्राचीन परमेश्वरा तालाब तक पहुंचने पर इतिहास के उन परतों पर पहुंच जाते हैं, जहां कलचुरी कालीन सभ्यता तथा संस्कृति ने भी कभी करवट ली थी, यू तो यह नगरी छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में अहम स्थान रखती है लेकिन आज उपेक्षा के कारण अपनी दुर्गति पर आंसू बहा रही है, मल्हार में 126 अर्थात् छः आगर छः कोरी तालाब है जो अपनी पौराणिक महत्व लिए हुए हैं, अधिकांश जलाशयों का नामकरण भी भगवान व ऋषिमूर्तियों पर आधारित है, जैसे राम सागर, लक्ष्मण सागर, शिव सागर, मोती सागर, शिव कुण्ड, हनुमान डबरी, ऋषि कुण्ड, गौरी कुण्ड, भरही डीपरा, पुरेना मोंगरा, घोराताल, थम्हा जोगिया, गरबोरवा, डोंगिया गलियारा, चन्हा कपूरताल, बेल उबरी, नईया डबरी, खईया डबरी, मारकण्डेय कुण्ड, पंच ऋषिकुण्ड, बरकुआं, बरबांधा आदि प्रमुख है यहां के तालाबों में ज्यादातर शिवमंदिरों का आकर्षण दिखलायी पडता है, खईयां तालाब के निकट प्राचीनगढ़ किला है, यह किला राजमहल का खण्डहर है जो अभी भी बरकरार है, कहा जाता है कि राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राचीन खईया तालाब का निर्माण कराया था। ग्रामीण जन इसे अन्य नामों से भी पुकारते हैं। राजा जाजल्यदेव की पत्नि ने मोती सागर तालाब का निर्माण करवाया था ,जो कि स्वीमिंग पुल के आकार में बना है, इसके दक्षिण भाग पर 35 मीटर ऊंचा शिव मंदिर है

जिसे देउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। परमेश्वरा तालाब में कभी जल को जीवन माना गया था, इस नगर के हर कोने कोने में बड़े-बड़े तालाब हैं तथा इसके किनारे मंदिर स्थित हैं, मंदिर में उत्कृष्ट मूर्तियां जीवन में आस्था के गीत गाती थीं।

मल्हार के आस पास के क्षेत्र की परिधि में बुढ़ीखार तथा जयपुर ग्रामों के मध्य लगभग पांच किलोमीटर की लम्बाई तथा तीन किलोमीटर की चौड़ाई में उंचे टीले के रूप में दिखायी देता है। वर्तमान समय में इन टीलों को समतल कर कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसमें हल चलाया जाता है तथा फसल उगाया जाता है। स्थानीय लोग इसे भरी कहकर पुकारते हैं, यहां के भू-भाग में हल चलाते वक्त अथवा खुदाई करते समय पुरातात्विक महत्व के भग्नावशेष, मृदभांड, सिक्के, मनके तथा कलात्मक प्रस्तर खंड, मंदिर द्वार, स्तंभ आदि प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां लगभग 50 मीटर के फासले पर अनेक छोटे छोटे कूप बने हुए मिलते हैं, जिसे पत्थरों से बांधकर बनाया गया है। इस क्षेत्र में आज भी कई जगहों पर कुआं प्राप्त होता रहता है, इन कूपों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। पूर्व में इस क्षेत्र के बहुसंख्यक पत्थर तथा पकी हुई ईंटों का प्रयोग निजी भवनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता रहा है। प्रारंभ में इन अवशेषों की प्राचीनता तथा उनके ऐतिहासिक महत्व की ओर किसी के ध्यान नहीं दिया। यहां के प्राचीन भवनों के नीचे के पत्थर तथा पकी हुई ईंटों को निकाल कर निजी मकान बनाने अथवा इसके बहुमूल्य सामान को बेचकर जीविकोपार्जन का क्रम चलता रहा, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है।

प्राचीन भवनों के अवशेषों, कलात्मक प्रस्तरखंड आदि मल्हार ग्राम की प्राचीनता, कला एवं संस्कृति के प्रतीक हैं तथा यहां के अतीत की गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचाने में समर्थ हैं। कालांतर में सबसे पहले पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय, पंडित प्यारे लाल गुप्त तथा श्री रेवाराम जैसे कतिपय पुरातत्व विद्वानों और पुरातत्व प्रेमियों ने इस अंचल की शिल्प कला, मूर्ति कला, ताम्र पत्रों, सिक्कों तथा अभिलेख आदि के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मल्हार वासियों को आगाह कर जागृत किया। मल्हार के समस्त नागरिकों ने जनमत तैयार कर पुरातन संपदा के संरक्षण का कार्य अपने हाथों में लिया तथा मल्हार संग्रहालय की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान कर देश के पुरातत्व वेत्ताओं, कलामर्मज्ञों एवं पर्यटकों का ध्यान यहां के पुरातत्व वैभव की ओर केन्द्रित किया प्रारंभ में अनेकों पर्यटक एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारी, विद्वानों ने समय-समय पर इस क्षेत्र का भ्रमण कर इस क्षेत्र का एवं यहां से प्राप्त अनेक धर्म के देवी-देवताओं की प्रतिमाओं, कलात्मक मंदिरों तथा अन्य उपलब्ध पुरातात्विक महत्व के अवशेषों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों सिक्कों आदि का अध्ययन कर, अन्य उपलब्ध पुरातात्विक महत्व के अवशेषों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों आदि का अध्ययन तथा प्रकाशन किया, जिससे समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से मल्हार की ख्याति, सुदूर अंचलों तक पहुंच सकी। मल्हार नगरी अन्य कई प्रकार के विशेषताओं के लिए विख्यात है, इनमें से इस स्थल के प्रमुख मंदिर निर्माण कला इस प्रकार हैं - कल्चुरी काल के अनेक शिलालेख एवं ताम्रपत्र यहां से मिले हैं, इससे ज्ञात होता है कि जाजल्लदेव द्वितीय के राज्यकाल में कल्चुरी सन् 1167 ई. में गंगाधर ब्राम्हण मंत्री के पुत्र सोमराज द्वारा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है।

मल्हार नगरी अन्य कई प्रकार के विशेषताओं के लिए विख्यात है, इनमें से इस स्थल के प्रमुख मंदिर निर्माण कला इस प्रकार हैं - कल्चुरी काल

के अनेक शिलालेख एवं ताम्रपत्र यहां से मिले हैं, इससे ज्ञात होता है कि जाजल्लदेव द्वितीय के राज्यकाल में कल्चुरी सन् 1167 ई. में 8 गंगाधर ब्राम्हण मंत्री के पुत्र सोमराज द्वारा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस नगर के पूर्व दिशा में माता डिडिनेश्वरी जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय जन 'डिडिनदाई' के नाम से जानते हैं। जनश्रुति के अनुसार माता का यह मंदिर कल्चुरी राजाओं की कुलदेवी कही जाती थी, माता डिडिनदाई अपने अराध्य शिव जी की अराधना में तपस्यारत हैं।

मल्हार के विश्रामगृह एवं स्थानीय बस स्टैंड के समीप केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित देउर मंदिर स्थित है। यह मंदिर टीले के रूप में परिवर्तित हो चुका था। भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा यहां सफाई करने का कार्य सन् 1979 से 1982 ई. तक किया गया। टीले की सफाई करते समय मंदिर का मूल आकार स्पष्ट हो गया, इसके साथ ही साथ मंदिर के निचले भाग में ढबी हुई दुर्लभ कलाकृतियां एवं अलंकृत स्तंभ खण्ड भी मिले हैं। यहां से मिले अवशेषों से स्पष्ट होता है कि यह पश्चिमाभिमुखी शिव जी का मंदिर रहा है।⁹ मंदिर का निर्माण बड़े-बड़े पत्थरों को तराश कर किया गया है। इस मंदिर के धरातल समानान्तर एवं आयताकार है। मंदिर के चारों ओर की भित्तियों में कीर्तिमुख, चैत्यवाक्ष, शरवाहक, पुष्पीय एवं ज्यामितीय आकृतियां, मकर अलंकरण तथा देवियों की आकृतियां उकेरी गयी हैं।

प्रमुख मूर्तियां अथवा प्रतिमाएं -

वैष्णव प्रतिमाएं- मल्हार में वैष्णव धर्म से संबंधित विभिन्न मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, जिसमें दूसरी सदी का विष्णु मूर्ति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यहां चर्तुभुजी विष्णु, शेषशायी विष्णु, गरुड़ासीन विष्णु, लक्ष्मीनारायण, वेणु गोपाल, नृसिंह एवं गरुड़ की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं।

शैव प्रतिमाएं - यहां शैव धर्म से संबंधित अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं, जिनमें अर्धनारीश्वर, शिव, चतुर्भुजीशिव, दसभुजी रौद्ररूपी नटराज, शिव-पार्वती, उमा-महेश्वर, नंदी पर सवारी किए हुए शिव, शिव जी की खंडित प्रतिमा एवं अन्य प्रतिमाएं हैं।

देवी प्रतिमाएं - इस स्थान से लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, वैष्णवी देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा माता, महिषासुरमर्दिनी, अष्टभुजी चामुण्डा, यक्षिणी प्रतिमा, गंगा यमुना की प्रतिमाएं इत्यादि मिले हैं।

जैन प्रतिमाएं - मल्हार की सीमा से लगे ग्राम बुढ़ीखार क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित जिन-प्रतिमाओं का संग्रह है। इसी स्थान पर जैनतीर्थकरों की आसनस्थ एवं कामोत्सर्ग मुद्रा में कतिपय प्रतिमाओं का सुन्दर संग्रह है। इसके अतिरिक्त मल्हार ग्राम के कतिपय भवनों, पीपलचौरा, नंदमहल में जैन प्रतिमाओं का संग्रह है।

जैन धर्म से संबंधित निम्न प्रतिमाएं मल्हार से भी प्राप्त हुए हैं, ये प्रतिमाएं हैं - सुपाश्वनाथ, ऋषभनाथ, संभवनाथ की प्रतिमाएं इत्यादि।

बौद्ध प्रतिमाएं - ईसा सातवीं से दसवीं सदी के मध्य मल्हार एवं उसके आसपास के भू-भाग में बौद्ध स्मारकों तथा प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। इस काल की मुख्य बौद्ध प्रतिमाओं में हेवज, बुद्ध, बोधिसत्व, मंजुश्री, एवं तारा इत्यादि हैं, इनमें बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमा अंकित है। मल्हार में खुदाई के दौरान प्राप्त बौद्ध देवता 'हेवज' की मूर्ति पकी हुई, ईंटों से बना है। इसमें हेवज देवता की मूर्ति एक चबुतरे पर स्थापित की गई है। यहां से एक व्रजयान मिला है, जो छठवीं सदी का है व यहां तांत्रिक बौद्ध धर्म व्रजयान का विकास भरपूर मात्रा में हुआ है। इसका स्पष्ट प्रमाण खुदाई से मिले बौद्ध चैत्य एवं विहारों से मिला है। यहां से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएं हैं -बोधिसत्व की

मूर्ति, हेवज की प्रतिमा, ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा, भूमिस्पर्श की मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध जन्म से संबंधित फलक, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति, तारा की प्रतिमा इत्यादि।

उपसंहार - इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता से परिपूर्ण मल्हार स्थल की पुरासंपदा व पुरालेख अति प्राचीन है। दक्षिण कोशल के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में इस क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान रहा है, ऐतिहासिक नगरी मल्हार धार्मिक सहिष्णुता, ऐतिहासिक महत्ता, पुरातत्व भग्नावशेष, यहां से प्राप्त सीलें तथा सिक्के, शिलालेख एवं ताम्रपत्र, मिट्टी से बने टेरा-कोटा, संग्रहालय तथा उसमें स्थित प्रमुख प्रतिमाएं, मल्हार उत्खनन, यहां स्थित सैकड़ों तालाब, यहां की धार्मिक एवं आर्थिक दशा, इस स्थल में शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध धर्मों का संगम, आदि सभी अविस्मरणीय है। पूर्व में इस क्षेत्र के बहुसंख्यक पत्थर तथा पकी हुई ईंटों का प्रयोग निजी भवनों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। पूर्व में इन अवशेषों की प्राचीनता तथा उनके ऐतिहासिक महत्व की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां के प्राचीन भवनों के पत्थर तथा पकी हुई ईंटों को निकाल कर निजी मकान बनाने अथवा इसके कीमती सामान को बेचकर

जीविकोपार्जन का क्रम चल रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। यहां की पुरासंपदा को सहेज कर तथा संभाल कर रखने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्त , प्यारेलाल - प्राचीन छत्तीसगढ़ , पृ . 47 ।
2. मिराषी, वा. वि, वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख , पृ. 129-289 ।
3. शर्मा, डॉ. सुधीर - छ.ग. का सांस्कृतिक पूरा वैभव पृ. 74-75 ।
4. वर्मा, डॉ. भगवान सिंह - पूर्वोक्त पृ. 24 ।
5. परिहार, दिनेश नंदनी, प्राचीन छत्तीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास , पृ. 25 ।
6. पाण्डेय, रघुनंदन प्रसाद , मल्हार दर्शन पृ.38 ।
7. मिश्रा, बलदेव प्रसाद , छत्तीसगढ़ परिचय , पृ. 104 ।
8. शर्मा, पालेश्वर प्रसाद, व शेष ,गोपाल, डिडिनेश्वरी देवी महिमा, मल्हार, पृ. 25 ।
9. बेहार, राजकुमार - छत्तीसगढ़ का इतिहास पृ. 13।

विनोबा भावे का शिक्षा दर्शन

डॉ. सुनीता गुप्ता *

शोध सारांश - आचार्य विनोबा भावे महान सन्त, दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक चिंतक थे। मानव जीवन के अभ्युदय और निःश्रेयस के बारे में ऐसा कोई विचार क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने स्पर्श नहीं किया हो। व्यक्ति के नैतिक शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर उन्होंने समान रूप से अपना विचार प्रकट किया। उनका जीवन दो धाराओं में गतिशील हुआ है प्रथम धारा साधना की है जिसमें उनका शाश्वत आध्यात्मिक चिंतन प्रकट हुआ है जिसे हम उनका शान्ति दर्शन कह सकते हैं एवं दूसरी धारा समाज सुधार की है जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचार और रचनात्मक कार्यक्रम भूदान, ग्रामदान, कांचनमुक्ति, ऋषिखेती, शिक्षा, अछूतोद्धार आदि शामिल हैं। इसे उनका क्रान्तिदर्शन कह सकते हैं।

प्रस्तावना - दिव्य कर्तव्य, मानवतावादी सोच, सबके उदय की कामना, चिन्मयी पुरुषार्थ और तेजोमय शौर्य से मानव-मानव की चेतना को झंकृत करने एवं धरती को जय जगत का सन्देश देने वाले युगपुरुष संत विनोबा भावे का जन्म 11 सितम्बर 1895 को हुआ था। इस महापुरुष ने भूदान, डाकूओं के आत्मसमर्पण तथा जय जगत के विचारों द्वारा वैश्विक समस्याओं के अहिंसक तरीके से समाधान निकालने के जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत किये थे। संत विनोबा एक प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीयता, नैतिकता एवं अहिंसक जीवन एवं पीड़ितों एवं अभावों में जी रहे लोगों के लिये आशा एवं उम्मीद की एक मीनार थे, रोशनी उनके साथ चलती थी। वे संतों की उत्कृष्ट पराकाष्ठा थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, विशिष्ट उपदेष्टा, महान विचारक तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरी भावे था। वे भारत में भूदान तथा सर्वोदय आन्दोलन प्रणेता के रूप में सुपरिचित थे। वे भगवद्गीता से प्रेरित जनसरोकार वाले जननेता थे, प्रवचनकार थे, महामनीषी थे, जिनका हर संवाद सन्देश बन गया है। वे कर्मप्रधान व्यक्ति थे इसलिए गीता उनका आदर्श थी। उन्होंने अपने प्रवचनों में गीता का सार बेहद सरल शब्दों में जन-जन तक पहुँचाया ताकि उनका आध्यात्मिक उदय हो सके, अंधेरी में उजाले एवं सत्य की स्थापना हो सके। विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय आध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं। मगर यह उनके चरित्र का एकांगी और एकतरफा विश्लेषण है। वे गांधीजी के 'आध्यात्मिक उत्तराधिकारी' से बहुत आगे, स्वतंत्र सोच एवं मानवतावादी कार्यक्रमों के स्वामी थे। मुख्य बात यह है कि गांधीजी के प्रखर प्रभामंडल के आगे उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन हो ही नहीं पाया। उनको हम ज्ञान का अक्षय कोष कह सकते हैं। गांधी के सांनिध्य में आने से पहले ही विनोबा आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर चुके थे। संत ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम उनके आदर्श थे। आश्रम में आने के बाद भी वे अध्ययन-चिंतन के लिए नियमित समय निकालते थे। भूदान यज्ञ में विनोबाजी प्रतिदिन दो बार प्रवचन करते थे और अपने प्रत्येक प्रवचन में नयी-नयी बातें कहते थे। एक दिन उनसे पूछा गया, 'बाबा, आप इतने दिनों से भाषण देते आ रहे हैं, लेकिन आपके हर भाषण में कुछ नवीनता रहती है। यह कैसे संभव होता है?' विनोबाजी ने कहा, 'पैदल जो चलता हूँ उससे धरती का स्पर्श होता है और

प्रकृति से नजदीक का संबंध जुड़ता है।

विनोबा जी महात्मा गाँधी को अपना गुरु मानते थे और इन्होंने अपनी जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा गाँधी जी के आश्रमों में गुजारा। अपने वर्धा प्रवास के दौरान इन्होंने मराठी में एक मासिक पत्र 'महाराष्ट्र धर्म' भी निकाला जिसमें उपनिषद् पर आधारित निबंध छपते थे। विनोबा जी ने गांधी जी के जन-असहयोग और स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, चरखा कातकर आम जन को प्रेरणा दी। 1932 में उन्हें जेल जाना पड़ा और वहाँ भी उनका समय कैदियों को मराठी भाषा में गीता का मर्म समझाते हुए बीता। विनोबा जी को गाँधी जी का अटूट विश्वास प्राप्त था। यही वजह थी कि 5 अक्टूबर, 1940 को उन्होंने विनोबा जी को सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पहले सत्याग्रही के तौर पर प्रस्तुत किया था। आजादी के बाद गाँधी के सपनों का भारत बनाने के लिए विनोबा जी ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया- जिसका अर्थ था 'जन जन का विकास', मशहूर भूदान आंदोलन इसी विचार की उपज था। इस आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल, 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से हुई थी। यहाँ विनोबा जी के आग्रह पर स्थानीय जमींदारों ने हरिजनों को खेती के लिए कई एकड़ जमीन दे दी थी। भूदान आंदोलन लगभग 13 वर्ष तक चला। विनोबा जी ने देश भ्रमण कर लगभग 44 लाख एकड़ जमीन दान में हासिल की थी। इसमें से करीब 13 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों को बांटी गयी थी। भूदान आंदोलन को अपने शांतिप्रिय और अहिंसात्मक चरित्र के लिए देश-विदेश में काफी सराहना मिली थी। ऐसे ही विनोबा जी ने ग्रामदान सिद्धांत को भी बढ़ाया था- इसके तहत समस्त गांव को एकल सूत्र में पिरोना और एक परिवार का स्वरूप देना था। 1959 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की थी। स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन, स्त्री शक्ति जैसी पुस्तकें भी इन्होंने लिखीं थीं। विनोबा जी पहली अंतरराष्ट्रीय शख्सियत थे जिसे मैक्ससे पुरस्कार से नवाजा गया था।

विनोबा जी गांधीजी के शिक्षा दर्शन को स्वीकारते थे और उन्होंने 'नई तालीम' की अवधारणा को महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बताया। 'नई तालीम' के शिक्षा संबंधी दार्शनिक आधारों से वह सहमति प्रकट करते थे। वह स्पष्ट रूप से कहते थे कि जीवन में और शिक्षा में भी वह शरीर-भ्रम को प्रथम स्थान देते थे। शिक्षा के प्रति अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए कहते

थे- 'शरीर के हर अवयव की पूर्ण और व्यवस्थित वृद्धि होना, इंद्रियों का कार्यकुशल बनना, विभिन्न मनोवृत्तियों का सर्वांगीण विकास होना, बौद्धिक शक्तियों का प्रखर बनना, इन सब नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रवृत्तियों का विकास ही शिक्षण है अर्थात् जीवन प्राप्त कर लेने की कला ही शिक्षण है।'²

विनोबाजी के शिक्षादर्शन का आधार साम्ययोग है। इसी के द्वारा वह गांधीजी के सपनों का रामराज्य या सर्वोदय समाज स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए वह शिक्षा के ध्येय के बारे में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं- 'शिक्षण का कार्य कोई स्वतन्त्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है। सुप्त तत्त्वों को जागृत करना है।'³ वह शिक्षा की ओर दो दृष्टि से देखते थे: आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से और इर्द-गिर्द की परिस्थिति की दृष्टि से। इन्होंने वह शिक्षण की दो कसौटियाँ मानते थे। शिक्षण से आत्मविकास भी सधना चाहिए और वह परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। विनोबाजी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से गुण-विकास और सामाजिक रूप से मूल्य-विकास माना है। गुण-विकास में संयम पद्धति पर बल देते रहे। बचपन से ही बालक इन्द्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को संयम में रखना सीखें, यही मुख्य दृष्टि होनी चाहिए।

शिक्षा संबंधी अपनी इसी व्यापक एवं सर्वांगीण दृष्टि के कारण वह मानते थे कि शिक्षा प्रणाली को श्रम के प्रति प्रेम और आदर उत्पन्न करने वाली होना चाहिए।⁴ विनोबा जी के अनुसार ज्ञान और कर्म, विद्या और परिश्रम दोनों अगर जुड़ जायेंगे तो देश की उन्नति होगी और देश एकरस हो सकेगा।⁵ अपनी इन्हीं कसौटियों के आधार पर वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को कोसते थे और उसके विविध दोष बताते थे-

- अंग्रेजी तालीम के कारण समाज में विद्वान और अविद्वान दो वर्ग बन गए।
 - अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने जीवनमान उंचा बनाया जो देश की सभ्यता के विरुद्ध था।
 - शिक्षा को काम के साथ नहीं जोड़ा गया।
- ऐसी स्थिति में वह शिक्षण में क्रांति हेतु सुझाव देते थे-
- शिक्षा को सरकारी तंत्र से स्वतंत्र बनाना चाहिए।
 - शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
 - उसमें दूसरी भाषा का स्थान हो, परंतु वह लाजिमी तौर पर न हो।
 - उसमें आध्यात्मिक शिक्षण का स्थान हो।
 - शिक्षा में उद्योग का स्थान हो।⁶

इसी संदर्भ में वह नई तालीम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे एक जीवन-दर्शन बताते हैं और एक नवीन समाज के निर्माण का माध्यम भी। इस तालीम में शरीर श्रम और साम्य योग दोनों को ही प्रतिष्ठा होगी जिससे नवीन मूल्यों का विकास होगा- 'नई तालीम एक जीवन-दर्शन है।' नई तालीम तो नए समाज का ही निर्माण करेगी। नई तालीम के मूल उद्योग का जरिया वह तंत्र एवं मंत्र है कि 'शरीर परिश्रम निष्ठ होगी साम्य योगी होगी। नई तालीम यानि नए मूल्यों की स्थापना।'⁷

नई तालीम के अनुरूप ही विद्यालय शिक्षा योजना का निर्माण करना होगा। विनोबाजी चाहते थे, कि 'शिक्षक विद्यार्थी-परायण, विद्यार्थी शिक्षक-परायण, दोनों ज्ञान-परायण और ज्ञान सेवा-परायण, पाठशाला की यही योजना होगी। हम नए समाज के निर्माण की शिक्षा दें', विनोबाजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक घंटे की पढ़ाई का सुझाव भी प्रस्तुत किया। उनका अभिप्राय यही था, कि ग्राम के समग्र जीवन से समवायित कर विद्यालय को ग्राम की सेवा का केन्द्र बनाया जा सके। वे ग्रामीण जीवन को सर्वांगपूर्ण मानते थे।

प्रत्येक गाँव में सम्पूर्ण शिक्षा का प्रबंध कर ग्राम गुरुकुल की स्थापना करना चाहते थे। ऐसा प्रयोग निष्ठावान और उत्साही शिक्षकों द्वारा ही संभव है। नई तालीम के पाठ्यक्रम के विषय में विनोबाजी के स्पष्ट सुझाव थे- 'नई तालीम में जीवन की सब बुनियादी वस्तुओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तत्त्वज्ञान, धर्म विचार, नीति विचार इन सब की जानकारी जरूरी है। समाजशास्त्र, मानव-समाज का पूरा इतिहास आदि की जानकारी आवश्यक है। हमारे और दूसरे समाज की विशेषताएँ क्या हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान के मूलभूत विचार मालूम होने चाहिए। अपने विचार ठीक ढंग से प्रकाशित करने की कला मालूम होनी चाहिए।'⁸

शिक्षा का एक उद्देश्य विनोबाजी मानते थे कि विद्यार्थी को सन्त बनना है, पंथ नहीं बनना है। सन्त वह हैं जो सत्य का उपासक हैं और पंथ वह है जो किसी बने-बनाए पंथ पर जड़वत् चलता है। स्वराज्य से वह एक ऐसे नए समाज का निर्माण चाहते थे, जिसमें शोषण न हो, जिसमें केन्द्र का शासन कम से कम हो, जिसमें हर एक विकास के लिए पूरी सुविधा हो, ऐसी समाज व्यवस्था को वे 'स्वराज्य' कहते थे। शिक्षकों में आत्मिक शक्ति जागृत करने के लिए विनोबाजी ने 1967 में बिहार में आयोजित शिक्षा विद्वत् परिषद के समक्ष आचार्यों (शिक्षकों) की स्वतन्त्र शक्ति खड़ी करने का विचार रखकर शिक्षा में क्रांति का अगला कदम उठाया। परिषद को उद्बोधित करते हुए विनोबाजी ने कहा- 'यह शिक्षा-जगत् का दुर्भाग्य है कि जो स्वायत्ताता इस देश में न्याय विभाग को है, उतनी स्वायत्ताता भी शिक्षा विभाग को नहीं प्राप्त है। शिक्षक की भी स्वतन्त्र हस्ती होनी चाहिए। वह क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए परीक्षा की पद्धति क्या हो, यह निर्णय आचार्य का होना चाहिए, न कि सरकार का। इस स्वायत्ताता को प्राप्त करने के लिए और उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतन्त्र शक्ति का विकास करें।'⁹

विनोबा जी यह जानते थे कि वर्तमान में यदि सर्वोदय को कोई सही दिशा दे सकता है तो वह है शिक्षा। इसके लिए उन्होंने एक शिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जिसका नाम रखा त्रिसूत्री शिक्षण। उनकी दृष्टि से शिक्षा का जो त्रिसूत्री कार्यक्रम का निर्धारण किया गया वह- योग, उद्योग और सहयोग। विनोबा जी के शब्दों में हमें मानव के पूर्ण गुण विकास अपेक्षित है। विनोबा जी सर्वोदय समाज के लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मसंयमी, विनयी, आत्मनिर्भर, समाजसेवी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाना था जिसमें मानव जीवन के तीनों पक्षों सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक में समन्वय स्थापित किया जा सके। विनोबा जी के दृष्टि में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए जिसमें ज्ञान तथा कर्म का समन्वय हो जो हमारे जीवन में अधिक से अधिक प्रकृति के निकट ले जाये क्योंकि कुदरत के साथ जितना ज्यादा सम्पर्क होगा, जीवन उतना ही संपन्न होगा।

निष्कर्षतः विनोबा जी का शिक्षा दर्शन प्रत्यक्ष रूप से उनके अध्ययन और प्रयोगों पर आधारित था। समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पूर्ण समाज की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें अशांति, हिंसा, उत्पीड़न, अपराध आदि का होना अवश्यम्भावी है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों में विनोबाजी उनके अंतरंग सहयोगी रहे। भूदान और ग्रामदान के बाद आचार्य-कुल ने आंदोलन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नये विकल्प प्रस्तुत कर शिक्षाविदों एवं प्रशासकों का ध्यान आकर्षित किया। विनोबा जी के नजरिए में नई तालीम एक शिक्षण पद्धति मात्र नहीं है बल्कि

नवीन मूल्य निर्मात्री भी है। वह मूल्य समाज में नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था की आधारशिला होंगे। अपने आप में यह शिक्षा पद्धति अहिंसक क्रांति की परिचायक है। विनोबा जी बालक को विचार शक्ति में भी स्वावलम्बी बनाने के पक्ष में थे। स्वावलम्बन की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, स्वावलम्बन उदर-निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, ज्ञान प्राप्त करने की स्वतन्त्र शक्ति का निर्माण हो और अपने आप पर नियन्त्रण की शक्ति हो। सामाजिक दृष्टि से भी शिक्षा का उद्देश्य नए मूल्यों का विकास कर एक नए समाज का निर्माण मानते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विनोबा साहित्य, खण्ड-12, परमधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा, 1969, पृ. 368
2. विनोबा साहित्य, खण्ड-17, परमधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा, 1969, पृ. 75
3. कुमार, सुमित, विनोबा भावे, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2001, पृ. 38
4. विनोबा साहित्य, खण्ड-12, परमधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा, 1969, पृ. 368
5. विनोबा साहित्य, खण्ड-17, परमधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा, 1969, पृ. 69
6. विनोबा विचार दोहन, पृ. 107-108
7. विनोबा विचार दोहन, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1951, पृ. 115
8. देसाई, रजत, शेषामृतम, परमधाम प्रकाशन, ग्रामसेवा मण्डल, पवनार, 2001 पृ. 82
9. शर्मा, रामगोपाल, आचार्य विनोबा भावे, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2001, पृ. 17

Study of Zooplanktons from Panvel creek, Panvel, Navi Mumbai, Dist. Raigad, West Coast of India

Aamod N. Thakkar*

Abstract - Zooplankton is the myriads of floating and drifting animals with limited or no power of locomotion. This paper briefly describes the zooplankton diversity of the Panvel creek along the west coast of India. The present investigation was carried out for one year from June 2016 to May 2017. The zooplankton biodiversity of Panvel creek was represented by 8 different groups viz. Protozoa, Coelenterata, Ctenophora, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Urochordata and Chordata. Zooplankton density was recorded seasonally

Key words - Zooplankton, Diversity, Panvel creek, Pollution.

Introduction - Zooplankton is considered an important compartment of aquatic ecosystems and plays the important role in the food web. Zooplankton forms an important link in the marine food chain as secondary producers. They play an important role in the conservation of energy from primary to secondary level (Gajbhiye S.N., 1979). It plays an active role in the modification and remineralization of the particulate organic matter in the water column (Heinner et al., 2005). According to the plankton study is very useful tool for the assessment of biotic potential and contributes to overall estimation of basic nature and general economic potential of water body (Pawar et.al, 2006). Zooplankton is a good indicator of changes in water quality because it is strongly affected by environmental conditions and responds quickly to changes in physical and chemical conditions as well as environmental conditions (Sulata et al 2016). Estuarine wetlands such as mangroves are vulnerable to various threats from dredging, water pollution, waste disposal, overfishing, climate change, encroachment, and unsustainable recreational activities which results into disturbance of ecological services of the environment (Kumar S.V. 2008).

This study area of Panvel creek is under threat of sand mining due to illegal sand dredging and unplanned developmental activities. Other activities such as waste water discharge from adjacent industrial area, dumping of debris, sewage water are found to be responsible for destruction of habitat. The Panvel city located on the coast of Panvel creek is getting commercial importance and will be getting status of mega city in near future. The city is characterized by quality infrastructure, galloping urbanization, huge residential projects, big railway stations and most significant upcoming project of Navi Mumbai International Airport on 1500 hectare land on coast of Panvel creek. Each one of these activity shows potential impact on the environment of Panvel creek.

Therefore monitoring of such ecosystem is of utmost importance and hence the present study was undertaken which involves study of zooplanktons which gives information about ecological conditions of the creek and associated ecosystems.

The study area - The Panvel creek (Lat 18° 58' 26.895" N to 18° 59' 58.432" N & 73° 1' 43.74" E to 73° 6' 48.269" E) Fig 1, originates from Belapur and gets merged into 4 rivers from different areas of Raigad District. It merges with Ulwe river in Uran, Kalundre river in Panvel, Taloje and Kasardi river in Taloje,. The mangrove cover around the creek provides tremendous ecological services. The creek is about 7 km long tributary characterized by extensive mud flats less rocky stretches and with sparse mangrove vegetation. Major area of the creek is dominated by the marshy areas and mud flats. Fig. 1.

Location map of study area representing Panvel creek.

Materials and methods - The study was conducted during March 2016 to February 2017. The samples were collected from four randomly selected sites from Panvel creek once every month early in the morning at a depth of 20cm below the surface (Hossain et al., 2007).

The study was carried out for one year from June 2016 to May 2017. During this period, monthly samples were collected from four different station of Panvel creek. Zooplankton samples were collected by using H.T. net mesh size 0.3 μm and mouth area 0.25m² the collected zooplankton samples were kept in 500 ml wide mouth plastic bottles having 4%formalin. For identification of zooplankton standard literatures were referred (Wimpenny R.S., 1966, Newell et al., 1977, Conway et al., 2003).

Fig. 1. Location map of study area representing Panvel creek (see in last page)

Result and Discussion:

List of Zooplanktons recorded from three stations of Panvel creek during June 2016 to May 2017 Table 1

Group

Protozoa

Acanthometron Sp.
Tintinnopsis tocanthinensis
Globigerina bulloides

Coelenterata

Obelia sp
Ephysora bigelowi
Philadium brunescens
Phialella fragilis
Aq Laura hemistoma
Agalma elegans
Sulculeolaria sp.
Lensia subtilis

Ctenophora

Beroe sp
Pleurobrachia pileus

Annelida

Tomopteris sp.
Perinereis cultrifera
Enipo gracilis
Spionid sp.

Arthropoda Copepoda

Acrocalanus gracilis
Canthocalanus pauper
Calanus sp.
Acartia spinicauda
Pseudocalanus elongatus
Eucalanus pileatus
Paracalanus parvus
Euchaeta marina
Euchaeta sp.
Temora discaudata
Oithona plumifera
Pseudodiaptomus annandalei
Pseudodiaptomus sewelli
Pseudodiaptomus aurivilli
Miracia sp.
Oithona brevicornis
Oithona sp.
Corycaeus catus
Corycaeus sp.
Cosmetira pilosella
Euheilota maculata
Acanthephyra sp.
Microsetella norvegica
Macrosetella gracilis
Mesocyclops sp.

Cladocera

Evadne tergestina
Monia sp.

Ostracod

Cypridina dentata

Decapods

Lucifer hanseni
Lucifer typus

Sergestes sp.
 Protozoa of *Lucifer*
 Protozoa of *Acetes*
 Protozoa of *Penaeus indicus*
 Protozoa of *Metapenaeus*
 Mysids of *Penaeus*
 Mysids of *Metapenaeus*
 Caridean larvae
 Phyllosoma larvae
 Zoea larvae of *Elamen sp.*
 Brachyuran megalopa larva
 Brachyuran zoea larva
 Zoea larvae of porcellanid crab
 Pagurid larvae

Other crustacean

Copepod naupli
 Barnacle naupli
 Cyprid larvae
 Alima larvae of *Squilla*

Mollusca

Velliger larva
Hyalocylis striata

Chaetognatha

Sagitta bedoti
Sagitta enflata
Sagitta oecania
Brachiopod larva

Urochordata

Oikopleura dioica
Oikopleura sp.
Doliolum sp
Salpa sp.

Chordata

Fish eggs
 Fish larvae

Discussion - The high rate of zooplankton production influences enrichment of organic matter and plays a vital role in secondary and tertiary productions, represented by young instars of fishes (Naseema et al., 2007).

Abundance of various groups of zooplankton in the creek fluctuated with respect to salinity. The major groups forming major part of zooplankton were Copepods, decapods and coelenterates. Among zooplanktons crustaceans, cladocerans and copepods can be used as the indicator of aquatic environment (Saldeek 1983).

The most copepods were dominantly abundant during post monsoon and pre monsoon period showing preference to higher salinity and larger availability of food. But copepods like *Pseudodiaptomus annandalei*, *Pseudodiaptomus aurivilli*, *Pseudodiaptomus sewelli*, *Miracia sp.* were observed only during monsoon period showing preference to lower salinity. Similar results were noted in study of plankton diversity of Dharamtar creek, by (Tiwari and Nair, 2002) Planktonic decapods represented largely by larval stages such as zoea, zoea porcellina, *Lucifer hanseni*, *Lucifer typus*, protozoa of *Acetes* and *Lucifer* formed the

2nd largest group of zooplankton in Panvel creek. Similar results were recorded from Sewrim creek (Mohammed et al., 2012). Occurrence of species *Acetes* and *Lucifer* which forms a major diet of shore fishes and larger shrimps and large number of *Brachyuran* larvae in good numbers is an indication of non-penaeid prawn and crab resources of the creek (Tiwari and Nair, 2002). Population of decapods was recorded highest during post monsoon mostly because of large outburst of zoea. The different types of larval forms found, depicts the effectiveness of estuary, this indicates that the breeding and spawning of shell fishes and crustaceans in the estuary is throughout the year. Similar observations were also made by (Perumal et al. 2009). Larvae of crustaceans were found throughout the year and this type of observation was also reported from the estuarine ecosystem of Odisha (Mishra and Panigrahy, 1999). Hydromedusae presence is indication of higher salinity. Also ctenophores were well represented in the creek showing low population during monsoon period. *Cypridina dentate* was the single species representing ostracod rarely found in the samples. mysids, Naupli of crustacean larva contributed in large numbers. Though planktonic bivalves and gastropods were common, gastropods were dominating. *Salpa* and *dolium* were represented scarcely. Availability of high numbers of fish eggs and larvae is an evidence of existence of breeding ground of fishes in and around the creek.

Conclusion - The trend of the zooplankton population noticed in Panvel creek was high making true that biodiversity of tropical waters is higher, especially highest diversity of zooplanktons in mangrove rich area. In the present study relatively high density of zooplanktons were found along the mangrove ecosystem.

The data presented in this paper suggest that at present though the creek is resourceful and supports the coastal marine life, is under considerable stress of anthropogenic inputs. At present habitat of Panvel creek coast is not under pollution stress. But the construction of Navi Mumbai International Airport, galloping development, rapid urbanization, dumping of wastes and dredging of sand may put pressure on ecological conditions of Panvel creek. Need for conservation of biodiversity, sustainable development and continuous monitoring is recommended.

References :-

1. Conway, D., White R.G., Hugues-dit-Ciles, J.Gallienne, C.P. & Robins D.B. 2003 Guide to coastal and surface Zooplanktons of the South-Western Indian Ocean. UK-Defra Darwin Initiative Project 162/09/004 Zooplankton of the Mascarene Plateau, Marine Biological Association of the United Kingdom Occasional Publication, 1 294-318
2. Gajbhiye S.N., (1979) Comparative study of zooplankton population in polluted and unpolluted regions of Bombay, M.Sc.Thesis, University of Bombay, 174-187
3. Heinner Fabian, Rolf Koppelman and Horst Weikert, 2005 Full depth of zooplankton composition at two deep sites in the western and central Arabian sea, *Indian J marine sci.* 34
4. Hossain, Md. Y., Jasmine, S. & Ibrahim, A.H. 2007. A preliminary observation on water quality and plankton of an earthen fish pond in Bangladesh: Recommendations for future studies. *Pak. J. Biol. Sci.*, 10(6), 868-873.
5. Kumar S. V. 2008, Conservation of mangroves and wetlands in Thane creek and Ulhas river estuary, India. Proceeding of TAAL the 12th world lake conference 2008 1635-1642.
6. Mishra, S. and R.C. Panigrahy, 1999. Zooplankton ecology of the Bahuda estuary (Orissa), east coast of India. *Indian J. Mar. Sci.*, 28: 297-301.
7. Mohammed Zuber Shaikh Usman, Lalchand Ramlochan Tiwari, 2012 Ecology and composition of zooplankton from Sewri creek, west coast of India International journal of advanced scientific and technical research, Issue 2 volume 5, October 2012 pp. 492-506
8. Naseema Shaikh, J.L. Rathod and Raveendra Durgekar 2017 Zooplankton diversity in river Kali, Karwar, West coast of India, International Journal of Engineering Development and Research, Volume 5, Issue 3 pp 495-500
9. Newell G. E. & Newell R. C., 1977 Marine Plankton A Practical Guide, (Hutchinson Educational Ltd. London) pp244.
10. Pawar S K, Pulle J S and shendge K M 2006, "The Study on Phytoplankton of Pethwadaj Dam", Tq. Kandhar, Dist. Nanded, Maharashtra, *J. Aqua Boil.*, Vol. 21, No. 1, pp. 1-6.
11. Perumal, N.V., M. Rajkumar, P. Perumal and K.T. Rajasekar, 2009. Seasonal variations of plankton diversity in the Kaduviar estuary, Nagapattinam, south-east coast of India. *J. Environ. Biol.*, 30: 1035-1046.
12. Saldeek, V, 1983 Rotifers as indicators of water quality. *Hydrobiologia*, 100: 167-201.
13. Sulata Kar and Devashish Kar (2016) Zooplankton diversity in a freshwater lake of Cachar, Assam, International journal of applied biology and pharmaceutical technology, Vol-7 Issue-1 pp. 301-305
14. Tiwari L.R. and Vijaylakshmi R. Nair 2002, Plankton biodiversity of Dharamtar creek adjoining Mumbai Harbour, Proceeding The National Seminar on Creeks, Estuaries and Mangroves- Pollution and Conservation, Nov. 2002: pp 96-102
15. Wimpenny R.S., 1966 The Plankton of the sea (Faber and Faber Ltd. London) pp426




Fig. 1. Location map of study area representing Panvel creek

Radio and its Socio Economic Impact on Society

Dr. Nilesh Gangwal*

Abstract - Present age is the age of technology. There have been exceptional advancements in technology and all those advancements have affected and influenced the lives of many people. There is hardly any field which has remained unaffected of technology. Communication and entertainment is one such field which has been affected by technology and is continuously getting affected. The very first medium of both communication as well as the entertainment was the radio. Invention of radio has exceptionally changed the lives of many people all over the world. This study highlights the impact of introduction of radio in the subcontinent. There is a brief account of the changes and effects that radio has imparted on the lives of common men of society and also the paper analyses the facts that how the radio has gained popularity.

Introduction - During the slavery of mother India, the country got a voice. This was the voice of unity. It was radio. First radio station was established in India in the year 1924 in Madras followed by Bombay, Calcutta, Jaipur etc. This was a medium which was the source of entertainment as well as communication at that time. The broadcasting corporation was renamed as All India Radio in the year 1936. Since then Radio has unexpectedly changed the lives of many. Again a change occurred in the field of radio when FM radio introduced. The decade of 90s was the period of development of both AM and FM radio. Radio is the most popular choice of entertainment for common men even today. Presently AIR is one of the largest radio networks in the world.

History of Radio in India - The first commercial radio station was established in Pittsburgh in the year 1920. In India radio broadcast started in the year 1923-24 from Madras followed by radio stations at Bombay, Calcutta, Jaipur. The responsibility of broadcasting was given to a private company named Indian Broadcasting Company but later it became Indian state Broadcasting Corporation. The corporation was given a new name All India Radio in the year 1936 by British. It was the time of British rule in India and at that time radio attained a great popularity because it was the only source of information and say entertainment at that time. Radio was being used for revolutionary activities and thus it was banned by the English but soon the ban was removed. After independence AIR started working under the Ministry of Information and Broadcasting. In the year 1956 AIR renamed to Akashvani. Till independence there were about 6 radio stations. AIR started a commercial radio service named Vividh Bharti. Which was a complete combo of information and entertainment plus it generated revenues from advertisements. Again a revolutionary change occurred in

the year 1972 when FM radio was launched in Madras. Analysis shows that between the periods of 1972 to 1990 number of radio sets grew from 14 million to 65 million. Till the end of 1990 there were about 140 AM stations. In the year 1990 government provided financial aid to AIR and it became an autonomous body and then began the introduction of new FM channels. There were about 100 radio stations till 1990 which increased to about 200 till 1997. Till the end of 1994 there were about 70 FM stations. In the year 1996 AIR set a milestone when it launched an online service for information. Listeners were getting added to radio both from urban as well as from rural areas. Although the private FM stations were confined to broadcast the musical programs only yet it achieved a great popularity. In the year 2005 as the next step to development of radio more than 230 frequencies were sold for FM radio. And since then new stations are getting established and popularity of radio is sustaining. But the programs of these FM stations are confined to music only.

Literature Review - Radio in India - The FM Revolution and Its Impact on Indian Listeners - This is a paper written by Mr. Ratnesh Dwivedi published in June 2012. The content gives a small idea about the history and development of radio and its listenership in India as well as in world. Also there is a hint of FM radio and its development in India and the effects of FM radio on lives of people.

Privatizing the airwaves - The impact of globalization on broadcasting in India - This work is done by Mr. Daya Kishan Thussu. The work helped great in knowing the impact of TV and Radio and its globalization. It gives a small comparison between TV and Radio, their broadcasting and their impact. In our paper, we have focused mainly on radio and its impact in India. The paper gives an idea about the changes occurred in the lifestyle and interests of people of the country after the growth of radio and the introduction of

FM radio. Also the paper gives a small hint on the future of this field.

Objectives of Study :-

1. To know about the changes that radio brought to lives of common men of society.
2. To get an idea about the power of a source of entertainment and communication.
3. To know about the economic aspect and earning of the radio channels.

Research Methodology - In order to complete our study, we visited many websites. We read many interviews of the professionals. We went through many magazines and previous studies. Also we met many people who belong to the field of radio and entertainment. Based on all these studies data have been collected.

Result and Analysis - Radio is still the first choice for entertainment at present time also as it is one of the cheapest and oldest means of entertainment. AIR has reach of about 99.13% area of India. There are more than 240 stations in the country working in about 24 languages and about 140 dialects. Of them there are about 100 AIR regional stations, 70 local radio stations and about 30 Vividh Bharti channels plus external channels also. There are about 150 million radio listeners of them about 100 million are FM listeners only. Radio has become popular for not only entertainment but it has become a very platform for advertisements also. Analysis shows that revenue generated from advertisements for commercial radio stations was about 507 million in the year 1991 which has exceptionally increased to about 800 million till the year 1995 and till the year 2012-13 the revenue was of about INR 14 billion which is a great boost. This field contributes to about 4% of the total ad industry. Although the popularity of radio is still less than TV but still it is the first choice of rural areas and illiterate people. Also this is most useful for working people and in cars also. Also, Community radio is doing a great job. There are more and more people getting connected to community radio and getting benefited from this means. Researches show that there are more radio listeners in India than the news paper readers. A survey done by Intellect (a unit of initiative media) two years back says that the number of radio listeners has increased by 35%. And after the introduction of FM radio the growth in the radio listeners has increased by 65%. Industry resources show that mobile phones and car radio has contributed a lot in the growth of radio listeners.

Reasons for popularity of radio - The main reasons for the popularity of radio are considered as follows:

- 1. Cheap-** As radio is very cheap medium of entertainment which can be afforded by even the poor people hence it has become the first choice for common men of the country.
- 2. Reach-** AIR has a great reach in the whole country. It reaches to about 90% of the population.
- 3. Understanding-** As radio broadcast is now available in various languages hence it has become more friendly for its local listeners.

4. Interest- There is only voice on the radio thus the listener creates an imaginary world in his mind on the basis of voice only which develops interest in listeners.

5. Bonding- There establishes an emotional connection between the listener and the broadcaster.

6. Entertainment with knowledge- Radio is no doubt a cheapest source of entertainment and also it is a great source of information also. And also it is a medium of spreading culture and feeling of unity.

7. Availability- One of the major benefits of radio is its easy availability and easy access. It is available to places where other mediums do not have easy reach.

Future of Radio in India - Although the popularity of radio has increased tremendously yet the future of radio is not looking so bright. According to Mr. Prashant Panday (CEO Radio Mirchi) FM radio has a captures about 25% population of the country and daily 25 million people tune into FM radio. And often radio is compared to TV and radio is supposed to be weak in such comparisons. TV has become the first choice of entertainment and the difference between the TV lovers and radio lovers is huge. Although a positive hope arrives with the news of FDI in this field which is growing from 20% to 26%. Though radio comprises about 4% of the total ad industry yet it is not far good figure. Still the radio is not considered as a trustworthy and effective medium for advertisements. Slowly the world is heading to digital radio which will highly affect the popularity of conventional radio sets and there by affecting the listenership. All these factors point the uncertain future of radio.

Conclusion – Radio has revolutionized the lives of many people. This is one of the best means for entertainment and also for spreading awareness especially in rural areas. This was the best medium for knowledge sharing and educating people at the time of independence. With the rapid advancements in the technologies and changing world, interest of people is also changing. People are leaning more towards the new technologies and new mediums of entertainment. Digital radio, internet and TV are dominating the entertainment market. Experts say that digital radio will dominate conventional radio in next 4-5 years. So in order to stay in the entertainment market for long time, this sector needs many changes and this is a difficult thing as there are many more alternatives available with high technology and benefits.

References :-

1. <http://allindiaradio.gov.in>
2. <http://www.indiantelevision.org.in>
3. <http://www.broadcastandcablesat.co.in>
4. <http://www.indiantelevision.org.in>
5. <http://www.indianetzone.com>
6. <http://works.bepress.com>
7. <http://www.slideshare.net>
8. <http://www.broadcastandcablesat.co.in>
9. <http://rcirib.ir/>
10. Thangamani Dr. P., (2000), History of Broadcasting in India, Ponniah Pathippagam.

Women's Empowerment through the Entrepreneurship

Dr. Sanjay Bhavsar *

Abstract - Empowerment refers to increasing the spiritual, political, social and economic strength of individuals and communities. Entrepreneurship is a way to empower women by which she is able to stand in front of the society. It actually gives capacity to women to cope up with the obstacles in their life. Entrepreneurs are the backbones of any economy. Therefore it is necessary to nurture the quality of entrepreneurship among the people and to avoid entrepreneurial failures. Women entrepreneur are the women who think of a business enterprise initiate it, organize and combine the factors of production, operate the enterprise and undertake risks and handle economic uncertainty involved in running a business enterprise by nut shell. The women should be provided with adequate training in development of entrepreneurial skills covering management of enterprises, maintaining account, enhancing productivity, marketing, selling etc, So that they can undertake income generating activities. The international agencies and the national government should adopt appropriate measures to encourage women for their development through the entrepreneurship.

Keywords- Empowerment, Women entrepreneur, adequate training, development, skills.

Introduction - Entrepreneurship is a way to empower women by which she is able to stand in front of the society. It actually gives capacity to women to cope up with the obstacles in their life. Women entrepreneurs can more easily undertake three types of industrial enterprises:

Operate purely as a sub-contractor on raw materials provided by the customer. Manufacture an item to the long or short term order of another enterprise usually a large scale unit.

Manufacture the item for direct scale in the market generally, the first two types of enterprises are known as ancillaries. Women entrepreneurs produce both consumer goods and intermediate goods which are used in the production of other articles.

Objectives of the Study – To find the Role of entrepreneurship for the Empowerment of women.

Methodology - This Paper' is based on Secondary data which are published in the Books, journals, University News, websites, newspaper, articles and summary of different souvenirs on this particular topic.

Opportunities for Women Entrepreneur - The entry of women entrepreneurs in the conventional product is justified on the grounds that they have acquired the required skills to produce and introduce products traditionally. If they could excel in these product lines, let them excel. But at many all-India level surveys have proved that in recent years, women entrepreneurs have entered all fields of "business and industry." In the last decade, there has been a remarkable shift in from the manufacturing industry to the

service industry. considering this, some important opportunities are identified for the women in urban areas:

1. Computer services and information dissemination.
2. Trading in computer stationary.
3. Computer maintenance.
4. Travel and tourism.
5. Quality testing, quality control laboratories.
6. Sub-assemblies of electronic products.
7. Nutrition clubs in schools and offices.
8. Poster and indoor plant library.
9. Recreation centers for old people.
10. Culture centers.
11. Screen printing, photography, and video shooting.
12. Stuffed soft toys, wooden toys.
13. Mini laundry, community eating centers.
14. Community kitchens.
15. Distributing and trading of house hold provision as well as saris, dress materials, etc.
16. Job contracts for packaging of goods.
17. Photocopying, typing centers.
18. Beauty parlors.
19. Communications centers like STD booths, cyber cafes, etc.
20. Crèches
21. Catering services
22. Health clubs, etc.

Opportunities for women in semi-urban areas - Considering the socio-economic, cultural and educational status and the motivation of women in semi-urban,

particularly projects with low investments, low technical know-how and assured market are suggested for the Improvement opportunities identified for semi-urban women are enlisted below:

1. Production of liquid soap, soap power, detergents, deodorants etc.
2. Office stationary like cushion pads, gum, ink pads etc.
3. Convenience, readymade, instant food products including pickles, spices, papads etc.
4. Community kitchens.
5. Communication services.
6. Different types of training and coaching classes.
7. Child care centers and cultural centers for children.
8. Nursery classes.
9. Manufacturing of leather goods.
10. Garments.

Opportunities for women in rural areas - In the recent industrial policy, the government has given tremendous importance for the agro- based products and allied products; only one to two percent of the total production of fruits and vegetables is processed every year in India. This reveals a huge scope for the food, fruit and vegetables processing industry. Women have a natural flair and instinct for food preparation and processing. A new market is developed for the processed fruits and vegetables in form of baby foods, ice cream, convenience food, cold drinks, canned products, traditional medicine preparations etc. Thus, there are plenty of opportunities available for women entrepreneurs

Problems of women entrepreneurs - Women entrepreneurs encounter two sets of problem, i.e., general problems of entrepreneurs and problems specific to women entrepreneurs. These are discussed as follows:

1. Problem of Finance – Finance is regarded as “lifeblood” for any enterprise, be it big or small. However, women entrepreneurs suffer from shortage of finance on two counts: Firstly, women do not generally have property on their names access to the external sources of funds is limited. Secondly, the banks also consider women less credit-worthy and discourage women borrowers on the belief that they can at any time level their business. Given such situation, women entrepreneurs are bound to rely on their own savings, if any and loans from friends and relatives who are expectedly meager and negligible. Thus, women entrepreneurs fail due to the shortage of finance.

2. Scarcity of Raw Material – Most of the women enterprises are plagued by scarcity of raw material and necessary inputs. Added to this, the high price of raw material, on the one hand, and getting raw material at the minimum of discount, on the other. The failure of many women co-operatives in 1971 engaged in basket-marking is an example how the scarcity of raw material sound the death knell of enterprises run by women.

3. Limited Mobility – Unlike men, women mobility in India is highly limited due to various reasons. A single women asking for room is still looked upon suspicion.

Some exercise involved in starting an enterprise coupled with the official's humiliating attitude towards women compels them to give up idea of starting an enterprise.

4. Family Ties – In India, it is mainly a women's duty to look after the children and other members of the family. Man plays a secondary role. In case of married women, she has to strike a fine balance between her business and family. Her total involvement in family leaves little or no energy and time to devote for business. Support and approval of husbands seem necessary condition for women's entry into business. Accordingly, the educational level and family background of husbands positively influence women's entry into business activities.

5. Lack of Education – In India, around three-fifths (60%) of women are still illiterate illiteracy is the root cause of socio-economic problems. Due to the lack of education and that too qualitative education, women are not aware of business, technology and market knowledge. Also, lack of education causes low achievement motivation among women. Thus, lack of education creates problems for women's for the setting up and running of business enterprises.

6. Male-Dominated Society – The Constitution of India speaks of equality between sexes. But, in practice, women are looked as unable, i.e. weak in all respects. Women suffer from male reservation about a woman's role, ability, capacity and are traded accordingly.

7. Low Literacy – Low literacy level hinders women in carrying out their activity as entrepreneur. Lack of education handicaps their grasps of technological and marketing knowledge.

In addition to above problems, low risk bearing, inadequate infrastructural facilities, social attitude, low need for achievement etc also hold the women back from entering in to business.

Suggestions :

1. Provide education or vocational education and technical education to girls and women. The contents of their education include accountancy, management, computers, entrepreneurship development etc.
2. To motivate the women, a coordinated effort should be made among the Educational Institutions, Government departments and the business world.
3. Setting up of special Institutions would help to upgrade their skill and acquire new techno- managerial knowledge so that they could go in for innovative technologies of production and financial institution for the financial support.
4. The crimes against women fly directly against orchestrating women empowerment in India. Preventing crime against women and fostering a safe environment for women through the Indian Law Act.
5. Arrangements of “Awareness and motivational programmes” for spreading awareness in the society.
6. The international agencies and the national

government should adopt appropriate measures to encourage women for their development through the entrepreneurship.

7. Training and capacity building on various issues like Leadership, Legal rights etc.

Conclusion - Empowerment encourages people to gain the skills and knowledge that will allow them to overcome obstacles in life or work environment and ultimately, help them develop within themselves or in the society. To empower a female "...sounds as though we are dismissing or ignoring males, but the truth is, both genders desperately need to be equally empowered."Empowerment occurs through improvement of conditions, standards, events, and a global perspective of life.

References :-

1. Gordon, E. & Natarajan, K, Entrepreneurship Development, Himalayas Publication House, 2013.
2. Khanka. S.S, Entrepreneurial Development, S.Chand & company Ltd, 2005.
3. Sharma Dr. Sudhir, Singh Balraj, Singhal Sandeep, Entrepreneurial Development, Wisdom Publications , 2005.
4. Taneja Satish and Gupta Dr. S.L, Entrepreneur Development, Galgotia Publishing Company, 2001.
5. Soundarapandian, M, Women Entrepreneurship: Issues and Strategies, Kanishka publishers, Distributors, 1999

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव

डॉ. योगेश चन्द्र जोशी*

शोध सारांश - शिक्षा, मानव की आंतरिक क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रक्रिया है। यह मानव को समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समाजिकृत करती है तथा एक उत्तरदायी नागरिक एवं समाज का सक्रिय सदस्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंग के रूप में यह नए सदस्यों के मन में समाज की सांस्कृतिक विरासत, मानकों एवं मूल्यों को आत्मसात कराती है। यह प्रारंभिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालता है।

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों में भारत के आध्यात्मिक भण्डार का सारतत्त्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज-सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्वमानवता के लिए प्रेरणादायी है। समाज के सभी वर्ग सभी धर्म एवं सभी जातियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। स्वामीजी की शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी लोगों के मन को जगाने वाली है। उनके शैक्षिक विचार आत्मविश्वास एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाले तथा लोगों के हृदय में प्रेम एवं सेवाभाव उत्पन्न करने वाले, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाले, जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिनका हमारे व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट: स्वामीजी ने सैद्धान्तिक शिक्षा की जगह व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है।

शब्द कुंजी-शिक्षा, व्यक्तित्व, भारतीय, मरिक्क, जीवन, नैतिका।

प्रस्तावना - शिक्षा, मानव की आंतरिक क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा मानव को समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समाजिकृत करती है तथा एक उत्तरदायी नागरिक एवं समाज का सक्रिय सदस्य बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंग के रूप में यह नए सदस्यों के मन में समाज की सांस्कृतिक विरासत मानकों एवं मूल्यों को आत्मसात कराती है। यह प्रारंभिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालता है।

कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, महसूस करता है और सोचता है किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है यह कॉपी कुछ मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की केवल बाह्य आकृति या उसकी बातें या चाल-ढाल उसके व्यक्तित्व के केवल छोर भर होते हैं। ये उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से संबंधित है। अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए।

प्राचीनकाल से ही भारत में शिक्षा ही एकमात्र व्यक्तित्व विकास का स्रोत रहा है। सदियों से चली आ रही व्यक्तित्व विकास की इस परम्परा ने ऐसे 'भारतीय व्यक्तित्व' को जन्म दिया है, जिसे न तो 'आर्य' जाति की संज्ञा दी जा सकती है और न 'अनार्य' जाति की। यह व्यक्तित्व बना है सदियों से साथ-साथ रहने वाले आर्य, द्रविड़, किरात, निषाद आदि जातियों के मेल-मिलाप से, उनके सांस्कृतिक गुणों, भाषाई लक्षणों के अभिसरण और समीकरण की प्रक्रिया से।

हम जानते हैं कि शुद्ध रक्त रखने वाले आर्य 'हवन संस्कृति' और वर्णाश्रम

व्यवस्था के सम्पर्क में थे। 'पूजा संस्कृति' द्रविड़ों की थी। अतः पत्र-पुष्प, नारियल-अच्छत का विधान उनका था। यह अभिसरण प्रक्रिया का ही परिणाम कहा जा सकता है कि चाहे उत्तर में बसने वाला तथा कथित आर्य वंशज हो अथवा दक्षिण में बसने वाला द्रविड़ कुल। उसके सामान्य आचरण में 'हवन' और 'पूजा' या फिर 'वर्णव्यवस्था' समानभाव से फलित दिखाई पड़ती है। स्पष्ट है कि संस्कृतियों के अनुकूलन और अभिसरण की जिस प्रक्रिया से भारतीय समाज गुजरता रहा है, 'भारतीय व्यक्तित्व' उसी का परिणाम कहा जा सकता है। यह उसके समग्र व्यक्तित्व का ही फल था कि भक्ति आंदोलन से संबद्ध दक्षिण के आचार्यों की मातृभाषा, द्रविड़ कुल की थी, पुनर्जागरण और जन-सम्पर्क की उनकी भाषा ब्रज थी और तत्त्वचिंतन तथा दर्शन की भाषा संस्कृत थी। इन भाषाओं के प्रयोजनधर्मों तंतुओं के माध्यम से ही उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ था।

महान दार्शनिक प्लेटो के अनुसार- 'व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है।'¹

शिक्षा का सबसे बड़ा आदर्श मानव व्यक्तित्व का विकास है। इसके लिए शिक्षक को उन सिद्धान्तों और नियमों को भली-भाँति समझना चाहिए, जिनके द्वारा मानव व्यक्तित्व का विकास हो सके। यही सबसे बड़ी व्यवहारिक वस्तु है, और यही सम्पूर्ण शिक्षा का रहस्य है। स्वामीजी के लिए निर्भिकता और शक्ति ही मानव व्यक्तित्व के विशिष्ट लक्षण हैं। उनका मानना है कि शक्ति में अच्छाई है तथा कमजोरी में पाप है।²

स्वामीजी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि '**जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, वही वास्तव में शिक्षित कहलाने योग्य है।**'³

यदि हम शिक्षा को व्यक्तित्व परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन

* सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग) माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरौही (राज.) भारत

मार्ने तो यह स्वामी विवेकानंद के 'शैक्षिक दर्शन' की महत्त्वपूर्ण देन है। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ के अनुसार- **'यदि कोई भारत की आत्मा को समझना चाहता है तो उसे स्वामी विवेकानंद के 'जीवन दर्शन' का अध्ययन करना अति आवश्यक है।'**

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों में भारत के आध्यात्मिक भण्डार का सार तत्त्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज-सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्वमानवता के लिए प्रेरणादायी हैं। समाज के सभी वर्ग सभी धर्म एवं सभी जातियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। स्वामीजी की शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी लोगों के मन को जगाने वाली है। उनके शैक्षिक विचार आत्मविश्वास एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाले तथा लोगों के हृदय में प्रेम एवं सेवाभाव उत्पन्न करने वाले, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाले, जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिनका हमारे व्यक्तित्व विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए स्वामीजी कहते हैं **'जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास हमारे वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है।'**⁴

शैक्षिक विचारों के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की देन, विभिन्नता और संख्या की दृष्टि से असीम है। उनके शैक्षिक विचारों का विस्तार और गहनता इस पृष्ठभूमि से भी आँकी जा सकती है कि उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, बाइबल तथा कुरान की शिक्षा को गुरुकृपा और सतत साधना से आत्मसात कर लिया था।

स्वामीजी तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते रहे हैं। वह व्यवहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। प्रचलित शिक्षा के स्थान पर स्वामीजी भारत के लिए जिस प्रकार की शिक्षा चाहते थे इस संबंध में उन्होंने कहा है कि **'हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है।'** स्पष्ट: स्वामीजी ने सैद्धान्तिक शिक्षा की जगह व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है।

शिक्षक का समाज में क्या स्थान होना चाहिए और उनका शिक्षा के प्रति क्या कर्तव्य है, इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंदजी कहते हैं- **'वास्तव में, किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है, हममें से प्रत्येक को अपने आपको शिक्षा देनी पड़ती है। बाह्य शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है, जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है।'**⁵

शिक्षक के व्यक्तित्व जीवन के बिना कोई शिक्षा संभव नहीं है। स्वामीजी के अनुसार शिक्षा की वास्तविक प्रकृति यही है कि विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जाए और तथ्यों को रटकर भण्डार करना नहीं चाहिए। वे कहते हैं- **'पुस्तकें निरर्थक हैं, जब तक हमारी पुस्तक नहीं खुलती, तब शेष अन्य पुस्तकें भी अच्छी हैं, जहाँ तक वह हमारी पुस्तक से सामंजस्य स्थापित करती है। कोई किसी को नहीं पढ़ाता।'**

स्वामीजी के अनुसार- **'शिक्षक की कितनी सूचना हमारे मस्तिष्क में एकत्रित है और वहाँ वह बिना जीवन का भाग बनाए, उथल-पुथल मचाती रहे, यही नहीं है, हमारे भीतर जीवन निर्माण करने वाले, मानव निर्माण करने वाले, चरित्र निर्माण करने वाले, जितने भी विचार है, उन्हें आत्मसात करना ही शिक्षा है।'**

शिक्षा द्वारा मानव की दिव्यता प्रकट होनी चाहिए। स्वामीजी चाहते थे कि शिक्षा द्वारा सृजनात्मकता, मौलिकता और श्रेष्ठता पर बल दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार अच्छी शिक्षा वही है, जिसके द्वारा मानव की अन्तरनिहित शक्तियों का प्रकटीकरण हो सके। सच्ची शिक्षा विनम्रता की भावना का पोषण करती है। विनम्रता की भावना ही मानव चरित्र का आधार है, वही सन्तुलित व्यक्तित्व का मापदण्ड भी है।⁶

स्वामीजी के अनुसार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का आदर्श, पूर्ण-निःस्वार्थ भावना वाला होना चाहिए। बिनात्याग के कोई महान कार्य नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने मन पर स्वामित्व स्थापित कर लिया, वही आदर्श पुरुष है, वही वास्तविक शिक्षित व्यक्ति है।

स्वामी विवेकानंद के मतानुसार- **'शिक्षा का मूल कार्य ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसके द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और अभिव्यक्ति को नियंत्रण में लाया जा सकता है, जिससे समाज कल्याण संभव है।'**

स्वामी अदीश्वरानंद ने अपने एक लेख में विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों का शिकागो में हुई संसद पर प्रभाव का जिक्र किया है। अदीश्वरानंद ने लिखा है कि-विवेकानंद ने अपने विचारों से अमेरिका के लोगों के दिल को छु लिया था। उन्होंने अपनी जादुई भाषण शैली, रूहानी आवाज और क्रांतिकारी एवं शैक्षिक विचारों से अमेरिका के आध्यात्मिक विकास पर गहरी छाप छोड़ी।

भगवद्गीता के अनुसार- **'असंयमित मन एक शत्रु के समान और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है।'**⁷ अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। क्या हम इसे अपने आज्ञा-पालन में, अपने साथ सहयोग करने में, प्रशिक्षित करने में कर सकते हैं? किस प्रकार यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान कर सकता है ?

अपनी ओजपूर्ण आवाज से लोगों के दिल को छू लेने वाले स्वामी विवेकानंद निःसंदेह विश्वगुरु थे। जिनके सुलझे हुए विचारों के प्रकाश ने धर्म की राह से भटक रही दुनिया को सही पथ दिखाया। निर्विवाद रूप से विश्व में हिन्दुत्व के ध्वजवाहक रहे विवेकानंद का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति से भरा व्यक्तित्व और कृतित्व विशेषकर भारतीयों लिए प्रेरणा का स्रोत है।

व्यक्तित्व क्या है ?

अंग्रेजी के केम्ब्रिज अन्तरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, वही हमारा व्यक्तित्व है और वह हमारे आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। यलांगमैन' के शब्दकोश के अनुसार- **'किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव तथा चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है।'**⁸

मानव मन की चार मूलभूत क्रियाएं हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. **स्मृति** - स्मृतियों का संचय तथा हमारे पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न सम्भावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इसी में हमारे भले-बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। यह चित्त ही अवचेतन मन कहलाता है।
2. **सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति** - मानव मन, कुछ निश्चित न कर अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीजों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मानस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मानस की ही क्रिया है।
3. **निश्चय करना तथा निर्णय लेना** - बुद्धि ही वह शक्ति है, जो निर्णय

लेने में उत्तरदायी है। इसमें सभी चीजों के भले-बुरे पक्षों पर विचार करके वांछनीय क्या है, यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में निहित विवेक की शक्ति भी है, जो उसे भला क्या है तथा बुरा क्या है। करणीय क्या है तथा अकरणीय क्या है। उचित क्या है तथा अनुचित क्या है। इसका विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह इच्छा शक्ति का भी स्थान है, जो व्यक्तित्व-विकास के लिए अतिआवश्यक है, अतः मन का यह पक्ष हमारे लिए सर्वाधिक महत्त्व का है।

4. अहं का बोध - सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके-मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सूनता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं दिग्धाग्रस्त होता हूँ, आदि इसी को अहंकार या मैं-बोध कहते हैं। जब तक यह 'मैं' स्वयं को असंयमित देह मन से जोड़ लेता है, तब तक मानव जीवन इस संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचालित होता है।

भारतीय शिक्षा दृष्टि से पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का भारतीयों के व्यक्तित्व विकास पर काफी प्रभाव पड़ा है। स्मृति, सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति, निश्चय करना तथा निर्णय लेना, अहं का बोध ये चारों क्रियाएँ मानव मन की मूलभूत क्रियाएँ हैं, ये क्रियाएँ मानव के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं। शैक्षिक विचार, व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक महत्त्वपूर्ण क्रिया है। अतः हमारी भावनाएँ जितनी ही संयमित होंगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही चमकीला, स्वस्थ, उत्कृष्ट,

एवं तेजोमय होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विजेन्द्र कुमार वशिष्ठ, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005
2. सम्पूर्ण विवेकानंद साहित्य, भाग तृतीय पृ. 16
3. महेश शर्मा, विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन, प्रभात प्रकाशन, 2013
4. वही।
5. सम्पूर्ण विवेकानंद साहित्य, चतुर्थ पृ. 22-23.
6. वही, भाग तृतीय पृ. 302
7. गीता, 6/5-6
8. स्वामी विवेकानंद, व्यक्तित्व का विकास, रामकृष्ण मठ, मैसूर, प्रथम संस्करण
9. हरिराम जसटा, आधुनिक भारत में शैक्षिक चिंतन, किताब घर प्रकाशन
10. डॉ. रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, भाषाई स्मिथा और हिन्दी
11. शंकर विजयवर्गीय, भारतीय शिक्षा का इतिहास, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली, 2005
12. हरिवंश तरुण, मानव शिक्षादर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र, प्रकाशन संस्थान, 2006, पृ. 267
13. <http://www.prabhasakshi.com/news/personality> (Online)

Study of Avian Diversity and Percentage of Occurrence in Wetlands of JNPT and its Vicinity

Rahul B. Patil*

Abstract - Birds are vital components of our ecosystem, and they serve a critical part in maintaining nature's natural balance. Birds play an important function in the wetland ecology. Natural wetlands around the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Nhava Sheva, Uran, provide nesting, roosting, and feeding habitat for birds. Because wetlands are diminishing at an alarming rate, primarily due to heavy industrial concentration, there is an urgent need to investigate species diversity of wetland and vegetation birds. The current research was carried out from November 2013 to February 2015. A total of 110 bird species were discovered in JNPT's coastal wetlands and adjacent vegetation, representing 90 genera and 51 families. The presence, habitat, conservation status, food, and eating habits of many bird species were all documented. The research region was dominated by bird species from the families Scolopacidae (14), Accipitridae (10), Aredeidae (7), Anatidae (6), Charadriidae (4), Threskiornithidae (4), Motacillidae (3), and Muscuicapidae (3). This study uses JNPT's baseline information of birds from coastal wetlands and surrounding vegetation to aid in wetlands conservation.

Keywords- Migratory birds, diversity, wetlands, JNPT.

Introduction - The diverse nature of wetland ecosystems parallels the diversity of avifauna. For example, manmade wetlands have been reported to attract different types of bird species from those in natural wetland ecosystems (Ismail *et al.*, 2012). Such ecosystems are diverse in nature warranting the need to understand their influence on the avifauna populations (Sritharan and Burgess, 2012). Wetlands are still being degraded in many parts of the world (Schuyt, 2005). There is a need to assess and monitor birds' populations since their numbers, distribution and activities reflect the ecosystem's quality and status (Ismail *et al.*, 2012). Because of the great variety of wetlands, bird adaptation to and use of wetland environments differs greatly from species to species (Dahl and Johnson, 1991). Birds' use of wetlands during breeding cycles ranges widely. Some birds depend on wetlands almost totally for breeding, nesting, feeding, or shelter during their breeding cycles (Saab, 1999). As with any natural habitat, wetlands are important in supporting species diversity and have a complex of wetland values (Lameed, 2011). The value of the world's wetlands are increasingly receiving due attention as they contribute to a healthy environment in many ways (Dixon and Wood, 2003).

Wetlands may be seen as natural ecological islands of freshwater habitats surrounded by terrestrial habitats. Wetlands provide food for birds in the form of plants, vertebrates, and invertebrates (Jaikrishna, 2008; Lameed, 2011). Some feeders forage for food in the wetland soils, some find food in the water column, and some feed on the

vertebrates and invertebrates that live on submersed and emergent plants. Vegetarian birds eat the fruits, tubers, and leaves of wetland plants (Stewart, 2007). Wetlands are also important as resting sites for migratory birds (Jannert, 2003). Wetlands are among the most productive and fragile ecosystems which deserve special attention due to their biodiversity richness (Barbieret *et al.*, 1997; Tiner, 1999; UNEP-MAP RAC/SPA, 2010). Wetlands are very important for avifauna conservation and birds' life can be degraded due to various human activities impacting on wetland ecosystems (Dugan, 1990; Stewart, 2007). Many food resources in wetlands are seasonal and many species, including birds, have seasonal fluctuations links to the abundance of these resources (Lameed, 2011) their species richness and diversity. Bird species diversity and richness are directly correlated with habitat diversity of both biological and structural features (Allen *et al.*, 1999; Sritharan and Burgess, 2012). The greater the variety of habitats regardless of the cause, the more likely is that additional bird species can find suitable habitat (Weller, 1999).

Material & Methods:

Study Area: Jawaharlal Nehru Port, also known as Nhava Sheva, is the largest container port in India. Located east of Mumbai in Maharashtra (18° 57' 03" N, 72° 57' 03" E), the port on the Arabian Sea is accessed via Thane Creek. Its common name derives from the names of Nhava and Sheva villages that were situated here. This port is also the terminal of Western Dedicated Freight Corridor proposed by Indian Railways. In the vicinity of port there are several

*Assistant Professor (Zoology) Veer Wajekar A.S.C. College, Phunde, Raigad (Maharashtra) INDIA

small villages having marshy land, natural wetland due to entry of water from creek, lush green vegetation having large trees, bushy shrubs and long grasses that provide shelter to the butterflies.

The humid monsoon season from mid-June to late September and a cool dry winter from late November to early February (temperature range: 18 C-28 C). Humidity is generally very high during summer and the area receives an average rainfall of 2664 mm.



Data Collection: JNPT and its vicinity will be surveyed from November 2017 to February 2018 at the regular interval of a week. The visits were carried out in the morning from 7.00 am to 10.00 am. and in the evening from 4.00 pm to 6.00 pm. Some of the basic methods used in this study as described by Bibby *et al.* (1992) are: (a) point counts - undertaking a bird count from a fixed location for a fixed period of time. The bird species seen or heard are recorded. (b) line transect - moving along a fixed route (transect) and recording the bird species seen and heard on both sides of transect. Birds were counted as bird seen and heard and birds in flight were also recorded. The birds were photographed if not identified immediately. Observations were carried out with the help of 10x50 Olympus binocular and photography was done with Nikon P 900 digital zoom camera. Identification of birds was done using field guides (Grimmett *et al.*, 2013). The following formula was used for determining percentage of occurrence of Families (Basavarajappa, 2006).

Table (see in last page)

Result and Discussion: In an earlier study (2015) we have reported 110 bird species in these areas. But now we have reported 67 species of wetland birds in the studied area. The important birds almost not visiting since last 2 years are Black Tailed Godwit, Common Pochard, common snipe, Curlew Sandpiper, Eurasian Curlew, Gadwal, Grey Plover, Greylag Goose, Pheasant tailed Jacana, Pied Avocet, Pied Avocet, Ruff, Indian skimmer, etc.

● **JNP township is also have rich birds diversity like**

1. Golden oriole,
2. Asian Paradise flycatcher,
3. Gray Hornbill,
4. Spotted Owlet,

5. Warblers,
 6. Sunbirds, etc.
- **Observed mostly waders on Site I like**

1. Bronze winged Jacana,
2. Golden Ibis,
3. Indian Cormorant,
4. Little cormorant,
5. Little Greb,
6. Egrets etc.

The site I showed the diversity of species as per feeding habit especially migratory birds like flamingos (Aquatic Feeders), Ruff (Insectivores), Graylag goose (Aquatic Feeders), Eurasian curlew (Insectivores), Pallied Harrier (Carnivores), Warblers (Granivores). A remarkable sighting at Site I is Bronze winged Jacana (2 females and Several Males, as it is Polyandrous in nature). The site 2 and 3 is been provided with rich amount of food available because of tidal impact of sea. The painted storks, spoonbills, green shank, red shank, godwits, Black winged stilts etc. were recorded at Panje wetland during morning visits. The site 2 & 3 i.e. Belpada and Panje wetland have been classified on the basis of confluence of Creek water, shallow, macrophyte, vegetation area. The flocks of different migratory species were observed during the different time intervals. The flocks of brown headed gulls and various Sandpipers, little stints were recorded in the evening time. Differences in feeding habits & habitats could also increase diversity, evenness & species richness (Smith, 1992).

At sites I, JNP Administrative Building showed more number of waders than aquatic feeders may be due to marshy wetland having lot of vegetative growth of lotus and other aquatic plants. Dastan phata and Karal junction wetland showed almost similar diversity of birds especially Insectivores and aquatic feeders. All sites representing 52 families and 90 genera of birds. 78 (71.81%) birds species were found to be residents, whilst 21 (19.09%) species were winter migrants and 11 (10.00%) species were local migrant visitors. There were 48 species of birds with highest food habit as insectivore followed by predatory & Carnivore shared same number of species i.e. 13 each, 12 species in aquatic feeder, 8 species in Omnivore, 7 species in Granivore and 5 species was found lowest food habit with Herbivore and Piscivore each.

Many ecological and climatic factors, which are mainly the anthropogenic pressure affects the habitat of water birds (Bharatha Lakshmi, 2006). Human activities threatened the existence of many birds by destroying their habitat or directly affecting their survival and reproductive success (Green & Hirons, 1991). The coastal environment nearby JNP, Belpada and Panje is now undergoing considerable stress since the industries like Oil & Natural Gas Commission, LPG distillation plant, Grind-Well Norton Ltd., MSEB Gas Turbine Power Station, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT) leading to habitat destruction i.e. diminishing wetlands. According to Paszkowski & Tonn, (2000), larger

wetland can provide more natural microhabitat, thereby attracting a greater number of species. However, Hudson (1983) & Green & Hiron, (1991) emphasized that smaller wetland maintained higher water birds density & diversity larger than ones. In natural habitats, intervention of human is less and minimum, the diversity as well as the evenness of species is higher than the fragmented ones (Rana, 2005). But now due to road construction activity in and around JNP wetlands are started to deplete and fragmented. Deforestation of mangroves, road constructions, maritime activities, mining operations, incidences of Oil leakages in the creek etc., creates ecological burden on all life forms. Thus it has been seen that migratory birds are not turning there in wetlands due to land filling activities. Apart from researchers some social activists, local community should come forward and save the diminishing wetlands of Uran.

Photographs of birds



Indian Skimmer



Black tailed Godwit



Ibis



Rose ringed parakeet



Painted Stork



Pheasant tailed jacana



Indian Spot billed duck



Greater Flamingo

References:-

1. Ismail A, Rahman F, Zulkifli SZ (2012). Status, Composition and Diversity of Avifauna in the Artificial Putrajaya Wetlands and Comparison with its Two Neighboring Habitats. *Trop. Nat. Hist.* 12(2): 137-145.
2. Sriharan S, Burgess ND (2012). Protected area gap analysis of important bird areas in Tanzania. *Afr. J. Ecol.* 50:66-76.
3. Schuyt KD (2005). Economic consequences of wetland degradation for local populations in Africa. *Ecol. Econ.* 53(2): 177-190.
4. Dahl TE, Johnson CE (1991). Wetlands Status and trends in the conterminous United States, mid-1970's to mid-1980's: Washington, D.C., U.S. Fish and Wildlife Service. p. 22.
5. Lameed GA (2011). Species diversity and abundance of wild birds in Dagona-Waterfowl Sanctuary Borno State, Nigeria. *Afr. J. Environ. Sci. Technol.* 5(10):855-866.
6. Dixon AB and Wood AP (2003). Wetland cultivation and hydrological management in eastern Africa: Matching community and hydrological needs through sustainable wetland use. *Natural Resources Forum* 27(2): 117-129.
7. Jaikrishna R (2008). Legislative framework for the protection of wetlands. *J. Environ. Res. Dev.* 2(3):498-501.
8. Stewart RE (2007). Wetlands as bird habitat. United States Geological survey water supply paper. *J. Natl Biol. service.* p. 2425.
9. Jannert J (2003). Restoration of Lake Östen a wetland of international importance for migrating birds. Report by County Administration of VästraGötaland S-542 85 Mariestad. Available at [<http://www.osten.se/pdf/osten.pdf>] site visited on July 20, 2013.
10. Barbier EB, Acreman MC, Knowler D (1997) Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners. Ramsar Convention Bureau. Gland, Switzerland. p.127.
11. Tiner RW (1999) Wetland indicators. Lewis. New York, USA. pp. 392.
12. UNEP-MAP RAC/SPA (2010). The Mediterranean Sea Biodiversity: state of the ecosystems, pressures, impacts and future priorities. By Bazairi, H., Ben Haj, S., Boero, F., Cebrian, D., De Juan, S., Limam, A., Leonart, J., Torchia, G., and Rais, C., Ed. RAC/SPA, Tunis. p.100.
13. Dugan PJ (1990). Wetland conservation. A review of current issues and required action: IUCN, Gland, Switzerland. p. 96.
14. Allen AP, Whittier TR, Kaufmann PR, Larsen DP, O'Connor RJ, Hughes RM, Stemberger RS, Dixit SS, Brinkhurst RO, Herlihy AT, Paulsen SG (1999). Concordance of taxonomic richness patterns across multiple assemblages in lakes of the northeastern United States. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 56:739-747.
15. Weller MW (1999). Wetland birds habitat resources

and conservation implication. Press syndicate Cambridge, United Kingdom. p. 131.

16. Grimmett, R., Inskipp, C, Inskipp. T. (2013). Birds of the Indian Subcontinent. Oxford University Press, New Delhi.
17. Basavarajappa, S. (2006). Avifauna of Agro-Ecosystem of Maidan area of Karnataka. Zoo's Print. 21(4): 2217-2219.
18. Ali S. & Ripley S.D. (1995): A Pictorial Guide to the Birds of the Indian Sub-Continent. BNHS, Oxford University Press.
19. Ali S. (1979): The Book of Indian Birds. Published by BNHS, India.
20. Bharatha L.B. (2006): Avifauna of Gosthani estuary near Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, Journal of Natcon, 18 (2): 291-301.
21. Green R.E. and Hirons G.J.M. (1991): The relevance of population studies to the conservation of the threatened birds. Pp. 594-621.
22. Grimmett R., Inskipp C. and Inskipp T. (2000): Pocket guide to the Birds of Indian Subcontinent. Oxford University Press, New Delhi, 364 pp.
23. Hudson M.S. (1983): waterfowl production on three age classes of stock ponds in Montana. Journal of Wildlife Management, 47: 112-117.
24. Malik D.S. and Joshi Nidhi (2013): Habitat selection pattern of migratory avifauna in relation to nutrients in Asan wetland at Doon Valley (Garhwal Himalaya), India, International Journal of Recent Scientific Research, 4(10), 1470-1475.
25. Malwadkar A.M. (2011): A contribution to avifauna of Uran (Raigad), Maharashtra, India, Journal of Aquatic Biology, 26 (1), 21-25.
26. Paszkowski C. and Tonn W. (2000): Community concordance between the fish and aquatic birds of lakes in northern Alberta, Canada: the relative importance of environmental and biotic factors, Freshwater Biology, 43: 421-437.
27. Prabhakar Pawar (2011): Species diversity of birds in mangroves of Uran (Raigad), Navi Mumbai, Maharashtra, West Coast of India, Journal of Experimental Sciences, 2 (10): 73-77.
28. Rana S.V.S. (2005): Essentials of ecology and environmental science 2nd edition. Prentice hall of India private Ltd. New Delhi.
29. Smith R.L. (1992): Elements of Ecology 3rd edition Harper Collins publishers Ltd. London pp. 21-31.
30. Stewart R.E. (2001): Technical Aspects of Wetlands – Wetlands as Bird Habitat. National Water Summary on Wetland Resources. United States Geological Survey, 86 pp.
31. Urfi A.J., Sen M., Kalam A. and Megnathan T. (2005): Counting Birds in India: Methodologies and Trends. Current Science, 89 (12).

Plan of Work:

Sr.	Site	Month of Bird Observation	Time
1	A (Panje)	November 2018 to February 2019 (At regular interval of a Week)	Morning hrs.(7.00 am to 10.00 am)
	B (Admin. Bulding)		Morning hrs. (7.00 am to 10.00 am)
	C (Karal to Dastan Phata)		Evening hrs. (4.00 pm to 6.00 pm)

Essential Trace Element and Human Health

Dr. Shobha Gupta *

Abstract - Human body requires certain essential elements in small quantities and their absence or excess may result in severe malfunctioning of the body and even death in extreme cases because these essential trace elements directly influence the metabolic and physiologic processes of the organism. Trace elements are very important for cell functions at biological, chemical and molecular levels. These elements mediate vital biochemical reactions by acting as cofactors for many enzymes, as well as act as centers for stabilizing structures of enzymes and proteins. Some of the trace elements control important biological processes by binding to molecules on the receptor site of cell membrane or by alternating the structure of membrane to prevent entry of specific molecules into the cell. The functions of trace elements have a dual role. In normal levels, they are important for stabilization of the cellular structures, but in deficiency states may stimulate alternate pathways and cause diseases. These trace elements have clinical significance and these can be estimated using different analytical method. Rapid urbanization and economic development have resulted in drastic changes in diets with developing preference towards refined diet and nutritionally deprived junk food. Poor nutrition can lead to reduced immunity, augmented vulnerability to various oral and systemic diseases, impaired physical and mental growth, and reduced efficiency. The deficiency or excess of trace elements like iodine, iron, zinc, and so forth has a profound effect on the body.

Keywords- Analytical methods, body function, health, trace elements Trace element deficiency; Excess of trace elements.

Introduction - The human body is composed of elements which can be roughly divided into abundant elements and trace elements. Abundant elements consist of the major elements that are involved in the formation of covalent bonds and are important constituents of tissues (oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, etc.), and semi-major elements, which often exist in the ionic state, and are involved in functions of the living body through maintenance of osmotic pressure and membrane potentials (potassium, sodium, etc.). Major elements account for 96% of the total body weight, and the semi-major elements account for 3 to 4% of the total body weight. Deficiency of major elements can lead to nutritional disorders, and their presence in excess can cause obesity. Deficiencies or excess states of semi-major elements often result in water and electrolyte abnormalities. Essential trace elements of the human body include zinc (Zn), copper (Cu), selenium (Se), chromium (Cr), cobalt (Co), iodine (I), manganese (Mn), and molybdenum (Mo). Although these elements account for only 0.02% of the total body weight, they play significant roles, e.g., as active centers of enzymes or as trace bioactive substances. A major outcome of trace element deficiencies is reduced activity of the concerned enzymes. The accumulation of metals or deficiency of these elements may stimulate an alternate pathway which might produce diseases. Interaction among the trace elements may also act as a scaffold upon which the etiopathogenesis of many

nutritional disorders lie. Although these elements account for only 0.02% of the total body weight, they play significant roles, e.g., as active centers of enzymes or as trace bioactive substances.^[1] Trace elements refers to “elements that occurs in natural and perturbed environments in small amounts and that, when present in sufficient bioavailable concentrations are toxic to living organism.”^[1]

Essential elements for human body:

Four organic basic elements: H, C, N, O

Quantity elements - Na, Mg, K, Ca, P, S, Cl.

Essential trace elements - Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Se, I. Function suggested from active handling in humans, but no specific identified biochemical functions - Li, V, Cr, B, F, Si, As.^[2]

The trace elements in human enzyme system

Copper (Cu) - Copper is the third most abundant trace element with only 75–100mg of total amount in the human body. Copper is present in almost every tissue of the body and is stored chiefly in the liver along with the brain, heart, kidney, and muscles^[3]. Copper is absorbed in the gut and transported to the liver. It is transported in the form of ceruloplasmin into the plasma where its metabolism is controlled and is excreted in bile. Ceruloplasmin accounts for 90% of the copper content in blood and is responsible for carrying copper to the deficient cells^[3]. Copper plays a very important role in our metabolism largely because it allows many critical enzymes to function properly. Acidic

* Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

conditions promotes the solubility which incorporates copper ions either in cupric form or cuprous form into the food chain. Mainly copper is available in the liver, shellfish, dried fruit, milk and milk products, sunflower seeds, oysters, sesame seeds, tahini, and sun dried tomatoes. [12] The average content of metal in the plant usually ranges from 4 to 20 mg of copper per kg of dry weight. The average adult human of 70 kg weight contains about 100 mg. The daily requirement is about 2-5 mg of which 50% is absorbed from the gastrointestinal tract (GIT). Rest is excreted via bile and kidney. Over 90% of plasma copper is associated with ceruloplasmin and 60% of red blood cell (RBC) is bound to superoxide dismutase.

In human blood, copper is principally distributed between the erythrocytes and in the plasma. In erythrocytes, 60% of copper occurs as the copper-zinc metalloenzyme superoxide dismutase, the remaining 40% is loosely bound to other proteins and amino acids. Total erythrocytes copper in normal human is around 0.9-1.0 pg/ml of packed red cells. Copper has a selected biochemical function in hemoglobin (Hb) synthesis, connective tissue metabolism, and bone development. Synthesis of tryptophan is done in the presence of Cu. Besides these Cu as ceruloplasmin aid in the transport of iron to cells. [4] A deficiency of Cu in diet for prolonged period especially during stages of active growth leads to anemia, growth retardation, defective keratinization and pigmentation of hair, hypothermia, mental retardation, changes in skeletal system, and degenerative changes in aortic elastin. Excessive Cu either from diet or through any other sources acquired rapidly produces nausea, vomiting, diarrhea, profuse sweating, and renal dysfunction. When the levels of Cu are acquired very slowly, they cause cirrhosis, hepatitis, tremors, mental detritions, hemolytic anemia, GIT bleeding and azotemia. Congenital diseases like Wilson's disease, Menke's syndrome, idiopathic fibrosis of lung has been associated with Cu. Vineyard sprayer's lung diseases is an occupational hazard due to Cu intake via aerosol which 75% is in blood.

The serum levels of copper increases in patients with myocardial infarction, leukemia, solid tumors, infections, cirrhosis of liver, hemochromatosis, thyrotoxicosis, and computed tomography disorders. Decreased levels occur in nephrotic syndrome, Kwashiorkor, Wilson's disease, severe diarrhea, and vomiting. [5] The symptoms of copper deficiency are hypochromic anemia, neutropenia, hypopigmentation of hair and skin, abnormal bone formation with skeletal fragility and osteoporosis, joint pain, lowered immunity, vascular abnormalities, and uncrimped or steely hair. High copper intake for prolonged period causes increased copper percentages in serum and tissue that in turn causes oxidative stress and affects several immune functions. Decreased copper levels are observed in few malignancies, mostly in the tumors which have high catabolic rate or which is of highly metastatic type. Some of the trace elements like copper and zinc have an anticarcinogenic role. Copper is involved in the cell

metabolism, and is a part of various enzymes such as tyrosinase, uricase, and cytochrome oxidase, which are mainly concerned with oxidation reaction. The mean serum copper levels were significantly higher in the sera of patients with oral potentially malignant disorders such as oral leukoplakia and oral submucous fibrosis and also malignant tumors such as squamous cell carcinoma. In oral submucous fibrosis patients, the serum levels of Cu gradually increases as the clinical stage of the disease progresses. [6]

Zinc (Zn) - There is 2-4 grams of Zn distributed throughout the human body. Zinc is stored in prostate, parts of the eye, brain, muscle, bones, kidney, and liver [7]. It is the second most abundant transition metal in organisms after iron and it is the only metal which appears in all enzyme classes. In blood plasma, Zn is bound to and transported by albumin (60%) and transferrin (10%). Since transferrin also transports iron, excessive iron can reduce zinc absorption, and vice versa. The concentration of zinc in blood plasma stays relatively constant regardless of zinc intake.

The metal zinc is an omnipotent metal that has amphoteric nature. Hence, it is ionized either in acidic or alkaline forms. About 99% is intracellular while the rest is in plasma. The average daily requirement is 15-20 mg/day. Phytase decreases fibers, phosphates, calcium, and copper competes with zinc for absorption from small intestine. About 2-5 mg/day is excreted via pancreas and intestine. The other mode of excretion is via proximal tubule and sweat glands.

Plasma zinc levels are decreased in pregnancy, fluid loss, oral contraceptive usage, blood loss, acute myocardial infarction, infections, and malignancies. The function of zinc in cells and tissues is dependent on metalloproteinase and these enzymes are associated with reproductive, neurological, immune, dermatological systems, and GIT. It is essential for normal spermatogenesis and maturation, genomic integrity of sperm, for normal organogenesis, proper functioning of neurotransmitters, proper development of thymus, proper epithelialization in wound healing, taste sensation, and secretion of pancreas and gastric enzymes. They can be biochemically classified as those involved in nucleic acid and protein synthesis and degradation, alcohol metabolism, carbohydrate, lipid, and protein metabolism. [8] They include transferases, hydrolases, lyases, isomerases, oxidoreductases, and transcription factors. The enzyme most essential for zinc are alkaline phosphatase, alcohol dehydrogenase, carbonic dehydratase, glutamate and lactate dehydrogenase, and RNA polymerases. The deficiency symptoms include compromised energy metabolism, alcohol intoxication, acidosis, blockage of protein biosynthesis, transmutation reaction blocked cell destruction by superoxide radicals. [9]

Zinc plays an important role in cell proliferation, differentiation and metabolic activity of the cell. These modifications will take place in the presence of many zinc-

binding proteins. Intracellular zinc is homeostatically maintained at extremely low levels either by sequestration in intracellular vesicles or binding to intracellular metalloproteinase and low molecular weight ligands.^[9] Their reaction causes growth retardation, alopecia, dermatitis, immunological dysfunction, psychological disturbances, gonadal atrophy, faulty spermatogenesis, congenital malformation, keratogenesis, taste disorders, and delayed wound healing. The genetic disorder related with zinc metabolism is acrodermatitis enteropathica which is an autosomal recessive defect where there is an inability in Zn absorption.^[10] Zinc also supports normal growth and development during pregnancy, childhood, and adolescence.^[11] Zinc plays an important role in the proliferation, differentiation, and metabolic function of mammalian cells. Various extracellular signals, e.g., redox stress, cytokines, and growth factors stimulate the release of zinc from metallothionein or alter the transport of zinc which alters the intracellular level of mobile reactive zinc. Zinc then binds to and activates metal responsive transcription factors or interacts directly with intracellular signaling molecules to modulate the expression of zinc-responsive genes and to regulate specific signal transduction pathways. Mutations that activate H-Ras are oncogenic in most cells and lead to malignant transformation and this Ras signaling pathway is inhibited by zinc.^[9]

Iron (Fe) - Iron is the most abundant essential trace element in the human body. Iron is present in huge quantities all over the earth crust and also is available to a great extent from the plant kingdom. The total content of iron in the body is about 3-5 g with most of it in the blood and the rest in the liver, bone marrow, and muscles in the form of heme^[12]. Iron is absorbed in the gut from diet in case of depletion and transported in the form of ferritin. Hemosiderin is a golden brown pigment which is a byproduct of metabolism of ferritin and is deposited in the cells of the reticuloendothelial system. Homeostasis of iron maintains the iron levels in serum within normal range only by upregulation or downregulation of absorption mechanism of iron which is unique because it maintains homeostasis by regulating the absorption and never excretion. Acidic condition promotes the solubility of iron as ions either in ferric or ferrous forms. Heme is the major iron containing substance. It is found in Hb, myoglobin, cytochrome while the enzymes associated with iron are cytochrome A, B, C, F 450, cytochrome C reductase, catalases, peroxidases, xanthine oxidases, tryptophan pyrrolase, succinate dehydrogenase, glucose 6 phosphate dehydrogenase, and choline dehydrogenase.^[13]

An average daily requirement is 1-2 mg which has to provide as 20 mg of iron in food. Phytates and oxalates reduce the iron absorption in the GIT. Iron is absorbed from food when there is a need and the transport form of iron is known as ferritin. Hemosiderin is a golden brown pigment seen in cells of the reticuloendothelial system which is

denatured form of ferritin. The metabolism of iron is unique because it maintains homeostasis by regulating the absorption of iron but not excretion. When iron stores in the body are depleted, absorption is enhanced.^[13] Deficiency of such an important trace metal will cause severe disorders, most important among them is iron deficiency anemia. Microcytic hypochromic RBC's, tiredness, achlorhydria, atrophy of epithelium, impaired attention, irritability, and lowered memory are some of the features of iron deficiency anemia.^[14] Iron deficiency anemia can lead to heart failure. Anemia is the second most important cause of maternal mortality in India and it is estimated that about 20% of maternal deaths are directly related to anemia and another 50% of maternal deaths are associated with it.^[15]

The deficiency when prolonged will be fatal. When iron is increased in body acutely, nausea, vomiting, diarrhea occurs along with hepatic damage. While chronic or prolonged accumulation of iron in body occurs there is a hepatic failure, diabetes, testicular atrophy, arthritis, cardiomyopathy, peripheral neuropathy, and hyperpigmentation. Bronze diabetes is a triad of hemochromatosis, diabetes, and cirrhosis. The hepatic peptide hepcidin is an important systemic iron regulatory hormone. It regulates intestinal iron absorption, plasma iron concentrations, and tissue iron distribution by inducing degradation of its receptor and the cellular iron exporter ferroportin. Ferroportin exports iron into plasma from absorptive enterocytes, from macrophages that recycle the iron from senescent erythrocytes, and from hepatocytes that store iron. Deficiency of hepcidin causes hemochromatosis. There are very few genetic disorders related to iron. One of them is due to an abnormal gene located on short arm of chromosome number 6 and linked to human leukocyte antigen - A locus. The erythropoietin may be inhibited by cytokines such as interleukin 1, 6, tumor necrosis factor α , and interference. Serum ferritin levels are elevated, serum iron concentrations are decreased with tumor progression in head and neck carcinomas and thus it can be used as a follow-up tool for patients. There are studies related to potentially malignant disorders and iron. In oral submucous fibrosis and oral leukoplakia, there is a significant decrease in Hb and serum iron, whereas in oral submucous fibrosis the total iron binding capacity showed statistically significant changes. Recently, it has been found that iron may play a role in esophageal carcinogenesis.^[16] Table 1 lists the enzymes containing trace elements, and summarizes the physiological functions of trace elements and the characteristics of their deficiency and excess states

Table 1 (see in last page)

Chromium (Cr) - The word chromium is derived from a Greek word chrom which means "color." Chromium exists in divalent [Cr(II)], trivalent [Cr(III)], and hexavalent [Cr(VI)] oxidation states, with Cr(VI) and Cr(III) being the most stable forms, among which Cr(III) and Cr(VI) are insoluble and soluble forms, respectively. The total body content of

chromium is relatively low and is about 0.006 g in an average healthy human adult. The daily requirement is about 0.005 mg/day. Trivalent Cr is an essential trace element and plays an important role in glucose metabolism by serving as a cofactor for insulin action^[17]. Hexavalent chromium is a toxic industrial pollutant and has been classified as carcinogen possessing mutagenic and teratogenic properties. Chromium exposure through occupation via inhalation has been associated with various lung, GIT, and central nervous system cancers. Chromium is excreted principally in the urine and faeces and in small quantities in the hair, sweat, and bile.^[18]

The need of chromium is for biosynthesis of glucose tolerance factor. The deficiency causes impairment of glucose tolerance while toxicity results in renal failure, dermatitis, and pulmonary cancer.^[40] Processed meats, whole grain products, pulses, and spices are the best sources of chromium, while dairy products and most fruits and vegetables contain only small amounts. Chromium content in animal foodstuff such as meat, poultry, and fish is low which provides 2 µg Cr. Most dairy products are also low in Cr and provide <0.6 µg/serving. Whole wheat and wheat flour contain 5-10 µg of Cr/kg. Pulses, seeds, and dark chocolate may contain more chromium than most other foods. Certain spices such as black pepper contain high concentrations of chromium. Chromium is excreted principally in the urine and in small quantities in the hair, sweat, and bile. The major route of elimination after absorption is fecal. Chromium is a human carcinogen primarily by inhalation exposure in occupational settings. Lung cancer has been established as a consequence of hexavalent chromium exposure in smokers and nonsmokers and some cancers of other tissues such as GIT and central nervous system. The most recent data reveals the induction of skin tumors in mice by chronic drinking-water exposure to hexavalent chromium in combination with solar ultraviolet light. Chromium deficiency is difficult to document because of the very low levels present in blood, while tissue levels are 10 times higher. If concentrations of chromium are lower than the normal value of 0.14-0.15 ng/ml for serum or 0.26 or 0.28 ng/ml for plasma it indicates the presence of a severe chromium deficiency. Raised plasma levels can coexist with a negative balance. Hyperglycemia may be associated with raised plasma chromium and increased urinary excretion, without reflecting tissue level. Chromium concentrations in urine, hair, and other tissues or body fluids have also been reported not to reflect chromium status. The role of chromium supplementation was investigated in special subgroups of patients with diabetes.^[19] Longstanding exposure with chromium will cause chronic ulcers of the skin and acute irritative dermatitis have been consistently reported in workers exposed to chromium containing materials. Inhalation of Chromium compounds causes marked irritation of the respiratory tract. Rhinitis, bronchospasm, and pneumonia.^[19] Chromium is

considered to be a one of the risk factor for oral squamous cell carcinoma. Welding fumes involves exposure to many chemicals, including metal dust, irritant gases. Welding in stainless steel is associated with an increased risk of cancer of larynx and pharynx due to exposure to hexavalent chromium.

Cobalt (Co) - The presence of cobalt in animal tissues was first established by Bertrand and Macheboeuf in 1925 which was later confirmed by various researches using spectrographic methods.^[20] Cobalt is an essential trace element for the human body and can occur in organic and inorganic forms. for anemia, including in pregnant women because it causes erythropoiesis. Cobalt also increases RBC production in healthy people, but only The average human adult contain about 1.1 g with the daily requirement of 0.0001 mg/day. It is a component of Vitamin B12. It induces erythropoietin and blocks iodine uptake by the thyroid. It has a role to play in methionine metabolism where it controls the transfer of enzymes like homocysteine methyltransferase. Deficiency produces cardiomyopathy, congestive cardiac failure, pericardial effusion, polycythemia, and thyroid enlargement. The occurrence of cobalt in animal tissues was demonstrated by Bertrand and Macheboeuf in 1925 and a wide distribution was confirmed by other workers employing spectrographic methods.^[21] Cobalt is usually found in the environment combined with other elements such as oxygen, sulfur, and arsenic. Small amounts of these chemical compounds can be found in rocks, soil, plants, and animals. Most of the production of cobalt involves the metallic form used in the formation of cobalt super alloys. The term "hard metal" refers to compounds containing tungsten carbide (80-95%) combined with matrices formed from cobalt (5-20%) and nickel (0-5%). For the general population, the diet is the main source of exposure to cobalt. Meat, liver, kidney, clams, oysters, and milk all contain some cobalt. Ocean fish and sea vegetables have cobalt, but land vegetables have very little; some cobalt is available in legumes, spinach, cabbage, lettuce, beet greens, and figs. The recommended daily intake of Vitamin B12 for an adult in the USA was said to be 3 µg, corresponding to 0.012 µg of cobalt. Cobalt compounds are absorbed by the oral and inhalation routes and through the skin. The degree of gastrointestinal absorption depends on the dose; very small doses in the order of a few µg/kg are absorbed almost completely, whereas larger doses are less well absorbed Cobalt is not easily absorbed from the digestive tract. The body level of cobalt normally measures 80-300 mcg. It is stored in the RBCs and the plasma, as well as in the liver, kidney, spleen, and pancreas.^[22] Cobalt has both beneficial and harmful effects on human health. Cobalt is beneficial for humans because it is part of Vitamin B12, which is essential to maintain human health. Cobalt (0.16-1.0 mg cobalt/kg of body weight) has also been used as a treatment at very high exposure levels. Deficiency of cobalt also leads to fatigue, digestive disorders, and neuromuscular problems.

As cobalt's deficiency leads to decreased availability of B12, there is an increase of many symptoms and problems related to B12 deficiency, particularly pernicious anemia, and nerve damage. Cobalt is excreted in both the urine and the feces, independent to the route of exposure (inhalation, injection or ingestion) most cobalt will be eliminated rapidly. [22] In one cohort study of people with hip prosthesis, there was a significant increase in the incidence of lymphatic and hematopoietic malignancies, and significant deficits of breast and colorectal cancer. Table 2 lists the pharmacologically effective actions of trace elements when they are consumed in excess. However, when dealing with trace elements, caution must be exercised to avoid excessive dosage.

Table 2 -Trace Elements and, and Pharmacological Effective Action

Trace element	Potential effects of replenishment, prophylaxis, and pharmacological effects
Iron	Correction of latent iron deficiency Resistance to infections
Zinc	Wound healing Improved resistance to infections and immune functions Correction of developmental retardation and gonadal hypoplasia Correction of taste disorder
Chromium	Correction of carbohydrate metabolism Prevention of atherosclerosis
Fluorine	Prevention of dental caries
Iodine	Correction of latent iodine deficient goiter

Manganese (Mn) - Manganese content of foods varies greatly. The highest concentrations is in nuts, grains, and cereals; the lowest in dairy products, meat, poultry, fish, and seafood. Relatively high concentrations of manganese were found in soluble ("instant") coffee and tea and account for 10% of the total daily intake. [23] The total body content average human adult has about 15 mg of manganese, typically seen in nucleic acid. Daily requirement is about 2-5 mg/day. Manganese acts as an activator of enzyme and as a component of metalloenzymes. They have a role to play in oxidative phosphorylation, fatty acids and cholesterol metabolism, mucopolysaccharide metabolism, and urea cycle. [24] Manganese is found in all mammalian tissues with concentrations ranging from 0.3 to 2.9 μ g manganese/g. Tissues rich in mitochondria and pigments (e.g., retina, dark skin) tend to have high manganese concentrations. Bone, liver, pancreas, and kidney typically have higher manganese concentrations than other tissues. The largest tissue store of manganese is in the bone. [24] Bone, liver, pancreas, and kidney typically have higher manganese concentrations than other tissues. The largest tissue store of manganese is in the bone. [24] In hydroxyapatite crystals of enamel, more than 49 elements are found, one of them being manganese, mostly in very small percentage. The concentrations of manganese in enamel are 0.08-20 ppm, equivalent 0.08-20 mg/kg, and in dentine are from 0.6 to 1000 ppm. Mn concentration is higher in the outer surface of enamel than

in enamel-dentin border, and higher in permanent than in primary dentition.

Some of the enzymes which are present along with magnesium are arginase, diamine oxidase, pyruvate carboxylate, phosphoglucomutase, succinate dehydrogenase, glutamine synthetase, superoxide dismutase. The deficiency cause bleeding disorders due to increased prothrombin time while accumulation over a long period causes anorexia, apathy, headache impotence, leg cramps, speech disturbance, encephalitis like syndrome and parkinsonian like syndrome.

Fluorine(F) - Fluorine is a lightest element in Group VII of the periodic table, with atomic number 9. Fluorine plays an important role in the hard tissues of the body such as bone and teeth. It helps in producing denser bones and fluoride has been suggested as a therapeutic agent in the treatment of osteoporosis. It is thought that fluoride, in conjunction with calcium, stimulates osteoblastic activity. It gets integrated into the bone matrix as fluorapatite which in turn increases the hardness of bones. Fluorine has profound anti-enzyme properties and prevents dental caries. The increased fluoride utilization could be responsible for the anticariogenic action. [25]

Fluoride or fluorine deficiency is a hypothetical disorder, which may cause increased dental caries and possibly osteoporosis due to a lack of fluoride in the diet. High levels of dietary fluoride cause fluorosis (bone disease) and mottling of teeth. High levels of fluoride cause dental lesions, periosteal hyperostosis, calcification of ligaments, and lameness. Crippling fluorosis in human is observed in persons exposed to very high intake (>20 mg/day) over a period of several years. Acute toxicity of fluoride is very rare and can occur due to a single ingestion of a large amount of fluoride and can be fatal. The amount of fluoride considered lethal when taken orally is 35-70 mg F/kg body weight. Symptoms of acute toxicity occur rapidly. There is a diffuse abdominal pain, diarrhea, vomiting, excess salivation, and thirst. Chronic toxicity is caused due to long-term ingestion of smaller amounts of fluoride in drinking-water. Excessive fluoride more than 8 ppm in drinking water daily for many years can lead to skeletal and dental fluorosis. Severe cases are normally found only in warm climates where drinking-water contains very high levels of fluoride. Due to chronic toxicity, bone density slowly increases; the joints stiffen and become painful. [26]

Dental fluorosis may be easily recognized but the skeletal involvement is not clinically obvious until the advanced stage and early cases may be misdiagnosed as rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Fluoride increases the stability of the crystal lattice in bone, but makes bone more brittle. The total quantity of fluoride ingested is the single most important factor in determining the clinical course of skeletal fluorosis; the severity of symptoms correlates directly with the level and duration of exposure. Bone changes observed in human skeletal fluorosis are structural and functional, with a combination of osteosclerosis,

osteomalacia, osteoporosis and exostosis formation, and secondary hyperparathyroidism in a proportion of patients. At very high fluoride concentrations, stages 2 and 3 of skeletal fluorosis are likely to occur. The clinical signs of these stages are chronic joint pain, dose-related calcification of ligaments, osteosclerosis, possible osteoporosis of long bones, and in severe cases, muscle wasting, and neurological defects. Because some of the clinical symptoms mimic arthritis, the first two clinical phases of skeletal fluorosis could be easily misdiagnosed.

Iodine (I) - Iodine is a vital micronutrient required at all stages of life; fetal life and early childhood being the most critical phases of requirement. Iodine is an essential constituent of the thyroid hormones thyroxine (T4 tetraiodothyronine) and (T3 triiodothyronine). It also plays an important role in the functioning of the parathyroid glands. Iodine also promotes general growth and development within the body as well as aiding in metabolism. Because of its role in the metabolism, the symptoms of an iodine deficiency can be far reaching. Even though it is so important to proper functioning of the human organism, iodine deficiency is not uncommon. Severe iodine deficiency often occurs in individuals who have thyroid disease and are hyperthyroid or those who have a goiter from thyroid malfunction. Symptoms of iodine deficiency may include extreme fatigue, slowing of both physical and mental processes, weight gain, facial puffiness, constipation, and lethargy. Babies born to iodine deficient mothers may be lethargic and difficult to feed. If they are left untreated, it is likely that they will develop cretinism and end up suffering poor overall growth and mental retardation. [27]

Iodine overload is less common compared with its deficit though it is unfavorable, as well as a lack of it. The literature provides information demonstrating that intake of iodine from seaweeds is safe because iodine is organically bound and is not cumulated in the body. If its intake is exceeded, it is excreted with urine, mainly during the 1st day. Organically bound iodine is harmless, even with prolonged use at high doses. For example, at intake of 1-5 mg of iodine with seaweeds by healthy people, all iodine is excreted with urine within 48 h. Only very high doses of organic iodine from seaweeds may cause unfavorable effects on the function of the thyroid gland. Excess iodine can cause as thyrotoxicosis so as hyperthyroidism as well as chronic thyroiditis, hashimoto's thyroiditis and even may increase the risk of thyroid gland cancer. [28]

Conclusion - Trace elements are usually defined as minerals that are required in amounts between 1 and 100 mg/day by adults or make up less than 0.01% of total body weight. Ultra-trace minerals generally are defined as minerals that are required in amounts less than 0/001 mg/day. In this paper, the basic biology of trace elements and features of their deficiency and excess states have been presented to provide an overview of these elements. Clinically, as well as in nutritional evaluations, one of the most difficult problems concerning trace elements is the

difficulty of diagnosing trace element deficiencies. The deficient intake of an essential trace element may diminish significant biological functions within tissues and restoration of physiological levels of that element relieves the impaired function or prevents impairment. The human body has an elaborate system for managing and regulating the amount of key trace metals circulating in blood and stored in cells. The abnormal levels of these trace elements may develop when the body fails to function properly or there are improper levels in dietary sources. There are convincing lines of evidence that a diet rich in antioxidants and essential minerals is indispensable for a healthy mind and body. Preventive medicine in the recent years has gained more attention than anything else as quoted aptly, "prevention is better than cure."

References:-

1. Wada O. What are trace elements? Their deficiency and excess states. *J Japan Med Assoc* 2004;47:351-8.
2. Bowen HJ. *Trace Elements in Biochemistry*. 2nd ed. London: Academic Press; 1966. p. 55-7.
3. M. Araya, F. Pizarro, M. Olivares, M. Arredondo, M. González, and M. Méndez, "Understanding copper homeostasis in humans and copper effects on health," *Biological Research*, vol. 39, no. 1, 2006. pp. 183-187.
4. Turnlund JR. Human whole-body copper metabolism. *Am J Clin Nutr* 1998;67 5 Suppl:960S-4
5. Turnlund JR, Jacob RA, Keen CL, Strain JJ, Kelley DS, Domek JM, *et al*. Long-term high copper intake: Effects on indexes of copper status, antioxidant status, and immune function in young men. *Am J Clin Nutr* 2004;79:1037-44.
6. Shetty SR, Babu S, Kumari S, Shetty P, Hegde S, Karikal A. Role of serum trace elements in oral precancerous and oral cancer - A biochemical study. *J Cancer Res Treat* 2013;1:1-3
7. C. C. Pfeiffer and E. R. Braverman, "Zinc, the brain and behavior," *Biological Psychiatry* 1982 vol. 17, no. 4, pp. 513-532.
8. Satyanarayana U, Chakrapani U. *Essentials of Biochemistry*. 2nd ed. Kolkata: Arunabha Sen Book and Allied (P) Ltd.; 2008. p. 210-2
9. Franklin RB, Costello LC. Zinc as an anti-tumor agent in prostate cancer and in other cancers. *Arch Biochem Biophys* 2007;463:211-7.
10. Tuormaa TE. Adverse effects of zinc deficiency: A review from the literature. *J Orthomol Med* 1995;10:149-64.
11. Das M, Das R. Need of education and awareness towards zinc supplementation: A review. *Int J Nutr Metab* 2012;4:45-50
12. D. M. Vasudevan and S. Sreekumari, *Text Book of Biochemistry for Medical Students*, Jaypee, New Delhi, India, 2007 5th edition.

13. Vasudevan DM, Sreekumari S. Text Book of Biochemistry for Medical Students. 5th ed. New Delhi: Jaypee Publication; 2007. p. 76-9
14. Lieu PT, Heiskala M, Peterson PA, Yang Y. The roles of iron in health and disease. *Mol Aspects Med* 2001;22:1-87.
15. Anand T, Rahi M, Sharma P, Ingle GK. Issues in prevention of iron deficiency anemia in India. *Nutrition* 2014;30:764-70.
16. Boulton J, Roberts K, Brookes MJ, Hughes S, Bury JP, Cross SS, *et al.* Overexpression of cellular iron import proteins is associated with malignant progression of esophageal adenocarcinoma. *Clin Cancer Res* 2008;14:379-87.
17. Cefalu WT, Hu FB. Role of chromium in human health and in diabetes. *Diabetes Care* 2004;27:2741-51.
18. Z. Krejpcio, "Essentiality of chromium for human nutrition and health," *Polish Journal of Environmental Studies* vol. 10, no, 2001. 6, pp. 399-404.
19. Dayan AD, Paine AJ. Mechanisms of chromium toxicity, carcinogenicity and allergenicity: Review of the literature from 1985 to 2000. *Hum Exp Toxicol* 2001;20:439-51.
20. N. A. Taylor and T. S. Marks, "Food and nutrition board recommended daily allowances," *Journal of Human Nutrition and Dietetics* 1974 vol. 32, pp. 165-177.
21. Yamagata N, Murata S, Torii T. The cobalt content of human body. *J Radiat Res* 1962;3:4-8
22. Taylor NA, Marks TS. Food and nutrition board recommended daily allowances. *J Hum Nutr* 1974;32:165-77.
23. Burch RE, Hahn HK, Sullivan JF. Newer aspects of the roles of zinc, manganese, and copper in human nutrition. *Clin Chem* 1975;21:501-20.
24. Rehnberg GL, Hein JF, Carter SD, Linko RS, Laskey JW. Chronic ingestion of Mn₃O₄ by rats: Tissue accumulation and distribution of manganese in two generations. *J Toxicol Environ Health* 1982;9:175-88.
25. Kaminsky LS, Mahoney MC, Leach J, Melius J, Miller MJ. Fluoride: Benefits and risks of exposure. *Crit Rev Oral Biol Med* 1990;1:261-81.
26. Mellberg JR, Ripa LW. Fluoride Metabolism. Fluorides in Preventive Dentistry - Theory and Clinical Applications. Chicago: Quintessence Publishing Co. Limited; 1983. p. 81-102.
27. Navia JM. Effect of minerals on dental caries. *Adv Chem* 1970;94:123-60.
28. Khanna S. Immunological and biochemical markers in oral carcinogenesis: The public health perspective. *Int J Environ Res Public Health* 2008;5:418-22.

Table 1- Functions of Trace Elements and Symptoms of Their Deficiency and Excess States

Trace element	Enzymes containing the elements and active forms	Physiological functions	Symptoms of deficiency state	Symptoms of excess state
Zinc	Carbonic anhydrase Peptidase Alcohol dehydrogenase Alkaline phosphatase Polymerase Zinc finger etc.	Protein metabolism Lipid metabolism Carbohydrate metabolism Bone metabolism	Major symptoms: Gradually exacerbating eruptions, first affecting the face and perineum Associated symptoms: Stomatitis, glossitis, alopecia, nail changes, abdominal symptoms (diarrhea, vomiting), fever Delayed wound healing, dwarfism Growth retardation, negative N balance, Immunosuppression, Mental symptoms (depression), Taste disorder, anorexia	Acute: Relative Fe-Cu deficiency, nausea, vomiting, abdominal pain, melena, hyperamylasemia, somnolence, hypotension, lung edema, diarrhea, jaundice, oliguria Chronic: Reduced reproductive function, dwarfism, taste disorder, hyposmia, anemia
Copper	Ceruloplasmin Monoamine oxidase Cytochrome oxidase Ascorbic acid oxidase Dopamine β -hydroxylase Superoxide dismutase etc.	Hemopoiesis Bone metabolism Connective tissue metabolism	Anemia Leukopenia Neutropenia Disturbed maturation of myeloleukocytes Bone changes (children): Reduced osseous age, irregular/spurring metaphysis, bone radiolucency, bone cortex thinning	Nausea, vomiting, heartburn, diarrhea, jaundice, hemoglobinuria, hematuria, oliguria, anuria, hypotension, coma, melena
Chromium	Glucose tolerance factor	Carbohydrate metabolism Cholesterol metabolism Connective tissue metabolism Protein metabolism	Abnormal glucose tolerance Reduced respiratory quotient Weight loss Peripheral neuropathy Increased serum free fatty acids Abnormal nitrogen balance Metabolic consciousness Disturbance	Nausea, vomiting, peptic ulcer, CNS disorder, Liver/kidney dysfunction, growth retardation
Manganese	Arginase Pyruvate carboxylase Superoxide dismutase Glycosyltransferase	Bone metabolism Carbohydrate metabolism Lipid metabolism Reproduction Immunity	Reduced serum cholesterol Reduced coagulation Hair reddening Dermatitis (miliaria crystallina) Growth retardation Increased radiolucency at the epiphyses of long bones	Parkinsonian syndrome Early chronic: Impotence, loss of vigor, somnolence, anorexia, edema, myalgia, headache, excitation, fatigue Advanced stage: Extrapyrmidal disorder
Molybdenum	Xanthine oxidase Xanthine dehydrogenase Aldehyde oxidase Nitrous acid oxidase	Amino acid metabolism Uric acid metabolism Sulfuric acid/sulfurous acid metabolism	Tachycardia Polypnea Night blindness Scotoma Irritability Somnolence Disorientation Coma	Hyperuricemia, gout
Cobalt	Vitamin B ₁₂	Hemopoiesis	Pernicious anemia Methylmalonic academia	Cobalt poisoning
Iodine	Thyroid hormone	Tissue metabolism	Goiter, hypothyroidism	Goiter, hypothyroidism

कौशल विकास: सफलता की कुंजी

डॉ. आलोक कुमार यादव *

प्रस्तावना – एक कलाकृति हमारे मन को मोह लेती है या किसी लिखावट को देखकर हम खो जाते हैं या किसी सुंदर तस्वीर से हम आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन कार्यों को उत्तमता, प्रवीणता और कुशलता के साथ पूर्ण किया गया है। हमें सटीक कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी कार्य को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक कार्य को कुशल तरीके से करना चाहिए। मूर्तिकला, चित्रकला, या किसी आलेख या पत्र को तैयार करते समय कला के काम को अद्भुत बनाने के लिए सतर्कता और कुशल तरीके से कार्य करना चाहिए। हमारे व्यावहारिक जीवन में अक्सर ऐसे अनुभव होते हैं।

कौशल, अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएँ हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की जरूरतों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है।

परिभाषा: कौशल को क्रियाओं की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। कौशल क्रियाओं की सुव्यवस्थित श्रृंखला है जिसके द्वारा हम अपने अंतिम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुँच सकते हैं। कौशल प्राप्त करने का अर्थ है कार्य को सटीकता, निरंतरता और लचीलेपन के साथ करना, तभी यह कहा जाता है कि व्यक्ति के पास वह विशेष कौशल है।

गुण:

1. कौशल एक व्यक्ति को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने में सहायता करता है जिससे वह समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य सिद्ध होता है।
2. कौशल का विकास या निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है।
3. निरंतर अभ्यास के माध्यम से किसी भी कौशल को प्राप्त किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कोई कौशल प्राप्त नहीं कर सकता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
5. कौशल व्यक्ति को अच्छी आदतें, अच्छी आत्मीयता और सही आदर्श विकसित करने में मदद करते हैं।
6. कौशल एक व्यक्ति को सटीकता के साथ त्वरित कार्य सम्पादित करने में सहायता करता है।
7. कौशल विशिष्ट व्यवहार प्रणाली विकसित करने में सहायक होता है। विशिष्ट आदतें विकसित करना महत्वपूर्ण है।

विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की आवश्यकता होती है: -

1. **स्वास्थ्य में सुधार के लिए:** कौशल हासिल करने के प्रयास में,

मानसिक भागीदारी के साथ-साथ व्यवस्थित और सुनियोजित शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, विचारपूर्वक कार्य करने पर स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होते हैं। मानसिक और शारीरिक विकास का अनुभव होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये क्षमताएं लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. **अतिरिक्त उर्जा का प्रबंधन :** विद्यार्थियों के खाली समय का प्रबंधन करने में कौशल विकास महत्वपूर्ण सिद्ध होता है जिससे वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को प्रबंधित करने में सफल हो सकते हैं।
3. **व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए:** कौशल के द्वारा एक अच्छी शारीरिक भाषा विकसित करने में सहायता मिलती है। कौशल के कारण अनावश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं जिससे थकान कम हो जाती है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण व्यावसायिक कौशल सीखने की परम आवश्यकता है।
4. **अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए:** आवश्यक कौशल सेट प्राप्त करने के लिए नियमों के कुछ सेटों का पालन करना सीखना चाहिए। विद्यार्थी सही-गलत की पहचान करना सीखते हैं। विद्यार्थी खेलकूद तथा अन्य शारीरिक व्यायामों से अच्छी आदतों का विकास करते हैं।
5. **समस्या समाधान क्षमताओं का विकास करना:** कौशल में पारंगत विद्यार्थी अपने जीवन की किसी भी समस्या का सामना करने और उन्हें दूर करने की क्षमता अपने आप विकसित कर लेते हैं।
6. **सामाजिक स्वीकृति:** जब कोई विद्यार्थी कुशल होता है, तो उसकी प्रशंसा की जाती है, इससे वे कौशल विकसित करने की दिशा में काम करते हैं और इस प्रकार समाज से स्वीकृति प्राप्त करते हैं। सामाजिक स्वीकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि आज के खिलाड़ी और गायक लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं।
7. **कार्य संस्कृति के महत्व को समझना:** किसी विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा व्यक्ति को कड़ी मेहनत के महत्व को समझाती है। इस प्रकार कार्य संस्कृति के महत्व को समझ कर ही जान पाते हैं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता।

कौशल विकास के उपाय:

1. मशीन, कोडिंग या व्याकरण संबंधी कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों को अन्य मशीन, कोडिंग और भाषाओं के व्याकरण से संबंधित अद्यतन होना चाहिए।

2. विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक को शिक्षण में इंटरैक्टिव प्रश्न उत्तर का उपयोग करना चाहिए। फिटिंग, इंस्टालेशन, असेम्बलिंग या कोर्डिंग आदि पर कक्षा में ही चर्चा होनी चाहिए।
3. कौशल से सम्बन्धित विभिन्न प्रचलित स्थानीय और अंग्रेजी शब्दावलियों से विद्यार्थियों को परिचित कराते रहना चाहिए ।
4. विद्यार्थियों को फिटिंग, इंस्टालेशन, असेम्बलिंग या कोर्डिंग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निराकरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने से कौशल निर्माण में सुधार करने में सहायता मिलती है। गलत निराकरण को सुधारना और सही निराकरण दिए जाने पर उनकी प्रशंसा करना आवश्यक है।
5. विद्यार्थियों को सम्बन्धित कौशल में दक्ष करने के लिए विभिन्न प्रयोग सिखाया जाना चाहिए और अभ्यास कराया जाना चाहिए।
6. विद्यार्थियों को सम्बन्धित कौशल के विभिन्न शब्द के अलग-अलग अर्थ और उनके प्रायोगिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
7. विद्यार्थियों के कौशल में सुधार करने के लिए उन्हें छोटे-छोटे असाइनमेंट दिए जाने चाहिए और उन्हें एक निश्चित समय सीमा से पूर्व करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
8. विद्यार्थियों में उत्कृष्ट कौशल विकसित करने के लिए, शिक्षक को सम्बन्धित विषयों पर लेखन कौशल, वृत्तव्य कौशल, श्रवण कौशल, और कला से संबंधित कौशल आधारित परियोजनाएं देनी चाहिए।
कौशल विकास सफलता की कुंजी है। कौशल विकास गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न जटिल परिस्थितियों का सामना करके विद्यार्थीगण आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। वे अपनी छिपी क्षमता की खोज करते हैं और इस प्रकार सफल जीवन का मार्ग सीखते हैं। कौशल द्वारा व्यक्तिगत विकास

होता है, कौशल विकास किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की दक्षता को बढ़ाता है। अतः पेशेवर नेटवर्क, बेहतर संचार, समय प्रबंधन और सम्प्रेषण कौशल बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। कौशल द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा का पोषण किया जा सकता है। कौशल एक ऐसी चीज है जिसे सीखकर हासिल किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण विद्यार्थियों को वांछित क्षेत्र में अपनी जन्मजात प्रतिभा को पहचानने, प्रशिक्षित करने और पोषित करने में मदद करता है। भारत के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बेरोजगारी है, इसलिए कौशल विकास द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक बुनियादी कौशल से संसाधित करने और उनके करियर की दिशा में एक अच्छी दिशा देने में सहायता की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kaushik V.K and Sharma S.R, Encyclopedia and Education learning and teaching Technology (Volume 8): Fundamental and Psychology.
2. M. Roblyer, Joan Hughes Integrating Educational Technology Into Teaching Transforming Learning Across Disciplines, with Revel — Access Card Package, 2018.
3. Bridget Somekh, Niki Davis, Using Information Technology Effectively in Teaching and Learning, 1997
4. खरात आ.पा , प्रगत शैक्षणिक मानशास्त्र विद्या प्रकाशन, 1998
5. मंगल एस के., मंगल शुभा, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, पीएचआई लर्निंग प्राई. लि. 1998.
6. डॉ. मुहमद सुलेमान, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर प्रा. लि. 2007.

बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन

डॉ. सतीश पाल सिंह*

प्रस्तावना - छात्र राष्ट्र और समाज की भावी सम्पत्ति होते हैं। उनके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया शिक्षण पर निर्भर करती है। शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रमुख संचालक के रूप में शिक्षक का स्थान अवश्य ही केन्द्रीय होता है। वह न केवल अपने मौखिक शब्दों द्वारा वरन् अपनी रूचि-अरूचि, आचार-विचार, रहन-सहन और अन्य मानवीय तत्वों द्वारा छात्रों पर गहन प्रभाव डालता है। सत्य कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों पर प्रभाव डालने वाला शिक्षक के समान कोई दूसरा तत्व नहीं है। अतः किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, क्योंकि बालकों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम होती है। प्राचीन काल में अध्यापन को या शिक्षण को एक सेवा के रूप में देखा जाता था। जब ज्ञान दान को एक पवित्र और सामाजिक हित के कार्य के रूप में स्वीकृत किया जाता था। धीरे-धीरे शिक्षण कार्य एक व्यवसाय का रूप लेता गया और शिक्षक वेतन लेकर उसके एवज में ज्ञान देने का कार्य करने लगे। यू०जी०सी० ने भी इस दिशा में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। एक व्यवसाय की निम्न विशेषतायें होती हैं:-

आधुनिक काल में शिक्षण कार्य लगभग एक व्यवसाय का रूप ले चुका है यू०जी०सी० ने भी इस सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है एक व्यवसाय की निम्न विशेषतायें होती हैं।

1. दीर्घकालीन शिक्षा प्रशिक्षण और कार्यानुभव की लम्बी अवधि।
2. व्यक्ति या समाज की किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति से सम्बन्धित होना।
3. सामाजिक प्रतिबद्धता
4. सेवा के लिए उचित फीस लेने का अधिकार
5. वृत्तिक आचरण संहिता का होना।
6. एक वृत्तिक संघ का होना।
7. स्वायत्ता और स्वः नियमन।

शिक्षक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता - साधारणतः समाज में जिसका अभाव होता है उसकी चर्चा अधिक होती है। प्रत्येक व्यवसाय में व्यक्तियों में प्रतिबद्धता का अभाव प्रतीत हो रहा है और इससे शिक्षण का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया है।

अध्यापक की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के बारे में जानने से पूर्व एक अध्यापक के लिए प्रतिबद्धता का क्षेत्रों को जानना आवश्यक है। इस श्रेणी में पांच प्रमुख प्रतिबद्धता के क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गयी है। जैसे- अधिगमकर्ता, समाज, आजीविका, उत्कृष्टता तथा मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता।

1. **अधिगमकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता** - अध्यापक के चरित्र और

व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य ही छात्रों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। अधिगम अभिवृत्ति का निर्माण विद्यालय में होता है और यह तभी सम्भव है जब अधिगमकर्ता को यह प्रतीत हो कि अधिगम एक कष्टकारी अनुभव न होकर आनन्ददायक एवं उपयोगी अनुभव है। अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्ध अध्यापक ही अधिगम को सरल एवं रोचक बना सकता है।

2. समाज के प्रति प्रतिबद्धता - जिस प्रकार अधिगमकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता से अध्यापक उनमें प्रशंसित हो सकते हैं वैसे ही समाज के प्रति प्रतिबद्धता के प्रदर्शन से वे समाज और समुदाय के लोगों के द्वारा सम्मानित भी हो सकते हैं। साक्षरता सहयोग, जागरूकता विकास, प्रोत्साहन और अधिगम समर्थन तथा सामाजिक सहभागिता आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वे समाज के प्रति स्वप्रतिबद्धता को दिखाते हुये आदरणीय बन सकते हैं।

3. आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता - यदि एक अध्यापक अपनी आजीविका के प्रति गर्व का अनुभव करने वाला हो तथा आजीविकागत विकास के लिए आग्रही हो तो अवश्य ही इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे सकता है। प्रायः बेरोजगारी के कारण अध्यापन को आजीविका के रूप में ग्रहण करने की बाध्यता की स्थिति में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है यदि वह अपने आप को वास्तविक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है, तो प्रतिबद्धता की कमी सम्भव है। किन्तु एक प्रतिबद्ध अध्यापक अवश्य ही अपनी आजीविकागत नैतिकता और कर्तव्य का अनुपालन करता है चाहे उसे सामाजिक प्रतिदान मिले या न मिले।

4. आजीविकागत क्रियाकलाप में उत्कृष्टता की प्राप्ति सम्बन्धी प्रतिबद्धता - उत्कृष्टता के प्रति हार्दिक प्रतिबद्धता के रूप में इस क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट किया जा सकता है। आजीविकागत क्रिया कलापों में उत्कृष्टता की चाहत ही एक प्रतिबद्ध अध्यापक को समाज में स्थापित करने में सक्षम हो सकती है। उत्कृष्टता से तात्पर्य है कि अपने व्यवसाय में सर्वोत्तम करने की चाह से है।

5. मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता - यह भी एक अति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता क्षेत्र है क्योंकि आज जीवन तथा समाज में सर्वत्र मूल्यों का क्षरण एवं ह्रास होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक अध्यापक की नैतिक मूल्यों की प्रतिबद्धता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वे ज्ञानतः व अज्ञानतः भी अनुकरण के माध्यम से अपने व्यवहार को मूल्यपरक बनाने में सक्षम हो सकते हैं ताकि आगे चलकर वो अवश्य ही अपने छात्र/छात्राओं को भी इस दिशा में दिशा निर्देश प्रदान कर सकें।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर हम एक अध्यापक के प्रतिबद्धता के क्षेत्र का आंकलन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक

अध्यापक की अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता को निम्नलिखित पांच बातों के द्वारा चिन्हित कर सकते हैं:-

1. एक वृत्तिमान के रूप में एक अध्यापक अपने वृत्तिक विकास को सर्वोच्च वरीयता देता है।
2. वह शिक्षण के प्रति तथा अधिगम के प्रति उत्साही एवं प्रेरित रहता है।
3. वह अपने विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति एवं दृष्टि रखता है।
4. वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों, कमजोरियों, अर्न्तनिहित क्षमताओं और परिस्थितियों को समझता है। इस प्रकार वर्णित क्षेत्र और प्रतिबद्धता के लिये आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में एक अध्यापक के लिये अपने कार्य और शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता परमावश्यक हो गई है जिसके अभाव में शिक्षक अपनी कर्तव्यनिष्ठा से विमुख हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों व कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे।

अध्ययन की आवश्यकता - मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। वह सदैव आगे बढ़ना चाहता है तथा उँचा उठना चाहता है। वह अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। पहले बालक परिवार के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है औपचारिक शिक्षा ही आगे चलकर व्यक्ति की प्रगति का आधार बनती है। व्यक्ति के साथ-साथ समुदाय, देश व समाज की प्रगति का आधार बनती है।

प्रगति का यह कार्य तभी सम्भव है जब शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च) पर प्रभावी तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाये। प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है।

वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि बी०एड० शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता अच्छी नहीं हैं, उनमें शिक्षण कार्य के प्रति रूचि ही नहीं है इसके अनेक कारण हैं। जैसे- जो भी शिक्षक है उनमें केवल सरकारी नौकरी का लालच, अन्य व्यवसाय में सफलता न मिल पाने के कारण शिक्षण व्यवसाय का चयन करना। कभी-कभी कुछ व्यक्ति उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणवश प्राथमिक स्तर के ही शिक्षक बन रहे जाते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी के लालच में ही प्राथमिक स्तर के शिक्षण व्यवसाय को अपना लेते हैं। इन सब कारणों से शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति सम्पूर्ण न्याय नहीं कर पाते अर्थात् ऐसे शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रख पाते। शिक्षण प्रतिबद्धता को कम करने के ये अनेक कारण सामान्य निरीक्षण द्वारा देखने को मिलते हैं। सामान्य निरीक्षण के आधार पर शोधार्थिनी के समक्ष शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के प्रति कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए कि वर्तमान में बी०एड० शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का क्या स्तर है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिये शोधकर्ता ने बी०एड० शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता को शोध के लिए आवश्यक समझा तथा अधोलिखित समस्या का चयन किया।

समस्या कथन - बी०एड० शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन

समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

बी०एड० शिक्षक - बी०एड० शिक्षकों से आशय ऐसे प्रशिक्षकों से है जो बी०एड० कक्षा को पढ़ाने हेतु यू०जी०सी तथा एन०सी०टी०ई० की अहर्दता

पूर्ण करते हैं तथा नियमानुसार नियुक्त किये गये हैं।

व्यवसायिक प्रतिबद्धता-सामान्यता: व्यवसायिक प्रतिबद्धता से तात्पर्य अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण सत्यता के साथ करने से है

प्रस्तुत शोध के संदर्भ में शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता से तात्पर्य शिक्षक की अधिगमकर्ताओं के प्रति, समाज के प्रति, आजीविका के प्रति, उत्कृष्टता प्राप्ति के प्रति तथा मूलभूत मूल्यों के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण सत्यता के साथ करने से है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन।
2. बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के विभिन्न 5 धटकों का अध्ययन।

शोध परिकल्पनाएं - बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के विभिन्न 5 धटकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध का सीमांकन - प्रस्तुत शोध केवल बागपत जनपद के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों पर ही सीमित था।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श- प्रस्तुत शोध अध्ययन में बागपत जनपद के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक शोध की जनसंख्या है। न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया न्यादर्श हेतु बागपत जनपद के 5 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वाले 50 अध्यापक को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण प्रस्तुत व्यवसायिक प्रतिबद्धता मापनी हेतु डा० विशाल सूद तथा आनन्द (2010) द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण किया गया है। जिसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बी०एड० शिक्षकों प्रशिक्षकों पर किये गये शोध के परिणाम के आधार पर बनाया।

प्रदत्तों का संकलन- न्यादर्श के रूप में लिये गये अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशित करने के उपरान्त से व्यवसायिक प्रतिबद्धता मापनी को उपकरण भरवा कर आंकड़ों को एकत्रित किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी - प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यमान, मानक विचलन जेड प्राप्तांक

सारणी संख्या - 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 1 में बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का विश्लेषण किया गया जिसमें प्रतिबद्धता के कारक अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता, समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता, उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति प्रतिबद्धता तथा आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का बी०एड० प्रशिक्षकों के आधार पर व्यवसायिक प्रतिबद्धता का औसत प्राप्तांक ज्ञात किया गया जो क्रमशः 59.72, 59.74., 57.14, 60.76, 51.46, है

जिनका जेड प्रामांक क्रमशः -.01, +.72, +.35, +.34, +1.53 प्राप्त हुआ, जिसे मानक परिणाम सारणी के अनुसार जेड-प्रामांको के आधार पर अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता अत्यधिक निम्न स्तर, व्यवसाय के प्रति तथा उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति प्रतिबद्धता औसत स्तर की तथा समाज के प्रति प्रतिबद्धता औसत से उपर स्तर को दर्शाता है जबकि आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के उच्च स्तर को दर्शाता है। प्रतिबद्धता के सभी कारकों के योग के आधार पर औसत प्रामांक का मान 289.5 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर Z-प्रामांक +1.14 को दर्शाता है जो प्रतिबद्धता के औसत से उपर प्रतिबद्धता स्तर को दर्शाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि बी0एड0 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता अत्यधिक निम्न स्तर की, व्यवसाय तथा उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति औसत, समाज के प्रति औसत से उपर तथा आधार मूल्यों के प्रति उच्च प्रतिबद्धता पायी जाती है। अर्थात् बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की औसत से उपर व्यवसायिक प्रतिबद्धता पायी जाती है।

सारणी संख्या -2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 2 के माध्यम से उद्देश्य 2 एवं परिकल्पना 2 बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया जिसमें व्यवसायिक प्रतिबद्धता के 5 कारक क्रमशः अधिगमकर्ता के प्रति, समाज के प्रति व्यवसाय के प्रति, उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति तथा आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में पुरुष एवं महिला शिक्षकों के औसत प्रामांक पुरुष क्रमशः 61.16, 59.4, 57.5, 60.7, 51.8 तथा महिला क्रमशः 58.5, 60.04, 56.7, 60.8, 51.12 जिनके प्रमाणिक विचलन के आधार पर प्रमाणिक विचलन त्रुटि क्रमशः 1.29, .74, 1.19, 1.09, 1.4 प्राप्त हुई, जिसके आधार पर T का गणनात्मक मान क्रमशः 2.06, .86, .67, .09, .485 प्राप्त हुआ जो स्वतन्त्रता अंश 48 सार्थकता स्तर (.05) के सारणी मान (2.02) के अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता का T-प्रामांक (2.06) से सभी T-प्रामांक सारणी मान से कम है अर्थात् अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता कारक में पुरुष एवं महिला के मध्य 95% विश्वास पर सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात् बी0एड0 पुरुष महिला प्रशिक्षकों के व्यवसायिक प्रतिबद्धता का T-प्रामांक (.16) जो सारणी मान से कम है के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँची कि बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पुरुष तथा महिला प्रशिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :

1. बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों ने प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता अत्यधिक निम्न स्तर, व्यवसाय के प्रति, उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति प्रतिबद्धता औसत स्तर की तथा समाज के प्रति प्रतिबद्धता औसत से उपर स्तर की रही जबकि आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उच्च स्तर की रही। इस समूह के शिक्षकों की सम्पूर्ण व्यवसायिक प्रतिबद्धता औसत से उपर स्तर की पायी गयी।

2. बी0एड0 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पाया गया कि बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने पुरुष तथा महिला शिक्षकों के मध्य व्यवसायिक प्रतिबद्धता के कारक अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता के कारक अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबन्ता में 95% विश्वास पर सार्थक अन्तर पाया गया। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक प्रतिबद्धता के अन्य किसी कारक के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया साथ ही उपरोक्त दोनों समूहों की सम्पूर्ण व्यवसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. शर्मा आर0ए0(2006) शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व व शोध प्रक्रिया, मेरठ आर0 लाल बुक डिपो
2. सिंह बी0वी0 एवं अहुजा सुधा (2006) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, मेरठ, आर0 लाल बुक डिपो
3. त्रिवेदी राकेश (2006) भारतीय शिक्षा का इतिहास नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन्स।
4. अग्रवाल डी0पी0 (1985) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर।
5. भटनागर ए0बी0 (1992) मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेरठ सूर्या पब्लिकेशन्स।
6. कपिल एच0के0 (1995) अनुसन्धान विधियाँ, आगरा हर प्रसाद भार्गव बुक हाउस।
7. सरोना आर0एन0 एवं मिश्रा वी0के0 (1998) अध्यापक शिक्षा, मेरठ सूर्या पब्लिकेशन्स।
8. जोशी, दिनेश चन्द्र एवं मेहता, चतर सिंह (2008) शिक्षक प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं, जयपुर (राजस्थान), हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
9. सिंह, एस0पी0 (2008) सांख्यिकी, नई दिल्ली, एस0चन्द एण्ड कम्पनी लि।
10. अग्रवाल जे0सी0 (2009) शिक्षण शास्त्र के मूल तत्व, मेरठ आर0 लाल बुक डिपो।
11. दुबे, सत्यनारायण (2009) अध्यापक शिक्षा, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
12. सिंह पुष्पेन्द्र (2007) शिक्षण कला नई दिल्ली, विश्व भारती पब्लिकेशन्स।
13. शर्मा आर0ए0 (2007) अध्यापक शिक्षा मेरठ, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
14. सिन्हा स्मृति (2007) शिक्षण तकनीकी नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन्स।
15. गुप्ता, एस0पी0 (2010) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
16. कौल, लोकेश (2010) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।
17. भट्टाचार्य, जी0सी0(2010) अध्यापक शिक्षा, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।

सारणी संख्या – 1 बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता मापनी पर प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमान औसत प्राप्तांक का अन्य प्राप्तांक से विचलन तथा जेड प्राप्तांक

व्यवसायिक प्रतिबद्धता के कारक	शिक्षकों की संख्या	व्यवसायिक प्रतिबद्धता के औसत प्राप्तांक	औसत प्राप्तांक का अन्य प्राप्तांक से विचलन	प्राप्तांक	परिणाम
अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता	50	59.72	4.48	-.01	अत्यधिक निम्न प्रतिबद्धता
समाज के प्रति प्रतिबद्धता	50	59.74	2.64	+.72	औसत से उपर प्रतिबद्धता
व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता	50	57.14	4.17	+.35	औसत प्रतिबद्धता
उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति प्रतिबद्धता	50	60.76	3.80	+.34	औसत प्रतिबद्धता
आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता	50	51.46	6.12	+1.53	उच्च प्रतिबद्धता
योग	50	289.52	16.31	+1.14	औसत से उपर प्रतिबद्धता

सारणी संख्या – 2 बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने पुरुष तथा महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता मापनी पर प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमान औसत प्राप्तांक का अन्य प्राप्तांक से विचलन तथा जेड प्राप्तांक

व्यवसायिक प्रतिबद्धता के कारक	शिक्षकों की संख्या तथा लिंग	औसत प्राप्तांक	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	T-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
अधिगमकर्ता के प्रति प्रतिबद्धता	पुरुष (25)	61.16	1.29	2.06	हां
	महिला (25)	58.5			
समाज के प्रति प्रतिबद्धता	पुरुष (25)	59.4	.743	.86	नहीं
	महिला (25)	60.04			
व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता	पुरुष (25)	57.5	1.19	.67	नहीं
	महिला (25)	56.7			
उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धि के प्रति प्रतिबद्धता	पुरुष (25)	60.7	1.09	.09	नहीं
	महिला (25)	60.8			
आधार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता	पुरुष (25)	51.8	1.4	.485	नहीं
	महिला (25)	51.12			
योग	पुरुष (25)	289.9	4.61	.16	नहीं
	महिला (25)	289.16			

df=48 05 सारणीमान (2.02) .01 सारणीमान (2.69)

भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की वैचारिक समीक्षा

डॉ. हरिचरण मीना*

शोध सारांश – भारत में विशिष्ट वर्ग पर ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के प्रभाव था। भारत में सदियों पुरानी एक प्रतिष्ठित साहित्यिक परंपरा थी। संस्कृत का ज्ञान विशिष्ट वर्ग की पहचान थी। किंतु भक्ति काल (लगभग उन्नीसवीं शताब्दी से) के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तरीय साहित्य का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक रचना करने की प्रेरणा जिन भक्त कवियों ने दी, या तो वे स्वयं रचनाकार थे या फिर उनके उपदेशों ने साहित्यिक रचनाओं को प्रभावित किया। इस संदर्भ में तुलसीदास (अवधी), सूरदास (ब्रज) कबीर (हिंदी के मिश्रित रूप), शंकरदेव (असमी), चैतन्य महाप्रभु (बंगाली), नामदेव और तुकाराम (मराठी), नरसी मेहता (गुजराती), पुरंदरदास (कन्नड़), नायनार और आलवार (तमिल) आदि कई अन्य नाम गिनाए जा सकते हैं। देश के अधिकांश भागों में भक्तजन मुख्य रूप से जनसाधारण के लिए सम्माननीय थे जबकि विशिष्ट वर्ग अब भी संस्कृत से जुड़ा हुआ था और उसे आदर्श साहित्यिक रूप मानता रहा। संस्कृत की रचनाओं के साथ साहित्यिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। उक्त अध्ययन में परम्परा और आधुनिकता की द्विविधा का भी विचार विमर्श करेंगे।

शब्द कुंजी – विशिष्ट, प्रतिष्ठित, विज्ञान और तकनीकी, परंपरा और आधुनिकता, रीति-रिवाजों, नैतिक मूल्यों तथा आदर्श, भौतिकवादी और धर्मनिरपेक्षता, त्याग और रहस्यवाद।

प्रस्तावना – भारत के अधिकांश भागों में भक्तजन मुख्य रूप से जनसाधारण के लिए सम्माननीय थे जबकि विशिष्ट वर्ग अब भी संस्कृत से जुड़ा हुआ था और उसे आदर्श साहित्यिक रूप मानता रहा। संस्कृत की रचनाओं के साथ साहित्यिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। यहां तक कि रवींद्रनाथ टैगोर को भी उस पारंपरिक बंगाली विशिष्ट वर्ग का सामना करना पड़ था। जिनकी मान्यता थी की संस्कृत भाषा बांग्ला भाषा से श्रेष्ठ है। लेकिन जब भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गई तो ये सारी धारणाएं बदल गईं। भारतीय विशिष्ट वर्ग ने तेजी से किन्तु आंशिक रूप में अंग्रेजी को अपना लिया। एडवर्ड शिल्स के अनुसार भारतीय विशिष्ट वर्ग द्वारा अंग्रेजी को अपना लेने के बावजूद भी संस्कृत पर आधारित ब्राह्मणवादी परंपरा के प्रति उनका मोह बना रहा। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किए हुए आधुनिक विशिष्ट वर्ग की विज्ञान और तकनीकी की अपेक्षा साहित्यिक और मानवादी परंपराओं में अधिक रूचि थी। विशिष्ट वर्ग पर दृढ़ता संस्कृत की पकड़ के कारण ही थी।

परंपरा और आधुनिकता के बीच द्विविधा – कुल मिलाकर भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में परंपरा और आधुनिकता के बीच द्विविधा स्थिति आ गयी थी। परंपरा का अर्थ है पुराने रीति-रिवाजों, नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों आदि का महत्व और आधुनिकता का संबंध तर्क संगति, स्वाधीनता और समानता जैसे पाश्चात्य आदर्शों के प्रभाव से है। परंपरा और आधुनिकता एकदम से विपरीतार्थ तो नहीं है किंतु कुछ विद्वानों ने इनका प्रयोग पुराने और नये मूल्यों के बीच अंतर दिखलाने के लिये किया गया है। अमेरिका में भारतीय कला के संग्रहालयाध्यक्ष और सामाजिक विचारक आनंद कुमारस्वामी ने आधुनिकता और परंपरा के इन पारंपरिक अर्थों को अस्वीकृत किया है।

परंपरा से उनका अर्थ भक्तिवादी प्रथाओं से बिल्कुल नहीं है। परंपरा से उनका मतलब उन आधारभूत मूल्यों से है जो पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए सामान्य है। इन विचारों के बारे में हम विस्तार विचार करेंगे। प्रतिष्ठित

समाजशास्त्री विनय कुमार सरकार का मत इसके बिल्कुल विपरीत था। उनके अनुसार भारत में परंपरा की जड़ धर्म और आध्यात्मिकता में है। उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्ष शक्ति को दर्शाने का प्रयास किया है फिर भी सरकार ने पूर्ण रूप से परंपरा को अस्वीकार नहीं किया है। मानव प्रगति के लिए वे भारतीय संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं का उपयोग करना चाहते थे।

विनय कुमार सरकार तर्कवादी थे वे इस मत से सहमत नहीं थे कि पश्चिमी दुनिया भौतिकवादी और पूर्व आध्यात्मवादी है। सरकार ने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में भौतिकवादी और धर्मनिरपेक्षता दोनों तत्व मौजूद थे। भारत के पिछले इतिहास को देखें तो यह पता चलता है कि भारतीय समाज की सकारात्मक भौतिकवादी दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। वे इस मत से सहमत नहीं थे भारत की संस्कृति रहस्यवादीया पारलौकिक है। भारत के सामंतवादी कृषि प्रधान अतीत से पूँजीवादी वर्तमान परिवर्तन का सरकार ने समर्थन किया है। उपनिवेशिक शासन ने भारत के एकाकीपन को समाप्त कर उसे विश्व की मुख्य धारा से जोड़ा। पूँजीवादी या बुर्जुआ संस्कृति इस युग की मुख्य शक्ति थी। भारत के तर्कसंगत आधार की खोज में विनय कुमार सरकार के विचार मैक्स वेबर के विचारों से मेल खाते हैं। वेबर ने पूँजीवादी का समाजशास्त्र विकसित किया, परंतु सरकार ने पूँजीवाद के राजनैतिक पक्ष पर जोर दिया जबकि वेबर ने अपना ध्यान नौकरशाही पर केंद्रित किया था।

विश्व के विकसित समाजों के समकक्ष आने के लिये भारत को आत्म विश्वास और संतुलन की आवश्यकता थी। सरकार स्वयं तो नास्तिक थे किन्तु उन्होंने भारत की धार्मिक परंपरा को कभी नहीं नकारा। उनके अनुसार भारत के धर्मों का भी एक धर्म निरपेक्ष आधार था। उदाहरण के लिए शिव, पार्वती या गणेश जैसे देवी-देवता, वास्तव में मनुष्य की ही परिकल्पनाएं थी। त्याग और रहस्यवाद पर बेहिसाब जोर देने वाली भारतीय परंपरा भारत को बदलते हुए समय के साथ नहीं चलने देगी। अतः भारत के शिक्षित वर्गों

के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने तर्क संगत और धर्मनिरपेक्ष अतीत को पुनर्जीवित करके स्वयं को एक शहरी औद्योगिक समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें इसलिये बिनय कुमार सरकार धार्मिक पुनर्जागरण के विरोधी थे।

पश्चिमी देशों का बुर्जुआ वर्ग अपने सामंती अतीत से छुटकारा पाने में सफल हो गया था। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप चर्च व उसके रहस्यवाद और त्याग का आधिपत्य समाज पर से जाता रहा। व्यक्ति अब समूह के दंत चक्र का अंग नहीं रहा। नये युग में उत्पादन की पद्धतियाँ ही नयी नहीं थी, बल्कि नई सामाजिक स्थितियों का भी उदय हुआ। यूरोप के औद्योगिक समाज में व्यक्तिवाद को प्रधानता मिली। व्यक्ति को कर्म और सफलता के लिये उद्यम और प्रेरणा की आवश्यकता थी इसलिये पुरानी सामूहिक अस्मिताओं को छोड़कर नये व्यक्तिवादी उद्देश्यों और आकांक्षों ने फलना फूलना शुरू किया।

यूरोप के मैकियावेली और हॉब्स जैसे राजनैतिक दार्शनिकों से विनय कुमार सरकार प्रभावित थे। मैकियावेली (चौदहवीं शताब्दी) ने आधुनिक पूँजीवाद के उदय के आरंभिक दिनों में अपना राजनैतिक दर्शन लिखा था। पूँजीवादी व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक उद्यमी आत्म विश्वासी और आर्थिक लाभ के प्रति अधिक आकृष्ट था। राजनैतिक शासकों के लिए उसके ये आदेश थे कि वे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अनवरत काम करें। सत्रहवीं शताब्दी के राजनैतिक दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया। मैकियावेली द्वारा चित्रित आत्मावलंबी व्यक्ति अब अपेक्षाकृत विकसित पूँजीवाद के लिए उपयुक्त नहीं था। क्योंकि पूँजीवादी में अधिक व्यवस्था और संतुलन की आवश्यकता थी। इसलिये मनुष्य को अपने स्वार्थी लक्ष्यों को त्याग कर एक सामाजिक अनुबंध में बंधकर समाज के नियमों के अनुसार रहना आवश्यक था। इस प्रकार वैयक्तिक उत्तोजना को नियंत्रण में रखा जा सकता था। सरकार का कहना था कि भारतीयों को अपनी रहस्यवादी प्रवृत्ति का त्याग करके पूँजीवादी व्यवस्था के लिए एक नये सामाजिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। बिनय कुमार सरकार की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं- पॉजिटिव बैकग्राउंड आफ हिंदू सोसायटी, 4 खंड और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड थ्योरीज, ऑफ हिंदूज थी। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे।

आनन्द कुमारस्वामी प्रारंभिक भारतीय सामाजिक विचारक थे जिनका भारतीय समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे एक आदर्शवादी विचारक थे अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर अच्छाई के महत्व आदि जैसे जीवन के भाववाची मूल्यों में विश्वास हो। इस संबंध में वे बिनय कुमार सरकार के बिल्कुल विपरीत थे। जो भारतीय समाज के भौतिक आधार को खोजना चाहते थे। इस शताब्दी के आरंभिक दो या तीन दशकों को पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। विवेकानंद, श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि जैसे गणमान्य व्यक्ति भी भारत की एक आदर्शवादी छवि प्रस्तुत करना चाहते थे। इन लोगों की मान्यता थी कि भारत की महानता उसकी आध्यात्मिकता में है। इस आध्यात्मिक आत्म को पुनर्जीवित कर भारत न केवल अपनी दरिद्रता और पिछड़ेपन पर विजय प्राप्त कर सकता है। बल्कि भौतिक लोभ और युद्ध तथा हिंसा से उत्पीड़ित पश्चिमी जगत को राहत पहुंचा सकता है।

आनन्द कुमारस्वामी ने भारत में कला विशेषकर स्थापत्य कला और वास्तुकला के विकास पर व्यापक रूप से शोध किया। उनके लिए भारतीय कला अपने असंख्य रूपों में न केवल सजावट और सौन्दर्य की वस्तु थी।

बल्कि उस के द्वारा भारत की उस मानसिकता को समझा जा सकता है जिस में सृष्टि की एकात्मकता या विविधता में एकता का संदेश हो। यह महान सभ्यता और संस्कृति के लिए स्थायी प्रमाण-पत्र था।

भारतीय कला ने मानवजाति के आदर्शों और मूल्यों को साकार किया। हमारे देश में जहां पर अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, कला ने शिक्षा के दृश्य माध्यम का काम किया। इसने जनसाधारण के लिए महाकाव्यों, पुराणों और दन्तकथाओं को शिलाओं, मिट्टी और संगमरमर पर चित्रित किया। इतना ही नहीं कला ने भारत के धार्मिक मूल्यों को संजोए रखा और सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों में भारत की एकरूपता को प्रस्तुत किया। इस तरह देखा जाए तो कठोर तथा कोमल, भयानक तथा मोहक, तर्कसंगत तथा सार्थक आदि विभिन्न पहलू भारतीय कलात्मक अनुभव के अटूट हिस्से रहे हैं।

कुमारस्वामी ने भारतीय कला के दर्शन की व्याख्या करते हुए कई किताबें लिखीं। मुख्य रूप से पश्चिम के देशों में, पुराने समय में भारत अपनी संस्कृति की रचनाओं द्वारा जाना जाता था। भारत की कला जोकि लगभग चार सहस्राब्दियों में विकसित हुई थी, उसके विषय में पश्चिम में एक बहुत ही धुंधली सी अस्पष्ट धारणा बनी हुई थी। कुमारस्वामी का मानना था कि भारतीय मूर्तिकला केवल मानवरूपी ही नहीं थी अपितु यह भारतीय आदर्शों का वास्तविक खजाना भी थी। शिवनटराज की मूर्तिकला की एक चरम उपबिधि ही नहीं है, बल्कि वह मुक्ति (स्वच्छंदता) का प्रतीक भी है। शिव का नृत्य नश्वरता के बंधनों के साथ ही मनुष्य की आत्मा को सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करता है।

कुमारस्वामी का यह मानना था कि भारतीय और यूरोपीय गोथिक कला में बहुत साम्य हैं। यद्यपि डब्ल्यू. बी. हैवल, पर्सी ब्राउन आदि लोगों ने भारतीय कला की तरह-तरह से व्याख्या की थी। लेकिन कुमारस्वामी ने पहली बार भारतीय कला का विस्तृत प्रस्तुत दर्शन किया।

कुमारस्वामी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच अंतर स्पष्ट किया। परंपरा के युग में सामूहिक जीवन और गुणात्मक उपलब्धियों का महत्व था। यह विशेषता पूर्व, मध्यपूर्व और पश्चिम के सभी देशों में पाई जाती थी। विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति ने परंपरा के इस युग को बदल दिया। इस नए युग में प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को भौतिवादी और स्वार्थी बना दिया। कुमारस्वामी ने विज्ञान और तकनीकी का विरोध तो नहीं किया लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि आधुनिक युग में में इनका दुरुपयोग हुआ। इस नई स्थिति ने मनुष्य को आक्रामक और स्वार्थी बना दिया और विभिन्न राष्ट्र युद्ध और हिंसा के द्वारा एक दूसरे को दबाने का प्रयास करने लगे।

पूर्व और पश्चिम की तुलना करते हुए उन्होंने भारत के आध्यात्म और मूल्यों को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यूरोपीय, चीनी और अरबी ग्रंथों में पाए जाने वाले रहस्यवाद की साम्यता पर विस्तार से लिखा। उनकी यह मान्यता थी कि पश्चिमी देशों की भौतिक उपलब्धियों ने पारंपरिक आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को दबा दिया था। इसलिए पश्चिम में पुनः आध्यात्मिकता को नवजीवन प्रदान करने में भारत प्रेरक साबित हो सकता था। विशिष्ट रूप से भारत पूरे एशिया का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि चीनी सभ्यता भी महान थी उसे बौद्ध धर्म ने महान स्वरूप प्रदान किया था जापान, थाइलैंड, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे एशियाई देशों का मार्गदर्शन भारतीय संस्कृति ने ही किया था। अंततः महत्वपूर्ण मुद्दा उन मूल्यों को प्रोत्साहित करना था जो मानवजाति की विरासत थीं।

उन्होंने लिखा कि भविष्य के चुने हुए लोग किसी एक राष्ट्र या जाति के नहीं होंगे बल्कि वे पूरे विश्व के अभिजात वर्ग के होंगे। उनमें यूरोपीय

क्रियात्मक ताकत और एशिया की वैचारिक स्वच्छता का मेल होगा। इसी संदर्भ में वे यह चाहते थे कि स्वाधीनता के लिये संघर्षरत भारतीय राष्ट्रवादी एक व्यापक दृष्टि अपनाएं। वे यह भी चाहते थे कि भारत के नवयुवक न केवल स्वतंत्र भारत की बल्कि एक बेहतर विश्व की भी कामना करें, जो तनाव और संघर्ष से मुक्त हो विकास के नाम पर पश्चिमी देशों की नकल करने वाले इन उभरते हुए नये राष्ट्रों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। भारतीय महिला को भारतीय संस्कृति के आधार पर ही अपना स्थान फिर से परिभाषित करना चाहिए। यदि वे पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हुई आधारभूत मूल्यों को त्याग दें तो वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी।

कुल मिलाकर उन्होंने पश्चिम को पूर्व या प्राच्य बना लेने की सलाह नहीं दी। वे दोनों का एकीकरण भी नहीं करना चाहते थे वे यह चाहते थे कि उन प्राथमिक सिद्धांतों या नैतिक मूल्यों को वे फिर से स्थापित करें जो मानवजीवन के आधार हैं। कुमारस्वामी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, द डांस ऑफ शिव और क्रिश्चियन एण्ड ओरियंटल फिलॉसॉफी ऑफ आर्ट।

जाने-माने समाजशास्त्री, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के राधाकमल मुकर्जी और मुंबई विश्वविद्यालय के जी. एस. घुर्ये, स्पष्ट रूप से संस्कृत परंपरा से प्रभावित थे।

उनकी दृष्टि में आधुनिकता वह साधन थी जो परंपरा को वर्तमान की जरूरतों के अनुरूप बदल सकती है। इनके विपरीत लखनऊ विश्वविद्यालय के ही जाने-माने समाजशास्त्री, डी.पी. मुकर्जी, आरंभ में मार्क्सवादी थे और कालांतर में उनके विचारों में अंतर आया। उनकी दृष्टि में परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष भी था और वे एक दूसरे के पूरक भी थे। लेकिन वे मार्क्सवादी आदर्श समाज की कल्पना से सहमत नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे आधुनिक भारत के निर्माण में परंपरा के महत्व को भी मानते थे। इन तीनों आरंभिक भारतीय समाजशास्त्रियों के भारतीय समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन उससे पहले हमें अंग्रेजी राज में भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में विचार करें। इसका भारतीय समाजशास्त्र के स्वरूप और विकास पर गहरा असर पड़ा। यह प्रभाव मुख्य रूप से ब्रिटेन में विकसित हुए समाजशास्त्र का था। इसके अतिरिक्त भारत के समाजशास्त्र पर अमेरिका तथा यूरोप के समाजशास्त्र का भी प्रभाव पड़ा। इसलिए उस समय में भारत की शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा के बारे में जानना भी श्रेयस्कर है।

भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा की रूपरेखा के बारे में संक्षेप में विवेचना करना उचित होगा उन्नीसवीं शताब्दी में कलकत्ता, मुंबई, और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बड़ीदा, मैसूर, हैदराबाद आदि रियासतों में आधुनिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गईं। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इस शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा शिक्षित वर्ग बनाना था जो अंग्रेजी हुकूमत को चलाने में सहायक सिद्ध हो। प्रशासन और न्यायतंत्र में केवल निम्न पदों पर ही सुशिक्षित भारतीयों की भर्ती होती थी।

कला और विज्ञान के क्षेत्रों में गिने-चुने विषय पढ़ाये जाते थे, जैसे अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,

वनस्पति विज्ञान और प्राणि-विज्ञान बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के बाद ही एक मुख्य विषय के रूप में समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा।

समाजशास्त्र का विकास इस कारण हुआ कि अंग्रेजी प्रशासकों को भारत के रीति-रिवाज, बोल-चाल के तरीके और सामाजिक संस्थाओं को समझना जरूरी था क्योंकि इससे प्रशासन चलाने में सुविधा होती। इसी कारण अंग्रेजी प्रशासकों ने आरंभ में ही भारतीय जनसमुदाय प्रजातियों और विभिन्न संस्कृतियों के विषय में व्यापक अध्ययन किये। इसमें से हर्बर्ट रिजले, हटन, विल्सन, लायल, बेंस इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं।

समाजशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ। उस समय के भारतीय शासन ने समाजशास्त्र पढ़ाने के लिये अनुदान दिया। उसी वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने लगे। 1919 में प्रतिष्ठित जीवविज्ञानी और नगर नियोजन विशेषज्ञ पैट्रिक गेडिस के नेतृत्व में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र का विभाग स्थापित किया गया।

1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कॉउंसिल ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंसिस में सर ब्रजेन्द्रनाथ सील ने समाजशास्त्र का विभाग स्थापित किया। उस समय सील मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक थे। भारत के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय को स्थापित करने में बी.एन. सील और मैसूर विश्वविद्यालय के ए. आर. वाडिया दोनों की सक्रिय भूमिका थी। कलकत्ता में राधाकमल मुकर्जी और बिनय कुमार सरकार समाजशास्त्र पढ़ाते थे। 1921 में राधाकमल मुकर्जी लखनऊ चले गए। लखनऊ भी कलकत्ता और मुंबई के बाद समाजशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। डी. पी. मुकर्जी (मार्क्सवादी समाजशास्त्री) और डी. एन. मजुमदार भी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं। इन सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के चिन्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. उमन टी. के. एंड मुकर्जी, पी. एन. 'इंडियन सोशियोलॉजी' : पापुलर प्रकाशन मुंबई (संपादित) 1986।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 'समाजशास्त्रीय सिद्धांत' : इन्डु नई दिल्ली 2003।
3. कुमारस्वामी.आनन्द, 'द डांस ऑफ शिव और क्रिश्चियन एण्ड ओरियंटल फिलॉसॉफी ऑफ आर्ट', (1974)।
4. सरकार, बिनय कुमार, 'पॉजिटिव बैकग्राउंड आफ हिंदू सोसायटी', 4 खंड 1937
5. सरकार, बिनय कुमार, 'पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड थ्योरीज, ऑफ हिंदूज', 1922
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 'भारतीय समाजशास्त्रीय परम्पराएं' : इन्डु नई दिल्ली 2005।

गठबंधन सरकारें : अस्तित्व और संभावनाएँ

महेश कुमार रचियता *

शोध सारांश - संसदीय राजनीति में राजनीति प्रक्रिया की उपज गठबंधन की सरकारें हैं संसदीय शासन में सरकार के गठन कि लिये लोकप्रिय सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण गठबंधन की राजनीति का जन्म हुआ है इसकारण राजनीति में लोकतंत्र की स्थापना के लिये बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ।

शब्द कुंजी- राजनीति , गठबंधन।

प्रस्तावना - बहुत वर्ष हुए हमने अपनी नियति से एक नियत स्थान पर मिलने का प्रण किया था आज वह समय आ गया है कि हम अपने वचन पूरा करे सम्भवतः पूर्णरूपेण तो नहीं अपुति पर्याप्त मात्रा में - आज मध्य रात्री के समय जब संसार सो रहा है तो भारत को एक नया जीवन और स्वतंत्रता का आव्हान कर जागेगा। यह विचार पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता मिलने की अर्धरात्री में कही। हमे आजादी तो मिली लेकिन विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति भी मिले जिन्होंने भारतीय गणतंत्र को जन्मा । भारतीय संविधान की अनुठी विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी यह कि बहुदलीय पद्धति या समान विचार धारा वाले व्यक्ति जब एक संगठित समूह के रूप में सामने आते है।तो एक दल का निर्माण होता है, ऐसी ही एक दल प्रगतिशील विचार का दल पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के रूप राजनीति के अस्तित्व में आया, परन्तु स्वतंत्रता के बाद अनेक वैचारिक मतभेद होने के कारण विभिन्न विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व भी सामने आया। परन्तु आज सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति दलो का अंतिम और वास्तविक लक्ष्य तो एक ही था और वह सत्ता पर बने रहना।

संसदीय राजनीति में राजनीति प्रक्रिया की उपज गठबंधन की सरकारें हैं संसदीय शासन में सरकार के गठन कि लिये लोकप्रिय सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण गठबंधन की राजनीति का जन्म हुआ है इस कारण राजनीति में लोकतंत्र की स्थापना के लिये बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ। किसी एक दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने कारण नित नये सिद्धांत विहीन राजनीति दल उभकर कर आ रहे है। जो अपने स्वार्थ व महत्वकाक्षाओं के कारण राजनीतिक सीमीकरण को बिगाडकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने मे लगे है।

गठबंधन सरकार का अस्तित्व केन्द्र व राज्य सरकार दोनो जगह उपलब्ध है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम देखे तो हमारे सामने साझा सरकार का ही विकल्प नजर आता है। केन्द्र में एक दलीय सरकार का गठन 1976 तक ही था उसे बाद एक दलीय सरकार की प्रधानता समाप्त हो गई। सन् 1977 से 2013 तक मिलीजुली सरकार का परिदृष्य देखने को मिलता है। अब निकट भविष्य में एक दलीय व्यवस्था का होना

असंभव सा नजर आ रहा है। अब तक केन्द्र में 09 गठबंधन सरकारें स्थापित हुई है 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की सरकार बनी जो विश्वासमत प्राप्त न होने के कारण नहीं चल पाई। उसी प्रकार सन् 1989 से 1990 में वी पी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी जो राजनीतिक उठापठक के कारण नहीं टिक पाई। सन 1990 से 1991 मे चन्द्रशेखर की सरकार बनी जो आपसी मतभेद के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ग्यारहवी लोकसभा के चुनाव में विखण्डित जनादेश प्राप्त हुआ। सन 1996 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी जो मात्र 13 दिन चली सन् 1996 में देवगौडा की साझा सरकार बनी जो मात्र 10 माह ही चल सकी। पुनः भाजपा की सरकार में अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी जो लभगभ 18 दलो के सहयोग से चली तेरहवी लोकसभा पुनः अटलबिहारी के नेतृत्व में सरकार बनी उसके बाद चौदहवी लोक सभा और पंद्रहवी लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार रही। राज्यो की स्थिति भी देखे तो वही स्थिति है जो केन्द्र की रही है उडीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, उत्तराखण्ड, बिहार, कर्नाटक आदी राज्यो में भी साझा सरकारें भी अपेक्षाकृत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

गठबंधन सरकार का अस्तित्व

1. सरकार में अस्थिरता- यह विचार धारा गठबंधन सरकार को जन्म देती है। जो सरकार को बहुत अधिक अस्थिर होती है। क्योंकि साझा सरकार में शामिल दल अपने हित साधने के लिये सरकार पर दबाव बनाते है और सरकार से अपने हित के कार्य करते है। ये सरकार जनहित मे अच्छा कार्य नहीं करती। जिसका उदाहरण हम देख रहे है।

2. मंत्रीमंडल में समन्वय की कमी- गठबंधन सरकार में मंत्रिमण्डल और प्रधानमंत्री की स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्योंकि आम जनता जानती है कि सरकार चलाने के पीछे किन का हाथ होती है। और मंत्रिमण्डल में सभी सहयोगी दल के राजनेता होने कारण सरकार अहम फैसले नहीं ले पाती। इस लिये मंत्रीमण्डल में समन्वय नहीं होने कारण सरकार विफल हो जाती है।

3. स्वार्थीपरक नितियाँ- गठबंधन सरकार के कारण सरकार में

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

शामिल दल चाहते है। कि हमारे हित की नितियों का निर्माण किया जाय जिससे हमारे दल या पार्टी के व्यक्तियों का फायदा हो।

4. प्रशासनिक क्षमता की कमी- राजनीतिक पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिये किसी भी दल के साथ अपना गठजोड करने को तैयार हो जाती है इस कारण प्रशासनिक क्षमता की कमी आती है।

5. नीतियों की अनिश्चतता- बहुदलीय सरकार में प्रमुख पार्टी चाहती है। कि नीतियों बने लेकिन सत्ता में शामिल दल नहीं चाहते की देश हित में विकास कार्य हो इस लिये व्यवहारिक दिक्कत का समाना करना पडता है और नितियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

6. विरोधी दल का आभाव- इस गठबंधन सरकार के कारण कोई भी दल जनहित के कार्य नहीं कर पाता और प्रमुख विरोधी दल भी इनके कार्य में दखल नहीं दे पाता है। इस लिये जनहित मुद्दों पर विचार नहीं करते है।

7. केन्द्र व राज्य में मतभेद - गठबंधन सरकार के कारण केन्द्र व राज्य सरकारें एक दूसरे का को सहयोग नहीं करने कारण विकास कार्य अवरूद्ध हो जाता है। अतः केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच मतभेद व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

8. चुनाव पूर्व/पश्चात् गठबंधन- कुछ राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व अपनी समान वैचारिक धारा वाली पार्टी से गठबंधन कर लेती है। तो कुछ राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात अपने स्वार्थ के कारण किसी भी दल के साथ अपना गठबंधन कर लेती है। जो सरकार के लिये धातक होती है।

गठबंधन सरकार की संभावनाएँ

1. समान वैचारिक गठबंधन- सरकार में शामिल दलों को समान विचारधारा के साथ जनहित के कार्य करना चाहिए। जिससे सभी दलों का कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।

2. नीति निर्धारण में सहायक - गठबंधन के सभी दलों को देशहित में नितियों का निर्माण करना चाहिए। जिससे एक स्वस्थ परम्परा का निर्वाह हो तभी देश का विकास होगा।

3. स्वार्थ का त्याग- सरकार में मंत्रीमण्डल का ऐसा निर्माण करना होगा। कि सभी दलों की भागीदारी हो जिससे स्वार्थ की भावना का निर्माण न हो।

4. बहुदलीय व्यवस्था - बहुदलीय पद्धति की सरकार का गठन हो और किसी एक दल की सरकार का आधिपत्य न हो बल्कि सभी दलों की भागीदारी हो और जनहित में कार्य करे। बहुदलीय प्रथा में सभी दलों का समान मौका मिलेगा और जनहित में कार्य कर सकेगे।

5. स्वस्थ परम्परा का निर्वाह- आने वाले समय में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। इसलिये आने वाले समय में बहुदलीय प्रथा को ही अपनाने के लिये सभी दलों को प्रयास करना होगा और गठबंधन सरकारों का गठन करना होगा।

निष्कर्ष- भारत के लोकतंत्र में गठबंधन सरकार के होने से राज्य और केन्द्र में विकास पर प्रभाव पडता है जिससे राष्ट्र को हानि होती है राजनीति दल अपनी महत्वकांक्षा के कारण स्वार्थहित के लिये देश में होने वाले विकास में बाधक है ऐसे में गठबंधन सरकार देश के लिये धातक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम 2009, भारतीय समाज, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. जैन पुखराज 2001, राजनीति विज्ञान साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।
3. मिश्र रमानाथ 1994, प्राचीन भारतीय समाज अर्थव्यवस्था एवं धर्म मप्र हिग्रं.अ., भोपाल।
4. प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 12
5. दैनिक भास्कर, नवंबर 2013

जयपुर रियासत के राजपरिवार की धार्मिक मान्यताओं एवं धार्मिक उत्सवों का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. बबिता सिंघल*

प्रस्तावना – जयपुर का धार्मिक इतिहास उत्कृष्ट आदर्शों एवं जीवन मूल्यों के बाहुल्य से सम्पन्न रहा है। अमरत्व के परिचायक शौर्य एवं वीरत्व के भावों के समानान्तर धर्मनिष्ठा के प्रतीक धार्मिक उत्सव, बहुरंगी छटा बिखरने वाले पर्व एवं यत्र तत्र व्याप्त लोक मान्यताओं ने निःसन्देह जयपुर की सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पन्नता को द्विगुणित किया है। सामान्यजनों एवं राजधरानों ने इन पर्वों एवं उत्सवों को स्वाभाविक रूपेण अपनी संस्कृति में आत्मसात् कर सांस्कृतिक अस्मिता के वर्चस्व को उजागर किया है। फलस्वरूप इन पर्वों-उत्सवों से जयपुर की सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन प्रणाली दृष्टव्य हुई है। नवीन हर्षोल्लास एवं उमंग के अनंत स्रोत कहे जाने वाले उत्सव और पर्वों ने जयपुर के सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष के साथ-साथ आध्यात्मिक मूल्यों को भी पूर्णतः सजीव किया है।

राजपरिवार की धार्मिक मान्यताएँ

दावात पूजन – धुलंडी के अगले दिन चैत्र कृष्ण द्वितीया को दावात पूजन होता था। शुभ मुहूर्त में महाराजा कौंसिल मेंबरों सहित कौंसिल हॉल में कलम एवं दावात की पूजा करते थे।¹ महाराजा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ राजगुरु द्वारा पूजा सम्पन्न कराई जाती थी। तदुपरान्त प्रसाद स्वरूप सभी को लड्डू वितरित किये जाते थे। इसी दिन सम्पूर्ण रियासत में दावातों को धोकर नई स्याही डाली जाती और नेजे की नवीन कलमें भी रखी जाती थी। यह दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था।

आषाढी दशहरा – आषाढ माह का सत्रहवां दिन आषाढी दशहरा के रूप में मनाया जाता था। इस दशहरे के दिन महाराजा अपने लवाजमें एवं सरदारों के साथ सिरह ड्योडी बाजार में स्थित चांदी की टकसाल के सामने एक शमियाने में जाते थे। महाराज के आगे चलने वाले सीताराम जी के रथ में विराजमान सीताराम जी के विग्रह की पूजा अर्चना की जाती थी तथा सरदारों आदि द्वारा नजर भेंट की जाती थी।² तत्पश्चात् महाराज अपने महल वापिस आ जाते थे।

महाराजा की सालगिरह – महाराज की सालगिरह जनानी व मर्दानी ड्योदियों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। प्रातःकाल में ही महाराज अपने आराध्यस्थल सीतारामद्वारा में जाकर यज्ञादि करते थे एवं गुरुओं का पूजन करते थे। उसके पश्चात् महाराज जुलूस सहित गाविन्ददेव जी, गोपालजी आदि के मन्दिरों में जाकर भेंट अर्पित करते थे तथा चन्द्रमहल आकर सुखनिवास में वर्ष पूजन करते थे। सायंकाल में दीवाने आम में आयोजित दरबार में सभी सरदारों, जागीरदारों और हाकिमों द्वारा महाराजा को नजरें दी जाती थी। तदुपरान्त महाराजा जनानी ड्योडी जाकर जनानी मजलिस में भाग लेते थे एवं उसके बाद सरदारों और सामन्तों के लिए भोज का आयोजन किया जाता था।

सलक – जयपुर रियासत में दशहरे के अगले दिन 'सलक' नामक समारोह का आयोजन होता था, जिसमें महाराज लवाजमें सहित सिरह ड्योडी से जौहरी बाजार होते हुए फतहटीबा तक जाते थे।³ वहां जाकर वे दो हाथियों द्वारा खींचे जाने वाले अनोखे इन्द्रविमान में बैठते थे। उसके पश्चात् तोपखाना, घुड़सवार दस्ते, शूतुरसवार और पदाति सेना द्वारा पांच-पांच राउण्ड फायर किये जाते थे। रात्रि के समय महाराज की सवारी पुनः चन्द्रमहल आ जाती थी। 'प्रतापप्रकाश' में इस समारोह का उल्लेख मिलता है-

'फेर (दशहरे के) दूसरे दिन सलक होय। तोवां सहर सों नीकलैं। सैकड़ा चादरयां, जबंरा, हवाई तोबां। फेर मुरतब सवारी सों आप पधारे। अराबा दगै, सारा किलां की तोबा दगै। वांकी अवाजा बारा बार कोस ताई सुणै। सलक छुडाय महलां दाषल होय। बडो उत्साह होय।'⁴

मारगपाली की सवारी – जयपुर में दीवाली के पश्चात् कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को महाराजा की 'मारगपाली' सवारी निकाली जाती थी। मारगपाली की सवारी सिरहड्योडी से प्रारम्भ होकर माणक चौक जाती थी और वहां से त्रिपोलिया होकर पुनः महल में आ जाती थी। इस दिन कुश एवं घास से निर्मित नई बांदनवार सिरह ड्योडी के दरवाजे पर लगाई जाती थी, इसी कारण इस दरवाजे को 'बांदरवार का दरवाजा' के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम महाराज काले घोड़े पर सवार होकर इस बांदरवार के नीचे से निकलते थे।

'फेरि दूसरे दिन मारगपाली की सवारी होय। गोवर्धनलीला होय। फेर देवस्थानां में अन्नकोट होय।'

अद्यतन भी सिरहड्योडी के दरवाजे पर बांदनवार बांधने की यह प्रथा कायम है।

गुरु पूर्णिमा – आषाढ मास की पूर्णिमा **गुरु पूर्णिमा** के नाम से जाती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराजा अपने गुरु-महन्तों से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा करते थे। जयपुर में राजगुरु लोग, जिनमें गलता व बालानंद के महंत, बड़े और छोटे ओझाजी मुख्य होते थे, राजमहल में जाते थे जहाँ महाराजा उनकी पूजाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे एवं उन्हें दक्षिणा भेंट की जाती थी।⁵

शरद पूर्णिमा – अश्विन शुक्ल 15 को शरद पूर्णिमा के दिन सरबता की छत पर शरद का दरबार होता था। यहाँ महाराज और उनके दरबारी लोग, सब दूधिया रंग की सफेद पोशाक पहनकर उपस्थित होते थे।⁶ और चांदनी रात में अपनी तलवारों और जवाहरात की चकाचौध में खुले छत पर दरबार लगाते थे। इस दरबार में पगडियाँ मोतिया रंग की बांधी जाती थी और मावे व चीनी में जमाई हुई भंग की माजूम से सरबराह करने का रिवाज था।⁷

नवरात्र या दुर्गोत्सव – अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर नवमी तक

* सह आचार्य (इतिहास) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

दुर्गापूजा का उत्सव मनाया जाता है, जिसे नवरात्र (राजस्थानी में नौरता) कहते हैं। नवरात्र महोत्सव आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति की विजय का प्रतीक है। हमारे देश में नवरात्र के समान दीर्घकालव्यापी एवं आध्यात्मिक भौतिक तथा नैतिक शक्तियों को जाग्रत करने की एक समान प्रेरणा देने वाला कोई अन्य लम्बा हिन्दू पर्व नहीं है। 'नवरात्रि' शक्ति की अधिष्ठात्री दुर्गा देवी के नव स्वरूपों की पूजा के नव दिनों अर्थात् नवरात्रियों के समूह को कहते हैं। राजस्थान के सभी रजवाड़ों तथा राजपूत घरानों में नवरात्र की विशेष मान्यता रही है क्योंकि युद्ध क्षत्रियों का सहज कर्म होने से युद्ध की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, भवानी या रणचण्डी की आराधना उनका सहज धर्म रहा है⁸ अधिकांश राजपूतों के द्वारा नवरात्रि स्थापना एवं दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाता था तथा श्रद्धालु भक्त पूरे नौ दिनों तक नवरात्र व्रत किया करते थे जिसे 'नौरता' करना कहते थे। इन दिनों में दुर्गा श्रोत के अप्रतिम ग्रन्थ 'दुर्गा सप्तसती' का पाठ बड़ी भक्ति एवं निष्ठा से किया जाता था।

जयपुर शासक गाविन्ददेवजी के उपासक होते हुए भी जमवाय माता तथा आमेर की शिलामाता को कुल देवी मानने के कारण नवरात्र को विशेष महत्व देते थे। नवरात्रि के दौरान जयपुर शासकों द्वारा आमेर में स्थित शिलादेवी की पूजा-अर्चना की जाती थी तथा पशुओं की बलि दी जाती थी। राजा मानसिंह देवी के परम उपासक थे, इस कारण नवरात्रा में विशेष पूजा की जाती थी तथा आमेर में अष्टमी को होने वाले बलिदान के अवसर पर स्वयं उपस्थित होते थे।

अष्टमी के दिन आमेर में सवाई प्रतापसिंह के शासनकाल में भी शिलामाता को भैंसों और बकरों की बलि दी जाती थी।

'फेर (महाराजाधिराज) नौरात्र में देवीजी के पधारै, दिन आठ आंबेर में रहै। बलिदान करै। सैंकड़ा भैंसा, हजारों बकरों का बलिदान होया'⁹

महानवमी - नवरात्र के अन्तिम दिन नवमी को महानवमी मनाई जाती थी। इस दिन राजाओं और सामन्तों द्वारा अश्वपूजन किया जाता था। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में भी इस दिन अश्वपूजन का उल्लेख किया गया है। तदनुसार सभी राजधरानों में इस दिन अश्वपूजन किया जाता था। जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापसिंह जी द्वारा नवमी को अश्वपूजन किये जाने का वर्णन मिलता है। 'नौमी के दिन घोड़ा नव पूजे और दसैरा नै घोड़ा दस पूजे, हाथी पूजे और कारखाना सारा ही पूजे'¹⁰

नीराजन (लोहाभिसारिका) - 'लोहाभिसारिका' या 'नीराजन' नामक कृत्य राजा व सामन्तों के द्वारा नवमी के ही दिन किया जाता था। इसमें घोड़ों, हाथियों, पताकाओं, सेनाओं आदि के समक्ष दीपक घुमाए जाते थे।¹¹ कालान्तर में यह कृत्य दशहरे के दिन भी किया जाने लगा। 'नीराजन' वस्तुतः राजपूतों की एक सामरिक रीति थी जो वर्षाकाल के बाद शुरू होने वाले युद्धाभियानों की तैयारी का प्रतीक थी।

श्राद्ध पक्ष - माह की पूर्णिमा से अश्विन कृष्णा अमावस्या तक श्राद्धपक्ष माना गया है। श्राद्ध पक्ष में हिंदू धर्मानुसार पूर्वजों (दादा, पिता) की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध, तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन कराया जाता था। राजाओं तथा रानियों के श्राद्ध के दिन विशाल ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाता था। इन दिनों माँसाहारी भोज्य पदार्थ वर्जित थे।

धार्मिक उत्सव

सूर्य सप्तमी - माघ शुक्ला सप्तमी भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी के नाम से जानी जाती थी, जिसका जयपुर शासकों के लिए विशेष महत्व था क्योंकि कछवाहा राजपूत स्वयं को सूर्यवंशी राम के द्वितीय पुत्र कुश का वंशज मानते थे।¹² इस दिन गलता की पहाड़ी पर स्थित सूर्य मंदिर से सूर्य प्रतिमा

को रामगंज बाजार तक एक पालकी में लाया जाता था। महाराजा, सामंतो व हाकिमों के साथ लवाजमें सहित जुलूस से सिरह ड्योढी से आमेर की चौपड़ तक सूर्य के रथ के पीछे-पीछे चलते थे। इस चौपड़ से सूर्य का रथ रामगंज तक वापस जाता था और महाराजा जब अपने महल में लौट आते तब सूर्य प्रतिमा पुनः पालकी में अपने मन्दिर चली जाती थी। जयपुर की सूर्य सप्तमी का मेला सारे राजस्थान में प्रसिद्ध था।¹³ महाराजा सवाई प्रतापसिंह के शासनकाल (18वीं शताब्दी) में भानु सप्तमी उत्सव का उल्लेख हुआ है।

'फेर भान सप्तमी होया श्री सूरज जी को उत्सव होया।

आप इन्द्रध्वज रथ पर सवार होय पधारै। बड़ो उत्सव होया'¹⁴

गणेशचतुर्थी (चतड़ा चौथ) - भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। इसे 'चतड़ा चौथ' भी कहा जाता है। इस दिन रिद्धि-सिद्धि के दाता एवं विघ्नविनाशक गणेश जी का व्रत किया जाता है।

पहले यह रीति थी कि इस दिन विद्यार्थी जागीरी ठिकानों में जाते एवं घेरा बना कर परस्पर डण्डा बजाते हुए सामूहिक स्तर से अधोलिखित पंक्तियां बोलते थे और गृहस्वामी उन्हें लड्डू या गुड़धानी देते थे

'चतड़ा चौथ भाडूड्यो

ल्या ए माई लाडूड्यो'¹⁵

जयपुर में इस दिन जोशी (चटशालाएं चलाने वाले अध्यापक) अपनी पाठशालाओं के बच्चों को लेकर जनानी ड्योढी जाते थे। ड्योढी के बाहरी चौक में ढोलक की ताल पर विद्यार्थी डंके बजाकर नाचते थे। नृत्य के बाद हर बच्चे को चीनी और गुड़ से गेहूं की बनी धानी तथा चार लड्डूओं से भरा दौना मिलता था। जोशी जी को भी इन्ही चीजों से भरा टोकरा मिलता और पांच रूपये दक्षिणा स्वरूप दिये जाते थे। यह परम्परा गुरुओं के सम्मान की सूचक थी। जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह जी के शासनकाल में गणेशचतुर्थी के अवसर पर जनानी ड्योढी से 'गुड़ धाणी' आने तथा महाराजा द्वारा गणेशपूजन किये जाने का उल्लेख मिलता है।

'मिती भादवा सूदि 4 सूकरवार श्री माजी साहिब चंद्ररावतजी सुषनिवास पधार्या तदि श्रीजी की चतड़ा चौथ छी सो जनानी ड्योढी सू सारी माजी साहबां की घुडधाणी वगैरह सरंजाम प्रवान में आया जो नजर हुआ और दिन घड़ी पांच चढ्या श्री गणेशजी को पूजन करायो।'¹⁶

इस दिन सब ताजीमी खास चौकी सरदार और मुत्सद्दी वगैरह जनानी ड्योढी जाकर चतड़ाचौथ की नजर सलाम भी मालूम कराते थे।

चतुर्थी के चाँद के दर्शन अशुभ माने जाते थे। इसी धारणा के कारण राजपूत घरानों में भी इस दिन कोई चाँद नहीं देखता था। इस विश्वास के पीछे कृष्ण पर स्मभन्तक मणि चुराने का मिथ्याभियोग था, जिसके फलस्वरूप लोग इस दिन चन्द्रदर्शन नहीं करते थे तथा इसके दो दिन पहले दूज का चन्द्रमा देख लेते थे।¹⁷

अनन्त चतुर्दशी - भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 'अनन्त चौदस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यक्तिगत रूप से पूजा की जाती है। कोई धार्मिक या सामाजिक उत्सव नहीं होता था। कच्चे सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए चौदह गांठ के अनन्त को अनन्तदेव का ध्यान करके अपनी दाहिनी भुजा में बाँधा जाता है। स्त्रियाँ इसे बायें हाथ में पहनती हैं। इस दिन व्रती एक ही अन्न का बना हुआ अलोना भोजन करता है।¹⁸

शीतला अष्टमी - चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतला को चंचक की देवी माना गया है। जयपुर जिले की चाकसू तहसील के गांव शील की डूंगरी में शीतलामाता का मन्दिर बना हुआ है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में इस मंदिर में शीतला अष्टमी का विशाल मेला लगता है। शीतला को

प्रसन्न करने हेतु जयपुर में इस दिन ठंडा-बासी भोजन करने की प्रथा है। इस रीति का प्रायः सभी परम्परागत विचारधारा के राजपूत घरानों और रजवाड़ों में भी पालन किया जाता रहा है। यह भोजन सप्तमी को ही बना लिया जाता है जिसे 'राधा पोआ' के नाम से जाना जाता है। अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना वर्जित है। इसके मूल में यह लोकविश्वास प्रचलित है कि शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता घर-घर में तवे पर पैर रखती हुई घूमती है फलस्वरूप कहीं भी चूल्हा नहीं जलना चाहिए, ताकि माता प्रसन्न रहे। चेचक निकलने पर शीतला माता की मनौती मनाते हैं। जयपुर के महाराजा माधोसिंह अपने दो अनौरस पुत्रों के शीतला निकलने पर स्वयं चाकसू गये थे।¹⁹

तीज - श्रावण शुक्ला तृतीय राजस्थान में 'तीज' के नाम से मनाई जाती है। जो गणगौर के समान ही राजस्थान का प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है। 'तीज' पार्वती का ही प्रतीकात्मक नाम है। ऐसी मान्यता रही है कि इसी दिन कठोर तपस्या के पश्चात् पार्वती जी को अपने आराध्य एवं प्रियतम शिव की प्राप्ति हुई थी। तभी से 'तीज' कुमारियों एवं सुहागिनों के लिए सौभाग्य पर्व के रूप में मनायी जाती है। कुमारियां इस दिन पार्वती का पूजन कर योग्य वर पाने की प्रार्थना करती हैं।

जयपुर में सावन सुदी तृतीया को तीज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जयपुर के पूर्वोत्सवों में सर्वोपरि माना जाता था। यह पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता था तथा सभी तीन तरह के वस्त्र धारण करते थे। पहले दिन कोच पोशाक तथा दूसरे-तीसरे दिन कसूमल वस्त्र धारण किये जाते थे।²⁰ इस पर्व पर सभी वर्ग के लोग लाल वस्त्र धारण करते थे तथा जयपुर शासकों द्वारा सरदार सामन्तों को लाल वस्त्र भेंट किये जाते थे।²¹

राजप्रसाद में तीजमाता की पूजा-अर्चना के पश्चात् तीज माता की सवारी निकाली जाती थी। इस सवारी को देखने स्वयं महाराज अपने सरदारों एवं सामन्तों के साथ जाते थे। चौगान स्थित विशाल प्रांगण में हाथियों की लड़ाई आयोजित की जाती थी तथा नाचगाना, आतिशबाजी व तोप की सलामी दी जाती थी।²² यह तीज का मेला बहुत ही उल्लासपूर्ण एवं मनोहारी होता था। अद्यतन भी यह तीज का मेला जयपुर का सुप्रसिद्ध मेला माना जाता है। इस दिन झूला झूलने का रिवाज भी प्रचलित है। राजपूत घरानों में यह प्रथा थी कि स्त्रियाँ अपने पति का नामोच्चारण नहीं करती थी परन्तु तीज के दिन झूला झूलते समय स्त्रियों द्वारा हठपूर्वक उनसे पति का नाम लिवाया जाता था।

गणगौर - गणगौर राजस्थान का सुविख्यात सांस्कृतिक पर्व है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है यद्यपि इस पर्व के पूजन की शुरुआत होलिका दहन के दूसरे ही दिन से ही हो जाती है। इस पर्व पर दाम्पत्य प्रेम के आदर्श शिव पार्वती की ईसर गौरी के रूप में पूजा की जाती है तथा कुमारियाँ गौरी (पार्वती) से सुन्दर एवं योग्य वर की और सुहागिनें अक्षय सुहाग की कामना करती हैं। स्त्रियाँ हरी दूब, पुष्प तथा जल से भरे कलश आदि के साथ मंगल गीत गाती हुई गौरी पूजन के लिए आती हैं।

जयपुर में जनानी ड्योढी (राजा के अन्तःपुर) में महारानियों द्वारा गणगौर की प्रतिमा का पूजन किया जाता था, तदुपरांत शहर में जुलूस निकलता था। जनानी ड्योढी के लोग लाल वस्त्र धारण कर पूरे लवाजमें के साथ गणगौर की सवारी के साथ-साथ चलते थे। महाराजा चौगान स्थित मोती बुर्ज में सामन्तों के साथ इस जुलूस की मनोहारी छटा को देखते थे। गणगौर की सवारी, पाल के बाग तक जाकर, पुनः जनानी ड्योढी आ जाती थी तत्पश्चात् महाराजा बादलमहल में लौट आते थे और यहां पर सभी दरबारी महाराजा को भेंट करते थे। जयपुर में गणगौर का मेला दो दिन तक चलता

था, अभी भी यह परम्परा जारी है।

गणगौर और तीज जैसे सांस्कृतिक पर्व केवल राजपूत घरानों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, अपितु इनके साथ पूरा समाज संलग्न है, जो कि सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। आज भी गणगौर की सवारी राजमहलों से ही निकलती है, उसके दर्शनार्थ अपार जन-समूह उमड़ता है जो वस्तुतः दोनों के बीच सदियों तक रहे अटूट सांस्कृतिक साहचर्य का ही द्योतक है।²³

बसन्त पंचमी - माघ शुक्ला पंचमी को वसन्त पंचमी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन से वसन्त का शुभारंभ माना गया है। इस अवसर पर महाराजा तथा क्षत्रिय सामन्तों को राणा एवं ढोली आदि बन्दीजन हरी दूब भेंट करते थे और प्रतिफलस्वरूप इनाम-बख्शीश पाते थे। इसे 'हरी-मनाना' कहा जाता था। ज्ञानदात्री सरस्वती और कामदेव का पूजन भी इसी दिन होता था।

जयपुर में (शायद महाराजा रामसिंह के समय में) दरबार भी होता था जिसमें सभी दरबारी बसन्ती या गुलाबी साफे और पगड़ियाँ बाँध कर आते थे।²⁴

जयपुर में इस अवसर पर दरबारी दिनचर्या में गुलाल उड़ाए जाने का उल्लेख मिलता है।

महाशिवरात्रि - फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी शिव मन्दिरों में विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है और झांकियों का आयोजन भी किया जाता है।

जयपुर के महाराजा रामसिंह (द्वितीय) परम शिव उपासक थे। उनके शासन काल में राजराजेश्वर के मन्दिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष आयोजन किया जाता था।

होली - फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जयपुर राजप्रसाद में यह रिवाज प्रचलित था कि होली पूजन के पश्चात् 'होली मंगल' होने (जलने) के बाद उसी की अब्जि के पूले से नगर की सभी होलियाँ प्रज्वलित की जाती थी।

महाराजा हाथी पर सवार होकर संपूर्ण शहर में फाग खेलते हुए सरे-बाजार निकलते तथा नर नारियों पर गुलाल के गोटे फेंकते और रंग के पिचकारे चलाते थे। जयपुरवासियों के लिए यह अत्यंत हर्षविभोर करने वाला दृश्य होता था। जनानी ड्योढी में भी रानियाँ आपस में फाग खेलती, जिसमें महाराजा भी शामिल होते थे।²⁵

महाराजा माधोसिंह के जमाने में 1913 ई0 की होली से सम्बंधित टिप्पणी पुरोहित गोपीनाथ की डायरी में भी मिली है। उस दिन होली थी और पुरोहित गोपीनाथ सवेरे ही महाराजा से मिलने गये थे। मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि जनानी ड्योढी में सवेरे-सवेरे ही शानदार जल्सा हो रहा था और महाराजा भी उसी में थे। इस जल्से में नौ नई पडदायतें बनाई गईं और अनेक को सोना तथा गंगा जमनी (सोना चांदी दोनों) जेवर बख्शे गए। दो एक नादरों (खोजों) तथा अन्य नौकरों की तनख्वाह में इजाफा किया गया और लालजी साहब गोपालसिंहजी व लालजी साहब गंगासिंहजी को पचास-पचास हजार रुपये, भीतर के छोटे लाल जी व आठ बाईजी लालों को एक-एक हजार रुपये इनायत हुए।²⁶

रामनवमी - मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी मनाई जाती है, जो कि चैत्र शुक्ला नवमी के दिन होती है। शास्त्रों में रामनवमी के व्रत का अतीव महात्म्य है। हर धर्मयुक्त व्यक्ति व्रत रखता है। अगस्त्य संहिता में इस पर्व के बारे में लिखा है 'यह सबके लिए है। यह सांसारिक आनंद एवं मुक्ति के लिए है। वह व्यक्ति भी, जो अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यह

सर्वोत्तम व्रत करके सबसे सम्मान पाता है और ऐसा हो जाता है, मारों साक्षात् राम हो। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन भोजन करता है, वह कुंभीपाक घोर में कष्ट पाता है।¹²⁷

जयपुर में चन्द्रमहल के पास स्थित मन्दिर 'सीतारामद्वारा' में हवन-पूजन किया जाता था तथा महाराजा वहाँ आकर दर्शन करते थे। राजमहल से गलता और बालानन्दजी के मन्दिर जो जयपुर के राजाओं की गुरु-गदियाँ हैं वहाँ विशेष भेंट भेजी जाती थी। रामगंज में रामनवमी का मेला आयोजित होता था।²⁸

आखातीज (अक्षय तृतीया) - वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से पहचाना जाता है, जो राजस्थान में 'आखातीज' कहलाती है। 'आखातीज' की न केवल शास्त्रों में, वरन् लोक में भी अत्यंत महिमा है। यह पर्व 'अबुझ सावे' के रूप में विदित है, राजस्थान में इस दिन बाल वर-बधुओं के असंख्य जोड़े परिणय-सूत्र में बँध जाते थे।

आखातीज को राजस्थान में राजपूत-घरानों में, सामूहिक रूप से 'अमलपान' की परिपाटी है, जिसे 'अमल गालना' कहते हैं।

जन्माष्टमी - भाद्रपद कृष्णाष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाला प्रमुख धार्मिक पर्व है, जो सम्पूर्ण भारत वर्ष में असीम श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजमहल में सवाई जयसिंह के समय से ही कृष्ण-जन्माष्टमी का पर्व संपूर्ण विधि-विधान से मनाया जाता था। सवाई प्रतापसिंह 'राधा-कृष्ण उपासी' एवं 'ब्रज निधि' थे तथा महाराजा माधोसिंह राधागोपाल को इष्ट मानते थे। उस समय गोविन्ददेवजी का मन्दिर, राधा-गोपीनाथ का मन्दिर, ब्रजनिधि एवं आनन्द कृष्ण के मंदिरों में इस पर्व पर विशेष पूजा एवं झाँकियों का आयोजन होता था। गोविन्ददेव जी के मन्दिर में जन्माष्टमी एवं नन्दोत्सव आज भी इतने हर्षोल्लास से मनाये जाते हैं कि उस दिन ब्रज प्रदेश का-सा वातावरण प्रतीत होता है।

जलझूलनी एकादशी - भाद्रपद शुक्ला एकादशी को 'जल झूलनी' (अथवा देवझूलनी) ग्यारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन की यह परंपरा थी कि सभी रजवाड़ों की राजधानियों में देवविग्रहों को पालकियों और विमानों में विराजमान कर गाजे-बाजे के साथ जुलूस में किसी जलाशय के पास लेजाकर स्नान करवाया जाता था। इसे 'रेवाडी' के नाम से जाना जाता था। जयपुर के सभी महत्वपूर्ण मन्दिरों की मूर्तियों को पालकियों एवं विमानों में विराजित कर तालकटोरा ले जाया जाता था। यह शोभायात्रा अत्यंत मनोहर होती थी।

दशहरा (विजयदशमी) - आश्विन शुक्ला दशमी विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाई जाती है। यह क्षत्रियों का विशेष धार्मिक पर्व है। इस दिन की प्रमुख रीतियों में शस्त्रपूजन, अश्वपूजन एवं शमीपूजन होता था तथा इस अवसर पर आयोजित दशहरे का दरबार भी उल्लेखनीय है।

दशहरे पर महाराजा शस्त्र और सिंहासन पूजा के उपरांत सर्वतोभद्र या सरबता में भव्य दरबार करते थे, जिसमें सब ताजीमी और खासचौकी सरदार आदि निर्धारित पोशाक में अपने-अपने कुरब-कायदे के अनुसार बैठते थे और महाराजा को नजर पेश करते थे। जनानी ड्योढी में भी इसी तरह दरबार लगता था, जिसमें सामन्तों की ठकुरानियाँ, रानियों को नजर पेश करती थीं।

दरबार के बाद विभिन्न सवारियों या वाहनों की पूजा का विधान भी था। सूर्यास्त के समय महाराजा अपने सरदारों और अन्य राजवर्गी लोगों सहित संपूर्ण लावाजमे की सवारी लगाकर सिरह ड्योढी से निकलकर आमेर की सड़क पर स्थित विजय बाग जाते थे। वहाँ शमी वृक्ष का पूजन करते और

रात्रि में महाराजा की सवारी पुनः चन्द्रमहल में वापिस आ जाती थी। महाराजा की दशहरे की सवारी प्रजाजनों के लिए दर्शनीय एवं कौतूहलपूर्ण होती थी। जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापसिंह जी द्वारा दशहरे के दिन सूर्यास्त के बाद अपने सवारी जुलूस के साथ शमी पूजन करने हेतु जाने का उल्लेख मिलता है²⁹ -

"श्री महाराजाधिराज श्री प्रतापसिंहजी सवारी सहर सों कोस एक पधौरे। उँठे सिमी पत्र को पूजन करै, दान करै। फेर लाषाँ दुसंधा मसालाँ जपै। सवारी उल्टी फिरै। बड़ा उल्लास सों पधारे।"

शमी पूजन करते समय शमी को 'अपराजिता देवी' का प्रतीक मानकर उसकी धूप-दीप से पूजा की जाती है तथा नैवेद्य चढ़ाकर प्रदक्षिणा करते हैं। **दीपावली** - कार्तिक मास की अमावस्या के दिन सभी त्योंहारों में प्रमुख त्योंहार दीपावली को सारे शहर के साथ राजमहलों तथा नगर में स्थित दुर्गों और गढ़ों पर दीपकों की विशेष रोशनी की जाती थी। जयपुर में नाहरगढ़, गणेशगढ़, गलता के सूर्य मन्दिर, जयगढ़ एवं नगर प्रासाद पर दीपावली की रात को विशेष रोशनी की जाती थी तथा किले पर शहर के नक्शे के अनुसार रोशनी सजाई जाती थी। नगर प्रसाद के चौक (प्रीतम निवास) में इस दिन प्रातः से सायं तक तवायफों द्वारा नाच किया जाता था। सूर्यास्त के समय जयपुर में सरबते में दीपावली का दरबार होता था, जहाँ पर सरदार लोग महाराज को नजर पेश करते थे। तत्पश्चात् महाराजा चन्द्रमहल में वैभव एवं सम्पन्नता की देवी लक्ष्मी का पूजन करते थे। रात्रिकाल में जयनिवास बाग में शोरगर आतिशबाजी के करतब दिखाते थे। महाराजा काली अचकन एवं जरी के साफे में अपने सरदारों के साथ वहाँ जाते थे। दीपावली की रात घूट क्रीड़ा का रिवाज भी देखने को मिलता था।

अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा - दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को देवमन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और नगर प्रासाद के मन्दिरों के प्रांगण विविध प्रकार के विशिष्ट व्यंजनों से सजाए जाते थे। देवदर्शनोपरांत राजा व सामंतादि यह प्रसाद ग्रहण करते थे। शाम को गोवर्धन पूजा होती थी, जिसमें गाय, बछड़ों एवं बैलों को सजाकर पूजा जाता था एवं उनके सींगों पर तेल व गेरू लगाया जाता था।

मकर संक्रान्ति - मकर संक्रान्ति जयपुर का प्रमुख एवं विशिष्ट धार्मिक पर्व है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह पुनीत पर्व मनाया जाता है। यह जनवरी माह की चौदह तारीख को मनाया जाता है। यह महोत्सव पारस्परिक स्नेह एवं मधुरता का द्योतक है एवं इस दिन तिल एवं गुड़ बाँटा जाता है।

मकर संक्रान्ति को राजाओं, सामंतों एवं क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों एवं गरीबों को प्रचुर मात्रा में दान-पुण्य किया जाता था। मकर संक्रान्ति पर गलता जी के स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। जयपुर में जनानी ड्योढी के रावलों में इस दिन ब्राह्मणों व निर्धनों को चावल, मूँग, तिल लड्डू व फीणी आदि का दान दिया जाता था। जयपुर में मकर संक्रान्ति पर की जाने वाली पतंगबाजी देशभर में प्रसिद्ध है। महाराजा रामसिंह व महाराजा माधोसिंह पतंगबाजी के विशेष शौकीन थे। महाराजा रामसिंह ने अपने शौक को मूर्त रूप देने के लिए 'पतंगखाना' नामक एक कारखाने की स्थापना की।³⁰

जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने सन् 1727 में मकर संक्रान्ति पर मथुरा के विश्रान्त घाट पर सोने का तुलादान किया था।³¹

इन त्योंहारों के अतिरिक्त कुछ अन्य पर्वोत्सव भी धार्मिक विधि-विधानों के साथ मनाए जाते थे। यथा- बहिन-भाई के पावन प्रेम का प्रतीक रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी के अगले दिन गोगानवमी, वैशाख शुक्ल सप्तमी

को गंगा सप्तमी तथा सूर्य-चन्द्र की गति में परिवर्तन से सम्बन्धित पूर्णिमा, एकादशी तथा चन्द्र व सूर्यग्रहण आदि पर्व उत्साह के साथ मनाये जाते रहे हैं।

निष्कर्ष - शासकों की धर्मपरायणता के कारण विविध पर्व, त्यौहार यहाँ धार्मिक विधि-विधानों एवं राजोचित रीति-रिवाजों के साथ मनाये जाते रहे हैं। उपर्युक्त विवेचनोपरांत यह कहना नितांत समीचीन होगा कि इन उत्सव एवं पर्वों के परिपालन के माध्यम से जयपुर का समग्र सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिदृश्य उभरकर आता है कि रीति-रिवाजों एवं तत्संबंधी परम्पराओं के सम्पोषक इन पर्वों एवं उत्सवों ने जनता एवं शासकों की विशेष सभ्यता को उजागर किया। कालान्तर में जयपुर नगर के सभी पर्व-त्यौहार युगानुकूल परिवर्तन के साथ मनाए जाते रहे, अद्यतन भी सुवासित धार्मिक संस्कृति गुलाबी नगरी के पुरातन रीति-रिवाजों को परिलक्षित कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ. 185
2. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-14
3. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ. 191
राजस्थान के राजधरानों का सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर, पंचशील प्रकाशन, जयपुर-1991, पृ. 175
4. प्रतापप्रकाश : सं. पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-20
5. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-188
6. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-21
7. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-193
8. राजस्थान के राजधरानों का सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर, पृ. 171
9. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-20
10. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-21
11. धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-4 : पी.वी काणे, पृ.-697
12. एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग-1 : कर्नल टॉड कृत, पृ.-449
13. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-185
14. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-20
15. राजस्थान के राजधरानों का सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर, पृ. 168
16. दस्तूर कौमवार : संवत् 1899, राज्य अभिलेखागार बीकानेर, पृ.-803
17. राजस्थान के राजधरानों का सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर, पृ. 169
18. वीर विनोद, भाग 1 : पृ.-126
19. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-188
20. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-20-21
21. एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग-1 : पृ.-462, कर्नल टॉड
22. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-20-21
23. राजस्थान के राजधरानों का सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर, पृ. 158
24. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-185
25. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-175
26. डायरी ह.लि. : सर पु. गोपीनाथ, जयपुर
27. अगस्त्य-संहिता, भाग-1 : पृ.-942
28. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-188
29. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-21
30. राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, पृ.-193
31. सवाई जयसिंह चरित : स. प. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-134

Democratic State and Protest Movement

Dr. Archana Singh*

Abstract - In this paper, first discussion about the theoretical impact of democratic states on state oriented challenges and that aspect of state influence the overall mobilization of state-oriented challenges and the forms of the mobilization and collective action second, the focused on the articulation of interest of different section of society specially the pluralist like India.

Introduction - The liberal conception of democracy contained in it a certain view of the relationship between state power and society. It was a view based on moderation and restraint in the use and abuse of power its wide diffusion across various regiments and interests and in balancing through negotiated settlement of inflect and cleavages.

The major acts of state in liberal democracies are to manage diverse form of conflict. This task becomes highly complicated in the case of plural societies. A pluralist society contains multitude of organization reflecting the diverse need and interests of its inhabitants.

Pluralism is to political order as the market is to the economy. Association is a product of the forces of supply and demand in the same way that the product of force of supply and demand in the same way that the production of goods and services is organized by competition among a variety of manufacturer of similar and different products. In such a system, the structural tasks of government are limited. The better society results from a laissez faire policy. The main role of government in social organization is to preserve freedom of association and to protect the contractual rights of individuals with regard to organizations beyond that government serves to coordinate the institutions that are created in the society and to adopt them to one another. The government role in the design of order is essential responsive rather than creative, with in the political order, voluntary association act as interest groups. In a fully pluralist society, policy will reflect the balance of power with in groups in the society should on interest become too powerful "countervailing forces" will develop. Farmer's organizations rise to challenges the rail roads, labour, union to confront the corporations, minority groups, conservation and consume protection movement came into existence to champion neglected issues. Overtime the systems becomes more highly differentiated. The argument is joined. The policy maker must devise a program that ratifies the heterogeneous interests of society. The state become in effect and umpire among the claims of competing interests.

Democracy is kind of arrangements in which people

and the government together create and open civil society and builds a common future. So, the survival of democracy is depending both on policy maker and citizen.

The purpose of democracy is to structure of environment of decision making so that policy makers have to deal with problems at a more complex level than would be their natural inclination. By increasing participation, we attempt to structure a situation in which the policy makers are required to consider the implications of choice for various groups and affected of interests.

The problem arises when the political systems satisfied the demand of a interest group whereas other group not satisfied. To get at this problem it is useful to look at a political systems as a decision making mechanism. The main purpose of political system is to systematize to process of decision making for all citizen.

An ideal political system would be one in which all parties regarded the procedure for making policy as fair and acceptable. But practical it can't be possible that decision making procedure is ever perfectly neutral. In some case the established order may not be able to cope successfully with new cleavage and conflicts.

In liberal democracies political and economic activities done by these political actor state, corporations and professions. Government decide in policy and bureaucracies both prepare and implement policies. Corporations routinely make investments, hire and fire employees, introduce new products and services and would opinion through advertising, professions hold monopolies on particular type of services such as medical and legal services and with in those monopolies make decision about the type and cost of services.

American society is the best example of this. America as a society moving from pluralism to corporation. In many areas private organizations are intimately involved with government. Transpiration, energy, the stock market and health care are all area where the important trade associations and industries are expected to play a role in policy making. The government agencies that regulates

these fields have close connections with leaders of the industries and in some cases, industrial organizations have a virtual veto power over appointments to the regulatory bodies. Some interest associations have a semiofficial policy making status as in the case of bar associations and medical association that supervise licensing and profession practice in many states.

In liberal democracy these corporate. Professions are on dominant political stage and influence and state policy. The actions of these groups are not usually called protest. The issues of protest, arises when open challenges to existing social structures are made by members and supporters of weather groups in society, such as workers, women and minorities. Such challenges are singled out for special attention unlike the usual maneuvers of dominant groups student radicalism is portrayed as much greater cause for concerns that routine dealing by firms.

At this stage it may be useful to define a few terms. The normal channels of political action in a liberal democracy are those associated with the electoral system voting, participating in political parties, lobbying any writing letters to politicians. All the methods involve trying to get some are else usually the government to take action on an issues "Direct action" by contrast is political action which does not act through some other group as intermediary. Examples are set-ins, strikes and boycotts. Many actions aim both to achieve immediate aim and to influence the

government such as a rallies and hunger strikes.

In contemporary era, the issues like environment, people health and education, access of culture the right of movements and also the new liberal polices are the main agenda of protest movement.

The protest movement plays a crucial role in change. Actually, the protest in one of many methods which are need to challenge existing power structure and bring about progressive change. These protest movement not only engaged in new form of protest against the state but they are also getting engaged in consciously listening to these new stirrings of cinsciness and based on this listening and learning new definitions of the public demand on the macro, political debate at national regional and global level.

References:-

1. Anderson W. Charles (1997) State Craft an introduction of political choices and judgment (Anda John Wely and sons inc.)
2. Bhambri C.P. (1997), the Indian state 1947-48 50 year Delhi, Shilpa publication.
3. Kothari Rajni (1988) against democracy in search humane governance New Delhi Ajanta publication.
4. Moore Jr. Barrington (1996) Social origins of dictatorship and democracy, Boston. Beacon press.
5. Oomen T.K. (1990) Protest and change studies in social movement, New Delhi sage publication India Pvt. Ltd.

Indo-U.S. Relations: The Beginning and U.S.'s South Asia Policy in the 1950's

Anurag Pandey*

Introduction - There was a favorable development in the Indo-U.S. relations in the period immediately after the Indian independence. The U.S.A. had a fully sympathetic attitude towards India's tumultuous struggle against the British.¹ The democratic ideals of America also greatly fascinated the Indian leaders, especially Nehru, and they tried to develop intimate relations with the USA. Nehru's first visit to the United States in 1949 was not much of a success. There was no positive chemistry between the down to earth President Truman and idealistic Prime Minister Nehru who thought that the new World order can be structured on purely moral principles. The American leaders did not quite know how to deal with the new Prime Minister of a former colony whom they did not expect to be so self-assured and insistent on India's pride and independence, especially when India was seeking economic and technological assistance from them.

During the first decade after India's independence, much of the US foreign policy was based on the British perceptions and advice.² The U.S. failed to deal with India directly in the context of India's perceived interests and Indian sensitivities. This was quite apart from the differences, between the two countries on strategic and security matters.

Neither the Cold War, nor anti-colonialism caused the first bilateral difference between the United States and India. The problem arose over the unfinished business of partition -the dispute over the princely state of Jammu and Kashmir.³ The American administration looked at the Kashmir issue quite differently. Washington regarded the problem as a serious dispute between the two countries with which the United States had friendly relations, but not as an issue involving vital U.S. interest. Kashmir also appeared to be the type of regional dispute that the United Nations should be able to resolve, especially as India's original suggestion for a plebiscite provided a basis for settlement.⁴ George Mc. Ghu, Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs asserted that, "We wanted to avert full-scale war between India and Pakistan - this was always a threat. Our effort failed - because of Nehru." Apart from Kashmir issue in the beginning of Cold War period, there were other issues, which made differed views of the two countries like International control of atomic en-

ergy question, Palestine and the creation of Israel, Indonesia and Indo-China issues.

India did not approve of the American policy of containing communist Soviet Union and China through system of military alliance and sought to promote a climate of peaceful co-existence and co-operation by recognizing the vital differences between their political and economic institutions and its own. India's policy towards China specially offended the Americans. Nehru's mild stand on the Chinese invasion of Tibet, dissociation with American move to brand China as an aggressor in Korea and opposition to the United States Sponsored 'Uniting for Peace' resolution of November, 1950 greatly irritated United States. India's attitude towards the peace Pact between USA and Japan concluded at San Francisco in September 1951 also caused some bitterness in Indo-American relations. India not only refused to take part in the conference but also criticized the American move not to invite Soviet Union and China to the conference.

Actually Washington had begun a friendly attitude towards India and offered an extended aid and weapon policy. But Nehru rejected the U.S. offer. One of the irritating issue and that emerged in the relations between Washington and New Delhi on Peace Treaty with Japan. In the mid 1951 Indian Prime Minister decided that India would not sign the treaty. The Prime Minister believed that treaty should have included the Soviet Union and the Communist China was also unhappy about the security arrangements between Japan and the United States.⁵

North Atlantic Treaty Organization (NATO) was established in 1949. A few years later the South East Asian Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CEATO) were born. The US would have welcomed India's membership on of these Asian military alliances. Neither of these had however happened.⁶ Having received cold shoulder from Nehru, the United States turned to Pakistan for alliance, which became members of both SEATO and CENTO. Pakistan, of course, was not sincere in its joining anti communist military alliances. It did not perceive a threat from Russia or China. India's policy enraged the American authorities and American enthusiasm for India diminished. Being, thus, snubbed by New Delhi, Washington now approached Islamabad and offered a bouquet of

* Associate Professor (Political Science) KNIPSS, Sultanpur (U.P.) INDIA

economic and arms assistance to Pakistan. There was, therefore, signed in May 1954, the Mutual Defense Assistance Agreements and founded a system of military alliance in Asia.⁷ After, the US military supply to Pakistan became a major irritant in Indo-U.S. relations. Bilateral relations was embittered and anti American elements and sentiments were strengthened in India. The U.S. military Pact with Pakistan changed the whole context of the problems existing between India and Pakistan. The bilateral Indo-Pak relations assumed a triangular relationship, with the United States as the third party.⁸ Thus the military alliance "Sharpened Indo-Pak relations. It became a constant factor in the reaction and counteraction which characterized the subsequent relations between the two suspicious neighbours."⁹

The American choice fell on democratic India as a counterforce to communism in Asia, But the United States was sorely disappointed when Nehru refused to be drawn into the Cold War and decided to follow the policy of non-alignment or equal friendship with both blocs. Having failed to secure Indian support for its policy, the United States ultimately turned to Pakistan.¹⁰ America demonstrated a frankly hostile attitude towards India's policy of non-alignment. John Foster Dallas criticized India's neutralism as an impartial and shortsighted policy. Vice President Nixon also advocated that this military assistance to Pakistan was an anti-dote to Nehru's policy of India. Huge amount of sophisticated military weapons were provided to Pakistan to maintain military parity between India and Pakistan. Baldev Raj Nayar, while analyzing the role of supply of arms to Pakistan as a factor in Indo-American relations, stated that the search for military parity between India and Pakistan was the cardinal principle of the American post war policy in South Asia. To minimize the damage to the U.S.-Indian relations, President Eisen Hower, wrote to Prime Minister Nehru, stressing that military aid for Pakistan was not actually directed against India, assuring him that America would come to India's help if Pakistan were ever to use this arms for aggression against India and offering to give sympathetic consideration to any Indian request for arms.

However, the U.S- Pakistani military assistance adversely effected Indo-U.S. relations shortly after the United States agreed to supply arms to Pakistan. The American Ambassador to India, George V. Allen, describe to the Committee on Foreign Affairs of the House of the Representative's the effect of the development on Indian opinion, according to him, had been all along generally very friendly towards the United States. The Ambassador said, "There is one issue upon which perhaps 95% or more of the India's are united in opposition to the USA: That is the only issue on which there is strong feeling. It is the question they are all against us."¹¹ The cause on which America embarked embitters relations with India and a continuing supply of ammunition to anti American elements. Far from promoting stability on the sub-continent, the military aid pact

intensified deviation Pakistani and Indian intransigence in respect of outstanding issues, and thereby hindered Indo-Pakistani reconciliation.

Pakistan in reality wanted to be strengthened against India. She needed modern arms in an appreciable quantity to counter balance India's power position. It could not acquire these arms with its own financial resources. Pakistan joined the Western alliance to obtain arms easily and also to get support on the Kashmir issue. It had long been Pakistan's ambitions to attain 'Parity in military' strength with India. Thus it could do only by borrowed power. Pakistan received some \$730 million in offensive military equipment like Patton tanks, F-86 sabers and F-104 star fighters etc, plus 1.3 billion in communications equipment training programmes.

However, Eisenhower was not satisfied on the downturn in Indo-American relationship. He was not fully antagonistic towards India moreover sympathetic to former colonial states. He worried that if the West failed to support decolonization and economic development, the countries of Asia and Africa would become independent any way and find communism attractive.¹² In the early days of Eisen Hower period, India's economic development was not a popular theme to him. One of the secretary Dulles first decisions regarding India was, indeed, to slash the economic assistance request for fiscal year 1954 by 30% to \$140 million.

Actually speaking in this time the United States had been too soft with the Indian's on aid. According to American Administration the main focus continued to be on agriculture and rural development with the Community Development Program initiated by Bowles the top priority activity. The US Government allocated \$ 104 million for India to increase on overall economic development.

In 1954, a new agricultural commodity bill Public Law (PL) 480 also became law. PL- 480, as it was soon known permitted the U.S. Government to dispose of mounting surplus farm products in return for blocked rupees.¹³ Washington supported the push for increased assistance for India. In the beginning of 1956, U.S. secretary Dulles and ambassador to India, John Sherman Cooper, (former Republican Senator from Kentucky) proposed a larger aid program to provide substantial U.S. support for the India second Five year Plan. Cooper justified the boost in assistance in terms of countering the increased Soviet effort to penetrate South Asia and of supporting India's efforts to develop her economy by democratic means.¹⁴ The U.S. envisaged up to 5 million tons of food grains over three years to India in this time.

References:-

1. The Indian leaders acknowledged with gratitude the positive role-played by the American President in exerting pressure on the British Government to expedite the grant of independence to India.
2. J.N. Dixit, *Indian Foreign Policy: Challenge of Terror-*

- ism, Fashioning New Inter-State Equations*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2002, p. 289
3. The question of Kashmir has been a constant soar in the relationship of India and Pakistan.
 4. The Kashmir issue also involved the two countries in two serious wars in 1965 and 1971. For more details see Dennis Kux, *Estranged Democracies: India and the United States (1941- 1991)*, Sage Publications, New Delhi, 1993, p. 58.
 5. *I bid*, p. 67.
 6. Nehru, vol-2, p. 484, letter of 15 August 1951.
 7. Nalini Kant Jha (ed.), *India Foreign Policy in a changing World*, South Asian Publications, New Delhi, 2000, p. 61.
 8. Nehru firmly declined either of the two power blocs (one the Soviet bloc and another U.S. bloc) and expounded the policy of non-alignment as a measure of safe guarding independence and contributing to the maintenance of world peace. So India's neutral policy and state forward refusal to join the western alliance's disappointed and annoyed the American authorities, and they now offered the same to Pakistan.
 9. Tanvir Sultan, *Indo-U.S. Relations*, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1982, p. 75.
 10. Russel Brines, *The Indo-Pakistani Conflict*, Pall Mall Press, London, 1968, p. 104.
 11. The democratic ideas of America greatly fascinated the Indian leaders, especially Nehru and tried to develop intimate relations with U.S.A. However the decision of India to follow policy of non-alignment did not find favour with the U.S. leaders and they considered it as an unfriendly posture towards U.S.A. The term "non-alignment" appears to have been coined by Nehru in a speech of April 28, 1954, in Colombo (Sri Lanka). Generally, the term implies the policy of maintaining equidistance from the super power rivalry and avoiding direct involvement in military alliances or pacts. In 1954 Nehru categorically stated the "NAM had nothing to do with neutrality or passivity". See Tanvir Sultan, *op.cit*, p. 71.
 12. Explaining the reaction of the United States Washington Correspondent of the New York Times observed, as a matter of fact the opposition of Prime Minister Jawharlal Nehru of India was so pronounced that the state Department felt that the U.S. had to go through with the agreement or face up to the consequences of turning the leadership of South Asia over to neutralist India. See *New York Times*, February 8, 1954.
 13. Stephen E. Ambrose, *Eisen Hower: The President*, vol. II, Simon and Schuster, New York, 1984, pp. 376-77.
 14. PL-480 Legislation envisaged three types of food aid. Title I provided for the sale of surplus food for blocked local currencies. Title II authorized donation of food grants to non-profit charitable organizations for distribution abroad. The bulk of U.S. food aid to India came under the Title I. This program ended in the 1970's with debt settled through the rupee agreement. Title III programs have continued into the 1990's running about \$100 million annually.
 15. FRUS, 1955-1957, vol. VIII, pp. 311-17, letter from Cooper, March 13, 1956. (Report of State Department Discussion on South Asia).

A Comprehensive Study of the Urdu Fiction (With Special Reference to the Novels- Mirwah Ki Ratain, Char Darvesh Aur Aik Kachhwa, Baagh, Aatishzaad, Galliyon Ke Log, Mussar raton Ka Sheher, Raja Gidh, Khas o Khashak Zamane, Sifar Se AikTak, Pandrah Jhoot Aur Tanhai Ki Dhoop)

Dr. Arshad Siraj *

Abstract - Urdu novels are rich with literary taste. There are some extraordinary writers who wrote down some mysterious works. If a person has never read any Urdu novel, he should develop a taste for it and start with Umaira Ahmed's novel peer-e-kamil; if a person wants to trace history of Pakistan and India, he should go to the works of Nasim Hijazi and Altumaish; if a person wants to read romantic and dramatic novels, he should read Nadeem Hashimi's novel Khuda aur Muhabbat. These are some excellent and evergreen writers of Urdu novels, you will find, history, culture and literariness in these works. Like English novels Urdu novel is rich with pure literature.

Urdu Novels are rich in terms of their technicality or critical classic status. Some of the notable Urdu novels that are accessible to the people in the market or online include Naya Kanoon by Sa'adat Hasan Manto, Hajj-e-Akbar by Munshi Prem Chand, Godaan by Munshi Prem Chand, Umrao Jan Ada by Mirza Mohammad Hadi Ruswa, Aagka Darya by Qurratulain Hyder etc. Each of the Urdu novels written either by the authors with the Urdu tongue or Hindi tongue, is excellent in itself and reveals both the intellectual personality of the author and the contemporary social scenario and trends.

The present paper is a qualitative exploratory study which deals with some of the popular Urdu novels that bear the stamp of the originality of the novelists who produced them through their efforts.

Introduction - Urdu Novels: A Peep into the Human Insight: Hereunder are some of the Urdu novels that make room in the hearts of the fiction lovers across the world.

Naya Kanoon by Sa'adat Hasan Manto: The story revolves around a tonga driver, Mangoo, who despises the British Colonizers and cannot wait for the new Act which he mistakenly believes will end colonial rule. He receives a big shock when on the first day under the new act he refuses to be humiliated by a British customer and hits back.

Hajj-e-Akbar by Munshi Prem Chand: It is a story about a woman.... muslim woman who works as a housemaid in a rich family. She saves money to perform haj but when she starts her journey and sits in a taanga. The small boy in the family who is very fond of her starts crying...at the time of her departure, she hears the news that the boy's condition is worsening. And at the last moment, she decides to cancel her hajj so that the boy doesn't die.

Godaan by Munshi Prem Chand: Godaan - literally, the donation of a cow - seems, when this landmark novel of Premchand's first begins, an event unlikely to happen, because the story starts with a poor farmer's desire to somehow buy a cow. Hori, the 40-year old protagonist of

the book, owns three bighas of land, is in debt to various moneylenders in his village.

Umrao Jan Ada by Mirza Mohammad Hadi Ruswa: The novel is written in first person as a memoir and is known for its elaborate portrayal of mid-19th century Lucknow, its decadent society, and also describes the moral hypocrisy of the era, where Umrao Jan also becomes the symbol of a nation that had long attracted many suitors who were only looking to exploit her.

Aagka Darya by Qurratulain Hyder: The story-line extends from the time of Chandragupta Maurya to the India-Pakistan Partition of 1947. The tale is a story of more than two thousand years and fundamentally centers around the India before segment.

Mirwah Ki Ratain: This novel focuses on most sensitive and taboo subject of Pakistani society. It's Sex. It beautifully explains psychological impact on our youth with immense sexual desires running in their veins. While taking us on this journey of a young man, author played the biggest trick to express sexual fantasies not sake of pleasure but as a condition which causes a young man to put everything on a stake while perusing his satisfaction in a rural town of

modern day Sindh.

Char Darvesh Aur Aik Kachhwa: This novel is best example of experimental and modern Urdu fiction. Usually an Urdu Novel revolves around a first person and third person character. This novel is rebelling to this old technique as it carries its plot as prospective of five different main characters including the pet turtle. It beautifully creates doubts in mind of a reader as every character tells different version of same incident. Certainly raises a question that finding reality is something like myth. It also touches subjects like social /religious intolerance and sexual psychology.

Baagh: Literally means 'Tiger' in simplified Urdu. This novel is my most favourite novel by Abdullah Hussain. Though He's famous for His period/partition novel UdasNaslain. This novel has best imagery. Till 23rd page there's only one dialogue but you just can't take eyes off from the book. Novel opens with a scenario as a man eater tiger lurks around a mountaineous village. The main character of 'Assad' (which also means tiger) is a lonely drifter who gets dirty with Kashmiri freedom fighters when he's falsely accused of a murder.

Aatishzaad: Literally means "Son of Fire". This novel can't be compared to other novel on literary standards as it's being a pulp/crime novel. However it has the unique characteristic to capture the mind in imagery of suppressed riverside village by a feudal lord and his goons. Author of this novel started writing in local Urdu pulp/crime magazines and there's a hint of poetic sense in his writing when he dares to paint rural life in all of his fiction. The Hero/Anti Hero of this novel is Alamgeer who's leader of feudal goon army but secretly he's working on his own sinister agenda.

GalliyonKe Log: Originally extended novelised draft of Iqbal Hassan Khan's PTV longplay, this novel is very mellow but thoughtful in its impact. Iqbal Hassan Khan was a famous Screenplay writer from PTV Islamabad Centre. His famous and my favourite drama serials were Tinkay and AadhiDhoop. This novel revolves around interesting set of characters in an immigrant neighbourhood who all have different opinions about partition according to their self inclined political beliefs as Two Nation Theory and Marxism.

Mussarraton Ka Sheher: Authored by Razia Butt who was famous for her feminine literature but this novel is totally different from her subject and style. It's more like philosophic piece who uses techniques like magic realism. This novel explains history of a fictional city where evil squats firmly and some characters set foot for a journey to a legendary city called "City of Joys".

Raja Gidh: If someone isn't familiar with this title then I feel only pity for him. This is amongst finest and celebrated novels in history of Urdu literature. I can't review it further as one can find tons of data about it. It beautifully explains metaphorically sad destiny of a young man who never finds love. Sinimalry as a vulture is destined to feast on dead meat.

Khas o Khashak Zamane: Not a big fan of Mustansar

HussainTarrar despite him being very prolific novelist. Nevertheless this is my favourite novel by Him. Certainly another partition/period novel, highly comparable to UdasNaslain and AagKa Darya but very strong to percept competing to above.

Sifar Se AikTak

Pandrah Jhoot Aur Tanhai Ki Dhoop: Certainly not a novel but collection of four novellas. This is a new sensation of romance and social realism. It could have been injustice to ignore this book as it's far better than its first impression which a reader will get.

Objectives of the Study: Going into the depth of the Urdu fiction and some of the Urdu novels is the main objective of the study.

Hypothesis

1. To a common reader, the Urdu fiction is not easy to understand.
2. Urdu is worthy to be practiced and understood.

Related Studies: 'From its various beginnings in the nineteenth century and ever since the rise of print capitalism on the Indian subcontinent, the Urdu novel has become a prime medium of expression for writers seeking to fuse the narrative traditions of both the East and the West. As a hybrid genre which took shape during the nineteenth century, the Urdu novel's early beginnings were associated with the theme of historical romance; this eventually gave way to the influence of realism in the first half of the twentieth century. By and large, the Urdu novel incorporates influences encompassing the fantastical oral storytelling tradition of the dastan or the qissa (elaborate lengthy heroic tales of adventure, magic and honour), the masnavi (a form of narrative poem), Urdu grammars, religious pamphlets and journals, and the European novel.'¹

'Fiction' is among the words that have been borrowed by Urdu from the English language but this loan word has very much become part of the Urdu vocabulary. The word fiction is often used as a synonym for novel. Sometimes the term fiction denotes prose narratives, that is, novel and short story. But literary critics usually agree that fiction is a more general term and it includes any literary narrative that is imaginative and does not claim to be true. This extension in the definition of the term implies that the works of poetry also fall in the category of fiction.

There are many forms of fiction. The earliest Urdu fiction appeared in the form of dastans. A dastan is an enormously long tale that has many stories within the story. There are love affairs, mishaps and battles — with supernatural factors helping the story to lengthen further — and some buffoons to provide readers with comic relief. In many early works of Urdu fiction, lovers get separated, usually owing to the evil designs of a genie that happens to like the princess, but overcome all the adversaries and get reunited and (as we all know) live happily ever after. The early works of Urdu literature, as mentions Dr Farman Fatehpuri in the book under review, have a form very close to dastan, whether it is prose or poetry, be it a romance or

a fable, a parable or an allegory.²

'Modern narrative genres of the novel and short story are oftendescribed as "foreign" or "imported" into South Asian literatures because they made their appearance in India in the nineteenth century in the wake of British administration and education. In so far as Urdu literature is concerned, the tradition of the novel is now more than a hundred years old, and that of the short story very nearly a century old. Nevertheless some critics and historians of Urdu literature continue to regard these popular and widely-practiced genres as something alien³.

'Before the development of novel, Dastans were used to be written. They were for the refreshment and recreation. These dastans had a plenty of supernatural elements in them. We see that the novels were written in period when there was prosperity and peace. But when the time changed and Mughal Empire met a decline. The English came to India and snatched rule from the hands of the Muslims. The life became difficult. The people came back from the world of imagination to real world which had so many problems, pains and difficulties. Now they began to watch the life with the real eyes. Then the prose gained seriousness. The story which was entangled in the imaginative surroundings of dastan gained a realistic style. Dastan presented imaginative life, whereas the novel narrates real life. Novel is a story in simple language, in which events of routine life are presented in such a way and technique that may arouse interest in reader. The interest is created with the help of plot, imagery and characterization. There are some contradictions regarding the history of novel but no one denies the fact that novel represents the real life. Novel can be a long story but it has not extraordinary length of dastan. Novel tells the story of the whole life. It has different aspects of life in it. It has a central story and these secondary stories also but they are not like those of dastan. The secondary stories in novel are also secondary stories but they are always integrated with the central story,⁴.

Method: The method adopted for the writing of this research paper as well as for generalization is inductive method, that is, from specific to general.

Conclusion: Reading is a wonderful method to get away from the monotony of everyday life. There is no better way to unwind than to read a good book and lose yourself in a captivating story. There are a lot of good novels out there with some of the best stories ever!

The Urdu script is completely different from the Devnaagri

script.

1. Each word has a different form depending on its location - the beginning, the middle or the end.
2. Urdu when written is usually without vowels. For example: *Whtshld I strtlrng as a frgnlngge?*

(Note : The single consonants have been written so to make sense) So now in the above sentence you can pretty much make out what is written, because you've studied English for years now. And you also understand the context. So Urdu (as seen in magazines, newspapers) is written without the vowels just as shown in the example.

3. There are different alphabets for the same sound! The sound "aa" can be expressed by Alef or Aayeen. The sound "Ka" is expressed by 2 different alphabets. But which one is the right one can be learnt only by practise. Urdu is close to Hindi but still there are differences in the vocabulary and that too with a new alphabet, it takes time, hell lots of time. The following steps can help the reader learn and understand Urdu-

The first step : Learn and memorise the alphabet. It can take anytime between 2 days to 2 weeks to master it. (I learnt the Arabic alphabet in 2 days, but it took me around 2 weeks to memorise and master it)

The second step : See how are they used in the words. As I stated above, words can take different forms depending on their position, learn the structures.

Third step : Learn the words. Learning "Elephant" is easier as compared to learning "Elphnt" as the latter doesn't have an vowels. So learn how are the different words written.

Step four : Vocabulary and grammar. Vocabulary can be helped over by anyone aged in your family.

The Urdu fiction is great, and it should be enjoyed more and more by developing reading as a hobby.

References:-

1. Amina Yaqin-Truth, Fiction and Autobiography in the Modern Urdu Narrative Tradition, Comparative Critical Studies, Volume 4, Issue 3, 2007
2. Dr Farman Fatehpuri-Urdu Fiction Ki Mukhtasar Tareekh, History of Urdu fiction, 2008
3. Christina Oesterheld- Nazir Ahmad and the Early Urdu Novel: Some Observations, The Annual of Urdu Studies, 2001
4. Qamar Abbas, Ghazala Zia, Zafar Abbas, Mujahid Abbas, Dua Qamar, Farooq Ahmad-Urdu Novel: Technique and Tradition, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 7(1) 220-225, 2017

Economic Resilience and Livelihood Patterns of Tribal Communities in India

Dr. Gouri Shanker Meena*

Abstract - India, renowned for its cultural diversity, hosts a rich tapestry of indigenous tribal communities. These communities, often dwelling in ecologically significant regions, have preserved unique cultural traditions, languages, and economic practices that are intimately tied to their natural surroundings. However, they have endured historical marginalization and economic challenges that persist to this day. Tribal communities in India, collectively referred to as Adivasis, Scheduled Tribes, or indigenous populations, represent a significant portion of the nation's diverse social fabric. They have historically faced systemic marginalization, rooted in colonial legacies that reconfigured land rights to their detriment. These historical legacies have left a lasting impact, contributing to their economic vulnerabilities, and limited access to education, healthcare, and other essential services. Tribal communities have traditionally engaged in diverse economic activities that are deeply intertwined with their natural surroundings, cultural traditions, and social structures. These livelihood patterns reflect not only their economic survival but also their role in preserving biodiversity and cultural heritage.

Keywords: Economic Resilience, Livelihood Patterns, Tribal Communities, India, Indigenous Knowledge, Government Policies.

Introduction - India, a nation renowned for its cultural diversity and pluralistic society, is home to a rich tapestry of indigenous tribal communities. These communities, often residing in the remote and ecologically significant regions of the country, have preserved unique cultural traditions, languages, and economic practices that are intrinsically tied to their natural surroundings. Despite their historical significance and cultural wealth, tribal communities in India have long grappled with economic challenges and social marginalization.

Tribal communities in India, collectively representing a substantial portion of the population, have historically been subjected to marginalization and economic disenfranchisement. This marginalization has roots in colonial legacies, post-independence policies, and a myriad of socio-economic factors. In many cases, tribal communities have limited access to essential services such as education, healthcare, and infrastructure. Additionally, land and resource rights have been a point of contention, often leaving these communities vulnerable to economic shocks.

Tribal communities have traditionally relied on a wide range of economic activities closely linked to their natural surroundings and cultural traditions. Agriculture has been a primary livelihood activity, with the cultivation of diverse crops, including millets, pulses, and traditional grains. These farming practices often incorporate sustainable techniques. Forests have been a vital source of sustenance, providing

opportunities for hunting, gathering, and the collection of non-timber forest products. These practices are deeply rooted in indigenous knowledge and sustainability. Some tribal communities engage in pastoralism, herding livestock such as cattle, goats, and sheep. Nomadic or semi-nomadic lifestyles allow them to adapt to changing environmental conditions. Tribal communities have a rich heritage of craftsmanship, producing intricate handicrafts and artisanal goods. These products not only hold cultural significance but are also increasingly commercialized.

Understanding the livelihood patterns and economic resilience strategies employed by these tribal communities is of paramount importance for several reasons. Firstly, it sheds light on their remarkable ability to adapt and persevere in the face of adversity, showcasing the innate resourcefulness and resilience of these communities. Secondly, it provides insights that can be instrumental in crafting policies and interventions aimed at enhancing the economic well-being of these marginalized groups. Lastly, it contributes to the broader discourse on indigenous communities and their role in the economic landscape of a rapidly developing nation.

Economic Livelihood Patterns: Tribal communities in India have historically engaged in diverse economic activities that are intricately linked to their natural surroundings, cultural traditions, and social structures.

A. Traditional Economic Activities

1. **Agriculture:** Agriculture has been a cornerstone of

* Assistant Professor (Sociology) S. B. P. Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

tribal livelihoods for generations. Tribal communities engage in subsistence farming, cultivating a variety of crops such as millets, pulses, and traditional grains. Traditional farming practices often incorporate sustainable techniques, including crop rotation and organic farming, aimed at preserving the ecosystem.

2. Forest-Based Livelihoods: The forests play a central role in the livelihood of many tribal communities. Hunting, gathering, and the collection of non-timber forest products (NTFPs) provide essential sources of food, medicine, and income. These practices are deeply rooted in indigenous knowledge and sustainable resource management.

3. Pastoralism: Nomadic or semi-nomadic pastoralism is prevalent among certain tribal groups, where herding livestock such as cattle, goats, and sheep forms the core of their economic activities. The mobility of pastoralists allows them to adapt to changing environmental conditions and access fresh grazing lands.

4. Handicrafts and Artisanal Work: Tribal communities have a rich tradition of craftsmanship, producing intricate handicrafts and artisanal goods. These include textiles, pottery, basketry, and jewelry. Many of these products hold cultural significance and are increasingly marketed for commercial purposes.

B. Changes in Livelihood Patterns

5. Shifts in Agricultural Practices: In response to environmental changes and market demands, some tribal communities have modified their agricultural practices. They may incorporate new crop varieties or adopt more commercial farming techniques, while still preserving aspects of their traditional agricultural heritage.

6. Monetization and Market Integration: The introduction of currency and monetization has brought about significant changes in the economic lives of tribal communities. This integration with markets has facilitated the exchange of goods and services, impacting their economic choices.

7. Non-Agricultural Income Sources: As economic landscapes evolve, tribal communities are increasingly engaging in non-agricultural activities. Wage labor, small-scale industries, and tourism-related services are becoming supplementary sources of income.

8. Commercialization and Sustainable Practices: The commercialization of tribal products is on the rise, reflecting both opportunities and challenges. This shift often involves balancing the economic potential of their products with sustainable practices to protect the environment and cultural heritage.

C. Role of Natural Resources

9. Dependency on Natural Resources: Tribal communities depend heavily on natural resources for their economic survival. This reliance, however, makes them vulnerable to environmental changes and resource depletion.

10. Biodiversity Conservation: Tribal communities have demonstrated a profound understanding of biodiversity

conservation. Their traditional knowledge and practices contribute to the preservation of local ecosystems, ensuring the symbiotic relationship between nature and their livelihoods.

11. Conflict over Resource Rights: Issues related to land and resource rights are a persistent challenge for tribal communities. Conflicts with government policies, external stakeholders, and encroachment on their traditional territories can disrupt their livelihoods.

12. Innovations in Resource Management: In response to external pressures and the need for sustainable resource management, some tribal communities have initiated innovative approaches. These community-led efforts aim to balance economic activities with environmental preservation.

D. Economic Interactions with Non-Tribal Communities

13. Economic Exchanges and Trade: Tribal and non-tribal communities often engage in economic exchanges and trade relations. This interaction can foster cooperation and economic opportunities but may also lead to issues of exploitation or cultural appropriation.

14. Influence of External Markets: External markets and consumer demand can significantly influence the economic choices and livelihood patterns of tribal communities. The commercialization of traditional products often depends on market trends.

Economic Challenges: The economic landscape for tribal communities in India is marked by a series of complex challenges that impede their sustainable development and economic well-being. These challenges are deeply rooted in historical legacies, socio-economic disparities, and the unique position of tribal communities within the larger Indian society. Understanding these economic challenges is vital to formulate effective policies and interventions aimed at improving the livelihoods of tribal populations.

1. Poverty and Income Disparities: Poverty remains a pervasive issue within tribal communities. A substantial proportion of tribal households live below the poverty line, struggling to meet their basic needs. Income disparities are pronounced, with tribal populations generally experiencing lower income levels compared to their non-tribal counterparts. This economic disparity is exacerbated by limited access to income-generating opportunities.

2. Limited Access to Education and Healthcare: Access to education and healthcare services is often compromised for tribal communities. Inadequate infrastructure, geographical remoteness, and socio-cultural factors contribute to lower literacy rates and limited healthcare access. The absence of quality education and healthcare facilities perpetuates the cycle of economic disadvantage.

3. Land and Resource Rights Issues: Land and resource rights are fundamental to the economic well-being of tribal communities, as many of their livelihood activities are intricately linked to natural resources. However, disputes

over land ownership, encroachments, and insufficient legal protection of their rights lead to landlessness and displacement. These issues not only disrupt traditional livelihoods but also result in economic vulnerabilities.

4. Economic Vulnerability to Environmental Changes: Tribal communities often inhabit ecologically sensitive regions. Environmental changes, including deforestation, soil erosion, and climate variability, can have a profound impact on their livelihoods. Traditional practices that rely on a stable natural environment are threatened, making them more susceptible to economic shocks.

5. Lack of Access to Credit and Financial Services: Limited access to formal financial institutions and credit facilities constrains the economic activities of tribal communities. This lack of access hampers their ability to invest in income-generating enterprises, making them dependent on external sources of funding, often at unfavorable terms.

6. Exploitative Labor Practices: In some cases, tribal communities are subjected to exploitative labor practices, particularly in informal sectors such as agriculture, construction, and mining. Low wages, lack of job security, and poor working conditions further exacerbate their economic challenges.

7. Lack of Market Integration: The economic isolation of many tribal communities hinders their participation in broader economic systems. Limited access to markets and market information restricts their ability to fetch fair prices for their products, hindering economic growth and commercialization of traditional goods.

8. Cultural and Social Barriers: Cultural and social barriers, including discrimination and exclusion, can limit the economic opportunities available to tribal communities. Stereotypes and biases may result in a lack of access to markets, employment opportunities, and essential services.

Economic Resilience among Tribal Communities: Tribal communities in India have demonstrated remarkable economic resilience, adapting to a dynamic and often challenging economic landscape while preserving their cultural identity and traditional practices. This resilience is a testament to their resourcefulness and adaptability in the face of persistent economic challenges.

1. Indigenous Knowledge and Traditional Practices: Tribal communities possess a wealth of indigenous knowledge and traditional practices that are finely attuned to their natural surroundings. These practices are a source of economic resilience, enabling them to make the most of their environment.

2. Community Support Systems: Strong social networks and community support systems play a pivotal role in the economic resilience of tribal communities. Mutual aid networks, traditional governance structures, and collective decision-making processes provide safety nets during times of economic adversity. These support systems foster cooperation, shared resources, and a sense of collective responsibility, which are essential in coping with economic

shocks.

3. Coping Mechanisms: Tribal communities have developed coping mechanisms that allow them to adapt to changing economic circumstances. They diversify their livelihood strategies, shifting economic activities based on market demands and altering agricultural practices to suit changing environmental conditions. This adaptability ensures their ability to maintain a certain level of economic stability.

4. Sustainable Resource Management: A significant aspect of economic resilience is the sustainable management of natural resources. Tribal communities follow resource utilization practices that balance their economic needs with the long-term health of the environment. This ecological wisdom not only supports their livelihoods but also contributes to biodiversity conservation and ecosystem health.

5. Cultural Identity and Traditions: The preservation of cultural identity and traditional practices is integral to economic resilience. Tribal communities take pride in their heritage, and their economic activities are often deeply entwined with cultural practices. The continuation of these traditions not only fosters a sense of identity but also provides motivation for economic resilience, as communities are dedicated to preserving their way of life.

6. Innovations and Adaptation: Tribal communities are not stagnant; they adapt to changing economic circumstances and evolving market dynamics. In response to external pressures and opportunities, some communities have demonstrated innovative approaches. These may include commercializing traditional products, incorporating modern technologies where appropriate, and seeking new income-generating opportunities.

7. Government Policies and Interventions: Government policies and interventions aimed at tribal development can also contribute to economic resilience. When designed and implemented effectively, such policies can provide access to education, healthcare, and infrastructure. They can also promote sustainable economic practices and create opportunities for income diversification. **Government Policies and Interventions:** Government policies and interventions play a crucial role in shaping the economic landscape and livelihoods of tribal communities in India.

1. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006: The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, commonly known as the Forest Rights Act, is a landmark legislation that recognizes the forest rights of tribal and other traditional forest-dwelling communities. It empowers these communities to secure their individual and community forest rights, including the right to access, use, and manage forest resources. The implementation of this act has had a significant impact on tribal communities' access to and management of forest resources, a key component of their

livelihoods.

2. Tribal Sub-Plan (TSP) and Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP):The Tribal Sub-Plan (TSP) and Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) are financial strategies designed to ensure that budgetary allocations are earmarked specifically for the development of Scheduled Tribes and Scheduled Castes, respectively. The TSP, in particular, directs resources toward tribal welfare, including investments in education, healthcare, infrastructure, and income-generating activities. These plans are intended to address historical economic disparities by focusing on targeted development initiatives.

3. National Rural Livelihood Mission (NRLM):The National Rural Livelihood Mission (NRLM) seeks to enhance the livelihoods of rural communities, with a focus on women and marginalized groups, including tribal communities. The mission promotes the formation of self-help groups, capacity building, access to credit, and skill development. It empowers tribal households to engage in various income-generating activities and micro-enterprises.

4. Special Central Assistance (SCA) to Tribal Sub-Scheme:The Special Central Assistance (SCA) to Tribal Sub-Scheme is a dedicated fund aimed at improving infrastructure, education, and health services for tribal communities. It provides financial assistance for projects and schemes tailored to the specific needs and priorities of tribal regions. The SCA aims to reduce economic disparities and uplift tribal communities.

5. Employment and Skill Development Programs:Several employment and skill development programs are designed to enhance the employability of tribal youth and adults. These initiatives include the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), and various state-specific programs. These programs provide opportunities for wage employment and skill training, which can significantly improve economic prospects.

6. Affirmative Action in Education:Affirmative action policies in education, such as reserved seats in educational institutions and scholarships for tribal students, are aimed at improving educational access and attainment. A better-educated workforce is better equipped to access higher-paying jobs and contribute to the economic development of their communities.

7. Initiatives for Livelihood Diversification:Government initiatives also support livelihood diversification among tribal communities. These may include promoting non-farm activities, facilitating access to markets, and encouraging the commercialization of tribal products while maintaining sustainable practices.

8. Land Rights and Tenure Security:Efforts to secure land rights and tenure security are essential for tribal communities. Policies that address land disputes, land alienation, and the provision of legal titles can protect their primary asset and source of economic stability.

Government policies and interventions have the

potential to positively impact the economic resilience and livelihood patterns of tribal communities in India. However, their success is contingent on the effective implementation, community engagement, and a deeper understanding of the unique challenges faced by each tribal region.

Cash studies

Case Study 1: Economic Resilience among the Bonda Tribe in Odisha

The Bonda tribe, inhabiting the hilly and remote regions of Odisha, faces numerous economic challenges, including limited access to formal education and healthcare. However, their economic resilience is evident through their traditional agricultural practices and use of non-timber forest products, which sustain their livelihoods. The Bonda tribe predominantly practices shifting cultivation, growing crops like millets, maize, and pulses. They also rely on the collection of non-timber forest products, such as wild fruits, tubers, and medicinal plants. The community places a strong emphasis on traditional knowledge and cultural practices.

The Bonda people have preserved their traditional farming techniques, which are adapted to the local ecosystem. The collection and sale of non-timber forest products provide a supplementary source of income. The community's deep understanding of local flora and fauna is essential for resource management and livelihood sustenance. The implementation of the Forest Rights Act has enabled the Bonda community to secure their forest rights, enhancing their access to forest resources. Government-sponsored community development programs have aimed to improve education, healthcare, and infrastructure, further supporting their economic well-being.

Case Study 2: The Economic Resilience of the Khasi Tribe in Meghalaya

The Khasi tribe, indigenous to the Meghalaya state in northeastern India, exemplifies economic resilience through their innovative agricultural practices, community-based governance, and unique matrilineal society, which empowers women as economic contributors and decision-makers. The Khasi people practice sustainable, terraced farming on the hilly terrain of Meghalaya. They cultivate a variety of crops, including rice, maize, and ginger. The matrilineal society ensures that land and property are passed down through the female lineage, empowering women economically.

The Khasi people have developed innovative agricultural practices, including living root bridges and aquaculture systems. These sustainable methods increase agricultural productivity and adapt to the challenging terrain. The matrilineal society allows women to own and inherit property, manage land, and participate in economic activities, providing an equitable distribution of economic power within the community. Community-based institutions and decision-making structures foster cooperation and mutual support, contributing to the resilience of the Khasi people. The government has supported terraced farming

projects, promoting sustainable agricultural practices and enhancing crop yields. Government initiatives focus on women's empowerment and access to education, further reinforcing the matrilineal society's economic significance.

Conclusion: The economic resilience and livelihood patterns of tribal communities in India offer a captivating narrative of adaptability, resourcefulness, and the intersection of cultural heritage with sustainable practices. The case studies of the Bonda tribe in Odisha and the Khasi tribe in Meghalaya illuminate the remarkable ability of these communities to thrive in the face of economic adversity while preserving their distinct identities. Indigenous knowledge, rooted in generations of experience and fine-tuned to local ecosystems, is the bedrock of economic resilience among tribal communities. Sustainable agricultural techniques, forest management practices, and the preservation of cultural traditions are fundamental to their economic well-being. These practices not only ensure food security but also contribute to environmental conservation, reflecting the symbiotic relationship between these communities and their surroundings. Government policies and interventions have played a pivotal role in supporting economic resilience.

References:-

1. https://repository.tribal.gov.in/bitstream/123456789/74196/1/IIPA_2016_research_0009.pdf
2. http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc261016-8.pdf
3. Government of India. (2013). Statistical profile of Scheduled Tribes in India. Statistics Division, Ministry of Tribal Affairs
4. Government of India. (2014). Report of the high-level committee on socioeconomic, health and educational status of tribal communities of India. Ministry of Tribal Affairs. <https://www.thehinducentre.com/the-arena/current-issues/article26862775.ece/binary/Tribal%20Committee%20Report,%20May-June%202014.pdf>
5. Islam, M. A., Quli, S. M. S., Sofi, P. A., Bhat, G. M., & Malik, A. R. (2015). Livelihood dependency of indigenous people on forest in Jharkhand, India.
6. Krishna, S. 2004. Livelihood and Gender: Equity in Community Resource Management, Sage publication, New Delhi.
7. Roy Burman, B.K. 1993. 'Tribal development in world system perspective', Social change.
8. Chambers, R. and Gordon Conway. 1991. Sustainable Livelihoods: Practical Concept for the 21st Century, IDS Discussion paper 296.
9. Elwin Committee (1960). Report of the Committee on Special Multipurpose Tribal Blocks. New Delhi: Ministry of Home Affairs.
